

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most.

BORROWER'S No.	DUE DATE	SIGNATURE

॥ श्रीः ॥

काशी संस्कृत ग्रन्थमाला

१८५

ॐ

श्रीमहर्षिशुक्राचार्यविरचिता

शुक्रनीतिः

‘विद्योतिनी’ हिन्दीव्याख्योपेता

व्याख्याकारः

श्री पं० ब्रह्मशङ्करमिश्रः साहित्यशास्त्री

भूमिकालेखकः

वाराणसेयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सम्मानित-प्राध्यापक-

प्राच्यराजशास्त्रार्थ-शास्त्रविभागाध्यक्ष-

पद्मभूषण-पण्डितराज-

श्रीराजेश्वरशास्त्री द्राविडः

काशीस्थश्रीवल्लभरामशालिग्रामसाङ्गवेदमहाविद्यालयाध्यक्षः

द्वैतवम्बा संस्कृत सीरीज आफिस, वाराणसी-१

१९६८

प्रकाशक : चौखम्बा संस्कृत सीरीज ऑफिस, वाराणसी

मुद्रक : विद्याविनायक प्रेस, वाराणसी

संस्करण : प्रथम, वि० संवत् २०२५

मूल्य [१२-५०]

© The Chowkhamba Sanskrit Series Office

Gopal Mandir Lane
P. O. Chowkhamba, Post Box 8
Varanasi-1 (India)
1968
Phone : 3145

प्रधान शाखा
चौखम्बा विद्याभवन
चौक, पो० बा० ६६, वाराणसी-१
फोन : ३०७६

THE
KASHI SANSKRIT SERIES
185
८८५५

ŚUKRĀNĪTĪ

OF
ŚRĪ MAHARŚI ŚUKRĀCĀRYA

*Edited With the
'Vidyotini' Hindi Commentary*

By
ŚRĪ Pt. BRAHMAŚAṆKARA MIŚRA

With a Foreword

By
Pandītarāja-Padmabūṣaṇa
ŚRĪ RĀJEŚVARAŚĀSTRĪ DRĀVIḌA

THE
CHOWKHAMBA SANSKRIT SERIES OFFICE
VARANASI-1

1968

First Edition
1968
Price Rs. 12-50

Also can be had of
THE CHOWKHAMBA VIDYABHAWAN
Publishers and Oriental Book-Sellers
Chowk, Post Box 69, Varanasi-1 (India)
Phone : 3076



* श्री गुरुशरणम् *

भूमिका

सर्वेषु शास्त्रेषु भारतीयं राजनीतिशास्त्रमेकमद्वितीयं शास्त्रम् । तद्धि देहली-स्थितदीपोज्ज्वलन्निव स्थापयित्वा नान्यथास्ति को भयमत्तं समन्वयपुरस्सरं प्रकाशयत् स्वस्मिन्नन्तर्भावयति । नीतिर्हि सैव यत्र प्रमाणत्रय-समन्वयेन देशकाललोकस्थिति ध्यात्वा शक्तिपुर-सर बहुलवर्गेषु कांचन रसप्रतीतिमुत्पादयन्ती शाश्वती योजना स्यात् । मृष्ट्यारम्भत ईश्वरात्सर्वज्ञात्प्रवृत्ता प्रकाशबहुला, लक्षाध्यायात्मिका दयामयी ब्रह्ममुखादवतरन्ती सर्वानपि मर्यादाया स्थापयन्ती सैषा नीतिविद्या, धर्मतो निरतिशयसुखमनुभवतां, ऐहिकसुखं बाञ्छता वा वगं यदा काचन मोहविवर्तित- प्रसरति, तथा लोकः शोककवलीकृतो दुःखकर्मेषु निमग्न सन् आत्मत्राणाय जीवानुभूता विद्या विचेतुं प्रयतते च तदा चकास्ते । इत्येतत् महाभारत-शान्तिपर्वान्तर्गत-५९-अध्यायदर्शना न तिरोहितम् । ततो विशालाक्षादिमहात्मना शिरसि रसिकतामुत्पादयन्ती तत्र-तत्र विभक्ता गुरुशिष्य-भावेषु प्रवहन्ती सुधमरेखारूपेण कामन्दकान्तं प्रसरन्ती मेयं विद्या, ब्रह्ममुखादव-तरन्ती चन्द्रलामादिलोकानाप्त्रवयन्ती धर्मशोभरावत्यादिषु तटिनीभावं प्राप्ता हिमगिरिमासाद्य धारास्वनेकानु विभक्ता गङ्गाधारेवाद्यापि जलधिमिव लोकमापूर-यन्ती कश्चिद् वतते । किञ्च ब्रह्म-विद्याशास्त्र-शास्त्र-नारद-देवगुरु-भारद्वाज-शुक्र-भोष्प-परशुरोद्धव-विष्णुगुप्त-कामन्दकादीना ग्रन्थेषु क्वचिद्विभज्य क्वचिन् संक्षिप्य च उपलभ्यते । तत्र सामान्यतः तत्तद्-ग्रन्थाप्येतारोज्ज्वलितवासिन एकत्रैव विचारचालु-रीभिस्तुरीयं वयः पश्यन्तोऽन्यत्राज्ञातभावं प्राप्नुवन्त स्वकीयाचार्यगौरवं स्थाप-यन्तोऽतिविस्तृतशास्त्रान्तरगताना पदार्थाना देशकालानुसारेण समन्वयं, पूर्वपक्षोत्तर-

पक्षस्थिति वा न जानन्ति । अत एव मतभेदः प्रसृती भवति । एतादृश्या-
मवस्थाया व्यास इव भगवत्प्रसादेन निर्मलान्तकरण. पतञ्जलिखिव निपुणमतिः—
विदग्धः, कार्यदक्षो यदावतरति कश्चित्तदा स इतस्ततः प्रसृतानां मतीना
पूर्वोत्तरपक्षभावेन समन्वयं प्रकाशयति । तदेव कार्यं वात्स्यायनापरपर्यायेण
कौटिल्येनार्थशास्त्रं निर्माय कृतम् । यस्य प्रतिभावत्वं, शक्तिमत्त्वं, मेधावित्त्वं,
वेधस्त्वं च कामन्दकेन ग्रन्थारम्भे प्रत्यपादि ।

जातवेदा इवाचिष्मान् वेदान् वेदविदां वरः ।
योऽधीतवान् सुचतुरश्वतुरोऽप्येकवेदवत् ॥
यस्याभिचारवज्रेण वज्रज्वलनतेजसः ।
पपातामूलतः श्रीमान् सुपर्वा नन्दपर्वतः ॥
एकाकी मन्त्रशक्त्या यः शक्त्या शक्तिधरोपमः ।
आजहार नृचन्द्राय चन्द्रगुप्ताय मेदिनीम् ॥
नीतिशास्त्रामृतं श्रीमानर्थशास्त्रमहोदधेः ।
य उद्ध्रे नमस्तस्मै विष्णुगुप्ताय वेधसे ॥ इति

ततः पूर्वं नीतिविद्याया एका शाखा शुक्रमुखात्स्पन्दन्ती सहस्राध्यायात्मिकाऽऽ-
सीत् । इति महाभारतवचनप्रामाण्यादवगम्यते ।

अध्यायानां सहस्रेण काव्यः संक्षेपमवधीत् ।

तच्छास्त्रममितप्रज्ञो योगाचार्यो महायशाः ॥ इति

तदन्तर्गतानि कतिपयगद्यानि उद्धृतानि विश्वरूपाचार्यकृत-बालक्रीडायामुप-
लभ्यन्ते । (या० अ० श्लो० ३२८) तथा नीतिवाक्यामृतटीकायामपि अनेकानि
शुननीतिवाक्यानि दृश्यन्ते । अस्याः टीकाया. प्रतिलिपि — १५४९-वैक्रमसंवत्सरे
कयाचिद् विदुष्या जैनसम्प्रदायान्तर्गताय चन्द्रप्रभाचैत्यालयाय समर्पितेति तत्प्र-
काशकेन स्वकृते आमुखे सप्रमाणमुपन्यस्तम् । एतद्वीकाकर्तुं गौरवं कदा लोके
प्रसिद्धमिति तु तिमिर एव तिरोहितम् तथापि कतिपयशताब्दीपर्यन्तं विस्तृतः
शुक्रनीतिग्रन्थ उपलभ्यमान आसीदिति निश्चप्रश्नम् । तमपि महान्तं ग्रन्थं

धारयितुमसमर्थान् विद्यारसिकान् दृष्ट्वा कश्चन कुशलस्तस्मादेव ग्रन्थात् सङ्ग्रह-
रूपेण तान्येव पद्यानि सङ्कलय्य शुक्रनीतिनाम्ना ग्रन्थमुपस्थापितवान् । सेयं
शुक्रनीतिः अद्य प्रकाशयमाना विदुषां पुरतः उपस्थिता वर्तते ।

अत्र केचित्—महाभारतोक्तमीशानसशास्त्र शुक्रनीतेरन्यदिति मन्यन्ते । तस्मात्ति-
मनोरमम् । चाणक्यः ग्रन्थारम्भे “ओं नमः शुक्रदृहस्पतिभ्याम्” इति मङ्गलं
कृत्वा तत्र शुक्रनाम निर्देश्य स्वग्रन्थे पूर्वाचार्यमतपर्यालोचनावसरे औशनसेति
नाम्ना तदेव मतं निर्वक्ति ।

अथ प्रस्तुत-शुक्रनीतिविषये केचनाक्षेपद्वयमुपस्थापयन्ति । तयोर्वास्तविक-
त्वमस्ति न वेति प्रसङ्गात् विचार्यते । तत्रार्थं प्रथम आक्षेपः, कौटिल्येन दण्डनीति-
रेकैव विद्येत्यौशनस मतमस्तीति प्रतिपादितम् । अत्र तु—

आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दण्डनीतिश्च शाश्वती ।

विद्याश्चतस्र एवैता अभ्यसेन्नृपतिः सदा ॥

इत्युपलभ्यते । अतोऽयं शुक्रनीतिसारग्रन्थः कौटिल्यसम्मतौशनसशास्त्रापेक्षया भिन्नः
शुक्रादन्येन केनचित् प्रणीत इति ।

अत्रोच्यते—“तस्यां हि सर्वविद्यारम्भाः प्रतिष्ठिताः” इति चाणक्यनिरूपितौ-
शनसमतदक्षिणावगम्यते, यत् भगवान् शुक्राचार्यं स्वयं चतसृणामपि विद्याना-
मुपयोगं जानन्नपि सिष्यविशेषाणां पुरतः सर्वविद्यारम्भो दण्डनीत्यधीन एवेति
व्याजहारेति । तच्छ्रुत्वा ते शिष्या दण्डनीतेः प्राधान्यं तदभिप्रेतमिति स्वीचक्रुः ।
नह्यस्यायमादाय, यत् इतरविद्यानामनुपयोगित्वमिति । स्वयं शुक्रो वा तच्छिष्या वा
तपस्विनो भूलोकादारभ्य ब्रह्मलोकपर्यन्तं गतिशीलाः आन्वीक्षिकीत्रयीवार्ताना-
मुद्देश्यसिद्धघनन्तरं निष्कृत्वं जानन्तो लोकसङ्ग्रहं चिकीर्षवः एका दण्डनीतिमे-
वात्मनात्कर्तुं प्रायतन्त । कालक्रमेण तत्परम्पराया ब्रह्मविस्वहासो दण्डनीतेरेव
प्राधान्यं चाभूदिति दृष्ट्वा चाणक्येनोपर्युक्तं मतमीशानमसङ्केतेन प्रतिपादितम् ।
स्वयमुदानसस्तु मतं पृथक् प्रयोजनवत्त्वाच्चतसृणामपि विद्याना लोकोपकारकरव-

मस्तीत्यभिप्रायकमत्र ग्रन्थे निर्दिष्टम् । इत्युभयोस्सति समन्वये शुक्रनीतिसार-
ग्रन्थो मूलभूतशुक्रनीतिग्रन्थात्सर्वथा भिन्न इत्यत्र प्रबलं प्रमाणं न पश्यामः ।

अपरदक्षाक्षेपः—शुक्रनीतिसारे चतुर्थाध्याये त्रिंशत्तमश्लोकमारभ्य “बन्दूक”
“तोप” पदवाच्यानामायुधानामुल्लेखः समुपलभ्यते । तद्द्वारा “गन् पावडर” आदि
वस्तुजातैर्निर्मितमग्निचूर्णं निक्षिप्य शत्रुभङ्गः कर्त्तव्यो भवति । “गन् पावडर”
पदार्थश्च भारतीयैः पूर्वमज्ञातः “पोर्तुगीज” जातीयैः पाश्चात्यविद्वद्भिरेव संशोध्य
आविष्कृतः । इतीतिहासो ज्ञायते । तस्मात् प्रस्तुतग्रन्थोऽयं ‘पोर्तुगीज’ आत्मणा-
नन्तरं केनचिद् विदुषा निर्माय ‘बन्दूक’ ‘तोप’ आद्यायुधान्मुल्लिख्य प्रकाशितः ।
स्वस्य ग्रन्थस्य प्रामाण्यख्यापनार्थं च शुक्रनीतिनाम्ना प्रसिद्धता नीतः । इति ।

अत्रोच्यते—‘गन् पावडर’ पदार्थे अपेक्षितं द्रव्यं ‘सोरा’ इति प्रख्यातं वस्तु ।
तच्च भारतीयैर्न ज्ञातमासीदिति पूर्वपक्षिणामाशयः । तदिदमबोधविजृम्भितम् ।
‘सोरा’ नामकं वस्तु ‘सुर्वाचिका’ नाम्ना आयुर्वेदग्रन्थेषु प्रसिद्धम् । तद्यथा शाल-
यामनिघण्टौ—

‘सूर्यक्षारोऽर्कक्षारश्च ताक्षर्यस्नीचगरसस्तथा ।

सुर्वाचिका सार्वसहो ह्यौरिणश्च शिलाजतु ॥ इति ।

तैत्तिरीयधृतिदर्शनतोऽपि ज्ञायते । तथाहि—

एषा वै सूर्वा कर्णकावरयेतया ह रम वै देवा असुराणां च शतसहस्रं सृष्टं
हन्ति यदेतया समिधमादधाति वज्रमेवैतच्छतर्ष्णी यजमानो भ्रातृभ्याथ प्रह-
रति । इति ।

१. संस्कृते— सूर्यक्षारः

हिन्दीभाषायाम्—सोरा, सूर्याखार, वाजी,

मराठी ,, सोरा

गुजराती ,, सुरोखार

तैलंगी ,, चिट्लुभस्ममु

इप्रेजी ,, नाइटर, साल्टपिटर

लैटिन ,, पोटेश्यं नैट्राम्,

फारसी ,, शोरा

अरबी ,, अक्केर, । इति ।

एतद्व्याख्या—“एषा वा इति । ज्वलन्ती लोहमयी स्यूणा सुर्मा, सा च कर्णकावती छिद्रवती । अन्तरपि ज्वलन्तीत्यर्थः । तत्समानेयमृक् । एकेन प्रहारेण शतसख्याकान् मारयन्तः शूराः शततर्हाः । असुराणा मध्ये तादृशानेतयर्चा देवा हिंसन्ति । अनया समिदाधानेन शतधनीमेनामृच वष्यं कृत्वा वैरिण हन्तुं प्रहरति । इति । (तै० स० का० १ अ० ४ अनु० ७)

तथा षड्विंशतिशतवर्षेभ्यः प्रागवतीर्णेन महविणा अर्थशास्त्राचार्येण चाणक्येन अस्य च सुवर्णसंशोधनमिषेण तदपसारणे सुवर्चिकोपयोगित्वं सुवर्णाध्यक्षप्रकरणे उक्तम् । तद्यथा—

मूकमूषापूर्तिकिष्टः करटऋमुखं नालीसन्दंशो
जोङ्गनी सुवर्चिकालवणमिष्यपसारणमार्गाः । (२-१४-३२)

सुवर्चिकालवणं टंकणक्षार इति केचित् । सुवर्चिका सुवर्चिकाख्य क्षारलवणं प्रतीतमित्यपरे । तदेव सुवर्णमिति श्रेष्ठम् । त्रिपुटकादिना परिवार्यं त्रिपुटकच्छायं तदेवेदं सुवर्णमिति वदन्नप्रहरति । (प्रतिपदपंचिकायाम्)

अयं पदार्थः बङ्गप्रदेशे प्रचुरमात्रया उपलभ्यते इति 'बङ्गाल साल्ट' नाम्ना वैज्ञानिकानां परिचितोऽस्ति । तथा च 'गन् पावडर' वस्तु भारतीयैरज्ञात-मासीच्चेत् उपयुक्तग्रन्थेषु कथमुल्लिख्येत ? अतः एतद्वस्तुविषयेऽज्ञातत्वहेतुमपन्यस्य ग्रन्थोऽयं 'पोर्तुगीज' आक्रमणानन्तरकालिकः इति साधनं स्वर्हपासिद्धिरूप-हेतुवा-भास-ग्रस्तमित्यश्रद्धेयम् । किञ्च ऐतिहासिकानां 'बन्दूक' 'तोप' विषये—उपयुक्ता संशोधनरीति वास्तविकेतिहासविरुद्धा इति अत्रत्यराजनीतिवर्गसदस्यैः श्रीनटराज-अपर एडवोकेट, एम्०, ए०, एम्०, एल० महोदयैरितिहासलेखकानां आर्०, सी० मजुमदार-महाभागानां “भारतीय-सभ्यता” नामकान् ग्रन्थाद्बुद्धयुक्तं प्रदर्शितम् ।

४६०—पृष्ठे—^१'बन्दूक' तथा 'गन् पावडर' का प्रयोग भारतदेश मे ।

१—^२इसमें कोई सन्देह नहीं कि बन्दूक भारत मे पोर्तुगीजो के आने के पूर्व ई० सन् १४९८ में सामान्य प्रयोग मे थी ।

1. Use of Guns and Gunpowder in India.
2. There is no doubt that guns were in common use before the arrival of the Portuguese in India in A. D. 1498.

२—१३६५-६६ ईसवी के युद्ध में राजा भामिनी ने १३०० तीर्थे राजा विजयनगरम् महाराज से प्राप्त की। इति।

पूर्वकालादारभ्य विवादरत्नाकरादी चण्डेश्वरादिभिः शिष्टैः प्रमाणत्वेन परिगृहीते बृहत्तरगुणनीतिसंग्रहेऽस्मिन् शिष्टपरिगृहीते ग्रन्थे मध्ये-मध्ये तत्तत्समये कैश्चिन् महाशयैरुपयुक्तदृष्ट्या ते ते विषया, सन्निवेशिता इति कल्पनापि हृदयरप्रमाणाभावात्कविचारचातुरीदक्षाणा मीमांसकाना नाभिमता।

अनोऽत्रत्याक्षेपाणां निर्मूलत्वात् अस्य ग्रन्थस्य अप्रामाण्यादिवत्पनाया प्रमाणं न पश्यामः। सोऽयं ग्रन्थः ब्रह्मनिर्मितमहत्तरनीतिग्रन्थस्य संक्षेपरूपः दुर्लभता गतवामीत्। तस्य प्रकाशनं महता परिश्रमेण कृत्वा वाराणसीस्य 'चौखम्बा संस्कृत सोरीड'—सञ्चालकमहोदयैलोकानां पुरतः सोऽयं ग्रन्थः सुलभता नीतः। अतस्तेषां सर्वविधं मङ्गलं भवत्विति परमेश्वरं प्रार्थये। इति शम्।

वाराणसी
श्रीगणेशचतुर्थी
वि० सं० २०२४

श्रीराजेश्वरशास्त्री द्राविडः
(तेषामाज्ञया-रा० शा० होसमने)

1. "...in this battle which was fought in 1365-1366 A. D., the Bahmani king secured as war-booty 1300 cannons from the "Vijayanagar Maharaj." (THE DELHI SULTANATE by R. C. Majumdar, Page 460. History and Culture of the Indian People Bhartiya Vidya Bhavan, Bombay).

प्रस्तावना

श्री नारायण मिश्र

अध्यापक : संस्कृत पालि-विभाग, काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ।

नीति सागर-निष्क्रान्ताः कु-प्रज्ञा-मारुतेरिताः ।

पृथक्वेनेव दृश्यन्ते नाना-शास्त्र महोर्मयः ॥^१

प्राचीन काल से ही विद्या की संख्या के विषय में अनेक मत-मतान्तर प्रचलित हैं । याज्ञवल्क्य^२ स्मृति में १४ विद्याओं का उल्लेख है । उनके नाम हैं—पुराण, न्याय, मीमांसा, धर्म-शास्त्र, शिखा, कल्प, व्याकरण, छन्दस्, निरुक्त, ज्योतिष, ऋक्, यजुः, साम तथा अथर्ववेद । मनु^३ के मत में भी इतनी ही विद्याएँ मानी गई हैं । विष्णुपुराण (३।६।२८) में आयुर्वेद, धनुर्वेद, सङ्गीत-शास्त्र तथा अर्थ-शास्त्र के साथ १८ विद्याओं को माना गया है । छान्दोग्य-उपनिषद्^४ में संक्षेपतः १९ विद्याओं का उल्लेख है । शुक्र-नीति-सार^५ में ३२ विद्याओं का निर्देश तथा उनके लक्षण किए गए हैं । परन्तु इतना तो स्पष्ट है कि किसी मत से किसी मतान्तर का वास्तव विरोध नहीं है, केवल अन्तर्भाव के प्रकार में अन्तर है । अन्तर्भाव की प्रक्रिया का संचित रूप हमें कौटिल्य-अर्थ-शास्त्र में उपलब्ध होता है । अर्थ-शास्त्र के उल्लेख के अनुसार

१ कामन्दकीय-नीति-सार-उपाध्याय-निरपेक्षा—पृ० ४७ (आनन्दाधम)

२. पुराण-न्याय-मीमांसा-धर्म-शास्त्राङ्ग-मिश्रिता ।

वेदा. स्थानानि विद्यानाम्...॥ या० स्मृ० १।३ ॥

३. अङ्गानि वेदाश्चत्वारो मीमांसा न्याय-विस्तर. ।

धर्म-शास्त्रं पुराण च विद्यास्त्वेताश्चतुर्दश ॥

(नैपथीय-चरित १।४ की 'प्रकृत' व्याख्या में मनु के नाम से उद्धृत)

४ ऋग्वेद भगवोऽयेमि यजुर्वेदं सामवेदम् आयर्वणं चतुर्थम् इतिहास-पुराणं पञ्चमम् वेदानाम् वेदम् पित्र्यम् राशिम् दैवम् निधिम् वाकोवाक्यम् एकायनम् देव-विद्याम् ब्रह्म-विद्याम् भूत-विद्याम् क्षत्र-विद्याम् नक्षत्रविद्याम् सर्प-देवजन-विद्याम् एतद्भगवोऽयेमि । छा० उ० ७।१।२ ॥

५ शुक्रनीतिसार ४ । २६७-३०५ ॥

कौटिल्य चार विद्याओं को मानते हैं—आन्वीक्षिकी,^१ त्रयी (ऋग्, यजुः, साम) वार्त्ता तथा दण्ड-नीति । कामन्दक^२ तथा महाभारत^३ के आधार पर भी यह मत प्रमाणित है । मानव-सम्प्रदाय के अनुसार त्रयो,^४ वार्त्ता तथा दण्ड-नीति ये तीन ही विद्याएँ हैं । इस परम्परा का संकेत रामायण^५ में भी मिलता है । गृहस्पति-सम्प्रदाय का कथन है कि केवल दो ही विद्याएँ हैं वार्त्ता तथा^६ दण्ड-नीति । परन्तु शुक्राचार्य के अनुसार एक ही^७ विद्या है—दण्ड-नीति । (यह दण्ड-नीति नीति-विद्या का ही पर्याय है—यह बात आगे बतलाई जायगी ।) इस सम्प्रदाय का कहना है कि दण्ड-नीति के बिना किसी भी विद्या की सुरक्षा नहीं हो सकती है । अतः सभी विद्याओं में प्रधान यही है । यह विद्या स्वतः पूर्ण है जब कि अन्योन्य विद्याएँ अपूर्ण अर्थात् आंशिक^८ हैं । यही कारण है कि चार विद्याओं के समर्थक कौटिल्य ने भी इसे सर्वोच्च स्थान^९ दिया है । छान्दोग्य उपनिषद् में प्रयुक्त 'एकायन' शब्द की व्याख्या शंकराचार्य ने की है—'एकायनम्'^{१०} = नीति-शास्त्रम् । इस एकायन शब्द से भी यही सिद्ध होता है कि यह नीति-विद्या सभी विद्याओं में श्रेष्ठ है । महाभारत आदि ग्रन्थों में इसी कारण से इस विद्या की भूयो-भूयः प्रशंसा की गई है । अतः यह स्पष्ट है कि नीति-विद्या सभी विद्याओं का मूल अतएव सर्व-श्रेष्ठ विद्या है ।

१. आन्वीक्षिकी त्रयी वार्त्ता दण्ड-नीतिश्चेति....चतस्रः एव विद्या इति कौटिल्यः । अ० शा०, पृ० १० (चोखम्बा)
२. आन्वीक्षिकी त्रयी वार्त्ता दण्ड-नीतिश्च शाश्वती ।
विद्याश्चतस्र एवेताः लोक-संस्थिति-हेतवः ॥ का० नी० २।२ ॥
३. ज्ञानुर्विद्यञ्च कीर्तितम्—म० भा० (शान्ति-पर्व) ५।१४० ॥
४. त्रयी वार्त्ता दण्ड-नीतिश्चेति मानवाः । अ० शा०, पृ० १० ॥
५. विद्याः तिस्रश्च राषव । वाल्मीकि रामायण (अयो०का०) १००।६८ ॥
६. वार्त्ता दण्ड-नीतिश्चेति ब्राह्मस्पत्याः । अ० शा०, पृ० १० ॥
७. दण्ड-नीतिरेका विद्या इत्योशनसाः । तस्या हि सर्व-विद्यारम्भाः प्रतिबद्धाः । अर्थ-शास्त्र, पृ० १० ॥
८. त्रियैक-देश-बोधीनि शास्त्राण्यन्यानि सन्ति हि ।
सर्वोपजीवकं लोक-स्थितिदृष्टीति-शास्त्रकम् ।
धर्मार्थ-काम-मूलं हि स्मृतं मोक्ष-प्रदं यत ॥ शु० नी० सा० १।४-५ ॥
९. तस्यामायत्ता लोक-यात्रा । अ० शा०, पृ० १६ ॥
१०. छा० उ० ७।१।२ पर शा० भा० ॥

नीति-विद्या तथा इसके पर्याय

‘नीति’ शब्द प्रापण के अर्थ में प्रयुज्यमान नी (नीञ् प्रापणे) धातु से ‘स्त्रियां क्तिन्’ प्रत्यय के द्वारा व्युत्पन्न होता है । अतः इसका अर्थ है ‘प्रापण’ । परन्तु प्रापण एक सक्र्मक क्रिया है अतः इसकी पूर्णता के लिए संक्षेप में चार तत्त्वों की आवश्यकता है—कर्त्ता, कर्म, अपादान तथा स्वयम् क्रिया । साथ ही प्रापण एक प्रेरणार्थक क्रिया है अतः इसके दो कर्म होंगे, एक तो अप्रेरणावस्था का कर्त्ता (प्रयोक्तृ कर्त्ता) तथा एक अप्रेरणावस्था का कर्म । एवञ्च ‘नीति’ शब्द का स्पष्ट अर्थ है एक मार्ग (अपादान कारक) से किसी व्यक्ति-विशेष (अप्रेरणावस्था का कर्त्ता तथा प्रापण-क्रिया का कर्म) को दूसरे मार्ग (अप्रेरणावस्था तथा प्रेरणावस्था का कर्म) पर ले जाना या पहुँचाना । पहुँचाने वाला (अर्थात् इम क्रिया का कर्त्ता) कौन हो सकता है इसका विवेचन आगे किया जायगा । यह तो विचार करने पर स्पष्ट ही हो जाता है कि यदि कोई व्यक्ति उचित मार्ग पर स्वयम् वर्तमान है तो उसे दूसरे मार्ग पर ले जाना निरर्थक है । मार्गान्तर पर ले जाने की आवश्यकता तो तब होती है यदि कोई व्यक्ति मार्ग-व्युत्, अर्थात् अनुचित मार्ग, पर हो । अत एव यह सिद्ध है कि अनुचित मार्ग से किसी व्यक्ति को उचित मार्ग पर ले जाने की क्रिया ही परमार्थतः ‘नीति’ है । अत एव यह कहा गया है—

‘नयनात्^१ नीतिरुच्यते’ ॥

अब हमें यह देखना चाहिए कि इस नीति का कर्त्ता या स्वाभाविक अधिकारी कौन है । नीति-विद्या के अतिद्वय परिष्कारक भीष्म का कथन है कि चानुर्वर्ण्यं के धर्म के विप्लव का प्रतिरोध राजा का ही कर्त्तव्य है ।^२ ‘राजनीति-प्रकाश’ में उद्धृत ‘मत्स्य-पुराण’ के कथन से यह अर्थ और भी स्पष्टतर हो जाता है । महर्षि याज्ञवल्क्य का भी यही मत है । अन्यान्य

१. शु० नी० सा० १।५६ ॥

२. चानुर्वर्ण्यस्य धर्मोश्च रक्षितव्या महीक्षिता ।

धर्म-सङ्हर-रक्षा च राजा धर्मं सनातनः ॥ म० भा० (शा० प०) ५७।१५ ॥

३. स्वे स्वे धर्मे स्वस्थानम् वर्णानां पृथिवीपतेः ।

परो धर्मः सदा प्रोक्तः तत्र यत्नपरो भवेत् ॥

स्व-धर्म-प्रच्युतान् राजा स्वे स्वे धर्मे नियोजयेत् ।

व्यवस्थानम् = व्यवस्थापनम् । रा० नी० प्र०, पृ० १२१ (चौखम्बा) ॥

४. कुलानि जाती. श्रेणीश्च गणान् जानपदानपि ।

स्व-धर्मान् चक्षितान् राजा विनीय स्थापयेत्पथि ॥ या०स्मृ० १।३६१ ॥

ग्रन्थों में भी इसी का समर्थन किया गया है । अतः यह स्पष्ट है कि प्रापगार्थक नीति का कर्त्ता है (प्रधानतः) राजा ।

उपर्युक्त विवरण से यह सिद्ध होता है कि यतः राजा का ही यह 'नीति' कर्त्तव्य है अतः इस 'नीति' को 'राज-नीति' या 'राज-धर्म' भी कहा जा सकता है । इस प्रसङ्ग में 'धर्म' शब्द का अर्थ है 'कर्त्तव्य' ।

यहाँ यह भी विचारणीय है कि 'नीति' शब्द के अर्थ के प्रसङ्ग में कहे गए अनुचित मार्ग में अनौचित्य का क्या अर्थ है । एक अनुचित तो वह है जो जिसके लिए विहित नहीं है पर अन्य के लिए विहित है । उदाहरणार्थ, हम तपस्या को ले सकते हैं । यह बहुत ही प्रशस्त आचरण है परन्तु शूद्र के लिए अनुचित है । दूसरे प्रकार का अनुचित उसे कहा जा सकता है जो सर्वथा प्रतिबिद्ध है, जैसे—चौर्य, परदाराभिगमन आदि । अनुचित मार्ग के अनुसरण के भी साधारणतः दो कारण होते हैं—अज्ञान तथा आसक्ति । सज्जन तथा दुर्जन दोनों ही कुमार्ग का अवलम्बन कर सकते हैं पर दोनों के अवलम्बन के आधार भिन्न-भिन्न होते हैं । सज्जन के अनुचित मार्गावलम्बन का आधार है 'अज्ञान' जब कि दुर्जन के प्रसङ्ग में यह आधार है 'आसक्ति' । यदि 'आसक्ति' से किसी भी व्यक्ति की प्रवृत्ति अनुचित मार्ग पर होती है तो उसे सज्जन कथमपि नहीं कहा जा सकता है और इसी तरह यदि 'अज्ञान' से किसी की प्रवृत्ति अनुचित मार्ग की ओर हो जाती है तो उस प्रवृत्ति के आधार पर उसे दुर्जन भी नहीं कहा जा सकता । संक्षेप में अनौचित्य का विवरण यही है ।

उपर्युक्त अनौचित्य के अवरोध के लिए राजा को उपायों का आश्रयण करना पड़ता है । मनु, 'याज्ञवल्क्य' आदि के अनुसार ये उपाय चार हैं—साम, दान, भेद तथा दण्ड । मत्स्य-पुराण के अनुसार इन चार उपायों के अतिरिक्त भी तीन उपाय हैं—उपेक्षा, माया तथा इन्द्रजाल । यद्यपि ये उपाय प्रधानतः शत्रु-राजाओं के बशीकरण के लिए उपयोगी बतलाए गये हैं तथापि

१. धर्म-शब्दश्च कर्त्तव्यता-वचनः—मेधातिथि,

धर्म-शब्दोऽत्र दृष्टाद्दृष्टार्थानुष्ठेय-परः—कुल्लूकभट्ट । म० स्मृ० ७।१ ॥

२. मामादीनामुपायानां चतुर्णाम्—म० स्मृ० ७।१०९ ॥

३. उपायाः साम दानं च भेदो दण्डस्तथैव च ॥ या० स्मृ० १।३४६ ॥

४. साम भेद तथा दानम् दण्डश्च मनुजैश्वर ।

उपेक्षा च तथा माया इन्द्रजालं तथैव च ॥ म० पु० २२।१२ ॥

व्यवहार-निर्वाह के लिए भी इनका महत्त्व^३ साधारण नहीं है। वस्तुतः यदि शत्रु का अर्थ अपकारक है तो अपकारक व्यक्ति-मात्र—चाहे वह पर राजा हो या अपना पुत्र—शत्रु है। अतः अपकारक व्यक्ति-मात्र के लिए इन उपायों का यथा-योग्य प्रयोग आवश्यक तथा उचित है।

उपर्युक्त उपायों में भी व्यवस्था बनी हुई है। सब के लिए सभी उपायों का प्रयोग उचित नहीं है। अपराध तथा अपराधी आदि के अनुसार तत्त्व उपाय का प्रयोग करना होता है। इस प्रसङ्ग में इतना तो सरलता से ही अवगमनीय है कि यदि कोई सज्जन अज्ञान-वश कुमार्ग या मार्गान्तर पर आध्रित है तो उसे साम^३ मात्र से उचित मार्ग पर लाया जा सकता है। इसी प्रकार दान तथा भेद के प्रयोग का भी यथावसर प्रयोग विहित है। परन्तु आसक्ति-पूर्वक अनुचितकरण करने वाले दृष्ट को सम्मार्ग पर साम आदि उपायों से नहीं^३ लाया जा सकता है, उसके लिए तो एक-मात्र समर्थ-उपाय है 'दण्ड'^४। यह तथ्य दण्ड-शब्द के अर्थ^५ पर ध्यान देने से भी स्पष्ट हो जाता है। हाँ, इतना तो आवश्यक है कि दण्ड-प्रयोग में अत्यन्त विवेक होना चाहिए। अनुचित, अर्थात् तीक्ष्ण, दण्ड से प्रजा में आतङ्क^६ फैल जाता है और इससे

१ एते सामादयः न केवलं राज्य-व्यवहार-विषयाः अपि नु सकल-लोक-व्यवहार-विषयाः । मिताक्षरा, या० स्मृ० १।३।४६ ॥

२. तत्र साधुः प्रयत्नेन साम-साध्यो नरोत्तम ॥ मत्स्य-पुराण २१।१।४ ॥

३ साम्ना यद्यपि रक्षसि गृह्णन्तीति परा श्रुतिः ।

तथाऽन्यैतदसाधूनाम् प्रयुक्तं गोपकारकम् ॥ म० पु० २२।१।८ ॥

४. यदि ते तु न निष्ठेयुः उपायैः प्रथमैः त्रिभिः ।

दण्डेनैव प्रसह्यैतान् शनकैः वशमानयेत् ॥ म० स्मृ० ७।१०।८ ॥

दण्ड पूज्य-प्रहीणके—शु० नी० सा० ४।३५ ॥

न शक्या ये वशे कर्तुमुपायत्रितयेन तु ।

दण्डेन तान् वशीकुर्यान् दण्डो हि वशकृन्नुणाम् ॥ म० पु० २२।४।१ ॥

५ दण्डो दमनादित्याहुः तेनादान्तान्दमयेत् । गीतम-धर्म-शास्त्र ११।१२८ ॥

यस्माद्दान्तान्दमयत्यग्निष्टान्दण्डयत्यपि ।

दमनाद्दण्डनाच्चैव तस्माद्दण्डं विदुर्बुधाः ॥ म० भा० (शा० ५०) १५।८ ॥

यस्माद्दण्डो दमयति अदण्ड्यान् दण्डयत्यपि ।

दमनाद्दण्ड्यानाच्चैव तस्माद्दण्डं विदुर्बुधाः ॥ मत्स्य-पुराण २२।४।१७ ॥

६. तीक्ष्ण-दण्डो हि भूतानामुद्वेजनीयः.....दुष्प्रणीतः कामत्रोधान्याम-जानान् वानप्रस्थ-परिव्राजकानपि कोपयति किमङ्ग पुनर्गृहस्थान् ।

अ० शा०, पृ० १६ (चौलम्बा) ॥

राज्य का मूल शिथिल होने लग जाता है। परन्तु यह समझना चाहिए कि कोई भी दण्ड स्वभावतः तीक्ष्ण या उचित नहीं होता। अपराध तथा देश-काल आदि के साथ सामञ्जस्य रखने वाला कोई भी दण्ड उचित कहला सकता है और इसके विपरीत होने पर अनुचित या तीक्ष्ण। जैसे—एक हत्यारे के लिए प्राण-दण्ड को तीक्ष्ण नहीं कहा जा सकता पर यदि एक साधारण चोर को वही दण्ड दिया जाय तो वह अवश्य ही तीक्ष्ण-दण्ड कहलाएगा। अतः राजा को दण्ड-प्रयोग के प्रसङ्ग में अत्यन्त विवेक-पूर्ण होना चाहिए। यद्यपि शुक-नीति-सार में यत्र-तत्र^१ अपने राज्य में दण्ड के प्रयोग का प्रतिषेध किया गया है तथापि उसका तात्पर्य अनुचित दण्ड के प्रतिषेध तथा उपायान्तर के सार्थक होने पर दण्ड के प्रतिषेध से है। जहाँ तक उचित दण्ड का प्रश्न है उसका क्षेत्र संकुचित नहीं है। चाहे मित्र हो या शत्रु, अपराध के अनुसार नियमतः दण्ड-भागी होता है। अत एव महाभारत^२ तथा मनु-स्मृति आदि ग्रन्थों में प्रजा-मात्र के प्रति दण्ड का अनुविधान किया गया है। दण्ड के क्षेत्र का निर्देश हमारे महाकवि भारवि के निम्न-लिखित श्लोक में बहुत ही स्पष्ट रूप में किया गया है :—

वसूनि वाञ्छन् वशी न मन्युना स्व-धर्मं ह्येव निवृत्त-कारणः ।
गुरुपदिष्टेन रिपौ सुतेऽपि वा निहन्ति दण्डेन स धर्म-विप्लवम् ॥^३

समीक्ष्य स धृतः सम्यक् सर्वाः रञ्जयति प्रजाः ।

असमीक्ष्य प्रणीतस्तु विनाशयति सर्वतः ॥ म० स्मृ० ७।१९ ॥

त्रिवर्गं वर्धयत्याशु राज्ञो दण्डो यथा-विधि ।

प्रणीतोऽप्यास (१) भञ्जस्यात् वनस्थानपि कोपयेत् ॥ का० नी० २।३७ ॥

१ स्व-प्रजानां न भेदेन नैव दण्डेन पालनम् ।

कुर्वात साम-दानाभ्याम् सर्वदा यत्नमास्थितः ॥

स्व-प्रजा-दण्ड-भेदैश्च भवेद्भ्राज्य-विनाशनम् ।

स्व-प्रजा-दण्डनाच्छ्रेयः कथं राज्ञो भविष्यति ॥

शु० नी० सा० ४।३८, ३९, ५२ ॥

२. दण्डः शास्ति प्रजाः सर्वा दण्ड एवाभिरक्षति ।

दण्डः सुतेषु जागति दण्डं धर्मं विदुर्बुधाः ॥

म० भा० (शा० प०) १५।२, मत्स्य-पुराण २२।४।४-१५, तथा

म० स्मृ० ७।१८ ॥

स्व-देशे पर-देशे वा धर्म-शास्त्र-विशारदान् ।

समीक्ष्य प्रणयेदण्डं सर्वं दण्डे प्रतिष्ठितम् ॥ मत्स्य-पुराण २२।४ ॥

३. किरातार्जुनीय—१।१३ ॥

किसी स्मृत्यन्तर के प्रामाण्य के आधार पर विज्ञानेश्वर^१ ने माता, पिता, स्नातक, पुरोहित, परिव्राजक तथा वानप्रस्थ को दण्ड के क्षेत्र से बहिर्भूत माना है। परन्तु उस स्मृत्यन्तर में 'श्रुत-शील-शीचाचारवन्तः' इस हेतु-गर्भ विशेषण से और मनु^२ आदि के कथन से यह सिद्ध होता है कि उपर्युक्त विशेषण से हीन होने पर महान् अपराधी कोई भी व्यक्ति दण्डनीय हो सकता है—चाहे वह स्नातक हो या परिव्राजक। वस्तुतः यदि उक्त विशेषण से सम्पन्न कोई अन्य व्यक्ति भी होगा तो उसे दण्ड देने का प्रश्न ही नहीं उठता है। इस प्रसंग में माता पिता आदि को साधारण अपराध का दण्ड नहीं देना चाहिए—इतना माना जा सकता है।

हाँ, इस प्रसङ्ग में इतना तो विचारणीय है ही कि शत्रु राजा के विषय में दण्ड-प्रयोग की कटुता का औचित्य कहाँ तक है। विष्णुधर्मोत्तर^३ में वर्णित 'स्व-विषय-दण्ड' तथा 'पर-विषय-दण्ड' की विधि में स्पष्ट तारतम्य दीख पड़ता है। अन्यत्र^४ भी शत्रु-विषयक-दण्ड की तीव्रता बतलाई गई है। सम्भवतः

१ एतच्च माता-पित्रादि-व्यतिरेकेण । तथा च स्मृत्यन्तरम्—“अदण्ड्यो माता-पितरो स्नातक-पुरोहित-परिव्राजक-वानप्रस्था श्रुत-शील-शीचाचारवन्तः ते हि धर्माधिकारिणः” इति । मिताक्षरा १।३५८ ।

२. पिताऽऽचार्यं. सुहृन्माता भार्या पुत्रः पुरोहितः ।

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मं न तिष्ठति ॥ म० स्मृ० ८।३३५ ॥

बह्वचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थश्च भिक्षुकः ।

दण्डस्यैव भयादेते मनुष्याः । वर्त्मनि स्थिताः ॥

महाभारत (भा० प०) १५।१२ ॥

गुरोरप्यबलिप्तस्य कार्याकार्यमजानतः ।

उत्पथ-प्रतिपन्नस्य काय भवति शासनम् ॥ शु० नी० सा० ४।४७ ॥

अपि भ्राता सुतोऽर्थ्यो वा द्वयुरो मातुलोऽपि वा ।

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति धर्माद्विचलितः स्वकात् ॥

या० स्मृ० १।३५८ ॥

आश्रमी यदि वा वर्णो पूज्यो वाज्य गुरुर्महान् ।

नादण्ड्यो नाम राज्ञोऽस्ति यः स्वधर्मं न तिष्ठति ॥

मत्स्य-पुराण—२२।४५ ॥

३ रा० नी० प्र०, पृ० २९६—३०४ ॥

४ भृश-दण्डश्च शत्रुपु—म० स्मृ० ७।३२;

रिपोः प्रजाना सम्भेदः पीडनं स्व-जयाय वै ॥ शु० नी० सा० ४।३६ ॥

मानव-स्वभावागत द्वेष आदि के कारण हुए वैषम्य का ही यथावत् वर्णन शास्त्रों में किया गया है ?

उपर्युक्त चार प्रधान उपायों में भी मनु^१ के अनुसार 'साम' तथा 'दण्ड' प्रधान हैं। कुल्लुकभट्ट का कहना है कि^२ धन-सैन्यादि-प्रचय-हीन होने के कारण साम प्रशस्त है और दण्ड में धनादि-चय होने पर भी फलाधिक्य है अतः दण्ड भी प्रशस्त है। परन्तु कुल्लुकभट्ट के फलातिशय से यह संकेत मिलता है कि दण्ड ही प्रशस्ततर है क्योंकि प्रवृत्ति में उत्कर्ष फलोत्कर्ष-प्रयुक्त ही होना चाहिए। अत एव स्वयम् मनु ने भी अन्यत्र^३ दण्ड को ही सर्वाधिक महत्त्व दिया है। इसके विपरीत मत्स्य-पुराण^४ का कथन है कि 'दान' ही सर्वोत्कृष्ट उपाय है। परन्तु यह बहुत उचित नहीं प्रतीत होता है। मेरी दृष्टि से राजनीति से सम्बद्ध 'दान' में उत्कोच (Bribe) का भी समावेश है, यह यज्ञादि-गत विशुद्ध दान नहीं है। दूसरी बात यह है कि दान का क्षेत्र संकुचित है जब कि दण्ड का क्षेत्र असंकुचित। अतः दान की अपेक्षा राजनीति में दण्ड का महत्त्व अधिक है। अत एव स्वयम् मत्स्य-पुराण^५ ने भी अन्य उपायों के असामर्थ्य में दण्ड के सामर्थ्य का उल्लेख किया है। महाभारत^६ में भी

१. सामादीनामुपायाना चतुर्णामपि पण्डिता ।

साम-दण्डौ प्रशंसन्ति नित्यं राष्ट्राभिवृद्धये ॥ म० स्मृ० ७।१०९ ॥

२. साम्नि प्रयास-धन-व्यय-सैन्य-प्रक्षमादि-दोषाभावात् दण्डे तु तत्सद्भावेऽपि कार्य-सिद्धयतिशयात् ॥ कुल्लुकभट्ट—म० स्मृ० ७।१०९ ॥

३. स राजा पुरुषो दण्डः स नेता शासिता च सः ।

चतुर्णामाश्रमाणां च धर्मस्य प्रतिभूः स्मृतः ॥ म० स्मृ० ७।१७ ॥

सर्वो दण्ड-जितो लोको दुर्लभो हि शुचिर्नरः ।

दण्डस्य हि भयात्सर्वम् जगद् भोगाय कल्पते ॥ म० स्मृ० ७।२२ ॥

दण्डे वैनयिकी क्रिया—म० स्मृ० ७।६५ इत्यादि ।

४ सर्वेषामप्युपायाना दानं श्रेष्ठ-तमं मतम् ।

सुदत्तेनेह भवति दानेनोभय-लोकजित् । म० पु० २२३।१ ॥

इस प्रसङ्ग में यह सम्पूर्ण अध्याय द्रष्टव्य है ।

५ न शक्या ये वशे कर्तुम् उपाय-वितयेन तु ।

दण्डेन तासु वशीकुर्यात् दण्डो हि वशकृन्नुषाम् ॥ वही २२४।१ ॥

म० पु० का श्लो २२४ अध्याय दण्ड की प्रशंसा में ही पर्यवसन्न है ।

६ समस्त पञ्चदश अध्याय (शान्ति-पर्व) दण्ड-प्रशंसा में ही लिखा गया है तथा अन्यत्र भी दण्ड की अत्यधिक प्रशंसा मिलती है ।

दण्ड का अत्यधिक माहात्म्य बतलाया गया है। अतः सभी उपायों में दण्ड श्रेष्ठ है।

उपर्युक्त दण्ड-प्राधान्य की दृष्टि से ही इस 'नीति' को 'दण्ड-नीति' (दण्डेन नीतिः) कहा जाता है।

नीति को दण्ड-नीति कहने का दूसरा आधार यह है कि दण्ड-शब्द उपाय-विशेष-वाचक होने के साथ-साथ उपाय-सामान्य का^१ भी वाचक है। अतः 'नीति' के साधन सामादि को दण्ड कहा जा सकता है और उससे साध्य, नीति, को 'दण्ड-नीति' (दण्डेन नीतिः) कहा जा सकता है।

अथवा उपाय तथा उपेय-नीति में अभेदोपचार के आधार पर भी 'नीति' को दण्ड-नीति (दण्ड एव नीतिः) कहा जा सकता है।

चतुर्थ दृष्टि यह है कि दण्ड-प्रयोजक राजा भी^२ औपचारिक रूप में दण्ड-पद-वाच्य हो सकता है इस लिए राजा की नीति को दण्ड-नीति (दण्डस्य = राज्ञः नीतिः) कहा जा सकता है।

इस प्रसंग में यह ज्ञातव्य है कि कुछ आचार्यों की दृष्टि में 'नीति' शब्द का अर्थ सन्मार्ग-प्रापण नहीं है अपितु दण्ड-प्रापण। अतः नीति शब्द दण्ड-नीति का ही लुप्त-पूर्वपद रूप है। इस मत में दण्ड-नीति शब्द में पष्ठी-तत्पुरुष समास है। सम्भवतः आचार्य कौटिल्य^३ का समर्थन इसी पक्ष को मिलता है। यह दण्ड-नीति हमारे दण्ड के स्थान में ही आता है।^४ परन्तु दण्ड एक

१. येन सन्दम्यते जन्तु उपायो दण्ड एव न. ॥ शु० नी० सा० ४।४० ॥

अथवा दण्ड-शब्दोद्भूत दमन-मात्र-नृत्ति स्व-पर-पक्षदमनोपायाऽशेष-मामाह्वपग्राही द्रष्टव्यः। का० नी० सा० जय-मङ्गला—पृ० ५० (पूना)

२. दमो दण्ड इति स्यातः तत्स्ययाद्दण्डो महीपतिः।

तस्य नीतिर्दण्ड-नीति — का० नी० सा० २।१२ ॥

दमो दण्ड इति स्यातस्तस्माद्दण्डो महीपति ।

तस्य नीतिर्दण्ड-नीतिर्नवनान्नीतिरुच्यते ॥ शु० नी० सा० १।५६ ॥

स राजा पुरुषो दण्ड — म० स्मृ० ७।१७ ॥

दण्ड शास्त्रि प्रजाः सर्वाः—म० भा० (शान्ति-पर्व) १५।२ ॥

३. आन्वीक्षिकी-त्रयी-वार्ताना योग-क्षेम-साधनो दण्ड, तस्य नीति ।

अ० शा०, पृ० १५ ॥

४. दण्ड-नीति स्वधर्मभ्यचातुर्बन्धु नियच्छति ।

म० भा० (शा० प०) ६९।७६ ॥

यहाँ दण्ड-नीति शब्द शास्त्र का वाचक नहीं है।

उपाय है, अतः उसे या उसके प्राण को राजा का साक्षात् कर्त्तव्य नहीं माना जा सकता । राजा का कर्त्तव्य तो है 'स्व-स्व-धर्म-प्राण' (सन्मार्ग-प्राण) ही, उसके उपाय के रूप में दण्ड का प्राण भले ही आता हो । अतः इस अर्थ को अभिव्यक्त करने वाले 'दण्ड-नीति' शब्द को 'नीति' (सन्मार्ग-प्राण) का पर्याय नहीं माना जा सकता । साध्य-साधन में अभेदोपचार के आधार पर कहना तो प्रकारान्तर है ।

अस्तु, प्रकृत 'नीति' (सन्मार्ग-प्राण) का उद्देश्य है 'अभ्युदय' । किन्तु आत्माभ्युदय तब तक सर्वाङ्गीण नहीं हो पाता है जब तक पर का अवसाद न हो जाय । इसलिए पर-विनाश-पूर्वक आत्माभ्युदय को 'नीति' का लक्ष्य माना जा सकता है ।

इस सन्दर्भ में महाकवि भाघ का निम्न-लिखित कथन द्रष्टव्य है—

आध्मोदयः परम्लानिः द्वयं नीतिरितीयती ।
तदूरीकृत्य कृतिभिः वाचस्पत्यं प्रतायते ॥

अतः यह सिद्ध होता है कि दण्ड अथवा दण्डनीति (दण्ड-प्राण) से 'नीति' (सन्मार्ग-प्राण) और 'नीति' से 'अभ्युदय' होता है । अतः अभ्युदय को दण्ड या दण्ड-नीति (दण्ड-प्राण) का भी फल कहा जा सकता है । अत एव सन्मार्गावलम्बन के द्वारा आत्माभ्युदय के प्रसाधक किसी भी तत्त्व को औपचारिक रूप में दण्ड या दण्ड-नीति (दण्ड-प्राण) माना जा सकता है ।

उपर्युक्त आत्माभ्युदय के भी दो रूप हैं—ऐहलौकिक तथा पारलौकिक । ऐहलौकिक अभ्युदय पारलौकिक अभ्युदय की भूमिका है । अत एव उचित रीति के द्वारा ऐहलौकिक अभ्युदय—अर्थात्तम—के प्रयोजक 'वार्ता' को भी उपचारतः दण्ड-नीति (दण्ड-प्राण) और संक्षेप में 'नीति' कहा जा सकता

१ कुलानि जाती. श्रेणीश्च गणान् जातपदानपि ।

स्व-धर्मात् प्रच्युतान् राजा विनीय स्थापयेत् पथि ॥

या० स्मृ० १। ३६१ ॥

स्वेषु धर्मेष्ववस्थाप्य प्रजाः सर्वा महीपति ।

म० भा० (शा०प०) ६०।१० ॥

इसके स्पष्टीकरण के लिए उद्धरण सं० १७ भी द्रष्टव्य है ।

२ शिशुपाल-वध—२।३० ॥

तुलन-कीजिए—

वृषस्य परमो धर्मः प्रजाता परिपालनम् ।

दुष्ट-निग्रहणं नित्यं न नीत्या ते विना ह्युभे ॥ शु० नी० सा० १।१४ ॥

है। इसी लिए याज्ञवल्क्य ने वार्त्ता^१—पशुपाल्य, वाणिज्य भादि—के लिए 'नीति' शब्द का प्रयोग किया है। इसी से यह भी सिद्ध है कि वार्त्ता के फल को हम दण्ड-नीति (दण्ड-प्रापण) का भी फल कह सकते हैं। इस स्थिति के ध्यान से हमें कौटिल्य के द्वारा 'रक्षित-सम्बर्धन' के दण्ड-नीति-फल-प्रसङ्ग में सन्निवेश का अर्थ लग जाता है।

अर्थ-शास्त्र में दण्ड-नीति (दण्ड-प्रापण) के चार प्रयोजन बतलाए गए हैं—^२अलब्ध-लाभ, लब्ध-परिरक्षण, रक्षित-सम्बर्धन तथा सम्बर्धित सम्पत्ति का पात्र में समर्पण। उचित दण्ड-प्रयोग से मूर्त्त धन-धान्यादि तथा अमूर्त्त यश की सम्प्राप्ति होती है। अतः प्रथम फल तो दण्ड-नीति (दण्ड-प्रापण) का ही है। द्वितीय फल—लब्ध-परिरक्षण—भी दण्ड-प्रापण का ही फल है—यह भी सत्य है। अत एव महाकवि कालिदास का भी कथन है :—

यस्मिन् महीं शासति वाणिनीनां निद्रां विहारार्ध-पथे गतानाम् ।

वातोऽपि नात्तंसयदंशुकानि को लम्बयेदाहरणाय हस्तम्^३ ॥

अतः प्रथम दो को तो हम असन्दिग्ध रूप में दण्ड-नीति (दण्ड-प्रापण) का फल^४ मान सकते हैं। यद्यपि ये दोनों फल भी 'नीति' (सम्मार्ग-प्रापण) के ही हैं तथापि औपचारिक रूप में इन्हें दण्ड-नीति (दण्ड-प्रापण) के फल कहे गए हैं। ये दोनों ही तत्त्व—अलब्ध-लाभ तथा लब्ध-परिरक्षण—पेहलौ-किक अभ्युदय तो हैं ही, यदि इन्हें पारलौकिक अभ्युदय भी मान लिया जाय तो कोई अनुचित न होगा। अत एव गीता में भगवान् श्रीकृष्ण की उक्ति है—

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योग-क्षेमं वहाम्यहम् ॥^५

तृतीय फल है तो 'वार्त्ता' का परन्तु पूर्व-निर्देशानुसार इसका भी दण्ड-नीति (दण्ड-प्रापण) के फल के अन्तर्गत निर्देश किया गया है। चतुर्थ-फल का

१. पालितं वर्धयेन्नीत्या—या० स्मृ० १।३।७ ॥

नीत्या = वणिक्पयादिकया—मिताक्षरा ।

तुलना कीजिए—

रक्षितं वर्धयेद्बुद्ध्या—म० स्मृ० ७।१०।१ ॥

२ अलब्ध-लाभार्था लब्ध-परिरक्षणी रक्षित-विवर्धनी बृद्धस्य तीर्थेषु प्रतिपादनी च ॥ अर्थ-शास्त्र, पृ० १५ ।

३ रघुवंश—६।७५ ॥

४. दण्ड-नीत्याम् = अर्थ-योग-क्षेमोपयोगिन्याम् । मिता० या० स्मृ० १।३।१ ।

५. गीता—९।२२ ।

सम्बन्ध इस दण्ड-नीति (दण्ड-प्रापण) से जोड़ना कुछ अधिक अस्पष्ट है । अतः कौटिल्य का फलनिर्देश बहुत उचित नहीं प्रतीत होता है । प्रायः इसी छिपे महाभारत^१ मनुस्मृति^२ तथा याज्ञवल्क्य^३ स्मृति आदि में दण्ड-नीति (दण्ड-प्रापण) के दो ही फल—अलब्ध लाभ तथा लब्ध-संरक्षण—बतलाए गए हैं । दण्ड में प्रयास^४ का भी समावेश है, अतएव मनुस्मृति तथा याज्ञवल्क्य स्मृति में द्वितीय फल के प्रसंग में क्रमशः 'अवेक्षया' तथा 'यत्नेन' जोड़ दिया गया है । परन्तु है तो यह दण्ड-नीति (दण्ड-प्रापण) का ही फल ।

इस 'नीति' (सन्मार्ग-प्रापण) का एक और नामान्तर है 'अर्थ'-विद्या' । इसकी पुष्टि इस तथ्य से भी होती है कि इस दण्ड-नीति-शास्त्र को अर्थ-शास्त्र^५ भी कहा गया है, जिसकी चर्चा आगे की जाएगी । इसके अतिरिक्त 'नय'^६ शब्द का भी प्रयोग 'नीति-विद्या' के अर्थ में होता है ।

उपर्युक्त कथन के आधार पर यह सिद्ध है कि इस नीति-विद्या के नामान्तर हैं :—राज-नीति, राज-धर्म, राज-विद्या, दण्ड-नीति (दण्डेन-नीतिः अथवा दण्डस्य=राजः नीतिः), अर्थ-विद्या तथा नय । इसी आधार पर इस विद्या के प्रतिपादक ग्रन्थों के नाम हैं :—नीति-शास्त्र, राज-नीति-शास्त्र, राज-धर्म-शास्त्र (राज-धर्मानुशासन), राज-शास्त्र, दण्ड-नीति, दण्ड नीति-शास्त्र, अर्थ-शास्त्र एवम् नय-शास्त्र । इनमें से हम दण्ड-नीति अर्थ-शास्त्र तथा राज-शास्त्र इन नामकरणों का संक्षिप्त विवेचन प्रस्तुत कर रहे हैं :—

१. दण्ड-नीति पुरस्कृत्य विज्ञानम् क्षत्रियः सदा ।

अनवाप्तं च लिप्सेत लब्धं च परिपालयेत् ॥

म० भा० (शा० ५०) ६९।१०३ ॥

२. अलब्धमीहेद्वेण्डेन लब्धं रदोदवेक्षया ।

रक्षितं वर्धयेद्बुध्या बुद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् ॥ म० स्मृ० ७।१०१ ॥

३. अलब्धमीहेद्वेण्डेण लब्धं यत्नेन पालयेत् ।

पालितं वर्धयेतीत्या बुद्धं पात्रेषु निक्षिपेत् ॥ मा० स्मृ० १।३१७ ॥

४. साध्नि प्रयास-धन-व्यय-सैन्य-प्रक्षयादि-दोषाभावात् दण्डे तु तत्सद्भावेऽपि कार्य-सिद्धयतिशयात् ॥ कुल्लूक भट्ट, म० स्मृ० ७।१०९ ॥

५. महाभारत (द्रोण-पर्व) ६।१ ॥

६. आन्वीक्षिकी दण्ड-नीतिः तर्क-विद्याऽर्थशास्त्रयोः ॥

अमर-कोश (शब्दादि बर्ग)

७. रघुवंश-४।१०, किराताजुनीय-१।७, ९ आदि ।

(क) दण्ड-नीति—इस प्रसंग में नीति शब्द का अर्थ सन्मार्ग-प्रापण या दण्ड-प्रापण नहीं है अपितु प्रख्यापन अथवा उपदेश । जिनकी दृष्टि से दण्ड-नीति में प्रयुक्त नीति शब्द प्रापण (दण्ड-प्रापण) अर्थ का अभिधायक है उनके मत में इस शास्त्र का नाम होना चाहिए—दण्ड-नीति-शास्त्र ।

(ख) अर्थशास्त्र—हम पहले देख चुके हैं कि दण्ड या दण्ड-नीति के दो फल हैं—अलब्ध-लाभ तथा लब्ध-संरक्षण । अर्थ-शास्त्र के भी ये ही दो फल बतलाए गए हैं । अतएव दण्ड-नीति (नीति-शास्त्र) को अर्थ-शास्त्र कहा जाना है । यद्यपि नीति-शास्त्र तथा अर्थ-शास्त्र के पर्यायत्व का स्पष्ट संकेत शुक्-नीति-सार में नहीं है तथापि इसमें किए गए विद्या-परिगणन^१ में नीति-शास्त्र के पृथक् अनुल्लेख तथा अर्थ-शास्त्र के लक्षण पर ध्यान देने से इनका पर्यायत्व प्रतीत हो जाता है । यतः दण्ड-प्रयोग में धर्म का अनुसन्धान^२ परमावश्यक बतलाया गया है अतएव महाभारत^३ में धर्म-शास्त्र से अननुमोदित अर्थ-शास्त्र की निन्दा भी की गई है । परन्तु इसका तात्पर्य उपर्युक्त ही है । परन्तु 'वाहस्पत्य-अर्थ-शास्त्र' में प्रयुक्त अर्थ शब्द का अर्थ व्यापक है और इस दृष्टि से उस अर्थ-शास्त्र का यह अर्थ-शास्त्र या नीति-शास्त्र एक अंश है न कि पर्याय । अतएव कामन्दक^४ ने कौटिल्य के अर्थ-शास्त्रापरपर्याय नीति-शास्त्र को वाहस्पत्य अर्थ-शास्त्र का एक अंश माना है ।

१. दण्डनीत्याम् = अर्थ-शास्त्रे—विज्ञानेस्वर—या० स्मृ० २।२१ ॥

• राजनीतिलक्षणमर्थ-शास्त्रमिह विवक्षितम्—

विज्ञानेस्वर—या० स्मृ० १।३१३ ॥

दण्डेन नीयते चेदं दण्डं नयति वा पुनः ।

दण्ड-नीतिरिति स्याता श्रील्लोकानभिवर्तते ॥

म० भा० (शा० प०) ५१।७८ ॥

२. पृथिव्या लाभे पात्रने च यावन्त्यर्थ-शास्त्राणि पूर्वाचार्यैः प्रस्थापितानि
.....। अ० शा०, पृ० १ ।

३. शु० नी० सा० ४।२६७—२७१ ॥

४. श्रुति-स्मृत्यनुरोधेन राज-वृत्तं हि शासनम् ।

सुयुक्त्यार्थाजिनं यत्र ह्यर्थ-शास्त्रं तदुच्यते ॥ शु० नी० सा० २९६—२७ ॥

५. इस प्रसङ्ग में या० स्मृ० २।२१ की मिताक्षरा द्रष्टव्य है ।

६. अर्थ-शास्त्र-परौ राजा धर्मार्थान्नाधिगच्छति ।

अस्याने चास्य तद्वित्तं सर्वमेव विनश्यति ॥

म० भा० (शा० प०) ७१।१४ ॥

७. का० नी० सा० १।६ ॥

(ग) राज-शास्त्र—म० म० काणे^१ महाशय का कथन है कि इस शास्त्र का सबसे उचित नाम है 'राज-शास्त्र'। इसका तात्पर्य यही है कि दण्ड अपने प्राधान्य के कारण 'राजा' या 'शासक' शब्द से अभिहित होने लगा है। अतएव दण्ड-प्रख्यापक शास्त्र को राज-शास्त्र कहना उचित ही है। इस दृष्टि के समर्थन में अन्यान्य युक्तियों भी स्पष्ट हैं।

राजा

उपर यह बतलाया जा चुका है कि 'नीति' का अधिकारी है 'राजा'। अब हमें राजा शब्द के अर्थ का अनुसन्धान करना चाहिए। राजा शब्द की निष्पत्ति बतलाते हुए यास्क^२ ने कहा है कि 'राजू दीक्षी' धातु से राजा की निष्पत्ति हुई है। इसकी उपपत्ति में निरुक्त के अद्वितीय व्याख्याकार^३ दुर्गाचार्य का कहना है कि यह राजा आठ लोक-पालों की मात्रा से निर्मित शरीर से प्रदीप्त होते रहता है। पाणिनि-व्याकरण की दृष्टि से भी 'राजू' धातु से ही 'कनिन्' प्रत्यय करने से 'राजन्' शब्द की निष्पत्ति होती है। महाभारत^४ में 'रञ्ज' धातु से राजा की निष्पत्ति मानी गई है। महाकवि कालिदास^५ ने भी इसीका अनुसरण किया है। इसकी व्याख्या में महिनाथ^६ का कथन है कि यद्यपि राजन् शब्द की निष्पत्ति 'राजू' धातु से ही होती है तथापि धातुओं की नानार्थकता की दृष्टि से 'रञ्ज' धातु से इस शब्द की निष्पत्ति मानी गई है। म० म० काणे के द्वारा राज-धर्म-काण्ड से^७ उद्धृत एक वचन के अनुसार

१. हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, पृ० ४, (भाग-३)

२. राजा राजते:—या० निरुक्त २।३ ।

३. दीप्यते ह्यसी पञ्चाना (अष्टानाम्) लोकपालानाम् वपुषा । दुर्गाचार्य ।

४. रञ्जिताश्च प्रजाः सर्वास्तेन राजेति शब्दयते ।

म० भा० (शा० १०) ५९।१२५ ।

लोक-रञ्जनमेवात्र राज्ञां धर्मः सनातनः ।

म० भा० (शा० १०) ५७।११ ॥

५. राजा प्रकृति-रञ्जनात् । रघुवंश ४।१२ ॥

६. यद्यपि राज-शब्दो राजते: दीप्यथात् कनिन्-प्रत्ययान्तः न तु रञ्जे: तथापि धातूनाम् अनेकार्थत्वाद् रञ्जनात् राजा इत्युक्तम् । मल्लिनाथ, रघु० ४।१२ ॥

७. बलेन चतुरङ्गेण यतो रञ्जयति प्रजा ।

दीप्यमानः स वपुषा तेन राजाऽभिधीयते ॥

हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, भाग-३, पृ० २८ ॥

‘राज्’ तथा ‘रञ्ज्’ इन दोनों ही धातुओं से राजा की निष्पत्ति होती है। यह तो राजन् शब्द की व्युत्पत्ति की स्थिति हुई। इस व्युत्पत्ति के आधार पर राजन् शब्द का प्रयोग किसी भी लोकरञ्जक या दीप्तिमान् पुरुष के लिए किया जा सकता है। अब हमें इसके प्रवृत्ति-निमित्त की ओर ध्यान देना चाहिए।

शास्त्र में शब्द के तीन—यौगिक, रूढ़ तथा योग-रूढ़—अथवा चार—यौगिक, रूढ़, योग-रूढ़ तथा यौगिक-रूढ़—प्रकार माने गए हैं। यौगिक शब्द पूर्णतः व्युत्पत्ति-निमित्त तथा प्रवृत्ति-निमित्त में सामञ्जस्य रखना है। अन्य प्रकार के शब्दों में न्यूनाधिक-भाव से व्युत्पत्ति-निमित्त के साथ प्रवृत्ति-निमित्त का सम्बन्ध रहता भी है और नहीं भी। साधारणतः राजन् शब्द का प्रयोग चार अर्थों में प्रसिद्ध है। ये चार अर्थ हैं—प्रजा-पालक मनुष्य-मात्र, क्षत्रिय-जातीय, अभिषिक्त क्षत्रिय तथा प्रशस्त व्यक्ति।

मीमांसा दर्शन के अवेष्टयधिकरण^१ में ‘राजा राज-सूयेन स्वाराज्य-कामो यजेत’ इस वैदिक विधि में प्रयुक्त ‘राजा’ शब्द के अर्थ के विवेचन-प्रसङ्ग में कुमारिल भट्ट^२ ने प्रथम अर्थ में राजन् शब्द की लौकिक प्रसिद्धि का उल्लेख किया है। मनु की व्याख्या में कुल्लूक भट्ट आदि ने भी राजन् शब्द का यही अर्थ घतलाया है।

अवेष्टयधिकरण में ही शबरस्वामी^३ ने क्षत्रिय-जाति के प्रसङ्ग में राजन् शब्द-प्रयोग की आन्ध्र-प्रसिद्धि का उल्लेख किया है। मीमांसा के सिद्धान्त के अनुसार भी ‘राजा राज-सूयेन यजेत’ इस विधि-वाक्य में प्रयुक्त राजन् शब्द क्षत्रिय-जाति का ही वाचक प्रतीत होता है। अत एव महाकवि माघ ने इसी सिद्धान्त के आधार पर युधिष्ठिर के द्वारा राज-सूय यज्ञ के अनुष्ठान^४ का समर्थन किया

१. अन्यद्वि शब्दानां व्युत्पत्तिनिमित्तम् अन्यच्च प्रवृत्ति-निमित्तम्-विश्वनाथ।

२. अवेष्टी यज्ञ-सयोगात् ऋतु-प्रधानमुच्यते। पू० मी० द० २।३।३ ॥

३. राजस्य कर्ता राजेति त्रिषु लोकेषु गीयते।

महा-विषयता चैवं शास्त्रस्यापि भविष्यति। तन्त्र-वार्तिक ॥

४. जन-पद-पुर-परिरक्षणवृत्तिमनुपजीवत्यपि क्षत्रिये राज-शब्दमान्द्राः प्रयुञ्जते—शबर-भाष्य २।३।३।

५. तत्सुराजि भवति स्थिते पुनः कः ऋतुं यजतु राज-लक्षणम्।

उद्धृती भवति कस्य वा भुवः श्रीवराहमहाय योग्यता ?

शि० व० १४।१४।

सुराजि = विजय-प्रजा-रक्षणादि-गुण-योगात् शुद्धक्षत्रिये, राज-लक्षणम् = राजः क्षत्रियस्य. चिह्नम् असाधारणं लक्षणम्—मल्लिनाथ।

है। महाभारत में सहस्रशः राजन् शब्द^१ को क्षत्रिय का पर्याय बतलाया गया है। पाणिनीय^२ अष्टाध्यायी के व्याख्यान के प्रसंग में भी राजन् शब्द का प्रयोग क्षत्रिय जाति के लिए किया गया है। इसका समर्थन वार्त्तिककार^३ के कथन से भी होता है।

द्वितीय मत के अनुसार राज्याभिषिक्त क्षत्रिय ही राजा है। अत एव मनुस्मृति में क्षत्रियों^४ का ही यह कर्त्तव्य बतलाया गया है। विज्ञानेश्वर भी इसी मत के समर्थक^५ हैं। मत्स्य-पुराण^६ की भी यही सम्मति है।

चतुर्थ अर्थ में राजन् शब्द के प्रयोग का निर्देश हमें पाणिनि-सूत्र^७ में तथा आधुनिक व्यवहार में भी मिलता है।

उपर्युक्त चार पक्षों में प्रथम पक्ष तो अत्यन्त स्थूल है। राज्य शब्द की व्युत्पत्ति जातिवाची राजन् शब्द से होती है। एवञ्च क्षत्रिय के कर्म से अतिरिक्त जाति के कर्म को राज्य कहना ही जब गौण है तब उस राज्य के अधिकारी क्षत्रियेतर जाति के लिए 'राजा' शब्द का प्रयोग मुख्य कैसे हो सकता है? प्रजा-पालनादि-स्वरूप राज्य क्षत्रिय का ही कर्म है—यह तो निर्विवाद है। अत एव मनु,^८ याज्ञवल्क्य^९, महाभारत^{१०} आदि ग्रन्थों में अप्रजा-पालन को क्षत्रिय का कृत्य बतलाया गया है। महाभारत में तो एक जगह यह भी बतलाया गया है कि अपने राज्य-काल की समाप्ति के बाद भी क्षत्रिय को

१. शान्ति-पर्व—६०।२४, ६४।१९; ६३, ६४ तथा ६५ अध्यायों में तो क्षात्र-धर्म तथा राज-धर्म को बारम्बार पर्याय के रूप में निर्दिष्ट किया गया है।

२ पा० सू० ५।१।१२४, ४।१।१३७।

३ पा० सू० ४।१।१३७ पर वार्त्तिक—“राज्ञो जातावेवेति वक्तव्यम्”।

४. ब्राह्मं प्राप्तेन संस्कारं क्षत्रियेण यथाविधि।

सर्वस्यास्य यथा-न्यायं कर्त्तव्यं परिरक्षणम् ॥ म० स्मृ० ७।२ ॥

५. अभिषेकादि-गुण-युक्तस्य राज्ञः प्रजापालनं परमो धर्मः—मिताक्षरा—या० स्मृ० २।१ ॥

६. राज्ञोऽभिषिक्त-मात्रस्य किं नु कृत्यतमं भवेत् । म० पु० २।१४।१

७. राजा च प्रशंसायाम्—पा० सू० ६।२।६३ ॥

८. प्रजानां रक्षणं दानमिज्याऽश्रयनमेव च ।

विपयेष्वप्रसक्तिश्च क्षत्रियस्य समासतः । म० स्मृ० १।८९ ॥

९. प्रधानं क्षत्रिये कर्म प्रजानां परिपालनम् । या० स्मृ० १।११९ ॥

१०. प्रजाश्च परिपालयेत् । म० भा० (शान्ति-पर्व) ६०।१४ ॥

ही राज्य-पद पर प्रनिष्ठित^१ करना चाहिए । अतः यह निश्चित है कि यह राज्याधिकार क्षत्रिय का स्वाभाविक है और और अन्य का गौण ।

अब यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि यदि क्षत्रिय का ही स्वाभाविक अधिकार है राज्य-कृत्य तब महाभारत में जो^२ कहा गया है कि ब्राह्मण तथा क्षत्रिय को प्रजापति ने प्रजा का समर्पण कर दिया इसका क्या तात्पर्य है ? शान्ति पर्वान्तर्गत राज-धर्मानुशासन पर्व के चहत्तरवें अध्याय में निर्दिष्ट ऐलवायु-सम्वाद से यह प्रतीत होता है कि अग्रजन्मा होने के कारण इस पृथिवी पर ब्राह्मण का प्रथम अधिकार^३ है, परन्तु यतः प्रशस्त ब्राह्मण के लिए पृथिवीपालनार्थ अत्यावश्यक शस्त्रादि-ग्रहण^४ अनुचित है अतः ब्राह्मण-प्रमुख के द्वारा उपेक्षित पृथिवी का अधिकार अनन्तरागत क्षत्रिय पर^५ आता है । यही बात ऐलवायु-सम्वाद^६ से भी स्पष्ट होती है । अतः यह प्रतीत होता है कि राज्य-कृत्य का व्यावहारिक अधिकार क्षत्रिय पर ही है । अतएव भीष्म ने उपर्युक्त सम्वाद-द्वय के अन्त में युधिष्ठिर से कहा है कि राष्ट्र का योग-क्षेम राजन्य के ऊपर और राजन्य का योग-क्षेम पुरोहित के ऊपर है^७ । इतना

१ स्थापयित्वा प्रजा-पाल पुत्रं राज्ये च पाण्डव ।

अन्य-भोत्र प्रशस्त वा क्षत्रियं क्षत्रियर्षभ । म० भा० (शा० प०) ६४।१९ ॥

और भी देखिए —

राजा भोजो विराट् सभ्राट् क्षत्रियो भूपतिर्गुप ।

य एभिः स्तूयते शब्दैः कस्तं नार्चिनुमर्हति । वही ६३।५४ ॥

प्रजापतिर्हि भगवान् सर्वं त्रैवामृज्जगन् ।

स प्रवृत्ति-निवृत्त्यर्थं धर्माणां क्षत्रमिच्छति । वही ६५।३० ॥

इन प्रसङ्ग में शु० नी० सा० १।३०, ४१ आदि भी द्रष्टव्य है ।

२. प्रजापतिर्हि वैश्याय सृष्ट्वा परिददौ पशून् ।

ब्राह्मणाय च राज्ञे च सर्वाः परिददे प्रजाः । शान्ति पर्व ६०।३३-३४ ॥

३. विप्रस्य सर्वमेवैतन् यत्कञ्चिच्चञ्जगती-गतम् ।

ज्येष्ठेनाभिन्ननेनेह तद्देर्भ-कुशला विदुः । म० भा० (शा० प०) ७२।१० ॥

४ ज्या-कर्षणं शत्रु-निवर्हणं च कृषिर्षणिज्या पशु-पालनं च ।

शुभ्रूपणं चापि तथार्थ-हेतो अकार्यमेतत् परम द्विजस्य । वही ६३।१ ॥

५ पत्यभावे यथैव स्त्री देवरं वृणुते पतिम् ।

एष ते प्रथमः कल्प. आपद्यन्वो भवेदतः । वही ७२।१२ ॥

६. वही ७३।२९-३२ ॥

७. योग-क्षेमो हि राष्ट्रस्य राजन्यायत्त उच्यते ।

योग-क्षेमो हि राज्ञो हि समायत्तः पुरोहिते ॥ वही ७४।१ ॥

होने पर भी राज-धर्म का सम्बन्ध जो अन्यान्य जातीय लोगों से जोड़ा जाता है उसका कारण इतना ही है कि मध्यम ब्राह्मण आदि अपने कृत्य के सम्पादन में असफल होकर जब क्षत्रिय आदि के कृत्य से अपनी जीविका चलाने लगते हैं तो उनके लिए क्षत्रिय आदि के धर्म का अवलम्बन आवश्यक ही है ।

वस्तुतः प्रजा-पालन का भार ब्राह्मण तथा क्षत्रिय इन दोनों पर है, अत एव दोनों ही राज्य-कृत्य के अधिकारी हैं । परन्तु दोनों का क्षेत्र व्यवस्थित है— ब्राह्मण को मन्त्र-बल से तथा राजन्य को बाहु-बल एवम् अस्त्र-बल से प्रजा

१. यद्यपि राजानमधिकृत्य अयं धर्म-कलाप उक्तः तथापि वर्णान्तरस्यापि विषय-मण्डलादि-परिपालनाधिकृतस्यायं धर्मो वेदितव्यः । विज्ञानेश्वर-या० स्मृ० १।३६८ ॥

नृप इति न क्षत्रिय-मात्रस्यायं धर्मः किन्तु प्रजा-पालनाधिकृतस्यान्यस्यपीति दर्शयति । वही २।१ ॥

राज-शब्दोऽपि नात्र क्षत्रिय-जाति-वचनः किन्तु अभिषिक्त-जनपद-पुर-पालयितृ-वचनः । कुल्लूक भट्ट-म० स्मृ० ७। १ ॥
इस श्लोक पर मेधातिथि-भाष्य भी द्रष्टव्य है ।

२ युधिष्ठिर उवाच—

व्याख्याता राज-धर्मेण वृत्तिरापसु भारत ?

कथस्विद्वैश्य-धर्मेण सञ्जीवेद् ब्राह्मणो न वा ?

भीष्म उवाच—

अशक्तः क्षत्र-धर्मेण वैश्य-धर्मेण वृत्तयेत् ।

म० भा० (शा० १०) ७८।१,२ ॥

ब्राह्मण के लिए शूद्र-कर्म का परिग्रहण सर्वथा प्रतिषिद्ध है ।

“ब्राह्मणस्य हि आपदि जीवेत् क्षत्रिय-धर्मेण इत्यभिधास्यति वैश्यस्यापि क्षत्रिय-धर्मं शूद्रस्य च क्षत्रिय-वैश्य-कर्मणी जीवनार्थमापदि जगाद नारदः”—

कुल्लूक भट्ट-म० स्मृ० ७।२ ॥

इस विषय मे या० स्मृ० ३।३५ की मिताक्षरा भी द्रष्टव्य है ।

३. एतत्सर्वं क्षत्रियस्य राज्यं कुवंतः प्रविहितम् । यदा पुनः अक्षत्रियः क्षत्रियः कार्यं कुर्यात् तदा अनेनाऽपि एवत्सर्वम् अनुष्ठेयम्, “तत्कार्यापस्या तद्धर्म-लाभः” इति न्यायात् । अपरार्कः—या० स्मृ० १।३६६ ॥

४. ब्रह्म-क्षत्रमिदं सृष्टमेक-योनि स्वयम्भुवा ।

पृथग्बल-विधानं तद् न लोकं परिपालयेत् ॥

का संरक्षण करना पड़ता है। राज-नीति के प्रसङ्ग में वर्णित राज-धर्म में केवल बाहु-बल आदि का विनिर्णय है। इसीलिए इसका सम्बन्ध राजन्य से मुख्य है। और यही धर्म ब्राह्मण से गौणतः सम्बद्ध है न कि मन्त्र-बल से क्रियमाण प्रजा-पालनात्मक धर्म। अत एव राजन् शब्द का प्रकृत प्रसङ्ग में मुख्य अर्थ क्षत्रिय ही है। यह भी क्षत्रिय-मात्र का नहीं अपितु अभिषिक्त क्षत्रिय का ही धर्म है। अत एव महाभारत^१ में भी चातुर्वर्ण्य के धर्म से अतिरिक्त राज-धर्म का उल्लेख किया गया है। अन्यान्य धर्म शास्त्रकारों^२ का भी मत यही है। शुक्र-नीति-सार में जो अभिषिक्त^३ को राजा कहा गया है उसका तात्पर्य इतना ही है कि उसका अभिषेक वैदिक-विधि से न होकर यदि लौकिक रूप में भी हुआ हो तब भी वह राजा कहला सकता है। अतः अभिषिक्त क्षत्रिय ही प्रधानतः राज्याधिकारी है और अन्यजातीय व्यक्ति गौण-रूप में 'राजा' कहला सकता है।

राजा का मूल

यह तो स्पष्ट है कि जब कुमार्ग पर लोग चलने लगे होंगे तभी 'नीति' की और उसके उपाय के रूप में प्रधानतया 'दण्ड' और उस 'दण्ड' के निर्वाहक के रूप में राजा की आवश्यकता हुई होगी। अतएव सर्वत्र 'दण्ड' की आवश्यकता बतलाते समय 'मात्स्य न्याय'^४ का उल्लेख किया गया है। इसी

तपो-मन्त्र-बलं नित्यं ब्राह्मणेषु प्रतिष्ठितम् ।

अस्त्र-बाहु-बलं नित्यं क्षत्रियेषु प्रतिष्ठितम् ॥

ताभ्या सम्भूय कर्तव्यं प्रजानाम्परिपालनम् ।

म० भा० (शा० प०) ७४।१३-१५ ॥

१ के धर्मा सर्व-वर्णानां चातुर्वर्ण्यस्य के.पृथक् ।

चातुर्वर्ण्यश्रमाणा च राज-धर्माश्च के मना ?

म० भा० (शा० प०) ६०।२ ॥

२ राजा अभिषिक्त क्षत्रिय । हरदत्त-गी० ध० शा० ११।१ ॥

विज्ञानेश्वर—या० स्मृ० २।१ ॥

३ अभिषिक्तो नाभिषिक्तो नृपत्वं तु यदाप्नुयात् ॥ शु० नी० सा० १।२६ ॥

४ 'अप्रणीतो हि पातस्य-न्यायमुद्भाषयति । बलीयानबलं हि द्रष्टे दण्ड-धराभावे' अर्थ-शास्त्र-पृ० १६ ॥

दण्डाभावे परिध्वसी मात्स्यन्यायः प्रवर्तते ॥ का० नी० सा० २।४० ॥

दण्डश्चेत्त भवेत्लोके विनश्येयुरिमाः प्रजाः ।

जले मत्स्यानिवाभक्ष्यन् दुर्बलं बलवत्तरा ॥ म० भा० (शा० प०) १५।३० ॥

लिपु यह भी कहा गया है कि राजा के अभाव में प्रजा की^१ रक्षा नहीं हो सकती है। सारांश यही है कि जब अनाचार या अधर्म का संचार हुआ तभी राजा की आवश्यकता हुई। अतः विचारणीय यही है कि अनाचार का संचार कब हुआ।

युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए महाभारत में भीष्म ने^२ कहा है कि कृत-युग में धर्म के ही प्रसार से अधर्म-निरोधक दण्ड या दण्ड-धर राजा की स्थिति थी ही नहीं, पर जब लोगों में अनाचार का संचार हुआ तब देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा तथा विष्णु के द्वारा क्रमशः दण्ड-प्रकार आदि के उपदेश के लिए नीति-शास्त्र तथा राजा का आविष्कार किया गया। मनुस्मृति में किए गए कृत-युग^३ के वर्णन तथा राजा की सृष्टि^४ की एकवाक्यता से भी

यदि न प्रणयेद्राजा दण्डं दण्डेचप्वतन्द्रितः ।

शूलि मत्स्यानिवापस्थान् दुर्बलान् दलवतराः ॥ म० स्मृ० ७।२० ॥

१ रक्षार्थमस्य लोकस्म राजानमसृजत् प्रभुः ॥ म० स्मृ० ७।२ ॥

यदि न स्यान्नरपतिः सम्यङ्नेता ततः प्रजाः ।

अकर्ण-धारा जलधो विष्णवेतेह नीरिव ॥ शु० नी० सा० १।६५ ॥

२ नियतस्त्वं नर-व्याघ्र शृणु सर्वानशेषतः ।

यथा राज्यं समुत्पन्नमादौ कृत-युगेऽभवत् ॥ शा० प० ५९।१३ ॥

न वै राज्यं न राजाऽस्तीन् न दण्डो न च दण्डिकः ।

धर्मैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम् ॥ शा० प० ५९।१४ ॥

ते मोह-वशमापन्ना मनुजा भरतर्षभ ॥ शा० प० ५९।१६ ॥

× × ×

नष्टे ब्रह्मणि धर्मो च देवात्कासः समाविशन् ।

ते अस्ता नर-शार्दूल ब्रह्माणं नारणं ययुः ॥ शा० प० ५९।२२ ॥

× × ×

ततोऽध्यायः सहस्राणां शतं चक्रे स्व-बुद्धिजम् ॥ शा० प० ५९।२९ ॥

× × ×

अथ देवाः समागम्य विष्णुमूचुः प्रजापतिम् ।

एको योर्हति मर्त्येभ्यः श्रेष्ठ्यं वै तं समादिश ॥ शा० प० ५९।२७ ॥

ततः सञ्चिन्त्य भगवान् देवो नारायणः प्रभुः ।

तैजसं वै विरजसं सोऽमृजद् मानसं सुतम् ॥ शा० प० ५९।२८ ॥

३ चतुष्पात् सकलो धर्मः सत्यं चैव कृते युगे ।

नाधर्मोणागमः कश्चिन्मनुष्यान् प्रति वर्तते ॥ म० स्मृ० १।२१ ॥

४. म० स्मृ० ७।३ ॥

साधारणतः यही प्रतीत होता है कि कृत-युग में राजा की कोई आवश्यकता नहीं थी। इसी प्रकार का मत कई ग्रन्थों में पाया जाता है।

परन्तु आधुनिक विचारक—जिनकी दृष्टि में कृत-युग, त्रेता आदि का कोई महत्त्व नहीं है—इस मत को मानने में पूर्णतः सपक्ष नहीं हो सकते। इन लोगों की दृष्टि में राजा भी एक मनुष्य ही होता है और मानव-जाति की उत्पत्ति के साथ-साथ ही राजा की भी एक मानव के रूप में उत्पत्ति हुई है यद्यपि उसके राज्य-पद पर नियोजन के प्रकार समय-समय पर परिवर्तित होते रहे हैं। न्याय्य तथा अन्याय्य आचरण की अवधि कुछ निश्चित नहीं हो सकती है, जिसे कृत-युग या कलि-युग कहा जा सके। देश-काल आदि के अनुसार कभी न्याय्य आचरण का प्राधान्य हो सकता है और कभी अन्याय्य आचरण का। इस लिए यह कहना उचित नहीं है कि कृत-युग की कोई निश्चित अवधि रही और उसमें किसी राजा की आवश्यकता थी ही नहीं, अपितु यही मानना उचित है कि सब दिन लोगों में अत्यधिक रूप में अज्ञानि रही और उसके प्रतीकार के लिए एक व्यवस्थापक या शासक की भी स्थिति अवश्य ही, अधिकार-तारतम्य के साथ-साथ, रही होगी।

इस प्रसङ्ग में यह विचारणीय है कि इस आधुनिक मत का समर्थन हमारे प्राचीन ग्रन्थों से भी होता है। जिन महा-भारत या मनुस्मृति आदि ग्रन्थों को पूर्वोक्त प्रथम-पक्ष का समर्थक बतलाया गया है उन्हीं से यह आधुनिक मत भी सिद्ध होता है। हमें तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इन ग्रन्थों के पूर्वोक्त मत का भी वस्तुतः तात्पर्य यही है जो आधुनिक मत का तात्पर्य है। महाभारत में युधिष्ठिर के प्रति भीष्म का कथन है कि सत्ययुग, त्रेता, द्वापर तथा कलि-युग का अर्थ है 'दण्ड' के प्रयोग में राजा के अवधान का आधिक्य और अल्पत्व^१। इससे यही सार निकलता है कि राजा की कुशलता तथा

१ दण्ड-नीत्या यदा राजा मन्यवकारस्येन वर्तते ।

तदा कृत-युगं नाम कालमृष्टं प्रवर्तते ॥

दण्ड-नीत्या यदा राजा वीनज्ञाननुवर्तते ।

चतुर्थमशमृतृज्य तदा त्रेता प्रवर्तते ॥

अर्धं त्यक्त्वा यदा राजा नीत्यर्धमनुवर्तते ।

ततस्तु द्वापरं नाम स काल सम्प्रवर्तते ॥

दण्ड-नीति परित्यज्य यदा कारस्येन भूमिपः ।

प्रजा क्लृण्णनात्ययोगेन प्रवर्तते तदा कलिः ॥

अकृशलाता के ऊपर ही कृत-युग तथा कलियुग निर्भर हैं, इनकी कोई निरिचत भवधि नहीं है। फिर कृत-युग में राजा की कोई आवश्यकता नहीं थी— इस कथन का क्या अर्थ है? वसुमना तथा बृहस्पति के सम्वाद से भी उपर्युक्त कथन की ही पुष्टि होती है। शुक्र-नीति-सार में भी राजा को ही युग-प्रवर्तक^१ माना गया है। मनु भी जब यह कहते हैं कि स्वभावतः सत्पथ-प्रवृत्त^२ मनुष्य दुर्लभ है तो इससे यही मत परिपुष्ट होता है कि राजा के दण्ड-प्रयोग-नैपुण्य से ही प्रजा में सम्पूर्ण रूप से सत्पथ-प्रवृत्ति हुई है न कि किसी युग-विशेष का धर्म-स्थापन में कोई मूल्य है। मनु की व्याख्या में कुल्लूक भट्ट द्वारा उद्धृत एक श्रुति-वाक्य से^३ भी यह सिद्ध होता है कि मनुष्य मूलतः सर्व-दोष-विनिर्मुक्त नहीं था। राज्य का अधिकारी चत्रिय है, जैसा पहले बतलाया जा चुका है, और 'पुरुष-सूक्त' में वणिगित चत्रिय की उत्पत्ति से भी कुछ अस्पष्ट समर्थन हम मतको मिलता है। 'प्रजापति' की भावना में भी राजा की ही भावना निहित है। यह दूसरी बात है कि राजा तथा 'प्रजापति' के कर्त्तव्यों में कुछ तारतम्य हो, परन्तु इतना तो स्पष्ट ही है कि 'प्रजापति' के वैदिक सिद्धान्त का 'राजा' के साथ घनिष्ट-सम्बन्ध है। इस तथ्य से भी यही प्रमाणित होता है कि किसी न किसी रूप में सृष्टि के प्रारम्भ से ही राजा की अनुवृत्ति होती आ रही है। फिर भी कृत-युग में जो राजा या दण्ड आदि की सत्ता का प्रतिषेध किया गया है उसका तात्पर्य इतना ही प्रतीत हो रहा है कि दण्ड-प्रयोग के द्वारा प्रजा को सुव्यवस्थित कर दिए जाने पर राजा की मुख्य कृत्य—दण्ड-प्रयोग—से जो निवृत्ति हो जाती है इसी लिए यह अर्थ-वाद मात्र है कि राजा या दण्ड आदि की सत्ता कृत-युग में नहीं थी। किन्तु यह तो कथमपि नहीं कहा जा सकता कि कृत-युग में धर्म ही धर्म स्वभावतः प्रसृत था और राजा की कोई आवश्यकता ही नहीं थी। इसका एक बहुत ही

राजा कृत-युग-सप्त त्रेताया द्वापरस्य च ।

युगस्य च चतुर्थस्य राजा भवति कारणम् ॥

शान्ति-पर्व-६१।८०, ८७, ८९, ९१, ९८ ॥

इस प्रसङ्ग में शा० प० ११।६, १४।१९-२०, उद्योग-पर्व १३२।१६ आदि श्लोक भी द्रष्टव्य हैं ।

१ शान्ति-पर्व ६८।६-३६ ॥

२. मु० नी० सा० ४।५५ ॥

३. म० स्मृ० ७।२२ ॥

४. 'सत्यवाचो देवा अनृत-वाचो मनुष्याः' । कुल्लूक भट्ट-म० स्मृ० १।२९ ॥

स्पष्ट चित्रण हमें नैपथीयचरित के^१ रलोक में भी मिलता है जिसमें यह कहा गया है कि यद्यपि कृत-युग में भी अधर्म का एक पाद वर्तमान था परन्तु राजा नल के राज्य-विधान के द्वारा धर्म की पूर्ण-प्रतिष्ठा हो जाने से वह अधर्म व्यापृत नहीं हो पाता था ।

राजा के मूल के विषय में अन्यान्य प्राचीन तथा अर्वाचीन मतों के विवरण के लिए म० म० काणे महाशय का "हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र" देखना चाहिए ।

नीति-विद्या का मूल तथा इसके प्रवर्तक आचार्य

राजा या राज्य के मूल के विषय में जो स्थिति बतलाई गई है साधारणतया वही स्थिति राज-नीति विद्या के मूल के प्रसङ्ग में भी है । महाभारत में यह कहा गया है कि जब धर्म-विप्लव के कारण लोगों में अनाचार^२ का अध्यधिक उत्कर्ष हो गया तब सन्त्रस्त देवता-गण ब्रह्मा के यहाँ पहुँचे और उनसे धर्म के उद्धार के लिए प्रार्थना की । तदनन्तर ब्रह्मा ने एक लाख^३ अध्यायों में एक शास्त्र की रचना की और उसमें सभी पुरुषार्थ और दण्ड-नीति आदि प्रायः सभी उपयोगी विषयों का समावेश किया गया था । इस शास्त्र का नाम था 'नीति-शास्त्र'^४

१ पदैश्चतुभिः सुदृते स्थिरीकृते कृतेऽमुता के न तपः प्रपेदिरे ?

भुवं यदेकाह्विकनिष्ठया स्पृशन् दधावधर्मोऽपि वृशस्तपस्विताम् ॥

नै० व० १।७ ॥

२ नष्टे ब्रह्मणि धर्मो च देवास्त्रासः समाविशत् ।

ते त्रस्ता नर-शार्दूल ब्रह्माणं शरण ययु ॥

प्रसाद्य भगवन्त त देवं लोक-पितामहम् ।

ऊचुः प्राञ्जलय सर्वे दुःख-वेग-समाहताः ॥

भगवन्तर-लोकस्थ ग्रस्त ब्रह्म सनातनम् ।

लोभ-मोहादिभिर्भावैः ततो नो भयमाविशत् ॥

अत्र नि श्रेयसं यन्नस्तद्धवायस्व पितामह ।

शान्ति-पर्व ५९।६२, २३, २४, २७ ॥

३. ततोऽध्याय-सहस्राणा शतं धके स्व-बुद्धिजम् ।

यत्र धर्मस्तथैवार्थः कामश्चैवाभिविणितः ॥ शा० प० ५९।२९ ॥

इस शास्त्र के विषय-विवरण के लिए इस अध्याय के ७४ श्लोक तक द्रष्टव्य हैं ।

४. तत्सर्वं राज-शार्दूल नीति-शास्त्रेऽभिवर्णितम् ॥ वही ५९।७४ ॥

३ श० भू०

किम्वा 'दण्ड-नीति'^१ । महाभारत में ही अन्यत्र^२ ब्रह्म-प्रणीत नीति-शास्त्र के प्रचारक के रूप में स्वायम्भुव मनु का भी नाम आया है और इसी मानव-शास्त्र के आधार पर उशना तथा बृहस्पति^३ के द्वारा अपने-अपने शास्त्र का प्रणयन किए जाने का उल्लेख है । शुक-नीति-मार के अनुसार इस ब्रह्म-प्रणीत 'नीति-शास्त्र' में एक करोड़^४ श्लोक थे । परन्तु प्रजा की आयु में हाम को देखकर भगवान् शङ्कर ने उस 'नीति-शास्त्र' को दस हजार अध्यायों में संक्षिप्त किया ।

इस संक्षिप्त शास्त्र का नाम भगवान् शङ्कर के पर्याय 'विशालाक्ष' के आधार पर 'वैशालाक्ष नीति-शास्त्र'^५ पड़ा । पुनः इन्द्र ने उस वैशालाक्ष शास्त्र को ५ हजार अध्यायों में संक्षिप्त किया और उसका नाम पड़ा 'बाहुदन्तक-शास्त्र'^६ । तत्पश्चात् बृहस्पति ने तीन हजार अध्यायों में उस 'बाहुदन्तक-शास्त्र' का सार निकाला जिसका नाम 'बार्हस्पत्य^७ शास्त्र' पड़ा । परन्तु सर्वान्त में महान् शुक्राचार्य ने एक हजार^८ अध्यायों में उसका संक्षिप्त रूप प्रस्तुत किया । शुक-नीति-सार के विवरण के अनुसार इस शुक-कृत संक्षिप्त शास्त्र में केवल २२००^९ श्लोक थे । वे २२०० श्लोक सम्पाद्यमान शुक नीति-मार में वर्तमान हैं, यद्यपि

१ दण्डेन नीयते चेदं दण्डं नयति वा पुनः ।

दण्ड-नीतिरिति ख्याता त्रील्लोकानभिवर्तते ॥ शा० प० ५९।७८ ॥

२ शा० प० ३३६।३८-४६ ॥

३. शतलक्ष-श्लोक-मितं नीति-शास्त्रमथोक्तवान् ।

स्वयम्भूर्भगवात्लोक-हितार्थं संग्रहेण वै ॥ शु० नी० सा० १।२,३ ॥

४. प्रजानामायुयो हासं विज्ञाय भगवान् शिव ।

संक्षिप्तं ततः शास्त्रम् महास्त्रं ब्रह्मणा कृतम् ॥

'वैशालाक्ष' मिति प्रोक्तं तदिन्द्र प्रत्यपद्यत ।

दशाध्याय-सहस्राणि मुब्रह्मण्यो महातपा ॥ शा० प० ५९।८१-८२ ॥

५. भगवानपि तच्छास्त्रं सचिक्षेप पुरन्दर ।

सहस्रैः पञ्चभिस्तात यदुक्तं बाहुदन्तकम् ॥ वही ५९।८३ ॥

६. अध्यायानां सहस्रैस्तु त्रिभिरेव बृहस्पतिः ।

सचिक्षेपेश्वरो बुद्ध्या बार्हस्पत्यं तदुच्यते ॥ वही ५९।८४ ॥

७. अध्यायानां सहस्रेण काव्यं संक्षेपमब्रवीत् ॥ वही ५९।८५ ॥

८. मन्वाद्यैराहतो योऽयं स्तदर्थो भर्गवेण वै ।

द्वा-विंशति-शतं श्लोका नीति-सारे प्रकीर्त्तिताः ॥

शु० नी० सा० ४।१२४१-४२ ॥

वस्तुस्थिति तो यह है कि 'खिल' को छोड़ कर भी प्रकृत शुक्र-नीति-सार में २३६९ श्लोक हैं और 'खिल' के साथ २४५४ श्लोक । कुछ सम्वादात्मक श्लोकों के पृथक्करण से २२०० श्लोक ही मौलिक हैं—ऐसा कहा जा सकता है । परन्तु यह कुछ असम्भव सा प्रतीत हो रहा है कि जिस शास्त्र में एक हजार अध्याय थे उसकी श्लोक-संख्या केवल २२०० होंगी । उशना^१ (शुक्र) तथा बृहस्पति^२ का उल्लेख महाभारत में अनेक बार किया गया है । एक स्थान पर महाभारत में^३ 'बृहस्पति', 'विशालाक्ष', 'काव्य' (शुक्र), 'इन्द्र' (सहश्राक्ष महेन्द्र), 'प्राचेतस मनु', 'भरद्वाज' तथा 'गौर-शिरा' मुनि को राज-शास्त्र-निर्माता बतलाया है । उसमें एक जगह शम्बर^४ तथा आचार्य का भी उल्लेख हुआ है । कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में ५ सम्प्रदायों के नाम उल्लिखित हैं—मानव,^५ बार्हस्पत्य,^६ औशनस,^७ पाराशर^८ तथा आग्नीय^९ । इन सम्प्रदायों के अतिरिक्त सर्वनाम का भी प्रयोग मिलता है—'अपरे',^{१०} 'एके'^{११} तथा 'एके'^{१२} । यह कहना कठिन है कि कौटिल्य ने ज्ञात आचार्यों में से ही कुछ आचार्यों के लिए 'अपरे', 'एके' आदि सर्वनाम का प्रयोग किया है या किसी अज्ञात आचार्य के लिए । इन नामों के अतिरिक्त अर्थ-शास्त्र में निम्न-लिखित आचार्यों के नाम उल्लिखित हैं :—भारद्वाज,^{१३} विशालाक्ष^{१४}, पाराशर,^{१५} पिशुन,^{१६} पिशुन-पुत्र,^{१७} कौणप-दन्त,^{१८} वात-व्याधि^{१९}, बाहुदन्ती-पुत्र^{२०} (इन्द्र),

१ शा० पर्व ५७२, ५७४०, ३७१०; ५६१२८, अनु० पर्व-३९१८ इत्यादि ।

२ शा० पर्व ५६३८, ५७१६, ३७१०, अनु० पर्व-३९१८ इत्यादि ।

३ शा० पर्व-५८१-३ । ४ शा० पर्व-१०२३१-३२ ।

५ अर्थ-शा०-पृ० १०, ५७, ३७२, ४०१ (वीरम्वदा १९६२ ई०) ।

६ वही-पृ० १०, ५७, ३७२, ४०२, ८१२ ।

७ वही-पृ० १०, ५७, ३७२, ४०१, ८१२ ।

८ वही-पृ० ५४, ६४, ६८२, ६९६ ।

९ वही-पृ० ६६ ।

१० वही-पृ० ३४५ ।

११ वही-पृ० ७२६ ।

१२ वही-पृ० ७२६ ।

१३ वही-पृ० २५, ६५, ५२८, ६८० इत्यादि ।

१४ वही-पृ० २५, ५४, ६४, ६८१, आदि ।

१५ वही-पृ० २५ । १६ वही-पृ० २६, ५५, ६४, ५२५, आदि ।

१७ वही-पृ० ५२५ । १८ वही-पृ० २६, ६४ आदि ।

१९ वही-पृ० २६, ६६, ५४९ आदि ।

२० वही-पृ० २७ ।

कारायायन,^१ कणिक^२ भारद्वाज, दीर्घ-चारायण^३ (दीर्घश्चारायणः), घोटमुख^४ तथा किङ्करक^५ । अर्थ-शास्त्र में ही भूयो-भूयः 'आचार्याः'^६ का भी उल्लेख किया गया है । यह निर्णय करना कठिन है कि यहां अन्यान्य आचार्यों का ही मत 'आचार्याः' शब्द से खण्डनार्थ प्रस्तुत किया गया है या किसी व्यक्ति-विशेष का संकेत है । महाभारत में भी एक जगह आचार्य^७ का उल्लेख हुआ है परन्तु वहां तो यही प्रतीत होता है कि नीति-विद्या-विज्ञान के अर्थ में आचार्य शब्द का प्रयोग किया गया है । महाभारत में एक 'भाष्य'^८ का भी उल्लेख है ।

कामन्दकीय-नीति-सार की^९ उपाध्याय-निरपेक्ष व्याख्या में किसी ग्रन्थान्तर के उद्धरण से यह बतलाया गया है कि ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायों में सप्तम एक शास्त्र की रचना की और बाद में नारद, शुक (इन्द्र), बृहस्पति, भार्गव (शुक), भारद्वाज, भीष्म, पाराशर, मनु तथा अन्यान्य ऋषियों द्वारा उस ब्राह्म-शास्त्र को संक्षिप्त बनाया गया और पश्चात् पुनः विष्णुगुप्त (कौटिल्य) ने राजाओं के उपयोग के लिए देश-काल के अनुसार उसका संक्षेप किया ।

काम-सूत्र^{१०} के अनुसार यह सिद्ध होता है कि ब्रह्मा ने एक लाख अध्यायों में विभक्त एक शास्त्र की रचना की और बाद में उस शास्त्र में

१. वही-पृ० ५२४ ।

२. वही-पृ० ५२४ (सम्भवतः पूर्वोक्त भारद्वाज से ये अभिन्न हैं) ।

३. वही-पृ० ५२४ ।

४. वही-पृ० ५२४ ।

५. वही-पृ० ५२५ ।

६. वही-पृ० १६, ३३२, ३४५, ३८८, ४०२, ४०९ आदि ।

७. शान्ति-पर्व—१०२ । ३२ ॥

८. शान्ति-पर्व १०३।४४ ।

९. ब्रह्माध्याय-सहस्राणां शतं चक्रे स्व-श्रुद्विजम् ।

तत्रारदेन शत्रेण गुरुणा भार्गवेण च ॥

भारद्वाज-विशालाक्ष-भीष्म-पाराशरैस्तथा ।

संक्षिप्त मनुना चैव तथा चान्यैर्महर्षिभिः ॥

प्रजातामायुषो ह्यसं विज्ञाय च महात्मना ।

संक्षिप्त विष्णु-गुप्तेन नृपाणामर्थ-सिद्धये ॥ उ० निरपेक्षा-पृ० ८ (पूना) ।

१०. प्रजापतिर्हि प्रजाः सृष्ट्वा तासां स्थिति-निवन्धनं त्रिवर्गस्य साधनम् अध्यायानां शत-सहस्रेण अग्ने प्रोवाच । तस्य ऐक-देशिकं स्वायम्भुवो मनुः धर्माधिकारिकं पृथक् चकार । बृहस्पतिः अर्थाधिकारिकम् ॥ का० सू० १।१। ५-७ ॥

चर्चित धर्म-शास्त्र को स्वायम्भुव मनु ने और अर्थ-शास्त्र को बृहस्पति ने सुमङ्गलित किया। महाभारत में भी स्वायम्भुव^१ मनु को धर्म-शास्त्र का प्रवर्तक माना गया है और प्राचेतस^२ मनु को अर्थ-शास्त्र (नीति-शास्त्र) का। नीति-प्रकाशिका^३ में ब्रह्मा, महेश्वर, इन्द्र, प्राचेतस मनु, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, वेद-व्यास तथा गौर-शिरा का, दशकुमार^४ चरित्र में शुक्र, आङ्गिरस (बृहस्पति), विशालाक्ष, बाहुदन्ती-पुत्र तथा पराशर (इत्यादि) का और बुद्ध-चरित^५ में भृगु, अङ्गिरा, शुक्र तथा बृहस्पति का उल्लेख राज-शास्त्र निर्माताओं के रूप में किया गया है। शुक्र-नीति-सार^६ में वशिष्ठ आदि को नीति-सार-संग्राहक बतलाया गया है। एड्गर्टन के द्वारा पुनरुद्घृत (Reconstructed) पञ्चतन्त्र के प्रथम श्लोक में मनु, बृहस्पति, शुक्र, पराशर, पराशर-पुत्र तथा चाणक्य का नृप-शास्त्र के प्रतिष्ठापक के रूप में अभिचन्दन किया गया है। चाणक्य तथा कौटिल्य के विषय में एकता तथा अनेकता के परस्पर-विरुद्ध दो मत प्रचलित हैं।

उपर्युक्त आचार्यों में से कुछ आचार्यों के राज-नीति-विषयक (अर्थ-शास्त्र-विषयक) ग्रन्थ की स्थिति नो प्रामाणिक है पर सभी आचार्यों के तद्विषयक ग्रन्थों की स्थिति में अभी प्रमाण उपलब्ध नहीं हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि कुछ आचार्यों ने धर्म-शास्त्र के ऊपर, कुछ ने अर्थ-शास्त्र (राज-नीति-शास्त्र) के ऊपर और कुछ आचार्यों ने धर्म-शास्त्र तथा अर्थ-शास्त्र इन दोनों पर स्वतन्त्र ग्रन्थ लिखे थे। परन्तु धर्म-शास्त्र में भी अर्थ-शास्त्र^७ की चर्चा और अर्थ-शास्त्र में धर्म-शास्त्र की चर्चा अत्यावश्यक है, अन्यथा दोनों ही अपूर्ण रह जाते हैं। फिर भी दोनों को अलग-अलग मानने का मुख्य कारण यही है कि धर्म-शास्त्र में धर्म का प्राधान्य होता है जब कि अर्थ-शास्त्र में अर्थ का। यही विज्ञानेश्वर^८ का भी मत है। बहुत सम्भव है कि जिन धर्म-शास्त्र ग्रन्थों में राज-नीति का मार्मिक विवेचन किया गया होगा उन धर्म-शास्त्रों के आचार्यों को भी नीति-शास्त्र-प्रवर्तक के रूप में मान लिया गया हो ! परन्तु उपर्युक्तलिखित सूचियों

१. शान्ति-पर्व २११२ ॥ २ शान्ति-पर्व ५७४३, ५८१२ ॥

३ हिस्ट्री ऑफ़ धर्म-शास्त्र, भा०, ३, पृ० ४ ॥

४ द० कु० च०, उ० पी०-८ ॥

५. बुद्ध-चरित-१४६ ॥

६ शु० नी० सा० १।३ ॥ ७ वही ४।२९४-९५ ॥ मिताक्षरा २।२१ ॥

८. यद्यपि समान-कर्वकतया अर्थ-शास्त्र-धर्म-शास्त्रयो. स्वरूप-गतौ विशेषो नास्ति तथापि प्रमेयस्य धर्मस्य प्राधान्यात् अर्थस्य च अप्राधान्यात्...मिताक्षरा-या० स्मृ० २।२१ ।

में कुछ ऐसे भी आचार्य हैं जिनका संकेत अत्यल्प है। उदाहरणार्थ हम कौटिल्य के द्वारा उल्लिखित पिशुन, पिशुन-पुत्र, कौणप-दन्त तथा वात-व्याधि को ले सकते हैं। इन आचार्यों का संकेत भी इतना दुर्लभ है कि यह कहना कठिन है कि इन आचार्यों के ग्रन्थ भी कभी थे! यदि अर्थ-शास्त्र के ऊपर 'नय-चन्द्रिका' व्याख्या लिखने वाले माधवयज्वा (जिसका सम्पादन डा० जीली तथा डा० स्मित ने किया है) के अनुसार पिशुन को नारद का, कौणपदन्त को भीष्म का और वात-व्याधि को उद्भव का पर्याय मान लिया जाय तो कथञ्चित् कुछ समाधान मिल जाता है। इनमें से भीष्म तथा उद्भव की राजनीति महाभारत आदि कुछ ग्रन्थों को छोड़ कर स्वतन्त्र रूप में उनके द्वारा उपनिबद्ध नहीं हुई है। जो कुछ भी हो इतना तो निश्चित है कि किसी भी सूची को पूर्ण नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अपने से पूर्ववर्ती सभी आचार्यों का संग्रह किसी भी सूचीकार ने नहीं किया है।

उपर्युक्त आचार्यों के ग्रन्थों में से अर्थ-शास्त्र या नीति-शास्त्र से स्वतन्त्र रूप में सम्बद्ध केवल तीन ग्रन्थ—कौटिल्य-अर्थ-शास्त्र, शुक्र-नीति-सार तथा चाणक्य-सूत्र—अथवा डा० एफ० डब्ल्यू० थॉमस द्वारा सम्पादित वार्हस्पत्य-सूत्र को लेकर चार ग्रन्थ उपलब्ध हैं। विद्वानों का मत है कि इस वार्हस्पत्य-सूत्र का मूल रूप यद्यपि प्राचीनतम है तथापि वर्तमान रूप नवम या दशम शतक का है। शुक्र-नीति-सार का भी साक्षात्-सम्बन्ध शुक्राचार्य से सिद्ध करना कुछ कठिन है।

इन ग्रन्थों के अतिरिक्त आचार्य वामन्दक का 'नीति-सार' (जिसका प्रथम-संघटन ४०० ई० के आस-पास हुआ था और द्वितीय-संघटन १७ वीं शताब्दी में माना जाता है), वैशम्पायन के द्वारा निमित्त 'नीति-प्रकाशिका', भोज का 'युक्ति-कल्पतरु' सोमदेव (९५९ ई०) का 'नीति-वाक्यामृत'; लक्ष्मीधर के 'कृत्य-कल्पतरु' का 'राजनीति-काण्ड', चण्डेश्वर का 'राजनीति रत्नाकर', मित्र-मिश्र का 'राजनीति-प्रकाश', नीलकण्ठ का 'नीति-मयूख' अथवा 'राज-नीति-मयूख' अनन्तदेव का 'राज-धर्म-कौस्तुभ' आदि राज-नीति-शास्त्र के प्रमुख ग्रन्थ हैं। पुराणों में भी अग्नि-पुराण (अध्याय—२१८-२४२), गरुड-पुराण (अध्याय—१०८-११५), मत्स्य-पुराण (अध्याय—२१५-२४३), मार्कण्डेय-पुराण (अध्याय—२४), कालिका-पुराण (अध्याय—८७) आदि विशेषतः अवलोकनीय हैं। स्मृतियों में मनुस्मृति (सप्तम से नवम अध्याय तक), बृहदारण्यक-स्मृति (अध्याय—१०) बुद्ध-हारित-स्मृति (अध्याय—७) आदि द्रष्टव्य हैं। महाभारत के वनपर्व (अध्याय—१५०), समापर्व

(अध्याय-५), उद्योग-पर्व (अध्याय ३३-३४), शान्ति-पर्व (अध्याय—
१-१३०), आश्रम वासिक-पर्व (अध्याय—५-७) तथा रामायण के अयोध्या
काण्ड के १५, ६७ तथा १०० अध्याय भी बहुत ही उपादेय हैं ।

नीति-कारों में शुक्राचार्य का स्थान

भारतीय-नीति-शास्त्र के इतिहास में शुक्राचार्य का नाम बहुत ही सम्मान
के साथ लिया जाता है । शुक्राचार्य के पर्याय शब्द उशना, काव्य, भार्गव
आदि हैं । महाभारत में 'उशना' के रूप में शुक्राचार्य की नीतियों का
अनेकशः उल्लेख मिलता है । इसके अतिरिक्त 'भार्गव',^१ 'काव्य'^२ आदि
शब्द से भी शुक्राचार्य का संकेत किया गया है । शुक्राचार्य के द्वारा किए गए
ब्राह्म-नीति-शास्त्र के संक्षिप्त रूप के निर्देश के प्रसंग में महाभारत ने इन्हें
'अमितप्रज्ञ'^३ 'महायशः'^४ आदि उपाधियों से विभूषित किया है । अन्यान्य
प्राचीन ग्रन्थों में भी^५ शुक्राचार्य की नीति की अत्यन्त प्रशंसा की गई है ।
कौटिल्य के अर्थ-शास्त्र में औशनस-मन्त्रदाय का उल्लेख किया गया है जिसका
संकेत पहले किया जा चुका है । विज्ञानेश्वर ने भी औशनस अर्थ-शास्त्र का
इस रूप में उल्लेख किया है जिससे यह प्रतीत होता है कि उनकी दृष्टि में
अर्थ-शास्त्रों में औशनस अर्थ-शास्त्र ही मूर्धन्य था । महाभारत^६ में जब भीष्म
की विद्या-प्राप्ति का वर्णन किया गया है तो वहीं केवल उशना तथा बृहस्पति
के नीति-शास्त्रों का ही उल्लेख है और उनमें भी प्राथम्य दिया गया है उशना
को । हेमाद्रि के 'चतुर्वर्ग-चिन्तामणि' के 'दानखण्ड'^७ में उद्धृत एक श्लोक में
यह चतलाया गया है कि स्वायम्भुव शास्त्र के चार संस्करण किए गए थे और

१ शा० प० ५६।२९, ३०, ५७।३ आदि ।

२ शा० प० ५६।४० आदि ।

३ वही ५७।२ आदि ।

४. अध्यायाना सहस्रेण काव्य सक्षेपमन्ववीन् ।

तच्छास्त्रममित-प्रज्ञो योगाचार्यो महायशः ॥ शा० पर्व ५९।८५ ॥

५ इसके विवरण के लिए महामहोपाध्याय काणे महाशय का दम्बई
विश्व-विद्यालय के जर्नल-पुस्तक—११, भाग-२, (१९४२) अवलोकनीय है ।

६. औशनसाथर्थ-शास्त्रस्य—मिताक्षरा—या० स्मृ० २।२१ ॥

७ उशना वेद यच्छास्त्र यच्च देव-गुरुद्विजः ॥ शान्ति-पर्व ३७।१० ॥

८. भार्गवीया नारदीया बार्हस्पत्यङ्गिरस्यपि ।

स्वायम्भुवस्य शास्त्रस्य चतस्रः संहिता मताः ॥

चतुर्वर्ग-चिन्तामणि—दान-खण्ड-पृ० ५२८ ॥

इनमें भी सर्वप्रथम संस्कारक थे 'भार्गव' (शुक)। शुक-नीति-सार में तो यहाँ तक कहा गया है कि शुक की नीति को छोड़ कर अन्य सभी नीतियाँ कुनीतियाँ हैं। महाकवि^१ दण्डी ने भी अपने दश-कुमार-चरित^२ में राजनीति-शास्त्र-कारों की नामावली में सर्वप्रथम स्थान शुकाचार्य को ही दिया है। महाकवि अरव-घोष ने भी अपने 'बुद्ध-चरित'^३ में शुक तथा बृहस्पति का बड़े-सम्मान के साथ राज-शास्त्र के निर्माताओं के रूप में उल्लेख किया है। हमारे महाकवि कालिदास ने^४ भी यह बतलाया है कि मनुष्य में व्यवहार-कुशलता या नीति-कुशलता का चरमोत्कर्ष शुक की नीति के अनुसरण से ही हो सकता है, अन्यथा नहीं।

उपर्युक्त विवरण से यह सिद्ध है कि नीति-शास्त्र-कारों में शुकाचार्य का स्थान बहुत ही महत्व-पूर्ण है।

शुकाचार्य के ग्रन्थ

ऊपर यह बतलाया जा चुका है कि शुकाचार्य (उशना) का एक राजनीति-शास्त्र पर प्रमुख-ग्रन्थ रहा और विज्ञानेश्वर तथा कौटिल्य के आधार पर औशनस अर्थ-शास्त्र की भी सत्ता असन्दिग्ध है। जैसा प्रारम्भ में बतलाया जा चुका है कि अर्थ-शास्त्र तथा राज-नीति-शास्त्र समानार्थक शब्द हैं, अतः महाभारत में उल्लिखित राज-नीति-शास्त्र तथा विज्ञानेश्वर आदि के द्वारा निर्दिष्ट अर्थ-शास्त्र एक ही ग्रन्थ सम्भावित है। मनु के सुप्रसिद्ध मीमांसक भाष्यकार मेधातिथि ने औशनसी राज-नीति के दो श्लोक^५ भी उद्धृत किए हैं। महाभारत में तथा अन्यग्रन्थों में भी इस ग्रन्थ के उद्धरण का संकेत भी पहले किया जा चुका है।

१. न कवे. सहस्री नीतिल्लिपुलोकेषु विद्यते ।

काव्यैव नीतिरन्यातु कुनीतिर्व्यवहारिणाम ॥ शु० नी० सा० ४१२४३-४ ॥

२. येऽपि मन्त्र-कर्कशाः शास्त्र-तन्त्रकाराः शुकाङ्गिरस-बिलाशाश-बहुदन्ती-पुत्र-पराशर-प्रभृतयः । द० कु० च०, उ० पी० ८ ॥

३. यद्राज-शास्त्रं भृगुरङ्गिरा च न चक्रतुर्वशकरावृषी ती ।

तयोः सुती ती च ससर्जतुस्तत्कालेन शुक्रश्च बृहस्पतिश्च ॥

बुद्ध-चरित १४६ ॥

४. अध्यापितस्योशनसापि नीति प्रयुक्त-राग-प्रणिधिद्विषंस्ते ।

कस्यार्थ-धर्माविह पोड्यामि सिन्धोस्तटावोध इव प्रवृद्ध ॥

कुमार-सम्भव-३४६ ॥

५. मनु-स्मृति-७११ तथा ८५० पर भाष्य ।

इसके अतिरिक्त स्मृति-कारों की प्रायः सभी सूचियाँ, जिनका उल्लेख हमने चौखम्बा विद्याभवन से ('काशी संस्कृत-ग्रन्थ-माला-१७८') १९६७ ई० में प्रकाशित याज्ञवल्क्य-स्मृति की 'प्रस्तावना' के ९-१२ पृष्ठों पर किया है, उशना को धर्म-शास्त्र-प्रवर्तक या स्मृति-कार के रूप में उल्लिखित करती हैं, जिससे यह प्रतीत होता है कि उशना की कोई स्मृति भी अवश्य ही रही। मिताक्षरा^१ तथा मन्वर्थमुक्तावली^२ आदि में भी उशना के गद्यात्मक (यत्र तत्र पद्यात्मक भी) वचन उपलब्ध होते हैं। दो औशनस धर्मशास्त्र (डेकन कालेज संग्रह) तथा एक और औशनस धर्मशास्त्र (जीवानन्द संग्रह तथा आनन्दाश्रम संग्रह) एवम् एक औशनस स्मृति का उल्लेख महामहोपाध्याय काणे^३ महाशय ने किया है। परन्तु यह निर्णय करना कठिन है कि ये सभी उशना एक ही हैं या भिन्न-भिन्न व्यक्ति। इस विषय में किसी निर्णय का अधिगम कठोर अनुसन्धान के बाद ही कथञ्चित् सम्भावित है।

शुक्रनीति

(क) इसके रचयिता

प्रस्तुत शुक्र-नीति के रचयिता के विषय में परम्परागत मत तो यही है कि शुक्राचार्य की ही यह रचना है। इस परम्परा का समर्थन शुक्र नीति^४ से भी होता है। परन्तु इतना तो निश्चित है कि महाभारत में अनेकत्र संकेतित शुक्र-कृत नीति-शास्त्र से यह भिन्न ही है, क्योंकि महाभारत-तोक्त 'नीति-शास्त्र' में १००० अध्याय थे और इस 'शुक्र-नीति' में केवल २२००^५ श्लोक मौलिक और हृधर-उधर के सभी श्लोकों को मिला कर कुल २४५४ श्लोक हैं। यह कथमपि सुसंगत नहीं हो सकता है कि एक हजार अध्यायों में विभक्त किसी ग्रन्थ में केवल २२०० श्लोक या २४५४ श्लोक हों। हाँ, इस परम्परा के अनुसार यह कहा जा सकता है कि शुक्राचार्य ने ही अपने एक हजार अध्यायों में विभक्त ग्रन्थ-रत्न को पुनः लोकानुग्रहार्थ इतने छोटे आकार में प्रस्तुत किया है।

परन्तु आधुनिक विवेचकों की दृष्टि में प्रस्तुत शुक्र-नीति, जिसमें गुप्तसाम्राज्य से उत्तर-वर्ती तथा हर्षवर्धन से पूर्ववर्ती स्थिति स्पष्ट है, उस शुक्राचार्य की रचना नहीं हो सकती है। इसके रचयिता के विषय में साधारणतः

१ मिताक्षरा २।३६०।

२ मन्वर्थमुक्तावली १०।४९॥

३. हिस्ट्री ऑफ धर्म-शास्त्र-भाग १, अधिकरण-१७॥

४. शु० नी० सा० ४।१२४१-४४॥

५. वही ४।१२४२॥

दो मत प्रचलित हैं—(१) किसी अन्य व्यक्ति ने इसकी रचना कर इसे प्रतिष्ठित करने की भावना से शुक्राचार्य के नाम से इसे सम्बद्ध कर दिया है, अथवा (२) किसी अन्य शुक्र नाम के विद्वान् की रचना है। इस आधुनिक परम्परा के समर्थन में यह कहा जा सकता है कि कौटिल्य आदि के द्वारा उल्लिखित औशनस सिद्धान्त इस 'शुक्र-नीति' में प्रायेण अनुपलब्ध हैं।

(ख) शुक्र-नीति का रचना-काल

शुक्र-नीति में वर्णित, जाति-व्यवस्था, आचार-विचार तथा वैवाहिक-सम्बन्ध की स्थिति से मूर्त्ति-कला तथा भवन-निर्माण-कला के विशद-विवरण से और 'कुल', 'श्रेणी', 'गण' आदि कुछ विशिष्ट संस्थाओं (जिनका अस्तित्व हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद इतिहास के साक्ष्य के आधार पर नहीं सा माना जाता है) के निर्देश से यह स्पष्ट परिलक्षित होता है कि यह ग्रन्थ गुप्त-काल में या उसके कुछ ही बाद की रचना है। परन्तु डा० अल्तेकर का कथन है कि इसकी रचना ईसा के अष्टम शतक के अन्तिम भाग में हुई है जब कुछ लोग इसे सोहलवीं शताब्दी की रचना मानने के पक्ष में हैं। इन मतों में अल्तेकर साक्ष्य का मत बहुत ही उपादेय है। अन्ततः इतना प्रतीत होता है कि कुछ परिष्कार भी अर्थात्चीन समय में इसका अवश्य ही हुआ है।

(ग) शुक्र-नीति के विषय का संक्षिप्त-विवरण

अब हमें शुक्र-नीति के प्रधान-विषयों का संक्षिप्त रूप देखना चाहिए। जैसा पहले यतलाया जा चुका है राजा का धर्म है सम्मार्ग-प्रापण। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि अपने-अपने धर्म में धर्म-रयुक्त को व्यवस्थित करना ही राजा का मुख्य धर्म है। इसलिए यह आवश्यक है कि नीति-शास्त्र के ग्रन्थों में वर्ण-धर्म और वर्णाश्रम-धर्म आदि पञ्चविध-स्मार्त्त-धर्मों का निरूपण किया जाय, क्योंकि किसी भी व्यक्ति या जाति के उचित धर्म के परिज्ञान के बिना उसे उचित धर्म पर ले जाना असम्भव है। अतएव शुक्र-नीति में भी वर्ण-धर्म आदि का निरूपण किया गया है। इस वर्ण-धर्मोदि में उत्पन्न जन के व्यवस्थापन के लिए राजा को दण्ड-प्रयोग की और उसके साधन के रूप में सैन्य आदि सात राज्याङ्गों की आवश्यकता होती है। अतः शुक्र-नीति में भी इन विषयों का यथावत् प्रतिपादन किया गया है।

कुछ मुख्य विषयों का संक्षिप्त विवरण निम्न-लिखित है :—

(क) राज्योत्पत्ति :—

मनु याज्ञवल्क्य आदि के समान ही शुक्रनीति में भी राजा को आठ लोकपालों^१ की समष्टि मानी गई है और इस प्रकार राज्योत्पत्ति के विषय में इसका दैवीसिद्धान्त (Divine Right) प्रतीत होता है ।

(ख) राजा :—

शु० नी० के अनुसार राजा के दो रूप हैं 'देवांश' तथा 'राक्षसांश' । औचित्य का ही अवलम्बन करनेवाला राजा 'देवांश'^२ है और अनौचित्य का अवलम्बन करनेवाला 'राक्षसांश'^३ । यद्यपि अन्यान्य शास्त्रों में भी अधर्मकारी राजा को पापों से ढकाया गया है तथापि दो रूपों में इस प्रकार का स्पष्ट वर्गीकरण नहीं है ।

(ग) राजा के कर्तव्य :—

शु० नी० के अनुसार राजा के मुख्य कर्तव्य हैं प्रजा-पालन तथा दुष्ट-दमन^४ । अतएव प्रजानुराजन भी राजा के कर्तव्यों में आ ही जाता है । इनके अनिरीक्त राजसूय आदि यज्ञों का अनुष्ठान, न्याय-पूर्वक कोष-सम्बर्धन, अन्य राजाओं का वर्गीकरण, शत्रुओं का दमन, भूमि का अर्जन भी राजा के प्रमुख^५ कर्तव्य हैं ।

(घ) उत्तराधिकार :—

उत्तराधिकार या यौवराज्य के विषय में शुक्राचार्य का कथन है कि ज्येष्ठ औरम पुत्र प्रथम^६ अधिकारी है । परन्तु यदि उसमें त्रुटि हो तो उसके स्थान पर कनिष्ठों में ज्येष्ठ भ्राता अथवा भ्रातृ-पुत्र को राज्याधिकार^७ मिलना चाहिए । परन्तु यौवराज्याधिकार के विवरण के समय ज्येष्ठ पुत्र के अनधिकारी होने पर या अभाव में प्रथम स्थान पितृव्य (चाचा) को^८ दिया गया है । अतः यह प्रतीत होता है कि राज्याधिकारी में पितृव्य भी आते हैं । इन सबों के अभाव में दत्तक पुत्र और उसके अभाव में दौहित्र और उसके अभाव में भगिनी-पुत्र (भ्राजा) को उत्तराधिकार प्राप्त होना^९ है ।

१. वही १।७१ ॥

२. वही १।७१-८५ ॥

३. वही १।७०, ८६ ॥

४. वही १।१४ ॥

५. वही १।१२३-२४ ॥

६. वही १।३४१; २।१३ ॥

७. वही १।३४२-४३ ॥

८. वही २।१५ ॥

९. वही २।१५-१६ ॥

(ङ) राज्य का विभाजन नहीं :—

शुक्रनीति के अनुसार राजा के अनेक पुत्र होने पर भी सभी अधिकारी नहीं होते अर्थात् सर्वों में समान रूप में राज्य का विभाजन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि राज्य के विभाजन से तथा अनेक नायक के होने से राज्य का विनाश नियत हो जाता है। अतः राज्य एक अविभाज्य सम्पत्ति है। हाँ, इतना अवश्य है कि अन्यान्य दायदों को जीविकार्थ कुट्ट सम्पत्ति या राज्य का चतुर्थांश देकर अपने राज्य के चतुर्दिक्षु सुव्यवस्थित कर देना चाहिए ताकि उन सर्वों की सहायुग्मति बनी रहे, अन्यथा अन्तर्द्वन्द्व से राज्य का मूल क्षिणिल होने लग जाता है।

(च) उपाय :—

शुक्रनीति में भी मनु आदि के समान चार ही उपाय—साम,^१ दान, भेद तथा दण्ड—न कि भक्तस्य-पुराण की तरह सात उपाय, माने गए हैं। इन उपायों के प्रयोग के विषय में शु० नी० का मत है कि प्रबल शत्रुओं के प्रसङ्ग में साम तथा दान, अत्यन्त प्रबल शत्रु के विषय में साम तथा भेद, समबल शत्रु के लिये भेद तथा दण्ड और हीनबल शत्रु के लिए दण्ड का प्रयोग करना चाहिए। मित्रों के लिए भेद तथा दण्ड का सर्वथा प्रतिषेध और साम तथा दान का विधान, शत्रु राजाओं की प्रजा में भेद का, शत्रु-पीड़ित प्रजा के संद्वन्द्व के लिए साम तथा दान का भी विधान किया गया है। अपनी प्रजा में साधारणतः साम तथा दान का ही प्रयोग उचित है। परन्तु यदि इन उपायों से काम न चल सके तो दण्ड का प्रयोग भी करना चाहिए जैसा पहले बतलाया जा चुका है। इन उपायों की प्रशंसा लौकिक दृष्टान्त के आधार पर शु० नी० में बहुत ही मनोहर ढंग से की गई है।

(छ) राज्याङ्ग :—

महाभारत तथा कौटिल्य आदि में वर्णित अङ्गों की तरह शु० नी० सा० में राज्य के सात अङ्ग माने गए हैं—राजा, मन्त्री, मित्र, कोश, राष्ट्र, दुर्ग तथा बल।^२ इन सात अङ्गों में मन्त्री को राजा का चक्षु, मित्र को श्रोत्र, कोश को

१ वही २।४५

२. वही २।३९

३ वही २।४४

४. वही २।४६

५. वही ४।३४

६. वही ४।३५

७. वही ४।३६-३७

८. वही ४।३८-३९

९ वही ४।११२४-२८

१०. वही १।६१

मुख, बल को मत, दुर्ग को हाथ तथा राष्ट्र को पैर^१ माना गया है। एक अन्य स्थल में^२ इन सान अर्हों से एक राज्य-वृत्त का रूपरु-मय वर्णन किया गया है। इन सभी अर्हों का महत्त्व भी पूर्वाचार्य के अनुसार विवृत है।

(ज) मन्त्रि-परिषत् :—

शु० नी० सा० में यह कहा गया है कि स्वतन्त्र राजा स्वच्छाचारी हो जाता है और अनुचित कार्य में प्रवृत्त हो सकता है। इस लिए उसे अन्यान्य सुयोग्य सहायकों का संग्रह करना^३ चाहिए। इसी को हम 'मन्त्रि-परिषत्' कह सकते हैं। इसमें अपेक्षित सदस्यों की संख्या, शुक्र-नीति-सार के अनुसार, दस होनी चाहिए। ये दस सदस्य हैं—पुरोधा, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मन्त्री, प्राड्विवाक, पण्डित, सुमन्त्र, अमात्य तथा दूत^४। इस प्रसंग में एक मतान्तर का भी उल्लेख है जिसमें केवल आठ सदस्य माने गए हैं। इस मन्त्रि-परिषत् के सदस्यों की योग्यता के विषय में शु० नी० का मत है कि इन्हें कुलीन, गुणवान्, शीलवान्, शूर, विद्वान्, राज भक्त, प्रियम्बद, हितोपदेष्टा, क्लेश-सह, धर्मिष्ठ, चतुर, राग-द्वेषादिवोप-रहित^५ अतएव सच्चरित्र होना चाहिए। दुश्चरित्र एवम् अधार्मिक सहायकों के रहने पर राज्य-नाश हो जाता है। इन सदस्यों का विशेष वर्णन मूल ग्रन्थ में ही देखना चाहिए।

(झ) सदस्यों के कार्य का विभाजन :—

शु० नी० के अनुसार सभी सदस्य सभी कार्य में हाथ नहीं बँटा सकते हैं, उन सबका अपना-अपना क्षेत्र निश्चित होना चाहिए और यह निश्चय भी उनकी तत्त्वविषयक अर्हता के आधार पर करना चाहिए। साथ ही, किसी भी समस्या का प्रस्ताव प्रजा को पहले विभागीय मन्त्री के सामने ही करना चाहिए परन्तु उम विभागीय मन्त्री को राजा के समक्ष उस समस्या को रखनी चाहिए^६। तदनन्तर तर्क-वितर्क तथा बहुमत के आधार पर राजा को अपना निर्णय देना चाहिए। सभी सदस्यों के कार्य के अवलोकनार्थ दर्शक (Inspectors) भी आवश्यक हैं। परन्तु एक-एक वर्ष में उन दर्शकों का परिवर्तन^७ कर देना चाहिए, नहीं तो कार्य में सौष्ट नहीं रह सकता है।

१. वही ११६२ ॥

२ वही ४१२५७-५८ ॥

३. वही २११-७ ॥

४ वही २१६९-७० ॥

५ वही २१८-१० ॥

६ वही २१९४-१०६ ॥

७ वही २११० ॥

(ब) भृत्यों की नियुक्ति, पदोन्नति, पद-च्युति (Discharge) पर परिवर्तन तथा पद-मुक्ति (Retirement) :—

शुक्रनीति के अनुसार कुल-जाति तथा विदोपतः चरित्र तथा कार्य-चमता के आधार पर भृत्यों की नियुक्ति की जानी^१ चाहिए ।

पदोन्नति के विषय में अनुक्रम-सिद्धान्त, अर्थात् उच्च पद पर अव्यवहित निम्न-पदस्थ व्यक्ति की पदोन्नति का सिद्धान्त, मान्य है ।^२

पदच्युति के विषय में यहाँ यह कहा गया है कि अयोग्यता के प्रमाणित हो जाने पर,^३ प्रजा के द्वारा शिकायत होने पर,^४ निन्द्य आचरण करने पर तथा सत्याचरण, परोपकार एवम् आज्ञा-पालन इन तीन गुणों से रहित होने पर हिंसा और मिथ्या भाषण^५ करने पर अधिकारी को पद-च्युति कर देनी चाहिए ।

यदि यह समझ में आजाय कि यह व्यक्ति वर्त्तमान कार्य-सम्पादन में अकुशल परन्तु कार्यान्तर-सम्पादन में कुशल है तो उसका पद-परिवर्तन^६ करना चाहिए । परन्तु जय जीर्णता की स्थिति आ जाय^७ तब उसे पद-मुक्त या कार्य-मुक्त कर देना चाहिए एवम् जीविका की व्यवस्था (Pension) भी करनी चाहिए^८ ।

इसके अतिरिक्त कार्य में प्रोत्साहित करने के लिये भृत्यों को पुरस्कार तथा प्रमाद करने वालों को दण्ड^९ देने का भी निर्देश शु० नी० में किया गया है ।

(ट) कोश-सञ्चयः—

मूल धन को छोड़ कर^{१०} लाभ के दसवें अथवा सोलहवें अंग के शुल्क के रूप में आदान से कोश का सञ्चय करना चाहिये । भाग-कर,^{११} आकर-कर^{१२} और शुल्कादि^{१३} के द्वारा कोश की समृद्धि की विशद-व्याख्या शु० नी० में की गई है । शुल्क एक ही बार लेना-चाहिये,^{१४} वारम्बार नहीं, क्योंकि ऐसा करने से प्रजा को पीड़ा होती है । परन्तु शुल्क-संग्रह के समय उस व्यक्ति के लाभालाभ का भी ध्यान रखना अनिवार्य है ।

१ वही २१५३-६४ ॥ २ वही २११३-१५ ॥ ३ वही २१११ ॥

४ वही ११७५ ॥ ५ वही २१२०५ ॥ ६ वही २१११-१३ ॥

७ वही ११२६४-६५ ॥ ८ वही २१४०२-७ ॥ ९ वही २१४०५ ॥

१० वही २१४०७ ॥ ११ वही ४१२२० ॥ १२ वही ४१२२२ ॥

१३ वही ४१२२८ ॥ १४ वही ४१२१७-२१८ ॥ १५ वही ४१२१८ ॥

उपर्युक्त साधनों के अतिरिक्त अर्थ-दण्ड, अधर्मी राजा के कोश के हरण तथा उपायन (Presents) आदि के द्वारा भी कोश-सञ्चय करना चाहिए । मेना, प्रजा आदि के संरक्षण तथा यज्ञादि-सम्पादन के लिए कोश^१ का व्यय उचित है ।

(ठ) बल :—

शु० नी० में बल को राज्य के अङ्गों में प्रमुख माना गया है । इसके छ प्रकार हैं—शारीरिक-बल,^३ शौर्य-बल, सैन्य-बल, अस्त्र-बल, बुद्धि-बल तथा आयु-बल । बल के बिना राज्य-निर्वाह असम्भव सा है ।

अर्थ-शास्त्र में मन्त्र-शक्ति, प्रभु-शक्ति तथा उत्साह-शक्ति में सभी बलों का अन्तर्भाव घतलाया गया है ।

(ड) राष्ट्र :—

राजा के अधीन वर्तमान^२ सम्पत्ति—चल तथा अचल—राष्ट्र है । इस राष्ट्र में छोटी छोटी अनेक वस्तियाँ होती हैं—ग्राम, पत्नी, कुम्भ^४ । ग्राम के सर्वांगीण व्यवस्थापन के लिए अधिकारियों की नियुक्ति करनी चाहिए । वे अधिकारी हैं^५—दण्डाधिपति, ग्रामाधिपति (चौधरी), भाग-हर (कर लेनेवाला), लेखक, शुक-ग्राहक तथा प्रतीहार ।

इस राष्ट्र के अन्तर्गत 'नगर' का भी व्यवस्थापन महत्त्वपूर्ण है । इस नगर (बाजार) में भी सुव्यवस्था के लिए उपर्युक्त अधिकारी अपेक्षित होते हैं । नगर की दूकानों में यह ध्यान रखना चाहिए कि एक चीज की सारी दूकानें^६ एक ही जगह हों । इसकी विशेष व्यवस्था के लिए एक विशेषाधिकारी की भी नियुक्ति करनी चाहिए । इन अव्ययों की योग्यता का विवरण भी स्पष्ट रूप में किया गया है ।

राष्ट्र के अन्तर्गत सड़कों का भी निर्माण होना चाहिए । ३० हाथ चौड़ी सड़क को उत्तम, दोस हाथ चौड़ी सड़क को मध्यम और पाँच हाथ चौड़ी सड़क को अधम कहा गया है^७ ।

इसके अतिरिक्त पथिकों के सीविध्य के लिए पान्थ-शालाओं का भी निर्माण बतलाया गया है । दो ग्रामों के बीच एक पान्थ-शाला होनी चाहिए ।^८ 'ग्रामप'

१. वही ४।१२१-२२ ॥

२ वही ४।११८-११९ ॥

३. वही ४।८६-६९ ॥

४ वही ४।२४२-४३ ॥

५ वही १।१९२ ॥

६ वही २।१२०-२१ ॥

७ वही १।२५७ ॥

८ वही १।२५९-६० ॥ ९ वही १।२६८ ॥

अधिकारी उसकी देख-रेख करें और एक स्थायी व्यक्ति उसका निरन्तर-व्यवस्थापन करे। इस व्यक्ति को 'पान्थ-शालाधिप' कहा गया है। इस पान्थ-शाला में 'आए व्यक्ति के स्थानादि का विवरण रहना' चाहिए।

इसी प्रकार अन्यान्य प्रमुख विषयों का भी विशद वर्णन इस ग्रन्थ में मिलता है, यहाँ तो केवल कुछ ही विषयों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है, जो अपर्याप्त है। अतः समस्त ग्रन्थ का विधिवत् अध्ययन ही इस अंश में पर्याप्त हो सकता है।

शुक्र-नीति के संस्करण

उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि शुक्र-नीति अपने विषय का एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ है। अतएव इस ग्रन्थ का कई बार प्रकाशन हुआ। प्रामाणिक संस्करण के रूप में हम ओपर्ट (Oppert) महाशय के द्वारा मद्रास से प्रकाशित तथा जीवानन्द विद्यासागर के संस्करण को ले सकते हैं। प्राध्यापक विनय कुमार सरकार ने 'सैकेड बुक्स ऑफ हिन्दू-सीरीज' में अंग्रेजी अनुवाद भी इस ग्रन्थ-रत्न का प्रकाशित किया है। सभी संस्करणों में यह ग्रन्थ चार अध्यायों में विभक्त है।

ऐसे अपूर्व ग्रन्थ का हिन्दी व्याख्यान भी परमावश्यक था, विशेषतः आज के भारतवर्ष में। इसी आवश्यकता की पूर्ति के लिए यह संस्करण पाठकों के सामने प्रस्तुत है। यद्यपि 'बैंकटेश्वर प्रेस, बम्बई' से आचार्य मिहिरचन्द्र जी की हिन्दी व्याख्या (अनुवाद) के साथ भी इसका प्रकाशन हुआ है तथापि उसकी हिन्दी भाषा की दृष्टि से बहुत उपयोगी नहीं है। हमें विश्वास है कि विद्वान् पाठकगण इस संस्करण की कुछ त्रुटियों की उपेक्षा कर विद्वान् व्याख्याकार तथा धैर्य एवम् उत्साह से सम्पन्न प्रकाशक की कामना की पूर्ति करने में सानुग्रह दृष्टि-कोण अपनायेंगे जिससे इस ग्रन्थ-रत्न का अग्रिम संस्करण भी यथा-सम्भव परिष्कार के साथ शीघ्र ही प्रस्तुत हो सके।

वाराणसी }
वि० सं० २०२५ }

विदुषामनुविधेयः—
श्रीनारायण मिश्रः

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ	विषय	पृष्ठ
मङ्गलाचरण तथा ग्रन्थोपक्रम	१	भूमि के मानभेदों का निर्देश	३०
नीतिशास्त्र का उपक्रम	॥	राजधानी बनाने योग्य प्रदेश	३२
नीतिशास्त्र-प्रशंसा	२	राजोचित भवन का निर्देश	३३
राजा का नीतिशास्त्र-ज्ञान		राजोचित दुर्ग बनाने का निर्देश	३६
मे प्रयोजन	३	राजसभा बनाने का निर्देश	॥
राजा की काल-कारणता का निर्देश	४	मन्त्री आदि के भवन का निर्देश	३७
धर्म की प्रशंसा	५	सेना तथा प्रजावर्गों के स्थान	॥
राजा के सार्विकादि तीन भेद	॥	धर्मशाला-निर्माण का निर्देश	३८
सुगति-दुर्गति भेद से प्राप्त कर्म		राजमार्गादि-निर्माण का निर्देश	॥
की कारणता	६	धर्मशाला की व्यवस्था	४०
राजा के देवाश होने का निर्देश	११	राजाओं के दैनिक कृत्य	४१
७ गुणों से युक्त राजा की प्रजा-		प्रहरियों का कर्तव्य	४२
रजकता का निर्देश	१२	राजा के आदेशों की घोषणा	४३
इन्द्रियजग की आवश्यकता	१६	राजाओं के कर्तव्य	४५
विनाश के चार कारण शब्द, स्पर्श,		विपादि से दूषित अग्नादि-परीक्षा	४७
रूप रस और गन्ध	॥	शिकार खेलने का वषण	४८
जैसे शब्द-विषय के द्वारा		राजा के सम्बन्धी आदियों का	
रूप-विषय द्वारा	१७	राजनिर्धारित कर्तव्य	५०
रस-विषय द्वारा	॥	परिषद् की व्यवस्था का निर्देश	५१
गन्ध-विषय द्वारा	॥	राजा को राजाचिह्न रखने का	
धृतादिव्यसन के दोषों का निर्देश	॥	निर्देश	५२
आठ प्रकार के राजा के व्यवहार		राजा के कर्तव्य	५३
का निर्देश	२०	राजा को प्रतिवर्ष देश के	
राजा के दोष-गुण का निर्देश	॥	अधिकारियों के निरीक्षण	
आन्वीक्षिकी आदि के लक्षण	२४	का निर्देश	५४
मनोहर बचन बोलने का निर्देश	२६	राजा के पारलौकिक कार्य	५६
राजा के सामन्तादि भेदों का		एकाकी राजा का राजकार्य करने	
निर्देश	२८	की दुष्करता का निर्देश	५७

बिना मन्त्रियों के सलाह लिये व्यवहार-निर्णय का निषेध	५७	अधिकारयोग्य को अधिकार देने का निर्देश	७३
अच्छे सहायकों से युक्त राजा की श्रेष्ठता का निर्देश	"	योग्य अधिकारी के अभाव में अन्य की योजना का निर्देश	"
चुरे सहायकों से राजा की हानि का निर्देश	५८	अन्य कर्मों के सचिव की योजना का निर्देश	७४
सुवराजादि राजा के अङ्ग है इसका निर्देश	"	दण्डाधिपति आदि ६ की योजना का निर्देश	"
सुवराज के कार्य तथा अभिप्रेकाहें सुवराज के अधिकारों	५९	राजा को तपस्वी आदियों की रक्षा करने का निर्देश	७५
पुराचारी राजपुत्रों में आचार- स्थापना का निर्देश	६०	योजनाकर्त्ता की दुर्लभता	"
राजपुत्रों के पिता के विषय में कर्तव्यता का निर्देश	६३	गजाधिपति एव महावत के लक्षण	"
अमात्यादिभृत्य-विषयक विचार	६४	अश्वाधिपति के लक्षण	७६
श्रेष्ठ भृत्य के लक्षण	६५	सारथि के लक्षण	"
निन्द्यभृत्य के लक्षण	६६	धुसवार के लक्षण	"
दश प्रकृतियों के नाम	६७	अश्वशिक्षक के लक्षण	"
आठ प्रकृतियों के नाम	"	अश्वसेवक (साईंस) के लक्षण	७७
पुरोहितादिकों के अधिकार	६८	मेनापति तथा सैनिकों के लक्षण	"
पुरोहितादिकों के लक्षण	"	पत्ति (पैदल सेना) पाल आदिकों के अधिकार	"
प्रतिनिधि का कार्य	७०	शतानीकादिकों के लक्षण	७८
प्रधान का कृत्य	"	उपर्युक्त अधिकारियों को अपने २ चिह्नों से युक्त रहने का निर्देश	"
सचिव के कृत्य	"	तित्तिरादिपीपकों की योजना का निर्देश	७९
मन्त्री के कार्य	७१	रत्नादि के अध्यक्षों के लक्षण	"
प्राहविवाक के कार्य	"	कीपाध्यक्ष के लक्षण	"
पण्डित के कार्य	"	वस्त्राधिपति के लक्षण	"
सुमन्त्र के कार्य	"	वितानाश्वधिपके लक्षण	"
अमात्य के कार्य	७२	धान्यपति के लक्षण	८०
राजा के अन्योग्य के स्थान पर अन्योग्य की योजना का निर्देश	"	पाकाध्यक्ष के लक्षण	"
अधिकार की व्यवस्था का निर्देश	७३		

आरामाधिपति के लक्षण	८०	सत्य तथा परोपकार की श्रेष्ठता	
गृहाधिपति के लक्षण	"	तथा इससे युक्त राजकर्मचारी	
देवाध्यक्ष के लक्षण	८१	रखने का निर्देश	८७
दानाध्यक्ष के लक्षण	"	संपूर्ण पापों से हिंसा तथा असत्य	
सभासद के लक्षण	"	की प्रबलता तथा इनसे युक्त	
मन्त्राधिप के लक्षण	"	भृत्यों को न रखने का निर्देश	८८
परीक्षक के लक्षण	८२	सद्भृत्य के लक्षण तथा कृत्य	"
साहसाधिप के लक्षण	"	द्वारपाल के कर्तव्यों का निर्देश	"
ग्रामाधिप के लक्षण	"	राजपास्ववर्ती दण्डधारियों का	
कर वमूल करनेवाले के लक्षण	"	कर्तव्य	"
लेखक के लक्षण	"	भृत्य का राजसमीपावस्थान करने	
द्वारपाल के लक्षण	८३	पर कर्तव्य	८९
चुङ्गी लेनेवाले के लक्षण	"	राजा के पक्ष की पुष्टि करने का	
तपोनिष्ठ के लक्षण	"	निर्देश	"
दानशील के लक्षण	"	राजाज्ञा से विवादियों के मत को	
श्रुतज्ञ के लक्षण	"	युक्ति से बोलने का निर्देश	"
पौराणिक के लक्षण	"	राजा से स्वकार्य-निवेदन-प्रकार	
शास्त्रविद् के लक्षण	"	तथा जोर से हंसने आदि का	
उपनिषद् के लक्षण	"	निषेध	"
मान्त्रिक के लक्षण	८४	हितकारी सेवक का कृत्य	९०
वैद्य के लक्षण	"	राजा को किसी भी मिष से प्रजा को	
तान्त्रिक के लक्षण	"	पीडित न करने का निर्देश	९१
अन्त-पुर के योग्य पुरुष के लक्षण	"	समझदारों को अपने २ कार्यों में	
परिचारक के लक्षण	"	नियुक्त रहने का निर्देश	"
जासूस के लक्षण	८५	स्वामी के गुप्त कार्य के प्रकाश करने	
दण्डधारी-आसा-बल्लमधारी के	"	का निषेध	"
लक्षण	"	राजवेशभूषा-धारण की नकल करने	
गामकाधिप के लक्षण	"	का निषेध	९२
वेश्या के लक्षण	"	राजा की विरक्ति तथा अनुरक्ति का	
वेश्या-भृत्य के लक्षण	८६	ज्ञान रखने एवं तदनुसार त्याग	
वंतालिक तथा शिल्पज्ञों को पास	"	तथा ग्रहण का निर्देश	"
मे रखने का निर्देश	"	विरक्त राजा के लक्षण	"
	"	अनुरक्त राजा के लक्षण	९३

राजा से प्रदत्त भूषणादि धारण का निर्देश	१३	निश्चिन्तान्यस्वामिक संचित धन के भेद	१०६
स्वामी के प्रति भृत्य के कर्त्तव्य	१४	ओपनिष्य-याचित-ओत्तर्णिक के लक्षण	"
धापस से भृत्यो के कर्त्तव्य	१५	अज्ञातस्वामिक के लक्षण	१०७
राजा तथा भृत्य के परस्पर अच्छा व्यवहार करने का निर्देश	"	स्वत्वविनिश्चित के भेद	"
ढाकू के समान राजा के लक्षण	"	साहजिक के लक्षण	"
प्रच्छन्न चोर के लक्षण	"	अधिक के लक्षण	"
बालक भी राजपुत्र का तिरस्कार का निषेध	१६	संचित धन के लक्षण	"
लेख्यों के भेदों का निर्देश	१०१	संचित धन के भेद	"
लेख के दो भेदों का निर्देश	१०२	पापिवसंज्ञक आय के भेद	१०८
जयपत्रक के लक्षण	"	चलसंज्ञक आय के लक्षण	"
आज्ञापत्र के लक्षण	"	विभागानुसार आय-व्यय के व्याप्य-व्यापक का निर्देश	"
प्रज्ञापनपत्र के लक्षण	"	व्यय के भेदों एवं पुनरावर्त्तक के लक्षण	"
शासनपत्र के लक्षण	१०३	निधि, उपनिधि आदि व्यय के लक्षण	१०९
प्रसादलिखित के लक्षण	"	स्वत्वनिवर्त्तक के भेद	"
भोग-कर-उपायन-पुरुपावधिक और कालावधिक पत्रों के लक्षण	"	ऐहिक तथा पारलौकिक व्यय के भेद	"
विभागपत्र या भागलेख्य के लक्षण	"	प्रतिदान, पारितोषिक और वेतन-व्यय के लक्षण	"
दानपत्र के लक्षण	"	उपभोग्य के लक्षण	"
ऋयपत्र के लक्षण	१०४	भोग्य व्यय के लक्षण	११०
सादिलेख्य के लक्षण	"	पारलौकिक व्यय के चार भेद और उनके लक्षण	"
संवित्पत्र के लक्षण	"	आय-व्यय-लेखक के कर्त्तव्य	"
ऋणलेख्य के लक्षण	"	अवशिष्ट आय के विविध भेद	१११
शुद्धिपत्र के लक्षण	"	मान-उन्मान-परिमाण सख्या के लक्षण	"
सामयिक लेख्यपत्र लक्षण	"	लोकव्यवहारार्थ द्रव्य तथा धन के लक्षण	"
संमतिसंज्ञक पत्र के लक्षण	"	मूल्य की परिभाषा	"
क्षेमपत्र के लक्षण	१०५		
वेदनार्थक पत्र के लक्षण	"		
आय-व्यय लेख्य के लक्षण	"		
राजाओं के आय-व्ययादिक के लक्षण	"		
आय के भेद	१०६		
संचित आय के भेद	"		

मूल्य के न्यूनताधिक्य का कारण- निर्देश	११२	कटुभापी भृत्य का भृति-दान- प्रकार	१२१
पत्रलेखन-प्रकार	"	राजा के भृत्य के संग वस्त्र का वर्णन	१२२
सब लेखों पर स्व-स्वमुद्राङ्कित करने का निर्देश	११३	भृत्य को कार्य-मुद्रा से अक्षित करने का निर्देश	"
पत्र में आय-व्यय लेखन का स्थान- विचार	११४	भृत्यों को विशिष्ट राजचिह्न न देने का निषेध	"
व्यापक-व्याप्य के लक्षण	"	१० प्रकृति पुरोहितादियों का जातिनियम	१२३
स्थान-टिप्पणादि के भेद	११५	भागव्राही और साहमाधिपति आदि पद के लिये क्षत्रियादि रखने का निर्देश	"
क्षेपायव्यय-स्थलायव्ययज्ञान	"	सेनापति-पद पर दूरमात्र को रखने का निर्देश	"
तिथ्यादि लिखने का निर्देश	"	भृत्य के लिये त्यागने योग्य राजा के लक्षण	"
गुञ्जादिकों का लक्षण	११६	सबों के सुख के अर्थ प्रवृत्ति का निर्देश	१२५
प्रस्थपाद का लक्षण	"	धर्म के बिना सुख न मिलने का निर्देश	"
संस्था का प्रमाण	"	सर्व-साधारण के लिये विहिताचरण का निर्देश	"
संस्था की अनन्तता	"	निषिद्धाचरणों का निर्देश	१२६
एकादि-पराध तक संख्याओं के नाम	११७	दशविध पापों का निर्देश	"
कालमान का त्रैविध्य एवं चन्द्रादिकों की व्यवस्था	"	दरिद्री आदिकों का रक्षण करने का निर्देश	"
'भृति के ३ प्रकारों का निर्देश	"	समय पर हित और मित वचन कहने का निर्देश	१२७
कार्यमानादिकों के लक्षण	"	अकेले सुखों का उपभोगादि करने का निषेध	"
मध्यमादि भृति के लक्षण	११८	अपने अधमान को प्रकाशित न करने का निषेध,	"
पोषण-शोग्य भृति नियत करने का निर्देश	"		
हीन भृति देने से अनर्थ का निर्देश	"		
शूद्रादिकों को आच्छादन मात्र देने का निर्देश	"		
भृत्य के तीन भेद	११९		
भृत्यों को छुड़ी देने का नियम	"		
रोग के समय भृति देने का प्रकार	"		
बारबार रोगग्रस्त के स्थान पर प्रतिनिधि रखने का निर्देश	१२०		
सेवा के बिना ही भृति देने का निर्देश	"		

पराराधन-पण्डितों के व्यवहार का निर्देश	१२७	धातताइयों के लक्षण	१३२
इन्द्रियों को वश में रखने का निर्देश	"	एक क्षण भी स्त्री आदि की उपेक्षा न करने का निर्देश	"
इन्द्रियों को वश में न रखने से अनर्थ का निर्देश	१२८	विरुद्ध राजादिक जहां हों वहां एक-दिन भी रहने का निषेध	"
स्त्रियों के स्पर्श की भी अनर्थकारिता का निर्देश	"	अविदेकी राजादिक से घनादि की इच्छा करने का निषेध	१३३
स्त्रियों के प्रति सम्बोधन-प्रकार	"	मात्रादिक के पालनादि न करने पर शोक न करने का निर्देश	"
एक क्षण भी स्त्रियों के स्वातन्त्र्य का निषेध	"	सावधानी से राजादि की सेवा करने का निर्देश	१३४
यत्नपूर्वक स्त्रियों की रक्षा करने का निर्देश	१२९	माता आदि के साथ विरोधादि करने का निषेध	"
चैत्यादिकों के लघन का निषेध	"	स्वजनादि से विरोधादि एवं स्त्री आदि से विवाद का निषेध	"
तैर कर नदी को पार आदि करने का निषेध	"	अकेला स्वादिष्ट भोजनादि का निषेध	"
देरतक उकल बैठने, रात्रि में वृक्ष पर चढ़ने आदि का निषेध	१३०	अन्य धर्म के सेवन का निषेध	"
सूर्य को निरन्तर देखने का निषेध	"	त्याग्य निद्रादि दोगों का निर्देश	"
सन्ध्या समय में भोजनादि का निषेध	"	मनुष्य को कौन सा कार्य करना और कौन सा छोडना चाहिये इसका निर्देश	१३५
व्यवहार में लोक की आचार्यता का कथन	१३१	बिना पूछे किसी से कुछ कहने का निषेध	"
राजादिगत धर्म में दोष लगाने का निषेध	"	बिना अनुभव के स्वाभिप्राय प्रकट करने का निषेध	"
आग्रहपूर्वक भाषण का निषेध	"	दम्पती आदि के बीच में किसी की साक्षी न देने का निर्देश	१३६
किञ्चित् भी पाप का स्मरण करने का निषेध	"	आपत्ति में विचलित होने एवं मर्मवेधी बातें करने का निषेध	"
अच्छे का ग्रहण एवं बुरे के त्याग का निर्देश	"	अश्लील बातें आदि करने का निषेध	"
सार को यत्नपूर्वक ग्रहण करने का निर्देश	१३२	लोकनिन्दित आदि कार्य करने का निषेध	"
अधर्मरत-मित्र-पुत्रादि को राज्य से निकाल देने का निर्देश	"		

शत्रु के भी गुणों को ग्रहण करने का निर्देश	१३६	विद्यादिको के फल	१४१
प्रारब्धवश घनी-निर्वन होने का निर्देश	१३७	शूरतादि के फलों का निर्देश	"
दीर्घदर्शी के लक्षण	"	सुन्दर विद्यादि को नीच से भी ग्रहण करने का निर्देश	"
प्रत्युत्पन्नमति के लक्षण	"	नष्ट वस्तु की उपेक्षा करने का निर्देश	१४२
आलसी मनुष्य के लक्षण	"	परद्वयहरणादि का निषेध	"
साहसी के लक्षण व दोष	"	प्राणनाशादि की संभावना में झूठ बोलने का निर्देश	"
चिरकारी मनुष्य के लक्षण	१३८	स्त्री-पुरुषादि में भेद डालने का निषेध	"
सहसा कार्य करने का निषेध	"	वार्त्ता करते हुये पुरुषों के बीच जाने का निषेध	"
मित्र की विरोधता	"	सपुत्र के लिये सपुत्र कन्या आदि को लाकर गृह में बसाने का निषेध	१४३
बिना ममत्ते किसी को मित्र बनाने का निषेध	"	सर्पादि को तुच्छ समझकर अपमान करने का निषेध	"
मित्र की प्राप्ति के लिये यत्न करने का निर्देश	"	सर्पादि से संभल कर व्यवहार करने का तथा ऋणादि का समूल नाश करने का निर्देश	"
विश्वस्त का भी अत्यन्त विश्वास करने का निषेध	१३९	याचकादि के साथ व्यवहार का प्रकार	"
प्रामाणिकादि का विश्वास करने का निर्देश	"	दाता आदि की कीर्त्ति सुनने का निर्देश	१४४
परीक्षा करके विश्वस्त मानने का निर्देश	"	समय आदि पर परिमित भोजन आदि करने का निर्देश	"
उग्र दण्ड और कटु वचन का निषेध	"	स्त्री-सभोगादि का एकान्त में करने का निर्देश	"
विद्यादिको से प्रमत्त होने का निषेध	१४०	मधुरादि पड़स अन्न को प्रीतिपूर्वक भोजन का निर्देश	"
विद्यामत्तता के अनर्थकारी फल	"	स्व-स्त्री के साथ विहार करने का निर्देश	"
शौर्यमत्तता के अनर्थकारी फल	"		
धनमत्त पुरुष की स्थिति का वर्णन	"		
कुलीनता के मद से मत्त की स्थिति का वर्णन	"		
बलमत्त की स्थिति का वर्णन	१४१		
मानमत्त की स्थिति का वर्णन	"		
विद्यादि से सज्जनों को विनयी बनने का निर्देश	"		

रात्रि में सोने के समय का एवं	निन्दित भी कार्यों का बड़ों के लिये
दीनादिक-उपहास के निषेध	भूषण होने का निर्देश १४९
का निर्देश १४४	बिना अनुमति के श्रेष्ठ के संमुख
कार्य-साधक के कृत्यों का वर्णन १४५	बैठने का निषेध "
दुर्वचन का एवं गुरुजनादि की	मूर्ख का स्वामी बनने की इच्छा
आज्ञा के उल्लङ्घन का निषेध "	का निषेध १५०
असत् कार्य करानेवाले गुरु को भी	आवश्यक कार्य को सर्वप्रथम करने
बोध कराने का एवं छोटे के	का निर्देश "
भी समुचित बात मानने का	बुरे कार्य में देरी करने का निर्देश "
निर्देश "	जगत् को वश में करने के उपाय "
तरुणी स्त्री को ९ तन्त्र छोड़कर	वश करने के उपायों की दुर्जनो के
जाने का निषेध "	विषय में विफलता
साध्वी भार्यादि का यत्नपूर्वक	का निर्देश १५१
पालन का निर्देश १४६	वेदादि के अभ्यास की हितकारिता
जीवन्मृत पुरुषों का निर्देश "	का निर्देश "
गुप्त रखने योग्य बातों का निर्देश १४७	मनुष्यों के ४ व्यसनो का निर्देश "
देशाटनादि की कर्त्तव्यता	कूट व्यवहार का निषेध "
"	विहित कार्य करने का निर्देश "
देशाटन के लाभ "	रात्रि में सुखपूर्वक न सो सकनेवालों
सभा में बैठने से लाभ का वर्णन	का निर्देश १५२
"	योग्यता न रहने पर बड़ों के
बहुत में शास्त्रों के अध्ययन के फल	अनुकरण करने एवं सर्पादि
वेद्यादर्शन के फल १४८	पकड़ने के लिये एकाकी
पण्डितों के साथ मैत्री के फल	गमन का निषेध "
"	मारनेवाले गुरु को भी मारने का
अपने लिये केवल भोजन बनाकर	एवं कलह में सहायता न
खाने का निषेध "	करने का निर्देश "
गुरुजनादि के लिये मार्ग देने का	गुरुजनो के आगे प्रौढपाद बैठने
निर्देश "	का निषेध "
शकटादिको से दूर रहकर चलने	उत्तम पुरुष के लक्षण
का निर्देश "	"
श्रृङ्गी आदि का विश्वास करने	स्त्री के कथनमात्र से बिना स्वयं
का निषेध १४९	अनुभव किये समझने
गमनादि के निषेध के विषय	का निषेध १५३
"	स्त्रियों के ८ दुर्गुणों का निर्देश "
बड़ों की आज्ञा के बिना उनके साथ	
कार्य करने का निषेध "	

१६ वर्ष से ऊपर की अवस्था वाले पुत्रादि के ताड़नादि का निषेध	१५३	विभाग कर देने का अन्यथा अनर्थ की सम्भावना का निर्देश	१५८
दौहित्र आदि का पुत्रादिको से बढ़कर पालन करने का निर्देश	"	२ सौत स्त्रियों एवं २ मादाओ को एक पुरुष या नर पशु के साथ एकत्र रखने का निषेध	"
स्वामी के लक्षण	"	ब्याजी धन या दिये ऋण घन का विभाग करने का निषेध	१५९
एक शय्या पर सदा स्त्री के साथ सोने का निषेध	"	शाश्वत मैत्री रखने के लिये त्याज्य कर्मों का निर्देश	"
वर और मित्र की परीक्षा करने का निर्देश	१५४	बिना साक्षी या ऋणपत्र लेख के ऋण न देने का निर्देश	"
वर के लक्षण	"	उत्तमोत्तमादिक पुरुषों के लक्षण	"
कन्या के लक्षण	"	बिना दान किये कभी कोई दिन व्यतीत न करने का निर्देश	१६०
विद्या और धन का संचय करने का निर्देश	१५५	यथेष्ट दान-वर्धन करने का निर्देश	"
धनार्जन के उपयोगो का निर्देश	"	दान से शत्रु को भी मित्र बन जाने का निर्देश	"
धन की अपेक्षा विद्या की श्रेष्ठता का निर्देश	"	पारलोक-सुखसाधन 'संविद्' दान के लक्षण	"
अवश्य धनार्जन करने का निर्देश	"	पारितोष्य, श्रियादत्त या यशोऽर्थक दान के लक्षण	"
धन के प्रभाव का निर्देश	१५६	आचारदत्त या ह्यीदत्त दान	१६१
व्यवहार में लेख की आवश्यकता का निर्देश	१५७	भौदत्त दान	"
मित्रता के नाते बिना ब्याज के भी धन देने का निर्देश	"	नष्टदान	"
लिखा-पढी के साथ सूद पर धन देने का एवं अन्यथा रीति से न देने का निर्देश	"	आराध्य देव को सर्वोत्कृष्ट मानना	"
आहारादि में लज्जा-त्याग का निर्देश	"	बशीकर वस्तुओ में दान तथा सरलता	"
उचित व्यय करने का निर्देश	१५८	विचार करके स्नेह या द्वेष करना	"
भार्या आदि की रक्षा करने का निर्देश	"	अतिक्रूरतादि का निषेध	१६२
सखीक प्रौढ पुत्रो को धन का			

अतिक्रूरता आदि से अनिष्ट फल	१६२	हिंस्र पुरुषादि की उपेक्षा करने का निषेध	१६६
अपने को अधिक श्रेष्ठ न मानना देवादिकों पर प्रभुत्व रखने का निषेध	"	चुगुलखोरी आदि दोषों से गुणियों के गुणों के टंक जाने का निर्देश	"
देवादिकों के तिरस्कार उचित नहीं	"	बाल्यास्वया आदि में मां आदि के मरने में महापातक के फल का निर्देश	"
युधती स्त्री, धन तथा पुस्तक को परहस्तगत करने का निषेध	"	दुःखप्रद विषयों का निर्देश	"
अल्प कारण से बड़े अर्थ का एवं अधिक धन-व्यय होने से कीर्ति के त्याग का निषेध	"	गुलकारक न होनेवाली ६ बातों का निर्देश	"
बीर सैनिकों के दुर्बचन भी सहना विनोद में भी दुखी करनेवाले वचन बोलने का निषेध	"	जीवन्मुक्त, खल या पशु के तुल्य के लक्षण	१६७
कहने का असर न हो वाले से कुछ भी न कहने का निर्देश	१६४	खल पुरुष के लक्षण	"
बुरे व्यक्तियों से अलग न करने वाले नीच की नृशंसता	"	आशाबद्ध लोगों के लिये जगत् की सम्पूर्ण वस्तु की प्राप्ति से भी कमी बोध होने का निर्देश	"
कुमित्र के लक्षण	"	धूर्त पुरुष के कर्मों का निर्देश	"
कठोर वचन से मित्र के शत्रु बन जाने का निर्देश	"	प्रीतिकारक व दुःखदायी पुत्र के लक्षण	"
स्वबलाधिक शत्रु को कन्ये पर भी ले चलने का निर्देश	"	प्रीति देनेवाली स्त्री के लक्षण	१६८
'मनुष्य का भूषण सुजनता है' इसका निर्देश	१६५	आनन्ददायिनी तथा दुःखदायिनी माता के लक्षण	"
अश्वादिकों में वेगादिक गुणों की भूषणता तथा अन्यथा (क्षिपरीज) होने पर दुर्भूषणता का निर्देश	"	आनन्ददायक पिता के लक्षण	"
एक ही नायक आदि से ही परिवार आदि की शोभा का निर्देश	"	मित्र के लक्षण	"
		मानहानिकारक कार्यों का निर्देश	"
		भैरव सेवा की है यह समझकर राजादि के साथ अधिक संघर्ष रखने का निषेध	१६९
		दुःखकारक कार्यों का निर्देश	"
		स्त्रियों को पति के प्रेम से ही अधिक सुख मानने का निर्देश	"

स्त्री वशवतिनी बने इसके उपाय १६९	सतकंता से व्यवहार करने का निर्देश १७२
व्यवसाय में साधन, व्यय, लाभ आदि का विचारकर प्रवृत्त होने का निर्देश "	दूर रहते हुई भी समीपस्थ की भांति कार्य करनेवालो का निर्देश १७३
अधिक व्ययवाले कार्यों को न करने तथा लाभवाले कार्यों को करने का निर्देश १७०	वेदादि के षण्डितो का बिना नीतिशास्त्र के चतुर न बनने का निर्देश "
तपस्यादि में प्रतिनिधि बनाने में हितकारिता के अभाव का निर्देश "	प्रथम निर्धनतादि के बाद धनी आदि होने में सुख-प्राप्ति का निर्देश "
मधुरभोजी आदिको निर्जनता आदि की इच्छा रखने का निर्देश "	मृतापत्यता आदि से अनपत्यता आदि की श्रेष्ठता का निर्देश "
मूर्ख जनों के कृत्य १७१	प्रथम सुखकर पश्चात् दुःखकर विषयो का निर्देश १७४
सर्वगुणी तेज की सर्वाधिक-श्रेष्ठता का निर्देश "	कुमन्त्री आदिको से राजादिकों के नाश का निर्देश "
स्वकर्म में ब्राह्मण की सर्वाधिक महत्ता का निर्देश "	शिक्षकानुसार हस्त्यादि का सद्-गुणादि के धारण करने का निर्देश "
स्वधर्मस्य ब्राह्मण से क्षत्रियादि के डरने का निर्देश "	अधिकार प्राप्त होने पर स्वयं प्राप्त होनेवाली ३ बातें "
धर्म को हानि न पहुँचनेवाली वृत्ति की श्रेष्ठता "	गृहस्थियो के सुखदायक विषयों का निर्देश १७५
कृषिवृत्ति की सर्वाधिक उत्तमता १७२	अन्तःपुर में नियुक्त करने योग्य पुरुषो के लक्षण "
भिक्षा की अधमता तथा क्वचित् भिक्षा व सेवा की भी उत्तमवृत्तित्ता "	समय बांधकर कार्य करने आदि का एवं अर्थ और धर्म में आहमादि की नियुक्ति करने का निर्देश "
आध्वर्यावादि कर्मों से महाधनी न बन सकने का निर्देश "	प्रवास के समय में सुखदायी अनपत्य भार्यादि ६ का निर्देश "
बिना राजसेवा के विपुल धन-प्राप्ति न होने एवं राजसेवा की अतिशय कठिनीता का निर्देश "	
राजाओं के साथ सर्पों की भांति	

राजा को भी शान्त छोड़े आदि से भी बाजार के अन्दर न जाने का निर्देश	१७६	बिना जज की आज्ञा के वादी- प्रतिवादी के विषय में सत्यासत्यादि बातें न कहने का निर्देश	१७९
पथिकों को यात्रा के समय कर्त्त- व्या-कर्त्तव्य विषयों का निर्देश	"	अन्य के विवाद को ग्रहण कर किसी के संग विवाद न करने का निर्देश	"
शीघ्र वृद्धता लानेवाले विषयों का निर्देश	"	बिना शास्त्रज्ञान के न करने योग्य विषयों का निर्देश	१८०
प्रिय होने के उपाय	"	पारतन्त्र्य से बढ़कर दुःख और स्वतन्त्रता से बढ़कर सुख न होने का निर्देश	"
अप्रिय होने के कारणों का निर्देश स्तुति से देवता के वशवर्ती होने का निर्देश	"	प्रत्यक्षादि ४ प्रमाणों से व्यवहार शान्त होने का निर्देश	"
स्वदुर्गुणों का स्वयं विचार करने का निर्देश	१७७	मित्र और शत्रु के प्रकारों का निर्देश	१८१
महान् पुरुष के लक्षण	"	४ पादों में युक्त उत्तम मित्र के लक्षण	"
साधु पुरुष तथा खल पुरुष के लक्षण	"	बैरभाव रखनेवालों के दो लक्षणों का निर्देश	१८२
कलहकारक श्रीडा आदि करने का निषेध	१७८	परम शत्रु और एकतरफा शत्रु भाइयों के लक्षण	"
मित्र के प्रति कर्त्तव्याकर्त्तव्य विषयों का निर्देश	"	राजाओं की परस्पर कृत्रिम- मिश्रता का निर्देश	"
बलवान के प्रति विपरीत बातें न करने का निर्देश	"	सहज मित्र कहलानेवालों का निर्देश	१८३
मनुष्य को आपत्ति पडने पर कर्त्तव्य कर्मों का निर्देश	"	विद्यादि ५ की सहज मिश्रता का निर्देश	"
वृद्धजनों के अनुकूल दचन-बोलने का एवं किसी की स्त्री की घूर कर न देखने का निर्देश	१७९	सार्धक पुत्र के लक्षण	"
अन्य के अपराधी बालक को दण्ड न देने का निषेध	"	स्वाभाविक शत्रु के लक्षण	"
ग्राम को छोड़कर अन्यत्र वास करने की अवस्थाओं का निर्देश	"	परस्पर शत्रु कहलानेवालों का निर्देश	"
	"	भूखें पुत्रादिकों की शत्रु संज्ञा का निर्देश	"

मूर्खों के लिए उपदेश देने का निषेध	१८४	रिपु-पीडित प्रजाओं का साम-दान से संग्रह करने का निर्देश	१८७
राजाओं के स्वाभाविक शत्रु-उदासीन-मित्र राजाओं के लक्षण	"	स्वप्रजाओं का साम-दान से पालन का निर्देश	"
मित्र और शत्रु राजाओं के प्रति राजाओं के आचरण का निर्देश	"	प्रजाओं के साथ दण्ड तथा भेद के प्रयोग से राज्य-नाशका निर्देश	१८८
मित्रादि के प्रति सामादिकों का विचार स्वसुरिक्तियों से करने का निर्देश	१८५	दण्ड के लक्षण	"
मित्रता होने के कारणों का निर्देश	"	दण्ड के भेद का निर्देश	"
मित्र के लिये साम तथा दान वाक्यों के लक्षण	"	दण्ड के प्रभाव एवं राजा को धर्मरक्षार्थं दण्डधर होने का निर्देश	"
भेद तथा दण्ड-वाक्यों के लक्षण	"	घमण्डो आदि गुरुजनों को भी दण्ड देने का निर्देश	१८९
उदासीन के शत्रु बनने का निर्देश	"	दुष्टों की हिंसा को अहिंसा मानने का निर्देश	"
शत्रु के प्रति सामवाक्य के लक्षण	१८६	उचितानुचित दण्ड देने से राजा के इष्टानिष्ट-फलकथन का निर्देश	"
शत्रु के लिए दान का स्वरूप-निर्देश	"	सत्ययुगादि में दण्ड का अभाव एवं त्रेतादिसुगों में क्रम से पूर्ण, पीन एवं अर्धं दण्ड देने का सकारण निर्देश	१९०
शत्रु के प्रति भेद का स्वरूप-निर्देश	"	राजा को युगप्रवर्तक होने का निर्देश	"
शत्रु के प्रति दण्ड का स्वरूप-निर्देश	"	धार्मिक तथा अधार्मिक प्रजाओं के होने के कारणों का निर्देश	"
मित्र, शत्रु तथा उदासीन राजाओं को बलवान् न होने देने निषेध	"	पापी राजा के राज्य में समय पर वृष्टि न होने का निर्देश	१९१
सामादिकों को करने में क्रम का निर्देश	१८७	स्त्रैण धीर श्रोणी होना राजा को निषिद्ध होने का निर्देश	"
शत्रुभेद से सामादिकों की व्यवस्था का निर्देश	"	राजा को काम-क्रोध त्याग करने का निर्देश	"
मित्र के लिये केवल साम-दान के प्रयोग का निर्देश	"		

क्रोध, क्रोध तथा लोभ त्याग कर दण्ड देने का निर्देश	१९१	पतली रस्ती या छड़ी आदि से भारते योग्य के लक्षण	१९६
'राजा ऊपर से झूट होकर दण्ड देवे' इसका निर्देश	"	नीच कर्म कराने योग्य अपराधी का निर्देश	"
धुमिलखीरो से देश नष्ट होने का निर्देश	१९२	यथ की शिखा कदापि न देने का निर्देश	"
उत्तम राजा के लक्षण तथा स्वयं दीपमुक्त होने का निर्देश	"	अपराधी के अक्षहाय आदि का दण्ड न देना	"
अपराध के ४ भेद पुनः प्रत्येक के दो दो भेदों का निर्देश	"	देशनिष्काशन योग्य अपराधी	१९८
पुनः उक्त अपराधोंके २ भेद एवं सभी अपराधी के पुनः ४ भेदों का निर्देश	"	मार्ग-संरक्षण योग्य का निर्देश	१९९
मानसिकादि ४ अपराधो की परीक्षा का निर्देश	१९३	संसर्ग से दूषित को दण्ड देकर सम्मार्ग की शिक्षा देने का निर्देश	"
दण्ड के योग्य पुरुषोंके लक्षण	"	राजादिकों से बियाड करनेवाले को शीघ्र नष्ट कर देने का निर्देश	"
उत्तम पुरुष के विषय में प्रथमादि अपराधों के दण्डों का एवं अन्त में ज्ञेय देने का निर्देश	"	गणों की दुष्टता करने पर उपाय अधर्मशील राजा को सदैव भय दिलाने को प्रजा के लिये निर्देश	"
संरोध और नीच कर्म के योग्य पुरुष के लक्षण	१९४	अधर्मशील राजा और प्रजा के उत्काल नष्ट हो जाने का निर्देश	२००
शास्त्रोक्त दण्डनीय पुरुषों के लक्षण	"	माता आदि के भरण-पोषण का त्याग करनेवाले के लिये दण्ड का निर्देश	"
आजीवन बन्धन योग्य पुरुष के लक्षण	"	उत्तमादि साहित्य दण्ड के एवं पण आदि के लक्षण	"
भागों पर झाड़ू लगाने योग्य पुरुष के लक्षण	१९५	कोश के लक्षण	२०१
अधम पुरुषों के बारम्बार अपराध करने पर दण्ड का प्रकार	"	सुखप्रद कोश का निर्देश	"
धनवर्ग से अपराध करने पर दण्ड का निर्देश	"	दुःखप्रद कोश का निर्देश	"
बन्धन तथा हाडन योग्य के लक्षण	१९६	अन्यायोपाजित कोश के दुष्टफलों का निर्देश	२०२

सुपात्र तथा अपात्र के लक्षणादि का निर्देश	२०२	मूर्ख के लक्षण	२०७
अधर्मशील राजा के धन को हर लेने का निर्देश	"	राजा को परीक्षकों से स्वयं रत्न की परीक्षा कराने का निर्देश	"
शत्रु के अधीन राज्य होने के कारणों का निर्देश	"	हीरा आदि नव महारत्नों का निर्देश	२०८
देवोत्तर-संपत्ति पर कर लगाकर धन न बढ़ाने का निर्देश	"	नवरत्नों के वर्ण और नवग्रहों का निर्देश	"
आपत्ति में अधिक कर बढ़ाने का निर्देश	"	सम्पूर्ण रत्नों में वज्र (हीरा) रत्न की श्रेष्ठता का निर्देश	२०९
आपत्तिरहित होने पर सूद सहित धन वापस करने का निर्देश	२०३	श्रेष्ठ रत्नों के लक्षण	"
प्रबल दण्ड से अनिष्ट फल कोश संग्रह करने का प्रमाण	"	असत् रत्न के लक्षण	"
प्रजा-संरक्षण के फल	"	पुत्रार्थिनी को वज्र धारण करने का निषेध तथा बहुत दिन धारण किये मोती और मूंगा के हीन होने का निर्देश	"
राष्ट्रवृद्धि के तीन कारण	२०४	दोषवर्जित रत्न के लक्षण	२१०
नीति-निपुणता से कोशवृद्धि का यत्न करने का निर्देश	"	मूल्य अधिक और कम होने के कारण	"
श्रेष्ठादिनृप के ३ लक्षण	"	मौक्तिक की उत्पत्ति के स्थानों का निर्देश	"
नीचादि धन के लक्षण	"	मोती के रंग और भेद का निर्देश	"
प्रजा के सन्ताप से सर्वश राजा के नाश का निर्देश	२०५	कृत्रिम मोती के निर्माण का स्थान	२११
धान्य-संग्रह करने के प्रमाण का निर्देश	"	मोती की परीक्षाविधि-निर्देश	"
संग्रह योग्य धान्य आदि की परीक्षा का निर्देश	"	रत्नों का तुल्यमान निर्देश	"
ओषधि आदि सब वस्तुओं का संचय करने का निर्देश	२०६	वज्र का मूल्य-विचार	२१२
संगृहीत धन की यत्न से रक्षा करने का निर्देश	"	काले और रक्त बिन्दुवाले रत्न के न धारण का निर्देश	२१३
स्वकार्य में सदा सजग रहने का निर्देश	२०७	माणिक्यादिकों का मूल्य-विचार	"
संचय की रक्षा न कर सकने पर मूर्खता होने का निर्देश	"	गोमेद के उन्मान के योग्य न होने का निर्देश	"
		अत्यन्त गुण वालों का मान से मूल्य न होने का निर्देश	"

मोतियों की मूल्य-कल्पना	२१३	काष्ठ आदि से कर लेने के प्रकार	
मोती के भेद और लक्षण	२१४	का निर्देश	२१९
सुवर्णादि सात धातुओं का निर्देश	"	भूमिभागादि को तत्काल लेने का निर्देश	२२०
सुवर्णादि ७ धातुओं के तरतम भाव	"	किसान को भागपत्र लिख देने का एवं ग्राम के किसी धनी को प्रतिभू बनाकर उसी से कर लेने का निर्देश	"
स्वर्णादि धातुओं के गुण	२१५	छचित् कर लेने के निषेध का निर्देश	"
धातुओं के मूल्य का प्रमाण	"	व्यापारी आदि से लाभ का ३२ वाँ भाग लेने का निर्देश	"
अधिक मूल्य गौ के लक्षण	"	दुकानदार आदि से भूमि का कर लेने का निर्देश	२२१
बकरी आदि के मूल्य का प्रमाण	२१६	राष्ट्र के दो प्रकारों का निर्देश	"
गौ आदि के उत्तम मूल्यों का निर्देश	"	राज्य तथा राजा की सर्वश्रेष्ठता एवं देवतुल्यता का निर्देश	"
हाथी आदि के उत्तम मूल्यों का निर्देश	"	राजा को देश के पुण्य और पाप का भोक्ता होने का निर्देश	२२२
उत्तम अश्व आदि के लक्षण और मूल्य का निर्देश	"	नरक के लक्षण का निर्देश	"
देश-कालानुसार सबों की मूल्य-कल्पना करने का निर्देश	२१७	राजा के धर्मिष्ठ बनने का निर्देश	"
शुल्क के लक्षण	"	सर्वधर्म-रक्षण से देश-रक्षा होने का निर्देश	"
वस्तुओं के शुक्ल को एक बार ही पहण करने का निर्देश	"	मुह्य जाति के ४ प्रकारों का तथा संकरता से जाति की अनश्रुता का निर्देश	२२३
किसान से भाग (मालगुजारी) लेने का प्रमाण	२१८	जराधुजादि चार प्राणियों की जाति का निर्देश	"
उत्तम कृषिकृत्य के लक्षण	"	द्विजो तथा ब्राह्मणों के कर्मों का निर्देश	"
तडागादिकों से संपन्न भूमि से ग्राह्य राजभाग का तरतम्य निर्देश	"	क्षत्रिय और वैश्य के कर्मों का निर्देश	२२४
रजतादियुक्त भूमि के लिये राज-भाग-नियम	२१९	शूद्रादि के कर्मों का निर्देश	"
वृणकाष्ठादिबिज्जेता आदि से २०वाँ भाग कर लेने का निर्देश	"		
बकरी आदि की घुट्टि से ८ वाँ भाग लेने का निर्देश	"		

ब्राह्मणादि के लिये कृषि-भेद का निर्देश	२२४	तकै लक्षण	२२८
ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य की भिदा निन्दित होने का निर्देश	"	सांख्य लक्षण	२२९
द्विजाति को याज्ञवेद पढ़ने का निर्देश	"	वेदान्त लक्षण	"
गुरु का लक्षण	२२५	योग लक्षण	"
मुख्य विद्या ३२ और कला ६४ होने का निर्देश	"	इतिहास लक्षण	"
विद्या और कला के लक्षण	"	पुराण लक्षण	"
विद्याओं में वेद तथा उपवेद के नामों का निर्देश	"	स्मृति लक्षण	"
वेदों के ६ अंगों का निर्देश	"	नास्तिक मत लक्षण	२३०
मीमांसादि विद्याओं के नामों का निर्देश	"	अर्थशास्त्र लक्षण	"
वेद के मन्त्र और ब्राह्मण दो भागों का निर्देश	२२६	कामशास्त्र लक्षण	"
मन्त्र और ब्राह्मण के लक्षण	"	शिल्पशास्त्र लक्षण	"
ऋग्वेद के लक्षण	"	बलङ्कार शास्त्र लक्षण	"
यजुर्वेद के लक्षण	"	काव्य लक्षण	२३१
सामवेद के लक्षण	"	देशभाषा लक्षण	"
अथर्ववेद के लक्षण	"	अवसरोक्ति लक्षण	"
आयुर्वेद के लक्षण	२२७	यावन ग्रन्थ तथा मत लक्षण	"
धनुर्वेद के लक्षण	"	वेसादि धर्म लक्षण	"
गान्धर्ववेद के लक्षण	"	गान्धर्व वेदोक्त ७ कलाओं	२३२
तन्त्र या आरम के लक्षण	"	आयुर्वेदोक्त १० कलाओं के लक्षण	"
विज्ञान के लक्षण	"	धनुर्वेदोक्त ५ कलाओं के लक्षण	२३३
कल्प के लक्षण व भेद	"	पृथक् ४ कलाओं के लक्षण	२३४
ध्याकरण के लक्षण	२२८	तडागकृपादि कलाओं के लक्षण	"
निस्त के लक्षण	"	४ आश्रमों का नाम निर्देश	२३७
ज्योतिष लक्षण	"	४ आश्रमों में कृत्यों का निर्देश	"
छन्द लक्षण	"	स्त्री और शूद्र को वैश्वदेव्यादि न करने का निर्देश	२३८
मीमांसा लक्षण	"	स्त्रियों के लिये पतिसेवा से अन्य धर्म का निषेध	"
२ शुभ सूची	"	स्त्रियों के निःश्रुत कृत्यों का निर्देश	"
	"	साध्वी स्त्रियों को वैश्वदेव्यादि-न्याय का निर्देश	२४०
	"	धर्मोक्त पतिसेवा से पतिछोड़ जाने का निर्देश	"

स्त्रियों के नैमित्तिक कृत्यों का निर्देश	२४०	जात्यनुकूल पूज्य देव तथा गृह के गृह बनाने के स्थान का निर्देश	२४७
रजस्वला स्त्री की शुद्धि के समय का निर्देश	२४१	ग्राम के चौराहे पर विष्णु आदि के मन्दिर बनाने का निर्देश	"
पतिव्रता स्त्रियों के कर्तव्यों का निर्देश	"	मेरु आदि मन्दिरके १६ प्रकारों का लक्षण निर्देश	"
पति के समान अन्य स्वामी और पति-सेवा समान अन्य सुख का निषेध	२४२	मेर्वादिकों के अनुसार उनके मण्डपों के प्रमाणों का निर्देश	२४८
शूद्र धर्म का निर्देश	"	ध्यान योग में प्रतिमा की साधन-मुख्यता का निर्देश	"
संकर जाति के नियम का निर्देश	"	वालू से लेकर धातु पर्यन्त की बनी प्रतिमाओं की उत्तरोत्तर स्थिरता की अधिकता का निर्देश	"
राजा को स्वर्णकारादिकों को सदा कार्य में नियुक्त करने निर्देश	२४३	शास्त्रोक्त तथा अन्यथा रीति से बनी प्रतिमा के फल	"
मदिरागृह को ग्राम से पृथक् रखने का निर्देश	२४४	देव-प्रतिमा की शुभकारिता मानव-प्रतिमा की अशुभकारिता का निर्देश	"
दिन में मद्य पीने के निषेध का निर्देश	"	सात्त्विकी आदि तीन प्रकार की प्रतिमाओं का निर्देश	२४९
वृक्षारोपण और पोषण के नियम	"	सात्त्विकी प्रतिमा के लक्षण	"
ग्राम्य वृक्षों के नामों का निर्देश	"	राजसी प्रतिमा के लक्षण	"
बगीचा लगाने के स्थान का निर्देश	२४५	तामसी प्रतिमा के लक्षण	"
वृक्षों को ऋतुभेद में सींचने के समयों का निर्देश	"	अंगुलादिकों के प्रमाणों का निर्देश	२५०
वृक्ष के नष्ट न होने का उपाय	"	वामनी, मानुषी, देवी, राजसी प्रतिमाओं के लक्षण	"
वृक्षों के फल-मुष्प-वृद्धि का उपाय	"	स्त्री देवता तथा वामन भगवान की प्रतिमा की ऊँचाई का प्रमाण	"
आरण्य-वृक्षों के रोपण के स्थान और नामों का निर्देश	"	नर-नारायणादि की प्रतिमाओं की ऊँचाई का प्रमाण	"
कूपोदि में उतरने योग्य सीढियों के बनाने का निर्देश	२४६		
देश में विपुल जल होने एवं पुल आदि बनवाने का प्रबन्ध करने का निर्देश	"		

चण्डी आदि की प्रतिमाओं की ऊँचाई के प्रमाण	२५०	अनेक भुजाओं की व्यवस्था	२५८
अमुरी की प्रतिमा की ऊँचाई का प्रमाण	"	ब्रह्मा के मुखों की व्यवस्था	२५९
बाल तथा कुमार भावकी प्रतिमा की ऊँचाई का प्रमाण	२५१	हयग्रीवादिकों की आकृतिविषयक विचार	"
सत्ययुगादि-भेद में प्रतिमा की ऊँचाई के प्रमाण में भेद	"	अनिष्टकारक प्रतिमा के लक्षण	"
९ ताल प्रमाण ऊँची प्रतिमा के अवयवों के प्रमाणों का निर्देश	"	सौह्यदायक प्रतिमा के लक्षण	"
रम्य प्रतिमा के लक्षण	२५३	सात्त्विक प्रतिमाओं का वर्णन	२६०
रम्य तथा अरम्य प्रतिमा का अन्तर	"	लक्षणों के अभावमें भी दोषरहित प्रतिमा का निर्देश	"
मतान्तर से रम्य और अरम्य के अन्तर	"	प्रमाण तथा दोषरहित प्रतिमा का निर्देश	२६१
अवयवों की आकृति का वर्णन	"	युगभेद से वर्णभेद का कथन	"
अवयवों के अन्तर का प्रमाण	२५४	वर्णभेद से सात्त्विकी आदि प्रतिमाओं का निर्देश	"
अवयवों की परिधि का प्रमाण	२५५	युगभेद से सौवर्णादि का प्रतिमा-विभाग-निर्देश	"
प्रतिमा की दृष्टि का प्रमाण	२५६	अनुक्त प्रतिमा के स्थापन का निषेध	"
प्रतिमा के आसन का प्रमाण	२५७	भक्त-पूजक के तपोबल से प्रतिमा-दोषों के नष्ट होने का निर्देश	२६२
योग्यतानुसार द्वारादि का प्रमाण	"	वाहन-स्थापन तथा वाहनों के लक्षणविषयक निर्देश	"
देवमन्दिर की ऊँचाई का प्रमाण	"	गणेश की मूर्ति के लक्षण तथा अवयवों का प्रमाण	२६३
मञ्जिल तथा प्रासाद की आकृति आदि का निर्देश	"	स्त्रियों के अवयवों का प्रमाण	२६५
प्रासाद के उत्तमादि ३ भेदों का निर्देश	"	सबों के मुख का प्रमाण	"
मन्दिर के स्तम्भों का प्रमाण तथा निषेध का निर्देश	"	बालक-प्रतिमा के अवयवों का प्रमाण	"
प्रासाद के भीतरी विस्तार का विचार	२५८	शरीर की पूर्णता होने का वर्ण-प्रमाण	२६६
प्रतिमा के वाहन, रूप तथा आयुष के स्थान का विचार	"	सप्त ताल प्रमाण की मूर्ति के अवयवों का प्रमाण	"
प्रतिमा के अनेक मुख होने पर व्यवस्था का निर्देश	"	आमुरी आदि मूर्तियों के लक्षण	२६७

शिल्पी को कर्मो मूर्तियों की वृद्ध- सदृश कल्पना न करने का निर्देश	२६८	यज्ञ-सदृश सभा के लक्षण	२७३
राजा को उक्त देवताओं का स्थापन करके प्रतिवर्ष उनका उत्सव करने का निर्देश	"	सभा में सुननेवालों में वैश्यों के रहने का निर्देश	"
मानहीन और भ्रम प्रतिभा को रखने का निषेध	"	सभा में जाने का नियम	"
प्रजाकृत उत्सवों का सदैव पालन करने का निर्देश	"	सभा में निर्णय करनेवालों का क्रम-निर्देश	"
राजा को प्रजा-मुख से मुखी और प्रजा-दुःख से दुखी होने का निर्देश	२६९	निर्णयको का तारतम्य	"
शत्रु, दुष्ट तथा प्रजापालन के लक्षण	"	निर्णय करने में समर्थ पुरुष के लक्षण	२७४
शत्रुनाश और दुष्टनिग्रह का लक्षण	"	धर्म का लक्षण	"
व्यवहार-लक्षण	"	अनुचिन्तन-प्रकार का निर्देश	"
राजा को प्राङ्गिवाकादि के साथ व्यवहारों को देखने का निर्देश	"	दश साधनों का निर्देश	"
पक्षपात के ५ कारणों का निर्देश	२७०	यज्ञतुल्य सभा के द्वितीय लक्षण का निर्देश	२७५
राजा के अनिष्टकारक हेतुओं का निर्देश	"	दशाङ्गों के कर्मों का पृथक् २ निर्देश	"
स्वयं कार्य-निर्णय न कर सकने पर योग्य ब्राह्मण को नियुक्त करने का राजा को निर्देश	"	गणक तथा लेखक के लक्षण	"
ब्राह्मण न मिलने पर क्षत्रियादि नियुक्त करने का एव शूद्र को न नियुक्त करने का निर्देश	२७१	धर्माधिकरण के लक्षण का निर्देश	"
सभासद के लक्षण	"	राजासभा में प्रवेश करने का प्रकार	२७६
राजा के द्वारा निर्णयायोग्य पुरुषों के लक्षण	"	सभा में राजा के कृत्यों का निर्देश	"
राजा को द्विजाति आदिकों का स्वयं निर्णय न करने का निर्देश	२७२	राजा को पूर्ण विचारपूर्वक सब धर्मों की रक्षा करने का निर्देश	"
		देश-जाति-कुलधर्मों का पालन करने का निर्देश	"
		देश-जाति-कुलधर्मों के उदाहरणों का निर्देश	"
		कलियुग में महादण्ड के योग्यों का निर्देश	२७७
		न्यायादिकों के समय का निर्देश	"
		मनुष्यमारणादिकों में समय के नियम में अभाव का निर्देश	"

राजा के सपक्ष कार्य निवेदन करने के प्रकार का निर्देश	२८८	पूर्वपक्ष पूर्ण होने पर वादी को रोक देने का निर्देश	२८३
अर्थों के लिए राजा के कार्यों का निर्देश	"	जब तक राजाज्ञा न हो तब तक प्रत्यक्षी को रोक देने का निर्देश	२८४
लेखक के कृत्यों का वर्णन	"	४ प्रकार के आसेधों का वर्णन	"
राजा को अन्यथा लेख लिखने-वाले को दण्ड देने का निर्देश	"	जिस पर अपराध की शंका या जो अपराधी हो वही को बुलाने के लिये राजा का निर्देश	"
राजा के अभाव में प्राड्विवाक को पूछने का निर्देश	२७९	अपराधियों को बुलाने के लिये असमर्थों भूत्यों को न बुलाने का निर्देश	२८५
प्राड्विवाक शब्द के अर्थ का निर्देश	"	हीनपक्षादि स्त्रियों को भी न बुलाने का निर्देश	"
व्यवहार पद का कथन	"	निर्वेष्युकाम (विवाहोद्यत) आदि को आसेध (बुलाने) का निषेध	"
राजा या राजपुरुष को स्वयं व्यवहार को पैदा करने का निषेध	"	आने में असमर्थ लोगों की सवारी से बुलवाने का निर्देश	२८६
राजा को छलादि का बिना निषेधन किये भी ग्रहण करने का निर्देश	२८०	अर्थों-प्रत्यर्थों के अन्य कार्य में व्यस्त रहने पर प्रतिनिधि करने का निर्देश	"
स्तोभक के लक्षण	"	अप्रगल्भ आदि के उत्तर पक्ष को बन्धु आदि को कहने का तथा पक्ष ठीक-ठीक कह सकने पर ही विवाद को प्रवृत्त करने का निर्देश	"
सूचक के लक्षण	"	जिस किसी से कार्य करा लेने पर वह उसी का किया समझने का निर्देश	२८७
पञ्चामृत (५०) छलों का वर्णन	२८१	नियोजित पुरुष को १६ वा भाग भूति (फीस) देने एवं अन्यथा फीस ग्रहण करने वाले को दण्ड देने का निर्देश	"
दश अपराधों का वर्णन	२८२		
राजा द्वारा जेय २२ पदों का वर्णन	"		
दण्ड-योग्य वादी के लक्षणों का निर्देश	"		
आवेदन पत्र के लक्षण तथा सबके बोध-योग्य भाषा (ब्रह्मण) का निर्देश	२८३		
पूर्वपक्ष को बिना शुद्ध किये उत्तर दिलानेवाले अधिकारी को अधिकार-व्युत् करने का निर्देश	"		

राजा को अपनी बुद्धि से नियोगी करने का और नियोगी का लोभ से अन्वया करने पर दण्डयोग्य होने का एवं भ्राता आदि न होने पर कुछ कहने पर दण्ड योग्य होने का निर्देश	२८७	असंदिग्ध उत्तर के लक्षण	२९१
कचहरी में बुझाने योग्य स्त्रियों का निर्देश	२८८	सन्दिग्ध उत्तर के लक्षण	"
विवाद को लगाकर मर जाने पर पुत्र को विवाद करने का निर्देश	"	दण्डयोग्य प्रतिवादी के लक्षण	"
अपने बन्धु-बल के घमण्ड में आकर स्वयं न आने पर दण्ड देने का निर्देश	"	४ प्रकार के उत्तर	२९२
प्रतिभू (जमानतदार) के कृत्यों का निर्देश	"	सत्योत्तर के लक्षण	"
विवाद के साधनों की जाच कर लेने का निर्देश	२८९	मिथ्योत्तर के लक्षण	"
पक्ष के लक्षण	"	मिथ्योत्तर के ४ प्रकार	"
भाषा (अर्जोदावा) के दोषों का निर्देश	"	प्रत्यवस्कन्दन के लक्षण	"
पक्षाभास को छोड़ देने का निर्देश	२९०	प्राङ्गनाय के लक्षण	२९३
अप्रसिद्ध के लक्षण	"	प्राङ्गनाय के ३ प्रकार	"
निराबाध या निष्प्रयोजन के लक्षण	"	व्यवहार के ४ पाद	"
असाध्य या विरुद्ध के लक्षण	"	प्रथम निर्णय के योग्य न्याय वा विवाद का निर्देश	"
निरर्थक या निष्प्रयोजन के लक्षण	"	एक विवाद में दो वादियों की क्रिया नहीं होने का निर्देश	२९४
दण्डनीय वादी के लक्षण	२९१	साधन के भेद	"
उत्तर लेखन का निर्देश	"	तत्त्व तथा छानानुसार से भूत तथा भव्य दो प्रकार एवम् तत्त्व और छल के लक्षण	२९५
		प्रतिवादी को अपने-अपने साधन प्रत्यक्ष दिखाने का निर्देश	"
		जो दोष गुप्त हो उनको सभासद प्रकट करे, इसका निर्देश	"
		कूटसाक्षी और साक्ष्यलोपी को डूना दण्ड देने का निर्देश	२९६
		लिखित के दो प्रकारों का निर्देश	"
		लौकिक लिखित के ७ प्रकारों का निर्देश	"
		राजशासन के १ प्रकार	"
		साधनक्षम लेख्य के लक्षण	२९७
		साधनायोग्य लेख्य के लक्षण	२९८
		अच्छे लेख से फल का निर्देश	"

साक्षी के लक्षण और भेद का निर्देश	२९८	६० वर्ष से भोग में आती हुई वस्तु को किसी के द्वारा न छीने जा सकने का निर्देश	३०४
साक्षी की विशेष परीक्षा न करने के विषय	२९९	आधि आदिका केवल भोग से नष्ट न होने का निर्देश	३०५
बालादिकों को साक्षी योग्य न होने का निर्देश	"	उपेक्षादि कारण से स्वामी को उसके फल प्राप्त न होने का निर्देश	"
साक्षी लेने में राजा को कालक्षेप न करने का निर्देश	३००	अथ दिव्य कहने का निर्देश	"
प्रत्यक्ष साक्षी की साक्षी लेने का निर्देश	"	त्रिविध साधन के अभाव में तीन प्रकार की विधियों का निर्देश	"
दण्ड्य और नीच साक्षी के लक्षण	"	युक्ति के लक्षण	"
एक २ से साक्षी को कथन करने का निर्देश	"	कार्यसाधक हेतुओं के लक्षण	"
साक्षी लेने के प्रकारों का निर्देश	३०१	घन ग्रहण करने योग्य प्रतिवादी के लक्षण	३०६
लेख और साक्षी न मिलने पर भोग से ही विचार करने का निर्देश	३०२	जहाँ पर युक्ति भी असमर्थ हो, वहाँ पर एवं दुष्कर कर्म के लिये दिव्य करने का निर्देश	"
कुशलो और कुटिलो द्वारा बना-वटी लेख कर लेने का निर्देश	३०३	दिव्य को न मानने पर 'धर्म-तस्कर' होने का निर्देश	"
केवल साक्षियों से ही कार्यसिद्धि के न करने का निर्देश	"	दिव्य को स्वीकार करनेवाले के उत्तम फलों का निर्देश	"
केवल भोगों से ही कार्यसिद्धि न होने का निर्देश	"	दिव्य-निर्णय में पदार्थों का निर्देश	३०७
अनुचित शंका उपस्थित करनेवाले को दण्ड देने का निर्देश	"	अग्नि दिव्य के प्रकार का निर्देश	"
विपरीत शङ्का करने से अनवस्था होने का निर्देश	"	गर तथा धट दिव्य के प्रकार का निर्देश	"
प्रामाणिक भोग के लक्षण	"	जल दिव्य के प्रकार का निर्देश	"
केवल भोग बतानेवाले को चोर समझने का निर्देश	३०४	धर्मधर्म मूर्ति एवं तण्डुल दिव्यों के प्रकार का निर्देश	३०८
केवल आगम (लेख) के भी प्रबल न होने का निर्देश	"	शपथ दिव्य के प्रकार का निर्देश	"
		अपराध-भारतग्य से दिव्यतार-तम्य का निर्देश	"
		दिव्य के निषेध का निर्देश	३०९

धर के बिना दिव्य के अधिकारी का निर्देश	३०९	धिग्दण्ड और वाग्दण्ड इन दोनों को समासदों के अधीन होने का निर्देश	३१३
तप्त माप दिव्य के अधिकारी का निर्देश	"	दुबारा कार्य के आरम्भ करने में कारण का निर्देश	"
वादी के दिव्य को स्वीकार करने पर फिर साधन न पूछने का निर्देश	३१०	पौनर्भ्रव विधि के लक्षण	३१४
भाषापत्रिका होने पर दिव्य से शोधन करने का निर्देश	"	मन्त्री आदि को नियमविरुद्ध फैसला करने पर अर्थदण्ड देने का निर्देश	"
लौकिक साधन के अभाव में दिव्य देने का निर्देश	"	जयी के लक्षणों का निर्देश	"
साक्षी के भेदनको प्राप्त हो जाने पर शपथों से निर्णय करने का निर्देश	३११	जयी को जयपत्र देने का निर्देश	"
विवाहादिकों में साक्षी को ही निर्णय-साधन होने का निर्देश	"	प्रजा की अनुकूलता करनेवाले राजा के गुणों का निर्देश	३१५
द्वार और मार्ग करने इत्यादियों में भोगको ही प्रमाण मानने का निर्देश	"	जीवित रहते हुये माता-पिता के पुत्र को वृद्ध हो जाने पर भी स्वतन्त्र न होने का एवं उन दोनों में पिता की श्रेष्ठता का निर्देश	"
मानुषी और दैविकी क्रियाओं की व्यवस्था का निर्देश	"	पिता के अभाव में माता और माता के अभाव में भाई को श्रेष्ठ होने का निर्देश	"
६ प्रकार के निर्णय का निर्देश	३१२	पिता की सभी पत्नियोंमें मानवृद्ध व्यवहार करने का निर्देश	"
सब के अभाव में निश्चय करने में राजा के प्रमाण होने का निर्देश	"	स्वतन्त्रता-स्वतन्त्र का निर्णय	"
धर्मशास्त्र के अवरोधपूर्वक राजा को नीतिशास्त्र को विचारने का निर्देश	"	स्वामित्व का निर्णय	३१६
विवाद होने के कारणों का निर्देश	"	विभाग-विचार	३१७
अधर्म में प्रवृत्त हुये राजा को सभासद को उपेक्षा न करने का निर्देश	३१३	शंशहारियों के क्रमनिर्णय का निर्देश	"
		सौदायिक धन में स्त्री की स्वतन्त्रता का निर्देश	"
		सौदायिक धन के लक्षण	३१८
		अविभाज्य धन के लक्षण	"

जलादिकों से धन की रक्षा करने- वाले को दशवां भाग प्राप्त करने का निर्देश	३१८	स्वर्णकार की भृति का विचार धानुओं में मिलावट करने पर दूना दण्ड देने का निर्देश	३२२ ३२३
शिल्पी के लक्षण	"	दुर्ग-प्रकरण के आरम्भ में ऐरिण दुर्ग के लक्षण	३२४
नर्तकादियों का धनविभागविषय- क निर्देश	३१९	पारिख तथा पारिघ दुर्ग के लक्षण	"
धोरो का धनविभागविषयक निर्देश	"	वनदुर्ग तथा धन्व दुर्ग के लक्षण	"
व्यापारी आदियों का धनविभाग- विषयक निर्देश	"	जलदुर्ग तथा गिरिदुर्ग के लक्षण	"
आपत्काल होने पर भी नवविध धनों को न देने का निर्देश	"	सैन्यदुर्ग तथा सहायदुर्ग के लक्षण	"
उत्तम साहस दण्ड के योग्य का निर्देश	३२०	ऐरिणादि दुर्ग का तारतम्य-निर्देश	"
अस्वामिक धन को धोरो से लेनेवालों को दण्ड देने का निर्देश	"	सहाय तथा सैन्य दुर्गों की सब दुर्गों की साधनता का निर्देश	३२५
त्यागयोग्य ऋतिवज और राज्य के लक्षण	"	आपत्काल में अन्य दुर्गों के आश्रय की उत्तमता का निर्देश	"
राजा को ३२ वां या १६ वां लाभ पण्य में नियत करने का निर्देश	"	अत्यन्त श्रेष्ठ दुर्ग के लक्षण	"
व्यापारी के धन की व्यवस्था का निर्देश	"	युद्ध-सहायक सामग्रियों से परिपूर्ण दुर्ग से निश्चित विजय होने का निर्देश	३२६
मूल से दूना व्याज ले चुकने पर उत्तमर्ण को मूल ही दिल- वाने का निर्देश	३२१	सेना-निरूपण प्रकरण के आरम्भ में सेना के लक्षण	३२७
लिखित नष्ट हो जाने पर साक्षी के आवार पर उत्त- मर्ण को धन दिलाने का निर्देश	"	सेना के भेदों का वर्णन	"
सोटी वस्तु बेचनेवाले को दण्ड देने का निर्देश	"	स्वगमा और अन्यगमा सेना के लक्षण	"
शिल्पियों की भृति का विचार	३२२	सैन्य के प्रभाव का निर्देश	"
		६ प्रकार के बलों का निर्देश	३२८
		२ प्रकार के सेनाबलों का निर्देश	"
		मैत्र, स्वीय, मील तथा साद्यस्क सेनाओं के लक्षण	"
		सार-असार तथा शिथिल-अशि- थिल सेनाओं के लक्षण	३२९
		गुल्लीभूत, अगुल्मक, दत्तास्त्रादि तथा स्वशस्त्रास्त्र सेनाओं के लक्षण	"

दृढगुल्म, स्वयंगुल्म, दत्तवाहन और आरभ्यक सेनाओं के लक्षण	३२९	घोड़ा और घोड़ी के शरीर में दक्षिण तथा वाम तरफ भौरी के शुभ फल	३३८
शत्रुबल के तथा दुर्बल सेना के लक्षण	"	बन्धथा होने पर फलामात्र का निर्देश	"
सेना के शारीरिक बल बढ़ाने के उपाय	"	भौरियों के नीचे-ऊँचे होने में फलभेद	"
शौर्यबल बढ़ाने के उपाय	३३०	शुभ भौरी के लक्षण	"
सेनाबल, आखिकबल व बुद्धिबल बढ़ाने के उपाय	"	भौरी के स्थानानुसार घोड़े की उत्तमता	३३९
आयुर्वल के लक्षण	"	भौरी के स्थानानुसार घोड़े की मध्यमता	"
सेना में पदाति आदिगो की सहायता का नियम	"	'पूर्णहर्ष' अश्व के लक्षण तथा फल	"
प्रतिमान में व्यय करने का प्रमाण	३३१	'सूर्यसंज्ञक' अश्व के लक्षण तथा फल	"
राजा के रथ का वर्णन	"	अश्व-बुद्धिकर 'त्रिकूट' अश्व के लक्षण	"
अनिष्ट तथा शुभप्रद गज का लक्षण	३३२	अन्य भौरियों से युक्त अश्वों के लक्षण	"
हाथी के ४ प्रकार	"	यशोवर्द्धक तथा 'सर्व' संज्ञक अश्व के लक्षण	३४०
भद्रगज के लक्षण	"	शिव-संज्ञक तथा क्रूर-संज्ञक के लक्षण	"
मन्द्रगज के लक्षण	"	इन्द्र-संज्ञक अश्व के लक्षण तथा फल	"
मृगगज के लक्षण	"	विजय-संज्ञक अश्व के लक्षण तथा फल	"
मिश्रगज के लक्षण	३३३	पद्म-संज्ञक अश्व के लक्षण तथा फल	"
गजमान में अंगुलादिकों का प्रमाण	"	भूपाल-संज्ञक अश्व के लक्षण तथा फल	"
भद्रगज के शरीर का मान	"	चिन्तामणि-संज्ञक अश्व के लक्षण तथा फल	"
मन्द्र तथा मृग गज का मान	"		
उत्तमोत्तम अश्व के लक्षण	"		
उत्तम तथा मध्यम अश्व के लक्षण	"		
नीच अश्व के लक्षण तथा अश्व के अवयवों की मान-कल्पना	३३४		
अश्व की ऊँचाई और लम्बाई का प्रमाण	"		
उत्तम अश्व के अन्य लक्षण	३३८		
अश्व के भौरी के दो भेद	"		

शुक्ल-संज्ञक अश्व के लक्षण तथा फल	३४१	अश्वो के कृशत्वादि दोष उत्पन्न होने के कारण	३४५
अनिष्टकारक अश्वो के लक्षण	"	घोड़े की अच्छी तथा बुरी चाल	
धूमकेतु-संज्ञक भौरी के लक्षण व फल	"	होनेमें शिक्षक की कारगता का निर्देश	"
कृतान्त-संज्ञक भौरी के लक्षण व फल	"	घोड़ों के सुगिदक के लक्षण	"
घोड़े के पूंछ के शुभाशुभ फल	"	अश्व-सुशिक्षक के कृत्यो का निर्देश	३४६
भौरियो के अनुभ्रमद स्थानो का निर्देश	३४२	अन्यथा ताडन करने से अनिष्ट	"
आवर्त्त भौरियोके शुभप्रद स्थानो का निर्देश	"	उत्तम और हीन घोड़े की गति का प्रमाण	"
सूर्य-चन्द्रसंज्ञक भौरी के स्थाना-नुसार शुभाशुभ फल का निर्देश	"	उत्तमादि मण्डलो के प्रमाणो का निर्देश	३४७
शुभाशुभ फलप्रद भौरी के स्थानो का निर्देश	"	ऋतु के भेद से अश्वशिक्षा के समय में भेद का निर्देश	"
एकभृङ्गी तथा एकरश्मि-संज्ञक भौरी के लक्षण व फल	३४३	वर्षाऋतु में और विषम भूमि में घोड़े को चलाने का निषेध	"
कीलीत्पाटी व मध्यम आवर्त्तो के लक्षण व फल	"	उत्तमगति से अश्व के फल का निर्देश	"
पञ्चकल्याण व अष्टमङ्गल अश्व के लक्षण व फल	"	पके हुए अश्व को धीरे-धीरे चलाने का एव उनके भक्षणार्थ हितकारक पदार्थ देने का निर्देश	"
श्यामकर्ण अश्व के लक्षण	"	मोच खाये अग पर घोड़े को चाबुक न मारने का निर्देश	३४८
जयमङ्गल अश्व के लक्षण	३४४	मार्ग से चलकर आये हुए घोड़े को गुड तथा लवण देने का निर्देश	"
निम्बित अश्व के लक्षण	"	पसीना शान्त होने पर लगाम उतारने का निर्देश	"
अश्वो की श्रेष्ठ गति के लक्षण	"	घोड़ो के अङ्गो को मलकर फेरने का निर्देश	"
निम्बित 'दलभंजी' अश्व के लक्षण	"	घोड़ो को मद्य व मासरस देने का फल	"
स्निग्ध वर्ण होने से सर्व वर्णगत दोष-नाशकता का निर्देश	३४५		
आवर्त्तादिदोष में दूषित होने पर भी पूजनीय अश्व के लक्षण	"		

पारा आदि खिलाने के बाद तत्काल घोड़े की सवारी के दोष	३४८	मनुष्य और-पशुओं का वाहन द्वारा बश में करने का एवं सैनिकों को धन-दण्ड से दक्षिण न करने का निर्देश	३४३
घोड़ों के लिये उत्तम, मध्यम तथा नीच भोजनों का निर्देश	३४९	बैल आदिकों के निवास का सुरक्षित स्थल	"
घोड़ों की ६ प्रकार की गति का नाम-निर्देश	"	राज्य में सौ-सौ योजना पर सेना रखने का निर्देश	३४४
पारा गति के लक्षण	"	बोझ ले धलनेवालों का तारतम्य	"
आस्कन्धित गति के लक्षण	"	राजा को छोटे भी धनु पर बल्य साधन से गमन करने का निर्देश	"
रेचित गति के लक्षण	"	युद्ध से मित्र कार्यों में अयोग्य सैनिकों की नियुक्ति का निर्देश	"
प्लुत तथा धीरीतक गति के लक्षण	"	संग्राम में अधिक सेना की आवश्यकता का निर्देश	"
द्वल्लित गति के लक्षण	"	मन्द सेना का माहात्म्य	३४५
बैल के मुखआदि का प्रमाण	३५०	शूल सेना की प्रशंसा	"
पूज्य सप्तताल बैल के लक्षण	"	सेना में अवश्य भेद होने के कारण सेना का भेद होने से अनिष्ट फल	"
श्रेष्ठ बैल के लक्षण	"	राजा को धनु-सेना में भेद अवश्य डालने का निर्देश	"
श्रेष्ठ ऊंट के लक्षण	"	धनुओं को साधने का प्रकार	३४६
मनुष्य और हाथियों की आयु तथा वात्प्यादि अवस्था का प्रमाण	"	धनुओं को जीतने का भेद से अन्य उपाय न होने का निर्देश	"
घोड़ा, बैल तथा ऊंट की आयु तथा अवस्थाओं का प्रमाण	३५१	धनु को स्वामी हुई सेना को अपनी सेना में रखने का प्रकार-निर्देश	"
दांतों के द्वारा बैल व घोड़ों की अवस्था-ज्ञान का निर्देश	"	मित्र की सेना को अपनी सेना में रखने का प्रकार-निर्देश	"
दांतों द्वारा घोड़ों के प्रयत्नादि वर्ण का ज्ञान	"	अस्त्र और शस्त्र के लक्षण और भेद	"
निम्नित घोड़ों के लक्षण	३५२		
दांतों द्वारा बैल व ऊंट के आयु की परीक्षा	"		
अंकुश के लक्षण	३५३		
घोड़ों की लगाम का वर्णन	"		
बैल व ऊंट को बश में करने का उपाय तथा उनके मल-शोषनाथं दंताली का वर्णन	"		

मान्त्रिक अस्त्र के अभाव में		यान तथा आसन के लक्षण	३६३
नालिक अस्त्र का प्रयोग		आश्रय व द्वैधीभाव के लक्षण	३६४
करने का निर्देश	३५७	सन्धि करने योग्य पुरुषों का निर्देश	„
नालिक के २ प्रकारों का निर्देश	„	उपहार रूप सन्धि की सर्वश्रेष्ठता	„
लघुनालिका (बन्दूक) के लक्षण	„	का निर्देश	„
बृहन्नालिक (तोप) के लक्षण	३५८	शत्रु के बलानुसार उपहार की	„
अग्निचूर्ण (बारूद) बनाने का		कलना के भेद	„
प्रकार	„	पारसर्ववर्ती अनायें राजा से भी	„
गोला बनाने का प्रकार	„	सन्धि करने का निर्देश	„
नालिक की व्यवस्था का निर्देश	३५९	सन्धि के अवसरों का तथा उनसे	„
बारूद बनाने के दूसरे अनेक		लाभ का निर्देश	३६५
प्रकारों का निर्देश	„	विग्रह करने योग्य पुरुष के लक्षण	„
तोप के गोले को लक्ष्य पर फेंकने		विग्रह होने के कारणों का तथा	„
की रीति	„	विग्रह और कलह के भेद	„
बाण का लक्षण	„	का निर्देश	३६६
गदा व पट्टिश के लक्षण	३६०	बलवान शत्रु के साथ विग्रह	„
खड्ग-प्रासि और कुन्त (भाला)		करने का निषेध	„
के लक्षण	„	निरुपाय दशा में विग्रह करने का	„
चक्र और पाश के लक्षण	„	निर्देश	„
कवच और टोप के लक्षण	„	यान के पांच भेद	„
करज के लक्षण	„	विगृह्यायान के दो प्रकार के लक्षण	३६७
युद्ध की इच्छा करने योग्य राजा		सन्धाययान के लक्षण	„
का लक्षण	३६१	सभूययान के लक्षण	„
युद्ध का सामान्य लक्षण	„	प्रसङ्गायान के लक्षण	„
युद्ध के भेद और लक्षण	„	उपेक्षायान के लक्षण	„
युद्ध के लिये काल-विचार	„	रास्तों में सेना को चलाने की	„
युद्ध के लिये उत्तम देश का लक्षण	३६२	व्यवस्था	३६८
मध्यम युद्ध-देश के लक्षण	„	नदी-पर्वतादि में भय की संभा-	„
अधम युद्ध-देश के लक्षण	„	वना होने पर व्यूह बाँध	„
युद्ध के लिये सेना का विचार	३६३	कर चलने का निर्देश	„
मन्त्र के षड्गुणों के नामों का		मकर, श्येन व सूचीमुख व्यूहों	„
निर्देश	„	का नाम व योजना-स्थल	„
सन्धि के लक्षण	„	का निर्देश	„
विग्रह के लक्षण	„		

शकट, वज्र, सर्वतोभद्र, चक्रव्यूह,		उपाय करने से कार्य सिद्ध होने	
व्यालव्यूहो का नाम-निर्देश	३६८	का निर्देश	३७३
बाजा बजाने के ढङ्ग से संकेतों		उद्योग की अवश्य-कर्तव्यता का	
के जानने का निर्देश	"	निर्देश	"
सैनिकों को संकेतज्ञान कराने का		भेद और समाश्रय की श्रेष्ठता का	
निर्देश	३६९	निर्देश	"
संकेतों के अनुसार सैनिकों को		लाचारी होने पर युद्ध करने का	
कार्य करने का निर्देश	"	निर्देश	३७४
संकेतानुसार स्थिति रखने का		स्त्री, गौ, ब्राह्मण के रक्षार्थ युद्ध न	
निर्देश	"	करने से हानि	"
संकेतानुसार बाणादि चलाने		किसी के ललकारने पर क्षत्रिय	
आदि का निर्देश	"	को अवश्य युद्ध करने का	
संकेतानुसार गमनादि करने का		निर्देश	"
निर्देश	३७०	आपत्काल में ब्राह्मण का क्षत्रिय	
सदा व्यूहबद्ध होकर अस्त्रादि		धर्म करने का निर्देश	३७५
चलाने का निर्देश	"	शय्या पर पड़े २ क्षत्रिय को	
अस्त्र-प्रयोगादि के समय सैनिकों		मरने का निषेध	"
की स्थिति का निर्देश	"	रण छोड़ कर घर में क्षत्रिय को	
क्रौञ्चव्यूह के लक्षण	"	मरने का निषेध	"
द्वयेनव्यूह के लक्षण	"	युद्ध में शत्रु को न मार सकने	
मकरव्यूह के लक्षण	"	पर बन्धुओं के साथ युद्ध में	
सूचीमुख तथा चक्रव्यूह के लक्षण	३७१	लड़ते २ मर सकने से	
सर्वतोभद्र व्यूह के लक्षण	"	क्षत्रियों की परम कर्तव्यता	
शकट व व्यालव्यूह के लक्षण	"	का निर्देश	"
सैन्य की न्यूनता व अधिकता-		युद्ध में पीछे पैर न हटाने तथा	
नुसार एवं युद्धभूमि के		लड़कर मर जाने की प्रशंसा	"
अनुसार १ या २ व्यूहरचना		लाचारी होने पर युद्ध करने का	
का निर्देश	"	निर्देश	"
आसन के लक्षण व उस समय		स्त्री, गौ, ब्राह्मण के रक्षार्थ युद्ध	
के कर्तव्य	"	न करने से हानि	"
सन्धाय आसन के लक्षण	३७२	स्वामी के निमित्त करने का फल	३७६
शाश्रय के लक्षण	"	युद्ध में धीरगति पाए हुए के	
दुधीभाव के लक्षण	"	लिये शोक करने का निषेध	"

युद्ध में शूरतापूर्वक मरने का फल ३७६	दरणागत को लौटा देने में घोर
युद्ध में वीरगति पाने पर	नरक-प्राप्ति का निर्देश ३७९
मुनिदुर्लभ लोक की	दुराचारी क्षत्रिय को मार
सुगमता से प्राप्ति का	डालने का निर्देश "
निर्देश	उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तथा
शूरता की प्रशंसा व सर्वोत्तमता	अधम युद्ध के लक्षण "
का निर्देश	सर्वोत्तम युद्ध के लक्षण ३८०
प्राणियों के अन्न का विचार	नालिकाछ युद्ध का लक्षण "
सूर्यमण्डल भेदन करनेवाले दो	शस्त्रयुद्ध का लक्षण "
पुरुषों का निर्देश ३७७	बाहुयुद्ध का लक्षण "
आततायी ब्राह्मण व गुरु को	बाहुयुद्ध के ८ प्रकारों का निर्देश "
मारने का निर्देश	बाहुयुद्ध के ८ प्रकारों को मिश्रो
शत्रु द्वारा संकट आ पड़ने पर	के लिये प्रयोग का नियेध ३८१
आचार्य धर्मशास्त्रियों द्वारा	युद्ध के समय सेना की रचना "
उपाय पूछने की निरर्थकता	युद्ध होने का क्रम "
का निर्देश	सेना के उपद्रुत होने पर लड़ने
"	का निर्देश ३८२
जिससे शत्रु मारा जा सके ऐसी	सेना में फूट डालने में पाप का
नीति पर चलने का निर्देश ३७८	निर्देश "
आततायी ब्राह्मण को शूद्रवत्	फूट जानेवाली सेना के दु खदा-
जानकर मारने में दोषा-	यिनी होने का निर्देश "
भाव का निर्देश	सामादि का ध्यान रखते हुये
"	युद्ध करने का निर्देश "
आततायी शालक को भी मारने	शत्रु पर चढ़ाई करते समय
में दोषाभाव का निर्देश	सेना को तनखाह बढ़ाने
"	का निर्देश
युद्ध में क्षत्रिय की भाँति लड़ते	युद्ध में मालास्त्र (बन्दूक-तोप)
हुये ब्राह्मण को मारने में	आदियों की योजना ३८३
दोषाभाव का निर्देश	युद्ध में प्रहार करने के अयोग्य
"	सैनिकों के लक्षण "
जीवन-रक्षार्थ युद्ध से भाग जाने	बुद्ध-वालकादि राजा को मारने
पर दोष का निर्देश ३७९	का नियेध ३८४
मित्र तथा स्वामी को छोड़ कर	बलवान शत्रु के नाशार्थ कूटयुद्ध
युद्धक्षेत्र से भाग जाने पर	की महत्ता "
दोष का निर्देश	
"	
मित्र की सहायता न करने से	
दोषभागी होने का निर्देश	
"	

शत्रु के छिद्र को भली प्रकार देखने का निर्देश	३८४	प्रातः सायं सैनिकों की गणना करने का निर्देश	३८९
कार्य को नष्ट न करने का निर्देश	"	शत्रुओं के प्राप्ति-पत्र को ग्रहण कर वेतन-पत्र देने का निर्देश	"
सेनापति के नित्य-कृत्यों का निर्देश	३८५	शिक्षित सैनिकों को पूर्ण वेतन देने का निर्देश	"
भारी कार्य करनेवाले को पारितोषिक देने का निर्देश	"	शत्रु से मिलकर सेना को नष्ट करने का निर्देश	"
शत्रु को नष्ट करने का उपाय	"	मार डालने या त्याज्य नौकरो के लक्षण	"
शत्रु की सेना में भेद करने का प्रकार	"	अन्तःपुरादिक में रखने योग्य भृत्य के लक्षण	३९०
विपत्ति में पड़ी हुई शत्रु की मित्र-सेना की रक्षा करने का निर्देश	"	अच्छी वेतन देकर पालने योग्य शत्रुओं के लक्षण	"
राज्य के समीपवर्ती राज्य की रक्षा करने का निर्देश	३८६	शत्रु के शत्रुओं के वेतन का विचार	"
शत्रु को जीतने पर शत्रु की प्रजा को प्रसन्न रखने का निर्देश	"	राज्य-च्युत क्रिये राजा के पुत्रादि की व्यवस्था का निर्देश	"
विजित राज्य के मन्त्रिमण्डल को बदलने का निर्देश	"	शत्रु-संचित धन की व्यवस्था का निर्देश	३९१
मन्त्री आदियों के कृत्यों का निर्देश	३८७	सदाचारी शत्रु का पालन और असदाचारी को कष्ट पहुँचाने का निर्देश	"
ग्राम से बाहर समीप में सैनिकों के टिकाने का तथा उनके निषिद्ध कार्यों का निर्देश	"	पहरेदारों की व्यवस्था	"
१००० सैनिकों को शिक्षा देने के नियमों का निर्देश	"	राजा के पूज्य होने के कारणों का निर्देश	३९२
सैनिकों के लिये त्याज्य कर्म	३८८	चिरस्थायी राजा के लक्षण	"
सैनिकों के लिये कर्तव्य कर्म	"	शीघ्र ही पदभ्रष्ट होनेवाले राजा के लक्षण	३९३
आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने पर दण्ड देने का निर्देश	"	नीतिभ्रष्ट राजा को भी अन्य राजा का उद्धार करने में समर्थ होने का निर्देश	"
सैनिकों के साथ प्रतिदिन व्यूहों का अभ्यास करने का निर्देश	"	तेजोहीन राजा से बलवान् राजा के साधारण शत्रु का भी तेजस्वी होने का निर्देश	"

राजा से बढ़कर बहुमत को		शत्रु का राज्य हरण करने का	
महत्ता का निर्देश	३९४	उपाय	३९७
हीन-राज्य राजा के आचरणों		राजा के बिना सेनापति आदि	
का निर्देश	"	को भी शक्तिहीन होने का	
राजा के दरिद्र हो जाने के		निर्देश	"
कारणों का निर्देश	"	राज्य को वृक्ष की समता का	
घामिक नीच राजा को भी श्रेष्ठ		निर्देश	३९८
होने का निर्देश	"	राजा को अवश्य पाठन करने	
घर्म तथा अधर्म की प्रवृत्ति से		योग्य नियमों का निर्देश	"
राजा की ही कारणता का		पुत्र को राज्य देने के समय	
निर्देश	"	का निर्देश	३९९
मनु आदि के मतानुसारी शुक		राज्य पाने पर राजपुत्र के	
की नीति होने का तथा		आचरणों का निर्देश	"
ग्रन्थ-संख्या का निर्देश	३९५	मन्त्रियों का राजपुत्र के साथ	
शुक्रनीति-सार-चिन्तन का फल	"	करने योग्य व्यवहार का	
शुक्रनीति के समान दूसरी नीति		निर्देश	"
न होने का निर्देश	"	नवीन राजा के साथ मन्त्रियों	
नीति-शेष कहने का निर्देश	३९६	को भी अनौचित्यपूर्ण व्यव-	
शत्रु के छिद्रों को ढूँढने रहने का		हार करने का निषेध	"
निर्देश	"	नवीन राजा को राजमत्त मन्त्री	
शत्रु राजा को हीन-बल बनाने		आदि के मतानुसार न	
के लिये यत्न करने का		रहने का दुष्परिणाम	"
निर्देश	"	नवीन मन्त्री आदि की नियुक्ति	
मौका देख कर शत्रु को नष्ट		की व्यवस्था	४००
करने का निर्देश	"	धूर्त तथा साधु जन के अन्तर	
गुद में नियुक्त करने योग्य का		ज्ञात करने का निर्देश	"
निर्देश	"	धूर्त, जार (व्यभिचारी) और	
दान मान से रहित भी भूय		चोर में धूर्त की भाषा	
को अपने राजा को न		करने में श्रेष्ठता का निर्देश	"
छोड़ने का निर्देश	३९७	धूर्तों की धूर्तता वर्णन	"
राजा के द्रव्य को मेघ-जल के		बिना धूर्तता के अत्यन्त धन न	
समान पुष्टिप्रद होने का		मिलने का निर्देश	४०१
निर्देश	"	राजा लोगों को दूसरे का धन	
		हरण करने को स्वधर्म	
		समझने का निर्देश	"

आश्रयभेद से सभी पापों का धर्म रूप में स्थित होने का निर्देश	४०१	प्रशंसायोग्य भृत्य और स्वामी का वर्णन	४०५
बहुतों द्वारा प्रशंसित धर्म और निन्दित अधर्म मानने का निर्देश	"	योग्य स्वामी तथा भृत्य का उदाहरण	"
अर्थात् दानादि करने की नियुक्तता का निर्देश	४०२	एकचित्तता के भाव का वर्णन	"
धर्मानुसार अर्पार्जन करने वाले की पूज्यता का निर्देश	"	श्रीकृष्ण की कूटनीति का वर्णन	४०६
अर्थ के लिये अवश्य यत्न करने का निर्देश	"	हित सिद्ध करने में मध्यस्थ पुरुष के व्यवहार का निर्देश	"
शौर्मादिकों का शस्त्रास्त्रादि के बिना दुस्वदायी होने का निर्देश	"	अपनी रक्षा की युक्ति का विचार न करनेवाले की निन्दा का निर्देश	"
अविभक्त और विभक्त ज्ञातिवर्ग तथा मित्र के साथ व्यवहार के प्रकार का निर्देश	४०३	कार्यसिद्धयर्थं दो प्रकार की युक्तियों का निर्देश	"
अपने सम्बन्धी स्त्री-पुत्रादि को सन्तुष्ट रखते हुये धनोपभोग करने का निर्देश	"	छल का वर्णन	४०७
स्वकार्य-सिद्धयर्थं भृत्य को सर्वथा संचय रखने का निर्देश	"	तीन प्रकार के भृत्यों का निर्देश	"
ब्राह्मणादि द्वारा यज्ञादि करने में धन का व्यय करने से ही सुखी होने का निर्देश	"	उत्तमादि भृत्यों के लक्षण	४०८
दण्ड, मान, कार्पण्य, भय तथा उद्वेग के लक्षण	४०४	प्रकारान्तर से उत्तमादि भृत्यों के लक्षण	"
महान वैर तथा मित्रता के कारणों का निर्देश	"	उपदेश के बिना सबका ज्ञान न होने का तथा धाल्य ध सुवा अवस्था में प्रारम्भ किये हुये कार्य की समाप्ति का निर्देश	"
आपत्ति पहचानने पर राजा के कर्तव्य का निर्देश	"	आरम्भ किये हुये की समाप्ति होने में वृद्धावस्था की अयोग्यता का निर्देश	"
आपत्ति में बिना वेतन के भी स्वामि-कार्य करने की कालमर्यादा का निर्देश	"	बहुत कार्यों का एक साथ आरम्भ करने का निषेध	"
		समाप्त होने योग्य कार्य का प्रारम्भ करने का निर्देश	४०९
		प्रयोजन की सिद्धि होने की संभावना में कलह करने का निर्देश	"

कार्य में प्रवृत्ति तथा छिद्र (दोष) के कारणों का निर्देश	४०९	सैनिकों के शौर्यवर्धक उपायों को करने का निर्देश	४११
निर्दोष तथा अभिमत ही कार्य करने का निर्देश	"	युद्धकार्य से अन्य में सैनिकों की नियुक्ति का निषेध	"
दशग्रामाधिपादिकों का विचरण करने के प्रकारों का निर्देश	"	व्यवहार में विपन्न होने पर धनिक या किसान की	"
श्रेष्ठ तथा हीन पुरुष के सम्मान में न्यूनाधिक्य का निषेध	४१०	रक्षा करने का निर्देश	"
उत्तमादि गृह-भूमि के प्रमाणों का निर्देश	"	धनी सैनिक का वेतन व भत्ता के विषय में विचार	"
अधिकारी पुरुषों को ग्राम के बाहर रहने एवं सैनिकों को बिना राजकार्य के ग्राम- प्रवेश के निषेध का निर्देश	४११	सैनिकों के धन की आत्मवत् रक्षा करने का एवं जाल- साज धनिकों का धन हरण करने का निर्देश	४१२
सैनिकों ग्रामवासियों को पीडा न पहुँचाने एवं ग्रामवासियों को सैनिक के साथ व्यव- हार न करने का निर्देश	"	मूल से चौगुना सूद ले चुकने पर धनी को कुछ न देने का निर्देश	"
		टीकाकार-परिचय	"
		श्लोकानुक्रमणिका	४१३



॥ श्रीः ॥

शुक्रनीतिः

‘विद्योतिनो’ हिन्दीव्याख्योपेता

प्रथमोऽध्यायः

प्रणम्य जगदाधारं सर्गस्थित्यन्तकारणम् ।

संपूज्य भार्गवः पृष्टो वन्दितः पूजितः स्तुतः ॥ १ ॥

पूर्वदेवैर्यथान्यायं नीतिसारमुवाच तान् ।

शतलक्षरलोकमितं नीतिशास्त्रमथोक्तवान् ॥ २ ॥

यदीया मती राजनीतौ विशिष्टा यमाराध्य लोके भवन्तीह शिष्टाः ।

तमानम्य नीतौ भृगो राष्ट्रभाषाऽनुवादं विद्वन्मस्तदीयाद्भिन्नदासाः ॥

मङ्गलाचरण तथा ग्रन्थनाम—जगत् की उत्पत्ति, पालन तथा नाश के कारण जगत् के आधार स्वरूप परमात्मा को प्रणाम तथा पूजन कर भृगुपुत्र शुक्राचार्य ने असुरों के द्वारा पूजा, स्तुति तथा वन्दना करने के बाद पूछे जाने पर उनसे न्यायानुसार नीतियों में श्रेष्ठ उस नीतिशास्त्र का वर्णन किया जो एक करोड़ श्लोकों का था, और जिसे भगवान् ब्रह्मा ने लोकहितार्थ संग्रह कर शुक्राचार्य से कहा था ॥

स्वयंभूर्भगवाँल्लोकहितार्थ संग्रहेण वै ।

तत्सारं तु वसिष्ठाद्यैरस्माभिर्वृद्धिहेतवे ॥ ३ ॥

अर्पण्युर्भूद्दाद्यर्थं संक्षिप्तं तर्कविस्वृतम् ।

नीतिशास्त्र का उपक्रम—उसके बाद वसिष्ठादिक हम सब ऋषियों ने मनुष्यों की वृद्धि-कामना से उसके सारांश का संग्रह किया जो संक्षिप्त होते हुये भी तर्क से परिपूर्ण है और आधुनिक अल्पजीवी राजा आदि के लिये पढ़ने योग्य है ॥

क्रियैकदेशबोधीनि शास्त्राण्यन्यानि संति हि ॥ ४ ॥

सर्वोपजीवकं लोकस्थितिकृत्रीतिशास्त्रकम् ।

धर्मार्थकाममूलं हि स्मृतं मोक्षप्रदं यतः ॥ ५ ॥

नीतिशास्त्र-प्रशंसा—नीतिशास्त्र से अन्य जितने शास्त्र हैं वे सब व्यवहार के एक अंश को बताने वाले हैं किन्तु सभी लोगों का उपकारक, समाज की स्थिति को सुरक्षित रखने वाला नीतिशास्त्र ही है क्योंकि यह धर्म, अर्थ तथा काम का प्रधान कारण और मोक्ष को देनेवाला कहा हुआ है ॥

अतः सदानीतिशास्त्रमभ्यसेद्यत्नतो नृपः ।

यद्विज्ञानान्नुपायाश्च शत्रुजिह्मोकरंजकाः ॥ ६ ॥

अतः राजा को यत्नपूर्वक नीतिशास्त्र का सदा अभ्यास करना चाहिये । जिसके ज्ञान से राजा आदि शत्रुओं को जीतनेवाले तथा प्रजा को प्रसन्न करने-वाले होते हैं ॥

सुनीतिकुशला नित्यं प्रभवति च भूमिपाः ।

और राजा लोग इसी शास्त्र से सुन्दर रीति से नीति में निपुण होते हैं ॥

शब्दार्थानां न किं ज्ञानं विना व्याकरणाद्भवेत् ॥ ७ ॥

क्या व्याकरण के बिना शब्द और अर्थ का ज्ञान नहीं होता है ? अर्थात् इनके बिना भी होता है ॥

प्राकृतानां पदार्थानां न्यायतर्कविना न किम् ।

विधिक्रियाव्यवस्थानां न किं मीमांसया विना ॥ ८ ॥

प्रकृति निर्मित द्रव्यादि सात पदार्थों का ज्ञान बिना न्याय और तर्क के एवं विधि की क्रिया (कर्मकाण्ड) की व्यवस्थाओं का ज्ञान बिना मीमांसाशास्त्र के क्या नहीं होता है ? ॥

देहादीनां नश्वरत्वं वेदान्तैर्न विना हि किम् ।

स्वस्वाभिमतबोधीनि शास्त्राण्येतानि संति हि ॥ ९ ॥

देह पर्यन्त जगत् के सभी पदार्थों की नश्वरता (क्षणभङ्गुरता) का ज्ञान क्या बिना वेदान्तशास्त्र के नहीं होता है ? अतः उक्त ये सभी शास्त्र केवल अपने-अपने मतों को बताने के लिये बने हुये हैं ॥

तत्तन्मतानुगैः सर्वैर्विधृतानि जनैः सदा ।

बुद्धिकौशलमेतद्धि तैः किं स्याद् व्यवहारिणाम् ॥ १० ॥

और इनके केवल मतानुयायी लोग ही इन शास्त्रों का सदा अध्ययन करते हैं । उक्त इन सभी शास्त्रों में केवल बुद्धि का चतुराई मात्र है उनसे व्यवहार-क्षेत्र में कोई लाभ नहीं हो सकता है ॥

मर्षलोकव्यवहारस्थितिर्नीत्या विना नहि ।

यथाऽशनैर्विना देहस्थितिर्न स्याद्धि देहिनाम् ॥ ११ ॥

संपूर्ण लोक व्यवहार की स्थिति बिना नीति शास्त्र के उसी प्रकार नहीं हो

सकती, जिस प्रकार भोजन के बिना प्राणियों के देह की स्थिति नहीं रह सकती ॥

सर्वाभीष्टकरं नीतिशास्त्रं स्यात्सर्वसंमतम् ।

अत्यावरयं नृपस्यापि स सर्वेषां प्रमुच्यतः ॥ १२ ॥

राजा का नीतिशास्त्र-ज्ञान में प्रयोजन—“लोगों के संपूर्ण अभीष्ट को सिद्ध करने वाला यह नीतिशास्त्र है”—इसे सभी स्वीकार करते हैं। और यह राजाओं के लिये भी अवरय जानने योग्य है। क्योंकि राजा सभी लोगों का स्वामी है ॥

शत्रवो नीतिहीनानां यथाऽपध्याशिनां गदाः ।

सद्यः केचिच्च कालेन भवंति न भवंति च ॥ १३ ॥

जिस प्रकार कुपथ्य भोजन करने वालों को कोई रोग शीघ्र और कोई देर में उत्पन्न होते हैं, एवं पथ्य से रहनेवालों को रोग नहीं उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार नीति से रहित लोगों के कोई शत्रु, शीघ्र और कोई देर से उत्पन्न होते एवं नीति से युक्त रहनेवालों के शत्रु नहीं उत्पन्न होते हैं ॥

नृपस्य परमो धर्मः प्रजानां परिपालनम् ।

दुष्टनिग्रहणं नित्यं न नीत्याऽतो विना ह्युभे ॥ १४ ॥

‘नित्य प्रजाओं का पालन और दुष्टों का दमन करना’ ये दोनों राजाओं के लिये परम धर्म हैं, और ये दोनों बिना नीतिशास्त्र के नहीं हो सकते हैं ॥

अनीतिरेव सच्छिद्रं राज्ञो नित्यं भयावहम् ।

शत्रुसंबर्धनं प्रोक्तं बलहासकरं महत् ॥ १५ ॥

नीतिरहित होना ही राजा के लिये महान् द्विद (दोष) है, जो सदा भय देनेवाला, शत्रु की वृद्धि करनेवाला तथा अत्यन्त बल (सैन्य अथवा शक्ति) को क्षीण करनेवाला कहा हुआ है ॥

नीतिं त्यक्त्वा वर्त्तते यः स्वतंत्रः स हि दुःखभाक् ।

स्वतंत्रप्रभुसेवा तु ह्यसिधाराबलेहनम् ॥ १६ ॥

अतः जो राजा नीति का त्याग कर उच्छृङ्खल व्यवहार करता है वह दुःख भोगता है। और उच्छृङ्खल राजा की सेवा करना तलवार की धार-चाटने के समान हानिकारक है ॥

स्वाराध्यो नीतिमान् राजा दुराराध्यस्त्वनीतिमान् ।

यत्र नीतिबले चोभे तत्र श्रीस्सर्वतोमुखी ॥ १७ ॥

नीति से युक्त राजा की सुखपूर्वक और अनीति से युक्त की दुःखपूर्वक आराधना की जा सकती है। जिस राजा के पास नीति तथा बल ये दोनों हैं उसके पास चारों तरफ से लक्ष्मी आती है ॥

अप्रेरितहितकरं सर्वराष्ट्रं भवेद्यथा ।

तथा नीतिस्तु संघार्या नृपेणात्महिताय वै ॥ १८ ॥

जिस नीति से बिना राजा की प्रेरणा से ही स्वयं हितकरनेवाला संपूर्ण राष्ट्र (प्रजामण्डल) हो, उसी नीति को अपने हित के लिये राजा को अपनाना उचित है ॥

भिन्नं राष्ट्रं बलं भिन्नं भिन्नोऽमात्यादिको गणः ।

अकौरशत्यं नृपस्यैतदनीतेर्यस्य सर्वदा ॥ १९ ॥

'जिस राजा की अनीति से सदा उसके राष्ट्र (देश), सेना और मन्त्री आदि गण में परस्पर भेद होता है', यह उसकी मूर्खता का द्योतक है ॥

तपसा तेज आदत्ते शास्ता पाता च रंजकः ।

नृपः स्वप्राक्तनाद्धत्ते तपसा च महीभिमाम् ॥ २० ॥

राजा तप से तेज धारण करता है और शास्त्र का जाननेवाला, प्रजा की रक्षा तथा मनोरंजन करनेवाला होता है । एवं अपने पूर्वजन्माजित तप से ही वह इस पृथ्वी का पालन करता है ॥

दृष्टिशीतोष्णनक्षत्रगतिरूपस्यभावतः ।

इष्टानिष्टाधिकं न्यूनाचारैः कालस्तु भिद्यते ॥ २१ ॥

यद्यपि काल एक ही है तथापि वर्षा, शीत, उष्ण, नक्षत्रों की गति रूप स्वभाव से एवं इष्ट, अनिष्ट, अधिक, न्यून आचरण से उसके अनेक भेद होते हैं ॥

आचारप्रेरको राजा ह्येतत्कालस्य कारणम् ।

यदि कालः प्रमाणं हि कस्माद्धर्मोस्ति कर्तव्यु ॥ २२ ॥

राजा की काल-कारणता का निर्देश—आचरण की प्रेरणा करनेवाला राजा होता है अतः वह काल का भी कारण होता है और यदि काल ही आचरण में प्रमाण माना जाय तो उसके करनेवालों में धर्म कहां से हो, अर्थात् धर्माचरण में राजा ही मुख्य कारण है न कि काल ॥

राजदण्डभयाल्लोकः स्वस्वधर्मपरो भवेत् ।

यो हि स्वधर्मनिरतः स तेजस्वी भवेद्विद् ॥ २३ ॥

जगत् के लोग राजदण्ड के भय से अपने २ धर्म के पालन में तत्पर होते हैं । और जो अपने धर्म में निरत होता है वही इस संसार में तेजस्वी होता है ॥

विना स्वधर्मान्न सुखं स्वधर्मो हि परं तपः ।

तपः स्वधर्मरूपं यद्वाधितं येन वै सदा ॥ २४ ॥

देवास्तु किंकरास्तस्य किं पुनर्मनुजा सुवि ।

धर्म की प्रशंसा—स्वधर्म-पालन करने के बिना सुख नहीं होता है और अपने धर्म का पालन करना परम तप है। अतः जिसने स्वधर्म-पालन रूप तप को सदा बढ़ाया है, संसार में उसके देवता लोग भी किङ्कर हो जाते हैं फिर मनुष्यों के विषय में क्या कहना है ॥

सुदण्डैर्धर्मनिरताः प्रजाः कुर्यान्महाभयैः ॥ २५ ॥

नृपः स्वधर्मनिरतो भूत्वा तेजःक्षयोऽन्यथा ।

राजा अपने धर्म में रत होकर अत्यन्त भयदायक दण्डों के द्वारा प्रजाओं को अपने २ धर्म में रत रखे। यदि ऐसा नहीं करता है तो उसका तेज क्षीण हो जाता है ॥

अभिपिक्तोऽनभिपिक्तो नृपत्वं तु यदाप्नुयात् ॥ २६ ॥

बुद्ध्या बलेन शौर्येण ततो नीत्याऽनुपालयन् ।

प्रजाः सर्वाः प्रतिदिनमच्छिद्रे दंडधृक् सदा ॥ २७ ॥

जिसका अभिपेक हुआ है या नहीं हुआ है, ऐसा राजा जब राज-पदवी को धारण करे तब वह बुद्धि, बल, शूरता तथा नीति से प्रतिदिन सभी प्रजाओं का पालन करता हुआ स्वयं छिद्र (क्षोप) रहित होकर दण्ड को धारण करे ॥

नित्यं बुद्धिमतोऽप्यर्थः स्वल्पकोऽपि त्रिवर्धते ।

तिर्यञ्चोऽपि वशं याति शौर्यनीतिबलैर्धनैः ॥ २८ ॥

बुद्धिमान राजा का धोधा भी धन नित्य बुद्धि को प्राप्त होता है। और उसकी शूरता, नीति, बल तथा धन से तिर्यग्योनि के सर्पादि भी उसके वश में हो जाते हैं ॥

सात्त्विकं राजसं चैव तामसं त्रिविधं तपः ।

यादृक्त्वपति योऽत्यर्थं तादृग् भवति वै नृपः ॥ २९ ॥

सात्त्विकादि गुण भेद से राजा के तीन भेद—सात्त्विक, राजस तथा तामस भेद से तप तीन प्रकार का होता है। अतः जो राजा जिस प्रकार का तप करता है उसके अनुसार वह सात्त्विक, राजस अथवा तामस गुणवाला होता है ॥

यो हि स्वधर्मनिरतः प्रजानां परिपालकः ।

यष्टा च सर्वयज्ञानां नेता शत्रुगणस्य च ॥ ३० ॥

दानशीण्डः क्षमी शूरो निःस्पृहो विषयेष्वपि ।

विरक्तः सात्त्विकः स हि नृपोऽन्ते मोक्षमन्विष्यात् ॥ ३१ ॥

जो राजा अपने धर्म में निरत, प्रजाओं का पालक, सम्पूर्ण यज्ञों का करने वाला, शत्रुगणों को जीतनेवाला, दानवीर, क्षमावान, शूर, इन्द्रियों के

विषयी की तरफ मन नहीं लगानेवाला, वैराग्य-युक्त होता है वह 'सात्त्विक' कहलाता है । और ऐसा ही राजा अन्त में मोक्ष को प्राप्त करता है ॥

विपरीतस्तामसः स्यात् सोऽन्ते नरकभाजनः ।

निर्घृणश्च मदोन्मत्तो हिंसकः सत्यवर्जितः ॥ ३२ ॥

और उक्त इन गुणों से विपरीत गुणवाला जो राजा होता है वह 'तामस' कहलाता है और वह अन्त में नरक को प्राप्त करता है तथा दयारहित, मद से उन्मत्त, हिंसा करनेवाला, सत्य से रहित होता है ॥

राजसो दांभिको लोभी विषयी वंचकशठः ।

मनसाऽन्यश्च वचसा कर्मणा कलहप्रियः ॥ ३३ ॥

नीचप्रियः स्वतंत्रश्च नीतिहीनरङ्गलांतरः ।

स तिर्यक्त्वं स्थावरत्वं भविताऽन्ते नृषाधमः ॥ ३४ ॥

जो दांभिक, लोभी, विषयी, ठग, शठ, मन से अन्य बाहर से अन्य व्यवहार करनेवाला, वाणी और कर्म से कलहप्रिय, नीचों से प्रेम रखने वाला, स्वतन्त्र, नीति से हीन, भीतर झल रखनेवाला होता है ऐसा राजा 'राजस' कहलाता है । और वह मरने पर तिर्यग्योनि (सर्पादि योनि) अथवा स्थावर-योनि (वृक्षादि योनि) को प्राप्त करता है ॥

देवांशान् सात्त्विको भुंक्ते राक्षसांशांस्तु तामसः ।

राजसो मानवांशांस्तु सत्त्वे धार्य मनो यतः ॥ ३५ ॥

सात्त्विक राजा देवता के अंश को, तामस राजसों के अंश को तथा राजस मनुष्यों के अंश को भोगता है । अतः सत्त्व गुण में मन को लगाना चाहिये ॥

सत्त्वस्य तमसः साम्यान्मानुषं जन्म जायते ।

यद्यदाश्रयते मर्त्यस्तत्तुल्यो दिष्टतो भवेत् ॥ ३६ ॥

सत्त्व गुण तथा तमो गुण की समता से मनुष्य का जन्म मिलता है । और साग्यवश—जैसे गुणों का मनुष्य आश्रय लेता है उसी के अनुसार वह होता है ॥

कर्मैव कारणं चात्र सुगतिं दुर्गतिं प्रति ।

कर्मैव प्राक्तनमपि क्षणं किं कोऽस्ति चाक्रियः ॥ ३७ ॥

सुगति-दुर्गति भेद से प्राक्तन कर्म की कारणता—इस संसार में सुगति और दुर्गति के प्रति कर्म ही कारण होता है । वह भी प्राक्तन होता है । अर्थात् पूर्व कर्म ही प्रारम्भ कर्म कहलाता है । क्या कोई जीव बिना कर्म किये क्षण भर भी रह सकता है अर्थात् नहीं रह सकता है ॥

न जात्या ब्राह्मणश्चात्र क्षत्रियो वैश्य एव न ।

न शूद्रो न च वै म्लेच्छो भेदिता गुणकर्मभिः ॥ ३८ ॥

इस संसार में जन्म से कोई ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र या श्लेष्य नहीं होता है, वस्तुतः गुण तथा कर्म के भेद से ही होता है ॥

ब्राह्मणस्तु समुत्पन्नाः सर्वे ते किं नु ब्राह्मणाः ।

न वर्णतो न जनकाद् ब्राह्मतेजः प्रपद्यते ॥ ३६ ॥

सपूर्ण जीव ब्रह्मा से उत्पन्न हुये हैं अत एव वे सभी क्या ब्राह्मण कहला सकते हैं ? नहीं, क्योंकि वर्ण (जाति) से और पिता से ब्रह्मतेज नहीं प्राप्त होता है ॥

ज्ञानकर्मोपासनाभिर्देवताराधने रतः ।

शांतो दांतो दयालुश्च ब्राह्मणश्च गुणैः कृतः ॥ ४० ॥

‘ज्ञानकाण्ड, कर्मकाण्ड और उपासना काण्ड का प्रकाण्ड विद्वान् होता हुआ, देवता की आराधना में लीन, शान्तचित्त, इन्द्रियों का दमन करनेवाला, दयालु होना’—इन सब गुणों से ब्राह्मणों का निर्माण हुआ है ॥

लोकसंरक्षणे दक्षः शूरो दांतः पराक्रमी ।

दुष्टनिग्रहशीलो यः स वै क्षत्रिय उच्यते ॥ ४१ ॥

जनता की भली भांति रक्षा करने में चतुर, शूर, इन्द्रियों का दमन करनेवाला, पराक्रमयुक्त, स्वभावतः दुष्टों को दण्ड देनेवाला जो है वह इन गुणों से ‘क्षत्रिय’ कहलाता है ॥

क्रयविक्रयकुशला ये नित्यं पण्यजोविनः ।

पशुरक्षाकृषिकरास्ते वैश्याः कीलिता भुवि ॥ ४२ ॥

जो लोग क्रय (खरीदना)—विक्रय (बेचना) करने में कुशल, नित्य दूकानदारी से जीविका चलानेवाले, पशु-पालन तथा कृषि कर्म (खेती) करनेवाले होते हैं वे संसार में ‘वैश्य’ कहलाते हैं ॥

द्विजसेवाचंनरताः शूराः शांता जितेन्द्रियाः ।

सीरकाष्ठतृणग्रहास्ते नीचाः शूद्रसंज्ञकाः ॥ ४३ ॥

जो लोग द्विज (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य) जाति की सेवा में निरत, शूर, शान्तचित्त, जितेन्द्रिय, हल, काष्ठ तथा तृण (घास आदि) का भार-बहन करनेवाले होते हैं वे नीच एवं ‘शूद्र’ कहलाते हैं ॥

त्यक्तस्वधर्माचरणा निर्धृणाः परपीडकाः ।

चंडाश्च हिंसका नित्यं ग्लेच्छास्ते ह्यविवेकिनः ॥ ४४ ॥

जो लोग स्वधर्माचरण का परित्याग करनेवाले, दयाशून्य, दूसरे को पीड़ा पहुँचानेवाले, अत्यन्त क्रोधी तथा हिंसा करनेवाले होते हैं वे ‘श्लेष्य’ कहलाते हैं ॥ और उनमें विवेक का लेश भी नहीं होता है ॥

प्राकर्मफलभोगार्हा दुर्द्धः संजायते नृणाम् ।

पापकर्मणि पुण्ये वा कर्तुं शक्तो न चान्यथा ॥ ४५ ॥

मनुष्यों को पूर्वाजित कर्मों के फल भोगने के योग्य जब जैसी बुद्धि उत्पन्न होती है तब उसके अनुसार पाप अथवा पुण्य कर्म करने में मनुष्य समर्थ होता है, अन्यथा असमर्थ रहता है ॥

बुद्धिरूपयते तादृग् यादृक्कर्मफलोदयः ।

सहायास्तादृशा एव यादृशी भवितव्यता ॥ ४६ ॥

जैसे कर्मों का फल उदय होता है उसी के अनुसार वैसी बुद्धि होती है तथा जैसी भवितव्यता (होनहार) होती है उसी के अनुसार वैसे सहाय (साथी) भी होते हैं ॥

प्राक्कमपशतः सर्वं भवत्येवेति निश्चितम् ।

तदोपदेशा व्यर्थाः स्युः कार्याकार्यप्रबोधकाः ॥ ४७ ॥

यदि यही निश्चित हो कि जो कुछ होता है वह सब प्राक्तन कर्म के अनुसार ही होता है तो 'यह कर्त्तव्य है और यह नहीं कर्त्तव्य है' इसके बोधक सभी उपदेश व्यर्थ हो जायेंगे ॥

धीमन्तो वन्द्यचरिता मन्यन्ते पौरुषं महत् ।

अशक्ताः पौरुषं कर्तुं क्लीबा दैवमुपासते ॥ ४८ ॥

जो बुद्धिमान एवं प्रशंसनीय चरितवाले हैं वे पुरुषार्थ को बड़ा मानते हैं अर्थात् उद्योग करते हैं । और जो पुरुषार्थ करने में असमर्थ कायर पुरुष हैं वे भाग्य की उपासना करते हैं अर्थात् भाग्य के भरोसे बैठे रहते हैं ॥

दैवे पुरुषकारे च खलु सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

पूर्वजन्मकृतं कर्मैर्हाजितं तद् द्विधा कृतम् ॥ ४९ ॥

भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों के ऊपर ही सम्पूर्ण जगत् के कार्य स्थित हैं । इनमें पूर्वजन्म में किया हुआ कर्म 'भाग्य' और इस जन्म में किया हुआ कर्म 'पुरुषार्थ' कहलाता है, इस भांति से एक ही कर्म के दो भेद किये गये हैं ॥

बलवत्प्रतिकारि स्याद् दुर्बलस्य सदैव हि ।

सबलायलयोर्ज्ञानं फलप्राप्त्याऽन्यथा नहि ॥ ५० ॥

भाग्य और पुरुषार्थ इन दोनों में से जो दुर्बल होता है उसको हटाने-वाला सदा बलवान् होता है । सबल और दुर्बल का ज्ञान केवल फल-प्राप्ति से होता है । अन्य रीति से नहीं होता ॥

फलोपलब्धिः प्रत्यक्षहेतुना नैव दृश्यते ।

प्राक्कर्महेतुकी सा तु नान्यथैवेति निश्चयः ॥ ५१ ॥

'प्रत्यक्ष कारण (पुरुषार्थ) से फल की प्राप्ति नहीं दिखाई देती है, वह तो प्राक्तन कर्म के वश से ही होती है, अन्य से नहीं होती है' यह निश्चित है ॥

यज्जायतेऽल्पक्रियया नृणां वापि महत्फलम् ।

तदपि प्राक्तनादेव केचित् प्रागिह कर्मजम् ॥ ५२ ॥

और कभी २ स्वल्प कर्म से ही मनुष्यों को जो अधिक फल की प्राप्ति दिखाई देती है वह प्राक्तन कर्म के वश से ही होती है, कोई २ आचार्य उसे पुरुषार्थ से हुआ ही मानते हैं ॥

वदन्तीहैव क्रियया जायते पौरुषं नृणाम् ।

सस्नेहवर्तिर्दीपस्य रक्षा वातात् प्रयत्नतः ॥ ५३ ॥

'मनुष्यों का जो पुरुषार्थ फलप्राप्ति के लिये होता है उसमें इसी जन्म के अर्थात् तात्कालिक कर्म ही कारण होता है । जैसे लोक में तैल तथा बत्ती से युक्त दीपक की हवा से रक्षा प्रयत्न करने से ही होती है' ऐसा कोई २ आचार्य कहते हैं ॥

अवश्यंभाविभावानां प्रतीकारो न चेद्यदि ।

दुष्टानां क्षपणं श्रेयो यावद्बुद्धिबलोदयैः ॥ ५४ ॥

यदि अवश्य होनेवाले कार्यों का प्रतीकार होना संभव न होना तो अपने बुद्धि तथा बल के अनुसार दुष्टों का नाश करना कल्याणकारक न होता अर्थात् पुरुषार्थ से दुर्बल भावी (होनहार) को मिटाया जा सकता है ॥

प्रतिकूलानुकूलाभ्यां फलाभ्यां च नृपोऽप्यतः ।

ईषन्मध्याधिकाभ्यां च त्रिधा दैवं विचिन्तयेत् ॥ ५५ ॥

इससे राजा प्रतिकूल तथा अनुकूल फल देनेवाले दैव (भाव) के थोड़ा, मध्यम तथा अधिक इन तीनों भेदों से तीन प्रकार का समझे ॥

रावणस्य च भीष्मादेर्वनभगे च गोप्रहे ।

प्रातिकूल्यं तु विज्ञातमकस्माद्धानराध्नरात् ॥ ५६ ॥

रावण को अशोक-वाटिका का अकेले एक हनुमान नामक वानर द्वारा फंस होने से और अकेले एक नर (अर्जुन) द्वारा भीष्म आदि (दुर्योधन) को विराट नगर में गायों को पकड़ कर रख लेने से दैव की प्रतिकूलता ज्ञात हुई ॥

कालानुकूल्यं विस्पष्टं राघवस्यार्जुनस्य च ।

अनुकूलो यदा दैवे क्रियाऽल्पा सुफला भवेत् ॥ ५७ ॥

और रामचन्द्र और अर्जुन के समय की अनुकूलता तो प्रगट ही है । अतः जब दैव अनुकूल रहता है तब थोड़ा भी पुरुषार्थ सफल हो जाता है ॥

महती सत्क्रियाऽनिष्टफला स्यात् प्रतिकूलके ।

बलिदानेन संबद्धो हरिश्चन्द्रस्तथैव च ॥ ५८ ॥

और दैव प्रतिकूल रहने पर अत्यन्त अच्छी भी क्रिया (पुण्यकार्य) अनिष्ट

फल देनेवाली हो जाती है । जैसे—दान से राजा बलि बाँधे गये और राजा हरिश्चन्द्र को भी दाम के यहां नौकरी करनी पड़ी ॥

भवतीष्टं सत्क्रिययाऽनिष्टं तद्विपरीतया ।

शास्त्रतः सदसत्ज्ञात्वा त्यक्त्वाऽसत्सत्समाचरेत् ॥ ५९ ॥

अच्छे कार्यों से अच्छा फल होता है, उससे विपरीत (बुरे) कार्यों से बुरा फल होता है अतः शास्त्र द्वारा अच्छे बुरे कार्यों का ज्ञान प्राप्त कर बुरे का त्याग तथा अच्छे का ग्रहण करना चाहिये ॥

कालस्य कारणं राजा सदसत्कर्मणस्त्वतः ।

स्वक्रीर्योद्यतदण्डाभ्यां स्वधर्मे स्थापयेत् प्रजाः ॥ ६० ॥

सत् (अच्छा) तथा असत् (बुरा) कर्म को करानेवाले काल का भी कारण (विधाता) राजा होता है । अतः राजा अपनी क्रूरता से तथा दण्ड देने के लिये उद्यत रह कर प्रजाओं को अपने २ धर्म पर स्थिर रखे ॥

स्वाम्यमात्यसुहृत्कोशाराष्ट्रदुर्गबलानि च ।

सप्तांगमुच्यते राज्यं तत्र मूर्धो नृपः स्मृतः ॥ ६१ ॥

राजा के ७ अङ्गों का निर्देश—१ राजा, २ मन्त्री, ३ मित्र, ४ कोश (खजाना), ५ राष्ट्र (देश), ६ दुर्ग (किला), ७ सेना, ये राज्य के ७ अङ्ग कहलाते हैं । इनमें राजा को शिर माना गया है ॥

दृगमात्यः सुहृच्छ्रोत्रं मुखं कोशो बलं मनः ।

हस्तौ पादौ दुर्गराष्ट्रे राव्यांगानि स्मृतानि हि ॥ ६२ ॥

और मन्त्री नेत्र, मित्र-कण, कोश-मुख, बल (सैन्य) मन, दुर्ग-दोनों हाथ, राष्ट्र दोनों पैर इस भाँति से राज्य के अङ्ग माने गये हैं ॥

अंगानां क्रमशो वक्ष्ये गुणान् भृतिप्रदानं सदा ।

यैर्गुणैस्तु सुसंयुक्ता वृद्धिमन्तो भवन्ति हि ॥ ६३ ॥

अब मदा पेरवर्ष देनेवाले अङ्गों के उन गुणों का क्रमशः वर्णन करूँगा । जिनसे भली-भाँति युक्त होने पर राजा लोग अभ्युदयशाली हो जाते हैं ॥

राजाऽस्य जगतो हेतुर्वृद्धयै वृद्धाभिसंमतः ।

नयनानन्दजनकः शशांक इव तोयधेः ॥ ६४ ॥

'हस जगत् के अभ्युदय (वृद्धि) का कारण राजा है, जो प्रजाओं के नेत्रों को आनन्द देनेवाला है । जैसे चन्द्रमा-समुद्र की वृद्धि में कारण है ।' ऐसा वृद्धों का मत है ॥

यदि न स्यान्नरपतिः सम्यङ् नेता ततः प्रजाः ।

अकर्णधारा जलधौ विप्लवेतेह नौरिव ॥ ६५ ॥

यदि लोक में राजा उत्तम रीति से नेता (प्रजाओं को अपने २ धर्म

पर ले चलनेवाला) न हो तो समुद्र में बिना कर्णधार (पतवार एकड़नेवाले मल्लाह) नौका की भांति प्रजा नष्ट हो जाती है ॥

न त्रिपुन्ति-स्वस्वधर्मे विना पालेन वै प्रजाः ।

प्रजया तु विना स्वामी पृथिव्यां नैव शोभते ॥ ६६ ॥

बिना राजा के प्रजा अपने २ धर्म में स्थित नहीं रहती है । और पृथ्वी पर बिना प्रजा के राजा भी नहीं शोभित होता है ॥

न्यायप्रवृत्तो नृपतिरात्मानमथ च प्रजाः ।

त्रिवर्गेणोपसंधसे निहन्ति ध्रुवमन्यथा ॥ ६७ ॥

न्याय में प्रवृत्त रहनेवाला राजा अपने को तथा प्रजावर्ग को त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) से युक्त करता है । अन्याय अर्थात् अन्याय में प्रवृत्त रहनेवाला राजा अपने को तथा प्रजावर्ग को त्रिवर्ग से रहित करने से निश्चय नष्ट करता है ॥

धर्मद्विजवनो राजा विधाय बुभुजे भुवम् ।

अधर्माच्चैव नहुषः प्रतिपेदे रसातलम् ॥ ६८ ॥

धर्म से पवित्र हुआ राजा पृथ्वी का पालन कर उसका भोग करता है और अधर्म से नहुष राजा इन्द्रलोक को प्राप्त करके भी रसातल को पहुँच गया ॥

वेनो नष्टस्त्वधर्मेण पृथुवृद्धः स्वधर्मतः ।

तस्माद्धर्मं पुरस्कृत्य यतेतार्थाय पार्थिवः ॥ ६९ ॥

अधर्म से राजा वेन नष्ट हो गया और धर्म से राजा पृथु वृद्धि (अभ्युदय) को प्राप्त हुआ । इससे धर्म को प्रधान कर के ही राजा को अर्थ के लिये प्रयत्न करना चाहिये ॥

यो हि धर्मपरो राजा देवांशोऽन्यश्च रक्षसाम् ।

अंशभूतो धमलोपी प्रजापीडाकरो भवेत् ॥ ७० ॥

जो धर्म में तत्पर रहनेवाला राजा है वह देवांश (देवताओं के अंश से उत्पन्न हुआ) कहलाता है—इससे अन्य अर्थात् अधर्म में तत्पर राजा राक्षसों के अंश से उत्पन्न, धर्म का लोप करनेवाला एवं प्रजा को पीडा पहुँचाने वाला कहलाता है ॥

इन्द्रानिलयमार्काणामग्नेश्च वरुणस्य च ।

चन्द्रवित्तेशयोश्चापि मात्रा निर्हृत्य शाश्वतीः ॥ ७१ ॥

जंगमस्थावराणां च हीशः स्वतपसा भवेत् ।

भागभाग रक्षणे दक्षो यथेन्द्रो नृपतिस्तथा ॥ ७२ ॥

राजा के देवांश होने का निर्देश—इन्द्र, वायु, यम, सूर्य, अग्नि, वरुण, चन्द्र, कुबेर इन लोकपालों के निरन्तर रहनेवाले अंशों को अपने में धारण

कर अपनी तपस्या के प्रभाव से राजा स्थावर-जङ्गमात्मक जगत् का स्वामी होता है । और अपने भाग (कर) को ग्रहण करनेवाला तथा लोक की रक्षा करने में निपुण इन्द्र के समान ही होता है ॥

वायुर्गन्धस्य सदसत्कर्मणः प्रेरको नृपः ।

धर्मप्रवर्त्तकोऽधर्मनाशकस्तमसो रविः ॥ ७३ ॥

जिस प्रकार से वायु भले-बुरे गन्ध का प्रेरक होता है उसी प्रकार राजा भी भले-बुरे कर्म का प्रेरक होता है । एक सूर्य जैसे अन्धकार का नाशक एवं धर्म का प्रवर्त्तक होता है वैसे राजा भी अधर्म का नाशक तथा धर्म का प्रवर्त्तक होता है ॥

दुष्कर्मदण्डको राजा यमः स्याद्दण्डकृद्यमः ।

अग्निश्शुचिस्तथा राजा रक्षार्थं सर्वभागभुक् ॥ ७४ ॥

दुष्कर्म का दण्ड देनेवाला होने से राजा यम के समान है । क्योंकि यम भी दुष्कर्म का दण्ड देते हैं । और अग्नि के समान राजा स्वयं शुद्ध तथा लोक-रक्षार्थं सब लोगों से भाग (कर या हवि) ग्रहण कर भोग करनेवाला होता है ॥

पुण्यत्यपां रसैः सर्वं वरुणः स्वधनेनृपः ।

करैश्चन्द्रो ह्लादयति राजा स्वगुणकर्मभिः ॥ ७५ ॥

वरुण जैसे जलसंबन्धी रसों से सबको परिपुष्ट करता है वैसे राजा भी अपने धन से सब का पोषण करता है । चन्द्र जैसे अपनी किरणों से जगत् को आह्लादित करता है, वैसे ही राजा भी अपने गुण तथा कर्मों से जगत् को आह्लादित करता है ॥

कोशानां रक्षणे दक्षः स्यान्नधिनां घनाधिपः ।

चद्रांशेन विना सर्वैरंशैर्नो भाति भूपतिः ॥ ७६ ॥

जैसे कुवेर अपनी निधियों की रक्षा करने में निपुण होता है वैसे राजा भी अपने कोशों की रक्षा करने में निपुण होता है । यदि चन्द्र का अंश न हो तो केवल अन्य लोकपालों के अंशों से राजा की शोभा नहीं हो सकती है अर्थात् चन्द्र के समान आह्लादकत्व गुण राजा में न हो तो अन्य सभी गुण व्यर्थ हैं अत एव राजा की सार्थकता प्रजा को आह्लाद पहुँचाने से ही होती है ॥

पिता माता गुरुर्भ्राता बन्धुर्वैश्रवणो यमः ।

नित्यं सप्तगुणैरेषां युक्तो राजा न चान्यथा ॥ ७७ ॥

७ गुणों से युक्त राजा की प्रजा रंजकता का निर्देश—१. पिता, २. माता, ३. गुरु, ४. भ्राता, ५. बन्धु, ६. कुवेर, ७. यम, इन सातों के वक्ष्यमाण

गुणों से नित्य युक्त होने पर ही वस्तुतः राजा कहलाने योग्य होता है, अन्यथा यदि उक्त गुण न हो तो राजा नहीं कहला सकता है ॥

गुणसाधनसंदक्षः स्वप्रजायाः पिता यथा ।

क्षमयिष्यपराधानां माता पुष्टिविधायिनी ॥ ५८ ॥

अपनी प्रजा (सन्तान) को गुणवान् बनाने में पिता जैसे निपुण होता है वैसे राजा को भी अपनी प्रजा (जनता) को गुणवान् बनाने में निपुण होना चाहिये । और जिस प्रकार माता अपनी प्रजा के अपराधों को क्षमा करनेवाली तथा उनको पुष्ट करनेवाली होती है उसी प्रकार राजा को भी होना चाहिये ॥

हितोपदेशा शिष्यस्य सुविद्याऽध्यापको गुरुः ।

स्वभागोद्धारकृद् भ्राना यथाशास्त्रं पितुर्धनात् ॥ ७६ ॥

जिस प्रकार गुरु अपने शिष्य के लिये हित का उपदेश करनेवाला एवं सुन्दर विद्या को पढ़ानेवाला होता है उसी प्रकार अपनी प्रजा के लिये राजा को भी होना चाहिये । जैसे भ्राता नास्त्रासुसार पिता के धन में से अपने भाग (अंश) को ग्रहण करनेवाला होता है वैसे राजा को भी प्रजा से भाग (कर) ग्रहण करना उचित है ॥

आत्मस्त्रीधनगुह्यानां गोप्ता बन्धुस्तु मित्रवत् ।

धनदस्तु कुवेरः स्याद्यमः स्याच्च सुदण्डकृत् ॥ ८० ॥

जिस प्रकार बन्धु अपने बन्धु के शरीर, स्त्री, धन तथा गुप्त रहस्य की रक्षा करनेवाला मित्र के समान होता है उसी प्रकार राजा को भी प्रजा के लिये होना चाहिये । और आवश्यकता पड़ने पर कुवेर के समान धन देनेवाला एवं यम के समान अपराधी को यथार्थ दण्ड देनेवाला होना चाहिये ॥

प्रवृद्धिमति सम्राजि निव्रसन्ति गुणा अमी ।

एते सम गुणा राजा न हातव्याः कदाचन ॥ ८१ ॥

प्रकृष्ट बुद्धिवाले श्रेष्ठ राजाओं में ये सभी गुण रहते हैं । अतः राजाओं को उचित है कि इन ७ गुणों को वे कभी भी न छोड़ें ॥

क्षमते योऽपराधं स शक्तः स दमने क्षमी ।

क्षमया तु विना भूपो न भात्यखिलसद्गुणैः ॥ ८२ ॥

जो अपराधों को क्षमा करनेवाला होता है वह 'क्षमाशील' एवं जो दुष्टों का दमन करनेवाला होता है वह 'शक्तिमान्' कहलाता है । किन्तु संपूर्ण गुणों से युक्त होने पर भी राजा यदि क्षमा से रहित होता है तो उसकी शोभा नहीं होती है ॥

स्वान् दुर्गुणान् परित्यज्य ह्यतिवादांस्तिक्षते ।
 दानैर्मानैश्च सत्कारैः स्वप्रजारंजकः सदा ॥ ८३ ॥
 दान्तः शूरश्च शस्त्रास्त्रकुशलोऽरिनिपूदनः ।
 अस्वतन्त्रश्च मेधावी ज्ञानविज्ञानसंयुतः ॥ ८४ ॥
 नीचहीनो दीर्घदर्शी वृद्धसेवी सुनीतियुक् ।
 गुणिजुष्टस्तु यो राजा स ज्ञेयो देवतांशकः ॥ ८५ ॥

जो राजा अपने दुर्गुणों का परित्याग कर निन्दा को सहन करनेवाला, दान, मान तथा सत्कार से अपनी प्रजा को सदा प्रसन्न रखनेवाला, इन्द्रियों को दमन करनेवाला, शूर, शस्त्रास्त्र चलाने में निपुण, शत्रुओं का नाशक, उच्छृङ्खलता से रहित धारणाशक्तिसंपन्न, ज्ञान तथा विज्ञान से युक्त, नीचगुणों से वा नीच संगति से रहित, दूरदर्शी, वृद्धों की उपासना करनेवाला, सुन्दर नीति से युक्त, गुणियों से सेवित होता है उसे 'देवांश' (देवताओं के अंश से उत्पन्न होनेवाला) समझना चाहिये ॥

विपरीतस्तु रक्षोऽशः स च नरकभाजनः ।

नृपांशसदृशो नित्यं तत्सहायगणः किल ॥ ८६ ॥

इन गुणों से विपरीत गुणों वाला राजा 'रक्षोऽश' अर्थात् राक्षस के अंश से उत्पन्न हुआ कहलाता है और वह नरकगामी होता है । और राजा जैसे अंश का होता है निश्चय उसके सहायकगण (पार्ववर्ती मन्त्री इत्यादि) भी उसी अंश वाले होते हैं ॥

तत्कृवं मन्यते राजा संतुष्यति च मोदते ।

तेषामाचरणैर्नित्यं नान्यथा नियतेर्बलात् ॥ ८७ ॥

और देव के वश से विवश होकर राजा उनके किये हुये कार्यों का अनुमोदन करता है एवं उनके आचरणों से नित्य सन्तुष्ट एवं हर्षित होता है । अन्यथा नहीं होता है अर्थात् भिन्न अंशवाले सहायकों से वैसा सन्तुष्ट नहीं रहता है ॥

अवश्यमेव भोक्तव्यं कृतकर्मफलं नरैः ।

प्रतिकारैर्बिना नैव प्रतिकारे कृते सति ॥ ८८ ॥

किये हुये कर्मों का फल मनुष्यों को अवश्य भोगना पड़ता है यदि उसकी निवृत्ति के लिये उपाय न किया जाय । और यदि निवृत्ति के लिये उपाय किया जाय तो नहीं भोगना पड़ता है ॥

तथा भोगाय भवति चिकित्सितगदो यथा ।

उपदिष्टेऽनिष्टहेतौ तत्तत्कर्तुं यतेत कः ॥ ८९ ॥

जैसे जिस रोग की चिकित्सा होती है, उसकी निवृत्ति का उपाय न करने पर वह भोग के लिये होता है और उपाय करने पर नहीं होता है । क्योंकि

लोक में यह बात सद्ध है कि अनिष्टकारक कारणों के उपदेशों को प्राप्त कर लेने पर भी कौन ऐसा व्यक्ति है जो उनको प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करता है, अर्थात् कोई नहीं ॥

रज्यते सत्फले स्वान्त दुष्फले नहि कस्यचित् ।

सदसद्बोधकान्येव दृष्ट्वा शास्त्राणि चाचरेत् ॥ ९० ॥

अच्छे फल देनेवाले कार्यों में मनुष्य का मन लगना है और बुरे फलवाले कार्यों में किसी का मन नहीं लगता है अतः सत् (अच्छे) तथा असत् (बुरे) कार्यों के बोधक शास्त्रों को देखकर तदनुसार आचरण करना चाहिये ॥

नयस्य विनयो मूलं विनयः शास्त्रनिश्चयान् ।

विनयस्येन्द्रियजयस्तद्युक्तः शास्त्रमृच्छति ॥ ९१ ॥

नीति का मूल विनय है, और शास्त्र में निश्चय होने से विनय होता है । विनय का मूल इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना है अतः जो इन्द्रियजयी है वही शास्त्रज्ञान प्राप्त करता है ॥

आत्मानं प्रथमं राजा विनयेनोपपादयेत् ।

ततः पुत्रांस्ततोऽमात्यांस्ततो भृत्यांस्ततः प्रजाः ॥ ९२ ॥

परोपदेशकुशलः केवलो न भवेन्नृपः ।

अतः राजा सर्वप्रथम अपने को विनय से युक्त करे, तत्पश्चात् पुत्रों को, तदनन्तर मन्त्रियों को, उसके बाद भृत्यों को, अन्त में प्रजाओं को विनय से युक्त करे । राजा केवल दूसरों को उपदेश देने में कुशल न हो ॥

प्रजाधिकारहीनः स्यात् सगुणोपि नृपः कश्चित् ॥ ९३ ॥

न तु नृपविहीनाः स्युर्दुर्गुणा ह्यपि तु प्रजाः ।

यथा न विधवेन्द्राणी सर्वदा तु तथा प्रजाः ॥ ९४ ॥

कहीं-कहीं गुणवान राजा भी प्रजा के ऊपर अधिकार से हीन हो जाता है किन्तु दुर्गुणवाली भी प्रजा राजा से हीन नहीं होती है । जैसे कभी इन्द्राणी विना इन्द्र के विधवारूप में नहीं रह सकती है वैसे ही विना राजा के प्रजा भी नहीं रह सकती है ॥

भ्रष्टश्रीः स्वामिता राज्ये नृप एव न मन्त्रिणः ।

तथाऽविनीतदायादोऽदांताः पुत्रादयोपि च ॥ ९५ ॥

राजा ही भ्रष्टश्री होता है तथा स्वामिस्व रखता है । मन्त्री में उक्त बातें नहीं होती हैं तथा अविनययुक्त दायाद (भाई-पट्टीदार) वर्ग एवं इन्द्रियों का दमन नहीं कर सकने वाले पुत्रादि के कारण से भी राजा राज्य भ्रष्ट एवं प्रभुस्व से हीन हो जाता है ॥

सदानुरक्तप्रकृतिः प्रजापालनतत्परः ।
विनीतात्मा हि नृपतिर्भूयसीं श्रियमश्नुते ॥ ६६ ॥

अतः जिस राजा की प्रजा सदा अनुरक्त रहनेवाली होती है । और जो स्वयं प्रजापालन में तत्पर रहता है एवं विनम्रयुक्त होता है वह अत्यधिक श्रीको प्राप्त करता है ॥

प्रकीर्णत्रिपयारण्ये घावन्तं विप्रमाथिनम् ।

ज्ञानांकुशेन कुर्वीत यशमिन्द्रियदंतिनम् ॥ ६७ ॥

इन्द्रियजय की आवश्यकता का निर्देश—राजा नाना विषयरूपी जङ्गलों में दौड़ते हुये मन को मग्न ढालनेवाले इन्द्रियरूपी हाथी को ज्ञानरूपी अक्षुभ से अपने घस में करे ॥

विषयामिपलोभेन मनः प्रेरयतीन्द्रियम् ।

तन्निरुन्ध्यात् प्रयत्नेन जिते तस्मिञ्जितेन्द्रियः ॥ ६८ ॥

विषयरूपी आमिष (मांस) के लोभ से मन इन्द्रिय को प्रेरित करता है । अतः उसे (मन) प्रयत्नपूर्वक रोके । उसके जीतने पर मनुष्य 'जितेन्द्रिय' कहलाता है ॥

एकस्यैव हि योऽशक्तो मनसः सन्निबर्हणे ।

महीं सागरपर्यन्तां स कथं ह्यवजेष्यति ॥ ६९ ॥

जो राजा केवल एक मन को भलीभांति जीतने में असमर्थ रहता है तो भला वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वी को जीतने में कैसे समर्थ हो सकता है ।

क्रियावसानविरसैर्विषयैरपहारिभिः ।

गच्छत्याश्रितहृदयः करीव नृपतिर्ग्रहम् ॥ १०० ॥

क्रिया (भोग) के अन्त में प्रीति का विषय न रह जानेवाले, मन को आकृष्ट करनेवाले विषयों से आकृष्ट चित्त होकर हस्ती की भांति राजा बन्धन में पड़ जाता है ॥

शब्दः स्पर्शश्च रूपं च रसो गन्धश्च पञ्चमः ।

एकैकन्त्वलमेतेषां विनाशप्रतिपत्तये ॥ १०१ ॥

शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध इनमें से प्रत्येक पृथक् पृथक् विषय लोगों के विनाश करने में समर्थ होते हैं ॥

शुचिर्द्भङ्गुराहारो विदूरभ्रमणे क्षमः ।

लुब्धकोद्दीप्तमोहेन मृगो मृगयते वधम् ॥ १०२ ॥

जैसे शब्द विषय के द्वारा—पवित्र, कुशके अक्षरों का आहार करनेवाला, अत्यन्त दूर तक भ्रमण करने में समर्थ भी मृग बहेलिया के गीत से मोहित होकर मृत्यु को प्राप्त होता है ॥

गिरीद्रशिखराकारो लीलयोन्मूलितद्रुमः ।

करिणीस्पर्शसम्मोहाद्वन्धनं याति वारणः ॥ १०३ ॥

स्पर्श विषय के द्वारा—पर्वत के शिखर की भांति ऊंचे आकार वाला, खेलवाड़ से पेड़ों को उखाड़ देने वाला हाथी भी हथिनी के स्पर्श से मोहित होकर बन्धन को प्राप्त होता है ।

स्निग्धदीपशिखालोकविलोलितविलोचनः ।

मृत्युमृच्छति सम्मोहात् पतगः सहसा पतन् ॥ १०४ ॥

रूप विषय द्वारा—स्निग्ध (स्नेह = तैलयुक्त) दीप की शिखा के प्रकाश से चञ्चल नेत्र वाला पतङ्ग (फतरिङ्गा) मोहित होकर सहसा दीपशिखा पर गिरता हुआ मृत्यु को प्राप्त करता है ।

अगाधसलिले मनो दूरेऽपि वसतौ वसन् ।

मीनस्तु सामिपं लोहमास्वादयति मृत्यवे ॥ १०५ ॥

रस विषय द्वारा—अगाध जल में डूबा हुआ, दूर से दूर रहता हुआ भी मीन (मछली) मोह से मांसयुक्त लौहकण्टक का आस्वाद लेता हुआ मृत्यु को प्राप्त करता है ।

उत्कर्षितुं समर्थोपि गंतुं चैव सपक्षकः ।

द्विरेफो गन्धलोभेन कमलं याति बन्धनम् ॥ १०६ ॥

गन्ध विषय द्वारा—कमल को काट डालने में एवं पङ्क होने से उड़ने में भी समर्थ भौरा गन्ध के लोभ से कमल के अन्दर संकुचित होने पर बँध जाता है अर्थात् उसी में बँधकर मर जाता है ।

एकैकशो विनिग्नन्ति विषया विषसन्निभा ।

किंपुनः पंच मिलिता न कथं नाशयन्ति हि ॥ १०७ ॥

विष के तुल्य उक्त शब्दादि विषय पृथक् २ रहकर भी प्राणनाशक होते हैं यदि वे पांचों मिलित हों तो क्यों नहीं नाश कर सकते हैं अर्थात् निःसन्देह प्राण ले सकते हैं ।

द्युतं स्त्री मयमेवैतत्त्रितयं बह्वनर्थकम् ।

अयुक्तं युक्तियुक्तं हि धनपुत्रमतिप्रदम् ॥ १०८ ॥

द्युतादिव्यसन के दोषों का निर्देश—द्युत (जूआ) खेलना, स्त्री-सेवन, मद्यपान ये तीनों अधिक मात्रा में होने से बहुत अनर्थ करने वाले होते हैं किन्तु यदि इनका उचित उपयोग किया जाय तो द्यून से धन, स्त्री से पुत्र और मद्य से बुद्धि की प्राप्ति होती है ।

नलधर्मप्रभृतयः सुद्यूतेन विनाशिताः ।

सकापटय धनायालं द्यूतं भवति तद्विदाम् ॥ १०९ ॥

घृत कर्म में अनभिज्ञ नल और युधिष्ठिर आदि राजाओं का घृत के द्वारा विशेष धन-नाश हुआ किन्तु घृत कर्म में निपुण लोगों को चालाकी से खेला हुआ घृत धन दिलाने में अत्यन्त समर्थ होता है ।

स्त्रीणां नामापि संह्लादि विकरोत्येव मानसम् ।

किंपुनर्दर्शनं तासां विलासोल्लासितभ्रुवाम् ॥ ११० ॥

स्त्रियों का नाम लेना भी आह्लाद पैदा करके चित्त को काम-विकार से युक्त कर देता है । फिर विलासपूर्वक भौंहों को नचाने वाली उन स्त्रियों का दर्शन करना वर्यो नहीं मन को काम-विकार युक्त कर सकता है अर्थात् अवश्य कर सकता है ।

रहःप्रचारकुशला मृदुगद्गदभाषिणी ।

कंन नारी वशीकुर्यान्नरं रक्तान्तलोचना ॥ १११ ॥

एकान्त में भेट करने में कुशल, कोमल तथा गद्गद वचन बोलने वाली एवं अनुराग युक्त कटाक्ष करने वाली स्त्री किस मनुष्य को घनीभूत नहीं कर सकती है अर्थात् सभी को वशीभूत कर सकती है ।

मुनेरपि मनो वश्यं सरागं कुर्वतेऽगना ।

जितेन्द्रियस्य का वार्ता किंपुनश्चाजितात्मनाम् ॥ ११२ ॥

मन को सदा अपने अधीन रखने वाले मुनियों के भी मन को स्त्रियां काम-घासना से युक्त कर देती हैं, जब जितेन्द्रिय की यह दशा है तब इन्द्रियों को नहीं जीतने वाले कामियों के विषय में क्या बात की जाय । अर्थात् उनको तो अवश्य ही वशीभूत कर सकती हैं ।

व्यायच्छन्तश्च बहवः स्त्रीषु नाशं गता अमी ।

इन्द्रदण्डवयनहुपरावणाद्या नृपा ह्यतः ॥ ११३ ॥

बहुत से लोग सदा परस्त्रियों में प्रेम करके नाश को प्राप्त हुये हैं जैसे—इन्द्र, दण्डवय, नहुप और रावण आदि का उदाहरण प्रसिद्ध है ।

अतत्परनरस्यैव स्त्री सुखाय भवेत्सदा ।

साहाय्यिनी गृह्यकृत्ये तां विनाऽन्या न विद्यते ॥ ११४ ॥

स्त्रियों में आसक्ति न रखने वालों के लिये ही स्त्री सदा सुख देने वाली होती है, क्योंकि गृह-कार्यों में उसके अलावा अन्य कोई दूसरी सहायता पहुँचाने वाली नहीं हो सकती है ।

अतिमद्यं हि पिबतो बुद्धिलोपो भवेत्किल ।

प्रतिभां बुद्धिवैशद्यं धैर्यं चित्तविनिश्चयम् ॥ ११५ ॥

तनोति मात्रया पीतं मद्यमन्यद्विनाशकृत् ।

कामक्रोधौ मद्यतमौ नियोक्तव्यौ यथोचितम् ॥ ११६ ॥

अत्यन्त मद्य पीने वाले की बुद्धि का निश्चय लोप हो जाता है । और मात्रा के साथ थोड़ा मद्य पीने वाले की प्रतिभा, बुद्धि में उज्ज्वलता, धीरता, चित्त की स्थिरता बढ़ती है । और इससे भिन्न मात्रा से अधिक पीने से मद्य शरीर को नष्ट कर देता है । और मद्य के समान काम तथा क्रोध भी चित्त को अत्यन्त मतवाला बना देने वाला होता है अतः इन दोनों को भी यथोचित रीति से प्रयोग करना उचित होता है ।

कामः प्रजापालने च क्रोधः शत्रुनिर्बर्हणे ।

सेनासंधारणे लोभो योज्यो राज्ञा जयार्थिना ॥ ११७ ॥

कामादि पर जय-प्राप्ति की इच्छा रखने वाले राजा के लिये उचित है कि वह—प्रजा-पालन के लिये काम (कामना) का, शत्रु-नाश के लिये क्रोध का, सैन्य रखने में लोभ का प्रयोग करे ।

परस्त्री-संगमे कामो लोभो नान्यघनेषु च ।

स्वप्रजादण्डने क्रोधो नैव धार्यो नृपैः कदा ॥ ११८ ॥

राजा कभी भी पर-स्त्री के साथ सह करने के लिये काम को, अन्य के धन की प्राप्ति में लोभ को, अपनी प्रजा को दण्ड देने में क्रोध को न करे ।

किमुच्येत कुटुम्बोति परस्त्रीसंगमात्ररः ।

स्वप्रजादण्डनाच्छूरो धनिकोऽन्यघनैश्च किम् ॥ ११९ ॥

पर-स्त्री के साथ संग करने वाला मनुष्य क्या कुटुम्बी ? अपनी प्रजा को दण्ड देने से क्या शूर-वीर और दूसरे के धन को लेने से मनुष्य क्या धनी कहला सकता है ? अर्थात् कभी नहीं कहला सकता है ।

अरक्षितारं नृपतिं ब्राह्मणं चातपस्विनम् ।

धनिकं चाप्रदातारं देवा धनन्ति त्यजन्त्यधः ॥ १२० ॥

प्रजा की रक्षा नहीं करने वाले राजा को, तपस्या नहीं करने वाले ब्राह्मण को और दान नहीं देने वाले धनी को देवता लोग नष्ट कर देते हैं और अन्त में उन्हें नरक में गिरा देते हैं ।

स्वामित्वं चैव दातृत्वं धनिकत्वं तपः-फलम् ।

एनसः फलमर्थित्वं दास्यत्वं च दरिद्रता ॥ १२१ ॥

राजा होना, दानी होना एवं धनी होना ये सब तप के फल हैं । और दाचक होना, दास होना एवं दरिद्र होना ये सब पाप के फल हैं ।

दृष्ट्वा शास्त्राण्यथात्मानं सन्नियम्य यथोचितम् ।

कुर्यान्नृपः स्ववृत्तं तु परत्रेह सुखाय च ॥ १२२ ॥

इससे राजा शास्त्रों को देखकर तदनुसार अपने मन को विषयों से यथो-

चित शोककर पर-लोक और इस लोक में सुख पाने के लिये अपने आचरण को उचित रीति से करे ।

दुष्टनिग्रहणं दानं प्रजायाः परिपालनम् ।

यजनं राजसूयादेः कोशानां न्यायतोऽर्जनम् ॥ १२३ ॥

करदीकरणं राज्ञां रिपूणां परिमर्दनम् ।

भूमरुपार्जनं भूयो राजवृत्तं तु चाष्टधा ॥ १२४ ॥

आठ प्रकार के राजा के व्यवहार का निर्देश—१ दुष्टों का निग्रह करना, २ दान देना, ३ प्रजा का परिपालन, ४ राजसूयादि यज्ञ करना, ५ न्यायपूर्वक कोश (खजाना) बढ़ाना, ६ राजाओं से कर वसूल करना, ७ शत्रुओं का मान मर्दन करना, ८ बार बार राज्य को बढ़ाना, ये ८ प्रकार के राजाओं के वृत्त (आचरण) हैं ।

न वर्धितं बलं यैस्तु न भूपाः करदीकृताः ।

न प्रजाः पालिताः सम्यक्ते वै पंडतिला नृपाः ॥ १२५ ॥

राजा के दोष-गुण का निर्देश—जिन राजाओं ने सेना नहीं बढ़ाई, राजाओं को कर देने वाला (अधीन) नहीं बनाया, प्रजाओं का भली भाँति पालन नहीं किया, वे चांक्षतिल (तेल-रहित तिल) के समान तुच्छ कहलाते हैं ।

प्रजा सूद्विजते यस्माद्यत्कर्म परिनिंदति ।

त्यव्ययते धनिकैर्यस्तु गुणिभिस्तु नृपाधमः ॥ १२६ ॥

प्रजा जिससे उद्विग्न हो उठती है और जिसके कर्मों की निन्दा करती है और जिसे धनिक तथा गुणी लोग त्याग देते हैं वह राजा नृपाधम कहलाता है ।

नटगायकगणिकामल्लपंडालपजातिषु ।

योऽतिसक्तो नृपो निन्द्यः स हि शत्रुमुखे स्थितः ॥ १२७ ॥

नट, गवैया, बेरया, पहलवान, जनखा तथा नीच जाति वालों में अत्यन्त आत्मिक रखने वाला राजा निन्द्य कहलाता है । और वह शत्रु के मुख में पड़ जाता है ।

बुद्धिमंतं सदा द्वेष्टि मोदते वंचकैः सह ।

स्वदुर्गुणं न वै वेत्ति स्वात्मनाशाय सो नृपः ॥ १२८ ॥

जो राजा सदा बुद्धिमानों से द्वेष रखता है और वंचकों से खुश रहता है एवं अपने दुर्गुणों को नहीं समझता है वह अपना नाश करने के लिये कारण बन जाता है ।

नापराधं हि क्षमते प्रदंडो धनहारकः ।

स्वदुर्गुणश्रवणनो लोकानां परिपीडकः ॥ १२६ ॥'

नृपो यदा तदा लोकः क्षुभ्यते भिद्यते यतः ।

गूढचारैः श्रावयित्वा स्ववृत्त दूपर्यांति के ॥ १३० ॥

भूपयति च कैर्भावैरमात्याद्याश्च तद्विदः ।

जब जो राजा अपराध को नहीं सहन करता है तथा उग्र दण्ड देता है । धन को हरण कर लेता है, अपने दुर्गुणों के सुनने पर कहनेवाले को पीड़ा पहुँचाने लगता है तब उससे प्रजा क्षुभित हो उठती है और भेदभाव रखने लगती है अर्थात् राजा से प्रेम हटा लेनी है । अतः इनसे बचने के लिये राजा को उचित है कि वह अपने गुप्तचरों (खुफिया पुलिस) को भेजकर उनसे अपने आचरणों को प्रजा पर प्रकट करावे और यह जाने कि—कौन व्यक्ति मेरे आचरण को दोषयुक्त बताते हैं । और उस वृत्त के जानकार मन्त्री आदि किन आचरणों से मेरी प्रशंसा करते हैं ।

मयि कीदृक् च संप्रीतिः केपामप्रोतिरेव वा ॥ १३१ ॥

ममागुणैर्गुणैर्वापि गूढ संश्रुत्य चाखिलम् ।

चारैः स्वदुर्गुणं ज्ञात्वा लोकेतः सर्वदा नृपः ॥ १३२ ॥

सुकीर्त्यै संत्यजेन्नित्यं नावमन्येत वै प्रजाः ।

मेरे गुणों से किन लोगों की मेरे में कैसी प्रीति है ? और मेरे अवगुणों से किन लोगों की कैसी अप्रीति है ? इसे गूढ पुरुषों (खुफिया पुलिस) द्वारा लोगों से कहे हुये अपने दुर्गुणों को सर्वदा जानकर राजा अपनी कीर्ति के लिये उन दुर्गुणों को भली भाँति छोड़ देवे और निन्दा करनेवाली प्रजा का कभी तिरस्कार न करे ।

लोको निन्दति राजंस्त्वां चारैः संश्रावितो यदि ॥ १३३ ॥

कोपं करोति दौरात्म्यादात्मदुग्गुणलोपकः ।

सीता साध्यपि रामेण त्यक्त्वा लोकापवादतः ॥ १३४ ॥

यदि जासूस आकर यह सुनावे कि—'हे महाराज ! प्रजा आप की निन्दा करती है' इस पर जो अपने दुर्गुण को छिपानेवाला होता है वही राजा दुष्ट स्वभाववश कोप करता है—अन्य नहीं करता है । जैसे कि समर्थ होते हुये भी रामचन्द्र ने लोकापवाद के भय से पतिव्रता सीता का भी परित्याग किया, और अपवाद लगाने वाले घोड़ी के लिये कभी थोड़ा भी दण्ड नहीं दिया ।

शक्तेनापि हि न धृतो दण्डोऽल्पो रजके क्वचित् ।

ज्ञानविज्ञानसंपन्न-राजदत्ताभयोऽपि च ॥ १३५ ॥

समक्षं यत्किं न भयाद्राज्ञो गुर्वपि दूषणम् ।

स्तुतिप्रिया हि वै देवा विष्णुमुख्या इति श्रुतिः ॥ १३६ ॥

किं पुनर्मनुजा नित्यं निंदाजः क्रोध इत्यन्तः ।

राजा सुभागदंडी स्यात्सुक्ष्मी रंजकः सदा ॥ १३७ ॥

ज्ञान-विज्ञान से संपन्न राजा के द्वारा अभय-दान पाने पर भी कोई भी व्यक्ति राजा के भय से उसके भारी दोष को उसके सामने नहीं कहता है । क्योंकि—ऐसा सुना जाता है कि विष्णु आदि देवताओं को भी स्तुति प्रिय लगती है तब फिर मनुष्यों की क्या बात है । और यह नित्य नियम है कि—क्रोध निन्दा से उत्पन्न होता है, इस कारण से राजा को उचित रीति से दण्ड देनेवाला, भली भांति सहन करनेवाला, सदा प्रजा का मनोरंजन करनेवाला होना चाहिये ।

यौवनं जीवितं चित्तं छाया लक्ष्मीश्च स्वामिता ।

चञ्चलानि पडेतानि ह्यात्वा धर्मरतो भवेत् ॥ १३८ ॥

१. यौवन (जवानी), २. जीवन, ३. धन, ४. छाया, ५. लक्ष्मी, ६. प्रभुत्व, ये ६ चञ्चल होते हैं, अतः यह जानकर राजा को धर्म में रत होना चाहिये ।

अदानेनापमानेन छलाच्च कटुवाक्यतः ।

राज्ञः प्रबलदंडेन नृपं मुंचति वै प्रजा ॥ १३९ ॥

राजा के दान न करने से, अपमान से, छल से, कटुवचन से, प्रबल दण्ड से प्रजा उसको छोड़ देती है ।

अतिभीरुमतिदीर्घसूत्रं चातिप्रमादिनम् ।

व्यसनाद्विपथाक्रान्तं न भजन्ति नृपं प्रजाः ॥ १४० ॥

अत्यन्त भीरु (डरपोक), अत्यन्त दीर्घसूत्र (धीरे २ कार्य करनेवाले), अत्यन्त प्रमादी (असावधान) और व्यसन होने से विषयों (भोगों) में आसक्त रहनेवाले राजा की प्रजा सेवा नहीं करती है । (अर्थात् त्याग देती है) ।

विपरीतगुणैरेभिः सान्वया रञ्जते प्रजा ।

इनसे विपरीत गुणवाले राजा से अपने वंश के साथ २ सारी प्रजा प्रसन्न रहती है ।

एकस्तनोति दुष्कीर्तिं दुर्गुणः संघशो न किम् ॥ १४१ ॥

मृगयाऽक्षास्तथा पानं गर्हितानि महीभुजाम् ।

दृष्टास्तेभ्यस्तु विपदः पांडुनैपथवृष्णपु ॥ १४२ ॥

एक भी दुर्गुण दुष्कीर्ति को फैला देती है तो क्या समूह रूप से होने पर न फैलावेगी अर्थात् फैलावेगी ही । मृगया (शिकार खेलना), अन्न (जुआ खेलना) और मद्यपान करना ये तीनों राजाओं के लिये निन्दिता हैं, क्योंकि मृगया से पाण्डु की, जूए से नल की और मद्यपान से वृषियों (घटुकुलवालों) की विपत्ति देखी गयी है ।

कामक्रोधस्तथा मोहो लोभो मानो मदस्तथा ।

षड्वर्गमुत्सृजेदेनमस्मिस्त्यक्ते सुखी नृपः ॥ १४३ ॥

काम, क्रोध, मोह, लोभ, मान, मद, इनकी 'षड्वर्ग' संज्ञा है । इनका परित्याग करना चाहिये । क्योंकि इनके परित्याग से राजा सुखी होता है ।

दंडक्यो नृपतिः कामात्क्रोधाच्च जनमेजयः ।

लोभादैलस्तु राजर्षिर्मोहाद्वातापिरासुरः ॥ १४४ ॥

पौलस्त्यो राक्षसो मानान्मदाद्भोद्भवो नृपः ।

प्रयाता निधनं ह्येते शत्रुषड्वर्गमाश्रिताः ॥ १४५ ॥

काम से दण्डक्य राजा, क्रोध से जनमेजय, लोभ से राजर्षि ऐल (हला के पुत्र), मोह से वातापि नामक असुर, मान से पुलस्त्यवंशी रावण, मद से दम्भोद्भव नामक राजा का विनाश हुआ, क्योंकि इन सबों ने शत्रु के समान षड्वर्ग का आश्रय लिया था ।

शत्रुषड्वर्गमुत्सृज्य जामदग्न्यः प्रतापवान् ।

अंबरीषो महाभागो बुभुजाते चिरं महीम् ॥ १४६ ॥

शत्रुतुल्य इस षड्वर्ग को छोड़ देने से जमदग्नि के पुत्र प्रतापी परशुरामजी एवं महाराज अंबरीष इन दोनों ने बहुत काल तक पृथ्वी का भोग किया (राज्य किया) ।

वर्धयन्निह धर्मार्थौ सेवितौ सद्भिरादरात् ।

निगृहीतैर्द्रियप्रामः कुर्वीत गुरुसेवनम् ॥ १४७ ॥

इस संसार में राजा सज्जनों के द्वारा सादर सेविन धर्म और अर्थ को बढ़ाता हुआ, अपने इन्द्रियों को वश में करता हुआ गुरु (श्रेष्ठ, उपदेशक, माता-पिता आदि) जनों का सेवन करे ।

शास्त्राय गुरुसंयोगः शास्त्रं विनयवृद्धये ।

विद्याविनीतो नृपतिः सतां भवति संमतः ॥ १४८ ॥

क्योंकि गुरुओं की सेवा से शास्त्र-ज्ञान होता है और शास्त्र-ज्ञान से विनय की वृद्धि होती है । अतः विद्या से उत्पन्न विनय से युक्त ही राजा सज्जनों द्वारा प्रशंसित होता है ।

प्रेर्यमाणोऽप्यसद्वृत्तैर्नार्कार्येषु प्रवर्तते ।

श्रुत्या स्मृत्या लोकतश्च मनसा साधु निश्चितम् ॥ १४९ ॥

यत्कर्मधर्मसंज्ञं तद्व्यवस्यति च पंडितः ।

आददानः प्रतिदिनं कलाः सम्यङ् महीपतिः ॥ १५० ॥

बुरे आचरण करनेवाले लोगों के प्रेरणा करने पर भी अच्छे-बुरे का विचार रखनेवाला समझदार राजा बुरे कार्य करने में प्रवृत्त नहीं होता है क्योंकि वह

वेद, स्मृति तथा लोक-व्यवहार से अच्छा समझकर जो धर्मसंज्ञक सत्कर्म है उसका पालन करता है अतः प्रत्येक कार्य के करने न करने की कला में निपुण होने से अच्छा राजा कहलाता है ।

जितेन्द्रियस्य नृपतेर्नातिशास्त्रानुसारिणः ।

भवंयुञ्जलिता लक्ष्म्यः कीर्तयश्च नभःस्पृशः ॥ १५१ ॥

इस प्रकार से जितेन्द्रिय होकर नीति शास्त्र का अनुसरण करनेवाले राजा के घर में लक्ष्मी उड़लती रहती है तथा उसकी कीर्ति स्वर्ग तक फैल जाती है ।

आन्वीक्षिकी त्रयी वार्ता दृढनीतिश्च शाश्वती ।

विद्याश्चतस्र एवैता अभ्यसेन्नृपतिः सदा ॥ १५२ ॥

आन्वीक्षिकी आदि के लक्षण—आन्वीक्षिकी (गौतमादि-रचित तर्क-शास्त्रादि), त्रयी (अत्र के सहित ऋक्, यजु, साम ये ३ वेद), वार्ता (व्यवहार शास्त्र), दृढनीति (अर्थशास्त्र) ये चारों विद्यायें सनातन हैं । राजा को इनका सदा अभ्यास करना चाहिये ।

आन्वीक्षिक्यां तर्कशास्त्रं वेदांताद्यं प्रतिष्ठितम् ।

त्रय्यां धर्मो ह्यधर्मश्च कामोऽकामः प्रतिष्ठितः ॥ १५३ ॥

अर्थानर्थौ तु वार्तायां दृढनीत्यां नयानर्थौ ।

वर्णाः सर्वाश्रमाश्चैव विद्यास्वासु प्रतिष्ठिताः ॥ १५४ ॥

यहां पर 'आन्वीक्षिकी' में तर्कशास्त्र-वेदान्तादि की और 'त्रयी' में धर्म, अधर्म, काम, मोक्ष इनकी बातें हैं । 'वार्ता' में अर्थ और अनर्थ विषय का एवं 'दृढनीति' में न्याय, अन्याय, ४ वर्ण, ४ आश्रम के विषयों का ज्ञान है । इस भांति से इन विद्याओं में ये सब बातें भरी हुई हैं ।

अंगानि वेदाश्चत्वारो भीमांसा न्यायविस्तरः ।

धर्मशास्त्रपुराणानि त्रयीदं सर्वमुच्यते ॥ १५५ ॥

शिखा, कल्प, न्याकरण, निरुक्त, उद्यौतिष, छन्द ये ६ वेद के अङ्ग, ऋग्, यजु, साम, अधर्व ये ४ वेद, भीमांसा, न्याय शास्त्र का विस्तार, धर्मशास्त्र, पुराण इन सबों को 'त्रयी' कहते हैं ।

कुसीदकृपिवाणिज्यं गोरक्षा वार्तयोच्यते ।

संपन्नो वार्तया साधुर्न वृत्तेर्भयमृच्छति ॥ १५६ ॥

कुसीद (छूद लेना), कृपि (खेती), वाणिज्य (व्यापार), गोपालन, इन सबों को वार्ता कहते हैं । इस वार्ता शास्त्र का भली-भांति ज्ञान रखने-वाला राजा जीविका-सबन्धी भय को नहीं प्राप्त करता है ।

दम्भो दृढ इति ख्यातस्तस्माद्दंडो महीपतिः ।

दमको 'दण्ड' कहते हैं। इसमें (दण्ड देने से) राजा दण्ड रूप है। उसकी नीति को दण्डनीति कहते हैं। नयन अर्थात् ले जाने से नीति कहते हैं। भावार्थ यह है कि—दण्ड नीति से राजनीति का ग्रहण किया है क्योंकि इसी से वह प्रजाओं को अपने २ धर्म की ओर ले जाता है।

आन्वीक्षिक्यात्मविज्ञानाद्धर्मशोकौ व्युदस्यति ।

उभौ लोकाववाप्नोति त्रय्यां तिष्ठन्यथाविधि ॥ १५८ ॥

आन्वीक्षिकी विद्या आत्मज्ञान कराने से हर्ष तथा शोक को दूर करती है। त्रयी विद्या के अनुसार यथाविधि-कार्य करता हुआ राजा इहलोक तथा परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है।

आनृशंस्य परो धर्मः सर्वप्राणभृतां यतः ।

तस्माद्राजाऽऽनृशंस्येन पालयेत्कृपणं जनम् ॥ १५९ ॥

सब प्राणिनों के सबन्ध में क्रूरता न करना ही परम धर्म है। अतः राजा अक्रूरता से दीन-निःसहाय जन का पालन करे।

नहि स्वसुखमन्विच्छन्पीडयेत्कृपणं जनम् ।

कृपणः पीड्यमानः स्वमृत्युना हन्ति पार्थिवम् ॥ १६० ॥

और बेवक, अपने सुख की इच्छा से दानजन को पीडा न पहुँचाये, क्योंकि पीडित किया जाता हुआ दीन अपनी मृत्यु से (पीडा पहुँचाने से) राजा को नष्ट कर देता है।

सुजनैः संगमं कुर्याद्धर्माय च सुखाय च ।

सेव्यमानस्तु सुजनैर्महानतिविराजते ॥ १६१ ॥

सुजनों के साथ संगति करने का निर्देश—धर्म और सुख पाने के लिये सुजनों के साथ संगति रखनी चाहिये, क्योंकि सुजनों से सेवित राजा अत्यन्त महत्त्व को प्राप्त कर सुशोभित होता है।

हिमांशुमालीव तथा नवोत्फुल्लोत्पलं सरः ।

आनन्दयति चेतांसि यथा सुजनचेष्टितम् ॥ १६२ ॥

जैसे चन्द्रमा तथा नवीन खिले कमलोंवाला तालाव लोगों के चित्त को आनन्दित करता है उसी भाँति सुजनों का व्यवहार भी आनन्दित करता है ॥

श्रीधमसूर्याशुसंततप्तमुद्वेजनमनाश्रयम् ।

मरुस्थलमिवोदग्रं त्यजेद् दुर्जनसंगतम् ॥ १६३ ॥

श्रीधमशत्रु के सूर्य की किरणों से अत्यन्त संतप्त, उद्वेग पैदा करनेवाला, छाया के लिये वृक्षादि के आश्रय से हीन मरुभूमि की भाँति उद्वेग दुर्जन की संगति का परिधायक करना चाहिये।

निःश्वासोद्वीणहुतभुग्धूमधूम्रीकृताननैः ।

वरमाशीविषैः संगं कुर्यान्न त्वेव दुर्जनैः ॥ १६४ ॥

निःश्वास से निकले हुये विषाग्नि के धूम से धूमिल मुखवाले सपों का साथ रखना अच्छा है किन्तु दुर्जनों का साथ अच्छा नहीं है ।

क्रियतेऽभ्यर्हणीयाय सुजनाय यथाऽजतिः ।

ततः साधुतरः कार्यो दुर्जनाय हितायिना ॥ १६५ ॥

हित चाहनेवाले व्यक्ति के लिये उचित है कि वह जिस प्रकार भाद्रणीय सज्जनों के लिये हाथ जोड़ता है उससे अधिक दुर्जन के लिये हाथ जोड़े अर्थात् सुजन से अधिक दुर्जन का संमान उसके प्रसन्नतार्थ करे ।

नित्यं मनोपहारिण्या वाचा प्रह्लादयेज्जगत् ।

उद्वेजयति भूतानि क्रूरवाग्धनदोऽपि सन् ॥ १६६ ॥

मनोहर वचन बोलने का निर्देश—नित्य मनोहर वचनों से जगत् को भानन्दित करना चाहिये । क्योंकि यदि धन देनेवाला कुवेर के समान भी हो किन्तु क्रूर वाणी बोलने से वह मनुष्यों को उद्दिग्ध ही करता है ।

हृदि विद्ध इवात्यर्थं यथा संतप्यते जनः ।

पीडितोऽपि हि भेधावी न तां वाचमुदीरयेत् ॥ १६७ ॥

पीडित होने पर भी बुद्धिमान व्यक्ति ऐसी वाणी न बोले जिससे सुनने वाला व्यक्ति हृदय में बाण से विद्ध हुये की भांति अत्यन्त क्षुब्धपटाने लगे ।

प्रियमेवाभिधातव्यं नित्यं सत्सु द्विषःसु वा ।

शिखीव केकां मधुरां वाचं ब्रूते जनप्रियः ॥ १६८ ॥

सज्जन अथवा दुर्जन सभी के साथ सदा मधुर वचन बोलना चाहिये, क्योंकि जो मनुष्य मयूर की भांति प्रिय वचन बोलता है वह जनप्रिय होता है ।

मदरक्तस्य हंसस्य कोकिलस्य शिखाडिनः ।

हरन्ति न तथा वाचो यथा वाचो विपश्चिताम् ॥ १६९ ॥

मद से युक्त हंस, कोकिल या मयूर की वाणी वैसा मनको नहीं हरण करती है जैसा अच्छे विद्वानों की वाणी ।

ये प्रियाणि प्रभापन्ते प्रियमिच्छन्ति सत्कृतम् ।

श्रीमन्तो बन्धचरिता देवास्ते नरविग्रहाः ॥ १७० ॥

जो लोग प्रिय वचन बोलते हैं और अपने प्रिय का सत्कार करना चाहते हैं, ऐसे प्रशंसनीय चरितवाले श्रीमान लोग मनुष्य रूप में देवता ही हैं ॥

नहीदृशं संवननं त्रिषु लोकेषु विद्यते ।

दया मैत्री च भूतेषु दानं च मधुरा च वाक् ॥ १७१ ॥

तीनों लोकों में ऐसा दूसरा कोई वशीकरण नहीं है जैसा कि—प्राणियों

पर दया तथा मैत्री का भाव रखना एवं उन्हें अभीष्ट दान देना तथा प्रिय वचन बोलना है, इनसे मनुष्य वशीभूत हो जाता है ।

श्रुतिरास्तिकथपूतात्मा पूजयेद्देवतां सदा ।

देवतावद् गुरुजनमात्मवच्च सुहृज्जनम् ॥ १७२ ॥

आस्तिकता से पवित्र चित्त होकर सदा देवता की पूजा करै और देवता की भांति गुरुजनों की एवं अपने समान सुहृज्जनों का संमान करै ॥

प्रणिपातेन हि गुरुन् सतोऽनूचानचेष्टितैः ।

कुर्वाताभिमुखान्देवान् भूत्यै सुकृतकर्मणाम् ॥ १७३ ॥

साङ्ग-वेदज्ञ ब्राह्मणों से युक्त होकर, राजा प्रणाम के द्वारा गुरुजनों तथा सज्जनों एवं देवताओं को अपने अनुकूल करै । इससे पुण्य की वृद्धि होती है और उससे वह सुखी होता है ।

सद्भावेन हरेन्मित्र सद्भावेन च बाधवान् ।

स्त्रीभृत्यौ प्रेममानाभ्यां दाक्षिण्येनेतरं जनम् ॥ १७४ ॥

सद्भाव से मित्र तथा बान्धवों के, प्रेम तथा मान (सत्कार) से स्त्री और भृत्य के एवं मनके अनुकूल कार्य करने से मूर्ख के चित्त को अपने वशीभूत करै ।

बलवान्बुद्धिमाब्धूरो यो हि युक्तपराक्रमो ।

त्रित्तपूर्णा महीं भुङ्क्ते स भूयो भूपतिर्भवेत् ॥ १७५ ॥

जो राजा बलवान्, बुद्धिमान्, शूर तथा उचित समय पर पराक्रम करने-वाला होता है, वह धन से पूर्ण पृथ्वी का उपभोग करता है और वही राजा वस्तुतः राजा है ।

पराक्रमो बलं बुद्धिः शौर्यमेते वरा गुणाः ।

एभिर्हीनोऽन्यगुणयुग्महीभुक् सधनोऽपि च ॥ १७६ ॥

महो स्वल्पां नैव भुङ्क्ते द्रुत राज्याद्विनश्यति ।

महाधनाच्च नृपतेर्विभात्यल्पोऽपि पार्थिवः ॥ १७७ ॥

अव्याहताज्ञस्तेजस्वी एभिरेव गुणर्भवेत् ।

राज्ञः साधारणास्त्वन्ये न शक्ता भूपसाधने ॥ १७८ ॥

पराक्रम, बल, बुद्धि, शूरता ये श्रेष्ठ गुण कहलाते हैं । इन गुणों से होकर होकर यदि इनसे भिन्न गुणों से युक्त भी हो और धनवान् भी हो तो वह राजा थोड़ा भी भूमि का स्वामी नहीं होता है और यदि हो तो उसका राज्य क्षीण नष्ट हो जाता है । महाधनवान् राजा की अपेक्षा छोटा राजा भी सुशोभित होना है क्योंकि पराक्रमादि इन्हीं गुणों से उसकी आज्ञा नहीं टाली जाती है और वह तेजस्वी होता है । राजा के इससे भिन्न सभी गुण साधारण माने जाते हैं उनसे पृथ्वी-पालन या राज्य का विस्तार नहीं हो सकता है ।

खनिः सर्वधनस्येयं देवदैत्यविमर्दिनी ।

भूम्यर्थे भूमिपतय स्यात्मानं नाशयंत्यपि ॥ १७६ ॥

यह पृथ्वी सब धनों की खान तथा देवता और दैत्यों का नाश कराने वाली है क्योंकि राजा लोग पृथ्वी के लिये अपने को भी नष्ट कर देते हैं ।

उपभोगाय च धनं जीवित येन रक्षितम् ।

न रक्षिता तु भूर्येन किं तस्य धनजीवितैः ॥ १८० ॥

जिसने उपभोग करने के लिये अपने धन तथा जीवन की रक्षा की, किन्तु पृथ्वी की रक्षा नहीं की, उसके धन तथा जीवन से क्या है अर्थात् कुछ लाभ नहीं है ।

न यथेष्टव्ययायात् संचिते नु धनं भवेत् ।

सदागमाद्विना कस्य कुबेरस्यापि नाञ्जसा ॥ १८१ ॥

चाहे वह कुबेर ही क्यों न हो किसी का भी संचित धन नित्य घनागम के बिना ह्चञ्जानुसार व्यय करने के लिये योग्य नहीं होता है अर्थात् एक दिन समाप्त हो जाता है । इसलिये पृथ्वी धन से बढ़कर अन्य कोई धन नहीं है ।

पूज्यस्त्वेभिर्गुणैर्भूपो न भूपः कुलसंभवः ।

न कुले पूज्यते यादृग्वलशौर्यपराक्रमैः ॥ १८२ ॥

इन पूर्वोक्त गुणों से ही राजा वस्तुतः पूज्य होता है, राजकुल में केवल उत्पन्न होने से नहीं, क्योंकि जैसी प्रतिष्ठा बल, शूरता और पराक्रम से होती है वैसी केवल कुल से राजा की प्रतिष्ठा नहीं होती ।

लक्ष्कर्पमितो भागो राजतो यस्य जायते ।

वत्सरे वत्सरे नित्यं प्रजानां त्वविपीडनैः ॥ १८३ ॥

सामंतः स नृपः प्रोक्तो यावल्लक्षत्रयावधि ।

तदूर्ध्वं दशलक्षान्तो नृपो मांडलिकः स्मृतः ॥ १८४ ॥

तदूर्ध्वं तु भवेद्राजा यावद्विंशतिलक्षकः ।

पंचाशलक्षपर्यन्तो महाराजः प्रकीर्तितः ॥ १८५ ॥

राजा के सामन्तादि भेदों का निर्देश—जिसके राज्य से प्रतिवर्ष बिना प्रजा को पीड़ित किये ही एक लक्ष (१०००००) राजत (चांदी का) कर्प (रूपया) से लेकर ३ लक्ष तक वार्षिक कर (मालगुजारी) मिलता है वह राजा 'सामन्त' कहलाता है । उसके बाद १० लक्ष पर्यन्त वार्षिक कर मिलने से 'माण्डलिक' राजा और उसके बाद २० लक्ष तक वार्षिक कर मिलने से 'राजा' कहलाता है एवं ५० लक्ष तक वार्षिक कर मिलने से 'महाराज' कहलाता है ।

ततस्तु कोटिपर्यंतः स्वराट् सम्राट् ततः परम् ।

दशकोटिमितो यावद्विराट् तु तदनन्तरम् ॥ १८६ ॥

उसके बाद १ कोटि (करोड़) पर्यन्त वार्षिक आय होने से राजा 'स्वराट्' कहलाता है और उसके बाद १० कोटि पर्यन्त आय होने से 'सत्राट्' कहलाता है । उसके बाद ५० कोटि पर्यन्त 'विराट्' कहलाता है ।

पंचाशत्कोटिपर्यन्तं सार्वभौमस्ततः परम् ।

सप्तद्वीपा च पृथिवी यस्य वश्या भवेत्सदा ॥ १८७ ॥

इससे अधिक वार्षिक आय होने से राजा 'सार्वभौम' कहलाता है और इसके मदा अधीन सातो द्वीपों से युक्त संपूर्ण पृथ्वी रहती है ।

स्वभागभृत्या दास्यत्वे प्रजानां च नृपः कृतः ।

ब्रह्मणा स्वामिरूपस्तु पालनार्थं हि सर्वदा ॥ १८८ ॥

प्रजाओं से अपना वार्षिक कर रूप वेतन स्वीकार करने से स्वामी रूप में स्थित राजा को ब्रह्मा जी ने प्रजाओं के पालनार्थं मदा दास बनाया है ।

सामन्तादिसमा ये तु भृत्या अधिकृता भुवि ।

तेन सामन्तसंज्ञा. स्यु राजभागहराः क्रमात् ॥ १८९ ॥

राजा के द्वारा भूमि का कर संग्रह करने के लिये रखे हुये जो नौकर सामन्त आदि के तुल्य हैं अर्थात् १ लाख कर संग्रह करते हैं वे 'अनु-सामन्त' कहलाते हैं ।

सामन्तादिपदभ्रष्टास्तत्तुल्यं भृतिपोषिताः ।

महाराजादिभिस्ते तु हीनसामन्तसंज्ञकाः ॥ १९० ॥

जो महाराज आदि के द्वारा सामन्त आदि पद से हटाकर उसके तुल्य वेतन देकर पालित होते हैं वे 'हीनसामन्त' कहलाते हैं ।

शतग्रामाधिपो यस्तु सोऽपि सामन्तसंज्ञकः ।

शतग्रामे चाधिकृतोऽनुसामन्तो नृपेण सः ॥ १९१ ॥

और १०० ग्रामों का जो अधिपति होता है वह भी 'सामन्त' कहलाता है । और जो राजा द्वारा १०० ग्रामों का कर-संग्रहार्थं वेतन देकर नियुक्त किया जाता है वह भी 'अनुसामन्त' कहलाता है ।

अधिकृतो दशग्रामे नायकः स च कीर्तितः ।

आशापालोऽयुतग्रामभागभाक् च स्वराडपि ॥ १९२ ॥

दश ग्रामों का कर-संग्रहार्थं जो अधिकारी (वेतन देकर) नियुक्त किया जाता है वह 'नायक' कहलाता है । और १०००० दश हजार ग्रामों से कर संग्रह करने वाला 'आशापाल' अथवा 'स्वराट्' कहलाता है ।

भवेत्क्रोशात्मको ग्रामो रूय्यकर्षमहस्रकः ।

ग्रामार्थकं पल्लिसंज्ञं पल्ल्यर्थं कुंभसंज्ञकम् ॥ १९३ ॥

भूमि के मानभेदों का निर्देश—ग्राम १ क्रोश वर्ग का होता है । और उसकी मालगुजारी १००० रजत मुद्रा (रूपये) की होती है । ग्राम का आधा प्रमाण 'पल्ली' का होता है और पल्ली का आधा प्रमाण 'कुम्भ' का होता है ।

करैः पंचसहस्रैर्वा क्रोशः प्रोक्तः प्रजापतेः ।

हस्तैश्चतुःसहस्रैर्वा मनोः क्रोशस्य विस्तरः ॥ १६४ ॥

पांच हजार ५००० हाथों का प्रजापति-संबन्धी 'क्रोश' होता है । और चार हजार ४००० हाथों का विस्तार मनु-सम्बन्धी क्रोश का होता है ।

सार्धं द्विकोटिहस्तैश्च क्षेत्रं क्रोशस्य ब्रह्मणः ।

पंचविंशशतैः प्रोक्तं क्षेत्रं तद्विनिवर्तनैः ॥ १६५ ॥

ढाई २॥ करोड़ हाथों का ब्रह्मा के क्रोश का क्षेत्र होता है । और उसके २५०० विनिवर्तनों से क्षेत्र कहलाता है ।

मध्यमामध्यमपर्वदैर्घ्यं यच्चतुरंगुलम् ।

यत्रोदरैरष्टभिस्तु दैर्घ्यं स्थौल्यं तु पंचभिः ॥ १६६ ॥

मध्यमा अंगुलि के मध्यम पर्व की मांति लम्बाई १ अंगुल की होती है । और ८ जौ के उदर के समान लम्बाई तथा पांच जौ के उदर की मांति मुटाई १ अङ्गुल की होती है ।

चतुर्विंशत्यंगुलैस्तैः प्राजापत्यः करः स्मृतः ।

स श्रेष्ठो भूमिमाने तु तदन्यास्त्वधमा मताः ॥ १६७ ॥

वैसी २४ अंगुलियों का १ प्राजापत्य कर (हाथ) होता है । और भूमि के नापने में यही श्रेष्ठ होता है, इससे अन्य सभी अधम कहलाते हैं ।

चतुःकरात्मको दंडो लघुः पंचकरात्मकः ।

तदङ्गुलं पंचयवैर्मानवं मानमेव तत् ॥ १६८ ॥

४ हाथ का जो 'दण्ड' होता है वह 'लघु' कहलाता है । और ५ हाथ का 'दण्ड' 'दीर्घ' कहलाता है । और जो ५ जौ का अंगुल होता है वह मानव-मान से होता है ।

वसुपण्मुनिसंख्याकैर्यवैर्दण्डः प्रजापतेः ।

यत्रोदरैः पटशतैस्तु मानवो दण्ड उच्यते ॥ १६९ ॥

७६८ यव-प्रमाण 'प्रजापति' का दण्ड होता है । ६०० यव-प्रमाण 'मानव दण्ड' होता है ।

पंचविंशतिभिर्दण्डैरुभयोस्तु निवर्तनम् ।

त्रिंशच्छतैरङ्गुलैर्यवैस्त्रिपञ्चसहस्रकैः ॥ २०० ॥

२५ पचीस दण्डों का दोनों का निवर्तन होता है । अथवा ३००० अंगुल या १५००० यवों का उक्त निवर्तन होता है ।

सपादशतहस्तैश्च मानवं तु निवर्तनम् ।

ऊनविंशतिसाहस्रैर्द्विशतैश्च यवोदरैः ॥ २०१ ॥

१२५ हाथों का मानव निवर्तन होता है या १२२०० यवों का होता है ।

चतुर्विंशशतैरेव ह्यंगुलैश्च निवर्तनम् ।

प्राजापत्यं तु कथितं शतैश्चैव करैः सदा ॥ २०२ ॥

२४०० अंगुलों का निवर्तन होता है, १०० हाथों का प्राजापत्य निवर्तन होता है ।

सपादपट्शतं दंडा उभयोश्च निवर्तने ।

निवर्तनान्यपि सदोभयोर्वै पंचविंशतिः ॥ २०३ ॥

दोनों के निवर्तन में ६२५ दण्ड होते हैं । उन दोनों के निवर्तन सदा २५ होते हैं ।

पंचसप्ततिसाहस्रैरंगुलैः परिवर्तनम् ।

मानवं षष्टिसाहस्रैः प्राजापत्यं तथांगुलैः ॥ २०४ ॥

७५००० अङ्गुलों का 'मानव'-संज्ञक परिवर्तन और ६०००० अङ्गुलों का 'प्राजापत्य' परिवर्तन होता है ।

पञ्चविंशतिर्द्विहस्तैरेकत्रिंशशतैर्मनोः ।

परिवर्तनमाख्यातं पञ्चविंशशतैः करैः ॥ २०५ ॥

प्राजापत्यं पादहीनचतुर्लक्षयवर्मनोः ।

अशीत्यधिकसाहस्रचतुर्लक्षयवैः परम् ॥ २०६ ॥

३१२५ हाथों का 'मानव' परिवर्तन और २५०० हाथों का 'प्राजापत्य' परिवर्तन होता है । और ३००००० यवों का 'मानव परिवर्तन' होता है ।

४८०००० यवों का 'प्राजापत्य परिवर्तन' होता है ।

निवर्तनानि द्वात्रिंशन्मनुमानेन तस्य वै ।

चतुःसहस्रहस्ताः स्युर्दंडाश्चाष्टशतानि हि ॥ २०७ ॥

मनु के मान से ३२ निवर्तनों का ४००० हाथ, और ८०० दण्ड होते हैं ।

पचविंशतिभिर्दंडैर्भुजः स्यात्परिवर्तने ।

करैरयुनसंख्याकैः क्षेत्रं तस्य प्रकीर्तितम् ॥ २०८ ॥

परिवर्तन में २५ दण्डों का भुज होता है १०००० दश हजार हाथों का परिवर्तन का क्षेत्र होता है ।

चतुर्भुजैः समं प्रोक्तं कृष्टभूपरिवर्तनम् ।

प्राजापत्येन मानेन भूभागहरणं नृपः ॥ २०९ ॥

सदा कुर्याच्छ स्वायत्तैर्मनुमानेन नान्यथा ।

लोभात् सङ्कर्षयेद्यस्तु हीयते सप्रजो नृपः ॥ २१० ॥

जोती हुई भूमि का परिवर्तन ४ भुजों के समान कहा गया है। राजा सदा 'प्राजापत्य' मान से पृथ्वी के भाग का ग्रहण करे। और आपत्ति-काल में 'मानव' मान से ग्रहण करे। इससे अन्यथा रीति से भूभाग न ग्रहण करे। यदि लोभवश प्रजा से उक्त नियम से अधिक भूभाग ग्रहण करता है तो वह प्रजा-सहित हीन हो जाता है।

न दद्याद् द्वयंगुलमपि भूमेः स्वत्वनिवर्तकम् ।

वृत्त्यर्थं कल्पयेद्वापि यावद्ग्राहस्तु जीवति ॥ २११ ॥

और दो अङ्गुल भी भूमि बिना कर की न छोड़े अर्थात् सब पर कर लगाकर देवे। अथवा जितने से वह अपनी जीविका चला सके उतनी भूमि उसे दे देवे। ऐसा राजा का कर्त्तव्य है।

गुणी तावद् देवतार्थं विसृजेच्च सदैव हि ।

आरामार्थं गृहार्थं वा दद्याद् दृष्ट्वा कुटुम्बिनम् ॥ २१२ ॥

गुणवान राजा देवता के मन्दिर या बगीचा-निर्माणार्थं सदा भूमि का बिना कर के दान करे और कुटुम्बी को देखकर उसे गृह-निर्माणार्थं भूमि देवे।

नानावृक्षलताकीर्णं पशुपक्षिगणावृते ।

सुबहूदकधान्ये च तृणकाप्रसुखे सदा ॥ २१३ ॥

आसिधुनौगमाकूले नातिदूरमहीधरे ।

सुरम्यसमभूदेशे राजधानीं प्रकल्पयेत् ॥ २१४ ॥

राजधानी बनाने योग्य प्रदेश के लक्षण—नाना प्रकार के वृक्ष तथा लता से व्याप्त, पशु तथा पक्षिगणों से युक्त, बहुत जल तथा धान्य से पूर्ण, सदा तृण तथा काष्ठ मिलने की सुविधा से युक्त, समुद्र पर्यन्त नौका से गमन करने लायक नदी के तट एवं सुरम्य सम भूमिवाले ऐसे भूप्रदेश में राजा राजधानी का निर्माण करे।

अर्धचन्द्रां वर्तुलां वा चतुरस्रां सुशोभनाम् ।

सप्राकारां सपरिखां ग्रामादीनां निवेशिनीम् ॥ २१५ ॥

सभामध्यां कूपबापीतडागादियुतां सदा ।

चतुर्दिक्षु चतुर्द्वारां सुमार्गारामवीथिकाम् ॥ २१६ ॥

दृढसुरालयमठपान्थशालाविराजिताम् ।

कल्पयित्वा वसेत्तत्र सुगुप्तः सप्रजो नृपः ॥ २१७ ॥

देखने में अर्धचन्द्र या गोल या चौकोर आकारवाली, अव्यन्त शोभायमान, प्राकार (चहारदीवारी) और परिखा (खाई) से युक्त, ग्रामादि बसाने लायक हो और जिसके मध्य में सभा-मण्डप हो, एवं सदा, कूप, बावड़ी, तडाग आदि से युक्त, चारों दिशाओं में ४ द्वार बने हुये, सुन्दर मार्ग, बगीचा,

और सोने के लिये, विहार, जलपान तथा रोदन करने के लिये, धान्य आदि तथा जांत रखने के लिये, दासी-दासों के रहने के लिये एवं मल-मूत्रादि त्याग करने के लिये क्रम से (सिलसिलेवार) गृह दक्षिण दिशा में बनवावे। और गो, मृग, ऊंट, हाथी आदि के लिये पश्चिम दिशा में गृह बनवावे।

रथवाज्यस्त्रशस्त्रार्थं व्यायामायामिकार्थकम् ।

वस्त्रार्थकं तु द्रव्यार्थं विद्याभ्यासार्थमेव च ॥ २२६ ॥

उदग्गृहान् प्रकुर्वीत सुगृहान् सुमनोहरान् ।

यथासुखानि वा कुर्याद् गृहाण्येतानि वै नृपः ॥ २२७ ॥

रथ, घोड़े, अस्त्र, शस्त्र के लिये, कसरत का विस्तार करने के लिये, वस्त्र तथा द्रव्य रखने एवं विद्याभ्यास करने के लिये सुरक्षित तथा सुन्दर गृह उत्तर दिशा में बनवावे। अथवा राजा अपनी सुविधा के अनुसार द्वा द्वार सब गृहों को बनवावे।

धर्माधिकरणं शिल्पशालां कुर्यादुदग्गृहात् ।

पंचमांशाधिकोच्छ्रया भित्तिर्विस्तारतो गृहे ॥ २२८ ॥

राजा भवन से उत्तर दिशा की ओर कचहरी और शिल्पशाला (चित्रादि-गृह) बनवावे। गृह को लम्बाई से पांचवें भाग के बराबर ऊंची भीत बनवावे।

कोष्ठविस्तारपष्ठांशस्थूला सा च प्रकीर्तिता ।

एकभूमेरिदं मानमूर्ध्वमूर्ध्वं समं ततः ॥ २२९ ॥

कोठरी के लम्बान से ढुंठां भाग के समान मोटी भीत उठानी चाहिये। यह एक मंजिले मकान के लिये मान कहा है। इसके बाद ऊपर-ऊपर के अन्य मंजिलों का भी इसी भांति समझना चाहिये।

स्तम्भैश्च भित्तिभिर्वापि पृथक्कोष्ठानि संन्यसेत् ।

त्रिकोष्ठं पञ्चकोष्ठं वा सप्तकोष्ठं गृहं स्मृतम् ॥ २३० ॥

स्तम्भों अथवा भित्तियों से पृथक् कोठरियों को बनवावे। और एक गृह में ३-५ अथवा ७ कोठरियां बनवावे।

द्वारार्थमष्टधा भक्तं द्वारस्यांशौ तु मध्यमौ ।

द्वौ द्वौ ज्ञेयौ चतुर्दिक्षु धनपुत्रप्रदौ नृणाम् ॥ २३१ ॥

द्वार बनाने के लिये गृह के आठ भाग करके उसमें से बीच के दो भागों में द्वार बनाना चाहिये। इसी भांति से चारों दिशाओं में मध्यम के दो २ भागों में द्वार बनाना चाहिये। ऐसे द्वार मनुष्यों के धन तथा पुत्र देनेवाले होते हैं।

तत्रैव कल्पयेद् द्वारं नान्यथा तु कदाचन ।

वातायनं पृथक्कोष्ठे कुर्यादाह्वसुखावहम् ॥ २३२ ॥

उन्हीं भागों में द्वार बनाना चाहिये इससे अन्य भागों में कभी नहीं द्वार बनाना चाहिये । और प्रत्येक कोठरियों में सुविधानुसार हवा आने के लिये जंगले बनवावे ।

अन्यगृहद्वारविद्धं गृहद्वारं न चिन्तयेत् ।

वृक्षकोणस्तम्भमार्गपीठकूपैश्च वेधितम् ॥ २३३ ॥

अन्य किसी गृह के द्वार से विद्ध (वेध खाता हुआ) गृह का द्वार नहीं बनाना चाहिये । एवं वृक्ष, कोण, स्तम्भ, मार्ग बैठने का चबूतरा तथा कूप से भी विद्ध गृहद्वार नहीं होना चाहिये ।

प्रासादमण्डपद्वारे मार्गवेधो न विद्यते ।

गृहपीठं चतुर्थांशमुद्रा यस्य प्रकल्पयेत् ॥ २३४ ॥

प्रासाद (राजा या देवता का मन्दिर) और मण्डप के द्वार में मार्ग के वेध का विचार नहीं करना चाहिये । गृहपीठ का प्रमाण प्रासाद या मण्डप के चतुर्थांश तुल्य होना चाहिये ।

प्रासादानां मण्डपानामर्धांशं वाऽपरे जगुः ।

परवातायनैर्विद्धं नापि वातायनं स्मृतम् ॥ २३५ ॥

कोई २ ऋषि प्रासाद या मण्डप के अर्धांश तुल्य गृहपीठ का प्रमाण बताते हैं । दूसरे जंगलों से जंगला विंधा हुआ नहीं होना चाहिये ।

विस्तारार्धांशमधोच्चाच्छदिः स्वर्परसम्भवा ।

पतितं तु जल तस्यां सुख गच्छति वाप्यधः ॥ २३६ ॥

हीना निम्ना छदिर्न स्यात्तादृक्कोष्ठस्य विस्तरः ।

गृह के विस्तार के अर्धांश के तुल्य खपड़े की छाजन की मूळ ऊंचाई होनी चाहिये । जिससे उसके ऊपर गिरी हुई जल की धारा सुखपूर्वक नीचे गिर जाय । जैसा कोठरी का विस्तार हो उससे हीन या निम्न उसका छाजन नहीं होना चाहिये ।

स्वोच्छ्रायस्यार्धमूलो वा प्राकारः सममूलकः ॥ २३७ ॥

तृतीयांशकमूलो वा ह्युच्छ्रायार्धप्रविस्तरः ।

उच्छ्रितस्तु तथा कार्यो दस्युभिर्न विलंभ्यते ॥ २३८ ॥

और अपनी ऊंचाई से आधा या समान मूल भाग जिसका है ऐसा प्राकार (चाहारदीवारो) होना चाहिये । अथवा ऊंचाई के तृतीयांश के बराबर मूलभाग एवं ऊंचाई की आधी चौड़ाई प्राकार की होनी चाहिये । और उसकी ऊंचाई उतनी होनी चाहिये, जिससे बाहू लोग उसे नाथ न सकें ।

यामिकं रक्षितो नित्यं नालिकाह्यैश्च संयुतः ।

सुषुहुददगुल्मश्च सुगवाक्षप्रणालिकः ॥ २३९ ॥

स्वहीनप्रतिप्राकारो ह्यसमीपमहीधरः ।

परिखा च ततः कार्यं खाताद् द्विगुणविस्तरा ॥ २४० ॥

नातिसमीपप्राकारा ह्यग्नाधसलिला शुभा ।

राजा के योग्य दुर्ग बनाने का निर्देश—चौकीदारों से नित्य सुरक्षित तथा नालिकाओं (तोपों) से युक्त भलीभांति से बहुत से कुशादि के गुच्छे जिस पर उगे हुये हों और जिसमें सुन्दर रीति से खिड़कियों की नालियां बनी हों, एवं जिसके बाद में उससे छोटा दूसरा प्राकार बना हो और जिसके समीप में पर्वत न हो ऐसा प्राकार (परकोटा) बनाना चाहिये । और उसके बाद ऐसी परिखा (खाई) बनानी चाहिये । जिनकी चौड़ाई उसकी गहराई से दुगुनी हो । और जिसके अत्यन्त समीप में प्राकार (परकोटा) न खिंचा हो, वं जिसमें अग्नाध जल भरा हो ।

युद्धसाधनसम्भारैः सुयुद्धकुशलैर्विना ॥ २४१ ॥

न श्रेयसे दुर्गवासो राज्ञः स्याद् बन्धनाय सः ।

युद्ध करने के योग्य साधन-सामग्रियों (शस्त्रास्त्र, गोला, बारूद) एवं युद्ध में निपुण योद्धाओं के बिना दुर्ग में केवल निवास करना राजा के लिये बहयाणकारक नहीं होता है प्रत्युत उससे उसका बन्धन हो जाता है ।

राज्ञा राजसभा कार्यं सुगुप्ता सुमनोरमा ॥ २४२ ॥

त्रिकोष्ठैः पञ्चकोष्ठैर्वा सप्तकोष्ठैः सुविस्तरा ।

दक्षिणोदक्त्यादीषा प्राक्प्रत्यग्द्विगुणाथवा ॥ २४३ ॥

त्रिगुणा वा यथाकाममेकभूमिर्द्भिभूमिका ।

त्रिभूमिका वा कर्तव्या सोपकार्याशिरोगृहा ॥ २४४ ॥

परितः प्रतिकोष्ठे तु वातायनविराजिता ।

राजसभा कैसी बनानी चाहिये इसका निर्देश—राजा ऐसी राजसभा बनवावे, जो भलीभांति सुरक्षित, अत्यन्त सुन्दर दक्षिण से उत्तर की तरफ लम्बी अथवा पूर्व से पश्चिम की तरफ दुगुनी किंवा त्रिगुनी लम्बी हो । एवं अपनी इच्छानुसार एकमंजिल, दुमंजिल या तीन मंजिल की हो, और जिसमें ऊपर के गृह में शामियाना तना हो और जिसके प्रत्येक गृहों में खिड़कियां हों ।

पार्श्वकोष्ठात्तु द्विगुणो मध्यकोष्ठस्य विस्तरः ॥ २४५ ॥

पञ्चमांशाधिकं त्वौच्चं मध्यकोष्ठस्य विस्तरात् ।

विस्तारेण समं त्वौच्चं पञ्चमांशाधिकं तु वा ॥ २४६ ॥

बगल के कमरे की अपेक्षा मध्य के कमरे का विस्तार दूता होना चाहिये । और उसकी ऊँचाई कमरे के विस्तार से पञ्चमांश अधिक अथवा विस्तार के समान होना चाहिये ।

कोष्ठकानां च भूमिर्वा छदिर्वा तत्र कारयेत् ।
द्विभूमिके पार्श्वकोष्ठे मध्यमं त्वेकभूमिकम् ॥ २४७ ॥
पृथक्स्तम्भान्तस्तकोष्ठा चतुर्मागंगमा शुभा ।
जलोर्ध्वपातियन्त्रैश्च युता सुस्वरयन्त्रकैः ॥ २४८ ॥
वातप्रेरकयन्त्रैश्च यन्त्रैः कालप्रबोधकैः ।
प्रतिप्रिता च स्वादशैस्तथा च प्रतिरूपकैः ॥ २४९ ॥
एवावधा राजसभा मन्त्रार्था कार्यदर्शने ।

कमरों के ऊपर दूत या खपड़ों का द्वाजन बनाना चाहिये । दुमजिले यदि बगल के कमरे हों तो मध्य का कमरा एक-मजिला होना चाहिये । पृथक् २ स्तम्भों के अन्त में अच्छे कमरों से युक्त, चारों दिशाओं में बने हुए द्वारों से सुशोभित जलयन्त्रों (फव्वारों) तथा सुन्दर स्वरवाले बाजों से हवा पहुचानेवाले यन्त्रों (यन्त्र-चालित, पङ्क्तियों) से, तथा समयसूचक यन्त्रों (घड़ी) एवं सुन्दर शीशों तथा चित्रों से सुसजित इस प्रकार की राजसभा विचार करने एवं कार्य देखने के लिये होनी चाहिये ।

तथाविधामात्यलेख्यसभ्याधिकृतशालिकाः ॥ २५० ॥
कर्तव्याः प्रागुक्त्वैतास्तदर्थाश्च पृथक्पृथक् ।
शतहस्तमिता भूमि त्यक्त्वा राजगृहात्सदा ॥ २५१ ॥

मन्त्री आदि के लिये भवन बनाने का निर्देश—इसी प्रकार से मन्त्री, लेख तथा सभा के सदस्य (कौंसिल के मेम्बर) तथा अधिकारी पुरुषों ३ कमरे होने चाहिये । इन सब कमरों को पूर्वोक्त प्रत्येक कार्यों के लिये पृथक् पृथक् सदा राजभवन से १०० हाथ की दूरी पर बनवाना चाहिये ।

उदग्दिशतहस्तां प्राक्सेनासंवेशनार्थिकाम् ।
आराद्राजगृहस्यैव प्रजानां निलयानि च ॥ २५२ ॥
सधनश्रेष्ठजात्यानुक्रमतश्च सदा बुधः ।
समन्ताद्दि चतुर्दिक्षु विन्पसेच ततः परम् ॥ २५३ ॥

सेनानिवेश-स्थान तथा प्रजावर्गों के स्थानों का क्रम—राजभवन से उत्तर अथवा पूर्व सेनाओं के गृह होने के लिये गृह होना चाहिये । उसके बाद प्रजाओं का गृह राजभवन से दूर होना चाहिये । धनिक और उत्तम वंशवालों का क्रमानुसार राजभवन के चारों दिशाओं में गृह होना चाहिये ।

प्रकृत्यनुप्रकृतयो ह्यधिकारिगणस्ततः ।

सेनाधिपाः पदातीनां गणः सादिगणस्ततः ॥ २५४ ॥
 साश्वश्च सगजश्चापि गजणलगणस्ततः ।
 वृहन्नालिकयन्त्राणि ततः स्वतुरगीगणः ॥ २५५ ॥
 ततः स्वगौलिमकगणो ह्यारण्यकगणस्ततः ।
 क्रमादेपां गृहाणि स्युः शोभनानि पुरे सदा ॥ २५६ ॥

और नगर में प्रकृति (मन्त्री), अनुप्रकृति (मन्त्री के नीचे काम करने वाले), अधिकारियों (अफसरों) के गण, सेनापति, पैदल सिपाहियों का गण, युद्ध सवारों का गण, हथशाला, गजशाला और गजपालों (हस्तिरक्षकों) का गण, बड़ी २ तोपें, घोड़ियों का गण, गोपालों का गण, आरण्यकों (जंगली भिह्लादिकों) का गण इन सबों के लिये क्रम से गृह होने चाहिये ।

पान्थशाला ततः कार्या सुगुप्ता सुजलाशया ।
 सजातीयगृहाणां हि समुदायेन पंक्तिः ॥ २५७ ॥
 निवेशनपुरे ग्रामे प्रागुदङ्मुखमेव वा ।
 सजातिपण्यनिवहैरापणे पण्यवेशनम् ॥ २५८ ॥
 धनिकादिक्रमेणैव राजमार्गस्य पार्श्वयोः ।
 एवं हि पत्तनं कुर्याद् ग्रामं चैव नराधिपः ॥ २५९ ॥

धर्मशाला के निर्माण का निर्देश—और यात्रियों के ठहरने के लिये धर्मशाला होनी चाहिये जो कि सुरक्षित हो तथा सुन्दर जलाशय (कूप आदि) से युक्त हो और जिसमें समान आकारवाले गृहों का समुदाय कतार से हों ऐसे गृह पुर अथवा ग्राम में पूर्व अथवा उत्तर मुख का बनवाने चाहिये । और आपण (बाजार) में एक जाति के पण्यों (बिकनेवाली वस्तुओं) के समूह से युक्त दुकानें बनवानी चाहिये । धनिकादियों के क्रम से राजमार्ग के दोनों तरफ दुकानें बनवानी चाहिये । इस प्रकार से राजा नगर या ग्राम का निर्माण करावे ।

राजमार्गस्तु कर्तव्याश्चतुर्विधु नृपगृहात् ।
 उत्तमो राजमार्गस्तु त्रिंशद्धस्तमितो भवेत् ॥ २६० ॥
 मध्यमो विंशतिकरो दशपद्मकरोऽधमः ।
 पण्यमार्गस्तथा चैते पुरग्रामादिषु स्थिताः ॥ २६१ ॥

राजमार्गादि-निर्माण का निर्देश—राजभवन के चारों दिशाओं में राजमार्ग (प्रधान सड़क) बनवाना चाहिये । उत्तम राजमार्ग ३० हाथ चौड़ी होती है । मध्यम २० हाथ चौड़ी, अधम राजमार्ग १५ हाथ चौड़ा होता है । पुर तथा ग्रामादिकों में इन्हीं ३ प्रकार के पण्यमार्ग (बाजार की सड़कें) हैं ।

करत्रयात्मिका पद्या वीथिः पञ्चकरात्मिका ।

मार्गो दशकरः प्रोक्तो ग्रामेषु नगरेषु च ॥ २६२ ॥

ग्राम और नगरों में पद्या (पगडण्डी) ३ हाथ चौड़ी, वीथि (गली) ५ हाथ चौड़ी और मार्ग १० हाथ चौड़ा बनाया जाता है ।

प्राक्पश्चाद्दक्षिणोदक्तान् याममध्यात् प्रकल्पयेत् ।

पुर हृष्ट्वा राजमार्गान्मुबहुन्कल्पयेन्नृपः ॥ २६३ ॥

राजा ग्राम के मध्य भाग से पूर्व से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर जाने वाले राजमार्ग बनवावे । और उन्हें नगर के अनुसार बहुत सा भी बनवा सकता है ।

न वीथि न च पद्याद्दिहि राजधान्यां प्रकल्पयेत् ।

षड्योजनान्तरेऽरण्ये राजमार्गं तु चोत्तमम् ॥ २६४ ॥

कल्पयेन्मध्यमं मध्ये तयोर्मध्ये तथाधमम् ।

दशहस्तात्मकं नित्यं ग्रामे ग्रामे नियोजयेत् ॥ २६५ ॥

राजधानी में पद्या (पगडण्डी), वीथि (गली) नहीं बनवानी चाहिये । ६ योजन (२४ क्रोश) के अन्तर पर जङ्गल में उत्तम राजमार्ग (३० हाथ चौड़ी सड़क) बनवाना चाहिये । मध्य में मध्यम राजमार्ग (२० हाथ चौड़ी सड़क) बनवाना चाहिये । उन दोनों के मध्य में दश हाथ चौड़ाई का अधम-संज्ञक राजमार्ग प्रत्येक ग्राम में सदा बनवाना चाहिये ।

कूमपृष्ठा मार्गभूमिः कार्या ग्राम्यैः सुसेतुका ।

कुर्यान्मार्गान्पार्वखाताभिर्गमार्थं जलस्य च ॥ २६६ ॥

ग्रामवालों को अपने २ ग्राम की सड़कों की भूमि-का आकार कछुये की पीठ की भांति बनवाना चाहिये । और उसमें आवश्यकतानुसार पुल भी होना चाहिये । और ऐसे मार्ग बनवाने चाहिये, जिसमें जल वहने के लिये दोनों तरफ नालियाँ बनी हों ।

राजमार्गमुखानि स्युर्गृहाणि सकलान्यपि ।

गृहपृष्ठे दासवीथि मलनिर्हरणस्थलम् ॥ २६७ ॥

पंक्तिद्वयगतानां हि गेहानां कारयेत्तथा ।

मार्गान्मुधाशर्करैर्वा घटितान्प्रतिघत्सरम् ॥ २६८ ॥

अभियुक्तनिरुद्धैर्वा कुर्याद् ग्राम्यजनैर्नृपः ।

और जितने गृह हों उनके सभी मुख (प्रधान द्वार) राजमार्ग की तरफ हों । और गृह के पिछुवारे नौकरों के आने-जाने के लिये गली एवं पाखाना हो । गृहों की दो पहिक्तियों के बीच में जो रास्ते हों उन्हें प्रतिवर्ष चूना-कङ्कर

आदि डालकर मरम्मत कराते रहना चाहिये । राजा इसे ग्रामवालों से या कैदियों से ठीक करावे ।

ग्रामद्वयान्तरे चैव पान्थशाला प्रकल्पयेत् ॥ २६९ ॥
 नित्यं सम्भार्जितां चैव ग्रामपैश्च सुगोपिताम् ।
 तत्रागतं तु संपृच्छेत्पान्थ शालाधिपः सदा ॥ २७० ॥
 प्रयातोसि कुतः कस्मात्क गच्छसि ऋतं वद ।
 ससहायोऽसहायो वा सशस्त्रः किं सवाहनः ॥ २७१ ॥
 का जातिः किं कुलं नाम स्थितिः कुत्रास्ति ते चिरम् ।
 इति पृष्ठा लिखेत्सायं शस्त्रं तस्य प्रगृह्य च ॥ २७२ ॥
 सावधानमना भूत्वा स्वापं कुर्विति शासयेत् ।
 तत्रस्थान्गणयित्वा तु शालाद्वारं पिधाय च ॥ २७३ ॥
 संरक्षयेद्यामिकैश्च प्रभाते तान् प्रबोधयेत् ।
 शस्त्रं दद्याच्च गणयेद् द्वारमुद्घाट्य मोचयेत् ॥ २७४ ॥
 कुर्यात्सहायं सीमान्तं तेषां ग्राम्यजनस्सदा ।

धर्मशाला की व्यवस्था—और दो ग्रामों के बीच में १ धर्मशाला बनवानी चाहिये जिसकी नित्य सफाई और रक्षा का प्रबन्ध ग्राम के जमीनदार या मुखिया के द्वारा होनी चाहिये । धर्मशाला का प्रबन्धक वहां ठहरे हुये यात्री से यह पूछे कि—यह सच बताओ कि—तुम कहां से आये हो ? क्यों आये हो ? और कहां जा रहे हो ? क्या तुम्हारे कोई साथी है या अकेले हो ? क्या शस्त्र या सवारी कोई तुम्हारे पास है ? तुम्हारी कौन जाति है ? तुम किस वंश के हो ? तुम्हारा क्या नाम है ? तुम अधिकतर कहां रहते हो अर्थात् तुम्हारा गृह कहां है । ये सब बातें सायंकाल को पूछ कर लिखे और यात्रियों के शस्त्र को अपने पास रख सावधान-मन होकर 'शयन करो' ऐसा कहकर यात्रियों पर शासन रखे । एवं वहां पर आये हुये यात्रियों की सायंकाल में गणना कर धर्मशाला के प्रधान द्वार को बन्द कर चौकीदारों से रात्रिभर रक्षा करावे । और प्रातःकाल यात्रियों को जगावे एवं उनके शस्त्रों को लौटाकर पुनः यात्रियों की गणना करे और फाटक खोलकर उन्हें बाहर कर दे । और ग्राम के लोग सीमा तक जाकर यात्रियों की सदा रक्षा करें ।

प्रकुर्याद्दिनकृत्यं तु राजधान्यां वसन्तृपः ॥ २७५ ॥
 उत्थाय पश्चिमे यामे मुहूर्तद्वितयेन वै ।
 नियतायश्च कत्यस्ति वयश्च नियतः कति ॥ २७६ ॥
 कोशभूतस्य द्रव्यस्य वययः कति गतस्तथा ।
 व्यवहारे मुद्रितायव्ययशेषं कतीति च ॥ २७७ ॥

प्रत्यक्षतो लेखतश्च ज्ञात्वा चाद्य व्ययः कति ।

भविष्यति च तत्तुल्यं द्रव्यं कोशात् निर्हरेत् ॥ २७८ ॥

राजाओं के आवश्यकीय दैनिक कृत्य—राजधानी में रहता हुआ राजा निम्नरीति से प्रतिदिन के कार्यों को करे। जैसे रात्रि के चतुर्थ प्रहर में दो मुहूर्त तक भाज का कितना नियत आय (आमद) है और कितना नियत व्यय (खर्च) है ? खजाने में रखे हुए द्रव्य में से कितना द्रव्य व्यय हुआ, व्यवहार में मुद्रित आय-व्यय होने पर कितना शेष है। यह बात प्रत्यक्ष तथा लेख से जांचकर भाज कितना व्यय होगा अतः उसके अनुसार खजाने से उतना द्रव्य निकलवा कर अलग रख दे।

पश्चात् वेगनिर्मांश्च स्नानं मौहूर्तिकं मतम् ।

सन्ध्यापुराणदानैश्च मुहूर्तद्वितयं नयेत् ॥ २७९ ॥

मुहूर्तों के विभाग द्वारा राजा के कार्यों का निर्देश—इसके बाद १ मुहूर्त तक मल-मूत्रादि का परित्याग और स्नान करे। सन्ध्या कृत्य, पुराणश्रवण और दान करने में दो मुहूर्त तक समय दे।

पारितोषिकदानेन मुहूर्तं तु नयेत्सुधीः ।

धान्यवस्त्रस्वर्णरत्नसेनादेशविलेखनैः ॥ २८० ॥

सायव्ययैर्मुहूर्तानां चतुष्कं तु नयेत्सदा ।

स्वस्थचित्तो भोजनेन मुहूर्तं समुहृन्मृपः ॥ २८१ ॥

समस्तद्वार राजा पारितोषिक (इनाम) देने का कार्य १ मुहूर्त तक करे। सदा धान्य, वस्त्र, सुवर्ण, रत्नों के देखने और सेना के लिये आदेश (हुक्म) लिखने एवं आय-व्यय के निरीक्षण में ४ मुहूर्त तक समय व्यतीत करे। और राजा अपने मित्रों के साथ भोजन करके १ मुहूर्त तक स्वस्थ चित्त हो विधाम करे।

प्रत्यक्षीकरणाज्जीर्णनखीनानां मुहूर्तकम् ।

ततस्तु प्राड्विवाकादिबोधितव्यवहारतः ॥ २८२ ॥

मुहूर्तद्वितयं चैव मृगयाक्रीडनैर्नयेत् ।

व्यूहाभ्यासेर्मुहूर्तं तु मुहूर्तं सन्ध्यया ततः ॥ २८३ ॥

मुहूर्तं भोजनेनैव द्विमुहूर्तं च वार्तया ।

गूढचारैः भ्राविनया निद्रयाष्टमुहूर्तकम् ॥ २८४ ॥

और पुरानी तथा नवीन वस्तुओं के निरीक्षण करने में १ मुहूर्त, तथा प्राड्विवाक (जज या वकील) आदि से समझाये हुये व्यवहारों (मुकदमों) के देखने में २ मुहूर्त समय व्यतीत करे। मृगया (शिकार खेलना) तथा क्रीडन (खेल) में दो मुहूर्त, व्यूहाभ्यास में १ मुहूर्त तथा सन्ध्या में १ मुहूर्त,

भोजन में १ मुहूर्त और गूढचारों (जासूसों) से सुनाई गई बातों के सुनने में दो मुहूर्त एवं निद्रा (सोने) में ८ मुहूर्त तक समय व्यतीत करें ।

एवं विहरतो राज्ञः सुखं सम्यक्प्रजायते ।

अहोरात्रं विभज्यैवं त्रिशद्भिस्तु मुहूर्तकैः ॥ २८५ ॥

नयेत्कालं वृथा नैव नयेत्स्त्रीमद्यसेवनैः ।

इस प्रकार से विहार (व्यवहार) करनेवाले राजा को भलीभांति सुख मिलता है । पूर्वोक्त रीति से ३० मुहूर्तों में अहोरात्र (दिन-रात) को बांटकर समय व्यतीत करे, न कि स्त्री तथा मद्य का सेवन करने से वृथा समय व्यतीत करे ।

यत्काले ह्यचितं कर्तुं तत्कार्यं द्रागशंकितम् ॥ २८६ ॥

काले वृष्टिः सुपोपाय ह्यन्यथा सुविनाशिनी ।

जिस समय में जो कार्य करने के लिये उचित हो उसे उसी समय निःशङ्क होकर झटपट कर डाले । क्योंकि—ममय पर हुई वृष्टि धान्यादि की सुन्दर पुष्टि के लिये होती है अन्यथा (ये-समय की) वृष्टि धान्यादि-विनाशक होती है ।

कायस्थानानि सर्वाणि यामिकैरभितोऽनिशम् ॥ २८७ ॥

नयवान्नोति गतिवितिसदृशस्त्रादिकैर्वरैः ।

चतुर्भिः पञ्चभिर्वापि षड्भिर्वा गोपयेत्सदा ॥ २८८ ॥

नीति और नीति की चालों को समझने वाला राजा सदा कार्य के सम्पूर्ण स्थानों की चारों तरफ से शस्त्रादि चलाने में निपुण, अच्छे, ४, ५ या ६ प्रहरियों (पहरेदारों) से रक्षा करावे ।

तत्रत्यानि दैनिकानि शृणुयात्स्वकाधिपैः ।

दिने दिने यामिकानां प्रकुर्यात्परिवर्तनम् ॥ २८९ ॥

और उन कार्य-स्थानों की दैनिक कार्यवाहियों को वहाँ के लेखाध्यक्षों से सुने । और प्रतिदिन पहरेदारों की बदली क्रिया करे ।

गृहपक्तिमुखे द्वारं कर्तव्यं यामिकैः सदा ।

तैस्तद्वृत्तं तु शृणुयाद् गृहस्थभृतिपोषितैः ॥ २९० ॥

प्रहरियों के कर्तव्य का निर्देश—गृहों की पंक्तियों के प्रधान द्वार पर नियुक्त पहरेदारों से वहाँ के रहनेवालों के व्यवहार (चरित्र) को सुने । और पहरेदारों को गृहस्थों से वेतन दिला कर पालन-पोषण करे ।

निगेच्छन्ति च ये ग्रामाद्ये ग्रामं प्रविशन्ति च ।

तान्सुसंशोध्य यत्नेन मोचयेद्दत्तलग्नकान् ॥ २९१ ॥

प्रख्यातवृत्तशीलांस्तु ह्यविमृश्य विमोचयेत् ।

ग्राम से जो निकल रहे हैं वा प्रवेश कर रहे हैं उनकी चरनपूर्वक तलाशी लेकर चिह्न लगाने के बाद उन्हें छोड़ देवे। और जिनके व्यवहार तथा शील प्रख्यात हों ऐसे प्रतिष्ठित लोगों को बिना विचार किये ही छोड़ देवे।

वीथिवीथिषु यामार्घैर्निशि पर्यटनं सदा ॥ २६२ ॥

कर्तव्यं यामिकैरेवं चौरजारनिवृत्तये ।

प्रत्येक गलियों में रात्रि के समय आधे २ प्रहर (डेढ़ २ घण्टे) पर घूम २ कर पहरेदारों को इस प्रकार से पहरा देना चाहिये जिससे चोर तथा जार (परखी गामी) पुरुष दूर रहें।

शासनं त्वीदृशं कार्यं राज्ञा नित्यं प्रजासु च ॥ २६३ ॥

दासे भृत्येऽथ भार्यायां पुत्रे शिष्येपि वा क्वचित् ।

वाग्दंडपट्टपन्नैव कार्यं मद्रदेशसंस्थितैः ॥ २६४ ॥

प्रजाओं में राजा के आदेशों की घोषणा का निर्देश—और राजा को प्रजाओं के लिये नित्य इस प्रकार से शासन (आदेश) देना चाहिये कि—मेरे राज्य में रहनेवालों के लिये लिये यह उचित है कि—वे गुलाम, नौकर, स्त्री, पुत्र, शिष्य इनमें से किसी को भी कठोर-वचनों से दण्ड न दें।

तुलाशासनमानानां नाणकस्यापि वा क्वचित् ।

निर्यासाना च भ्रातॄणां सजातीनां घृतस्य च ॥ २९५ ॥

मधुदुग्धवसादीनां पिष्टादीनां च सर्वदा ।

कूट नैव तु कार्यं स्याद्बलाच्च लिखितं जनैः ॥ २९६ ॥

एत्कोचग्रहणं नैव स्वामिकार्यविलोपनम् ।

तुला (तौलने में) एवं शासन (आज्ञा), मान (बटखरा), नाणक (मुद्रा सिक्का मात्र), निर्यास (गोंद आदि), घृत (स्वर्णादि) तथा उसके समान जाति के पदार्थ, घृत, मधु, दुग्ध, चर्बी आदि, विसान (चूर्ण आदि) में कभी किसी प्रकार की बेईमानी या मिलावट लोगों को नहीं करना चाहिये। और कभी किसी से जबर्दस्ती कुछ नहीं लिखाना चाहिये और घूस नहीं लेनी चाहिये एवं स्वामी का कार्य नष्ट नहीं करना चाहिये।

दुर्वृत्तकारिणं चोरं जारमद्वेषिण द्विषम् ॥ २९७ ॥

न रक्षन्त्वप्रकाशं हि तथान्यानपकारकान् ।

मातृणां पितृणां चैव पूज्यानां विदुषामपि ॥ २९८ ॥

नावमानं नोपहासं कुयुः सद्वृत्तशालिनाम् ।

न भेदं जनयेयुर्वे नृनार्योः स्वामिभृत्ययोः ॥ २९९ ॥

भ्रातृणां गुरुशिष्याणां न कुयुः पितृपुत्रयोः ।

और दुष्ट आचरण करनेवाले (गुण्डे), चौर, जार (लम्पट), ये चाहे

द्वेषी हों या न हों किन्तु इनकी छिप करके भी कभी रक्षा नहीं करनी चाहिये और इसी भौति जनता के अपकारक लोगों की भी रक्षा नहीं करनी चाहिये । एवं माता-पिता, पूज्य, विद्वान, अच्छे आचरणवाले सत्पुरुषों का अपमान या उपहास नहीं करना चाहिये । श्री-पुरुष तथा स्वामी-नौकर में भेद नहीं डालना चाहिये अर्थात् ऐसा व्यवहार भाई-भाई, गुरु-शिष्य, पिता-पुत्र, इनमें नहीं करना चाहिये कि ये परस्पर एक दूसरे से पृथक् हो जायँ ।

वापीकूपारामसीमाधर्मशालासुरालयान् ॥ ३०० ॥

मार्गान्तेव प्रबाधेयुर्हीनांगविकलांगकान् ।

बावड़ी, कूप, बगीचा, सीमा, धर्मशाला, देवमन्दिर, मार्ग, हीन तथा विकल अङ्गवाले लोगों को क्षति तथा पीडा न पहुँचावे ।

शूतं च मद्यपानं च मृगयां शस्त्रधारणम् ॥ ३०१ ॥

गोगजाश्वोष्ट्रमहिषीनृणां वै स्थावरस्य च ।

रजतस्वर्णरत्नानां मादकस्य विपस्य च ॥ ३०२ ॥

क्रयं वा विक्रयं वापि मद्यसंधानमेव च ।

क्रयपत्रं दानपत्रमृणनिर्णयपत्रकम् ॥ ३०३ ॥

राजाज्ञया विना नैव जनैः कार्यं चिकित्सितम् ।

महापापाभिशपनं निधिग्रहणमेव च ॥ ३०४ ॥

और विना राजा की आज्ञा पाये शूत (जूआ खेलना), मद्य पीना, शिकार खेलना, शस्त्र रखना और गो, गज, अश्व, ऊँट, भैंस, स्थावर पदार्थ (गृहादि), चाँदी, सोना, रत्न, मादक द्रव्य (भांग-अफीम आदि), विप, इन सब द्रव्यों का क्रय (खरीदना) वा विक्रय (बेचना) करना, मद्य का सन्धान (शराब बनाना), क्रयपत्र (खरीदने का पत्र), दानपत्र, ऋण के निर्णय का पत्र और चिकित्सा, महापाप का दोष लगाना, गड़े हुये द्रव्य को लेना, इन सब कार्यों को नहीं करना चाहिये ।

नवसमाजनियमं निर्णयं जातिदूषणम् ।

अस्वामि-नाष्टिक-धनसंग्रहं मन्त्रभेदनम् ॥ ३०५ ॥

नृपदुर्गुणलोपं तु नैव कुर्युः कदाचन ।

नये समाज के नियमों का निर्णय, जाति को दोष लगाना, विना स्वामी का एवं नष्ट हुये व्यक्ति के धन को लेना, रहस्य का प्रकाश करना, राजा के दुर्गुणों को छिपाना, इन सब कार्यों को कभी नहीं करना चाहिये ।

स्वधर्महानिमनृतं परदाराभिमर्शनम् ॥ ३०६ ॥

कूटसाक्ष्यं कूटलेख्यमप्रकाशप्रतिग्रहम् ।

निर्धारितकराधिक्यं स्तेयं साहसमेव च ॥ ३०७ ॥

मनसापि न कुर्वन्तु स्वामिद्रोहं तथैव च ।

अपने धर्म की हानि, झूठ बोलना, परस्त्री-सम्भोग, झूठी गवाही, झूठा लेख, राजा से द्विपाकर किसी वस्तु का लेना, निर्धारित कर से अधिक लेना, चोरी, साहस के कार्य (डाका आदि), और स्वामी के साथ द्रोह .इन सब कार्यों को मनसे भी नहीं करना चाहियं ।

भृत्या शुल्केन भागेन वृद्ध्या दर्पबलाच्छलान् ॥ ३०८ ॥

आधर्षणं न कुर्वन्तु यस्य कस्यापि सर्वदा ।

परिमाणोन्मानमानं धार्यं राजविमुद्रितम् ॥ ३०९ ॥

वेतन, चुंगी, भाग (कर या अंश), वृद्धि (सूद), दर्प, बल, झूल इनके द्वारा सदा चाहे जो हो किसी का भी कभी दबाकर पीड़ा नहीं पहुँचानी चाहिये । और परिमाण (घटखरा तौलने का), उन्मान (नापने का माना, सेई, द्रोग आदि) इनका मान राजमुद्रा से युक्त अर्थात् (राज-संमत) रखना चाहिये ।

गुणसाधनसंदक्षा भवन्तु निखिला जनाः ।

साहसाधिकृते दद्यान्निगृह्याततायिनम् ॥ ३१० ॥

उत्सृष्टा'वृषभाद्या यैस्त्वैस्ते धार्याः सुयंत्रिताः ।

संपूर्ण जन गुणों के साधन (गुण-सम्पादन) में अच्छी तरह से निपुण हों । और आततायिओं (अपराधियों) को पकड़ कर साहस के अधिकारी (पुलिस) के अधीन कर देवे । और जिन्होंने बेल आदि छोड़ दिये हैं वे उन्हें भलीभाँति बांधकर रखें ।

इति मच्छासनं श्रुत्वा येऽन्यथा वर्तयन्ति तान् ॥ ३११ ॥

विनिशिष्यामि दण्डेन महता पापकारकान् ॥

इति प्रयोधयेन्नित्यं प्रजाः शासनद्विद्विमैः ॥ ३१२ ॥

ऐसी मेरी राजाज्ञा को सुनकर भी जो लोग उससे अन्यथा आचरण करते हैं, ऐसे उन पापियों को मैं भारी से भारी दण्ड से दण्डित करूँगा । ऐसी प्रजाओं को राजाज्ञा सूचनार्थ द्विद्वोरा पीटकर नित्य सूचित करावे ।

लिखित्वा शासनं राजा धारयेत् चतुष्पथे ।

सदा चोद्यतदण्डः स्यादसाधुषु च शत्रुषु ॥ ३१३ ॥

राजाओं के कर्तव्य का निर्देश—और राजा इस राजाज्ञा को लिखकर चौराहं पर टंगा देवे एवं हुए तथा शत्रुजनों के लिये सदा दण्ड देने को उद्यत रहे ।

प्रजानां पालनं कार्यं नीतिपूर्वं नृपेण हि ।

मार्गसंरक्षणं कुर्यान्नृपः पान्थसुखाय च ॥ ३१४ ॥

पान्थप्रपीडका ये ये हंतव्यास्ते प्रयत्नतः ।

राजा को नीतिपूर्वक प्रजा-पालन करना चाहिये । और यात्रियों के सुख के लिये मार्ग की रक्षा (मरम्मत) करनी चाहिये एवं यात्रियों को पीडा (लूट-मार) पहुँचाने वाले जो हों उन्हें प्रयत्नपूर्वक नष्ट करना चाहिये ।

ग्रामस्य द्वादशांशेन ग्रामपान् संनियोजयेत् ॥ ३१५ ॥

त्रिभिरंशैर्बलं धार्य दानमर्धांशकेन च ।

अर्धांशेन प्रकृतयो ह्यर्धांशेनाधिकारिणः ॥ ३१६ ॥

अर्धांशेनात्मभोगश्च कोशोऽंशेन स रक्ष्यते ।

राजा को ग्राम के आय के १२ वीं भाग देकर ग्रामरक्षकों की नियुक्ति करनी चाहिये और अपने आय के ३ भागों से सेना का खर्च चलाना चाहिये, आधे भाग से दान-कार्य, आधे भाग से दीवान आदि, आधे भाग से अधिकारी (अफसर) पुरुष, आधे भाग से अपना खर्च, १ भाग से कोश की वृद्धि, का कार्य चलाना चाहिये ।

आयस्यैवं पड्विभागैर्ययं कुर्यात्तु वत्सरे ॥ ३१७ ॥

सामन्तादिषु धर्मोऽयं न न्यूनस्य कदाचन ।

इस प्रकार से राजा आय के ६ भाग करके उनसे वर्ष भर का कार्य चलावे अर्थात् उक्त कार्यों में तदनुसार व्यय करे । यह धर्म सामन्त आदि-संज्ञक राजाओं के लिये है, उनसे न्यून के लिये कभी नहीं है ।

राज्यस्य यशसः कीर्तेर्धनस्य च गुणस्य च ॥ ३१८ ॥

प्राप्तस्य रक्षणेऽन्यस्य हरणेऽनुद्यमोपि च ।

संरक्षणे संहरणे सुप्रयत्नो भवेत्सदा ॥ ३१९ ॥

शौर्यपांडित्यवक्तृत्वं दातृत्वं न त्यजेत्कचित् ।

राज्य, यश, कीर्ति, धन और गुण इनके पाने पर उनकी रक्षा करने में तथा दूसरे के राज्यादि लेने में यत्न करना चाहिये । और इन सबों की भली प्रकार से रक्षा तथा लेने में अधिक प्रयत्नशील सदा होना चाहिये ।

बलं पराक्रमं नित्यमुत्थानं चापि भूमिपः ॥ ३२० ॥

और शूरता, पण्डिताई, बवृत्ता, दानशीलता, बल, पराक्रम, नित्य उत्थान (चढ़ाई), इन सबों को राजा कभी न छोड़े ।

समितौ स्वात्मकार्ये वा स्वामिकार्ये तथैव च ।

त्यक्त्वा प्राणभय युध्येत्स शूरस्त्वविशंकितः ॥ ३२१ ॥

निःशङ्क होकर जो युद्ध में अपने या स्वामी के हित के लिये प्राण जाने के भय को त्याग कर युद्ध करता है वही शूर कहलाता है ।

पक्षं संत्यज्य यत्नेन बालस्यापि सुभाषितम् ।

गृह्णाति धर्मतत्त्वं च व्यवस्यति स पण्डितः ॥ ३२२ ॥

जो पञ्चपात (दुराग्रह) को छोड़कर बालकों की कही हुई अच्छी बातों को ग्रहण करता है और धर्मतत्त्व का निश्चय करता है, वही पण्डित कहलाता है ।

रात्रोपि दुर्गुणान्वक्ति प्रत्यक्षमविशद्वितः ।

स वक्ता गुणतुल्यांस्तान्ना प्रस्तौति कदाचन ॥ ३२३ ॥

जो राजा के सामने ही निःशङ्क होकर उसके दुर्गुणों की निन्दा करता है नकि गुण के समान उन (दुर्गुणों) की कभी स्तुति करता है, वही वक्ता कहलाता है ।

अदेयं यस्य वै नास्ति भार्यापुत्रादिकं धनम् ।

आत्मानमपि सन्दत्ते पात्रे दाता स उच्यते ॥ ३२४ ॥

जिसको उपयुक्त पात्र के निमित्त स्त्री-पुत्रादिक, धन तथा शरीर दे देने में कोई द्विचकिचाहट नहीं है वही दाता कहलाता है ।

अशङ्कितक्षमो येन कार्यं कर्तुं बलं हि तत् ।

जिससे कार्य करने के लिये निःशङ्क समर्थ होता है वही बल है ।

क्विकरा इव येनान्ये नृपाद्याः स पराक्रमः ॥ ३२५ ॥

युद्धानुकूलव्यापार उत्थानमितिकीर्तितम् ।

जिससे अन्य राजा लोग किङ्कर (दास) के समान वश्य हो जाते हैं वही पराक्रम है । युद्ध के अनुकूल व्यापार को उत्थान कहते हैं ।

विषदोषभयादन्नं विमृशेत् कपिकुक्कुटैः ॥ ३२६ ॥

हंसाः स्वल्पान्ति कूजन्ति भृङ्गा नृत्यन्ति मायूराः ।

विरीति कुक्कुटो माद्येत् कौचो वै रेचते कपिः ॥ ३२७ ॥

हृष्टरोमा भवेद् बभ्रुः सारिका वमते तथा ।

दृष्ट्वैवं सविषं चान्नं तस्माद्भोज्यं परीक्षयेत् ॥ ३२८ ॥

विषादि से दूषित अन्न-परीचा का निर्देश—विष-दोष के भय से बन्दर मुर्गा आदि के द्वारा अन्न की परीचा करनी चाहिये । क्योंकि विषयुक्त अन्न को देखते ही हंस लड़खलाने लगते हैं । भौरे शब्द करने लगते हैं । मयूर नाचने लगते हैं, मुर्ग बोलने लगते हैं, कौञ्च पत्नी मतवाला हो जाता है । बन्दर मल-मूत्र त्याग करने लगता है । बभ्रु (बढ़ानेवाला) रोमाञ्चयुक्त हो जाता है । सारिका पत्नी वमन करने लगती है, इस रीति से सविष अन्न, देखकर उसकी परीचा करनी चाहिये ।

भुञ्जीत पङ्कसं नित्यं न द्वित्रिरससंकुलम् ।

हीनातिरिक्तं न कटु मधुरक्षारसंकुलम् ॥ ३२९ ॥

२-३ रसों से युक्त, तथा हीन एवं अधिक रसों से युक्त और कटु, मधुर तथा चार से युक्त अन्न नहीं भोजन करना चाहिये ।

आवेदयति यत्कार्यं शृणुयान्मन्त्रिभिः । सह ।

आरामादौ प्रकृतिभिः स्त्रीभिश्च नटगायकैः ॥ ३३० ॥

विहरेत्सावधानस्तु मागधैरैन्द्रजालिकैः ।

और यदि कोई किसी कार्य के लिये निवेदन करे तो राजा मन्त्रियों के साथ उसे सुने । और बगीचा आदि में प्रकृति (मन्त्री आदि), स्त्री, नट, गवैया, मागध (राजा की वंशावली के वर्णन करनेवाले), इन्द्रजाल विद्या के ज्ञाता (जादूगर) इन सबों के साथ विहार करे ।

गजाश्वरथयान तु प्रातः सार्यं सदाभ्यसेत् ॥ ३३१ ॥

व्यूहाभ्यासं सैनिकानां स्वयं शिक्षेच्च शिक्षयेत् ।

राजा प्रातः तथा सन्ध्या समय में हाथी, घोड़े तथा रथ की सवारी का प्रतिदिन अभ्यास करे । और सैनिकों को व्यूहाभ्यास (व्यूह-रचना का अभ्यास = कवायद) करावे और स्वयं करे ।

व्याघ्रादिभिर्वनचरैर्मयूराद्यैश्च पक्षिभिः ॥ ३३२ ॥

क्रीडयेन्मृगयां कुर्याद् दुष्टसत्त्वाक्षिपातयन् ।

मृगया-व्यापार (शिकार खेलने) का वर्णन—राजा व्याघ्र आदिक, वनचर (कोल-भिह्लादि), मयूर आदि पक्षियों के साथ क्रीडा करे और दुष्ट हिंस्र जीवों को मारता हुआ शिकार खेले ।

शीर्यं प्रवर्धते नित्यं लक्ष्यसन्धानमेव च ॥ ३३३ ॥

अकस्मत्स्वत्वं शस्त्रास्त्रशीघ्रपातनकारिता ।

मृगयायां गुणा एते हिंसादोषो महत्तरः ॥ ३३४ ॥

शिकार खेलने से नित्य शूरता बढ़ती है । निशाना ठीक होता है । कायरता नहीं रहने पाती है । एवं शस्त्रास्त्र को शीघ्र चलाने का अभ्यास होता है । शिकार खेलने में ये सब गुण हैं किन्तु एक हिंसारूपी सबसे महान दोष है ।

इङ्गितं चेष्टितं यत्नात्प्रजानामधिकारिणाम् ।

प्रकृतीनां च शत्रूणां सैनिकानां मतं च यत् ॥ ३३५ ॥

सभ्यानां बान्धवानां च स्त्रीणामन्तःपुरे च यत् ।

शृणुयाद् गूढचारेभ्यो निशि चात्ययिके सदा ॥ ३३६ ॥

सावधानमनाः सिद्धशास्त्रास्त्रः सल्लिखेष्व तत् ।

राजा चरनपूर्वक प्रजाओं तथा अधिकारियों के इङ्गित तथा चेष्टा को, एवं प्रकृति (अमात्यादि), शत्रु, सैनिक, सभासद, बान्धव और अन्तःपुर (रनिवास) में

में रहनेवाली स्त्रियों का जो विचार हों, उन्हें जासूसों से सुने। और रात्रि में तथा संकट-काल उपस्थित होने पर सावधान-चित्त होकर शस्त्रास्त्र को धारण करे और जो जासूसों से सुने उसे लिखे भी।

असत्यवादिनं गूढचारं नैव च शास्त्रि यः ॥ ३३७ ॥

स नृपो म्लेच्छ इत्युक्तः प्रजाप्राणघनापहः ।

झूठ बोलनेवाले जासूस को जो राजा दण्ड नहीं देता है वह प्रजाओं के प्राण तथा धन को अपहरण करनेवाला 'म्लेच्छ' कहलाता है।

वर्णि-तपस्वि-संन्यासि-नीचसिद्धस्वरूपिणम् ॥ ३३८ ॥

प्रत्यक्षेण छलेनैव गूढचारं विशोधयेत् ।

ब्रह्मचारी, तपस्वी, संन्यासी तथा नीच, सिद्ध के रूपको धारण करनेवाले जासूस की प्रगट तथा गुप्त रूप से जांच करे अर्थात् वह सच कहता है या झूठ।

विना तच्छोधनासत्त्वं न जानाति च नाप्यते ॥ ३३९ ॥

अशोधकनृपान्नैष बिभेत्यनृतयादने ।

प्रकृतिभ्योऽधिकृतेभ्यो गूढचारं सुरक्षयेत् ॥ ३४० ॥

बिना उसका जांच किये तब (असलियत) का ज्ञान अथवा प्राप्ति नहीं होती है। जांच न करनेवाले राजा से झूठ बोलने में कोई जासूस नहीं डरता है। और प्रकृति (मन्त्री आदि) और अधिकारी पुरुषों (अफसरों) से जासूसों की सुरक्षा करनी चाहिये।

सदैकनायकं राज्यं कुर्यान्न बहुनायकम् ।

नानायकं क्वचिदपि कर्तुमीहेत भूमिपः ॥ ३४१ ॥

राजा को राज्य का स्वामी (उच्चराधिकारी) सदा एक ही बनाना चाहिये क्योंकि बहुत स्वामियों का होना राज्य के लिये अहितकर होता है। और राजा बिना स्वामी के राज्य को रखने की इच्छा न करे।

राजकुले तु बहवः पुरुषा यदि संति हि ।

तेषु ज्येष्ठो भवेद्राजा शेषास्तत्कार्यसाधकाः ॥ ३४२ ॥

गरीयांसो वराः सर्वसहायेभ्योऽभिवृद्धये ।

राजकुलों में राजा बनाने के योग्यों का निर्देश—यदि राजकुल में बहुत राज्य प्राण हैं अधिकारी हों तो उनमें जो ज्येष्ठ हो वह राजा बनाने के योग्य होता है। शेष उसके कार्य के सहायक हों। क्योंकि राज्य की वृद्धि के लिये सम्पूर्ण सहायकों की अपेक्षा उनमें ज्येष्ठ ही उत्तम होता है।

ज्येष्ठोपि बधिरः कुष्ठी मूकोऽन्धः पण्ड एव यः ॥ ३४३ ॥

स राज्याहो भवेन्नैव भ्राता तत्पुत्र एव हि ।

स्वकनिष्ठोपि ज्येष्ठस्य भ्रातुः पुत्रस्तु राज्यभाक् ॥ ३४५ ॥

यथाऽप्रजस्य चाभावे कनिष्ठा राज्यभागिनः ।

राज्य का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ यदि कोई, गूंगा, अन्धा या नपुंसक हो तो वह राज्य पाने के योग्य नहीं होता है बल्कि उसका छोटा भाई अथवा उसका पुत्र किं वा उसके भाई का पुत्र राज्य का उत्तराधिकारी होता है जैसे बड़े पुत्र के अभाव में छोटे राज्य के भागी होते हैं ।

दायादानामैकमत्यं राज्ञः श्रेयस्करं परम् ॥ ३४५ ॥

पृथग्भावो विनाशाय राज्यस्य च कुलस्य च ।

अतः स्वभोगसदृशान् दायादान्कारयेन्नृपः ॥ ३४६ ॥

अव्याहताज्ञः संतुष्येच्छत्र-सिंहासनैरपि ।

दायादों (हिस्सेदारों) का राजा के साथ ऐकमत्य (एक राय होकर रहना) राजा (राज्य) के लिये अत्यन्त कल्याणकारक होता है । और इनका भिन्न २ राय रहना राज्य तथा कुल के लिये विनाशकारक होता है । अतः राजा दायादों (हिस्सेदारों) के लिये अपने समान राजसी टाट-टाट के रहने के निमित्त गुजारे का प्रबन्ध कर दे और जिसकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं होता है, ऐसा राजा केवल छत्र-सिंहासन से सन्तुष्ट हो ।

राज्यविभाजनाच्छ्लेयो न भूपानां भवेत्खलु ॥ ३४७ ॥

अल्पीकृतं विभागेन राज्यं शत्रुर्जिघृक्षति ।

राज्य का विभाग होने से राजाओं का निश्चय कल्याण नहीं होता है । क्योंकि विभाग करने से राज्य के छोटे हो जाने पर उसे शत्रु लोग लेने की इच्छा करने लगते हैं ।

राज्यतुर्यांशदानेन स्थापयेत्तान्समंततः ॥ ३४८ ॥

चतुर्दिग्बन्धवा देशाधिपान्कुर्यात् सदा नृपः ।

गोगजाश्वोष्ट्रकोशानामाधिपत्ये नियोजयेत् ॥ ३४९ ॥

माना मातृसमा या च सा नियोज्या महानसे ।

राजा के मन्वन्धी, ज्ञाति तथा बान्धवादिकों का राजा द्वारा निर्धारित कर्तव्यों का निर्देश—राजा अपने राज्य के चतुर्थांश देकर उन सब दायादों को चारों दिशाओं में राज्य के चारों ओर सदा स्थापित करे अथवा उन्हें देशों का अधिपति (गवर्नर) या गो, हाथी, घोड़ा, ऊँट, खजाना इनका अधिपति बनाकर रखे । और माता या माता के समान जो पूज्य स्त्रियाँ हैं उन्हें पाक-शाला का अधिकार देवे ।

सेनाधिकारे संयोज्या बान्धवाः श्यालकाः सदा ॥ ३५० ॥

स्वदोषदर्शकाः कार्या गुरवः सुहृदश्च ये ।

और बान्धव (खानदान के लोग) तथा साले के लिये सेनासम्बन्धी अधिकार का प्रदान करे । और जो गुरुजन या मित्र हों उन्हें अपने दोषों को देखने के लिये नियुक्त करे ।

वत्सालंकारपात्राणां स्त्रियो योज्याः सुदर्शने ॥ ३५१ ॥

स्वयं सर्वं तु विमृशोऽपर्यायेण च सुद्वयेत् ।

वत्स, अलंकार तथा वर्तनों की देखभाल करने के लिये स्त्रियों को नियुक्त करे । और सभी कार्यों को पर्याय (पारो-पारी) से स्वयं निरीक्षण करने के वाव् अपना मोहर लगा दे । अर्थात् इस कार्य का निरीक्षण हो चुका है इसका सुहर लगादे ।

अन्तर्वेशमनि रात्रौ वा दिवाऽरण्ये विशोधिते ॥ ३५२ ॥

मन्त्रयेन्मन्त्रिभिः सार्धं भाषिकृत्यं तु निर्जने ।

रात्रि के समय भलीभांति देखभाल कर महल के अन्दर और दिन में निर्जन जङ्गल में भागे होने वाले कार्यों के विषय में मन्त्रियों के साथ विचार करे ।

सुहृद्भिर्भ्रातृभिः सार्धं समायां पुत्रबांधवैः ॥ ३५३ ॥

राजकृत्यं सेनपैश्च सभ्याद्यैश्चितयेत्सदा ।

परिपद् की व्यवस्था का निर्देश—राजा सभा के बीच में मित्र, भाई, पुत्र, बान्धव, सेनापति और सभासद (मेम्बर) गणों के साथ राजकार्य के विषय में सदा विचार करे ।

सभायां प्रत्यगर्घस्य मध्ये राजासनं स्मृतम् ॥ ३५४ ॥

दक्षसंस्था वामसंस्था विशेषुः पार्श्वकोष्ठगाः ।

और राजसभा में पश्चिम ओर मध्य में राजा का सिंहासन रहना चाहिये । और उसके पार्श्व के खानों में बैठनेवाले लोग दक्षिण तथा वामभाग में बैठें ।

पुत्राः पौत्रा भ्रातरश्च भागिनेयाः स्वपृष्ठतः ॥ ३५५ ॥

दौहित्रा दक्षभागात्तु वामसंस्थाः क्रमादिमे ।

पुत्र, पौत्र, भाई और भानजे तथा दौहित्र ये सब सिंहासन के पृष्ठ भाग में दक्षिण और बाएँ तरफ क्रम से बैठें ।

पितृव्याः स्वकुलश्रेष्ठाः सभ्याः सेनाधिपास्तथा ॥ ३५६ ॥

स्वामे दक्षिणभागे तु प्राक्संस्थाः पृथगासनाः ।

मातामहकुलश्रेष्ठा मन्त्रिणो बांधवास्तथा ॥ ३५७ ॥

शशुराश्चैव श्यालाश्च वामामे चाधिकारिणः ।

चाचा, अपने कुल के श्रेष्ठ सभासद, सेनापति ये सब सिंहासन के भागे

दक्षिण भाग में पृथक् २ आसनों पर बैठें । नाना के कुल के श्रेष्ठ पुरुष, मन्त्रिगण, बान्धव, रवशूर, साला ये सब वामभाग में बैठने के अधिकारी हैं ।

वामदक्षिणपार्श्वस्थौ जामाता भगिनीपतिः ॥ ३५८ ॥

स्वसदृशः समीपे वा स्वार्धासनगतः सुहृत् ।

वाम-दक्षिण भाग में जामाद तथा बहनोई बैठें । अपने समान हैसियतवाले अथवा मित्र सिंहासन के समीप या अर्धभाग के ऊपर बैठें ।

दौहित्रभागिनेयानां स्थाने स्युर्दत्तकादयः ॥ ३५९ ॥

भागिनेयाश्च दौहित्राः पुत्रादिस्थानसंश्रिताः ।

दौहित्र तथा भानजों के स्थान में दत्तक आदि बैठें । भानजे तथा दौहित्र आदि पुत्रादि के स्थान पर बैठें ।

यथा पिता तथा चार्यः समश्रेष्ठासने स्थितः ॥ ३६० ॥

पार्श्वयोरप्रतः सर्वे लेखका मंत्रिपृष्ठगाः ।

जैसे, पिता वैसे आचार्य पूज्य होते हैं अतः उन्हें सिंहासन के समान श्रेष्ठ आसन देना चाहिये । और अग्रभाग में दोनों तरफ मन्त्रियों के पीछे सभी लेखकवर्ग बैठें ।

परिचारगणाः सर्वे सर्वेभ्यः पृष्ठसंस्थिताः ॥ ३६१ ॥

स्वर्णदंडधरी पार्श्वे प्रवेशनतिबोधकौ ।

और सम्पूर्ण परिचार (सेवक) गण सबों के पीछे बैठें । एवं सिंहासन के दोनों पार्श्व (बगल) में सुवर्ण के दण्ड को लिये हुए लीनों के प्रवेश तथा प्रणाम करने की सूचना राजा को देने के लिये दो मनुष्य खड़े रहें ।

विशिष्टचिह्नयुग्माजा स्वासने प्रविशेत्सुखम् ॥ ३६२ ॥

सुभूषणः सुवसनः कवची मुकुटान्वितः ।

सिद्धास्त्रनग्नशस्त्रस्सन् सावधानमनाः सदा ॥ ३६३ ॥

राजा को राजचिह्न रखने का निर्देश—राजा सदा सावधान-चित्त होकर सुन्दर भूषण, वस्त्र, कवच तथा मुकुट धारण किये हुए, चलाने के लिये प्रस्तुत किये हुये अस्त्र तथा नग्न (ग्यान से निकाले हुये) शस्त्र (तलवार) को लिये हुये, विशिष्ट राजचिह्नों से विभूषित होकर सिंहासन पर सुखपूर्वक बैठें ।

सर्वस्मादधिको दाता शूरस्त्वं धामिको ह्यसि ।

इति धाचं न शृणुयाच्छ्रावका वंचकास्तु ते ॥ ३६४ ॥

रागाहोभाङ्गयाद्राज्ञः स्युर्मूका इव मंत्रिणः ।

नताननुमतान्विद्यान्पतिः स्वार्थसिद्धये ॥ ३६५ ॥

पृथक्पृथक्मतं तेषां लेखयित्वा ससाधनम् ।

विमृशेत्स्वमतेनैव यत्कुर्याद्बहुसम्मतम् ॥ ३६६ ॥

राजा के कर्त्तव्य—और राजा अपनी स्वार्थसिद्धि के लिये 'आप सबसे अधिक दाता, शूर तथा धार्मिक हैं, इस वचन को सुनानेवाले यदि बड़क हैं और उनके वचनों को सुनकर यदि किसी के राग, लोभ या भय से मन्त्री लोग मूक हो जायें तो ऐसे लोगों को अनुमत (सच कहनेवाला) न समझे । और उनके मतों को युक्ति (प्रमाण) सहित पृथक् २ लिखाकर अपने मत से विचार करे । और जो बहुसम्मत हो उसे करे (वैसा निर्णय करे) ।

गजाश्वरथपशवादीन् भृत्यान्दासांस्तथैव च ।

संभारान्सैनिकान् कार्यक्षमान्ज्ञात्वा दिने दिने ॥ ३६७ ॥

संरक्षयेत्प्रयत्नेन सुजीर्णान् संत्यजेत्सुधीः ।

बुद्धिमान राजा हाथी, घोड़े, रथ, पशु आदि, भृत्य (नौकर) दास (गुलाम), सामग्री, सैनिक इन सबों में जो कार्य के योग्य हों उन्हें समझ कर प्रयत्नपूर्वक उनकी रक्षा करे जो पुराने हों उन्हें प्रतिदिन अलग कर दे ।

शतक्रोशभवां वार्ता हरेद्देकदिनेन वै ॥ ३६८ ॥

सर्वविद्याकलाभ्यासे शिक्षयेद् भूतिपोषितान् ।

समाप्रविद्य सहस्रा तत्कार्यं तं नियोजयेत् ॥ ३६९ ॥

विद्याकलोत्तमान्दृष्ट्वा वत्सरे पूजयेच्च तान् ।

विद्याकलानां वृद्धिः स्यात्तथा कुर्यान्नृपः सदा ॥ ३७० ॥

और १०० क्रोश की बातें १ दिन में ही जान ले । और वृत्ति देकर लोगों को सभी प्रकार की विद्याओं तथा कलाओं की सिखा दिलावे । और अभ्ययन समाप्त हुआ समझकर उन्हें उनके योग्य कार्यों में नियुक्त कर दे । एवं विद्या तथा कला में जो अत्यधिक निपुण हों उनका प्रतिवर्ष आदर-सत्कार करे । इस प्रकार से विद्या तथा कला की वृद्धि जिस भांति से हो वैसा प्रयत्न राजा को सदा करना चाहिये ।

पृष्ट्वाप्रगान्क्रूरवेषान्नतिनीतिविशारदान् ।

सिद्धास्त्रनग्नशस्त्रांश्च भटानारात्रियोजयेत् ॥ ३७१ ॥

राजा अपने आगे-पीछे चलनेवाले ऐसे सैनिक लोगों को पास में नियुक्त करे जो क्रूर वेषवाले, नमन करने एवं नीति में कुशल, सिद्ध (चलाने के लिये प्रस्तुत) अस्त्र तथा नग्न शस्त्र आदि शस्त्रों को धारण किये हों ।

पुरे पर्यटयेन्नित्यं गजस्थो रंजयन्प्रजाः ।

राजा हाथी पर बैठकर प्रजा का मनोरंजन करता हुआ नगर में नित्य पर्यटन करे ।

राजयानारूढितः किं राज्ञा श्वा न समोपि च ॥ ३७२ ॥

शुना समो न किं राजा क्विभिर्भाव्यतेऽजसा ।

राजा की सवारी पर चढ़ा हुआ कुत्ता क्या राजा के समान और राजा कुत्ता के समान पण्डितों द्वारा वस्तुतः नहीं समझा जाता है अर्थात् अवश्य समझा जाता है ।

अतः स्वबांधवैमित्रैः स्वसाम्यप्रापितैर्गुणैः ॥ ३०३ ॥

प्रकृतिभिर्नृपो गच्छेत्र नीचैस्तु कदाचन ।

अतः राजा अपने बांधव, मित्र तथा गुणों के द्वारा अपनी समता को प्राप्त किये हुये लोग, प्रकृति (मन्त्री आदि) के साथ गमन करे, किन्तु कभी भी नीच पुरुषों के साथ गमन न करे ।

मिथ्यासत्यसदाचारैर्नीचः साधुः क्रमात्स्मृतः ॥ ३०४ ॥

साधुभ्योऽतिस्वमृदुत्वं नीचाः संदर्शयन्ति हि ।

क्रम से मिथ्या के द्वारा व्यक्ति नीच तथा सत्य और सदाचार द्वारा साधु समझा जाता है । और साधु की अपेक्षा नीच लोग अपनी मृदुता को ज्यादा दिखाते हैं ।

ग्रामानपुराणि देशांश्च स्वयं संवीक्ष्य वत्सरे ॥ ३०५ ॥

अधिकारिगणैः काश्च रंजिताः काश्च कर्पिताः ।

प्रजास्तासां तु भूतेन व्यवहारं विचिन्तयेत् ॥ ३०६ ॥

न भृत्यपक्षपाती स्यात्प्रजापक्षं समाश्रयेत् ।

राजा को प्रतिवर्ष राज्य में भ्रमण कर देश के अधिकारियों के निरीक्षण का निर्देश—प्रतिवर्ष ग्राम, नगर तथा देश का स्वयं निरीक्षण करके अधिकारियों ने किन प्रजाओं का मनोरंजन किया और किन लोगों को कष्ट पहुँचाया है, इसमें प्रजासम्बन्धी जो सत्य व्यवहार हो उसका विचार करे । अधिकारी भृत्यों का पक्षपाती न होकर प्रजा का पक्षपाती होना राजा के लिये उचित है ।

प्रजाशतेन संद्विष्टं संत्यजेद्दधिकारिणम् ॥ ३०७ ॥

अमात्यमपि संवीक्ष्य सकृदन्यायगामिनम् ।

एकांते दंडयेत्स्पष्टमभ्यासागस्कृतं त्यजेत् ॥ ३०८ ॥

अन्यायवर्तिनां राज्यं सर्वस्व च हरेन्नृपः ।

यदि १०० प्रजा मिलाकर किसी अधिकारी के विरुद्ध आवेदन पत्र भेजे तो उस (अधिकारी) को राजा निकाल दे । और यदि मन्त्री एक बार अन्याय करनेवाला दिखाई दे तो उसे एकान्त में दण्ड दे । और यदि बारंबार अपराध करनेवाला हो तो उसे सबके समक्ष दण्ड दे और निकाल दे । अन्यायी अधिकारियों के राज्य तथा सर्वस्व को हर ले ।

जितानां विषये स्थायं धर्माधिकरणं सदा ॥ ३०९ ॥

भृतिं दद्यान्निजितानां तच्चारिष्यानुरूपतः ।

जीते हुये राजाओं के देश में सदा भरना न्यायालय स्थापित करे अर्थात् अपना शासन रखे । विजित राजा के रहन-सहन के अनुरूप भरण-पोषण के लिये वेतन का प्रबन्ध कर दे ।

स्वानुरक्तां सुरूपां च सुवस्त्रां प्रियवादिनीम् ॥ ३८० ॥

सुभूषणां सुसशुद्धां प्रमदां शयने भजेत् ।

यामद्वयं शयानो हि त्वत्यन्तं सुखमश्नुते ॥ ३८१ ॥

अपने में अनुराग रखनेवाली, सुन्दर रूपवती, अच्छे वस्त्र पहने हुये, प्रियभाषिणी, सुन्दर भूषणों से युक्त, शुद्ध आचरणवाली ऐसी स्त्री के साथ संभोग करे । दो प्रहर तक सोनेवाला राजा अत्यन्त सुख भोगता है ।

न संन्यजेच्च स्वस्थानं नीत्या शत्रुगणं जयेत् ।

स्थानभ्रष्टा नो विभांति दंताः केशा नखा नृपाः ॥ ३८२ ॥

राजा अपने स्थान का परित्याग न करे किन्तु नीति से शत्रुगण को जीते क्योंकि स्थान से भ्रष्ट हुये दांत, केश नख तथा राजा नहीं सुशोभित होते हैं ।

संश्रयेद् गिरिदुर्गाणि महापदि नृपः सदा ।

तदाश्रयाद्दस्युवृत्त्या स्वराज्यं तु समाहरेत् ॥ ३८३ ॥

बड़ी भारी आपत्ति आपदने पर राजा सदा पहाड़ी किलों का आश्रय ले । उसके आश्रय में रहकर दस्यु-वृत्ति (डाकूजीवन) से अपने राज्य को पुनः ले ले ।

विवाहदानयज्ञार्थं विनाऽप्यष्टांशोपितम् ।

सर्वतस्तु हरेद्दस्युरसतामखिलं धनम् ॥ ३८४ ॥

दस्यु राजा विवाह, दान, यज्ञ आदि के लिये अष्टमांश धन छोड़कर शेष को सबसे हरण करे और दुर्जनों के सम्पूर्ण धन को लूट ले ।

नैकत्र संवर्तोन्नत्यं विश्वसेन्नैव कं प्रति ।

सदैव सावधानः स्यात्प्राणनाशं न चिन्तयेत् ॥ ३८५ ॥

क्रूरकर्मा सदोद्युक्तो निर्घृणो दस्युकर्मसु ।

विमुखः परदारेषु कुलकन्याप्रदूषणे ॥ ३८६ ॥

और दस्युवृत्ति राजा एक जगह स्थिर होकर निवास न करे, और किसी का विश्वास न करे । सदैव सावधान होकर प्राणनाश का परवाह न करे, क्रूर कर्म करनेवाला, सदा दस्युओं के कर्म करने में उद्योग युक्त, दयाहीन, परस्त्रियों की तरफ उन्मुख नहीं होनेवाला, एवं कुलीन कन्याओं को नहीं भ्रष्ट करनेवाला हो ।

पुत्रवत्पालिता भृत्याः समये शत्रुतां गताः ।

न दोषः स्यात्प्रयत्नस्य भागधेयं स्वयं हि तत् ॥ ३८७ ॥

दृष्ट्वा सुविफलं कर्म तपस्तप्त्वा दिवं व्रजेत् ।

राजा के पारलौकिक कार्य का निर्देश—पुत्र के समान पाळे हुये नौकर भी समय विपरीत होने पर शत्रुता कर बैठते हैं इसमें प्रयत्न का दोष नहीं है किन्तु भाग्य की बात है । पुरुषार्थ कर्म को इस भांति से विफल हुआ देखकर तपस्या करके स्वर्गलोकगामी बने ।

उक्तं समासतो राजकृत्यं मिश्रेऽधिकं ब्रुवे ॥ ३८८ ॥

(अध्यायः प्रथमः प्रोक्तो राजकार्यनिरूपकः)

इति शुक्रनीतौ राजकृत्याधिकारो नाम प्रथमोऽध्यायः ॥

राज्य-सम्बन्धी कृत्यों का सचेप से इस प्रकार वर्णन किया । मिश्र अध्याय में इसका विस्तार से वर्णन करेंगे । (यह राजकार्य का निरूपण करनेवाला प्रथम अध्याय कहा गया) ।

इस प्रकार शुक्रनीति में राजकृत्याधिकार-नामक प्रथम

अध्याय समाप्त हुआ ।



द्वितीयोऽध्यायः

यद्यप्यल्पतरं कर्म तदप्येकेन दुष्करम् ।

पुरुषेणासहायेन किमु राज्यं महोदयम् ॥ १ ॥

एकाकी राजा का राज्यकार्य करने की दुष्करता का निर्देश—यद्यपि कोई कार्य छोटा से छोटा भी हो तथापि उसे सहायक के बिना अकेले कोई पुरुष सहज में नहीं कर पाता है फिर महान अभ्युदय वाला राज्यकार्य अकेले चलाभा कैसे सहज हो सकता है अर्थात् असंभव है ।

सर्वविद्यासु कुशलो नृपो ह्यपि सुमंत्रवित् ।

मंत्रिभिस्तु विना मंत्रं नैकोऽर्थं चितयेत्कचित् ॥ २ ॥

विना मन्त्रियों के सलाह लिये व्यवहार-निर्णय का निषेध—सभी विद्याओं में कुशल एवं भलीभांति मन्त्रणा (विचार) करनेवाला भी अकेला राजा मन्त्रियों के साथ विना सलाह किये कभी किसी व्यवहार के विषय में कोई निर्णय न करे ।

सभ्या धकारिप्रकृतिसभासत्सु मते स्थितः ।

सर्वदा स्यान्नृपः प्राज्ञः स्वमते न कदाचन ॥ ३ ॥

अच्छे सहायकों से युक्त राजा की श्रेष्ठता का निर्देश—समसदार राजा सदा सम्य अधिकारी पुरुष (ऑफिसर), प्रकृति (मन्त्री आदि), तथा कौंसिल के सेम्बरों की रायपर स्थित रहे । कभी भी अपनी ही राय पर स्थिर न रहे अर्थात् अपने मनसे कोई कार्य न करे ।

प्रभुः स्वातन्त्र्यमापन्नो ह्यनर्थायैव कल्पते ।

भिन्नराष्ट्रो भवेत्सद्यो भिन्नप्रकृतिरेव च ॥ ४ ॥

स्वतन्त्रता को प्राप्त हुआ (मनमानी करनेवाला) राजा (स्वामी) अनर्थ करने में समर्थ होता है, उससे राज्य तत्काल छिन्न-भिन्न हो जाता है और उसका प्रकृति (मन्त्री आदि) वर्ग अलग हो जाता है ।

पुरुषे पुरुषे भिन्नं दृश्यते बुद्धिवैभवम् ।

आप्तवाक्यैरनुभवैरागमैरनुमानतः ॥ ५ ॥

प्रत्यक्षेण च सादृश्यैः साहसैश्च ज्ञलैर्बलैः ।

वैचित्र्यं व्यवहाराणामौन्नत्यं गुरुलाघवैः ॥ ६ ॥

नहि तत्सफलं ज्ञातुं नरेणैकेन शक्यते ।

अतः सहायान्वरयेद्राजा राज्यविवृद्धये ॥ ७ ॥

प्रत्येक पुरुष में बुद्धि का वैभव (चमत्कार) भिन्न २ दिखाई पड़ता है

और यथार्थ (उचित) कहनेवाले पुरुषों की बातों से एवं आगम (नीति-शास्त्रादि शब्द प्रमाण), अनुमान, प्रत्यक्ष, सादृश्य (उपमान) इन प्रमाणों से, साहस, बल एवं गुरुता तथा लघुता से जो व्यवहारों में विचित्रता तथा महत्ता पाई जाती है उन सबों का ज्ञान प्राप्त करना अकेले एक मनुष्य से संभव नहीं हो सकता है अतः राजा राज्य की उन्नति के लिये ऐसे सहायकों को रखना स्वीकार करे ।

कुलगुणशीलवृद्धाच्छूरान् भक्तान्प्रियंवदान् ।
हितोपदेशकान्क्लेशसहान् धर्मरतान्सदा ॥ ८ ॥
कुमार्गग नृपमपि बुद्धयोद्धतुं क्षमाच्छुचीन् ।
निर्मत्सरान्कामक्रोधलोभहीनान्निरालसान् ॥ ९ ॥

जो कुल, गुण और शील से बड़े हों और शूर, राजभक्त, प्रियभाषी, हितकारक उपदेश देनेवाले, क्लेश सहनेवाले, सदा धर्म पर चलनेवाले, कुमार्ग-गामी राजा को अपनी बुद्धि बल से कुमार्ग से हटाने में समर्थ, पवित्र आचरण तथा विचार वाले, मत्सरता, काम, क्रोध, लोभ और आलस्य से हीन हों ।

हीयते कुसहायेन स्वधर्माद्राज्यतो नृपः ।
कुकर्मेणा प्रनष्टास्तु दितिजाः कुसहायतः ॥ १० ॥
नष्टा दुर्योधनाद्यास्तु नृपाः शूरा बलाधिकाः ।
निरभिमानो नृपतिः सुसहायो भवेदतः ॥ ११ ॥

बुरे सहायकों से राजा की हानि का निर्देश—कुसित सहायकों से राजा अपने धर्म तथा राज्य से व्युत्त हो जाता है । जैसे दैत्य लोग और दुर्योधनादि राजा लोग शूर एवं अधिक बलशाली होते हुये भी कुसित कर्म करने तथा कुसित सहायकों का साथ करने से नष्ट हो गये अतः राजा को अभिमान-रहित तथा अच्छे सहायकों से युक्त होना चाहिये ।

युवराजोऽमात्यगणो भुजावेतौ महीभुजः ।
तावेव नयने कर्णौ दक्षसव्यौ क्रमात्स्मृतौ ॥ १२ ॥

युवराजादि राजा के अङ्ग हैं इसका निर्देश—युवराज तथा मन्त्रिगण ये दोनों कम से राजा के दक्षिण तथा वाम अङ्ग के दोनों बाहु, नेत्र तथा कर्ण माने गये हैं ।

बाहुकर्णाक्षिहीनः स्याद्विना ताभ्यामतो नृपः ।
योजयेच्चिन्तयित्वा तौ महानाशाय चान्यथा ॥ १३ ॥

इसलिये राजा उन दोनों (युवराज तथा मन्त्रिगण) के बिना बाहु, कर्ण तथा नेत्र से हीन समझा जाता है । अतः इन दोनों की नियुक्ति सोच समझ-

कर करे। अन्यथा (उचित नियुक्ति न होने से) ये दोनों भयङ्कर रूप से नाशकारी होते हैं।

मुद्रां विनाऽखिलं राजकृत्यं कर्तुं क्षमं सदा ।
कल्पयेद्युवराजार्थमौरसं धर्मपत्निजम् ॥ १४ ॥
स्वकनिष्ठ पितृव्यं वाऽनुजं वाऽप्रजसंभवम् ।
पुत्रं पुत्रीकृतं दत्तं यौवराज्येऽभिषेचयेत् ॥ १५ ॥

युवराज के कार्य तथा अभिषेकार्हं युवराज के अधिकारियों का निर्देश— जो राजा का मोहर लगाने के अतिरिक्त सभी राजकार्य को सदा करने के लिये समर्थ होता है, ऐसे युवराज-पद के लिये धर्मपत्नी में उत्पन्न औरस (साक्षात् अपना) पुत्र चुनना चाहिये अभावमें क्रमसे अपना छोटा भाई, चाचा, छोटा भाई और बड़े भाई का पुत्र, पुत्रीकृत (जिसको पुत्र के समान मान लिया जाय) पुत्र अथवा दत्तक पुत्र को चुनकर युवराज नियुक्त करना चाहिये।

क्रमादभावे दौहित्र स्वस्त्रीयं वा नियोजयेत् ।
स्वहितायापि मनसा नैतान्सकपयेत्काचन् ॥ १६ ॥

क्रम से पूर्वोक्त के अभाव में दौहित्र (लड़की का लड़का) या भानजा को युवराज बनाना चाहिये और अपने हित के लिये कभी मन से भी इन सबों को कष्ट न पहुँचाना चाहिये।

स्वधर्मनिरताञ्छूरान् भक्तान्नीतिमतः सदा ।
संरक्षयेद्राजपुत्रान् बालानपि सुयत्नतः ॥ १७ ॥
लोलुभ्यमानास्तेऽर्थेषु हन्युरेनमरक्षिताः ।
रक्ष्यमाणा यदिच्छिद्रं कथाचत्प्राप्नुवन्ति ते ॥ १८ ॥
सिंहशावा इव घ्नन्ति रक्षितारं द्विपं द्रुतम् ।
राजपुत्रा मदोद्भूता गजा इव निरंकुशाः ॥ १९ ॥
पितरं चापि निघ्नन्ति भ्रातरं त्वितरं न किम् ।
मूर्खो बालोऽपीच्छति स्म स्वाम्य किं नु पुनर्युवा ॥ २० ॥

और स्वधर्म में निरत, शूर, राजभक्त, नीतिशास्त्र राजपुत्रों की भलीभांति सदा रक्षा (रखवाली) करे चाहे वे बालक हों तो भी उनकी विशेष यत्न से रक्षा (रखवाली) करे अर्थात् राजा इन से अपनी प्राणरक्षा करता रहे क्योंकि यद्यपि इनकी रक्षा भलीभांति की जा रही है तो भी यदि ये किसी प्रकार का छिद्र (मौका) पा जाते हैं और उस समय उनके ऊपर किसी का पहरा नहीं रहता है तो राज्य के लोलुप होने से रक्षक राजा को मार डालते हैं जैसे सिंह के बच्चे रक्षक हाथी को भी शीघ्र मार डालते हैं। और मद से मतवाले निरंकुश हाथी के समान राजपुत्र जब पिता को या भाई को भी मार डालते

हैं तब इतर को क्यों नहीं मारेंगे अर्थात् अवश्य मारेंगे। क्योंकि मूर्ख बालक भी यदि स्वामी (राजा) बनना चाहता है तो फिर युवा (जवान) के विषय में क्या कहना है अर्थात् वह तो अवश्य चाहेगा ही।

स्वात्यन्तसन्निकर्षेण राजपुत्रांस्तु रक्षयेत् ।

सद्भृत्यैश्चापि तत्स्वान्तं ह्यलैर्ह्यत्वा सदा स्वयम् ॥ २१ ॥

और राजा अपने अत्यन्त सन्निकट में राजपुत्रों को रखते हुये विश्वासी नौकरों के द्वारा, किसी व्याज से या स्वयं उनके हार्दिक भावों को सदा जानकर तदनुसार उनकी रक्षा का प्रबन्ध करे।

सुनीतिशास्त्रकुरालान् धनुर्वेदविशारदान् ।

क्लेशसहान्श्च वाग्दंडपारुष्यानुभवान् सदा ॥ २२ ॥

शौर्ययुद्धरतान् सर्वकलाविद्याविदोऽजसा ।

सुविनीतान्प्रकुर्वीत ह्यमात्याद्यैर्नृपः सुतान् ॥ २३ ॥

दुराचारी राजपुत्रों में आचार-स्थापना का निर्देश—और राजा मन्त्री आदि के द्वारा अपने पुत्रों को सुन्दर नीतिशास्त्र में कुशल, धनुर्वेद विद्या में विशारद, सदा क्लेश सहन करने में समर्थ, वाग्दण्ड की कठोरता का अनुभव करनेवाला, यौरता के साथ युद्ध करने में निरत, वस्तुतः सम्पूर्ण कलाओं तथा विद्याओं का जाननेवाला, अत्यन्त निश्चित अथवा विनम्र बनावे।

सुवस्त्राद्यैर्भूषयित्वा लालयित्वा मुक्तीडनेः ।

अर्हयित्वाऽऽसनाद्यैश्च पालयित्वा सुभोजनैः ॥ २४ ॥

कृत्वा तु यौवराज्यार्हान् यौवराज्येऽभिषेचयेत् ।

अविनोतकुमारं हि कुलमाशु विनश्यति ॥ २५ ॥

और उन्हें सुन्दर वस्त्रादिकों से अलंकृत, अच्छे खेलों से लालित, अच्छे आसनों पर बैठाने से सम्मानित करते हुये अच्छे २ भोजनों से उनका पालन-पोषण करके युवराज-पद के योग्य हो जाने पर उन्हें युवराज बनावे क्योंकि जिस राजवंश के युवराज अशिष्ट होते हैं वह शीघ्र नष्ट हो जाता है।

राजपुत्रः सुदुर्वृत्तः परित्यागं हि नार्हति ।

क्लिश्यमानः स पितरं परानाश्रित्य हन्ति हि ॥ २६ ॥

और अत्यन्त दुर्वृत्त (दुष्ट आचरणवाला) भी राजपुत्र परित्याग करने के योग्य नहीं होता है क्योंकि क्लेश पाने पर वह शत्रुओं का सहारा लेकर अपने पिता राजा को मार डालता है।

व्यसने सज्जमानं तं क्लेशयोद् व्यसनाश्रयैः ।

दुष्टं गजमिषोद्दुर्वृत्तं कुर्वीत सुखबन्धनम् ॥ २७ ॥

यदि कोई राजकुमार द्यूत आदि व्यसन में फँस जाय तो उस व्यसन के

आश्रयदाताओं के द्वारा उसको बलेश पहुँचाये पश्चात् किसी भांति समझा-
बुझाकर ठीक रास्ते पर लाये, जैसे उच्छृङ्खल दुष्ट हाथी को बलेश पहुँचाकर
सुखपूर्वक बांधा जाता है ।

सुदुर्वृत्तास्तु दायादा हन्तव्यास्ते प्रयत्नतः ।

व्याघ्रादिभिः शत्रुभिर्वा छलै राष्ट्रविवृद्धये ॥ २८ ॥

अतोऽन्यथा विनाशाय प्रजाया भूपतेश्च ते ।

जो राजा के दायादवर्गवाले (वंश के लोग) अत्यन्त दुष्ट आचरण करने-
वाले हों उन्हें प्रयत्नपूर्वक व्याघ्रादि, शत्रु या छल के द्वारा राज्य की उन्नति के
लिये मार डालना चाहिये । इससे अन्यथा करनेपर वे प्रजा तथा राजा के
विनाश के कारण होते हैं ।

तोपयेयुर्नृपं नित्यं दायादाः स्वगुणैः परः ॥ २९ ॥

भ्रष्टा भवन्त्यन्यथा ते स्वभागाब्जीवितादपि ।

अतः दायादवर्ग के लोग श्रेष्ठ अपने गुणों से राजा को सन्तुष्ट रखें
अन्यथा वे अपने हिससे तथा जीवन से विहीन हो जाते हैं ।

स्वसापिण्ड्यविहीना ये ह्यन्योत्पन्ना नराः खलु ॥ ३० ॥

मनसापि न मन्तव्या दत्ताद्याः स्वसुता इति ।

तदत्तकरवमिच्छन्ति दृष्ट्वा यं धनिकं नरम् ॥ ३१ ॥

स्वकुलोत्पन्नकन्यायाः पुत्रस्तेभ्यो चरो ह्यतः ।

जो अपने सापिण्ड्य से विहीन (अपने वंश का नहीं) होकर दूसरे वंश
में उत्पन्न हुये मनुष्य दत्तादिपुत्र होते हैं उन्हें मन से नहीं समझना चाहिये
कि ये मेरे पुत्र हैं । क्योंकि वे (दत्तादिपुत्र) जिसको धनी पुरुष देखते हैं
उसके दत्तक पुत्र बनने की इच्छा करते हैं अतः उनकी अपेक्षा अपने कुल में
उत्पन्न कन्या का पुत्र (दौहित्र) अच्छा होता है ।

अगाद्गात्संभवति पुत्रवद् दुहिता नृणाम् ॥ ३२ ॥

पिण्डदाने विशेषो न पुत्रदौहित्रयोस्वतः ।

क्योंकि पुत्र की भांति मनुष्यों के अङ्ग-अङ्ग से कन्या भी उत्पन्न होती है ।
अतः पिण्डदान में पुत्र और दौहित्र में कोई अन्तर नहीं है अर्थात् दोनों से
वृत्ति होती है ।

भूप्रजापालनार्थं हि भूपो दत्तं तु पालयेत् ॥ ३३ ॥

नृपः प्रजापालनार्थं सधनश्चेन्न चान्यथा ।

और राजा पृथ्वी तथा प्रजाओं के पालनार्थे दत्तकपुत्र का पालन करे ।
क्योंकि वह प्रजापालन तथा धन (राज्य) देने के लिये ही दत्तक पुत्र लेता है
अन्यथा उसे कोई आवश्यकता नहीं है ।

परोत्पन्ने स्वपुत्रत्वं मत्वा सर्वं ददाति तम् ॥ ३४ ॥

किमाश्चयेमतो लोके न ददाति यजत्यपि ।

इससे बढ़कर संसार में आश्चर्य का विषय क्या है ? कि जिस धन को न किसी को देता है और न उससे यज्ञ ही करता है, फिर भी उसी धन को दूसरे कुल में उत्पन्न दत्तक पुत्र में अपने पुत्र की भावना करके उसके लिये सम्पूर्ण रूप से त्याग कर देता है ।

प्राप्यापि युवराजत्वं प्राप्नुयाद्विकृति न च ॥ ३५ ॥

स्वसंपत्तिमदानैव मातरं पितरं गुरुम् ।

भ्रातरं भगिनीं वापि ह्यन्यान्वा राजवल्लभान् ॥ ३६ ॥

महाजनांस्तथा राष्ट्रे नावमन्येत पीडयेत् ।

और युवराज-पद को पाकर दत्तक राजकुमार को विकृति नहीं लानी चाहिये अर्थात् बदल नहीं जाना चाहिये । और अपनी संपत्ति के मद से माता, पिता, गुरु (मित्रक या गुरुजन), भाई, बहिन या इनसे अभ्य राजा के प्रिय (मन्त्री आदि) और राज्य में श्रेष्ठजन हैं इनका तिरस्कार न करे और न पीड़ा ही पहुँचावे ।

यदा तु कश्चिञ्जातीनां बाह्यः प्रार्थयते कुलम् ॥ ३७ ॥

न मर्षयन्ति तत्सन्तो बाह्ये नाभिप्रदर्शनम् ।

जब कोई जातियों से बाहर का व्यक्ति कुल की प्रार्थना करता है तो उसके कुलीनता के प्रदर्शन को अच्छे लोग बर्दास्त नहीं करते ।

प्राप्यापि महती वृद्धिं वर्तेत पितुराज्ञया ॥ ३८ ॥

पुत्रस्य पितुराज्ञापि परमं भूषणं स्मृतम् ।

बड़ी भारी तरफ़ी को पाकर भी पिता की आज्ञानुसार रहे क्योंकि पुत्र के लिये पिता की आज्ञा का पाठन करना परम भूषण है ।

भार्गवेण हता माता राघवस्तु वनं गतः ॥ ३९ ॥

पितुस्तपोबलात्तौ तु मातरं राज्यमापतुः ।

शापानुग्रहयोः शक्तो यस्तस्याज्ञा गरीयसी ॥ ४० ॥

पिता की आज्ञा से परशुरामजी ने माता की हत्या की और रामजी धन को गये । किन्तु पिता के तपोबल से पुनः उन दोनों ने क्रम से परशुराम ने माता का पुनरुज्जीवन और राम ने पुनः राज्य-लाभ प्राप्त किया क्योंकि शाप देने और अनुग्रह करने में जो समर्थ हों उनकी आज्ञा सर्वोपरि मान्य होती है ।

सोदरेषु च सर्वेषु स्वस्याधिक्यं न दर्शयेत् ।

भागार्हभ्रातृणां नष्टो ह्यवमानात्सुयोधनः ॥ ४१ ॥

अपने भाइयों के सामने अपनी महत्ता का प्रदर्शन न करे। क्योंकि दुर्योधन भाग (अंश-हिस्सा) पाने योग्य भाइयों के अपमान से नष्ट हो गया।

पितुराहोर्लघनेन प्राप्यापि पदमुत्तमम्।

तस्माद् भ्रष्टा भवन्तीह दासवद्राजपुत्रकाः ॥ ४२ ॥

ययानेश्च यथा पुत्रा विश्वामित्रसुता यथा।

राजपुत्रों की पिता के विषय में कर्तव्यता का निर्देश—राजपुत्र लोग दास की भांति इस लोक में पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने से उत्तम पद को पाकर भी उससे भ्रष्ट (हीन) हो जाते हैं। जैसे ययाति राजा के पुत्र यदु आदि राज्यभ्रष्ट और विश्वामित्र के पुत्र गण पिता की आज्ञा का उल्लंघन करने से उनके शापवश कुत्ते का मांस-भोजन करनेवाले हो गये।

पितृसेवापरस्तिष्ठेत्कायवाङ्मानसैः सदा ॥ ४३ ॥

नत्कर्म नियतं कुर्याद्येन तुष्टो भवेत्पिता।

तन्न कुर्याद्येन पिता मनागपि विपीदति ॥ ४४ ॥

अतः पुत्र को सदा शरीर, वाणी और मनसे पिता की सेवा में तत्पर रहना चाहिये। और जिससे पिता प्रसन्न हों उस कर्म को नियत रूप से करना चाहिये। और उस कर्म को नहीं करना चाहिये जिससे पिता को थोड़ा भी खेद हो।

यस्मिन्पितुर्भवेत्प्रीतिः स्वयं तस्मिन्प्रियं चरेत्।

यस्मिन्द्वेषं पिता कुर्यात्स्वस्यापि द्वेष्य एव सः ॥ ४५ ॥

असंमतं विरुद्धं वा पितुर्नैव समाचरेत्।

जिसके ऊपर पिता का प्रेम है उसके साथ स्वयं भी प्रिय व्यवहार करे। और जिसके साथ पिता द्वेष करे उसके लिये स्वयं भी द्वेषी एवं जो पिता को असंमत या विरुद्ध प्रतीत हो उस व्यवहार को न करे।

चारसूचकदोषेण यदि स्यादन्यथा पिता ॥ ४६ ॥

प्रकृत्यनुमतं कृत्वा तमेकान्ते प्रबोधयेत्।

अन्यथा सूचकान्नित्यं महद्द्वेन दण्डयेत् ॥ ४७ ॥

जासूस या सूचक (चुगुलखोर) के दोष से यदि पिता का भाव अन्यथा (पलट) हो जाय तो प्रकृति के अनुकूल करके एकान्त में उन्हें समझावे। और अन्यथा रीति से सूचना देनेवाले चुगुलखोर या जासूस को भारी दण्ड से दण्डित करे या पिता से सदा दिलावे।

प्रकृतीनां च कपटैः स्वान्तं विद्यात्सदैव हि।

प्रातर्नत्वा प्रतिदिनं पितरं मातरं गुरुम् ॥ ४८ ॥

राजानं स्वकृतं यद्यन्निवेद्यानुदिनं ततः।

एवं गृहाविरोधेन राजपुत्रा वसन् गृहे ॥ ४६ ॥

और सदैव प्रकृतियों (मन्त्री आदि) के चिह्न के भाव को किसी व्याज से समझे । प्रातःकाल प्रतिदिन पिता-माता, गुरुको नमस्कार कर एवं जो कुटुम्ब प्रतिदिन का अपना किया हुआ कार्य हो उसे राजा से निवेदन करे । इस प्रकार से राजभवन के लोगों के साथ विरोध न रखते हुये राजभवन में राजपुत्र को रहना चाहिये ।

विद्याया कर्मणा शीलैः प्रजाः संरजयन्मुदा ।

त्यागी च सत्त्वसपन्नः सर्वान्कुर्याद्दशो स्वके ॥ ५० ॥

अपनी विद्या, कर्म तथा शील से प्रसन्नता के साथ प्रजा का मनोरञ्जन करता हुआ, त्याग (दान) तथा सत्त्व गुण से संपन्न होकर सब लोगों को अपने वश में रखे ।

शनैः शनैः प्रवर्धेत शुक्लपञ्चमृगाङ्गवत् ।

एवंवृत्तो राजपुत्रो राज्यं प्राप्याप्यकटकम् ॥ ५१ ॥

सहायवान्सहामात्यश्चिरं भुक्ते वसुधराम् ।

समासतः कार्यमुक्तं युवराजस्य यद्धितम् ॥ ५२ ॥

शुक्ल पञ्च की चन्द्रमा की भांति धीरे २ वृद्धि को प्राप्त करे । इस प्रकार आचरण करनेवाला राजपुत्र आगे चलकर अकण्ठक राज्य को पाकर सहायकों तथा मन्त्रियों के साथ रहकर चिरकाल तक पृथ्वी का उपभोग करता है इस प्रकार से युवराज के लिये जो हितकर व्यवहार है उसे सखेप से कहा गया है ।

समासादुच्यते कृत्यममात्यादेश्च लक्षणम् ।

मृदुगुरुप्रमाणत्ववर्णशब्दादिभिः संमम् ॥ ५३ ॥

अमात्यादि श्रुत्यों के विषय में विचार करने का निर्देश—अब मन्त्री की कैसी मृदुता, गम्भीरता, प्रामाणिकता, जाति और वचन आदि हैं ? इसके साथ उसके लक्षण तथा कृत्य का संक्षेप से वर्णन करते हैं ।

परीक्षकैर्द्रवित्वा यथा स्वर्णं परीक्ष्यते ।

कर्मणा सहवासेन गुणैः शीलकुलादिभिः ॥ ५४ ॥

भृत्यं परीक्ष्येन्नित्यं विश्वास्यं विश्वसेत्तदा ।

नैव जातिर्न च कुलं केवलं लक्षयेदपि ॥ ५५ ॥

स्वर्ण की परीक्षा करनेवाले जिस प्रकार गलाकर स्वर्ण की परीक्षा करते हैं उसी प्रकार कर्म, सहवास, चरित्र, कुल आदि गुणों से भृत्य (वेतन पानेवाले अमात्यादि) की सदा परीक्षा करे । उसके बाद यदि विश्वास योग्य हो तो विश्वास करे और केवल जाति या कुल से परीक्षा न करे ।

कर्मशीलगुणाः पूज्यास्तथा जातिकुलेन हि ।

न जात्या न कुलेनैव श्रेष्ठत्वं प्रतिपद्यते ॥ ५६ ॥

विवाहे भोजने नित्यं कुलजातिविवेचनम् ।

जैसा कर्म, शील तथा गुण से मनुष्य पूजनीय होता है वैसा जाति और कुल से नहीं क्योंकि श्रेष्ठता जाति या कुल से ही नहीं पाई जाती है और कुल तथा जाति का विचार तो केवल विवाह तथा भोजन में किया जाता है ।

सत्यवान् गुणसम्पन्नस्तथाऽभिजनबान्धनी ॥ ५७ ॥

सुकुलश्च सुशीलश्च सुकर्मा च निरालसः ।

यथा करोत्यात्मकार्यं स्वामिकार्यं ततोऽधिकम् ॥ ५८ ॥

चतुर्गुणेन यत्नेन कायवाङ्मानसेन च ।

भृत्या च तुष्टो मृदुवाक्यार्थदक्षः शुचिर्दृढः ॥ ५९ ॥

परोपकरणो दक्षो ह्यपकारपराङ्मुखः ।

स्वाम्यागस्कारिणं पुत्रं पितर चापि दर्शकः ॥ ६० ॥

अन्यायगामिनि पत्यौ यतद्रूपः सुबोधकः ।

नास्तेना तद्विरं कांचित्तन्न्यूनस्याप्रकाराकः ॥ ६१ ॥

अदीर्घसूत्रः सत्कार्ये ह्यसत्कार्ये चिरक्रियः ।

न तद्भार्यापुत्रमित्रच्छिद्रदर्शी कदाचन ॥ ६२ ॥

तद्द्वद् बुद्धिस्तदीयेषु भार्यापुत्रादिबन्धुषु ।

न श्लाघते स्पर्धते न नाभ्यसूर्यति निन्दति ॥ ६३ ॥

नेच्छत्यन्याधिकारं हि निःस्पृहे मोदते सदा ।

तद्वत्तवस्त्रभूषादिभारकस्तत्पुरोऽनिशम् ॥ ६४ ॥

भृतितुल्यव्ययी दान्तो दयालुः शूर एव हि ।

तदकार्यस्य रहसि सूचको भृतको धरः ॥ ६५ ॥

विपरीतगुणैरेभिर्भृतको निन्द्य उच्यते ।

श्रेष्ठ भृत्य के लक्षण—सत्य बोलनेवाला, गुणों से युक्त, उच्च वंश में उत्पन्न, धनी, निर्दोष कुलवाला, सुशील, उत्तम कर्म करनेवाला, आलस्यरहित, जिस भांति अपने कार्य में यत्न करता है उसमें अधिक काविक, वाचिक तथा मानसिक औगुने यत्न के साथ स्वामी का कार्य करनेवाला, केवल वेतन मात्र से ही सन्तुष्ट रहनेवाला, मधुरभाषी, कार्य करने में चतुर, पवित्र चिन्त-वाला, कार्य करने में स्थिर विचार रखनेवाला, परोपकार करने में निपुण, अपकार से विमुख रहनेवाला, स्वामी के साथ अपराध करने में प्रवृत्त उनके पुत्र तथा पिता के ऊपर भी निगाह रखनेवाला अर्थात् वे स्वामी का अपराध न कर सकें

ऐसा धरन करनेवाला, अन्याय-पथ पर चलनेवाले स्वामी को सपथ पर चलाने में यत्नशील, स्वामी के किसी बातों पर आक्षेप नहीं करनेवाला, और उनकी त्रुटियों को देखकर कभी किसी के सामने प्रकाशित न करनेवाला, अच्छे कार्यों में जल्दी और बुरे कार्यों में देर लगाकर कार्य करनेवाला, स्वामी के भार्या, पुत्र, मित्र के द्विद्रों (दोषों) को कभी नहीं देखनेवाला (नहीं प्रकाश करने-वाला), और स्वामी के सम्बन्धियों के भार्या, पुत्र आदि वन्धुजनों के विषय में स्वामी जैसा आदर-सम्मान करते हों वैसा ही बुद्धि रखकर उन सबों के साथ व्यवहार करनेवाला, और स्वयं अपनी प्रशंसा नहीं करनेवाला एवं स्वामी या स्वामी के सम्बन्धी जनों के साथ स्पर्धा या उनके गुणों में दोषारोप या निन्दा नहीं करनेवाला, दूसरे के अधिकार पाने की लालसा नहीं रखनेवाला, निःस्पृह होकर सदा प्रसन्न रहनेवाला, स्वामी के समक्ष उसके दिये हुये वस्त्र तथा भूषणादि को सदा धारण करनेवाला, वेतन के अनुसार अपना व्यवहार करनेवाला, इन्द्रियों का दमन करनेवाला, दयालु, शूर और स्वामी के अनुचित कार्य को एकान्त में उसके सामने सूचित करनेवाला भृत्य (मन्त्री आदि) श्रेष्ठ कहलाता है । और उपरिलिखित गुणों से विपरीत गुणोंवाला भृत्य निन्द्य कहलाता है ।

ये भृत्या हीनभृतिका ये दंडेन प्रकर्षिताः ॥ ६६ ॥

शठाश्च कातरा लुब्धाः समक्षप्रियवादिनः ।

मत्ता व्यसनितश्चार्ता उत्कोचेष्टाश्च देविनः ॥ ६७ ॥

नास्तिका दाम्भिकाश्चैवासत्यवाचोऽत्यसूयकाः ।

ये चापमानिता येऽसद्वाक्यैर्मर्मणि भेदिताः ॥ ६८ ॥

रिपोर्मित्राः सेवकाश्च पूर्ववैरानुबन्धिनः ।

चण्डाः साहसिका धर्महीना नैते सुसेवकाः ॥ ६९ ॥

संक्षेपतस्तु कथितं सदसद्भृत्यलक्षणम् ।

निन्द्यभृत्य के लक्षण—जो भृत्य स्वल्प वेतन पानेवाले, निरन्तर अपराध करने से दण्ड द्वारा अत्यन्त पीड़ित किये, शठ, कायर, लोभी, सामने प्रिय बोलनेवाले, मद्य पीकर मतवाले हुये, शिकार आदि के व्यवसयी, रोगी, घूस लेनेवाले, जूआ खेलनेवाले, नास्तिक, दाम्भिक, झूठे, गुणों में दोषारोप करनेवाले, अपमानित, कठोर वाक्यों से मर्म में पीड़ा पहुँचाये गये, शत्रुओं के मित्र या सेवक, पूर्व वैर को मन में रखनेवाले, अत्यन्त क्रोधी, बिना विचारे सहसा कार्य करनेवाले या धर्म से हीन होते हैं वे सुन्दर सेवक नहीं होते हैं अर्थात् ये निन्द्य भृत्यों के लक्षण हैं । इस प्रकार से संक्षेप में अच्छे-बुरे सेवकों के लक्षण कहे गये ।

समासतः पुरोधदिलक्षणं यत्तदुच्यते ॥ ७० ॥

पुरोधाश्च प्रतिनिधिः प्रधानः सचिवस्तथा ।

मन्त्री च प्राड्विवाकश्च पण्डितश्च सुमन्त्रकः ॥ ७१ ॥

अमात्यो दूत इत्येता राज्ञः प्रकृतयो दश ।

दशमांशाधिकाः पूर्वं दूतान्ताः क्रमशः स्मृताः ॥ ७२ ॥

दश प्रकृतियों के नाम—अब पुरोहित आदि के जो लक्षण हैं उन्हें संक्षेप से कहते हैं । पुरोहित, प्रतिनिधि, प्रधान, सचिव, मन्त्री, प्राड्विवाक, पण्डित, सुमन्त्रक, अमात्य, दूत ये दश राजा के 'प्रकृति' (राज्य चलाने में प्रधान कारण) कहलाते हैं । और पुरोधा से लेकर दूतपर्यन्त इन दशों के वेतन पूर्व-पूर्व एक दूसरे की अपेक्षा दशमांश अधिक होते हैं । अर्थात् दूत से दशमांश अधिक अमात्य का, उससे दशमांश अधिक सुमन्त्रक का, उससे दशमांश अधिक पण्डित का, उससे दशमांश अधिक प्राड्विवाक का, उससे दशमांश अधिक मन्त्री का, उससे दशमांश अधिक सचिव का, उससे दशमांश अधिक प्रधान का, उससे दशमांश अधिक प्रतिनिधि का, उससे दशमांश अधिक पुरोधा का वेतन होता है, जो सबसे अधिक होता है ।

अष्टप्रकृतिभिर्युक्तो नृपः कैश्चित्समृदः सदा ।

सुमन्त्रः पण्डितो मन्त्री प्रधानः सचिवस्तथा ॥ ७३ ॥

अमात्यः प्राड्विवाकश्च तथा प्रतिनिधिः स्मृतः ।

एता भृतिसमास्त्वष्ट्रौ राज्ञः प्रकृतयः सदा ॥ ७४ ॥

आठ प्रकृतियों के नाम—और किसी के मत से—राजा सदा ८ प्रकृतियों से युक्त होता है जो कि इस क्रम से हैं—सुमन्त्र, पण्डित, मन्त्री, प्रधान, सचिव, अमात्य, प्राड्विवाक, प्रतिनिधि । ये ८ राजा की प्रकृतियां सदा वेतन में परस्पर समान हैं अर्थात् इनके पूर्वमत की भांति भिन्न-भिन्न वेतन नहीं है ।

इङ्गिताकारतत्त्वज्ञो दूरस्तदनुगः स्मृतः ।

और इङ्गित (हृदयभाव) तथा आकार (शरीर की चेष्टायें) इन दोनों के तत्त्व को जाननेवाला एवं राजा या सुमन्त्र आदि ८ प्रकृतियों के आज्ञानुसार कार्य करनेवाला दूत साधारण नौकरमात्र है अतः इस मत में प्रकृति के अन्दर इसकी गणना नहीं की गई ।

पुरोधा. प्रथमं श्रेष्ठः सर्वेभ्यो राजराष्ट्रभृत् ॥ ७५ ॥

तदनु स्यात्प्रतिनिधिः प्रधानस्तदनन्तरम् ।

सचिवस्तु ततः प्रोक्तो मन्त्री तदनु चोच्यते ॥ ७६ ॥

प्राड्विवाकस्ततः प्रोक्तः पण्डितस्तदनन्तरम् ।

सुमन्त्रस्तु ततः स्यातो ह्यमात्यस्तु ततः परम् ॥ ७७ ॥

दूतस्ततः क्रमादेते पूर्वश्रेष्ठा यथागुणाः ।

पुरोहितादिकों के अधिकार—पूर्वमतानुसार प्रथम जो पुरोधा (पुरोहित) है वह अन्य प्रतिनिधि आदि प्रकृतियों की अपेक्षा अधिक श्रेष्ठ है क्योंकि शास्त्रोक्त पृजन अनुष्ठान के द्वारा विघ्ननाश करने से राजा तथा राज्य की रक्षा करनेवाला होता है । उससे कम प्रतिनिधि, प्रतिनिधि में कम प्रधान, प्रधान से कम सचिव, सचिव से कम मन्त्री, मन्त्री से कम प्राड्विवाक, प्राड्विवाक से कम पण्डित, पण्डित से कम सुमन्त्र, सुमन्त्र से कम अमात्य, अमात्य से कम दूत श्रेष्ठ है । ये सब क्रम से अपने-अपने गुणानुसार पूर्व-पूर्व श्रेष्ठ होते हैं ।

मन्त्रानुष्ठानसम्पन्नस्त्रैविद्यः कर्मतत्परः ॥ ७८ ॥

जितेन्द्रियो जितक्रोधो लोभमोहविवर्जितः ।

पढङ्गवित्सांगधनुर्वेदविश्वाथधमवित् ॥ ७९ ॥

यत्कोपभीत्या राजापि धर्मनीतिरतो भवेत् ।

नीतिशास्त्रास्त्रव्यूहादिकुरालस्तु पुरोहितः ॥ ८० ॥

सैवाचार्यः पुरोधा यः शापानुग्रहयोः क्षमः ।

पुरोहितादिकों के लक्षण—यथाविधि मन्त्रों के अनुष्ठान द्वारा कार्य को सिद्ध करनेवाला, तीनों (श्रग्, यजु, साम) वेदों का जाननेवाला, कार्य करने में क्षीप्रता करनेवाला, जितेन्द्रिय, क्रोध को जीतनेवाला, लोभ तथा मोह से रहित, पढङ्ग (वेद के व्याकरण, शिक्षा, कल्प, निरुक्त, छन्द, उद्यौतिप इन छ वङ्गों) का जाननेवाला, साङ्गोपाङ्ग धनुर्वेद का ज्ञाता, अर्थ तथा धर्म को जाननेवाला एवं जिसके कोप के भय से राजा भी धर्म तथा नीति में रत रहता है ऐसा नीतिशास्त्र, शास्त्रास्त्र चलाने की कला एवं व्यूहरचना में कुशल पुरोहित को होना चाहिये और पुरोहित को ही आचार्य भी कहते हैं । यह शाप तथा अनुग्रह (वर) दोनों के देने में समर्थ भी होता है ।

विना प्रकृतिसन्मन्त्राद्राज्यनाशो भवेद्भवम् ॥ ८१ ॥

रोधनं न भवेत्सम्माद्राज्ञस्ते स्युः सुमन्त्रिणः ।

पूर्वोक्त पुरोहित आदि प्रकृतियों के साथ विना अच्छी मन्त्रणा (सलाह) किये राजा यदि कोई कार्य करता है तो राज्य का नाश निश्चय हो जाता है । एवं राजा का रोधन (कुमार्ग से रोकना) नहीं हो सकता है । इसलिये उन सब पुरोहितादि प्रकृतियों को अच्छी सलाह देनेवाला होना उचित है ।

न बिभेति नृपो येभ्यस्तैः स्यात् किं राज्यवर्धनम् ॥ ८२ ॥

यथालंकारवस्त्राद्यैः स्त्रियो भूष्यास्तथा हि ते ।

जिन पुरोहितादि प्रकृतियों से राजा न डरे उनसे क्या राज्य की वृद्धि हो सकती है ? कदापि नहीं । जैसे अलङ्कार-वस्त्र आदि से स्त्रियां केवल सुशोभित होती हैं वैसे ही अच्छी सलाह न देने वाले उन पुरोहितादि प्रकृतियों से राजा

का केवल शोभामात्र ही है अतः वे पुरोहितादि केवल शोभादायक हैं उनसे राज्य को कोई लाभ नहीं है ।

राष्यं प्रजा बलं कोशः सुनृपत्वं न वर्धितम् ॥ ८२ ॥

यन्मन्त्रतोऽरिनाशस्त्वैमंत्रिभिः किं प्रयोजनम् ।

जिनकी सलाह से राजा का राज्य, प्रजा, सेना, कोश और राजा के सुन्दर भावों की अभिवृद्धि न हो तो उन मन्त्री आदियों से क्या प्रयोजन । अर्थात् वे सब व्यर्थ हैं ।

कार्याकार्यप्रविज्ञाता स्मृतः प्रतिनिधिस्तु सः ॥ ८४ ॥

सबदर्शी प्रधानस्तु सेनाविरसचिवस्तथा ।

क्या करने योग्य है ? क्या नहीं करने योग्य है ? इसको भलीभांति जाननेवाला जो होता है वह 'प्रतिनिधि' कहलाता है और सब कार्यों का निरीक्षण करनेवाला 'प्रधान' एवं सैन्य-संचालन का भलीभांति जाननेवाला 'सचिव' कहलाता है ।

मन्त्री तु नीतिकुशलः पण्डितो धर्मतत्त्ववित् ॥ ८५ ॥

लोकशास्त्रनयज्ञस्तु प्राड्विवाकः स्मृतः सदा ।

नीतिशास्त्र के जानने एवं नदनुसार कार्य करने में जो कुशल है वह 'मन्त्री' कहलाता है । और धर्म के तत्त्व को जाननेवाला 'पण्डित' एवं सदा लोक-व्यवहार तथा शास्त्रोक्त व्यवहार को जाननेवाला 'प्राड्विवाक' कहलाता है ।

देशकालप्रविज्ञाता ह्यमात्य इति कथ्यते ॥ ८६ ॥

आयव्ययप्रविज्ञाता सुमन्त्रः स च कीर्तितः ।

देश और लेख के विषय को अच्छी तरह जो जाननेवाला है वह 'अमात्य' एवं आय (अर्थागम) और व्यय (अर्थ का खर्च) के कार्यों को सुचारु रूप से जो जाननेवाला है वह 'सुमन्त्र' कहलाता है ।

इङ्गिताकारचेष्टज्ञः स्मृतिमान्देशकालवित् ॥ ८७ ॥

पादगुण्यमन्त्रविद्वान्गमो वीतभीदूत इष्यते ।

हृदयभाव तथा चेष्टा को समझनेवाला, उत्तम स्मरणशक्तिवाला, देश-कालानुरूप कर्त्तव्य कर्म को जाननेवाला, सन्धि, विग्रह, पान (चढ़ाई करना), आसन (किले आदि में रहकर लड़ना), द्वैधीभाव (ऊपर से शत्रुओं से मिलकर भीतर-भीतर उनसे दुश्मनी रखना), समाश्रय (सबल का आश्रय लेना), इन सबों के विषय में उचित मन्त्र (विचार) का जाननेवाला, बोलने में चतुर, नहीं डरनेवाला 'दूत' कहलाता है ।

अहितं चापि यत्कार्यं सद्यः कर्तुं यदोचितम् ॥ ८८ ॥

अकतुं यद्धितमपि राज्ञ प्रतिनिधिः सदा ।

बोधयेत्कारयेत्कुर्यान्न कुर्यान्न प्रबोधयेत् ॥ ८९ ॥

प्रतिनिधि का कार्य—प्रतिनिधि का यह कर्तव्य है कि वह सदा जो कार्य अहितकर भी है किन्तु जिस समय उसी को शीघ्रता के साथ करना उचित हो उसे राजा से कहे और करावे तथा स्वयं करे एवं जो हितकर भी कार्य है किन्तु जिस समय उसका करना अनुचित है, उसे न राजा से करने के लिये कहे और न करावे एवं स्वयं भी न करे ।

सत्यं वा यदि वाऽसत्यं कार्यजातं च यत्किल ।

सर्वेषां राजकृत्येषु प्रधानस्तद्विचिन्तयेत् ॥ ९० ॥

प्रधान का कृत्य—प्रधान का कृत्य यह है कि वह सभी राजकार्यों में कौन २ कार्य सत्य हैं और कौन २ असत्य हैं इसका विचार करे ।

गजानां च तथाऽश्वानां रथानां पदगामिनाम् ।

सुहृदानां तथोष्णानां वृषाणां सद्य एव हि ॥ ९१ ॥

वायभापासु संकेतव्यूहाभ्यसनशालिनाम् ।

प्राक्प्रत्यग्गामिनां राज्यचिह्नशस्त्रास्त्रधारिणाम् ॥ ९२ ॥

परिचारगणानां हीनमध्योत्तमकर्मणाम् ।

अस्त्राणामस्त्रजातीनां संघः स्वतुरगीगणः ॥ ९३ ॥

कार्यक्षमश्च प्राचीनः साद्यस्कः कति विद्यते ।

कार्यासमर्थः कत्यस्ति शस्त्रगोलाग्निचूर्णयुक् ॥ ९४ ॥

सांप्रामिकश्च कत्यस्ति संभारस्तान्विचिन्त्य च ।

सचिवश्चापि तत्कार्यं राज्ञे सम्यग् निवेदयेत् ॥ ९५ ॥

सचिव के कृत्य—‘सचिव’ का कृत्य यह है कि—हाथी, घोड़े, रथ, पैदल सैनिक, सुहृद जँट, विदेशी भाषाओं में संकेत और व्यूहरचना का सतत अभ्यास करनेवाले (अभिज्ञ), पूर्व तथा पश्चिम दिशा के देशों में जानेवाले, मध्यम तथा उत्तम श्रेणी के कार्य करनेवाले, राजचिह्न (झण्डा-निशान), शस्त्र तथा अस्त्र के धारण करनेवाले ऐसे परिचारकगण एवं अस्त्र तथा अस्त्रों के चलाने के नियमों को विचारकर उपर्युक्त इन सबों में तत्काल कितने हैं और उनकी क्या दशा है और कार्य में आने योग्य प्राचीन तथा नवीन घुड़सवार कितने हैं तथा कार्य में नहीं आने योग्य कितने हैं । शस्त्र, गोला, बारूद इन सबों से युक्त लड़ाई की सामग्री कितनी है ? इन सबों को विचार कर राजा से उक्त सभी कार्यों को यथार्थ रूप से लिखित निवेदन करे ।

साम दानश्च भेदश्च दण्डः केषु कदा कथम् ।

कर्तव्यः किं फलं तेभ्यो बहुमध्यं तथाऽल्पकम् ॥ ९६ ॥

एतत्संचिन्त्य निश्चित्य मन्त्रो सर्वं निवेदयेत् ।

मन्त्री के कार्य—मन्त्री का कर्तव्य यह है कि—वह किन विषयों में कब, किस प्रकार से सन्धि, दान, भेद और विग्रह करना चाहिये एवं उससे क्या फल होगा ? और वह अधिक, मध्यम या अल्प होगा, इन सबों का विचार कर राजा से निवेदन करे ।

साक्षिभिलिखितेभोगैश्छलैर्भूतैश्च मानुषान् ॥ ६७ ॥

स्वानुत्पादितसंप्राप्तव्यवहारान्विचिन्त्य च ।

दिव्य-ससाधनाद् वापि केषु किं साधनं परम् ॥ ६८ ॥

युक्तिप्रत्यक्षानुमानोपमानैर्लोकशास्त्रतः ।

बहुसम्मतसंसिद्धान्विनिश्चित्य सभास्थितः ॥ ६९ ॥

ससभ्यः प्राड्विवाकस्तु नृपं सम्बोधयेत्सदा ।

प्राड्विवाक के कार्य—‘प्राड्विवाक’ का कर्तव्य यह है कि—वह (विचारपति) सभा में स्थित हो, सभ्यों (जूरियों) के साथ मिलकर साक्षी (गवाह) एवं लेखक के द्वारा सत्य या झूठ से युक्त मनुष्यों को एवं अपनी इच्छा से पैदा किये हुये या यथार्थ रूप से उपस्थित किये गये विवादों को विचार कर उनमें से किसी का साक्षी या लेखक के अभाव में दिव्यसाधनों (अग्निपरीचा आदि) से एवं किसी का बहुत लोगों की सम्मति से तथा किसी में कौन प्रमाण उचित होगा इसका प्रत्यक्ष, अनुमान, दान्त तथा लोकशास्त्र से विचार कर जो निर्णय हो उसे राजा से सदा निवेदन करे ।

वर्तमानाश्च प्राचीना धर्माः के लोकसंश्रिताः ॥ १०० ॥

शास्त्रेषु के समुद्दिष्टा विरुद्ध्यन्ते च केऽधुना ।

लोकशास्त्रविरुद्धाः के पण्डितस्तान्विचिन्त्य च ॥ १०१ ॥

नृपं संबोधयेत्तैश्च परत्रेह सुखप्रदैः ।

पण्डित के कार्य—पण्डित का कर्तव्य यह है कि—वह प्रजागण इस समय प्राचीन या नवीन में से किस धर्म का पालन कर रहे हैं और किस धर्म का शास्त्र में निर्दिष्ट होने पर भी आदर नहीं कर रहे हैं और कौन से उनके प्रचलित धर्म शास्त्र-विरुद्ध पद रहे हैं, इन सबों को विचार कर जो इस लोक तथा पर लोक में सुखप्रद धर्म हैं उन्हें राजा से निवेदन करे ।

इयच्च संचितं द्रव्यं वत्सरेऽस्मिन्स्त्वृणादिकम् ॥ १०२ ॥

व्ययीभूतमियच्चैव शेषं स्थावरजगमम् ।

इयदस्तीति वै राज्ञे सुमन्त्रो विनिवेदयेत् ॥ १०३ ॥

सुमन्त्र के कार्य—सुमन्त्र का कर्तव्य यह है कि—वह इस वर्ष में तुणा-दिक स्थायी तथा अस्थायी द्रव्य का इतना संवय हुआ था और उसमें से

इतना ध्यय हुआ और अब इतना बचा हुआ है । इसे राजा से निवेदन करे ।
 पुराणि च कति ग्रामा अरण्यानि च सन्ति हि ।
 कर्षिता कति भूः केन प्राप्तो भागस्ततः कति ॥ १०४ ॥
 भागशेषं स्थितं कस्मिन्कत्यकृष्टा च भूमिका ।
 भागद्रव्यं वत्सरेऽस्मिन्लुल्कदण्डादिजं कति ॥ १०५ ॥
 अकृष्टपच्यं कति च कति चारण्यसंभवम् ।
 कति चाकरसंजातं निधिप्राप्तं कतीति च ॥ १०६ ॥
 अस्वामिकं कति प्राप्तं नाष्टिकं तस्कराहृतम् ।
 संचितं तु विनिश्चित्यामात्यो राज्ञे निवेदयेत् ॥ १०७ ॥
 समासाल्लक्षणं कृत्यं प्रधानदशकस्य च ।

अमात्य के कार्य—अमात्य का कर्त्तव्य यह है कि—वह—राज्य में कितने नगर, ग्राम या जंगल हैं ? किसने कितनी भूमि जोती है ? और उससे कितना उसने धान्य पाया ? किस क्षेत्र (खेत) में कितना भाग बचा है ? कितनी भूमि बिना जुती है ? और इस देश में प्रतिवर्ष शुल्क (मालगुजारी), और अपराधियों के दण्ड से (जुर्माना) आदि से प्राप्त भाग द्रव्य (राजा के अंश का द्रव्य) कितना है ? बिना जुती भूमि में होने वाला सस्यादि कितना है ? जंगल से मिलने वाला द्रव्य कितना है ? खान से निकलने वाला द्रव्य कितना है ? गली आदि में पड़ी हुई अतएव अज्ञात-स्वामी वाली वस्तु कितनी है ? बिना स्वामी (लावारिस) का द्रव्य कितना है, हरण किया हुआ द्रव्य कितना है ? और चोरों से दण्ड रूप में प्राप्त धन कितना है ? इन सबों की संख्या जोड़कर राजा से निवेदन करे । इस प्रकार से संक्षेप में पुरोहितादि प्रकृतियों का कृत्य कहा गया ।

उक्तं तल्लिखितैः सर्वं विद्यात्तदनुदर्शिभिः ॥ १०८ ॥

परिवर्त्य नृपो ह्येतान्युञ्ज्यादन्योऽन्यकर्मणि ।

राजा के अन्योन्य के स्थान पर अन्योन्य की योजना का निर्देश—राजा पूर्वोक्त पुरोहितादिकों के लिये विहित कार्यों को जुवानी एवं उनके लेखों द्वारा जाने । और उन सबों को समय २ पर योग्यतानुसार एक दूसरे के पदों पर नियुक्त करता रहे । अर्थात् कभी सुमन्त्र को अमात्य पद पर एवं अमात्य को सुमन्त्र पद पर बदली करता रहे ।

न कुर्यात्स्वाधिकबलान् कदापि ह्यधिकारिणः ॥ १०९ ॥

परस्परं समबलाः कार्याः प्रकृतयो दश ।

राज्य के उक्त अधिकारी पुरुषों को कभी अपने अधिकार से अधिक शक्ति

प्रदर्शन न करने दे । और पूर्वोक्त १० प्रकृतियों को परस्पर समबल वाला बनाये रखे, किसी को उभरने न दे ।

एकस्मिन्नधिकारे तु पुरुषाणां त्रयं सदा ॥ ११० ॥

नियुक्तीत प्राज्ञतमं मुख्यमेकन्तु तेषु वै ।

द्वौ दर्शकौ तु तत्कार्ये हायनैस्तन्निवर्तनम् ॥ १११ ॥

त्रिभिर्वा पञ्चभिर्वापि सप्तभिर्दर्शभिश्च वा ।

दृष्ट्वा तत्कार्यकौशल्ये तथा तं परिवर्तयेत् ॥ ११२ ॥

अधिकार की व्यवस्था का निर्देश—राजा एक अधिकार (पर्व) पर तीन पुरुषों की नियुक्ति करे और उनमें से जो एक अत्यन्त बुद्धिमान हो उसे मुख्य और शेष दो को दर्शक (सहायक) बनावे । और ३, ५, ७, और १० वर्षों पर उन दोनों के कार्य तथा निपुणता को देखकर तदनुसार परिवर्तन करे ।

नाधिकारं चिरं दद्याद्यस्मै कस्मै सदा नृपः ।

अधिकारे क्षमं दृष्ट्वा ह्यधिकारे नियोजयेत् ॥ ११३ ॥

अधिकार-योग्य को अधिकार देने का निर्देश—राजा सदा चाहे जो हो उसे किसी अधिकार (पद) पर ज्यादा दिन तक न रहने दे अधिकार के लिये समर्थ देखकर उसे किसी अधिकार पर रखे ।

अधिकारमदं पीत्वा को न मुह्येत्पुनश्चिरम् ।

अधिकाररूपी मद् पीकर कौन नहीं प्रमत्त हो जाता है । अतः चिरकाल तक एक ही अधिकार पर न रहने दे ।

अतः कार्यक्षमं दृष्ट्वा कार्येऽन्ये तं नियोजयेत् ॥ ११४ ॥

अतः उस कर्मचारी को कार्य करने में समर्थ देखकर एक कार्य से दूसरे कार्य पर नियुक्त कर दे ।

तत्कार्ये कुशलं चान्यं तत्पदानुगत खलु ।

नियोजयेद्वर्तने तु तदभावे तथा परम् ॥ ११५ ॥

तद्गुणो यदि तत्पुत्रस्तत्कार्ये तं नियोजयेत् ।

योग्य अधिकारी के अभाव में अन्य की योजना का निर्देश—और कार्य चलने के लिये उस पद पर स्थित (असिष्ट) अन्य जन को जो उस कार्य के करने में कुशल हो—नियुक्त करे । उसके अभाव में दूसरे को नियुक्त करे । यदि कर्मचारी का पुत्र पिता के मुख्य कार्य करने वाला हो तो उसके कार्य पर उसी की नियुक्ति करे ।

यथा यथा श्रेष्ठपदे ह्यधिकारी यदा भवेत् ॥ ११६ ॥

अनुक्रमेण संयोग्यो ह्यन्ते तं प्रकृति नयेत् ।

जब कोई नया कर्मचारी जैसे २ अपने से श्रेष्ठ पद के योग्य होता जाय

वैसे २ अनुक्रम से (उत्तरोत्तर) श्रेष्ठ पद पर उसे नियुक्त करे । अन्त में प्रधान पद पर नियुक्त करे ।

अधिकारबलं दृष्टा योजयेदर्शकान् बहून् ॥ ११७ ॥

अधिकारिणमेकं वा योजयेदर्शकैर्विना ।

अधिकार (कार्य) की गुरुता (अधिकता) समझ कर उसके अनुरूप बहुत से उस कार्य के देखने वाले नियुक्त करे । अपना बिना दर्शकों के भी केवल एक ही अधिकारी को नियुक्ति करे ।

ये चान्ये कर्मसचिवास्तान् सर्वान् विनियोजयेत् ॥ ११८ ॥

गजाश्वरथपादातपशूष्ट्रमृगपक्षिणाम् ।

सुवर्णरत्नरजतवस्त्राणामधिपान् पृथक् ॥ ११९ ॥

वित्तानामधिपं धान्याधिपं पाकाधिपं तथा ।

आरामाधिपतिं चैव सौधगेहाधिपं पृथक् ॥ १२० ॥

सम्भारपं देवतुष्टिपतिं दानपतिं सदा ।

अन्य कर्मों के सचिव की योजना का निर्देश—और जो उक्त दश प्रकृतियों (प्रधानों) से अन्य अधिकारी कार्य करने में समर्थ हों उन्हें योग्यताः नुसार हाथी घोड़ा, रथ, पैदल सेना, पशु, ऊंट, मृग, पक्षी, सुवर्ण, रत्न, चांदी, वस्त्र इन सभों के पृथक् २ स्वामी (अधिकारी), एवं घनाध्यक्ष (पाठान्तर वितानाद्यधिपम् = शामियाना आदि का स्वामी), धान्याधिप, पाकशाला का अध्यक्ष, बगीचों का अध्यक्ष, राजोचित तथा साधारण गृहों का अध्यक्ष, देवसेवा (मन्दिरादि) का अध्यक्ष, सेनाध्यक्ष पद पर सदा नियुक्त करे ।

साहसाधिपतिं चैव ग्रामनेतारमेव च ॥ १२१ ॥

भागहारं तृतीयं तु लेखकं च चतुर्थकम् ।

शुल्कमाहं पञ्चमं च प्रतिहारं तथैव च ॥ १२२ ॥

पट्कमेतन्नियुक्तव्यं ग्रामे ग्रामे पुरे पुरे ।

दण्डाधिपति आदि ६ को योजना का निर्देश—और साहसाध्यक्ष (संग्राम आदि साहस कर्मों के अध्यक्ष), ग्राम का अध्यक्ष, भागहार (प्रजाओं से कर वसूल करने वाला), लेखक, शुल्क (व्यवसायादि पर लगे दैवस) को वसूल करने वाला, द्वारपाल इन ६ कर्मचारियों की प्रत्येक नगर और ग्राम में नियुक्ति करे ।

तपस्विनो दानशीलाः श्रुतिस्मृतिविशारदाः ॥ १२३ ॥

पौराणिकाः शास्त्रविदो दैवज्ञा मान्त्रिकाश्च ये ।

आयुर्वेदविदः कर्मकाण्डज्ञास्तान्त्रिकाश्च ये ॥ १२४ ॥

ये चान्ये गुणिनः श्रेष्ठा बुद्धिमन्तो जितेन्द्रियाः ।

तान् सर्वान् पोषयेद् भृत्या दानैर्मनैः सुपूजितान् ॥ १२५ ॥
हीयते चान्यथा राजा ह्यकीर्तिं चापि बिन्दति ।

राजा को तपस्वी आदियों की रक्षा करने का निर्देश—जो राज्य में तपस्वी करने वाले, दानशील, वेद तथा स्मृतियों के ज्ञाता (वैदिक और स्मार्त), पुराण के जानने वाले, शास्त्रज्ञ, ज्योतिषी, मन्त्र-तन्त्रवेत्ता, वैद्य, कर्मकाण्ड के ज्ञाता, शैवादि धर्म शास्त्र-ज्ञाता, तथा इन से अन्य विषयों के ज्ञाता, श्रेष्ठ गुणी, बुद्धिमान या जितेन्द्रिय हों, उन सबों का मासिक या वार्षिक वृत्ति, समय २ पर दान तथा सम्मान द्वारा पूजित करते हुये भरण-पोषण करे । यदि राजा ऐसा न करे तो राज्य से च्युत हो जाता है तथा उसकी अपकीर्ति भी होती है ।

बहुसाध्यानि कार्याणि तेषामप्यधिपांस्तथा ॥ १२६ ॥

तत्तत्कार्येषु कुशलाब्ज्जात्वा तांस्तु नियोजयेत् ।

बहुत व्यक्तियों द्वारा संपन्न होने वाले कार्यों को जानकर या उन कार्यों के करने में कुशल जो हों उन्हीं व्यक्तियों को समस्त कर यथायोग्य उक्त कार्यों का अधिकारी बनावे ।

अमन्त्रमक्षरं नास्ति नास्ति मूलमनौषधम् ॥ १२७ ॥

अयोग्यः पुरुषो नास्ति योजकस्तत्र दुर्लभः ।

योजनाकर्ता की दुर्लभता—कोई भी अक्षर ऐसा नहीं है जो मन्त्र से शून्य हो, तरु-गुरुम आदि का कोई भी मूल (जड़ी-बूटी) ऐसा नहीं है जो औषध न हो एवं कोई भी ऐसा पुरुष नहीं है जो किसी कार्य के योग्य न हो किन्तु इन सबों को यथोचित रीति से कार्यों में लगाने वाला पुरुष ही दुर्लभ है ।

प्रभद्रादिजातिभेदं गजानां च चिकित्सितम् ॥ १२८ ॥

शिक्षां व्याधिं पोषणं च तालुजिह्वानखैर्गुणान् ।

आरोहणं गतिं वेत्ति स योग्यो गजरक्षणे ॥ १२९ ॥

तथाविधाधोरणस्तु हस्तिहृदयहारकः ।

गजाधिपति के एवं महावत के लक्षण—जो पुरुष हाथियों के प्रभद्र आदि जाति-भेद को तथा उनकी चिकित्सा-विधि शिक्षा, व्याधि, पोषण करना तथा उनके तालु, जिह्वा और नख के द्वारा गुणों को एवं उन पर चढ़ने की तथा उनके चलाने की कला को जानने वाला हो उसे हाथियों की रक्षा करने में (गजाप्यव) नियुक्त करे । क्योंकि उक्त गुणों से ही युक्त महावत हाथियों को घस में करने वाला होता है ।

अश्वानां हृदयं वेत्ति जातिवर्णभ्रमैर्गुणान् ॥ १३० ॥

गतिं शिक्षां चिकित्सां च सत्त्वं सारं रुजं तथा ।

हिताहितं पोषणं च मानं यान दतो वयः ॥ १३१ ॥

शूरश्च व्यूहवित्प्राज्ञः कार्योऽश्वाधिपतिश्च सः ।

अश्वाधिपति के लक्षण—जो पुरुष घोड़ों के हृद्गत भावों को एवं जाति, रंग, रोमों की भौरी के द्वारा उनके गुणों को तथा उनकी चाल, शिक्षा, चिकित्सा, सच (बल), सार (चमता), रोग, हिताहित (शुभ या अशुभ) फल, पालन, मान (ऊँचाई आदि), उन पर गमन करना, दौड़ों से अवस्था को जानने वाला, शूर, व्यूह-रचना का जानने वाला, अत्यन्त बुद्धिमान हो उसे घोड़ों का अध्ययन बनाना चाहिये ।

एभिर्गुणैश्च संयुक्तो धुर्यान्युभ्यांश्च वेत्ति यः ॥ १३२ ॥

रथस्य सारं गमनं भ्रमणं परिवर्तनम् ।

समापतत्सु शस्त्रास्त्रलक्ष्यसंधाननाशकः ॥ १३३ ॥

रथगत्या स रथपो ह्यसंयोगगुप्तिवित् ।

सारधि के लक्षण—जो पुरुष उक्त गुणों से युक्त होते हुये भी भार-बहन करने में समर्थ रथ में जोते जाने वाले घोड़ों को एवं रथकी दृढता आदि, चलाना, घुमाना, बदलना जानता है, और रथ की विशेष गति से शत्रुओं के द्वारा चलाये हुये शस्त्रास्त्रों के लक्ष्य को विकल बनाने वाला, तथा शत्रुओं के घोड़ों के साथ मुठभेड़ होने पर अपने घोड़ों को बचाने की कला जानने वाला हो उसे रथाध्ययन या सारधि बनाना चाहिये ।

सादिनश्च तथा कार्याः शूरा व्यूहविशारदाः ॥ १३४ ॥

वाजिगतिविदः प्राज्ञाः शस्त्रास्त्रैर्युद्धकोविदाः ।

घुड़सवार के लक्षण—और जो शूर, व्यूह-रचना में पण्डित, घोड़ों की चालों को जानने वाले, बुद्धिमान तथा शस्त्र तथा अस्त्र द्वारा युद्ध करने में कुशल हों उन्हें घुड़सवार बनाना चाहिये ।

चक्रितं रेचितं वल्गितकं धौरितमाप्लुतम् ॥ १३५ ॥

तुरं मन्दं च कुठिलं सर्पणं परिवर्तनम् ।

एकादशास्कन्दितं च गतीरश्वस्य वेत्ति यः ॥ १३६ ॥

यथाबलं यथार्थं च शिक्षयेत्स च शिक्षकः ।

अश्वशिक्षक के लक्षण—जो चक्रित (चक्राकार में घुमाना), रेचित (गति विशेष), वल्गितक (बहुत ऊँची वस्तु को लौघना), धौरित (गतिभेद), आप्लुत (मेढक की भांति कूदना), तुर (तेज दौड़ना), मन्द (धीरे र चलना), कुठिल (वक्रगति), सर्पण (सर्प की भांति टेढ़े-मेढ़े दौड़ना), परिवर्तन (पलटना), आस्कन्दित (शत्रुओं पर आक्रमण करना), इन ११ प्रकार

की घोड़ों की चालों को तथा घोड़े के सामर्थ्य के अनुसार उन्हें यथार्थ रूप से शिक्षा देना जानता है वह अध्वशिक्षक (घोड़ों को सिखानेवाला) के पद पर नियुक्त करने योग्य होता है ।

वाजिसेवासु कुशलः पल्याणादिनियोगवित् ॥ १३७ ॥

दृढांगश्च तथा शूरः स कार्यो वाजिसेवकः ।

अश्वसेवक (साईस) के लक्षण—जो घोड़ों की सेवा करने में कुशल, पल्याण (घोड़े की जीन) आदि लगाने की कला का जानने वाला, दृढ़ अङ्गों वाला तथा शूर होता है वह साईस बनाने योग्य है ।

नीतिशास्त्राख्यह्यादिनतिविद्याविशारदाः ॥ १३८ ॥

अबाला मध्यवयसः शूरा दान्ता दृढांगकाः ।

स्वर्धमनिरता नित्यं स्वामिभक्ता रिपुद्विषः ॥ १३९ ॥

शूद्रा वा क्षत्रिया वैश्या म्लेच्छाः संकरसम्भवाः ।

सेनाधिपाः सैनिकाश्च कार्या राज्ञा जयार्थिना ॥ १४० ॥

सेनापति तथा सैनिकों के लक्षण—जो नीति (कर्त्तव्य तथा अकर्त्तव्य जानने का) शास्त्र, शस्त्र तथा अस्त्र चलाना, व्यूह-रचना, नतिविद्या (शत्रुओं को नीचा दिखाना) इन सब विषयों में पण्डित, लड़कपन से रहित, तर्हण, शूर, सैनिक-शिक्षा प्राप्त, दृढ़ अङ्गों वाले, अपने धर्म में निरत, नित्य स्वामी में भक्ति रखने वाले, एवं उनके शत्रुओं से द्वेष रखने वाले, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य, म्लेच्छ या सद्दीर्ण जाति वाले हों उन्हें विजय चाहनेवाला राजा अपना सेनाध्यक्ष या सैनिक बनावे ।

पंचानामथवा पण्णामधिपः पदगामिनाम् ।

योज्यः स पत्तिपालः स्यात्त्रिशतां गौलिमकः स्मृतः ॥ १४१ ॥

शतानां तु शतानीकस्तथाऽनुशतिको वरः ।

सेनानीर्लेखकश्चैते शतं प्रत्यधिपा इमे ॥ १४२ ॥

साहस्रिकस्तु सयोज्यस्तथा चायुतिको महान् ।

पत्ति (पैदल सेना) पाल आदिकों के अधिकार—५ या ६ पैदल सिपाहियों का जो स्वामी होता है वह 'पत्तिपाल' ३० सिपाहियों का स्वामी 'गौलिमक' १०० सिपाहियों का स्वामी 'शतानीक' कहलाता है, और श्रेष्ठ अनुशतिक, सेनानी तथा लेखक ये सब सौ-सौ के ऊपर विशेष २ कार्यों के लिये अध्यक्ष बनाने चाहिए । और १००० सिपाहियों का स्वामी 'साहस्रिक' एवं १०००० सिपाहियों का स्वामी महान 'आयुतिक' बनाना चाहिए ।

व्यूहाभ्यासं शिक्षयेद्यः सायंप्रातस्तु सैनिकान् ॥ १४३ ॥

जानाति स शतानीकः सुयोद्धुं युद्धभूमिकाम् ।

शतानीकादिकों के लक्षण—सायं-प्रातः सैनिकों को व्यूह-रचना का आयास (कवायत या परेड) कराना और भली भांति युद्ध करने के लिये रणसज्जा (युद्ध योग्य सामग्री-वेपभूषा से सुसज्जित करना) का ज्ञान रखना, यह शतानीक का कर्तव्य है ।

तथाविधोऽनुशक्तिकः शतानीकस्य साधकः ॥ १४४ ॥

जानाति युद्धसम्भारं कार्ययोग्यं च सैनिकम् ।

और जो इन्हीं गुणों से युक्त, शतानीक की सहायता करने वाला युद्धो-पयोगी सामग्रियों का तथा कार्य योग्य सैनिकों का जानने वाला होता है वह 'अनुशक्तिक' कहलाता है । अर्थात् उक्त कार्यों का भार उसके ऊपर रहता है ।

निदेशयति कार्याणि सेनानीर्यामिकांश्च सः ॥ १४५ ॥

परिवृत्तिं यामिकानां करोति स च पत्तिपः ।

जो प्रहरी (पहरा देने वाले) लोगों के लिये कार्य बताता है अर्थात् जिसके निदेशानुसार सिपाही कार्य करते हैं वह (सेनानी) कहलाता है । और प्रहरी गणों का जो पहरा बदलता है वह 'पत्तिप' या 'पत्तिपाल' कहलाता है ।

स्वावधानं यामिकानां विजानीयाच्च गुल्मपः ॥ १४६ ॥

जो प्रहरियों को अपने २ कामों में सतर्कता का निरीक्षण करता है वह 'गुल्मप' या 'गौल्मिक' कहलाता है ।

सैनिकाः कति सन्त्येतैः कति प्राप्तं तु वेतनम् ।

प्राचीनाः के कुत्र गताश्चैतान्वेत्ति स लेखकः ॥ १४७ ॥

गजाश्वानां विंशतेश्चाधिपो नायकसंज्ञकः ।

जो सेना में कितने सैनिक हैं ? और उन्होंने कितना वेतन पाया है ? पुराने असमर्थ सैनिक कितने हैं ? और कौन कहां २ गये हैं, इन सबों को जान कर लिखता है, वह 'लेखक' कहलाता है । और २० हाथियों एवं २० घोड़ों का अध्यक्ष 'नायक' कहलाता है ।

रक्तसंज्ञान्स्वस्वचिह्नैर्लाञ्छितांश्च नियोजयेत् ॥ १४८ ॥

उपर्युक्त अधिकारियों को अपने २ चिह्नों से युक्त रहने का निर्देश—ऊपर जिनके नामों का निर्देश किया गया है उन पत्तिपाल आदियों को उनके जो २ चिह्न हों उन से युक्त करके कार्य करने का आदेश देना चाहिये ।

अजाविगोमहिष्वेणमृगाणामधिपाश्च ये ।

तद्वृद्धिपुष्टिकुशलास्तद्वास्तस्यनिपीडिताः ॥ १४९ ॥

तथाविधा गजोशूदेर्योग्यास्तत्सेवका अपि ।

बकरा, भेड़ा, गौ, भैंस, एण (मृग विशेष) मृग, इनके जो अध्यक्ष हों

उन्हें उन (बकरा आदि) सब पशुओं की वृद्धि तथा पोषण करने में कुशल एवं उनके दुख से दुखी होने वाले होना चाहिये । इसी प्रकार से हाथी तथा जूँट आदि के भी जो अभ्यक्ष हों उन्हें भी हाथी, जूँट आदि की सेवा करने वाला होना चाहिये । और ऐसे ही लोगों की नियुक्ति भी करनी चाहिये ।

युद्धप्रवृत्तिकुशललास्तित्तिरादेश्च पोषकाः ॥ १५० ॥

शुक्रादेः पाठकाः सम्यक्छयेनादेः पालबोधकाः ।

तत्तद्दृष्टव्यविज्ञानकुशलारश्च सदा हि ते ॥ १५१ ॥

त्तित्तिरादिपोषकों की योजना का निर्देश—और इसी भांति युद्ध करने की प्रवृत्ति रखने वाले तीतर आदि पक्षियों का पालन करने वाले और सुग्गे आदि पक्षियों के भली भांति पढ़ाने वाले तथा बाज आदि पक्षियों के झपट्टा मारने की कला जानने वाले एवं उपर्युक्त पक्षियों के हृद्गत भावों के पहचानने में निपुण लोगों को सदा उन सबों का अभ्यक्ष बनाना चाहिये ।

मानाकृतिप्रभावरणजातिसाम्याश्च मौल्यवित् ।

रत्नानां स्वर्णरजतमुद्राणामधिपश्च सः ॥ १५२ ॥

रत्नाद्यभ्यक्ष के लक्षण—और रत्न, स्वर्ण, चाँदी, मुद्रा (सिक्का) के जो अभ्यक्ष बनाये जाय, उन्हें रत्नादिकों के मान (तौल), आकार, चमक, रंग जाति और समानता को देखकर उनके मूल्य का जानकार होना चाहिये ।

दान्तस्तु सधनो यस्तु व्यवहारविशारदः ।

धनप्राणोऽतिक्रुपणः कोशाध्यक्षः स एव हि ॥ १५३ ॥

कोषाध्यक्ष के लक्षण—और जो विनम्र स्वभाव वाले, धनो तथा व्यवहार में चतुर, धन की प्राण के समान रक्षा करने वाले तथा अत्यन्त कृपण हों उन्हें 'कोषाध्यक्ष' पद पर नियुक्त करना चाहिये ।

देशभेदैर्जातिभेदैः स्थूलसूक्ष्मबलाबलं ।

कौश्यादेर्मानमूल्यवेत्ता वस्त्रस्य वस्त्रपः ॥ १५४ ॥

वस्त्राधिपति के लक्षण—और जो देश तथा जाति-संबन्धी विभिन्नता एवं मोटा, महीन, मजबूत, कमजोर जानकर परिमाण (तौल) और उचित मूल्य का निश्चय करनेवाला हो उसी को रेशमी आदि वस्त्रों का 'अध्यक्ष' बनाना चाहिये ।

कुटीकञ्चुकनेपथ्यमण्डपादेः परिक्रियाम् ।

प्रमाणतः सौचिकेन रञ्जनानि च वेत्ति यः ॥ १५५ ॥

तथा शय्यादिसन्धानं वितानादेर्नियोजनम् ।

वस्त्रादीनां च स प्रोक्तो वितानाद्यधिपः खलुः ॥ १५६ ॥

वितानाद्यधिपके लक्षण—जो वस्त्रों की कुटी (तम्बू), कञ्चुक (कवच

या कुतः-कोट आदि), नेपथ्य (पर्दा आदि या वेप), मण्डप (वस्त्र निर्मित गृह आदि) को नाप के अनुसार सीने तथा शब्दा (विस्तार) आदि विद्याना या सजाना, शामियाना आदि का ठीक से खड़ा करना और वस्त्रादियों को पहनाना भली भाँति जानता हो उसे वितानादि का अध्ययन बनाना चाहिये ।

जातिं तुलां च मौल्यं च सारं भोगं परिग्रहम् ।

संमार्जनं च धान्यानां विजानति स धान्यपः ॥ १५७ ॥

धान्यपति के लक्षण—जो धान्यों की जाति, वजन, मूल्य, श्रेष्ठता, खाने का तरीका, पाने का उपाय, साफ करना इनासब विषयों को अच्छी तरह से जानता है, उसे 'धान्यप' धान्यों का अध्ययन बनाना चाहिये ।

धौताधौतविपाकज्ञो रससंयोगभेदवित् ।

क्रियासु कुशलो द्रव्यगुणवित्पाकनायकः ॥ १५८ ॥

पाकाध्ययक के लक्षण—जो पकाने का अच्छ-धुला हुआ है या नहीं धुला हुआ है एवं परिपक्व हुआ है या नहीं इसका जानने वाला, तथा रसों (कड़वा, कसैला, तीता, खट्टा, नमकीन, मीठा) के संयोग से होने वाले भेदों का जानकार है एवं पाकक्रिया (रसोई बनाने) में निपुण तथा द्रव्यों एवं उनके गुणों को जानने वाला हो उसे 'पाकनायक' (रसोई बनाने वालों का अध्ययन) बनाना चाहिये ।

फलपुष्पवृद्धिहेतुं रोपणं शोधनं तथा ।

पादपानां यथाकालं कर्तुं भूमिजलादिना ॥ १५९ ॥

तद्भेषजं च संवेत्ति ह्यारामाधिपतिश्च सः ।

आरामाधिपति के लक्षण—जो वृक्षों को समयानुसार मिट्टी (खाद) तथा जल देने आदि से उनके पुष्प तथा फल के बढ़ाने के साधन (उपाय), लगाना, संस्कार करना, और रोग लग जाने पर औषध (दूर करने का उपाय) करना भली भाँति जानता हो उसे 'आरामाधिपति' (बगीचों का अध्ययन) बनाना चाहिये ।

प्रासादं परिखां दुर्गं प्राकारं प्रतिमां तथा ॥ १६० ॥

यन्त्राणि सेतुबन्धश्च वापीं कूपतलागकम् ।

तथा पुष्करिणीं कुण्डं जलाद्यूर्ध्वगतिक्रियाम् ॥ १६१ ॥

सुशिल्पशास्त्रतः सम्यक्सुरम्यं तु यथा भवेत् ।

कर्तुं जानाति यः सैव गृहाद्यधिपतिः स्मृतः ॥ १६२ ॥

गृहाद्यधिपति के लक्षण—जो सुन्दर शिल्प शास्त्र का ज्ञाता होने से तदनुसार अत्यन्त सुन्दर जिस प्रकार से बन सके उस प्रकार से राजभवन, खाई, किला, परकोटा, मूर्ति, यन्त्र, पुल, घावड़ी, कूप, तालाब, पोखरी, कुण्ड, जल

को यन्त्रादि से ऊपर चढ़ाना, इन सबों को सुन्दर बनाने की क्रिया को जानता है उसी को गृहादियों का अध्यक्ष बनाना चाहिये ।

राजकार्योपयोग्यान् हि पदार्थान्वेत्ति तत्त्वतः ।

सञ्चिनोति यथाकाले सम्भाराधिप उच्यते ॥ १६३ ॥

जो यथार्थ रूप से राजा के कार्य में आने योग्य वस्तुओं को जानता है और उनका समयानुसार संग्रह करके रखता है वह 'सम्भाराधिप' पद के योग्य होता है ।

स्वधर्माचरणे दक्षो देवताराधने रतः ।

निःस्पृहः स च कर्तव्यो देवतुष्टिपतिः सदा ॥ १६४ ॥

देवाध्यक्ष के लक्षण—जो अपने धर्म के आचरण करने में चतुर, देवता की धाराधना में निरत, स्वयं किसी वस्तु की इच्छा न रखनेवाला हो उसे 'देवपूजा का अध्यक्ष' अर्थात् पुजारियों के विभाग का स्वामी बनाना चाहिये ।

याचकं विमुखं नैव करोति न च संग्रहम् ।

दानशीलश्च निर्लोभो गुणज्ञश्च निरालसः ॥ १६५ ॥

दयालुर्मृदुन्नामदानपात्रविभ्रति-तत्परः ।

नित्यमेभिर्गुणैर्युक्तो दानाध्यक्षः प्रकीर्तितः ॥ १६६ ॥

दानाध्यक्ष के लक्षण—जो याचकों को विमुख नहीं करता है और स्वयं संग्रह भी नहीं करता है एवं दानशील, लोभरहित, गुणज्ञ (दूसरे के गुण को जानने वाला), आलस्यरहित, दयालु, मधुरभाषी, दान देने योग्य व्यक्तियों को पहचानने वाला और विनम्र होता है वही व्यक्ति इन गुणों से सदा युक्त रहनेवाला होने से 'दानाध्यक्ष' पद के योग्य होता है ।

व्यग्रहारविदः प्राज्ञा वृत्तशीलगुणान्विताः ।

रिपो मित्रे समा ये च धर्मज्ञाः सत्यवादिनः ॥ १६७ ॥

निरालसा जितक्रोधकामलोभाः प्रियंवदाः ।

सभ्याः सभासदः कार्या वृद्धाः सर्वासु जातिषु ॥ १६८ ॥

सभासद् के लक्षण—जो लोक-व्यवहार को जाननेवाले, विद्वान, सदाचार तथा सौजन्यादि एवं दया-उदारता आदि सद्गुणों से युक्त, शत्रु तथा मित्र में समभाव रखनेवाले, धर्मज्ञ, सत्यवादी, आलस्यरहित, क्रोध, काम तथा लोभ को जीतनेवाले ऐसे सभी जातियों के जो वृद्ध लोग हैं, उन्हें सभा का सभ्य (मेम्बर) बनाना चाहिये ।

सर्वभूतात्मतुल्यो यो निःस्पृहोऽतिथिपूजकः ।

दानशीलश्च यो नित्यं स वै सत्राधिपः स्मृतः ॥ १६९ ॥

सत्राधिप के लक्षण—जो सम्पूर्ण प्राणियों के साथ अपने समान व्यवहार

करनेवाला, निस्पृह, अविधियों का संमान करनेवाला, निरय दानशील हो, उसे 'सन्नाधिप' (यज्ञ-विभाग का अध्यक्ष) बनाना चाहिये ।

परोपकारनिरतः परमर्माप्रकाशकः ।

निर्मत्सरो गुणग्राही सद्विद्यः स्यात् परीक्षकः ॥ १७० ॥

परीक्षक के लक्षण—जो परोपकार में निरत रहनेवाला, दूसरे के मर्म अर्थात् मर्म को विदीर्ण करनेवाले दोष को नहीं प्रकाशित करनेवाला, मत्सरता, से शून्य (दूसरे के शुभ में द्वेष न रखनेवाला), गुणग्राही और जिस विषय की परीक्षा लेता हो उसको जाननेवाला हो उसे 'परीक्षक' (परीक्षा लेनेवाला) बनाना चाहिये ।

प्रजा नष्टा न हि भवेत्तथा दण्डविधायकः ।

नातिक्रूरो नातिमृदुः साहसाधिपतिश्च सः ॥ १७१ ॥

साहसाधिप के लक्षण—प्रजा जिससे नष्ट न हो जाय ऐसे दण्ड का विधान करनेवाला, अत्यन्त क्रूरता तथा मृदुता को नहीं करनेवाला जो होता है वही 'साहसाधिपति' (चोर आदि का शासन करने के लिये अध्यक्ष फौजदारी) पद के योग्य होता है ।

आधर्षकेभ्यश्चोरेभ्यो ह्यधिकारिगणात्तथा ।

प्रजासंरक्षणे दक्षो ग्रामपो मातृपितृवत् ॥ १७२ ॥

ग्रामाधिप के लक्षण—डाकू, चोर तथा राज्य के उच्छृङ्खल अधिकारी पुरुषों से माता-पिता की भाँति जो अपनी प्रजा की रक्षा करने में त्रिपुण होता है । वही 'ग्रामप' (ग्रामपति) पद के योग्य होता है ।

वृक्षान् संपुष्य यत्नेन फलं पुष्पं विचिन्वति ।

मालाकार इवात्यन्तं भागहारस्तथाविधः ॥ १७३ ॥

कर वसूल करनेवाले के लक्षण—जिस प्रकार से माली अत्यन्त यत्न से वृक्षों को बढ़ाकर उससे फल तथा पुष्प का संग्रह करता है उसी प्रकार से प्रजाओं से जो ईराजा का भाग (कर = मालगुजारी) ग्रहण करनेवाला हो वैसे 'भागहार' बनाना चाहिये ।

गणनाकुशलो यस्तु देशभाषाप्रभेदवित् ।

असन्दिग्धमगूढार्थं विलिखेत्स च लेखकः ॥ १७४ ॥

लेखक के लक्षण—जो गणना (गिनती) करने में कुशल, देश की भाषाओं के भेदों को जाननेवाला, एवं सन्देहरहित तथा अर्थ समझने लायक स्पष्ट लिखनेवाला होता है, उसे 'लेखक' पद पर नियुक्त करना चाहिये ।

शस्त्रास्त्रकुशलो यस्तु दृढाङ्गश्च निरालसः ।

यथायोग्यं समाहूयात् प्रनम्रः प्रतिहारकः ॥ १७५ ॥

द्वारपाल के लक्षण—जो शस्त्र तथा अस्त्र चलाने में निपुण, हृद् अङ्गों वाला, आलस्यरहित, एवं नम्रता के साथ योग्यतानुसार लोगों को पुकार कर राजा के पास ले जानावाला हो उसे 'प्रतिहारक' (द्वारपाल) पद पर नियुक्त करना चाहिये ।

यथा विक्रयिणां मूलधननाशो भवेन्नहि ।

तथा शुल्क तु हरति शौल्किकः स उदाहृतः ॥ १७६ ॥

चुह्नी लेनेवाले के लक्षण—बेचनेवालों का मूल धन में जिससे कमी न आये ऐसे शुल्क (चुह्नी) को जो व्यापारियों से वसूल करनेवाला हो उसे 'शौल्किक' पद पर नियुक्त करे ।

जपोपवास-नियम-कर्मभ्यानरतः सदा ।

दान्तः क्षमी निःस्पृहश्च तपोनिष्ठः स उच्यते ॥ १७७ ॥

तपोनिष्ठ के लक्षण—जो सदा जप, उपवास, नियम (व्रतपालन), शास्त्रोक्त कर्म तथा ध्यान में रत रहनेवाला, इन्द्रियों का धमन करनेवाला, चमाशील, निस्पृह रहनेवाला हो उसे 'तपोनिष्ठ' कहते हैं ।

याचकेभ्यो ददात्यर्थं भार्यापुत्रादिकं त्वपि ।

न संगृह्णाति यत्किंचिद् दानशीलः स उच्यते ॥ १७८ ॥

दानशील के लक्षण—जो याचकों को मांगने पर अपना धन, स्त्री तथा पुत्रादि को भी दे डालता है और उस समय अपने पान कुछ नहीं बचाकर रख लेता है, वह 'दानशील' कहलाता है ।

पठनं पाठनं तु क्व क्षमास्त्वभ्यासशालिनः ।

श्रुतिस्मृतिपुराणानां श्रुतज्ञास्ते प्रकीर्तिताः ॥ १७९ ॥

श्रुतज्ञ के लक्षण—जो श्रुति (वेद), स्मृति तथा पुराणों का अध्ययन (पढ़ना) तथा अभ्यास (पढ़ाना) करने में समर्थ तथा उन सबों का नित्य अभ्यास करनेवाले हैं उन्हें (श्रुतज्ञ) कहते हैं ।

साहित्यशास्त्रनिपुणः संगीतज्ञश्च सुस्वरः ।

सर्गादिपञ्चकज्ञाता स वै पौराणिकः स्मृतः ॥ १८० ॥

पौराणिक के लक्षण—जो साहित्य शास्त्र में निपुण, सङ्गीत का जाननेवाला, सुन्दर स्वरवाला एवं सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मन्वन्तर, वंशानुचरित इन पांच विषयों का जाननेवाला हो वह 'पौराणिक' कहलाता है ।

मीमांसातर्कवेदान्तशब्दशासनतत्परः ।

ऊहवान्बोधितुं शक्तस्तत्त्वतः शास्त्रविचय सः ॥ १८१ ॥

शास्त्रविद् के लक्षण—जो मीमांसा, तर्क (न्याय), वेदान्त, शब्दशासन (व्याकरणादि शब्द शास्त्र) का जाननेवाला, उक्त विषयों में तर्क करने तथा

यथार्थ रूप से उन्हें समझाने में समर्थ हो उसे 'शास्त्रविद्' कहते हैं ।

संहितां च तथा होरां गणितं वेत्ति तत्त्वतः ।

ज्योतिर्विच्च स विज्ञेयोस्त्रिकालज्ञश्च यो भवेत् ॥ १८२ ॥

ज्योतिर्विद् के लक्षण—जो संहिता (वाराही संहिता आदि), होराशास्त्र (पाराशर), गणित (ग्रहलाघवादि) को यथार्थ रूप से जानता है एवं त्रिकालज्ञ (भूत, भविष्य, वर्तमान का जानने वाला) है वह 'ज्योतिर्विद्' कहलाता है ।

बीजानुपूर्व्या मन्त्राणां गुणान्दोषाश्च वेत्ति यः ।

मन्त्रानुष्ठानसम्पन्नो मान्त्रिकः सिद्धदैवतः ॥ १८३ ॥

मान्त्रिक के लक्षण—जो बीजों की आनुपूर्वी के साथ मन्त्रों के गुण तथा दोष को जानता है एवं मन्त्र का नियम अनुष्ठान करने में लगा हुआ, देवता की सिद्धि प्राप्त करनेवाला होता है उसे 'मान्त्रिक' कहते हैं ।

हेतुलिङ्गौपधीभिर्गो व्याधीनां तत्त्वनिश्चयम् ।

साध्यासाध्यं विदित्वोपक्रमते स भिषक्स्मृतः ॥ १८४ ॥

वैद्य के लक्षण—जो हेतु (कारण), लिङ्ग (लक्षण) तथा औपध ज्ञान द्वारा व्याधियों का यथार्थ निश्चय एवं साध्यता तथा असाध्यता जानकर चिकित्सा करता है उसे 'भिषक्' (वैद्य) कहते हैं ।

श्रुतिस्मृतीतरैर्मन्त्रानुष्ठानैर्देवतार्चनम् ।

कर्तुं हिततमं मत्वा यतते स च तान्त्रिकः ॥ १८५ ॥

तान्त्रिक के लक्षण—जो श्रुति तथा स्मृति से भिन्न पुराणादि में कहे हुए मन्त्रानुष्ठान द्वारा देवता का पूजन अत्यन्त हितकर समझकर उस भक्ति से यत्न करता है वह 'तान्त्रिक' कहलाता है ।

नपुंसकाः सत्यवाचो सुभूपाश्च प्रियंवदाः ।

सुकुलाश्च सुरूपश्च योज्यास्त्वन्तःपुरे सदा ॥ १८६ ॥

अन्तःपुर के योग्य पुरुष के लक्षण—जो नपुंसक (हिजड़े), सत्य बोलने वाले, सुन्दर भूषण धारण करनेवाले, प्रियभापी, अच्छे कुल में उत्पन्न तथा सुन्दर स्वरूपवाले हों, उन्हें सदा अन्तःपुर (रजिवास) के अन्दर में नियुक्त करें ।

अनन्याः स्वामिभक्ताश्च धर्मनिष्ठा दृढाङ्गकाः ।

अबाला मध्यवयसः सेवासु कुशलाः सदा ॥ १८७ ॥

सर्वं यद्यत्कार्यजातं नीचं वा कर्तुमुद्यताः ।

निदेशकारिणो राज्ञा कर्तव्याः परिचारकाः ॥ १८८ ॥

परिचारक के लक्षण—जो अनन्य भाव से स्वामी की भक्ति करनेवाले,

धर्मनिष्ठ, दृढ अङ्गोवाले, वात्स्य अवस्था को पार किये हुये, तर्हण, सदा सेवा करने में कुशल, जो कुछ कार्य स्वामी का उत्तम या चाहे मल-मूत्रादि उठाना आदि नीच भी कार्य हो उन सबों को करने के लिये उद्यत रहनेवाले एवं आज्ञानुसार कार्य करनेवाले हों ऐसे लोगों को राजा 'परिचारक' बनावे ।

शशुप्रजाभृत्यवृत्तं विज्ञातुं कुशलाश्च ये ।

ते गूढचाराः कर्त्तव्या यथार्थश्रुतबोधकाः ॥ १८६ ॥

जासूम के लक्षण—जो शशु तथा प्रजागण के व्यवहार को जानने के लिये कुशल एवं यथार्थ बातों को सुनकर उन्हें ठीक २ घताने वाले हों ऐसे लोगों को गूढचार (जासूस) पद पर नियुक्त करना चाहिये ।

राज्ञः समीपप्रामाणां नतिस्थानविबोधकाः ।

दण्डधरा वेत्रधराः कर्त्तव्यास्ते सुशिक्षकाः ॥ १८७ ॥

दण्डधारी-आसा-धूलमधारी के लक्षण—जो राजा के समीप उपस्थित हुये लोगों को प्रणाम करने की रीति एवं बैठने के लिये स्थान को अच्छी तरह से घतानेवाले, विनय तथा शिष्टा जाननेवाले हों ऐसे लोगों को दण्ड तथा बेंत धारण करके राजा के समीप में रहने वाला बनाना चाहिये ।

तन्त्रीकण्ठोत्थितान् सप्तस्वरान् स्थानविभागतः ।

उत्पादयति संवेत्ति ससंयोगविभागिनः ॥ १८९ ॥

अनुराग सुस्वरं च सतालं च प्रगायति ।

सन्तृत्यं वा गायकानामधिपः स च कीर्तितः ॥ १९२ ॥

गायकाधिप के लक्षण—जो वीणा या कण्ठ से निकले हुये स. रि. ग. म, प ध. नि. इन ७ स्वरों को स्थान-विभाग के अनुसार यथार्थ रूप से पैदा करते हैं एवं संयोग तथा विभाग को साथ अर्थात् मिले हुये या अलग २ उन सबों को भलीभाँति समझते हैं और जो राग, स्वर-ताल के साथ गाते या नाचते हैं ऐसे लोगों को गायकों (गानेवालों) का अधिपति बनाना चाहिये ।

तथाविधा च पण्यस्त्री निर्लेजा भावसंयुता ।

शृङ्गाररसतन्त्रज्ञा सुन्दराङ्गी मनोरमा ॥ १९३ ॥

नवीनोत्तुङ्गकठिनकुचा सुस्मितदर्शिनी ।

वेश्या के लक्षण—और पूर्वोक्त रीति से गाने तथा नाचनेवाली, लजा न करनेवाली, भाव (अनुराग) से युक्त, शृङ्गार रस के तत्त्व को जाननेवाली, सुन्दर अङ्गों वाली, मनको आनन्दित करनेवाली, नवीन अवस्थावाली, ऊँचे, कठिन कुचोंवाली, सुन्दर स्मित (मुसुकान) के साथ देखने वाली (कटाक्ष करनेवाली) ऐसी जो वेश्या हो उसे राजा अपने यहाँ रखें ।

ये चान्ये साधकास्ते च तथा चित्तविरक्षकाः ॥ १९४ ॥

समृत्त्यास्तेपि सन्धार्यो नृपेणात्महिताय च ।

वेश्या-भृत्य के लक्षण—और इसके अतिरिक्त अन्य वेश्याओं के भृत्य जो मनोऽभिलषित कार्य के करने में चतुर, चित्त को विशेष रूप से प्रसन्न करने वाले ऐसे अच्छे भृत्य हों उन्हें अपने हित के लिये राजा को रखना चाहिये ।

वैतालिकाः सुकवयो चेतदण्डधराश्च ये ॥ १६५ ॥

शिल्पज्ञाश्च कलावन्तो ये सदाप्युपकारकाः ।

दुर्गुणासूचका भाणा नर्तका बहुरूपिणः ॥ १६६ ॥

आरामकृत्रिमवनकारिणो दुर्गकारिणः ।

महानालिकयन्त्रस्थगोलैर्लक्ष्यविभेदिनः ॥ १९७ ॥

लघुयन्त्राग्नेयचूणबाणगोलासिकारिणः ।

अनेकयन्त्रशस्त्रास्त्रधनुस्तूणादिकारकाः ॥ १९८ ॥

स्वर्णरत्नाद्यलङ्कारघटका रथकारिणः ।

पापाणघटका लोहकारा घातुविलेपकाः ॥ १९९ ॥

कुम्भकाराः शौल्विकाश्च तक्ष्णाणो मागकारकाः ।

नापिता रजकारश्चैव वासिका मलहारकाः ॥ २०० ॥

वार्ताहराः सौचिकाश्च राजचिह्नप्रधारिणः ।

भेरीपटहगोपुच्छ-शंखवेषवादिनिःस्वनैः ॥ २०१ ॥

ये व्यूहरचका यानव्यपयानादिवोधकाः ।

नाविकाः खनका व्याधाः किराता भारिका अपि ॥ २०२ ॥

शस्त्रसंमार्जनकरा जलधान्यप्रवाहकाः ।

आपणिकाश्च गणिका वाद्यजायाप्रजीविनः ॥ २०३ ॥

तन्तुवायाः शाकुनिकाश्चित्रकाराश्च चर्मकाः ।

गृहसंमार्जकाः पात्रधान्यवस्त्रप्रमार्जकाः ॥ २०४ ॥

शय्यावितानास्तरण-कारकाः शासका अपि ।

आमोदास्वेदसदुधूपकारास्ताभ्यूलिकास्तथा ॥ २०५ ॥

हीनाल्पकमिणश्चैते योज्याः कार्यानुरूपतः ।

वैतालिक तथा शिल्पज्ञों को पास में रखने का निर्देश—और जो वैतालिक (राजा की स्तुति करके जगानेवाले), सुकवि, वेत या दण्ड धारण करनेवाले (रथक विशेष), शिल्प कला के पण्डित, कलाओं (६५ प्रकार की कामविद्या) में कुशल, सदा हित करनेवाले, दूसरों के दोषों की सूचना देनेवाले, भाण (परिहास के पण्डित), बहुरूपिया, बगीचा तथा बनावटी जंगल बनाने में कुशल, दुर्ग (किला) बनानेवाले, महानालिक यन्त्रों (बड़ी तोपों) के अन्दर रखे हुये गोलों से शत्रुओं पर लक्ष्य-भेद (निशाना) करनेवाले (गोलन्दोज), लघु

यन्त्र (बन्दूक आदि), आग्नेय चूर्ण (बारूद), बाण, गोला और तलवार आदि के एवं अनेक प्रकार के युद्धोपयोगी यन्त्र, शस्त्र, अस्त्र, धनुष, तूणीर (तर्कश) आदि के बनानेवाले कारीगर, सोना, रत्न आदि के अलङ्कारों को बनानेवाले, रथ बनानेवाले पथरों को गढ़ने वाले (सङ्कराराज), लुहार, गेरू आदि धातुओं से गृहादि को रंगनेवाले (रंगसाज), कुम्हार, शौल्विक (ताम्बे के वर्तन बनानेवाले), बदर्ई, मढ़क बनानेवाले, नाई, धोबी, वासिक (लकड़हारा), मेहतर, संवाद पहुँचानेवाले, दर्जी, राज-चिह्न (छाप-चामर—निशान) लेकर राजा के आगे रहनेवाले, व्यूह-रचना करनेवाले एवं भेरी (नगारा), पटह (ढोल), गोपुच्छ (रणसिंघा), शङ्ख, बंशी आदि को बजाकर यान (शत्रुओं के ऊपर चढ़ाई करना) और व्यपयान (शत्रुओं से पीछे हटना) आदि (आक्रमण करना) समयों में सैनिकों को सूचना देनेवाले, नाविक (मत्लाह), खनक (खननेवाले), व्याध (शिकार खेलनेवाले या बहेलिया), किरात (कोल-भिह्लादि), बोझा ढोनेवाले, शस्त्रों को साफ करनेवाले (ज्ञान चढ़ाकर तीक्ष्ण करनेवाले), जल तथा धान्य को ढोनेवाले, आपणिक (व्यापार करनेवाले), परदेशी स्त्री-विहीन कर्मचारियों के काम-ज्ञान्यर्थ वेश्यायें, वाजा बजाते हुये स्त्रियों के साथ नाच कर जीविका चलानेवाले, जुलाहे, पची बसाकर जीविका रखनेवाले, चित्रकार, चर्मकार (मोची), झाड़ू देनेवाले, वर्तन, धान्य, वस्त्र इनको सफा करनेवाले, शय्या, वितान (चंदोवा), बिछौना आदि के बनाने और उसको लगाने की कला को करनेवाले, चित्त को प्रसन्न करनेवाले (सुगन्धित) एवं पसीना न लाने वाले अच्छे धूपों को बनानेवाले, ताम्बूल (पान का बीदा) लगानेवाले, तथा अन्यान्य हीन तथा पुत्र राजसंबन्धी कार्य करने वाले इन सबों को कार्य के अनुरूप यथायोग्य राजा अपने यहाँ रखे ।

प्रोक्तं पुण्यतमं सत्यं परोपकरणं तथा ॥ २०६ ॥

आज्ञायुक्तांश्च भृतकान्सततं धारयेन्नुपः ।

सत्य तथा परोपकार की श्रेष्ठता तथा इनसे युक्त राजकर्मचारी रखने का निर्देश—सत्य तथा परोपकार को सब पुण्यों में श्रेष्ठ बताया है अतः इनसे युक्त आज्ञानुसार सचार्थ के साथ राज-कार्य करनेवाले भृत्यों को राजा अपने यहाँ सदा रखे ।

हिंसा गरीयसी सर्वपापेभ्योऽनृतभाषणम् ॥ २०७ ॥

गरीयस्तरमेताभ्यां युक्तान्भृत्यान् धारयेत् ।

रूपूर्ण पापों से हिंसा तथा असत्य की प्रबलता तथा इनसे युक्त भृत्यों को

न रखने का निर्देश—और सब पापों से बढ़कर हिंसा (हत्या या दण्ड पहुंचाना) और झूठ बोलना है अतः इन दोनों से युक्त भृत्यों को न रखे ।

यदा यदुचितं कर्तुं वक्तुं वा तत्प्रबोधयन् ॥ २०८ ॥

तद्वक्ति कुरुते द्राक्तु स सदभृत्यः सुपूज्यते ।

सदभृत्य के लक्षण—जिस समय जो कार्य करने के लिये एवं जो बात बोलने के लिये उचित प्रतीत हो उसी को राजा से समझाता हुआ और स्वयं भी शीघ्रता से उसी बात को कहता एवं उसी कार्य को करता भी है वही भृत्य अच्छा कहलाता है और भली भांति पूजित भी होता है ।

उत्थाय पश्चिमे यामे गृहकृत्यं विचिन्त्य च ॥ २०९ ॥

कृत्योत्सर्गं तु विष्णुं हि स्मृत्वा स्नायादनन्तरम् ।

प्रातः कृत्यं तु निर्वर्त्य यावत्सार्धमुहूर्तकम् ॥ २१० ॥

गत्वा स्वकार्यशालां वा कार्याकार्यं विचिन्त्य च ।

अच्छे भृत्यों का यह कृत्य है कि—वह रात्रि को पिड़ले प्रहर में उठकर गृह के (उस दिन करने लायक) कृत्यों का विचार करने के बाद मल-मूत्रादि का परित्याग कर विष्णु (परमात्मा) का स्मरण करते हुये स्नान करे । अथवा १॥ मुहूर्त्त (करीब ११ घण्टे) के अन्दर प्रातःवालीन नित्य के सम्पूर्ण कार्यों को समाप्त कर अपने कार्यालय में जाकर वहां के कर्त्तव्य या अकर्त्तव्य कार्यों का निश्चय कर तदुपरान्त स्नान करे ।

विनाज्ञया विशन्तं तु द्वास्थः सम्यक् निरोधयेत् ॥ २११ ॥

निदेशकार्यं विज्ञाप्य तेनाज्ञप्तः प्रमोचयेत् ।

द्वारपाल के कर्त्तव्यों का निर्देश—और द्वारपाल का यह कर्त्तव्य है कि वह द्वार पर रहकर बिना राजाज्ञा के अन्दर प्रवेश करनेवाले को अच्छी तरह से रोके । और उसके बताये हुये कार्य की सूचना राजा को देकर यदि राजा की आज्ञा अन्दर आने देने के लिये हो तो उसे अन्दर जाने के लिये छोड़ दे ।

दृष्ट्वागतान्सभामभ्ये राज्ञे दण्डधरः क्रमात् ॥ २१२ ॥

निर्वेद्य तन्नतीः पश्चात्तेषां स्थानानि सूचयेत् ।

राजपार्षवर्त्ती दण्डधारियों का कर्त्तव्य—और राजा के पास दण्ड धारण करनेवाले भृत्यों का यह कर्त्तव्य है कि—यह राजसभा में आये हुये लोगों को देखकर क्रम से राजा से उसके प्रणाम करने की सूचना देकर पश्चात् उससे बैठने के लिये स्थान का निर्देश करे ।

ततो राजगृहं गत्वाऽऽज्ञप्तो गच्छेच्च सन्निधिम् ॥ २१३ ॥

मत्वा नृपं यथान्यायं विष्णुरूपमिवापरम् ।

प्रविश्य सानुरागस्य चित्तज्ञस्य समन्वतः ॥ २१४ ॥

भर्तुरर्थासने दृष्टिं कृत्वा नान्यत्र निक्षिपेत् ।

भृत्य का राजसमीपावस्थान करने पर कर्त्तव्य—उसके (स्थान बताने के) बाद पुनः राजगृह (राजसभा) में जाकर राजा की आज्ञा पाने पर उसके समीप जावे । और जगत् के रचार्य दूसरे विष्णु भगवान के समान स्थित राजा को नियमासुक्कूल प्रणाम करे और राजसभा में पहुँचकर भृत्यों के प्रति अनुराग रखनेवाले एवं उनके हृदय को पहचाननेवाले राजा के अर्धासन की ओर स्थिर-दृष्टि होकर देखता रहे और किसी अन्य तरफ दृष्टि न दौड़ावे ।

अग्निं दीप्तमिवासीदेद्राजानमुपशिक्षितः ॥ २१५ ॥

आशीविषमिव क्रुद्ध प्रभुं प्राणधनेश्वरम् ।

जलती हुई अग्नि के समान एवं क्रुद्ध विषधर सर्प की भाँति प्राण तथा धन लेने में समर्थ राजा को समझ कर अत्यन्त विनय के साथ उसके समीप जावे ।

यत्नेनोपचरेन्नित्यं नाद्रमस्मीति चिन्तयेत् ॥ २१६ ॥

समर्थयँश्च तत्पक्षं साधु भापेत भाषितम् ।

तन्नियोगेन वा ब्रूयादर्थं सुपरिनिश्चितम् ॥ २१७ ॥

राजा के पक्ष की पुष्टि करने का निर्देश—और निरय यत्न के साथ राजा की सेवा करे और 'राजा के आगे मेरी कोई स्वतन्त्र सत्ता नहीं है' ऐसा सोचे एवं राजा के पक्ष का ही समर्थन करता हुआ सन्तोषजनक बात कहे । अथवा राजा की आज्ञा पाने पर लोक-शास्त्र से सुनिश्चित बात कहे ।

सुखप्रबन्धगोष्ठीषु विवादे वादिनां मतम् ।

विज्ञानन्नपि नो ब्रूयाद्भर्तुः क्षिप्त्योत्तरं वचः ॥ २१८ ॥

राजाज्ञा से विवादियों के मत को युक्ति से बोलने का निर्देश—मनोविनो-दाय प्रस्तुत राजगोष्ठी में परस्पर तर्क करनेवालों के विवाद उपस्थित होने पर सिद्धान्त बात को जानते हुये भी वादी रूप में बोलनेवाले राजा के उत्तर को काटकर कोई बचन न बोले ।

सदाऽनुद्धतवेषः स्यान्नृपाहूतस्तु प्राञ्जलिः ।

तद्ग्रां कृतनतिः श्रुत्वा बह्वान्तरितसन्मुखः ॥ २१९ ॥

तदाज्ञां धारयित्वादी स्वकर्माणि निवेदयेत् ।

नत्वाऽऽसीतासने प्रह्वो न तत्पार्श्वे न संमुखे ॥ २२० ॥

उच्चैः प्रहसन कामं प्रीयनं ह्रुत्सनं तथा ।

जम्भण गात्रभङ्ग च पर्वास्फोट च वर्जयेत् ॥ २२१ ॥

राजा से स्वकार्य निवेदन-प्रकार तथा जोर से हँसने आदि का निषेध—राजा के पुलाने पर सदा विनीत के समान वेष बनाये हुये हाथ जोड़े और

नमस्कार करने के बाद शरीर के अगले हिस्से को वस्त्र से ढके हुये स्थित हो और राजा की बात सुनकर तथा सर्वप्रथम उनकी आज्ञा पाकर पश्चात् अपने कार्य का निवेदन करे। और नमस्कार करने के बाद नम्रता के साथ अपने आसन पर बैठे, और राजा के दगल में या सामने जोर से हँसना, खाँसना, थूकना, कुस्तित कार्य या किसी की निन्दा करना, जभाई लेना, शरीर तोड़ना, अंगुलियों के पोरों को खटकाना इन सब कार्यों को न करे।

राज्ञादिष्टन्तु यत्स्थानं तत्र तिष्ठेन्मुदान्वितः ।

प्रवीणोचितमेधावी यर्जयेदभिमानिताम् ॥ २२२ ॥

राजा के बताये हुये स्थान पर प्रसन्न चित्त से बैठे, प्रवीणों की भांति योग्य बुद्धिवाला होकर अभिमान करना छोड़ दें।

आपच्युन्मागमने कार्यकालात्ययेषु च ।

अपृष्टोऽपि हितान्वेषो ब्रूयात्कल्याणभाषितम् ॥ २२३ ॥

राजा के ऊपर जब कोई आपत्ति आ पड़े अथवा वह कुपथ पर चले, या कार्य करने का समय व्यतीत हो रहा तो बिना पूछने पर भी हित चाहने वाला होकर राजा से कल्याणकारक वचन कहे।

प्रियं तथ्यं च पथ्यं च वदेद्धर्मार्थकं वचः ।

समानवार्तया चापि तद्धितं बोधयेत्सदा ॥ २२४ ॥

हितकारी सेवक का कृश्य—और सुनने में प्रिय, सत्य तथा हितकारक, धर्म तथा अर्थ से युक्त वचन सदा राजा से कहे, और समानयुक्त बात-चीत से या समान बातों (उदाहरणों) के द्वारा सदा राजा को हित की बात समझावे।

कीर्तिमन्यनृपाणां वा वदेन्नीतिफलं तथा ।

दाता त्वं धार्मिकः शूरो नीतिमानसि भूपते ॥ २२५ ॥

अनीतिस्ते तु मनसि वर्तते न कदाचन ।

ये ये भ्रष्टा अनीत्या तांस्तदमे कीर्तयेत्सदा ॥ २२६ ॥

नृपेभ्यो ह्यधिकोऽसीति सर्वेभ्यो न विशेषयेत् ।

और समझाने के लिये अन्य राजाओं की कीर्ति और नीति का फल राजा से कहे। और यह सदा उसके आगे कहे कि—‘हे महाराज ! आप दाता, धार्मिक, शूर तथा नीति के जानने वाले या तदनुसार चलनेवाले हैं। और कभी आपके मन में अनीति नहीं रहती है। एवं जो जो अनीति पर चलने से राज्य से भ्रष्ट हो गये हैं उन सबों का वर्णन सदा राजा के आगे करे। और ‘आप सब राजाओं से श्रेष्ठ हैं’ ऐसा विशेष रूप से न कहे।

परार्थदेशकालज्ञो देशे काले च साधयेत् ॥ २२७ ॥

परार्थनाशनं न स्यात्तथा ब्रूयात्सदैव हि ।

और देश तथा काल का जाननेवाला होकर उचित देश तथा काल होने पर दूसरे का कार्य राजा से सिद्ध करावे । और राजा से सदा ऐसा वचन कहे जिससे दूसरे का कार्य न नष्ट हो ।

न कर्षयेत्प्रजां कार्यमिषतश्च नृपः सदा ॥ २२८ ॥

अपि स्थाणुवदासीत शुष्यन्परिगतः क्षुधा ।

न त्वेवानर्थसंगणनां वृत्तिमीहेत पण्डितः ॥ २२९ ॥

राजा को किसी भी मिष से प्रजा को पीड़ित न करने का निर्देश—समझदार राजा किसी निजा कार्य के व्याज से सदा प्रजा को दुःखित न करे । चाहे भूख से पीड़ित होने से सूझकर स्थाणु (खुशे) की भांति निश्चल हो जाय फिर भी अनर्थ से भरी हुई (बुरी) जीविका को न चाहे ।

यत्कार्ये यो नियुक्तः स भूयात्तत्कार्यतत्परः ।

नान्याधिकारमन्विच्छेन्नाभ्यसूयेच्च केनचित् ॥ २३० ॥

समझदारों को अपने २ कार्यों में नियुक्त रहने का निर्देश—जो जिस कार्य पर नियुक्त किया गया हो वह उस कार्य के करने में तत्पर रहे । और किसी दूसरे के अधिकार छीनने की इच्छा न करे और किसी के साथ असूया (मासूर्य) न करे ।

न न्यूनं लक्षयेत्कस्य पूरयेत स्वशक्तिः ।

परोपकरणादन्यत्र स्यान्मित्रकरं सदा ॥ २३१ ॥

किसी की त्रुटि पर ध्यान न दे बल्कि अपनी शक्ति से उसकी त्रुटि को पूर्ण करे क्योंकि दूसरे के साथ उपकार करने से बढ़कर दूसरा कोई मित्रता पैदा करनेवाला कार्य नहीं है ।

करिष्यामीति ते कार्यं न कुर्यात्कार्यलम्बनम् ।

द्राक्कुर्यात्तु समर्थश्चेत्साशं दीर्घं न रक्षयेत् ॥ २३२ ॥

किसी से 'मैं तुम्हारा कार्य करूंगा' ऐसा कहकर उसके कार्य करने में विलम्ब न करे । यदि स्वयं समर्थ हो तो शीघ्र कार्य को पूरा कर दे । दीर्घ काल तक उसे आशा में लटका कर न रखे ।

गुह्यं कर्म च मन्त्रं च न भर्तुः सम्प्रकाशयेत् ।

विद्वेषं च विनाश च मनसापि न विन्तयेत् ॥ २३३ ॥

स्वामी के गुप्त कार्य के प्रकाश करने का निषेध—स्वामी (राजा) के गुप्त कार्य या विचार को किसी के समक्ष प्रकाशित न करे । और उसके साथ विद्वेष या उसके नाश की कल्पना मन से भी न करे ।

राजा परममित्रोऽस्ति न कामं विचरेदिति ।

स्त्रीभिस्तदर्धिभिः पापैर्वैरिभूतैर्निराकृतैः ॥ २३४ ॥

एकार्थचर्या साहित्यं संसर्गं च विवर्जयेत् ।

राजा को मित्र मानने का एवं उनकी स्त्री आदि के साथ सहवास का निषेध—‘राजा मेरा परम मित्र है’—ऐसा समझ कर मनमाना व्यवहार न करे । और स्वामी को चाहनेवाली स्त्रियों एवं स्वामी के साथ पाप (सुरा) व्यवहार या वैरभाव रखनेवाले किंवा स्वामी से तिरस्कृत लोगों के साथ मिलकर किसी कार्य को करना या उनके साथ रहना या किसी प्रकार का संबन्ध रखना त्याग दे ।

वेपभापानुकरणं न कुर्यात्पृथिवीपतेः ॥ २३५ ॥

सम्पन्नोपि च मेधावी न स्पर्धेत च तदगुणैः ।

राजवेशभूपाभारण की नकल करने का निषेध—राजा के वेष तथा भूपा का नकल न करे । गुणों से संशय तथा प्रतिभाशाली होने पर भी राजा के गुणों के साथ स्पर्धा न करे अर्थात् ‘मैं राजा से अधिक गुणवान् हूँ’ यह न दिखावे ।

रागापरागौ जानीयाद्भक्तुः कुशलकर्मवित् ॥ २३६ ॥

इङ्गिताकारचेष्टाभ्यस्तर्दाभिप्रायतां तथा ।

त्यजेद्विरक्तं नृपतिं रक्ते वृत्तिन्तु कारयेत् ॥ २३७ ॥

राजा की विरक्ति तथा अनुरक्ति का ज्ञान रखने एवं तदनुसार त्याग तथा ग्रहण का निर्देश—और निपुण लोगों के कर्म को अथवा राजा के या अपने शुभ कर्म को जाननेवाला होकर स्वामी के अनुराग अथवा विरक्ति को अर्थात् किस कार्य से स्वामी प्रसन्न या अप्रसन्न होते हैं—इस बात को एवं स्वामी के इशारा, आकार (मुखमुद्रा), और चेष्टा से उनके अभिप्राय को जाने । और यदि राजा को विरक्त जाने तो उसे छोड़ दे एवं अनुराग युक्त जाने तो उसके पास रहे ।

विरक्तः कारयेन्नाशं विपश्चाभ्युदयं तथा ।

आशावर्धनकं कृत्वा फलनाशं करोति च ॥ २३८ ॥

अकोपोऽपि सकोपाभः प्रसन्नोऽपि च निष्फलः ।

वाक्यञ्च समदं बक्ति वृत्तिच्छेदं करोति च ॥ २३९ ॥

लक्ष्यते विमुखश्चैव गुणसङ्कीर्तने कृते ।

दृष्टिं क्षिपत्यथान्यत्र क्रियमाणे च कर्मणि ॥ २४० ॥

विरक्तलक्षणं ह्येतद्रक्तस्य लक्षणं ब्रुवे ।

विरक्त राजा के लक्षण—राजा जिसके ऊपर विरक्त होता है उसका नाश करता है एवं उसके शत्रुओं का अभ्युदय (तरफ़ी) करता है । यदि स्वामी प्रथम आशा बढाकर अन्त में कार्यफल को नष्ट कर देता है ।

और बिना कोप के भी कोपयुक्त सा दिखाई पड़ता है। प्रसन्न होते हुये भी कार्य को सफल नहीं करनेवाला होता है। और अहङ्कारयुक्त बात बोलता है, जीविका का नाश करता है। गुणों की प्रशंसा करने पर भी विमुख दिखाई पड़ता है और अन्यत्र किये जा रहे कार्य की ओर दृष्टि लगाता है किन्तु गुण-कीर्तन करनेवाले की ओर नहीं लगाता है तो ये सब लक्षण विरक्त के समझने चाहिये। और आगे अनुरक्त स्वामी के लक्षण कहते हैं।

दृष्ट्वा प्रसन्नो भवति वाच्यं गृह्णाति चादरात् ॥ २४१ ॥

कुशलादिपरिप्रश्नी प्रदापयति चासनम् ।

विविक्तदर्शनं चास्य रहस्येनं न शङ्कते ॥ २४२ ॥

ज्ञायेत् प्रहृष्टवदनः श्रुत्वा तस्य च तत्कथाम् ।

अप्रियाण्यपि चान्यानि तद्युक्तान्यभिमन्यते ॥ २४३ ॥

उपायनञ्च गृह्णाति स्तोत्रं सम्पादनैस्तथा ।

कथान्तरेषु स्मरति प्रहृष्टवदनस्तथा ॥ २४४ ॥

अनुरक्त राजा के लक्षण—जो देखकर प्रसन्न होता है और आदर के साथ वचनों को ग्रहण करता है अर्थात् सुनता है। कुशलादि पूछता है, बैठने को धासन दिखाता है। और सेवक के लिये एकान्त में दर्शन देता है एवं एकान्त में भेट होने पर उससे शङ्का नहीं रखता है। और उसकी जो बातें हैं उसे सुनकर प्रसन्न-वदन दिखाई पड़ता है और सेवक से संबद्ध अप्रिय बातों एवं कार्यों को उससे अन्य मानता है अर्थात् अभिनन्दन करता है। दिये हुये उपहार को स्वीकार करता है एवं सेवक के थोड़े से कार्यों को कर देने से भी उन्हें दूसरी बातों का प्रसन्न होवे पर भी प्रहृष्ट-वदन होकर स्मरण करता है। ये सब अनुराग रखनेवाले स्वामी के लक्षण हैं। यदि ऐसा हो तो उस स्वामी का सेवा करनी चाहिये।

तदत्तवस्त्रभूषादिचिह्नं सन्धारयेत्सदा ।

न्यूनाधिष्यं स्वाधिकारकार्ये नित्यं निवेदयेत् ॥ २४५ ॥

तदर्थां तत्कृतां वार्तां शृणुयाद्वापि कीर्तयेत् ।

राजा से प्रदत्त भूषणादि धारण का निर्देश—अनुरक्त स्वामी के दिये हुये वस्त्र भूषण आदि चिह्न को सदा धारण करना चाहिये। अपने अधिकार के कार्यों में जो न्यूनाधिष्य (कमी-वेश) हो गया हो उसे नित्य स्वामी से निवेदन करना चाहिये। और स्वामी से संबद्ध तथा स्वामी की कही हुई बातों को सुने और उसका कीर्तन करे।

चारसूचकदोषेण त्वन्यथा यद्वदेन्नृपः ॥ २४६ ॥

शृणुयान्मीनमाश्रित्य तथ्यवन्नानुमोदयेत् ।

स्वामी के प्रति भृत्य के कर्तव्य—यदि जासूस अथवा खुगुलखोरों के दोष (कहने) से राजा विरुद्ध वचन कहे तो उसे चुपचाप भृत्य को सुन लेना चाहिये किन्तु सत्य की भांति उसे स्वीकार नहीं करना चाहिये ।

आपद्रुतं सुभर्तारं कदापि न परित्यजेत् ॥ २४७ ॥

और थियत्ति में पड़े हुये अच्छे स्वामी का कभी परित्याग न करना चाहिये ।

एकवारमप्यशितं यस्यान्नं ह्यादरेण च ।

नदिष्टं चिन्तयेन्नित्यं पालकस्याञ्जसा न किम् ॥ २४८ ॥

चाहे जिस किसी का अन्न यदि आदर के साथ एक बार भी खा लिया जाय तो उसका हित नित्य चिन्तन करना उचित होता है फिर पालन करने वाले का वस्तुतः क्या हितचिन्तन नहीं करना चाहिये अर्थात् अवश्य करना चाहिये ।

अप्रधानः प्रधानः स्यात्काले चात्यन्तसेवनात् ।

प्रधानोऽप्यप्रधानः स्यात्सेवालस्यादिना यतः ॥ २४९ ॥

स्वामी की समय पर अत्यन्त सेवा करने से अप्रधान (गौण) सेवक प्रधान (मुख्य) हो जाता है किन्तु सेवा में आलस्यादि करने से प्रधान भी अप्रधान सेवक हो जाता है ।

नित्यं संसेवनरतो भृत्यो राज्ञः प्रियो भवेत् ।

स्वस्वाधिकारकार्यं यद्द्राक्कुर्यात्सुमना यतः ॥ २५० ॥

नित्य भली-भांति सेवा में तत्पर रहनेवाला भृत्य राजा का प्रिय होता है । क्योंकि भृत्य अपने २ अधिकार (जिम्मेदारी) का कार्य शीघ्र करता है अतः स्वामी उससे प्रसन्न रहता है ।

न कुर्यात्सहसा कार्यं नीचं राजापि नो दिशेत् ।

तत्कार्यकारकाभावे राज्ञा कार्यं सदैव हि ॥ २५१ ॥

भृत्य स्वामी का कार्य अविवेक-पूर्वक न करे अर्थात् सावधानी से करे । और राजा भी भृत्य से नीच कार्य करने के लिये न कहे किन्तु यदि उस नीच (मल-मूत्रादि उठाना रूप) कार्य का करने वाला उस समय कोई राजा के पास न हो तो उस कार्य को सदा स्वयं राजा को कर देना उचित ही है ।

काले यदुचितं कर्तुं नीचगप्युत्तमोऽर्हति ।

यस्मिन्प्रीतो भवेद्राजा तदनिष्टं न चिन्तयेत् ॥ २५२ ॥

समय पक्षे पर यदि आवश्यकता हो तो मल-मूत्रादि उठाना निरुद्ध कार्य भी उसके अयोग्य उच्च कोटि के भृत्य के लिये करना उचित ही है क्योंकि

जिम के ऊपर राजा प्रमन्न हो उसके अनिष्ट की चिन्ता कदापि नहीं करनी चाहिये ।

न दर्शयेत्स्वाधिकारगौरवं तु कदाचन ।

और राजा के सामने कभी अपने अधिकार का गौरव नहीं प्रकाशित करना चाहिये ।

परस्परं नाभ्यसूयुर्न भेदं प्राप्नुयुः कदा ॥ २५३ ॥

राज्ञा चाधिकृताः संतः स्वस्वाधिकारगुप्तये ।

आपस में भृत्यों के कर्त्तव्य—राजा के द्वारा किसी अधिकार पर नियुक्त किये गये उत्तम भृत्य को चाहिये कि—वह कभी भी अपने २ अधिकार की रक्षा के लिये आपस में एक दूसरे के दोष को नहीं दिखावे और न परस्पर भेद रखे ।

अधिकारिगणो राजा सद्वृत्तौ यत्र तिष्ठतः ॥ २५४ ॥

उभौ तत्र स्थिरा लक्ष्मीर्विपुला सम्मुखी भवेत् ।

राजा तथा भृत्य के परस्पर अच्छा व्यवहार करने का निर्देश—जहां पर राजा तथा अधिकारी गण (भृत्यगण) ये दोनों परस्पर अच्छा व्यवहार रखते हैं वहां पर विपुल तथा स्थिर लक्ष्मी संमुख उपस्थित रहती है ।

अन्याधिचारवृत्तं तु न त्रूयाच्छ्रुतमप्युत ॥ २५५ ॥

राजा न शृणुयादन्यमुखतस्तु कदाचन ।

दूसरे भृत्य के अधिकार-विषयक दोष को सुनकर भी भृत्य राजा से न कहे । और राजा भी दूसरे भृत्य के मुख से किसी दूसरे की बात को कभी न सुने ।

न बोधयन्ति च हितमऽहितं वाधिकारिणः ॥ २५६ ॥

प्रच्छन्नवैरिणस्ते तु दास्यरूपमुपाश्रिताः ।

जो अधिकारी लोग हित या अहित बात राजा को नहीं समझाते हैं वे नौकर के रूप में छिपे हुये राजा के शत्रु के समान होते हैं ।

हिताहितं न शृणोति राजा मन्त्रिमुखाच्च यः ॥ २५७ ॥

स दस्यू राजरूपेण प्रजानां धनहारकः ।

डाकू के समान राजा के लक्षण—जो राजा मन्त्री के मुख से कही हुई हित या अहित की बातों पर ध्यान नहीं देता है वह राजा के रूप में डाकू के समान केवल प्रजा का धन हरण करनेवाला है ।

सुपृष्टव्यवहारा ये राजपुत्रैश्च मन्त्रिणः ॥ २५८ ॥

विरुध्यन्ति च तैः साकं ते तु प्रच्छन्नतस्कराः ।

प्रच्छन्न चोर के लक्षण—जो मन्त्री लोग राजपुत्रों के द्वारा व्यवहार-

विषयक (राजकार्य-विषयक) प्रश्न को अच्छी तरह से पूछे जाने पर उनके साथ विरुद्ध व्यवहार करने लगते हैं वे छिपे हुये चोर के समान हैं ।

वाला अपि राजपुत्रा नावमान्यास्तु मन्त्रिभिः ॥ २५६ ॥

सदा सुबहुवचनैः सम्बोध्यास्तेः प्रयत्नतः ।

बालक भी राजपुत्र का तिरस्कार का निषेध—छोटी उम्रवाले भी राजपुत्र लोग मन्त्रियों के द्वारा तिरस्कार के योग्य नहीं हैं वरिष्ठ प्रयत्नपूर्वक वे सदा सुन्दर बहुवचनान्त आदरसूचक शब्दों के साथ संबोधन करने के योग्य ही हैं ।

असदापरितं तेषां क्वचिद्राज्ञे न दर्शयेत् ॥ २६० ॥

स्त्रीपुत्रमोहा बलवान्न निन्दा श्रेयसे योः ।

और मन्त्री लोगों को कभी भी उन राजपुत्रों के डरे आचरणों को राजा से नहीं सूचित करना चाहिये, क्योंकि स्त्री तथा पुत्र का मोह बलवान् होता है अतः उन दोनों की निन्दा करना कल्याणकारक नहीं होता है ।

राज्ञोऽवश्यतरं कार्यं प्राणसंशयितं च यत् ॥ २६१ ॥

आज्ञापयाप्रतश्चाहं करिष्ये तत्तु निश्चितम् ।

इति विज्ञाप्य द्राक्कर्तुं प्रयतेत स्वशक्तितः ॥ २६२ ॥

भृत्य को उचित है कि—उस राजा का अत्यन्त आवश्यक अथवा उनके प्राणों को संशय (संकट) डाल देनेवाला जो कार्य हो रहा हो उसे करने के लिये सबसे आगे यदकर "प्रभो ! मुझे आज्ञा दीजिये, मैं उस कार्य को निश्चित रूप से करूँगा" ऐसा राजा से निवेदन कर अपनी शक्ति के अनुसार उसे शीघ्रता के साथ करने के लिये प्रयत्न करे ।

प्राणानपि च सन्दद्यान्महत्कार्ये नृपाय च ।

भृत्यः कुटुम्बतुष्टयर्थं नान्यथा तु कदाचन ॥ २६३ ॥

भृत्य अपने कुटुम्ब के पालनार्थ ही विवश होकर राजा के प्राण-संकट आदि महान् कार्य की उपस्थिति होने पर राजा के लिये अपना प्राण भी दे डाले, अन्यथा (यदि कुटुम्ब के पालन की चिन्ता न हो तो) कभी भी प्राणों का त्याग न करे ।

भृत्या धनहराः सर्वे युक्त्या प्राणहरो नृपः ।

सभी भृत्य कारणवश राजा के धन लेनेवाले होते हैं एवं राजा भी कारणवश ही भृत्य का प्राण लेनेवाला होता है ।

युद्धादीं सुमहत्कार्ये भृत्या प्राणान्हरेन्नृपः ॥ २६४ ॥

नान्यथा भृतिरूपेण भृत्यो राजधनं हरेत् ।

युद्धादि महान् कार्य उपस्थित होने पर वेतन का मूल्य चुकता कराने

के लिये राजा भृत्य के प्राणों को नष्ट करे अन्यथा (युद्धादि के अतिरिक्त साधारण कार्यों में) प्राण न ले अर्थात् वेतन के लालच से स्वामी के युद्धादि में जय आदि की कामना रखनेवाले भृत्य प्राणों का त्याग करते हैं अन्यथा नहीं । और भृत्य वेतन रूप से ही राजा का धन ग्रहण करे अन्यथा (वेतन के अलावा किसी प्रकार से) न ग्रहण करे ।

अन्यथा हरतस्तौ तु भवतश्च स्वनाशकौ ॥ २६५ ॥

यदि उक्त प्रकार से अन्यथा (भिन्न) रीति से राजा और भृत्य क्रम से प्राण और धन एक दूसरे का हरण करते हैं तो वे दोनों अपना २ भाग करते हैं ।

राजाऽनु युवराजस्तु मान्योऽमात्यादिकैः सदा ।

तन्न्यूनामात्यनवकं तन्न्यूनाधिकृतो गणः ॥ २६६ ॥

मन्त्रितुल्यश्चायुतिको न्यूनः सार्हास्त्रको मतः ।

सबसे अधिक राजा अमात्यादि के द्वारा सदा पूजनीय होता है, उसके बाद राजा से कम युवराज माननीय होता है, युवराज से कम अमात्यादि ९ प्रकृति (प्रधान राजपुरुष) वर्ग माननीय होता है । अमात्यादि से कम अधिकारी वर्ग (भफसर लोग) माननीय होता है । और मन्त्री के तुल्य आयुतिक (१००० सैनिकों का स्वामी) माननीय होता है । उससे न्यून साहसिक (१००० सैनिकों का स्वामी) माननीय होता है ।

न क्रीडयेद्राजसमं क्रीडिते तं विशेषयेत् ॥ २६७ ॥

तावमान्या राजपत्नी कन्या ह्यपि च मन्त्रिभिः ।

राजसम्बन्धिनः पूज्याः सुहृदश्च यथार्हतः ॥ २६८ ॥

राजा के साथ प्रथम किसी प्रकार का खेल ही न खेले, यदि खेले तो खेल में राजा को जितावे अर्थात् उसे कभी न हराये । और मन्त्रियों को कभी राजा की पत्नी या कन्या का तिरस्कार नहीं करना चाहिये । और राजा के संबन्धी तथा मित्रों का यथायोग्य आदर-सत्कार करना चाहिये ।

नृपाहूतस्तुरं गच्छेत्त्यक्त्वा कार्यशतं महत् ।

भृत्यों को सैकड़ों महान से महान् कार्यों को छोड़कर भी राजा के बुलाने पर तुरन्त उनके पास जाना चाहिये ।

मित्रायापि न वक्तव्यं राजकार्यं सुमन्त्रितम् ॥ २६९ ॥

मृति विना राजद्रव्यमद्रत्तं नाभिलापयेत् ।

गुप्त रूप से विचार किये हुये किसी राजकार्य को अपने मित्र से भी नहीं कहना चाहिये । वेतन को छोड़कर राजा के किसी धन को विना उनके दिये लेने की इच्छा भी नहीं करनी चाहिये ।

राजाह्वया विना नेच्छेत्कार्यमाध्यस्थिकी भृतिम् ॥ २७० ॥

न निहन्याद् द्रव्यलोभात्सत्कार्यं यस्य कस्यचित् ।

राजाज्ञा के बिना कार्य के मध्य में अर्थात् बिना कार्य समाप्त किये वेतन लेने की इच्छा न करे । और द्रव्य के लोभ से किसी के अच्छे कार्य को नष्ट न करे ।

स्वस्त्रीपुत्रधनप्राणैः काले संरक्षयेन्नृपम् ॥ २७१ ॥

उत्क्रोचं नैव गृह्णीयान्नान्यथा बोधयेन्नृपम् ।

संकट-काल पढ़ने पर अपनी स्त्री, पुत्र, धन तथा प्राण देकर भी राजा की रक्षा करे । घूम न ले और राजा को वस्तुस्थिति से विपरीत न समझावे ।

अन्यथा दण्डकं भूपं नित्यं प्रबलदण्डकम् ॥ २७२ ॥

निगृह्य बोधयेत्सम्यगोक्तांते राजगुप्तये ।

यथार्थ दण्ड न देनेवाले या निश्च प्रबल दण्ड देनेवाले राजा को राज्य की रक्षा के लिये रोककर एकान्त में भली-भाँति समझाना भृत्य के लिये उचित है ।

हितं राज्ञश्चाहितं यज्जोक्तानां तन्न कारयेत् ॥ २७३ ॥

नवीनकरशुल्काद्यैर्लोक उद्विजते ततः ।

जिससे केवल राजा का हित है किन्तु प्रजा का अहित है ऐसे कार्य को राजा से न करावे । क्योंकि नवीन कर तथा चुंगी आदि लगाने से प्रजा उद्विग्न हो उठती है ।

गुणनीतिबलद्वेषो कुलभूतोऽप्यधार्मिकः ॥ २७४ ॥

नृपो यदि भवेत्तु त्यजेद्राष्ट्रविनाशकम् ।

अच्छे वंश में उत्पन्न हुआ भी राजा यदि गुण, नीति तथा बल (सेना) के साथ द्वेष करनेवाला एवं अधार्मिक हो तो उसे राज्य को नष्ट करनेवाला समझकर त्याग कर देना चाहिये अर्थात् उसे गद्दी से उतार देना चाहिये ।

तत्पदे तस्य कुलजं गुणयुक्त पुरोहितः ॥ २७५ ॥

प्रकृत्यनुमतिं कृत्वा स्थापयेद्राज्यगुप्तये ।

और पुरोहित उस राजा के स्थान पर उस राजा के वंश में उत्पन्न राजगुणों से युक्त किसी को प्रकृतियों (अमात्यादिकों) की संमति लेकर राज्य की रक्षा के लिये स्थापित करे ।

सास्त्रो दूरं नृपात्तिष्ठेदस्त्रपाताद्बहिः सदा ॥ २७६ ॥

सशास्त्रो दशहस्तं तु यथादिष्टं नृपप्रियाः ।

पञ्चदशस्तं वहेयुर्वै मन्त्रिणो लेखकाः सदा ॥ २७७ ॥

सेनपैस्तु विना नैव सशास्त्रो विशोत्सभाम् ।

अस्त्र (बन्दूक या घनुष-बाण आदि) लिये हुये व्यक्ति को अस्त्र की मार,

से बाहर दूरी पर राजा से दूर रहना चाहिये । शस्त्र (तलवार आदि) लिये हुये को १० हाथ दूर रहना चाहिये । एवं राजा के प्रिय को राजा के आदेशानुसार दूरी पर रहना चाहिये । तथा मन्त्री और लेखक को सदा राजा से ५ हाथ की दूरी पर बैठना चाहिये या जैसा जब राजा की आज्ञा हो तदनुसार दूरी पर बैठना चाहिये । और शस्त्र तथा अस्त्र को लिये हुये भी राजा को बिना सेनापतियों के अकेले राजसभा में नहीं बैठना चाहिये ।

पुरोहितः श्रेष्ठवरः श्रेष्ठः सेनापतिः स्मृतः ॥ २७८ ॥

समः सुहृच्च सम्बन्धी ह्युत्तमा मन्त्रिणः स्मृताः ।

अधिकारिगणो मध्योऽधमो दर्शकलेखकौ ॥ २७९ ॥

ज्ञेयोऽधमतमो भृत्यः परिचारकगणः सदा ।

परिचारकगणान्यूनो विज्ञेयो नीचसाधकः ॥ २८० ॥

पुरोहित का पद सबसे श्रेष्ठ, सेनापति का श्रेष्ठ, राजा के मित्र तथा संबन्धी का पद सम कोटि का कहा हुआ है । एवं मन्त्रियों का उत्तम, अधिकारी गण का मध्यम, दर्शक तथा लेखक का अधम, भृत्य तथा परिचारक (गुलाम) गण का अधमतम और नीच (मल-मूत्रादि फेरना आदि) कर्म करनेवालों का पद परिचारकगण से न्यून सदा जानना चाहिये ।

पुरोगमनमुत्थानं स्वासनं सन्निवेशनम् ।

कुर्यात्सकुशलप्ररनं क्रमात्सुस्मितदर्शनम् ॥ २८१ ॥

राजा पुरोहितादीनां त्वन्येषां स्नेहदर्शनम् ।

अधिकारिगणादीनां सभास्थश्च निरालसः ॥ २८२ ॥

और वह राजा पुरोहितादि पूज्यों के लिये क्रम से आगे जाकर ले आना, अपने आसन से शरीर उठाना और अपने आसन पर बैठाना, कुशल-प्ररन पूछना तथा मुस्कुराते हुये देखना ये सब सम्मानार्थ करे । और उनसे अन्य अधिकारी गणों के लिये सभा में हा यथास्थान स्थित रह कर आलस्य छोड़कर केवल स्नेहपूर्वक देखना भर करे ।

विचावःसु शरच्चन्द्रो निदाघार्को द्विपत्सु च ।

प्रजासु च वसन्तार्क इव स्यात्त्रिविधो नृपः ॥ २८३ ॥

१. विद्वानों के लिये शरकालीन चन्द्रमा की भांति आह्लादजनक, २. शत्रुओं के लिये व्रीध्मकालीन सूर्य की भांति असह्य और ३. प्रजाओं के लिये वसन्तकालीन सूर्य की भांति न मृदु, न तीव्र होने से राजा तीन प्रकार का कहा जाता है ।

यदि ब्राह्मणभिन्नेषु मृदुत्वं धारयेन्नृपः ।

परिभवन्ति तं नीचा यथा हस्तिपका गजम् ॥ २८४ ॥

यदि याज्ञणों,से भिन्न, लोगों, के लिये राजा मृदुता धारण करता है तो, नीचा, लोग, महावत की भाँति होकर हाथी के समान उस राजा का तिरस्कार करने लगते हैं ।

भृत्याचार्यैर्ज्ञ कर्तव्याः परिहासाश्च क्रीडनम् ।

अपमानास्पदे ते तु राज्ञो नित्यं भयत्वहे ॥ २८५ ॥

भृत्यादियों के साथ राजा को परिहास (हंसी-मजाक) करना तथा खेल नहीं खेलना चाहिये, क्योंकि राजा के लिये ये दोनों सदा अपमानजनक तथा भय देनेवाले हैं ।

पृथक् पृथक् ख्यापयन्ति स्वार्थसिद्धयै नृपाय ते ।

स्वकार्यं गुणवत् कृत्वा सर्वे स्वार्थपरा यतः ॥ २८६ ॥

क्योंकि साथ में खेल खेलनेवाले या परिहास करनेवाले सभी भृत्य लोग (देतनभोगी जन) पृथक् २ अपनी स्वार्थ-सिद्धि करने में लीन होने से अपने ही कार्य को अन्य की अपेक्षा अधिक गुणयुक्त (सुन्दर) सिद्ध करते हुये राजा को विदित करने का प्रयत्न किया करते हैं ।

विकल्पन्तेऽवमन्यन्ते लंघयन्ति च तद्वचः ।

राजभोज्यानि भुञ्जन्ति न तिष्ठन्ति स्वके पदे ॥ २८७ ॥

विस्मंसयन्ति तन्मन्त्रं विवृण्वन्ति च दुष्कृतम् ।

भवन्ति नृपवेपा हि वञ्चयन्ति नृपं सदा ॥ २८८ ॥

तस्त्रियं सज्जयन्ति स्म राज्ञि क्रुद्धेऽहसन्ति च ।

व्याहरन्ति च निर्लज्जा हेलयन्ति नृपं क्षणात् ॥ २८९ ॥

आज्ञामुल्लंघयन्ति स्म न भयं, यान्त्यकर्मणि ।

एते दोषाः परीहासक्षमाकीडोद्भवा नृपे ॥ २९० ॥

राजा के लिये भूत्यों के साथ खेल खेलने या परिहास या चमा (अपराध सहन) करने से निम्नलिखित ये दोष उत्पन्न होते हैं—जिससे वे सब (भृत्य लोग) उस राजा के वचनों को कभी तर्क उपस्थित करके अपने मनसे छोड़ देते हैं (नहीं करते हैं), कभी उसका तिरस्कार और कभी दल्लंघन कर देते हैं । और बिना राजाज्ञा के राजा के लिये रखे हुये भोक्ष्य पदार्थों को खा लेते हैं । एवं अपने अधिकारोचित पद के अनुरूप व्यवहार नहीं करते हैं अर्थात् लापरवाही दिखाते हैं । और कभी राजा के गुप्त विचार एवं दुष्कर्मों को अन्यत्र प्रकट कर देते हैं और राजा के समान वेप-भृपाद धारण करते हैं तथा राजा को सदा ही ठगा करते हैं । और राजा की पटरानी को भी अपनी स्वार्थ-सिद्धि के विषय में राजा से कहने के लिये अधवा स्वयं करने के लिये बाध्य करते हैं । राजा के क्रुद्ध होने पर हँसते हैं । निर्लज्ज, होकर बात-चीत

करते हैं। चण भर में ही राजा को हुका लेते हैं। और अन्त में राजाशा (कानून) का भी उल्लंघन करते हैं। नीच कर्म करने पर भी राजा से नहीं डरते हैं।

न कार्यं भृतकः कुर्यान्नृपलेखाद्विना क्वचित् ।

नाज्ञापयेल्लेखनेन ऽविनाऽरूपं वा महन्नृपः ॥ २६१ ॥

भ्रान्तेः पुरुषघर्मत्वाल्लेख्यं निर्णायकं परम् ।

भृत्य को बिना लिखित राजाशा के कभी कोई कार्य नहीं करना चाहिये। और राजा को भी बिना लिखे छोटी या बड़ी कोई भी आज्ञा नहीं देनी चाहिये। अर्थात् सदा लिखित आज्ञा देनी चाहिये। 'भ्रम हो जाना' यह मनुष्य का स्वभाव है, इससे भ्रम निवारणार्थ निर्णय करने में लेख बहुत बड़ा प्रमाण सिद्ध होता है।

अलेख्यमाज्ञापयति ह्यलेख्यं यत्करोति चः ॥ २६२ ॥

राजकृत्यमुभौ चोरो तौ भृत्यनृपती सदा ।

जो राजा बिना लिखे आज्ञा देता है और जो भृत्य बिना लिखित राजाशा के अनुसार राजकार्य करता है, वे दोनों (राजा तथा भृत्य) चोर हैं अर्थात् अनुचित करनेवाले निन्दनीय हैं।

नृपसचिह्नितं लेख्यं नृपस्तत्र नृपो नृपः ॥ २९३ ॥

जो राजमुद्रा से अङ्कित (मोहर किया हुआ) राजाशा है वही वस्तुतः राजा है किन्तु राजा राजा नहीं है।

समुद्रं लिखितं राज्ञा लेख्यं तद्योत्तमोत्तमम् ।

उत्तमं राजलिखितं मध्यं मन्त्र्यादिभिः कृतम् ॥ २६४ ॥

पौरलेख्यं कनिष्ठं स्यात्सर्वं संभाषनक्षमम् ।

लेख्यों के भेदों का निर्देश—जो राजा से लिखित आज्ञा मोहरयुक्त होती है वह उत्तमोत्तम है, जो केवल राजा से स्वयं लिखित है अर्थात् दरताघर मात्र है वह साधारण उत्तम है, मन्त्रियों द्वारा लिखित (आज्ञा) मध्यम, तथा पुरवासियों के द्वारा लिखित कनिष्ठ माना गया है। उक्त सभी लेख कार्य को सिद्ध करने में समर्थ हैं।

यस्मिन् यस्मिन्ह कृत्ये तु राज्ञा योऽधिकृतो नरः ॥ २९५ ॥

सामात्ययुवराजादिर्यथानुक्रमतश्च सः ।

दैनिकं मासिकं वृत्त वार्षिकं बहुवार्षिकम् ॥ २६६ ॥

सत्कार्यजातलेख्यं तु राज्ञे सम्पद्यन्निवेदयेत् ।

जिन-जिन कार्यों के लिये अमात्य-युवराजादि अधिकारी बनाये गये हैं वे सब अनुक्रम से अपने-अपने २ कार्यों का विवरण दैनिक, मासिक, वार्षिक (एक

वर्ष भर का), बहुवार्षिक (बहुत वर्षों का) रूप में अच्छी तरह से लिखें । और उसे राजा के समझ उपस्थित कर दिखायें ।

राजाचक्रितलेख्यस्य धारयेत्स्मृतिपत्रकम् ॥ २९७ ॥

कालेऽतीते विस्मृतिर्वा भ्रान्तिः संजायते नृणाम् ।

राजादि के द्वारा लिखित लेखपत्र का स्मरण दिखानेवाला एक 'स्मृतिपत्र'-फाइल और रसीद रखे । क्योंकि बहुत समय बीतने पर विस्मृति या भ्रम हो जाना मनुष्यों के लिये स्वाभाविक है ।

अनुभूतस्य स्मृत्यर्थं लिखितं निर्मितं पुरा ॥ २९८ ॥

यत्नाच्च ब्रह्मणा वाचां वर्ण-स्वर-विचिह्नितम् ।

क्योंकि पुराकाल में ब्रह्माजी ने अनुभव के स्मरणार्थ तथा स्वरों का चिह्न (अक्षर) स्वरूप लेख की परिपाटी बनाई थी अर्थात् इसका प्रारम्भ ब्रह्मा जी से हुआ है ।

पृत्तलेख्यं तथा चायव्ययलेख्यनिति द्विधा ॥ २९९ ॥

व्यवहारक्रियाभेदादुभयं बहुतां गतम् ।

लेख के दो भेदों का निर्देश—इस लेख के दो भेद हैं—प्रथम—वृत्त (समाचार) संबन्धी, द्वितीय—आय-व्यय संबन्धी इनमें प्रत्येक के व्यवहार-संबन्धी क्रियाओं में भेद होने से बहुत से भेद होते हैं ।

यद्योपन्यस्तसाभ्यर्थसंयुक्तं सोत्तरक्रियम् ॥ ३०० ॥

सावधारणकं चैव जयपत्रकमुच्यते ।

जयपत्रक के लक्षण—जिसमें यथायोग्य कहे दूये अभियोग के विषयों का एवं उसके उत्तर में कही हुई बातों का तथा अन्तिम निर्णय का लेख लिखा हो उसे 'जयपत्रक' कहते हैं ।

सामन्तेष्वथ भृत्येषु राष्ट्रपालादिकेषु यत् ॥ ३०१ ॥

कार्यमादिश्यते येन तदाज्ञापत्रमुच्यते ।

आज्ञापत्र के लक्षण—जिस लेख द्वारा, सामन्तों (अधीनवर्ती राजाओं) अथवा राष्ट्रपालादि (गवर्नर आदि) भृत्यों को राजा आदेश देता है उसे 'आज्ञापत्र' कहते हैं ।

ऋत्विक्पुरोहिताचार्यमन्येष्वभ्यचितेषु च ॥ ३०२ ॥

कार्यं निवेद्यते येन पत्रं प्रज्ञापनाय तत् ।

प्रज्ञापनपत्र के लक्षण—ऋत्विक्, पुरोहित तथा आचार्य एवं अन्य भी पूज्य लोगों के लिये जिस लेख के द्वारा राजा कार्य सूचित करता है, उसे 'प्रज्ञापनपत्र' कहते हैं ।

सर्वे ऋणुत कर्तव्यमाज्ञया मम निश्चितम् ॥ ३०३ ॥

स्वहस्तकालसम्पन्नं शासनं पत्रमेव तत् ।

शासनपत्र के लक्षण—जिसमें यह लिखा रहता है कि—‘हे मृत्यो या प्रजा लोगो ! तुम मेरी बात सुनो और मेरी आज्ञा से निश्चित किये हुये कर्त्तव्य कर्म को करो’—ऐसा अपने हस्ताक्षर से सही किया हुआ पत्र समय के उल्लेख से युक्त पत्र ‘शासनपत्र’ कहलाता है ।

देशादिकं यस्य राजा लिखितेन प्रयच्छति ॥ ३०४ ॥

सेवाशीर्यादिभिस्तुष्टः प्रसादलिखितं हि तत् ।

प्रसादलिखित के लक्षण—राजा सेवा और शूरता आदि से प्रसन्न होकर जिस लेख के द्वारा किसी के लिये देश आदि को पुरस्कार रूप में देता है उसे ‘प्रसादलिखित’ कहते हैं ।

भोगपत्रं तु करदीकृतं चोपायनीकृतम् ॥ ३०५ ॥

पुरुषावधिकं तत्तु कालावधिकमेव वा ।

भोग-कर-उपायन-पुरुषावधिक और कालावधिक पत्रों के लक्षण—और ‘तुम इसका उपभोग करो’ यह जिसमें लिख कर दिया जाता है, उसे ‘भोगपत्र’ कहते हैं । ‘इसका यह राजस्व (कर = मालगुजारी) है’ यह जिसमें लिखकर दिया जाता है उसे ‘करपत्र’ एवं उपहार रूप में जो द्रव्य दिया जाता है उसके विषय में जो लेख है उसे ‘उपायनपत्र’ कहते हैं । ‘इस वस्तु का एक, दो या तीन पुरुषों को उपभोग करना चाहिये’ यह लिखकर जो दिया जाता है, उसे ‘पुरुषावधिक’ एवं ‘इस वस्तु का इतने समय तक उपभोग करना चाहिये’ इस भाति से काल का उल्लेख करके जो दिया जाता है उसे ‘कालावधिक’ पत्र कहते हैं ।

विभक्तं ये च भ्रात्राद्याः स्वरुच्या तु परस्परम् ॥ ३०६ ॥

विभागपत्रं कुर्वन्ति भागलेख्यं तदुच्यते ।

विभागपत्र या भागलेख्य के लक्षण—अपनी इच्छा से परस्पर अलग हुये भाई लोग जो विभाग-संबन्धी लेख जिसमें लिखते हैं उसे ‘विभागपत्र’ अथवा ‘भागलेख्य’ कहते हैं ।

गृहभूम्यादिकं दत्त्वा पत्रं कुर्यात्प्रकाराकम् ॥ ३०७ ॥

अनुच्छेद्यमनाहार्यं दानलेख्यं तदुच्यते ।

दानपत्र के लक्षण—किसी को दानरूप में गृहादिक देकर उसके संबन्ध में यह लिखे कि ‘इसका कोई खण्डन या अपहरण न करे’ इस विषय को जनता के समक्ष घोषित करने वालापत्र ‘दान पत्र’ कहलाता है ।

गृहक्षेत्रादकं क्रीत्वा तुल्यमूल्यप्रमाणयुक् ॥ ३०८ ॥

पत्रं कारयते यत्तु क्रयलेख्यं तदुच्यते ।

क्रमपत्र के लक्षण—गृह, श्रेय (खेत) आदि को योग्य मूल्य और परिमाण के साथ खरीद कर उसके विषय में जो लेख लिखा जाता है उसे 'क्रमपत्र' कहते हैं ।

जङ्गमस्थावरं बन्धं कृत्वा लेख्यं करोति यत् ॥ ३०६ ॥

गोप्यभोग्यक्रियायुक्तं सादिलेख्यं तदुच्यते ।

सादिलेख्य के लक्षण—जिसमें जङ्गम (सोना-चाँदी आदि) और स्थावर (गृह-भूमि आदि) को बन्धक रूप में रखकर उसके संबन्ध में यह लिखता है कि—'यह रक्षणीय तथा उपभोग करने योग्य है' उसे 'सादिलेख्य' कहते हैं ।

ग्रामो देशश्च यत्कुर्यात्स्वयलेख्यं परस्परम् ॥ ३१० ॥

राजाविरोधिधर्मार्थं संवित्पत्रं तदुच्यते ।

संवित्पत्र के लक्षण—ग्राम तथा नगर के लोग जो परस्पर राजा का अविरोधी धर्मरक्षा के लिये प्रतिज्ञाबद्ध होकर लिखते हैं उसे 'संवित्पत्र' कहते हैं ।

वृद्धयै धनं गृहीत्वा तु कृतं वा कारितं च यत् ॥ ३११ ॥

ससाक्षिमच्च तत्प्रोक्तमृणलेख्यं मनीषिभिः ।

ऋणलेख्य के लक्षण—सूद पर रूपया लेकर साक्षियों के साथ भली-भाँति स्वयं लिखे हुये या लिखाये हुये लेख को पण्डित लोग 'ऋणलेख्य' कहते हैं ।

अभिशापे समुत्तीर्णे प्रायश्चित्ते कृते बुधैः ॥ ३१२ ॥

दत्तं लेख्यं साक्षिमच्चुद्धिपत्रं तदुच्यते ।

शुद्धिपत्र के लक्षण—लगाये हुये अपवाद के प्रमाणित न होने से दूर होने पर, एवं प्रायश्चित्त कर चुकने पर साक्षी (गवाही) लोगों के हस्ताक्षरयुक्त विद्वानों के द्वारा जो लेख लिखकर प्रमाण रूप में दिया जाता है, उसे 'शुद्धिपत्र' कहते हैं ।

मेलयित्वा स्वधनांशान् व्यवहाराय साधकाः ॥ ३१३ ॥

कुर्वन्ति लेखपत्रं यत्तच्च सामयिकं स्मृतम् ।

सामयिक लेखपत्र लक्षण—मिलकर के (कम्पनी के रूप में) व्यवसाय करनेवाले जो लोग हैं वे लोग अपने-अपने दिस्सों के अनुसार धन को उस (व्यवसाय) में लगा कर जो लेखपत्र लिखते हैं, उसको 'सामयिक' लेखपत्र कहते हैं ।

सभ्याधिकारिप्रकृतिसभासद्भिर्न यः कृतः ॥ ३१४ ॥

तत्पत्रं वादिमान्यं चेज्ज्ञेयं संमत्तिसंज्ञकम् ।

संमत्तिसंज्ञक पत्र के लक्षण—श्रेष्ठ अधिकारी गण या असाह्य्यादि प्रधान पुरुष अथवा सभासद् (जूरी) लोगों ने जो अपने निर्णयों को नहीं प्रदर्शित

किया है वे यदि वादी को मान्य हों तो उसके विषय में लिखे हुये पत्र को 'संमत्संज्ञक पत्र' कहते हैं ।

स्वकीयवृत्त-ज्ञानार्थं लिख्यते यत्परस्परम् ॥ ३१५ ॥

श्रीमंगलपदाढ्यं वा सपूर्वोत्तरपक्षकम् ।

..... ॥ ३१६ ॥

एक-द्वि-बहुवचनैर्यथार्ह-स्तुतिसंयुतम् ॥ ३१७ ॥

समानासनदर्धाहर्नामजात्यादिचिह्नितम् ।

कार्यबोध सुसम्बन्धं नत्याशीर्वादिपूर्वकम् ॥ ३१८ ॥

स्वाम्यसेवकसेव्यार्थं क्षेमपत्रं तु तस्मृतम् ।

क्षेमपत्र के लक्षण—अपने समाचारों को सूचित करने के लिये सदा श्री तथा मङ्गलसूचकशब्दों से प्रारम्भ करके प्रश्न तथा उत्तरों से युक्त, सन्देहरहित, स्पष्ट अर्थ तथा वांचने योग्य अक्षरों से युक्त शब्दों से भरा हुआ, दूसरे का ग्रहण न हो इसलिये अपने तथा दूसरे के पिता आदि के नामों से युक्त, एक, दो या बहुवचनों में यथायोग्य प्रशंसा से भरे हुये, वर्ष, मास, पक्ष तथा दिन नाम तथा जातिबोधक शब्दों से युक्त, कार्य को सूचित करनेवाला, सुसंगत, नमस्कार (शब्दों के लिये) एवं आशीर्वाद (छोटों के लिये) पूर्वक, स्वामी तथा सेवक का परस्पर सेवा संबन्ध को लेकर जो पत्र लिखा जाता है उसे 'क्षेमपत्र' कहते हैं ।

एभिरेष गुणैर्युक्तं स्वाधर्षकविबोधकम् ॥ ३१९ ॥

भाषापत्रं तु तज्ज्ञेयमथवा वेदनार्थकम् ।

वेदनार्थक पत्र के लक्षण—उपर्युक्त इन्हीं सभी गुणों से युक्त, अपनी पीड़ाओं को व्यक्त करनेवाला जो पत्र होता है उसे 'भाषापत्र' अथवा 'वेदनार्थक पत्र' कहते हैं ।

प्रदर्शितं वृत्तलेख्यं - समासाल्लक्षणान्वितम् ॥ ३२० ॥

समासात्कथ्यते चान्यच्छ्लेषायठययबोधकम् ।

आय-व्यय लेख्य के लक्षण—इस तरह से संक्षेप में अपने-अपने लक्षणों से युक्त प्रथम 'वृत्त लेख्य' के भेदों को प्रदर्शित किया अब द्वितीय 'आय-व्यय-लेख्य' का संक्षेप से वर्णन कर रहे हैं ।

व्याप्यव्यापकभेदैश्च मूल्यमानादिभिः पृथक् ॥ ३२१ ॥

त्रिशिष्टसञ्ज्ञितैस्तद्धि यथार्थैर्बहुभेदयुक् ।

राजाओं के आय-व्ययादिक के लक्षण—आय-व्यय-लेख्य या पत्र व्याप्य (अल्पविषयक) और व्यापक (बहुविषयक) भेदों से, बहुत या थोड़ा होने से,

पृथक्-पृथक् यथार्थ मूल्य और मान (तौल) आदि से अनेक भेदों से युक्त अनेक प्रकार का) होता है ।

वत्सरे वत्सरे वापि मासि मासि दिने दिने ॥ ३२२ ॥

हिरण्यपशुधान्यादि स्वाधीनं त्वायसंज्ञकम् ।

पराधीनं कृतं यत्त व्ययसंज्ञं धनं च तत् ॥ ३२३ ॥

प्रतिवर्ष, प्रतिमास और प्रतिदिन जो सोना, पशु तथा धान्य आदि जो अपने अधीन हो जाता है अर्थात् अपने पास आता है । वह 'आय' कहलाता है । और जो सोना आदि धन दूसरे के अधीन कर दिया (दे दिया) जाता है वह 'व्यय' कहलाता है ।

सायुक्श्चैव प्राचीन आयः सञ्चितसंज्ञकः ।

व्ययो द्विधा उपभुक्तस्तथा विनिमयात्मकः ॥ ३२४ ॥

आय के भेद—और आय दो प्रकार का होता है, एक तारकालिक दूसरा प्राचीन, जिसे 'संचित' भी कहते हैं । एक व्यय भी दो प्रकार का होता है, एक उपभुक्त (उपभोग किया हुआ), दूसरा विनिमयात्मक (किसी वस्तु के बदले के रूप में दिया हुआ) ।

निश्चितान्यस्वामिकञ्चानिश्चितस्वामिकन्तथा ।

स्वस्वत्वनिश्चितं चेति त्रिविधं सञ्चितं मतम् ॥ ३२५ ॥

संचित आय के भेद—संचित आय तीन प्रकार का होता है । एक निश्चितान्यस्वामिक (जिसका दूसरा कोई स्वामी निश्चित है), दूसरा-अनिश्चितस्वामिक (जिसके स्वामी का निश्चय नहीं है), तीसरा स्व-स्वत्वनिश्चित (अपना स्वत्व जिस पर निश्चित है अर्थात् निजी) सञ्चित आय है ।

निश्चितान्यस्वामिकं यद्धनं तु त्रिविधं हि तत् ।

औपनिध्यं याचितकमौत्तमणिकमेव च ॥ ३२६ ॥

निश्चितान्यस्वामिक संचित धन के भेद—इसमें प्रथम जो निश्चितान्यस्वामिक संचित धन है, वह तीन प्रकार का है उसमें पहला औपनिध्य, दूसरा याचितक तीसरा औत्तमणिक है ।

विस्त्रम्भान्निहितं सद्भिर्गदौपनिधिकं हि तत् ।

अवृद्धिकं गृहीतान्यालङ्कारादि च याचितम् ॥ ३२७ ॥

सधृद्धिकं गृहीतं यदृण तथौत्तमणिकम् ।

औपनिध्य-याचित-औत्तमणिक के लक्षण—जो धन किसी सज्जन द्वारा विश्वास मानकर किसी के पास रखा जाता है वह 'औपनिधिक' (औपनिध्य) कहलाता है । जो बिना सूद का दूसरे से अलङ्कार आदि (रूपया आदि) लिया जाता है वह 'याचित' कहलाता है । और जो सूद पर ऋण लिया जाता है वह 'औत्तमणिक' कहलाता है ।

निध्यादिकं च मार्गादी प्राप्तामज्ञातस्वामिकम् ॥ ३२८ ॥

अज्ञातस्वामिक के लक्षण—और जो मार्ग आदि में किसी का भूल से छूट गया, गिरा हुआ किंवा कहीं पर गड़ा हुआ निध्यादि धन मिल जाता है वह 'अज्ञातस्वामिक' अर्थात् 'अनिश्चितस्वामिक' कहलाता है ।

साहजिकं चाधिकं च द्विधा स्वत्वविनिश्चितम् ।

स्वत्वविनिश्चित के भेद—और स्वत्वविनिश्चितअर्थात् स्वस्वत्वनिश्चित किंवा निश्चितस्वस्वत्व धन दो प्रकार का होता है प्रथम साहजिक, द्वितीय अधिक कहलाता है ।

उत्पद्यते यो नियतो दिने मासि च वत्सरे ॥ ३२९ ॥

आयः साहजिकः सैव दायार्थश्च स्ववृत्तितः ।

साहजिक के लक्षण—इनमें जो धन का आय दाय (पैत्रिक संपत्ति में से अपने हिस्से) या वृत्ति (व्यवसाय आदि) के द्वारा निश्चित रूप से दिन, मास अथवा वर्ष भर में होता है वह 'साहजिक' कहलाता है ।

दायः परिग्रहो यतु प्रकृष्टं तत्स्वभावजम् ॥ ३३० ॥

और दाय (पैत्रिक धन) एवं परिग्रह (दान लेने) में जो आय होता है वह बिना क्लेश के मिलने से उत्तम स्वभावज (साहजिक) कहलाता है ।

मौल्याधिक्यं कुर्सादं च गृहीतं याजनादिभिः ।

पारितोष्यं भृतिप्राप्तं विजिताद्यं धनं च यत् ॥ ३३१ ॥

स्वस्वत्वेऽधिकसंज्ञं तदन्यत्साहजिकं स्मृतम् ।

अधिक के लक्षण—जो उचित मूल्य से अधिक रूप में या सूद रूप में किंवा यज्ञ आदि कराने से प्राप्त हुआ एवं पारितोषिक (इनाम) या वेतव किंवा युद्ध आदि के द्वारा जीत रूप में प्राप्त हुआ धन है वह अपने स्वत्व से अधिक होने से 'अधिक' संज्ञक कहलाता है । इससे अन्य रीति से जो धन प्राप्त होता है वह 'साहजिक' कहलाता है ।

पूर्ववत्सरोपं च वर्तमानाब्दसम्भवम् ॥ ३३२ ॥

स्वाधीनं सञ्चितं द्वेषा धनं सर्वं प्रकीर्तितम् ।

संचित धन के लक्षण—स्वाधीन संचित सम्पूर्ण धन दो प्रकार का होता है प्रथम-पूर्व वर्ष का शेष, और वर्तमान वर्ष का संचित धन है ।

द्वेषाधिक साहजिक पाथिवेतरभेदतः ॥ ३३३ ॥

भूमिभागसमुद्भूत आयः पाथिव उच्यते ।

संचित धन के भेद—अधिक और साहजिक भेद से पूर्वोक्त दो प्रकार के जो आय हैं वे प्रत्येक पाथिव (स्थावर) तथा इतर (जङ्गम = चल) भेद

से दो प्रकार के हैं । इनमें से पार्थिव आय वह कहलाता है जो भूमि के भागों से उत्पन्न हो ।

स देवकृत्रिमजलैर्देशमामपुरैः पृथक् ॥ ३३४ ॥

बहुमध्याल्पफलतो भिद्यते भूविभागतः ।

पार्थिव संज्ञक आय के भेद—उस पार्थिवसंज्ञक आय के देवालर्यों, कृत्रिम (कृषिपत) वस्तुओं, जल, देश, ग्राम तथा पुरों से पृथक्-पृथक् विभिन्न हुये भूमि-संबन्धी विभागों से एवं बहुत (अधिक), मध्यम तथा अल्प फलों से अनेक भेद होते हैं ।

शुक्रदण्डाकरकरभाटकोपायनादिभिः ॥ ३३५ ॥

इतरः कीर्तितस्तञ्जैरायो लेखविशारदैः ।

चल संज्ञक आय के लक्षण—और व्यवसायी आदि लोगों से प्राप्त होने वाले शुक्र (चुगी-टैक्स), दण्ड (जुर्माना), खान, कर (मालगुजारी), भाटक (भाड़ा), उपायन (नजर-भेट), इत्यादि से होनेवाले आय को आय का ज्ञान रखनेवाले एवं लिखने में (हिसाब लिखने में) चतुर लोगों ने इतर अर्थात् चल-संज्ञक कहा है ।

यन्निमित्तो भवेदायो व्ययस्तन्नामपूर्वकः ॥ ३३६ ॥

व्ययश्चैव समुद्दिष्टो व्याप्यव्यापकसयुतः ।

विभागानुसार आय-व्यय के व्याप्य-व्यापक का निर्देश—जिस निमित्त (विभाग) से जो आय होता है व्यय भी उसी निमित्त (विभाग) के नाम में होता है । अर्थात् जिस विभाग में आय होता है उस विभाग में व्यय भी होता है । और आय की भांति व्यय भी व्याप्य-व्यापक से युक्त है अर्थात् स्वल्प तथा बहुविषयक कहा हुआ है ।

पुनरावर्तकः स्वत्वनिवर्तक इति द्विधा ॥ ३३७ ॥

व्ययो यन्निध्युपनिधीकृतो विनिमयीकृतः ।

सकुसीदाकुसीदाधमर्णिकश्चावृत्तः स्मृतः ॥ ३३८ ॥

व्यय के भेदों एवं पुनरावर्तक के लक्षण—वह व्यय दो प्रकार का होता है, एक-पुनरावर्तक (फिर लौटकर आनेवाला), दूसरा स्वत्वनिवर्तक (देने वाले के स्वत्व को निवृत्त करनेवाला) कहलाता है । जो व्यय निधि, उपनिधि या विनिमय रूप में हुआ है एवं सूद-रहित या विना सूद का इस भांति से दो प्रकार का आधमर्णिक ये सब आवृत्त (पुनरावर्तक) संज्ञक कहलाते हैं ।

निधिर्भूमौ विनिहितोऽन्यस्मिन्नुपनिधिः स्थितः ।

दत्तमूल्यादिसंप्राप्तः स वै विनिमयीकृतः ॥ ३३९ ॥

वृद्ध्याऽवृद्ध्या च यो दत्तः स वै स्यादाधमर्णिकः ।

सवृद्धिकमृणं दत्तमकुसीदं तु याचितम् ॥ ३४० ॥

निधि, उपनिधि आदि व्यय के लक्षण—निधि (निधीकृत) व्यय उसे कहते हैं जो पृथ्वी में गाड़ दिया जाता है, इसको अत्यन्त कष्ट पड़ने पर भी ग्रहण नहीं किया जाता है—अतः यह भी एक प्रकार का व्यय ही है। उप-निधि (उपनिधीकृत) व्यय वह है जो दूसरे के पास रखा हुआ है। विनि-मयीकृत व्यय उसे कहते हैं जो दिये हुये मूव्यादि से बदले में मिला हुआ है। सूद पर या बिना सूद के जो दिया गया है उसे लाभमर्गिक व्यय कहते हैं। इसमें सूद पर जो दिया जाता है उसे ऋण और बिना सूद के जो दिया जाता है उसे याचित (हथ-उधार) कहते हैं।

स्वत्वनिवर्तको द्वेषा त्वैहिकः पारलौकिकः ।

स्वत्वनिवर्तक के भेद—स्वात्वनिवर्तक व्यय दो प्रकार का होता है प्रथम—ऐहिक, द्वितीय—पारलौकिक ।

प्रतिदानं पारितोष्यं वेतनं भोग्यमैहिकः ॥ ३४१ ॥

चतुर्विधस्तथा पारलौकिकोऽनन्तभेदभाक् ।

शेषं संयोजयेन्नित्यं पुनरावर्तको व्ययः ॥ ३४२ ॥

ऐहिक तथा पारलौकिक व्यय के भेद—उसमें प्रतिदान, पारितोष्य वेतन और भोग्य रूप से ऐहिक के ३ भेद होते हैं। और पारलौकिक के अनन्त भेद होते हैं। जो नित्य शेष को रोकड़ में मिलाया जाता है वह भी पुनरावर्तक व्यय कहलाता है।

मूल्यत्वेन च यदत्तं प्रतिदानं स्मृतं हि तत् ।

सेवाशीर्यादिसतुष्टैर्दत्तं तत्पारितोषिकम् ॥ ३४३ ॥

भृतिरूपेण संदत्तं वेतनं तत् प्रकीर्तितम् ।

प्रतिदान, पारितोषिक और वेतन व्यय के लक्षण—मूल्य रूप में जो दिया जाता है उसे 'प्रतिदान' कहते हैं। सेवा तथा शूरता आदि से प्रसन्न होकर जो दिया जाता है, उसे 'पारितोषिक' (पारितोष्य) कहते हैं। भरण-पोषणार्थ जो भृत्यों को दिया जाता है उसे 'वेतन' कहते हैं।

धान्यवस्त्रगृहाराम-मोगजादिरथार्थकम् ॥ ३४४ ॥

विद्याराज्याद्यर्जनार्थं धनाप्त्यर्थं तथैव च ।

व्यथीकृतं रक्षणार्थमुपभोग्यं तदुच्यते ॥ ३४५ ॥

उपभोग्य के लक्षण—धान्य, वस्त्र, गृह, बगीचा, गो, गज आदि तथा रथ के लिये एवं विद्या तथा राज्य आदि के उपार्जन के लिये और धन आदि की प्राप्ति के लिये एवं इन सबों की रक्षा के लिये जो व्यय किया जाता है उसे 'उपभोग्य' कहते हैं।

सुवर्णरत्नरजतनिष्कशालास्तथैव च ।
 रथाश्वगोजोप्राजावीनशालाः पृथक् पृथक् ॥ ३४६ ॥
 वाद्यशस्त्रास्त्राणां धान्यसम्भारयोस्तथा ।
 मन्त्रिशिल्पनाट्यवैद्यमृगाणां पाकपक्षिणाम् ॥ ३४७ ॥
 शाला भोग्ये निविष्टास्तु तद्व्यथो भोग्य उच्यते ।

भोग्य व्यय के लक्षण—सोना, रतन, चांदी, निष्क (मोहर-स्वर्ण मुद्रा) रखने के जो स्थान हैं एवं रथ, घोड़े, गौ, गज, ऊंट, बकरे, भेड़े आदि के तथा इनके अध्यक्षों के लिये पृथक्-पृथक् बने हुये जो स्थान (गृह) हैं । और वाद्य (बाजे), शस्त्र, अस्त्र, धान्य, समार (नाना प्रकार की सामग्री) रखने के लिये जो स्थान हैं तथा मन्त्री, शिल्प, नाट्य (नाटक-संबन्धी), वैद्य, मृग, पाक, पक्षी इनके लिये जो स्थान हैं, उन सबों की गणना भोग्य के अन्दर है अतः इन सबों के संबन्ध में होनेवाले व्यय को भी 'भोग्य' कहते हैं ।

जपहोमार्चनैर्दानैश्चतुर्धा पारलौकिकः ॥ ३४८ ॥

पुनर्यातो निवृत्तश्च विशेषाद्ययौ च तौ ।

आवर्तको निवर्ती च व्ययायौ तु पृथग्द्विधा ॥ ३४९ ॥

पारलौकिक व्यय के चार भेद और उनके लक्षण—जप, होम, पूजन तथा दान भेद से पारलौकिक व्यय के मुख्य चार भेद होते हैं । और जो आय आकर पुनः जानेवाला हो उसे विशेष आय एवं जो व्यय जाकर पुनः आनेवाला हो उसे विशेष व्यय कहते हैं । अतः व्यय तथा आय ये दोनों पृथक् २ आवर्तक (वापस आनेवाले) निवर्ती (नहीं वापस आनेवाले) भेदों से दो २ प्रकार के होते हैं । ।

आवर्तकविहीनौ तु व्ययायौ लेखको लिखेत् ।

आय-व्यय-लेखक के कर्त्तव्य—लेखक वापस आनेवाले और वापस न आनेवाले व्यय तथा आयको लिखे ।

क्रयाधर्मणघटनाभ्यस्त्याप्तो विवर्तकः ॥ ३५० ॥

द्रव्यं लिखित्वा दद्यात्तु गृहीत्वा विलिखेत्स्वयम् ।

द्रव्य (खरीदना), अधर्मण की घटनाओं (ऋणादि व्यवहारों) एवं अन्य विषयों में विश्वासपात्र लेखक स्वयं द्रव्य लिखकर तब देरे या लेवे ।

हीयते वर्धते नैवमायव्ययविलेखकः ॥ ३५१ ॥

इस प्रकार से आय-व्यय के लिखनेवाले का लिखा आय तथा व्यय न कम होता है और न बढ़ता है ।

हेतुप्रमाणसम्बन्धकार्याङ्गव्याप्यव्यापकैः ।

आयाश्च बहुधा भिन्ना व्ययाः शेषं पृथक् पृथक् ॥ ३५२ ॥

मानेन संख्यया चैवोन्मानेन परिमाणकैः ।

अवशिष्ट भाग के विविध भेद—अवशिष्ट भाग और पृथक् २ कारण, प्रमाण, संबन्ध (संयोग), कार्याङ्ग (कार्यों के अवान्तर व्यापार), व्याप्य (धोड़े विषय), व्यापक (बहुत विषय), मान, संख्या, उन्मान और परिमाण इन सवों के द्वारा बहुत प्रकार से भिन्न २ होते हैं ।

क्वचित्संख्या क्वचिन्मानमुन्मानं परिमाणकम् ॥ ३५३ ॥

समाहारः क्वचिन्चेष्टो व्यवहाराय तद्विदाम् ।

किसी प्रदेश में मानादि का ज्ञान रखनेवाले लोगों को व्यवहार के लिये संख्या, कहीं पर मान, कहीं पर उन्मान, कहीं पर परिमाण और कहीं पर समाहार (संख्यादियों का समुदाय) अभीष्ट होता है ।

अङ्गुलाद्यं स्मृतं मानमुन्मानं तु तुला स्मृता ॥ ३५४ ॥

परिमाणं पात्रमानं संख्यैकद्वयादिसंज्ञिका ।

मान-उन्मान-परिमाण संख्या के लक्षण—अंगुलि या हाथ आदि से जो नापा जाता है उसे 'उन्मान' और काठ आदि के बने पात्रों से जो नापा जाता है उसे 'परिमाण' एवं एक, दो, तीन आदि गिनती को 'संख्या' कहते हैं ।

यत्र यादृग् व्यवहारस्तत्र तादृक्प्रकल्पयेत् ॥ ३५५ ॥

जहाँ पर जैसा व्यवहार हो वहाँ पर वैसा व्यवहार राजा को कराना चाहिये ।

रजतस्वर्णताम्रादि व्यवहारार्थमुद्रितम् ।

व्यवहार्यं वराटाद्यं रत्नान्तं द्रव्यमीरितम् ॥ ३५६ ॥

सपशुधान्यवस्त्रादि-तृणान्तं धनसंज्ञकम् ।

लोकव्यवहारार्थं द्रव्य तथा धन के लक्षण—लोकव्यवहार के लिये ढाले गये चाँदी, सोना एवं ताँबे के सिक्कों का व्यवहार प्रजाओं को करना चाहिये । कौड़ी से लेकर रत्न-पर्यन्त की संज्ञा 'द्रव्य' है । पशु, धान्य, वस्त्र से लेकर तृण पर्यन्त की संज्ञा 'धन' है ।

व्यवहारे चाधिकृतं स्वर्णाद्यं मूल्यतामियात् ॥ ३५७ ॥

व्यवहार के लिये राजा द्वारा निश्चित स्वर्णादि मुद्रार्थे प्रत्येक वस्तु की मूल्य समझी जाती है ।

कारणादिनमायोगात्पदार्थस्तु भवेद् भुवि ।

येन व्ययेन संतिद्धस्तद्व्ययस्तस्य मूल्यकम् ॥ ३५८ ॥

मूल्य की परिभाषा—संसार में कारण आदि के संयोग होने से जो पदार्थ जितने व्यय में सिद्ध होता है उतना व्यय उसका मूल्य होता है ।

सुखभासुलभत्वाच्चागुणत्वगुणसप्रथैः ।

यथाकामात्पदार्यानामर्घं हीनाधिकं भवेत् ॥ ३५६ ॥

मूल्य के न्यूनधिक्य का कारण-निर्देश—पदार्थों की सुलभता या दुर्लभता से किंवा अच्छा या बुरा होने से (तारतम्यानुसार) उनका मूल्य विक्रेता के इच्छानुसार अधिक या कम होता है ।

न हीनं मणिधातूनां क्वचिन्मूल्यं प्रकल्पयेत् ।

मूल्यहानिस्तु चैतेषां राजदौष्ट्येन जायते ॥ ३६० ॥

किसी प्रदेश में भी राजा मणियों तथा सोना, चांदी आदि धातुओं का मूल्य थोड़ा न रखे । इन सबों के मूल्य में कमी जय होती है तब राजा की दुष्टता से न कि प्रजा की ।

दीर्घं चतुर्भागभूतपत्रे तिर्यग्गनावलिः ।

त्र्यंशगाभ्यन्तरगता चाधगा पादगापि वा ॥ ३६१ ॥

कार्या व्यापकव्याप्यानां लेखने पदसंज्ञिका ।

पत्रलेखन प्रकार—थोड़ा या ज्यादा विषयों के अनुसार लेख लिखने के लिये प्रशस्त पत्र (कागज) के ऊपर चार भाग करने पर उसमें से ३ भाग के अन्दर या आधे भाग किंवा चौथाई भाग के अन्दर आधी लकीरों की पंक्ति बनाकर पदों (अक्षरों) को लिखना चाहिये ।

श्रेष्ठाभ्यन्तरगा तासु वामतस्त्र्यंशगाऽप्यनु ॥ ३६२ ॥

दक्षत्र्यंशगता चानु हार्धगा पादगा ततः ।

उक्त ३ प्रकार की पदावलियों में जो पत्र के अन्दर वामभाग से शुरू होकर तीन भाग में लिखी होती है वह श्रेष्ठ है । और दक्षिण से वामभाग की ओर तीन भाग तक लिखी होती है वह उसकी अपेक्षा हीन है । अर्द्धांश में लिखी हुई उससे भी हीन, इसके बाद चतुर्थांश में लिखी हुई सबसे हीन है ।

स्वभ्यन्तरे स्वभेदाः स्युः सदृशाः सदृशे पदे ॥ ३६३ ॥

स्वारम्भपूर्तिसदृशे पदगे स्तः सदैव हि ।

लाइनों की दूरी परस्पर समान भाव से होने से सब एक सी हों और उनमें अक्षर भी समान हों । अर्थात् जो समान पद हों उनमें सर्वत्र अक्षर समान लिखे जाय । और आरम्भ किये गये विषयों की पूर्ति के अनुरूप पत्र हों एवं उनमें अक्षर और लाइनों उसी के अनुसार अंकित हों ।

राजा स्वलेख्यचिह्नं तु यथाभिलषितं तथा ॥ ३६४ ॥

लेखानुपूर्वं कुर्याद्विद्वान् लेख्यं विचार्य च ।

राजा लेख को देखकर उसके बाद विचार कर लेखानुसार जो उचित प्रतीत हो उसे इच्छानुसार अपने लेख से अङ्कित कर देवे अर्थात् लिख देवे ।

मन्त्री च प्राड्विवाकश्च पण्डितो दूतसंज्ञकः ॥ ३६१ ॥

स्थाविरुद्धं लेख्यमिदं लिखेयुः प्रथमं त्वमे ।

मन्त्री, विचारपति, पण्डित और दूत आदि ये सब प्रथम राजा को दिखाने के लिये 'यह लेख मुझे अभिमत है' ऐसा लिखें ।

अमात्यः साधु लिखनमस्त्येतद्राग् लिखेदयम् ॥ ३६६ ॥

सम्यग्बिचारितमिति सुमन्त्रो विलिखेत्ततः ।

इनमें से जो अमात्य है वह 'यह लेख अच्छा है' ऐसा पत्र में प्रथम लिखे । उसके बाद सुमन्त्र 'मैंने इस पर भली-भांति विचार किया है' ऐसा लिखे ।

सत्यं यथार्थमिति च प्रधानश्च लिखेत्स्वयम् ॥ ३६७ ॥

अङ्गीकर्तुं योग्यमिति ततः प्रतिनिधिलिखेत् ।

और 'प्रधान' 'यह वस्तुतः यथार्थ है' यह स्वयं लिखे उसके बाद प्रतिनिधि 'यह अङ्गीकार करने योग्य है' ऐसा लिखे ।

अङ्गीकर्तव्यमिति च युवराजो लिखेत्स्वयम् ॥ ३६८ ॥

लेख्यं स्वाभिमतं चैतद्विलिखेच्च पुरोहितः ।

उसके बाद युवराज 'इसे अङ्गीकार करना चाहिये' ऐसा स्वयं लिखे । और 'पुरोहित' 'यह लेख मुझे अभिमत है' ऐसा लिखे ।

स्वस्वमुद्राचिह्नितं च लेख्यान्ते कुर्युरेव हि ॥ ३६९ ॥

अङ्गीकृतमिति लिखेन्मुद्रयेच्च ततो नृपः ।

सब लेखों पर स्व-स्वमुद्राङ्कित करने का निर्देश—और मन्त्री आदियों को लेख के अन्त में अपनी २ मुहर लगा देनी चाहिये । और अन्त में राजा भी 'यह अङ्गीकृत है' ऐसा लिखे और उस पर अपनी मुहर कर दे ।

कार्यान्तरस्याकुलत्वात्सम्यग्द्रष्टुं न शक्यते ॥ ३७० ॥

युवराजादिभिर्लेख्यं तदनेन च दर्शितम् ।

युवराज आदि को कार्यान्तर में (दूसरे २ कार्यों में) व्यस्तचित्त होने से अच्छी तरह से लेख के संपूर्ण विषयों को न देख सकने से 'इस आदमी ने जो दिखाया उस पर मैंने अच्छी तरह से विचार किया' यह भी मन्त्री आदि को लिखना चाहिये ।

समुद्रं विलिखेयुर्बै सर्वे मन्त्रिगणास्ततः ॥ ३७१ ॥

राजा दृष्टमिति लिखेद् द्राक् सम्यग्दर्शनाक्षमः ।

सभी मन्त्री लोगों को सभी लेखों पर मुहर से अङ्कित करके अपना २ हस्ताक्षर करना चाहिये और भली-भांति से देखने में असमर्थ राजा क्षीप्र उन सब लेखों पर 'मैंने देखा' यह लिख दे क्योंकि उसका मन्त्री आदि के लेखों पर पूर्ण विश्वास रहता है ।

आयमादौ लिखेत्सम्यग् व्ययं पश्चात्तथागतम् ॥ ३०२ ॥

वामे चायं व्ययं दक्षे पत्रभागं च लेखयेत् ।

पत्र में आय-व्यय लेखन का स्थान-विचार—वही खाते पर पहले सम्पूर्ण आय (आमदनी) लिखे पीछे जो व्यय हुआ हो उसे लिखे । और वही के बाईं ही ओर आय और दाहिनी ओर व्यय लिखे ।

यत्रोभौ व्यापकव्याप्यौ वामोर्ध्वभागौ क्रमात् ॥ ३०३ ॥

आधाराधेयरूपौ वा कालार्थं गणितं हि तत् ।

जहां पर आय तथा व्यय ये दोनों अधिक या अल्प अथवा आश्रय तथा आश्रयी रूप से हों वहां पर उन दोनों को वही के वाम भाग में यथाक्रम ऊपर की ओर रखना चाहिये । ऐसी व्यवस्था नियम के लिये है ।

अधोधश्च क्रमात्तत्र व्यापकं वामतो लिखेत् ॥ ३०४ ॥

व्याप्यानां मूल्यमाज्ञादि तत्पंक्त्यां विनिवेशयेत् ।

उसमें व्यापक को वामभाग में क्रम से नीचे-नीचे लिखे । और व्याप्यों का मूल्य और मानादि उन्हीं की पंक्ति में लिखे ।

ऊर्ध्वगानां तु गणितमधः पंक्त्यां प्रजायते ॥ ३०५ ॥

यत्रोभौ व्यापकव्याप्यौ व्यापकत्वेन संस्थितौ ।

जहां पर वे दोनों व्यापक और व्याप्य बहुसंख्यक हों वहाँ पर ऊपरवालों की गणना नीचे की पंक्ति में होती है ।

व्यापकं बहुवृत्तित्वं व्याप्यं स्थानन्यूनवृत्तिकम् ॥ ३०६ ॥

व्याप्याश्चावयवाः प्रोक्ता व्यापकोऽवयवी स्मृतः ।

व्यापक-व्याप्य के लक्षण—बहुत स्थलों पर रहनेवालों को 'व्यापक' कम स्थलों पर रहनेवालों को 'व्याप्य' कहते हैं । और व्याप्य अवयव (अङ्ग) एवं व्यापक (अवयवी) कहलाते हैं ।

सजातीनां च लिखनं कुर्याच्च समुदायतः ॥ ३०७ ॥

यथाप्राप्तं तु लिखनमाद्यन्तसमुदायतः ।

समान जातिवाले विषयों का समुदाय रूप से एक स्थान पर ही लिखना उचित होता है । और नाना प्रकार के विषयों का जहां जैसा भौका हो वहां उसके अनुसार आदि, अन्त और सर्वत्र लिखना उचित है ।

व्यापकाश्च पदार्था वा यत्र सति स्थलानि हि ॥ ३०८ ॥

व्याप्यमाद्यव्ययं तत्र कुर्यात्कालेन सर्वदा ।

जहां पर पदार्थ व्यापक (बहुत) हों एवं स्थल भी बहुत हों वहां सर्वदा आय-व्यय को काल से व्याप्य कर लेना चाहिये ।

स्थानटिप्पनिका चैवा ततोऽन्यत् संघटिप्पनम् ॥ ३०९ ॥

विशिष्टसंज्ञितं तत्र व्यापकं लेख्यमापितम् ।

स्थान टिप्पणादि के भेद—यह स्थान-संबन्धी विवरण अन्य है और वस्तु-समूहसंबन्धी विवरण इससे अन्य है, उसमें लेखक व्यापक की संज्ञा विशिष्ट है ।

आयाः कति व्ययाः कस्य शेषं द्रव्यस्य चास्ति वै ॥ ३८० ॥

विशिष्टसंज्ञकैरेषां संविज्ञानं प्रजायते ।

आय कितने हैं और व्यय कितने हैं और किस द्रव्य का कितना शेष है ? इन सबों का भली-भांति ज्ञान विशिष्टसंज्ञक पूर्वोक्त व्यापक लेख विशेष से होता है ।

आदौ लेख्यं यथा प्राप्तं पश्चात्तद्गणितं लिखेत् ॥ ३८१ ॥

यथा द्रव्यं च स्थान चाधिकसंज्ञं च टिप्पणैः ।

पहले जो वस्तु जिस तरह से प्राप्त हो उसे लिखे उसके पश्चात् उसकी संख्या लिखनी चाहिये । उसके बाद विवरण के साथ जैसा द्रव्य, स्थान तथा अधिकसंज्ञक हो उसे लिखे ।

शेषायव्ययविज्ञानं क्रमाहोख्यैः प्रजायते ॥ ३८२ ॥

स्थलायव्ययविज्ञानं व्यापकं स्थलतो भवेत् ।

शेषायव्यय-स्थलायव्ययज्ञान—अवशिष्ट आय तथा व्यय का पूर्ण ज्ञान बहियों से होता है । और बहुत स्थानों के आय-व्यय का पूर्ण ज्ञान स्थानों के ज्ञान से ही हो जाता है ।

पदार्थस्य स्थलानि स्युः पदार्थाश्च स्थलस्य तु ॥ ३८३ ॥

व्याप्यास्तिथ्याद्यश्चापि यथेष्टा लेखने नृणाम् ।

तिथ्यादि लिखने का निर्देश—स्पष्ट पदार्थके एवं पदार्थस्थल के व्याप्य होते हैं । मनुष्यों को अपनी इच्छानुसार लिखने में तिथ्यादि रखनी चाहिये ।

निश्चितान्यस्वामिकाद्या आया ये इतरान्तगाः ॥ ३८४ ॥

विशिष्टसंज्ञका ये च पुनरावर्तकादयः ।

व्ययाश्च परलेखान्ता अन्तिमव्यापकाश्च ते ॥ ३८५ ॥

पूर्वोक्त निश्चितान्यस्वामिक (निश्चित है अन्य स्वामी जिसका) से लेकर इतर (पार्थिव से भिन्न-जन्म-शुलकादि) तक जितने आय हैं और विशिष्टसंज्ञक जो पुनरावर्तकादि व्यय हैं वे सब दूमरों के लेख हैं अन्त में जिसके पैसे एवं अन्तिम व्यापकवाले (बहुत शेषवाले) हैं ।

इच्छया ताडित कृत्वादौ प्रमाणफलं ततः ।

प्रमाणभक्तं तल्लब्धं भवेदिच्छाफलं नृणाम् ॥ ३८६ ॥

पहले प्रमाण फल (सिद्धवस्तु) को इच्छा (साध्यवस्तु) से गुणित

करके प्रमाण से भाग करने पर जो लब्धि हो उसे मनुष्यों का इच्छा-फल कहते हैं ।

समासतो लेख्यमुक्तं सर्वेषां स्मृतिसाधनम् ।

इस प्रकार से संक्षेप से सभी विषयों की स्मृति का साधन (कारण) लेख्य (बही या पत्र) का वर्णन किया गया ।

गुञ्जा मापस्तथा कर्पः पदार्थः प्रस्थ एव हि ॥ ३८७ ॥

यथोत्तरा दशगुणाः पञ्च प्रस्थस्य चाढकाः ।

ततश्चाष्टाढकः प्रोक्तो ह्यर्मणस्ते तु विशतिः ॥ ३८८ ॥

खारिका स्याद्भिद्यते तद् देशे देशे प्रमाणकम् ।

गुञ्जादिकों का लक्षण—गुञ्जा (रत्ती), माप (माशा), कर्प (एक रुपया भर), पदार्थ, प्रस्थ ये सब उत्तरोत्तर क्रम से दशगुने होते हैं अर्थात् १० गुञ्जाओं का १ माप, १० मापों का १ कर्प, १० कर्पों का १ पदार्थ, १० पदार्थों का १ प्रस्थ होता है । ५ प्रस्थों का १ आढक, १० आढकों का १ अर्मण, २० अर्मणों का १ खारिका (खारी) होती है । देश-भेद से ये परिमाणों में भिन्नतायें होती हैं ।

पञ्चाङ्गुलावटं पात्रं चतुरंगुलविस्तृतम् ॥ ३८९ ॥

प्रस्थपादं तु तद्भेद्यं परिमाणे सदा बुधैः ।

प्रस्थपाद का लक्षण—५ अङ्गुल गहरा, ४ अङ्गुल चौड़ा जो पात्र होता है, उसे पण्डित लोग सदा नापने में 'प्रस्थपाद' कहते हैं । इसी को लोक में 'माना' भी कहते हैं ।

ऊर्ध्वाकश्च यथासंज्ञस्तदधस्थाश्च वामगाः ॥ ३९० ॥

क्रमात्स्वदशगुणिताः परार्धान्ताः प्रकीर्तिताः ।

संख्या का प्रमाण—संज्ञानुसार ऊपर लिखे हुये अङ्क के नीचे बाईं ओर एक २ इकाई क्रम से बढ़ाने पर अपने से दशगुनी अधिक परार्द्ध पर्यन्त अङ्कों की गिनती होती है ।

न कर्तुं शक्यते संख्यासंज्ञा कालस्य दुर्गमात् ॥ ३९१ ॥

ब्रह्मणो द्विपरार्धं तु आयुरुक्तं मनीषिभिः ।

संख्या की अनन्तता—काल की समाप्ति होना असंभव है अतः संख्या की संज्ञा परार्द्ध से अधिक नहीं हो सकती है । और विद्वानों ने ब्रह्मा की आयु का प्रमाण दो परार्द्ध तक कहा है क्योंकि परार्द्ध से अतिरिक्त संख्या की संज्ञा नहीं है ।

एको दश शतं चैव सहस्रं चायुतं क्रमात् ॥ ३९२ ॥

नियुतं, प्रयुतं कोटिरबुदं चाब्जखर्षकौ ।

निखर्वपद्मशङ्खाब्धि-मध्यमान्तपरार्धकाः ॥ ३६३ ॥

एकादि-परार्धं तक संख्याओं के नाम—एक, दश, शत, सहस्र, अयुत, नियुत, प्रयुत, कोटि, अर्बुद, अब्ज, खर्व, निखर्व, पद्म, शङ्ख, अब्धि, मध्य, अन्त, परार्ध ये सब संख्याओं की संज्ञायें हैं ।

कालमानं त्रिधा ज्ञेयं चान्द्रं सौरं च सावनम् ।

भृतिदाने सदा सौरं चान्द्रं कौसीदवृद्धिपु ॥ ३६४ ॥

कल्पयेत्सावनं नित्यं दिनभृत्येऽवधौ सदा ।

कालमान का त्रैविध्य एवं चान्द्रादिकों की व्यवस्था—चान्द्र (चन्द्र की वृद्धि-क्रम से शुक्ल १ प्रतिपदा से अमावस्या ३० पर्यन्त) मास, सौर (एक संक्रान्ति से दूसरी संक्रान्ति पर्यन्त), सावन (जिस दिन से कोई कार्य आरम्भ किया जाता है और जिस दिन समाप्त होता है वहीं तक दिन की संख्या के अनुसार गणना करना—इसमें पूरे ३० दिन का १ मास होता है) इन भेदों से काल मान ३ प्रकार का होता है । वेतन देने में सदा सौर मान का, ऋण-व्यवहार में नित्य चान्द्रमान का एवं दैनिक मजदूरों को मजदूरी देने और अवधि (इतने दिन तक कार्य करो ऐसी अवधि) में सदा सावन मान का व्यवहार करना चाहिये ।

कार्यमाना कालमाना कार्यकालमितित्रिधा ॥ ३९५ ॥

भृतिरुक्ता तु तद्विज्ञैः सा देया भाषिता यथा ।

भृति के ३ प्रकारों का निर्देश—कार्यमाना (कार्य के परिमाण के अनुसार दी जानेवाली), कालमाना (काल के परिमाण के अनुसार दी जानेवाली), कार्यकालमिति (कार्य तथा काल के प्रमाणानुसार दी जानेवाली) इन भेदों से भृति (मजदूरी या वेतन) ३ प्रकार की पण्डितों ने कही है । जैसी कही है वैसी हिसाब करके भृति देनी चाहिये ।

अयं भारस्त्वया तत्र स्थाप्यस्त्वेतावती भृतिम् ॥ ३६६ ॥

दास्यामि कार्यमाना सा कीर्तिता तद्विदेशकैः ।

कार्यमानादिकों के लक्षण—‘यह भार यहां से उठाकर वहां पर रख दो, तुम्हें इतनी मजदूरी दी जायगी’ यह ‘कार्यमाना’ भृति पण्डितों ने कही है ।

वत्सरे वत्सरे वापि मासि मासि दिने दिने ॥ ३६७ ॥

एतवनी भृति तेऽहं दास्यामीति च कालिका ।

‘प्रतिवर्ष’ प्रतिमास एवं प्रतिदिन इतनी भृति तुम्हें मैं दूंगा’ इसे ‘कालिका’ (कालमाना) भृति कहते हैं ।

एतावता कार्यमिदं कालेनापि त्वया कृतम् ॥ ३६८ ॥

भृतिमेवावती दास्ये कार्यकालमिता च सा ।

‘इतने काल के अन्दर इस कार्य के करने पर मैं तुम्हें इतनी भृति दूंगा’ इसे ‘कार्यकालमिता’ (कार्यकालमिति) भृति कहते हैं ।

न कुर्याद् भृतिलोपं तु तथा भृतिविलम्बनम् ॥ ३९९ ॥

अवश्यपोष्यभरणा भृतिर्मध्या प्रकीर्तिता ।

परिपोष्या भृतिः श्रेष्ठा समान्नाच्छादनार्थिका ॥ ४०० ॥

भवेदेकस्य भरणं यथा सा हीनसंज्ञिका ।

मध्यमादि भृति के लक्षण—मध्य में भृति का लोप तथा भृति देने में विलम्ब नहीं करना चाहिये । अवश्यपोष्य (पोषण करने योग्य) माता-पिता आदि का भरण-पोषण जितने से हो जाय उतनी भृति को ‘मध्या’ और अवश्य पोष्य लोगों के अतिरिक्त अन्य लोगों का भी पोषण जिससे हो उस भृति को ‘श्रेष्ठा’ अन्न-वस्त्र मात्र के लिये केवल पर्याप्त होनेवाली भृति को ‘समा’ एवं जिससे केवल अपना ही भरण-पोषण हो सके उसे ‘हीना’ भृति कहते हैं ।

यथा यथा तु गुणवान्भृतकस्तद्भृतिस्तथा ॥ ४०१ ॥

संयोज्या तु प्रयत्नेन नृपेणात्महिताय वै ।

पोषण-योग्य भृति नियत करने का निर्देश—भृतक (भृत्य) जैसे २ गुणवान (योग्य) होता जाय वैसे २ उमकी भृति (वेतन) अपने हित के लिये राजा को यत्नपूर्वक बढ़ा देनी चाहिये अथवा योग्यतानुसार वेतन देना चाहिये ।

अवश्यपोष्यवर्गस्य भरणं भृतकाद्भवेत् ॥ ४०२ ॥

तथा भृतिस्तु संयोज्या यद्योग्या भृतकाय वै ।

वेतनभोगी के माता-पिता आदि अवश्य-पोषण करने योग्य लोगों का उसके द्वारा जितने वेतन से पाठन-पोषण हो सके उतना वेतन योग्यतानुसार भृत्य के लिये नियुक्त करना चाहिये ।

ये भृत्या हीनभृतिकाः शत्रवस्ते स्वयंकृताः ॥ ४०३ ॥

परस्य साधकास्ते तु द्विद्रकोशप्रजाहराः ।

हीन भृति देने से अनर्थ का निर्देश—जो अत्यल्प वेतन पानेवाले भृत्य हैं उन्हें राजा अत्यल्प वेतन देकर अपना शत्रु स्वयं बना लेता है क्योंकि वे पेट न भर सकने के कारण राजा का कार्य छोड़कर दूसरे का भी कार्य करके पेट भरते हैं और सदा राजा के द्विद्र खोजते-फिरते हैं एवं उसके धन हरते हैं तथा प्रजा को छुटते हैं ।

अन्नाच्छादनमात्रा हि भृतिः शूद्रादिषु स्मृता ॥ ४०४ ॥

तत्पापभागन्यथा स्यात्पोषको मांसभोजिषु ।

शूद्रादिकों को आच्छादन मात्र देने का निर्देश—केवल शूद्रादि लोगों के

लिये अन्न-वस्त्र मात्र के लिये पर्याप्त वेतन देना उचित कहा है अन्य के लिये नहीं । अन्यथा अर्थात् अन्न-वस्त्र से अतिरिक्त भी कार्यों का निर्वाह करनेवाला वेतन देने से मांसभोजी उन शूद्रादि लोगों का पोषण करनेवाला राजा उसके पाप कर्मों का स्वयं भी भागी (भोग करनेवाला) होता है ।

यद्ब्राह्मण्येनापहृतं धनं तत्परलोकदम् ॥ ४०५ ॥

शूद्राय दत्तमपि यन्नरकायैव केवलम् ।

और ब्राह्मण यदि धन चुरा भी ले तो उससे जिसका धन चुराता है उस पुरुष को परलोक में शुभ फल मिलता है किन्तु यदि शूद्र को स्वयं धन दिया जाय तो उससे केवल दाता को नरक ही मिलता है ।

मन्दो मध्यस्तथा शीघ्रस्त्रिविधं भृत्य उच्यते ॥ ४०६ ॥

समा मध्या च श्रेष्ठा च भृतिस्तेषां क्रमात्स्मृता ।

भृत्य के तीन भेद—मन्द (धीरे २ कार्य करनेवाला मुस्त), मध्य (न धीरे और न जल्दी कार्य करनेवाला) और शीघ्र (शीघ्र कार्य पूर्ण करनेवाला) इन भेदों से भृत्य ३ प्रकार का होता है । अतः इन सबों की क्रम से समा, मध्या तथा श्रेष्ठा नामक ३ प्रकार की भृतियों का देना उचित कहा है ।

भृत्याना गृहकृत्यार्थं दिवा याम समुत्सृजेत् ॥ ४०७ ॥

निशि यामत्रय नित्यं दिनभृत्येऽर्धयामकम् ।

भृत्यों को छुट्टी देने का नियम—भृत्यों को प्रतिदिन अपना गृहकृत्य करने के लिये दिन में १ प्रहर (३ घण्टे) की और रात्रि में तीन प्रहर की छुट्टी देनी चाहिये । और दिन-भृत्यों (रोजाना मजदूरी पर कार्य करनेवालों) को दिन में आधा प्रहर (डेढ़ घण्टे) की छुट्टी देना चाहिये ।

तैभ्यः कार्यं कारयित्वा ह्युत्सवाद्यैर्विना नृपः ॥ ४०८ ॥

अत्यावश्यं तूत्सवेऽपि हित्वा श्राद्धदिनं सदा ।

राजा उत्सवादि-दिनों को छोड़कर अन्य दिनों में उन भृत्यों से कार्य करावे और श्राद्धवाले दिन को छोड़कर अन्य उत्सवदिनों में भी अत्यावश्यक कार्यों को तो सदा करावे ।

पादहीनां भृतिं त्वार्ते दद्यात्त्रैमासिकीं ततः ॥ ४०९ ॥

पञ्चवत्सरभृत्ये तु न्यूनाधिक्यं यथा तथा ।

रोग के समय भृति देने का प्रकार—५ वर्ष तक कार्य करनेवाले भृत्यों को पीड़ित अवस्था (बीमारी आदि) में चतुर्थांश कम वेतन दे और यदि १ वर्ष तक पीड़ित हों तो उन्हें ३ मास का वेतन (चतुर्थांश) दे । और पीड़ा आदि की जैसी न्यूनाधिकता हो उसके अनुसार वेतन देने में भी न्यूनाधिकता करनी चाहिये ।

पाण्डुमासिकी तु दीर्घार्थं तदूर्ध्वं न च कल्पयेत् ॥ ४१० ॥

नैव पक्षार्धमार्तस्य हातव्याऽल्पापि वै भृतिः ।

और दीर्घ काल तक (१ वर्ष के ऊपर) यदि पीड़ित हो तो उसे ६ मास का वेतन दे । इसके ऊपर न दे । और १ सप्ताह तक पीड़ित भृत्यों का वेतन भी कुछ नहीं काटना चाहिये ।

संवत्सरोपितस्यापि प्राणः प्रतिनिधिस्ततः ॥ ४११ ॥

सुमहद्गुणिनं त्वार्तं भृत्यर्थं कल्पयेत्सदा ।

वारवार रोगग्रस्त के स्थान पर प्रतिनिधि रखने का निर्देश—१ वर्ष तक छुटी लिये हुये भृत्य का प्रतिनिधि उसी के द्वारा निर्णीत रखना चाहिये । और अत्यन्त योग्य भृत्यों को बीमार पड़ने पर सदा उसको आधा वेतन देना चाहिये ।

सेवां विना नृपः पक्षं दद्याद् भृत्याय वत्सरे ॥ ४१२ ॥

सेवा के बिना ही भृति देने का निर्देश—राजा बिना सेवा कराये ही प्रतिवर्ष १ पक्ष का वेतन भृत्यों को देवे ।

चत्वारिंशत्समा नीताः सेवया येन वै नृपः ।

ततः सेवां विना तस्मै भृत्यर्थं कल्पयेत्सदा ॥ ४१३ ॥

यावज्जीवं तु तत्पुत्रेऽक्षमे बाले तदधकम् ।

भार्यायां वा सुशीलायां कन्यायां वा स्वश्रेयसे ॥ ४१४ ॥

जिस भृत्य ने सेवा करते हुये ४० वर्ष वित्तादिये राजा उसे बिना सेवा लिये (घर पर) आजीवन पेंशन के रूप में आधा वेतन सदा देता रहे और उसके वध्वे जब तक कार्य करने योग्य न हो जाय तब तक उन्हें अपने कल्याणार्थ भृत्य के आधे वेतन से आधा वेतन दे इसी भांति उस की सुशीला स्त्री तथा अविवाहिता कन्या को भी पेंशन का आधा वेतन देवे ।

अष्टमांशं पारितोष्यं दद्याद् भृत्याय वत्सरे ।

कार्याष्टमांशं वा दद्यात् कार्यं द्रागधिकं कृतम् ॥ ४१५ ॥

और भृत्य के लिये प्रतिवर्ष वेतन का अष्टमांश पारितोषिक-रूप में देवे । अथवा यदि शीघ्रता के साथ अधिक कार्य किया हो तो कार्य के अष्टमांश को पारितोषिक रूप में देवे अर्थात् उस कार्य के करने में जो वेतन हो उसका अष्टमांश देवे ।

स्वामिकार्ये विनष्टो यस्तत्पुत्रे तद् भृतिं वहेत् ।

यावद्बालोऽन्यथा पुत्रगुणान्दृष्ट्वा भृतिं वहेत् ॥ ४१६ ॥

स्वामी के कार्य करने में यदि भृत्य मरजाय तो उसका पुत्र उसके वेतन को प्राप्त करे, जब तक कि वह बड़ा कार्य करने योग्य न हो जाय, अन्यथा अर्थात्

जब बढ़ा हो जाय तो उसके गुणों को देखकर तदनुसार वेतन प्राप्त करे ।

पष्ठांशं वा चतुर्थांशं भूतेभृत्यस्य पालयेत् ।

दद्यात्तदर्थं भृत्याय द्वित्रिवर्षेऽखिलं तु वा ॥ ४१७ ॥

भृत्य के वेतन का पष्ठांश या चतुर्थांश काटकर राजा अपने यहां जमा करता रहे और जब दो-तीन वर्ष हो जाय तब आधी या पूरी रकम उसे दे देवे ।

वाक्यपारुष्यान्न्यूनभृत्या स्वामी प्रबलदण्डतः ।

भृत्यं प्रशिक्षयेन्नित्यं शत्रुत्वं त्वपमानतः ॥ ४१८ ॥

कटुभाषी भृत्य का भृति-दान-प्रकार—यदि स्वामी या राजा भृत्यों से कठोर बातें करता है या वेतन पूरा नहीं देता है या प्रबल दण्ड देता है किंवा अपमान करता है तो इन सब व्यवहारों से वह अपने भृत्यों को शत्रुता करना सिखाता है ।

भृतिदानेन संतुष्टा मानेन परिवर्धिताः ।

सान्त्विता मृदुवाचा ये न त्यजन्त्यधिपं हि ते ॥ ४१९ ॥

और समय पर वेतन देने से संतुष्ट किये हुये, संमान से गौरव पद पर पहुँचाये हुये, मृदु वचनों से समझाये हुये जो भृत्य हैं वे अपने स्वामी को नहीं छोड़ते हैं ।

अधमा धनमिच्छन्ति धनमानी तु मध्यमाः ।

उत्तमा मानमिच्छन्ति मानो हि महतां धनम् ॥ ४२० ॥

जो केवल धन चाहते हैं वे 'अधम' जो धन तथा मान दोनों चाहते हैं वे 'मध्यम' एवं जो केवल मान चाहते हैं वे 'उत्तम' जन कहलाते हैं । क्योंकि बड़े लोगों का धन मान (आदर) ही है ।

यथागुणान्स्वभृत्यांश्च प्रजाः संरक्षयेन्नृपः ।

शाखाप्रदानतः कांश्चिदपरान् फलदानतः ॥ ४२१ ॥

अन्यान् सुचक्षुषा हास्यैस्तथा कोमलया गिरा ।

सुभोजनैः सुवसनैस्ताम्बूलैश्च धनैरपि ॥ ४२२ ॥

कांश्चित् सुकुशलप्रश्नैरधिकारप्रदानतः ।

बाहनानां प्रदानेन योग्याभरणदानतः ॥ ४२३ ॥

छत्रातपत्रचमरदीपिकानां प्रदानतः ।

क्षमया प्रणिपातेन मानेनाभिगमेन च ॥ ४२४ ॥

सरकारेण च ज्ञानेन ह्यादरेण शमेन च ।

प्रेम्णा समीपवासेन स्वार्धासनप्रदानतः ॥ ४२५ ॥

सम्पूर्णासनदानेन स्तुत्योपकारकीर्तनात् ।

राजा का भृत्य के संग वर्त्तन का वर्णन—राजा योग्यतानुसार भृत्यों एवं प्रजाजनों का मनोरञ्जन निम्नरीति से करे जैसे—किसी को शाखा-प्रदान (यस्मिञ्चित् देने) से, किसी को फलदान (यस्मिञ्चित् से कुछ अधिक देने) से, किसी को अच्छी दृष्टि से देखने से, किसी को हँसकर बात-चीत करने से, किसी को बोलखल वचनों से, किसी को सुन्दर भोजन, सुन्दर वस्त्र, ताम्बूल (पान का पीना) या धन देने से, किसी को अच्छी तरह से कुशल-प्रश्न करने से, किसी को किसी विभाग का अधिकार-प्रदान करने से, किसी को वाहन (सवारी) या योग्य आभूषण-प्रदान करने से, किसी को द्वाघ (पत्तों का घना छाता), आतपत्र (वस्त्र का घना छाता), चामर या दीपक-प्रदान करने से, किसी को चमा-प्रदान करने से, किसी को प्रणाम करने से, किसी को संमान के साथ उसके साथ गमन करने से, किसी को सत्कार करने से, किसी को शास्त्रीय प्रसङ्ग बोलने से, किसी को आदर, शान्ति या प्रेम-प्रदर्शन करने से, किसी को समीप में रहने से, किसी को अपने अर्द्धासन पर बैठाने से, किसी को सम्पूर्ण आसन-प्रदान करने से और किसी को स्तुति या उपकार का वर्णन करने से प्रसन्न करे ।

यस्कार्ये विनियुक्ता ये कार्याङ्कुरस्येथ तान् ॥ ४२६ ॥

लोहजैस्ताम्रजै रीतिभवे रजतसंभवेः ।

सौवर्णे रत्नजैर्वापि यथायोग्यैः स्वलाब्धनैः ॥ ४२७ ॥

प्रविज्ञानाय दूरात्तु वस्त्रेश्च मुकुटैरपि ।

भृत्य को कार्य-मुद्रा से अंकित करने का निर्देश—राजा जो भृत्य जिस कार्य में नियुक्त किये गये हों, उन्हें दूर से यह अमुक कार्य में नियुक्त है, इसको फौरन जानने के लिये लोहा, तामा, पीतल, चाँदी, सोना या रत्न के बने हुये, योग्यतानुसार अपने-अपने चिह्नों, वस्त्रों और मुकुटों के द्वारा कार्य (विभागों) के चिह्नों से युक्त करे ।

वाद्यवाहनभेदैश्च भृत्यान्कुर्यात् पृथक्पृथक् ॥ ४२८ ॥

स्वविशिष्टं च यच्चिह्नं न दद्यात् कस्यचिन्नृपः ।

भृत्यों को विशिष्ट राजचिह्न न देने का निषेध—और राजा विशिष्ट अधिकारियों को बाजे और सवारियों की भिन्नता से अर्थात् इस अधिकारी के यातायात के समय ऐसे बाजे होने चाहिये । और इस अधिकारी के यातायात में ऐसी सवारी होना चाहिये—इस भाँति की विशेषताओं से पृथक्-पृथक् करे और राजा अपने विशिष्ट राजचिह्न छत्र मुकुटादि को किसी के लिये न देवे ।

दश प्रोक्ताः पुरोध्याद्या ब्राह्मणाः सर्व एव ते ॥ ४२९ ॥

अभावे क्षत्रिया योज्यास्तदभावे तथोरुजाः ।

नैव शूद्रास्तु संयोज्या गुणवन्तोपि पार्थिवैः ॥ ४३० ॥

१० प्रकृति पुरोहितादियों का जाति-नियम—पुरोहित आदि जो पूर्वोक्त १० प्रकृतियों (प्रधान) हैं उनके पद पर रहनेवाले सभी ब्राह्मण ही नियुक्त करने चाहिये । ब्राह्मण के अभाव में क्षत्रिय, क्षत्रिय के अभाव में वैश्यों की नियुक्ति करनी चाहिये । और राजा को गुणवान (योग्य) शूद्रों की नियुक्ति उक्तपदों पर नहीं ही करनी चाहिये ।

भागब्राह्मी क्षत्रियस्तु साहसधिपतिश्च सः ।

ग्रामपो ब्राह्मणो योज्यः कायस्थो लेखकस्तथा ॥ ४३१ ॥

शुक्रब्राह्मी तु वैश्यो हि प्रतिहारश्च पादजः ।

सेनाधिपः क्षत्रियस्तु ब्राह्मणस्तदभावतः ॥ ४३२ ॥

भागब्राह्मी और साहसधिपति आदि पद के लिये क्षत्रियादि रखने का निर्देश—और कर (मालगुजारी) वसूल करनेवाले तथा शासन कार्य करनेवाले लोगों के पद पर क्षत्रिय, ग्रामाध्यक्ष पद पर ब्राह्मण नियुक्त करना चाहिये । और लेखक पद पर कायस्थ, शुक्र (चुगी आदि) वसूल करने के लिये वैश्य, द्वारपाल पद पर शूद्र और सेनापति पद पर क्षत्रिय उसके अभाव में ब्राह्मण नियुक्त करना चाहिये ।

न वैश्यो न च वै शूद्रः कातरश्च कदाचन ।

सेनापतिः शूर एव योग्य सर्वासु जातिषु ॥ ४३३ ॥

सेनापति पद पर शूरमात्र को रखने का निर्देश—और कभी वैश्य, शूद्र या कायस्थ सेनापति नहीं बनाना चाहिये क्योंकि सभी जातियों में जो शूर होता है वही सेनापति पद पर नियुक्त होता है ।

ससङ्करचतुर्वर्णधर्मोऽयं नैव पावनः ।

यस्य वर्णस्य यो राजा स वर्णः मुखमेधते ॥ ४३४ ॥

संकीर्ण जातियों के सहित चारों (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र) वर्णों का यह धर्म है । किन्तु यवनों का नहीं है । अर्थात् उत्तरीति से अधिकारी वर्णों की नियुक्ति में जाति का विचार यवनों में नहीं है और जिस जाति का राजा है उस जाति के लोग उसके राज्य में सुखी होते हैं ।

नोपकृत मन्यते स्म न तुष्यति सुसेवनैः ।

कथान्तरे न स्मरति शङ्कते प्रलपत्यपि ॥ ३३५ ॥

क्षुब्धस्त्वनोति मर्माणि तं नृप भूतकस्त्यजेत् ।

भृत्य क लिये त्यागने योग्य राजा के लक्षण—जो किसी के उपकार को

नहीं मानता है और जो अच्छी से अच्छी सेवा करने पर भी नहीं संतुष्ट होता है । एवं बात-चीत के प्रसङ्ग में श्रुत्य का कभी स्मरण नहीं करता है प्रत्युत उस पर डाढ़ा करता है एवं वृथा बात-चीत करता है और लुभित होकर मर्मवेधी वाक्य बोलता है, ऐसे राजा को श्रुत्य छोड़ दे (उसकी नोकरी न करे) ।


लक्षणं युवराजादेः श्रुत्यमुक्तं समाप्तः ॥ ४३६ ॥

इति शुक्रनीतौ युवराजादिलक्षणं नाम द्वितीयोऽध्यायः समाप्तः ।

इस प्रकार से युवराजादि का लक्षण तथा कृत्य संक्षेप से कहा गया ।

इति शुक्रनीति-भाषानुवाद में युवराजादि-लक्षण नामक
द्वितीय अध्याय समाप्त ।





तृतीयोऽध्यायः

अथ साधारणं नीतिशास्त्रं सर्वेषु चोच्यते ।

सुखार्थाः सर्वभूतानां मताः सर्वाः प्रवृत्तयः ॥ १ ॥

सबों के सुख के अर्थ प्रवृत्ति का निर्देश—अब युवराजादि के लक्षणादि का निरूपण करने के बाद राजा-प्रजा सभी लोगों के लिये नीति शास्त्र का वर्णन करते हैं । सभी प्राणियों को किसी भी कार्य करने की जितनी प्रवृत्तियाँ हैं वे सभी भास्मसुख के लिये होती हैं ।

सुखं च न विना धर्मात्तस्माद्धर्मपरो भवेत् ।

त्रिवर्गशून्यं नारम्भं भजेत्तं चाविरोधयन् ॥ २ ॥

अनुयायात्प्रतिपदं सर्वधर्मेषु मध्यमः ।

धर्म के विना सुख न मिलने का निर्देश—धर्म के विना सुखानहीं होता है अतः धर्म में तत्पर होना चाहिये । धर्म, अर्थ, काम इनके वर्ग को 'त्रिवर्ग' कहते हैं । इससे शून्य किसी कार्य को न करे । उक्त त्रिवर्ग के विरोध को बचाते हुये मध्यवर्ती होकर सभी कार्यों में प्रतिपद पर त्रिवर्ग का अनुसरण करे अर्थात् त्रिवर्ग का पालन न छोड़े ।

नीचरोमनखरमश्रुनिर्मलांग्रिमलायनः ॥ ३ ॥

स्नानशीलः सुसुरभिः सुवेशोऽनुत्बणोज्ज्वलः ।

धारयेत्सततं रत्नसिद्धमन्त्रमहौपधीः ॥ ४ ॥

सर्व-साधारण के लिये विहिताचरण का निर्देश—रोम (बाल)-दाढ़ी-मूढ़ तथा नखों को नीच (छोटे २ अर्थात् बड़े हुये नहीं) एवं पैर तथा कान, नाक, आँख, मुख आदि को स्वच्छ किये हुये, स्नान किये हुये, सुगन्धित इत्र आदि लगाये हुये, अनुदत्त तथा उज्ज्वल सुन्दर वेश बनाये हुये, रत्न, सिद्ध मन्त्र एवं महौपधियों को निरन्तर धारण करना चाहिये ।

सातपत्रपदत्राणो विचरेद्युगमात्रटक् ।

निशि चात्ययिके कार्ये दण्डी भौली सहायवान् ॥ ५ ॥

छाता तथा जूता धारण किये हुये, युग (बैल आदि को रथ में जोतने के समय उनके कन्धों पर रखनेवाला काष्ठ) के बराबर दूरी पर दृष्टि रख कर मार्ग चलना चाहिये । रात्रि में किसी दुर्घटनावश यदि घर से निकलना पड़े तो हाथ में दण्ड लेकर तथा सिर पर पगड़ी बांध कर एवं साथ में किसी सहायक का लेना उचित है ।

न वेगितोऽन्यकार्यः स्यान्न वेगानीरयेद् बलात् ।

भक्त्या कल्याणमित्राणि सवेतेतरदूरगः ॥ ६ ॥

निपिद्धाचरणो का निर्देश—मल-मूत्रादि का वेग रोके हुये, किसी कार्य के करने में तत्पर न हो, और उक्त वेगों को बलपूर्वक न रोके तथा इतर (दुर्जनादि) से दूर रहकर वक्ष्याणकारी कार्य और मित्रों का भक्तिपूर्वक सेवन करे।

हिसास्तेयान्यथाकाम—पैशुन्यं परुषानृतम् ।

सम्भिन्नालापव्यापादममिध्याहृग्विपर्ययम् ॥ ७ ॥

पापकर्मैति दशधा कायवाङ्मानसैस्त्यजेत् ।

दशविध पापों का निर्देश—हिसा (किसी की हत्या या कष्ट पहुँचाना), स्तेय (चोरी), अन्यथाकाम (अवैध रीति से मैथुन), पैशुन्य (जुगलखोरी), निष्टुर भाषण, झूठा व्यवहार, भेदयुक्त बातों से दिल को तोड़ना, अविनय (अशिष्टता), नारितकता, अवैध आचरण ये १० प्रकार के पाप कर्म हैं। इन्हें शरीर, वाणी तथा मन से छोड़ देना उचित है।

धर्मकार्यं यत्सु शक्त्या नो चेत् प्राप्नोति मानवः ॥ ८ ॥

प्राप्तो भवति तत्पुण्यमत्र वै नास्ति संशयः ।

यदि मनुष्य यथाशक्ति प्रयत्न करने पर भी धर्मकार्य का फल (बीच में बिम्ब होने से) नहीं प्राप्त करता है तो वह इस संसार में दूसरे किसी समय में अवश्य उस पुण्यकार्य के फल को प्राप्त करता है—इसमें कोई संदेह नहीं है।

मनसा चिन्तयन् पापं कर्मणा नाभिरोचयेत् ॥ ९ ॥

तत् प्राप्नोति फलं तस्येत्येव धर्मविदो विदुः ।

'मनसे पाप-कर्म की चिन्ता करता हुआ भी मनुष्य कभी उसे कार्य रूप में परिणत करने की इच्छा न करे। क्योंकि पापकर्म करने पर उसके फल को वह अवश्य पाता है' ऐसा धर्म के जाननेवाले पण्डितजन कहते हैं।

अवृत्तिव्याधि-शोकार्ताननुवर्तेत शक्तिः ॥ १० ॥

आत्मवत् सततं परयेदपि कीटपिपीलिकम् ।

दरिद्री आदिकों का रक्षण करने का निर्देश—जीविका से रहित तथा व्याधि या शोक से आर्त्तलोगों की यथाशक्ति सहायता पहुँचाकर उपकार करना चाहिये एवं कीड़े तथा चींटियों तक के भी सुख दुःखादि को अपनी ही भाँति समझना चाहिये।

उपकारप्रधानः स्यादुपकारपरेऽप्यरौ ॥ ११ ॥

संपद्विपत्स्वेकमना हेतावीर्षेत् फले न तु ।

अपने साथ उपकार करने में तत्पर शत्रु के साथ भी प्रधान रूप से

उपकार ही करना चाहिये । और संपत्ति (अभ्युदय) तथा विपत्ति पड़ने पर दोनों में एकसी मन की दशा रखनी चाहिये एवं किसी उन्नतिविषयक कारणों के विषय में ही करने की इच्छा रखनी चाहिये । उन्नति रूप फल के विषय में कभी इच्छा नहीं करनी चाहिये अर्थात् यदि कोई धनी हुआ तो इसकी ईर्ष्या करनी चाहिये कि 'मैं भी वैसा क्यों न उद्योग करूं कि धनी बन जाऊं' किन्तु धन के साथ इच्छा करना अनुचित है ।

काले हितं मितं ब्रूयादविसंवादि पेशलम् ॥ १२ ॥

पूर्वाभिभाषी सुमुखः सुशीलः करुणामृदुः ।

समय पर हित और मित वचन कहने का निर्देश—अहङ्कार-शून्य होकर पहले स्वयं वार्तालाप करना चाहिये । सुख की मुद्रा अच्छी रखनी चाहिये । सुशील तथा करुणा से कोमल चित्त होना चाहिये । और योग्यकाल उपस्थित होने पर थोड़े शब्दों में, सुसज्जत (ऊटपटाह नहीं) और मधुर वचन बोलना चाहिये ।

नैकः सुखी न सर्वत्र विस्त्रय्यो न च शङ्कितः ॥ १३ ॥

अट्टेले सुखों का उपभोगादि करने का निषेध—अट्टेले सुखों का उपभोग नहीं करना चाहिये । सर्वत्र विश्वास या शङ्का रखना उचित नहीं है अर्थात् जो उसके योग्य हों उन पर विश्वास या शंका रखना उचित है ।

न कश्चिदात्मनः शत्रुं नात्मानं कस्यचिद्रिपुम् ।

प्रकाशयेन्नापमानं न च निःस्नेहतां प्रभोः ॥ १४ ॥

अपने अपमान को प्रकाशित न करने का निषेध—किसी को अपना शत्रु होकर भी दूसरे को नहीं बताना चाहिये तथा अपने स्वामी का अपने ऊपर किया हुआ अपमान तथा स्नेह का अभाव यदि हो तो उसे भी किसी से प्रकाशित नहीं करना चाहिये ।

जनस्याशयमालक्ष्य यो यथा परितुष्यति ।

तं तथैवानुवर्तेत पराराधनपण्डितः ॥ १५ ॥

पराराधन-पण्डितों के व्यवहार का निर्देश—दूसरे को खुश रखने में निपुण शक्ति को चाहिये कि वह लोगों के भावों को समझकर तदनुसार जो जैसे खुश हो उसके साथ वैसा व्यवहार करे ।

न पीडयेदिन्द्रियाणि न चैतान्यतिलालयेत् ।

इन्द्रियाणि प्रमाधीति हरन्ति प्रसभं मनः ॥ १६ ॥

इन्द्रियों को वन में रखने का निर्देश—चञ्चु आदि इन्द्रियों को उनके विषयों से बलपूर्वक अलग रख कर अधिक पीड़ित नहीं एवं विषयों में अधिक आसक्ति रख कर लालित भी नहीं करना चाहिये अर्थात् नियमपूर्वक रहकर समभाव

से विषय भोग करना चाहिये । और इन्द्रियां यदि अधिक प्रबल हो जायें तो वे जबरदस्ती मन को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैं अत एव इनका सदा दमन करते रहना उचित है ।

एणो गजः पतङ्गश्च भृङ्गो मीनस्तु पञ्चमः ।

शब्दस्पर्शरूपगन्धरसैरेते हताः खलु ॥ १७ ॥

इन्द्रियों को वश में न रखने से अनर्थ का निर्देश—हरिण, हस्ती, फतरिङ्गे (पांखी), भौरे, मछलियां ये पांचों क्रम से शब्द, स्पर्श, रूप, गन्ध तथा रस इन पांचों विषयों का उपभोग करने से निश्चय मारे जाते हैं, जैसे हरिण-स्वर युक्त सुन्दर गान सुनने में फंसकर नहीं भागता हुआ व्याध से मारा जाता है । हस्ती—हस्तिनी के स्पर्श करने में आसक्त होने से नहीं भागता हुआ बझानेवाले से पकड़ा जाता है । पतङ्ग (फतरिङ्गा)—दीपक की शिखा का सुन्दर रूप देखने से उन्मत्त होकर उसी पर गिर जाने से मर जाता है । भृङ्ग—गन्ध के लोभ से कमल के संकुचित होने पर उसी के पत्तों के अन्दर बन्द हो जाता है । मास्य—मांस के रस का आस्वाद लेने में फंस कर कांटा चुभ जाने से तड़फड़ा कर मर जाता है ।

एषु स्पर्शो वरस्त्रीणां स्वान्तहारी मुनेरपि ।

अतोऽप्रमत्तः सेवेत विषयांस्तु यथोचितान् ॥ १८ ॥

मात्रा स्वस्त्रा दुहित्रा वा नात्यन्तैकान्तिकं वसेत् ।

स्त्रियों के स्पर्श की भी अनर्थकारिता का निर्देश—इन शब्दादि विषयों में से उत्तम सुन्दरियों का स्पर्श सत्-असत् का विचार करनेवाले मुनियों के भी मन को हरण करनेवाला होता है । अतः असावधानी न रखते हुये यथोचित रीति से उक्त विषयों का सेवन करना चाहिये क्योंकि अधिक सेवन से विनाश होता है । और माता, बहन या लड़की के साथ भी अधिकतर एकान्त स्थान में नहीं रहना चाहिये ।

यथासम्बन्धमाहूयादाभाष्याश्वास्य वै स्त्रियम् ॥ १९ ॥

स्वीयां तु परकीयां वा सुभगे भगिनीति च ।

स्त्रियों के प्रति सम्बोधन-प्रकार—और अपने या दूसरे के संपर्क की स्त्री को सम्बन्धानुसार हे सुभगे ! वा हे भगिनि ! इत्यादि रूप से पुकारकर आश्वासन देते हुये बुलाना चाहिये ।

सहवासोऽन्यपुरुषैः प्रकाशमपि भाषणम् ॥ २० ॥

स्वातन्त्र्यं न क्षणमपि ह्यावासोऽन्यगृहे तथा ।

एक क्षण भी स्त्रियों के स्वातन्त्र्य का निषेध—अन्य पुरुषों के साथ अधिक सहवास रखना या प्रकाश रूप से (सामने होकर) भी बात चीत करना,

एष भर के लिये भी स्वतन्त्रता देना या दूसरे के घर में निवास करने देना, ये सब स्त्रियों के लिये दोष हैं अतः इन से दूर रचना उचित है।

भर्त्रा पिताऽथवा राज्ञा पुत्रश्चशुरबान्धवैः ॥ २१ ॥

स्त्रीणां नैव तु देयः स्याद् गृहकृत्यैर्विना श्रमः।

पति, पिता, राजा, पुत्र, शशुर, बान्धव इन सबों के लिये उचित है कि वे गृहकृत्यों के अतिरिक्त अन्य कार्यों के लिये थोड़ा भी समय कुसंस्त का स्त्रियों को नहीं ही देवे।

चण्डं पण्डं दण्डशीलमकामं सुप्रवासिनम् ॥ २२ ॥

सुदरिद्रं रोगिणं च ह्यन्यस्त्रीनिरतं सदा।

पति दृष्ट्वा विरक्त्य स्यान्नारी याऽन्यं समाश्रयेत् ॥ २३ ॥

त्यक्स्वेतान् दुर्गुणान् यत्नात्ततो रक्ष्याः स्त्रियो नरैः।

यत्नपूर्वक स्त्रियों की रक्षा करने का निर्देश—चण्ड (अत्यन्त क्रोधी), पण्ड (नर्पुंसक), सदा दण्ड देनेवाले, अनुराग-रहित, अविक्रमवास में रहनेवाले (पत्नी से अलग विदेश में रहनेवाले), अत्यन्त दरिद्र, रोगी, सदा पर स्त्री में आसक्त रहनेवाले अपने पति को देखकर स्त्री विरक्त हो जाती है अथवा अन्य पुरुष का आश्रय पश्य लेती है अतः इन दुर्गुणों को यत्नपूर्वक छोड़कर अनुभ्यों को सदा स्त्रियों की रक्षा करनी चाहिये।

वस्त्रान्नभूषणं प्रेममृदुवाग्भिश्च शक्तिः ॥ २४ ॥

स्वास्थ्यन्तसन्निकर्षणं स्त्रियं पुत्रं च रक्षयेत्।

वस्त्र, अन्न, आभूषण, प्रेम तथा मृदु वचनों से यथाशक्ति व्यवहार करते हुये अपने अत्यन्त समीप में रखकर स्त्री तथा पुत्र की रक्षा करे।

चैत्यपूज्यध्वजाशस्तच्छायाभस्मतुषागुचीन् ॥ २५ ॥

नाक्रान्तेच्छर्करालोष्टबलिस्नानभुञ्जीप च।

चैत्यादिकों के लंघन का निषेध—चैत्य (रास्ते के देवाधिष्ठित वृक्ष विशेष), गुरुजन, पताका, अप्रदास्त वस्तुओं की छाया, भस्म, भूमि, अपवित्र-वस्तु, बालू (कंकरीली भूमि), डेला, बलि (पूजा द्रव्य) तथा स्नानभूमि इनका उल्लङ्घन करना उचित नहीं है।

नदीं तरेन्न बाहुभ्यां नाग्निं स्कग्न्मभिप्रजेत् ॥ २६ ॥

सन्दिग्धनावं वृक्षं च नारोहेद् दुष्टयानवत्।

तैर कर नदी को पार आदि करने का निषेध—बाहुओं से तैर कर नदी को नहीं पार करना चाहिये। ढकी हुई अग्नि को पैर से नहीं मसलना चाहिये पाठान्तर में अग्नि की राशि की तरफ नहीं जाना चाहिये। पार ले जाने में समर्थ है या नहीं ऐसी सन्देहयुक्त नौका पर और चढ़ने पर भार

संभाल सकता है या नहीं ऐसे सन्देहयुक्त वृष पर एवं दुष्ट घोड़े आदि वाहन पर नहीं चढ़ना चाहिये ।

नासिकां न विकृष्णीयान्नाकस्माद्विलिखेद् भुवम् ॥ २७ ॥

न संहृताभ्यां पाणिभ्यां कण्ठुयेदात्मनः शिरः ।

नाक को अंगुली से नहीं कुरेदना चाहिये अर्थात् उससे नासानल नहीं निकालना चाहिये । अङ्गनात् पृथ्वी पर रेखा आदि नहीं खींचना चाहिये अथवा लोदना नहीं चाहिये । और धरने सिर को दोनों हाथों से एक साथ नहीं खुरलाना चाहिये ।

नाङ्गैरचेष्टेत विगुणं नासीतोत्कटुकश्चिरम् ॥ २८ ॥

देइवाक्चेतसां चेष्टाः प्राक् भनाद् विनिवर्त्तयेत् ।

अङ्गों को टेढ़ा-मेढ़ा करके चेष्टा नहीं करे, कठिन आसन पर देर तक एक आसन से नहीं बैठना चाहिये । देह, बानी तथा मन के व्यापार को धन होने के पहले ही बन्द कर देना चाहिये अर्थात् थकावट जब तक न हो तभी-तक कार्य करना चाहिये ।

नोर्ध्वत्रानुश्चिरं तिष्ठेन्नक्तं सेवेत न द्रुमम् ॥ २९ ॥

तथा चत्वरचैत्यं न चतुष्पथसुरालयान् ।

शून्याटवीशून्यगृह्मशानानि दिवापि न ॥ ३० ॥

देरतक उकरू बैठने, रात्रि में वृष पर चढ़ने आदि का निषेध—ऊपर जानु करके (उकरू) देर तक नहीं बैठना चाहिये । रात्रि में पेड़ के तले नहीं रहना चाहिये एवं किसी देवता के चबूतरे या वृष, चौराहा तथा देवमन्दिर में रात्रिनिवास नहीं करना चाहिये और शून्य अङ्गल या गृह और शनसान में दिन में भी नहीं रहना चाहिये, रात्रि में तो नहीं ही रहना चाहिये ।

सर्वयेचेत नादित्यं न भारं शिरसा बहेत् ।

नेचेत सततं सूदनं दीप्तानेष्वाप्रियाणि च ॥ ३१ ॥

सूर्य को निरन्तर देखने का निषेध—किसी भी प्रकार से देर तक सूर्य की तरफ नहीं देखना चाहिये और सिर से बोझा नहीं उठाना चाहिये । निरन्तर सूदन, आयन्त चमक से युक्त, अपवित्र या अशुभ वस्तुओं को देर-तक नहीं देखना चाहिये ।

सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्रीस्वप्नाध्ययनचिन्तनम् ।

मद्यविक्रयसन्धानदानादानानि नाचरेत् ॥ ३२ ॥

सन्ध्या समय में भोजनादि का निषेध—सन्ध्या समय में भोजन, स्त्री-प्रसङ्ग, सोना, पढ़ना या किसी विषय की चिन्ता करना, नष्ट का बेचना, खजाना, देना या लेना ये सब कार्य नहीं करना चाहिये ।

आचार्यः सर्वचेष्टासु लोक एव हि धीमतः ।

अनुकुर्यात् तमेवातो लौकिकार्थे परीक्षकः ॥ ३३ ॥

व्यवहार में लोक की आचार्यता का कथन—बुद्धिमान जनका प्रत्येक व्यवहार के लिये लोक (जनसमाज) ही आचार्य (उपदेष्टा) है । अतः विवेचना पूर्ण कार्य करनेवालों के लिये यही उचित है कि वह लौकिक कार्यों में लोक का ही अनुसरण करे ।

राजदेशकुलज्ञातिसद्धर्मान् नैव दूषयेत् ।

शक्तोऽपि लौकिकाचारं मनसापि न लङ्घयेत् ॥ ३४ ॥

राजादिगत धर्म में दोष लगाने का निषेध—राजा, देश, कुल, ज्ञाति और सज्जन इनके जो भी धर्म हैं उनको दोष न लगावे अर्थात् उसकी निन्दा न करे । सामर्थ्य रहते हुये भी लौकिक आचारों का मन से भी उल्लङ्घन न करे ।

अयुक्तं यत् कृतं चोक्तं न बलाद्धेतुनोद्धरेत् ।

दुर्गुणस्य च वच्चारः प्रत्यक्षं विरला जनाः ॥ ३५ ॥

आग्रहपूर्वक भाषण का निषेध—किसी से जो अनुचित रूप से किया या कहा गया हो उसे जबरदस्ती या मिथ्या कारण दिखाकर उचित नहीं सिद्ध करना चाहिये । संसार में किसी के सामने उसके दुर्गुणों को कहनेवाले विरले ही लोग होते हैं ।

लोकतः शास्त्रतो ज्ञात्वा ह्यतस्त्याज्यांस्त्यजेत् सुधीः ।

अनयं नयसंकाशं मनसापि न चिन्तयेत् ॥ ३६ ॥

इसलिये लोक तथा शास्त्र से त्याज्य विपर्यो को जानकर बुद्धिमान व्यक्ति को उन्हें छोड़ देना चाहिये । 'अनीति नीति के समान है' इसकी मनसे भी कल्पना नहीं करनी चाहिये ।

अयं सहस्रापराधी किमेकेन भवेन्मम ।

मत्वा नाघं स्मरेदीपद्बिन्दुना पूर्यते घटः ॥ ३७ ॥

किंचित् भी पाप का स्मरण करने का निषेध—'यह दूसरा व्यक्ति तो हजारों अपराधों से भरा हुआ है फिर यदि मेरे में एक दोष है तो उससे क्या बिगड़ सकता है' ऐसा समझ कर थोड़े से भी पाप का चिन्तन नहीं करना चाहिये क्योंकि जैसे बिन्दु-बिन्दु से घड़ा भर जाता है वैसे थोड़ा २ पापचिन्तन से वह व्यक्ति भी पाप से भर जाता है ।

नक्तं दिनानि मे यान्ति कथम्भूतस्य सम्प्रति ।

दुःखभाग् न भवेदेवं नित्यं सन्निहितस्मृतिः ॥ ३८ ॥

अच्छे का ग्रहण एवं बुरे के त्याग का निर्देश—इस समय प्रतिदिन किस

रंग से मेरे दिन या रात्रि म्यतीत हो रहे हैं—इस तरह से जो नित्य अपने-भले-या बुरे कर्मों का स्मरण (रूयाल) रखता है वह बुरा का त्याग एवं अच्छे का ग्रहण करने से कभी दुःखी नहीं होता है ।

समास-अग्रहृद्देत्वादि-कृतेच्छार्थं विहाय च ।

स्तुत्यर्थवादान् संत्यज्य सारं संगृह्य यत्नतः ॥ ३६ ॥

धर्मतत्त्वं हि गहनमतः सत्सेवितं नरः ।

श्रुतिस्मृतिपुराणानां कर्म कुर्याद्विचक्षणः ॥ ४० ॥

सार को यत्नपूर्वक ग्रहण करने का निर्देश—विद्वान् मनुष्य श्रुति-स्मृति तथा पुराणों के वचनों में समास (तत्पुरुष-बहुव्रीहि आदि से पद की एकता) करने से किंवा विशिष्ट तर्क करने से या हेतु आदि दिखलाने से इच्छानुरूप अर्थ तथा प्रशंसापरक अर्थवाद को छोड़कर और यत्नपूर्वक उनके सारभाग को ग्रहण कर सज्जनों से सेवित गहन धर्म-तत्त्व समझ कर तदनुकूल कर्म को करे ।

न गोपयेद्वासयेच्च राजा मित्रं सुतं गुरुम् ।

अधर्मनिरतं स्तेनमाततायिनमप्युत ॥ ४१ ॥

अधर्म रत-मित्र-पुत्रादि को राज्य से निकाल देने का निर्देश—राजा अधर्म में निरत मित्र, पुत्र या गुरु की पूर्ण चोर या भ्रातृतापी की रक्षा न करे और न उन्हें अपने राज्य में रहने दे ।

अग्निदो गरुश्चैव शस्त्रोन्मत्तो धनापहः ।

क्षेत्रदारहरश्चैतान् पट् विद्यादाततायिनः ॥ ४२ ॥

भातताइयों के लक्षण—अग्नि लगानेवाला, विष देनेवाला, शस्त्र से उन्मत्त होकर मारने के लिये उद्यत, धन लूटनेवाला, खेत तथा स्त्री को छीनने-वाला इन ६ व्यक्तियों को 'भाततायी' समझना चाहिये ।

नोपेक्षेत क्षियं बालं रोगं दासं पशुं धनम् ।

विद्याभ्यासं क्षणमपि सत्सेवां बुद्धिमान्नरः ॥ ४३ ॥

एक क्षण भी स्त्री आदि की उपेक्षा न करने का निर्देश—स्त्री, बालक, रोग, दास, पशु, धन, विद्याभ्यास, सज्जन (साधु) पुरुषों की सेवा इन सबों के विषय में क्षणभर भी उपेक्षा नहीं रखनी चाहिये । सदा इनका ध्यान रखना चाहिये ।

विरुद्धो यत्र नृपतिर्धनिकः श्रोत्रियो भिषक् ।

आचारश्च तथा देशो न तत्र दिवसं वसेत् ॥ ४४ ॥

विरुद्ध राजादिक जहाँ हों वहाँ एक दिन भी रहने का निषेध—जिस

देश में राजा, धनी, वेद का ज्ञाता ब्राह्मण, वैद्य, आचार और देश अपने से विरुद्ध प्रतीत हों वहां पर एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिये ।

नपुंसकश्च स्त्री बालश्चण्डो मूर्खश्च साहसी ।

यत्राधिकारिणश्चैते न तत्र दिवसं वसेत् ॥ ४५ ॥

जिस राज्य में नपुंसक (मेहरा), स्त्री, बालक, अत्यन्त क्रोधी, मूर्ख वा साहसी (सहसा बिना विचारे कार्य करनेवाला) इनमें से कोई भी अधिकारी वर्ग का हो, वहां पर एक दिन भी नहीं ठहरना चाहिये ।

अविवेकी यत्र राजा सभ्या यत्र तु पाक्षिकाः ।

सन्मार्गोऽभिन्नविद्वांसः साक्षिणोऽनृतवादिनः ॥ ४६ ॥

दुरात्मनां च प्राबल्यं स्त्रीणां नीचजनस्य च ।

यत्र नेच्छेद्धनं मानं वसति तत्र जीवितम् ॥ ४७ ॥

अविवेकी राजादिक से घनादि की इच्छा करने का निषेध—जहां पर राजा विवेक करनेवाला न हो और राजसभा के मभासद्-गण पक्षपात रखनेवाले हों, सदाचार से हीन पण्डित लोग हों, साक्षीगण (गवाही देनेवाले लोग) झूठ बोलनेवाले हों और जहां दुष्टों, स्त्रियों एवं नीचजनों की प्रबलता हो वहां पर रहने से 'धन, इज्जत, रहने के लिये स्थान और जीवन इनकी रक्षा होगी' इसकी इच्छा भी न करे अर्थात् कदवाण नहीं है अतः वहां रहना अनुचित है ।

माता न पालयेद्बाल्ये पिता साधु न शिक्षयेत् ।

राजा यदि हरेद्वित्तं का तत्र परिदेवना ॥ ४८ ॥

मात्रादिक के पालनादि न करने पर शोक न करने का निर्देश—यदि बाल्यकाल में माता पालन एवं पिता अच्छी प्रकार से शिक्षा न दिलावे और राजा होकर यदि प्रजा का धन हरण करे तो इसमें खेद करना वृथा है । अर्थात् ऐसी स्थिति में बालक या प्रजा का अपना कोई दोष नहीं है अतः खेद व्यर्थ ही होता है ।

सुसेविताः प्रकृष्यन्ति मित्रस्वजनपार्थिवाः ।

गृहमग्न्यशनिहतं का तत्र परिदेवना ॥ ४९ ॥

मित्र, स्वजन तथा राजा इनकी भलीभांति सेवा करने पर भी यदि ये कुपित हों और गृह अग्नि से या विजुली गिरने से नष्ट हो जाय तो अपना कोई वश न होने से खेद करना वृथा है ।

आप्तवाक्यमनादृत्य दर्पणाचरितं यदि ।

फलितं विपरीतं तत् का तत्र परिदेवना ॥ ५० ॥

और यदि किसी ने विश्वस्त या हितैषी योग्य व्यक्ति के बात को अहंकार-वश टालकर कोई कार्य करता है और उसका विपरीत (बुरा) फल पाता है, तो उस पर उसका खेद करना बृथा है।

सावधानमना नित्यं राजानं देवतां गुरुम् ।

अग्निं तपस्विनं धर्मज्ञानवृद्धं सुसेवयेत् ॥ ५१ ॥

सावधानी से राजादि की सेवा करने का निर्देश—सावधान-चित्त होकर राजा, देवता, गुरु, अग्नि, तपस्वी एवं धर्म या ज्ञान में वृद्ध (बड़े) लोगों की निष्पक्ष अक्षुब्ध तरह से सेवा करनी चाहिये।

मातृपितृगुरुस्वामिभ्रातृपुत्रसखिष्वपि ।

न विरुष्येन्नापकुर्यान्मनसाऽपि क्षणं क्वचित् ॥ ५२ ॥

माता आदि के साथ विरोधादि करने का निषेध—माता, पिता, गुरु, स्वामी, भाई, पुत्र तथा मित्र इन सबों का घृण भर के लिये मन से भी कभी विरोध या अपकार नहीं करना चाहिये।

स्वजनैर्न विरुद्धयेत न स्पर्धेत बलीयसा ।

न कुर्यात् स्त्रीबालवृद्धमूर्खेषु च विवादनम् ॥ ५३ ॥

स्वजनादि से विरोधादि एवं स्त्री आदि से विवाद का निषेध—स्वजनों के साथ विरोध, बलवान के साथ स्पर्धा (बराबरी का दावा) एवं स्त्री, बालक, वृद्ध या मूर्ख के साथ विवाद कभी नहीं करना चाहिये।

एकः स्वादु न भुञ्जीत एकोऽर्थात्र विचिन्तयेत् ।

एको न गच्छेद्दधानं नैकः सुप्तेषु जागृयात् ॥ ५४ ॥

अकेला स्वादिष्ट भोजनादि का निषेध—अकेले स्वादिष्ट भोजन नहीं करना चाहिये, अकेले किसी कार्य के विषय में विचार नहीं करना चाहिये, अकेले मार्ग नहीं चलना चाहिये, और सोये हुये लोगों के बीच में अकेले नहीं जागना चाहिये।

नान्यधर्मं हि रुवेत न द्रुष्ट्वा द्वै कदाचन ।

हीनकर्मगुणैः स्त्रीभिर्नासीतैकासने क्वचित् ॥ ५५ ॥

अन्य धर्म के सेवन का निषेध—और कभी भी दूसरे धर्म को स्वीकार या उसका द्रोह नहीं करना चाहिये। और कभी हीन कर्म या गुण वाले बुर्जनों एवं स्त्रियों के साथ एक आसन पर नहीं बैठना चाहिये।

पङ्दीपाः पुरुषेणैह हातव्या भूतिमिच्छता ।

निद्रा तन्द्रा भयं क्रोध आलस्यं दीर्घसूत्रता ॥ ५६ ॥

प्रभवन्ति विघाताय कार्यस्यैते न संशयः ।

रथाज्य निद्रादि दोषों का निर्देश—इस संसार में १. निद्रा (दिन में या

अधिक सोना), २. तन्द्रा (अर्द्धनिद्रित अवस्था), ३. भय, ४. क्रोध, ५. आलस्य, ६. दीर्घ सूत्रता (थोड़े समय में पूर्ण होने योग्य कार्य को देरी लगाकर करना) इन ६ दोषों को पेश्वर्य चाहनेवाले व्यक्ति त्याग कर दें । क्योंकि ये सब दोष कार्य नष्ट करने के लिये समर्थ होते हैं, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।

उपायज्ञश्च योगज्ञस्तत्त्वज्ञः प्रतिभानवान् ॥ ५७ ॥

स्वधर्मनिरतो नित्यं परस्त्रीषु पराङ्मुखः ।

वक्तोर्हवांश्चित्रकथः स्यादकुण्ठितवाक् सदा ॥ ५८ ॥

मनुष्य को कौन सा कार्य करना और कौन सा छोड़ना चाहिये इसका निर्देश—प्रत्येक कार्य करने का उपाय और कौशल का जाननेवाला, तत्त्व विषय का ज्ञाता, प्रतिभाशाली, नित्य अपने धर्म में रत एवं परस्त्री से दूर रहनेवाला, वक्ता (बोलने में चतुर), तर्क करनेवाला, नाना प्रकार की मधुर बातें करनेवाला एवं बोलने में कुण्ठित नहीं होनेवाला सदा होना चाहिये ।

चिरं संश्रुणुयान्नित्यं जानीयात्क्षिप्रमेव च ।

विज्ञाय प्रभजेदर्थान्न कामं प्रभजेत् क्वचित् ॥ ५९ ॥

नित्य देर तक बातें सुननी चाहिये अर्थात् पूरी बातें सुननी चाहिये एवं शीघ्र कहनेवालों की बातें समझनी चाहिये । समझकर किसी कार्य को करना चाहिये और कभी मनमानी नहीं करनी चाहिये ।

ऋयविक्रयातिलिप्सां स्वदन्यं दर्शयेन्नहि ।

कार्यं विनाऽन्यगेहे न नाज्ञातः प्रविशेदपि ॥ ६० ॥

किसी वस्तु के खरीदने या बेचने में अत्यन्त आग्रह एवं हर किसी के सामने अपनी दीनता नहीं प्रकट करनी चाहिये क्योंकि इनसे क्रम से लाभ में हानि तथा लघुता होती है । विना प्रयोजन एवं विना ज्ञान पहचान के स्वयं किसी दूसरे के गृह के अन्दर नहीं घुसना चाहिये ।

अपृष्टो नैव कथयेद् गृहकृत्यं तुं कं प्रति ।

बह्वर्थात्पाक्षरं कुर्यात् सँज्ञापं कार्यसाधकम् ॥ ६१ ॥

विना पूछे किसी से कुछ कहने का निषेध—विना पूछे किसी से अपने घर के कार्य या बातों को नहीं बताना चाहिये । बहुत अर्थों से भरा हुआ एवं थोड़े अक्षरों (शब्दों) से युक्त, कार्य को सिद्ध करनेवाला (मतलब की) सुन्दर वार्त्तालाप करना चाहिये ।

न दर्शयेत् स्वाभिमतमनुभूताद्विना सदा ।

ज्ञात्वा परमतं सम्यक् तेनाज्ञातोत्तरं वदेत् ॥ ६२ ॥

विना अनुभव के स्वाभिप्राय प्रकट करने का निषेध—विना अनुभव किये

हुये किसी विषय में अपना विचार सदा प्रकट नहीं करना चाहिये । और दूसरे के अभिप्राय को भलीभांति समझकर उससे अज्ञात उत्तर देना चाहिये ।

दम्पत्योः कलहे साध्यं न कुर्यात् पितृपुत्रयोः ।

सुगुप्तः कृत्यमन्त्रः स्यान्न त्यजेच्छ्रवणागतम् ॥ ६३ ॥

दम्पती आदि के बीच में किसी की साधी न देने का निर्देश—स्त्री-पुरुष या पिता-पुत्र की आपसी झगड़े में किसी के तरफ से साधी (गवाही) नहीं देनी चाहिये । अपने कार्य तथा विचार को गुप्त रखना चाहिये अर्थात् बिना कार्य पूर्ण हुये प्रकाशित नहीं करना चाहिये । शरण में आये हुये विपत्ति-ग्रस्त का त्याग नहीं करना चाहिये ।

यथाशक्ति चिकीर्षेत्तु कुर्यान्मुहोच्च नापदि ।

कस्यचिन्न स्पृशेन्मर्म मिध्यावादां न कस्यचित् ॥ ६४ ॥

आपत्ति में विचलित होने एवं मर्मवेधी बातें करने का निषेध—यथाशक्ति प्रत्येक कार्य करने की इच्छा करनी चाहिये । और कार्य करते हुये आपत्ति पड़ने पर विचलित नहीं होना चाहिये । किसी से मर्मवेधी (हृदय में चुभनेवाली) बातें नहीं करनी चाहिये एवं किसी के संबन्ध में या किसी से झूठी बातें नहीं करनी चाहिये ।

नाशलीलं कीर्तयेत् कश्चित् प्रलापं न च कारयेत् ।

अश्लील बातें आदि करने का निषेध—अश्लील (घृणा-लज्जादिवोधक) बातें नहीं करनी चाहिये एवं कोई अनर्थक वचन नहीं बोलना चाहिये ।

अस्वर्ग्यं स्याद्दुर्म्यमपि लोकविद्वेषितं तु यत् ॥ ६५ ॥

स्वहेतुभिर्न हन्येत कस्य वाक्यं कदाचन ।

प्रविचार्योत्तरं देयं सहसा न वदेत् कश्चित् ॥ ६६ ॥

लोकनिन्दित आदि कार्य करने का निषेध—जो कार्य लोक में निन्दित होता है वह यदि धर्मयुक्त भी हो तो नरक में ले जानेवाला होता है अतः उसे नहीं करना चाहिये । अपने कारण से किसी की बात को न काटे । खूब विचार करके उत्तर देना चाहिये और सहसा कभी नहीं बोलना चाहिये ।

रात्रोरपि गुणा प्राह्या गुरोस्त्याज्यास्तु दुर्गुणाः ।

शत्रु के भी गुणों को प्रहण करने का निर्देश—शत्रुओं के भी गुणों को प्रहण करना चाहिये या उनका अभिनन्दन करना चाहिये । और गुरुजनों के भी दुर्गुणों को छोड़ देना चाहिये ।

उत्कर्षो नैव नित्यः स्यान्नापकर्षस्तथैव च ॥ ६७ ॥

प्राक्कर्मवशतो नित्यं सधनो निर्धनो भवेत् ।

तस्मात् सर्वेषु भूतेषु मैत्री नैव च हापयेत् ॥ ६८ ॥

प्रारब्धवश धनी-निर्धन होने का निर्देश—उत्कर्ष (सुख की अवस्था) या अपकर्ष (दुःखावस्था) नित्य नहीं बना रहता है । प्राक्तन कर्मवश मनुष्य धनवान या निर्धन सदा होता है । अतः एक ही अवस्था सदा न रहने से सभी प्राणियों में मैत्रीभाव (सुख-से सुखी-दुःख से दुःखी होना) रखना न छोड़े ऐसा करने से सभी लोग सन्तुष्ट रहकर दुःख नहीं पहुँचायेंगे ।

दीर्घदर्शी सदा च स्यात् प्रत्युत्पन्नमतिः क्वचित् ।

साहसी सालसी चैव चिरकारी भवेन्न हि ॥ ६९ ॥

दीर्घदर्शी के लक्षण—सदा दूर तक सोचनेवाला तथा क्वचित् समयानुसार तत्काल कर्त्तव्य स्थिर करनेवाला होना चाहिये, और सहसा कार्य करनेवाला, आलसी तथा देरी से धीरे-धीरे कार्य समाप्त करनेवाला नहीं होना चाहिये ।

यः सुदुर्निष्फलं कर्म ज्ञात्वा कर्तुं व्यवस्यति ।

द्रागादौ दीर्घदर्शी स्यात् स चिरं सुखमश्नुते ॥ ७० ॥

जो व्यक्ति किसी कार्य के अशुद्ध-बुरे फल या निष्फलता को विचार कर तदनुसार कार्य करने की चेष्टा करता है और जो कार्य करने के प्रथम शीघ्र ही दूर तक उसके परिणाम (फल) को जाननेवाला होना है वह चिरकाल तक सुख भोगता है । अतः दीर्घदर्शी होना उचित है ।

प्रत्युत्पन्नमतिः प्राप्तां क्रियां कर्तुं व्यवस्यति ।

सिद्धि सांशयिकी तत्र चापल्यात् कार्यगौरवात् ॥ ७१ ॥

प्रत्युत्पन्नमति के लक्षण—जो प्रत्युत्पन्नमति (समयानुसार सूझवाला) व्यक्ति तत्काल में उपस्थित कार्य करने की चेष्टा करता है उसके कार्य में अल्पाङ्गी तथा कार्य की गुरुता से सिद्धि के विषय में सन्देह बना रहता है अर्थात् वह कार्य हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है ।

यतते नैव कालेऽपि क्रिया कर्तुं च सालसः ।

न सिद्धिस्तस्य कुत्रापि स नश्यति च सान्वयः ॥ ७२ ॥

आलसी मनुष्य के लक्षण—जो आलसी होता है वह समय उपस्थित होने पर भी करने योग्य कार्य के करने में प्रयत्नशील नहीं होता है, उसके कार्य की सिद्धि कभी भी नहीं होती है और वह बंश-सहित या साथी-सहित नष्ट हो जाता है ।

क्रियाफलमविज्ञाय यतते साहसी च सः ।

दुःखभागी भवत्येव क्रियया तत्फलेन वा ॥ ७३ ॥

साहसी के लक्षण व दोष—जो साहसी व्यक्ति क्रिया के फल का विना विचार किये हुये सहसा (एकाएक) कार्य करने का प्रयत्न करता है वह क्रिया या उसके फल के कारण से केवल दुःखभागी ही होता है ।

महत्कालेनाल्पकर्म चिरकारी करोति च ।

स शोचत्यल्पफलतो दीर्घदर्शी भवेदतः ॥ ७४ ॥

चिरकारी मनुष्य के लक्षण—जो चिरकारी (देरी तक कार्य करनेवाला) होता है वह थोड़े से कार्य को बहुत देर में धीरे २ करता हुआ समाप्त करता है वह थोड़ा फल होने से अनुताप करता है अतः दीर्घदर्शी (दूर तक परिणाम पर करनेवाली) होना चाहिये ।

सुफलं तु भवेत्कर्म कदाचित् सहसाकृतम् ।

निष्फलं वापि प्रभवेत् कदाचित् सुविचारितम् ॥ ७५ ॥

तथापि नैव कुर्वीत सहसानर्थकारि तत् ।

कदाचिदपि सञ्जातमकार्योद्दिष्टसाधनम् ॥ ७६ ॥

यदनिष्टं तु सत्कार्यान्नाकार्यप्रेरकं हि तत् ।

सहसा कार्य करने का निषेध—सहसा किया हुआ भी कर्म कभी २ सुन्दर फल देनेवाला हो जाता है कभी २ भलीभांति विचार कर भी किया हुआ कर्म निष्फल हो जाता है । तथापि (कदाचित् कार्य सफलता होने पर भी) सहसा (बिना विचारे एकाएक) कार्य नहीं करना चाहिये, क्योंकि वह अनर्थ पैदा करनेवाला होता है । और कदाचित् अकार्य (नहीं करने योग्य कार्य) से भी जो दृष्टसिद्धि होती है और सत् (अच्छे) कार्य से जो अनिष्ट फल होता है, इससे वह अकार्य को करने के लिये प्रेरणा करनेवाला नहीं हो सकता है ।

भृत्यो भ्राताऽपि वा पुत्रः पत्नी कुर्यान्न चैव यत् ॥ ७७ ॥

विधास्यन्ति च मित्राणि तत्कार्यमविशङ्कितम् ।

मित्र की विशेषता—भृत्य, भाई, पुत्र और पत्नी भी जिस कार्य को पूर्ण नहीं कर सकते, उसीको उसके मित्र-गण निःसन्देह पूर्ण कर देते हैं ।

यो हि मित्रमविज्ञाय याथातध्येन मन्दधीः ॥ ७८ ॥

मित्रार्थे योजयत्येनं तस्य सोऽर्थोऽवसीदति ।

बिना समझे किसी को मित्र बनाने का निषेध—जो मन्दबुद्धि यथार्थ रूप से मित्र के भीतरी (अच्छे-बुरे) भाव को बिना समझे मित्रता के लिये उसे नियुक्त करता है उसका वह मैत्रीरूप अर्थ नष्ट हो जाता है ।

न हि मानसिको धर्मः कस्यचिज्ज्ञायतेऽञ्जसा ॥ ७९ ॥

अतो यतेत तत्प्राप्त्यै मित्रलब्धिर्वरा नृणाम् ।

मित्र की प्राप्ति के लिये यत्न करने का निर्देश—किसी के मानसिक भाव को वस्तुतः नहीं जाना जा सकता है । इससे उसकी (अच्छे मित्र की) प्राप्ति

के लिये प्रयत्न करना चाहिये। क्योंकि मनुष्यों के लिये मित्र का पाना उत्तम घात है।

नात्यन्तं विश्वसेतु कश्चिद् विश्वस्तमपि सर्वदा ॥ ८० ॥

पुत्रं वा भ्रातरं भार्याममात्यमधिकारिणम् ।

धनस्त्रीराज्यज्ञोभो हि सर्वेषामधिको यतः ॥ ८१ ॥

विश्वस्त का भी अत्यन्त विश्वास करने का निषेध—सर्वदा विश्वासपात्र किसी भी व्यक्ति का यहां तक पुत्र, भाई, स्त्री, अमात्य या अधिकारी पुरुष का भी अत्यन्त विश्वास नहीं करना चाहिये। क्योंकि सभी लोगों को धन, स्त्री तथा राज्य का लोभ अधिक रूप से होता है।

प्रामाणिकं चानुभूतमाप्त सर्वत्र विश्वसेतु ।

प्रामाणिकादि का विश्वास करने का निर्देश—अतः विश्वस्त रूप से प्रामाणिक, सुपरिचित एवं हितैषी लोगों का सर्वत्र विश्वास करना चाहिये।

विश्वसित्वात्सद्यद्गूढस्तत्कार्यं विमृशेत् स्वयम् ॥ ८२ ॥

तद्वाक्यं तर्कतोऽनर्थं विपरीतं न चिन्तयेत् ।

परीक्षा करके विश्वस्त मानने का निर्देश—अपने समान विश्वास करके भी छिपकर उस (विश्वासपात्र) के कार्यों की परीक्षा करे। और परीक्षा करने के बाद वस्तुतः विश्वासपात्र इनकलने पर उसके वाक्यों में तर्क से अनर्थ होने से विरुद्ध जैसा विचार न करे अर्थात् उसके वचनों को निःसन्देह सर्वतोभावेन मान ले।

चतुःपष्टितमांशं तन्नाशितं क्षमयेदथ ॥ ८३ ॥

स्वधर्मनीतिबलवांस्तेन मैत्री प्रधारयेत् ।

और यदि उक्त विश्वासपात्र व्यक्ति के द्वारा कार्य का १४ वां भाग (यत्किञ्चित् भाग) नष्ट हो जाय तो भी उसे क्षमा कर दे (उसका विचार न करे) और वह अपने धर्म तथा नीति में बलवान है अतः उसके साथ मैत्री रखे।

दानैर्मानैश्च सत्कारैः सुपुङ्गवान् पूजयेत् सदा ॥ ८४ ॥

दान, मान और सेवा से अत्यन्त पूज्यों की सदा पूजा करे।

कदापि नोप्रदण्डः स्यात् कटुभाषणतत्परः ।

भार्या पुत्रोऽप्युद्विजते कटुवाक्यादुप्रदण्डतः ॥ ८५ ॥

उग्र दण्ड और कटु वचन का निषेध—कभी भी उग्र दण्ड देनेवाला एवं कटु-भाषण करने में तत्पर नहीं होना चाहिये, क्योंकि स्त्री तथा पुत्र भी कटु-भाषण करने एवं उग्र दण्ड करने से उद्विग्न हो उठते हैं।

पशवोऽपि वशं यान्ति दानैश्च मृदुभाषणैः ।

और पशु भी चारा देने एवं पुचकार कर बुलाने से बश में हो जाते हैं । फिर मनुष्यों के विषय में क्या कहना है ? ।

न विद्यया न शौर्येण धनेनाभिजनेन च ॥ ८६ ॥

न बलेन प्रमत्तः स्यात्प्रातिमानी कदाचन ।

विद्यादिकों से प्रमत्त होने का निषेध—विद्या, शूरता, धन, कुल और बल के मद से मतवाला एवं अत्यन्त मानी कभी नहीं होना चाहिये ।

नातोपदेशं संवेत्ति विद्यामत्तः स्वहेतुभिः ॥ ८७ ॥

अनर्थमप्यभिप्रेतं मन्यते परमार्थवत् ।

महाजनैर्धृतः पन्था येन संत्यज्यते बलात् ॥ ८८ ॥

विद्यामत्तता के अनर्थकारी फल—विद्या के मद से उन्मत्त पुरुष अपने तर्कों से धास (परमहितैषी) जनों के उपदेश-वचनों को कुछ भी नहीं समझता है और अनर्थकारी भी अपने अमीष्ट विचार को परमार्थ-युक्त (उचित कर्तव्य) समझता है । और जिससे वह अच्छे, पुरुषों से स्वीकृत मार्ग का भी हठात् परिष्याग कर देता है ।

शौर्यमत्तस्तु सहसा युद्धं कृत्वा जहात्यसून् ।

व्यूहादियुद्धकौशल्यं तिरस्कृत्य च शात्रवान् ॥ ८९ ॥

शौर्यमत्तता के अनर्थकारी फल—और जो व्यक्ति शूरता से मत्त होता है वह सहसा (बिना विचारे) शत्रुओं को धारण किये हुये व्यूह-रचना आदि युद्धसंबन्धी कौशल का भी तिरस्कार करके युद्ध करता हुआ अपने प्राणों का परिष्याग कर देता है ।

श्रीमत्तः पुरुषो वेत्ति न दुष्कीर्तिमजो यथा ।

स्वमूत्रगन्धं मूत्रेण मुखमासिञ्चते स्वकम् ॥ ९० ॥

धनमत्त पुरुष की स्थिति का वर्णन—जैसे बकरा अपने मूत्र के गन्ध को नहीं जानता है वरिष्ठ उसी मूत्र से अपने मुख को सींचता रहता है उसी भाँति धन के मद से मत्त पुरुष अपने मुख को दुष्कीर्ति से नीचे ढरवाता है तो भी दुष्कीर्ति का नहीं क्याल करता है ।

तथाभिजनमत्तस्तु " सर्वानेवावमन्यते ।

श्रेष्ठानपीतरान्सम्यगकार्ये कुरुते मतिम् ॥ ९१ ॥

कुलीनता के मद से मत्त की स्थिति का वर्णन—तथा कुलीनता के मद से मत्त पुरुष श्रेष्ठ तथा नीच सभी लोगों का तिरस्कार करता रहता है । और नहीं करने योग्य बुरे कार्यों में अपनी बुद्धि अच्छी तरह से करता है अर्थात् बुरे कार्य करने का विचार रखता है और सदा करता भी है ।

बलमत्तस्तु सहसा युद्धे विदधते मनः ।

बलेन बाधते सर्वानश्वादीनपि ह्यन्यथा ॥ ६२ ॥

बलमत्त की स्थिति का वर्णन—बल के मद से मत्त पुरुष एकाएक विना समक्ष वृक्षे युद्ध करने में मन लगाता है, और मनके बिरुद्ध चलने पर अपने बल से सबों को कष्ट पहुँचाता है यहां तक अश्वदियों को भी पीड़ित करता है ।

मानमत्तो मन्यतेस्म तृणवञ्चाखिलं जगत् ।

अनर्होपि च सर्वेभ्यस्त्वत्यर्घासनमिच्छति ॥ ६३ ॥

मानमत्त की स्थिति का वर्णन—अभिमान से मतवाला पुरुष सम्पूर्ण जगत् के लोगों को तृण के समान तुच्छ सस्रता है और स्वयं अयोग्य होकर भी सबों से अधिक श्रेष्ठ आसन पाने की इच्छा करता है ।

मदा एतेऽवलिप्तानां सतामेते दमाः स्मृताः ।

विद्यादि से सज्जनों को विनयी बनने का निर्देश—गर्वयुक्त लोगों के लिये ही पूर्वोक्त विद्या, शौर्य आदि ये सब मद (उन्मत्त बनानेवाले) होते हैं किन्तु सज्जनों के लिये ये ही दम (विनय लानेवाले) होते हैं ।

विद्यायाश्च फलं ज्ञानं विनयश्च फलं श्रियः ॥ ९४ ॥

यज्ञदाने बलफलं सद्रक्षणमुदाहृतम् ।

विद्यादिकों के फल—जैसे विद्या का फल ज्ञान और विनय है । लक्ष्मी (धन) का फल यज्ञ तथा दान करना है । बल का फल सज्जनों की रक्षा करना कहा है ।

नामिताः शत्रवः शौर्यफलं च करदीकृताः ॥ ९५ ॥

शमो दमश्चार्जवं चाभिजनस्य फलं त्विदम् ।

मानस्य तु फलं चैतत्सर्वे स्वसदृशा इति ॥ ६६ ॥

शूरतादि के फलों का निर्देश—शूरता का फल शत्रुओं को सिर टुकवाना तथा उनको कर देनेवाली प्रजा बनाना है । और अभिजन (कुलीनता) का फल यह है कि मनको शान्त रखना, इन्द्रियों का दमन करना एवं सरलता रखना । मान का फल तो यह है कि—सब को अपने सदृश संमान-योग्य समझना ।

सुविद्यामन्त्रभैषज्यस्त्रीरत्नं दुष्कुलादपि ।

गृहीयात् सुप्रयत्नेन मानमुत्सृज्य साधकः ॥ ९७ ॥

सुन्दर विद्यादि को नीच से भी ग्रहण करने का निर्देश—अपने कार्य को सिद्ध करनेवाला पुरुष अपने गौरव को त्यागकर अत्यन्त प्रयत्न के साथ सुन्दर विद्या, मन्त्र, औषध तथा स्त्रीरत्न (उत्तम गुणयुक्त सुन्दर स्त्री) यदि नीच-कुलवाले के पास हो तो भी उसे ग्रहण करे ।

उपेक्षेत प्रनष्टं यत्प्राप्तं यत्तदुपाहरेत् ।

न बालं न स्त्रियं चातिलालयेत्ताडयेन्न च ॥ ६८ ॥

विद्याभ्यासे गृह्यकृत्ये तावुभौ योजयेत्कमात् ।

नष्टवस्तु की उपेक्षा करने का निर्देश—जो वस्तु नष्ट हो गई हो उसकी उपेक्षा कर दे और जो उपस्थित हुई हो उसे ग्रहण करे। तथा बालक या स्त्री का अत्यन्त लाड-प्यार करना या अधिक ताडन करना उचित नहीं है। बल्कि उन (बालक तथा स्त्री) को क्रम से विद्याभ्यास तथा गृह-संबन्धी कार्यों में नियुक्त करना उचित है।

परद्रव्यं क्षुद्रमपि नादत्तं स हरेदणु ॥ ६९ ॥

नोच्चारयेदधं कस्य स्त्रियं नैव च दूषयेत् ।

परद्रव्यहरणादि का निषेध—बिना दिये तुच्छ भी दूसरे के द्रव्य (वस्तु) को न ग्रहण करे और दूसरे के छोटे भी पाप को किसी से या पापकर्ता से न कहे। और किसी स्त्री को दूषित न करे या दोष न लगावे।

न ब्रूयादनृतं साक्ष्यं कृतं साक्ष्यं न लोपयेत् ॥ १०० ॥

प्राणात्ययेऽनृतं ब्रूयात् सुमहत्कार्यसाधने ।

प्राणनाशादि की संभावनामें झूठ बोलने का निर्देश—झूठी गवाही न दे और वी हुई गवाही से पलट न जावे। और जब बहुत बड़ा कार्य सिद्ध करना हो या प्राण-सङ्कट उपस्थित हो तभी झूठ बोले अन्यथा झूठ न बोले।

कन्यादात्रे तु ह्यधनं दस्यवे सधनं नरम् ॥ १०१ ॥

गुप्तं जिघांसवे नैव विज्ञातमपि दर्शयेत् ।

जानकर भी कभी कन्या देनेवाले को 'तुम्हारा यह जामाता (दामाद) दरिद्र है' तथा डाकू को 'यह धनी है' एवं मारनेवाले को 'यह यहाँ मारने के भय से छिपा हुआ है' ऐसा किसी भी व्यक्ति के बारे में न कहे।

जायापत्योश्च पित्रोश्च भ्रात्रोश्च स्वामिभृत्ययोः ॥ १०२ ॥

भगिन्योर्मित्रयोर्भेदं न कुर्याद् गुरुशिष्ययोः ।

स्त्री-पुरुषादि में भेद डालने का निषेध—स्त्री-पुरुष, माता-पिता, भाई-भाई, स्वामी-भृत्य, बहिन-बहिन, मित्र-मित्र, गुरु-शिष्य इन सबों के बीच परस्पर भेद न डलावे।

न मध्याद् गमनं भाषाशालिनोः स्थितयोरपि ॥ १०३ ॥

सुहृदं भ्रातरं बन्धुमुपचर्यात् सदात्मवत् ।

वार्त्ता करते हुये पुरुषों के बीच जाने का निषेध—और परस्पर बात-चीत करते हुये दो व्यक्तियों के बीच में से न निकले। और मित्र, भाई, बन्धु (स्वजन), इन सबों के साथ सदा अपने समान व्यवहार करना चाहिये।

गृहागतं क्षुद्रमपि यथाहं पूजयेत् सदा ॥ १०४ ॥

तदीयकुशलप्रश्नैः शक्त्या दानैर्जलादिभिः ।

अपने गृह में आये हुये किसी भी तुच्छ व्यक्ति का उसके साथ कुशल-प्रश्न पूछने से तथा यथाशक्ति उसे जलादि देने से यथायोग्य आदर-संमान करना चाहिये ।

सपुत्रस्तु गृहे कन्यां सपुत्रां वासयेन्नहि ॥ १०५ ॥

सभर्तृकां च भगिनीमनाथे ते तु पालयेत् ।

सपुत्र के लिये सपुत्र कन्या आदि को लाकर गृह में बसाने का निषेध— जिसके पुत्र हो वह अपने गृह में पुत्रयुक्ता कन्या एवं पतियुक्ता बहन को लाकर सदा के लिये न रखे क्योंकि इससे कलह होने की संभावना रहती है और यदि कन्या तथा बहन अनाथ अवस्था में हों तो अवश्य लाकर उनका पालन करना चाहिये ।

सर्पोऽग्निर्दुर्जनो राजा जामाता भगिनीसुतः ॥ १०६ ॥

रोगः शत्रुर्नावमान्योऽप्यल्प इत्युपचारितः ।

सर्पादि को तुच्छ समझकर अपमान करने का निषेध—सर्प, अग्नि, दुर्जन, राजा, जामाता (दामाद), भानजा, रोग, शत्रु वे सब छोटे अर्थात् बालक या हीन हैं इस क्याल से कभी उनका तिरस्कार या उपेक्षा नहीं करनी चाहिये ।

क्रौर्यात्तैद्ययाद् दुःस्वभावात् स्वामित्वात् पुत्रिकाभयात् ॥१०७॥

स्वपूर्वजपिण्डदन्वाद् वृद्धिभीत्या उपाचरेत् ।

ऋणशेषं रोगशेषं शत्रुशेषं न रक्षयेत् ॥ १०८ ॥

सर्पादि से संभल कर व्यवहार करने का तथा ऋणादिका समूह नाश करने का निर्देश—किन्तु क्रूर होने से सर्प से, तीक्ष्ण होने से अग्नि से, दुष्ट स्वभाव होने से दुर्जन से, स्वामी होने से राजा से, कन्या को बलेश पहुँचाने के भय से जामाता से, अपने पूर्वजों को पिण्ड देनेवाला होने से भानजा से, बढ़ जाने से रोग से, भय होने से शत्रु से संभल कर ऐसा व्यवहार करना चाहिये जिससे वे हानि न पहुँचा सकें । और ऋण, रोग तथा शत्रु इनका शेष नहीं रखना चाहिये अर्थात् इन्हें समूल नष्ट कर देना चाहिये ।

याचकाद्यैः प्रार्थितः सन्न तीक्ष्णं चोत्तरं वदेत् ।

तत्कार्यं तु समर्थश्चेत् कुर्याद्वा कारयित् च ॥ १०९ ॥

याचकादि के साथ व्यवहार का प्रकार—याचक आदि से प्रार्थना किये जाने (मांगने) पर तीक्ष्ण उत्तर नहीं देना चाहिये । और यदि सामर्थ्य हो तो स्वयं उसके कार्य को कर दे या दूसरे से करा दे ।

दातृणां धार्मिकाणां च शूराणां कीर्तनं सदा ।

शृणुयात्तु प्रयत्नेन तच्छिद्रं नैव लक्षयेन् ॥ ११० ॥

दाता आदि की कीर्ति सुनने का निर्देश—दाता, धार्मिक और शूर पुरुषों का गुण-कीर्तन (प्रशंसा) सदा प्रयत्नपूर्वक सुनना चाहिये, और इन सबों के दोष की तरफ ध्यान नहीं देना चाहिये ।

काले हितमिताहारविहारी विघसाशनः ।

अदीनात्मा च सुस्वप्नः शुचिः स्यात्सर्वदा नरः ॥ १११ ॥

समय आदि पर परिमित भोजन आदि करने का निर्देश—मनुष्यों को सदा समय पर हितकर तथा उचित मात्रा के साथ आहार तथा विहार, देवादि को भोग लगाकर प्रसाद-भोजन, अकातर-स्वभाव, अच्छी तरह से सोना तथा शरीर एवं मन से पवित्र रहना । इन सब विषयों को सदा करना चाहिये ।

कुर्याद्विहारमाहारं निर्हारं विजने सदा ।

व्यवसायी सदा च स्यात् सुखं व्यायाममभ्यसेत् ॥ ११२ ॥

स्त्री-संभोगादि का एकान्त में करने का निर्देश—और सदा स्त्री-संभोग, भोजन तथा मल-मूत्रादि का त्याग एकान्त में करना चाहिये । एवं सदा उद्योग करने में निरत रहना और सुखपूर्वक व्यायाम (कसरत) करना चाहिये ।

अन्नं न निन्द्यात् सुस्वस्थः स्वीकुर्यात् प्रीतिभोजनम् ।

आहारं प्रवरं विद्यात् पद्मसं मधुरोत्तरम् ॥ ११३ ॥

मधुरादि पद्मस अन्न को प्रीतिपूर्वक भोजन का निर्देश—अन्न की निन्दा नहीं करनी चाहिये एवं स्वस्थ रहने पर किसी के द्वारा आमन्त्रित प्रीतिभोज में भोजन करना स्वीकार करना चाहिये । तिक्त, कटु, अम्ल, लवण, कषाय (कसैला), मधुर इन ६ रसों से युक्त एवं प्रधान रूप से मधुरान्न (मिठाई) युक्त जो भोजन होता है उसे सर्वोत्तम समझना चाहिये ।

विहारं चैव स्वस्त्रीभिर्वेश्याभिर्न कदाचन ।

नियुद्धं कुशलैः सार्धं व्यायामं नतिभिर्वरम् ॥ ११४ ॥

स्व-स्त्री के साथ विहार करने का निर्देश—और अपनी स्त्री के साथ विहार करना उचित है वेश्याओं के साथ कदापि नहीं उचित है । और निपुण (मञ्जु-विद्या में निपुण) लोगों के साथ प्रणत होकर कुरती लवना उत्तम व्यायाम है अतः इसे करना चाहिये ।

दित्वा प्राक्पश्चिमी यामौ निशि स्वापो वरो मतः ।

दीनान्धपङ्कुबधिरा नोपहास्याः कदाचन ॥ ११५ ॥

रात्रि में सोने के समय का एवं दीनादिक उपहास के निषेध का निर्देश—रात्रि में प्रथम तथा चतुर्थ प्रहरों को छोड़कर मध्य के द्वितीय तथा तृतीय प्रहरों में सोना उत्तम होता है । दीन, अन्धा, पङ्कु तथा बहुरा ऐसे लोगों का कभी उपहास (हंसी) नहीं करना चाहिये ।

नाकार्ये तु मतिं कुर्याद् द्राक्स्वकार्यं प्रसाधयेत् ।

उद्योगेन बलेनैव बुद्ध्या धैर्येण साहसात् ॥ ११६ ॥

पराक्रमेणार्जवेन मानमुत्सृज्य साधकः ।

कार्य-साधक के कृत्यों का वर्णन—करने के लिये अयोग्य कार्य के विषय में बुद्धि नहीं करनी चाहिये । और अपने कार्य को सिद्ध करनेवाले के लिये उचित है कि वह मान (गौरव) छोड़कर उद्योग, बल, बुद्धि, धैर्य, साहस, पराक्रम और सरलता के द्वारा यथासंभव शीघ्र अपने कार्य को सिद्ध करे ।

यदि सिद्धयति येनार्थः कलहेन वरस्तु सः ॥ ११७ ॥

अन्यथाऽऽयुर्धनसुहृद्यशःसुखहरः स्मृतः ।

यदि कलह करने से अपना कार्य सिद्ध हो तो वह कलह अच्छा कहलाता है अन्यथा (यदि कार्य सिद्ध न हो तो) वह कलह केवल आयु, धन, मित्र, यश तथा सुख को हरण करनेवाला कहा है ।

नानिष्टं प्रबदेत् कस्मिन्न चिच्छत्रं कस्य लक्षयेत् ॥ ११८ ॥

आज्ञाभङ्गस्तु महतां राज्ञः कार्यो न वै क्वचित् ।

दुर्वचन का एवं गुरुजनादि की आज्ञा के उल्लङ्घन का निषेध—किसी के लिये दुर्वचन न बहे और न किसी के छिद्र (दोष) को देखे । बड़े लोगों एवं राजा की आज्ञा का कभी उल्लङ्घन न करे ।

असत्कार्यनियोक्तारं गुरुं वापि प्रबोधयेत् ॥ ११९ ॥

नातिक्रामेदपि लघु क्वचित् सत्कार्यबोधकम् ।

असत् कार्य करानेवाले गुरु को भी बोध कराने का एवं छोटे के भी समुचित बात मानने का निर्देश—बुरे कार्य में नियुक्त करनेवाले गुरु को भी समझावे कि आपने यह अनुचित आज्ञा दी है अतः मैं नहीं करूँगा । और सत्कार्य का उपदेश करनेवाले छोटे लोगों के भी वचनों का कभी उल्लङ्घन नहीं करना चाहिये । अर्थात् उसे अवश्य करना चाहिये ।

कृत्वा स्वतन्त्रां तरुणीं स्त्रियं गच्छेन्न वै क्वचित् ॥ १२० ॥

स्त्रियो मूलमनर्थस्य तरुण्यः किं परैः सह ।

तरुणी स्त्री को स्वतन्त्र छोड़ कर जाने का निषेध—और अपनी तरुणी स्त्री को स्वतन्त्र नरके (इच्छानुसार रहने की आज्ञा देकर) अन्यत्र कहीं नहीं जाना चाहिये । क्योंकि पर पुरुषों के साथ रहने से साधारण भी स्त्रियाँ अनर्थ का कारण होती हैं फिर तरुणी स्त्रियों के विषय में क्या कहना है अर्थात् वे सबसे अधिक अनर्थ का कारण हैं ।

न प्रमाद्येन्मदद्रव्यैर्न विमुह्येत् कुसन्ततौ ॥ १२१ ॥

मद पैदा करनेवाले द्रव्यों से (भांग आदि अथवा पेरवर्य से) अधिक

मतवाला नहीं होना चाहिये । और नालायक सन्तान पर 'यह मेरा पुत्र है' ऐसी ममता नहीं करनी चाहिये ।

साध्वी भार्या पितृपत्नी माता बालः पिता स्नुषा ।
 अभर्तृकाऽनपत्या या साध्वी कन्या स्वसापि च ॥ १२२ ॥
 मातुलानी भ्रातृभार्या पितृमातृस्वसा तथा ।
 मातामहोऽनपत्यश्च गुरुश्चशुरमातुलाः ॥ १२३ ॥
 बालोऽपिता च दीहित्रो भ्राता च भगिनीसुतः ।
 एतेऽवश्यं पालनीयाः प्रयत्नेन स्वशक्तितः ॥ १२४ ॥
 अविभवेऽपि विभवे पितृमातृकुलं सुहृत् ।
 पत्न्याः कुलं दासदासीभृत्यवर्गाश्च पोषयेत् ॥ १२५ ॥
 विकलाङ्गान् प्रव्रजितान् दीनानाथांश्च पालयेत् ।

साध्वी भार्यादिका यत्नपूर्वक पालने का निर्देश—सुशीला स्त्री, विमाता, माता, अविवाहिता कन्या, पिता, पुत्रग्रधू, विना पति और पुत्र की कन्या या बहन, मामी, भाई की वधू, पिता की बहन (फूआ), माँ की बहन (मौसी), निःसन्तान नाना, गुरु, श्वशुर या मामा, विना पिता का पुत्र, लड़की का लड़का (नाती), भाई या भानजा इन सबों का धन न रहने पर भी यथाशक्ति यत्नपूर्वक अवश्य पालन करना चाहिये । और यदि धन हो तो पिता तथा माता के कुलवाले एवं मित्र, पत्नी के कुल (ससुराल) वाले, दास, दासी और भृत्य वर्गों का पालन-पोषण करना चाहिये और विकलाङ्ग (काने, लंगड़े आदि), संन्यासी, दीन और अनाथ लोगों का पालन करना चाहिये ।

कुटुम्बभरणार्थेषु यत्नवान्न भवेच्च यः ॥ १२६ ॥

तस्य सर्वगुणैः किन्तु जीवन्नेव मृतश्च सः ।

जीवन्मृत पुरुषों का निर्देश—जो कुटुम्ब-पालन के विषय में प्रयत्नशील नहीं होता है वह सर्वगुण-संपन्न होते हुये भी जीवित रहकर मरे हुये के समान है अर्थात् उसका जीवन व्यर्थ है ।

न कुटुम्बं भृतं येन नाशिताः शत्रवोपि न ॥ १२७ ॥

प्राप्तं सरक्षित नैव तस्य किं जीवितेन वै ।

जिमने कुटुम्ब का भरण-पोषण नहीं किया और शत्रुओं को नष्ट नहीं किया एवं प्राप्त वस्तु की भलीभाँति रक्षा नहीं की, उसके जीने से क्या अर्थात् उसका जीवन ब्रूया है ।

स्त्रीभिर्जितो ऋणी नित्यं सुदरिद्रश्च याचकः ॥ १२८ ॥

गुणहीनोऽर्थहीनः सन्न मृता एते सजीवकाः

जो खिपों के बशीभूत रहनेवाला, नित्य ऋण लेनेवाला, अत्यन्त दरिद्र, मांगनेवाला, गुण से होन और धन से रहित है, ऐसे लोग जीवित रहकर मरे हुये के तुल्य हैं ।

आयुर्वित्तं गृहच्छिद्रं मन्त्रमैथुनभेषजम् ॥ १२९ ॥

दानमानापमानं च नवेतानि सुगोपयेत् ।

गुप्त रखने योग्य बातों का निर्देश—आयु, धन, गृह के दोष, मन्त्र, मैथुन, औषध, दान, मान, अपमान इन ९ विषयों को अत्यन्त गुप्त रखना चाहिये (किसी से नहीं कहना चाहिये) ।

देशाटनं राजसभावेशनं शास्त्रचिन्तनम् ॥ १३० ॥

वेश्यादिदर्शनं विद्वन्मैत्री कुर्यादतन्द्रितः ।

देशाटनादि की कर्त्तव्यता—आलस्यरहित होकर देशभ्रमण, राजसभा में प्रवेश, शास्त्रों का चिन्तन, वेश्या आदि का दर्शन, विद्वानों के साथ मैत्री करना चाहिये ।

अनेकाश्च तथा धर्माः पदार्थाः परावो नराः ॥ १३१ ॥

देशाटनात् स्वानुभूताः प्रभवन्ति च पर्वताः ।

देशाटन के लाभ—इनमें से देशाटन करने से मनुष्यों को अनेक प्रकार के धर्म, पदार्थ, पशु, मनुष्य और पर्वतों का अनुभव साक्षात् प्राप्त होता है ।

कीदृशा राजपुरुषा न्यायान्यायं च कीदृशम् ॥ १३२ ॥

मिथ्याविवादिनः के च के वै सत्यविवादिनः ।

कीदृशी व्यवहारस्य प्रवृत्तिः शास्त्रलोकतः ॥ १३३ ॥

सभागमनशीलस्य तद्विज्ञानं प्रजायते ।

सभा में बैठने से लाभ का वर्णन—सभा में प्रवेश करने से मनुष्यों को राजपुरुष किस प्रकार के होते हैं ? न्याय-अन्याय कैसा होता है ? झूठा विवाद और सच्चा विवाद उपस्थित करनेवाले कैसे होते हैं ? शास्त्र और लोक के अनुसार ऋण देने आदि रूप विवाद-विषय का कैसा निर्णय होता है ? इत्यादि विषयों का विशिष्ट ज्ञान होता है ।

नाहङ्कारो च धर्मान्धः शास्त्राणां तत्त्वचिन्तनैः ॥ १३४ ॥

एकं शास्त्रमधीयानो न विन्द्यात् कार्यनिर्णयम् ।

स्याद्ब्रह्मागमसदर्शी व्यवहारो महानतः ॥ १३५ ॥

बुद्धिमानभ्यसेन्नित्यं बहुशास्त्राप्यतन्द्रितः ।

बहुत से शास्त्रों के अध्ययन के फल—बहुत से शास्त्रों के तत्त्वों का चिन्तन करने से अहङ्कार तथा धर्मान्धता से युक्त नहीं होना चाहिये । और एक शास्त्र का केवल अध्ययन करके किसी कार्य (तत्त्व) का निर्णय नहीं करना

चाहिये । क्योंकि बहुत शास्त्रों को जिसने अच्छी तरह से देखा है वही महान लौकिक व्यवहार का ज्ञाता हो सकता है अतः बुद्धिमान मनुष्य आलस्य-रहित होकर बहुत से शास्त्रों का निरर्थक अभ्यास करे ।

तदर्थं तु गृहीत्वापि तदधीना न जायते ॥ १३६ ॥

वेश्या तथाविधा वापि वशीकर्तुं नरं क्षमा ।

नेयात् कस्य वशं तद्वत् स्वाधीनं कारयेज्जगत् ॥ १३७ ॥

वेश्यादर्शन के फल—जैसे वेश्या किसी मनुष्य के धन को ग्रहण करके भी उसके अधीन नहीं हो जाती है और स्वयं अधीन न होते हुये भी उक्त मनुष्य को अपने वश में करने के लिये समर्थ होती है किन्तु स्वयं किसी के वश में नहीं होती है, वैसे ही जगत् के लोगों को अपने अधीन बनाये किन्तु स्वयं किसी के अधीन न हो । इसे वेश्या-दर्शन का फल समझना चाहिये ।

श्रुतिस्मृतिपुराणानामर्थविज्ञानमेव च ।

सहवासात्पण्डितानां बुद्धिः पण्डा प्रजायते ॥ १३८ ॥

पण्डितों के साथ मैत्री के फल—पण्डितों के साथ संगति करने से श्रुति, स्मृति तथा पुराणों के अर्थों का विशेष ज्ञान तथा सत्-असत् का विचार करनेवाली पण्डा बुद्धि होती है । यह विद्वन्मैत्री का फल है ।

देवपित्रतिथिभ्योऽन्नमदत्त्वा नाशनीयात् क्वचित् ।

आत्मार्थं यः पचेन्मोहान्तरकार्थं स जीवति ॥ १३९ ॥

अपने लिये केवल भोजन बनाकर खाने का निषेध—देवता, पितृमण तथा अतिथियों को बिना दिये कभी भोजन नहीं करना चाहिये, क्योंकि जो मोहवश केवल अपने लिये भोजन बनाता है और देवादि को बिना दिये भोजन करता है उसका जीवन नरक के लिये होता है ।

मार्गं गुरुभ्यो बलिने ठ्याधिताय शवाय च ।

राज्ञे श्रेष्ठाय व्रतिने यानगाय समुत्सृजेत् ॥ १४० ॥

गुरुजनादि के लिये मार्ग देने का निर्देश—गुरुजन, बलवान, रोगी, शव (मुर्दा ले जाने के लिये), राजा, माननीय व्यक्ति, व्रतधारी, वाहन (सवारी) पर चढ़े हुए, ऐसे लोगों को जाने के लिये स्वयं हटकर मार्ग दे देना चाहिये ।

शकटात्पञ्चहस्तं तु दशहस्तं तु वाजिनः ।

दूरतः शतहस्तं च तिष्ठेन्नागाद् वृषाद्दश ॥ १४१ ॥

शकटादिकों से दूर रहकर चलने का निर्देश—बैलगाड़ी आदि से ५ हाथ, घोड़े से १० हाथ, हाथी से १०० हाथ, बैल से १० हाथ की दूरी पर रहना चाहिये ।

शृङ्गिणां नखिनां चैव दंष्ट्रिणां दुर्जनस्य च ।

नदीनां वसती स्त्रीणां विश्वासं नैव कारयेत् ॥ १४२ ॥

शृङ्गी आदि का विश्वास करने का निषेध—सौंगवाले पशु-बैल आदि, नख से प्रहार करनेवाले भालू आदि, दाढ़ीवाले व्याघ्रादि, दुर्जन, नदी और स्त्री इनके समीप में रहने पर विश्वास नहीं करना चाहिये ।

खादन्न गच्छेद्भवानं न च हास्येन भाषणम् ।

शोकं न कुर्यान्नष्टस्य स्वकृतेरपि जल्पनम् ॥ १४३ ॥

गमनादि के निषेध के विषय—भोजन करते हुये रास्ता चलना, हंसते हुये बात करना, नष्ट हुई वस्तु या चीज़ी हुई बात या मरे हुये व्यक्ति के विषय में शोक करना, अपने किये हुये कार्य की स्वयं प्रशंसा रूप में वर्णन इन सबों को नहीं करना चाहिये ।

स्वशङ्कितानां सामीप्यं त्यजेद्वै नीचसेवनम् ।

सँल्लापं नैव शृणुयाद् गुप्तः कस्यापि सर्वदा ॥ १४४ ॥

अपने ऊपर शंका रखनेवालों तथा दुर्जनों के समीप में रहना एवं नीचों की सेवा त्याग देनी चाहिये । और सर्वदा छिपकर किसी की बातें नहीं सुननी चाहिये ।

उत्तमैरननुज्ञातं कार्यं नेच्छेच्च तैः सह ।

देवैः साकं सुधापानाद्राहोश्छिन्नं शिरो यतः ॥ १४५ ॥

बढ़ों की आज्ञा के बिना उनके साथ कार्य करने का निषेध—यदि श्रेष्ठ लोगों की अपने साथ कार्य करने की अनुमति न हो तो उनके साथ उस कार्य की करने की इच्छा न करे, क्योंकि देवताओं के साथ बिना अनुमति के अमृत-पान करने से राहु का शिर काटा गया ।

महतोऽसत्कृतमपि भवेत्तद् भूषणाय वै ।

विषपानं शिवस्यैव त्वन्येषां मृत्युकारकम् ॥ १४६ ॥

तेजस्वी क्षमते सर्वं भोक्तुं वह्निरिवानघः ।

निन्दित भी कार्यों का बढ़ों के लिये भूषण होने का निर्देश—सर्व साधारण के लिये प्रसिद्ध नहीं करने योग्य कार्य भी बड़े लोगों के लिये भूषण होता है । जैसे विषपान शिवजी के लिये ही भूषण हुआ किन्तु अन्यो के लिये वही मृत्यु का कारण होता है, क्योंकि निष्पाप तेजस्वी व्यक्ति अग्नि के समान सब कुछ भोजन करने के लिये समर्थ होता है ।

न सांमुख्ये गुरोः स्थेयं राज्ञः श्रेष्ठस्य कस्यचित् ॥ १४७ ॥

राजा मित्रमिति ज्ञात्वा न कार्यं मानसेप्सितम् ।

बिना अनुमति के श्रेष्ठ के संमुख बैठने का निषेध—गुरुजन, राजा या किसी

श्रेष्ठ व्यक्ति के संमुख विना अनुमति के नहीं बैठना चाहिये । और 'राजा हमारा मित्र है' यह समझ कर मनमाना कार्य नहीं करना चाहिये ।

नेच्छेन्मूर्खस्य स्वामित्वं दास्यमिच्छेन्महात्मनाम् ॥ १४८ ॥

विरोधं न ज्ञानलघदुर्विदग्धस्य रञ्जनम् ।

मूर्ख का स्वामी बनने की इच्छा का निषेध—मूर्ख जनका स्वामी बनने की इच्छा न करे किन्तु महान आत्मा (उच्च विचार) वालों का दास भी बनने की इच्छा करे अथवा मूर्खों का स्वामी या दास कुछ भी बनने की इच्छा न करे और महान्माओं के साथ विरोध करने की इच्छा न करे । एवं थोड़े से ज्ञान से ही अपने को बहुत बड़ा चतुर माननेवाले व्यक्ति को सुश करने की इच्छा न करे अथवा उन्हें विरुद्ध या सुश करने की इच्छा न करे ।

अत्यावश्यमनावश्यं क्रमात् कार्यं समाचरेत् ॥ १४९ ॥

प्राक्पश्चाद्द्राग्विलम्बेन प्राप्तं कार्यं तु बुद्धिमान् ।

आवश्यक कार्य को सर्वप्रथम करने का निर्देश—बुद्धिमान मनुष्यों को बहुत से कार्य होय में आ जाने पर उनमें से अत्यावश्यक और अनावश्यक कार्यों को छाटक कर क्रम से अत्यावश्यक कार्य को प्रथम एवं शीघ्रता से करना चाहिये और अनावश्यक को पीछे तथा बिलम्ब से करना चाहिये ।

पित्राङ्गप्तेनापि मातृवधरूपे सुपूजिता ॥ १५० ॥

धृता गोतमपुत्रेण ह्यकार्ये चिरकारिता ।

सुरे कार्य में देरी करने का निर्देश—और न करने योग्य सुरे कार्य के करने में देरी करना अत्यन्त उचित होता है जैसे इन्द्र के साथ व्यभिचार कराने के दोष से कुपित द्रुपे गोतम के द्वारा अपनी स्त्री अहल्या का वध करने की आज्ञा पाने पर भी उनके पुत्र शतानन्द का मातृवध में देरी करना उचित हुआ ।

प्रेम्णा समीपवासेन स्तुत्या नत्या च सेवया ॥ १५१ ॥

कौशल्येन कलाभिश्च कथाभिर्ज्ञानतोऽपि च ।

आदरेणार्जवेनैव शौर्याद्दानेन विद्याया ॥ १५२ ॥

प्रत्युत्थानाभिगमनैरानन्दस्मितभाषणैः ।

उपकारैः स्वाशयेन वशीकुर्याज्जगत् सदा ॥ १५३ ॥

जगत् को वश में करने के उपाय—सदा प्रेम, समीप में रहना, स्तुति, नमस्कार, सेवा, अतुरता, कलाओं (गाना-बजाना आदि ६४ प्रकार की), कथा कहना, ज्ञानोपदेश, आदर, सरलता, शूरता, दान, विद्या, सामने आने पर अपने आसन से उठना या आगे जाकर लिवालाना, आनन्द तथा मुस्कुराहट

के साथ वार्त्तालाप, उपकार, सुन्दर भाशय-प्रदर्शन, इन सबों के करने से जगत् को अपने वशीभूत करना चाहिये ।

एते वश्यकरोपाया दुर्जने निष्फलाः स्मृताः ।

तत्सन्निधि त्यजेत्प्राज्ञः शक्तस्तं दण्डतो जयेत् ॥ १५४ ॥

छलभूतैस्तु तद्रूपैरुपायैरेभिरेव वा ।

वश करने के उपायों की दुर्जनों के विषय में विफलता का निर्देश—किन्तु उपर्युक्त ये सभी वश करने के उपाय दुर्जनों के विषय में प्रयोग करने पर निष्फल सिद्ध होते हैं, अतः बुद्धिमानों को उनकी (दुर्जनों की) संगति छोड़ देनी चाहिये बल्कि यदि सामर्थ्य हो तो उन्हें दण्ड देकर अथवा बनावटो उक्त प्रेमादि रूप इन्हीं उपायों से वशीभूत करना चाहिये ।

श्रुतिस्मृतिपुराणानामभ्यास सर्वदा हितः ॥ १५५ ॥

साङ्गानां सोपवेदानां सकलानां नरस्य हि ।

वेदादि के अभ्यास की हितकारिता का निर्देश—मनुष्यों के लिये संपूर्ण शिक्षा, व्याकरण, कल्प, निरुक्त, छन्द, ज्योतिष इन ६ अङ्गों के सहित, ऋक्, यजुः, साम, अथर्व इन ४ वेदों एवं धनुर्वेदादि ४ उपवेदों, १८ मन्वादि स्मृतियों तथा १८ पुराणों का सर्वदा अभ्यास करना हितकर है ।

मृगयाक्षाः स्त्रियः पानं व्यसनानि नृणां सदा ॥ १५६ ॥

चत्वार्येतानि सन्त्यज्य युक्त्या संयोजयेत् क्वचित् ।

मनुष्यों के ४ व्यसनो का निर्देश—सदा मृगया (शिकार) और अह्न (जूभा) खेलना, स्त्री-संभोग करना, मद्यादि पीना, ये ४ मनुष्यों के लिये व्यसन कहे हुये हैं, इन्हें सदा करना त्याग कर कभी थोड़ा सा समय आने पर कर लेना उचित होता है अन्यथा नहीं ।

कूटेन व्यवहारं तु वृत्तिलोपं न कस्य चित् ॥ १५७ ॥

न कुर्याच्चिन्तयेत्कस्य मनसाप्यहितं क्वचित् ।

कूट व्यवहार का निषेध—किसी के साथ कपटपूर्ण व्यवहार या आजीविका की हानि नहीं करनी चाहिये, एवं कभी किसी का अहित भी मन से नहीं सोचना चाहिये (करना तो दूर रहा) ।

तत्कार्यं तु सुखं यस्माद्भवेत्त्रैकालिकं दृढम् ॥ १५८ ॥

मृते स्वर्गं जीवति च विन्द्यात्कीर्तिं दृढां शुभाम् ।

विहित कार्य करने का निर्देश—जिस कार्य के करने से इह लोक और पर लोक दोनों में स्थिर सुख मिले अर्थात् मरने पर स्वर्ग और जीवित रहने पर स्थिर तथा सुन्दर कीर्ति का लाभ हो उसी (कार्य) को करना चाहिये ।

जागर्ति च सचिन्तो य आधिष्ठ्याधिनिर्णीतः ॥ १५९ ॥

जारश्चोरो बलिद्विष्टो विषयी धनलोलुपः ।

कुसहायी कुनृपतिर्भिन्नामात्य-सुहृत्प्रजः ॥ १६० ॥

कुर्याद्यथा समीक्ष्यैतत् सुख स्वप्याच्छिचरं नरः ।

रात्रि में सुखपूर्वक न सो सकनेवालों का निर्देश—जो चिन्ता से परेशान, आधि (मानसिक पीड़ा) तथा भ्याधि से पीड़ित, जार (व्यभिचारी), चोर, बलवान शत्रुवाला, विषय-लोलुप, धन-लोलुप होता है और जो बुरे साथियों-वाला, विरक्त मन्त्री, मित्र तथा प्रजा गणों से युक्त कुरिस्त विचार का राजा है । ये सब रात्रि में भी सदा जागते रहते हैं । अतः मनुष्यों को उचित है कि विचार कर ऐसा कार्य करे जिससे बहुत दिनों तक सुखपूर्वक रात्रि में सो सके ।

राज्ञो नानुकृति कुर्यान्न च श्रेष्ठस्य कस्यचित् ॥ १६१ ॥

नैको गच्छेद् व्यालव्याघ्रचोरेषु च प्रवाधितुम् ।

योग्यता न रहने पर बड़ों के अनुकरण करने एवं सर्पादि पकड़ने के लिये पकाकी गमन का निषेध—राजा या किसी श्रेष्ठ पुरुष के व्यवहार की योग्यता न रहने पर अनुकरण नहीं करना चाहिये । और व्याल (सर्पादि), व्याघ्र तथा चौर को मारने या पकड़ने के लिये अकेले नहीं जाना चाहिये ।

जिघांसन्तं जिघांसीयाद् गुरुमप्याततायिनम् ॥ १६२ ॥

कलहे न सहायः स्यात् संरुद्धे बहुनायकम् ।

मारनेवाले गुरु को भी मारने का एवं कलह में सहायता न करने का निर्देश—अपने को मारने की इच्छा रखनेवाले एवं आततायी गुरुजन को भी मारने की इच्छा रखनी चाहिये । क्षमदा होने पर किसी पक्ष का साथी नहीं बनना चाहिये । और जो बहुत लोगों का स्वामी हो उसकी रक्षा करनी चाहिये ।

गुरूणां पुरतो राज्ञो न चासीत् महासने ॥ १६३ ॥

प्रौढपादो न तद्वाक्यं हेतुभिर्विकृति नयेत् ।

गुरुजनों के आगे प्रौढपाद बैठने का निषेध—गुरुजनों के तथा राजा के आगे उनसे ऊँचे आसन पर या पैर के ऊपर पैर रखकर नहीं बैठना चाहिये । और उनके वाक्यों का तर्क द्वारा खण्डन नहीं करना चाहिये ।

यत्कर्तव्यं न जानाति कृतं जानाति चेतः ॥ १६४ ॥

नैव वक्ति च कर्तव्यं कृतं यश्चोत्तमो नरः ।

उत्तम पुरुष के लक्षण—जो नीच मनुष्य होता है वह जो कर्तव्य (करने योग्य है) उसको नहीं जानता है किन्तु केवल कृत (किये हुये) को ही

जानता है । और जो उत्तम मनुष्य होता है वह कर्तव्य और कृत दोनों को नहीं कहता है ।

न प्रियाकथितं सम्यङ्मन्येतानुभवं विना ॥ १६१ ॥

अपराधं । मातृस्नुषाभ्रातृपत्नीसपत्तिजम् ।

स्त्री ० कथनमात्रसे विना स्वयं अनुभव किये समझने का निषेध— अपनी प्रिया स्त्री के कहने मात्र से ही माता, पुत्रवधू, भाई की पत्नी या सौत के अपराध को विना स्वयं अनुभव किये साथ नहीं समझना चाहिये ।

अनृतं साहसं माया मूर्खत्वमतिलोभता ॥ १६६

अशौचं निर्दया दर्पः स्त्रीणामष्टौ स्वदुर्गुणाः ।

स्त्रियों के ८ दुर्गुणों का निर्देश—क्योंकि १ झूठ बोलना, २ साहस, (सहासा कोई कार्य कर बैठना), ३ माया (डोंग रचना), ४ मूर्खता, ५ अत्यन्त लोभ, ६ अपवित्रता, ७ निर्दयता, ८ दर्प (अहङ्कार) ये ८ स्वाभाविक दुर्गुण स्त्रियों के होते हैं ।

षोडशाब्दात्परं पुत्रं द्वादशाब्दात्परं स्त्रियम् ॥ १६७ ॥

न ताडयेद् दुष्टवाक्यैः पीडयेन्न स्नुषादिकम् ।

१६ वर्ष से ऊपर की अवस्था वाले पुत्रादि के ताड़नादि का निषेध—१६ वर्ष की अवस्था के बाद पुत्र और १२ वर्ष की अवस्था के बाद कन्या को नहीं मारना चाहिये । और पुत्रवधू आदि को कटु वचनों से बलेश नहीं पहुँचाना चाहिये ।

पुत्राधिकाश्च दौहित्रा भागिनेयाश्च भ्रातरः ॥ १६८ ॥

कन्याधिका पालनीया भ्रातृभार्या स्नुषा स्वसा ।

दौहित्र आदि का पुत्रादिकों से बढ़कर पालन करने का निर्देश—पुत्र से बढ़कर दौहित्र (नाती), भानजा, भाई इन सबों का एवं कन्या से बढ़कर भाई की स्त्री, पुत्रवधू और बहिन इनका पालन करना चाहिये ।

आगमार्थं हि यतते रक्षणार्थं हि सर्वदा ॥ १६९ ॥

कटुम्बपोषणे स्वामी तदन्ये तस्करा इव ।

स्वामी के लक्षण—जो कटुम्ब-पालन के निमित्त धन की प्राप्ति और उसकी रक्षा के लिये सदा प्रयत्न करता है वही स्वामी है इससे अन्य स्वामी चोर के समान है क्योंकि वे कटुम्ब-पालन न कर स्वयं उस धन का उपभोग करते हैं ।

अनृतं साहसं मीढर्यं कामाधिक्यं स्त्रियां यतः ॥ १७० ॥

कामाद्विनैकशयने नैव सुध्यात्स्त्रिया मह ।

एक शय्या पर सदा स्त्री के साथ सोने का निषेध—क्योंकि स्त्रियों में

सूठ, साहस (विना विचारे कार्य करना), मूर्खता और काम की अधिकता होती है अतः विना काम की अधिकता के छी के साथ एक शय्या पर नहीं शयन करना चाहिये ।

दृष्ट्वा धनं कुलं शीलं रूपं विद्यां बलं वयः ॥ १७१ ॥

कन्यां दद्यादुत्तमं चेन्मैत्री कुर्यादथात्मनः ।

वर और मित्र की परीक्षा करने का निर्देश—धन, कुल, शील, रूप, विद्या, बल और अवस्था (उन्न) इन सबों को देखकर जिस वर में ये सब उत्तम रीति से हों उसी को कन्या देनी चाहिये, क्योंकि यदि ये सब उत्तम होते हैं तो कन्या भी उस वर से अपनी मैत्री जोड़ती है अथवा यदि कुलादि उत्तम हो तभी उससे अपनी मैत्री या संबन्ध करना उचित होता है ।

भार्योर्थिनं वयोविचारूपिणं निर्धनं त्वपि ॥ १७२ ॥

न केवलेन रूपेण वयसा न धनेन च ।

वर के लक्षण—भार्यार्थी (विवाह करने के लिये इच्छुक) यदि अवस्था (विवाह योग्य उन्न), विद्या तथा रूप से युक्त हो किन्तु धन उत्तम न हो तो भी उसे बुलाकर कन्या दे देनी चाहिये किन्तु केवल रूप, अवस्था या धन देकर कन्या नहीं देनी चाहिये ।

आदौ कुलं परीक्षेत ततो विद्यां ततो वयः ॥ १७३ ॥

शीलं धनं ततो रूपं देशं पश्चाद्विवाहयेत् ।

सर्वप्रथम वर के कुल, उसके बाद विद्या, उसके बाद अवस्था, उसके बाद शील, धन, रूप तथा देश की क्रमशः परीक्षा करने के पश्चात् उसके साथ कन्या का विवाह करना चाहिये ।

कन्या वरयते रूपं माता वित्तं पिता श्रुतम् ॥ १७४ ॥

बान्धवाः कुलमिच्छन्ति मिष्टान्नमितरे जनाः ।

विवाहार्थं कन्या वर के रूप की सुन्दरता, माता उत्तम धन, पिता उत्तम विद्या, बान्धव गण उत्तम कुल पसन्द करते हैं किन्तु इनसे अन्य बराती लोग केवल मिष्ट (मधुर) अन्न खाने की इच्छा रखते हैं क्योंकि उन्हें बरादी के कुलादि से कोई प्रयोजन नहीं है ।

भार्यार्थं वरयेत्कन्यामसमानपिगोत्रजाम् ॥ १७५ ॥

भ्रातृमतीं सुकुलां च योनिदोषविवर्जिताम् ।

कन्या के लक्षण—भार्या बनाने के लिये अपने से भिन्न ऋषि और गोत्र वाली, भाई से संयुक्त, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई, योनि रोग से रहित अथवा निर्दोष मांसे पैदा हुई कन्या का वरण करना वर के लिये उचित है ।

न त्याज्यौ तु क्षणकणौ नित्यं विद्याधनार्थिना ।

विद्या और धन का संचय करने का निर्देश—विद्या तथा धन चाहनेवाले को नित्य क्रम से चण तथा कण का त्याग (‘थोड़ा है इससे क्या लाभ होगा इस बुद्धि से उपेक्षा’) नहीं करनी चाहिये किन्तु चण २ भर प्रतिदिन अभ्यास करके विद्या का एवं कण २ भर का संग्रह कर धन का अर्जन करना चाहिये ।

सुभार्यापुत्रमित्रार्थं हितं नित्यं धनार्जनम् ॥ १७७ ॥

दानार्थं च विना त्वेतैः किं धनैश्च जनैश्च किम् ।

धनार्जन के उपयोगों का निर्देश—उत्तम भार्या, पुत्र या मित्र के लिये एवं दान के लिये तो नित्य धनार्जन करना हितकर है, अतः विना इन सब भार्यादियों के धन और भृत्यादिजनों से क्या प्रयोजन है अर्थात् धनादि व्यर्थ है ।

भाविसंरक्षणक्षमं धनं यत्नेन रक्षयेत् ॥ १७८ ॥

जीवामि शतवर्षं तु नन्दाभि च धनेन च ।

इति बुद्ध्या सांश्चनुयाद्धनं विद्यादिकं सदा ॥ १७९ ॥

पञ्चविंशत्यब्दपूरं तदर्धं वा तदर्धकम् ।

अभिव्यकाल में रक्षा करने में समर्थ धन की धरतपूर्वक रक्षा करनी चाहिये । और १०० वर्ष तक में तो जीऊँगा एवं इस धन से आनन्द करूँगा—इस बुद्धि से धन और विद्या आदि का २५ वर्ष पर्यन्त या उसका आधा १२५ वर्ष या उसका आधा ६१ वर्ष पर्यन्त सदा संग्रह करना चाहिये ।

विद्याधनं श्रेष्ठतरं तन्मूलमितरद्धनम् ॥ १८० ॥

दानेन वर्धते नित्यं न भाराय न नीयते ।

धन की अपेक्षा विद्या की श्रेष्ठता का निर्देश—विद्यारूपी धन अत्यन्त श्रेष्ठ है, इससे अन्य धन विद्यामूलक है अर्थात् विद्या से ही अन्य धन का उपाजन होता है क्योंकि यह विद्याधन देने से नित्य बढ़ता है, अन्य धन घटता है । और इसमें भार नहीं होता है, अन्य धन में भार होता है । एवं इसे कोई उठा कर नहीं ले जा सकता है, अन्य धन को उठा कर ले जा सकता है ।

अस्ति यावत् सधनस्तावत्सर्वेस्तु सेव्यते ॥ १८१ ॥

निर्धनस्त्यज्यते भार्यापुत्राद्यैः सगुणोऽप्यतः ।

सत्सुती व्यवहाराय सारभूतं धनं स्मृतम् ॥ १८२ ॥

अतो यतेत तत्प्राप्त्यै नरः सुपायसाहसैः ।

अवरय धनार्जन करने का निर्देश—जब तक मनुष्य धनयुक्त रहता है तब तक सब लोग उसकी सेवा करते हैं और जब वही धन से रहित हो जाता

है तो भले ही गुणवान हो किन्तु उसे खी-पुत्रादिक भी छोड़ देते हैं, अतः संसार में व्यवहार चलाने के लिये धन ही सारभूत कहा हुआ है। और इसीसे धन-प्राप्ति के लिये मनुष्य प्राणों को संशय में डालनेवाले कठिन भी कार्यों के द्वारा प्रयत्नशील रहे।

सुविद्यया सुसेवाभिः शौर्येण कृषिभिस्तथा ॥ १८३ ॥

कौसीदवृद्धया पण्येन कलाभिश्च प्रतिग्रहेः।

यथा कथा चापि वृत्त्या धनवान्स्थ्यात्तथा चरेत् ॥ १८४ ॥

तिष्ठन्ति सधनद्वारे गुणिनः किङ्करा इव ।

और सुन्दर विद्या उपार्जन या सुन्दर सेवा, शूरता, कृषि (खेती) करके या व्याज पर रुपया ऋण देकर, दूकानदारी या संगीत आदि कला के द्वारा, दान लेकर और अधिक बया कहें, चाहे जिस किसी वृत्ति का आश्रय लेकर मनुष्य धनवान बन सके उसीके अनुकूल कार्य करे। क्योंकि धनियों के द्वार पर गुणी लोग नौकर के तरह पड़े रहते हैं।

दोषा अपि गुणायन्ते दोषायन्ते गुणा अपि ॥ १८५ ॥

धनवतो निर्धनस्य निन्द्यते निर्धनोऽखिलैः ।

धन के प्रभाव का निर्देश—धनवान पुरुषों के दोष भी गुण के समान हो जाते हैं, और निर्धनों के गुण भी दोष-तुल्य हो जाते हैं। इससे निर्धन की सभी लोग निन्दा ही किया करते हैं।

सुनिर्धनत्वं प्राप्यैके मरणं भोजिरे जनाः ॥ १८६ ॥

प्रामायैकेऽचलायैकै नाशायैके प्रवव्रजुः ।

कितने एक मनुष्य अत्यन्त दरिद्रता भोगकर मर गये, कितने एक देशान्तर में चले गये, कितने एक पहाड़ों में जा बसे, कितने एक आरम-हत्या करने के लिये घर से निकल गये।

उन्मादमेके पुष्यन्ति यान्त्यन्ये द्विपतां वशम् ॥ १८७ ॥

दास्यमेके च गच्छन्ति परेषामर्थहेतुना ।

धन के फेर में पड़ कर कितने एक चिन्ता करते २ पागल हो जाते हैं, कितने एक शत्रुओं की अधीनता स्वीकार कर लेते हैं और कितने एक दूसरों की या शत्रुओं की नौकरी भी कर लेते हैं।

यथा न जानन्ति धनं संचितं कति कुत्र वै ॥ १८८ ॥

आत्मस्त्रीपुत्रमित्राणि सलेखं धारयेत्तथा ।

और अपने खी पुत्र या मित्र तक भी जिस प्रकार से यह न जान सकें कि 'इसने कितना और कहाँ पर धन संचित करके रखा है' इस प्रकार प्रयत्न करे और इसीलिये उस धन को बढ़ाने के लिये छिला-पड़ी के साथ सूद पर

दे देवे किन्तु घर में न रखे, क्योंकि पुत्रादि को ज्ञात होने पर उस धन की रक्षा असंभव हो जाती है ।

नैवास्ति लिखितादन्यत् स्मारकं व्यवहारिणाम् ॥ १८९ ॥

न लेख्येन विना कुर्याद् व्यवहारं सदा बुधः ।

व्यवहार में लेख की आवश्यकता का निर्देश—व्यवहार (व्यवसाय) करनेवालों के लिये लेख से बड़ कर दूसरा कोई स्मरणसूचक चिह्न नहीं है, इसलिये बुद्धिमान को सदा विना लेख के व्यवहार (रूपया देना) नहीं करना चाहिये ।

निलोभे धनिके रात्रि विरवस्ते क्षमिषां वरे ॥ १९० ॥

सुसञ्चितं धनं धार्यं गृहीतलिखितं तु वा ।

लोभ से रहित धनी पुरुष या विश्वासपात्र या क्षमाशील किंवा श्रेष्ठ पुरुष अथवा राजा इनमें किसी एक के पास में अच्छी तरह से संचित धन को रखना चाहिये अथवा रखने के लिये लिये हुये धन को लिख लेने के बाद चाहे जिसके पास रखना चाहिये ।

मैत्र्यर्थे याचितं दद्यादकुसीदं धनं सदा ॥ १९१ ॥

तस्मिन् स्थितं चेन्न बहु हानिकृच्च तथाविधम् ।

मित्रता के नाते बिना व्याज के भी धन देने का निर्देश—मित्रता के नाते मांगने पर मित्र के लिये बिना सूद पर धन सदा देना चाहिये और यदि उस मित्र के ऊपर वैसा बिना सूद पर लिया हुआ धन बहुत सा बाकी भी पड़ा हो तो भी पुनः देना हानिकर नहीं है । अर्थात् मित्र के लिये सभी सत्य है ।

दृष्ट्वाऽधमर्णं वृद्ध्यापि व्यवहारक्षमं सदा ॥ १९२ ॥

सबन्धं सप्रतिभुवं धनं दद्यात् स साक्षिमत् ।

गृहीतलिखितं योग्यमानं प्रत्यागमे सुखम् ॥ १९३ ॥

न दद्याद् वृद्धिलोभेन नष्टं मूलधनं भवेत् ।

लिखा-पढ़ी के साथ सूद पर धन देने का एवं अन्यथा रीति से न देने का निर्देश—ऋण लेनेवाले को सूद देने में समर्थ देख कर सदा बन्धक या किसी के जमानत पर और किसी के गवाही के साथ लिखा-पढ़ी करके उचित मात्रा में, सुखपूर्वक लौटाने लायक धन देना चाहिये । और व्याज के लाभ से उपर्युक्त रीति से मित्र अवस्था में धन नहीं देना चाहिये नहीं तो मूल धन नष्ट हो जाने की संभावना रहती है ।

आहारे व्यवहारे च त्यक्तलब्जः सुखी भवेत् ॥ १९४ ॥

धनं मैत्रीकरं दाने चादाने शत्रुकारकम् ।

आहारादि में लज्जा-त्याग का निर्देश—इस प्रकार से आहार-व्यवहार में

जो लज्जा का त्याग करनेवाला होता है वह सुखी होता है। देने के समय धन मैत्री कराता है और लेने के समय वही धन शत्रुता करा देता है।

कृत्वा स्वान्ते तथौदार्यं कार्पण्यं बहिरेव च ॥ १९५ ॥

उचितं तु व्ययं काले नरः कुर्यान्न चान्यथा ।

उचित व्यय करने का निर्देश—हृदय के अन्दर उदारता रखकर और ऊपर से कृपणता (कंजूसी) रख कर समय आने पर उचित व्यय मनुष्य को करना चाहिये। इससे अन्यथा नहीं करना चाहिये।

सुभार्यापुत्रमित्राणि शक्त्या संरक्षयेद्धनैः ॥ १९६ ॥

नात्मा पुनरतो त्मानं सर्वैः सर्वं पुनर्भवेत् ।

पश्यति स्म स जीवश्चेन्नरो भद्रशतानि च ॥ १९७ ॥

भार्या आदि की रक्षा करने का निर्देश—भार्या, पुत्र और मित्र ये सब यदि उत्तम हों तो इनकी रक्षा धन से करनी चाहिये। और इन सबों से आत्मा (शरीर) की रक्षा करनी चाहिये क्योंकि शरीर दुबारा नहीं मिल सकता है और भार्या-पुत्रादि तो दुबारा भी मिल सकते हैं। और यदि मनुष्य जीवित रहता है तो सैकड़ों कल्याण देखता है।

सदारप्रौढपुत्रान् द्राक् श्रेयोऽर्था विभजेत् पिता ।

सदारभ्रातरः प्रौढा विभजेयुः परस्परम् ॥ १९८ ॥

सखीक प्रौढ पुत्रों को धन का विभाग कर देने का अन्यथा अनर्थ की सम्भावना का निर्देश—अपना कल्याण का चाहनेवाला पिता स्त्री-युक्त एवं कार्य करने में समर्थ हुये पुत्रों को शीघ्र आपस में विभक्त कर दे (जिसमें आपस में भविष्य में कलह न कर सकें) और इसी प्रकार से सहोदर भाई लोग भी विवाह हो जाने एवं प्रौढ (कार्य करने में समर्थ) हो जाने पर आपस में विभाग कर लें अन्यथा परस्पर लड़कर निश्चय मिट जाते हैं।

एकोदरा अपि प्रायो विनाशायान्यथा खलु ।

नैकत्र सवसेचचापि स्त्रीद्वयं मनुजस्य तु ॥ १९९ ॥

२ सौत स्त्रियों एवं २ मादाओं को एक पुरुष या नर पशु के साथ एकत्र रखने का निषेध—यदि किसी पुरुष के पास अथवा स्वतन्त्र दो स्त्रियाँ हों तो उन दोनों को एवं किसी स्त्री जाति पशु के पास अथवा स्वतन्त्र दो पुरुष जाति के पशुओं को एकत्र नहीं रखना चाहिये। क्योंकि मनुष्य जाति में और पशु जाति में पुरुष एक से अधिक एक जगह कैसे रह सकते हैं? अर्थात् कभी नहीं रह सकते हैं।

कथं वसेत्तद्बहुत्वं पशूनां तु नरद्वयम् ।

विभजेयुर्न तत्पुत्रा यद्धनं वृद्धिकारणम् ॥ २०० ॥

अधमर्णस्थितं चापि यद् देयं चोत्तमर्णिकम् ।

व्याजी धन या दिये ऋण धन का विभाग करने का निषेध—गृहपति के पुत्र लोग पिता के उस धन का परस्पर विभाग न करें जो कि सूद पर दिया हुआ अधमर्ण (ऋण लेनेवाले) के पास हो अथवा उत्तमर्ण (सूद पर द्रव्य देनेवाला महाजन) को देने के लिये जो धन हो ।

यस्येच्छेदुत्तमां मैत्रीं कुर्यान्मार्थाभिलाषकम् ॥ २०१ ॥

परोक्षे तद्रहश्चारं तत्स्त्रीसम्भाषणं तथा ।

तन्न्यूनदर्शनं नैव तत्प्रतीपविवादनम् ॥ २०२ ॥

असाहाय्यं च तत्कार्ये ह्यनिष्टोपेक्षणं न च ।

शाश्वत मैत्री रखने के लिये व्याज्य कर्मों का निर्देश—जिसके साथ उत्तम मैत्री रखना चाहे उससे धन का अभिलाषा न रखे अर्थात् ऋणादि न ले । और परोक्ष में उसके अन्तःपुर में न जाय और न उसकी स्त्री से बातचीत करे । एवं उसकी चुट्टि को न देखे अर्थात् दोष के तरफ ध्यान न दे । और उसके प्रतिकूल विवाद न करे । तथा उसके कार्य में असाहायता और अनिष्ट देखकर उसकी उपेक्षा न करे ।

सकुसीदमकुमीदं धनं यच्चोत्तमर्णिकम् ॥ २०३ ॥

दद्याद्गृहीतमिव नोभयोः क्लेशकृद्यथा ।

नासाक्षिमरुचालिखितमृणपत्रस्य पृष्ठतः ॥ २०४ ॥

दिना साक्षी या ऋणपत्र लेख के ऋण न देने का निर्देश—और सूद पर या बिना सूद का को महाजनी (ऋण देनेवाला) का धन हो वह जिम प्रकार से दोनों मित्रों को परस्पर क्लेश न पहुंचे तथा बिना साक्षी बिना ऋणपत्र पर लिखाये न दे ।

आत्मपितृमातृगुणैः प्रख्यातश्चोत्तमोत्तमः ।

गुणैरात्मभवैः ख्यातः पैतृकैर्मातृकैः पृथक् ॥ २०५ ॥

उत्तमोऽध्यमो नीचोऽधमो भ्रातृगुणैर्नरः ।

कन्यास्त्रीभगिनीभाग्यो नरोऽधमतमो मतः ॥ २०६ ॥

उत्तमोत्तमादिकपुरुषों के लक्षण—जो मनुष्य अपने, पिता तथा माता इन तीनों के गुणों से प्रख्यात होता है वह उत्तमोत्तम कहलाता है, जो केवल अपने ही गुणों से प्रख्यात होता है वह उत्तम, पिता के गुणों से मध्यम एवं माता के गुणों से प्रख्यात नीच कहलाता है । और भाई के गुणों से प्रख्यात पुरुष अधम कहलाता है । तथा जो कन्या, स्त्री या बहन के भाग्य से उन्हीं के सहारे गलप्रह होकर जीवन व्यतीत करता है वह अधमतम कहलाता है ।

भूत्वा महाधनः सम्यक् पोष्यवर्गं तु पोषयेत् ।

अदत्त्वा यस्किञ्चिदपि न नयेद्विसं वृषः ॥ २०७ ॥

बिना दान किये कभी कोई दिन व्यतीत न करने का निर्देश—विपुल धन से सम्पन्न होते हुए भी जो पालन करने के योग्य हैं वन्हीं का पालन करना, चाहिये। बुद्धिमान को बिना कुछ दिये हुये कोई भी दिन व्यतीत नहीं करना चाहिये।

स्थितो मृत्युमुखे चाहं क्षणमायुर्ममास्ति न ।

इति मत्वा दानधर्मो यथेष्टौ तु समाचरेत् ॥ २०८ ॥

न तौ विना मे परत्र सहायाः सन्ति चेतरे ।

दानशीलाश्रयाल्लोको वर्तते न शठाश्रयात् ॥ २०९ ॥

यथेष्ट दान-धर्म करने का निर्देश—'मैं मृत्यु के मुख में स्थित हूँ, मेरी चणभर की भी आयु नहीं है। और दान और धर्म इन दोनों को छोड़कर परलोक में अन्य कोई मेरा सहायक नहीं है। तथा दानशील व्यक्तियों के आश्रय से यह जगत् टहरा हुआ है। शठों के आश्रय से नहीं।' ऐसा समझकर यथेष्ट दान तथा धर्म करना चाहिये।

भयन्नि मित्रा दानेन द्विपन्तोपि च कि पुनः ।

दान से शत्रु को भी मित्र बन जाने का निर्देश—जब शत्रु लोग भी दान से मित्र बन जाते हैं तब औरों के लिये क्या कहना है अर्थात् अन्य तो मित्र बन ही जाते हैं।

देवतार्थं च यज्ञार्थं ब्राह्मणार्थं गवार्थकम् ॥ २१० ॥

यदत्तं तत्पारलौक्यं संविदत्तं तदुच्यते ।

परलोक-सुखसाधन 'संविद' दान के लक्षण—देवता, यज्ञ, ब्राह्मण, गौ, इनके लिये जो दिया जाता है वह परलोक-सुख-साधन के लिये होता है और उसी को 'संविद' दान अर्थात् 'अवरय देना चाहिये' इस बुद्धि से दिया हुआ कहते हैं।

वन्दिमागधमल्लादिनटनार्थं च दीयते ॥ २११ ॥

पारितोष्यं यशोर्थं तु श्रिया दत्तं तदुच्यते ।

पारितोष्य, श्रियादत्त या यशोर्थक दान के लक्षण—बन्दी, मागध तथा मश्ल आदि लोगों को अपना २ कार्य दिखाने के लिये जो पुरस्कार रूप में दिया जाता है उसे 'पारितोष्य' कहते हैं। और जो यश के लिये दिया जाता है उसे 'श्रियादत्त' (लक्ष्मी से दिया हुआ) कहते हैं अथवा उसे यशोर्थक और श्रियादत्त कहते हैं।

उपायनीकृतं यत्तु सुदृत्संबन्धिबन्धुषु ॥ २१२ ॥

विवाहादिषु चाचारदत्तं ह्रीदत्तमेव तत् ।

नातिक्रौर्यं नातिशाठ्यं धारयेन्नातिमार्दवम् ॥ २१८ ॥

नातिवादं नातिकार्योसक्तिमत्याग्रहं न च ।

क्रूरतादि करने में सर्वत्र अति का निषेध—अत्यन्त क्रूरता (निष्ठुरता), अत्यन्त शटता, अत्यन्त मृदुता, अत्यन्त घातचीत, अत्यन्त कार्यों में लवलीनता, अत्यन्त आग्रह (हठ) इन सबों को नहीं करना चाहिये ।

सति सर्वं नाशहेतुर्हृतोऽत्यन्तं विषजयेत् ॥ २१९ ॥

उद्वेजते जनः क्रौर्यात् कार्पण्यादतिनिन्दति ।

अतिक्रूरता आदिमें से अनिष्ट फल का निर्देश—किसी विषय में अति करना नाश का कारण होता है अतः उसे (अति करना) छोड़ देना चाहिये । और अत्यन्त क्रूरता करने से लोग विरक्त हो जाते हैं, अत्यन्त कृपणता (कंजूसी) से अत्यन्त निन्दा करते हैं ।

मार्दवाश्रैव गणयेदपमानोऽतिवादतः ॥ २२० ॥

अतिदानेन दारिद्र्यं तिरस्कारोऽतिलोभतः ।

अत्यन्त मृदुता से लोग उसे नहीं गिनते हैं (उसे कुछ नहीं समझते हैं), अत्यन्त बोलने से अपमान करते हैं, अत्यन्त दान से दरिद्रता होती है, अत्यन्त लोभ से तिरस्कार होता है ।

अत्याग्रहान्नरस्यैव मौख्यं सञ्जायते खलु ॥ २२१ ॥

अनाचाराद्धर्महानिरत्याचारस्तु मूख्यता ।

अत्यन्त आग्रह करने से मनुष्य की मूर्खता प्रकट होती है । आचार-विचार करने से अथवा दुष्ट आचरण करने से धर्म की हानि एवं आचार के विरुद्ध आचरण करने से भी मूर्खता समझी जाती है ।

अधिकोऽस्मीति सर्वेभ्यो अधिकज्ञानवानहम् ॥ २२२ ॥

धर्मतत्त्वमिदमिति नैवं मन्येत बुद्धिमान् ।

अपने को अधिक श्रेष्ठ मानने का निषेध—मैं सबसे अधिक श्रेष्ठ या अधिक ज्ञान से युक्त हूँ, और 'धर्म का तत्त्व यही है' ऐसा बुद्धिमान मनुष्य को नहीं समझना चाहिये ।

तिमिङ्गिलगिलोऽप्यस्ति तद्गिलोऽप्यस्ति राघवः ॥ २२३ ॥

कश्चित्तु तद्गिलोऽस्तीति मत्वा मन्येत कर्हिचित् ।

तिमि नाम की एक बड़ी मछली समुद्र में होती है उसको निगलनेवाली उससे बड़ी 'तिमिङ्गिल' नामकी एक दूसरी मछली होती है और उसको निगलनेवाली और एक मछली होती है उसे 'तिमिङ्गिलगिल' कहते हैं, उसको निगलनेवाली 'राघव' मछली होती है । एवं इसको भी निगलनेवाली कोई सबसे बड़ी भी मछली होती है ऐसा समझकर सदा इसकी

भावना मनमें करते रहना चाहिये । अर्थात् अपने को सबसे बड़ा नहीं समझना चाहिये ।

नेच्छेत् स्वाम्यं तु देवेषु गोषु च ब्राह्मणेषु च ॥२२४॥
महानर्थकरं ह्येतत् समग्रकुलनाशनम् ।

देवादिकों के ऊपर प्रभुत्व रखने की इच्छा का निषेध—देवता, गौ और ब्राह्मण इन तीनों पर प्रभुत्व रखने की इच्छा नहीं रखनी चाहिये । क्योंकि ऐसी इच्छा करना महान अनर्थ तथा समग्रकुल का विनाश करनेवाला होता है ।

भजनं पूजनं सेवामिच्छेदेतेषु सर्वदा ॥ २२५ ॥

न ज्ञायते ब्रह्मतेजः कस्मिन्कीटकप्रतिष्ठितम् ।

देवादिकों के तिरस्कार का निषेध—अतः इन सबों (देवादियों) की भजन, पूजन तथा सेवा करने की सर्वदा इच्छा रखनी चाहिये । क्योंकि न जाने इन सबों के बीच किसमें कैसा ब्रह्मतेज (ईश्वरीय तेज) उपस्थित है । इनका तिरस्कार कभी उचित नहीं है ।

पराधीनं नैव कुर्यात्तरुणीधनपुस्तकम् ॥ २२६ ॥

कृतं चेत्तद्भयते देवाद् भ्रष्टं नष्टं विमर्दितम् ।

तरुणी आदि को पराधीन करने का निषेध—अपनी तरुणी स्त्री, धन या पुस्तक को किसी दूसरे के अधीन नहीं कर देना चाहिये । यदि कर दिया जाय तो देवात् जब उनकी पुनः प्राप्ति होती है तो तरुणी स्त्री संभोग के द्वारा भ्रष्ट की हुई, धन नष्ट हुआ एवं पुस्तक फटा या मैली की हुई रहती है ।

बह्वर्थं न त्यजेदल्पहेतुनाऽल्पं न साधयेत् ॥ २२७ ॥

बह्वर्थव्ययतो धीमानाभमानेन वै क्वचित् ।

बह्वर्थव्ययभीत्या तु सत्कीर्तिं न त्यजेत् सदा ॥ २२८ ॥

अल्प कारण से बड़े अर्थ का एवं अधिक धन-व्यय होने से कीर्ति के त्याग का निषेध—बुद्धिमान व्यक्ति थोड़े से कार्य के लिये बहुत धन की प्राप्ति का त्याग न करे और अभिमान से कर्मा छोटे कार्य को सिद्ध करने के लिये अधिक धन का व्यय व्यर्थ न करे अर्थात् थोड़े व्यय से करे । और सदा 'बहुत धन का व्यय होगा' इस भय से सत्कीर्ति की प्राप्ति का त्याग न करे ।

भटानामसदुक्त्या तु नर्प्येन् कुप्यान्न तैः सदा ।

धीर सैनिकों के दुर्वचन सहने का निर्देश—धीर सैनिकों के दुर्वचन कहने पर उनसे ईर्ष्या (द्वेष) अथवा क्रोध न करे । किन्तु सहन ही करे ।

तज्जयते च सुहृद्येन भिद्यते दुमना भवेत् ॥ २२९ ॥

यत्कव्यं न तथा किञ्चिद्विनोदेऽपि च धीमता ।

विनोद में भी दुखी करनेवाले वचन बोलने का निषेध—जिस वचन से मित्र लजित हो जाय या उसके मनमें फर्क पड़ जाय किंवा दुःखित चित्त हो जाय, वैसे वचनों को विनोद में भी बुद्धिमान व्यक्ति को थोड़ा भी नहीं कहना चाहिये ।

यस्मिन् सूक्तं दुरुक्तं च समं स्याद्वा निरर्थकम् ॥ २३० ॥

न तत्र प्रलपेत् प्राज्ञो यधिरेष्विव गायनः ।

अच्छा-बुरा कहने का असर न होने वाले से कुछ भी न कहने का निर्देश—जिस व्यक्ति के सामने अच्छा या बुरा कहना दोनों ही यदि बराबर या निरर्थक हों तो उसके समस्त बुद्धिमान व्यक्ति प्रलाप (व्यर्थ बात) न करे क्योंकि उसका बात करना बहरे के सामने गाने के समान है ।

व्यसने सज्जमानं हि यो मित्रं नाभिपद्यते ॥ २३१ ॥

अनुनीय यथाशक्ति तं नृशंसं विदुर्बुधाः ।

बुरे व्यसनों से भलग न करनेवाले मित्र की नृशंसता का निर्देश—जो लोग घूत आदि बुरे व्यसनों में पड़े हुये अपने मित्र को यथाशक्ति समझा बुझाकर उससे भलग नहीं करते हैं अथवा उसके लिये यत्न नहीं करते हैं उन्हें पण्डित लोग नृशंस (निडुर) समझते हैं ।

ज्ञातीनां हि मिथो भेदे यन्मित्रं नाभिपद्यते ॥ २३२ ॥

सर्वयत्नेन माध्यस्थ्यं न तन्मित्रं विदुर्बुधाः ।

कुमित्र के लक्षण—भाई आदिमों का परस्पर भेद होने पर (दिल में फर्क आ जाने पर) यदि कोई मित्र होकर भी उन लोगों का मध्यस्थ बनकर मनमुटाव नहीं दूर करता है तो उस (मित्र) को पण्डित लोग मित्र नहीं मानते हैं अर्थात् उसे कुमित्र मानते हैं ।

आजन्मसेवितं दानैर्मौनैश्च परितोषितम् ॥ २३३ ॥

तीक्ष्णवाक्यान्मित्रमपि तत्कालं याति शत्रुताम् ।

वक्रोक्तिशाल्यमुद्धतुं न शक्यं मानसं यतः ॥ २३४ ॥

कटोर वचन से मित्र के शत्रु बन जाने का निर्देश—जिसकी जन्म से ही सेवा की गई हो और दान तथा मान से पोषण किया गया हो ऐसा मित्र भी तीक्ष्ण वाक्यों के कहने से तत्काल ही शत्रु बन जाता है क्योंकि चित्त में चुभे हुये कटु-वचनरूपी काठों को निकालकर दूर करने में वह समर्थ नहीं होता है । अतः मित्रों को भी तीक्ष्ण बातें नहीं सुनानी चाहिये ।

वह्नेदमित्रं स्कन्धेन यावत्स्यात् स्वबलाधिकः ।

ज्ञात्या नष्टबलं तं तु भिन्द्याद् घटमिवारमणि ॥ २३५ ॥

स्वबलाधिक शत्रु को कन्धे पर भी ले चलने का निर्देश—जब तक शत्रु

अपने से बल में अधिक रहे तब तक उसे कंधे पर रखे अर्थात् उसका आदर करे और जब समझ ले कि वह हीनबल हो गया तब उसे घड़े के समान पथर पर पटक कर नष्ट कर दे ।

न भूपयत्यलंकारो न राज्यं न च पौरुषम् ।

न विद्या न धनं तादृग् यादृक्सौजन्यभूषणम् ॥ २३६ ॥

‘मनुष्य का भूषण सुजनता है’ इसका निर्देश—जैसा सुजनतारूपी भूषण मनुष्य को भूषित करता है वैसा अलङ्कार, राज्य, पौरुष (पराक्रम), विद्या या धन नहीं भूषित करता है ।

अश्वे जवो वृषे धैर्यं मणौ कान्तिः क्षमा नृषे ।

हावभावौ च वेश्यायां गायके मधुरस्वरः ॥ २३७ ॥

दातृत्व घनिके शौर्यं सैनिके बहुदुग्धता ।

गोषु दमस्तपस्विषु विद्वत्सु वाबदूकता ॥ २३८ ॥

सभ्येष्वपक्षपातरतु तथा साक्षिषु सत्यवाक् ।

अनन्यभक्तिभृत्येषु सुहितोक्तिश्च मन्त्रिषु ॥ २३९ ॥

मौनं मूर्खेषु च स्त्रीषु पातिव्रत्य सुभूषणम् ।

महादुभूषणं चैतद्विपरीतममीषु च ॥ २४० ॥

अश्वदिकों में वेगादिक गुणों की भूषणता तथा अन्यथा (विपरीत) होने पर दुर्भूषणता का निर्देश—घोड़े में अधिक वेग, बैल में अधिक भारबहन की सामर्थ्य, मणि में चमक, राजा में क्षमा, वेश्या में हाव-भाव, गानेवाले में मधुर स्वर, घनी में दान देने की शक्ति, सैनिक में शूरता, गायों में बहुत दुग्ध देना, तपस्वियों में इन्द्रियों का दमन करना, विद्वानों में बोलने की अच्छी शक्ति, सभासदों में किसी का पक्षपात न करना, साक्षियों (गवाहों) में सत्य बोलना (सच्ची गवाही देना), भृत्यों में स्वामी की अनन्य भक्ति, मन्त्रियों में राजा के लिये सुन्दर हितकर वचन बोलना, मूर्खों में मौन रहना, स्त्रियों में पतिप्रतापधर्म का पालन करना ही सुन्दर भूषण कहलाता है अर्थात् अन्यभूषण इन लोगों के लिये भूषण नहीं है । यदि इन सब घोड़े आदियों में वेगादि गुणों का अभाव हो तो उनकी सुन्दरता को अत्यन्त नष्ट करनेवाले होते हैं ।

गृहं बहुकुटुम्बेन दीपैर्गोभिः सुबालकैः ।

भात्येकनायकं नित्यं नैव निर्बहुनायकम् ॥ २४१ ॥

एक ही नायक आदि से ही परिवार आदि की शोभा का निर्देश—गृह में जब अधिक परिवार, बहुत से दीपकों का प्रकाश, बहुतसी गायें और बहुत से बालक सुन्दर हों तब उसकी नित्य शोभा होती है और जब तक गृह का

स्वामी एक व्यक्ति रहता है तभी तक उसकी शोभा बनी रहती है अनेक स्वामी होने पर शोभा नष्ट हो जाती है ।

न च हिंस्रमुपेक्षेत शक्तो हन्याच्च तत्क्षणे ।

हिंस्र पुरुषादि की उपेक्षा करने का निषेध—हिंस्रक पुरुषों या पशुओं की उपेक्षा नहीं करनी चाहिये किन्तु सामर्थ्य हो तो तत्काल उनको नष्ट ही कर देना चाहिये क्योंकि देर करना अनिष्टकर होता है ।

पैशुन्यं चण्डता चौर्यं मात्सर्यमतिलोभता ॥ २४० ॥

असत्यं कार्यघातित्वं तथाऽलसकताऽप्यलम् ।

गुणिनामपि दोषाय गुणानाच्छ्राय जायते ॥ २४१ ॥

चुगुलखोरी आदि दोषों से गुणियों के गुणों के ढक जाने का निर्देश—
चुगुलखोरी, तीक्ष्णता (अत्यन्त क्रोध), चोरी, मत्सरता, अतिलोभ, असत्य भाषण, कार्य नष्ट करना, अत्यन्त आलस्य ये सब दोष हैं अतः यदि ये गुणवानों को भी हों तो उनके सम्पूर्ण गुणों को ढक देने वाले होते हैं । अर्थात् इन दोषों से वे निन्दा के पात्र बन जाते हैं ।

मातुः प्रियायाः पुत्रस्य धनस्य च विनाशनम् ।

बाल्ये मध्ये च वार्धक्ये महापापफलं क्रमात् ॥ ४४ ॥

बाल्यावस्था आदि में मां आदि के मरने में महापातक के फल का निर्देश—
बाल्यावस्था में मां का, युवावस्था में प्रिया स्त्री का, वृद्धावस्था में पुत्र एवं धन का नष्ट हो जाना क्रमसे ये सब प्राक्तन महापाप के फल हैं ।

श्रीमतामनपत्यत्वमधनानां च मूर्खता ।

स्त्रीणां पण्डपतित्वं च न सौख्यायेष्टनिर्गमः ॥ २४५ ॥

दुःखप्रद विपर्यो का निर्देश—धनवानों को पुत्र न होना, दरिद्रों को भूल, स्त्रियों को नपुंसक पति मिलना, प्रिय वस्तुओं का अलग हो जाना, ये सब धार्ते सुख के लिये नहीं होती हैं अर्थात् दुःखप्रद होती हैं ।

मूर्खेः पुत्रोऽथवा कन्या चण्डी भार्या दरिद्रता ।

नीचसेवा ऋणं नित्यं नैतत्पट्कं सुखाय च ॥ २४६ ॥

सुखकारक न होनेवाली ६ बातों का निर्देश—१. मूर्ख पुत्र अथवा २. कन्या, ३. अत्यन्त क्रोध करनेवाली स्त्री, ४. दरिद्रता, ५. नीच जातिवालों अथवा नीच पुरुषों की सेवा तथा ६. नित्य ऋण लेना ये ६ बातें सुखकारक नहीं होती हैं अर्थात् इनसे नित्य मनुष्य दुःखी रहता है ।

नाध्यापने नाध्ययने न देवे न गुरौ द्विजे ।

न कलासु न सङ्गीते सेवायां नार्जवे स्त्रियाम् ॥ २४७ ॥

न शौर्ये न च तपसि साहित्ये रमते मनः ।

यस्य मुक्तः खलः किं वा नररूपपशुश्च सः ॥ २४८ ॥

जीवन्मुक्त, खल या पशु के लक्षण—जिसका मन पढ़ाने या पढ़ने में और देवता, गुरु, ब्राह्मण, चित्रकला आदि कला, सङ्गीत, सेवा (नौकरी), सरलता, छी, शूरता, तपस्या या साहित्य इनमें से किसी एक में भी नहीं रमता (लगता) है वह या तो जीवन्मुक्त या खल अथवा मनुष्य रूप में पशु है ।

अन्योदयानहिष्णुश्च द्विद्रदर्शी विनिन्दकः ।

द्रोहरीलः स्वान्तमलः प्रसन्नास्यः खलः स्मृतः ॥ २४९ ॥

खल पुरुष के लक्षण—जो दूसरे के अभ्युदय (तरक्की) को नहीं सह सकनेवाला, दोष देखनेवाला, निन्दा करनेवाला, द्रोह रखनेवाला, मलिन हृदय-वाला, ऊपर प्रसन्नता दिखानेवाला होता है वह 'खल' कहलाता है ।

एकस्यैव न पर्याप्तमस्ति यद् ब्रह्मकोशजम् ।

आशया वद्वितस्यास्ति तस्याल्पमपि पूर्तिकृत् ॥ २५० ॥

आज्ञाबद्ध लोगों के लिये जगत् की सम्पूर्ण वस्तु की प्राप्ति से भी कमी बोध होने का निर्देश—ब्रह्माण्ड के अन्दर विद्यमान जितनी वस्तुयें हैं वे सभी जिसकी आशा बढ़ी हुई है ऐसे अकेले एक पुरुष की थोड़ी भी इच्छापूर्ति के लिये पर्याप्त नहीं है अर्थात् उनकी इच्छा की पूर्ति ब्रह्माण्ड की सारी वस्तुओं से भी नहीं हो सकती है ।

करोत्यकार्यं साशोऽन्यं बोधयत्यनुमोदते ।

आज्ञा से युक्त पुरुष न करने योग्य कार्य को भी स्वयं करता है और अन्य को भी वैसे कार्य करने के लिये समझाता है तथा अनुमोदन करता है ।

भवन्त्यन्योपदेशार्थं धूर्ताः साधुसमाः सदा ॥ २५१ ॥

स्वकार्याथ प्रकुर्वन्ति ह्यकार्याणां शतं तु ते ।

धूर्त पुरुष के कर्मों का निर्देश—धूर्त लोग दूसरे को उपदेश देने के लिये अत्यन्त साधुपुरुषों के समान आचरण करते हैं किन्तु वे ही धूर्त स्वयं अपना कार्य सिद्ध करने के लिये सैकड़ों कुहूयों को कर डालते हैं ।

पित्रोराज्ञां पालयति सेवने च निरालसः ॥ २५२ ॥

ह्यायेव वर्तते नित्यं यतते चागमाय वै ।

कुशलः सर्वविद्यासु स पुत्रः प्रीतिकारकः ॥ २५३ ॥

दुःखदो विपरीतो यो दुर्गुणो घननाशकः ।

प्रीतिकारक व दुःखदायी पुत्र के लक्षण—जो पुत्र माता-पिता की आज्ञा का पालन करता है और उनकी सेवा करने में आलस्य नहीं करता है बल्कि दया की भाँति सदा उनका अनुगमन करता है, घन या विधा का भर्जन करने के

निर्देश—जानकार व्यवसायी किसी कार्य (व्यवसाय) को आरम्भ करने के प्रथम यह कार्य कैसा है ? इसके कौन २ से साधन (उपाय) हैं ? इसमें कितना व्यय है ? हमकी निकास (खपत) कैसी है अथवा जो व्यय होगा उससे लाभ कैसा है ? इन सबों की भलीभांति विचार करके पश्चात् कार्य करता है अन्यथा बिना विचार किये कोई छोटा भी कार्य कभी नहीं करता है ।

न च व्यवसायिकं कार्यं कर्तुमीहेतु पण्डितः ॥ २६४

लाभाधिक्यं यत्क्रियते स सेवेद् व्यवसायिभिः ।

मूल्यं मानं च पण्यानां याथात्म्यान्मृगयते सदा ॥ २६६ ॥

अधिक व्ययवाले कार्यों को न करने तथा लाभवाले कार्यों को करने का निर्देश—विज्ञान को अधिक व्यय और स्वल्प लाभवाले कार्य करने की इच्छा नहीं रखनी चाहिये । और जिसमें अधिक लाभ हो ऐसे कार्य व्यवसायियों को करना चाहिये अर्थात् इससे अन्य कम लाभवाले कार्य छोड़ देने चाहिये और सदा बेचने योग्य द्रव्यों के मूल्य तथा तौल या संख्या का यथार्थ रूप से हथाल रखना चाहिये ।

तपःस्त्रीकृपिसेवासूपभोग्ये नापि भक्षणे ।

हितः प्रतिनिधिनिर्त्यं कार्येऽन्ये तं नियोजयेत् ॥ २६७ ॥

तपस्यादि में प्रतिनिधि बनाने में हितकारिता के अभाव का निर्देश—तपस्या करना, स्त्री (पत्नी), कृपि (खेती), सेवा, किसी वस्तु का उपभोग करना, भोजन करना । इन सबों के लिये अपना प्रतिनिधि किसी को बनाना हितकर नहीं है अर्थात् हानि की सम्भावना है । इससे अन्य कार्यों में प्रतिनिधि की नियुक्ति ठीक होती है ।

निर्जनत्वं मधुरभुग्ं जारश्चोरः सदेच्छति ।

साहाय्यं तु बलिद्विष्टं वेश्या धनिकमित्रताम् ॥ २६८ ॥

कुट्टपश्च छलं नित्यं स्वामिद्रव्यं कुसेवकः ।

तत्त्वं तु ज्ञानवान् दम्भं तपोऽग्निं देवजीवकः ॥ २६९ ॥

मधुरभोजी आदिको निर्जनता आदि की इच्छा रखने का निर्देश—मिठाई खानेवाला, स्त्री-लम्पट (व्यभिचारी), चोर ये सब सदा निर्जनता (एकान्त जहाँ पर कोई दूसरा न रहे) चाहते हैं । बली शत्रु से आक्रान्त हुआ पुरुष सहायता की, वेश्या-धनियों के साथ मित्रता की, दुष्ट राजा-छल की, दुष्ट नौकर स्वामी के धन की, ज्ञानी पुरुष तत्त्व जानने की, पुजारी (वेतन लेकर देवपूजा करनेवाला), दम्भ (पावण्ड), तप और अग्नि की नित्य इच्छा करते हैं ।

योग्या कान्तं च कुलटा जारं वैद्यं च व्याधितः ।

धृतपण्यो महार्घत्वं दानेशीलं तु याचकः ॥ २७० ॥

रक्षितारं मृगयते भीतश्छिद्रं तु दुर्जनः ।

योग्य कुलवधू स्त्री पति को, कुलटा स्त्री-जार (परस्त्रीगामी उपपति) को, रोगी वैद्य को, दूकानदार-महंगाई को, याचक-दानशील को, भयभीत पुरुष रक्षा करनेवाले को और दुर्जन छिद्र (दोष या बुराई करने के अवसर) को सदा हँड़ता रहता है ।

चण्डायते विवदने स्वपितृश्रानि मादकम् ॥ २७१ ॥

करोति निष्फलं कर्म मूर्खो वा स्वेष्टनाशनम् ।

मूर्ख जनों के दृश्य—मूर्खजन कभी अत्यन्त क्रोधी के समान आचरण करता है, कभी झगडा करता है, कभी अधिक सोता है, कभी मादक (भाग-दाराव आदि) द्रव्य भक्षण करता है, कभी कार्य को निष्फल और कभी अपना इष्ट कार्य या वस्तु को नष्ट कर देता है ।

तमोगुणाधिकं क्षात्रं ब्राह्मं सत्त्वगुणाधिकम् ॥ २७२ ॥

अन्यद्रजोधिकं तेजस्तेषु सत्त्वाधिकं वरम् ।

सत्त्वगुणी तेज की सर्वाधिक श्रेष्ठता का निर्देश—चत्रियों का तेज अधिक तमोगुणी, ब्राह्मणों का तेज अधिक सत्त्वगुणी, इससे अन्य देशों का तेज अधिक रजोगुणी होता है । इन सबों में अधिक सत्त्वगुणी तेज ही श्रेष्ठ होता है ।

सर्वाधिको ब्राह्मणस्तु जायते हि स्वकर्मणा ॥ २७३ ॥

तत्तेजसोऽनुतेजासि सन्ति च क्षत्रियादिषु ।

स्वकर्म से ब्राह्मण की सर्वाधिक महत्ता का निर्देश—और इन सबों में ब्राह्मण ही अपने अध्ययन-अभ्यासनादि ६ कर्मों के द्वारा सबसे अधिक श्रेष्ठ होता है । क्षत्रियादि अन्य वर्गों में जो तेज हैं वे ब्राह्मण के तेज से हीन (न्यून) हैं ।

स्वधर्मस्थं ब्राह्मणं हि दृष्ट्वा विभ्यति चेतरे ॥ २७४ ॥

क्षत्रियादिर्नान्यथा स्वधर्मं चातः समाचरेत् ।

स्वधर्मस्थ ब्राह्मण से क्षत्रियादि के डरने का निर्देश—ब्राह्मण को अपने धर्म में स्थित देखकर अन्य क्षत्रियादि जाति के लोग उससे डरते हैं अन्यथा (अपने धर्म से च्युत रहने पर) नहीं डरते हैं । अतः ब्राह्मण को अपने धर्म का आचरण करना चाहिये ।

न स्यात् स्वधर्महानिस्तु यथा घृत्त्या च सा वरा ॥ २७५ ॥

स देशः प्रवरो यत्र कुटुम्बपरिपोषणम् ।

धर्म को हानि न पहुँचानेवाली वृत्ति की श्रेष्ठता—जिस आजीविका में अपने धर्म की हानि न हो वही आजीविका श्रेष्ठ है । जिस देश में अपने कुटुम्ब का भलीभाँति पोषण हो वही देश सबसे उत्तम है ।

कृपिस्तु चोत्तमा वृत्तिर्या सरिन्मातृका मता ॥ २७६ ॥

मध्यमा वैश्यवृत्तिश्च शूद्रवृत्तिस्तु चाधमा ।

कृपिवृत्ति की सर्वाधिक उत्तमता—नदी से सीची जानेवाली कृपि (खेती) उत्तम आजीविका है । वैश्यवृत्ति (व्यवसाय—गोरक्षा आदि) मध्यम आजीविका है । शूद्रवृत्ति (सेवा) अधम आजीविका है ।

याच्याऽधमतरा वृत्तिर्ह्युत्तमा सा तपस्विषु ॥ २७७ ॥

वचचित्सेवोत्तमा वृत्तिर्धर्मशीलनृपस्य च ।

भिक्षा की अधमता तथा वचचित् भिक्षा व सेवा की भी उत्तमवृत्तिता— भिक्षावृत्ति अत्यन्त अधम आजीविका है किन्तु वही तपस्वियों के लिये उत्तम है । कहीं पर धर्मशील राजा की सेवा भी उत्तम आजीविका मानी जाती है ।

आध्वर्यवादि कर्म कृत्या या गृह्यते भृतिः ॥ २७८ ॥

सा किं महाधनायैव वाणिज्यमलमेव किम् ।

आध्वर्यवादि कर्मों से महाधनी न बन सकने का निर्देश—यजुर्वेदोक्त अध्वर्यु-सम्बन्धी कर्म करके ओ दक्षिणास्वरूप में वेतन लिया जाता है क्या वह महाधन की प्राप्ति के लिये पर्याप्त होता है ? अर्थात् कभी नहीं क्योंकि वह थोड़ा होता है । और वाणिज्य (व्यवसाय) भी क्या महाधन के लिये पर्याप्त होता है ? अर्थात् नहीं ।

राजसेवां विना द्रव्यं विपुलं नैव जायते ॥ २७९ ॥

राजसेवाऽतिगहना बुद्धिमद्भिर्विना न सा ।

कर्तुं शक्या चेतरेण, ह्यसिधारेव सा सदा ॥ २८० ॥

विना राजसेवा के विपुल धन-प्राप्ति न होने एवं राजसेवा की अतिमथ कठिनता का निर्देश—वस्तुतः विना राजसेवा के विपुल धन की प्राप्ति नहीं होती है किन्तु राजसेवा अत्यन्त गहन (कठिन) है और बुद्धिमान को छोड़कर अन्य मूर्खजनों के द्वारा वह नहीं की जा सकती है क्योंकि वह तलवार की धार के समान तीक्ष्ण है उसपर मूर्ख लोग सदा नहीं चल सकते हैं ।

व्यालप्राही यथा व्यालं मन्त्री मन्त्रबलान्नुपम् ।

करोत्यधीनं तु नृपे भयं बुद्धिमतां महत् ॥ २८१ ॥

राजाओं के साथ सर्प की भांति सतर्कता से व्यवहार करने का निर्देश— सर्प पकड़नेवाला जैसे मन्त्र के बल से सांप को अपने अधीन करता है वैसे ही मन्त्री को भी अपने मन्त्र अर्थात् मन्त्रणा (उचित सलाह) के बल से राजा को अधीन करना चाहिये इसीसे राजा को बुद्धिमानों से अधिक भय रखना चाहिये अर्थात् सतर्कता से व्यवहार करना चाहिये ।

ब्राह्मं तेजो बुद्धिमत्सु क्षात्रं राज्ञि प्रनिष्ठितम् ।
 आरादेव सदा चास्ति तिष्ठन् दूरेऽपि बुद्धिमान् ॥ २२२ ॥
 बुद्धिपार्श्वेऽन्धयित्वा सन्ताडयति कर्षति ।
 समीपस्थोऽपि दूरेऽस्ति ह्यप्रत्यक्षसहायवान् ॥ २२३ ॥

दूर रहते हुई भी समीपस्थ की भांति कार्य करनेवालों का निर्देश—
 बुद्धिमान् व्यक्तियों में ब्राह्मण-सम्बन्धी तेज तथा राजा में क्षत्रिय-सम्बन्धी तेज
 स्थापित है। अतः बुद्धिमान् लोग दूर रहते हुये भी सदा समीप में ही रहने के
 समान है। और वह बुद्धिरूपी रस्सी से राजा या शत्रु को बांधकर अच्छी
 तरह से उसको पीटना है और अपने पास खींच लेता है। एवं छिपकर अपने
 साधियों के साथ समीप में रहता हुआ दूर रहने के समान है।

नानुवाकहता । बुद्धिर्यवहारश्चमा भवेत् ।

अनुवाकहता या तु न मा सर्वत्र गामिनी ॥ २२४ ॥

वेदादि के पण्डितों का बिना नीतिशास्त्र के चतुर न बनने का निर्देश—
 अनुवाक (वेद का एक विभाग विशेष) की आलोचना करने से मारी गई
 बुद्धि लौकिक व्यवहार समझने में समर्थ नहीं होती है क्योंकि वह अनुवाक
 से मारी हुई होने से सर्वत्र घुमने वाली नहीं होती। अर्थात् वेदादि के पण्डित
 बिना नीतिशास्त्र के लोकव्यवहार में चतुर नहीं हो सकते हैं।

आदौ वरं निर्धनत्वं धनिकत्वमनन्तरम् ।

तथादौ पादगमनं यानगत्वमनन्तरम् ॥ २२५ ॥

सुखाय कल्पते । नतयं दुःखाय विपरीतकम् ।

प्रथम निर्धनतादि के बाद धनी आदि होने में सुख-प्राप्ति का निर्देश—
 पहले दरिद्र होना पीछे धनी होना एवं पहले पैदल चलना बाद में सवारी पर
 चढ़ना अच्छा होता है क्योंकि इसमें सुख मिलता है और यदि इससे विपरीत
 हो तो दुःख होता है।

वरं हि त्वनपत्यत्वं मृतापत्यवतः सदा ॥ २२६ ॥

दुप्रयानात्पादगमो ह्यौदासीन्यं विरोधतः ।

मृतापत्यता आदि से अनपत्यता आदि की श्रेष्ठता का निर्देश—सन्तान
 होकर मर जाने की अपेक्षा नि सन्तान रहना, दुष्ट घोड़े आदि की सवारी से
 पैदल चलना और झगड़ा करने से तटस्थ (उदासीन) बना रहना अच्छा
 होता है।

वरं देशाच्छादनतश्चर्मणा पादगूहनम् ॥ २२७ ॥

ज्ञानलवदौषिदग्ध्यादज्ञता प्रवरा मता ।

चलने-फिरने के प्रदेश को चमड़े से ढंक देने की अपेक्षा चमड़े का जूता

पार्षो में पहन लेना और थोड़े से ज्ञान से ही चतुर बनने से मूर्ख बनना अच्छा होता है ।

परगृहनिवासाद्धथरण्ये निवसनं वरम् ॥ २८८ ॥

प्रदुष्टभार्यागार्हस्थ्यार्द्धैत्यं वा मरणं वरम् ।

और दूसरे के गृह में निवास करने से जंगल में रहना और अत्यन्त दुष्ट स्त्री से गृहस्थी चलाने की अपेक्षा भीख मांगना या मर जाना अच्छा है ।

श्वमैथुनमृणं गर्भाधानं स्वामित्वमेव च ॥ २८९ ॥

खलसख्यमपध्यं तु प्राक्सुखं दुःखनिर्गमम् ।

प्रथम सुखकर पश्चात् दुःखकर विषयों का निर्देश—कुर्षों का मैथुन करना, श्रम लेना, गर्भाधान होना, स्वामी बनना, दुष्टों के साथ मित्रता करना और कुपथ्य सेवन करना, ये सभी पहले सुखकर प्रतीत होते हैं पश्चात् दुःखदायी होते हैं ।

कुमन्त्रिभिर्नृपो रोगी कुवैद्यैः कुनृपैः प्रजा ॥ २९० ॥

कुसन्तत्या कुलं चाश्मा कुबुद्ध्या हीयतेऽनिशम् ।

कुमन्त्री आदिकों से राजादिकों के नाश का निर्देश—दुष्ट मन्त्रियों से राजा, अनादी वैद्यों से रोगी, दुष्ट राजाओं से प्रजा, दुष्ट सन्तान से कुल, कुबुद्धि से आश्मा इन सबों की दिन पर दिन उत्तरोत्तर अवस्था बिगड़ती जाती है ।

हस्त्यश्ववृषबालस्त्रीशुकानां शिक्षको यथा ॥ २९१ ॥

तथा भवन्ति ते नित्यं संसर्गगुणधारकाः ।

शिञ्जकानुसार हारयादि का सद्गुणादि के धारण करने का निर्देश—हाथी, घोड़ा, बैल, बालक, स्त्री तथा सुरा इन सबों के जैसे शिञ्जक होते हैं उसके अनुसार ही वे संसर्गवश अच्छा या बुरा गुण धारण करनेवाले हो जाते हैं ।

स्याज्जयोऽवसरोक्त्या सद्ब्रह्मैः सुप्रसिद्धता ॥ २९२ ॥

सभायां विद्यया मानास्त्रतयं त्वधिकारतः ।

अधिकार प्राप्त होने पर स्वयं प्राप्त होनेवाली ३ बातें—उचित अवसर आने पर ही कहने या करने से किसी कार्य की सिद्धि होती है और अच्छे वस्त्रों के पहनने से लोगों के बीच में सुप्रसिद्धि एवं सभा में विद्या से मान (प्रतिष्ठा) प्राप्त होता है । किन्तु अधिकार प्राप्त होने पर (स्वामी बनने पर) उक्त ३ चीनों यातें स्वयं प्राप्त हो जाती हैं ।

सुभार्या सुष्टु चापत्यं सुविद्या सुधनं सुहृत् ॥ २९३ ॥

सुदासदास्थौ सद्ब्रह्मैः सद्देशम सुनृपः सदा ।

गृहिणां हि सुखायालं दशैतानि न चान्यथा ॥ २९४ ॥

गृहस्थियों के सुखदायक विषयों का निर्देश—गुणवती सुशीला स्त्री, सुन्दर गुणवान् सन्तान, उत्तम विद्या, उत्तम धन, अच्छा मित्र, अच्छे नौकर, अच्छी नौकरानी, सुन्दर रोगरहित शरीर, सुन्दर गृह, अच्छा राजा ये १० बातें गृहस्थ पुरुषों के लिये सदा अत्यन्त सुखदायक होती हैं। इनसे विपरीत होने पर सुख के स्थान पर दुःख देनेवाली होती हैं।

वृद्धाः सुशीला विरक्ताः, सदाचाराः स्त्रियो नराः।

क्लीबा वाऽन्तःपुरे, योग्या न युवा मित्रमप्युत ॥ २६५ ॥

अन्तःपुर में नियुक्त करने योग्य पुरुषों के लक्षण—जो स्त्री पुरुष या नपुंसक देखने में वृद्ध, सुशील, विश्वासी और सदाचारी हों उन्हीं को अन्तःपुर (रानिवाम) में नियुक्त करना उचित होता है। किन्तु मित्र भी यदि युवा पुरुष हो तो उसकी नियुक्ति अन्तःपुर के लिये अनुचित होती है।

वालं नियम्य कार्याणि ह्याचरेन्नान्यथा क्वचित्।

गवादिष्वारम्भवज्ज्ञानमात्मान चार्थधर्मयो. । २६६ ॥

नियुञ्जीतान्नससिद्धथै मातर शिक्षणे गुरुम्।

समय बांधकर कार्य करने आदि का एवं अर्थ और धर्म में आत्मादि की नियुक्ति करने का निर्देश—समय बांध कर कार्य करना चाहिये, अन्यथा बिना समय बांधे कभी कार्य नहीं करना चाहिये। और गौ आदि पशुओं में भी अपने सदृश व्यवहार (पालन आदि) करना चाहिये, अर्थ और धर्म के उपार्जन में अपने को लगाना चाहिये एवं भोजन बनाने के लिये माता की तथा शिक्षा देने के लिये गुरु की नियुक्ति करनी चाहिये।

गच्छेदनियमेनैव सदैवान्तःपुरं नरः ॥ २९७ ॥

मनुष्य को सदैव अन्तःपुर में बिना समय बांधे (एकाएक) पहुँच जाना चाहिये (प्रेमा करने से दुराचार होने का भय नहीं रहता है)।

भार्याऽनपत्या मद्यानं भारवाही सुरक्षकः।

परदुःखहरा विद्या सेवकश्च निरालसः ॥ २९८ ॥

पठेतानि सुखायालं प्रवासे तु नृणां सदा।

प्रवास के समय में सुखदायी अनपत्य भार्यादि ६ का निर्देश—प्रवास के समय मनुष्यों को अपने साथ में बिना सन्तान की स्त्री, अच्छी सवारी, ढोनेवाला कुली, रक्षा करनेवाला सिपाही, दूसरों के दुःख को दूर करनेवाली विद्या, आडम्बरहित (फुर्तीला) नौकर ये ६ सदा अत्यन्त सुखदायक होते हैं।

मार्गं निरुध्य न स्थेयं समर्थेनापि कर्हिचित् ॥ २९९ ॥

सद्यानेनापि गच्छेन्न हृद्मार्गे नृपोऽपि च।

राजा को भी शान्त घोड़े आदि से भी बाजार के अन्दर न जाने का निर्देश—सामर्थ्यशाली होकर भी कभी मार्ग रोक कर नहीं खड़ा रहना चाहिये । राजा को भी शान्त घोड़े आदि की सवारी से भी बाजार के अन्दर भीड़ में नहीं जाना चाहिये ।

ससहायः सदा च स्याद्ध्वगो नान्यथा क्वचित् ॥ ३०० ॥

समीपसन्मार्गजलाभयग्रामेऽध्वगो वसेत् ।

तथाविधे वा विरमेन्न मार्गे विपिनेऽपि न ॥ ३०१ ॥

पथिकों को यात्रा के समय कर्तव्या-कर्तव्य विषयों का निर्देश—पथिक को साथी से युक्त सदा यात्रा करनी चाहिये, इससे अन्वया अर्थात् बिना साथी के कभी नहीं यात्रा में रहना चाहिये । और उसे मार्ग के समीप जल की सुविधा से युक्त तथा किसी प्रकार के भय से रहित ग्राम में यात्रा के समय टहरना चाहिये । भयरहित, जलयुक्त जो मार्ग न हों वहाँ पर एवं जंगल में विधाम नहीं करना चाहिये ।

अत्यन्तं चानशनमतिमैथुनमेव च ।

अत्यायासश्च सर्वेषां द्रामजराकरणं महत् ॥ ३०२ ॥

अत्यायासो हि विद्यासु जराकारी कलासु च ।

शीघ्र वृद्धता लानेवाले विषयों का निर्देश—अत्यन्त भ्रमण, उपवास, अत्यन्त मैथुन, अत्यन्त परिश्रम इन सबों के करने से सभी को शीघ्र अत्यन्त वृद्धता आ जाती है । और विद्याध्ययन तथा कलाओं के सीखने में अत्यन्त परिश्रम करना भी वृद्धावस्था ला देता है ।

दुर्गुणं तु गुणीकृत्य कीर्तयेत् स प्रियो भवेत् ॥ ३०३ ॥

गुणाधिक्यं कीर्तयति यः किं स्यान्न पुनः सखा ।

प्रिय होने के उपाय—जो दुर्गुण को गुण बतलाकर उसका बखान करता है वह संसार का प्रिय होता है । और जो गुण को बढ़ा-बढ़ा कर प्रशंसा करता है वह कभी न मित्र हो जाय, अर्थात् वह अवश्य मित्र हो जाता है ।

दुर्गुणं वक्ति सत्येन प्रियोऽपि सोऽप्रियो भवेत् ॥ ३०४ ॥

गुणं हि दुर्गुणोक्त्य वक्ति यः स्यात्कथं प्रियः ।

अप्रिय होने के कारणों का निर्देश—जो सचमुच विद्यमान दुर्गुण को कहता है वह प्रिय होकर भी सुननेवाले का अप्रिय हो जाता है । और जो गुण को दुर्गुण बतलाकर कहता है वह भला कैसे प्रिय हो सकता है ।

स्तुत्या वशां यान्ति देवा ह्यब्जसा किं पुनर्नराः ॥ ३०५ ॥

प्रत्यक्षं दुर्गुणान् नैव वक्तुं शक्नोति कोऽप्यतः ।

स्तुति से देवता के वशवर्ती होने का निर्देश—जब स्तुति करने से देवता

भी वस्तुतः वश में हो जाते हैं तब मनुष्यों की क्या बात है ? अर्थात् मनुष्य अवश्य वश में हो जाते हैं । इसीसे कोई भी किसी के सामने उसके दुर्गुणों को नहीं कह सकता है (क्योंकि वह जानता है कि सुननेवाला क्रुद्ध हो जायगा) ।

स्वदुर्गुणान् स्वयं चातो विमृशेन्नोक्तशास्त्रतः ॥ ३०६ ॥

स्वदुर्गुणों का स्वयं विचार करने का निर्देश—अतः स्वयं अपने दुर्गुणों को लोक तथा शास्त्र से विचार करना चाहिये अर्थात् मुझमें कौन-कौन दुर्गुण हैं ।

स्वदुर्गुणश्रवणतो यस्तुष्यति न क्रुध्यति ।

स्वोपहासप्रविज्ञाने यतते त्यजति श्रुते ॥ ३०७ ॥

स्वगुणश्रवणाभित्यं समस्तिष्ठति नाधिकः ।

दुर्गुणानां खानिरहं गुणाधान कथं भयि ॥ ३०८ ॥

मर्त्येव चाज्ञताऽप्यस्ति मन्यते सोऽधिकोऽखिलात् ।

न साधुस्तस्य देवा हि कलालेशं तभन्ति न ॥ ३०९ ॥

महान् पुरुष के लक्षण—जो व्यक्ति अपने दुर्गुणों के सुनने से संतोष को प्राप्त होता है और क्रुद्ध नहीं होता है बल्कि अपने उपहासकर दोषों को विशेष रूप से जानने के लिये प्रयत्न करता है । और दोषों को सुनने पर छोड़ देता है । और अपने गुणों को सुनकर निरय समभाव में रहता है । किसी प्रकार की स्फूर्ति नहीं रखता है अर्थात् खुशी से उद्वलता नहीं है एवं मैं तो दुर्गुणों का खान हूँ अतः मेरे में गुण कैसे आया क्योंकि मूर्खता तो केवल मुझमें ही है । ऐसा जो समझता है वह संपूर्ण जगत् के लोगों की अपेक्षा महान् है और वह साधु पुरुष कहलाता है एवं देवता लोग उसकी कला के एक अंश को भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं (फिर मनुष्यों की बात क्या है) ॥

सदाऽल्पमप्युपकृतं महत् साधुषु जायते ।

मन्यते संपपादल्पं महत्त्वोपकृतं खलः ॥ ३१० ॥

साधु पुरुष तथा खल पुरुष के लक्षण—सज्जन पुरुष लोग सदा थोड़े भी उपकार को बड़ा समझते हैं और खल लोग बहुत बड़े भारी उपकार को भी सरसो से भी छोटा (अतिरुच्छ) समझते हैं ।

क्षमिणं बलिनं साधुर्मन्यते दुर्जनोऽन्यथा ।

दुरुक्तमप्यतः साधोः क्षमयेद् दुर्जनस्य न ॥ ३११ ॥

साधु पुरुष चमाशील व्यक्ति को बलवान और दुर्जन पुरुष इससे विपरीत अर्थात् दुर्बल समझते हैं अतः साधु पुरुष का दुर्बल समझना उचित है किन्तु दुर्जन का महाना उचित नहीं है ।

तथा न क्रीडयेत् कैश्चित् कलहाय भवेद्यथा ।

विनोदेऽपि शपेन्नैत्रं ते भार्या कुलटाऽस्ति किम् ॥ ३१२ ॥

कलहकारक क्रीडा आदि करने का निषेध—ऐसी क्रीडा अर्थात् मनो-विनोद की बात नहीं करनी चाहिये जिससे झगडा खड़ा हो जाय । जैसे विनोद में भी ऐसा नहीं कहना चाहिये कि—क्या तुम्हारी स्त्री कुलटा (व्यभिचारिणी) है ? ।

अपशब्दाश्च नो वाच्या मित्रभावाच्च केष्वपि ।

गोप्यं न गोपयेन्मित्रे नद्रुगोप्यं न प्रकाशयेत् ॥ ३१३ ॥

मित्र के प्रति कर्त्तव्याकर्त्तव्य विषयों का निर्देश—किसी व्यक्ति के लिये मित्रभाव से भी अपशब्दों (कटुवचनों) का प्रयोग करना उचित नहीं है । मित्र से गोप्य विषय को न झिपावे और उसके गोप्य विषय को कहीं प्रकाशित न करे ।

वैरीभूतोऽपि पश्चात् प्राक्कथितं वापि सर्वदा ।

विज्ञातमपि यद्दोष्ट्यं दर्शयेत्तन्न कर्हिचित् ॥ ३१४ ॥

प्रतिकर्तुं यतैव गुप्तः कुर्यात् प्रतिक्रियाम् ।

कारणवश मित्र के वैरी बन जाने पर भी मित्रतावस्था में पहले कही हुई गुप्त बातों को एवं जाने हुये उसके दोषों को भी कहीं पर सदा प्रकाशित न करे और गुप्त होकर उसकी दुर्भावना को दूर करने का यत्न करे और दूर भी करे ।

यथार्थमपि न ब्रूयाद् बलवद्विपरीतकम् ॥ ३१५ ॥

दृष्टं त्वष्टवत् कुर्याच्छतमप्यश्रुतं क्वचित् ।

बलवान के प्रति विपरीत बातें न करने का निर्देश—बलवान् पुरुषों की विपरीत अर्थात् ग्लानिजनक कोई बातें यदि यथार्थ भी हों तो भी उन्हें उसके सामने न कहे, एवं जो देखी भी हों उन्हें अनदेख कर दे और जो कहीं सुनी भी हों उन्हें अनसुनी कर दे ।

मूकोऽन्धो बधिरः खञ्जः स्वापत्काले भवेन्नरः ॥ ३१६ ॥

अन्यथा दुःखमाप्नोति हीयते व्यवहारतः ।

मनुष्य को आपत्ति पड़ने पर कर्त्तव्य कर्मों का निर्देश—मनुष्य को अपने ऊपर आपत्ति आ जाने पर किसी प्रबल पुरुष की सुरी सत्य बात कहने के लिये मूक (गूंगा) बन जावे, बुराई देखने के लिये अन्धा, बुराई सुनने के लिये बहरा एवं बुराई करने के लिये दौड़-धूप करने में लंगड़ा बन जावे अर्थात् किसी भांति से बुरा लगनेवाला व्यवहार न करे, यदि ऐसा नहीं करेगा तो दुःख पायेगा और व्यवहार सँ गिर जायेगा ।

वदेद् वृद्धानुकूलं यन्न बालसदृशं क्वचित् ॥ ३१७ ॥

परवेश्मगतस्तस्त्रीवीक्षणं न च कारयेत् ।

वृद्धजनों के अनुकूल वचन-बोलने का एवं किसी की स्त्री को घूर कर न देखने का निर्देश—वृद्धजनों के अनुकूल वचन बोलना चाहिये, कहीं पर बच्चों की-सी बातें नहीं करनी चाहिये । और किसी के घर में पहुँचने पर उसकी स्त्री की तरफ घूर कर नहीं देखना चाहिये (बल्कि देखकर नीची निगाह कर लेना चाहिये) ।

अधनादननुज्ञात्तान्न गृह्णीयात्तु स्वाभिताम् ॥ ३१८ ॥

स्वशिशुं शिश्वयेदन्यशिशुं नाप्यपराधिनम् ।

अन्य के अपराधी बालक को दण्ड न देने का निषेध—किसी गरीब के अधीन किसी अधिकार को बिना उसकी अनुमति के प्रभुत्व न स्वीकार करे । अपने बच्चों का शासन करे किन्तु दूसरे के बच्चों को अपराध करने पर भी दण्ड न दे ।

अधर्मनिरतो यस्तु नीतिहीनश्चलान्नरः ॥ ३१९ ॥

संकर्षकोऽतिदण्डी तदुग्रामं त्यक्त्वाऽन्यतो वसेत् ।

ग्राम को छोड़कर अन्यत्र वास करने की अवस्थाओं का निर्देश—यदि ग्राम का स्वामी अधर्म में निरत, नीति पर नहीं चलनेवाला, अव्यवस्थित चित्तवाला, धन का शोषण करनेवाला और अधिक तीव्र दण्ड देनेवाला हो तो उस (ग्राम) को छोड़कर अन्यत्र निवास करना चाहिये ।

यथार्थमपि विज्ञातमुभयोर्वादिनोर्मतम् ॥ ३२० ॥

अनियुक्तो न वै ब्रूयाद्धीनशत्रुर्भवेदतः ।

बिना जज की आज्ञा के वादी-प्रतिवादी के विषय में सत्याप्त्यादि बातें न कहने का निर्देश—वादी और प्रतिवादी उन दोनों के मत को यथार्थ रूप से जान कर भी अर्थात् 'किसका सत्य है और किसका झूठ है' यह जानकर भी बिना राजा या जज के द्वारा नियुक्त किये स्वयं चलकर न कहे क्योंकि जो हारेगा वह शत्रु हो जायगा अतः न कहे । और इससे मनुष्य किसी का शत्रु नहीं हो सकता है ।

गृहीत्वाऽन्याविवादं तु विवदन्नैव केनचित् ॥ ३२१ ॥

मिलित्वा सङ्घशो राजमन्त्रं नैव तु तर्कयेत् ।

अन्य के विवाद को ग्रहण कर किसी के संग विवाद न करने का निर्देश—दूसरे के झगड़े में पड़कर किसी के साथ झगड़ा न करे । और किसी के दल में मिलकर राजा के द्वारा की हुई किसी मन्त्रणा के विषय में तर्कवितर्क नहीं करना चाहिये ।

अज्ञातशास्त्रो न म्रूयाज्ज्यौतिषं धर्मनिर्णयम् ॥ ३२२ ॥
नीतिदण्डं चिकित्सां च प्रायश्चित्त क्रियाफलम् ।

बिना शास्त्रज्ञान के न करने योग्य विषयों का निर्देश—बिना शास्त्र का ज्ञान प्राप्त किये हुये (मूर्ख) पुरुष को ज्यौतिष, धर्म का निर्णय, दण्डनीति या नीति एवं दण्डविषयक विवरण, चिकित्सा, प्रायश्चित्त और किसी कार्य का परिणाम (नतीजा) के विषय में कुछ न करे या न बहे ।

पारतन्त्र्यात्परन्दुःखं न स्वातन्त्र्यात्परं सुखम् ॥ ३२३ ॥

अप्रवासी गृही नित्यं स्वतन्त्रः सुखमेधते ।

पारतन्त्र्य से बढ़कर दुःख और स्वतन्त्रता से बढ़कर सुख न होने का निर्देश—परतन्त्रता (पराधीनता) से बढ़कर दूसरा कोई दुःख और स्वाधीनता से बढ़कर दूसरा कोई सुख नहीं है । एवं प्रवास नहीं करनेवाला तथा स्वाधीन होकर अपने ही घर में रहनेवाला पुरुष सुख प्राप्त करता है ।

नूतनप्राक्तनानां च व्यवहारविदां धिया ॥ ३२४ ॥

प्रतिक्षणं चाभिनवो व्यवहारो भवेदतः ।

वक्तुं न शक्यते प्रायः प्रत्यक्षादनुमानतः ॥ ३२५ ॥

उपमानेन तज्ज्ञानं भवेदाप्तोपदेशतः ।

प्रत्यक्षादि ४ प्रमाणों से व्यवहार-ज्ञान होने का निर्देश—नवीन तथा प्राचीन व्यवहार में चतुर लोगों की बुद्धि से प्रतिक्षण नये-नये व्यवहार होते रहते हैं अतः प्रायः करके उन सबों का कहना कठिन है इसीसे प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा भास पुरुषों के उपदेश (शब्द प्रमाण) से उन सबों का ज्ञान प्राप्त करना चाहिये ।

कथितं तु समासेन सामान्यं नृपराष्ट्रयोः ॥ ३२६ ॥

नीतिशास्त्रं हितायालं यद्विशिष्टं नृपे स्मृतम् ।

इति शुक्रनीतौ नृपराष्ट्रसामान्यलक्षणं नाम तृतीयोऽध्यायः समाप्तः ।

इस प्रकार से संक्षेपरूप में सामान्यतः (साधारणतया) राजा तथा राष्ट्र (प्रजाजन) दोनों के सम्बन्ध में और विशेषतः केवल राजा के लिये जो नीतिशास्त्र पर्याप्त हितकारक है उसे कहा गया ।

इति शुक्रनीति में नृप-राष्ट्र-सामान्य-लक्षणनामक तृतीय

अध्याय समाप्त हुआ ।

चतुर्थोऽध्यायः

चतुर्थाध्याये प्रथमं प्रकरणम् ।

अथ मिश्रप्रकरणं प्रवक्ष्यामि समासतः ।

लक्षणं सुहृदादीनां समासाच्छृणुताधुना ॥ १ ॥

अब मिश्रप्रकरण (विविध विषयों का प्रकरण) संक्षेप से कहता हूँ, उसमें प्रथम सुहृदादियों के लक्षण संक्षेप से हम समय तुम लोग सुनो ।

मित्रं शत्रुश्चतुर्धा स्यादुपकारापकारयोः ।

कर्ता कारयिता चानुमन्ता यश्च सहायकः ॥ २ ॥

मित्र और शत्रु के प्रकारों का निर्देश—मनुष्य किसी का उपकार या अपकार करने से क्रम से मित्र या शत्रु होता है जो प्रत्येक करनेवाला, करानेवाला, अनुमति देनेवाला और सहायता करनेवाला इन भेदों से ४ प्रकार का होता है ।

यस्य सुहृवते चित्त परदुःखेन सर्वदा ।

इष्टार्थे यततेऽन्यस्य प्रेरितः सत्करोति यः ॥ ३ ॥

आत्मस्त्रीधनगुह्यानां शरण समये सुहृत् ।

प्रोक्तोत्तमोऽयमन्यश्च द्वित्रयेकपदमित्रकः ॥ ४ ॥

४ पादों से युक्त उत्तम मित्र के लक्षण—१. जिसका चित्त दूसरे (मित्र) के दुःख से सदा द्रवीभूत हो जाता है । २. और जो दूसरे (मित्र) के अभीष्ट कार्य की सिद्धि के लिये सदा यत्न करता है । ३. तथा बिना प्रेरणा किये ही स्वयं मित्र का सत्कार करता है । ४. एवं अपने (मित्र को) स्त्री, धन और गुप्त विषयों की समय पढ़ने पर रक्षा करनेवाला होता है, इस प्रकार ४ पादों से युक्त वह मित्र 'उत्तम' कहलाता है । इससे अन्य अर्थात् योग्यतानुसार न्यून-पादवाला होने से तीन, दो तथा एक पादवाला मित्र कहलाता है । इसका भाव यह है कि—जिसका चित्त मित्र के दुःख से द्रवीभूत होता है, और जो मित्र की अभीष्ट-सिद्धि के लिये यत्न करता है एवं बिना प्रेरणा किये सत्कार करता है वह 'त्रिपदमित्रक' और जिसका चित्त मित्र के दुःख से द्रवीभूत होता है और जो अभीष्ट-सिद्धि के लिये यत्न करता है वह 'द्विपदमित्रक' एवं जो केवल मित्र के दुःख से द्रवित चित्तवाला होता है वह 'एकपदमित्रक' कहलाता है ।

अनन्यस्वत्वकामत्वमेकस्मिन् विषये द्वयोः ।

वैरिलक्षणमेतद्वाऽन्येष्टनाशनकारिता ॥ ५ ॥

वैरभाव रखनेवालों के दो लक्षणों का निर्देश—एक वस्तु के विषय में दो व्यक्तियों का 'अपना २ स्वस्व जमाने की इच्छा रखना' अथवा 'एक दूसरे के अभीष्ट कार्य को नष्ट करना' ये दोनों लक्षण वैरभाव रखनेवालों के हैं ।

भ्रात्रभावेऽपि तु द्रव्यमखिलं मम वै भवेत् ।

न स्यादेतस्य वश्योऽयं ममैव स्यात् परस्परम् ॥ ६ ॥

भोक्ष्येऽखिलमहं चैतद्विनाऽन्यं स्तः सुवैरिणौ ।

द्वोष्ट द्विष्ट उभौ शत्रु स्तश्चैकतरसंज्ञकौ ॥ ७ ॥

परम शत्रु और एकतरफा शत्रु भाइयों के लक्षण—भाई के रहने पर भी 'पिता का सम्पूर्ण द्रव्य मेरा ही हो, इस दूसरे भाई का न हो, यह भाई मेरे ही अधीन रहे मैं इसके अधीन न रहूँ, और मैं इसको भलय रखकर अकेले समग्र वस्तु का उपभोग 'कहूँगा' ऐसा जो परस्पर भाई लोग एक दूसरे के प्रति विचार रखते हैं, वे दोनों 'परमशत्रु' कहलाते हैं । जो केवल द्वेष करता है और जो किसी का द्वेषपात्र होता है वे दोनों 'एकतरफा शत्रु' कहलाते हैं ।

शूरस्योत्थानशीलस्य बलनीतिमतः सदा ।

सर्वे मित्रा गूढवैरा नृपाः कालप्रतीक्षकाः ॥ ८ ॥

भवन्तीति किमाश्चर्यं राज्यलुब्धा न ते हि किम् ।

न राज्ञो विद्यते मित्रं राजा मित्रं न कस्य वै ॥ ९ ॥

प्रायः कृत्रिममित्रे ते भवतश्च परस्परम् ।

केचित् स्वभावतो मित्राः शत्रवः सन्ति सर्वदा ॥ १० ॥

राजाओं की परस्पर कृत्रिम-मित्रता का निर्देश—'जो राजा शूर, सदा उन्नति के लिये उद्योगशील एवं बल तथा नीति से युक्त होता है उसके सभी राजा लोग समय की प्रतीक्षा करनेवाले (मौका का इन्तजार करनेवाले) होकर गुप्त रूप से वैरभाव और ऊपर से मित्रभाव रखनेवाले होते हैं' इस पर आश्चर्य करना क्या उचित है ? अर्थात् कभी नहीं । क्योंकि क्या वे (राजा लोग) राज्य के लोभी नहीं हैं अर्थात् अवश्य हैं । इससे यह सिद्ध हुआ कि राजा का कोई मित्र नहीं होता है और राजा भी किसी के मित्र नहीं होते हैं किन्तु प्रायः वे (दोनों राजा) मतलब के लिये परस्पर कृत्रिम मित्र बने रहते हैं । और कोई स्वभावतः सदा मित्र या शत्रु ही होते हैं ।

माता मानुकुलं चैव पिता तत्पितरौ तथा ।

पितृपितृव्यात्मकन्या पत्नी तत्कुलमेव च ॥ ११ ॥

पितृमात्रात्मभगिनीकन्यकासन्ततिश्च या ।

प्रजापालो गुरुश्चैव मित्राणि सहजानि हि ॥ १२ ॥

सहज मिश्र कहलानेवालों का निर्देश—जैसे—माता, माता के कुल के लोग नाना भादि, पिता, पिता के माता-पिता (दादा-दादी), पिता के चचा, अपनी लड़की, परनी, परनी के कुल के लोग (समुरालवाले), पिता की बहिन (फूभा), माता की बहिन (मौसी), अपनी बहिन, कन्या की सन्तान अथवा फूआ और मौसी की लड़की-लड़के, राजा, गुरु ये सब सहज (स्वाभाविक) मित्र होते हैं ।

विद्या शौर्य च दाक्ष्यं च बलं धैर्यं च पञ्चमम् ।

मित्राणि सहजान्याहुवर्तयन्ति हि तैर्बुधाः ॥ १३ ॥

विद्यादि ५ की सहज मित्रता का निर्देश—विद्या, शूरता, चतुरता, बल तथा धीरता ये पांचों भी सहज मित्र कहलाते हैं क्योंकि पण्डित लोग इन्हीं से अपनी जीविका चलाते हैं ।

पुत्रो निर्देशवर्त्ता यः स पुत्रोऽन्वर्थनामवान् ।

श्रेष्ठ एकस्तु गुणवान् कि शतैरपि निर्गुणैः ॥ १४ ॥

सार्थक पुत्र के लक्षण—माता-पिता के आज्ञावशवर्त्ता जो पुत्र होता है वही सार्थक नामवाला (सार्थक) पुत्र कहलाता है । और एक गुणवान् पुत्र श्रेष्ठ होता है, सैकड़ों निर्गुण (मूर्ख) पुत्रों से क्या ? अर्थात् पिता का हनसे कोई प्रयोजन मित्र नहीं होता है ।

स्वभावतो भवन्त्येते हिंस्रो दुर्वृत्त एव च ।

ऋणकारी पिता शत्रुर्माता स्त्री व्यभिचारिणी ॥ १५ ॥

आत्मपितृभ्रातरश्च तत्स्त्रीपुत्राश्च शत्रवः ।

स्वाभाविक शत्रु के लक्षण—स्वभावतः निम्नलिखित ये सब शत्रु होते हैं, जैसे, हिंसाशील, दुराचारी (दुष्ट), ऋण करनेवाला पिता, व्यभिचारिणी माता तथा स्त्री, अपने तथा पिता के भाई लोग (भाई-बचा) और भाई तथा चचा के स्त्री-और पुत्र, ।

स्तुपा श्वश्रुः सपत्नी च ननान्दा यातरस्तथा ॥ १६ ॥

परस्पर शत्रु कहलानेवालों का निर्देश—पतोहू और सास, सौत-सौत, ननद-भौजाई, देवरानी-जेठानी ये सब प्रायः परस्पर शत्रु होती हैं ।

मूर्खः पुत्रः कुबैद्यश्चारक्षकस्तु पतिः प्रभुः ।

चण्डश्चण्डा प्रजा शत्रुरदाता धनिकश्च यः ॥ १७ ॥

मूर्ख पुत्रादिकों की शत्रु संज्ञा का निर्देश—मूर्ख पुत्र, दुष्ट चिकित्सक (र अर्थ वैद्य), नहीं रचा करनेवाला पति (स्वामी), अत्यन्त क्रोधी प्रभु (राजा) अत्यन्त क्रोध करनेवाली प्रजा या सन्तान, नहीं देनेवाला (कंजूस) धनी जो होता है वह शत्रु है ।

दुष्टानां नृपतिः शत्रुः कुलदानां पतिप्रवा ।

नाघुः स्वलानां शत्रुः स्यान्नूर्त्वाणां बोधको रिपुः ॥ १८ ॥

दुष्टों के लिये राजा, कुलदानों के लिये पतिप्रता खी, दुर्जनों के लिये सज्जन और मूर्खों के लिये उपदेश देनेवाला शत्रु होता है ।

उपदेशो हि मूर्त्वाणां क्रोधायैव शमाय न ।

पयः पानं मुञ्जद्वानां विपायैवान्नाय न ॥ १९ ॥

मूर्खों के लिये उपदेश देने का निषेध—इच्छा—मूर्खों के लिये उपदेश देना केवल क्रोधजनक होता है उममें उसे शान्ति नहीं मिलती है । और मर्षों के लिये दूध पिलाना केवल विषवर्द्धक होता है उममें अमृत नहीं होना है अर्थात् विष के बड़ले अमृत नहीं निकलता ।

आसमन्ताच्चतुर्दिक्षु सन्निकृष्टाश्च ये नृपाः ।

तत्परास्तत्पराः येऽन्ये क्रमाद्धीनबलारयः ॥ २० ॥

शत्रूदासीनमित्राणि क्रमात्ते स्युस्तु प्राकृताः ।

अपि मित्रमुदासीनोऽनन्तरस्तत्परः परः ॥ २१ ॥

क्रमशो वा नृपा ज्ञेयाश्चतुर्दिक्षु तथाऽरयः ।

स्वसमीपतरा मृत्या ह्यमात्याद्याश्च कीर्तिताः ॥ २२ ॥

राजाओं के स्वामाधिक शत्रु-उदासीन-मित्र राजाओं के लक्षण—राजा के राज्य के सब ताक चारों दिशाओं में समीपवर्ती एवं उनके बाद पुनः उनके बाद के जो अन्य राजा लोग हैं वे क्रम से स्वामाधिक पाम के शत्रु, उनके बाद के उदासीन और पुनः उनके बाद के मित्र होते हैं । और हीन बलवाले शत्रु भी पाम के, उनके बाद के पुनः उनके बाद के इस क्रम से शत्रु, उदासीन तथा मित्र होते हैं । और अति, मित्र और उदासीन राजाओं के भी चारों दिशाओं में पास के, उनके बाद के पुनः उनके बाद के इस क्रम से उनके भी शत्रु, मित्र और उदासीन होते हैं । और अपने अत्यन्त समीपवर्ती मृत्यु तथा अमात्य (मन्त्री) आदि भी राजा के द्वारा कष्ट दिये जाने पर शत्रु हो जाते हैं ।

वृद्ध्येत् कर्षयेन्मित्रं हीनाधिकबलं क्रमात् ।

भेदनीयाः कर्षणीयाः पीडनीयाश्च शत्रवः ॥ २३ ॥

विनाशनीयास्ते सर्वे सामादिमरुपक्रमैः ।

मित्र और शत्रु राजाओं के प्रति राजाओं के आचरण का निर्देश—हीनबल और अधिक बलवाले मित्र राजाओं की भी क्रम से वृद्धि तथा शीघ्रता करे । और जो शत्रु राजा लोग हैं उनमें सामादि उपायों से भेद डालना तथा उन्हें शीघ्र, पीडित एवं नष्ट करना चाहिये ।

मित्रं शत्रुं यथायोग्यैः कुर्यात् स्ववशवर्तिनम् ॥ २४ ॥

उपायेन यथा न्यालो गजः सिंहोऽपि साध्यते ।

जिस प्रकार से उपाय द्वारा सर्प, हाथी तथा सिंह को अपने वश में किया जाता है उसी प्रकार से यथायोग्य उपायों से मित्र तथा शत्रु को अपना वशवर्ती बनाना चाहिये ।

भूमिप्राः स्वर्गमायान्ति वज्रं भिन्दन्त्युपायतः ॥ २५ ॥

क्योंकि उपाय से मनुष्य भूमि में रहकर स्वर्ग पहुँच जाता है और वज्र को भी विदीर्ण कर देता है ।

सुहृत्संबन्धिस्त्रीपुत्रप्रजाशत्रुषु ते पृथक् ।

सामदानभेददण्डाश्चिन्तनीयाः स्वयुक्तितः ॥ २६ ॥

मित्रादि के प्रति सामादिकों का विचार स्वयुक्तियों से करने का निर्देश— मित्र, संबन्धी, पुत्र, प्रजा और शत्रु इन सबों के विषय में उक्त साम, दान, तथा दण्ड का अपनी युक्ति से पृथक् २ विचार करना चाहिये ।

एकशीलवयोविद्याजातिव्यसनवृत्तयः ।

साहचर्ये भवेन्मित्रमेभिर्यदि तु साजवैः ॥ २७ ॥

मित्रता होने के कारणों का निर्देश—जिनके परस्पर स्वभाव, अवस्था, विद्या (ज्ञान), जाति, व्यसन (आदत), भाजीविका ये सब समान हैं वे यदि निष्कपट भाववाले सरल होकर एक जगह मिलते हैं तो मित्र हो जाते हैं ।

स्वत्समस्तु सखा नास्ति मित्रे साम इदं स्मृतम् ।

मम सर्वं तवैवास्ति दानं मित्रे सजीवितम् ॥ २८ ॥

मित्र के लिये साम तथा दान वाक्यों के लक्षण—तुम्हारे समान मेरा दूसरा कोई मित्र नहीं है' ऐसा मित्र के लिये कहना 'साम वाक्य' कहलाता है । और 'जीवन के सहित मेरी सभी वस्तुएँ तुम्हारी ही हैं' यह मित्र के लिये कहना 'दान वाक्य' कहलाता है ।

मित्रेऽन्यमित्रसुगुणान् कीर्तयेद् भेदनं हि तत् ।

मित्रे दण्डो न करिष्ये मैत्रीमेवंविधोऽसि चेत् ॥ २९ ॥

भेद तथा दण्ड-वाक्यों के लक्षण—'मित्र के सामने अन्य मित्र के सुन्दर गुणों की प्रशंसा करना' यह मित्र के लिये 'भेद-वाक्य' और 'तुम यदि ऐसे हो तो मैं तुम्हारे साथ मित्रता नहीं रखूँगा' यह कहना मित्र के लिये 'दण्ड-वाक्य' कहलाता है ।

यो न संयोजयेद्विष्टमन्यानिष्टमुपेक्षने ।

उदासीनः स न कथं भवेच्छत्रुः सुसान्धिकः ॥ ३० ॥

उदासीन के शत्रु बनने का निर्देश—जो स्वयं अभीष्ट कार्य की निदि

न करे और दूसरे के किये हुये अनिष्ट की उपेक्षा करे, वह उदासीन भलीभांति सन्धि करने पर भी क्यों न शत्रु हो अर्थात् सन्धि करने पर भी वह शत्रु ही हो जाता है।

परस्परमनिष्टं न चिन्तनायं त्वया मया ।

सुसाहाय्यं हि कर्तव्यं शत्रौ साम प्रकीर्तितम् ॥ ३१ ॥

शत्रु के प्रति सामवाक्य के लक्षण—‘तुम्हें और हमें परस्पर एक दूसरे के अनिष्ट का विचार नहीं रखना चाहिये बल्कि सहायता ही करनी चाहिये’ ऐसा शत्रु के लिये कहना ‘सामवाक्य’ कहलाता है।

करैर्वा प्रमितेर्मा मेर्वत्सरे प्रबलं रिपुम् ।

वोषयेत्तद्धि दानं स्याद्यथायोतयेषु शत्रुषु ॥ ३२ ॥

शत्रु के लिए दान का स्वरूप-निर्देश—‘प्रबल शत्रु को वर्ष में थोड़ा सा कर (मालगुजारी) या छोटा सा कोई ग्राम देकर या योग्यतानुसार कुछ देकर संतुष्ट करना’ शत्रु के लिये ‘दान’ कहलाता है।

शत्रुसाधकहीनत्वकरणात् प्रबलाशयान् ।

तद्धीनतोऽजीवनाच्च शत्रुभेदममुच्यते ॥ ३३ ॥

शत्रु के प्रति भेद का स्वरूप-निर्देश—‘शत्रु के सम्पूर्ण साधनों को हीन बना देना, शत्रु से अधिक बलशाली का आश्रय लेना एवं शत्रु से हीन बलवालों को प्रबल बना देना’ इन सबों से ‘शत्रु का भेद’ होता कहा है।

दस्युभिः पीडनं शत्रोः कर्षणं धनधान्यतः ।

नच्छिद्रदर्शनादुप्रबलैर्नीत्या प्रभीषणम् ॥ ३४ ॥

प्राप्तयुद्धानिर्घृत्तित्वद्यासनं दण्ड उच्यते ।

शत्रु के प्रति दण्ड का स्वरूप-निर्देश—‘ठाकुरों से शत्रु को पीड़ा पहुँचाना’ (लुटवाना), धन-धान्य को क्षीण कर देना, दोष देखना, उग्र सेना तथा नीति से अत्यन्त डराना, यदि युद्ध हो रहा हो तो उस पर छटे रहने से प्राप्त पहुँचाना’ ये सब शत्रु के लिये ‘दण्ड’ कहलाता है।

क्रियाभेदादुपाया हि भिद्यन्ते च यथार्हतः ॥ ३५ ॥

योग्यतानुसार क्रिया में भिन्नता होने से सामाजिक उपायों में भी भिन्नता होती है।

सर्वोपायेस्तथा कुर्यान्नीतिज्ञः पृथिवीपतिः ।

यथा स्वाभ्यधिका न स्युमित्रोदासीनशत्रवः ॥ ३६ ॥

मित्र, शत्रु तथा उदासीन राजाओं को बलवान् न होने देने का निषेध— नीति के जाननेवाले राजा को हर एक उपायों में यही करना चाहिये कि उसके मित्र, उदासीन तथा शत्रु राजा लोग अपने से अधिक बलवान् न होने पावें।

सामैव प्रथमं श्रेष्ठं दानं तु तदनन्तरम् ।

सर्वदा भेदनं शत्रोर्दण्डनं प्राणसंशये ॥ ३७ ॥

सामादिकों को करने में क्रम का निर्देश—शत्रु के लिये सर्वप्रथम साम-नीति का व्यवहार करना ही श्रेष्ठ होता है, इससे भी कार्य न होने पर उसके बाद दाननीति का प्रयोग उचित होता है, यदि हमसे भी कार्यसिद्धि न हो तो सभी प्रकारों से भेदनीति करनी चाहिये और इसके भी विफल होने पर यदि प्राण-संकट उपस्थित हो जाय तो अन्त में शत्रु के लिये दण्डनीति का प्रयोग उचित होता है ।

प्रबलेऽरौ सामदाने साम भेदोऽधिके स्मृतौ ।

भेददण्डौ समे कार्यौ दण्डः पूज्यः प्रहीनके ॥ ३८ ॥

शत्रुभेद से सामादिकों की व्यवस्था का निर्देश—अत्यन्त प्रबल शत्रु के लिये साम और दान का, अपने से अधिक बलवान् के लिये साम और भेद का, अपने बराबर के लिये भेद तथा दण्ड का एवं अपने से हीन शत्रु के लिये बंधल दण्ड का प्रयोग करना श्रेष्ठ होता है ।

मित्रे च सामदाने स्तो न कदा भेददण्डने ।

मित्र के लिये केवल साम-दान के प्रयोग का निर्देश—मित्र के लिये साम तथा दान का ही प्रयोग उचित होता है और कभी भी उसके लिये भेद तथा दण्ड का प्रयोग उचित नहीं होता ।

रिपोः प्रजानां संभेदः पीडनं स्वजयाय वै ॥ ३९ ॥

रिपुपपीडितानां च साम्ना दानेन संग्रहः ।

गुणवतां च दुष्टानां हितं निर्वासनं सदा ॥ ४० ॥

रिपु-पीडित प्रजाओं का साम-दान से संग्रह करने का निर्देश—शत्रु की प्रजाओं के साथ मेल करके शत्रु को पीड़ा पहुँचाना अपनी विजय का कारण होता है । और शत्रु से पीडित लोगों को साम तथा दान से अपने पास संग्रह करना चाहिये । और दुष्ट गुणवानों को भी देश से निकाल देना सदा उचित होता है ।

स्वप्रजानां न भेदेन नैव दण्डेन पालनम् ।

कुर्वीत सामदानाभ्यां सर्वदा यत्नमास्थितः ॥ ४१ ॥

स्वप्रजाओं का साम-दान से पालन का निर्देश—अपनी प्रजाओं का भेद तथा दण्ड से नहीं किन्तु यत्नपूर्वक सर्वदा साम तथा दान से ही पालन करना उचित है ।

स्वप्रजादण्डभेदैश्च भवेद्राज्यविनाशनम् ।

हीनाधिक्यथा न स्युः सदा रक्ष्यास्तथा प्रजाः ॥ ४२ ॥

प्रजाओं के साथ दण्ड तथा भेद के प्रयोग से राज्य-नाशका निर्देश—अपनी प्रजाओं का दण्ड तथा भेद से पालन करने से राज्य का विनाश हो जाता है। अतः जिस प्रकार से प्रजायें चीण-घल और प्रघल न हों किन्तु समबल में रहें उसी प्रकार से उनका पालन करना चाहिये।

निवृत्तिरसदाचारादमनं दण्डतश्च तत् ।

येन संदम्यते जन्तुरूपायो दण्ड एव सः ॥ ४३ ॥

दण्ड के लक्षण—दण्ड के द्वारा असत् (बुरे) आचरण से निवृत्ति और दमन होता है अतः जिस उपाय से मनुष्य का अच्छी तरह से दमन होता है उसे 'दण्ड' कहते हैं।

स उपायो नृपाधीनः स सर्वस्य प्रभूर्यतः ।

वह दण्ड नामक उपाय राजा के अधीन रहता है क्योंकि वही सबों का स्वामी है (अतः दण्ड वही दे सकता है)।

निर्भर्त्सनं चापमानोऽनशनं बन्धनं तथा ॥ ४४ ॥

ताडनं द्रव्यहरणं पुरान्निर्वासनाङ्घ्रिने ।

व्यस्तक्षीरमसद्यानमङ्गच्छेदो बधस्तथा ॥ ४५ ॥

युद्धमेते ह्युपायाश्च दण्डस्यैव प्रभेदकाः ।

दण्ड के भेद का निर्देश—सिद्धकना, अपमान (सम्मान पद से अलग कर देना), उपवास कराना, बांधना, मारना, धन हर लेना, शहर या राज्य से निकाल देना, दाग देना, बुरे ढङ्ग से शिर मुड़वा देना, गद्दे आदि पर धड़ा देना, किसी अङ्ग (नाक-कान आदि) को कटवा देना, प्राणदण्ड देना, शुद्ध करना, ये सभी उपाय दण्ड के ही भेद माने जाते हैं।

जायते धर्मनिरता. प्रजा दण्डभयेन च ॥ ४६ ॥

करोत्याधर्षणं नैव तथा चासत्यभाषणम् ।

क्रूरश्च मार्दवं यान्ति दुष्टा दीष्टं त्यजन्ति च ॥ ४७ ॥

पशवोऽपि वश यान्ति विद्रवन्ति च दस्यवः ।

पिशुना मूकतां यान्ति भयं यान्त्याततायिनः ॥ ४८ ॥

करदाश्च भवन्त्यन्ये वित्रासं यान्ति चापरे ।

अतो दण्डधरो नित्यं स्यान्नृपो धर्मरक्षणे ॥ ४९ ॥

दण्ड के प्रभाव एवं राजा को धर्मरक्षार्थं दण्डधर होने का निर्देश—दण्ड के भय से प्रजा अपने २ धर्मों में रत रहती है। और वह किसी दुर्बल पर आक्रमण तथा असत्य-भाषण नहीं करती है। क्रूर लोग कोमलता को धारण कर लेते हैं, दुष्ट लोग दुष्टता को छोड़ देते हैं, पशु भी वश में हो जाते हैं, डाकू लोग भाग जाते हैं, सुगुलखोर जघान बन्द कर लेते हैं, आततायी लोग दूर

जाते हैं- जो कोई कर नहीं देते हैं वे कर देने लग जाते हैं, और जो कोई नहीं डरने वाले होते हैं वे विशेषतः डरने लगते हैं। अतः राजा को निरय धर्मरक्षार्थं दण्डघर (दण्ड देनेवाला) होना चाहिये ।

गुरोरप्यवलितस्य फार्याकार्यमजानतः ।

वत्पथ प्रतिपन्नस्य कार्यं भवति शासनम् ॥ ५० ॥

घमण्डी आदि गुरुजनों को भी दण्ड देने का निर्देश—घमण्डी, कर्तव्य और अकर्तव्य कर्म को नहीं जाननेवाला, और कुमार्ग पर चलनेवाले गुरुजन को भी दण्ड देना राजा का कर्तव्य होता है ।

राज्ञा सदण्डनीत्या हि सर्वे सिध्यन्त्युपक्रमाः ।

दण्ड एव हि धर्माणां शरणं परमं स्मृतम् ॥ ५१ ॥

दण्ड-सहित नीति का व्यवहार करने से राजा के सभी कार्य सिद्ध होते हैं, क्योंकि धर्मों का परम रक्षक दण्ड ही माना गया है ।

अहिंसासाधुहिंसा पशुवच्छ्रुतिचोदनात् ।

दुष्टों की हिंसा को अहिंसा मानने का निर्देश—और जैसे वेद की आज्ञा होने से यज्ञ में पशु की हिंसा अहिंसा मानी जाती है वैसे ही दुष्ट पुरुषों की हिंसा भी अहिंसा होती है ।

दण्डयस्यादण्डनान्नित्यमदण्डयस्य च दण्डनात् ॥ ५२ ॥

अतिदण्डाच्च गुणिभिस्त्यज्यते पातकी भवेत् ।

उचितानुचित दण्ड देने से राजा के दृष्टान्ति-फलकथन का निर्देश—निरय दण्ड देने योग्य व्यक्ति को दण्ड न देने से, नहीं दण्ड देने योग्य को दण्ड देने से एवं अपराध से अधिक दण्ड देने से विद्वान् लोग ऐसे अनुचित दण्ड देनेवाले राजा का परिस्वाग कर देते हैं और वह राजा उक्त कर्म से पातकी होता है ।

अल्पदानान्महत् पुण्यं दण्डप्रणयनात् फलम् ॥ ५३ ॥

शास्त्रेषूक्तं मुनिवरैः प्रवृत्त्यर्थं भयाय च ।

'अल्प (थोड़ा जो कुछ) दान करने से भी बहुत बड़ा पुण्य होता है एवं शास्त्रानुसार दण्ड देने से बहुत बड़ा फल होता है' यह जो शास्त्रों में मुनिवरों ने कहा है, वह क्रम से लोगों को दान में प्रवृत्ति कराने एवं पाप से भयभीत होने के लिये ही कहा है ।

अश्वमेधादिभिः पुण्यं तत् किं स्यात् स्तोत्रपाठतः ॥ ५४ ॥

धमया यत्तु पुण्यं स्यात्तत्किं दण्डनिपातनात् ।

स्वप्रजादण्डनाच्छ्रेयः कथं राज्ञो भविष्यति ॥ ५५ ॥

तदण्डाज्जायते कीर्तिर्धनपुण्यविनाशनम् ।

अश्वमेधादि यज्ञों से जो पुण्य होता है वह क्या केवल स्तोत्रों के पाठमात्र

से होगा ? अर्थात् कभी नहीं । धमा करने से जो पुण्य होता है वह क्या दण्ड देने से होगा ? अर्थात् कभी नहीं । अतः अपनी प्रजाओं को दण्ड देने से राजाओं का कैसे कल्याण होगा अर्थात् कभी नहीं, बल्कि उन सबों को दण्ड देने से उष्टे राजा की कीर्ति, धन तथा पुण्य का नाश ही होगा ।

तृप्तस्य धर्मपूर्णत्वाद्दण्डः कृतयुगे न हि ॥ ५६ ॥

त्रैतायुगे पूर्णदण्डः पाद्मधर्माः प्रजा यतः ।

द्वापरै चार्धधर्मत्वात् त्रिपाद्दण्डो विधीयते ॥ ५७ ॥

प्रजा निःस्वा राजदौष्ट्याद् दण्डार्धं तु कलौ यथा ।

सत्ययुगादि में दण्ड का अभाव एवं त्रेतादियुगों में क्रम से पूर्ण, यौन एवं अर्ध दण्ड देने का सकारण निर्देश—सत्ययुग में धर्म चारों पादों से परिपूर्ण था, अतः उस समय किसी के लिये भी दण्ड नहीं दिया जाता था, त्रेतायुग में प्रजाओं में तीन पाद (१२ आने) धर्म के साथ २ एक पाद (४ आने) अधर्म भी रहता था, अतः उस समय पूर्ण दण्ड दिया जाता था, द्वापरयुग में आधा अंश धर्म और आधा अंश अधर्म अर्थात् दोनों समान भाव से थे, अतः तीन पादों के साथ (१२ आने) दण्ड का विधान था तथा कलियुग में राजाओं की दुष्टता से प्रजायें कर अधिक बढ़ जाने से एवं राजा द्वारा धन हरण करने से प्रत्यन्त निर्धन होती हैं अतः आधा अंश दण्ड देने का विधान है ।

युगप्रवर्तको राजा धर्माधर्मप्रशिक्षणात् ॥ ५८ ॥

युगानां न प्रजानां न दोषः किन्तु नृपस्य हि ।

राजा को युगप्रवर्तक होने का निर्देश—प्रजाओं को धर्म तथा अधर्म की शिक्षा देनेवाला राजा के होते से वही सत्ययुग आदि ४ युगों का प्रवर्तक होता है, अतः अधर्म की प्रवृत्ति में युगों का या प्रजाओं का दोष नहीं है अर्थात् युग या प्रजाओं के ऊपर अधर्म भाषना नहीं अबलम्बित है प्रत्युत राजा के ऊपर अबलम्बित है अर्थात् राजा के अधार्मिक होने से प्रजाओं में या युग में अधर्म फैलता है ।

प्रसन्नो येन नृपतिस्तदाचरति वै जनः ॥ ५९ ॥

लौभाङ्गयारुध किं तेन शिक्षित नाचरेत् कथम् ।

धार्मिक तथा अधार्मिक प्रजाओं के होने के कारणों का निर्देश—जब कि लोभ से प्रजायें जिससे राजा प्रसन्न हो वैसा आचरण करने लगती हैं तब भला राजा के भय से उसके द्वारा तिलायें जाने पर तदनुसार कैसे नहीं वे चलेगी अर्थात् अवश्य चलेगी ।

सुपुण्यो यत्र नृपतिर्धर्मिष्ठास्तत्र हि प्रजाः ॥ ६० ॥

महापापी यत्र राजा तत्राधर्मपरो जनः ।

जिस राज्य में राजा अत्यन्त धर्मात्मा होता है वहाँ पर प्रजायें भी धर्मिष्ठ होती हैं और जहाँ पर राजा अत्यन्त पापी होता है वहाँ पर प्रजायें भी अधर्म में लीन रहती हैं ।

न कालवर्षा पर्जन्यस्तत्र भूर्न महाफला ॥ ६१ ॥

जायते राष्ट्रहासश्च शत्रुवृद्धिधनक्षयः ।

पापी राजा के राज्य में समय पर वृष्टि न होने का निर्देश—और वहाँ पर अधर्म अधिक होने से मेघ समय पर पानी बरसानेवाला नहीं होता है और पृथ्वी अधिक धान्य तथा फल से युक्त नहीं रहती है, एवं राज्य (देश या राज्य) का दिन-प्रतिदिन हास होने लगता है तथा शत्रुओं की वृद्धि और धन का क्षय होता है ।

सुराप्यपि वरो राजा न खैणो नातिकोपवान् ॥ ६२ ॥

लाकांश्चण्डस्तापयति खैणो वर्णान् बिलुम्पति ।

खैण और क्रोधी होना राजा को निषिद्ध होने का निर्देश—मद्य (शराब) पीनेवाला राजा अच्छा है किन्तु खी में आसक्त (पेयाश) तथा अत्यन्त क्रोधी राजा का होना अच्छा नहीं है क्योंकि अत्यन्त क्रोधी राजा लोगों को संताप देता है और खी में आसक्त (लगपट) राजा ब्राह्मणादि जातियों का लोप कर देता है अर्थात् व्यभिचार द्वारा वर्ण-सङ्कर उत्पन्न करके वर्णों को दूषित कर देता है ।

मद्यप्येकश्च भ्रष्टः स्याद् बुद्ध्या च व्यवहारतः ॥ ६३ ॥

कामक्रोधौ मद्यतमौ सर्वमद्याधिकौ यतः ।

राजा को काम-क्रोध त्याग करने का निर्देश—मद्य पीनेवाला अकेले स्वयं बुद्धि तथा व्यवहार में भ्रष्ट होता है किन्तु प्रजाओं की बुद्धि तथा व्यवहार को भ्रष्ट नहीं करता है । और काम तथा क्रोध ये दोनों मद्य से भी अधिक हैं क्योंकि सभी मादक वस्तुओं से बढ़कर मादक होते हैं ।

धनप्राणहरो राजा प्रजायाश्चातिलोभतः ॥ ६४ ॥

तस्मादेतत् त्रयं त्यक्त्वा दण्डधारी भवेन्नृपः ।

काम, क्रोध तथा लोभ त्याग कर दण्ड देने का निर्देश—राजा अत्यन्त लोभ से प्रजा का धन तथा प्राण का हरण करनेवाला होता है, इसलिये काम, क्रोध तथा लोभ इन तीनों को छोड़ कर राजा को दण्ड देनेवाला होना चाहिये ।

अन्तर्मृदुर्बहिः क्रूरो भूत्वा स्वां दण्डयेत् प्रजाम् ॥ ६५ ॥

अत्युग्रदण्डकल्पः स्यात् स्वभावाद्धि तकारिणः ।

'राजा ऊपर से क्रूर होकर दण्ड देवे' इसका निर्देश—राजा को हृदय में

कोमलता रखते हुये ऊपर से क्रूर (तीक्ष्ण) होकर अपनी प्रजा को दण्ड देना चाहिये । अर्थात् ऊपा से अत्यन्त कठोर दण्ड देनेवाले के समान और स्वभाव से हितकारी होना चाहिये ।

राष्ट्रं कर्णेजपैर्नित्यं हन्यते च स्वभावतः ॥ ६६ ॥

अतो नृपः सूचितोऽपि विमृशेत् कार्यमादरात् ।

सुगुलखोरों में देश नष्ट होने का निर्देश—स्वभावतः सुगुलखोर लोग सुगुलखोरी से परस्पर विगाड़ कराकर राज्य को नष्ट करने की चेष्टा करते हैं, अतः राजा किसी की सुगुली सुनने पर धरनपूर्वक विचार कर तदनुसार कार्य करे ।

आत्मनश्च प्रजायाश्च दोषदश्र्युत्तमो नृपः ॥ ६७ ॥

विनियन्च्छति चात्मानमादौ भृत्यांस्ततः प्रजाः ।

उत्तम राजा के लक्षण तथा स्वयं दोषमुक्त होने का निर्देश—अपने तथा प्रजाओं के दोषों को देखनेवाला राजा उत्तम कहलाता है और वह प्रथम अपने को दोषमुक्त बनाता है पश्चात् भृत्यों को, उसके बाद प्रजाओं को दोषमुक्त बनाता है ।

कायिको वाचिको मानसिकः सांसर्गिकस्तथा ॥ ६८ ॥

चतुर्विधोऽपराधः स बुद्धचबुद्धिकृतो द्विधा ।

अपराध के ४ भेद पुनः प्रत्येक के दो दो भेदों का निर्देश—कायिक (शरीर से होनेवाला), वाचिक (वाणी से होनेवाला), मानसिक (मनसे होनेवाला), सांसर्गिक (संसर्ग से होनेवाला), इस प्रकार से अपराध ४ प्रकार का होता है । और उसमें प्रत्येक बुद्धिकृत (जानबूझ कर होनेवाला) एवं अबुद्धिकृत (बिना जाने होनेवाला) भेद से दो-दो प्रकार का होता है ।

पुनर्द्विधा कारितश्च तथा ज्ञेयोऽनुमोदितः ॥ ६९ ॥

सकृदसकृदभ्यस्तस्वभावैः स चतुर्विधः ।

पुनः एक अपराधों के २ भेद एवं सभी अपराधों के पुनः ४ भेदों का निर्देश—वह अपराध पुनः दो प्रकार का होता है एक कारित (कराया हुआ) दूसरा अनुमोदित (अनुमोदन किया हुआ) और वह अपराध सकृत्कृत (एक बार किया हुआ), असकृत्कृत (बार-बार किया हुआ), अभ्यस्तकृत (निरन्तर किया हुआ), स्वभावकृत (स्वभाव से किया हुआ) इस प्रकार से ४ प्रकार का होता है ।

नेत्रवक्त्रविकाराद्यैर्भावैर्मानसिकं तथा ॥ ७० ॥

क्रियया कायिकं वीक्ष्य वाचिकं क्रूरशब्दतः ।

सांसर्गिकं साहचर्यैर्ज्ञात्वा गौरवलाघवम् ॥ ७१ ॥

उत्पन्नोत्पत्त्यमानानां कार्याणां दण्डमावहेत् ।

मानसिकादि ४ अपराधों की परीक्षा का निर्देश—नेत्र तथा मुख की भङ्गी आदि भावों से मानसिक अपराध को एवं क्रिया के द्वारा कायिक, कर्कश वचनों से वाचिक और सहवास से सांलग्निक अपराध के गौरव और लाघव को समझकर उत्पन्न हुये तथा आगे होनेवाले कार्यों (अपराधों) के संबन्ध में दण्डविचार करना चाहिये ।

प्रथमं साहसं कुर्वन्नुत्तमो दण्डमर्हति ॥ ७२ ॥

न्यायं किमिति स्पृच्छेत् तथैवेयमसत्कृतिः ।

दण्ड के योग्य पुरुषों के लक्षण—उत्तम पुरुष यदि प्रथम बार साधारण साहस (चोरी आदि पाप) करे तो क्या यह तुम्हारा कार्य न्याय युक्त हुआ है ? और क्या तुम्हारा ही किया हुआ यह अपराध है । इसको उससे पूछ कर छोड़ देना चाहिये । उसके बाद पुनः करने पर प्रथम साहसदण्ड नामक (२५० पैसों का) दण्ड (जुर्माना) करना चाहिये ।

अपराधं यथोक्तं च द्विगुणं त्रिगुणं ततः ॥ ७३ ॥

यदि उत्तमजन दुबारा वही अपराध करे तो उससे दूना अर्थात् ५०० पैसों का, तिबारा करे तो ७५० पैसों का दण्ड (जुर्माना) करना चाहिये ।

मध्यमं साहसं कुर्वन्नुत्तमो दण्डमर्हति ।

धिग्दण्डं प्रथमं चाद्यसाहसं तदनन्तरम् ॥ ७४ ॥

यथोक्तं तु तथा सम्यग्यथावृद्धिं ह्यनन्तरम् ।

उत्तम पुरुष पूर्वकी अपेक्षा अधिक मध्यम साहस (अपराध) करे तो उसे दण्ड इस प्रकार देना चाहिये अर्थात् उत्तम पुरुष यदि प्रथम उक्त अपराध साधारण रीति से करे तो उसे धिक्कार वचन सुनाकर दण्ड देना चाहिये उसके बाद यदि करे तो प्रथम साहस दण्ड (२५० पैसों का जुर्माना) करना चाहिये उसके बाद अपराधों की वृद्धि के अनुसार उक्त रूप से द्विगुण, त्रिगुण दण्ड (जुर्माना) अच्छी तरह से करे ।

उत्तमं साहसं कुर्वन्नुत्तमो दण्डमर्हति ॥ ७५ ॥

प्रथमं साहसं चादौ मध्यमं तदनन्तरम् ।

यथोक्तं द्विगुणं पश्चादवरोधं ततः परम् ॥ ७६ ॥

उत्तम पुरुष के विषय में प्रथमादि अपराधों के दण्डों का एवं अन्त में जेल देने का निर्देश—और उत्तम पुरुष यदि उत्तम साहस (अत्यधिक अपराध) करे तो इस भांति दण्ड देना चाहिये कि—प्रथम अपराध होने पर प्रथम साहस दण्ड (२५० पैसों का जुर्माना), उसके बाद पुनः अपराध करने पर मध्यम साहस दण्ड (५०० पैसों का जुर्माना), उसके बाद भी अपराध

करने पर उससे दूना (१००० पैसों का जुमाना) करना चाहिये उसके बाद जेल भेद देना चाहिये ।

बुद्धिपूर्वनृघातेन विनैतदण्डकल्पनम् ।

उपरि लिखित दण्ड की व्यवस्था वृद्धिपूर्वक नरहाया नहीं करनेवालों के लिये ही है, अन्य के लिये नहीं समझनी चाहिये ।

उत्तमत्वं मध्यमत्वं नीचत्वं चात्र कीर्यते ॥ ७७ ॥

गुणेनैव तु मुख्यं हि कुलेनापि धनेन च ।

यहाँ पर उत्तम, मध्यम तथा अधम की व्याख्या मुख्य रूपसे, अपराधी के गुण, कुल तथा धन के अनुसार ही समझनी चाहिये ।

प्रथमं साहसं कुर्वन् मध्यमो दण्डमर्हति ॥ ७८ ॥

धिग्दण्डमर्धदण्डं च पूर्णदण्डमनुक्रमान् ।

मध्यम पुरुष यदि प्रथम साहस (अपराध) करे तो उसे धिग्दण्ड (तुर्हें धिक्कार है ऐसा वचन दण्ड) देना चाहिये, उसके बाद प्रथम साहस दण्ड (२५० पैसों का जुमाना) का आधा दण्ड (१२५ पैसों का) करना चाहिये । उसके बाद पूर्ण दण्ड (२५० पैसों का) अनुक्रम से अर्थात् अपराध के बार बार करने या गौरव-लाघव के क्रम से करना चाहिये ।

द्विगुणं त्रिगुणं पश्चान् संरोधं नीचकर्म च ॥ ७९ ॥

संरोध और नीच कर्म के योग्य पुरुष के लक्षण—उसके बाद प्रथम साहस दण्ड (२५० पैसों का), दुगुणा (५००) त्रिगुणा (७५०) उसके बाद कैद और नीच कर्म (मल-मूत्रादि साफ करना आदि) का अपराध के न्यून-अधिक्य के अनुसार दण्ड देना चाहिये ।

मध्यमं साहसं कुर्वन्मध्यमो दण्डमर्हति ।

पूर्वं साहसमादौ तु यथोक्तं द्विगुणं ततः ॥ ८० ॥

ताडनं बन्धनं पश्चात्पुरान्निर्वाभनाङ्कने ।

शाश्वोक्त दण्डनीय पुरुषों के लक्षण—मध्यम पुरुष यदि मध्यम साहस (अपराध) करे तो उसे प्रथम साहस दण्ड (२५० पैसों का) पुनः करने पर दूना (५०० पैसों का) उसके बाद मारना-पीठना उसके बाद बांध रखना, पीछे से शहर से या राज्य से निकाल देना, दाय देना इस प्रकार से योग्यता-नुसार दण्ड देना चाहिये ।

उत्तमं साहसं कुर्वन् मध्यमो दण्डमर्हति ॥ ८१ ॥

मध्यमं साहसं चादौ यथोक्तं तदनन्तरम् ।

द्विगुणं त्रिगुणं पश्चात्प्रावृज्जीवं तु बन्धनम् ॥ ८२ ॥

आजीवन बन्धन योग्य पुरुष के लक्षण—मध्यम पुरुष यदि उत्तम साहस

(अपराध) करे तो इम भांति से दण्ड देना चाहिये कि—प्रथम मध्यम साहस दण्ड (५०० पैसों का), तदनन्तर दुगुना (१००० पैसों का), तिगुना (१५००), पश्चात् आजीवन बांधकर रखना । ये सब योग्यतानुसार करने चाहिये ।

प्रथमं, साहसं कुर्वन्नधमो दण्डमर्हति ।

अर्धं यथोक्तं द्विगुणं त्रिगुणं बन्धनं ततः ॥ ८३ ॥

अधम पुरुष यदि प्रथम साहस (अपराध) करे तो आधा प्रथम साहस दण्ड (१२५ पैसों का जुर्माना) उसके बाद पूर्ण दण्ड (२५०) पुनः द्विगुण (५०० पैसों का), पुनः त्रिगुण (७५० पैसों का) दण्ड उसके बाद जेल का दण्ड देना चाहिये ।

मध्यमं साहसं कुर्वन्नधमो दण्डमर्हति ।

पूर्वसाहसमादौ तु यथोक्तं द्विगुणं ततः ॥ ८४ ॥

ततः संरोधनं नित्यं मार्गसंस्करणार्थकम् ।

मार्गों पर झाड़ू लगाने घोष्य पुरुष के लक्षण—अधम पुरुष यदि मध्यम साहस (अपराध) करे तो उसे पहले प्रथम साहस दण्ड (१५० पैसों का), उसके बाद द्विगुण (५०० पैसों का) दण्ड, उसके बाद कैद तथा नित्य सड़क पर झाड़ू दिलाने का दण्ड देना चाहिये ।

उत्तमं साहसं कुर्वन्नधमो दण्डमर्हति ॥ ८५ ॥

मध्यमं साहसं चादौ यथोक्तं द्विगुणं ततः ।

यावज्जीवं बन्धनं च नीचकर्मैव केवलम् ॥ ८६ ॥

अधम पुरुषों के बारम्बार अपराध करने पर दण्ड का प्रकार—अधम पुरुष यदि उत्तम साहस (अपराध) करे तो उसे प्रथम मध्यम साहस दण्ड (५०० पैसों का) देना चाहिये । उसके बाद द्विगुण दण्ड (२०० पैसों का) उसके बाद आजीवन जेल एवं केवल नीच कार्य (मल-मूत्रादि साफ कराने) का दण्ड देना चाहिये ।

हरेत्तु पादं धनात्तस्य यः कुर्याद्धनगर्वतः ।

पूर्वं ततोऽर्धमखिलं यावज्जीव तु बन्धनम् ॥ ८७ ॥

धनगर्व से अपराध करने पर दण्ड का निर्देश—जो धन के गर्व से अपराध करे उसे प्रथम बार उसके पास के धन से चौथाई धन दण्ड रूप में ले ले, उसके बाद यदि अपराध करे तो आधा उसके बाद सम्पूर्ण धन छीन ले, उसके बाद आजीवन जेल का दण्ड दे ।

सहायगौरवाद् विद्यामदाच्च बलदर्पनः ।

पापं करोति यस्तं तु बन्धयेत् ताडयेत्सदा ॥ ८८ ॥

बन्धन तथा ताडन योग्य के लक्षण—जो सहायकों की श्रेष्ठता से एवं विद्या या बल के अहङ्कार से पाप (अपराध) करता है उसे सदा कैद में बन्द रखे तथा मारे-पीटे ।

भार्या पुत्रश्च भगिनी शिष्यो दासः स्नुषाऽनुजः ।

कृतापराधास्ताड्यास्ते तनुरञ्जुसुवेणुभिः ॥ ८६ ॥

पृष्ठतस्तु शरीरस्य नोत्तमाङ्गे कथञ्चन ।

अतोऽन्यथा तु प्रहरेचोरवदण्डमर्हति ॥ ९० ॥

पतली रस्सी या छड़ी आदि से मारने योग्य के लक्षण—अपनी स्त्री, पुत्र, बहन (छोटी), शिष्य (छात्र), दास, पुत्रवधू (पतोहू), छोटा भाई यदि अपराध करे तो इन्हें पतली रस्सी या छड़ी से अथवा पतली रस्सी वाले चाबुक से शरीर पर पीठ में मारना चाहिये किन्तु कभी भी शिर में नहीं मारना चाहिये, इससे अन्यथा यदि कोई मारता है तो उसे चोर की भांति दण्ड देना चाहिये ।

नीचकर्मकरं कुर्याद् बन्धयित्वा तु पापिनम् ।

मासमात्रं त्रिमासं वा पणमासं वाऽपि बत्सरम् ॥ ९१ ॥

यावज्जीवं तु वा कश्चिन्न कश्चिद्बन्धमर्हति ।

नीच कर्म कराने योग्य अपराधी का निर्देश—किसी भी अपराधी (हत्या करनेवाले को छोड़कर) को एक मास, तीन मास, छ मास, १ वर्ष या आजीवन भर कैद रखकर नीच कर्म (मल-मूत्रादि फिकवाना आदि) का दण्ड देना चाहिये किन्तु किसी को बध का दण्ड नहीं देना चाहिये ।

न निह्न्याच्च भूतानि त्विति जागर्ति वै श्रुतिः ॥ ९२ ॥

तस्मात् सर्वप्रयत्नेन बधदण्डं त्यजेन्नृपः ।

बध की शिक्षा कदापि न देने का निर्देश—क्योंकि 'प्राणियों का बध नहीं करना चाहिये' ऐसी श्रुति का वचन (वेद का वचन) है । अतः राजा को अत्यन्त प्रयत्नपूर्वक बध का दण्ड देना त्याग देना चाहिये ।

अवरोधाद् बन्धनेन ताडनेन च कर्षयेत् ॥ ९३ ॥

लोभान्न कर्षयेद्राजा धनं दण्डेन वै प्रजाम् ।

यदि बध दण्ड के बदले, हथकड़ी-बेदी के साथ कैद रखना, मारना-पीटना, पीड़ा पहुँचाना उचित है । और राजा को लोभवश धनदण्ड (जुर्माना करने) से प्रजा को पीड़ा न पहुँचानी चाहिये ।

नासहायास्तु पित्राद्या दण्ड-याः स्युरपराधिनः ॥ ९४ ॥

क्षमाशीलस्य वै राज्ञो दण्डमहणमोदशम् ।

सहायहीन, अपराधी के माता-पिता आदि को दण्ड न देने का निर्देश—

पराधी के सहायहीन पिता आदि को दण्ड नहीं देना चाहिये । समाशील
जा को इसी प्रकार से अपराधी के लिये दण्ड देना उचित है ।

नापरार्थं तु क्षमते प्रचण्डो धनहारकः ॥ ६५ ॥

नृपो यदा तदा लोकः क्षुभ्यते भिद्यते परैः ।

अतः सुभागदण्डो स्यात् क्षमावान् रज्जको नृपः ॥ ६६ ॥

राजा जब अपराधी को नीचण दण्ड देनेवाला एवं धन हरण करनेवाला
कर अपराध को नहीं क्षमा करता है अर्थात् अनुचित दण्ड देता है तब
॥ क्षुभित हो उठती है और उसे शत्रु लोग फोड़कर अपनी ओर कर लेते हैं,
तः राजा को जितना अपराध हो उतना ही विचार कर दंड देना चाहिये एवं
माशील तथा प्रजा का मनोरञ्जन करनेवाला होना चाहिये ।

मद्यपः कितवः स्तेनो जारश्चण्डश्च हिंसकः ।

त्यक्तवर्णाश्रमाचारो नास्तिकः शठ एव हि ॥ ६७ ॥

मिथ्याभिशापकः कर्णेजपायंदेवदूषकौ ।

असत्यवाङ् न्यासहारी तथा वृत्तिविघातकः ॥ ६८ ॥

अन्योदयासहिष्णुश्च ह्युत्कोचग्रहणे रतः ।

अकार्यकृतमित्राणां कार्याणां भेदकस्तथा ॥ ६९ ॥

अनिष्टवाक् परुषवाग् जलारामप्रबाधकः ।

नक्षत्रसूची राजद्विट् कुमन्त्री कूटकार्यवित् ॥ १०० ॥

कुवैद्यामङ्गलाशौचशीलो मार्गनिरोधकः ।

कुसाक्ष्युद्धतवेशश्च स्वामिद्रोही न्ययाधिकः ॥ १०१ ॥

अग्निदो गरदो वेश्यासक्तः प्रबलदण्डकृत् ।

तथा पाक्षिकसभ्यश्च बलाल्लिखितग्राहकः ॥ १०२ ॥

अन्यायकारी कलहशीले युद्धे पराङ्मुखः ।

साक्ष्यलोपी पितृमातृसतीस्त्रीमित्रद्रोहकः ॥ १०३ ॥

असूयकः शत्रुसेवी मर्मभेदी च वद्वकः ।

स्वकीयद्विद्वग्नुप्रवृत्तिवृषलो ग्रामकण्टकः ॥ १०४ ॥

बिना कुकुम्बभरणात्तपोविद्यार्थिनः सदा ।

वृणकाष्ठादिहरणे शक्तः सन् भैद्यभोजकः ॥ १०५ ॥

कन्याया अपि विक्रेता कुटुम्बवृत्तिह्लासकः ।

अधर्मा सूचकश्चापि राजानिष्टमुपेक्षकः ॥ १०६ ॥

कुलटा पतिपुत्रध्नी स्वतन्त्रा वृद्धनिन्दिता ।

गृहकृत्योष्मिता नित्यं दुष्टाचारा प्रियस्तुपा ॥ १०७ ॥

स्वभावदुष्टानेतान् हि हात्वा राष्ट्राद् विद्यासयेत् ।

देश-निष्काशन योग्य अपराधियों के लक्षण—मद्यप (शराधी), धूसं, चोर, जार (परखीगामी), अत्यन्त झोधी, हिंसा करनेवाला (खूनी), वर्ण (ब्राह्मणादि ४ वर्ण) तथा आश्रम (ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, बाणप्रस्थ, संन्यास) के अनुकूल भाषारों का रयाग करनेवाला, नास्तिक (परलोकदि को नहीं माननेवाला), खल, झूठा दोषारोप करनेवाला, एक को-दूसरे से आपस में कह सुनकर विरोध करानेवाला, अशुद्धे साधु पुरुषों को दोष लगानेवाला एवं देवताओं को अपवित्र करनेवाला अथवा मूर्त्ति को तोड़नेवाला, झूठ बोलने वाला, धरोहर को हजम करनेवाला, किसी की जीविका को नष्ट करनेवाला, दूसरी की उन्नति को नहीं सहन करनेवाला, घृत लेने में तरपर, नहीं करने योग्य घुरे कार्यों को करनेवाला, किसी के गुप्त विचार को प्रकट करनेवाला, किसी के कार्यों को नष्ट करनेवाला, अप्रिय (अनुचित) वचन बोलनेवाला, कठोरभाषी, जलाशय या बगीचे को हागि पहुँचानेवाला, झूठ-मूठ का बना हुआ ज्योतिषी (भाग्य फल यतानेवाला), राजद्रोही, बुरी सलाह देनेवाला (दुष्टमन्त्री), कूट कार्य (जालसाजी) जाननेवाला, कुबैद्य (अनाड़ी वैद्य), अभद्र तथा अपवित्र आचार तथा वेश भूषा रखनेवाला, रास्ता रूधनेवाला, ठीक २ गवाही नहीं देनेवाला, उद्धत वेश रखनेवाला, अपने स्वामी के साथ द्रोह रखनेवाला, अनाप-शनाप व्यव करनेवाला, आग लगानेवाला, विप देने-वाला, बेरया में आसक्त, अत्यन्त उग्र दंड देनेवाला, अफसर, न्यायालय में सदस्य (जूरी) होकर पक्षपात करनेवाला, बलपूर्वक लिखित पत्र को अन्याय से ग्रहण करनेवाला, अन्याय करनेवाला, शगदालू, युद्ध से भाग भानेवाला, गवाही को नहीं माननेवाला या उचित गवाही नहीं देनेवाला, पिता-माता-सती स्त्री-मित्र इनके साथ द्रोह करनेवाला, दूसरे के गुणों में भी दोषारोप करनेवाला, राजा के शत्रुओं की सेवा करनेवाला, मर्यान्तिक पीढा पहुँचानेवाले वचनों को बोलनेवाला या कार्यों को करनेवाला, ठगनेवाला, आरमीयों के साथ द्वेष करनेवाला, गुप्त ब्यापार (ब्लैक मार्केटिंग-खोर बाजारी) करनेवाला, वृषल (किसी भी धर्म पर आघात पहुँचानेवाला), ग्रामवासियों को पीड़ा पहुँचाने-वाला अर्थात् उनके कार्यों में बाधा पहुँचानेवाला, गृहस्थ होकर भी कुटुम्ब का भरण-पोषण न करके सदा तपस्या या विद्या पढ़नेवाला, वृण (घास), काष्ठ आदि लाकर भाजीविका बलाने की सामर्थ्य रहने पर भी भिक्षा वृत्ति से पेट पालनेवाला, कन्या को भी बेचनेवाला, कुटुम्ब की भाजीविका को घटाने-वाला, अधार्मिक (अपने धर्म पर नहीं चलनेवाला), सुगुली करनेवाला अथवा अधर्म की सूचना देनेवाला (पापवार्ता करनेवाला), राजा के अनिष्ट की पर्वाह नहीं करनेवाला, ऐसे पुरुषों एवं कुलश, पति पुत्र की हाया करनेवाली,

स्वतन्त्र होकर घूमनेवाली, वृद्धजनों से निन्दिता, गृह के कार्यों को छोड़ देनेवाली (न करनेवाली), निश्च दुष्ट आचरण करनेवाली, गुरुजनों के साथ अप्रिय व्यवहार करनेवाली, पत्नीहू या पत्नीहूओं के साथ अप्रिय व्यवहार करनेवाली ऐसी स्त्रियों को स्वभावतः दुष्ट जानकर राजा अपने राज्य से निकाल दे ।

द्वीपे निवासितव्यास्ते बद्धा दुर्गोदरेऽथवा ॥ १०८ ॥

मार्गसंस्करणे योऽयाः कदन्नन्यूनभोजनाः ।

तत्तज्जात्युक्तकर्माणि कारयेत् च तैर्नृपः ॥ १०९ ॥

मार्ग संरक्षण योग्य का निर्देश—अथवा उक्त मध्य आदि लोगों को किसी टापू में ले जाकर रखना चाहिये किंवा किसी—किले के भीतर कैद करके रखना चाहिये और वहाँ पर उन सबों से रास्ता साफ कराना चाहिये एवं खराब अन्न तथा थोड़ी मात्रा में उन्हें भोजन देना चाहिये । और उन सबों से उनके जाति के अनुकूल कर्म राजा को कराना चाहिये ।

एवंविधानसाधूंश्च संसर्गेण च दूषितान् ।

दण्डयित्वा च सम्मार्गे शिश्नयेत्तान् नृपः सदा ॥ ११० ॥

संसर्ग से दूषित को दण्ड देकर सम्मार्ग की शिक्षा देने का निर्देश—और राजा सदा इस प्रकार से पूर्वोक्त दुष्ट पुरुषों को एवं उनके साथ संसर्ग करने से दुष्ट हुये पुरुषों को दण्ड देकर सम्मार्ग पर चलने की शिक्षा दे ।

राज्ञो राष्ट्रस्य विकृति तथा मन्त्रिगणस्य च ।

इच्छन्ति शत्रुसम्बन्धाद्ये तान् हन्याद्धि द्राह्मनृपः ॥ १११ ॥

राजादिकों से विगाड़ करवानेवाले को शीघ्र नष्ट कर देने का निर्देश—और जो राजा राज्य या मन्त्री लोगों को शत्रु से मिलकर हानि पहुँचाना चाहते हों उन्हें राजा शीघ्र वध करने का दण्ड दे ।

नेच्छेच्च युगपद्घ्रासं गणदौष्ट्ये गणस्य च ।

एकैकं घातयेद्राजा वस्मोऽश्नाति यथा स्तनम् ॥ ११२ ॥

गणों की दुष्टता करने पर उपाय का निर्देश—यदि बहुत से गण (समूह) दुष्ट हो गये हों तो प्रत्येक गण का एक-एक ही नाश करने की इच्छा राजा को नहीं करनी चाहिये बल्कि उनमें से एक-एक को क्रम से नष्ट करना चाहिये । जैसे बड़दा एक-एक करके क्रम से स्तनों को पीता है न कि एक साथ ही ।

अधर्मशीलो नृपतियंदा तं भीषयेज्जनः ।

धर्मशीलातिश्रुतवद्विपोराज्यतः सदा ॥ ११३ ॥

अधर्मशील राजा को सदैव भय दिलाने को प्रजा के लिये निर्देश—जब राजा अधर्म पर चलनेवाला हो जाय तो प्रजा 'धर्मशील, बलवान् उस राजा

के शत्रु का आश्रय लेने' का भय उसे दिखा कर सदा डराना चाहिये । अर्थात् यदि आप अधर्म पर चलना नहीं छोड़ेंगे तो हम सब प्रजा आपके साथ छोड़कर आपके शत्रु धर्मशील बलवान् से मिल जायेंगे ऐसा कहकर उस राजा को डराना चाहिये ।

यावत्तु धर्मशीलः स्यात् स नृपस्तावदेव हि ।

अन्यथा नश्यते लोको द्राङ् नृपोऽपि विनश्यति ॥ ११४ ॥

अधर्मशील राजा और प्रजा के तत्काल नष्ट हो जाने का निर्देश—जब तक राजा धर्मशील बना रहता है अर्थात् प्रजा के साथ धर्मपूर्वक व्यवहार करता है तभी तक वह राजा बना रहना है । अन्यथा (यदि ऐसा न हो, तो) राजा के अधर्मशील होने पर उसकी प्रजा एवं स्वयं राजा भी शीघ्र नष्ट हो जाता है अर्थात् उसका राज्य नष्ट हो जाता है ।

मातरं पितरं भार्यां यः संत्यज्य विवर्तते ।

निगडैर्बन्धयित्वा तं योजयेन्मागेसंस्कृतौ ॥ ११५ ॥

तद्भृत्यैर्धै तु सन्दद्यात्तेभ्यो राजा प्रयत्नतः ।

माता आदि के भरण-पोषण त्याग करनेवाले के लिये दण्ड का निर्देश— जो कर्मचारी माता, पिता और स्त्री (पत्नी) इनका भरण-पोषण ठीक करना छोड़कर मनमाना अपना व्यवहार रखता है, उसे हथकड़ी-बेड़ी बालकर कैद रखना चाहिये एवं उससे रास्ता साफ करने या बताने का कार्य कराना चाहिये । और उसके तनखाह का आधा द्रव्य उन सबों को प्रदानपूर्वक राजा को देना चाहिये ।

विद्यात् पणसाहस्रं तु दण्ड उत्तमसाहसः ॥ ११६ ॥

दशमापमितं ताम्रं तत्पणो राजमुद्रितम् ।

वराटिसार्धशतकमूल्यः कार्पापणश्च सः ॥ ११७ ॥

उत्तमादि साहस दण्ड के लक्षण एवं पण आदि के लक्षण— १००० पणों (पैसों) का जुमाना उत्तम साहस दण्ड कहलाता है । राजा के द्वारा स्वीकृत चिह्न से अंकित १० मासे भर तामे के सिक्के को 'पण' (पैसा) कहते हैं । और १५० कौड़ियों के मूल्य के उसी (पण) को 'कार्पापण' भी कहते हैं ।

तर्द्धश्च तर्द्धश्च मध्यमः प्रथमः क्रमात् ।

प्रथमे साहसे दण्डः प्रथमश्च क्रमात् परौ ॥ ११८ ॥

मध्यमे मध्यमो धार्यश्चोत्तमे तूत्तमो नृपैः ।

और क्रम से उसके (१०००) आधे (५००) पणों के जुमाने को मध्यम तथा उसके आधे (२५०) पणों के जुमाने को प्रथम साहस दण्ड कहते हैं । प्रथम छेनी के साहसों (अपराधों) में प्रथम साहसदण्ड (२५०

पणों का), मध्यम साहसों में मध्यमसाहस दण्ड (५०० पणों का) एवं उत्तम साहसों में उत्तम साहस दण्ड (१००० पणों का) विधान अपराधियों के लिये राजा को देना चाहिये ।

सोपायाः कथिता मिश्रे मित्रोदासीनशत्रवः ॥ ११६ ॥

इति शुक्रनीतौ चतुर्थाध्यायस्य सुहृदादिलक्षणप्रकरणम् ।

इस प्रकार से इस मिश्र अध्याय में सामादिक उपायों के साथ मित्र, उदासीन तथा शत्रु के विषय में कहा गया ।

इस प्रकार हिन्दीव्याख्या में चतुर्थाध्याय का सुहृदादिप्रकरण समाप्त ।

अथ चतुर्थाध्याये कोशनिरूपणप्रकरणम्

अथ कोशप्रकरणं ब्रूवे मिश्रे द्वितीयकम् ।

एकार्थसमुदायो यः स कोशः स्यात् पृथक् पृथक् ॥ १ ॥

कोश के लक्षण—अब 'मिश्र' अध्याय के अन्तर्गत दूसरा 'कोशप्रकरण' का वर्णन करता हूँ । किसी भी एक (समान) वस्तुओं के समूह को 'कोश' कहते हैं वह पृथक् २ अनेक प्रकार का होता है ।

येन केन प्रकारेण धनं सञ्चिनुयान् नृपः ।

तेन संरक्षयेदाष्ट्रं बलं यज्ञादिकाः क्रियाः ॥ २ ॥

राजा को जिस किसी भी प्रकार से धन एकत्र करना चाहिये । और उस धन से राष्ट्र (राज्य), सेना तथा यज्ञादि कर्मों की रक्षा करनी चाहिये ।

बलप्रजारक्षणार्थं यज्ञार्थं कोशसंग्रहः ।

परत्रेह च सुखदो नृपस्यान्यश्च दुःखदः ॥ ३ ॥

सुखप्रद कोश का निर्देश—अतः सेना तथा प्रजा की रक्षा के लिये एवं यज्ञ के लिये जो कोश का संग्रह किया जाता है वह राजा के लिये इस लोक तथा परलोक दोनों के लिये सुखप्रद होता है, इससे भिन्न कार्य के लिये किया हुआ कोशसंग्रह दुःखप्रद होता है ।

स्त्रीपुत्रार्थं कृतो यश्च स्वोपभोगाय केवलम् ।

नरकायैव स ज्ञेयो न परत्र सुखप्रदः ॥ ४ ॥

दुःखप्रद कोश का निर्देश—जो कोशसंग्रह स्त्री-पुत्र के लिये तथा केवल अपने उपभोग के लिये किया जाता है उसे केवल नरक देनेवाला ही समझना चाहिये क्योंकि वह परलोक में सुखप्रद नहीं होता है ।

अन्यायेनाजितो यस्माद् येन तत्पापभाक् च सः ।

सुपात्रतो गृहीतं यदत्तं वा वर्धते न यत् ॥ ५ ॥

अन्यायोपार्जित कोश के दुष्टफलों का निर्देश—जिसने अन्याय से धन उपार्जन किया है अतः वह दुष्टफल (अन्यायोपार्जन) के पाप का फल भोगने-वाला होता है और जो धन सुपात्र से लिया जाता है या सुपात्र को दिया जाता है वह धन बढ़ता है ।

स्वागमी सद्ब्रह्मययी पात्रमपात्रं विपरीतकम् ।

अपात्रस्य हरेत् सर्वं धनं राजा न दोषभाक् ॥ ६ ॥

सुपात्र तथा अपात्र के लक्षणादि का निर्देश—जो न्याय से धन का उपार्जन करनेवाला तथा सत्कार्य में व्यय करनेवाला होता है वह 'सुपात्र' कहलाता है । इससे विपरीत अर्थात् अन्याय से धनोपार्जन तथा कुमार्ग में धन व्यय करनेवाला 'अपात्र' कहलाता है अतः यदि अपात्र के सम्पूर्ण धन को हरण करनेवाला राजा हो तो दोषभागी नहीं होता है ।

अधर्मशीलनृपतेः सर्वतः संहरेद्धनम् ।

छुत्वाद् बलाद्दस्युवृत्त्या पराराष्ट्राद्धरेत्तथा ॥ ७ ॥

अधर्मशील राजा के धन को हर लेने का निर्देश—राजा को अधर्मशील राजा के पास से सभी प्रकारों से अर्थात् चाहे छल, बल या डाकुओं की वृत्ति (डाका डालने) से धन हरण करना चाहिये । तथा इसी तरह शत्रु के राज्य से भी धनहरण करना चाहिये ।

त्यक्त्वा नीतिषलं स्वीयप्रजापीडनतो धनम् ।

सञ्चितं येन तत्तस्य सराज्यं शत्रुसाद्भवेत् ॥ ८ ॥

शत्रु के अधीन राज्य होने के कारणों का निर्देश—जिसने नीति-बल का परिष्कार करके अर्थात् अन्याय से अपनी प्रजा को पीटा पहुँचाकर धन संचय किया है उसका वह धन राज्य के साथ साथ शत्रु के अधीन हो जाता है ।

दण्डभूभागशुल्कानामधिक्यात् कोशवर्धनम् ।

अनापदि न कुर्वीत तीर्थदेवकरमहान् ॥ ९ ॥

दंडोत्तर संपत्ति पर कर लगाकर धन न बढ़ाने का निर्देश—विना विशेष आपत्ति पदे प्रजा के ऊपर अधिक छुत्तना, मालगुजारी या जुंगी बढ़ाकर एवं तीर्थ स्थान तथा देवोत्तर संपत्ति पर कर लगाकर राजा को अपना कोश (खजाना) नहीं बढ़ाना चाहिये ।

यदा शत्रुविनाशार्थं बलसंरक्षणोद्यतः ।

विशिष्टदण्डशुल्कादि धनं लोकात्तदा हरेत् ॥ १० ॥

आपत्ति में अधिक कर बढ़ाने का निर्देश—जिस समय राजा शत्रु का

विनाश करने के लिये सेना की रक्षा करने में तत्पर हो उस समय विशेष प्रकार का अधिक जुर्माना या जुंजी लगाकर प्रजा से धन का हरण करे तो उचित है ।

धनिकेभ्यो भृतिं दत्त्वा स्वापत्नीं तद्धनं हरेत् ।

राजा स्वापत्समुत्तीर्णस्तत् स्वं दद्यात् सवृद्धिकम् ॥ ११ ॥

आपत्तिरहित होने पर सूद सहित धन वापस करने का निर्देश—और अपने ऊपर आपत्ति आ पड़ने पर 'मे सूद दूंगा' ऐसी प्रतिज्ञा कर धनिकों से उसके धन को जबरदस्ती राजा को ले लेना चाहिये । तथा जब वह आई हुई अपनी आपत्ति को पार कर जाय तब उस लिये हुये धन को सूदसहित उस (धनिक) को लौटा देना चाहिये ।

प्रजाऽन्यथा हीयते च राज्यं कोशो नृपस्तथा ।

हीनाः प्रबलदण्डेन सुरथाया नृपा यतः ॥ १२ ॥

प्रबल दण्ड से अनिष्ट फल—अन्यथा अर्थात् धनाभाव से सेना की रक्षा न कर सकने से प्रजा, राज्य, कोश तथा राजा क्षीण हो जाता है । क्योंकि प्रबल दंड के करने से सुरथ आदि राजा लोग दीन अर्थात् राज्यच्युत हो गये ।

दण्डभूभागशुल्कैस्तु विना कोशाद् बलस्य च ।

संरक्षणं भवेत् सम्यग् यावद्विशतिवत्सरम् ॥ १३ ॥

तथा कोशस्तु संधायः स्वप्रजारक्षणक्षमः ।

कोश संग्रह करने का प्रमाण—विना जुर्माना, मालगुजारी तथा जुंजी से प्राप्त धन के भी कंबल राजा के कोश से ही २० वर्ष तक सेना की रक्षा भली भांति जितने से हो सकता है उतने कोश का तथा अपनी प्रजा की रक्षा के लिये उपयुक्त संग्रह करना उचित है ।

बलमूलो भवेत् कोश कोशमूलं बलं स्मृतम् ॥ १४ ॥

बलसंरक्षणात् कोशराष्ट्रवृद्धिरिक्षयः ।

जायते तत्रयं स्वर्गः प्रजासंरक्षणेन वै ॥ १५ ॥

प्रजा-संरक्षण के फल—कोश का मूल सेना है अर्थात् सेना के द्वारा कोश का संग्रह होता है, और सेना का मूल कोश है अर्थात् कोश के द्वारा सेना का संग्रह होता है, और सेना तथा कोश की रक्षा करने से कोश तथा राष्ट्र (राज्य) की वृद्धि एवं शत्रुओं का नाश होना है और प्रजा की रक्षा करने से पूर्वोक्त कोश तथा राष्ट्र की वृद्धि एवं शत्रु नाश ये तीनों होने हैं और अन्त में स्वर्ग भी मिलता है ।

यज्ञार्थं द्रव्यमुत्पन्नं यज्ञः स्वर्गसुखायुषे ।

अयंभावो बलं कोशो राष्ट्रवृद्धयै त्रयं त्रिवदम् ॥ १६ ॥

राष्ट्रवृद्धि के तीन कारण—यज्ञ के लिये द्रव्य (धन) उपलब्ध हुआ है और यज्ञ स्वयं सुख एवं आयु की वृद्धि के लिये है, और शत्रु का अभाव, सेना, कोश ये तीनों राष्ट्र की वृद्धि के लिये हैं ।

तद्रवृद्धिर्नीतिनैपुण्यात् क्षमाशीलनृपस्य च ।

जायतेऽती यतेतैव यावद्वृद्धिबलोदयम् ॥ १७ ॥

नीति-निपुणता से कोशवृद्धि का यत्न करने का निर्देश—क्षमाशील राजा की नीतिसंबन्धी निपुणता से ही उपर्युक्त विषयों की वृद्धि होती है अतः जितना बुद्धिबल हो उतना लगाकर वृद्धि के लिये प्रयत्न करना चाहिये ।

मालाकारस्य वृत्त्यैव स्वप्रजारक्षणेन च ।

शत्रुं हि करदीकृत्य तद्धनैः कोशवर्धनम् ॥ १८ ॥

करोति स नृपः श्रेष्ठो मध्यमो वैश्यवृत्तितः ।

अधमः सेवया दण्डतीर्थदेवकरमहैः ॥ १९ ॥

श्रेष्ठानृप के ३ लक्षण— जो माली की भांति व्यवहार रखकर अर्थात् अपने धाग के धुँसों को सींच कर जैसे माली उसकी रक्षा करता है उसी भांति प्रजा की रक्षा करने के साथ-साथ शत्रु को कर (मालगुजारी) देनेवाला बनाकर उनके धनों से कोश को बढ़ाता है वह नृप श्रेष्ठ कहलाता है, जो वैश्य-वृत्ति व्यवसाय आदि से कोश बढ़ाता है वह मध्यम, एवम् सेवा से तथा जुमाना, तीर्थ स्थान तथा देवमन्दिरों पर कर लगाकर जो कोश बढ़ाता है वह अधम राजा कहलाता है ।

प्रजा हीनधना रक्ष्या भूत्या मध्यधनाः सदा ।

यथाधिकृतं प्रतिभुवोऽधिकद्रव्यास्तथोत्तमाः ॥ २० ॥

हीन धन तथा मध्यम धनवाली प्रजा की रक्षा वेतन देकर राजा को स्वामी की भांति करनी चाहिये । तथा अधिक धनवाली उत्तम प्रजा की रक्षा जाभिनदार होकर करनी चाहिये ।

धनिकाश्चोत्तमधना न हीना नाधिका नृपैः ।

क्योंकि उत्तम धनवाली धनिक प्रजा राजा से न हीन और न अधिक अर्थात् राजतुल्य होती है ।

द्वादशाब्दप्रपूरं यद्धनं तन्नीचसंज्ञकम् ॥ २१ ॥

पर्याप्तं षोडशाब्दानां मध्यमं तद्धनं स्मृतम् ।

त्रिंशदब्दप्रपूरं स्यात् कुटुम्बस्योत्तमं धनम् ॥ २२ ॥

नीचादि धन के लक्षण—जो धन १२ वर्ष तक परिवार की रक्षा करने लायक होता है वह 'नीच' संज्ञक, जो १६ वर्ष तक रक्षा करने योग्य होता है

वह 'मध्यम' एवं जो ३० वर्ष तक परिवार की रक्षा करने योग्य होता है वह 'उत्तम' संज्ञक धन होता है ।

क्रमादर्थं रक्षयेद्वा स्वापत्तौ नृप एषु वै ।

अपने ऊपर आपत्ति आने पर राजा नीचादि क्रम से अपने धन को इन सबों के पास रक्षार्थ रख दे ।

मूलैर्व्यवहरन्त्यर्धेन वृद्ध्या वणिजः क्वचित् ॥ २३ ॥

विक्रीणन्ति महार्घे तु हीनार्घे सञ्चयन्ति हि ।

व्यवसायी (व्यापारी) लोग मूल्यभूत मूल धन से व्यापार करते हैं अर्थात् वस्तुओं का खरीदना-बेचना रूप व्यापार करते हैं केवल सूद पर अपना सारा मूलधन नहीं लगाते हैं और वे महंगी होने पर खरीदी वस्तु को बेचते हैं तथा सस्ती होने पर वस्तु खरीद कर संचय करते हैं ।

व्यवहारे धृतं वैश्यैस्तद्धनेन विना सदा ॥ २४ ॥

अन्यथा स्वप्रजातापो नृपं दहति सान्वयम् ।

प्रजा के सन्ताप से सवंश राजा के नाश का निर्देश—और व्यवहार (क्रय-विक्रय) के लिये रखी हुई वस्तुओं को धन (मूल्य) विना दिये वैश्यों से सदा राजा को जबरदस्ती [नहीं लेना चाहिये । यदि राजा विना मूल्य दिये ले लेता है तो उससे उपन्न हुई प्रजा की सन्तापरूपी अग्नि वंश के सहित उस राजा को जला देती है ।

धान्यानां संग्रहः कार्यो वत्सरत्रयपूर्तिदः ॥ २५ ॥

तत्तत्काले स्वराष्ट्रार्थं नृपेणात्महिताय च ।

चिरस्थायी समृद्धानामधिको वाऽपि चेष्ट्यते ॥ २६ ॥

धान्य-संग्रह करने के प्रमाण का निर्देश—राजा को अपने कल्याण के लिये और राज्य की रक्षा के लिये समय-समय पर तीन वर्ष तक खाने के लिये पर्याप्त धान्यों का संग्रह कर लेना चाहिये । और ऐश्वर्यशाली लोगों के लिये उससे भी अधिक कालतक कार्य चलने लायक अधिक धान्य का संग्रह करना उचित होता है ।

सुपुष्टं कान्तिमजातिश्रेष्ठं शुष्कं नवीनकम् ।

ससुगन्धवर्णरसं धान्यं संवीक्ष्य रक्षयेत् ॥ २७ ॥

सुसमृद्धं चिरस्थायी महार्घमपि नान्यथा ।

संग्रह योग्य धान्य आदि की परीक्षा का निर्देश—अच्छी तरह से पका हुआ, उज्ज्वल, अच्छी जाति का, सुगन्ध हुआ, नवीन, सुगन्ध, वर्ण तथा रस (स्वाद) से युक्त, सुन्दर एवं बहुत कालतक टहरनेवाला, ऐसे धान्य को अच्छी तरह से देखकर यदि अधिक मूल्य का भी हो तो लेकर रखना उचित है । यदि इससे अन्यथा हो तो उस धान्य का संग्रह नहीं करना चाहिये ।

अतः राजा स्वयं परीक्षकों (रत्नपारखियों) के द्वारा परीक्षा करके रत्नों का संग्रह करे ।

वज्रं मुक्ता प्रवालं च गोमेदश्चेन्द्रनीलकः ।

वैदूर्यं पुष्परामञ्च पाचिर्माणिक्यमेव च ॥ ४१ ॥

महारत्नानि चैतानि नव प्रोक्तानि सूरिभिः ।

हीरा आदि नव महारत्नों का निर्देश—हीरा, मोती, मूंगा, गोमेद (लहसुनिया), नीलम, वैदूर्य, पुष्पराज, पन्ना, लाल (मानिक), ये ९ महारत्न विद्वानों द्वारा कहे गये हैं ।

रवेः प्रिय रक्तवर्णं माणिक्यं त्विन्द्रगोपकम् ॥ ४२ ॥

रक्तपीतसितश्यामच्छविर्मुक्ता प्रिया विधोः ।

सपीतरक्तरुमौमप्रियं विद्रुममुत्तमम् ॥ ४३ ॥

मयूरचापपत्राभा पाचिर्बुधहिता हरित् ।

नवरत्नों के वर्ण और नवग्रहों का निर्देश—वीरवहूटी कीड़े की भांति लाल रंग का माणिक (लाल) होता है जो सूर्य को प्रिय है । लाल, पीली, श्वेत तथा श्याम वर्ण की कान्तिवाली मोती होती है जो चन्द्रमा को प्रिय है । पीली तथा लालकान्ति से युक्त उत्तम मूंगा होता है जो मंगलग्रह को प्रिय है । मयूर तथा चाप पत्ती के पंख के समान कान्तिवाला पत्रा हरा रङ्ग का होता है जो बुधग्रह को प्रिय होता है ।

स्वर्णच्छविः पुष्परागः पीतवर्णो गुरुप्रियः ॥ ४४ ॥

अत्यन्तविशदं वज्रं तारकाभं कवेः प्रियम् ।

हितः शनैरिन्द्रनीलो ह्यसितो घनमेघरुक् ॥ ४५ ॥

गोमेदः प्रियकृद्राहोरोपत्पीतारुणमभः ।

ओत्पद्यथाभञ्जलरान्तुर्वैदूर्यः केतुप्रीतिकृत् ॥ ४६ ॥

सोना के समान कान्तिवाला पीले वर्ण का पुष्पराज होता है जो गुरुग्रह को प्रिय होता है । अत्यन्त स्वच्छ तारा की भांति चमकनेवाला हीरा होता है जो शुक्रग्रह को प्रिय है । घने बादल के समान कान्तिवाला नीले रङ्ग का नीलम होता है जो शनिग्रह को प्रिय है । कुछ पीली तथा लाल कान्ति से युक्त लहसुनिया होता है जो राहु को प्रिय है । बिलार की आंखों के समान जिसकी कान्ति हो तथा जो किरणों से युक्त हो उसे वैदूर्य कहते हैं । यह केतु को प्रिय है ।

रत्नश्रेष्ठतरं वज्रं नीचे गोमेद्विद्रुमम् ।

गारुत्मतं च माणिक्यं मीक्तिकं श्रेष्ठमेव हि ॥ ४७ ॥

इन्द्रनीलं पुष्परागो वैदूर्यं मध्यमं स्मृतम् ।

सम्पूर्ण रत्नों में वज्र (हीरा) रत्न की श्रेष्ठता का निर्देश—रत्नों में अत्यन्त श्रेष्ठ हीरा होता है, और लहसुनिषा तथा मूंगा रत्नों में नीच (निम्न) होते हैं । पद्मा, मानिक तथा मोती रत्नों में श्रेष्ठ हैं । नीलम, पुष्करात्र और वैदूर्य रत्नों में मध्यम हैं ।

रत्नश्रेष्ठो दुर्लभश्च महाद्यांतरहेर्मणः ॥ ४८ ॥

सर्वमणि-रत्नों में श्रेष्ठ, दुर्लभ एवं अत्यन्त उज्ज्वल कान्तिवाला होता है ।

अजालगभं सद्गणं रेखाबिन्दुविवर्जितम् ।

सत्कीर्णं सुप्रभं रत्नं श्रेष्ठं रत्नविदो विदुः ॥ ४९ ॥

श्रेष्ठ रत्नों के लक्षण—'जिसके भीतर जाली न हो और वर्ण अच्छा हो एवं रेखा तथा बिन्दु से रहित, अच्छे कोणों से युक्त तथा अच्छी कान्तिवाला रत्न श्रेष्ठ होता है'—ऐसा रत्नपारखी लोग कहते हैं ।

शर्कराभं दलामं च चिपिटं वर्तुलं हि तत् ।

वर्णाः प्रभाः सिता रक्ताः पीतकृष्णास्तु रत्नजाः ॥ ५० ॥

और वह रत्न कोई बालू और कोई पत्तों के समान कान्ति का तथा कोई चिपटा या कोई गोल आकार का होता है । और रत्नों के वर्ण की कान्ति श्वेत, रक्त, पीत या कृष्ण होती है ।

यथावर्णं यथाच्छ्रायं रत्नं यद्विषयवर्जितम् ।

श्रीपुष्टिकीर्तिशौर्यायुःकरमन्यदसत् स्मृतम् ॥ ५१ ॥

असत् रत्न के लक्षण—अपने २ वर्ण तथा कान्ति से युक्त और दोषों से रहित जो रत्न होता है वह लक्ष्मी, पुष्टि, कीर्ति, श्रुता तथा आयु को करने-वाला होता है इससे अन्य प्रकार का रत्न बुरा फल देनेवाला होने से बुरा कहलाता है ।

वर्णभाक्रमते छाया प्रभा वर्णप्रकाशिनी ।

कान्ति वर्ण को उज्ज्वल करती है, और प्रभा उसे प्रकाशित करती है ।

पद्मरागस्तु माणिक्यभेदः कांकनदच्छविः ॥ ५२ ॥

न धारयेत् पुत्रकामा नारी वज्र कदाचन ।

कालेन हीन भवति मौक्तिकं विद्रुम घृतम् ॥ ५३ ॥

पुत्रार्थिनी को वज्र धारण करने का निषेध तथा बहुत दिन धारण किये मोती और मूंगा के हीन होने का निर्देश—पद्मरागमणि माणिक्य (मानिक) का ही भेद है । यह रत्नकमल के समान कान्तियुक्त होता है । और पुत्रार्थिनी स्त्री को कभी भी हीरा धारण नहीं करना चाहिये । मूंगा और मोती बहुत दिन तक धारण करने पर (खराब) हो जाता है ।

गुरुत्वात् प्रभया वर्णादिस्तारादाश्रयादपि ।

आकृत्या चाधिमूल्यं स्याद्रत्नं यदोपवर्जितम् ॥ ५४ ॥

दोष वर्जित रत्न के लक्षण—जो रत्न दोषरहित होता है उसका वजन, कान्ति, रङ्ग, आकार का विस्तार, उत्पत्तिस्थान तथा आकार के आधार पर मूल्य अधिक हो जाता है ।

नायसोल्लिख्यते रत्नं विना मौक्तिकविद्रुमात् ।

पाषाणेनापि च प्राय इति रत्नविदो विदुः ॥ ५५ ॥

‘मूंगा और मोती को छोड़कर अन्य रत्नों पर छोड़े और पाथर से घिसने पर प्रायः लकीर नहीं पड़ती है’ ऐसा रत्न के पारखी लोग कहते हैं ।

मूल्याधिक्याय भवति यद्रत्नं लघु विस्तृतम् ।

गुर्वल्पं हीनमौल्याय स्याद्रत्नं त्वपि सद्गुणम् ॥ ५६ ॥

मूल्य अधिक और कम होने के कारण—जो रत्न दोष से रहित उत्तम होते हुये भी तौल में हल्के किन्तु आकार में बड़े हों तो वे अधिक मूल्य के होते हैं । और जो तौल में भारी किन्तु आकार में छोटे होते हैं वे मूल्य में हीन होते हैं ।

शर्कराभ हीनमौल्यं चिपिटं मध्यमं स्मृतम् ।

दलाभं श्रेष्ठमूल्यं स्याद्यथाकामात्तु वतुन्नम् ॥ ५७ ॥

घालू के समान आकारवाला रत्न हीन मूल्य का होता है । चिपटा रत्न मध्यम मूल्य का और टुकड़ेवाला श्रेष्ठ मूल्य का होता है, और गोल रत्न छेदने और घेघनेवाले की आवश्यकता के अनुसार कम या अधिक मूल्यवाले हो जाते हैं ।

न जरां यान्ति रत्नानि विद्रुमं मौक्तिकं विना ।

राजद्वीष्टथाश्च रत्नानां मूल्यं हीनाधिकं भवेत् ॥ ५८ ॥

मूंगा और मोती को छोड़कर दोष रत्नों के ऊपर पुराना होने का दोष नहीं होता है । राजा की दुष्टता से रत्नों के मूल्य कम या अधिक हो जाते हैं ।

मत्स्या-ऽहि-शङ्ख-वाराह-वेणु-जीमूत-शुक्तिः ।

जायते मौक्तिकं तेषु भूरि शुक्त्युद्भवं स्मृतम् ॥ ५९ ॥

‘मौक्तिक की उत्पत्ति के स्थानों का निर्देश—मछली, सर्प, शङ्ख, शूअर, बांस, मेघ तथा सीप से मोती उत्पन्न होती है, किन्तु अधिकतर सीप से ही मोती निकलती है ।

कृष्णं सितं पीतरक्तं द्विचतुःसप्तकञ्चुकम् ।

त्रि-पञ्च-सप्तावरण-मुत्तरोत्तरमुत्तमम् ॥ ६० ॥

मोती के रंग और भेद का निर्देश—मोती कृष्ण, श्वेत, पीतयुक्त रक्तवर्ण तथा क्रम से २ कञ्चुक (परत), ४ कञ्चुक, ७ कञ्चुकवाली उत्तरोत्तर उत्तम-समझी जाती है ।

कृष्णं सितं क्रमाद् रक्तं पीतन्तु जरठं विदुः ।

कनिष्ठं मध्यमं श्रेष्ठं क्रमाच्छुक्त्युद्धवं विदुः ॥ ६१ ॥

‘कृष्ण वर्ण की मोती कनिष्ठ, श्वेतवर्ण की मध्यम, रक्तवर्ण की श्रेष्ठ तथा पीतवर्ण की पुरानी होती है’ ऐसा सीप की मोती के विषय में समझना चाहिये ।

तदेव हि भवेद् वैध्यमवेध्यानीतराणि तु ।

कुर्वन्नि कृत्रिमं तद्वत्सिंहलद्वीपवासिनः ॥ ६२ ॥

कृत्रिम मोती के निर्माण का स्थान—सीप की मोती ही बेधी जा सकती है अन्य मोती नहीं बेधी जा सकती । सिंहल (सीलोन) देशवासी असली मोती के समान नकली मोती बनाते हैं ।

तत्सन्देहविनाशार्थं मौक्तिकं सुपरीक्षयेत् ।

उष्णे सलवणस्नेहे जले निर्युषितं हि तत् ॥ ६३ ॥

ग्रीहिभिर्मर्दितं नेयाद्वैवर्ण्यं तदकृत्रिमम् ।

श्रेष्ठाम शुक्तिजं विद्यान्मध्याभं स्थितरद्भिदुः ॥ ६४ ॥

मोती की परीचाविधि-निर्देश—अतः सन्देह दूर करने के लिये मोती की मलीभांति परीचा करनी चाहिये । परीचा विधि यह है कि—गर्म जल में निमज्ज तथा तेज मिलाकर उसी में मोती को डालकर रातभर पड़ा रहने दे पश्चात् प्रातः मोती को निकाल कर धानों के बोध रख कर खूब रगड़े, इसके बाद यदि उसका रंग बदल जाय तो मोती को नकली यदि न बदले तो असली समझना चाहिये । उत्तम आभा (कान्ति) की मोती असली और मध्यम आभा की नकली समझी जाती है ।

तुलाकल्पितमूल्यं स्यात्स्नं गोमेदकं विना ।

क्षुमाविंशतिभी रक्ती रत्नानां मौक्तिकं विना ॥ ६५ ॥

गोमेदक रत्न को छोड़ कर शेष रत्नों का मूल्य तौल के अनुसार होता है । मोती को छोड़कर शेष रत्नों के लिये एक रत्नो २० अलसियों की मानी गई है ।

रक्तित्रयं तु मुक्तायाश्चतुःकृष्णलकैर्मवेत् ।

चतुर्विंशतिभिस्ताभी रत्नटङ्कस्तु रक्तिभिः ॥ ६६ ॥

टङ्कैश्चतुर्भिस्तोलः स्यात् स्वर्णविद्रुमयोः सदा ।

रत्नों का तुल्यमान निर्देश—मोती के लिये ४ कृष्णलों (तौल विशेष) की ३ रत्नी, २४ रत्तियों का रत्नों के लिये १ टङ्क होता है । स्वर्ण तथा मृंगा तौलने के लिये ४ टङ्कों का १ तोला होता है ।

एकस्यैव हि वज्रस्य न्वेकरक्तिमितस्य च ॥ ६७ ॥

सुविस्मृतदलस्यैव मूल्यं पञ्चसुवर्णकम् ।

वज्र का मूल्य-विचार—यदि एक ही हीरा विस्तृत दलवाला तथा १ रत्ती तौल का हो तो उसका मूल्य ५ सुवर्ण (१० मासे तौल की १ स्वर्ण मुद्रा अक्षर्या) होता है ।

रक्तिकादलविस्ताराच्छ्रेष्ठं पञ्चगुणं यदि ॥ ६८ ॥

यथा यथा भवेन्न्यूनं हीनमौल्यं तथा तथा ।

जैसे २ रत्ती की संख्या पंच दल का विस्तार अधिक होता जायगा वैसे २ हीरे की श्रेष्ठता बढ़ती है, और प्रति रत्ती के अनुसार पूर्वोक्त मूल्य से पंचगुना अधिक होता जायगा । और जैसे २ रत्ती तथा दल के विस्तार में न्यूनता होगी वैसे २ मूल्य में कमी होगी ।

अत्राष्टरक्तिको मापो दशमापैः सुवर्णकः ॥ ६९ ॥

स्वर्णस्य तत् पञ्चमूल्यं राजताशीतिकर्षकम् ।

रत्न के तौलने में १ मासा ८ रत्ती का होता है । १० मासे का १ सुवर्ण होता है । ५ सुवर्णों का मूल्य ८० चांदी के कर्ष (१ रुपये) भर होते हैं ।

यथा गुरुतरं वज्रं तन्मूल्य रक्तिवर्गतः ॥ ७० ॥

तृतीयांशविहीनं तु चिपिटस्य प्रकीर्तितम् ।

हीरा चाहे जितना भारी हो किन्तु उसका मूल्य उसके रत्ती-समूह के अनुसार ही होगा, चिपटे हीरे का मूल्य तृतीयांश कम होता है ।

अर्धं तु शर्कराभस्य चोत्तमं मूल्यमीरितम् ॥ ७१ ॥

रक्तिकायाश्च द्वे वज्रे तदर्धं मूल्यमर्हतः ।

उत्तम हीरे के मूल्य से आधा मूल्य शर्करा (बालु) के आकारवाले हीरे का होता है । २ हीरे यदि १ रत्ती के हों तो दोनों का मूल्य उत्तम हीरे का आधा होता है ।

तदर्धं बहवोऽर्हन्ति मध्या हीना यथा गुणैः ॥ ७२ ॥

उत्तमार्धं तदर्धं हीरका गुणहीनतः ।

यदि गुणों के अनुसार मध्यम और हीन बहुत से हीरे १ रत्ती के बराबर हों तो उसके मूल्य उस से भी आधे हो जायेंगे । इसी प्रकार से हीरों के गुण की हीनता के अनुसार उसके मूल्य के आधे या उससे भी आधे होते हैं ।

शतादूर्ध्वं रक्तिवर्गाद्ग्रसेद् विशतिरक्तिकाः ॥ ७३ ॥

प्रतिशतात्तु वज्रस्य सुविस्तृतदलस्य च ।

तथैव चिपिटस्यापि विस्तृतरय च ह्यासयेत् ॥ ७४ ॥

शर्कराभस्य पञ्चाशच्चत्वारिंशच्च वैकतः ।

जो हीरा सुविस्तृत दलवाला या चिपटा होते हुये भी विस्तृत दलवाला हो और यदि १०० रत्ती से ऊपर तौलवाला हो तो प्रति सैकड़े २० रत्ती का

मूल्य घटाकर उसका मूल्य होगा । और शर्करा के समान हीरों के लिये प्रति सैकड़े ५० या ४० रत्ती का मूल्य घटाकर मूल्य होगा ।

रतनं न धारयेत् कृष्ण रक्तविन्दुयुत सदा ॥ ७५ ॥

काले और रक्त विन्दुवाले रतन के न धारण का निर्देश—और कृष्ण वर्ण के रत्नों पर यदि लाल रंग के विन्दु हों तो उन्हें नहीं धारण करना चाहिये ।

गार्ह्यमत तूत्तम चेन्माणिक्यं मूल्यमर्हतः ।

सुवर्णं रक्तिमात्रं चेद् यथा रक्तिस्ततो गुरुः ॥ ७६ ॥

माणिक्यादिकों का मूल्य-विचार—यदि पद्मा और माणिक्य दोनों उत्तम हों तो उन दोनों के मूल्य समान होंगे अतः वे १ रत्ती के तौल के हों तो उनका १ सुवर्ण (१० मासे सोना) मूल्य होता है । और रत्ती के अनुसार मूल्य बढ़ता है ।

रक्तिमात्रः पुष्परागो नीलः स्वर्णार्धमर्हतः ।

चलत्रिसूत्रो वैदूर्यश्चोत्तम मूल्यमर्हति ॥ ७७ ॥

१ रत्ती का पुष्पराज या नीलम का मूल्य आधा सुवर्ण (५ मासे सोना) होता है । और जिसमें चलते हुये ३ सूत्र दिखाई पड़े ऐसा वैदूर्यमणि उत्तम मूल्य का होता है ।

प्रभाल तौलकमितं स्वर्णार्धं मूल्यमर्हति ।

१ तौले भर तौल के मूंगे का मूल्य आधा सुवर्ण (५ मासे सोना) होता है ।

अत्यल्पमूल्यो गोमेदो नोन्मानं तु यतोऽर्हति ॥ ७८ ॥

गोमेद के उन्मान के योग्य न होने का निर्देश—गोमेद मणि अत्यन्त कम मूल्य का होता है । अतः उसका मूल्य तौल के ऊपर नहीं होता है ।

संख्यातः स्वल्परत्नानां मूल्यं स्याद्वीरकाद्विना ।

अत्यन्तरमणीयानां दुर्लभानां च कामतः ॥ ७९ ॥

भवेन्मूल्यं मानेन तर्थात्गुणशालिनाम् ।

अत्यन्त गुण वाली का मान से मूल्य न होने का निर्देश—हीरे को छोड़कर चन्द्र रत्नों का मूल्य संख्या से होता है । जो अत्यन्त सुन्दर तथा दुर्लभ हों उनका मूल्य आवश्यकतानुसार कम या अधिक होता है । और अत्यन्त गुण-शाली रत्नों का मूल्य तौल के अनुसार नहीं होता है ।

व्यङ्घ्रिश्चतुर्दशहतो वर्गो मौक्तिकरक्तिजः ॥ ८० ॥

चतुर्विंशतिभिर्भक्तो लब्धान्मूल्यं प्रकल्पेत् ।

उत्तमं तु सुवर्णार्धमूत्तमूत्तं यथागुणम् ॥ ८१ ॥

मोतियों की मूल्य-कल्पना—मोती तौल में जितनी रत्तियों का हो,

उनकी संख्या को परस्पर गुणा करके वर्ग निकाल ले अर्थात् यदि ४ है तो ४ ही से गुणा करके १६ वर्ग हुआ, इसे चौथाई से हीन करने पर १२ हुआ पुनः १४ से गुणा करने पर १६८ हुआ, इसको २४ से भाग देने पर लब्धि ८ हुई, इससे मूल्य की कल्पना करे। उत्तम मुक्ता का मूल्य आधा सुवर्ण होता है, उसके पाद गुणानुसार मध्यम तथा अधम होने से उत्तरोत्तर कम होता जाता है।

मुक्ताया रक्तिवगस्य प्रतिरक्ती कला नव ।

कल्पयेत्पद्मभागान् हि त्रिशद्भिः प्राग्भजेत्तन् ॥ ८२ ॥

लघ्वं कलासु संयोज्य कलाः षोडशभिर्भजेत् ।

मूल्यं तल्लब्धितो योज्यं मुक्ताया वा यथागुणम् ॥ ८३ ॥

मोती की रत्तियों के वर्ग में प्रत्येक रत्ती को नौ ९ कला समझनी चाहिये। फिर उन रत्तियों को पचगुना करके ३० से भाग दे। और जो लब्धि हो उसे कलाओं में जोड़ दे। फिर १६ का भाग दे, जो लब्धि हो उससे मोती का मूल्य समझना चाहिये। अधम गुणानुसार मोती का मूल्य निश्चित करना चाहिये।

रक्तं पीतं वर्तुलं चेन्मीक्तिकं चोत्तमं सितम् ।

अधमं चिपिटं शर्कराभमन्यत्तु मध्यमम् ॥ ८४ ॥

मोती के भेद और लक्षण—लाल, पीला और श्वेत रंग की गोल मोती उत्तम होती है। और जो चिपटी तथा शर्करा के समान होती है वह अधम और इससे अन्य मोती मध्यम कहलाती है।

रत्ने स्वाभाविका दोषाः सन्ति धातुषु कृत्रिमाः ।

अतो धातून् सम्परीदय तन्मूल्यं कल्पयेद् युधः ॥ ८५ ॥

रत्नों में स्वाभाविक (स्वयम्) दोष उत्पन्न होते हैं। किन्तु धातुओं में (स्वर्णादि में) मिलाने से कृत्रिम दोष होते हैं। अतः धातुओं की भलीभांति परीक्षा करके बुद्धिमान को उनके मूल्य की कल्पना करनी चाहिये।

सुवर्णं रजतं ताम्रं वर्णं सीसं च रङ्गकम् ।

लोहं च धातवः सप्त ह्येषामन्ये तु संकराः ॥ ८६ ॥

सुवर्णादि सात धातुओं का निर्देश—सोना, चांदी, ताम्र, वंग, सीसा, रांगा, लोहा ये ७ शुद्ध धातुएँ हैं, इनसे अन्य धातुएँ इन सभों के मेल से बनती हैं अतः वे संकर (मिलावटी) धातु कहलाती हैं।

यथापूर्वं तु श्रेष्ठं स्वात्स्वर्णं श्रेष्ठतरं मत्तम् ।

वङ्गताम्रभव कांस्यं पित्तलं ताम्ररङ्गजम् ॥ ८७ ॥

सुवर्णादि ७ धातुओं के तरतम भाव—उक्त ७ धातुओं में अन्तिम लौह से

पूर्व-पूर्व की धातुयें श्रेष्ठ होती हैं । अतः सोना सर्वश्रेष्ठ धातु माना जाता है । वङ्ग तथा तामा के मेल से 'कांसा' बनता है, तामा तथा रांगा के मेल से 'पीतल' बनता है ।

मानसममपि स्वर्णं तनु स्यात् पृथुलाः परे ।

स्वर्णादि धातुओं के गुण—तौल में बराबर सोना पतला बनाया जाता है किन्तु अन्य धातुयें स्वर्ण के बराबर तौल में होती हुई भी मोटी ही बनती हैं सोने के समान पतली नहीं ।

एकच्छिद्रसमावृष्टे समखण्डे द्वयोर्यदा ॥ ८८ ॥

धातोः सूत्रं मानसमं निर्दुष्टस्य भवेत्तदा ।

जब दो धातुओं के समान दो टुकड़ों को एक छिद्र में ढालकर सूत्राकार खींचकर तार बनाया जाय तो यदि धातु शुद्ध होगी तब उसका सूत्र मान में बराबर ही होगा ।

यन्त्र-शस्त्रास्त्ररूपं यन्महामूल्यं भवेद्यः ॥ ८९ ॥

रजतं षोडशगुणं भवेत् स्वर्णस्य मूल्यकम् ।

धातुओं के मूल्य का प्रमाण—यन्त्र तथा शस्त्र रूप होने पर, लोहे का मूल्य अत्यधिक बढ़ जाता है । चांदी से सोलह गुना अधिक मूल्य सोने का होता है ।

ताम्रं रजतमूल्यं स्यात् प्रायोऽशीतिगुणं तथा ॥ ९० ॥

ताम्राधिकं साधेगुणं वङ्ग वङ्गात्तथा परे ।

रङ्गमीसे द्वात्रिगुणे ताम्राह्लाहं तु षड्गुणम् ॥ ९१ ॥

मूल्यमेतद्विशिष्टं तु ह्युक्तं प्राङ्मूल्यकल्पनम् ।

प्रायः तामे से अरसी गुना अधिक मूल्य चांदी का होता है । वंग से षेड गुना अधिक तामे का मूल्य होता है । और वङ्ग से अन्य रांगा तथा सीसा क्रम से ताम्र से द्विगुण तथा त्रिगुण मिलते हैं । और लोह छ गुने मिलते हैं । यह विशिष्ट रूप से मूल्य कहा गया है, क्योंकि पूर्व से ही मूल्य का वर्णन किया गया है ।

सुशृङ्गवर्णा सुदुग्धा बहुदुग्धा सुव्रत्सका ॥ ९२ ॥

तरुण्यल्पा वा महती मृत्गाधिक्याय गोर्भवेत् ।

पीतवत्सा प्रस्थदुग्धा तन्मूल्यं राजतं पलम् ॥ ९३ ॥

अधिक मूल्य गौ के लक्षण—सुन्दर सींग तथा वर्णवाली, दुहने में बलेस नहीं पहुँचानेवाली, अधिक दूध देनेवाली, सुन्दर बछड़ेवाली, जवान पेली गौ चाहे वह छोटी हो या बड़ी हो तो उसका मूल्य अधिक होता है । पीले वर्ण

की बछड़ेवाली गौ यदि अच्छा दूध देनेवाली हो तो उसका मूल्य १ पल (४ तोला) चांदी है ।

अजायाश्च गवाद्धं स्थान्मेष्ट्या मूल्यमजार्धकम् ।

बकरी आदि के मूल्य का प्रमाण—और बकरी का मूल्य गौ के मूल्य से आधा होता है तथा भेड़ी का मूल्य बकरी से आधा होता है ।

दृढस्य युद्धशीलस्य पलं मेपस्य राजतम् ॥ ६४ ॥

दृढ़ शरीरवाला एवं लड़ने में निपुण भेड़े का मूल्य एक पल चांदी है ।

दश वाऽष्टौ पलं मूल्यं राजतं तूत्तमं गवाम् ।

पलं मेष्ट्या अवेश्चापि राजतं मूल्यमुत्तमम् ॥ ९५ ॥

गवां समं सार्धगुणं महिष्या मूल्यमुत्तमम् ।

गौ आदि के उत्तम मूह्यों का निर्देश—और गौ का उत्तम मूल्य १० या ८ पल चांदी है । भेड़ी या भेड़ का उत्तम मूल्य १ पल चांदी है । भैंस का उत्तम मूल्य गौ के बराबर या थोड़ा अधिक होता है ।

सुशृङ्गवर्णबलिनो घोडुः शीघ्रगमस्य च ॥ ६६ ॥

अष्टतालवृषस्यैव मूल्यं षष्टिपलं स्मृतम् ।

सुन्दर सींग तथा वर्ण एवं दल से युक्त, घोषा होनेवाला तथा जल्दी र चलनेवाला तथा आठ ताल (अंगूठा तथा मध्यमा अंगुली फैलाकर नापने से जितनी लम्बाई होती है, उसे 'ताल' कहते हैं) के बराबर ऊँचे बैल का ६० पल चांदी मूल्य होता है ।

महिषस्योत्तमं मूल्यं सप्त चाष्टौ पलानि च ॥ ६७ ॥

भैंस का उत्तम मूल्य १० या ८ पल चांदी होता है ।

द्वित्रिचतुःसहस्रं वा मूल्यं श्रेष्ठे गजाश्रयोः ।

उष्ट्रस्य माहिपसमं मूल्यमुत्तममीरितम् ॥ ९८ ॥

हाथी आदि के उत्तम मूल्यों का निर्देश—हाथी और घोड़े का श्रेष्ठ मूल्य गुणानुसार २, ३ या ४ हजार मुद्रा या पल चांदी होता है । ऊँट का उत्तम मूल्य महिष के समान ही होता है ।

योजनानां शतं गन्ता चैकेनाह्वाऽश्च उत्तमः ।

मूल्यं तस्य सुवर्णानां श्रेष्ठे पञ्चशतानि हि ॥ ६६ ॥

उत्तम अश्व आदि के लक्षण और मूल्य का निर्देश—एक दिन में १०० योजन (४०० कोश) जानेवाले घोड़े उत्तम कहलाते हैं । उनका श्रेष्ठ मूल्य ५०० सुवर्ण (स्वर्णमुद्रा) होता है ।

त्रिंशद्योजनगन्ता वै उष्ट्रः श्रेष्ठस्तु तस्य वै ।

पलानां तु शतं मूल्यं राजतं परिकीर्तितम् ॥ १०० ॥

१ तीस योजन जानेवाला ऊँट श्रेष्ठ कहलाता है उसका मूल्य १०० पल चाँदी है ।

चतुर्मापमितं स्वर्णं निष्क इत्यभिधीयते ।

पद्भरक्तिमितो मापो गजमौल्ये प्रकीर्तितः ॥ १०१ ॥

४ मासे सोने का १ निष्क होता है । हाथी का मूल्य निश्चय करने में ५ रत्ती का १ माशा माना जाता है ।

रत्नभुतं तु तत्तरस्याद्यद्यदप्रतिम भुवि ।

यथादेशं यथाकालं मूल्यं मर्घस्य कल्पयेत् ॥ १०२ ॥

देश-कालानुसार सर्वों की मूल्य-कल्पना करने का निर्देश—जो-जो वस्तुयें संसार में अनुपम (बेजोड़) होती हैं वे सभी रत्नस्वरूप मानी जाती हैं । अत एव उन सर्वों का मूल्य देश तथा काल के अनुसार निश्चित करना चाहिये ।

न मूल्यं गुणहीनस्य व्यवहाराक्षमस्य च ।

नीचमध्योत्तमत्वं च सर्वस्मिन्मूल्यकल्पने ॥ १०३ ॥

चिन्तनीयं बुधैर्लोकैस्त्वस्तुजातस्य सर्वदा ।

जो वस्तु गुणों से हीन तथा व्यवहार करने के लिये अयोग्य होती है, उसका मूल्य कुछ भी नहीं होता है । और बुद्धिमान व्यक्ति को लोक-परम्परा द्वारा सर्वत्र मूल्य निश्चय करने में समस्त वस्तुओं के नीच, मध्यम तथा उत्तम भेदों को सदा समझकर तदनुसार विचार करना चाहिये ।

विक्रेतृक्रेतृतो राजभागः शुल्कमुदाहृतम् ॥ १०४ ॥

शुल्क के लक्षण—बेचने तथा खरीदनेवाले से राजा जो अपना अंश लेता है उसे 'शुल्क' कहते हैं ।

शुल्कदेशा हट्टमार्गाः करसीमाः प्रकीर्तिताः ।

वस्तुजातस्यैकवारं शुल्कं प्रायः प्रयतन्तः ॥ १०५ ॥

वस्तुओं के शुल्क को एक बार ही ग्रहण करने का निर्देश—शुल्क (चुंगी) लेनेवाला स्थान बाजार के मार्ग (खरीदनेवालों से लेने के लिये) तथा करसीमा (चुंगी लगाने के स्थान की सीमा पर बना चुंगी घर) जहाँ पर व्यापारियों (बेचनेवालों) से चुंगी ली जाती है । समस्त वस्तुओं का प्रयत्नपूर्वक एक बार ही चुंगी लेनी चाहिये ।

अचिन्तयैवासकृच्छुल्कं राष्ट्रे माह्यं नृपैश्छलान् ।

द्वात्रिंशं हरेद्राजा विक्रेतुः क्रेतुरेव वा ॥ १०६ ॥

विंशं वा षोडशं शुल्कं मूल्याविरोधकम् ।

न हीनमममूल्याद्धि शुल्कं विक्रेतृतो हरेत् ॥ १०७ ॥

लाभं दृष्ट्वा हरेच्छुल्कं क्रेतुश्च सदा नृपः ।

अपने राज्य में राजा कमी भी छल से बारंबार किसी वस्तु की चुंगी न लेवे। और राजा बेचने या खरीदनेवालों से वस्तु के मूल्य का ३२ वां अंश चुंगी के रूप में ग्रहण करे अथवा मूल धन को छोड़कर लाभ में से बीसवां या सोलहवां अंश चुंगी लेवे। जिस विक्रेता (बेचनेवाले) को मूल धन से कम या बराबर मूल्य वस्तु का मिले, उससे चुंगी न लेवे। और राजा थोड़े मूल्य से अधिक द्रव्य का लाभ देखकर तदनुसार ही खरीदनेवाले से चुंगी माँदा लेवे।

बहुमध्याल्पफलितां भुयं मानमितां सदा ॥ १०८ ॥

ज्ञात्वा पूर्वं गामिच्छुः पश्चाद्भाग विकल्पयेत् ।

हरेषु कर्षकाद्भागं यथा नष्टो भवेन्न सः ॥ १०९ ॥

किसान से भाग (मालगुजारी) लेने का प्रमाण—सदा करग्रहण का अभिलाषी राजा प्रथम भूमि को नाप कर और उसके बहुत, मध्यम या कम पैदावार को समझ कर पश्चात् तदनुसार कर का निश्चय करे। और कृषक से उतना ही कर लेवे जितने से वह नष्ट (चतिग्रस्त) न होवे।

मालाकार इव ग्राह्यो भागो नाङ्गारकारवत् ।

बहुमध्याल्पफलतस्तारतम्यं विमृश्य च ॥ ११० ॥

माली जैसे लता आदि से थोड़ा २ फूल चुनता है उसी भाँति राजा भी थोड़ा कर लेवे किन्तु जैसे कोयला बनानेवाला संपूर्ण वृक्षों के जड़ को जलाकर कोयला बनाता है वैसे संपूर्ण कर रूप में न ले लेवे। और बहुत, मध्यम तथा कम पैदावार के तारतम्य को समझ कर तदनुसार ही कर लेवे।

राजभागादि व्ययतो द्विगुण लभ्यते यतः ।

कृषिकृत्य तु तच्छ्रेष्ठं तन्न्यून दुःखदं नृणाम् ॥ १११ ॥

उत्तम कृषिकृत्य के लक्षण—राजा का कर (मालगुजारी) आदि संपूर्ण व्यय को काट कर जिस खेती से दुगुना लाभ हो, वह उत्तम खेती कहलाती है इससे कम लाभ होने पर कृषकों को दुःख देनेवाली खेती ही जाती है।

तडागवापिकाकूपमातृकादेवमातृकात् ।

देशान्तदीमातृकात् राजाऽनुक्रमतः सदा ॥ ११२ ॥

तृतीयांशं चतुर्थांशमर्धांशं तु हरेत्कलम ।

षष्ठांशमपरात्तद्वत्पाषाणादिसमाकुलात् ॥ ११३ ॥

तडागादिकों से मंत्रभूमि से ग्राह्य राजभाग का तारतम्य-निर्देश—राजा क्रमानुसार सदा तडाग (तालाब), बावड़ी या कूप के जल से सोंचे जानेवाले खेतों से तृतीयांश, वर्षा के द्वारा सिंचाई होनेवाले खेतों से चतुर्थांश तथा नदी से सिंचाई होनेवाले खेतों से अपज का आधा अंश एवं बंजर तथा पथरीली जमीन से होनेवाले आय का छठा अंश कर रूप में ग्रहण करे।

राजभागस्तु रजतशतकर्षमितो यतः ।

कपकाल्लभ्यते तस्मै त्रिंशंशमुत्सृजेन्नृपः ॥ ११४ ॥

जिस कृपक से राजा को १०० रुपये भर चांदी (चांदी का रुपया) कर रूप में मिलता हो तो उस (कृपक) के लिये राजा अपने कर में से बीसवां भाग (५ रुपये) अपनी ओर से दे देवे ।

स्वर्णादर्थं च रजतात्तृतीयांशं च नाम्नतः ।

चतुर्थांशं तु पष्ठांशं लोहाद्द्विजान्न सीसकान् ॥ ११५ ॥

रत्नार्थं चैव क्षारार्थं स्वनिजाद्वयशेषतः ।

लाभाधिक्यं कर्षकादेर्यथा दृष्ट्वा हरेत्फलम् ॥ ११६ ॥

त्रिधा वा पञ्चधा कृत्वा सप्तधा दशघाटाप वा ।

रजतादियुक्त भूमि के लिये राजभाग-नियम—व्यय को काटकर खान से उत्पन्न होनेवाले सोना से आधा अंश, चांदी से तृतीयांश, तामा से चतुर्थांश, लोहा, बंग तथा सीसा से पष्ठांश, रत्नों से तथा क्षार पदार्थ नमक आदि से आधा अंश एवं कृपक आदि के लाभ की अधिकता देखकर तदनुसार तृतीयांश, पञ्चमांश, सप्तमांश या दशमांश कर ग्रहण राजा को करना चाहिये ।

तृणकाष्ठादिहरकाद्विंशत्यंशं हरेत्फलम् ॥ ११७ ॥

तृणकाष्ठादिविक्रेता आदि से २० वाँ भाग कर लेने का निर्देश—और तृण-काष्ठ आदि लाकर बेचनेवालों से २० वाँ अंश कर लेना चाहिये ।

अजाविगोमहिष्यश्ववृद्धिलोऽष्टांशमाहरेत् ।

महिष्यजाविगोदुग्धात्पोडशांशं हरेन्नृपः ॥ ११८ ॥

बकरी आदि की वृद्धि से ८ वां भाग लेने का निर्देश—बकरी, भेड़, गौ, भैंस और घोड़ों की वृद्धि में से अष्टमांश कर राजा ग्रहण करे । भैंस, बकरी, भेड़, तथा गाय के दूध में से १६ वां भाग कर ग्रहण करे ।

कारुशिल्पिगणात्पक्षे दैनिकं कर्मकारयेत् ।

तस्य वृद्धयै तडागं वा वापिकां कृत्रिमां नदीम् ॥ ११९ ॥

कुर्वन्त्यन्यत् तद्विधं वा कर्षन्त्यभिनवां भुवम् ।

यद्व्ययद्विगुणं यावन्न तेभ्यो भागमाहरेत् ॥ १२० ॥

कारु आदि से कर लेने के प्रकार का निर्देश—शर (बड़ई आदि) तथा शिल्पी (चित्रकार आदि) आदि के वर्गों से हर एक पक्ष (१५ दिन) में एक दिन कर रूप में उनमें मुफ्त में काम करा लेवे । और जो राज्य की उन्नति के लिये तालाब, बावड़ी, या कृत्रिम नदी (नहर) या इसी के समान और किसी दूसरे कार्य का निर्माण करते हैं उन लोगों से तथा जो नवीन भूमि को जोत कर खेती के योग्य बनाते हैं, उन लोगों से जब तक व्यय काटकर पूना

लाभ न होने लगे तब तक कर नहीं लेना चाहिये उसके बाद अधिक लाभ होने पर लेना चाहिये ।

भूमिभागं भृतिं शुल्कं वृद्धिमुत्कोचकं करम् ।

सद्य एव हरेत्सर्वं न तु कालविलम्बनैः ॥ १२१ ॥

भूमिभागादि को तत्काल लेने का निर्देश—अपनी जमीन का हिस्सा, अलग कराना, वेतन, चुंगी, ध्याज, घूस या दलाही, कर (मालगुजारी), इन सबों को तत्काल ले लेना चाहिये, इनमें विलम्ब करना अनुचित है ।

दद्यात्प्रतिकर्षकाय भागपत्रं सचिहितम् ।

नियम्य ग्रामभूभागमेकस्मान्निकाद्धरेत् १२२ ॥

गृहीत्वा तत्प्रतिभुवं धनं प्राक् तत्समं तु वा ।

विभागशो गृहीत्वाऽपि मासि मासि ऋतावृत्तौ ॥ १२३ ॥

षोडशद्वादशदशाष्टांशतो वाऽधिकारिणः ।

स्वांशात् पष्ठांशभागेन ग्रामपान् सन्नियोजयेत् ॥ १२४ ॥

किसान को भागपत्र लिख देने का एवं ग्राम के किसी धनी को प्रतिभू बनाकर उसी से कर लेने का निर्देश—राजा हर एक किसान को मालगुजारी की रसीद लिखकर उसपर अपनी मुहर भी लगाकर दे देवे । अथवा ग्राम की सभी भूमि का कर नियत कर किसी एक धनिक से सभी कर ले लेवे । और उस धनिक को किसानों का जामिनदार मान ले । जो कि राजकर को प्रतिमास या प्रति ऋतु सबसे अलग-अलग २ लेकर राजा को दिया करे । और योग्यतानुसार सोलहवां, बारहवां, दशवां या आठवां अंश जो राजा को मिलनेवाला कर हो उसका छठां भाग वेतन रूप में देकर राजा ग्रामपाल (मुखिया) या अधिकारी की नियुक्ति करे ।

गवादिदुग्धान्नफल कुटुम्बार्थाद्धरेन्नृपः ।

उपभोगे धान्यवस्त्रं क्लृप्तो नाहरेत् फलम् ॥ १२५ ॥

फचित् कर लेने के निषेध का निर्देश—राजा कुटुम्बपालनार्थ रखी हुई गो आदि के दुग्ध के ऊपर कर न लेवे, और अपने उपभोग के लिये धान्य तथा वस्त्र खरीदनेवाले से भी कर न ग्रहण करे ।

वार्धुपिकारुच कौसीदाद् द्वात्रिंशं हरेन्नृपः ।

गृहाद्याधारभूशुल्कं कृष्टभूमिरिवाहरेत् ॥ १२६ ॥

व्यापारी आदि से लाभ का ३२ वां भाग लेने का निर्देश—व्यापार करनेवालों और ध्याज पर रुपया देनेवालों से लाभान्वित का ३२ वां अंश (रुपये में दो पैसा) पर राजा ग्रहण करे । और गृह बनाने के लिये दी हुई भूमि का कर बोलने के लिये दी हुई भूमि के समान ही लेवे ।

तथा चापणिकेभ्यस्तु पण्यभूशुल्कमाहरेत् ।

मार्गसंस्काररक्षार्थं मार्गगेभ्यो हरेत् फलम् ॥ १२७ ॥

दूकानदार आदि से भूमि का कर लेने का निर्देश—राजा दूकानदारों से दूकान की भूमि का कर ग्रहण करे । और यात्रियों से मार्ग की सफाई तथा रक्षा के लिये भी कर ग्रहण करे ।

सर्वतः फलभुग् भूत्वा दासवत् स्यात्त रक्षणे ।

इति कोशप्रकरण समाप्तात् कथितं किल ॥ १२८ ॥

इति शुक्रनीतौ चतुर्थाध्यायस्य कोशनिरूपणं नाम द्वितीय
प्रकरणम् ॥ २ ॥

राजा सर्वों से कर ग्रहण कर नौकर की भांति उनकी रक्षा करे । इस प्रकार से संक्षेप में कोश-प्रकरण का वर्णन किया गया ।

इस प्रकार शुक्रनीति भाषा टीका में चतुर्थाध्याय का कोशनिरूपण
नाम का द्वितीय प्रकरण समाप्त ॥

अथ चतुर्थाध्यायस्य तृतीयं राष्ट्रप्रकरणम् ।

अथ मिश्रे तृतीयं तु राष्ट्रं वक्ष्ये समासतः ।

स्थावर जङ्गमं वापि राष्ट्रशब्देन गीयते ॥ १ ॥

राष्ट्र के दो प्रकारों का निर्देश—अब इस मिश्र अध्याय में तीसरा राष्ट्र प्रकरण का संक्षेप में वर्णन कहूंगा । यहां पर 'राष्ट्र' शब्द से स्थावर (वृक्ष-पर्वतादि) तथा जङ्गम (गो-मनुष्यादि) का बोध करना चाहिये ।

यस्याधीन भवेद्यावत्तद्राष्ट्रं तस्य वै भवेत् ।

कुचेरता शतगुणाधिका सबगुणात्ततः ॥ २ ॥

ईशाना चाधिकतरा सा नाल्पतपसः फलम् ।

स दीव्यति पृथिव्यां तु नान्यो देवो यतः स्मृतः ॥ ३ ॥

राज्य तथा राजा की सर्वश्रेष्ठता एवं देवतुल्यता का निर्देश—जिस राजा के अधीन जितना राष्ट्र होता है उतना उसका वह 'राज्य' कहलाता है । सर्व-गुण सम्पन्न होने की अपेक्षा सौ गुना अधिक श्रेष्ठ धन-कुचेर होना है, उसके बाद राजा होना सबसे अधिक श्रेष्ठ है जो कि साधारण तपस्या का फल नहीं है, क्योंकि वह ससार में देवता के समान विहार करता है अतः उसके अनिरिक्त अन्य कोई देवता के समान नहीं माना जाता है ।

यस्याश्रितो भवेन्नोकस्तद्वदाचरति प्रजा ।

मुङ्क्ते राष्ट्रफलं मम्यगतो राष्ट्रकृतं त्वघप् ॥ ४ ॥

राजा को देश के पुण्य और पाप का भोक्ता होने का निर्देश—जैसे राजा के आश्रय में लोग रहते हैं और वह जैसा आचरण करता है उसकी प्रजायें भी वैसा ही आचरण करती हैं। इसी से वह राजा भी राष्ट्र (राज्यवर्ती प्रजा) के किये हुये पाप-पुण्य का फल दुःख-सुख का भली भाँति भोग करता है।

म्वस्वधर्मपरो लोको यस्य राष्ट्रे प्रवर्तते ।

धर्मनीतिपरो राजा चिरं कीर्तिं स चारनुते ॥ ५ ॥

भूमौ यावद्यस्य कीर्तिस्तावत्स्वर्गे स तिष्ठति ।

जिस राजा के राज्य में प्रजाजन अपने २ धर्म में तत्पर रहते हैं, धर्म तथा नीति में तत्पर रहनेवाला वह राजा चिरस्थायी कीर्ति को प्राप्त करता है। पृथ्वी पर जिसकी कीर्ति जब तक विद्यमान रहती है, तब तक वह स्वर्ग में रहता है।

अकीर्तिरेव नरको नान्योऽस्ति नरको दिवि ॥ ६ ॥

नरदेहाद्विना त्वन्यो देहो नरक एव सः ।

महत्पापफलं विद्यादाधिव्याधिस्वरूपकम् ॥ ७ ॥

नरक के लक्षण का निर्देश—अपकीर्ति ही नरक है, परलोक में अन्य कोई नरक नहीं है। मनुष्य देह को छोड़कर अन्य देह नरक ही हैं। और आधिव्याधि का होना बड़े पाप का फल ही समझना चाहिये।

स्वयं धर्मपरो भूत्वा धर्मं संस्थापयेत् प्रजाः ।

प्रमाणभूर्तं धर्मिप्रमुपसर्पन्त्यतः प्रजाः ॥ ८ ॥

राजा के धर्मिष्ठ बनने का निर्देश—राजा स्वयं धर्म में तत्पर होकर प्रजाओं को धर्म में स्थापित रखे। इससे प्रजायें भी प्रामाणिक तथा धर्मिष्ठ राजा की अनुगामिनी बनी रहती हैं।

देशधर्मा जातिधर्माः कुलधर्माः सनातनाः ।

मुनिप्रोक्ताश्च ये धर्माः प्राचीना नूतनाश्च ये ॥ ९ ॥

ते राष्ट्रगुप्त्यै सन्धार्या ज्ञात्वा यत्नेन सन्नृपैः ।

धर्मसंस्थापनाद्राजा श्रियं कीर्तिं प्रविन्दति ॥ १० ॥

सर्वधर्म-रक्षण से देश-रक्षा होने का निर्देश—बहुत दिनों से प्रचलित देश-धर्म, जाति-धर्म, तथा कुल-धर्म एवं मुनियों द्वारा कहे हुये धर्म, तथा प्राचीन और नवीन धर्म, इन सबों का ज्ञान प्राप्त कर राष्ट्र की रक्षा के लिये यत्नपूर्वक अच्छे राजाओं को इनकी रक्षा करनी चाहिये। क्योंकि धर्म की संस्थापना करने से राजा लक्ष्मी तथा कीर्ति को प्राप्त करता है।

चतुर्था भेदिता जातिर्नृणां कर्मभिः पुरा ।

तत्तरसांकर्यासांकर्यात् प्रतिलोमानुलोमतः ॥ ११ ॥

जात्यानन्त्यं तु नम्प्राप्तं तद्वक्तुं नैव शक्यते ।

मुख्य जाति के ४ प्रकारों का तथा संकरता से जाति की अनन्तता का निर्देश—पूर्वकाल में ब्रह्मा जी ने कर्म के अनुसार मानव की ४ जातियां बनाईं । उनमें प्रत्येक जातियों का सांकर्य (मिलावट) होने पर उन संकीर्ण (मिश्रित) जातियों का भी सांकर्य अनुलोम (पिता उच्च वर्ण-माता नीच वर्ण) और प्रतिलोम (पिता नीच वर्ण-माता उच्च वर्ण) रूप से होने से असंख्य जातियां हो गईं जिनका वर्णन करना अशक्य है ।

मन्यन्ते जातिभेदं ये मनुष्याणां तु जन्मना ॥ १२ ॥

त एव हि विजानति पाथेक्यं नामकर्मभिः ।

जो लोग पूर्व कर्मानुसार जिन जाति में मनुष्य जन्म ले उसकी वही जाति मानते हैं, वे ही लोग नाम तथा कर्म से जाति-भेद मानते हैं, अन्य लोग नहीं मानते हैं ।

जरायुजाण्डजाः स्वेदोद्भिजा जातिः सुसंग्रहात् ॥ १३ ॥

जरायुजादि चार प्राणियों की जाति का निर्देश—जरायुज (मनुष्यादि), अण्डज (पक्षी आदि), स्वेदज (जूआ आदि), उद्भिज (बुद्धादि) ये ४ प्रकार की प्राणियों की जातियां हैं ।

उत्तमो नीचसंसर्गाद्भवेन्नीचस्तु जन्मना ।

नीचो भवेन्नोत्तमस्तु संसर्गाद्वाऽपि जन्मना ॥ १४ ॥

जन्म से उत्तम वर्ण का मनुष्य संसर्गवश नीच हो जाता है किन्तु जन्म से नीच वर्ण का मनुष्य संसर्गवश उत्तम नहीं हो सकता है ।

कर्मणोत्तमनीचत्वं कालतस्तु भवेद् गुणैः ।

विद्याकलाश्रयेणैव तन्नाम्ना जातिरुच्यते ॥ १५ ॥

कर्म के द्वारा मनुष्य तत्काल उत्तम तथा नीच कहलाने लगता है । किन्तु गुणों के द्वारा कुछ काल के बाद उत्तम या नीच माना जाता है और विद्या तथा कला के आश्रय से भी उसके नामानुसार अनेक जातियों की कल्पना की गई है ।

इत्याध्ययनदानानि कर्माणि तु द्विजन्मनाम् ।

प्रतिग्रहोऽध्यापनं च याजनं ब्राह्मणोऽधिकम् ॥ १६ ॥

द्विजों तथा ब्राह्मणों के कर्मों का निर्देश—यज्ञ करना, वेद पढ़ना, दान देना ये ३ कर्म द्विजाति (ब्राह्मण, चत्रिय, वैश्य) मात्र के हैं किन्तु ब्राह्मणों के लिये यज्ञ कराना, वेद पढ़ाना, दान लेना ये ३ कर्म जीविका के लिये अधिक हैं ।

सद्रक्षणं दुष्टनाशः स्वांशादानं तु क्षत्रिये ।

कृपिगोगुप्तिवाणिव्यमधिकं तु विशां स्मृतम् ॥ १७ ॥

क्षत्रिय और वैश्य के कर्मों का निर्देश—सज्जनों की रक्षा करना, दुष्टों का नाश करना, अपने अंश (कर) को ग्रहण करना ये ३ कर्म क्षत्रियों के जीविका के लिये अधिक हैं । खेती करना, गोपालन तथा वाणिज्य करना ये ३ कर्म जीविकार्थ वैश्यों के लिये अधिक हैं ।

दानं सेवैव शूद्रादेर्नाचकर्म प्रकीर्तितम् ।

क्रियाभेदैस्तु सर्वेषां भृत्यवृत्तिरनिन्दिता ॥ १८ ॥

शूद्रादि १के कर्मों का निर्देश—दान देना, जीविकार्थ नौकरी करना तथा नीच कर्म (चौका-घर्तन आदि) करना शूद्रादि के ये कर्म हैं । क्रियाओं में भेद द्वारा सभी वर्णों की भरण-पोषणार्थ वृत्ति अनिन्दित मानी गई है ।

सीरभेदैः कृपिः प्रोक्ता मन्त्राद्यैर्ब्राह्मणादिषु ।

ब्राह्मणैः षोडशगव्यं चतुर्ह्रस्वं यथा परैः ॥ १९ ॥

द्विगव्यं वाऽन्त्यजैः सीरं दृष्ट्वा भूमादव्यं तथा ।

ब्राह्मणादि के लिये कृपि-भेद का निर्देश—जैसे मनु आदि स्मृतिकारों ने हलसंबन्धी भेदों के द्वारा ब्राह्मणादि के लिये भी कृपि करने का विधान बताया है । उनमें ब्राह्मणों को १६ बैल १ हल पर रख कर खेत जुतवाना चाहिये, और उत्तरोत्तर ४-४ कम बैलों से अर्थात् क्षत्रियों को १२ बैल, वैश्यों को ८ बैल तथा शूद्रों को ४ बैल १ हल पर रखते हुये खेत जुतवाना चाहिये । और अन्त्यजों (अस्पृश्य जातियों) को २ बैल १ हल पर रखना चाहिये । यह नियम भूमि की शुद्धता को देखकर किया गया है अतः यदि कठिन भूमि हो तो बैलों की संख्या २ से ४ भी हो सकती है ।

ब्राह्मणेन विनाऽन्येषां भिक्षावृत्तिर्विगर्हिता ॥ २० ॥

ब्राह्मण के अतिरिक्त अन्य को भिक्षा निन्दित होने का निर्देश—ब्राह्मणों को छोड़ कर अन्य वर्णों के लिये भिक्षा मांग कर जीविका चलाना विशेष रूप से निन्दित है ।

तपोविशेषेर्विधिष्वैत्रतैश्च विधिचोदितैः ।

वेदः कृत्स्नाऽधिगन्तव्यः सरहस्यो द्विजन्मना ॥ २१ ॥

द्विजाति को साङ्गवेद पढ़ने का निर्देश—द्विजों को वेद-विहित नाना प्रकार की तपस्यायें तथा व्रत करते हुये उपनिषदों के सहित सम्पूर्ण वेदों का अध्ययन करना चाहिये ।

योऽधीतविद्यः सकलः स सर्वेषां गुरुर्भवेत् ।

न च जात्याऽनधीती यो गुरुर्भविदुर्महति ॥ २२ ॥

गुरु का लक्षण—जिस द्विज ने संपूर्ण विद्याओं तथा कलाओं का अध्ययन किया है वही सबों का गुरु (श्रेष्ठ या उपदेश) होने योग्य होता है, बिना पदे केवल जातिमात्र से वह गुरु नहीं हो सकता है ।

विद्या ह्यनन्ताश्च कलाः संख्यातुं नैव शक्यते ।

विद्यामुख्याश्च द्वात्रिंशच्चतुःषष्टिकलाः स्मृताः ॥ २३ ॥

मुख्य विद्या ३२ और कला ६४ होने का निर्देश—यद्यपि विद्यायें तथा कलायें अनन्त हैं अतः उनकी गणना नहीं की जा सकती है, तथापि उनमें से मुख्य रूप से ३२ विद्यायें तथा ६४ कलायें मानी गई हैं ।

यद्यत्स्याद्वाचिकं सम्यक्कर्मविद्याभिसंज्ञकम् ।

शक्तो मूकोऽपि यत्कर्तुं कलासंज्ञं तु नत्स्मृतम् ॥ २४ ॥

विद्या और कला के लक्षण—जो २ कर्म वाणी द्वारा भलीभांति संपन्न किया जा सकता है वह 'विद्या' नाम से प्रसिद्ध है और जिसे गूंगा भी हाथ से कर सकता है उसे 'कला' कहते हैं ।

उक्तं संक्षेपतो लक्ष्म विशिष्टं पृथगुच्यते ।

विद्यानां च कलानां च नामानि तु पृथक् पृथक् ॥ २५ ॥

इस प्रकार से संक्षेप में लक्षण कहा गया, अब विशेष रूप से पृथक् २ लक्षण कहते हैं । उनमें विद्याओं तथा कलाओं के नाम पृथक् २ ये सब हैं ।

ऋग्यजुः साम चाथर्व वेदा आयुर्धनुः क्रमात् ।

गान्धर्वश्चैव तन्त्राणि उपवेदाः प्रकीर्तिताः ॥ २६ ॥

विद्याओं में वेद तथा उपवेद के नामों का निर्देश—जैसे विद्यायें १. ऋग्वेद, २. यजुर्वेद, ३. सामवेद, ४. अथर्ववेद ये ४ वेद हैं और क्रम से ५. आयुर्वेद, ६. धनुर्वेद, ७. गान्धर्ववेद, ८. तन्त्र ये ४ उपवेद हैं ।

शिक्षा व्याकरणं कल्पो निरुक्तं ज्योतिषं तथा ।

छन्दः पल्लङ्गानीमानि वेदानां कीर्तितानि हि ॥ २७ ॥

वेदों के ६ अंगों का निर्देश—१. शिक्षा, १०. व्याकरण, ११. कवच, १२. निरुक्त, १३. ज्योतिष, १४. छन्द ये वेदों के ६ अङ्ग माने गये हैं ।

मीमांसातर्कसांख्यानि वेदान्तो योग एव च ।

इतिहासा. पुराणानि स्मृतयो नास्तिकं मतम् ॥ २८ ॥

अर्थशास्त्रं कामशास्त्रं तथा शिल्पमलङ्कृतिः ।

काव्यानि देशभाषाऽव-सरोक्तिर्यावन् मतम् ॥ २९ ॥

देशादिधर्मा द्वात्रिंशदेता विद्याभिसंज्ञिताः ।

मीमांसादि विद्याओं के नामों का निर्देश—१५. मीमांसा, १६. तर्क (न्याय वैशेषिक), १७. सांख्य, १८. वेदान्त, १९. योग, २०. इतिहास,

२१. पुराण, २२. स्मृति, २३. नास्तिकमत, २४. अर्थशास्त्र, २५. कामशास्त्र, २६. शिल्पशास्त्र, २७. अलङ्कारशास्त्र, २८. काव्य, २९. देशभाषा, ३०. अवसरोचित उक्ति, ३१. यत्नों का मत, ३२. देशादि के प्रचलित धर्म, ये ३२ विधा नाम से प्रसिद्ध हैं ।

मन्त्रब्राह्मणयोर्वेद-नाम प्रोक्तमृगादिषु ॥ ३० ॥

वेद के मन्त्र और ब्राह्मण दो भागों का निर्देश—ऋग्वेदादि ४ वेदों में मन्त्र और ब्राह्मण भागों की वेद संज्ञा कही हुई है । अर्थात् वेदों में मन्त्र और ब्राह्मण ये दो भाग होते हैं ।

जपहोमाचनं यस्य देवताप्रीतिदं भवेत् ।

उच्चारान्मन्त्रसंज्ञं तद्धिनियोगि च ब्राह्मणम् ॥ ३१ ॥

मन्त्र और ब्राह्मण के लक्षण—जिस वेद के भाग का उच्चारण करके जप, होम और देवपूजन करना देवता की प्रीति के लिये होता है, उसे 'मन्त्र' कहते हैं । और उन मन्त्रों के विनियोग (प्रयोगविधि) जिसमें हो उस वेद के भाग को 'ब्राह्मण' कहते हैं ।

ऋग्रूपा यत्र ये मन्त्राः पादशोऽर्धर्चशोऽपि वा ।

येषां होत्रं स ऋग्भागः समाख्यानं च यत्र वा ॥ ३२ ॥

ऋग्वेद के लक्षण—जिसमें ऋग्भूष स्तुतिपरक मन्त्र हों जो कि पाद २ अथवा ऋचाओं का आधा २ अंश करके पढ़े जाते हों तथा जिन मन्त्रों के द्वारा होम किया जाता हो, जिसमें अच्छी तरह से आख्यान हो, उसे 'ऋग्वेद' कहते हैं ।

प्ररिल्लष्टपठिता मन्त्रा वृत्तगीनिविवर्जिताः ।

आध्वर्यवं यत्र कर्म त्रिगुणं यत्र पाठनम् ॥ ३३ ॥

मन्त्रब्राह्मणयोरेव यजुर्वेदः स उच्यते ।

यजुर्वेद के लक्षण—जिसमें अलग २ करके मन्त्र पढ़े जाते हों, जो कि छन्द तथा गान से रहित हों, तथा जिसमें अध्वर्युसंबन्धी कर्म कहे गये हों, एवं जिसमें मन्त्र तथा ब्राह्मण भाग का तीन बार आवृत्ति करके पाठ होता हो उसे 'यजुर्वेद' कहते हैं ।

उद्गुगीर्धं यस्य शस्त्रादेर्यज्ञे तत्सामसज्ञकम् ॥ ३४ ॥

सामवेद के लक्षण—जिसमें यज्ञ के समय शस्त्रादि की स्तुति उच्चस्वर से गाकर मन्त्रों द्वारा की जाती हो उसे 'सामवेद' कहते हैं ।

अथर्वोन्निरसो नाम ह्युपास्योपासनात्मकः ।

इति वेदचतुष्कं तु ह्यदिष्टं च समासनः ॥ ३५ ॥

अथर्ववेद के लक्षण—जिसमें उपास्य (आराध्य) देवताओं का तथा

उनकी उपासना का वर्णन हो उने 'अथर्वाङ्गिरस (अथर्ववेद)' कहते हैं। इस प्रकार से चारो वेदों का संक्षेप में वर्णन किया गया है।

विन्दत्यायुर्वेत्ति सम्य-गाकृत्योपधिहेतुनः।

यस्मिन्ऋग्वेदोपवेदः स चायुर्वेदसंज्ञकः ॥ ३६ ॥

आयुर्वेद के लक्षण—जिसमें कही हुई विधि का पालन करने से मनुष्य दीर्घ आयु लाभ करता है। और जिसके द्वारा रोगों का लक्षण, औषधि तथा निदान का ज्ञान प्राप्त कर रोगियों की आयु का ज्ञान प्राप्त करता है। उसे ऋग्वेद का उपवेद 'आयुर्वेद' कहते हैं।

युद्धशास्त्रास्त्रकुशलो रचनाकुशलो भवेत्।

यजुर्वेदोपवेदोऽयं धनुर्वेदस्तु येन सः ॥ ३७ ॥

धनुर्वेद के लक्षण—जिसके ज्ञान से मनुष्य युद्ध, शस्त्र, ग्युहरचना आदि में निपुणता प्राप्त करता है उसे यजुर्वेद का उपवेद 'धनुर्वेद' कहते हैं।

स्वरैरुदात्तादिधर्मैस्तन्त्रीकण्ठोत्थितैः सदा।

सतालैर्गानविज्ञानं गान्धर्वो वेद एव सः ॥ ३८ ॥

गान्धर्ववेद के लक्षण—जिसके द्वारा उदात्त, अनुदात्त, स्वरित स्वर तथा वीणा और कण्ठ से निकले हुये निपादादि स. रि. ग. म, प, घ, नि इन ७ स्वरों में ताल के साथ गाने का ज्ञान होता है, उसे सामवेद का उपवेद 'गान्धर्ववेद' कहते हैं।

विधिधोपास्यमन्त्राणां प्रयोगाः सुविभेदतः।

कथिताः सोपसंहारास्तद्धर्मनियमैश्च पट् ॥ ३९ ॥

अथर्वणां चोपवेदस्तन्त्ररूपः स एव हि।

तन्त्र या आगम के लक्षण—जिसमें नाना प्रकार के उपास्य देवों के मन्त्रों के प्रयोग एवं मारण, मोहन, उच्चाटन, विद्वेषण, आकर्षण, स्तम्भन इन ६ प्रयोगों का भेद, प्रयोग तथा उपसंहार, धर्म तथा नियम के सात वर्णन हो, उसे अथर्ववेद का उपवेद 'तन्त्र' या 'आगम' कहते हैं।

स्वरतः कालतः स्थानात्प्रयत्नानुप्रदानतः ॥ ४० ॥

सवनाद्यैश्च सा शिक्षा वर्णानां पाठशिक्षणात्।

शिक्षा के लक्षण—जिसमें उदात्त, अनुदात्त तथा स्वरित स्वर से, कालक्रम से, तालवादि स्थान से, प्रयत्न के साथ से, उच्चारण आदि से वर्णों के पढ़ने की शिक्षा हो उसे 'शिक्षा' कहते हैं।

प्रयोगो यत्र यज्ञानामुक्तो ब्राह्मणशेषतः ॥ ४१ ॥

श्रौतकल्पः स विज्ञेयः स्मार्तकल्पस्तथेतरः।

कल्प के लक्षण व भेद—जिसमें ब्राह्मण भाग के दोष अंश से यज्ञों का

प्रयोग कहा है उसे 'श्रौतकल्प' कहते हैं। इससे भिन्न को 'स्मार्तकल्प' कहते हैं।

व्याकृताः प्रत्ययाद्यैश्च धातुसन्धिसमासतः ॥ ४२ ॥

शब्दा यत्र व्याकरणमेतद्धि बहुलिङ्गतः।

व्याकरण के लक्षण—जिसमें प्रत्यय आदि के द्वारा तथा धातु, सन्धि, समास और पुंल्लिङ्ग, स्त्रीलिङ्ग, नपुंसकलिङ्ग इनके द्वारा शब्द सिद्ध किये गये हों उसे 'व्याकरण' कहते हैं।

शब्दनिर्घचनं यत्र वाक्यार्थकार्यसंग्रहः ॥ ४३ ॥

निरुक्तं सत्समाख्यानाद्वेदानां श्रोत्रसंज्ञकम्।

निरुक्त के लक्षण—जिसमें शब्दों का निरूपण के साथ कथन तथा वाक्यार्थों का एक अर्थ में संग्रह किया गया हो उसे 'निरुक्त' कहते हैं। वह शब्दों का अर्थ भलीभांति कहने से वेद का श्रोत्र (कान) अङ्ग माना जाता है।

नक्षत्रग्रहगमनैः कालो येन विधीयते ॥ ४४ ॥

संहिताभिश्च होराभिर्गणितं ज्योतिषं हि तत्।

ज्योतिष लक्षण—जिससे नक्षत्रों तथा ग्रहों की गति द्वारा काल का पृथक् २ निर्देश किया जाता है। और जिसके संहिता, होरा तथा गणित ये तीन स्कन्ध हैं उसे 'ज्योतिष' कहते हैं।

भ्यरस्तज्जभनगैर्लान्तेः पद्यं यत्र प्रमाणतः ॥ ४५ ॥

कल्प्यते छन्दःशास्त्रं तद्वेदानां पादरूपधृक्।

छन्द लक्षण—जिसमें मगण (त्रिगुरु ३३३), यगण (आदिलघु १३३), रगण (लघुमध्य ३१३) सगण (अन्तगुरु ११३), तगण (अन्तलघु ३३१), जगण (गुरुमध्य १३१), भगण (आदिगुरु ३११), नगण (त्रिलघु १११), गुरु (३), तथा लघु (१) इनके प्रमाण से पद्यों (छन्दों) की कल्पना की गई हो उसे वेदों के चरण की व्यवस्था करनेवाला 'छन्द' शास्त्र कहते हैं।

यत्र व्यवस्थिता चार्थकल्पना विधिभेदतः ॥ ४६ ॥

मीमांसा वेदवाक्यानां सैव न्यायश्च कीर्तितः।

मीमांसा लक्षण—जिसमें वेद के वाक्यों की अनुष्ठान-भेद से अर्थ कल्पना व्यवस्थित की गई है अर्थात् वाक्यार्थ-विचार किया गया है उसे 'मीमांसा' कहते हैं और 'न्याय' भी कहा जाता है।

भावाभावपदार्थानां प्रत्यक्षादिप्रमाणतः ॥ ४७ ॥

सविवेको यत्र तर्कः कणादादि मतं च यत्।

तर्क लक्षण—जिसमें भाव (द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय) तथा अभाव पदार्थों का प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान तथा शब्द प्रमाणों के द्वारा

विचार पूर्ण तर्क होता है तथा जो काणादादि वैरोधिक दार्शनिकों का मत है उसे 'तर्क' या 'न्याय' कहते हैं ।

पुरुषोऽष्टौ प्रकृतयो विकाराः षोडशेति च ॥ ४८ ॥

तत्त्वादिसंख्यावैशिष्ट्यात्सांख्यमित्यभिधीयते ।

सांख्य लक्षण—जिसमें एक पुरुष, आठ-प्रकृति, सोलह विकार अर्थात् १ कूटस्थ पुरुष, १ प्रकृति, २ महत्तत्त्व, ३ अहङ्कार, ५ तन्मात्राएँ—शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गन्ध, ये आठ प्रकृतियों, तथा १ आकाश, २ वायु, ३ अग्नि, ४ जल, ५ पृथ्वी ये ५ महाभूत, १ हस्त, २ पाद, ३ जिह्वा, ४ लिङ्ग, ५ गुदा ये ५ कर्मेन्द्रियाँ, १ श्रवण, २ त्वक् ३ चक्षु, ४ रसना, ५ घ्राण ये ५ ज्ञानेन्द्रियाँ और १ उभयेन्द्रिय मन ये १६ विकार । इस प्रकार से २५ तत्त्वादि की संख्या (गणना) की विशेषता है अतः उसे 'सांख्य' शास्त्र कहते हैं ।

ब्रह्मैकमद्वितीयं स्यान्नाना नेहास्ति किञ्चन ॥ ४९ ॥

मायिकं सर्वमज्ञानाद्भाति वेदान्तिनां मतम् ।

वेदान्त लक्षण—एक, अद्वितीय, अनिर्वचनीय ब्रह्म ही इस संसार में है, नाना प्रकार की जो वस्तुएँ दिखाई पड़ रही हैं वे सत्य नहीं हैं वस्तुतः माया से उत्पन्न हुई अज्ञान से सत्यवत् प्रतीत होती हैं । यह वेदान्तियों का मत है ।

चित्तवृत्तिनिरोधस्तु प्राणसंयमनादिभिः ॥ ५० ॥

तद्योगशास्त्रं विज्ञेयं यस्मिन्ध्यानसमाधितः ।

योग लक्षण—जिसमें एकाग्रता के साथ ध्यान एवं कुम्भकादि प्राणायाम द्वारा चित्त की वृत्तियों का निरोध करना बताया गया हो उसे 'योग' शास्त्र कहते हैं ।

प्राग्वृत्तकथनं चैक-राजकृत्यमिषादितः ॥ ५१ ॥

यस्मिन्स इतिहासः स्यात्पुरावृत्तः स एव हि ।

इतिहास लक्षण—जिसमें किसी मुख्य राजा के चरित्र-वर्णन के दृष्ट आदि के द्वारा प्राचीन व्यवहारों का वर्णन हो उसे 'इतिहास' और 'पुरावृत्त' भी कहते हैं ।

सर्गश्च प्रतिसर्गश्च वंशो मन्वन्तराणि च ॥ ५२ ॥

वंशानुचरितं यस्मिन् पुराणं तद्धि कीर्तितम् ।

पुराण लक्षण—जिसमें सर्ग (सृष्टि), प्रतिसर्ग, प्रलय, वंश, मन्वन्तर तथा वंशों का चरित ये सब वर्णित हों उसे 'पुराण' कहते हैं ।

वर्णादिधर्मस्मरणं यत्र वेदाविरोधकम् ॥ ५३ ॥

कीर्तनं चार्थशास्त्राणां स्मृतिः सा च प्रकीर्तिता ।

स्मृति लक्षण—जिसमें वेद से अविरोध (वेदसंमित) चारों वर्णों एवं

आश्रमों के धर्मों का स्मरण (वर्णन) तथा अर्थशास्त्र का भलीभांति प्रतिपादन किया गया हो, उसे 'स्मृति' कहते हैं ।

युक्तिर्धर्मीयसी यत्र सर्वं स्वाभाविकं भवत् ॥ ५४ ॥

कस्यापि नेश्वरः कर्त्ता न वेदो नास्तिकं हि तत् ।

नारितिक मत लक्षण—जिसमें युक्ति (तर्क) को सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना गया हो एवं प्रत्येक वस्तु की सृष्टि स्वभावतः उत्पन्न हुई मानी जाय । और ईश्वर को जगत् का कर्त्ता तथा वेद दोनों को भी न माना जाय । उसे 'नारितिकमत' कहते हैं ।

श्रुतिस्मृत्यविरोधेन राजवृत्तादि-शासनम् ॥ ५५ ॥

सुयुक्त्याऽर्थाज्जनं यत्र ह्यर्थशास्त्रं तदुच्यते ।

अर्थशास्त्र लक्षण—जिसमें श्रुति तथा स्मृति के अविरोध (संभव) राजाओं के लिये आचरण के विषय में उपदेश किया गया हो तथा बहुर्रु कौशल से धन अर्जन करने की विधि कही गई हो, उसे 'अर्थशास्त्र' कहते हैं ।

शशादिभेदतः पुंसामनुकूलादिभेदतः ॥ ५६ ॥

पद्मिन्यादिप्रभेदेन स्त्रीणां स्त्रीयादिभेदतः ।

तत्कामशास्त्रं सत्त्वादेर्लज्जम यत्रास्ति चोभयोः ॥ ५७ ॥

कामशास्त्र लक्षण—जिसमें पुरुषों के शश, मृग, भ्रश्व, हरती रूप से जातिभेद तथा अनुकूल, पृष्ट, शठ आदि नायक-भेद एवं स्त्रियों के पद्मिनी, चित्रिणी, शक्तिनी तथा हरितनी रूप से जातिभेद तथा स्वीया, परकीया, वेरया आदि नायिकाभेद एवं दोनों (स्त्री तथा पुरुष) के अनुरागादि के लक्षण विशेष रूप से वर्णित हों उसे 'कामशास्त्र' कहते हैं ।

प्रासादप्रतिमाराम-गृहवाप्यादिसंस्कृतिः ।

कथिता यत्र तच्छिल्पशास्त्रमुक्तं महर्षिभिः ॥ ५८ ॥

शिल्पशास्त्र लक्षण—जिसमें प्रासाद (राजभवन-देवमन्दिर), प्रतिमा (मूर्ति), उद्यान गृह, बावड़ी आदि का सुन्दर रीति से निर्माण तथा संस्कार करने की विधि वर्णित हो उसे महर्षियों ने 'शिल्पशास्त्र' कहा है ।

समन्यनाधिकत्वेन सारूःयादिप्रभेदतः ।

अन्योन्यगुणभूषा तु वर्ण्यतेऽलङ्कृतिश्च सा ॥ ५९ ॥

अलङ्कार शास्त्र लक्षण—जिसमें समता, न्यूनता तथा अधिकता और सादृश्य आदि भेद से परस्पर शब्द तथा अर्थ के गुणों के वैचित्र्य रूप 'अलङ्कृति' (अलङ्कार) का वर्णन हो उसे 'अलङ्कारशास्त्र' कहते हैं ।

सरसालङ्कृतादुष्ट-शब्दार्थ काव्यमेव तत् ।

विलक्षणचमत्कारबीजं पद्यादिभेदतः ॥ ६० ॥

काव्य लक्षण—रस तथा अलङ्कार से युक्त, दोषरहित शब्द और अर्थ युक्त कवि की रचना को 'काव्य' कहते हैं । और वह पद्य-गद्यादि भेद से युक्त होकर बिलक्षण चमत्कारजनक होता है ।

लोकसंकेततोऽर्थानां सुग्रहा वाक् तु दैशिकी ।

देशभाषा लक्षण—लोगों के संकेत से अर्थों को जल्दी से बोध करानेवाली वाणी को 'देशभाषा' कहते हैं ।

विना कौशिकशास्त्रीयसंकेतैः कार्यसाधिका ॥ ६१ ॥

यथा कालोचिता वाग्वाऽवसरोक्तिस्तु सा स्मृता ।

अवसरोक्ति लक्षण—कोश तथा शास्त्र-संबन्धी संकेत के बिना ही अर्थ का बोध करानेवाली समयानुसार उचित कही हुई वाणी को 'अवसरोक्ति' कहते हैं ।

ईश्वरः कारणं यत्रादृश्योऽस्ति जगतः सदा ॥ ६२ ॥

श्रुतिस्मृति विना धर्माधर्मोस्तस्तच्च यावनम् ।

श्रुत्यादिभिन्नधर्मोऽस्ति यत्र तद्यावनं मतम् ॥ ६३ ॥

यावन ग्रन्थ तथा मत लक्षण—जिसमें सदा अदृश्य रहनेवाला ईश्वर जगत् का कारण माना गया है और श्रुति-स्मृति के बिना धर्म तथा अधर्म की व्यवस्था की गई है, उसे 'यावन (यवनों का) ग्रन्थ' कहते हैं । जिसमें धुनि आदि से भिन्न धर्म का प्रतिपादन किया गया है उसे 'यावन (यवनों का) मत' कहते हैं ।

कल्पितश्रुतिमूलो वाऽमूलो लोकैर्धृतः सदा ।

देशादिधर्मः स ज्ञेयो देशे देशे कुले कुले ॥ ६४ ॥

देशादि धर्म लक्षण—हर एक देश तथा कुल में जो लोगों के द्वारा कल्पित वेदमूलक या वेदमूलक से भिन्न (मूलरहित) आचार सदा धारण किया गया है उसे 'देशादिधर्म' कहते हैं ।

पृथक्पृथक्त्तु विद्यानां लक्षणं संप्रकाशितम् ।

कलानां न पृथक्नाम लक्ष्म चास्तीह केवलम् ॥ ६५ ॥

इस प्रकार से पृथक् २ विद्याओं के लक्षणों का तो वर्णन भलीभांति किया गया, किन्तु केषल कलाओं का नाम तथा लक्षण पृथक् रूप से नहीं यहाँ कहा जा सका ।

पृथक्पृथक् क्रियाभिर्हि कलाभेदस्तु जायते ।

यां यां कलां समाश्रित्य तन्नाम्ना जातिरुच्यते ॥ ६६ ॥

व्योंकि कलाओं का क्रिया द्वारा ही पृथक् २ भेद होता है । और जिस २ कला का आश्रय लेकर लोग जीविका चलाते हैं उन कलाओं के नाम से उनकी जातियां कही जाती हैं ।

हावभावादिसंयुक्तं नर्तनं तु कला स्मृता ।

अनेकवाद्यविकृती ज्ञानं तद्वादनं कला ॥ ६७ ॥

गान्धर्व वेदोक्त ७ कलाओं के लक्षण—१-हाव-भाव के साथ नाचने को 'नृत्यकला' कहते हैं । २—अनेक प्रकार के वाद्य यन्त्रों (धात्रों) के बजाने तथा बजाने के ज्ञान को 'वाद्य' तथा 'वादन' कला कहते हैं ।

वस्त्रालङ्कारसंधानं स्त्रीपुंसोश्च कला स्मृता ।

अनेकरूपविर्भावकृतिज्ञानं कला स्मृता ॥ ६८ ॥

३. स्त्री तथा पुरुष को बख तथा आभूषण को सुन्दर रीति से पहनाने को 'वस्त्रालङ्कार संधान' कला कहते हैं । ४. अनेक प्रकार के रूप-प्रगट करने की विधि का जानना 'रूप प्रकाशन कला' कहते हैं ।

शय्यास्तरणसंयोग-पुष्पादिप्रयत्नं कला ।

धूताद्यनेकक्रीडाभी रञ्जनं तु कला स्मृता ॥ ६९ ॥

५. शय्या तथा विद्योने को भलीभांति लगाकर उस पर पुरुष आदि को सुन्दर गूँथ या सजा कर रखने को भी कला कहते हैं । ६. धूत (जूआ) आदि अनेक क्रीडाओं (खेलों) द्वारा मनोरञ्जन करने को भी कला कहते हैं ।

अनेकासनसन्धानै रतेर्ज्ञानं कला स्मृता ।

कलासप्तकमेतद्धि गान्धर्वे समुदाहृतम् ॥ ७० ॥

७. अनेक प्रकार का आसन करके रति (मैथुन) करने के ज्ञान को भी कला कहते हैं । इन ७ कलाओं का वर्णन 'गान्धर्ववेद' में किया गया है ।

मकरन्दासवादीनां मद्यादीनां कृतिः कला ।

शल्यगूढाहृतौ ज्ञानं शिराव्रणव्यधे कला ॥ ७१ ॥

आयुर्वेदोक्त १० कलाओं के लक्षण—८. मकरन्द (पुष्परस) से आसवादि मादक द्रव्य तथा मद्यादि बनाने को भी कला कहते हैं । ९. छिपे हुये शल्य (विधे हुये कांटा आदि) को सुखपूर्वक निकालने तथा शिराओं पर उपपन्न हुये घ्रण को शल्य से चीरने के ज्ञान को भी कला कहते हैं ।

हीनादिरससंयोगा न्नादिसंपाचनं कला ।

वृश्नादिप्रसवारोपपालनादिकृतिः कला ॥ ७२ ॥

१०. ह्रींग आदि द्रव्यों तथा लवणादि रसों के संयोग से अन्नादि के पकाने को भी कला कहते हैं । ११. वृश्नादि के फलने, लगाने तथा रक्षा करके बढ़ा करने की क्रिया को जानना भी कला कहते हैं ।

पाषाणघात्यादिवृत्तिस्तद्भस्मकरणं कला ।

यावद्विष्णुविकाराणां कृतिज्ञानं कला स्मृता ॥ ७३ ॥

१२. पत्थरों का तोड़ना तथा श्वर्णादि धातुओं को गलाना और उनको

भ्रम करना भी कला कही जाती है । १३. जिनने गुदादि हैं उनके धनाने की विधि जानना कला है ।

धात्वौपधीनां संयोग-क्रियाज्ञानं कला स्मृता ।

धातुसर्कर्यपार्थक्य-करणं तु कला स्मृता ॥ ७४ ॥

१४. स्वर्णादि धातुओं तथा औपधियों के मिलाने, तथा प्रयोग करने के ज्ञान को भी कला कहते हैं । १५. स्वर्णादि धातुओं की एकत्र मिल जाने के बाद पुनः पृथक् करने को भी कला कहते हैं ।

संयोगापूर्वविज्ञानं धात्वादीनां कला स्मृता ।

क्षारनिष्कासनज्ञानं कलासंज्ञं तु तस्मृतम् ॥ ७५ ॥

कलादशकमेतद्धि ह्यायुर्वेदागमेषु च ।

१६. धातुवादिकों के अपूर्व रीति से संयोग करने के ज्ञान को भी कला कहते हैं । १७. क्षार निरालने को भी कला कहते हैं । ये १० कलायें आयुर्वेद-शास्त्र के ग्रन्थों में वर्णित हैं ।

शस्त्रसन्धानविक्षेपः पदादिन्यासतः कला ॥ ७६ ॥

संघ्याधाताकृष्टिभेदैर्मल्लयुद्धं कला स्मृता ।

धनुर्वेदोक्त ५ कलाओं के लक्षण—१८. पैर आदि को पैतरे के साथ रखते हुये निशाना साथ कर शस्त्रों के चलाने को भी कला कहते हैं । १९. सन्धि स्थानों पर प्रहार करना तथा पकड़ कर खींचना आदि भेदों के साथ मल्लयुद्ध (कुरती लड़ना) करने को भी कला कहते हैं ।

बाहुयुद्धन्तु मल्लाना-मशास्त्रं मुष्टिभिः स्मृतम् ॥ ७७ ॥

मृतस्य तस्य न स्वर्गो यशो नेहापि विद्यते ।

विना शस्त्र के केवल मुष्टियों (मुक्कों) द्वारा प्रहार करते हुये मल्लों का युद्ध होता है उसे 'बाहुयुद्ध' कहते हैं । इसमें जो मरता है उसको न तो स्वर्ग और न इस लोक में यश ही प्राप्त होता है ।

बलदर्पविनाशान्तं नियुद्धं यशसे रिपोः ॥ ७८ ॥

न कस्यासीत् कुर्याद् वा प्राणान्तं बाहुयुद्धकम् ।

शत्रु के बल के दर्पका नाश होने तक होनेवाला युद्ध किसके यश के लिये नहीं होता है ? अर्थात् सबके लिये होता है । अतः जब तक प्राण न निकल जाय तब तक बाहुयुद्ध करना ही चाहिये ।

कृतप्रतिकृतैश्चित्रैर्बाहुभिश्च सुसङ्घटैः ॥ ७९ ॥

सन्निपातावघातैश्च प्रमादोन्मथनैस्तथा ।

कृतं निपीडनं ज्ञेयं तन्मुक्तिस्तु प्रतिक्रिया ॥ ८० ॥

बाहु का प्रहार करना, बाहुप्रहार को रोकना, नाना प्रकार से बाहुप्रहार

करना, आत्यन्त भीषण बाहु प्रहार करना, शत्रु के ऊपर लगातार बाहुप्रहार करना, और बाहुप्रहार से चोट पहुँचाना तथा असावधान होने पर शत्रु को बाहुओं से मसल डारना इत्यादि रीतियों से किये हुये बाहुयुद्ध को 'निपीडन' कहते हैं। इससे अपने को बचा लेने को 'भतिक्रिया' कहते हैं। ये सब मल्लयुद्ध की कला के अन्दर ही माने जाते हैं।

कलाऽभिलक्षिते देशे यन्त्रायस्त्रनिपातनम्।

वाद्यसङ्केततो व्यूहरचनादि कला स्मृता ॥ ८१ ॥

२०. लघय के स्थान पर युद्ध-यन्त्रादि तथा अस्त्रों को फेंकना (निशाना लगाकर अस्त्र चलाना) भी कला है। २१. युद्ध के वाज्यों के संकेत से व्यूह-रचना आदि करना भी कला है।

गजाश्वरथगत्या तु युद्धसंयोजनं कला।

कज्ञापञ्चकमेतद्धि धनुर्वेदागमे स्थितम् ॥ ८२ ॥

२२. हाथियों, घोड़ों तथा रथों को विशेष रूप से चलाने के द्वारा युद्ध का आयोजन करना भी कला है। ये पांच कलायें धनुर्वेद शास्त्र में कही हुई हैं।

विविधासनमुद्राभिर्देवतानोषणं कला।

सारथ्यं च गजाश्वदेर्गतिशिक्षा कलाऽस्मृता ॥ ८३ ॥

पृथक् ४ कलाओं के लक्षण—२३. अनेक प्रकार के पद्मासनादि आसनों तथा मास्य-कूर्मादि मुद्राओं द्वारा देवता को संतुष्ट करना भी कला है। २४. रथ हाँकने को एवं २५. हाथी तथा घोड़े को बाल सिखाने को भी कला कहते हैं।

मृत्तिकाकाप्रपापाणघातुमाण्डादिसत्क्रिया।

पृथक्कलाचतुष्कन्तु चित्राद्यालेखनं कला ॥ ८४ ॥

२६-२९. मिट्टी, काष्ठ, पत्थर तथा घातु के वर्चन आदि को सुन्दर रीति से बनाना। ये भी पृथक् २ चार कलायें हैं। ३०. चित्र आदि का सुन्दर लिखना भी कला है।

तडागवापीप्रासादसमभूमिक्रिया कला।

घटपाद्यनेकयन्त्राणां वाद्यानां तु कृतिः कला ॥ ८५ ॥

तडागकूपादि कलाओं के लक्षण—३१. तालाब, बावड़ी, राजभवन तथा भूमि को समतल बनाने की क्रिया भी कला है। ३२. घड़ी आदि अनेक यन्त्रों को बनाना भी कला है। ३३. और अनेक प्रकार के वाज्यों को बनाना भी कला है।

हीनमध्यादिसंयोगवर्णाद्यै रञ्जनं कला।

जलयाद्वरिनसंयोगनिरोधैश्च क्रिया कला ॥ ८६ ॥

३४. हीन, मध्यम तथा उत्तम रूप से मिलाये हुये रङ्ग आदि के द्वारा वस्त्रादि रंगना भी कला है । ३५. जल, वायु और अग्नि के संयोग और निरोध के द्वारा वाष्प (भाप) यन्त्र बनाकर उससे कार्य करना भी कला है ।

नीकारथादियानानां कृतिज्ञानं कला स्मृता ।

सूत्रादिरञ्जुकरणं विज्ञानं तु कला स्मृता ॥ ८७ ॥

३६. नौका, रथ आदि सवारियों के निर्माण करने के ज्ञान को भी कला कहते हैं । ३७. सूत्र आदि से रस्सी तैयार करना भी कला है ।

अनेकतन्तुसंयोगैः पटबन्धः कला स्मृता ।

वेधादिसदसञ्ज्ञानं रत्नानां च कला स्मृता ॥ ८८ ॥

३८. अनेक सूत्रों के संयोग से कपड़ा बुनना भी कला है । ३९. रत्नों में छिद्र करना तथा उसके अन्द्रे-बुरे का जानना भी कला है ।

स्वर्णादीनां तु याथात्म्य-विज्ञानं च कला स्मृता ।

कृत्रिमस्वर्णरत्नादिक्रियाज्ञानं कला स्मृता ॥ ८९ ॥

४०. स्वर्णादि धातुओं को भलीभांति परखना भी कला है । ४१. कृत्रिम सोना तथा रत्नादि बनाना भी कला है ।

स्वर्णादिलङ्कारकृतिः कला लेपादिसत्कृतिः ।

मार्दवादिक्रियाज्ञानं चर्मणां तु कला स्मृता ॥ ९० ॥

४२. स्वर्णादि का आभूषण बनाना तथा स्वर्णादि का पानी चढ़ाना भी कला है । ४३. चमड़ों को सृष्टु बनाना (सिझाना) भी कला है ।

पशुचर्मोद्भिर्निर्हास-क्रियाज्ञानं कला स्मृता ।

दुग्धदोहादिविज्ञानं घृणान्तन्तु कला स्मृता ॥ ९१ ॥

४४. पशुओं के चमड़ों को उनके शरीर से अलग करने की रीति जानना भी कला है । ४५. दूध दुहना आदि से लेकर घी बनाने पर्यन्त क्रियाओं का जानना भी कला है ।

सीवने षड्चुकादीनां विज्ञानं तु कलात्मकम् ।

बाह्यादिभिश्च तरणं कलासंज्ञं जले स्मृतम् ॥ ९२ ॥

४६. कछुके (पहिने के षष्ठ) आदि वृक्षों को सीने की क्रिया जानना भी कला है । ४७. जल में बाहु आदि से तैरना भी कला है ।

मार्जने गृहभाण्डादेर्विज्ञानं तु कला स्मृता ।

वस्त्रसंमार्जनं चैव ह्युरकर्म कले ह्युभे ॥ ९३ ॥

४८. गृह के धातु के वर्तनों को सफा करना भी कला है । ४९. वस्त्र भलीभांति सफा करना, ५०. और गाल बनाना ये दोनों भी कलाये हैं ।

तिलमांसादिस्नेहानां कला निष्कासने कृतिः ।

सीराद्याकर्षणे ज्ञानं वृक्षाचारोहणे कला ॥ ६४ ॥

५१. तिल और मांस आदि से तेल निकालने की क्रिया भी कला है ।
 ५२. हल चलाने की और वृक्ष आदि पर चढ़ने की क्रिया जानना भी कला है ।

मनोऽनुकूलसेवायां कृतिज्ञान कला स्मृता ।

वेणुतृणादिपात्राणां कृतिज्ञानं कला स्मृता ॥ ६५ ॥

५३. मनोऽनुकूल सेवा करने की क्रिया जानना भी कला है । ५४. बांस तथा तृण आदि का पात्र बनाने की क्रिया भी कला है ।

काचपात्रादिकरणविज्ञानं तु कला स्मृता ।

संसेचनं संहरणं जलानां तु कला स्मृता ॥ ६६ ॥

५५. काच (सीसे) के पात्रादि बनाने की क्रिया भी कला है । ५६. बलों के द्वारा सींचना और जल का आवश्यकतानुसार लाना और निकालना भी कला है ।

लोहाभिसारशस्त्रास्त्रकृतिज्ञानं कला स्मृता ।

गजारश्ववृषभोष्ट्राणां पल्याणादिक्रिया कला ॥ ६७ ॥

५७. लोह के अस्त्र-शस्त्रादि बनाने की क्रिया भी कला है । ५८. हाथी, घोड़े तथा ऊंटों के पीठ पर रखने योग्य गद्दी जीत आदि बनाने की क्रिया भी कला है ।

शिशोः संरक्षणे ज्ञानं धारणे क्रीडने कला ।

सुयुक्ताडनक्षान-मपराधिजने कला ॥ ९८ ॥

५९. शिशु की रक्षा करने, गोदी में धारण करने तथा क्रीड़ा कराने की क्रिया जानना भी कला है । ६०. अपराधी लोगों को उचित मारने-पीटने की क्रिया जानना भी कला है ।

नानादेशीयवर्णानां सुसम्यग्लेखनं कला ।

ताम्बूलरक्षादिकृति-विज्ञानं तु कला स्मृता ॥ ९९ ॥

६१. अनेक देशों की वर्ण-मालाओं को सुन्दर रीति से लिख लेना भी कला है । ६२. ताम्बूल (पान) की रक्षा (रखने) आदि की क्रिया जानना भी कला है ।

आदानमाशुकारित्वं प्रतिदानं चिरक्रिया ।

कलासु द्वी गुणौ ज्ञेयौ द्वे कले परिकीर्तिते ॥ १०० ॥

- ६३-६४. कलाओं के करने में शीघ्रता के साथ उसे करना 'आदान' और देर तक करते रहना 'प्रतिदान' कहलाता है अथवा किसी के ग्रहण करने

में शीघ्रता करना और देने में विलम्ब करना ये दोनों यद्यपि गुण हैं तथापि पृथक् २ ही कलायें मानी गई हैं ।

चतुःपत्रिकला ह्येताः संक्षेपेण निदर्शिताः ।

यां यां कलां समाश्रित्य तां तां कुर्यात्स एव हि ॥ १०१ ॥

इति शुक्रनोतौ चतुर्थाध्यायस्य राष्ट्रि आद्यं विद्याकलानिरूपणं
नाम तृतीयं प्रकरणम् ।

संक्षेप से ये ६४ कलायें कही गईं । इनमें से जिस २ कला का जो मनुष्य आश्रय लेकर उसमें निपुण बनता है । सर्वथा निपुणता के साध करने के लिये उसी २ कला को सदा उसे करते रहना चाहिये ।

इस प्रकार शुक्रनीति को भाषाटीका के चतुर्थाध्याय में आद्य विद्याकला-निरूपण नाम तृतीय प्रकरण समाप्त ।

चतुर्थाध्यायस्य लोकधर्म-निरूपणं नाम चतुर्थं प्रकरणम् ।

ब्रह्मचारी गृहस्थश्च वानप्रस्थो यतिः क्रमात् ।

चत्वार आश्रमाश्चैते ब्राह्मणस्य सदैव हि ॥ १ ॥

अन्येषामन्त्यहीनाश्च क्षत्रविदश्शूद्रकर्मणाम् ।

४ आश्रमों का नाम निर्देश—ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यासी इन चारों के क्रम से ब्रह्मचर्य, गार्हस्थ्य, वानप्रस्थ, संन्यास ये ४ आश्रम सदा ब्राह्मणों के ही होते हैं । इनमें से आखिरी संन्यास को छोड़कर शेष ३ आश्रम ब्राह्मण से अन्य क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्रों के होते हैं ।

विद्यार्थं ब्रह्मचारी स्यात् सर्वेषां पालने गृही ॥ २ ॥

वानप्रस्थः सन्दमने संन्यासी मोक्षसाधने ।

४ आश्रमों में कृत्यों का निर्देश—विद्या पढ़ने के लिये ब्रह्मचारी, सभी आश्रमों के पालनार्थ गृही (गृहस्थ), इन्द्रियों के दमनार्थ वानप्रस्थ, मोक्ष-साधनार्थ संन्यासी बनना उचित होता है ।

वर्तयन्त्यन्यथा दण्डया या वर्णाश्रमजातयः ॥ ३ ॥

जो वर्ण आश्रम तथा जाति के लोग अपने २ धर्म के विरुद्ध आचरण करते हैं वे राजा के द्वारा दण्डनीय होते हैं ।

यदि राज्ञोपेक्षितानि दण्डतोऽशिक्षितानि च ।

कुलान्यकुलतां यान्ति ह्यकुलानि कुलीनताम् ॥ ४ ॥

यदि राजा उपेक्षा कर देवे और दण्ड द्वारा शिक्षा न देवे तो उच्च कुलवाले

नीच कुल के भाव को एवं नीच कुलवाले उच्च कुल के भाव को धारण करने लगते हैं अर्थात् सब स्वेच्छाचारी हो जाते हैं ।

देवपूजां नैव कुर्यान् स्त्री शूद्रस्तु पति विना ।

जपस्तपस्तीर्थसेवा-प्रप्रया-मन्त्रसाधनम् ॥ ५ ॥

स्त्री और शूद्र को देवपूजादि न करने का निर्देश—स्त्री तथा शूद्र को क्रम से पति तथा स्वामी की सेवा छोड़ कर जप, तप, तीर्थ-सेवन, संन्यास, मन्त्र की साधना और देवता की पूजा नहीं ही करनी चाहिये ।

न विद्यते पृथक् स्त्रियां त्रिवर्गविधिसाधनम् ।

स्त्रियों के लिये पतिसेवा से अन्य धर्म का निषेध—स्त्रियों के लिये पति की सेवा को छोड़कर अन्य कोई धर्म, धर्म तथा काम की सिद्धि के लिये साधन नहीं है ।

पत्युः पूर्वं समुत्थाय देहशुद्धिं विधाय च ॥ ६ ॥

उत्थाप्य शयनीयानि कृत्वा वेशमविशोधनम् ।

मार्जनैर्लेपनैः प्राप्य सानलं यवसाङ्गणम् ॥ ७ ॥

शोधयेद्यज्ञपात्राणि स्निग्धान्युष्णेन वारिणा ।

प्रोक्षणीयानि तान्येव यथास्थानं प्रकल्पयेत् ॥ ८ ॥

शोधयित्वा तु पात्राणि पूरयित्वा तु धारयेत् ।

स्त्रियों के निम्न कृत्यों का निर्देश—स्त्री प्रतिदिन पति से पूर्व शय्या से उठकर शरीर-शुद्धि (मुख-मञ्जालनादि) करके और बिछी हुई शय्या को उठाकर रखने के बाद झाड़ू से बुहार कर तथा लीपकर गृह की सफाई करे । उसके बाद अग्नियुक्त तथा घाम पड़े हुये आंगन में पहुँच कर वहाँ की सफाई करे । और घृत से चिकने यज्ञपात्रों को गर्म जल से धोकर पोंछकर पुनः उन्हें अपने २ स्थानों पर रख दे । और उन्हें रखने के पूर्व खूब सुखाकर (जिससे जल का अंश न रहने पावे) पुनः घृतादि से पूर्ण करके यथास्थान रख देवे ।

महानसस्थ-पात्राणि षड्भिः प्रक्षाल्य सर्वशः ॥ ९ ॥

मृद्भिस्तु शोधयेच्चुल्लीं तत्राग्निं सेन्धनं न्यसेत् ।

स्मृत्वा नियोगपात्राणि रसाग्नेद्रविजानि च ॥ १० ॥

कृतपूर्वाह्नकाट्येयं श्वशुरावभिविद्येत् ।

उसके बाद रसोईगृह के पात्रों को बाहर निकालकर चारों तरफ से खूब माँज-धोकर मिट्टी से सुखही तथा रसोई घर लीपकर वहाँ पर अग्नि तथा छकड़ी रख देवे और उस दिन कार्य में आनेवाले पात्रों एवं छवणादि रस, अन्न तथा धन का घण्टा करके इसकी ध्वस्तथा करती रहे । पश्चात् पूर्वाह्न

(दिन के पूर्व भाग) के सप्त कृत्यों को समाप्त करके स्त्री साम तथा शशुर को जाकर प्रणाम करे ।

ताभ्यां भर्त्रा पितृभ्यां वा भ्रातृमातुलबान्धवैः ॥ ११ ॥

वस्त्रालङ्काररत्नानि प्रदत्तान्येव धारयेत् ।

और वह साम-शशुर, पति, माता पिता, भाई, मामा, बान्धव (कुटुम्ब के लोग) इन सबों से दिये गये ही वस्त्र, अलङ्कार तथा रत्नों को धारण करे ।

मनोवाक्कर्मभिः शुद्धा पतिदेशानुव्रतिनी ॥ १२ ॥

छायेवानुगता स्वच्छा सखीव हितकर्मसु ।

दासीव दिष्टकार्येषु भार्या भर्तुः सदा भवेत् ॥ १३ ॥

मन, वचन तथा कर्म से पवित्र एवं निर्मल रहकर पति की आज्ञा के अनुसार चलनेवाली, छाया की भांति अनुगमन करनेवाली, हितकर कार्यों में सखी (मित्र) की भांति और बताये हुये कार्यों में दासी की भांति सदा स्त्री को अपने स्वामी के निकट रहना चाहिये ।

ततोऽन्नसाधनं कृत्वा पतये विनिवेद्य सा ।

वैश्वदेवोद्भृतैरन्नैर्भोजनीयांश्च भोजयेत् ॥ १४ ॥

उसके बाद वह अन्न पकाकर पति के सामने रख कर वैश्वदेव से बचे हुये अन्न से भोजन कराने योग्य लोगों को भोजन करावे ।

पति च तदनुज्ञासा शिष्टमन्नाद्यमात्मना ।

भुक्त्वा नयेदहःशेषं सदाऽऽयव्ययचिन्तया ॥ १५ ॥

और पति को भोजन कराने के बाद उनकी आज्ञा लेकर बचे हुये अन्नादि को स्वयं भोजन कर सदा आय तथा व्यय का विचार करते हुये दिन के अवशिष्ट भाग को बितावे ।

पुनः सायं पुनः प्रातर्गृहशुद्धिं विधाय च ।

कृतान्नसाधना साध्वी सभृत्यं भोजयेत् पतिम् ॥ १६ ॥

फिर शाम को प्रातःकाल की भांति दुबारा गृह की सफाई करके भोजन बनाकर साध्वी स्त्री श्रुत्यो के सहित पति को भोजन करावे ।

नातिवृत्ता स्वयं भुक्त्वा गृहनीति विधाय च ।

आस्तृत्य साधु शयनं ततः परिचरेत्पतिम् ॥ १७ ॥

उमके बाद स्वयं भी अत्यन्त अधिक भोजन नहीं किये हुई अवशिष्ट नियमित गृहकृत्य को समाप्त कर शय्या विद्या उस पर पति को सुलाकर उसकी भलीभांति पैर दयाना आदि परिचर्या करे ।

सुप्ते पत्यौ तदध्यास्य स्वयं तद्गुणतमानसा ।

अन्नम्ना चाप्रमत्ता च निष्कामा त्रिजितेन्द्रिया ॥ १८ ॥

नोच्चैवदेन्न परुषं न बह्वाहूतिमप्रियम् ।

न केनचिच्च विवदे-दप्रलापविवादिनी ॥ १६ ॥

न चास्य व्ययशीला स्यान्न धम्मार्थविरोधिनी ।

पति के सो जाने पर स्वयं भी पति में मनको लगाते हुये उसकी शय्या पर सो जावे । और स्त्री कभी नग्न न रहे, असावधानी न करे, किसी वस्तु को कामना न प्रगट करे, इन्द्रियों को अपने वश में रखे, उच्छस्वर से बातचीत न करे, न कठोर स्वर से बोले, और न किसी को बहुत पुकारे, न अप्रिय वचन कहे, न किसी के साथ विवाद करे, और यदि विवाद करना ही पड़े तो विवाद के समय निरर्थक वचन न बोले, और पति का अधिक धनग्रहण कराने-वाली एवं धर्म तथा अर्थ सम्बन्धी कार्यों का विरोध करनेवाली भी न होवे ।

प्रमादोन्मादरोपेर्ष्या-वचनान्यतिनिन्दिताम् ॥ १७ ॥

पैशुन्यहिंसाविषय-मोहाहंकारदर्पताम् ।

नास्तिक्यसाहसस्तेय-दम्भान् साध्वी विवर्जयेत् ॥ १८ ॥

साध्वी स्त्रियों को पैशुन्यादि-रत्याग का निर्देश—और साध्वी स्त्री अनवधानता, उन्मत्तता, क्रोध तथा ईर्ष्या को प्रगट करनेवाले वचनों को एवं अतिनिन्दन चुगुलखोरी, हिंसा, विषयों के प्रति मोह, अहङ्कार, अपनी श्रेष्ठता, नास्तिकता, सहसा कार्य कर बैठना, चोरी, दम्भ इन सवों को छोड़ देवे ।

एवं परिचरन्ती सा पतिं परमदैवतम् ।

यशस्यमिह यात्येव परत्रैषा सलोकताम् ॥ १९ ॥

यथोक्त पति सेवा से पतिलोक जाने का निर्देश—इस प्रकार से पति को ही परम देवता मानकर परिचर्या करती हुई वह स्त्री इस लोक में सुन्दर यश तथा परलोक में पतिलोक को प्राप्त करती है ।

गोपितो नित्यकर्मोक्तं नैमित्तिकमथोच्यते ।

रजसो दर्शनादेषा सर्वमेव परित्यजेत् ॥ २० ॥

स्त्रियों के नैमित्तिक कृत्यों का निर्देश—इस भांति से स्त्रियों के नित्य कर्मों का वर्णन किया गया, अब नैमित्तिक कर्मों का वर्णन कर रहे हैं । यह स्त्री रजोदर्शन के दिन से ऋक्त सभी नित्य कर्मों का परित्याग कर देवे ।

सर्वैरलक्षिता शीघ्रं लज्जिताऽन्तर्गृहे वसेत् ।

एकाम्बरा कृशा दीना स्नानालङ्कारवर्जिता ॥ २१ ॥

और सबसे अलक्षित होकर लजाई हुई गृह के अन्दर निवास करे । उस समय एक वस्त्र धारण करके कृश तथा दीन के समान स्नान तथा अलङ्कार से हीन होकर रहे ।

स्वपेद् भूमावप्रमत्ता क्षपेदेवमहस्त्रयम् ।

भूमि पर शयन करे, प्रमाद से रहित होकर इस प्रकार से तीन दिन तक व्यतीत करे ।

स्नायीत सा त्रिरात्र्यन्ते सचेत्साभ्युदिते रवौ ॥ २५ ॥

रजस्वला स्त्री की शुद्धि के समय का निर्देश—इसके बाद तीन रात्रि व्यतीत होने के बाद वह सूर्य के उदय होने पर मारे बछ्नों के सहित स्नान करे ।

बिलोक्य भर्तृवदनं शुद्धा भवति धर्मतः ।

कृतशौचा पुनः कर्म पूर्ववच्च समाचरेत् ॥ २६ ॥

उसके बाद पति का मुख देखकर धर्म करने के योग्य शुद्ध हो जाती है । फिर शुद्ध हुई वह पूर्ववत् पुनः कर्म करना प्रारम्भ करे ।

द्विजस्त्रीणामयं धर्मः प्रायोऽन्यासामपीष्यते ।

कृपिपण्यादिपुंकृत्ये भवेयुस्ताः प्रसाधिकाः ॥ २७ ॥

यह द्विजाति (ब्राह्मण-क्षत्रिय-वैश्य) की स्त्रियों के लिये धर्म है किन्तु प्रायः अन्य जाति की स्त्रियों के लिये भी उचित है । वे शूद्रजाति की स्त्रियाँ कृपि तथा वस्तु वेचना आदि पुरुष के कृत्यों में साथ २ कार्य करनेवाली होती हैं, अतः वे नहीं भी इस धर्म का पालन कर पाती हैं ।

सङ्गीतैर्मधुराऽऽलापैः स्वायत्तस्तु पतिर्यथा ।

भवेत्तथाऽऽचरेयुर्वै मायाभिः कामकेलिभिः ॥ २८ ॥

पतिव्रता स्त्रियों के कर्त्तव्यों का निर्देश—पति जिस प्रकार से अपने अधीन हो सके उसी प्रकार से गाना-बजाना, मधुर बातचीत, मोहित करनेवाली कामक्रीडा इत्यादि का आचरण करना स्त्रियों को उचित है ।

मृते भर्तारि सङ्गच्छेद् भर्तुर्वा पालयेद् व्रतम् ।

परवेशमरुचिर्न स्याद् ब्रह्मचर्ये स्थिता सती ॥ २९ ॥

पति के मरने पर साथ सती हो जाये अथवा वैधव्य व्रत का पालन करती हुई पतिव्रत और गार्हस्थ्य कर्म का पालन करे । उस समय दूसरे के घर में जाने या रहने की रुचि न करे, और ब्रह्मचर्य व्रत में स्थित रहे ।

भोजनं वर्जयेन्नित्यं तथा प्रोषितभर्तुका ।

देवताराधनपरा तिष्ठेद् भर्तृहिते रता ॥ ३० ॥

धारयेन्मङ्गलार्थानि किञ्चिदाभरणानि च ।

तथा प्रोषितभर्तुका (जिसका स्वामी परदेश चला गया हो वह) स्त्री शरीर को आभूषणादि से मण्डित करना त्याग देवे । पति के हित में लीन रहकर देवता की आराधना में तत्पर रहे । और केवल मङ्गल (सधवा) सूचक धूडी-नथ आदि धोड़े आभूषणों को धारण करे ।

नास्ति भर्तृसमो नाथो नास्ति भर्तृसमं सुखम् ॥ ३१ ॥

विस्तृत्य धनसर्वस्वं भर्ता वै शरणं स्त्रियः ।

पति के समान अन्य स्वामी और पति-सेवा समान अन्य सुख का निषेध—पति के समान कोई दूसरा स्वामी नहीं है, पति का साथ या उसकी सेवा के समान कोई सुख नहीं है क्योंकि धन तथा सम्पूर्ण वस्तु का परि त्याग करके रहनेवाली स्त्री का केवल पति ही आश्रय होता है ।

मित ददाति हि पिता मितं भ्राता मितं सुतः ॥ ३२ ॥

अमितस्य प्रदातारं भर्तारं का न पूजयेत् ।

और पिता, भाई और पुत्र ये सब परिमित सुख देनेवाले होते हैं अतः अपरिमित सुख देनेवाले अपने पति की कौन स्त्री नहीं पूजन करे अर्थात् सभी को पूजन करना चाहिये ।

शूद्रो वर्णचतुर्थोऽपि वर्णत्वाद्धर्ममर्हति ॥ ३३ ॥

वेदमन्त्रस्वधास्वाहा-वपट्कारादिभिर्विना ।

पुराणायुक्तमन्त्रैश्च नमोऽन्तैः कर्म केवलम् ॥ ३४ ॥

शूद्र-धर्म का निर्देश—शूद्र भी चौथा वर्ण कहा जाता है अतः वर्ण होने से उसे भी धर्म करना उचित है । अत एव वह वेदमन्त्र, स्वाहा, स्वधा तथा वपट्कार आदि का उच्चारण न करके केवल पुराणोक्त मन्त्रों से अन्त में 'नमः' पद जोड़ कर कर्म करने के योग्य होता है ।

विप्रवद्विप्रविन्नासु क्षत्रविन्नासु क्षत्रवत् ।

प्रजाताः कर्म कुर्युर्वै वैश्यविन्नासु वैश्यवत् ॥ ३५ ॥

संकर जाति के नियम का निर्देश—ब्राह्मण की विवाहिता स्त्री में उत्पन्न हुये लोगों को ब्राह्मण की भाँति, क्षत्रिय की विवाहिता स्त्री में उत्पन्न हुये लोगों को क्षत्रिय की भाँति, वैश्य की विवाहिता स्त्री में उत्पन्न हुये लोगों को वैश्य की भाँति कर्म करना चाहिये ।

वैश्यासु क्षत्रविप्राभ्यां जातः शूद्रासु शूद्रवत् ।

अधमादुत्तमायां तु जातः शूद्राधमः स्मृतः ॥ ३६ ॥

स शूद्रादनु सत्कुर्यान्नाममन्त्रेण सर्वदा ।

ब्राह्मण या क्षत्रिय से वैश्य या शूद्र जाति की स्त्री में उत्पन्न हुआ शूद्र के तुल्य कर्म करे । अधम से उत्तम वर्ण की स्त्री में उत्पन्न हुआ शूद्राधम कहा हुआ है । अतः वह शूद्र से हीन होने से मन्त्र के स्थान पर केवल नाम लेकर उसी से सदा सत्कर्म करे ।

ससङ्करचतुर्वर्णा एकत्रैकत्र यावनाः ॥ ३७ ॥

वेदभिन्नप्रमाणास्ते प्रत्यगुत्तरवासिनः ।

एक तरह सङ्कीर्णजातियों के साथ ब्राह्मणादि चारों वर्ण रहते हैं और एक

तरफ पवनधर्म के माननेवाले लोग रहते हैं । और वे वेद से भिन्न कुरान को प्रमाण माननेवाले एवं पश्चिमोत्तर दिशा में निवास करनेवाले हैं ।

तदाचार्यैश्च नृच्छास्त्रं निर्मितं तद्वितार्थकम् ॥ ३८ ॥

व्यवहाराय या नीतिरुभयोरविवादिनी ।

और उन यवनों के आचार्यों ने उनके हितार्थ शास्त्र भी बनाये हैं । जिसमें उनके व्यवहार के लिये लोक और परलोक के विरुद्ध न पढ़नेवाली नीति का वर्णन किया गया है ।

कदाचिद् बोजमाहात्म्यात् क्षेत्रमाहात्म्यतः क्वचित् ॥ ३९ ॥

नीचात्तमत्वं भवति श्रेष्ठत्वं क्षेत्रबीजतः ।

कमी बीज (पुरुष) के गौरव से, कमी क्षेत्र (स्त्री) के गौरव से नीच तथा उत्तम के भाव को सन्तान प्राप्त करती है और कमी क्षेत्र तथा बीज दोनों के गौरव से श्रेष्ठता को प्राप्त करती है ।

विश्वामित्रश्च वशिष्ठो मतङ्गो नारदादयः ॥ ४० ॥

तपोविशेषैः सम्प्राप्ता उत्तमत्वं न जातितः ।

ध्रुविय से उत्पन्न हुये विश्वामित्र, स्वर्ग की वैश्या से उत्पन्न हुये वशिष्ठ, साधारण जाति में उत्पन्न हुये मतङ्ग और दासी के पुत्र नारद आदि भी विशेष तप करने से ही उत्तमता को प्राप्त हुये, न कि जाति से ।

स्वस्वजात्युक्तधर्मो यः पूर्वाचरितः सदा ॥ ४१ ॥

तमाचरेच्च सा जातिर्दण्डया स्यादन्यथा नृपैः ।

जातिवर्णाश्रमान् सर्वान् पृथक् चिह्नैः सुलक्षयेत् ॥ ४२ ॥

जिसके पूर्वजों ने अपनी २ जाति के लिये कहे हुये जिस धर्म का सदा आचरण किया है उसको उसीका आचरण करना चाहिये । अन्यथा आचरण करने पर उस जाति के लोग राजा द्वारा दण्डनीय होते हैं । और जाति, वर्ण तथा आश्रम के सभी लोगों को पृथक् २ चिह्नों द्वारा पहचान लेना चाहिये ।

यन्त्राणि घातुकाराणां संरक्षेद्विद्य सर्वदा ।

राजा को स्वर्णकारादिकों को सदा कार्य में निरुक्त करने का निर्देश—
स्वर्णादि-घातु का कार्य करनेवाले सुनार आदि लोगों के यन्त्रों (औजारों) की परीक्षा करके राजा को उनके पास रहने देना चाहिये ।

कारुशिल्पिगणान् राष्ट्रे रक्षेत् कार्यानुमानतः ॥ ४३ ॥

अधिकान् कृपिकृत्ये वा भृत्यवर्गे नियोजयेत् ।

चीराणां पितृभूतास्ते स्वर्णकारादयस्त्वतः ॥ ४४ ॥

कार्यों की अधिकता तथा कमी का विचार करके तदनुसार राज्य में कारु (यदईः) और शिल्पी (चित्रभार) गणों को राजा बसावे । यदि अधिक हों

तो उन्हें खेती के कार्यों में अथवा नौकरों द्वारा किये जानेवाले किसी कार्यों में लगा दे क्योंकि वे सुनार भादि चोरों के पिता के जगह पर रहते हैं अर्थात् चोरी का माल खरीदकर उनकी पिता के समान रक्षा करते हैं अतः उनकी निगरानी करता रहे ।

गङ्गागृहं पृथग् ग्रामात्तस्मिन् रक्षेत्तु मद्यपान् ।

मदिरागृह को ग्राम से पृथक् रखने का निर्देश—और मदिरा बिकने का स्थान ग्राम से बाहर अलग रख कर उसी में मद्यपी लोगों को रखना चाहिये ।

न दिवा मद्यपानं हि राष्ट्रे कुर्याद्धि कर्हिचित् ॥ ४५ ॥

दिन में मद्य पीने के निषेध का निर्देश—और राज्य में किसी को दिन में मद्यपान नहीं करने देना चाहिये ।

ग्रामे ग्राम्यान् बने वन्यान् वृक्षान् संरोपयेन्नृपः ।

उत्तमान् विंशतिकरैर्मध्यमांस्तिथिहस्ततः ॥ ४६ ॥

सामान्यान् दशहस्तैश्च कनिष्ठान् पञ्चभिः करैः ।

अजाविगोशकृद्धिर्वा जलैर्मांसैश्च पोपयेत् ॥ ४७ ॥

वृक्षारोपण और पोपण के नियम—ग्राम में होनेवाले वृक्षों को ग्राम में तथा जङ्गल में होनेवाले वृक्षों को जंगल में राजा रोपण करावे, उनमें परस्पर उत्तम को २० हाथ की दूरी पर, मध्यम को १५ हाथ, साधारण को १० हाथ, सबसे निकृष्ट को ५ हाथ की दूरी पर रोपण करवाना चाहिये । और बकरी, भेड़ और गौ की विष्टा की खाद तथा जल और मांस की खाद देकर उनका पोपण करवाना चाहिये ।

उदुम्बराश्वत्थवटचिञ्चिकाचन्दनजम्भलाः ।

कदम्बाशोककुकुलबिल्वाम्रातकपिथकाः ॥ ४८ ॥

राजादनाम्रपुन्नागतूदकाष्टाम्लचम्पकाः ।

नीपकोकाम्रसरलदाडिमाक्षोटभिस्सटाः ॥ ४९ ॥

शिशुपाशिमन्वदर-निम्बजम्बीरक्षीरिका ।

खजूरेदेवकरजफलगुतापिच्छसिम्भलाः ॥ ५० ॥

कुदातो लवली घात्री क्रमुको मातुलङ्गकः ।

लकुची नारिकेलश्च रम्भाऽन्ये सत्फला द्रुमाः ॥ ५१ ॥

सुपुष्पाश्चैव ये वृक्षा ग्रामाभ्यर्णं निघोजयेत् ।

ग्राम्य वृक्षों के नामों का निर्देश—गूलर, पीपल, बगौद, इमली, चन्दन, जम्भल (जम्बीरी नीबू), कदम्ब, अशोक, कुकुल, विम्ब, आमड़ा, कैय, राजा-दन (चिरीजी), आम, पुन्नाग, तूदकाष्ठ (वृक्ष विशेष), अम्ल, चम्पा, नीप (जलकदम्ब), कोकम, सरल (चीड़), अनार, अलरोट, भिरसट, शीषाम, शिशु

(सहजन) वैर, नीम, जम्बीर, खिरनी, खजूर, देवकरज, फलगु (अजीर), तापिच्छ, (तमाल), सिम्भल, कुटाल, लवली (हरफारेवकी), भांघला, सुपारी, विजौरा नीवू, बड़हर, नारियल, केला आदि तथा अन्य भी अच्छे फलवाले जो वृक्ष हों उन्हें ग्राम के समीप में लगाना चाहिये ।

वामभागेऽथत्रोद्यानं कुट्याद् वासगृहे शुभम् ॥ ५२ ॥

बागीचा लगाने के स्थान का निर्देश—निवासगृह के वामभाग में अथवा निवासगृह के हाते के अन्दर ही सुन्दर बागीचा लगाना चाहिये ।

सायं प्रातस्तु घर्मान्ते शीतकाले दिनान्तरे ।

वसन्ते पञ्चमेऽह्नुस्तु सेठ्या वर्षासु न क्वचित् ॥ ५३ ॥

वृक्षों को ऋतुभेद से सींचने के समयों का निर्देश—और ग्रीष्म ऋतु में प्रातः तथा सायंकाल में, शीत काल में एक दिन का अन्तर देकर अर्थात् तीसरे दिन, वसन्त ऋतु में दिन के पञ्चम मुहूर्त्त में अथवा पाँचवे दिन पर वृक्षों को सींचना चाहिये किन्तु वर्षा में कभी भी नहीं सींचना चाहिये ।

फलनाशे कुलुत्थैश्च मापैर्मुद्गैर्यवैस्त्वित्तैः ।

ऋतशीतपयःसेकः फलपुष्पाय सर्वदा ॥ ५४ ॥

वृक्ष के नष्ट न होने का उपाय—यदि वृक्ष के फल नष्ट हो जाते हों तो उसके लिये कुलथी, उरद, मूंग, जौ, तिल इनमें से किसी एक को ढालकर भीटाकर शीतल किये हुये जल-से सींचना चाहिये । इससे वृक्ष सदा फल-फूल देने लगते हैं ।

मत्स्याम्भसा तु सेकेन वृद्धिर्भवति शाखिनाम् ।

आत्रिकाजशकृच्चूर्णं यवचूर्णं तिलानि च ॥ ५५ ॥

गोमांसमुदकञ्चेति सप्तरात्रं निधापयेत् ।

उत्सेकः सर्ववृक्षाणां फलपुष्पादिवृद्धिदः ॥ ५६ ॥

वृक्षों के फल पुष्प-वृद्धि का उपाय—मछली के घोने के बाद उसी जल से सींचने से वृक्षों की वृद्धि होती है । और भेड़ तथा बकरी की विष्टा का चूर्ण, तिल तथा गोमांस और जल इन सबों को सात रात्रि तक वृक्ष के मूल के भीतर देना चाहिये । वृक्षों में इन सबों के प्रयोग से फल और पुष्प की वृद्धि अत्यन्त होती है ।

ये च कण्टकिनो वृक्षाः खदिराद्यास्तथापरे ।

आरण्यकास्ते विज्ञेयास्तेषां तत्र नियोजनम् ॥ ५७ ॥

आरण्य वृक्षों के रोपण के स्थान और नामों का निर्देश—और जो वृक्ष काटिदार तथा अन्य खैर आदि के हैं, वे जंगली कहाते हैं । इनका रोपण जंगलों में करना चाहिये ।

खदिराश्मन्तशाकाग्निमन्थस्योनाकबब्बुलाः ।
 तमाल-शाल-कुटज-ध्वार्जुनपलाशकाः ॥ ५८ ॥
 सप्तपर्ण-शमीतुष-देवदारु-विकट्टताः ।
 करमर्देद्भुदीभूर्ज-विपमुष्टि-करीरकाः ५९ ॥
 शल्लकी कारमरी पाठा तिन्दुको बीजसारकः ।
 हरीतकी च भङ्गातः शम्पाकोऽर्कश्च पुष्करः ॥ ६० ॥
 अरिमेदश्च पीतद्रुः शाल्मलिश्च विभीतकः ।
 नरवेलो महावृक्षोऽपरे ये मधुकादयः ॥ ६१ ॥
 प्रतानवत्यः स्तम्बिन्यो गुल्मिन्यश्च तथैव च ।
 प्राग्या प्रागे वने वन्या नियोज्यास्ते प्रयत्नतः ॥ ६२ ॥

लैसे—खैर, अरमन्तक, सागौन, भरणी, सोनापाठा, बबूर, तमाल, शाल, कुटज (खोरया), अर्जुन, पलाश, घव, सतवन, शमी, तून, देवदारु, विकट्टत, करौंदा, इद्दुदी, भोजपत्र, कुचिला, करीर, सलई, खम्भार, पाइर, तेंदू, विजय-सार, हरद, भिलावा, शम्पाक, भाक, पोहकर, दुर्गन्ध खैर, पीतद्रु, सेमर, घहेडा, नरवेल, महावृक्ष और अन्य जो महुषा भादि एवं प्रतान (लम्बी २ पतली शाखाओं) वाली, गुच्छोंवाली, गुल्म (मूल) वाली लतायें हैं इनमें से जो प्राग में होनेवाले हैं उन्हें प्राग में और जो वन में होनेवाले हैं उन्हें वन में यत्नपूर्वक लगाना चाहिये ।

कूपवापीपुष्करिण्यस्तडागाः सुगमास्तथा ।

कार्योः खाताद् द्वित्रिगुण-विस्तारपदधानिकाः ॥ ६३ ॥

कूपादि में उतरने योग्य स्त्रीदियों के बनाने का निर्देश—कूषा, वावकी, छोटा सालाघ, बड़ा तालाघ भादि जलाशय ऐसे बनवाने चाहिये जिसमें लोग सुगमता से उतर सकें । और जलाशय की गहराई से दुगुनी या त्रिगुनी विस्तार में उसके चारों ओर स्त्रीदियां बनवानी चाहिये ।

यथा तथा ह्यनेकाश्च राष्ट्रे स्याद्विपुलं जलम् ।

नदीनां सेतवः -कार्यो विबन्धाः सुमनोहराः ॥ ६४ ॥

नौकादिजलयानानि पारगानि नदीषु च ।

देश में विपुल जल होने एवं पुल भादि बनवाने का प्रवन्ध करने का निर्देश—इस तरह के बहुत से जलाशय राज्य में बनवाना चाहिये, जिससे बहुत जल वनमें भरा रहे । अनेक प्रकार के अत्यन्त मनोहर नदियों में पुल भी बनवाना चाहिये । और नदियों को पार करने के लिये उनमें नौका भादि जलयान बनवाकर रक्षना चाहिये ।

यज्ञातिपूज्यो यो देवस्तद्विद्यायाश्च यो गुरुः ॥ ६५ ॥

तदालयानि तदजातिगृहपङ्क्तिमुखे न्यसेत् ।

जायन्कूल पूज्य देव तथा गुरु के गृह बनाने के स्थान का निर्देश—जिस जाति के जो पूज्य देवता हों और उनको विद्या पढ़ानेवाले जो गुरु हों उनके गृह उस जाति के लोगों के मकानों की पंक्ति के संमुख बनाने चाहिये ।

शृङ्गाटके ग्राममध्ये विष्णोर्वा शंकरस्य च ॥ ६६ ॥

गणेशस्य रवेर्देव्याः प्रासादान् क्रमतो न्यसेत् ।

ग्राम के चौराहे पर विष्णु भादि के मन्दिर बनाने का निर्देश—गांव के चौराहे या गांव के मध्य में विष्णु, शंकर, गणेश, सूर्य तथा देवी इन पञ्चदेवों के मन्दिर क्रमशः बनाने चाहिये ।

मेर्वादिपोडशविधलक्षणान् सुमनोहरान् ॥ ६७ ॥

वर्तुलांश्चतुरस्रान् वा यन्त्राकारान् समण्डपान् ।

प्राकारगोपुरगणयुतान् द्वित्रिगुणोच्छ्रितान् ॥ ६८ ॥

यथोक्तान्तःसुप्रतिमाञ्जलमूलान् विचित्रितान् ।

मेरु भादि मन्दिर के १६ प्रकारों का लक्षण निर्देश—जो मन्दिर मेरु भादि १६ प्रकार के लक्षणों से युक्त, अत्यन्त मनोहर, गोलाकार, चौकोर या यन्त्राकार से युक्त, मण्डप, प्राकार (परकोटा) तथा प्रधान विशाल द्वारों से युक्त, परिचारक वर्गों से युक्त, लम्बाई-चौड़ाई से दुगुना या त्रिगुने ऊंचे हों और जिनके मध्य में शास्त्रोक्त रीति से बनी हुई सुन्दर देवमूर्तियाँ रखी हों । एवं जिनके चारों ओर खाइयों में जल भरा हो तथा जिनमें नाना प्रकार के चित्र बने हों ।

रम्यः सहस्रशिखरः सपादशतभूमिकः ॥ ६९ ॥

सहस्रहस्तविस्तारोच्छ्रायः स्यान्मेरुसंज्ञकः ।

जिस मन्दिर में १ हजार कंगूरे बने हों और १२५ पगभूमि हों, तथा जिसका १ हजार हाथ का विस्तार तथा ऊंचाई हो, वह मेरु संज्ञक होता है ।

ततस्ततोऽष्टांशहीना अपरे मन्दरादयः ॥ ७० ॥

मन्दरो ऋक्षमाली च द्युमणिश्चन्द्रशेखरः ।

माल्यवान् पारियात्रश्च रत्नशीर्षश्च घातुमान् ॥ ७१ ॥

पद्मकोशः पुष्पहासः श्रीकरः स्वस्तिकाभिधः ।

महापद्मः पद्मकूटः पोडशो विजयाभिधः ॥ ७२ ॥

इससे उत्तरोत्तर अष्टांश हीन अन्य मन्दर भादि नामवाले मन्दिर होते हैं । जिनके नाम क्रम से २. मन्दर, ३. ऋक्षमाली, ४. द्युमणि, ५. चन्द्रशेखर, ६. माह्यवान्, ७. पारियात्र, ८. रत्नशीर्ष, ९. घातुमान्, १०. पद्मकोश,

११. पुष्पहास, १२. श्रीकर, १३. स्वस्तिक, १४. महापद्म, १५. पद्मकूट,
१६. विजय ये सब हैं ।

तन्मण्डपश्च तत्तुल्यः पादन्यूनोच्छ्रितः पुरः ।

स्वाराध्यदेवताध्यानैः प्रतिमास्तेषु योजयेत् ॥ ७३ ॥

मेवादिकों के अनुसार उनके मण्डपों के प्रमाणों का निर्देश—उन मन्दिरों के मण्डप (देवताभवन) उन्हीं के अनुरूप उनकी ऊँचाई से चतुर्थांश कम ऊँचे भाग में बनाने चाहिये । उनमें अपने आराध्य देवताओं के ध्यान के अनुसार देवता की मूर्तियाँ स्थापित करनी चाहिये ।

ध्यानयोगस्य संसिद्धयै प्रतिमालक्षणं स्मृतम् ।

प्रतिमाकारको मर्त्यो यथा ध्यानरतो भवेत् ॥ ७४ ॥

तथा नान्येन मार्गेण प्रत्यक्षेणापि वा खलु ।

ध्यान योग में प्रतिमा की साधनमुपयुक्तता का निर्देश—ध्यान योग की महीमांति सिद्धि के लिये प्रतिमारूपी साधन मुख्य कहा है, क्योंकि प्रतिमा बनानेवाला मनुष्य जैसा ध्यान में लीन हो जाता है वैसा निश्चय अन्य मार्ग से या प्रत्यक्ष देवता के देखने से भी ध्यान में लीन नहीं हो सकता है ।

प्रतिमा सैकती पैश्री लेख्या लेप्या च मृन्मयी ॥ ७५ ॥

यार्श्री पापाणघातूत्था स्थिरा ज्ञेया यथोत्तरा ।

वालू से लेकर धातु पर्यन्त की बनी प्रतिमाओं की उत्तरोत्तर स्थिरता की अधिकता का निर्देश—प्रतिमायें वालू की, चावल आदि को पीस कर उसके पिण्ड की, चित्र की, लेप की, मिट्टी की, काष्ठ की, पापाण की, धातु की बनती हैं । ये उत्तरोत्तर एक से दूसरी अधिक स्थिर होती हैं ।

यथोक्तावयवैः पूर्णा पुण्यदा सुमनोहरा ॥ ७६ ॥

अन्यथाऽऽयुर्धनहरा नित्यं दुःखविघट्टिनी ।

शास्त्रोक्त तथा अन्यथा रीति से बनी प्रतिमा के फल—यदि प्रतिमा शास्त्रोक्त नियमानुसार अङ्गों से परिपूर्ण बनी हो तो वह पुण्य देनेवाली तथा अत्यन्त मनोहर होती है । यदि अन्यथा रीति से बनी हो तो आयु तथा धन को हरण करनेवाली और नित्य दुःख को बढ़ानेवाली होती है ।

देवानां प्रतिभिन्धानि कुर्याच्छ्रेयस्कराणि च ॥ ७७ ॥

स्वर्ग्याणि मानवादीनामस्वर्ग्यान्यशुभानि च ।

देव-प्रतिमा की शुभकारिता मानव-प्रतिमा की अशुभकारिता का निर्देश—देवताओं की प्रतिमायें बनवानी चाहिये क्योंकि वे शुभकारक तथा स्वर्गदायक होती हैं । और मनुष्यों की प्रतिमायें तो अशुभकारक तथा स्वर्ग देनेवाली नहीं होती हैं ।

मानसो नाधिकं हीनं तद्विम्बं रम्यमुच्यते ॥ ७८ ॥

देवताओं की प्रतिमा शास्त्रोक्त मान से न अधिक और न हीन होने पर ही रम्य और कल्याणकारक होती है ।

अपि श्रेयस्करं नृणां देवविम्बमलक्षणम् ।

सलक्षणं मर्त्यविम्बं न हि श्रेयस्करं सदा ॥ ७९ ॥

और देवता की प्रतिमा यदि शास्त्रोक्त लक्षणों से रहित भी हो तो मनुष्यों के लिये कल्याणकारक होती है और यदि मनुष्य की प्रतिमा लक्षणों से युक्त भी हो तो सदा ही कल्याणकारक नहीं होती है ।

सात्त्विकी राजसी देवप्रतिमा तामसी त्रिधा ।

विष्णवादीनां च या यत्र योग्या पूज्या तु तादृशी ॥ ८० ॥

सार्विकी आदि तीन प्रकार की प्रतिमाओं का निर्देश—विष्णु आदि देवता १. सार्विकी, २. राजसी, ३. तामसी इन भेदों से ३ प्रकार की होती है । और जहां पर जैसी योग्य हो वहां पर वैसी प्रतिमा की पूजा करनी चाहिये ।

योगमुद्रान्विता स्वस्था वराभयकरान्विता ।

देवेन्द्रादिस्तुतनुता सात्त्विकी सा प्रकीर्तिता ॥ ८१ ॥

सार्विकी प्रतिमा के लक्षण—जो प्रतिमा योगमुद्रा से युक्त, स्वाभाविक अवस्था में स्थित, वरदान तथा अभय दान देनेवाली मुद्रा से युक्त हाथोंवाली है, एवं इन्द्रादि देवता जिसकी स्तुति तथा नमन कर रहे हैं, वह 'सार्विकी' कहलाती है ।

तिष्ठन्ती वाहनस्था वा नानाभरणभूषिता ।

या शस्त्रास्त्राभयत्र-करा सा राजसी स्मृता ॥ ८२ ॥

राजसी प्रतिमा के लक्षण—जो प्रतिमा किसी वाहन पर बैठी हुई तथा नाना आभूषणों से युक्त होती है एवं जिसके हाथों में शस्त्र, अस्त्र तथा वर और अभय दान की मुद्रा बनी हुई है वह 'राजसी' कहलाती है ।

शस्त्रास्त्रैर्दैत्यहन्त्री या ह्युपरूपधरा सदा ।

युद्धाभिनन्दिनी सा तु तामसी प्रतिमोच्यते ॥ ८३ ॥

तामसी प्रतिमा के लक्षण—जो प्रतिमा शस्त्र तथा अस्त्रों से दैत्यों को मारनेवाली, उपरूप को धारण करे हुई, सदा युद्ध के लिये उसुक रूप में होती है वह 'तामसी' कहलाती है ।

संक्षेपतस्तु ध्यानादि विष्णवादीनां तथोच्यते ।

प्रमाणं प्रतिमानां च तदज्ञानां सुविस्तरम् ॥ ८४ ॥

संक्षेप से विष्णु आदि देवताओं का जैसा ध्यान है तथा विस्तारपूर्वक प्रतिमाओं का एवं उनके अङ्गों का प्रमाण है, वैसा कहते हैं ।

स्वस्वमुष्टेश्चतुर्धोऽशो ह्यङ्गुलं परिकीर्तितम् ।

तदङ्गुलैर्द्वादशभिर्भवेत् तालस्य दीर्घता ॥ ८५ ॥

अंगुलादिकों के प्रमाणों का निर्देश—अपनी २ मुष्टि के चतुर्धाश के बराबर १ अंगुल का प्रमाण कहा हुआ है । और १२ अंगुल की लम्बाई १ ताल की मानी गई है ।

वामनी सप्तताला स्यादष्टताला तु मानुषी ।

नवताला स्मृता देवी राक्षसी दशतालिका ॥ ८६ ॥

वामनी, मानुषी, देवी, राक्षसी प्रतिमाओं के लक्षण—जो प्रतिमा ७ ताल की प्रमाण ऊँची है वह 'वामनी' ८ ताल की 'मानुषी' ९ ताल की 'देवी' और १० ताल प्रमाण की ऊँची 'राक्षसी' कहलाती है ।

सप्ततालाद्युच्चता वा मूर्तानां देशभेदतः ।

सदैव स्त्री सप्तताला सप्ततालश्च वामनः ॥ ८७ ॥

स्त्री देवता तथा वामन भगवान की प्रतिमा की ऊँचाई का प्रमाण—अथवा देशभेद से उपर्युक्त ७ ताल आदि प्रमाण की ऊँचाई प्रतिमाओं की मानी गई है । और सदा स्त्री देवता की प्रतिमा ७ ताल की ऊँची और वामन भगवान की ७ ताल की ऊँची बनानी चाहिये ।

नरो नारायणो रामो नृसिंहो दशतालकः ।

दशतालः स्मृतो घाणो बलीऽन्द्रो भार्गवोऽर्जुनः ॥ ८८ ॥

नर-नारायणआदि की प्रतिमाओं की ऊँचाई का प्रमाण—नर, नारायण, राम और नृसिंह की प्रतिमा १० ताल की ऊँची, एवं घाणासुर, बलि, इन्द्र, परशुराम तथा अर्जुन की भी प्रतिमा १० ताल ऊँची कही हुई है ।

चण्डी भैरववेतालनरसिंहवराहकाः ।

क्रूरा द्वादशतालाः स्युर्हयशीर्षोदयस्तथा ॥ ८९ ॥

ज्ञेया षोडशताला तु पैशाची वाऽऽसुरी सदा ।

चण्डी आदि की प्रतिमाओं की ऊँचाई के प्रमाण—चण्डी, भैरव, वेताल, नरसिंह, वराह तथा हयग्रीव आदि क्रूर देवताओं की प्रतिमा १२ ताल ऊँची एवं पैशाची या आसुरी प्रतिमा १६ ताल ऊँची सदा बनाने को कही गई है ।

हिरण्यकशिपुर्वृत्रो हिरणाक्षश्च रावणः ॥ ९० ॥

कुम्भकर्णोऽथ नमुचिर्निशुम्भः शुम्भ एव हि ।

एते षोडशतालाः स्युर्माहिषो रक्तबीजकः ॥ ९१ ॥

असुरों की प्रतिमा की ऊँचाई का प्रमाण—हिरण्यकशिपु, वृत्रासुर, हिरण्वाच, रावण, कुम्भकर्ण, नमुचि, निशुम्भ, शुम्भ, महिषासुर तथा रक्तबीज इन सब असुरों की प्रतिमाएँ १६ ताल की ऊँची होती हैं ।

पञ्चतालाः स्मृता बालाः षट्तालारच कुमारकाः ।

बाल तथा कुमार भावकी प्रतिमा की ऊँचाई का प्रमाण—बालभाव की मूर्ति ५ ताल की तथा कुमार भाव की ६ ताल की ऊँची बनानी चाहिये ।

दशताला कृतयुगे त्रेतायां नवतालिका ॥ ९२ ॥

अष्टताला द्वापरं तु सप्तताला कलौ स्मृता ।

सत्ययुगादि-भेद से प्रतिमा की ऊँचाई के प्रमाण में भेद—सत्ययुग में ७ ताल ऊँची, त्रेता में ९ ताल, द्वापर में ८ ताल और कलियुग में ७ ताल प्रमाण ऊँची प्रतिमा बनाने के लिये सामान्य रूप से कहा है ।

नवतालप्रमाणे तु मुखं तालमिदं स्मृतम् ॥ ९३ ॥

चतुरङ्गुलं ललाटं स्यादधो नासा तथैव च ।

नासिकाऽधश्च हन्वन्नं चतुरङ्गुलमीरितम् ॥ ९४ ॥

९ ताल प्रमाण ऊँची प्रतिमा के अवयवों के प्रमाणों का निर्देश—यदि ९ ताल प्रमाण की प्रतिमा हो तो उसमें मुख १ ताल प्रमाण का बनाना चाहिये, जिसमें ४ अंगुल प्रमाण का ललाट और उसके नीचे नासिका तक का भाग २ अंगुल का एवं नासिका के नीचे हनु (डुड्डी) तक का भाग ४ अंगुल प्रमाण का बनाना चाहिये ।

चतुरङ्गुला भवेद् ग्रीवा तालेन हृदयं पुनः ।

नाभिस्तस्मादधः कार्यं तालेनैकेन शोभिता ॥ ९५ ॥

नाभ्यधश्च भवेन्मेढ्रं भागेनैकेन वा पुनः ।

४ अंगुल प्रमाण ग्रीवा, १ ताल प्रमाण हृदय अर्थात् वक्षःस्थल, उसके नीचे १ ताल प्रमाण सुन्दर नाभि बनानी चाहिये । और १ ताल प्रमाण नाभि से नीचे लिङ्ग तक का भाग बनाना चाहिये ।

द्विताली ह्यायताधूरु जानुनी चतुरङ्गुले ॥ ९६ ॥

जङ्घे ऊरुसमे कार्यं गुल्फाधश्चतुरङ्गुलम् ।

२ ताल प्रमाण लंबे दोनों ऊरु, ४ अंगुल प्रमाण दोनों जानु, ऊरु के समान २ ताल प्रमाण दोनों जंघायें और दोनों गुल्फों के नीचे का भाग ४ अंगुल प्रमाण बनाना चाहिये ।

नवतालात्मकमिदमूर्ध्वमानं बुधैः स्मृतम् ॥ ९७ ॥

पण्डितों ने इस प्रकार से प्रतिमा की ९ ताल प्रमाण की ऊँचाई का विभागपूर्वक वर्णन किया है ।

शिखावधि तु केशान्तं त्र्यङ्गुलं सर्वमानतः ।

दिशाऽनया च विभजेत् सप्ताष्टदशतालकम् ॥ ९८ ॥

चाहे जिस मान की प्रतिमा बनावे, सभी मानों में शिखा पर्यन्त केशों का मान ३ ही अङ्गुल मानना चाहिये । इस रीति से ७, ८ तथा १० ताल प्रमाण की प्रतिमाओं के अङ्ग-निर्माण में त्रैराशिक नियमानुसार मान-व्यवस्था करनी चाहिये ।

चतुस्तालात्मकौ बाहू ह्यङ्गुल्यन्तावुदाहृतौ ।

स्कन्धादिर्कूर्परान्तं च विशत्यङ्गुलमुत्तमम् ॥ ६६ ॥

त्रयोदशाङ्गुलं बाधः कक्षायाः कूर्परान्तकम् ।

अष्टाविशत्यङ्गुलस्तु मध्यमान्तः करः स्मृतः ॥ १०० ॥

अङ्गुलि पर्यन्त दोनों बाहुओं की लम्बाई ४ ताल प्रमाण कही हुई है । स्कन्ध से लेकर कूर्पर (केशनी) पर्यन्त २० अङ्गुल की लम्बाई उत्तम कही है । कक्षा (काँस) के नीचे से कूर्पर पर्यन्त की लम्बाई १३ अङ्गुल की होनी चाहिये । कूर्पर से मध्यमा अङ्गुलि पर्यन्त हाथ की लम्बाई २८ अङ्गुल प्रमाण कहा हुआ है ।

रसाङ्गुलं करतलं मध्या पञ्चाङ्गुला मता ।

सार्धत्रयाङ्गुलोऽङ्गुष्ठस्तर्जनीमूलपर्वभाक् ॥ १०१ ॥

पर्वद्वयात्मकोऽन्यासां पर्वणि त्रीणि त्रीणि तु ।

अर्धाङ्गुलेनाङ्गुलेन हीनानामा च तर्जनी ॥ १०२ ॥

कनिष्ठिकानामिकातोऽङ्गुलोना च प्रकीर्तिता ।

उसमें ७ अङ्गुल का करतल, ५ अङ्गुल लम्बी मध्यमा अङ्गुलि मानी गई है । अंगूठे की लम्बाई ३॥ अङ्गुल प्रमाण होनी चाहिये और वह तर्जनी के मूल भाग तक पहुँचनेवाली एवं दो पर्व (पोर) वाला होना चाहिये । और अन्य सभी अङ्गुलियों में तीन २ पोर होने चाहिये । तथा मध्यमा अङ्गुलि से आधा अङ्गुल छोटी अर्थात् ४॥ अङ्गुल लम्बी अनामिका (कनिष्ठिका के चतल की) अङ्गुलि और १ अंगुल छोटी (४ अंगुल लम्बी) तर्जनी (अंगूठा के पगल की) अंगुलि होनी चाहिये ।

चतुर्दशाङ्गुली पादौ ह्यङ्गुष्ठो द्व्यङ्गुलो मतः ॥ १०३ ॥

सार्धद्वयाङ्गुलोऽङ्गुष्ठुप्रस्तन्मिता वा प्रदेशिनी ।

प्रदेशिनी द्व्यङ्गुला तु सार्धाङ्गुलमथेतराः ॥ १०४ ॥

१४ अंगुल लम्बे दोनों पैर होने चाहिये । उसमें अंगूठा दो अंगुल प्रमाण का और प्रदेशिनी (अंगूठे के घगल की) अंगुली भी २ अंगुल प्रमाण की अथवा अंगूठा और प्रदेशिनी ढाई २ अंगुल प्रमाण की तथा अन्य अंगुलियाँ देढ़ २ अंगुल प्रमाण की बनानी चाहिये ।

शिरोऽम्कतौ पाणिपादौ गृहगुल्फौ प्रकीर्तितौ ।

हाथ और पैर ऐसे बनाने चाहिये जिसमें तिराछें (नसों) तथा गुच्छ न दिखाई पड़े ।

तद्विज्ञैः प्रस्तुता ये ये मूर्तेरवयवाः सदा ॥ १०५ ॥

न हीना नाधिका मानात्ते ते ज्ञेयाः सुशोभनाः ।

न स्थूला न कृशा वापि सर्वे सर्वमनोरमाः ॥ १०६ ॥

रम्य प्रतिमा के लक्षण—मूर्त्ति के बनानेवाले कारीगरों द्वारा निर्मित मूर्त्ति के जो-जो अवयव हों वे सब यदि शास्त्रोक्त मान से न अधिक और न कम हों तभी अत्यन्त सुन्दर मानना चाहिये । और यदि सभी अङ्ग न स्थूल तथा न कृश चने हों तो सभी भांति से उन्हें सुन्दर मानना चाहिये ।

सर्वाङ्गैः सर्वरम्यो हि कश्चिन्नक्षे प्रजायते ।

शास्त्रमानेन यो रम्यः स रम्यो नान्य एव हि ॥ १०७ ॥

रम्य तथा अरम्य प्रतिमा का अन्तर—लाहों में कोई एक प्रतिमा सबों के लिये सर्वाङ्ग सुन्दर बनती है किन्तु शास्त्र के प्रमाणानुसार जो रम्य (सुन्दर) हो वही रम्य कहलाता है अन्य नहीं ।

शास्त्रमानविहीनं यदरम्यं तद्विपश्चिताम् ।

एकेषामेव तद्व रम्यं लग्नं यत्र च यस्य हृत् ॥ १०८ ॥

मतान्तर से रम्य और अरम्य के अन्तर—किसी एक का मत है कि—जिसमें जिसका मन लग जाता है उसके लिये वही रम्य होता है किन्तु विद्वानों को तो जो शास्त्र के प्रमाण से विरुद्ध बनी प्रतिमा है वही अरम्य (असुन्दर) होती है ।

अष्टाङ्गुलं ललाटं स्यात्तावन्मात्रे भ्रुवौ मते ।

अवयवों की आकृति का वर्णन—ललाट ८ अंगुल चौड़ा, और दोनों भौहें मिलाकर उतनी ही (८ अंगुल चौड़ी) होनी चाहिये ।

अर्धाङ्गुला भ्रुवोर्लेखा मध्ये धनुरिवायता ॥ १०९ ॥

नेत्रे न त्र्यङ्गुलायामे द्व्यङ्गुले विस्तृते शुभे ।

दोनों भौहों की चौड़ाई आधा अंगुल और मध्य में धनुष के आकार के समान कुछ उठी हुई होनी चाहिये । और नेत्रों की लम्बाई तीन अंगुल की तथा चौड़ाई दो अंगुल की एवं देखने में सुन्दर बनानी चाहिये ।

तारका तत्तृतीयांशा नेत्रयोः कृष्णरूपिणौ ॥ ११० ॥

द्व्यङ्गुलं तु भ्रुवोर्मध्यं नासामूलमथाङ्गुलम् ।

दोनों नेत्रों की कृष्ण वर्ण की पुतलियों नेत्र के तृतीयांश के घराबर (१ अंगुल) की, दोनों भौहों के मध्य का भाग दो अंगुल चौड़ा एवं नासा का मूल भाग एक अंगुल चौड़ा बनाना चाहिये ।

नासाप्रविस्तरं तद्वद् द्व्यङ्गुलं तद्विलद्वयम् ॥ १११ ॥

शुक्रनासाकृतिर्नासा सरलं वा द्विधा शुभा ।

नासा के अग्रभाग का विस्तार दो अंगुल का एवं उसके दो छिद्र भी दो ही अंगुल के होने चाहिये । सुगो की नासा के आकार जैसी अथवा सीधी दोनों प्रकार की अर्थात् दोनों प्रकारों में से किसी एक प्रकार की नासा बनाई जानी चाहिये ।

निष्पावसदृशं नासापुटयुग्मं सुशोभनम् ॥ ११२ ॥

दोनों नासापुट निष्पाव (मोंठ) के समान अत्यन्त सुन्दर बनाना चाहिये ।

कर्णौ च भ्रूसमी ज्ञेयी दीर्घौ च चतुरङ्गुली ।

कर्णपाली त्र्यङ्गुला स्यात् स्थूला चाधोङ्गुला मता ॥ ११३ ॥

दोनों कान भी भौहों के समान चार २ अंगुल लम्बे होने चाहिये । कर्णपाली तीन अंगुल लम्बी और आधी अंगुल मोटी होनी चाहिये ।

नासावंशोऽर्द्धाङ्गुलस्तु रत्नरुणः सार्द्धाङ्गुलोज्ज्वलः ।

नासिका का षण्ड तीन अंगुल लम्बा, चेद अंगुल उन्नत, और चिकना तथा उंचा होना चाहिये ।

ग्रीवामूलाक्ष स्कन्धान्तमष्टाङ्गुलमुदाहृतम् ॥ ११४ ॥

बाह्वन्तरं द्वितालं स्थात्तालमात्रं स्तनान्तरम् ।

अवयवों के अन्तर का प्रमाण—ग्रीवा के मूलभाग से लेकर स्कन्ध पर्यन्त आठ अंगुल का विस्तार होना चाहिये । दोनों बाहुओं का अन्तर अर्थात् वक्षस्थल दो ताल प्रमाण चौड़ा होना चाहिये । और दोनों स्तनों का अन्तर (मध्यभाग) एक ताल प्रमाण चौड़ा होना चाहिये ।

पोडशाङ्गुलमात्रं तु कर्णयोरन्तरं स्मृतम् ॥ ११५ ॥

कर्णहन्वप्रान्तरं तु सदैवाष्टाङ्गुलं मतम् ।

एक कान से लेकर दूसरे कान तक का अन्तर १६ अंगुल प्रमाण होना चाहिये । और कान तथा हनु का अग्रभाग (डुड्डी) का अन्तर सदा आठ अंगुल का होना चाहिये ।

नासाकर्णान्तरं तद्वत्तद्वर्ध कर्णनेत्रयोः ॥ ११६ ॥

मुखं तालतृतीयांशमोष्ठावर्धाङ्गुली मती ।

नाक और कान का अन्तर भी उसी तरह से (आठ अंगुल का) होना चाहिये । और कान तथा नेत्र का अन्तर उससे आधा (चार अंगुल का) रखना चाहिये । मुख की चौड़ाई एक ताल का तृतीयांश प्रमाण होना चाहिये । दोनों ओठ आध अंगुल प्रमाण का होना चाहिये ।

द्वात्रिंशदंगुलः प्रोक्तः परिधिर्मस्तकस्य च ॥ ११७ ॥

दशाङ्गुला विस्तृतिस्तद् द्वादशाङ्गुलदीर्घता ।

अथर्वों की परिधि का प्रमाण—मस्तक की परिधि (घेरा) बत्तिस अङ्गुल का होना चाहिये । मस्तक का विस्तार (चौड़ाई) दश अङ्गुल का और छम्बाई बारह अंगुल का होना चाहिये ।

ग्रीवामूलस्य परिधिर्द्वाविंशत्यङ्गुलात्मकः ॥ ११८ ॥

हृन्मध्य-परिधिर्त्रैयश्रतुःषड्चाशदङ्गुलः ।

ग्रीवा मूल की परिधि बाइस अंगुल की होनी चाहिये । हृदय के मध्य भाग (वज्र के मध्य भाग) की परिधि चउअन (५४) अंगुल की होनी चाहिये ।

हीनाङ्गुलचतुस्तालपरिधिर्हृदयस्य च ॥ ११९ ॥

आ स्तनान् पृष्ठदेशान्ता पृथुता द्वादशाङ्गुला ।

हृदय की परिधि एक अंगुल कम चार ताल प्रमाण होनी चाहिये । स्तन से लेकर पृष्ठ पर्यन्त की मुटाई बारह अंगुल की होनी चाहिये ।

सार्धत्रितालपरिधिः कट्याश्च द्वयङ्गुलाधिकः ॥ १२० ॥

चतुरङ्गुल उत्सेधो विस्तारः स्यात्षडङ्गुलः ।

कमर की परिधि दो अंगुल अधिक साढ़े तीन ताल प्रमाण की होनी चाहिये । और उसकी ऊंचाई चार अंगुल की तथा विस्तार ६ अंगुल का होना चाहिये ।

पश्चाद्भागो नितम्बस्य स्त्रीणामङ्गुलतोऽधिकः ॥ १२१ ॥

बाह्वममूलपरिधिः षोडशाष्टादशाङ्गुलः ।

खियों की मूर्ति के नितम्ब के पीछे भाग में पुरुष की अपेक्षा परिधि एक अंगुल अधिक साढ़े तीन ताल प्रमाण होना चाहिये । बाहु के अग्रभाग की परिधि सोलह अंगुल की एवं बाहु के मूल भाग की परिधि अठारह अंगुल की होनी चाहिये ।

हस्तमूलाग्र-परिधिश्चतुर्दश-दशाङ्गुलः ॥ १२२ ॥

पञ्चाङ्गुला पादकरतलयोर्विस्तृतिः स्मृता ।

हाथ के मूलभाग की परिधि चौदह अंगुल की एवं अग्रभाग की परिधि दश अंगुल की होनी चाहिये । पैर तथा हाथ के तलभाग का विस्तार पांच अंगुल का होना चाहिये ।

ऊरुमूलस्य परिधिर्द्वात्रिंशदङ्गुलात्मकः ॥ १२३ ॥

ऊर्ध्वविंशत्यङ्गुलः स्यादूर्ध्वपरिधिः स्मृतः ।

ऊरु के मूलभाग की परिधि चत्तीस अंगुल की और और ऊरु के अग्रभाग की परिधि अन्नीस अंगुल की होनी चाहिये ।

जह्वामूलामपरिधिः षोडशद्वादशाङ्गुलः ॥ १२४ ॥

मध्यमामूलपरिधिर्बिह्येयश्चतुरङ्गुलः ।

जंघा के मूल भाग की परिधि सोलह अंगुल की एवं जंघा के अग्रभाग की परिधि बारह अंगुल की होनी चाहिये । मध्यमा अंगुली के मूल भाग की परिधि चार अंगुल की होनी चाहिये ।

तर्जन्यनामिकामूलपरिधिः सार्धत्र्यङ्गुलः ॥ १२५ ॥

कनिष्ठिकायाः परिधिर्मूले त्र्यङ्गुल एव हि ।

तर्जनी और अनामिका अंगुली के मूल भाग की परिधि साढ़े तीन अंगुल की होनी चाहिये । किन्तु कनिष्ठिका अंगुली के मूलभाग की परिधि तीन ही अंगुल की होनी चाहिये ।

स्वमूलपरिधेः पादहीनोभे परिधिः स्मृतः ॥ १२६ ॥

हस्तपादाङ्गुष्ठयोश्च चतुःपञ्चाङ्गुलं क्रमात् ।

और प्रत्येक अंगुलियों के अपने २ मूल भाग की परिधियों की अवेदा अग्र भाग की परिधियां प्रमाण में चतुर्थांश हीन होती हैं । जैसे मध्यमा के मूल भाग की परिधि चार अंगुल की है तो उसके अग्र भाग की परिधि चतुर्थांश हीन होने से तीन अंगुल की होती है । इसी भाँति से अन्य अंगुलियों के लिये भी समझना चाहिये । हाथ तथा पैर के अंगुठे की परिधि क्रम से चार तथा पाँच अंगुल की होनी चाहिये ।

पादाङ्गुलीनां परिधिस्त्र्यङ्गुलः समुदाहृतः ॥ १२७ ॥

मण्डलं स्तनयोर्नाभेः सार्धाङ्गुलमथाङ्गुलम् ।

पैर की अंगुलियों की परिधि तीन अंगुल की होनी चाहिये । स्तनों का मंडल (परिधि) वेद अंगुल का एवं नाभि का मण्डल एक अंगुल का होना चाहिये ।

सर्वाङ्गानां यथाशोभि पादघं परिकल्पयेत् ॥ १२८ ॥

मूर्त्ति के संपूर्ण अङ्ग ऐसे बनाने चाहिये जिससे उनकी सुन्दरता की शोभा विशेष रूप से प्रतीत होती हो ।

नोर्ध्वदृष्टिमधोदृष्टि नीलितार्क्षीं प्रकरूपयेत् ।

नोमदृष्टिं तु प्रतिमां प्रसन्नार्क्षीं विचितयेत् ॥ १२९ ॥

प्रतिमा की दृष्टि का प्रमाण—और ऊपर अथवा नीचे की ओर दृष्टिवाली किंवा मुंद्दी आँखोंवाली वा उग्र दृष्टिवाली मूर्ति नहीं बनानी चाहिये । अपि तु प्रसन्नता से भरी दृष्टिवाली मूर्ति बनानी चाहिये ।

प्रतिमायास्तृतीयांशमर्धांशं तत्र सुपीठकम् ।

प्रतिमा के आसन का प्रमाण—प्रतिमा (मूर्ति) का जो आसन हो वह देखने में सुन्दर एवं प्रतिमा के मान के अनुसार तृतीयांश या अर्द्धांश प्रमाण का होना चाहिये ।

द्विगुणं त्रिगुणं द्वारं प्रतिमायाश्चतुर्गुणम् ॥ १३० ॥

एकद्वित्रिचतुर्दस्तं पीठं देवालयस्य च ।

योग्यतानुसार द्वारादि का प्रमाण—देवमन्दिर का द्वार प्रतिमा के मान से द्विगुण, त्रिगुण या चतुर्गुण बड़ा बनाना चाहिये । और योग्यतानुसार प्रतिमा का पीठ (आसन) एक, दो, तीन या चार हाथ प्रमाण बनाना चाहिये ।

पीठतस्तु समुच्छ्रायो भित्तेर्दशकराधिकः ॥ १३१ ॥

द्वारात्तु द्विगुणोच्छ्रायः प्रासादस्योर्ध्वभूमिभाक् ।

शिखरं चोच्छ्रायसमं द्विगुणं त्रिगुणं तु वा ॥ १३२ ॥

देवमन्दिर की ऊंचाई का प्रमाण—देवगृह की भित्ति (भीत) की ऊंचाई पीठ से दस हाथ अधिक करना चाहिये । प्रासाद (देवमन्दिर) के ऊपर की भूमि द्वार से दुगुनी ऊंची होनी चाहिये । और प्रासाद का शिखर ऊंचाई के अनुरूप द्विगुण या त्रिगुण बनाना चाहिये ।

एकभूमिं समारभ्य सपादशतभूमिकम् ।

प्रासादं कारयेच्छक्त्या ह्यष्टास्र पञ्चसन्नभम् ॥ १३३ ॥

चतुर्दिग्मण्डपं वापि चतुर्शल्ल समन्ततः ।

मञ्जिल तथा प्रासाद की आकृति आदि का निर्देश—एक मञ्जिल से लेकर सवा सौ मञ्जिल तक का अठणहला कमल के आकार का, चारो दिशाओं में बने हुये मण्डपों से अथवा चारो तरफ कमरों से युक्त प्रासाद (मन्दिर) शक्ति के अनुसार बनाना चाहिये ।

सहस्रस्तम्भसंयुक्तश्चोत्तमोऽन्यः समोऽधमः ॥ १३४ ॥

प्रासाद के उत्तमादि ३ भेदों का निर्देश—एक हजार स्तम्भों से युक्त प्रासाद 'उत्तम' उससे न्यून स्तम्भों का 'मध्यम' उससे भी न्यून स्तम्भों का 'अधम' प्रासाद कहलाता है ।

प्रासादे मण्डपे वापि शिखरं यदि कल्प्यते ।

स्तम्भास्तत्र न कर्तव्या भित्तिस्तत्र सुखप्रदा ॥ १३५ ॥

मन्दिर के स्तम्भों का प्रमाण तथा निषेध का निर्देश—जिम प्रासाद अथवा मण्डप के ऊपर यदि शिखर बनाना हो तो वहाँ पर स्तम्भ नहीं बनाना चाहिये क्योंकि वहाँ पर केवल भित्ति (भीत) ही सुखप्रद होती है, स्तम्भ की कोई आवश्यकता नहीं है ।

प्रासादमध्यविस्तारः प्रतिमायाः समन्ततः ।

पद्गुणोऽष्टगुणो वापि पुरतो वा सुविस्तरः ॥ १३६ ॥

प्रासाद के भीतरी विस्तार का विचार—प्रासाद के भीतरी भाग का विस्तार आगे तरफ प्रतिमा से द्दगुना या अठगुना होना चाहिये और प्रतिमा के आगे की तरफ सब से अधिक विस्तार होना चाहिये ।

वाहनं मूर्तिसदृशं सार्धं वा द्विगुणं स्मृतम् ।

यत्र नोक्तं देवताया रूपं तत्र चतुर्भुजम् ॥ १३७ ॥

अभयं च वरं दद्याद्यत्र नोक्तं यदायुधम् ।

अधः करे तूर्ध्वकरे शङ्खं चक्रं तथाऽङ्कुशम् ॥ १३८ ॥

पाशं वा डमरुं शूलं कमलं कलशं सुवम् ।

लड्डुकं मातुलुङ्गं वा वीणां मालां च पुस्तकम् ॥ १३९ ॥

प्रतिमा के वाहन, रूप तथा आयुध के स्थान का विचार—देवता का वाहन देवमूर्ति के अनुरूप षेदगुना या दुगुना बड़ा होना चाहिये । जहाँ पर देवता का रूप (बाहु का उल्लेख) नहीं कहा हो वहाँ पर चतुर्भुज बनाना चाहिये । जहाँ पर देवता के आयुध (अस्त्र-शस्त्र) का उल्लेख न हो वहाँ पर नीचे के हाथों में क्रम से अभय तथा वर मुद्रा का अंकन करना चाहिये । और ऊपर हाथों में शङ्ख, चक्र, अंकुश, पाश, डमरु, शूल, कमल, कलश, सुवा, लड्डू, मातुलुङ्ग, वीणा, माला या पुस्तक का अंकन करना चाहिये ।

मुखानां यत्र वा द्वै यं तत्र पद्भ्या निवेशनम् ।

तन् पृथग्-प्रीवमुकुटं सुमुखं स्वश्लिकणेषुक् ॥ १४० ॥

प्रतिमा के अनेक मुख होने पर व्यवस्था का निर्देश—जहाँ पर प्रतिमा में बहुत सा मुख बनाना हो वहाँ पर उन्हें एक पंक्ति में बनाना चाहिये । और उनकी प्रीवा, मुकुट तथा मुख, आंख और कान को पृथक् २ सुन्दर रीति से बनाना चाहिये ।

भुजानां यत्र बाहुल्यं न तत्र स्कन्धभेदनम् ।

अनेक भुजाओं की व्यवस्था—त्रिस मूर्ति में बहुत भुजायें बनानी हों वहाँ स्कन्धों में भेद नहीं किया जाता है अर्थात् स्कन्ध दो ही बनाये जाते हैं किन्तु भुजायें दो से अधिक भी बनाई जाती है ।

कूर्परोर्ध्वं तु सूक्ष्माणि चिपिटानि दृढानि च ॥ १४१ ॥

भुजमूलानि कार्याणि पक्षमूलानि वै यथा ।

केहुनी के ऊपर भुजाओं के मूल भाग, दोनों पाशों के मूल भाग के समान सूक्ष्म, चिपटे तथा दृढ़ बनाने चाहिये ।

ब्रह्मणस्तु चतुर्दिक्षु मुखानां विनियोजनम् ॥ १४२ ॥

ब्रह्मा के मुखों की व्यवस्था—ब्रह्मा की मूर्ति में चारों दिशाओं में एक २ मुख बनाना चाहिये ।

हयग्रीवो वराहश्च नृसिंहश्च गणेश्वरः ।

मुखैर्विना नराकारो नृसिंहश्च नखैर्विना ॥ १४३ ॥

हयग्रीवादिकों की आकृतिविषयक विचार—हयग्रीव, वराह, नृसिंह, गणेश्वर (गणेश), इन ४ देवताओं की मूर्तियों में मुख को छोड़ कर शेष अङ्ग मनुष्य के आकार का बनाना चाहिये अतः हयग्रीव का मुख घोड़े की भांति, वराह का सूअर की भांति, नृसिंह का सिंह की भांति और गणेश का मुख हाथी की भांति बनाना चाहिये । और नृसिंह का नख भी सिंह की भांति ही होना चाहिये ।

तिष्ठन्तीं सूपविष्टां वा स्वासने वाहनस्थिताम् ।

प्रतिमामिष्टदेवस्य कारयेदुक्तलक्षणाम् ॥ १४४ ॥

हीनश्मश्रुनिमेषां च सदा षोडशवार्षिकीम् ।

दिव्याभरणावस्त्राढ्यां दिव्यवर्णक्रियां सदा ॥ १४५ ॥

वस्त्रैरापादगूढां च दिव्यालङ्कारभूषिताम् ।

अपने आसन पर खड़ी अथवा मुखपूर्वक बैठी हुई अथवा वाहन पर स्थित, दाढ़ी तथा मूँछ से एवं निमेष से रहित, सदा १६ वर्ष की अवस्था वाली, दिव्य आभरण तथा वस्त्र से युक्त, दिव्य वर्ण तथा क्रियावाली, वस्त्रों से पैर तक ढकी हुई, दिव्य अलङ्कारों से भूषित ऐसी पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त अपने इष्टदेव की प्रतिमा बनवानी चाहिये ।

हीनाङ्गयो नाधिकाङ्ग्यश्च कर्त्तव्या देवताः क्वचित् ॥ १४६ ॥

हीनाङ्गी स्वामिनं हन्ति ह्यधिकाङ्गी च शिल्पिनम् ।

कृशा दुर्भिक्षदा नित्यं स्थूला रोगप्रदा सदा ॥ १४७ ॥

अनिष्टकारक प्रतिमा के लक्षण—हीन तथा अधिक अङ्गोंवाली देवता की प्रतिमा कभी नहीं बनवानी चाहिये । क्योंकि हीन अङ्गवाली प्रतिमा मूर्ति बनवानेवाले स्वामी को एवं प्रमाण से अधिक अङ्गोंवाली शिल्पी (मूर्तिकार) को नष्ट कर देती है । कृश अङ्गवाली निरय दुर्भिक्ष (अभाव) देनेवाली और स्थूल अङ्गवाली प्रतिमा सदा रोग देनेवाली होती है ।

गूढसन्ध्यस्थिधमनी सर्वदा सौख्यवर्धिनी ।

सौख्यदायक प्रतिमा के लक्षण—जिसकी सन्धि, अस्थि तथा धमनियां नहीं दिखाई पड़ती हैं ऐसी प्रतिमा सर्वदा सुख बढ़ानेवाली होती है ।

वराभयाब्जशङ्खाढ्यहस्ता विष्णोश्च सात्त्विकी ॥ १४८ ॥

मृगवाद्याभयवर हस्ता सोमस्य सात्त्विकी ।

सार्विक प्रतिमाओं का वर्णन—विष्णु की जिस मूर्ति में क्रम से वर तथा अभयदान की मुद्रा एवं कमल तथा शङ्ख से युक्त चारो हाथ होते हैं वह 'सार्विक' कहलाती है । मृग, वाद्य, अभय तथा वरदान की मुद्रा क्रम से चारो हाथों में जिसके रहती है वह चन्द्रमा की 'सार्विक मूर्ति' कहलाती है ।

वराभयाब्जलङ्कहस्तेभास्यस्य सात्त्विकी ॥ १४९ ॥

पद्ममालाऽभयवर-करा सत्त्वाधिका रवेः ।

गणेश की जो सार्विक मूर्ति होती है उसके चारो हाथों में क्रम से वर तथा अभय दान की मुद्रा एवं कमल तथा लङ्क होते हैं । सूर्य की जो सार्विक मूर्ति होती है उसके चारो हाथों में क्रम से कमल, माला, अभय तथा वरदान की मुद्रा होती है ।

वीणालुङ्गाभयवर-करा सत्त्वगुणा श्रियः ॥ १५० ॥

लक्ष्मी की सार्विक मूर्ति में चारो हाथों में क्रम से वीणा, लुङ्ग, अभय तथा वरदान मुद्रा होती है ।

शङ्खचक्रगदापद्मैरायुधैरादितः पृथक् ।

पट्पद्भेदाश्च मूर्तीनां विष्णवादीनां भवन्ति हि ॥ १५१ ॥

विष्णु आदि देवताओं की मूर्तियों के प्रथम से लेकर चतुर्थ पर्यन्त चारो हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म और आयुधों के धारण करने में भिन्नता होने से ६-६ भेद होते हैं ।

यथोपाधिप्रभेदेन संसंयोगविभागतः ।

समस्तव्यस्तवर्णादिभेदज्ञानं प्रजायते ॥ १५२ ॥

मूर्तियों की जैसी उपाधि (नाम) है उसके अनुसार भेद होने से और वाहन तथा अस्त्रादियों के संयोग तथा पृथक्ता होने से, समस्त तथा पृथक् पृथक् रूप से वर्णादियों का भेद ज्ञात होता है ।

लेख्या लेप्या सैकती च मृन्मया पैष्टिकी तथा ।

एतासां लक्षणाभावे न कश्चिदोप ईरितः ॥ १५३ ॥

लक्षणों के अभाव में भी दोषरहित प्रतिमा का निर्देश—चित्र, लेप, बालू, मिट्टी, तथा चूर्ण-चावल आदि के चूर्ण की पिष्टि (पीठी) के द्वारा बनी हुई इन मूर्तियों में शास्त्रानुसार सिद्ध किसी लक्षण की न्यूनता होने पर भी कोई इसमें दोष नहीं मानते हैं अर्थात् यथारुचि बनाई जा सकती है ।

घाणलिङ्गे स्वयंभूते चन्द्रकान्तसमुद्भवे ।

रत्नजे गण्डकोद्भूते मानदोषो न सर्वथा ॥ १५४ ॥

पापाणधातुजायां तु मानदोषान् विचिन्तयेत् ।

प्रमाण तथा दोषरहित प्रतिमा का निर्देश—स्वयं प्रगट, चन्द्रकान्त मणि से उत्पन्न, रत्न से उत्पन्न, गण्डक नदी से उत्पन्न शालिग्राम, ये सब धाणलिङ्ग कहे जाते हैं इन सब मूर्तियों में पूर्वोक्त मानसंबन्धी दोषों का विचार सर्वथा नहीं करना चाहिये । किन्तु पापाण तथा धातु-निर्मित मूर्तियों में मानविषयक दोषों का विचार करना ही चाहिये ।

श्वेतपीतारक्तकृष्णपापाणैर्युगभेदतः ॥ १५५ ॥

प्रतिमां कल्पयेच्छिल्पी यथारुच्यपरैः स्मृता ।

युगभेद से वर्ण भेद का कथन—मूर्तिकार युगभेदानुसार श्वेत, पीत, किञ्चित् रक्त तथा कृष्ण वर्ण के पत्थरों से मूर्ति का निर्माण करे । और इनसे अन्य काष्ठ आदि से अपनी रुचि के अनुसार मूर्ति का वर्तन बनावे ।

श्वेता स्मृता सात्त्विकी तु पीता रक्ता तु राजसी ॥ १५६ ॥

तामसी कृष्णवर्णा तु ह्युक्तलक्ष्मयुता यदि ।

वर्णभेद से सात्त्विकी आदि प्रतिमाओं का निर्देश—पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त मूर्ति यदि श्वेत वर्ण की हो तो 'सात्त्विकी' पीत या रक्त वर्ण की हो तो 'राजसी' और कृष्ण वर्ण की हो तो 'तामसी' कहलाती है ।

सौवर्णा राजती ताम्रो रैतिकी वा कृतादिपु ॥ १५७ ॥

युगभेद से सौवर्णादि का प्रतिमा-विभाग-निर्देश—और सत्ययुग आदि (त्रेता, द्वापर, कलि) युगों में क्रम से सुवर्ण, चांदी, तामा तथा पीतल की मूर्तियां बनानी चाहिये ।

शांकरी श्वेतवर्णा वा कृष्णवर्णा तु वैष्णवी ।

सूर्यशक्तिगणेशानां ताम्रवर्णा स्मृताऽपि च ॥ १५८ ॥

लोही सोमयी वापि यथोद्दिष्टा स्मृता बुधैः ।

शंकर की मूर्ति श्वेत वर्ण की, विष्णु की मूर्ति कृष्ण वर्ण की, सूर्य, शक्ति तथा गणेश की मूर्ति ताम्र वर्ण की अथवा लोहा तथा सीसा की शास्त्रानुसार बनाने के लिये कही हुई है ।

चत्वार्यां स्थिरार्चायां प्रासादाद्युक्तलक्षणाम् ॥ १५९ ॥

प्रतिमां स्थापयेज्जान्यां सर्वसौख्यविनाशिनीम् ।

अनुक्त प्रतिमा के स्थापन का निषेध—थोड़े दिन के लिये अथवा चिर दिन के लिये पूजनार्थ प्रासाद (मन्दिर) आदि में पूर्वोक्त लक्षणों से युक्त प्रतिमा का स्थापन करना चाहिये । इससे अन्य प्रकार की मूर्ति की स्थापना नहीं करनी चाहिये, क्योंकि वह सब सुखों को नष्ट करनेवाली होती है ।

सेव्यसेवकभावेपु प्रतिमालक्षणं स्मृतम् ॥ १६० ॥

जहाँ सेव्य-सेवक भाव है अर्थात् प्रतिमा पूजा करने के लिये बनाई जाती है वहाँ के लिये ही प्रतिमा के उक्त लक्षण बताये गये हैं अर्थात् जहाँ भाग्य-प्रसन्न के लिये बनाई गई है वहाँ के लिये उक्त नियम नहीं है ।

प्रतिमायाश्च ये दोषा ह्यर्चकस्य तपोबलात् ।

सर्वत्रेश्वरचित्तस्य नारां यान्ति क्षणात् किल ॥ १६१ ॥

भक्त-पूजक के तपोबल से प्रतिमा-दोषों के नष्ट होने का निर्देश—और प्रतिमा के जो उक्त दोष हैं वे हर प्रकार से ईश्वर में अनुरक्त चित्तवाले भक्त पूजनकर्ता के तपोबल से क्षणमात्र में नष्ट हो जाते हैं अर्थात् उनके लिये दोष नहीं घटित होते हैं ।

देवतायाश्च पुरतो मण्डपे वाहनं न्यसेत् ।

द्विबाहूगुरुदः प्रोक्तः सुचञ्चुः स्वक्षिपक्षयुक् ॥ १६२ ॥

नराकृतिश्चञ्चुमुखो मुकुटी कवचाङ्गदी ।

बद्धाञ्जलिर्नम्रशीर्षः सेव्यपादाब्जलोचनः ॥ १६३ ॥

वाहन-स्थापन तथा वाहनों के लक्षणविषयक निर्देश—देवता की मूर्ति के आगे मण्डप में उनके वाहन की मूर्ति रखनी चाहिये । और विष्णु के वाहन गरुड की मूर्ति में दो बाहु, चोंच, दो आँख, दो पंख सुन्दर रीति से बनानी चाहिये । एवं मुख के स्थान पर चोंच बनाकर दोष भङ्ग मनुष्य की भाँति बताना चाहिये । और मुकुट, कवच तथा अङ्गद (बाजू बन्द) आभूषण से युक्त, अञ्जलि बांधे हुये, सिर झुकाये तथा अपने सेव्य देवता के धरण कमलों की तरफ दृष्टि किये हुये बनाना चाहिये ।

वाहनत्वं गता ये ये देवतानां च पक्षिणः ।

कामरूपधरास्ते ते यथा सिंहवृपादयः ॥ १६४ ॥

देवताओं के वाहन-भाव को प्राप्त हुये जो पक्षी या सिंह तथा वृष (बैल) आदि हैं वे सब इच्छानुसार रूप धारण करनेवाले हैं ।

स्वनामाकृतयश्चैते कार्या दिव्या बुधैः सदा ।

सुभूषिता देवताप्रमण्डपे ध्यानतत्पराः ॥ १६५ ॥

विद्वानों को देवता के मण्डप में उनके आगे ध्यान लगाये हुये, दिव्य सुन्दर रीति से अलङ्कृत किये हुये, अपने नामानुरूप आकृतिवाले उक्त वाहन सदा बनाने चाहिये ।

मार्जारकृतिकः पीतः कृष्णचिह्नो बृहद्रथुः ।

असटो व्याघ्र इत्युक्तः सिंहः सूदमकटिमहान् ॥ १६६ ॥

बृहद्रथुगण्डनेत्रस्तु भालरेखो मनोहरः ।

सटावान् धूसरोऽकृष्णलाञ्छनश्च महाबलः ॥ १६७ ॥

जो बिल्ली के समान आकृतिवाला पीत वर्ण का, काले चिह्नों से युक्त, बृहत् शरीर वाला, कन्धे के बालों (जटा) से रहित पशु होता है उसे 'व्याघ्र' कहते हैं और सिंह की कमर पतली तथा शरीर भारी होता है। एवं भौंह, गण्डस्थल तथा नेत्र बड़े होते हैं। भाल पर रेखायें होती हैं। यह देखने में सुन्दर तथा कन्धे पर बड़े २ बालों से युक्त, धूसर वर्ण का काले चिह्नों से रहित बड़ा बलवान् पशु होता है।

भेदः सटालञ्छनतो नाकृत्या व्याघ्रसिंहयोः ।

व्याघ्र तथा सिंह में केवल कन्धे पर जटा (बड़े-बड़े बाल) का तथा काले लाञ्छन का भेद होता है। आकार दोनों के समान ही होते हैं।

गजानन नराकार ध्वस्तकर्ण पृथुदरम् ॥ १६८ ॥

वृहत्सक्षितगहन-पीनस्कन्धाद्धिघ्राणिनम् ।

वृद्धच्छुण्ड भग्नवामरदमीप्सितवाहनम् ॥ १६९ ॥

ईषत्कुटिलदण्डापवामशुण्डमदक्षिणम् ।

सन्ध्यस्थिधमनीगूढ कुर्यान्मानमित्त सदा ॥ १७० ॥

गणेश की मूर्ति के लक्षण तथा अवयवों का प्रमाण—गणेश जी की मूर्ति में मुख हाथी के समान तथा अन्य अङ्ग मनुष्य के समान बनाना चाहिये। कान—हाथी के समान लम्बा-चौड़ा, उदर—स्थूल, बृहत्, संक्षिप्त, घन और स्थूल स्कन्ध, चरण तथा हाथ बनाने चाहिये। एवम् शूंड—लम्बी, बायाँ दाँत टूटा हुआ और इच्छानुसार वाहन बनाना चाहिये। शुण्ड का दण्ड अग्रभाग में बाईं ओर कुछ मुड़ा हुआ होना चाहिये, दक्षिण ओर नहीं होना चाहिये। और सन्धि, अस्थि तथा धमनी नहीं दिखाई पड़नी चाहिये। इस भाँति शालोक प्रमाणानुसार सदा मूर्ति बनाना चाहिये।

सार्धचतुस्तालमितः शुण्डादण्डः समस्ततः ।

दशाङ्गुलं मस्तकं च भ्रूगण्डश्चतुरङ्गुलः ॥ १७१ ॥

सम्पूर्ण शूंड की लम्बाई साढ़े चार ताल (विस्तृत अंगूठा से मध्यमा अङ्गुलि पर्यन्त एक ताल होता है) प्रमाण, मस्तक-दश अंगुल प्रमाण, भौंह तथा गण्ड स्थल चार अंगुल प्रमाण बनाना चाहिये।

नासोत्तरोष्ठरूपा च शेषा शुण्डा सपुष्करा ।

दशाङ्गुलं कर्णदैर्घ्यं तदष्टाङ्गुलविस्तृतम् ॥ १७२ ॥

नासिका तथा ऊपर का ओष्ठ इन दोनों के स्थान पर शूंड ही होती है। और शूंड का मूल भाग उत्तरोष्ठ रूप समझना चाहिये तथा अवशिष्ट पुष्कर (शुण्ड का अग्रभाग) सहित शूंड का भाग समझना चाहिये। कान की लम्बाई दश अंगुल की और चौड़ाई आठ अंगुल की होनी चाहिये।

कर्णयोरन्तरे व्यासो द्वयङ्गुलस्तालसम्मितः ।

मस्तकेऽस्यैव परिधिर्ज्ञेयः पट्टत्रिंशदङ्गुलः ॥ १७१ ॥

दोनों कानों के अन्तर का व्यास १ ताल २ अंगुल प्रमाण का होना चाहिये । मस्तक में इस (कान) की परिधि छत्तीस अंगुल की होनी चाहिये ।

नेत्रोपान्ते च परिधिः शीर्षतुल्यः सदा मतः ।

सद्वयङ्गुलद्वितालः स्यान्नेत्राधः परिधिः करे ॥ १७४

कराभे परिधिर्ज्ञेयः पुष्करे च दशाङ्गुलः ।

त्रयङ्गुलं कण्ठदैर्घ्यं तत्परिधिस्त्रिंशदङ्गुलः ॥ १७५ ॥

दोनों नेत्रों के उपान्त भाग की परिधि सदा मस्तक के तुल्य होनी चाहिये । नेत्रों के नीचे भाग की परिधि दो ताल तथा दो अंगुल प्रमाण की होनी चाहिये । शूढ में शूढ का अग्रभाग तथा पुष्कर में दश अंगुल प्रमाण की परिधि होनी चाहिये । कण्ठ की लम्बाई तीन अंगुल की एवं उसकी परिधि तीस अंगुल की होनी चाहिये ।

परिणाहस्तूदरे च चतुस्तालात्मकः सदा ।

पङ्क्तुलो नियोक्तयोऽष्टाङ्गुलो वापि शिल्पिभिः ॥ १७६ ॥

उदर की लम्बाई सदा छः अथवा आठ अंगुल अधिक चार ताल प्रमाण की शिल्पी (मूर्तिकार) की बनानी चाहिये ।

दन्तः पङ्क्तुलो दीर्घस्तन्मूलपरिधिस्तथा ।

पङ्क्तुलश्चाधरोष्ठः पुष्करं कमलान्वितम् ॥ १७७ ॥

दांत की लम्बाई छः अंगुल प्रमाण तथा उसके मूल भाग की परिधि भी उसी माति (छः अंगुल प्रमाण) की बनानी चाहिये । अधरोष्ठ छः अंगुल का तथा पुष्कर कमल से युक्त बनाना चाहिये ।

ऊरुमूलस्य परिधिः पट्टत्रिंशदङ्गुलो मतः ।

त्रयोविंशत्यङ्गुलः स्याद्दूर्ध्वप्रपरिधिस्तथा ॥ १७८ ॥

ऊरुमूल की परिधि छत्तीस अंगुल की और ऊरुओं के अग्रभाग की परिधि तेहस अंगुल की बनानी चाहिये ।

जह्वामूले तु परिधिर्विंशत्यङ्गुलसंमितः ।

परिधिर्बाहुमूलादेरधिको द्वयङ्गुलोऽङ्गुलः ॥ १७९ ॥

जह्वामूल की परिधि बीस अंगुल की और बाहु के मूलभाग की परिधि उससे दो अंगुल अधिक (२२ अंगुल) तथा अग्रभाग की अङ्गुल भर अधिक (२१ अङ्गुल) प्रमाण की होनी चाहिये ।

कर्णनेत्रान्तरं नित्यं विज्ञेयं चतुरङ्गुलम् ।

मूलमध्याप्रान्तरं तु दशसप्तपङ्क्तुलम् ॥ १८० ॥

नेत्रयोः कथितं तज्जैर्गणपस्य विशेषतः ।

कर्ण और नेत्र का अन्तर सदा चार अङ्गुल का समझना चाहिये । दोनों नेत्रों के मूल, मध्य तथा अग्रभाग का अन्तर क्रम से दश, सात तथा छः अङ्गुल प्रमाण का विद्वानों ने गणेश की मूर्ति के संबन्ध में कहा है ।

उत्सेधः पृथुता स्त्रीणां स्तने पञ्चाङ्गुला मता ॥ १८१ ॥

स्त्रीकट्यां परिधि. प्रोक्तस्त्रितालो द्वयङ्गुलाधिकः ।

स्त्रीणःसवयवान् सर्वान् सप्ततालैर्विभाचयेत् ॥ १८२ ॥

स्त्रियों के अवयवों का प्रमाण—स्त्री-मूर्तियों में स्तन की ऊंचाई तथा सुटाई पांच अङ्गुल प्रमाण की होनी चाहिये । स्त्री-मूर्ति में कमर की परिधि दो अङ्गुल अधिक तीन ताल प्रमाण की कही हुई है । और स्त्री-मूर्तियों में सम्पूर्ण अङ्गों का प्रमाण मिलाकर योग सात ताल प्रमाण होना चाहिये ।

सप्ततालादिमानेऽपि मुखं स्याद् द्वादशाङ्गुलम् ।

बालादीनामपि सदा दीर्घता तु पृथक् पृथक् ॥ १८३ ॥

सबों के मुख का प्रमाण—इनका सात ताल आदि प्रमाण होने पर भी मुख का प्रमाण बारह ही अङ्गुल का होता है । और बाला आदि मूर्तियों के भेदों की लम्बाई सदा पृथक्-पृथक् समझनी चाहिये ।

शिशोस्तु कन्धरा ह्रस्वा पृथु शीर्षं प्रकीर्तितम् ।

कण्ठाधो वर्धते यादृक् तादृक्छीर्षं न वर्धते ॥ १८४ ॥

बालक-प्रतिमा के अवयवों का प्रमाण—शिशु मूर्ति की प्रीवा छोटी और सिर बड़ा बनाना चाहिये, क्योंकि जैसा कण्ठ के नीचे का भाग बढ़ता है वैसा सिर नहीं बढ़ता है ।

कण्ठाधोमुखमानेन बालः सार्धचतुर्गुणः ।

द्विगुणः शिरनपर्यन्तो ह्यधः शेष तु सक्थितः ॥ १८५ ॥

सपादद्विगुणौ हस्तौ द्विगुणौ वा मुखेन हि ।

स्थौल्ये तु नियमो नास्ति यथाशोभि प्रकल्पयेत् ॥ १८६ ॥

बाल-मूर्ति में मुख के प्रमाण की अपेक्षा कण्ठ के नीचे का भाग ४ गुना बढ़ा होता है । उसमें शिरन पर्यन्त भाग लंबाई में मुख से दुगुना बढ़ा होता है । और शेष जंघा से लेकर नीचे का सारा भाग २ गुना अधिक बढ़ा होता है । और मुख की अपेक्षा दोनों हाथ २ गुने अथवा दुगुने लम्बे होते हैं । किन्तु सुटाई में कोई नियम नहीं है उसे जिस प्रकार से देखने में सुन्दर लगे वैसा बनाना चाहिये ।

नित्यं प्रवर्धते बालः पञ्चान्दान् परतो भृशम् ।

स्यात् पौडशोऽब्दे सर्वाङ्ग-पूर्णा स्त्री विंशती पुमान् ॥ १८७ ॥

शरीर की पूर्णता होने का वर्ष-प्रमाण—बालक पांच वर्ष तक निरप्य धीरे-धीरे बढ़ता है किन्तु पांच वर्ष के बाद अत्यन्त तेजी से बढ़ता है। स्त्री १६ वर्ष की अवस्था में सर्वाङ्गों से परिपूर्ण होती है किन्तु पुरुष २० वर्ष की अवस्था में परिपूर्ण अङ्गवाला होता है।

ततोऽर्हति प्रमाणं तु सप्ततालादिकं सदा।

कश्चिद् बाल्येऽपि शोभाढ्यस्तारुण्ये वार्धके क्वचिद् ॥ १८८ ॥

इससे सदा युवावस्था होने पर ही सात ताल आदि प्रमाण की योग्यता होती है। और कोई बाल्यावस्था में भी शोभायुक्त होता है, और कोई युवावस्था में एवं क्वचित् कोई वृद्धावस्था में शोभायुक्त होता है।

मुखाधस्थङ्गुला ग्रीवा हृदयं तु नवाङ्गुलम्।

तथोदरं च बस्तिश्च सक्थि त्वष्टादशाङ्गुलम् ॥ १८९ ॥

श्यङ्गुलं तु भवेज्जानु जह्वा त्वष्टादशाङ्गुला।

गुल्फाधस्थङ्गुलं ज्ञेयं सप्ततालस्य सर्वदा ॥ १९० ॥

सप्त ताल प्रमाण की मूर्ति के अवयवों का प्रमाण—मुख के नीचे भाग में ग्रीवा तीन अङ्गुल प्रमाण की। हृदय (वक्षः स्थल) नव अंगुल प्रमाण का तथा उदर और बस्ति (नाभि के नीचे का भाग) भी नव अंगुल प्रमाण का, ऊरु अट्टारह अङ्गुल प्रमाण का, जानु तान अंगुल प्रमाण का, जह्वा अट्टारह अंगुल प्रमाण की, गुल्फ के नीचे का भाग तीन अंगुल प्रमाण का, सात ताल प्रमाणवाली मूर्ति में सदा होता है।

वेदाङ्गुलं भवेद् ग्रीवा हृदयं तु दशाङ्गुलम्।

दशाङ्गुलं चोदर स्याद् बस्तिश्चैव दशाङ्गुलः ॥ १९१ ॥

एकविंशाङ्गुलं सक्थि जानु स्याच्चतुरङ्गुलम्।

एकविंशाङ्गुला जङ्घा गुल्फाधश्चतुरङ्गुलम् ॥ १९२ ॥

अष्टतालिप्रमाणस्य मानमुक्तमिदं सदा।

चार अंगुल की ग्रीवा, दस अंगुल का हृदय, दस अंगुल का उदर तथा दस अंगुल की बस्ति, इक्कीस अंगुल की ऊरु, बारह अंगुल का जानु, इक्कीस अंगुल की जंघा, चार अंगुल का गुल्फ के नीचे का भाग इस भाँति से आठ ताल प्रमाणवाली मूर्ति के अङ्गों के प्रमाण होते हैं।

त्रयोदशाङ्गुलं ज्ञेयं मुखं च हृदयं तथा ॥ १९३ ॥

उदरं च तथा बस्तिर्दशतालेषु सर्वदा।

दस ताल प्रमाणवाली मूर्तियों में सदा मुख, हृदय, उदर तथा बस्ति मध्येक तेरह अंगुल प्रमाण का होना चाहिये।

गुल्फाधश्च तथा ग्रीवा जानु पञ्चाङ्गुलं स्मृतम् ॥ १९४ ॥
पङ्कविंशत्यङ्गुलं सांख्य तथा जङ्घा प्रकीर्तिता ।

और गुल्फ के नीचे का भाग, ग्रीवा, जानु प्रत्येक पांच अंगुल प्रमाण का, तथा ऊरु और जघा प्रत्येक छद्दवीस अंगुल प्रमाण का होना चाहिये ।

एकाङ्गुलो मूर्ध्नि मणिर्दशताले प्रकल्पेत् ॥ १९५ ॥
पञ्चाशदङ्गुली बाहू दशताले स्मृतौ सदा ।

और इस ताल प्रमाण की मूर्त्ति में सिर की मणि एक अंगुल प्रमाण की, तथा दोनों बाहु पृथक्-पृथक् पन्द्रह अङ्गुल प्रमाण के सदा होने चाहिये ।

द्व्यङ्गुली द्व्यङ्गुली चोर्नो ततो हीनप्रमाणके ॥ १९६ ॥
पाटवं तु यथाशोभि सर्वमानेषु कल्पयेत् ।

इससे (दश ताल से) हीन प्रमाणवाली मूर्त्ति में प्रत्येक बाहु का प्रमाण दो-दो अङ्गुल कम होना चाहिये । और सभी प्रकार के प्रमाणों में अङ्गों की सजावट शोभासुसार करनी चाहिये ।

नवतालप्रमाणे न ह्यनाधिक्य प्रकल्पयेत् ॥ १९७ ॥

और नव ताल प्रमाण की मूर्त्ति में अङ्गों के प्रमाण में कमी-वेशी नहीं करनी चाहिये ।

दशताले तु विज्ञेयो पादौ पञ्चदशाङ्गुली ।

एकैकाङ्गुलहीनौ : स्तस्ततो न्यूनप्रमाणके ॥ १९८ ॥

दस ताल प्रमाण की मूर्त्ति में दोनों पैर पृथक् पृथक् पन्द्रह अंगुल प्रमाण के बनाने चाहिये । इससे हीन प्रमाण की मूर्त्ति में दोनों पैर एक-एक अङ्गुल कम प्रमाण के होने चाहिये ।

दशतालोर्ध्वमानं तु ताले तालोऽधिकाङ्गुलम् ।

कल्पयेन्मुखतो धीमाव् शिल्पवित्सु यथा तथा ॥ १९९ ॥

दश ताल से अधिक प्रमाण की मूर्त्ति में प्रत्येक ताल पर एक २ अंगुल अधिक प्रमाण अंगों का करना चाहिये । और बुद्धिमान मूर्त्तिकार को मुख से आरम्भ कर पैर पर्यन्त अङ्ग जिस भांति से सुन्दर हो सके वैसा बनाना चाहिये ।

दीर्घोरुजङ्घा विकटा ऋरा स्याद् भीषणाऽऽसुरी ।

पैशाची प्रतिमा ज्ञेया राक्षसी सुकृशाऽपि वा ॥ २०० ॥

आसुरी आदि मूर्त्तियों के लक्षण—जिस मूर्त्ति की ऊरु तथा जंघा दीर्घ (लम्बी), हो एवं वह देखने में विकट, क्रूर तथा भीषण आकारवाली हो तो उसे 'आसुरी' और उक्त लक्षणों से युक्त होती हुई जो मूर्त्ति अत्यन्त क्रूर हो उसे 'पैशाची' अथवा 'राक्षसी' समझनी चाहिये ।

न पद्भ्याङ्गुलतो हीना न पद्भ्यङ्गुलतोऽधिकाः ।

करस्य मध्यमा प्रोक्ता सर्वमानेषु तद्विदैः ॥ २०१ ॥

सभी प्रमाण की मूर्ति में हाथ की मध्यमा अंगुलि पाँच अंगुल से कम तथा छः अंगुल से अधिक प्रमाण की नहीं बनानी चाहिये ऐसा मूर्ति-कला के विद्वान लोग कहते हैं ।

कचित् बालसदृशं सदैव तरुणं वयः ।

मूर्त्तीनां कल्पयेच्छिल्पी न वृद्धसदृशं कचित् ॥ २०२ ॥

शिल्पी को कभी मूर्तियों की वृद्धसदृश कल्पना न करने का निर्देश— मूर्तिकार कहीं पर बालक के समान और कहीं युवा के समान मूर्ति बनावे किन्तु कहीं पर भी वृद्ध के समान मूर्ति न बनावे ।

एवंविधान् नृपो राष्ट्रदेवान् सस्थापयेत् सदा ।

प्रतिसंवत्सरे तेषामुत्सवान् सम्यगाचरेत् ॥ २०३ ॥

राजा को उक्त देवताओं का स्थापन करके प्रतिवर्ष उनका उत्सव करने का निर्देश—राजा अपने राज्य के अन्दर इसी भांति से बनी देव-मूर्तियों की सदा स्थापना करे । और प्रतिवर्ष उनके उत्सव भलीभांति करे ।

देवालये मानहीनां मूर्ति भग्नां न धारयेत् ।

प्रासादांश्च तथा देवाब्ज्जीर्णानुद्धृत्य यत्नतः ॥ २०४ ॥

देवतां तु पुरस्कृत्य नृत्यादीन् वीक्ष्य सर्वदा ।

न मनः स्वोपभोगार्थं विदध्याद् यत्नतो नृपः ॥ २०५ ॥

मानहीन और भग्न प्रतिमा को रखने का निषेध—और देवमन्दिर में उक्त प्रकार के प्रमागों से हीन प्रमाण की अथवा खण्डित मूर्ति को न रखने दे । तथा देवता और उनके मन्दिरों के जोर्ण हो जाने पर उनका यत्नपूर्वक पुनः संस्कार करते हुये और सदा-देवताओं के आगे नृत्यादि देखते हुये, राजा यत्नपूर्वक अपने राजोचित भोग भोगने में मनको न प्रवृत्त करे ।

प्रजाभिर्विधृता ये ये ह्युत्सवास्तांश्च पालयेत् ।

प्रजानन्देन संतुह्येत् तद्दुःखैर्दुःखितो भवेत् ॥ २०६ ॥

इति शुक्रनीतौ राष्ट्रमध्यं चतुर्थाध्यायस्य लोकधर्मनिरूपणं

नाम चतुर्थं प्रकरणं समाप्तम् ॥ ४ ॥

प्रजाकृत उत्सवों का सदैव पालने करने का निर्देश—और प्रजाओं द्वारा जो २ उत्सव किये जाते हों उनकी रक्षा करे एवं प्रजाओं के आनन्द से आनन्दित तथा दुःख से स्वयं दुःखित हो ।

इस प्रकार शुक्रनीति-भाषाटीका में राष्ट्र का मध्य चतुर्थाध्याय का

लोकधर्मनिरूपण-नामक चतुर्थं प्रकरण समाप्त हुआ ।

चतुर्थाध्यायस्य पञ्चमं प्रकरणं राजधर्मनिरूपणम्

दुष्टनिग्रहणं कुर्याद् व्यवहारानुदर्शनैः ।

स्वाज्ञया वर्तितुं शक्त्या स्वाधीना च सदा प्रजा ॥ १ ॥

राजा को प्रजा-सुख से सुखी और प्रजा-दुःख से दुखी होने का निर्देश—
विवाद के विषय उपस्थित होने पर उसका भलीभांति विचार कर जो दुष्ट
हों उनका निग्रह करना चाहिये । ऐसा करने से प्रजा सदा राजा के अधीन
रहती है और उसकी आज्ञा के अनुसार कार्य करने में समर्थ होती है ।
अर्थात् प्रजा जिस प्रकार से स्वेच्छापूर्वक व्यवहार न करे, वैसा करना चाहिये ।

स्वेष्टहानिकरः शत्रुर्दुष्टः पापप्रचारवान् ।

दुष्टसंपादनं न्याय्यं प्रजानां पालनं हि तत् ॥ २ ॥

शत्रु, दुष्ट तथा प्रजापालन के लक्षण—अपने अभीष्ट की हानि करनेवाला
'शत्रु' और आचरण द्वारा पाप का प्रचार करनेवाला 'दुष्ट' कहलाता है । और
न्यायपूर्वक प्रजा का अभीष्ट सिद्ध करना ही प्रजा का 'पालन' कहलाता है ।

शत्रोरनिष्टकरणान्निवृत्तिः शत्रुनाशनम् ।

पापाचारनिवृत्तिर्यैर्दुष्टनिग्रहणं हि तत् ॥ ३ ॥

शत्रुनाश और दुष्टनिग्रह का लक्षण—शत्रु को 'अनिष्ट' करने से निवृत्त
कर देना ही 'शत्रु का नाश' और पापाचरण से निवृत्त करना 'दुष्ट का निग्रह'
कहलाता है ।

स्वप्रजाधर्मसंस्थानं सदसत्प्रविचारतः ।

जायते चार्थसंसिद्धिर्ब्यवहारस्तु येन सः ॥ ४ ॥

व्यवहार-लक्षण—जिसके द्वारा सत् और असत् विषय का अच्छी तरह
से विचार करने से अपनी प्रजा की धर्म में स्थिति तथा कार्यों की भलीभांति
सिद्धि होती है, उसे 'व्यवहार-मुकदमा' कहते हैं ।

धर्मशास्त्रानुसारेण क्रोधलोभविवर्जितः ।

सप्राड्विवाकः सामात्यः सप्राह्वणपुरोहितः ॥ ५ ॥

समाहितमतिः पश्येद् व्यवहाराननुक्रमात् ।

राजा को प्राड्विवानादि के साथ व्यवहारों को देखने का निर्देश—राजा
क्रोध और लोभ से रहित एवं प्राड्विवेक (पृथ्वनेवाला और उस पर विचार
करनेवाला), अमात्य, ब्राह्मण और पुरोहित के साथ सावधान होकर न्यायार्थ
उपस्थित व्यवहारों को क्रमानुसार देवे ।

नैकः पश्येच्च कार्याणि वादिनोः शृणुयाद्वचः ॥ ६ ॥

रहसि च नृपः प्राज्ञः सभ्याश्चैव कदाचन ।

बुद्धिमान राजा भयवा न्याय-समा के सदस्यगण भकेले एकान्त में वादी-प्रतिवादी के कार्यों (मुकदमों) को कभी न देखे और न उनकी बातों को सुने ।

पक्षपाताधिरोपस्य कारणानि च पञ्च वै ॥ ७ ॥

रागलोभभयद्वेषा वादिनोश्च रहःश्रुतिः ।

पक्षपात के ५ कारणों का निर्देश—पक्षपात रूप दोष के निश्चित रूप से ये ५ कारण हैं—१. राग, २. लोभ, ३. भय, ४. द्वेष, ५. वादी-प्रतिवादी की एकान्त में बातें सुनना ।

पौरकार्याणि यो राजा न करोति सुखे स्थितः ॥ ८ ॥

व्यक्तं स नरके घोरे पच्यते नात्र संशयः ।

राजा के अनिष्टकारक हेतुओं का निर्देश—जो राजा सुखभोग में आसक्त रहकर पुरवासी-प्रजाजनों का हित-कार्य मुकदमा आदि देखना, नहीं करता है । वह भविष्य में निश्चित घोर नरक का दुःख भोगेगा । इसमें सन्देह नहीं है ।

यस्त्वधर्मेण कार्याणि मोहात् कुर्यान्नराधिपः ॥ ९ ॥

अचिरात्तं दुरात्मानं वशे कुर्वन्ति शत्रवः ।

जो राजा मूढतावश अधर्म कार्यों को करता है उस दुरात्मा को शत्रु लोग शीघ्र अपने वश (अधीन) कर लेते हैं ।

अस्वर्ग्या लोकनाशाय परानीकभयावहा ॥ १० ॥

आयुर्व्याजहरी राज्ञामस्ति वाक्ये स्वयंकृतिः ।

वादी-प्रतिवादी जनों की बातों को सुनकर राजा यदि समासदों की राय लिये बिना स्वयं कोई निर्णय करता है तो उससे उसे नरक की प्राप्ति, प्रजाओं का नाश, शत्रुसेनाओं से भय (शत्रुओं की वृद्धि) आसु का क्षय इत्यादि होते हैं ।

तस्माच्छास्त्रानुसारेण राजा कार्याणि साधयेत् ॥ ११ ॥

इससे राजा को शास्त्रानुसार कार्यों (मुकदमों) को भलीभांति देखना चाहिये ।

तदा न कुर्यान्नृपतिः स्वयं कार्यविनिर्णयम् ।

तदा तत्र नियुञ्जीत ब्राह्मणं वेदपारगम् ॥ १२ ॥

वान्तं कुलीनं मध्यस्थमनुद्वेगकरं स्थिरम् ।

परत्र भीरुं धर्मिष्ठमुद्युक्तं क्रोधवर्जितम् ॥ १३ ॥

स्वयं कार्य-निर्णय न कर सकने पर योग्य ब्राह्मण को नियुक्त करने का राजा को निर्देश—जब राजा स्वयं कार्यों (मुकदमों) का निर्णय न करे तब

उसके लिये वेद का अरुद्धा ज्ञाता, इन्द्रियों का दमन करनेवाला, कुलीन, पक्षपात न करनेवाला, शान्त प्रकृतिवाला, चञ्चलता से रहित, परलोक से डरनेवाला, धार्मिक, उद्योगी और क्रोध से रहित ऐसे ब्राह्मण को नियुक्त करे।

यदा विप्रो न विद्वान् स्यात् क्षत्रियं तत्र योजयेत् ।

वैश्यं वा धर्मशास्त्रज्ञं शूद्रं यत्नेन वर्जयेत् ॥ १४ ॥

ब्राह्मण न मिलने पर क्षत्रियादि नियुक्त करने का एवं शूद्र को न नियुक्त करने का निर्देश—जब वैसा विद्वान् ब्राह्मण न मिले तब उसके लिये (निर्णय के लिये) पूर्वोक्त गुणों से युक्त धर्मशास्त्र का जाननेवाला क्षत्रिय अथवा वैश्य को नियुक्त करे किन्तु शूद्र को धरतपूर्वक निर्णय के लिये त्याग कर दे अर्थात् उसको नियुक्त न करे।

यद्वर्णजो भवेद्राजा योऽयस्तद्वर्णजः सदा ।

तद्वर्ण एव गुणिनः प्रायशः सम्भवन्ति हि ॥ १५ ॥

जिस जाति का राजा स्वयं हो निर्णय करने के लिये अपना प्रतिनिधि उसी जाति के व्यक्ति को सदा चुने। क्योंकि प्रायः करके राजा की जाति में ही गुणवान् लोग उत्पन्न होते हैं।

व्यवहारविदः प्राज्ञा वृत्तशीलगुणान्विताः ।

रिपौ मित्रे समा ये च धर्मज्ञाः सत्यवादिनः ॥ १६ ॥

निरालसा जितक्रोध-कामलोभाः प्रियवदाः ।

राज्ञा नियोजितव्यास्ते सभयाः सवासु जातिषु ॥ १७ ॥

सभासद के लक्षण—व्यवहार (मुकदमा देखने की रीति) के जाननेवाले, बुद्धिमान, चरित्र, शील तथा गुण से युक्त, शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करनेवाले (राग-द्वेष से रहित), धर्म के जाननेवाले, सत्यवादी, आलस्य से रहित, क्रोध, काम तथा लोभ को जीतनेवाले, प्रिय वचन बोलनेवाले ऐसे सभी जातियों के व्यक्तियों को राजा द्वारा विचार-सभा का सदस्य (जूरी) नियुक्त करना चाहिये।

कीनाशाः कारुकाः शिल्पिकुसीदिश्रेणिनर्तकाः ।

लिङ्गनस्तस्कराः कुयुः स्वेन धर्मेण निर्णयम् ॥ १८ ॥

अशक्यो निर्णयो ह्यन्यैस्तज्जैरेव तु कारयेत् ।

राजा के द्वारा निर्णयायोग्य पुरुषों के लक्षण—कीनाश (कृपक), कारु (चढ़ई), शिल्पी (कारीगर), सूद खानेवाले, श्रेणि (निकृष्ट जातियों के संघ), नाचनेवाले, लिङ्गी (भाण-योगी आदि) तथा तस्कर (जाति विशेष) ये सब लोग अपने २ धर्म के अनुसार अपनी २ जातियों के विवाद का निर्णय स्वयं पंचायत द्वारा करें, क्योंकि उनकी जाति के धर्म को न जाननेवाले

अन्य लोगों से निर्णय होना असंभव है, अतः जिस जाति के लोगों का विवाद हो, उसका निर्णय उसी जाति के लोगों में कराना चाहिये ।

आश्रमेषु द्विजातीनां कार्ये विवदतां मिथः ॥ १९ ॥

न विद्रुयान्नुपां धर्मे चिकीर्षुर्हितमात्मनः ।

राजा को द्विजाति आदिकों का स्वयं निर्णय न करने का निर्देश—अपना हित चाहनेवाला राजा ब्राह्मण्यदि आश्रमों में स्थित होकर परस्पर किसी कार्य को लेकर विवाद करनेवाले द्विजातियों के धर्म के विरुद्ध कुछ न कहे ।

तपस्विनां तु कार्याणि त्रैविद्यैरेव कारयेत् ॥ २० ॥

मायायोगविदां चैव न स्वयं कोपकारणात् ।

तपस्वियों एवं माया तथा योग विद्या के जाननेवाले लोगों के विवाद का निर्णय वेद के जाननेवाले ब्राह्मणों द्वारा ही कराना चाहिये, अन्य के द्वारा नहीं, क्योंकि विरुद्ध निर्णय होने पर उन लोगों को कोप हीगा अतः उससे बचने के लिये स्वयं निर्णय न को ।

सम्यग्विद्वज्ज्ञानसम्पन्नो नोपदेशं प्रकल्पयेत् ॥ २१ ॥

उत्कृष्टजातिशीलानां सुर्वाचार्यैतपस्विनाम् ।

स्वयं विदित ज्ञान से युक्त होने पर भी राजा उत्कृष्ट जाति एवं शील से युक्त, गुरु, आचार्य, एवं तपस्वी लोगों को उपदेश न दे ।

आरण्यास्तु स्वकैः कुयुः सार्थिकाः सार्थिकैः सह ॥ २२ ॥

सैनिकाः सैनिकैरेव ग्रामेऽत्युभयवासिभिः ।

जंगली लोग जंगलियों के द्वारा, संघ बनाकर रहनेवाले अपने संघ के लोगों के द्वारा एवं सैनिक लोग सैनिकों के द्वारा भी ग्राम में भी रहनेवाले लोग ग्राम तथा जंगल दोनों में निवास करनेवालों के द्वारा अपने विवाद का निर्णय करावें ।

अभियुक्ताश्च ये यत्र यन्निबन्धनियोजनाः ॥ २३ ॥

तत्रत्यगुणदोषाणां त एव हि विचारकाः ।

राजा ने जहाँ पर जिन्हें नियुक्त कर दिया है, तथा जिस कार्य के लिये जो नियुक्त हुये हैं वेही वहाँ के गुण तथा दोषों के विचार करनेवाले वस्तुतः होते हैं ।

राजा तु धार्मिकान् सभ्यान् नियुञ्ज्यात् सुपरीक्षितान् ॥ २४ ॥

व्यवहारधुरं बोद्धुं ये शक्ताः पुद्गवा इव ।

जो अच्छे बौद्धों के समान विवाद-निर्णय के भार को धारण करने में महीमाति समर्थ हों तथा पूर्ण रूप से परीक्षित एवं धार्मिक हों उन्हीं लोगों को राजा निर्णायक सम्य (जूरी) बनावे ।

लोकवेदज्ञधर्मज्ञाः सप्त पञ्च त्रयोऽपि वा ॥ २५ ॥

यत्रोपविष्टा विप्राः स्युः सा यज्ञसदृशी सभा ।

यज्ञ-सदृश सभा के लक्षण—जिस सभा में संख्या में ७, ५ अथवा ३ भी लौकिक तथा वैदिक कृष्यों के जाननेवाले धर्मज्ञ । ब्राह्मण बैठे हुये हों, वह यज्ञ के समान समझी जाती है ।

श्रोतारो धणिजस्तत्र कर्तव्याः सुविचक्षणाः ॥ २६ ॥

सभा में सुननेवालों में वैश्यों के रहने का निर्देश—और उस सभा में श्रोता के रूप में अत्यन्त विचक्षण (पण्डित) वैश्यों को भी रखना चाहिये ।

अनियुक्तो नियुक्तो वा धर्मज्ञो वक्तुमर्हति ।

दैवी वाचं स वदति यः शास्त्रमुपजीवति ॥ २७ ॥

जो धर्मशास्त्र का जाननेवाला हो उसकी चाहे नियुक्ति हो या न हो, किन्तु फिर भी उये सभा में बोलना उचित ही होता है, क्योंकि जो शास्त्रानुसार भाषण करनेवाला होता है उसकी वाणी देवता के समान मानी जाती है ।

सभा वा न प्रवेष्टव्या वक्तव्यं वा समञ्जसम् ।

अनुबन्धं विद्मवश्चापि नरो भवति किल्बिषी ॥ २८ ॥

सभा में जाने का नियम—पहले तो विचार-सभा में जाना ही नहीं चाहिये, और यदि जाय तो जो साथ बात हो उसे अवश्य ही कहना चाहिये । क्योंकि सभा में जाकर भी उचित बात न कहनेवाला अथवा अनुचित कहनेवाला, दोनों ही व्यक्ति पापभागी होते हैं ।

राज्ञा ये विदिताः सम्यक् कुलश्रेणिगणादयः ।

साहसस्तेयवर्ज्यानि कुर्युः कार्याणि ते नृणाम् ॥ २९ ॥

सभा में निर्णय करनेवालों का क्रम-निर्देश—राजा जिन्हें भलीभांति से न्यायपरायण समझता हो ऐसे कुल, श्रेणि (पञ्चायत) और गण (बोट) के लोगों को साहस (डांका) और स्तेय (चोरी) को छोड़ कर अन्य लोगों के मुद्दमों का निर्णय करने का कार्य-भार देवे ।

विचार्य श्रेणिभिः कार्यं कुलैर्यज्ञ विचारितम् ।

गणैश्च श्रेण्यविज्ञातं गणाज्ञातं नियुक्तैः ॥ ३० ॥

निर्णायकों का तारतम्य—उपयुक्त कुलों के द्वारा जिनका उचित निर्णय न हो सका है, उनका निर्णय श्रेणियों के द्वारा करना चाहिये । और श्रेणियों के द्वारा उचित निर्णय न होने पर गणों के द्वारा, एवं गणों के द्वारा उचित निर्णय न होने पर राजा से नियुक्त किये हुये जजों के द्वारा निर्णय कराना चाहिये ।

कुलादिभ्योऽधिकाः सभ्यास्तेभ्योऽभ्यक्षोऽधिकः कृतः ।

सर्वेपामधिको राजा धर्माधर्मनियोजकः ॥ ३१ ॥

पूर्वोक्त कुलादिकों से अधिक सभ्यों (जूरियों) का निर्णय माननीय होता है, उनसे अधिक अभ्यक्ष (जज) का निर्णय माननीय होता है । और इन सबों से अधिक धर्मा-धर्म का निर्णय करने में राजा की मान्यता होती है ।

उत्तमाऽधममभ्यानां विवादानां विचारणात् ।

उपर्युपरिबुद्धीनां चरन्तीश्वरबुद्धयः ॥ ३२ ॥

क्योंकि राजा उत्तम, मध्यम तथा अधम श्रेणी के सभी विवादों (मुकदमों) का निर्णायक प्रधान रूप से होता है । और उसकी बुद्धि साधारण निर्णायकों की बुद्धि से अधिक ऊँची होती है ।

एकं शास्त्रमधीयानो न विन्द्यात् कार्यनिर्णयम् ।

तस्माद् बह्वागमः कार्यो विवादेपूत्तमो नृपैः ॥ ३३ ॥

निर्णय करने में समर्थ पुरुष के लक्षण—केवल एक ही शास्त्र का जानने-वाला व्यक्ति विवाद का निर्णय करना नहीं जान सकता है, अतः बहुत से शास्त्रों के ज्ञाता किसी उत्तम व्यक्ति को ही राजा निर्णायक नियुक्त करे ।

स व्रते यं स धर्मः स्यादेको वाऽध्यात्मचिन्तकः ।

धर्म का लक्षण—और जो धारम-तत्त्व का जाननेवाला व्यक्ति होता है, वह अकेला ही जो कहता है वह धर्म माना जाता है अर्थात् उसका निर्णय सर्वमान्य होता है ।

एकद्वित्रिचतुर्वारं व्यवहारानुचिन्तनम् ॥ ३४ ॥

कार्यं पृथक् पृथक् सभ्यै राज्ञा श्रेष्ठोत्तरैः सह ।

अनुचिन्तन-प्रकार का निर्देश—राजा सबसे श्रेष्ठ सभ्यों (जूरियों) के साथ मिल कर पृथक् २ मुकदमों की गुरुता-लघुता जैसी हो उसके अनुसार एक बार अथवा २, ३, या ४ बार विचार कर निर्णय करे ।

अधिप्रत्यर्थिनौ सभ्याल्लेखकप्रेक्षकांश्च यः ॥ ३५ ॥

धर्मवाक्यै रक्षयति स सभास्तारतामियात् ।

जो विचारपति या सभ्य (जूरी) वादी-प्रतिवादी, सभ्यों (जूरियों), लेखकों या दर्शकों को धर्मयुक्त वचनों से प्रसन्न करता है, वह सभ्यों में श्रेष्ठता को प्राप्त करता है । अर्थात् सर्वोत्तम समझा जाता है ।

नृपोऽधिकृतसभ्याश्च स्मृतिगणकलेखकौ ॥ ३६ ॥

हेमाग्न्यम्बुस्वपुरुषाः साधनाङ्गानि वै दश ।

दश साधनों का निर्देश—१. राजा, २. अधिकारी सभ्य (नियुक्त

किये हुये जूरी), ३. स्मृति (धर्मशास्त्र), ४. गणक (गणना करनेवाला), ५. लेखक (लिखनेवाला), ६. सुवर्ण, ७. अग्नि, ८. जल, ९. धन, १०. पुरुष (कर्मचारी), ये १० व्यवहार (मुकदमा) निर्णय करने में साधन के अङ्ग हैं ।

एतद्दशाङ्गकरणं यस्यामध्यास्य पार्थिवः ॥ ३७ ॥

न्यायान् पश्येत् कृतमतिः सा मभाऽध्वरसन्निभा ।

यज्ञतुल्य सभा के द्वितीय लक्षण का निर्देश—इस प्रकार से परिमार्जित बुद्धिवाला राजा जिस सभा में उपर्युक्त १० साधनों का आश्रय लेकर न्याय (मुकदमों) को देखता है (निर्णय करता है) उसे यज्ञ-सभा के समान समझना चाहिये ।

दशानामपि चैतेषां कर्म प्रोक्तं पृथक् पृथक् ॥ ३८ ॥

धक्ताऽध्यक्षो नृपः शास्ता सभ्याः कार्यपरीक्षकाः ।

स्मृतिर्विनिर्णयं वृत्ते जयं दानं दमं तथा ॥ ३९ ॥

दशाङ्गों के कर्मों का पृथक् २ निर्देश—पूर्वोक्त इन १० साधनों के कर्म भी पृथक् २ कहे हुये हैं । जैसे—१. अध्यक्ष (अधिकारी पुरुष) विवाद-निर्णय का प्रकाशक होता है एवं २. राजा—शासन करनेवाला, ३. सभ्यगण (जूरीगण)—निर्णय के औचित्य की परीक्षा करनेवाले होते हैं और ४. स्मृति (मन्वादिस्मृति)—इसके द्वारा विवाद का निर्णय, मन्त्र जप, दान तथा हृन्दिद्रियादि-निग्रह का ज्ञान होता है ।

शपथार्थे हिरण्याग्नी अम्बु तृपितक्षुब्धयोः ।

गणको गणयेदर्थं लिखेन्न्याय्यं च लेखकः ॥ ४० ॥

५-६. शपथ ग्रहण करने के लिये सोना तथा अग्नि, ७. जल—इसका प्रयोग प्यासे तथा क्रोधी के लिये होता है ८. गणक—यह विवाद की शुभा-शुभ की गणना करनेवाला होता है । ९. लेखक—न्याय-संगत निषयों का लिखनेवाला होता है ।

शब्दाभिधानत्त्वज्ञौ गणनाकुशलौ शुची ।

नानालिपिज्ञौ कर्तव्यौ राज्ञा गणकलोखकौ ॥ ४१ ॥

गणक तथा लेखक के लक्षण—शब्द तथा अर्थ के तत्त्वज्ञ, गणना करने में कुशल, निर्दोष, नाग्न प्रकार की लिपिओं के ज्ञाता ऐसे लक्षणों से युक्त गणक तथा लेखक की नियुक्ति राजा करे ।

धर्मशास्त्रानुसारेण धर्मशास्त्रविवेचनम् ।

यत्राधिक्रियते स्थाने धर्माधिकरणं हि तत् ॥ ४२ ॥

धर्माधिकरण के लक्षण का निर्देश—जिस स्थान पर धर्मशास्त्र के अनुसार

अर्थशास्त्र की विवेचना अधिक रूप से की जाय उसे धर्माधिकरण (न्यायालय-कचहरी) कहते हैं ।

व्यवहारान् विद्वक्षुस्तु ब्राह्मणैः सह पार्थिवः ।

मन्त्रज्ञैर्मन्त्रिभिश्चैव विनीतः प्रविशेत् सभाम् ॥ ४३ ॥

राजासभा में प्रवेश करने का प्रकार—व्यवहारों (मुकदमों) को देखने की इच्छा रखने वाला राजा विनीत भाव से मन्त्रणा करने में कुशल ब्राह्मणों तथा मन्त्रियों के साथ न्यायसभा में प्रवेश करे ।

धर्मासनमधिष्ठाय कार्यदर्शनमारभेत् ।

पूर्वोत्तरसमो भूत्वा राजा पृच्छेद्विवादिनी ॥ ४४ ॥

सभा में राजा के कुर्यों का निर्देश—इस प्रकार से राजा धर्मासन (न्यायासन) पर बैठकर मुकदमा देखना शुरू करे । वादी-प्रतिवादी दोनों में समभाव रखकर राजा उन दोनों से प्रश्न करे ।

प्रत्यहं देशदृष्टैश्च शास्त्रदृष्टैश्च द्वैतुभिः ।

जातिजानपदान् धर्माञ्छ्रेणिधर्मास्तथैव च ॥ ४५ ॥

समीक्ष्य कुलधर्माश्च स्वधर्मं प्रतिपालयेत् ।

राजा को पूर्ण विचारपूर्वक सब धर्मों की रक्षा करने का निर्देश—प्रतिदिन लोक तथा शास्त्रों में देखे गये कारणों के द्वारा जाति, देश, श्रेणि एवं कुल के धर्मों को भलीभांति देख कर राजा अपना (विचारपूर्वक मुकदमों का निर्णय करना रूप) धर्म का पालन करे ।

देशजातिकुलानां च ये धर्माः प्राक् प्रवर्तिताः ॥ ४६ ॥

तथैव ते पालनीयाः प्रजा प्रक्षुभ्यतेऽन्यथा ।

देश-जाति-कुलधर्मों का पालन करने का निर्देश—देश, जाति एवं कुल के जो धर्म जिस भांति से पहले से चले आये हों उनका वही भांति से पालन करना चाहिये । अन्यथा अपने मनसे यदि राजा कुछ उनमें परिवर्तन करे तो उससे प्रजा में खोब उत्पन्न हो जाता है ।

उदुह्यते दाक्षिणात्यैर्मातुलस्य मुता द्विजैः ॥ ४७ ॥

मध्यदेशे कर्मकराः शिल्पिनश्च गवाशिनः ।

देश-जाति-कुलधर्मों के उदाहरणों का निर्देश—जैसे दक्षिण देश के ब्राह्मण लोग मामा की कन्या (ममेरी बहिन) के साथ विवाह करते हैं । मध्य देश में कर्मकर तथा शिल्पी गोमांसभजी होते हैं ।

मत्स्यादाश्च नराः सर्वे व्यभिचाररताः स्त्रियः ॥ ४८ ॥

उत्तरे मयूपा नार्यः स्पृश्या नृणां रजस्वलाः ।

और उत्तर देश में सभी लोग मछली खानेवाले होते हैं तथा स्त्रियां

व्यभिचार करानेवाली एवं मद्य पीनेवाली होती हैं एवं वहां के लोग राजश्रवला स्त्रियों का भी स्पर्श करते हैं, जो कि निषिद्ध है ।

खशजाताः प्रगृह्णन्ति भ्रातृभार्यामभर्तृकाम् ॥ ४९ ॥

अनेन कर्मणा नैते प्रायश्चित्तदमार्हकाः ।

और खस जाति के लोग विधवा भाई की स्त्री के साथ विवाह करते हैं । इन सब पूर्वोक्त निषिद्ध कर्मों के करने से भी ये सब राजा के द्वारा प्रायश्चित्त तथा दण्ड के अधिकारी नहीं होते हैं ।

येषां परम्पराप्राप्ताः पूर्वजैरप्यनुष्ठिताः ॥ ५० ॥

त एव तैर्न दुष्येयुराचारान्नेतरस्य तु ।

जिन जाति, देश तथा कुलों के जो प्राचीनकाल से प्रचलित एवं उनके पूर्वजों के द्वारा सदा पालन किये जाते हुये जैसे धर्म हों उनका वैसे ही पालन करना चाहिये । अतः राजा एक दूसरे के धर्मविपयक आचारों को दूषित न करने दें, अर्थात् जिनका जैसा आचार हो उसको वैसा करने दें ।

परस्त्रीधनसंलुब्धा मद्यासक्त्यताः कलौ ॥ ५१ ॥

विज्ञानलक्षदुर्दग्धाः प्रायः श्रीसंयुताश्च ये ।

तन्त्रकर्मरता वेदविमुखाः स्युः सदैव हि ॥ ५२ ॥

महादण्डेन चैतेषां क्रुयात् सशोधन नृपः ।

कलियुग में महादण्ड के योग्यों का निर्देश—कलियुग में जो धनवान् हैं वे प्रायः करके दूसरे की स्त्री तथा धन के अधिक लोभी, मद्यपान करने में आसक्त, थोड़े ज्ञान से भी अपने को सबसे अधिक पण्डित माननेवाले, तन्त्र कर्म करने में रत एवं वेदविमुक्त सदा होते हैं, राजा इन सबों को महादण्ड से भलीभांति दण्डित करे ।

न्यायान्परश्येत् मध्याह्ने पूर्वाह्ने स्मृतिदर्शनम् ॥ ५३ ॥

न्यायादिद्वौ के समय का निर्देश—राजा मध्याह्नकाल में न्याय (मुकदमों) को देखे । पूर्वाह्न (दोपहर के पूर्व) में स्मृतियों को देखे ।

मनुष्यमारणे स्तेये साहसेऽत्ययिके सदा ।

न कालनियमस्तत्र सद्य एव विवेचनम् ॥ ५४ ॥

मनुष्यमारणादिकों में समय के नियम में अभाव का निर्देश—किन्तु मनुष्य के मारने पर एवं चोरी, डांका ज़िंवा अन्य नादाजनक मुकदमों के देखने में समय का नियम नहीं है बल्कि उन सबों में तत्काल ही विचार करना उचित होता है ।

धर्मासनगतं दृष्ट्वा राजानं मन्त्रिभिः सह ।

गच्छेन्ननिवेद्यमानं यन् प्रतिरुद्धमधर्मतः ॥ ५५ ॥

यथासत्यं चिन्तयित्वा लिखित्वा वा समाहितः ।

नत्या वा प्राञ्जलिः प्रहो ह्यर्थी कार्यं निवेदयेत् ॥ ५६ ॥

राजा के समस्त कार्यं निवेदन करने के प्रकार का निर्देश—ग्यायासन पर मन्त्रियों के साथ बैठे हुये राजा को देखकर प्रार्थी उनके पास जावे । और जाकर अधर्म से रहित जो निवेदन करना हो उसे यथार्थ रूप से विचार कर और सावधान-चित्त से उसे लिखकर नमस्कार करते हुये हाथ जोड़ कर नम्रता के साथ कार्य का निवेदन करे (दावा दाखिल करे) ।

यथार्हमेतमभ्यर्च्य ग्राहणैः सह पार्थिवः ।

सान्त्वेन प्रशमय्यादी स्वधर्मं प्रतिपादयेत् ॥ ५७ ॥

अर्थी के लिये राजा के कार्यों का निर्देश—ग्राहणों के साथ राजा उस प्रार्थी का यथायोग्य संमान कर और सर्वप्रथम सामन्तवासूचक शब्दों से सान्त्वना देकर स्वधर्म-पालन (मुकदमा देलना) प्रारम्भ करे ।

काले कार्यार्थिनं पृच्छेत् प्रणतं पुरतः स्थितम् ।

किं कार्यं क्व च ते पीडा मा भैषीर्ब्रूहि मानव ॥ ५८ ॥

केन कस्मिन् कदा कस्मात् पीडितोऽसि दुरात्मना ।

एवं पृष्ट्वा स्वभावोक्तं तस्य संशृणुयाद्भवः ॥ ५९ ॥

समयानुसार राजा विनम्रभाव से संमुख में स्थित उस कार्यार्थी (मुकदमा दायर करनेवाले) से "हे भला आदमी ! तुम्हारा क्या कार्य है ? क्या कष्ट है ? मत डरो ? मुझसे कहो ! तुम्हें किस दुरात्मा ने कहाँ पर, किस समय, क्यों पीडा पहुँचाई है ?" इस प्रकार से पूछ कर उसके स्वाभाविक रीति से कहे हुये वचन को सुने ।

प्रसिद्धलिपिभाषाभिस्तद्भुक्तं लेखको लिखेत् ।

लेखक के कार्यों का वर्णन—और लेखक उसके कहे हुये वाक्यों को उस समय की लिपि और भाषा में लिखे ।

अन्यद्भुक्तं लिखेदन्यथोऽर्थिप्रत्यर्थिनां वचः ॥ ६० ॥

औरवत् त्रासयेद् राजा लेखकं द्रागतन्त्रितः ।

राजा को अन्यथा लेख लिखनेवाले को दण्ड देने का निर्देश—और यदि कोई लेखक वादी-प्रतियादी के कहे हुये वचन को जैसा वह कहता है वैसा नहीं लिखे 'धर्मात् भिन्न रीति से लिखे' तो राजा उसे भवित्त्व घोर की भाँति दण्ड देने में तत्परता रखे ।

लिखितं तादृशं सभ्या न विवृणुः कदाचन ॥ ६१ ॥

बलाद् गृह्णन्ति लिखितं दण्डयेन्तांस्तु चौरवत् ।

और सम्य (जूरी) खोग भी उक्त रीति से लिखे हुये (अन्यथा) से

(बयान) का कमी भी अनुमोदन न करें। यदि वे लोग अपने अधिकार के बल से उक्त लेख का अनुमोदन करें तो राजा उन लोगों को चोर की भांति दण्ड दे।

प्राड्विवाको नृपाभावे पृच्छेदेवं सभागतम् ॥ ६२ ॥

राजा के अभाव में प्राड्विवाक को पूछने का निर्देश—और राजा के उपस्थित न रहने पर प्राड्विवाक (जज) न्यायालय में उपस्थित वादी से पूर्वोक्त रीति से पूछे।

वादिनौ पृच्छति प्राड् वा विवाको विचिनक्तयतः ।

विचारयति सभ्यैर्वा धर्माऽधर्मान् विवक्ति वा ॥ ६३ ॥

प्राड्विवाक शब्द के अर्थका निर्देश—विचारपति (जज) को 'प्राड्विवाक' इसलिये कहते हैं कि—वह वादी-प्रतिवादी से पूछता है अतः 'प्राड्' कहलाता है और विचार करता है अतः 'विवाक' कहलाता है अतः दोनों मिलकर 'प्राड्विवाक' सिद्ध होता है और वही विचारपति सभ्यों के साथ मिलकर धर्माधर्म का विचार करता है अथवा विशेष रूप से अपना निर्णय कहता है।

सभायां ये द्विता योग्याः सभ्यास्ते चापि साधवः ।

राजसभा (न्यायालय) में जो हित चाहनेवाले, कार्य करने में चतुर एवं सज्जन हों, उन्हीं को सभ्य (जूरी) बनाना चाहिये।

स्मृत्याचारव्यपेतेन मार्गेणाधर्षितः परैः ॥ ६४ ॥

आवेदयति चेद्राज्ञे व्यवहारपदं हि तत् ।

व्यवहार पद का कथन—धर्मशास्त्र एवं सदाचार से विरुद्ध मार्ग का आश्रय लेकर दूसरों के द्वारा पीड़ित किये जाने पर यदि कोई राजा के पास न्यायालय में आवेदन पत्र देता है उसे 'व्यवहार पद' (मुकदमा दापर करना) का स्थान कहते हैं।

नोत्पादयेत् स्वयं कार्यं राजा नाप्यस्य पुरुषः ॥ ६५ ॥

न रागेण न लोभेन न क्रोधेन प्रसेन्तृपः ।

परैरप्रापितानर्थान् चापि स्वमनीषया ॥ ६६ ॥

राजा या राजपुरुष को स्वयं व्यवहार को पैदा करने का निषेध—राजा या उसके अधिकारी पुरुष स्वयं किसी विवाद (मुकदमा) को न्यायालय में न उपस्थित करें। और राजा अनुराग, लोभ या क्रोध के वशीभूत होकर किसी को पीड़ित न करे। और वादी-प्रतिवादी के बिना उपस्थित किये राजा अपनी बुद्धि से किसी मुकदमा को न्यायालय में न उपस्थित करे।

झलानि चापराधांश्च पदानि नृपतेस्तथा ।

स्वयमेतानि गृहीयान्नुपस्त्वावेदकैर्विना ॥ ६७ ॥

सूचकस्तोभकाभ्यां वा श्रुत्वा चैतानि तत्त्वतः ।

राजा को छलादि का बिना निवेदन किये भी ग्रहण करने का निर्देश—
किन्तु बिना किसी के द्वारा मुकदमा दापर किये ही राजा स्वयं भागे कहे
जानेवाले छल, अपराध तथा राजा के पद (विवाद-स्थान) इन सबों को
सूचक (जासूस) भयवा स्तोभक (मुखबिर) के द्वारा सुनने के बाद ठीक र
जानकर मुकदमा कायम करे ।

शास्त्रेणानिन्दितस्त्वर्था नापि राज्ञा प्रचोदितः ॥ ६८ ॥

आवेदयाति यत्पूर्वं स्तोभकः स उदाहृतः ।

स्तोभक के लक्षण—जो शास्त्र से अनिन्दित हो एवं राजा के द्वारा
आवेदनार्थ प्रेरित न किया गया हो किन्तु यदि वह पहले ही भाकर राजा
से निवेदन करता है, उस आवेदन-कर्ता को स्तोभक कहते हैं ।

नृपेण विनियुक्तो यः परदोषानुवीक्षणे ॥ ६९ ॥

नृपं संसूचयेज्ज्ञात्वा सूचकः स उदाहृतः ।

सूचक के लक्षण—राजा के द्वारा जो दूसरे के दोषों को निरीक्षण करने
के लिये नियुक्त किये जाने पर उसे जान कर राजा को सूचित करता है, वह
'सूचक' कहलाता है ।

पथिभङ्गी पराक्षेपी प्राकारोपरिलङ्घकः ॥ ७० ॥

निपानस्य विनाशी च तथा चायतनस्य च ।

परिखापूरकश्चैव राजच्छिद्रप्रकाशकः ॥ ७१ ॥

अन्तःपुरं वासगृहं भाण्डागारं महानसम् ।

प्रविशत्यनियुक्तो यो भोजनं च निरीक्षते ॥ ७२ ॥

विण्मूत्रश्लेष्मवातानां क्षेप्ता कामान् नृपामृतः ।

पर्यङ्कासनबन्धी चाप्यग्रस्थानविरोधकः ॥ ७३ ॥

नृपातिरिक्तवेपथ्व विधृतः प्रविशेत्तु यः ।

यश्चापद्वारेण विशेष्वेलायां तथैव च ॥ ७४ ॥

शय्यासने पादुके च शयनासनरोहणे ।

राजन्यासन्नशयने यस्तिष्ठति समीपतः ॥ ७५ ॥

राज्ञो विद्विष्टसेवी चाप्यदत्तविहितासनः ।

अन्यवस्त्राभरणयोः स्वर्णस्य परिधायकः ॥ ७६ ॥

स्वयंप्राहेण ताम्बूलं गृहीत्वा भक्षयेत्तु यः ।

अनियुक्तप्रभापी च नृपाक्रोशक एव च ॥ ७७ ॥

एकवासास्तथाऽभ्यक्तो मुक्तकेशोऽवगुण्ठितः ।

विचित्रिताङ्गः स्रग्वी च परिधानविधूनकः ॥ ७८ ॥

शिरःप्रच्छादकश्चैव च्छिद्रान्वेषणत्वरः ।

आसङ्गी मुक्तकेशश्च घ्राणकर्णाक्षिदर्शकः ॥ ७९ ॥

दन्तोल्लेखनकश्चैव कर्णनासाविशोधकः ।

राज्ञः समीपे पञ्चाशच्छलान्वेतानि सन्ति हि ॥ ८० ॥

पञ्चाशत् (५०) वृत्तों का वर्णन—१. मार्ग को नष्ट करनेवाला, २. दूसरे का अपमान करनेवाला, ३. प्राकार (चहार-दीवारी) का लांघनेवाला ४. पीने के लिये बने हुये अलाशय को नष्ट या दूषित करनेवाला, ५. रहने के लिये बने हुये स्थान को नष्ट या दूषित करनेवाला, ६. परिला (खाई) को पाटनेवाला, ७. राजा के शीशों को प्रकाशित करनेवाला, ८. बिना आज्ञा लिये अन्तःपुर (जनानखाने) में घुस जानेवाला, ९. बिना आज्ञा के वासगृह (रहने का स्थान), १०. भाण्डगृह (खजाना), ११. या महानग (रसोई गृह) में घुसनेवाला, १२. भोजन करते समय खानेवाले को एकटक देखनेवाला, १३. जानबूझ कर मल, १४. मूत्र, १५. वफ १६. अधोवायु का त्याग करनेवाला, १७. राजा के आगे वीरासन घांघकर घमण्ड से बैठनेवाला, १८. राजा के बैठने के आगे के स्थान को छेकनेवाला, १९. राजा से अधिक वेष-भूषण धारण किये हुये राजा के सामने उपस्थित होनेवाला, २१. किसी के गृह में प्रधान द्वार को छेककर अन्य मार्ग से प्रवेश करनेवाला, २२. असमय में किसी के घर में जानेवाला, २३. बिना अनुमति के किसी की शय्या पर शयन करनेवाला २४. आसन पर बैठनेवाला, २५. या खड़ाऊं भधवा जूता पहननेवाला, २६. राजा के सोने के समय शय्या पर पहुँच जाने पर भी उमड़े समीप ठहरनेवाला, २७. राजा के शत्रु की भी सेवा करनेवाला, २८. बिना अनुमति के किसी के गृह में टहर जानेवाला, २९. बिना अनुमति के किसी के वस्त्र, ३०. आभूषण, ३१. या स्वर्ण का धारण करनेवाला, ३२. जवरदस्ती दूसरे के पान को लेकर खानेवाला, ३३. भाषण के लिये नियुक्त न किये जाने पर भी भाषण करनेवाला, ३४. राजा की निन्दा करनेवाला, ३५. राजा के समीप में केवल एक वस्त्र पहननेवाला, ३६. तेल लगाकर जानेवाला, ३७. केश खोल कर जानेवाला, ३८. मुख ढँक कर जानेवाला, ३९. विचित्र ढङ्ग से अर्द्धों को बनाकर जानेवाला, ४०. माला पहनकर जानेवाला, ४१. पहिने हुये वस्त्र को हिलानेवाला, ४२. सिर को टँकनेवाला, ४३. दूसरे के द्विर्दों को हूँदनेवाला, ४४. मद्यपानादि व्यसन करनेवाला, ४५. वेश-भूषादि का त्याग करनेवाला, ४६. अपनी नाक, ४७. फान, ४८. या आँख को विशेष रूप से दिखानेवाला, ४९. दाँत को कुरेदनेवाला,

१०. कान या नाक से मल निकालनेवाला, राजा के समीप में ये ५० छुल (दोष) माने जाते हैं ।

आज्ञोलङ्घनकारित्वं स्त्रीवधो वर्णसङ्करः ।

परस्त्रीगमनं चौर्यं गर्भञ्चैव पति विना ॥ ८१ ॥

वाक्पारुष्यमवाच्यायं दण्डपारुष्यमेव च ।

गर्भस्य पातनं चैवेत्यपराधा दशैव तु ॥ ८२ ॥

दश अपराधों का वर्णन— १. आज्ञा का उल्लङ्घन करना, २. स्त्री की हत्या करना, ३. विवाह द्वारा वर्णसङ्करता करना, ४. परस्त्री गमन करना, ५. चोरी करना, ६. पति के अलावा अन्य पुरुष से गर्भ होना, ७. कठोर बचन बोलना, ८. नहीं कहने योग्य बातें कहना ९. कठोर दण्ड देना, १०. गर्भ का गिराना इस प्रकार से ये १० अपराध होते हैं ।

उत्कृती सस्यघाती चाप्यग्निदक्ष तथैव च ।

राज्ञो द्रोहप्रकर्ता च तन्मुद्राभेदकस्तथा ॥ ८३ ॥

तन्मन्त्रस्य प्रभेत्ता च बहस्य च विमोचकः ।

अस्वामिविक्रयं दानं भागं दण्डं विचिन्वति ॥ ८४ ॥

पटहाघोपणाच्छादी द्रव्यमस्वामिकं च यत् ।

राजावलीढद्रव्यं च यत्तत्रैवाङ्गविनाशनम् ॥ ८५ ॥

द्वाविंशतिपदान्याहुर्नृपहोयानि पण्डिताः ।

राजा द्वारा श्रेय २२ पदों का वर्णन— १. उद्वेग करनेवाला २. धान्य (खेती) नष्ट करनेवाला, ३. गृहादि में अग्नि लगानेवाला, ४. राजद्वीह करनेवाला, ५. राजविद्म को नष्ट करनेवाला, ६. राजा की गुप्त मन्त्रणा को प्रकाशित करनेवाला, ७. कैदियों को जेल से भगानेवाला, ८. बिना स्वामी के वस्तु को बँच देना, ९. किसी के दान, हिस्सा, और दण्ड को लुप्त करनेवाला, १०. राजा के द्वारा जिस विषय की झुग्गी पिटा दी गई हो, उसको छिपानेवाला, ११. बिना स्वामी के (लावारिस) द्रव्य को ले लेनेवाला, १२. राजा से ले लिये द्रव्य पर अधिकार जमानेवाला, १३. किसी अङ्गों को काट देना, ये पूर्वोक्त १० अपराधों के सहित २२ पद अर्थात् विवाद के स्थान रहे हुये हैं जिसे पण्डितों को जानना चाहिये ।

उद्धतः क्रूरवाग्बेपो गर्वितश्चण्ड एव हि ॥ ८६ ॥

सहासमश्चातिमानो यादो दण्डमवाप्नुयात् ।

दण्ड-योग्य वादी के छलनों का निर्देश— जो यादी उद्धत स्वभाववाला, निष्ठुर बचन बोलनेवाला एवं निष्ठुर कार्य करने योग्य वेपवाला, गर्वी, अत्यन्त

कोधी, विचारपति (जज) के साथ २ भासन पर बैठनेवाला और अत्यन्त मानी हो तो उसे दण्ड देना चाहिये ।

अर्थिना कथितं राज्ञे तदावेदनसंज्ञकम् ॥ ८७ ॥

कथितं प्राड्विवाकादौ सा भाषाऽखिलबोधिनी ।

स पूर्वपक्षः सभ्यादिस्तं विमृश्य यथार्थतः ॥ ८८ ॥

अर्थितः पूरयेद्धीनं तरसाद्यमधिकं त्यजेत् ।

वादिनश्चिहितं साध्यं कृत्वा राजा विमुद्रयेत् ॥ ८९ ॥

आवेदन पत्र के लक्षण तथा सबके बोध-योग्य भाषा (वयान) का निर्देश— वादी द्वारा जो राजा के पास आवेदन पत्र दिया जाता है, उसे 'आवेदन' (अर्जी) कहते हैं । और जो प्राड्विवाक (जज) आदि के समक्ष कहा जाता है उसे 'भाषा' (वयान) कहते हैं । जो कि सारी बातों को समझानेवाली होती है । और वही 'पूर्वपक्ष' कहा जाता है । सभ्य (जूरी) आदि उसी पर प्रार्थना किये जाने पर पदार्थ रीति से विचार कर जो कमी हो उसे वादी से पूछकर पूरा कर ले एवं जो अधिक हो उसे निकाल दे । इस भांति से उसके वयान को पूर्ण करके उस पर उसके भंगूटे का निशान लगवाले और अन्त में राजा उस पर अपनी मुहर लगा दे । वादी का यह वयान भी एक प्रकार का साध्य (गवाही) होता है ।

अशोधयित्वा पक्षं ये ह्यनर दापयन्ति तान् ।

रागाज्जोभाङ्गयाद्वापि स्मृत्यर्थे वाधिकारिणः ॥ ९० ॥

सभ्यादीन् दण्डयित्वा तु ह्यधिकारान्निवर्तयेत् ।

पूर्वपक्ष को बिना शुद्ध किये उत्तर दिलानेवाले अधिकारी को अधिकार-च्युत करने का निर्देश—जो अधिकारी पुरुष राग, लोभ या भय से इस प्रकार से बिना वादी के पक्ष का जांच-परनाल किये ही प्रतिवादी से उत्तर दिलाते हैं ऐसा करनेवाले उन अधिकारी सभ्य (जूरी) आदि को भविष्य में ऐसा पुनः निन्दित कार्य न करने का स्मरण रखने के लिये राजा दण्डित करे एवं अधिकार-च्युत कर दे ।

प्राह्याप्राहां विवादं तु सुविमृश्य समाश्रयेत् ॥ ९१ ॥

सञ्ज्ञातपूर्वपक्षं तु वादिनं सन्निरोधयेत् ।

राजाह्वया सत्पुरुषैः सत्यवाग्भिर्मनोहरैः ॥ ९२ ॥

निरालसेद्भित्तौश्च दृढशस्त्रास्त्रधारिभिः ।

पूर्वपक्ष पूर्ण होने पर वादी को रोक देने का निर्देश—राजा विवाद (मुकदमा) लेने योग्य है या नहीं इसका भलीभांति विचार कर यदि योग्य हो तो ले ले । और जब वादी का पूर्वपक्ष (वयान) पूरा हो जाय

तो आगे कहने के लिये उसे अपनी आज्ञा से सत्य बोलनेवाले, मनोहर, आलस्यशून्य, इन्द्रित (हसारे) को समझनेवाले, दृढ़ शस्त्रास्त्रों के धारण करनेवाले ऐसे सगुर्यों के द्वारा रोकवा दे ।

वक्तव्येऽर्थे ह्यतिघ्नन्तमुत्क्रामन्तं च तद्वचः ॥ ६३ ॥

आसेधयेद्विवादार्थी यावदाह्वानदर्शनम् ।

प्रत्यर्थिनं तु शपथैराज्ञया वा नृपस्य च ॥ ६४ ॥

जब तक राजाज्ञा न हो तब तक प्रत्यर्था को रोक देने का निर्देश—
विवादार्थी (वादी) व्यक्ति वक्तव्य अर्थ में स्थित न होते हुये अथवा उसके वचन का अतिक्रमण करते हुये प्रतिवादी व्यक्ति को बुलाने पर आने के साथ ही सौगन्ध देकर अथवा राजाज्ञा से रोक देये ।

स्थानासेधः कालकृतः प्रवासात् कर्मणस्तथा ।

चतुर्विधः स्यादासेधो नासिद्धस्त विलङ्घयेत् ॥ ९५ ॥

४ प्रकार के आसेधों का वर्णन—आसेध ४ प्रकार का होता है । १. स्थान कृत, २. कालकृत, ३. प्रवासकृत तथा ४. कर्मकृत आसेध । आसिद्ध (रोक हुआ) आसेध (रोक) का उल्लंघन न करे ।

यस्त्विन्द्रियनिरोधेन व्याहारोच्छ्वासनादिभिः ।

आसेधयेदनासेधैः स दण्ड्यो न त्वतिक्रमी ॥ ९६ ॥

यदि कोई मल-भ्रूत्रादियों के द्वारा के निरोध से, कटु वाक्यों से अथवा कठिन वासन आदि जैसे अयोग्य आसेध के प्रकारों से किसी को अर्थात् वादी या प्रतिवादी को रोके तो वह दण्डनीय होता है । किन्तु आसेध का अतिक्रमण करनेवाला नहीं दण्डनीय होता है ।

आसेधकाल आसिद्ध आसेधं योऽतिवर्तते ।

स विनेशोऽन्यथा कुर्वन्नासेद्धा दण्डभाग् भवेत् ॥ ६७ ॥

जो आसेध (अवरोध) के समय में अवलम्ब होकर आसेध का उल्लंघन करता है वह दण्डनीय होता है और यदि आसेध करनेवाला अन्यथा रीति से आसेध करे तो वह दण्डनीय होता है ।

यस्याभियोगं कुरुते तन्वेनाशङ्कयाऽथवा ।

तमेवाह्वानयेद्राजा मुद्रया पुरुषेण वा ॥ ६८ ॥

जिस पर अपराध की शंका या जो अपराधी हो उसी को बुलाने के लिये राजा का निर्देश—वस्तुतः या सन्देहवश जिसके ऊपर अभियोग (मुकदमा) चलाया जाता है, उसी को राजा अपनी मुद्रा लगे हुये पत्र या राजपुरुष (सिपाही) द्वारा न्यायालय में बुलावे ।

शङ्काऽसनां तु संसर्गादनुभूतकृतेस्तथा ।

होदाभिदर्शनात्तत्त्वं विजानाति विचक्षणः ॥ ६३ ॥

दुष्टों के साथ संसर्ग होने से तथा उसके किसी कार्य को देखकर अपराध का अनुमान होने से अभियुक्त के ऊपर अपराध की आशंका होती है । और खोये या लुटे हुये द्रव्य के देखने से बुद्धिमान व्यक्ति अपराध के तत्त्व को अर्थात् यथार्थ रूप से अपराध को जान लेता है ।

अकल्यचालस्थविर-विषमस्थक्रियाकुलान् ।

कार्यातिपातिव्यसनि-नृपकार्योत्सवाकुलान् ॥ १०० ॥

मत्तोन्मत्तप्रमत्तार्त-भृत्यान् नाह्वानयेन्नृपः ।

अपराधियों को बुलाने के लिये असमर्थादि भृत्यों को न बुलाने का निर्देश— राजा रोगी, बालक, वृद्ध, विषम परिस्थिति में हुये, अनेक कार्यों में फंसे रहने से व्यस्त, अभियोग (मुकदमा) के समय में अनुपस्थित, व्यसनी, राजा के या किसी उरसव के कार्यों में फंसे हुये, सुरापानादि से मत्त हुये, उन्मत्त, असावधान तथा दुःखी चित्तवाले ऐसे भृत्यों (अपराधियों) को अपराधी को बुलाने के लिये न बुलावे ।

न हीनपक्षां युवतिं कुले जातां प्रसूनिकाम् ॥ १०१ ॥

सर्ववर्णोत्तमां कन्यां नाज्ञातप्रभुकाः स्त्रियः ।

हीनपक्षादि स्त्रियों को भी न बुलाने का निर्देश—हीन पक्षवाली (अनाया) युवती, अच्छे कुल में उत्पन्न हुई सद्यःप्रसूता ऐसी स्त्री या ब्राह्मण की कन्या या जिनके स्वामी का पता न हो ऐसी स्त्रियों को न्यायालय में न बुलवावे प्रत्युत उसके स्थान पर ही जाकर उससे अभियोग-संबन्ध में प्रश्न करे ।

निर्वेष्टुकामो रोगार्तो वियक्षुर्व्यसनेस्थितः ॥ १०२ ॥

अभियुक्तस्त्वथाऽन्येन राजकार्योद्यतस्तथा ।

गवां प्रचारे गोपालाः सस्यवापे कृषीवलाः ॥ १०३ ॥

शिल्पिनश्चापि तत्कालमायुधीयाश्च विप्रहे ।

अध्याप्तव्यवहारश्च दूतो दानोन्मुखो व्रती ॥ १०४ ॥

विषमस्थाःश्च नासेध्या न चैतान्नाह्वयेन्नृपः ।

निर्वेष्टुकाम (विवाहोद्यन) आदि को आसेध (बुलाने) का निषेध— विवाह के लिये उद्यत, रोग से दुःखी, यज्ञ करने में इच्छुक, विपत्ति में पड़ा हुआ, अन्य के द्वारा मुकदमे में फांसा हुआ, राजा के कार्य करने में लगा हुआ, गार्थों के चराने में लगे हुये अहीर, खेत के बोने में तत्पर किसान, शिल्पी (कारीगर), शस्त्र लेकर युद्ध में लड़ते हुये, व्यवहार को न जाननेवाला, दूत

कार्य में नियुक्त, दान करने में उद्यत, किसी व्रत का धारण करनेवाला, विपमस्थान में पड़ा हुआ ऐसे लोग मुकदमे की तारीख के समय पेश करने योग्य नहीं होते हैं अतः राजा इन्हें न बुलवावे ।

नदीसन्तारफान्तार-दुर्देशोपप्लवादिषु ॥ १०५ ॥

असिद्धस्तं परासेधमुत्क्रामन्नापराध्नुयात् ।

नदी को पार काने की कठिनाई होने पर, दुर्गम जंगल, दुर्देश या किसी उपद्रव में पड़ जाने पर जो भाने में असमर्थ हो जाने से मुकदमे की तारीख पर न आ सके तो राजा उसे अपराधी नहीं समझे ।

कालं देशं च विज्ञाय कार्याणां च बलाबलम् ॥ १०६ ॥

अकल्यादीनपि शनैर्यानैराह्वानयेन्मृषः ।

ज्ञात्वाऽभियोग येऽपि स्फुर्वने प्रमज्जितादयः ॥ १०७ ॥

तानप्याह्वानयेद्राजा गुरुकार्येष्वकोपयन् ।

भाने में असमर्थ लोगों को सवारी से बुलवाने का निर्देश—काल, देश और कार्य के बलाबल को समझ कर असमर्थ सज्जन पुरुषों को राजा सवारी से धीरे २ बुलवावे । और जो लोग संन्यास ग्रहण कर वन में रहते हैं उनके ऊपर अभियोग लगाने पर उन्हें भी विशेष कार्य यदि हो तभी इस रीति से सन्मानपूर्वक बुलवावे कि वे कुपित न हों ।

व्यवहारानभिज्ञेन ह्यन्यकार्याकुलेन च ॥ १०८ ॥

प्रत्यर्थिनाऽर्थिना तब्धः कार्यः प्रतिनिधिस्तदा ।

अर्थी-प्रार्थी के अन्य कार्य में व्यस्त रहने पर प्रतिनिधि करने का निर्देश—व्यवहार (मुकदमा लड़ना) न जानता हो या किसी कार्य में व्यस्त हो ऐसा वादी या प्रतिवादी चाहे जो हो वह मुकदमे के जानकार किसी भी व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनावे ।

अप्रगल्भजटोन्मत्त-वृद्धस्त्रीवालरोगिणाम् ॥ १०९ ॥

पूर्वोत्तरं वदेद् बन्धु-निधुक्तो वाऽथवा नरः ।

पिता माता सुहृद् बन्धु-भ्राता संबन्धिनोऽपि च ॥ ११० ॥

यदि कुर्युरुपस्थानं वादं तत्र प्रवर्तयेत् ।

अप्रगल्भ आदि के उत्तर पक्ष को बन्धु आदि को बहने का तथा पक्ष ठीक-ठीक कह सकने पर ही विवाद को प्रवृत्त करने का निर्देश—अप्रगल्भ (बातचीत करने में बेवकूफ), जड़, पागल, वृद्ध, स्त्री, बालक और रोगी इन लोगों के पूर्व पक्ष या उत्तर पक्ष को इनके बन्धु या नियुक्त कोई प्रतिनिधि यदि कह सकें अथवा इनके पिता, माता, मित्र, बन्धु, भाई या सम्बन्धी पूर्वपक्षादि को ठीक २ कह सकें तो मुकदमे की कार्यवाही प्रारम्भ कर दें ।

यः कश्चित्कारयेत् किञ्चिन्नियोगाद् येन केनचित् ॥ १११ ॥

तत्तेनैव कृतं ज्ञेयमनिवर्त्यं हि तत्स्मृतम् ।

जिस किसी से कार्य करा लेने पर वह उसी का किया समझने का निर्देश—यदि कोई किसी को अपना प्रतिनिधि बनाकर उससे जो कुछ कार्य करा ले तो वह उसी का ही किया हुआ समझना चाहिये । और उसे पलटा नहीं जा सकता है ।

नियोगितस्यापि भृति विवादात् पोटशांशिकीम् ॥ ११२ ॥

विंशत्यंशां तदर्धा वा तदर्धा च नदर्धिकाम् ।

यथा द्रव्याधिकं कार्यं हीना हीना भृतिस्तथा ॥ ११३ ॥

यदि बहुनियोगी स्यादन्यथा तस्य पोषणम् ।

धर्मज्ञो व्यवहारज्ञो नियोक्तव्योऽन्यथा न हि ॥ ११४ ॥

अन्यथा भृतिगृह्णन्तं दण्डयेच्च नियोगिनम् ।

नियोजित पुरुष को १६ वां भाग भृति (फीस) देने एवं अन्यथा फीस ग्रहण करनेवाले को दण्ड देने का निर्देश—नियुक्त किये हुये वकील आदि की फीस मुकदमे की हैसियत में १६ वें हिस्से के बराबर या बीसवें, दसवें, पांचवें या षाड़वें हिस्से के बराबर होनी चाहिये । यदि बहुत से नियोगी हों तो जैसा अधिक द्रव्य हो उसके अनुसार कम कम करके फीस दे । अन्यथा फीस देने की शक्ति न हो तो उसका पालन-पोषण करना चाहिये । और धर्म तथा व्यवहार को जाननेवाला व्यक्ति नियुक्त करना चाहिये अन्यथा नहीं करना चाहिये । यदि इससे अधिक फीस कोई मांगता है तो वह दण्डनीय होता है ।

कार्यो नित्यं नियोगी च नृपेण स्वमनीषया ॥ ११५ ॥

लोभेन त्वन्यथा कुर्वन् नियोगी दण्डमर्हति ।

यो न भ्राता न च पिता न पुत्रो न नियोगकृत् ॥ ११६ ॥

परार्थवादी दण्ड्यः स्याद् व्यवहारेषु विद्मवन् ।

राजा को अपनी बुद्धि से नियोगी करने का और नियोगी का लोभ से अन्यथा करने पर दण्डयोग्य होने का एवं भ्राता आदि न होने पर कुछ कहने पर दण्ड योग्य होने का निर्देश—राजा अपनी बुद्धि से विचार कर सदा नियोगी पुरुष को नियुक्त करे । यदि नियोगी पुरुष लोभ से अन्यथा करे तो वह दण्डनीय होता है । जो भाई, पिता, पुत्र या नियोगी पुरुष (वकील आदि) न होकर दूसरे के लिये कुछ कहता है या व्यवहार में अन्यथा (विपरीत) बात करता है वह दण्डनीय होता है ।

तदधीनकुटुम्बिन्यः स्वैरिण्यो गणिकाश्च याः ॥ ११७ ॥

निष्कुला याश्च पतितास्तासामाह्वानमिष्यते ।

कचहरी में बुलाने योग्य स्त्रियों का निर्देश—जो स्त्रियाँ स्वयं कमाकर कुटुम्ब की जीविका चला रही हैं या व्यभिचारिणी किंवा वेश्यावृत्ति करनेवाली हैं, या हीन कुलवाली या पतिता (जातिव्युता) हों उन्हें राजा कचहरी में बुला सकता है ।

प्रवर्तयित्वा वादं तु वादिनौ तु मृत्तौ यदि ॥ ११८ ॥

तत्पुत्रो विवदेत्तज्ञो ह्यन्यथा तु निवर्तयेत् ।

विवाद को लगाकर मर जाने पर पुत्र को विवाद करने का निर्देश—मुकदमा कायम करके यदि वादी-प्रतिवादी मर जायं तो उनके पुत्र मुकदमा लड़ सकते हैं । यदि वे लड़ने के लिये न आवें तो राजा मुकदमा समाप्त (खारिज) कर दे ।

मनुष्यमारणे स्तेये परदाराभिमर्शने ॥ ११६ ॥

अभक्ष्यभक्षणे चैव कन्याहरणदूपणे ।

पारुष्ये कूटकरणे नृपद्रोहे च साहसे ॥ १२० ॥

प्रतिनिधिर्न दातव्यः कर्ता तु विवदेत् स्वयम् ।

मनुष्य की हत्यादि अपराधों में प्रतिनिधि करने का निर्देश—मनुष्य की हत्या करने पर, या चोरी, किसी पराई स्त्री के साथ व्यभिचार, अभक्ष्य (न खाने योग्य शास्त्र निषिद्ध पदार्थ) भक्षण किंवा किसी की कन्या हरण, या किसी को कठोर वचन का प्रयोग, जालसाजी, राजद्रोह, साहस (डाका पड़ना) हत्यादि करने पर प्रतिनिधि नहीं देना चाहिये प्रत्युत स्वयं कर्ता उपस्थित होकर मुकदमा लड़े ।

आहूतो यत्र नागच्छेद् दर्पाद् बन्धुबलान्वितः ॥ १२१ ॥

अभियोगानुरूपेण तस्य दण्डं प्रकल्पयेत् ।

अपने बन्धु-बल के घमण्ड में आकर स्वयं न आने पर दण्ड देने का निर्देश—और यदि उक्त मुकदमों में अभियुक्त (अपराधी) अपने बन्धु-बल के घमण्ड में आकर स्वयं न आवे तो राजा उसे जबरदस्ती बुलाकर अपराधानुरूप दण्ड देवे ।

दूतेनाह्वानितं प्राप्तार्घर्षकं प्रतिवादिनम् ॥ १२२ ॥

दृष्ट्वा राज्ञा तयोश्चिन्त्यो यथार्हप्रतिभृस्त्वतः ।

दास्याम्यदत्तमेतेन दर्शयामि तवान्तिके ॥ १२३ ॥

एनमाधिं दापयिष्ये ह्यस्मात्तेन भयं क्वचित् ।

अकृतं च करिष्यामि ह्यनेनायं च वृत्तिमान् ॥ १२४ ॥

प्रतिभू (जमानतदार) के कृत्यों का निर्देश—दून (चपरासी) के द्वारा बुलाने से आवे हुये अपराधी या प्रतिवादी को देखकर राजा उन दोनों के

लिये योग्य जमानतदार को सोचसमझकर स्वीकार करे जो कि सावधान होकर यह स्वीकार करे कि हिंदी का रूपया यदि प्रतिवादी न दे तो मैं देने को तैयार हूँ और यदि अपराधी नियत नारीख पर नहीं आवेगा तो मैं उसे लाकर उपस्थित करूँगा, और जो कुछ इसके पास धरोहर रूप में रखा होगा उसे मैं दिला दूँगा, इससे तुम्हें कभी भय नहीं करना चाहिये, इसने जो अभी तक नहीं कर पाया है उसे मैं पुनः इसी से करा दूँगा। यह स्थिर भाजीबिज्ञावाला है, दरिद्र नहीं है।

अस्तीति न च मिथ्यैतदङ्गीकुर्यादतन्द्रितः ।

प्रगल्भो बहुविधस्तश्चाधीनो त्रिश्रुतो धनी ॥ १२५ ॥

उभयोः प्रतिभूः प्रोक्तः समर्थः कार्यनिर्णये ।

विवादिनो संनिरुध्य ततो वादं प्रवर्तयेत् ॥ १२६ ॥

यह कभी मिथ्या व्यवहार नहीं करनेवाला है इस प्रकार से जो बोलनेवाला, बहुत लोगों का विश्वासपात्र, राजा के अधीन रहनेवाला, विख्यात और धनी एवं कार्य का निर्णय करने में समर्थ हो ऐसे जमानतदार को राजा स्वीकार करे। इसके बाद राजा वादी तथा प्रतिवादी को अपने समक्ष उपस्थित कर मुकदमा देखना प्रारम्भ करे।

स्वपुत्रौ राजपुत्रौ वा स्वभृत्या पुत्ररक्षकौ ।

ससाधनो तत्त्वमिच्छुः कूटसाधनशङ्कया ॥ १२७ ॥

विवाद के साधनों की जांच कर लेने का निर्देश—कोई वादी या प्रतिवादी अपने २ साधनों में कोई जालसाजी तो नहीं है इसलिये तरव को जानने का इच्छुक राजा यह देखे कि वादी-प्रतिवादी दोनों अपनी पुष्टि कर रहे हैं या नहीं, राजा के द्वारा उनकी पुष्टि हो रही है या नहीं, अपनी २ नौकरी से प्रमाणों की पुष्टि की रक्षा कर रहे हैं या नहीं, और अपने २ मुकदमे के सम्पूर्ण साधनों से युक्त है या नहीं।

प्रतिज्ञादोपनिर्मुक्तं साध्यं सत्कारणान्वितम् ।

निश्चितं लोकसिद्धं च पक्षं पक्षविदो विदुः ॥ १२८ ॥

पक्ष के लक्षण—जो प्रतिज्ञा के दोषों से रहित, उत्तम कारणों से युक्त, साधनों द्वारा सिद्ध किया जानेवाला, निश्चित किया हुआ एवं लोकसिद्ध हो उसे पक्षवेत्ता लोग 'पक्ष' कहते हैं।

अन्यार्थमर्थहीनं च प्रमाणागमवर्जितम् ।

लेख्यहीनाधिकं भ्रष्टं भाषादोषा उदाहृताः ॥ १२९ ॥

भाषा (भर्जादावा) के दोषों का निर्देश—जो अन्यर्थक या अर्थ से हीन,

प्रमाण या लोक-शास्त्र से विरुद्ध, लिखने में न्यूनता, अधिकता या भ्रष्टता से युक्त हो, उसे मायादोष कहते हैं, अर्थात् वे अर्जादावा के दोष कहे गये हैं।

अप्रसिद्ध निराबाध निरर्थं निष्प्रयोजनम् ।

असाध्य वा विरुद्धं वा पक्षाभासं विवर्जयेत् ॥ १३० ॥

पक्षाभास को छोड़ देने का निर्देश—जो अप्रसिद्ध, निराबाध, निरर्थक, निष्प्रयोजन, असाध्य वा विरुद्ध पक्ष हो उसे 'पक्षाभास' समझ कर छोड़ दे।

न केन विच्छ्रुतादृष्टः सोऽप्रसिद्ध उदाहृतः ।

अहं मूकेन संशप्तो बन्ध्यापुत्रेण ताडितः ॥ १३१ ॥

अप्रसिद्ध के लक्षण—जो किसी ने न सुना हो और न देखा हो उसे 'अप्रसिद्ध' कहते हैं, जैसे मुझे गूगे ने गाली दी या बन्ध्या स्त्री के लड़के ने मारा है।

अधीते सुस्वरं गाति स्वगेहे विहरत्ययम् ।

घत्ते मार्गमुखद्वारं मम गेहसमीपतः ॥ १३२ ॥

इति ज्ञेयं निराबाधं निष्प्रयोजनमेव तत् ।

निराबाध या निष्प्रयोजन के लक्षण—यह अपने गृह में रहकर उच्च स्वर से पढ़ता है, या स्वर के साथ सुन्दर रीति से गाता है किंवा विहार करता है। अथवा मेरे घर के समीप में मार्ग की ओर अपने गृह का द्वार बनाता है इन सबों को 'निराबाध' और 'निष्प्रयोजन' भी कहते हैं। क्योंकि ऐसा करने में कोई किसी को रोक नहीं सकता है इससे यह 'निराबाध' और 'निष्प्रयोजन' भी कहलाता है।

सदा महत्तकन्यायां जामाता विहरत्ययम् ॥ १३३ ॥

गर्भं घत्ते न बन्धयेयं मृतोऽर्यं न प्रभाषते ।

किमर्थमिति तज्ज्ञेयमसाध्यं च विरुद्धकम् ॥ १३४ ॥

असाध्य या विरुद्ध के लक्षण—यह मेरा जामाता (दामादा) मेरी दी हुई कन्या के साथ सदा क्यों रमण करता है? यह बन्ध्या स्त्री क्यों नहीं गर्भ धारण करती है। यह मरा हुआ मनुष्य क्यों नहीं धोल्ता है इन सबों को 'असाध्य' वा 'विरुद्ध' कहते हैं।

महत्तदुःखसुखनी लोको दूयते न न नन्दति ।

निरर्थमिति वा ज्ञेयं निष्प्रयोजनमेव वा ॥ १३५ ॥

निरर्थक या निष्प्रयोजन के लक्षण—मेरे द्वारा दिये दुःख या सुख से लोग क्यों दुःखी या सुखी होते हैं अथवा निन्दा या स्तुति करते हैं? इसको 'निरर्थक' वा 'निष्प्रयोजन' भी कहते हैं।

श्रावयित्वा तु यत्कार्यं त्यजेदन्यद् वदेदसौ ।

अन्यपक्षाश्रयाद्वादी हीनो दण्ड्यश्च स स्मृतः ॥ १३६ ॥

दण्डनीय वादी के लक्षण—जो वादी जिस कार्य को सुनाकर पुनः उसे छोड़ दे और उसके विरुद्ध पक्ष का आश्रय लेकर दूसरे दण्ड से कहने लगे तो वह हीन समझा जाता है और दण्डनीय होता है ।

विनिश्चिते पूर्वपक्षे प्राह्याप्राह्यविशोधिते ।

प्रतिज्ञार्थे स्थिरोभूते लेखयेदुत्तरं ततः ॥ १३७ ॥

उत्तर लेखन का निर्देश—जब पूर्वपक्ष (अर्जोदावा) पूर्ण हो जाय और उसमें ग्रहण करने या त्याग करने योग्य बातों का निर्णय हो जाय और प्रतिज्ञा किये हुये अर्थ का निश्चय हो जाय तब उसके बाद उत्तर लिखावे ।

तत्राभियोक्ता प्राक् पृष्टो ह्यभियुक्तस्त्वनन्तरम् ।

प्राड्विवाकः सदस्यश्चैर्दाप्यतै ह्युत्तरं ततः ॥ १३८ ॥

श्रुतार्थस्योत्तरं लेख्यं पूर्वावेदकसन्निधौ ।

पक्षस्य व्यापकं सारसन्दिग्धमनाकुलम् ॥ १३९ ॥

अध्याख्ययोग्यमित्येतन्नितुं प्रतिवादिना ।

असंदिग्ध उत्तर के लक्षण—उसमें प्रथम वादी से पूछना चाहिये बाद में प्रतिवादी से पूछना उचित है । इन सबों के बाद प्राड्विवाक (जत्र), सदस्य (जूरी) आदि से उत्तर दिलाये, सुने हुये अर्थ का उत्तर प्रथम दावा करनेवाले के समीप में (समक्ष) लिखे जिसमें उसके पक्ष का व्यापक वर्णन होने हुये सारभाग हो और असंदिग्ध एवं त्रुटिशून्य हो । और जिसमें बिना व्याख्या के ही समझ में आ जाय तथा प्रतिवादी द्वारा किसी प्रकार की आपत्ति करने योग्य न हो ।

तन्दिग्धमन्यत् प्रकृतादत्यल्पमतिभूरि च ॥ १४० ॥

पक्षैकदेशे व्याप्यं यत्तत् नैवोत्तरं भवेत् ।

सन्दिग्ध उत्तर के लक्षण—और जो उत्तर संदेहयुक्त, अल्पज्ञ से बाहर, अत्यन्त संक्षिप्त, अत्यन्त विस्तृत, पक्ष के एक ही अंश में व्याप्त रहनेवाला (अर्थात् संपूर्ण अंश पर प्रकाश न डाला गया हो) ऐसे जो उत्तर हों उन्हें नहीं लिखना चाहिये ।

न चाहूतो वेदतिक्रिद्धोनो दण्ड्यश्च स स्मृतः ॥ १४१ ॥

दण्डयोग्य प्रतिवादी के लक्षण—और बुझाने पर भी यदि प्रतिवादी उत्तर न दे तो वह हीन एवं दण्डनीय होता है ।

पूर्वपक्षे यथार्थे तु न दद्यादुत्तरं तु यः ।

प्रत्यर्था दापनीयः स्यात् सामादिभिरूपक्रमैः ॥ १४२ ॥

पूर्वपक्ष (वादी का पक्ष) यदि यथार्थ होने पर प्रतिवादी कुछ उत्तर न

दे तो प्रतिवादी पर डिग्री कर देना चाहिये और सामादि उपायों से वादी को रुपया दिला देना चाहिये ।

मोहाद्वा यदि वा शाठ्याद् यन्नोक्तं पूर्ववादिना ।

उत्तरान्तर्गतं वा तत्प्रश्नैर्ग्राह्यं द्वयोरपि ॥ १४३ ॥

मोहवश या शाठ्यावश पहले वादी ने जो नहीं भी कहा है और प्रतिवादी ने उत्तर देते समय जिसे न कहा हो उसे जज प्रश्न करके साफ कर ले ।

सत्यमिथ्योत्तरं चैव प्रत्यवस्कन्दनं तथा ।

पूर्वव्यायविधिश्चैवमुत्तरं स्याच्चतुर्विधम् ॥ १४४ ॥

४ प्रकार के उत्तर—१. सत्य उत्तर २. मिथ्या उत्तर, ३. प्रत्यवस्कन्दन, ४. पूर्वव्यायविधि इस भांति से उत्तर ४ प्रकार का होता है ।

अङ्गीकृतं यथार्थं यद् वाच्यं प्रतिवादिना ।

सत्योत्तरं तु तज्ज्ञेयं प्रतिपत्तिश्च सा स्मृता ॥ १४५ ॥

सत्योत्तर के लक्षण—वादी ने जो कुछ कहा है वह ठीक है ऐसा प्रतिवादी के स्वीकार करने पर जो उत्तर है वह 'सत्य' उत्तर कहा जाता है, उसको 'प्रतिपत्ति' भी कहते हैं ।

श्रुत्या भापार्थमन्यस्तु यदि तं प्रतिपेधति ।

अर्थतः शब्दतो वापि मिथ्या तज्ज्ञेयमुत्तरम् ॥ १४६ ॥

मिथ्योत्तर के लक्षण—वादी के भापार्थ (प्रार्थना पत्र) को सुनकर यदि प्रतिवादी उसको नहीं स्वीकार करता है अर्थात् निषेध करता है तो उसे 'मिथ्या' उत्तर कहते हैं । चाहे वह शब्द या अर्थ को लेकर हो ।

मिथ्यैतन्नाभिजानामि तदाहृतत्र नःसन्निधिः !

अजातश्चास्मि तत्काले इति मिथ्या चतुर्विधम् ॥ १४७ ॥

मिथ्योत्तर के ४ प्रकार—१. यह मिथ्या है, २. इसे मैं नहीं जानता हूँ, ३. उस समय मैं वहाँ उपस्थित नहीं था, और ४. मैं तो तब उत्पन्न भी नहीं हुआ था । इस प्रकार से 'मिथ्या उत्तर' चार प्रकार का होता है ।

अथिना लिखितो ह्यर्थः प्रत्यर्थी यदिहृतं तथा ।

प्रपद्य कारणं ब्रूयात् प्रत्यवस्कन्दनं हि तत् ॥ १४८ ॥

प्रत्यवस्कन्दन के लक्षण—अर्थी (वादी) ने जो दावा में लिखा है उसको यदि प्रत्यर्थी (प्रतिवादी) स्वीकार करके भी उस दोष के करने में कारण को कहे तो वह 'प्रत्यवस्कन्दन' उत्तर कहलाता है । इसको बात मान कर पुनः उसे काटना कहते हैं ।

अस्मिन्नर्थे ममानेन वादः पूर्वमभूत्तदा ।

जितोऽहमिति चेद् ब्रूयात् प्राङ्न्यायः स उदाहृतः ॥ १४९ ॥

प्राङ्न्याय के लक्षण—इस तरह का इनका हमारा विवाद पहले हो चुका है जिसमें हमारी जीत हो चुकी है ऐसा यदि प्रतिवादी कहे तो उस उत्तर का नाम 'पूर्वन्यायविधि' अथवा 'प्राङ्न्याय' कहलाता है ।

जयपत्रेण सभ्यैर्वा साक्षिभिर्भावयाम्यहम् ।

मया जितः पूर्वमिति प्राङ्न्यायस्त्रिविधः स्मृतः ॥ १५० ॥

प्राङ्न्याय के ३ प्रकार—१. जयपत्र (डिप्री), २. जूरियो ३. या मात्तियों के द्वारा 'मेरी डिप्री हो चुकी है' इस बात को सिद्ध कर रहा हूँ' ऐसे उत्तर वाले 'प्राङ्न्याय' के उक्त प्रकार से तीन भेद होते हैं ।

अन्योऽन्ययोः समक्षं तु वादिनोः पक्षमुत्तरम् ।

न हि गृह्णन्ति ये सभ्या दण्डथास्ते चौरवत् सदा ॥ १५१ ॥

परस्पर एक दूसरे के समक्ष ही वादी प्रतिवादी के क्रमशः पक्ष और उत्तर को जो सुनकर तदनु रूप नहीं लिख लेते हैं या नहीं स्वीकार करते हैं वे चोर की भांति सदा दण्ड पाने योग्य होते हैं ।

लिखिते शोधिते सभ्यक् सति निर्दोष उत्तरे ।

अर्थिप्रत्यथिनोर्वापि क्रिया कारणमिष्यते ॥ १५२ ॥

लिखे हुये उत्तर के भलीभांति शोधित हा जाने पर जब दोपरहित हो जाय तब वादी-प्रतिवादी की क्रिया अर्थात् माझी का लेखपत्र, आदि का प्रमाण दिखाना आदि ही जयपत्र (डिप्री) का कारण होता है ।

पूर्वपक्ष. स्मृतः पादो द्वितीयश्चोत्तरात्मकः ।

क्रियापादस्तृतीयस्तु चतुर्थो, निर्णयाभिधः ॥ १५३ ॥

व्यवहार ४ ४ पाद—इस प्रकार से व्यवहार (मुकदमे) के ४ पाद होते हैं जिसमें १- पूर्व पक्ष, २- उत्तर ३- क्रिया ४- निर्णय ये क्रमसे हैं ।

कार्यं हि माध्यमित्युक्तं साधनं तु क्रियोच्यते ।

अथा तृतीयपादे तु क्रियया प्रतिपादयेत् ॥ १५४ ॥

कार्य को 'साध्य' और साधन को 'क्रिया' कहते हैं, अतः अर्था (वादी) व्यवहार के तृतीय पाद क्रिया (तहकीकात) होने पर प्रमाणों (साधनों) को जज के समक्ष उपस्थित करे ।

चतुष्पाद् व्यवहारः स्यात् प्रतिपत्त्युत्तरं विना ।

प्रतिपक्ष-सञ्ज्ञक (सत्य) उत्तर में अर्थात् जहां पर प्रतिवादी वादी के पक्ष को स्वीकार कर लेता है वहा पर व्यवहार (मुकदमा) दो ही पाद का माना जाता है शेष में ४ पाद का होता ही है ।

क्रमागतान् विवादांस्तु पश्येद्वा कार्यगौरवात् ॥ १५५ ॥

प्रथम निर्णय के योग्य न्याय वा विवाद का निर्देश—राजा विवादों

(मुकदमों) को क्रमानुसार अथवा कार्य की गुरुता के अनुसार क्रम को त्याग कर सर्वप्रथम देखें ।

यस्य वाऽभ्यधिका पीडा कार्यं वाऽभ्यधिकं भवेत् ।

वर्णानुक्रमतो वापि नयेत् पूर्वं विवादयेत् ॥ १५६ ॥

जिसको अधिक पीड़ा हो या अधिक कार्य हो इसका विचार कर ब्राह्मणादि वर्णों के अनुसार मुकदमों को प्रथम पेशी में लेवे और उसका निर्णय करे ।

कल्पयित्त्वोत्तरं सभ्यैर्दोषतयैकस्य भावना ।

सभ्यो (जूरियो) को उचित है कि वह प्रतिवादी के पास से उत्तर लेकर वादी को साध्य का साधन जुटाने के लिये अवसर दें ।

साध्यस्य साधनार्थं हि निर्दिष्टा यस्य भावना ॥ १५७ ॥

विभाषयेत् प्रतिज्ञातं सोऽस्त्रिलं लिखितादिना ।

साध्य को सिद्ध करने वाले साधनों को उपस्थित करने के लिये जिस वादी को अवसर दिया गया, वह लिखित आदि साधनों के द्वारा समस्त प्रतिज्ञात अर्थ प्रमाणित करे ।

न चैकस्मिन् विवादे तु क्रिया स्याद्वादिनोर्द्वयोः ॥ १५८ ॥

एक विवाद में दो वादियों की क्रिया नहीं होने का निर्देश—एक ही विवाद में दोनों वादी-प्रतिवादी के लिये प्रमाण देने का प्रयास करना उचित नहीं होता है अर्थात् एक ही को प्रमाण देने के लिये कहना चाहिये ।

मिथ्या क्रिया पूर्ववादे कारणे प्रतिवादिनि ।

प्राह्वन्यायकारणोक्तौ तु प्रत्यर्था निर्दिशेत् क्रियाम् ॥ १५९ ॥

यह प्रतिवादी का उत्तर मिथ्या हो तो उसे सिद्ध करने के लिये पूर्ववादी को प्रमाण देने के लिये कहना चाहिये । और यदि प्रतिवादी का प्रमाण झूठा हो तो उसे सिद्ध करने के लिये प्रतिवादी से प्रमाण मांगना चाहिये । और यदि प्रतिवादी यह कहे कि मेरा इन के साथ पूर्व में विवाद होकर उसमें मेरी जीत हो चुकी है तो उसका प्रमाण देने के लिये उससे कहना चाहिये ।

कारणात् पूर्वपक्षोऽपि उत्तरत्वं प्रपद्यते ।

पूर्व पक्ष भी कभी २ कारणवत् उत्तर पक्ष का आश्रय लेता है ।

ततोऽर्थो लेखयेत् सद्यः प्रतिज्ञाताथसाधनम् ॥ १६० ॥

तत्साधनं तु द्विविधं मानुषं दैविकं तथा ।

साधन के भेद—पूर्व पक्षी के द्वारा उत्तर दे चुकने के बाद वादी तत्काल प्रतिज्ञात विषय को सिद्ध करने के लिये प्रमाण को लिखावे । वह प्रमाण मानुष तथा दैविक भेद से २ प्रकार का होता है ।

क्रिया स्यात्त्रिखितं भुक्तिः साक्षिणश्चेति मानुषम् ॥ १६१ ॥

दैवं घटादि तद्भव्यं भूतालाभाभियोजयेत् ।

इसमें लिखित, भोगयुक्त (कट्टे में रहना), और साक्षी, ये तीन प्रकार के मानुष प्रमाण होते हैं । तुला-दण्डादि रूप प्रमाण को 'दैव' कहते हैं । इसी को 'भव्य' भी कहते हैं । इसका प्रयोग यथार्थ का निश्चय न होने पर किया जाता है ।

तत्र च्छलानुसारित्वाद् भूतं भव्यं द्विधा स्मृतम् ॥ १६२ ॥

तत्र्वं सत्यार्थाभिभायि कूटाद्यभिहितं छलम् ।

तत्र तथा छलानुसार मे भूत तथा भव्य दो प्रकार एवम् तत्र और छल के लक्षण—तत्र तथा छल के अनुसार से साधन-क्रम मे भूत तथा भव्य रूप से २ प्रकार का कहा गया है । उसमें सत्य अर्थ का प्रतिपादक साधन 'तत्र' कपट आदि से युक्त साधन 'छल' कहा जाता है ।

छलं निरस्यं भूतेन व्यवहारान् नयेन्नृपः ॥ १६३ ॥

युक्त्याऽनुमानतो नित्यं सामादिभिरुपक्रमैः ।

राजा युक्ति, अनुमान तथा सामादि उपार्यों से छल को दूर कर यथार्थ साधनों से व्यवहारों (मुकदमों) को सदा देखे ।

न कालहर्षण कार्यं राजा साधनदर्शने ॥ १६४ ॥

महान् दोषो भवेत् कालाद्धर्मव्यापात्तलाक्षणः ।

राजा वादी-प्रतिवादियों के साधनों (प्रमाणों) को देखने में समय न बिताये वरिष्ठ तत्काल ही देखे । अन्यथा विलम्ब करने से धर्मनाश रूपी महान् दोष उपस्थित हो जाता है ।

अधिप्रत्यधिप्रत्यक्षं साधनानि प्रदर्शयेत् ॥ १६५ ॥

अप्रत्यक्षं तयोर्नैव गृह्णीयान् साधनं नृपः ।

विवादी को अपने २ साधन प्रत्यक्ष दिखाने का निर्देश—राजा अधी-प्रत्यधी (वादी-प्रतिवादी) दोनों के सामने साधनों को दिखावे और दोनों के परोक्ष में साधन न देखे ।

साधनानां च ये दोषा वक्तव्यास्ते विवादिनाः ॥ १६६ ॥

गूढास्तु प्रकटाः सभ्यैः काले शास्त्रप्रदर्शनात् ।

जो दोष गुप्त हों उनको समामद प्रकट करें, इसका निर्देश—विवाद करने वाला (वादी या प्रतिवादी) एक दूसरे के साधनों के दोषों को बड़े और छिपे हुये साधन के दोषों को विचार के लिये नियुक्त पुरुषों के द्वारा विचार करने के समय शास्त्रों के आधार पर प्रकट रूप से कहना चाहिये ।

अन्यथा दूपयन् दण्ड्यः साध्यार्थादेव हीयते ॥ १६७ ॥

विमृश्य साधनं सम्यक् कुर्यान् कायविनिर्णयम् ।

यदि वादी अन्यथा अर्थात् शास्त्र (कानून) के विरुद्ध किसी साधन में व्यर्थ द्योष दिखाता है तो वह दण्डनीय होता है और वह जिसे निरुद्ध करना चाहता है उससे स्तुत हो जाता है (उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाता है) । अतः राजा साधनों (प्रमाणों) पर पूर्ण विचार कर विवाद का निर्णय करे ।

कूटसाधनकामी तु दण्डयः कार्यानुरूपतः ॥ १६८ ॥

द्विगुणं कूटसाधनी तु माद्यलोपी तथैव च ।

कूटसाधनी और माद्यलोपी को दूना दण्ड देने का निर्देश—सूझा प्रमाण उपस्थित करने वाला (वादी या प्रतिवादी) कार्य (मुकदमा) के अनुसार थोड़ा या अधिक दण्ड (जुर्माना) का अधिकारी होता है । झूठी गवाही देने वाला या गवाह की नहीं बात को न मानने वाला पुरुष द्विगुण दण्ड का भागी होता है ।

अधुना लिखितं वक्षिं यथावदनुपूर्वशः ॥ १६९ ॥

अनुभूतस्मारकं तु लिखितं ब्रह्मणा कृतम् ।

इस समय मैं आनुपूर्वी ऋम से यथावत् लिखित साधन के विषय में कहता हूँ । ब्रह्मा ने अनुभूत विषय को स्मरण कराने के लिये 'लिखित' का निर्माण किया है ।

राजकीयं लौकिकं च द्विविधं लिखितं स्मृतम् ॥ १७० ॥

स्वहस्तलिखितं वाऽन्यहस्तेनापि बिलेखितम् ।

असाक्षिमत् साक्षिमच्च सिद्धिदेशस्थितेस्तयोः ॥ १७१ ॥

लिखित के दो प्रकारों के निर्देश—राजकीय और लौकिक भेद से लिखित दो प्रकार का होता है । और इनमें से प्रत्येक लिखित पुनः अपने हाथ से और दूसरे के हाथ से लिखा होने से दो प्रकार का होता है । और सभी प्रकार के लेख साक्षी से युक्त या बिना साक्षी के भी होते हैं । उनकी सिद्धि देश की स्थिति के अनुसार होती है ।

भाग-दान-क्रयाऽऽधान-संविद्-दास-ऋणादिभिः ।

सप्रधा लौकिकं चेतम्—

लौकिक लिखित के ७ प्रकारों का निर्देश—१. भाग (बटवारा), २. दान, ३. क्रय, ४. आधान (धरोहर), ५. संविद् (इकरार), ६. दास, ७. ऋण आदि भेद से लौकिक लिखित ७ प्रकार का होता है ।

—त्रिविधं राजशासनम् ॥ १७२ ॥

शासनार्थं शापतार्थं निर्णयार्थं तृतीयकम् ।

राजशासन के ३ प्रकार—और राजकीय लिखित तीन प्रकार का है

जिसमें प्रथम शासन के लिये, द्वितीय सूचना के लिये, तृतीय निर्णय के लिये है।

साक्षिमद्रिक्थ्यभिमतं भागपत्रं सुभक्तियुक् ॥ १७३ ॥

सिद्धिकृच्चान्यथा पित्रा कृतमप्यकृतं स्मृतम् ।

जो भाग पत्र (बटवारे का लेख पत्र) साक्षी से हो और जिसमें धनवाले, दायारों (पट्टेदारों) से स्वीकृत, भलीभांति से विभाग का विषय निश्चित किया हुआ हो वह माननीय होता है। अन्यथा पिता से किया हुआ भी भागपत्र अमाननीय होता है।

दायादाभिमतं दान-ऋय-विक्रय-पत्रकम् ॥ १७४ ॥

स्थावरस्य ग्रामपाटिसाक्षिकं सिद्धिकृत् स्मृतम् ।

और दानपत्र, ऋय (खरादना) पत्र, विक्रय (बँचना) पत्र यदि स्थावर संपत्तिविषयक हो तो पट्टेदारों द्वारा स्वीकृत, ग्रामाधिपति आदि की साक्षी से युक्त, हो तो माननीय होता है अन्यथा अमाननीय होता है।

राज्ञा स्वहस्तसंयुक्तं स्वमुद्राचिह्नितं तथा ॥ १७५ ॥

राजकीयं स्मृतं लेख्यं प्रकृतिभिश्च मुद्रितम् ।

साधनसम लेख्य के लक्षण—राजा के द्वारा अपने हाथ से लिखा हुआ या अपनी मुद्रा (मुहर) से या मन्त्री आदि के द्वारा मुद्रा से मुद्रित लिखित को राजकीय लिखित कहते हैं।

निवेश्य कालं वर्षं च मासं पक्षं तिथिं तथा ॥ १७६ ॥

वेलां प्रदेशं विषयं स्थानं जात्याकृती वयः ।

साध्यं प्रमाणं द्रव्यं च सख्यां नाम तथात्मनः ॥ १७७ ॥

राज्ञां च क्रमशो नाम निवास साध्यनाम च ।

क्रमात् पितृणां नामानि पीडाभाहर्तृदायकौ ॥ १७८ ॥

क्षमालङ्घानि चान्यानि पक्षे सङ्कीर्त्य लेखयेत् ।

पक्ष (दाज) में काल, वर्ष, मास, पक्ष, तिथि, समय, प्रदेश, विषय (जिला), स्थान (ग्राम), जाति, आकार, अवस्था, साध्य, प्रमाण, द्रव्य, सख्या और अपना नाम लिखकर क्रमशः राजा का नाम तथा निवास और साध्य का नाम, पिता-पितामहादि का नाम, अपना कष्ट, उपार्जन करने वाला और दान देने वाला इन दोनों का नाम, चमा के चिह्न इसके अतिरिक्त अन्यान्य भी जो आवश्यक हों उन्हें कह कर लिखावे।

यत्रैतानि न लिख्यन्ते हानं लेख्यं तदुच्यते ॥ १७९ ॥

भिन्नक्रम व्युत्क्रमार्थं प्रकीर्णार्थं निरर्थकम् ।

अतीतकाललिखितं न स्यात्तत् साधनक्षमम् ॥ १८० ॥

अप्रगल्भेन च स्त्रिया बलात्कारेण यत् कृतम् ।

साधनायोग्य लेख्य के लक्षण—जिसमें ये सब बातें न लिखी हों वे पत्र 'हीनलेख्य' कहलाते हैं अर्थात् अप्रामाणिक होते हैं । और जो सिलसिलेवार न लिखा गया हो, या विपरीत अर्थ को प्रकट करने वाला, बिखरे हुए अर्थ को प्रकट करने वाला, निरर्थक, समय बीत जाने पर लिखा हुआ हो वह प्रमाण के योग्य नहीं होता है । और जो नाममन्त्री से लिखा हुआ या खी द्वारा लिखा हुआ या जबरदस्ती से लिखाया हुआ हो वह भी अप्रामाणिक होता है ।

सङ्गिर्लेख्यैः साक्षिभिश्च भोगैर्दिव्यैः प्रमाणताम् ॥ १८१ ॥

व्यवहारे नरो याति चेहामुत्राश्नुते सुखम् ।

अच्छे लेख से फल का निर्देश—मनुष्य निर्दोष लिखित प्रमाणों से, साक्षी के द्वारा, कब्जा होने से, दिव्य परीक्षादि प्रमाणों से व्यवहार में प्रामाणिकता को प्राप्त करता है । और इसलोक में तथा परलोक में सुख भोग करता है ।

स्वेतरः कायविज्ञानी यः स साक्षी त्वनेकधा ॥ १८२ ॥

दृष्टार्थश्च श्रुतार्थश्च कृतश्चैवाऽकृतो द्विधा ।

साक्षी के लक्षण और भेद का निर्देश—जो अपना सम्बन्धी न हो एवं कार्य (विवाद विषय) को जाननेवाला हो, वह साक्षी (गवाह) मानने योग्य होता है । साक्षी अनेक प्रकार का होता है । कोई भाँलों से मत्स्य देखने वाला और कोई कंबल सुनने वाला होता है । कृत और अकृत भेद से साक्षी दो प्रकार के होते हैं अर्थात् वादी द्वारा उपस्थित किया हुआ 'कृत' और राजा द्वारा उपस्थित किया हुआ 'अकृत' होता है ।

अधिप्रत्यर्थिसान्निध्यादनुभूतं तु प्राग् यथा ॥ १८३ ॥

दशनैः श्रवणैरेते स साक्षी तुल्यवाग् यदि ।

वादी या प्रतिवादी के समीप रहने में जैसा पहले देखने या सुनने से सुकदमे के विषय का अनुभव हुआ हो उसी के अनुरूप यदि कहने वाला हो तो वह साक्षी कहलाने योग्य होता है ।

यस्य नोपहता बुद्धिः स्मृतिः श्रोत्रं च नित्यशः ॥ १८४ ॥

सुदीर्घेणापि कालेन स वै साक्षित्वमर्हति ।

बहुत समय बीत जाने पर भी जिसकी बुद्धि स्मरण शक्ति, और श्रवण शक्ति न क्षीण हो वही सचमुच साक्षी देने योग्य होता है

अनुभूतः सत्यवाग् यः सैकः साक्षित्वमर्हति ॥ १८५ ॥

उभयानुमतः साक्षी भवत्येकोऽपि धर्मावत् ।

जिसने अनुभव किया हो और सत्य बोलने वाला हो वही साक्षी के योग्य

होता है । और कोई धर्मज्ञ साक्षी अकेले वादी-प्रतिवादी दोनों के लिये माननीय होता है ।

यथाजाति यथावर्ण सर्वे सर्वेषु साक्षिणः ॥ १८६ ॥

गृहिणो न पराधीनाः सूर्यश्चाप्रशसिनः ।

युवानः साक्षिणः कार्याः स्त्रियः स्त्रीषु च कीर्तिताः ॥ १८७ ॥

जानि और वर्ण के अनुसार सभी वर्णों में सभी वर्ण के लोग साक्षी हो सकते हैं । और गृहस्थ, किसी के अधीन न रहनेवाले, विद्वान, परदेश में नहीं रहनेवाले, युवावस्थावाले जो हों वे साक्षी बनाने योग्य होते हैं । और स्त्रियों के विवाद में स्त्रियों की साक्षी लेनी चाहिये ।

साहसेषु च सर्वेषु स्तेयसग्रहणेषु च ।

वाग्दण्डयोश्च पारुष्ये न परीक्षेत साक्षिणः ॥ १८८ ॥

साक्षी की विशेष परीक्षा न करने के विषय—सभी डांका, चोरी और बलात्कार या अपहरण, कठोर भाषण और कठोर दण्ड इन सबों में साक्षी की विशेष परीक्षा नहीं की जाती है । इनमें चाहे जो भी साक्षी दे सकता है ।

बालोऽज्ञानादसत्यात् स्त्री पापाभ्यासाच्च कूटकृत ।

विब्रूयाद् बान्धवः स्नेहाद् वैरनिर्यातनादरिः ॥ १८९ ॥

अभिमानाच्च लोभाच्च विजातिश्च शठस्तथा ।

उपजीवनसङ्कोचाद् भृत्यश्चैते ह्यसाक्षिणः ॥ १९० ॥

नार्थसम्बन्धिनो विद्यायौनसम्बन्धिनोऽपि न ।

बालादिकों को साक्षी योग्य न होने का निर्देश—बालक अज्ञान से, स्त्री झूठ बोलने का अभ्यास होने से, जालसाज निरन्तर जालसाजी करने से, बान्धव स्नेह से, शत्रु शत्रुता साधने से, हीन जातिवाला अपनी संमान-वृद्धि की आशा से, शठ लोभ से, नौकर जीविका चले जाने के भय से विरुद्ध बोल सकते हैं अतः ये सब साक्षी मानने के योग्य नहीं होते हैं । और किसी प्रकार का अर्थ (धन) सम्बन्ध रखनेवाले, साथ पढ़नेवाले और जमाई आदि सम्बन्धी ये सब भी साक्षी बनाने योग्य नहीं होते हैं ।

श्रेण्यादिषु च वर्गेषु काश्चिच्चेद् द्वेष्यतामियात् ॥ १९१ ॥

तस्य तेभ्यो न माद्य स्याद् द्वेषारः सर्व एव ते ।

श्रेणी (एक जाति के कारीगरों के समूह) आदि वर्गों में से यदि किसी एक व्यक्ति के प्रति उक्त वर्ग द्वेषी हो जाय तो उस वर्ग के किसी भी व्यक्ति की साक्षी नहीं माननी चाहिये, क्योंकि एकता होने से उस वर्ग के सभी द्वेष करनेवाले हो जाते हैं ।

न कालहरणं कार्यं राज्ञा साक्षिप्रभाषणे ॥ १९२ ॥

अर्थिप्रत्यर्थिसान्निध्ये साध्यार्थेऽपि च सन्निधौ ।

साची लेने में राजा को कालक्षेप न करने का निर्देश—साची की साची लेने में राजा समय न बिताये जब कि वादी-प्रतिवादी समीप में उपस्थित हों, और उन दोनों के समस्त व्यवहार देखने में भी देरी न करे ।

प्रत्यक्ष वादयेत् साध्यं न परोक्षं कथंचन ॥ १६३ ॥

नाङ्गीकरोति यः साध्यं दण्डयः स्याद् देशितो यदि ।

प्रत्यक्ष साची की साची लेने का निर्देश—और वादी-प्रतिवादी के समस्त में ही साची की साची सदा लेनी चाहिये, परोक्ष में कभी भी नहीं । और यदि आज्ञा देने पर भी साची देने को साची न तैयार होता है तो वह दण्डनीय होता है ।

यः साक्षान्नेव निर्दिष्टो नाहूतो नैव-देशितः ॥ १९४ ॥

व्रूयान्मध्येति तथ्यं वा दण्डयः सोऽपि नराधमः ।

दण्ड्य और नीच साची के लक्षण—जो विचारपति के समस्त साची देने के लिये उपस्थित न किया गया हो या बुलाया न गया हो अथवा आदेश न प्राप्त किया हो वह नराधम चाहे झूठ या सच ही कहे फिर भी दण्डनीय ही होता है ।

द्वेषे बहूनां वचनं समेषु गुणिनां वचः ॥ १६५ ॥

तत्राधिकगुणानां च गृह्णीयाद्वचनं सदा ।

जहाँ पर बहुत से साक्षियों के वचनों में विभिन्नता होने से सरासरी निर्णय में संशय हो जाय वहाँ पर अधिक संख्यावालों की बात माने । यदि समान संख्यावालों में विभिन्नता हो तो उनमें से जिसपर गुणी पुरुष हों उनके वचन माने एवं यदि गुणियों के वचनों में विभिन्नता जिस विषय में हो तो जो अधिक गुणी हों उनकी ही बात माने ।

यत्रानियुक्तोऽपीक्षेत शृणुयाद्वापि किञ्चन ॥ १९६ ॥

पुपुस्तत्रापि स त्रयाद् यथादृष्टं यथाश्रुतम् ।

कोई व्यक्ति बिना नियुक्त किये हुये भी यदि कुछ देखे या सुने तो उस विषय में पूछे जाने पर वह जैसा देखा या सुना हो कहे ।

विभिन्नकाले यज्ज्ञातं साक्षिभिश्चांशतः पृथक् ॥ १६७ ॥

एकैक वादयेत्तत्र विधिरेप सनातनः ।

एक-एक साची को कथन करने का निर्देश—जहाँ पर विभिन्न २ समयों में विभिन्न २ साक्षियों ने विवाद के विभिन्न २ विषयों की जो कुछ जानकारी प्राप्त की हो, तो उसे जानने के लिये वहाँ पर प्रत्येक साक्षियों की साची लेना चाहिये । यह सनातन कर्तव्य है ।

स्वभावोक्तं वचस्तेषां गृहीयाञ्च बलात् कश्चित् ॥ १६८ ॥

साक्षी लेने के प्रकारों का निर्देश—स्वाभाविक रीति से कहे हुये उन (साक्षियों) के वचनों को ग्रहण करे । किसी के दबाव से उनकी कही हुई बातों को कभी न माने ।

उक्ते तु साक्षिणा साध्ये न प्रप्रुथ्य पुनः पुनः ।

साक्षी द्वारा साक्षी के चुकने के बाद पुनः बुलाकर चारम्बार न पूछे ।

आहूय साक्षिणः पृच्छेन्नियम्य शपथैर्भृशम् ॥ १९९ ॥

पौराणैः सत्यवचन-धर्ममाहात्म्यकीर्तनैः ।

साक्षियों को बुलाकर विशेष रूप से ईश्वर का शपथ (सौगन्द) खिलाकर पृथं पुराणोक्त सत्य बोलने के धर्म का माहात्म्य वर्णन कर उनसे पूछे ।

अनृनस्यातिदोषैश्च भृशमुत्त्रासयेच्छनैः ॥ २०० ॥

और पुराणोक्त शृंठ बोलने में अत्यन्त दोषों को दिवाकर घीर २ अत्यन्त भय दिलावे ।

देशे काले कथं कस्मात् क दृष्ट वा श्रुत त्वया ।

तुमने किस देश में और किस समय में कैसे, किस कारण से क्या देखा या सुना है । इसे पूछे ।

लिखितं लेखितं यत्तद् वद सत्य तदेव हि ॥ २०१ ॥

जो लिखा गया या लिखाया हुआ हो वही सत्य २ कहो ।

सत्यं साक्ष्यं ब्रह्मन् साक्षी लोकानाप्नोति पुष्टकलान् ।

इह चानुत्तमां कीर्तिं वागेपा ब्रह्मपूजिता ॥ २०२ ॥

जो साक्षी साक्षी देते समय सत्य बोलता है वह उत्तम लोको को प्राप्त करता है । और लोक में सर्वोत्तम कीर्ति को प्राप्त करता है । यह वाक्य वेद में भी प्रशंसित है ।

सत्येन पूयते साक्षी धर्मः सत्येन वर्धते ।

तस्मात् सत्यं हि वक्तव्य सर्ववर्णेषु साक्षिभिः ॥ २०३ ॥

सत्य से साक्षी पूजित हो जाता है । सत्य से धर्म बढ़ता है । इससे सभी वर्णों में साक्षी को सभ्य हो बोलना चाहिये ।

आत्मव ह्यात्मनः साक्षी गतिरात्मैव ह्यात्मनः ।

मावमंस्थास्त्वमात्मानं नृणां साक्षित्वमुत्तमम् ॥ २०४ ॥

आत्मा ही अपना साक्षी है, और आत्मा ही अपनी गति है । इसलिये मनुष्यों का उत्तम साक्षी इस अपनी आत्मा का तुम तिरस्कार मत करो ।

मन्यते वै पापकारी न कश्चित् पश्यतीति माम् ।

तांश्च देवाः प्रपश्यन्ति तथा ह्यन्तरपूरुषः ॥ २०५ ॥

पाप करनेवाला व्यक्ति यह समझना है कि कोई पाप करते हुये मुझको नहीं देख रहा है किन्तु यह ठीक नहीं है क्योंकि उमे देवता लोग एवं उसको अन्तरात्मा देखते रहते हैं ।

सुकृतं यत्त्वया किञ्चिज्जन्मान्तरशतैः कृतम् ।

तत्सर्वं तस्य जानीहि यं पराजयसे । मृषा ॥ २०६ ॥

समाप्नोषि च तत्पापं शतजन्मकृतं सदा ।

सैकड़ों जन्मों में तपस्था करके तुमने जिन पुण्यों का उपाजन किया है वे उस व्यक्ति को प्राप्त ही जावेंगे, जिसको तुम झूठ बोलकर पराजित कर दोगे और उस पराजित पुरुष के सैकड़ों जन्मों के सभी पापों को प्राप्त करोगे इसे जान लो ।

साक्षिणं श्रावयेद्देवं मभायामरहोगतम् ॥ २०७ ॥

दद्याद्देशानुरूपं तु कालं साधनदर्शने ।

उपाधि वा समीप्यैव दैवराजकृतं सदा ॥ २०८ ॥

इस प्रकार से सभा में सबके समक्ष साक्षी को अवश्य सुना देवे । और साधन (प्रमाण) दिखाने के लिये जो समय दे वह देश के अनुरूप होना चाहिये । अथवा देव तथा राजा के द्वारा की हुई दुर्घटना का भी सदा विचार रखकर समझ दे ।

विनष्टे लिखिते राजा साक्षिभोगैर्विचारयेत् ।

लिखित के नष्ट हो जाने पर साक्षी एवं भोग (वज्रा) के आधार पर विचार करे ।

लेखसाक्षिविनाशे तु सद्भोगादेव चिन्तयेत् ॥ २०६ ॥

लेख और साक्षी न मिलने पर भोग से ही विचार करने का निर्देश— और जहां पर लेख तथा साक्षी दोनों नष्ट हो गये हों वहां पर सज्जनकृत भोग (वज्रा) देखकर ही विचार करे ।

सद्भोगाभावतः साक्षिलेखनो विमृशेत् सदा ।

और जहां पर सज्जनकृत वज्रा नहीं है वहां पर साक्षी तथा लेख के द्वारा सदा विचार करना चाहिये ।

केवलेन च भोगेन लेखेनापि च साक्षिभिः ॥ २१० ॥

कार्यं न चिन्तयेद्राजा लोकदेशादिधर्मतः ।

राजा लोक तथा देश आदि के धर्म का विचार कर केवल भोग (वज्रा), लेख या साक्षी के आधार पर ही मुकदमे का फैसला न कर देवे । बल्कि यथासंभव सभी के आधार पर विचार करे ।

कुशलाः लेख्यबिम्बानि कुर्वन्ति कुटिलाः सदा ॥ २११ ॥

तस्मान्न लेख्यसामर्थ्यात् सिद्धिरैकान्तिकी मता ।

कुशलों और कुटिलों द्वारा बनावटी लेख कर लेने का निर्देश—निपुण जालसाज लोग सदा किसी लिखावट का तदनुरूप नकल कर लेते हैं । इसलिये केवल लेख के आधार पर फैसला करना पूर्णरूप से उचित नहीं माना गया है ।

स्नेहलोभभयक्रोधैः कूटसाक्षित्वशङ्कया ॥ २१२ ॥

केवलैः साक्षिभिर्नैव कार्यं सिध्यति सर्वदा ।

केवल साक्षियों से ही कार्यसिद्धि के न करने का निर्देश—स्नेह, लोभ, भय, अथवा क्रोधवश होकर भी मनुष्य झूठी साक्षी दे सकता है, इस शंका से केवल साक्षी के आधार पर भी सदा अभियोग का उचित निर्णय नहीं हो सकता है ।

अस्वामिकं स्वामिकं वा भुङ्क्ते यद् बलदर्पतः ॥ २१३ ॥

इति शङ्कितभोगैर्न कार्यं सिध्यति केवलैः ।

केवल भोगों से ही कार्यसिद्धि न होने का निर्देश—अपने बल के घमण्ड में आकर भी मनुष्य चाहे अपनी वस्तु हो या दूसरे की किन्तु उसपर जबर-दस्ती कब्जा कर सकता है । इस लिये भोग (कब्जा) के विषय में भी सन्देह होने से केवल उसी के आधार पर ही फैसला नहीं किया जा सकता है ।

शङ्कितव्यवहारेषु शङ्कयेदन्यथा नहि ॥ २१४ ॥

अन्यथा शङ्कितान् सभ्यान् दण्डयेच्चौरवन्नृपः ।

अनुचित दण्डा उपस्थित करनेवाले को दण्ड देने का निर्देश—जिन व्यवहारों (मुकदमों) में उचित शंका हो चुकी है उनमें पुनः विपरीत शङ्का नहीं उपस्थित करनी चाहिये । यदि कोई सभा (जूरी आदि) विपरीत शङ्का उपस्थित करे तो राजा उसे चोर के समान दण्ड दे ।

अन्यथा शङ्कनान्नित्यमनवस्था प्रजायते ॥ २१५ ॥

लोको विभिद्यते धर्मो व्यवहारश्च हीयते ।

विपरीत शङ्का करने से अनवस्था होने का निर्देश—विपरीत शङ्का करने से व्यवहार में अनवस्था उत्पन्न होने से जल्दी निर्णय न हो सकेगा । और लोकाधर्म बिगड़ जावेगा तथा व्यवहार का क्रम भी टूट जायगा ।

मागमो दीघकालश्च निराक्रोशो निरन्तरः ॥ २१६ ॥

प्रत्यर्थिसन्निधानश्च भुक्तो भोगः प्रमाणवत् ।

प्रामाणिक भोग के लक्षण—भागम (लेख) के सहित, और दीर्घकाल का भोग (कब्जा) प्रामाणिक होता है और यदि स्वामी का अपनी वस्तु से विच्छेद हो गया हो या उसने एकदम से उसे छोड़ दिया हो और प्रतिवादी उसके समीप ही रहता हो तो वहाँ पर कब्जा प्रामाणिक माना जाता है ।

सम्भोगं कीर्तयेद्यस्तु केवलं नागमं क्वचित् ॥ २१७ ॥

भोगच्छलापदेशेन विज्ञेयः स तु तस्करः ।

केवल भोग बतानेवाले को चोर समझने का निर्देश—जो केवल अपना भलीभांति कब्जा ही दिग्गता है किन्तु लेख नहीं दिग्गता है । वह कुछपूर्वक कब्जा । वहलाता है अत एव उसे चोर समझना चाहिये अर्थात् वह दण्डनीय है ।

आगमेऽपि बलं नैव भुक्तिः स्तोकाऽपि यत्र नो ॥ २१८ ॥

केवक आगम (लेख) के भी प्रबल न होने का निर्देश—जहाँ पर थोड़ा भी कब्जा नहीं है वहाँ पर लेख का केवल प्रमाण माननीय नहीं होता है ।

यं क्विद्दृश वर्षाणि सन्निधौ प्रेक्षते धनी ।

भुज्यमानं परैरथ न स तं नन्धुमर्हति ॥ २१९ ॥

जो किसी अपनी वस्तु को समीप में स्वयं रहता हुआ दूसरे के द्वारा भोग करते हुये देखकर भी नहीं आपत्ति करता है और इस भांति से यदि १० वर्ष व्यतीत हो जाय तो स्वामी उस वस्तु को पाने का अधिकारी नहीं होता है ।

वर्षाणि विंशतियस्य भूर्भुक्ता तु परैरिह ।

सति राक्षि समर्थस्य तस्य सेह न सिध्याति ॥ २२० ॥

जिसकी जमीन को कोई दूसरा बीस वर्ष से भोग रहा हो किन्तु समर्थ रहने पर भी वह आपत्ति नहीं करता है तो राजा के रहते हुये भी वह व्यक्ति इस लोक में पुनः उक्त भूमि को नहीं प्राप्त कर सकता है ।

अनागमं तु यो भुङ्क्ते बहून्यब्दशतान्यपि ।

चौरदण्डेन तं पापं दण्डयेत् पृथिवीपतिः ॥ २२१ ॥

जिस भूमि को बिना लिखित प्रमाण के कोई कई सौ वर्षों से भोग रहा हो किन्तु जब उसके वस्तुतः स्वामी का पता लग जाय तो राजा कब्जा करनेवाले उस पापी को चोर की भाँति दण्ड दे ।

अनागमाऽपि याभुक्तिर्विच्छेदोपरमोन्मिता ।

पट्टिवर्षात्मिका साऽपहर्तुं शक्या न केनचित् ॥ २२२ ॥

६० वर्ष से भोग में आती हुई वस्तु को किसी के द्वारा न छीने जा सकने का निर्देश—किसी वस्तु पर बिना लेख के जो किसी का कब्जा हो, और स्वामी का उस वस्तु से विच्छेद हो या उसने एकदम से छोड़ दिया हो तो ६० वर्ष व्यतीत हो जाने पर उसे पुनः उस कब्जा करनेवाले से कोई दूसरा नहीं छुड़ा सकता ।

आधिः सीमा बालघनं निक्षेपोपनिधिस्तथा ।

राजस्वं श्रोत्रियस्वं च न भोगेन प्रणश्यति ॥ २२३ ॥

आधि धादिना केवल भोग से नष्ट न होने का निर्देश—आधि (धरोहर), ग्राम की सीमा, दालक का धन, गिरवी रंगी हुई वस्तु, स्त्री का धन, राजधन, वेदपाठी का धन इनपर कब्जा होने से ही कोई नहीं प्राप्त कर सकता है ।

उपेक्षां कुर्वन्स्तस्य तूष्णीम्भूतस्य तिष्ठतः ।

काले विपन्ने पूर्वोक्ते तत्फल नाप्नुते धनो ॥ २२४ ॥

उपेक्षादि कारण से स्वामी को उसके फल प्राप्त न होने का निर्देश—और यदि कोई स्वामी अपनी वस्तु पर किसी के षट्जे को देकर भी उपेक्षा कर दे और कोई आपत्ति न करे इस भाँति से यदि ऊपर लिखित समय भी व्यतीत हो जाय तो वह पुनः उस वस्तु को पाने का अधिकारी नहीं हो सकता ।

भोगः संक्षेपनश्चोक्तस्तथा दिव्यमथोच्यते ।

अथ दिव्य कहने का निर्देश—यहाँ तऊ 'भोग' (वज्रा) के विषय में संक्षेपनः कहा गया है और अथ 'दिव्य' का वर्णन करते हैं ।

प्रमादाद्धनिनो यत्र त्रिविधं साधनं न चेत् ॥ २२५ ॥

अर्थश्चापहृते वादी तत्रोरुखिविधो विधिः ।

त्रिविध साधन के अभाव में तीन प्रकार की विधियों का निर्देश—यदि किसी वस्तु के स्वामी के प्रमाद से जिस मुकदमे में पूर्वोक्त तीन प्रकार के (लेण, वज्रा, साही) साधन न हो सकें और वादी उसकी वस्तु को ले लेना चाहता हो तो वहाँ पर तीन प्रकार की विधि कही हुई है ।

चोदनाप्रतिकालश्च युक्तिज्ञेशस्नथैव च ॥ २२६ ॥

तृतीयः शपथः प्रोक्तस्तैरेव साधयेन् कमात् ।

प्रथम—चोदनाप्रतिकाल (बारम्बार प्रेरणा करने पर भी वादी के वचन का उत्तर न देना), द्वितीय—युक्तिज्ञेय (युक्तियों का प्रयोग), तृतीय—शपथ ये क्रम से तीन प्रकार के कहे हुये साधनों से कार्य-मिद्धि करे ।

विशिष्टतर्किता या च शास्त्रशिष्टाधिरोधिनी ॥ २२७ ॥

योजना स्वार्थसंख्यै सा युक्तिस्तु न चान्यथा ।

युक्ति के लक्षण—उत्तम प्रकार से जिन पर तर्क किया गया हो और जो शास्त्र और शिष्ट पुरुषों के ध्विरुद्ध हो ऐसी स्वार्थसिद्धि के लिये बनाई गई योजना को 'युक्ति' कहते हैं । अन्य रीति से यनी हुई हो तो नहीं ।

दानं प्रज्ञापनं भेदः सम्प्रलापः क्रिया च या ॥ २२८ ॥

चित्तापनयनं चैव हेतवो हि विभावकाः ।

कार्यसाधक हेतुओं के लक्षण—देना, समझाना, फोड़ना, उत्तम प्रकार का लोभ दिलाना, मनको अपनी ओर आकर्षित करना इन सबों से रहस्य का पता लगने से ये सब 'विभावक' हेतु कहलाते हैं ।

अभीष्टं चोद्यमानोपि प्रतिहन्यान्न तद्वचः ॥ २२६ ॥

त्रिचतुःपद्मवृत्त्यो वा परतोऽर्थं स दाप्यते ।

धन ग्रहण करने योग्य प्रतिवादी के लक्षण—चार-चार प्रेरणा करने पर भी जो प्रतिवादी के वचन को न काटे अर्थात् कोई उत्तर न दे ऐसा तीन, चार या पांच चार करने पर भी उत्तर न देना उस प्रतिवादी से वादी को धन दिलानेवाला हो जाता है अर्थात् वादी का अभियोग सत्य होने से उसका विजय हो जाता है ।

युक्तिष्वप्यसमर्थासु दिव्यैरेनं विमर्दयेत् ॥ २३० ॥

यस्माद्देवैः प्रयुक्तानि दुष्करार्थं महात्मभिः ।

जहाँ पर युक्ति भी असमर्थ हो, वहाँ पर एवं दुष्कर कर्म के लिये दिव्य करने का निर्देश—जहाँ पर युक्तियों से काम न चल सकता हो वहाँ पर दिव्य शपथों का प्रयोग करना उचित होता है क्योंकि साधन-विहीन व्यवहार में कठिनाई आने पर महात्मा देवताओं ने दिव्य शपथों का प्रयोग किया था ।

परस्परविशुद्धयर्थं तस्माद्दिव्यानि नामतः ॥ २३१ ॥

सप्तर्षिभिश्च भिस्सार्थं स्वीकृतान्यात्मशुद्धये ।

इससे वादी-प्रतिवादी की परस्पर विशुद्धि के लिये ही ये 'दिव्यशपथ' हैं, जिसे अन्न-हरण रूप दोष उपस्थित होने पर आत्मशुद्धि के लिये सप्तर्षियों ने भी स्वीकार किया था ।

स्वमहस्वाद्य यो दिव्यं न कुर्याज्ज्ञानवर्षतः ॥ २३२ ॥

वशिष्टाद्याभितं नित्यं स नरो धर्मतस्करः ।

दिव्य को न मानने पर 'धर्मतस्कर' होने का निर्देश—जो अपने बड़प्पन और ज्ञान के घमण्ड से दिव्य शपथों को नहीं ग्रहण करता है, जिसे कि वशिष्टादि महर्षियों ने भी सदा ग्रहण किया था । यह मनुष्य 'धर्मतस्कर' (धर्म का चोर) है ।

प्राप्ते दिव्येऽपि न शपेद् ब्राह्मणो ज्ञानदुर्बलः ॥ २३३ ॥

संहरन्ति च धर्मार्थं तस्य देवाः न संशयः ।

जो ज्ञान-दुर्बल (गूर्ख) ब्राह्मण समय आने पर दिव्यशपथ ग्रहण नहीं करता है । उसके धर्म और अर्थ को देवता लोग निःसन्देह हरण कर लेते हैं ।

यस्तु स्वशुद्धिमन्विच्छन् दिव्यं कुर्यादतन्द्रितः ॥ २३४ ॥

विशुद्धो लभते कीर्तिं स्वर्गं चैवान्यथा नहि ।

दिव्य को स्वीकार करनेवाले के उत्तम फलों का निर्देश—अपनी विशुद्धि की इच्छा रखनेवाला जो मनुष्य आलस्य छोड़कर दिव्यशपथ ग्रहण करता है

वह विशुद्ध होकर लोक में कीर्ति तथा परलोक में स्वर्ग निश्चय प्राप्त करता है । अन्यथा नहीं प्राप्त करता है ।

अग्निर्विषं घटस्तोयं धर्माधर्मौ च तण्डुलाः ॥ २३५ ॥

शपथाश्चैव निर्दिष्टा मुनिभिर्दिव्यनिर्णये ।

दिव्य-निर्णय में पदार्थों का निर्देश—दिव्य परोक्षा द्वारा निर्णय करने में अग्नि, विष, तुला, जल, धर्म-अधर्म, चावल और शपथ इन सबों का निर्देश किया है ।

पूर्वं पूर्वं गुरुतरं कार्यं दृष्ट्वा नियोजयेत् ॥ २३६ ॥

लोकप्रस्ययतः प्रोक्तं सर्वं दिव्यं गुरु स्मृतम् ।

इनमें उत्तर की अपेक्षा पूर्व-पूर्व के दिव्य चावल आदि अधिक महत्व-शाली हैं । इनका प्रयोग यथायोग्य कार्य की गुरुता देखकर ही किया जाता है । साधारणतया लोगों का विश्वास होने से सभी दिव्य शपथ गौरवपूर्ण माने जाते हैं ।

तप्तायोगोलकं धृत्वा गच्छेन्नव पदं करे ॥ २३७ ॥

तप्ताङ्गारेषु वा गच्छेत् पङ्क्त्यां सप्त पदानि हि ।

तप्ततैलगतं लोहमापं हस्तेन निर्हरेत् ॥ २३८ ॥

सुतप्तलोहपत्रं वा जिह्वया सँल्लिह्येदपि ।

अग्नि दिव्य के प्रकार का निर्देश—तपाने से लाल हुये लोहे के गोले को हाथ में लेकर कुछ दूर चले यदि हाथ में जलने का न चिह्न हो या जलते हुये अंगारों पर ७ पग नंगे पैरों से चले किन्तु पैर न जले किवा खौलते हुये तेल में से लोहे के उरदों को हाथ से निकाले किन्तु हाथ न जले शपथवा अत्यन्त तपाने से लाल हुये लोह के पत्तों को जीभ से चाटे पर लीभ न जले ।

गरं प्रभक्षयेद्धस्तैः कृष्णसर्पं समुद्वरेत् ॥ २३९ ॥

कृत्वा स्वस्य तुलासाम्यं हीनाधिक्यं विशोधयेत् ।

गर तथा घट दिव्य के प्रकार का निर्देश—विष का भक्षण करे या हाथ से काले सर्प को बाँधी आदि में से निकालते समय डँभे जाने पर विष का असर न हो तो निर्दोष जानना चाहिये । और तुला (तराजू) पर एक तरफ घैट कर दूसरी तरफ बाँट रखकर तौलने पर हीन या अधिक होने के द्वारा विद्युद्धि की परीक्षा करे ।

स्त्रेष्टदेवस्नपनजमद्यादुदकमुत्तमम् ॥ २४० ॥

यावन्नियमितः कालस्तावदक्षु निमज्जयेत् ।

जल दिव्य के प्रकार का निर्देश—अपने इष्टदेव को स्नान कराये गये

उत्तम जल (चरणाभृत) का पान करके शपथ ग्रहण करे कि मैंने अमुक अपराध नहीं किया है यदि किया हो तो यह नाश कर दें। जितने समय तक का नियम विधा गया हो उतने समय तक जल में डूबकर पड़े रहना। इससे वह निर्दोष समझा जाता है।

अधर्मधर्ममूर्तीनामष्टहरणं तथा ॥ २४१ ॥

कर्ममात्रांस्तण्डुलांश्च चर्षयेच्च विशङ्कितः।

धर्माधर्म मूर्ति एवं तण्डुल दिव्यों के प्रकार का निर्देश—अधर्म और धर्म की मूर्तियों में से किसी एक को आंखों में पट्टी बांधकर उठाना, यदि धर्म की मूर्ति उठाता है तो निर्दोष अन्वया दोषी समझा जाता है। एक रुपये भर चावलों को निःशङ्क होकर चबावे। यदि दोषी होता है तो मुख से रक्त निकलने लगता है, यह लोकप्रसिद्ध है।

स्पर्शयेत् पूज्यपादांश्च पुत्रादीनां शिरांसि च ॥ २४२ ॥

धनानि संस्पृशेद् द्राक् तु सत्येनापि शपेत्तथा।

दुष्कृतं प्राप्नुयां यद्यत् सर्वं नश्येत् सत्कृतम् ॥ २४३ ॥

शपथ दिव्य के प्रकार का निर्देश—पूज्य गुरुजनों के चरणों या पुत्रादियों के मस्तकों किंवा अपने धर्मों का शीघ्र स्पर्श करे। यह भी दिव्यशपथ है इससे अपराधी का नाश एवं उसके पुत्र और धन का नाश हो जाता है। और सत्य का भी शपथ लाये जो इस प्रकार से है कि—यदि मैं अपराधी हूँ तो मुझे आज पाप लगे और सारा सुकृत (गुण्य) मेरा नष्ट हो जाय।

सहस्रेऽपहृते चाग्निः पादोने च विषं स्मृतम्।

त्रिभागोने घटः प्रोक्तो द्वर्धे च सलिलं तथा ॥ २४४ ॥

धर्माधर्मौ तदर्धे च ह्यष्टमांशे च तण्डुलाः।

पोडशांशे च शपथा एवं दिव्यविधिः स्मृतः ॥ २४५ ॥

अपराध-तारतम्य से दिव्यतारतम्य का निर्देश—एक सहस्र मुद्रा का यदि अपहरण हुआ हो तो अग्निपरीक्षा, चौथाई भाग से न्यून सहस्र अपहृत हो तो विषपरीक्षा, तृतीयांश-हीन सहस्र हो तो तुलापरीक्षा, आधा सहस्र हो तो जलपरीक्षा, सहस्र का चतुर्थांश हो तो धर्माधर्मपरीक्षा, सहस्र का अष्ट-मांश हो तो तण्डुलपरीक्षा, सहस्र का पोडशांश अपहृत हो तो शपथ (सौगन्ध) खाना, इस प्रकार से परीक्षा करनी चाहिये।

एषा संख्या निकृष्टानां मध्यानां द्विगुणा स्मृता।

चतुर्गुणोत्तमानां च कल्पनीया परीक्षकैः ॥ २४६ ॥

यह संख्या निकृष्ट दिव्य परीक्षाओं की है, मध्यमों की इससे दुगुनी और उत्तमों की चौगुनी संख्या की कल्पना परीक्षकों द्वारा करनी चाहिये।

शिरोवर्त्ता यदा न स्यात्तदा दिव्यं न दीयते ।

अभियोक्ता शिरःस्थाने दिव्येषु परिकीर्त्यते ॥ २४७ ॥

दिव्य के निषेध का निर्देश—जब तक दिव्य शपथ छानेवाला शिर हिला कर अपनी स्वीकृति न दे तब तक दिव्य शपथ नहीं दिलानी चाहिये । अथवा जब तक शिरःस्थानी अभियोक्ता (वादी) न उपस्थित हो तब तक (परोक्ष में) अभियुक्त (प्रतिवादी) को दिव्य शपथ नहीं दिलानी चाहिये । 'दिव्य परीक्षाओं में वादी को उपस्थित रहना चाहिये' ऐसा विद्वान लोग कहते हैं ।

अभियुक्ताय दातव्यं दिव्यं श्रुतिनिदर्शनात् ।

न कश्चिदभियोक्तां दिव्येषु विनियोजयेत् ॥ २४८ ॥

वेद की आज्ञा होने से प्रतिवादी को ही दिव्य शपथ दिलाना चाहिये, अतः कोई वादी को दिव्य शपथ न दिलाये ।

इच्छया त्वितरः कुर्यादितरो वर्त्तयेच्छिरः ।

यदि प्रतिवादी की इच्छा से वादी दिव्य शपथ ग्रहण करे तो दूसरा (प्रतिवादी) ही वादी के सम्मुख उपस्थित रहे अथवा शिर हिला कर अनुमति दे ।

पार्थिवैः शङ्कितानां च निर्दिष्टानां च दस्युभिः ॥ २४९ ॥

आत्मशुद्धिपराणां च दिव्यं देयं शिरो विना ।

शिर के विना दिव्य के अधिकारी का निर्देश—राजा को जिन पर अपराधी होने का सन्देह हो गया हो किंवा डाकू आदि ने अपराध करने में जिनका नाम-निर्देश किया हो अथवा जो स्वयम् अपनी शुद्धि (निर्दोषिता) को दिखाना चाहते हों, उनका दिव्य शपथ दिलाना चाहिये, उस में विरोधी पक्ष की उपस्थिति या शिर हिलाकर अनुमति की कोई आवश्यकता नहीं है ।

परदारामिशापे च ह्यगम्यागमनेषु च ॥ २५० ॥

महापातकशस्ते च दिव्यमेव न चान्यथा ।

पर-पत्नी गमन का अभियोग लगने पर या अगम्या स्त्री के साथ गमन का किंवा ब्रह्महत्यादि का अभियोग लगने पर ही दिव्य शपथ का विधान है अन्यथा साधारण अभियोगों में दिव्य शपथ नहीं दिलाना चाहिये ।

चौर्याभिशङ्कायुक्तानां तप्तमापो विधीयते ॥ २५१ ॥

तप्त माप दिव्य के अधिकारी का निर्देश—जिनके ऊपर चोरी के अभियोग की आशङ्का हो उनके टिये उपरि लिखित 'तप्तमाप' (खौलते हुये तेल में पड़े तप्त लौह के उरदों का हाथ से निकालना) संज्ञक दिव्य शपथ का विधान है ।

प्राणान्तकविषादे तु विद्यमानेऽपि साधने ।

दिव्यमालम्बते वादी न पृच्छेत्तत्र साधनम् ॥ २५२ ॥

वादी के दिव्य को स्वीकार करने पर फिर साधन न पढ़ने का निर्देश—
जहाँ पर प्राण का संकट उपस्थित हो ऐसे विवाद में भले ही साधन (प्रमाण)
विद्यमान हो किन्तु अभियुक्त दिव्य शपथ का आश्रय ले सकता है वहाँ पर
वादी साधन के विषय में किसी प्रकार का प्रश्न नहीं कर सकता है ।

सोपधं साधनं यत्र तद्राक्षे श्रावितं यदि ।

शोधयेत्तत्तु दिव्येन राजा धर्मासनस्थितः ॥ २५३ ॥

यदि किसी विवाद में (प्रमाण) जाली हो और उसकी सूचना राजा को
मिल जावे तो धर्मासन पर बैठा हुआ राजा दिव्य शपथ द्वारा उसकी
परीक्षा करे ।

यन्नामगोत्रैर्यज्ञैख्यतुल्यं लेख्यं यदा भवेत् ।

अगृहीतघने तत्र कार्यो दिव्येन निर्णयः ॥ २५४ ॥

भाषापत्रिका होने पर दिव्य से शोधन करने का निर्देश—रूपया न
लेने पर भी यदि उसके नाम-गोत्र के साथ ऋणपत्र का सघमुच कोई जाली
खेल तैयार करके रूपये की नालिश कर दे तो वहाँ पर राजा सत्यासत्य का
निर्णय दिव्य शपथ द्वारा करे ।

मानुषं साधनं न स्यात्तत्र दिव्यं प्रदापयेत् ।

लौकिक साधन के अभाव में दिव्य देने का निर्देश—जहाँ पर कोई
लौकिक प्रमाण न मिले वहाँ पर दिव्य शपथ दिलाना चाहिये ।

अरण्ये निर्जने रात्राशन्तर्वेश्मनि साहसे ॥ २५५ ॥

स्त्रीणां शीलाभियोगेषु सर्वार्थापह्नवेषु च ।

प्रदुष्टेषु प्रमाणेषु दिव्यैः कार्यं विशोधनम् ॥ २५६ ॥

जङ्गल, निर्जन स्थान, रात्रि, घर के भीतरी भाग, डोंका पदमा आदि
साहस कर्म, और स्त्रियों के आचरण इन सबों के विषय से सम्बद्ध अभियोग
में और जहाँ पर सम्पूर्ण अर्थ का रहस्य न ज्ञात होता हो एवं प्रमाण दूषित
होने से माननीय न होने पर दिव्य शपथ द्वारा अपराधी की परीक्षा
करनी चाहिये ।

महापापाभिशापेषु निक्षेपहरणेषु च ।

दिव्यैः कार्यं परीक्षेत राजा सत्स्वपि साक्षिषु ॥ २५७ ॥

यद्यपि साची भले ही हों तो भी राजा बड़े २ अपराधों एवं धरोहर के
हृदय कर जाने हत्यादि अभियोगों में दिव्य शपथ द्वारा परीक्षा लेकर ही
निर्णय करे ।

प्रथमा यत्र भिद्यन्ते साक्षिणश्च तथा परे ।

परेभ्यश्च तथा चान्ये तं वादं शपथैर्नयेत् ॥ २५८ ॥

साक्षी के भेदन को प्राप्त हो जाने पर शपथों से निर्णय करने का निर्देश—
जहां पर प्रथम, मध्यम तथा निकृष्ट श्रेणी के सभी साक्षी दूसरों के द्वारा फोड़
लिये गये हों वहां पर दिव्य शपथ के द्वारा अभियोग का निर्णय
करना चाहिये :

स्थावरेषु विवादेषु पूगश्रेणिगणेषु च ।
दत्तादत्तेषु भृत्यानां स्वाभिनां निर्णये सति ॥ २५१ ॥
विक्रयादानसम्बन्धे क्रीत्वा धनमनिच्छति ।
साक्षिभिलिखितेनाथ भुक्त्या चैतान् प्रसाधयेत् ॥ २६० ॥

स्थावर (अचल) संपत्ति-विषयक विवाद और पूग (जाति-विशेष का
सङ्घ), श्रेणि (विभिन्न जातियों का सङ्घ) और गण (एक ही प्रकार
की जाति का सङ्घ)—विषयक विवाद एवं भृत्यों को वेतन (तनखाह)
दिया गया या नहीं तथा किसी वस्तु का स्वामी कौन है इसके निर्णय में
(अथवा दी हुई वस्तु के दिये जाने पर किंवा भृत्य और स्वामी परस्पर किसी
किये हुये निर्णयविषयक विवाद में) एवं बेची हुई वस्तु के न देने के सम्बन्ध
में, खरीदने के बाद पुनः उसे न लेने की इच्छा करने पर साक्षी, लेखपत्र
एवं कब्जा के आधार पर इन सबों का निर्णय करे ।

विवाहोत्सवद्युतेषु विवादे समुपस्थिते ।

साक्षिणः साधनं तत्र न दिव्यं न च लेखकम् ॥ २६१ ॥

विवाहादिकों में साक्षात् को ही निर्णय-साधन होने का निर्देश—विवाह,
उत्सव तथा द्यूत (जुभा) विषयक विवाद उपस्थित होने पर साक्षी ही मुख्य
प्रमाण माना जाता है । वहां पर दिव्य शपथ नहीं लिया जाता है एवं लिखित
भी प्रमाण नहीं माँगा जाता है ।

द्वारमार्गक्रियाभोग्यजलवाहादिषु तथा ।

भुक्तिरेव तु गुर्वी स्यान्न दिव्यं न च साक्षिणः ॥ २६२ ॥

द्वार और मार्ग करने हत्यादियों में भोग को ही प्रमाण मानने का
निर्देश—द्वार और मार्ग का बनाना, भोग में भाने वाली वस्तु एवं जल के प्रवाह
आदि के अभियोग में (भुक्ति = कब्जा) ही सर्वश्रेष्ठ प्रमाण माना जाता है वहां
पर दिव्य शपथ नहीं लिया जाता है और साक्षी को भी प्रमाण नहीं माना
जाता है ।

यद्येके मानुषी ब्रूयादन्यो ब्रूयात्तु दैविकीम् ।

मानुषी तत्र गृह्णीयान्न तु दैवी क्रियां नृपः ॥ २६३ ॥

मानुषी और दैविकी क्रियाओं की व्यवस्था का निर्देश—यदि वादी-
प्रतिवादी में एक मानुषी क्रिया (प्रमाण) के विषय में कहे और दूसरा

दैविकी क्रिया (दिव्य शपथ) के विषय में कहे तो वहाँ पर राजा मानुषी क्रिया को ग्रहण करे किन्तु दैवी क्रिया को कदापि वहाँ ग्रहण करे ।

यद्येकदेशप्राप्ताऽपि क्रिया विद्येत मानुषी ।

सा प्राह्या न तु पूर्णादि दैविकी वदतां नृणाम् ॥ २६४ ॥

भले ही मानुषी क्रिया अभियोग के एक ही अंश की पुष्टि करती हो किन्तु उसी को ही ग्रहण करे । पूर्ण अंश की पुष्टि करने वाली दैवी क्रिया के कहने वालों की बात को न माने ।

प्रमाणैर्हेतुचरितैः शपथेन नृपाज्ञया ।

वादिसंप्रतिपत्त्या वा निर्णयः षड्विधः स्मृतः ॥ २६५ ॥

६ प्रकार के निर्णय का निर्देश—१ प्रमाण (साक्षी, लेख आदि), २ हेतु, ३ आचरण, ४ शपथ, ५ राजा की आज्ञा, ६ वादों की सम्मति इन ६ प्रकारों के द्वारा सम्पन्न किये जाने से निर्णय ६ प्रकार का होता है ।

लेख्यं यत्र न विद्येत न भुक्तिर्न च साक्षिणः ।

न च दिव्यावतारोऽस्ति प्रमाणं तत्र पार्थिवः ॥ २६६ ॥

सब के अभाव में निश्चय करने में राजा के प्रमाण होने का निर्देश—जहाँ पर लेख, भुक्ति (वज्रा), साक्षी एवं दिव्य शपथ का भी अवसर इनमें से कोई भी प्रमाण न उपस्थित किया गया हो वहाँ पर राजा ही का निर्णय प्रमाण माना जाता है ।

निश्चेतुं ये न शक्याः स्युर्वादाः संदिग्धरूपिणः ।

सीमात्यास्तत्र नृपतिः प्रमाणं स्यात् प्रभुयतः ॥ २६७ ॥

जो सीमा आदि के विवाद संदिग्ध रूप होने से निश्चय रूप से निर्णय नहीं किये जा सकते हैं वहाँ पर राजा ही प्रमाण होता है क्योंकि वह प्रभु है ।

स्वतन्त्रः साधयन्नर्थान् राजाऽपि स्याच्च किल्बिषी ।

धर्मशास्त्राऽविरोधेन ह्यर्थशास्त्रं विचारयेत् ॥ २६८ ॥

धर्मशास्त्र के अविरोधपूर्वक राजा को नीतिशास्त्र को विचारने का निर्देश—स्वतन्त्र रूप से (बिना प्रमाण के) विवादों का निर्णय करता हुआ राजा पापी होता है अतः धर्मशास्त्र के विरोध में बचना हुआ राजा धर्मशास्त्र का विचार करे अर्थात् धर्मशास्त्रानुसार निर्णय करे ।

राजामात्यप्रत्नीभेन व्यवहारस्तु दुष्यति ।

लोकोऽपि च्यवते धर्मात्कूटार्थं सप्रवर्तते ॥ २६९ ॥

विवाद होने के कारणों का निर्देश—राजा तथा अमात्य (मन्त्री) के लोभाधिक्य से व्यवहार (सुकदमा) का निर्णय दोषयुक्त होता है । और

लोक (प्रजायें) भी यथेच्छ व्यवहार करने लगते हैं एवं कपटपूर्ण कार्यों में प्रवृत्त होने लगते हैं ।

अतिकामक्रोधलोभैर्व्यवहारः प्रवर्तते ।

कर्तुं नद्यो साक्षिणश्च सभ्यान् राजानमेव च ॥ २७० ॥

व्याप्नोत्यतस्तु तन्मूलं छित्त्वा तं विमृशं नयेत् ।

जब काम, क्रोध तथा लोभ की अधिकता से मनुष्य का व्यवहार होने लगता है तब वह फैलते २ ऋमदाः कर्ता, साक्षी, सम्य और राजा में भी व्याप्त हो जाता है अतः राजा उसके मूल कारण कामादि को दूर कर व्यवहार (विवाद) का विवेकपूर्वक विचार कर निर्णय करे ।

अनर्थं चार्थवत् कृत्वा दर्शयन्ति नृपाय ये ॥ २७१ ॥

अविचिन्त्य नृपस्तथ्यं मन्यते तैर्निर्दिशतः ।

स्वयं करोति तद्वृत्तौ भुज्यतेऽष्टगुणं त्वघम् ॥ २७२ ॥

जो न्यायालय के अधिकारी पुरुष अनिष्ट को दृष्ट की भांति करके (दोषी को निर्दोष बनाकर) राजा को दिखाते या बताते हैं । और जो बिना विचारे उन (अधिकारियों) के द्वारा प्रदर्शित विषय को सत्य मानता है और उसी के अनुसार स्वयं व्यवहार करता है अर्थात् विवाद का निर्णय करता है । तो वैसा करने पर उन सबों को राजा तथा अधिकारी पुरुषों को अठगुना पाप लगता है ।

अधर्मतः प्रवृत्तं तं नोपेक्षेरन् सभासदः ।

उपेक्ष्यमाणाः सनृपा नरकं यान्त्यधोमुखाः ॥ २७३ ॥

अधर्म में प्रवृत्त हुये राजा की सभासद को उपेक्षा न करने का निर्देश— और उस तरह में व्यवहार करते हुये उस राजा को जो न्यायाधिकारी पुरुष अधर्म करने से नहीं रोकते हैं तो राजा के सहित वे सभी नरक को जाते हैं ।

धिग्दण्डस्त्वथ वाग्दण्डः सभ्यायत्तौ तु तावुभौ ।

अर्थदण्डवधावुक्तौ राजायत्तावुभावपि ॥ २७४ ॥

धिग्दण्ड और वाग्दण्ड इन दोनों को सभासदों के अधीन होने का निर्देश—और किसी को धिक्कार या डाँट-फटकार का दण्ड देना ये दोनों दण्ड न्यायसभा के सदस्यों के अधीन रहते हैं किन्तु किसी को अर्थ दण्ड (जुर्माना) या बध दण्ड देना ये दो दण्ड तो केवल राजा ही के अधीन रहता है ।

तीरितं चानुशिष्टं च यो मन्येत विधर्मतः ।

द्विगुणं दण्डमादाय पुनस्तत्कार्यमुद्धरेत् ॥ २७५ ॥

द्वारा कार्य के आरम्भ करने में कारण का निर्देश—जो कोई विवाद करने

वाला यह समझे कि हमारे फैसले में निर्णय या धाञ्जा जो हुई है यह अथर्व
मुक्त हुई है अर्थात् नियम-विरुद्ध हुई है तो दूना दण्ड देकर पुनः उस मुकदमे
पर विचार करवा सकता है ।

साक्षिसभ्यावसन्नानां द्रूपणं दर्शनं पुनः ।

स्वचर्चावसितानां च प्रोक्तः पौनर्भवो विधिः ॥ २०६ ॥

पौनर्भव विधि के लक्षण—साक्षी तथा सभासदों के द्वारा जिनकी
हार हुई और उन लोगों के द्वारा फैसले का बदिल्कार करने पर पुनः मुकदमे
पर विचार किया जाता है या स्वयं ही विचार करने में यदि राजा
या सभासद आदि की झुट्टि हो गई हो तो भी पुनः विचार करना उचित
होता है ।

अमात्यः प्राड्विवाको वा ये कुर्युः कार्यमन्यथा ।

तत् सर्वं नृपतिः कुर्यात्तान् सहस्रं तु दण्डयेत् ॥ २०७ ॥

मन्त्री आदि को नियमविरुद्ध फैसला करने पर अर्थदण्ड देने का निर्देश—
यदि मन्त्री या प्राड्विवाक (जज) कोई भी नियम-विरुद्ध फैसला करे तो
राजा स्वयं पुनः विचार कर दूसरा उचित फैसला करे और उन सबों के
ऊपर १००० का अर्थदण्ड (जुर्माना) करे ।

नहि जातु विना दण्डं कश्चिन्मार्गोऽवतिष्ठते ।

सन्दर्शिते सभ्यदोषे यदुद्धृत्य नृपो नयेत् ॥ २०८ ॥

क्योंकि बिना दण्ड के कोई कभी उचित मार्ग पर नहीं चल सकता ।
अस्तु, विवाद करनेवाले के द्वारा न्यायसभा के सदस्यों का दोष दिखाये जाने
पर उस दोष का निवारण करके राजा उचित फैसला करे ।

प्रतिज्ञाभावनाद्वादी प्राड्विवेकादिपूजनात् ।

जयपत्रस्य चादानाज्ययी लोके निगद्यते ॥ २०९ ॥

जयी के लक्षणों का निर्देश—वादी जिस विषय में दावा करता है उसको
प्रमाणित करने से एवं प्राड्विवाक (जज) आदि के द्वारा सभ्य विवाद
उपस्थित करने की प्रशंसा किये जाने पर तथा विजयपत्र (डिग्री) प्राप्त
करने से लोक में वादी विजयी माना जाता है ।

सभ्यादिभिर्विनिर्णयित्वा विधृतं प्रतिवादिना ।

दृष्ट्वा राजा तु जयिने प्रदद्याजयपत्रकम् ॥ २१० ॥

जयी को जयपत्र देने के प्रकार का निर्देश—सभ्यादियों के द्वारा विवाद
की सत्यता निर्णीत हुई एवं प्रतिवादी द्वारा भी स्वीकृत जान कर राजा वादी
को जयपत्र (डिग्री) दे ।

अन्यथा ह्यभियोक्तारं निरुध्याद् बहुवत्सरम् ।

मिथ्याभियोगसदृशार्हयेदभियोगिनम् ॥ २८१ ॥

अन्यथा अर्थात् झूठा विवाद उपस्थित करनेवाले वादी को बहुत वर्षों तक कारागार (जेल) में बन्द कर दे जो कि झूठा विवाद उपस्थित करने के लिये दण्ड के अनुरूप हो ।

कामक्रोधौ तु संगम्य योऽर्थान् धर्मेण पश्यति ।

प्रजास्तमनुदत्तन्ते समुद्रमिव सिन्धवः ॥ २८२ ॥

प्रजा की अनुकूलता करनेवाले राजा के गुणों का निर्देश—काम और क्रोध के ऊपर नियन्त्रण रखकर जो राजा विवाद का निर्णय करता है, प्रजायें उसी का अनुवर्तन करती हैं जैसे समुद्र का अनुवर्तन नदियां करती हैं ।

जीवतोरस्वतन्त्रः स्याज्जरायाऽपि समन्वितः ।

तयोरपि पिता श्रेयान् बीजप्राधान्यदर्शानात् ॥ २८३ ॥

जीवित रहते हुये माता-पिता के पुत्र को वृद्ध हो जाने पर भी स्वतन्त्र न होने का एवं उन दोनों में पिता की श्रेष्ठता का निर्देश—वृद्धावस्था से युक्त हो जाने पर भी पुत्र माता-पिता के जीवित रहते उसके सामने स्वतन्त्र संपत्ति का स्वामी नहीं हो सकता है । और उन दोनों (माता-पिता) के मध्य में बीज की प्रधानता मानने से पिता ही सर्वश्रेष्ठ माना जाता है ।

अभावे बीजिनो माता नदभावे तु पूर्वजः ।

स्वातन्त्र्यं तु स्मृतं ज्येष्ठे ज्यैष्ठ्यं गुणवयःकृतम् ॥ २८४ ॥

पिता के अभाव में माता और माता के अभाव में भाई को श्रेष्ठ होने का निर्देश—पिता के अभाव में माता और माता के अभाव में ज्येष्ठ भाई सर्वश्रेष्ठ माना जाता है । क्योंकि सर्वत्र ज्येष्ठ ही में स्वतन्त्रता मानी गई है और उसकी ज्येष्ठता गुण तथा अवस्था दोनों ही के होने से मानी जाती है केवल अवस्था से नहीं ।

याः सर्वाः पितृपत्न्यः स्युस्तासु वर्तेत मातृवत् ।

स्वसमैकेन भारेण सर्वास्ताः प्रतिपालयन् ॥ २८५ ॥

पिता की सभी पत्नियों में मातृवद् व्यवहार करने का निर्देश—चाहे जितनी पिता की पत्नियाँ हों उनमें सगी माता के सदृश आदरभाव रखना चाहिये । और अपने समान एक २ भाग से उन सबों का पालन करना चाहिये ।

अस्वतन्त्राः प्रजाः सर्वाः स्वतन्त्रं पृथिवीपतिः ।

अस्वतन्त्रः स्मृतः शिष्य आचार्ये तु स्वतन्त्रता ॥ २८६ ॥

स्वतन्त्रा-स्वतन्त्र का निर्णय—सभी प्रजायें अस्वतन्त्र (पराधीन)

होती है । किन्तु केवल एक राजा स्वतन्त्र होता है । और शिष्य परतन्त्र माना जाता है । और आचार्य में स्वतन्त्रता मानी जाती है ।

सुतस्य सुतदाराणां वशित्वमनुशासने ।

विक्रये चैव दाने च वशित्वं न सुते पितुः ॥ २८७ ॥

पुत्र और पुत्रवधुओं को पिता या स्वशुभ्र की आज्ञा मानने में पराधीनता मानी गई है किन्तु समर्थ पुत्र के लिये बेंचने और दान देने में पिता की आज्ञा की प्रतीक्षा की आवश्यकता नहीं मानी गई है ।

स्वतन्त्राः सर्व एवैते परतन्त्रेषु नित्यशः ।

अनुशिष्टौ विसर्गे वाऽविसर्गे चेश्वरा मताः ॥ २८८ ॥

परतन्त्र होने पर भी ये सभी पुत्र सदा स्वतन्त्र ही माने जाते हैं क्योंकि पिता के साथ मन्त्रणा करने, देने और न देने में स्वाधीन माने गये हैं ।

मणिमुक्ताप्रवालानां सर्वस्यैव पिता प्रभुः ।

स्थावरस्य तु सर्वस्य न पिता न पितामहः ॥ २८९ ॥

स्वामिन्व का निर्णय—मणि, मुक्ता (मोती) और प्रवाल (मृंगा) आदि संपूर्ण चल संपत्ति के ऊपर पिता का प्रभुत्व रहता है । किन्तु संपूर्ण स्थावर (भूचल) संपत्ति के ऊपर पिता या पितामह का पूर्ण प्रभुत्व नहीं रहता है, हों आंशिक रूप से रहता है ।

भार्या पुत्रश्च दासश्च त्रय एवाधनाः स्मृताः ।

यत्ते समधिगच्छन्ति यस्यैते तस्य तद्धनम् ॥ २९० ॥

पत्नी, पुत्र और नौकर ये तीनों ही क्रम से पति, पिता और स्वामी के रहते दम तक अधन (धन के स्वामित्व से हीन) माने गये हैं अत एव ये लोग जो कुछ भी धन कहीं से प्राप्त करते हैं वे सब जिनके पत्नी, पुत्र या नौकर होते हैं उन्हीं के अधिकार में चले जाते हैं, इसी से ये 'अधन' कहलाते हैं अर्थात् इनका अपना कोई अलग धन नहीं होता है ।

वर्तते यस्य यद्वस्ते तस्य स्वामी स एव न ।

अन्यस्वमन्यहस्तेषु चौर्याद्यैः किञ्च दृश्यते ॥ २९१ ॥

जो धन जिनके हाथ में रहता है उस धन का स्वामी वही नहीं माना जाता है जैसे चोरी आदि कारणों से दूसरे का धन दूसरे के हाथ में गया नहीं देखा जाता है किन्तु हाथ में रखा देखने मात्र से वह उस धन का स्वामी नहीं माना जाता है ।

तस्माच्छ्रुत् एव स्यात् स्वाम्यं नानुभवाद्पि ।

अस्यापहृतमेतेन न युक्तं वक्तुमन्यथा ॥ २९२ ॥

इससे शास्त्रानुसार ही किसी धन का कोई स्वामी हो सकता है केवल

अनुभव (हाथ में रहना मात्र देखने) से नहीं होता है । अन्यथा इसका धन इसने अपहरण कर लिया यह कहना भी उचित नहीं हो सकता था ।

विदिताऽर्थागमः शास्त्रे तथा वर्णः पृथक् पृथक् ।

शास्त्रि तच्छास्त्रधर्मं यन्म्लेच्छानामपि तत्सदा ॥ २६३ ॥

पूर्वाचार्यैस्तु कथितं लोकानां स्थितिहेतवे ।

वर्णानुसार प्रत्येक वर्णों के पृथक् पृथक् अर्थार्जन के मार्ग शास्त्र में प्रसिद्ध हैं । और ये जो शास्त्रोक्त धर्म अर्थार्जन के विषय में कहे हुये हैं वे म्लेच्छों को भी सदा मान्य हैं । और पूर्वाचार्यों ने लोक की सदाचार रचा के लिये इसी विषय में अन्यत्र कहा है ।

समानभागिनः कार्याः पुत्राः स्वस्य च वै स्त्रियः ॥ २९४ ॥

स्वभागार्धहरा कन्याऽदौहित्रस्तु तदर्धभाक् ।

विभाग-विचार—धनस्वामी अपने हिस्से में से स्त्री तथा पुत्र का समान समान भाग रखे । और अपना भी उन्हीं के समान भाग रखे । अपने भाग का आधा भाग कन्या (अविवाहिता) का एव कन्या से आधा भाग दौहित्र (कन्या का पुत्र) का रखे ।

मृतेऽधिपेऽपि पुत्राद्या उक्तभागहराः स्मृताः ॥ २९५ ॥

स्वामी के मरने पर पुत्रादिक उक्त भाग के अनुसार सम्पत्ति के स्वामी माने जाते हैं ।

मात्रे दद्याच्चतुर्थांशं भगिन्यै मातुरर्धकम् ।

तदर्धं भागिनेयाय शेषं सर्वं हरेत् सुतः ॥ २६६ ॥

पुत्र माता के लिये अपने भाग का चतुर्थांश (चौथाई) भाग एवं वहिन के लिये माता के भाग से आधा भाग, भाजा के लिये वहिन के भाग से आधा भाग दे, और अन्त में अवशिष्ट सभी भागों को पुत्र स्वयम् ले ।

पुत्रो नमा धनं पत्नी हरेन् पुत्री च तत्सुतः ।

माता पिता च भ्राता च पूर्वालाभाश्च तत्सुतः ॥ २६७ ॥

अंशहारियों के क्रमनिर्णय का निर्देश—पुत्र, पौत्र, पत्नी, पुत्री, दौहित्र (पुत्री का पुत्र), माता, पिता और भाई यथाक्रम एक के अभाव में दूसरे धन के उत्तराधिकारी होते हैं । और पुत्रादि सभी के अभाव में भाई का पुत्र अन्त में उत्तराधिकारी होता है ।

सौदायिकं धनं प्राप्य स्त्रीणां स्वातन्त्र्यमिष्यते ।

विक्रये चैव दाने च यथेष्टं स्थावरेष्वपि ॥ २६८ ॥

सौदायिक धन में स्त्री की स्वतन्त्रता का निर्देश—सौदायिक (व्याह के प्रथम या बाद में पति या पिता के गृह से मिले हुये) धन को पाकर स्त्री स्वतन्त्र

रूप से भोग सकती है, और चाहे वह स्थावर (भूखण्ड) सम्पत्ति हो तो भी किसीको बेच देने या दे देने में उसका दृष्टानुसार व्यवहार कर सकती है ।

ऊढया कन्यया वापि पत्युः पितृगृहाच्च यत् ।

मातृपित्रादिभिर्दत्तं धनं सौदायिकं रमृणम् ॥ २६६ ॥

सौदायिक धन के लक्षण—विवाहिता या अविवाहिता कन्याको पति के पास से या पिता के गृह से माता-पिता के द्वारा दिये गये धन को 'सौदायिक' कहते हैं ।

पित्रादिधनसम्बन्धहीनं यद्यदुपार्जितम् ।

येन स काममश्नीयादविभाज्यं धनं हि तत् ॥ ३०० ॥

अविभाज्य धन के लक्षण—पेटूक धन की सहायता के बिना जो-जो धन जिससे उपार्जित किये जाते हैं वे सभी उस उपार्जनकर्त्ता के लिये यथेष्ट भोग्य होते हैं, क्योंकि उस प्रकार के धन का भाई आदि के द्वारा विभाग नहीं किया जा सकता है ।

जलतस्करराजाग्निद्रयसने समुपस्थिते ।

यस्तु स्वशक्त्या संरक्षेत्तस्यांशो दशमः स्मृतः ॥ ३०१ ॥

जलादिकों से धन की रक्षा करनेवाले को दशवें भाग प्राप्त करने का निर्देश—जो कोई व्यक्ति जल, चौर, राजा या अग्नि के द्वारा संकट में पड़े हुये किसी के वस्तु (धन) को अपनी शक्ति लगाकर यदि बचा लेता है तो उस धन के दशवें भाग के पाने का वह अधिकारी हो जाता है ।

हेमकारादयो यत्र शिल्पं सम्भूय कुर्वते ।

कार्यानुरूपं निर्वेशं लभेरंस्ते यथार्हतः ॥ ३०२ ॥

जहाँ पर कई सोनार आदि मिलकर किसी शिल्प का निर्माण करते हैं वहाँ पर कार्यानुरूप यथायोग्य वे सब मजदूरी को प्राप्त करते हैं ।

संस्कर्ता तस्कलाभिज्ञः शिल्पी प्रोक्तो मनीषिभिः ।

शिल्पी के लक्षण—किसी कला का जानकार होने हुये उसकी श्रुतियों को दूरकर सुधार करने वाले को विद्वान लोग 'शिल्पी' कहते हैं ।

हर्म्यं देवगृहं वापि वाटिकोपस्कराणि च ॥ ३०३ ॥

सम्भूय कुर्वतां तेषां प्रमुख्यो द्वयशमर्हति ।

धनियों का भवन, देवमन्दिर, बावड़ी या गृहसम्बन्धी उपकरणों को मिलकर बनानेवाले कारीगरों के मध्य में जो प्रधान होता है वह दो भाग मजदूरी पाने का अधिकारी होता है ।

नर्तकानामेव धर्मः सद्भिरेव उदाहृतः ॥ ३०४ ॥

ताज्ञज्ञो लभतेऽर्थाधिं गायनास्तु समांशिनः ।

नर्त्तकादियों का धनविभागविषयक निर्देश—नाचनेवालों के लिये भी यही विधि विद्वानों ने कही है। जैसे ताल का जाननेवाला अर्जित धन का आधा भाग पाता है शेष धन में गाने वाले सब लोग समान-समान भाग में बाँट लेते हैं।

परराष्ट्राद्धनं यत्स्याच्चोरीः स्वाम्याज्ञया हृतम् ॥ ३०५ ॥

राज्ञे षष्ठांशमुद्धृत्य विभजेरन् समांशकम् ।

चोरी का धनविभागविषयक निर्देश—अपने स्वामी की आज्ञा से चोर लोग दूसरे के राज्य में जाकर जो धन चुराकर लाते हैं उसमें से छठा भाग राजा को देने के बाद शेष धन को आपस में समान भाग से बाँट कर ले लेते हैं।

तेषां चेत् प्रसृतानां च ग्रहणं समवाप्नुयात् ॥ ३०६ ॥

तन्मोक्षार्थं च यद्दत्तं वहेयुस्ते समांशतः ।

और यदि चोरी करने के बाद वे लोग पकड़ लिये जावें तो अपने छूटने के लिये जो द्रव्य खर्च हो उसको समान भाग से बाँट कर अपने-अपने हिस्से में ले दे दें।

प्रयोगं कुर्वते ये तु हेमधान्यरसादिना ॥ ३०७ ॥

समन्युनाधिर्करैर्लाभस्तेषां तथाविधः ।

समो न्यूनोऽधिको ह्यंशो योऽनुक्षिप्रस्तथैव सः ॥ ३०८ ॥

व्यापारी आदियों का धनविभागविषयक निर्देश—जो लोग मिलकर सुवर्ण, धान्य तथा रसादि द्रव्य का कोई व्यवसाय करते हैं उन में जिसका जैसा कार्य हो और धन लगा हो उसके अनुरूप बराबर, न्यून या अधिक अंश में लाभांश में से उन्हें मिलता है। अर्थात् व्यवसाय के प्रारम्भ में उन लोगों ने सम, न्यून या अधिक अंश में जो द्रव्य लगाया हो उसी के अनुसार उनका भाग होता है।

व्यय दद्यात् कर्म कुर्याल्लाभं गृहीत चैव हि ।

यणिजानां कर्षकाणामेव एव विधिः स्मृतः ॥ ३०९ ॥

एवं वे तदनुसार व्यय एवं कर्म करते हैं तथा लाभ भी प्राप्त करते हैं। यह विधि शनियों और कृषकों के लिये कही हुई है।

सामान्यं चाचितं न्यास आधिर्दीसश्च तद्धनम् ।

अन्वाहितं च निक्षेपः सर्वस्य चान्वये सति ॥ ३१० ॥

आपत्स्वपि न देयानि नव वस्तूनि पण्डितैः ।

आपत्काल होने पर भी नवविध धनों को न देने का निर्देश—१. बटवारे में प्राप्त धन, २. पुनः लौटा देने के लिये मांगकर लाया हुआ धन, ३. घरोहर

मूलात्तु द्विगुणा वृद्धिर्गृहीता चाधमर्णिकात् ।

तदोत्तमणमूलं तु दापयेन्नाधिकं ततः ॥ ३१६ ॥

मूल से दूना ध्याज ले चुकने पर उत्तमण को मूल ही दिलवाने का निर्देश—यदि कर्ज देनेवाला महाजन मूल धन से द्विगुण धन सूद में ले चुका हो तो कर्जदार से महाजन के दिये हुये मूल धन को ही राजा दिलावे अधिक न दिलावे ।

धनिकाश्चकवृद्ध्यादिमिपतस्तु प्रजाधनम् ।

संहरन्नि ह्यतस्तेभ्यो राजा संरक्षयेत् प्रजाम् ॥ ३१७ ॥

धनी महाजन लोग चक्रवृद्धि (सूद-दरसूद) के न्याज से कर्जदार प्रजाओं का अधिकांश धन हर लेते हैं, अतः राजा उन महाजनों से प्रजा की भलीभांति रक्षा करे ।

समर्थः सन्न ददाति गृहोर्त धनिकाद्धनम् ।

राजा सन्दापयेत्तस्मात् सामदण्डविकर्षणैः ॥ ३१८ ॥

यदि कोई समर्थ होकर भी धनिक से लिये हुये धन को नहीं देता है तो राजा समझा-बुझाकर या दण्ड का प्रयोग कर कर्जदार से महाजन को धन दिला दे ।

लिखित तु यदा यस्य नष्टं तेन प्रबोधितम् ।

विज्ञाय साक्षिभिः सम्यक् पूर्ववदापयेत्तदा ॥ ३१९ ॥

लिखित नष्ट हो जाने पर साक्षी के आधार पर उत्तमण को धन दिलाने का निर्देश—जब जिस किसी के पाम से किसी का लिखित ऋणपत्र (पुरनोट) नष्ट हो जाय और वह राजा को सूचित कर दे तो राजा साक्षियों के द्वारा भलीभांति समझकर पूर्व की भांति (पुरनोट में लिखित की भांति) ही उसे कर्जदार से द्रव्य दिला दे ।

अदत्तं यश्च गृह्णाति सुदत्तं पुनरिच्छति ।

दण्डनीयावुभावेतौ धर्मज्ञेन महीक्षिता ॥ ३२० ॥

जो किसी द्वारा नहीं दी हुई वस्तु को किसी से ले लेता है और जो भलीभांति से दूसरे को दे दी गई वस्तु को पुनः लेना चाहता है तो वे दोनों ही धर्म के जानकार द्वारा दण्डनीय होते हैं ।

कूटपण्यस्य विक्रेता स दण्ड्यश्चौरवत् सदा ।

छोटी वस्तु बेचनेवाले को दण्ड देने का निर्देश—जो छोटी वस्तु या धोकेवाजी से किसी वस्तु को बेचता है तो वह सदा राजा द्वारा चोर की भांति दण्डनीय होता है ।

दृष्ट्वा कार्याणि च गुणाब्धिलिपनां भृतिमावहेत् ॥ ३२१ ॥

शिशिपयी की श्रुति का विचार—कारीगरों के कार्य तथा गुण को देखकर उनकी मजदूरी या तनजाह देवे ।

पञ्चमांशं चतुर्थांशं तृतीयांशं तु कर्षयेत् ।

अर्धं वा राजताद्राजा नाधिकं तु दिने दिने ॥ ३२२ ॥

स्वर्णकार की श्रुति का विचार—राजा प्रतिदिन चांदी की विक्री में से पांचवां, चौथा, तीसरा या आधा भाग योग्यतानुसार कर रूप में ग्रहण करे । किन्तु आधे से अधिक कर न लेवे ।

विद्रुतं न तु हीनं स्यात् स्वर्णपलशतं शुचि ।

चतुःशतांशं रजतं ताम्रं न्यूनं शतांशकम् ॥ ३२३ ॥

१०० पल (४०० भर) भर निर्दोष सोना गलाने पर तौल में कम नहीं होना चाहिये । निर्दोष चांदी (१०० पल भर) गलाने पर ४०० वां अंश तथा तामा १०० वां अंश न्यून होना चाहिये ।

वङ्गं च जसदं सीसं हीनं स्यात् षोडशांशकम् ।

अयोऽष्टांशं त्वन्यथा तु दण्डयः शिल्पी सदा नृपैः ॥ ३२४ ॥

रांगा, जस्ता और सीसा (धातु विशेष) गलाने पर १६ वां भाग कम होना चाहिये । लोहा तो गलाने पर अष्टमांश हीन होना चाहिये । अन्यथा (पूर्वोक्त मान से अधिक हीन होने पर) गलानेवाला कारीगर राजा द्वारा सदा दण्डनीय होता है ।

सुवर्णं द्विशतांशं तु रजतं च शतांशकम् ।

हीनं सुषटिते कार्ये सुसंयोगे तु वर्धते ॥ ३२५ ॥

षोडशांशं त्वन्यथा हि दण्डयः स्यात् स्वर्णकारकः ।

संयोगघटनं दृष्ट्वा वृद्धिं हासं प्रकल्पयेत् ॥ ३२६ ॥

सुन्दर रीति से अलंकार आदि बनाये जाने में छीलने आदि से सोना २०० वां अंश और चांदी १०० वां अंश तौल में हीन हो जाता है । सुन्दर रीति से टांका आदि देने में १६ वां अंश तौल में बढ़ जाता है । इससे अन्यथा तौल में न्यूनाधिक्य होने पर सुना दण्डनीय होता है । और जिस प्रकार टांका आदि देने में मिलावट की जाती है वही के अनुसार विचारक द्वारा सोने आदि की वृद्धि तथा हास की कल्पना की जानी चाहिये ।

स्वर्णस्योत्तमकार्ये तु श्रुतिस्त्रिंशती मता ।

षष्ट्यंशकी मध्यकार्ये हीनकार्ये तदर्धकी ॥ ३२७ ॥

सोने के उत्तम बने हुये अलङ्कार की बनवाई मजदूरी ३० वां भाग के तुल्य होती है । मध्यम बने हुये की ६० वां भाग तथा हीन बने हुये की १२० वां भाग के तुल्य मजदूरी होती है ।

तदर्धा कटके ज्ञेया विदुते तु तदर्धकी ।

और यदि केवल कड़ा (हाथ में पहनने का आभूषण) बनवाया हो तो २४० वां भाग एवं केवल सोना गलवाने की मजदूरी ४८० वाँ भाग के तुल्य होती है ।

उत्तमे राजते त्वर्धा तदर्धा मध्यमे स्मृता ॥ ३२८ ॥

हीने नदर्धा कटके तदर्धा सप्रकीर्तिता ।

उत्तम प्रकार के चाँदी के बने आभूषणादि की मजदूरी आधा भाग (जितना ही तौल से उसकी आधी), मध्यम की ४ था भाग तथा हीन की ८ वाँ भाग एवं कड़ा की १६ वाँ भाग मजदूरी होती है ।

पादमात्रा भूनिस्ताम्रे वज्रे च जसदे तथा ॥ ३२९ ॥

लोहेऽर्धा वा समा वापि द्विगुणाऽष्टगुणाऽथवा ।

तामा, रांगा तथा जस्ता की बनी वस्तुओं की मजदूरी ४ थे भाग के तुल्य होती है और लोहे की बनी वस्तुओं की मजदूरी आधी, बराबर, दुगुनी अथवा अठगुनी होती है ।

धातूनां कूटकारी तु द्विगुणो दण्डमर्हति ॥ ३३० ॥

धातुओं में मिलावट करने पर दूना दण्ड देने का निर्देश—धातुओं के विषय में यदि कोई मिलावट या जालमाजी किसी प्रकार की करे तो उसे मूल्य से दुगुना दण्ड (जुर्माना) देना पड़ता है ।

लोकप्रचारैरुत्पन्नो मुनिभिर्विधृतः पुरा ।

व्यवहारोऽनन्तपथः स वक्तुं नैव शक्यते ॥ ३३१ ॥

लोगों के नाना प्रकार के आचरणों से उत्पन्न हुआ तथा पूर्वकाल में मुनियों द्वारा निरूपित व्यवहार के मार्ग अनन्त हैं अतः उनका यथावत् वर्णन करना असम्भव है ।

उक्तं राष्ट्रप्रकरणं समासान् पञ्चमं तथा ।

अत्रानुक्ता गुणा दोषास्ते ज्ञेया लोकशास्त्रतः ॥ ३३२ ॥

इति शुक्रनीतौ राष्ट्रेऽन्त्यं चतुर्थेऽध्याये राजधर्मनिरूपणं
नाम पञ्चमं प्रकरणम् समाप्तम् ।

इस प्रकार से संक्षेप में पञ्चम राष्ट्रप्रकरण मैंने कहा । इसमें जो गुण या दोष नहीं कहे जा सके उन्हें लोक तथा अन्य ग्रन्थों से जान लेना चाहिये ।

इस प्रकार शुक्रनीति-भाषाटीका में राष्ट्रविषयक चतुर्थाध्याय में अन्तिम

राजधर्मनिरूपण-नामक पञ्चम प्रकरण समाप्त हुआ ।

चतुर्थाध्यायस्य षष्ठं प्रकरणम् ।

षष्ठं दुर्गप्रकरणं प्रवक्ष्यामि समासतः ।

खातकण्टकपापानैर्दुष्पथं दुर्गमैरिणम् ॥ १ ॥

दुर्ग-प्रकरण के आरम्भ में ऐरिण दुर्ग के लक्षण—अब छठे दुर्ग प्रकरण को संक्षेप से कहता हूँ । खाई (गड्ढे), कांटों तथा पाथरों से जिसके मार्ग दुर्गम बने हों उसे 'ऐरिण' दुर्ग कहते हैं ।

परितस्तु महाखातं पारिखं दुर्गमेव तत् ।

इष्टकोपलमृद्धिप्रकारं पारिधं स्मृतम् ॥ २ ॥

पारिख तथा पारिध दुर्ग के लक्षण—और जिसके चारों तरफ बहुत बड़ी खाई हो उसे 'पारिख' दुर्ग कहते हैं । जिसके चारों तरफ ईंट, पत्थर तथा मिट्टी से बनी बड़ी-बड़ी दिवाल्लों का परकोटा बना हो उसे 'पारिध' दुर्ग कहते हैं ।

महाकण्टकवृक्षौघैर्न्यातं तदनदुर्गमम् ।

जलाभाषस्तु परितो धन्वदुर्गं प्रकीर्तितम् ॥ ३ ॥

वनदुर्ग तथा धन्व दुर्ग के लक्षण—जो बहुत बड़े-बड़े काटेदार वृक्षों के समूह से चारों तरफ घिरा हुआ हो, उसे 'वनदुर्गम' (वनदुर्ग) कहते हैं । जिसके चारों तरफ बहुत बहुत दूर तक मरुभूमि फैली हो उसे 'धन्वदुर्ग' कहते हैं ।

जलदुर्गं स्मृतं तज्जैरासमन्तान्महाजलम् ।

सुवारिपृष्ठोच्चधरं विविक्ते गिरिदुर्गमम् ॥ ४ ॥

जलदुर्ग तथा गिरिदुर्ग के लक्षण—जिसके चारों तरफ बहुत दूर तक फैली हुई जलराशि हो, उसे उस विषय के ज्ञाता लोग 'जलदुर्ग' कहते हैं । जो एकान्त में किसी पहाड़ी के ऊपर बना हो एवं उसके ऊपर जलाशय का भी प्रबन्ध हो तो उसे 'गिरिदुर्ग' कहते हैं ।

अभेद्यं न्युहविहीरन्यातं तत्सैन्यदुर्गमम् ।

सहायदुर्गं तज्ज्ञेयं शूरानुकूलबान्धवम् ॥ ५ ॥

सैन्यदुर्ग तथा सहायदुर्ग के लक्षण—न्युह-रचना में बहुत चीरों से व्याप्त होने से जो अभेद्य (आक्रमण द्वारा अजेय) हो उसे 'सैन्यदुर्ग' कहते हैं । जिसमें शूर एवं सदा अनुकूल रहनेवाले बान्धव लोग रहते हों उसे 'सहायदुर्ग' कहते हैं ।

पारिखादैरिणं श्रेष्ठं पारिधं तु ततो वनम् ।

ततो धन्वजलं तस्माद् गिरिदुर्गं ततः स्मृतम् ॥ ६ ॥

ऐरिणादि दुर्ग का तारतम्य-निर्देश—'पारिख'दुर्ग से श्रेष्ठ 'ऐरिण' दुर्ग,

उससे श्रेष्ठ 'पारिधदुर्ग' और उससे भी श्रेष्ठ 'वनदुर्ग' उससे भी श्रेष्ठ 'धन्वदुर्ग' उससे श्रेष्ठ 'जलदुर्ग' उससे भी श्रेष्ठ 'गिरिदुर्ग' माना गया है ।

सहायसैन्यदुर्गे तु सर्वदुर्गप्रसाधिके ।
ताभ्यां विनाऽन्यदुर्गाणि निष्कलानि महीभुजाम् ॥ ७ ॥
श्रेष्ठं तु सर्वदुर्गेभ्यः सेनादुर्गं स्मृतं बुधैः ।
नत्साधकानि चान्यानि तद्रक्षेन्नृपतिः सदा ॥ ८ ॥
सेनादुर्गं तु यस्य स्यात्तस्य वश्या तु भूरियम् ।

सहाय तथा सैन्य दुर्गों की सब दुर्गों की साधनता का निर्देश—वस्तुतः सब दुर्गों से श्रेष्ठ सेना (सैन्य) दुर्ग को विद्वानों ने माना है । और अन्य सारे दुर्ग तो इसके केवल साधनमात्र हैं । अतः राजा सदा इस (सैन्य) दुर्ग की रक्षा करे जिसके पास सेना (सैन्य) दुर्ग है उस (राजा) के लिये यह सारी पृथ्वी अधीन हुई मानी जाती है ।

विना तु सैन्यदुर्गेण दुर्गमन्यत्तु बन्धनम् ॥ ६ ॥
आपत्कालेऽन्यदुर्गाणामाश्रयश्चोत्तमो मतः ।

आपत्काल में अन्य दुर्गों के आश्रय की उत्तमता का निर्देश—सैन्यदुर्ग को छोड़कर अन्य दुर्ग केवल बन्धनमात्र हैं । वास्तव में आपत्ति पड़ने पर ही अन्य दुर्गों का आश्रय लेना उत्तम माना गया है ।

एकः शतं योधयति दुर्गस्थोऽस्त्रधरो यदि ॥ १० ॥
शतं दशसहस्राणि तस्माद् दुर्गं समाश्रयेत् ।

अस्त्र धारण किया हुआ एक सैनिक अकेला ही यदि दुर्ग में स्थित होकर लड़े तो बाहर के १०० सैनिकों से लड़ सकता है । और यदि १०० सैनिक हों तो १०००० सैनिकों से लड़ सकते हैं । इससे दुर्ग का आश्रय लेना उचित होता है ।

शूरस्य सैन्यदुर्गस्य सर्वं दुर्गमिध स्थलम् ॥ ११ ॥
युद्धसम्भारपुष्टानि राजा दुर्गाणि धारयेत् ।
धान्यवीरास्त्रपुष्टानि कोशपुष्टानि वै तथा ॥ १२ ॥

अत्यन्त श्रेष्ठ दुर्ग के लक्षण—शूर-वीर सैन्य दुर्ग (सेना) के लिये तो सभी स्थल दुर्ग की भांति दुर्जेन्द्र हो जाते हैं । और राजा युद्ध की सामग्रियों से परिपूर्ण अर्थात् भोजन के लिये अन्न, शूर-वीर सैनिक, अस्त्र-शस्त्र एवं कोष (खजाने) से परिपूर्ण दुर्गों को सुमजिज्जित रखे । और ऐसे ही दुर्गों में रहे ।

सहायपुष्टं यद् दुर्गं तत्तु श्रेष्ठतरं मतम् ।
सहायपुष्टदुर्गेण विजयो निश्चयात्मकः ॥ १३ ॥

युद्ध-सहायक सामग्रियों से परिपूर्ण दुर्ग से निश्चित विजय होने का निर्देश— इसलिये युद्ध-सहायक उक्त सामग्रियों से परिपूर्ण जो दुर्ग होता है वही सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। अथवा सहायक शूर-वीर एवं अनुकूल बान्धवों से परिपूर्ण दुर्ग सर्वश्रेष्ठ होते हैं। उक्त रीति से सहायकों से परिपूर्ण दुर्ग रहने से राजा का विजय निश्चित रूप से होता है।

यद्यत्सहायपुष्टं तु तत्सर्वं सफलं भवेत् ।

परस्परानुकूल्यं तु दुर्गोणां विजयप्रदम् ॥ १४ ॥

इति शुक्रनीती चतुर्थेऽध्याये दुर्गनिरूपणं नाम षष्ठं प्रकरणम् ।

जो २ दुर्ग सहायकों से परिपूर्ण होते हैं वे सभी राजा के लिये फलप्रद होते हैं। दुर्गों का परस्पर एक दूसरे का सहायक होना विजय देनेवाला होता है।

इस प्रकार शुक्रनीति-भाषाटीका में चतुर्थाध्याय में दुर्ग-
निरूपण-नामक षष्ठ प्रकरण समाप्त हुआ।



चतुर्थाऽध्याये सप्तमं प्रकरणम् ।

दौर्गं संचेपतः प्रोक्तं सैन्यं सप्तममुच्यते ।

सेना शस्त्रास्त्रसंयुक्त-मनुष्यादिगणात्मिका ॥ १ ॥

सेना-निरूपण प्रकरण के आरम्भ में सेना के लक्षण—इस प्रकार से संक्षेप में दुर्गनिरूपण प्रकरण का निरूपण किया गया । अब सप्तम 'सेनानिरूपण' नामक प्रकरण कहता हूँ । शय्य (तलवार आदि), अस्त्र (धनुष आदि) से संयुक्त मनुष्य आदि (पैदल सेना, हाथी, घोड़ा) के समूह को 'सेना' कहते हैं ।

स्वगमाऽन्यगमा चेति द्विधा सैव पृथक् त्रिधा ।

दैव्यासुरी मानवी च पूर्वपूर्व वलाधिका ॥ २ ॥

सेना के भेदों का वर्णन—वह (सेना) १. स्वगमा और २. अन्यगमा भेद से दो प्रकार की होती है । पुनः इन दोनों के भी १. दैवी, २. आसुरी और ३ मानवी भेद से ३ भेद होते हैं । इनमें पूर्व-पूर्व (मानवी से आसुरी, आसुरी से दैवी) सेना अधिक बलशालिनी होती है ।

स्वगमा या स्वयं गन्त्री यानगाऽन्यगमा स्मृता ।

पादात् स्वगमं चान्यद् रथाश्वगजगं त्रिधा ॥ ३ ॥

स्वगमा और अन्यगमा सेना के लक्षण—जो स्वयं गमन करनेवाली सेना होती है वह 'स्वगमा' और जो अन्य द्वारा गमन करनेवाली होती है, वह 'अन्यगमा' कहलाती है । उसमें पैदल सेना 'स्वगमा' एक ही प्रकार की होती है किन्तु दूसरी (अन्यगमा) सेना अन्य अर्थात् रथ, घोड़ा और हाथी के द्वारा गमन करके से ३ प्रकार की होती है ।

सैन्याद्विना नैव राज्यं न धनं न पराक्रमः ।

बलिनो वशगाः सर्वे दुर्बलस्य च शत्रवः ॥ ४ ॥

भवन्त्यल्पजनस्यापि नृपस्य तु न किं पुनः ।

सैन्य के प्रभाव का निर्देश—सैन्य के बिना राज्य, धन और पराक्रम इनमें से कोई भी स्थिर नहीं रह सकता है । और जब कि सभी लोग बलवान पुरुष के ही वर्धाभूत होते हैं और दुर्बल पुरुष के शत्रु हो जाते हैं तब फिर योद्धी सेना रखनेवाले राजा के लोग शत्रु नहीं होते हैं अर्थात् अवश्य होते हैं ।

शारीरं हि बलं शौर्यबलं सैन्यबलं तथा ॥ ५ ॥

चतुर्थमास्त्रिकबलं पञ्चमं धीबलं स्मृतम् ।

पप्रमायुर्बलं त्वेतैरुपेतो विष्णुरेव सः ॥ ६ ॥

६ प्रकार के बलों का निर्देश—१. शरीर का बल, २. शूरता का बल, ३. सेना का बल, ४. अद्य का बल, ५. बुद्धि का बल, ६. आयु का बल, ये ६ प्रकार के बल कहे हुये हैं जो इनसे युक्त होता है वह विष्णु ही माना जाता है ।

न बलेन विनाप्यल्पं रिपुं जेतुं क्षमः सदा ।

देवासुरनरास्त्वन्योपायैर्नित्यं भवन्ति हि ॥ ७ ॥

बल के बिना लोग शत्रु (साधारण) शत्रु को भी सदा जीतने के लिये नहीं समर्थ हो सकते हैं क्योंकि देवता, असुर और मनुष्य भी बल न रहने पर अन्य (सेना आदि) उपायों से शत्रु जीतने के लिये निरय उद्योग करते हैं ।

बलमेव रिपोर्नित्यं पराजयकरं परम् ।

तस्माद्बलमभेद्यं तु धारयेद्यत्नतो नृपः ॥ ८ ॥

एकमात्र मनुष्य का बल ही शत्रु को पराजित करने में निरय नितान्त समर्थ होता है । इसलिये राजा शत्रुओं के लिये दुर्धर्ष बल को यत्नपूर्वक धारण करे ।

सेनाबलन्तु द्विविधं स्वीयं मैत्रं च तद् द्विधा ।

मौलसाद्यस्कभेदाभ्यां सारासारं पुनर्द्विधा ॥ ९ ॥

२ प्रकार के सेनाबलों का निर्देश—सेना का बल दो प्रकार का होता है जिसमें पहला—अपनी सेना का (स्वीय), दूसरा—मित्र की सेना का (मैत्र) बल है । इनमें से प्रत्येक मौल (कमागत) और साद्यस्क (आधुनिक) भेद से दो प्रकार के होते हैं । पुनः सार और असार भेद से भी दो प्रकार के होते हैं ।

अशिक्षितं शिक्षितं च गुल्मीभूतमगुल्मकम् ।

दत्तास्त्रादि स्वशास्त्रास्त्रं स्ववाहि दत्तवाहनम् ॥ १० ॥

इसमें शिक्षित-अशिक्षित, गुल्मीभूत-अगुल्मक, दत्तास्त्रादि-स्वशास्त्रास्त्र, स्ववाहि-दत्तवाहन इन भेदों से प्रत्येक दो २ प्रकार के होते हैं ।

सौजन्यात् साधकं मैत्रं स्वीयं भृत्या प्रपालितम् ।

मौलं बह्वृदानुबन्धि साद्यस्कं यत्तदन्यथा ॥ ११ ॥

मैत्र, स्वीय, मौल तथा साद्यस्क सेनाओं के लक्षण—मित्रतावश युद्ध के कार्य का निर्वाह करनेवाले सैन्य को 'मैत्र' एवं वेतन देकर रखे हुये को 'स्वीय' कहते हैं । बहुत धनों से पास में रहनेवाली को 'मौल' और इसके विपरीत अर्थात् तत्काल भर्ती की हुई सेना को 'साद्यस्क' कहते हैं ।

सुयुद्धकामुकं सारमसारं विपरीतकम् ।

शिक्षितं ध्यूहकुशलं विपरीतमशिक्षितम् ॥ १२ ॥

सार-भसार तथा शिक्षित-अशिक्षित सेनाओं के लक्षण—भली भांति युद्ध करने के लिये उत्सुक रहनेवाली सेना को 'सार' और इसके विपरीत रहनेवाली को 'भसार' कहते हैं। ध्यूह-रचना में कुशल सेना को 'शिक्षित' और इससे विपरीत को 'अशिक्षित' कहते हैं।

गुल्मीभूतं साधिकारि स्वस्वामिकमगुल्मकम् ।

दत्तास्त्रादि स्वामिना यत् स्वशस्त्रास्त्रमतोऽन्यथा ॥ १३ ॥

गुल्मीभूत, अगुल्मक, दत्तास्त्रादि तथा स्वशस्त्रास्त्र सेनाओं के लक्षण—सेनापति के साथ रहनेवाली सेना को 'गुल्मीभूत' और बिना सेनापति के स्वतन्त्र रहकर लड़नेवाली को 'अगुल्मक' कहते हैं। स्वामी जिसको अस्त्रादि दिये हों उस सेना को 'दत्तास्त्रादि' और इसके विपरीत जिसके पास अपना निजी शस्त्रास्त्र हों उसे 'स्वशस्त्रास्त्र' कहते हैं।

कृतगुल्मं स्वयंगुल्मं तद्वच्च दत्तवाहनम् ।

आरण्यक किरातादि यत् स्वाधीनं स्वतेजसा ॥ १४ ॥

कृतगुल्म, स्वयंगुल्म, दत्तवाहन और आरण्यक सेनाओं के लक्षण—तथा कृतगुल्म (स्वामी ने सेनापति से युक्त सेना में जिसकी गणना की है), स्वयंगुल्म (अपनी इच्छा से गुल्म का अधिपति बना हुआ सैन्य) तथा दत्तवाहन सेना भी होती है। अपने तेज से स्वाधीन रहनेवाली कोल भिन्नादिकों की सेना को 'आरण्यक' कहते हैं।

उत्सृष्टं रिपुणा चापि भृत्यवर्गे निवेशितम् ।

भेदाधीनं कृत शत्रोः सैन्यं शत्रुबलं स्मृतम् ॥ १५ ॥

उभयं दुर्बलं प्रोक्तं केवलं साभकं न तत् ।

शत्रुबल के तथा दुर्बल सेना के लक्षण—१—जिसमें शत्रु के द्वारा निकाले हुये सैनिक घेतन देकर रख लिये गये हों अथवा २—जो शत्रु की सेना भेदनीति से अपने अधीन कर ली गई हो, उसे 'शत्रुबल' कहते हैं। ये दोनों प्रकार की सेनाएँ दुर्बल कही हुई हैं क्योंकि इनपर विश्वास नहीं किया जा सकता है। ये केवल नाममात्र की होती हैं इनसे युद्धकार्य वस्तुतः नहीं चलाया जा सकता है।

समैनियुद्धकुशलैर्व्यायामैर्नतिभिस्तथा ॥ १६ ॥

वर्धयेद्वाहुयुद्धार्थं भोव्यैः शारीरकं बलम् ।

सेना के शारीरिक बल बढ़ाने के उपाय—वाहुयुद्ध में कुशल अपने घरावर वालों के साथ कुरती लड़ा कर तथा व्यायाम कराकर एवं गुरुजनों को प्रणाम

करना सिखाकर तथा पौष्टिक भोजन खिलाकर बाहुयुद्ध के लिये सैनिकों के शारीरिक बल को बढ़ाना चाहिये ।

मृगयाभिस्तु तथाप्राणां शस्त्रास्त्राभ्यासतः सदा ॥ १७ ॥

वर्धयेच्छूरसंयोगात् सम्यक् शौर्यबलं नृपः ।

शौर्यबल बढ़ाने के उपाय—और सदा श्याम्रों का शिकार, शस्त्र तथा अच्छों को चलाने का अभ्यास एवं शूरवीरों की सहायता कराकर सैनिकों के 'शौर्यबल' को राजा बढ़ावे ।

सेनावलं सुभृत्या तु तपोभ्यासैस्तथाऽश्विकम् ॥ १८ ॥

वर्धयेच्छास्त्रचतुर-संयोगाद् धीबलं सदा ।

सेनावल, आश्विकबल व बुद्धिबल बढ़ाने के उपाय—सुन्दर वेतन देकर 'सेनावल' तथा तपस्या और अभ्यास कराकर अर्थात् दिग्गम्यों का प्रयोग तपस्या द्वारा बाण चलाने के अभ्यास के द्वारा कराकर 'आश्विकबल' एवं अर्थ शस्त्र तथा राजनीति जानने में चतुर लोगों की सहायता कराकर 'बुद्धिबल' को सदा बढ़ाना चाहिये ।

सत्क्रियाभिश्चिरस्थायि नित्यं राज्यं भवेद् यथा ॥ १९ ॥

स्वगोत्रे तु तथा कुर्यात्तदायुर्नो लमुच्यते ।

यावद्गोत्रे राज्यमस्ति तावदेव स जीवति ॥ २० ॥

आयुर्बल के लक्षण—निश्चय सत्कर्म करने के द्वारा जिस भांति से अपने वंश में राज्य चिरस्थायी हो उस भांति से राजा को करना चाहिये इसी को 'आयुर्बल' कहते हैं । क्योंकि जब तक उसके वंश में राज्य बना रहता है तब तक ही वह जीवित रहता है ।

चतुर्गुणं हि पादात्तमश्वतो धारयेत् सदा ।

पञ्चमांशांस्तु वृषभानष्टांशांश्च कमेलकान् ॥ २१ ॥

चतुर्थांशान् गजानुष्टान् गजाघांश्च रथान् सदा ।

रथास्तु द्विगुणं राजा बृहन्नालीकमेव च ॥ २२ ॥

सेना में पदाति आदियों की संख्या का नियम—घुड़सवार सैनिकों से चौगुनी पैदल सेना एवं घुड़सवार सेना के पञ्चमांश के बराबर बैल, अष्टमांश ऊंट और ऊंट का चतुर्थांश हाथी, हाथी का अर्धमांश रथ, और रथ का द्विगुण बृहन्नालीक (तोप) इन सबों को राजा अपनी सेना के अन्तर्गत सदा रखे ।

पदातिबहुलं सैन्यं मध्याश्व तु गजाल्पकम् ।

तथा वृषोष्टसामान्यं रक्षेत्रागाधिकं नहि ॥ २३ ॥

राजा सेना में पैदल सिपाहियों को अधिक संख्या में, घोड़ों को मध्यसंख्या में और हाथियों को थोड़ी संख्या में रखे । तथा बैल एवं ऊंटों की संख्या साधारण रखे किन्तु हाथियों की संख्या अधिक न रखे ।

सवय सारवेपोषशस्त्राहं तु पृथक् शतम् ।
 लघुनालिकयुक्तानां पदातीनां शतत्रयम् ॥ ४ ॥
 अशीत्यश्वान् रथं चैक्रं बृहन्नालद्वयं तथा ।
 उष्ट्रान् दश गजौ द्वौ तु शकटीं पोटपर्पमान् ॥ २५ ॥
 तथा लेखकपट्कं हि मन्त्रित्रितयमेव च ।
 धारयेन्नृपतिः सम्यग् वत्सरे लक्षकर्पभाक् ॥ २६ ॥

एक वर्ष में एक लक्ष १०००००) मुद्रा की आयवाला राजा एक सौ अक्षरवाले युवावस्थावाले बट तथा उत्तम वेप (बर्दी-कवच) वाले, ऊंचे कद के, अस्त्र-शस्त्रों से सुसज्जित ऐसे १०० पैदल सिपाहियों की एक पृथक् टुकड़ी और बन्दूकों से युक्त ३०० पैदल सिपाहियों की एक पृथक् टुकड़ी तथा ८० घोड़े, १ रथ, २ तोपें, १० उंट, २ हाथी, २ बैलगाड़ी, १६ बैल, ६ लेखक, ३ मन्त्री, इन सबों को एक सेना के अन्दर अच्छी तरह से रखे ।

सम्भारदानभोगार्थं धनं सार्धसहस्रकम् ।
 लेखकार्थं शत मासि मन्त्र्यर्थं तु शतत्रयम् ॥ २७ ॥
 त्रिशतं दारपुत्रार्थं विद्वदर्थं शतद्वयम् ।
 सायश्वपदगार्थं हि राजा चतुःसहस्रकम् ॥ २८ ॥
 गजोष्ट्रवृषनालार्थं व्ययीकुर्याच्चतुःशतम् ।
 शेषं कोशे धनं स्यात्प्यं राज्ञा सार्धसहस्रकम् ॥ २९ ॥
 प्रतिवर्षं स्ववेशार्थं सैनिकेभ्यो धनं हरेत् ।

प्रतिमास में व्यय करने का प्रमाण—और १ लाख मुद्रा का सालभर में निम्न रीति से व्यय करे जैसे—सामग्री, दान तथा स्वयं भोग करने के लिये प्रति मास १५००) बेद हजार, लेखकों के लिये १००) एक सौ, मन्त्रियों के लिये ३००) तीन सौ, खी-पुत्र के लिये ३००) तीन सौ विद्वानों के समान के लिये २००) दो सौ घुड़सवार, तथा पैदल सिपाहियों के लिये ४०००) चार हजार, ऊंट, बैल तथा बन्दूक चलानेवाले सिपाही—इनके लिये ४००) चार सौ रूपये प्रतिमास व्यय करे । और १५००) प्रतिवर्ष अपनी २ बर्दी बनवाने के लिये सैनिकों को दे । शेष धन को कोश में राजा सुरक्षित रखे ।

लोहसारमयश्चक्रसुगमो मस्रकासनः ॥ ३० ॥
 स्वान्दोलायितरुद्धस्तु मध्यमासनसारथिः ।
 शस्त्रास्त्रसन्धायुद्गर इष्टच्छायो मनोरमः ॥ ३१ ॥
 एवंविधो रथो राज्ञा रच्यो नित्यं सदश्वकः ।

राजा के रथ का वर्णन—कान्तिसार उत्तम लौह का घना हुआ, अत्यन्त सुगमता से फिरने वाले चक्रों से युक्त, शर्या के समान सुखपूर्वक बैठने के लिये

स्थान वाला, एवं जिसमें शरीर स्वयम् हिंडोले पर बैठने के समान आन्दोलित हो जाय (अर्थात् सुन्दर कमानीदार), और जिसके आगे की तरफ मध्य भाग में सारथी के बैठने का स्थान हो तथा जिसके अन्दर दाख तथा अख भरे पदे हों एवं मनोऽनुकूल छाया हुआ—इस प्रकार का बना हुआ मनोरम रथ सदा रखे, जिसमें अच्छे २ घोड़े जुते हों, राजा सदा सैन्य में रखे ।

नीलतालुर्नीलजिह्वो धक्रदन्तो ह्यदन्तकः ॥ ३२ ॥

दीर्घद्वेषी क्रूरमदस्तथा पृष्ठविधूनकः ।

दशाष्टोननखो मन्दो भृविशोधनपुच्छकः ॥ ३३ ॥

एवंविधोऽनिष्टगजो विपरीतः शुभावहः ।

अनिष्ट तथा शुभप्रद गज का लक्षण—नील तालु और जीभवाला, टेढ़े दाँतोंवाला या बिना दाँत का, दीर्घ काल तक द्वेष रखनेवाला, विशृङ्खल भाव से मद यद्दानेवाला, पीठ हिलानेवाला, १८ से कम नखवाला, मन्दगामी और पृथ्वी तक लटकनेवाली पूंछ से युक्त ऐसा हाथी अनिष्ट फल देनेवाला होता है एवं इससे विपरीत लक्षणों से युक्त शुभ फल देनेवाला होता है ।

भद्रो मन्द्रो मृगो मिश्रो गजो जात्या चतुर्विधः ॥ ३४ ॥

हाथी के ४ प्रकार—१. भद्र, २. मन्द्र, ३. मृग और ४. मिश्र भेद से गज की ४ जातियाँ होती हैं ।

मध्वाभदन्तः सधलः समाङ्गो वर्तुलाकृतिः ।

सुमुखोऽवयवश्रेष्ठो ज्ञेयो भद्रगजः सदा ॥ ३५ ॥

भद्रगज के लक्षण—मधु (राहद) के समान आभा से युक्त दाँतोंवाला, चलवान, अयुरूप अङ्गोंवाला, गोल आकारवाला, सुन्दर मुख एवं श्रेष्ठ अङ्गोंवाला गज 'भद्र' संज्ञक सदा जानना चाहिये ।

स्थूलकुक्षिः सिंहकृच वृहद्वगगलशुण्डकः ।

मध्यमावयवो दीर्घकायो मन्द्रगजः स्मृतः ॥ ३६ ॥

मन्द्रगज के लक्षण—जिसके पेट स्थूल, बाँसों सिंह के समान, चमड़ा सीटा एवं गला और शूङ्ग लम्बी, अवयव मध्यम आकार का एवं शरीर दीर्घ हो उसे 'मन्द्र' संज्ञक गज समझना चाहिये ।

तनुकण्ठदन्तकर्णशुण्डः स्थूलाक्ष एव हि ।

सुह्रस्वाधरमेढस्तु वामनो मृगसंज्ञकः ॥ ३७ ॥

मृगगज के लक्षण—जिसके कण्ठ, दाँत, कान एवं शूङ्ग पतले हों और बाँसों स्थूल, शोथ और लिङ्ग अत्यन्त छोटे तथा शरीर का आकार छोटा हो, उसे 'मृग' संज्ञक गज जानना चाहिये ।

एषां लक्ष्मैर्विमिलितो गजो मिश्र इति स्मृतः ।

भिन्नं भिन्नं प्रमाणं तु त्रयाणामपि कीर्तितम् ॥ ३८ ॥

मिश्रगज के लक्षण—इन सर्शों के कुक्ष २ लक्षण जिनमें मिलते हों उसे 'मिश्र' संज्ञक गज समझना चाहिये । उक्त तीनों गजों के प्रमाण भी भिन्न २ कहे हुये हैं ।

गजमाने ह्यङ्गुलं स्यादष्टभिस्तु यत्रोदरैः ।

चतुर्विंशत्यङ्गुलैस्तैः करः प्रोक्तो मनीषिभिः ॥ ३६ ॥

गजमान में अंगुलादिकों का प्रमाण—गजों को नापने के लिये जी के उदर भाग की चौड़ाई के समान चौड़ाई १ अंगुल की होती है । ऐसे २४ अंगुलों का १ हाथ विद्वान लोग कहते हैं ।

सप्तहस्तोन्नतिर्भद्रे ह्यष्टहस्तप्रदीर्घता ।

परिणाहो दशकर उदरस्य भवेत् सदा ॥ ४० ॥

भद्रगज के शरीर का मान—'भद्रगज' की ऊंचाई ७ हाथ की, लम्बाई ८ हाथ की तथा पेट का विस्तार १० हाथ का सदा होता है ।

प्रमाणं मन्दमृगयोर्हस्तहीनं क्रमादतः ।

कथित दैव्यं साम्यं तु मुनिभिर्भद्रमन्द्रयोः ॥ ४१ ॥

मन्द्र तथा मृग गज का मान—मन्द्र और मृग की ऊंचाई का प्रमाण भद्रगज से क्रम से १-१ हाथ छोटा होता है अर्थात् मन्द्र की ऊंचाई ६ हाथ की एवं मृग की ५ हाथ की होती है किन्तु मुनियों ने भद्र और मन्द्र की लम्बाई समान ही बताई है ।

बृहद्भ्रूगण्डफालस्तु घृतशीर्षगतिः सदा ।

गजः श्रेष्ठस्तु सर्वेषां शुभलक्षणसंयुतः ॥ ४२ ॥

सर्वश्रेष्ठ जिसके भौंह, गण्डस्थल तथा भस्त्रक बृहदाकार के हों एवं चाल सदा शीघ्रता से युक्त हो, ऐसा शुभ लक्षणों से युक्त हाथी सर्वश्रेष्ठ समझा जाता है ।

पञ्चयवाङ्गुलेनैव वाजिमानं पृथक् स्मृतम् ।

चत्वारिंशाङ्गुलमुखो वाजी यश्चोत्तमोत्तमः ॥ ४३ ॥

उत्तमोत्तम अथ के लक्षण—घोड़ों का मान हाथियों के मान से भिन्न होता है । इसमें ५ जो का १ अंगुल माना जाता है । जिसका मुख ४० अंगुल का होता है, वह घोड़ा 'उत्तमोत्तम' माना जाता है ।

पट्त्रिंशदङ्गुलमुखो ह्युत्तमः परिकीर्तितः ।

द्वात्रिंशदङ्गुलमुखो मध्यमः स उदाहृतः ॥ ४४ ॥

उत्तम तथा मध्यम अथ के लक्षण—३६ अंगुल का मुख जिसका होता है वह 'उत्तम' तथा ३२ अंगुल का मुख हो तो 'मध्यम' समझा जाता है ।

अष्टाविंशत्यङ्गुलो यो मुखे नीचः प्रकीर्तितः ।

षाजिनां मुखमानेन सर्वावयवकल्पना ॥ ४५ ॥

नीच अश्व के लक्षण तथा अश्व के अवयवों की मान-कल्पना—और जिसका मुख २८ अंगुल वा होता है वह 'नीच' घोड़ा समझा जाता है। और घोड़ों के मुख के मान के द्वारा सम्पूर्ण अवयवों के मान की भी कल्पना की जाती है।

और्च्चं तु मुखमानेन त्रिगुणं परिकीर्तितम् ।

शिरोमणिं समारभ्य पुच्छमूलान्तमेव हि ॥ ४६ ॥

तृतीयांशाधिकं दैर्घ्यं मुखमानाच्चतुर्गुणम् ।

परिणाहस्तूदरस्य त्रिगुणस्त्यङ्गुलाधिकः ॥ ४७ ॥

अश्व की ऊंचाई और लम्बाई का प्रमाण—उक्त मुखमान से त्रिगुनी ऊंचाई कही हुई है। घोड़े की शिरोमणि भाग से लेकर पूंछ के मूल भाग तक की लम्बाई मुखमान से तृतीयांश अधिक चौगुनी होती है। और उदर का विस्तार ३ अंगुल अधिक त्रिगुना होता है।

साधारणमिदं मानमुच्यते विस्तरादथ ।

अष्टाविंशाङ्गुलमुखं पुरस्कृत्य यथा तथा ॥ ४८ ॥

शफोर्च्चं त्र्यङ्गुलं ज्ञेयं मणिबन्धोऽङ्गुलाधिकः ।

यह साधारण रूप से मान कहा गया, अश्व विस्तारपूर्वक कहा जा रहा है। यदि २८ अंगुल प्रमाण मुखवाला नीच संज्ञक अश्व हो तो उसके खुर की ऊंचाई तीन ३ अंगुल प्रमाण की होती है और मणिबन्ध अर्थात् खुर का उपरी भाग १ अंगुल अधिक अर्थात् ४ अंगुल प्रमाण का होता है।

चतुर्हस्ताङ्गुला जङ्घा त्र्यङ्गुलं जानु कीर्तितम् ॥ ४९ ॥

चतुदराङ्गुलाचूरु कूर्परान्तं स्मृतो बुधैः ।

अष्टत्रिंशाङ्गुलं ज्ञेयं स्कन्धान्तं कूर्परादतः ॥ ५० ॥

और जंघा ४ हस्त के अंगुल प्रमाण की, जानु ३ अंगुल प्रमाण का कहा कक्षा हुआ है। और कूर्पर के दूनी पर्यन्त दोनों ऊरु १४ अंगुल प्रमाण का पण्डितों ने कहा है। कूर्पर से लेकर स्कन्ध पर्यन्त ऊंचाई ३८ अंगुल की होती है।

प्रत्यगूरु मुखसमौ जङ्घोना पादमानतः ।

प्रोक्तोच्चता चाथ दैर्घ्यमुच्यते शास्त्रसङ्गतम् ॥ ५१ ॥

और पीछे के दोनों ऊरु मुख के समान अर्थात् २८ अंगुल प्रमाण के होते हैं। और पीछे की जंघा चौथाई मान से कम होती है। इस प्रकार से अङ्गों की ऊंचाई का वर्णन किया गया अथ शास्त्र-संगत लम्बाई का वर्णन किया जा रहा है।

पद्मंशोनाधिका ग्रीवा द्विगुणा सुप्रसारिता ।
 मुखतश्चोच्छ्रिता सार्धपादहीना तु पूर्वतः ॥ ५२ ॥
 स्कन्धादि मुष्कमूलान्तं ग्रीवातुल्यं तु तत्र हि ।
 द्वयंशपट्टं त्रिकं यावत् शेषमंसं प्रकल्पयेत् ॥ ५३ ॥
 मुखार्धं पुच्छदण्डं च शिरन आण्डौ तदर्धकौ ।
 कर्णः पडङ्गुलो दीघश्चतुःपञ्चाङ्गुलः क्वचित् ॥ ५४ ॥

सुविस्तृत ग्रीवा लम्बाई में मुख की अपेक्षा पद्मंश अधिक दुगुनी होती है तथा मुख से साढ़े चौथाई हीन उन्नत होती है । उसमें घोड़ों में स्कन्ध से लेकर अण्डकोप के मूल पर्यन्त लम्बाई ग्रीवा के तुल्य होती है । पृष्ठवंश (रीढ़) के (अधोभाग तक शेष भाग स्कन्ध की लम्बाई ग्रीवा के) दो अंश और पष्ठ भाग तुल्य होती है । पुच्छदण्ड और शिरन की लम्बाई मुख की आधी होती है, दोनों अण्डकोपों की लम्बाई शिरन की आधी होती है । कर्ण की लम्बाई ६ अंगुल की होती है और कहीं २ चार या पाँच अंगुल की भी होती है ।

परिणाहः शफस्योक्तो मुखार्धेनाङ्गुलाधिकः ।
 तदर्धो मणिबन्धस्य जङ्घायाः परिधिः स्मृतः ॥ ५५ ॥
 दशैकाङ्गुलपरिधौ रम्योरोः कीर्त्तिता बुधैः ।
 पृप्नोरुपरार्धिर्मूले त्रिः पद्मंशो मुखेषु च ॥ ५६ ॥
 बहिरन्तर्धनुःखण्डसदृशा शरभोव्रजा ।
 मणिबन्धमण्डोर्ज्ञेयः परिधिश्च नवाङ्गुलः ॥ ५७ ॥
 अन्त्यजङ्घादिपरिधिविज्ञेयः पूर्ववद् बुधैः ।

खुर का विस्तार एक अंगुल अधिक मुख के परिमाण का आधे भाग का होता है । और मणिबन्ध और जंघा की परिधि उसकी आधी होती है । रमणीय ऊरु की परिधि ११ अंगुल परिमित पण्डितों ने कही है । पीछे की ऊरु की परिधि मूल भाग में ३ अंगुल परिमित और धग्रभाग में पष्ठ अंश परिमित होती है । मणिबन्ध की चिह्न विशेष मणि की परिधि नव अंगुल की होती है और अन्तिम जंघा आदि की परिधि पूर्ववत् पण्डितों को जानना चाहिये ।

अथोर्वोरन्तरे चिह्नमङ्गुलं पक्षमूलयोः ॥ ५८ ॥
 सार्धाङ्गुलं सटास्यानं ग्रीवोपरि सुविस्तृतम् ।
 शिरोमणिं समारभ्य दीर्घं स्कन्धान्तमुत्तमम् ॥ ५९ ॥
 अधोगमा सटा कार्या हस्तमात्रायता शुभा ।
 सार्धहस्ता द्विहस्ता वा पुच्छबालाः सुशोभनाः ॥ ६० ॥

और दोनों ऊरुओं के मध्य में पारवर्मूलों का चिह्न अंगुल परिमित होता है। ग्रीवा के ऊपर सुविस्तृत शिरोमणि से लेकर स्कन्ध पर्यन्त उत्तम सटा (अयाल) का स्थान डेढ़ अंगुल लम्बा है। और (मूर्ति में) नीचे की ओर छटकती हुई हाथभर की लम्बी शुभ सटा (अयाल) करनी चाहिये। और पृष्ठ के बाल डेढ़ हाथ या दो हाथ लम्बे शोभन करने चाहिये।

सप्ताष्टनवदशभिरङ्गुलैः कर्णदीर्घता ।
 तथा तद्विस्तृतिर्ज्ञेया द्व्यङ्गुला चतुरङ्गुला ॥ ६१ ॥
 न स्थूला नापि चिपिटा ग्रीवा मयूरसन्निभा ।
 ग्रीवामपरिधिस्तुल्यो मुखेनाधिकमुष्टिकः ॥ ६२ ॥
 ग्रीवामूलस्य परिधिद्विगुणो विदशाङ्गुलः ।
 तृतीयांशविहीनं तु सत्क्रोडं वक्ष ईरतम् ॥ ६३ ॥

और कर्ण की लम्बाई ७, ८, ९ या १० अंगुल परिमित की होनी चाहिये और उसकी चौड़ाई ३ या ४ अंगुल की होनी चाहिये। और न मोटी, न चिपटी, मयूर के समान ग्रीवा होनी चाहिये। ग्रीवा के अग्रभाग की परिधि मुख के परिमाण से एक मुष्टि अधिक होनी चाहिये। ग्रीवामूल की परिधि मुख के परिमाण से १० अंगुल कम दुगुना होना चाहिये। और उत्तम उल्लसंगवाला वक्षःस्थल का मान मुख के मान से तृतीयांश कम कहा हुआ है।

नेत्रोपरि परीणाहो मुखेनाष्टाङ्गुलाधिकः ।
 नासिकोपरि नेत्राधो मुखस्य परिधिस्तु यः ॥ ६४ ॥
 तृतीयांशविहीनेन मुखेन सदृशो भवेत् ।
 द्व्यङ्गुलं नेत्रविस्तृतिस्त्र्यङ्गुला तस्य दीर्घता ॥ ६५ ॥
 अर्धाङ्गुलाधिका वापि विस्तृतिर्दीर्घताङ्गुला ।
 मुखतृतीयांशमेतदूर्ध्वोर्मध्येऽन्तरं स्मृतम् ॥ ६६ ॥
 नेत्रामयोरन्तरं तु पञ्चगांशं मुखस्य हि ।
 कर्णयोरन्तरं तद्वत् कर्णनेत्रान्तरं तथा ॥ ६७ ॥

नेत्र के ऊपर का विस्तार मुख के मान के तुल्य होता है किन्तु ८ अंगुल अधिक होता है। नासिका के ऊपर और नेत्र के नीचे जो मुख की परिधि है वह तृतीयांशहीन मुख के मान के तुल्य होती है। नेत्र के विस्तार का मान २ अंगुल एवं नेत्र की लम्बाई का मान ३ अंगुल का होता है अथवा नेत्र का विस्तार आधा अंगुल अधिक अर्थात् ढाई अंगुल मान का और लम्बाई एक अंगुल अधिक अर्थात् तीन अंगुल की होनी चाहिये। ऊरुओं के मध्य में यह अन्तर मुख का तृतीयांश तुल्य होना चाहिये तथा नेत्र के दोनों अग्रभागों का

अन्तर मुख के पञ्चमांशतुल्य होना चाहिये । दोनों कर्णों का अन्तर भी तद्वत् तथा कर्ण और नेत्र का अन्तर भी उसी प्रकार से होता है ।

भ्रूस्थयोः शफयोः प्रोक्तं यदेतत् कर्णसंमितम् ।

मणिनेत्रप्रान्तरं च भ्रुवोरन्तरमेव हि ॥ ६८ ॥

सकथ्यङ्गुलं तृतीयांशं नासानेत्रान्तरं तथा ।

त्रिभागपूरणं प्रोथः सोष्टश्च परिकीर्तितः ॥ ६९ ॥

नासारन्धान्तरं चैव तद्-दर्ध्यनवमांशकम् ।

कायो नरार्धविस्तारस्त्रिके हृदयसमितः ॥ ७० ॥

चतुर्थांशं तु हृदय बाहुमूलावधः स्मृतम् ।

पष्ठांशमन्तरं बाहोर्हस्तसमीपे प्रकीर्तितम् ॥ ७१ ॥

और भूमिस्थित दोनों खुरों का जो यह अन्तर है वह कर्ण के मान के तुल्य कहा हुआ है । मणि और नेत्र का अन्तर, दोनों भौंहों का अन्तर तथा नासिका और नेत्र का अन्तर सक्थि (ऊरु) के अंगुलों का तृतीयांश तुल्य मान समझना चाहिये । और ओष्ठ के सहित मुख का अग्रभाग मुख के मान के तृतीयांशतुल्य कहा हुआ है । तथा दोनों नासिकाओं के द्विद्रों का अन्तर उन दोनों की लम्बाई के मान के तृतीयांश तुल्य मानवाला होता है । शरीर मनुष्य के विस्तार से आधा विस्तारवाला, पृष्ठवंश (रीढ़) के नीचे भाग में हृदय (वक्षःस्थल) के समान विस्तार होता है तथा हृदय बाहुमूल के नीचे चतुर्थांश तुल्य कहा हुआ है । हृदय के समीप में दोनों बाहुओं का अन्तर पष्ठांश तुल्य होता है ।

अधरोष्ठोऽनुचिबुकं सार्धाङ्गुलमथोन्नतम् ।

शोभते चोन्नतग्रीवो नतपृष्ठः सदा ह्यः ॥ ७२ ॥

यद्रूपं कर्तुमुद्युक्तस्तद्विम्बं वीक्ष्य सर्वतः ।

अदृष्ट्वा कस्य यद्रूपं न कर्तुं क्षमते हि तत् ॥ ७३ ॥

शिल्प्यग्रे वाजिनं ध्यात्वा कुर्यादवयवानतः ।

दिशाऽनया च विभूतेः सर्वमानानि वाजिनाम् ॥ ७४ ॥

अधरोष्ठ चिबुक तक डेढ़ अंगुल उन्नत होता है । और घोड़ा सदा उन्नत ग्रीवा तथा नत पृष्ठवाला शोभायमान होता है । जिसकी आकृति बनाने के लिये जो उद्यत हो वह सब तरफ से देखकर उसके विम्ब (प्रतिकृति) को करे । किसी का जो रूप हो उसको बिना देखकर उसकी प्रतिकृति बनाने के लिये कोई समर्थ नहीं हो सकता है । अतः शिल्पी (मूर्तिकार) प्रथम घोड़े का ध्यान कर पश्चात् उसके अङ्गों को बनावे । इसी रीति से घोड़ों के अवयवों के सभी मानों की कल्पना करे ।

श्मश्रूहीनमुखः कान्तः प्रगल्भोत्तुङ्गनासिकः ।

दीर्घोद्धतप्रीवमुखो ह्रस्वकुक्षितुरश्रुतिः ॥ ७५ ॥

तुरप्रचण्डवेगश्च हंसमेघसमस्वनः ।

नातिक्रूरो नातिमृदुर्देवसत्त्वो मनोरमः ॥ ७६ ॥

उत्तम भरव के अन्य लक्षण—जिस घोड़े के मुख पर बाल न हो एवं सुन्दर मुख तथा शब्द हो और नासिका ऊंची हो, तथा गर्दन और मुख लम्बे एवं कुछ उठे हुये हों, पैर, तुर एवं कान छोटे हों, अत्यन्त शीघ्र और प्रचण्ड वेग हो, हंस तथा मेघ के समान शब्द हो और स्वभाव न अत्यन्त क्रूर तथा न अत्यन्त मृदु ही हो, देवताओं के घोड़ों के समान उत्तम पराक्रम हो—ऐसा घोड़ा मन को मोहित करनेवाला अतएव उत्तम होता है ।

सुकान्तिगन्धवर्णश्च सद्गुणभ्रमरान्वितः ।

घोड़ों की कान्ति, गन्ध और वर्ण सुन्दर एवं अच्छे गुणवाले भौरी (भ्रमर) होनी चाहिये ।

भ्रमरस्तु द्विधावर्तो वाम-दक्षिणभेदतः ॥ ७७ ॥

पूर्णाऽपूर्णः पुनर्द्वेधा दीर्घो ह्रस्वस्तथैव च ।

अथ के भौरी के दो भेद—और भौरी का घुमाव वाम तथा दक्षिण भेद से दो प्रकार का होता है पुनः प्रत्येक के पूर्ण तथा अपूर्ण एवं दीर्घ और ह्रस्व भेद से दो २ प्रकार होते हैं ।

स्त्रीपुंद्देहे वामदक्षौ यथोक्तफलदौ क्रमात् ॥ ७८ ॥

घोड़ा और घोड़ी के शरीर में दक्षिण तथा वाम तरफ भौरी के शुभ फल—उक्त भौरियों सभी यथोक्त उत्तम फल देनेवाली होती हैं जब कि वे क्रम से घोड़ी के बाईं तथा घोड़े के दाहिनी ओर हो ।

न तथा विपरीतौ तु शुभाशुभफलप्रदौ ।

अन्यथा होने पर फलाभाव का निर्देश—यदि उक्त प्रकार से विपरीत हों अर्थात् उक्त स्थान (दायें-बायें) से अन्यत्र कहीं पर हों तो शुभ या अशुभ कोई फल नहीं देनेवाली होती है ।

नीचोर्ध्वतिर्यङ्मुखतः फलभेदो भवेत्तयोः ॥ ७९ ॥

भौरियों के नीचे-ऊंचे होने में फलभेद—यदि भौरियों का मुख नीचा, ऊंचा या तिरछा हो तो तदनुसार फल में भी भेद हो जाता है ।

शङ्ख-चक्र-गदा-पद्म-वेदि-स्वस्तिकसन्निभः ।

प्रासादतीरणधनुः-सुपूर्णकलशाकृतिः ॥ ८० ॥

स्वस्तिकसङ्घ्नीनखड्गश्रीयत्सामः शुभ्रो भ्रमः ।

शुभ भौरी के लक्षण—भौरी शंख, चक्र, गदा, पद्म, वेदी या स्वस्तिक

(५१), के चिह्न की किंचा प्रासाद, तोरण, धनुष या पूर्ण कलश के आकार की होती है और स्वस्तिक, माला, मस्तक, खड्ग तथा श्रीवत्स के समान आकारवाली भौरी शुभ मानी जाती है ।

नासिकाग्रे ललाटे च शङ्खे कण्ठे च मस्तके ॥ ८१ ॥

आवर्तो जायते येषां ते धन्यास्तुरगोत्तमाः ।

भौरी के स्थानानुसार घोड़े की उत्तमता—जिन घोड़ों की नासिका के अग्रभाग, ललाट, शङ्ख (कनपटी), कण्ठ या मस्तक में भौरी हो वे धन्य तथा घोड़ों में 'उत्तम' माने जाते हैं ।

हृदि स्कन्धे गले चैव कटिदेशे तथैव च ॥ ८२ ॥

नाभौ कुक्षौ च पार्श्वे मध्यमाः संप्रकीर्तिताः ।

भौरी के स्थानानुसार घोड़े की मध्यमता—जिनके हृदय, स्कन्ध (कन्धा), गला, कमर, नाभि, कुचि (उदर) तथा पार्श्व के अग्रभाग में भौरी होती है वे घोड़े 'मध्यम' माने जाते हैं ।

ललाटे यस्य चावर्तद्वितयस्य समुद्भवः ॥ ८३ ॥

मस्तके च तृतीयस्य पूर्णहर्षोऽथ उत्तमः ।

'पूर्णहर्ष' अश्व के लक्षण तथा फल—जिसके ललाट में दो भौरियां हों और तीसरी मस्तक में हो वह 'पूर्णहर्ष' (पूर्ण हर्ष देनेवाला) उत्तम अश्व माना जाता है ।

पृष्ठवंशे यदावर्तो यस्यैकः संप्रजायते ॥ ८४ ॥

स करोत्यश्वसंघातान् स्वामिनः सूर्यसंज्ञकः ।

'सूर्यसंज्ञक' अश्व के लक्षण तथा फल—जिस अश्व के पृष्ठवंश (रीढ़) के ऊपर एक भौरी हो वह 'सूर्यसंज्ञक' कहा जाता है एवं वह अपने स्वामी के यहां आने पर बहुत से घोड़ों को एकत्र कर देता है ।

त्रयो यस्य ललाटस्था आवर्तास्तिर्यगुत्तराः ॥ ८५ ॥

त्रिकूटः स परिज्ञेयो वाजिवृद्धिकरः सदा ।

अश्व-वृद्धिकर 'त्रिकूट' अश्व के लक्षण—जिस अश्व के ललाट में तीन भौरियां हों और तिरछे मुखवाली हों तो उसे 'त्रिकूट' संज्ञक कहते हैं, जो सदा स्वामी के यहां घोड़ों की वृद्धि करनेवाला होता है ।

एवमेव प्रकारेण त्रयो श्रीवां समाश्रिताः ॥ ८६ ॥

समावर्ताः स वाजिशो जायते नृपमन्दिरे ।

अन्य भौरियों से युक्त अश्वों के लक्षण—इसी तरह से यदि अश्व की श्रीवा में ३ भौरियां हों तो वह अश्व श्रेष्ठ राजमन्दिर में ही रहता है अर्थात् ऐसा यदि किसी के पास रह जाय तो स्वामी को राजा बना दे ।

कपोलस्थी यदावर्तो दृश्येते यस्य वाजिनः ॥ ८७ ॥
 यशोवृद्धिकरौ प्रोक्तौ राज्यवृद्धिकरौ मतो ।
 एको चाऽथ कपोलस्थो यस्यावर्त्तः प्रदृश्यते ॥ ८८ ॥
 सर्वनामा स विख्यातः स इच्छेत् स्वामिनाशनम् ।

यशोवर्द्धक तथा 'सर्व' संज्ञक भ्रश्व के लक्षण—यदि किसी भ्रश्व के दोनों कपोलों पर दो भौरियां हों तो स्वामी के लिये वे दोनों यश तथा राज्य की वृद्धि करनेवाली मानी गई हैं । जिस भ्रश्व के एक ही कपोल पर एक ही भौरि हो वह 'सर्व' संज्ञक होता है तथा स्वामी का नाश चाहता है ।

गण्डसंस्थो यदावर्तो वाजिनो दक्षिणाश्रितः ॥ ८९ ॥
 स करोति महासीर्यं स्वामिनः शिवसंज्ञकः ।
 तद्ब्रह्मामाश्रितः क्रूरः प्रकरोति घनक्षयम् ॥ ९० ॥

शिव संज्ञक तथा क्रूर-संज्ञक के लक्षण—जिसके दक्षिण गण्डस्थल पर एक भौरि हो वह 'शिव' संज्ञक भ्रश्व स्वामी के लिये महा सुखकारी होता है । इसी प्रकार से बायें गण्डस्थल पर यदि भौरि हो तो वह भ्रश्व 'क्रूर'-संज्ञक होता है तथा घनक्षयकारक होता है ।

इन्द्राख्यौ तावुभौ शस्तौ नृपराज्यविवृद्धिदौ ।
 इन्द्र-संज्ञक भ्रश्व के लक्षण तथा फल—यदि गण्डस्थल के दोनों ओर भौरियां पड़ी हों तो वे 'इन्द्र' संज्ञक होती हैं और ज्ञातम एवं राजा के राज्य की वृद्धि करनेवाली होती हैं ।

कर्णमूले यदावर्तो स्तनमध्ये तथाऽपरो ॥ ९१ ॥
 विजयाख्यावुभौ तौ तु युद्धकाले यशःप्रदौ ।
 विजय-संज्ञक भ्रश्व के लक्षण तथा फल—भ्रश्व के कर्ण के मूल भाग में दो तथा स्तन के मध्य में दो भौरियां हों तो ये दोनों 'विजय' संज्ञक होती हैं और युद्ध काल में विजय दिलाने से यशप्रद होती हैं ।

स्कन्धपार्श्वे यदावर्तो स भवेत् पद्मलक्षणः ॥ ९२ ॥
 करोति विविधान् पद्मान् स्वामिनः सततं सुखम् ।
 पद्म-संज्ञक भ्रश्व के लक्षण तथा फल—दोनों स्कन्ध के पार्श्व भाग में यदि भौरि हों तो उसे 'पद्म' संज्ञक कहते हैं । ऐसा भ्रश्व स्वामी के सुख की सदा वृद्धि करता है एवं विविध प्रकार से पद्मसंख्यक धन का आगमन कराता है ।
 नासामध्ये यदावर्त एको वा यदि वा त्रयम् ॥ ९३ ॥

चक्रवर्तो स विज्ञेयो वाजी भूपालसंज्ञकः ।
 भूपाल-संज्ञक भ्रश्व के लक्षण तथा फल—जिसकी नासिका के मध्य में

यदि १ या ३ भौरियां हों तो वह 'भूपाल' संज्ञक अश्व होता है जो स्वामी को चक्रवर्ती राजा बना देता है ।

कण्ठे यस्य महावर्त एकः श्रेष्ठः प्रजायते ॥ ६४ ॥

चिन्तामणिः स विज्ञेयश्चिन्तितार्थसुखप्रदः ।

चिन्तामणि-संज्ञक अश्व के लक्षण तथा फल—जिसके कण्ठ में श्रेष्ठ एक बही-मी भौरी हो वह अश्व 'चिन्तामणि' संज्ञक होता है जो अभिलषित अर्थ तथा सुख को देनेवाला होता है ।

शुक्लाख्यो भालकण्ठस्यो आवर्तो वृद्धिकीर्तिदौ ॥ ६५ ॥

शुक्ल-संज्ञक अश्व के लक्षण तथा फल—जिस अश्व के ललाट तथा शंख देश में जो भौरियां होती हैं वे दोनों 'शुक्ल' संज्ञक होती हैं और राज्य-धनादि की वृद्धि तथा कीर्ति को देनेवाली होती हैं ।

यस्यावर्तो वक्त्रगतौ कुच्यन्ते वाजिनो यदि ।

स नूनं मृत्युमाप्नोति कुर्याद् वा स्वामिनाशनम् ॥ ६६ ॥

अनिष्टकारक अर्धों के लक्षण—जिस अश्व के कुचि के अन्त भाग में यदि टेढ़ी दो भौरियां हों तो वह निश्चय स्वयं मर जाय या अपने स्वामी का नाश करे ।

जानुसंस्था यदावर्तो प्रभासकलेशकारकाः ।

वाजिमेढ्रे यदावर्तो विजयश्रीविनाशनः ॥ ६७ ॥

जिस अश्व के जानुओं (घुट्टों) पर ३ भौरियां हों, उनसे स्वामी को परदेश में विशेष क्लेश होता है । घोड़े के यदि लिङ्ग में भौरी हो तो वह विजय और श्री (लक्ष्मी) का नाशक होता है ।

त्रिकसंस्थो यदावर्तस्त्रिवर्गस्य प्रणाशनः ।

पुच्छमूले यदावर्तो धूमकेतुरनर्थकृत् ॥ ६८ ॥

धूमकेतु-संज्ञक भौरी के लक्षण फल—जिसकी पीठ के त्रिकस्थान में भौरी हो तो वह त्रिवर्ग (धर्म, अर्थ, काम) का नाशक होता है । घोड़े के पूंछ के मूल में जो भौरी हो, वह 'धूमकेतु' संज्ञक है तथा अनर्थकारक होता है ।

गुह्यपुच्छत्रिकावर्तो स कृतान्तो भयप्रदः ।

कृतान्त-संज्ञक भौरी के लक्षण व फल—जिस घोड़े की गुदा, पूंछ तथा त्रिकस्थान में भौरी हो वह 'कृतान्त' संज्ञक होता है जो कि भयदायक होता है ।

मध्यदण्डा पार्श्वगमा सैव शतपदी कचे ॥ ९९ ॥

अतिदुष्टाद्गुप्रमिता दीर्घा दुष्टा यथा यथा ।

घोड़े के पूंछ के शुभाशुभ फल—जिसकी पूंछ दोनों पार्श्व की ओर जावे और मध्य में दण्ड के आकार का चिह्न हो एवं वह एक अंगुष्ठ बराबर लम्बा

हो तो उसे 'मध्यदण्डा' या 'शतपदी' कहते हैं यह अत्यन्त दुष्ट मानी जाती है। उसके बाद जैसे २ वह लम्बी होती जाती है वैसे २ उसकी दुष्टता नष्ट होकर शुभ फल देनेवाली होती जाती है।

अश्रुपातो हनुगण्डहृद्गलग्लप्रोथवस्तिपु ॥ १०० ॥

कर्दिराह्वजानुमुष्क-फकुन्नाभिगुदेपु च ।

दक्षकुक्षौ दक्षपादे त्वशुभो भ्रमरः सदा ॥ १०१ ॥

भौरियों के अशुभप्रद स्थानों का निर्देश—यदि अश्व के हनु (ठोड़ी), गण्डस्थल, हृदय, गला, प्रोथ (मुत्तामभाग), वस्तिस्थान, कमर, खंख (कनपटी), जाशु (घोट्ट), मुष्क (अण्डकोश), फकुद् (पीठ पर उभरा हुआ स्थान), नाभि, गुदा, में भौरी हो तो अशुपातकारक होती है और दक्षिण कुक्षि या दक्षिण पेट में हो तो वह सदा अशुभ फल देनेवाली मानी जाती है।

गलग्लमध्ये पृष्ठमध्ये उत्तरोष्ठेऽधरे तथा ।

कर्णनेत्रान्तरे वामकुक्षौ चैव तु पार्ष्वयोः ॥ १०२ ॥

ऊरुपु च शुभावर्तो वाजिनाममपादयोः ।

आवर्त्त भौरियों के शुभप्रद स्थानों का निर्देश—अश्व के गले या पीठ के मध्य में, ऊपर या नीचे के ओष्ठ, कर्ण और नेत्र के मध्य में, बाईं कक्षि, दोनों पार्श्व, दोनों ऊरु, या दोनों अगले पांवी में, भौरियाँ हों तो वही शुभ देने वाली होती है।

आवर्त्तो सान्तरो भाले सूर्यचन्द्रौ शुभप्रदौ ॥ १०३ ॥

मिलितौ तौ मध्यफलौ ह्यतिलग्नौ तु दुष्फली ।

सूर्य-चन्द्रसंज्ञक भौरी के स्थानानुसार शुभाशुभ फल का निर्देश—और भाल में यदि कुछ अन्तर पर दो भौरियाँ हो तो ये सूर्य-चन्द्र संज्ञक होती हैं तथा 'उत्तम' शुभ फल देने वाली होती हैं यदि कुछ सटी हुई हों तो 'मध्यम' शुभ फल देनेवाली एवं अत्यधिक सटी हुई हों तो 'दुष्ट' फल देनेवाली होती हैं।

आवर्त्तत्रितयं भाले शुभं चोर्ध्वं तु सान्तरम् ॥ १०४ ॥

अशुभं चातिसंलग्नमावर्त्तद्वितयं तथा ।

त्रिकोणत्रितयं भाले आवर्त्तानां तु दुःखदम् ॥ १०५ ॥

गलग्लमध्ये शुभस्त्वेकः सर्वाशुभनिवारणः ।

शुभाशुभ फलप्रद भौरी के स्थानों का निर्देश—यदि अश्व के भाल में ऊपर की ओर ३ भौरियाँ अलग २ हों तो शुभ फलप्रद होती हैं। यदि भाल में दो भौरियाँ अत्यन्त सटी हुई हों तो अशुभ फलप्रद होती हैं। और भाल में

यदि त्रिकोणाकार ३ भौरियां हों तो दुःखप्रद होती हैं। गले के मध्य में यदि एक भौरी हो तो वह शुभ फलप्रद और समस्त अशुभ फलों को दूर करने वाली होती है।

अधोमुखः शुभः पादे भाले चोर्ध्वमुखो भ्रमः ॥ १०६ ॥

न चैवात्यशुभा वृष्टमुखी शतपदी मता ।

पैर में अधोमुख एवं भाल में ऊर्ध्वमुख भौरी शुभ होती है पीठ की ओर मुखवाली जो 'शतपदी' होती है वह अत्यन्त अशुभ फल देनेवाली नहीं होती है।

मेढस्य पश्चाद् भ्रमरी स्तनी वाजी स चाशुभः ॥ १०७ ॥

और जिस अश्व के लिङ्ग के पीछे भौरी या स्तन हो, वह अशुभ फलप्रद होता है।

भ्रमः कर्णसमीपे तु शृङ्गी चैकः स निन्दितः ।

ग्रीवोर्ध्वपार्श्वे भ्रमरी ह्येकरश्मिः स चैकतः ॥ १०८ ॥

एकशृङ्गी तथा एकरश्मि-संज्ञक भौरी के लक्षण व फल—जिस के कान के समीप में भौरी होती है वह अश्व 'एकशृङ्गी' कहलाता है और निन्दित होता है। ग्रीवा के ऊपर पार्श्व में एक तरफ जो भौरी होती है वह 'एकरश्मि' कहलाती है वह भी निन्दित होती है।

पादोर्ध्वमुखभ्रमरी कीलोत्पाटी स निन्दितः ।

शुभाशुभौ भ्रमौ यस्मिन्स वाजी मध्यमः स्मृतः ॥ १०९ ॥

कीलोत्पाटी व मध्यम आवर्तों के लक्षण व फल—पैरों में यदि ऊर्ध्व मुख वाली भौरी हो तो उसे 'कीलोत्पाटी' कहते हैं। वह निन्दित होता है। जिस अश्व में शुभ तथा अशुभ दोनों प्रकार की भौरियां होती हैं, वह 'मध्यम' कहलाता है।

मुखे पत्सु सितः पद्भकल्याणोऽश्वः सदा मतः ।

स एव हृदये स्कन्धे पुच्छे श्वेतोऽष्टमङ्गलः ॥ ११० ॥

पद्भकल्याण व अष्टमङ्गल अश्व के लक्षण व फल—जिसके मुख और चारों पैर सुफेद हों, वह अश्व 'पद्भकल्याण' संज्ञक सदा कहलाता है। वही सुफेदी हृदय, स्कन्ध तथा पुच्छ में धोड़े को हो तो वह 'अष्टमङ्गल' संज्ञक होता है।

कर्णे श्यामः श्यामकर्णः सर्वतस्त्वेकवर्णभाक् ।

तत्रापि सर्वतः श्वेतो मेध्यः पूज्यः सदैव हि ॥ १११ ॥

श्यामकर्ण अश्व के लक्षण—यदि केवल कान ही मात्र कृष्ण वर्ण के हों और सर्वत्र कोई एक वर्ण हो तो वह अश्व 'श्यामकर्ण' संज्ञक होता है। और

जिस श्यामकर्म घोड़े का सारा शरीर एक वर्ण का हो किन्तु वह श्वेत वर्ण हो तो वह अश्वमेघ के योग्य होने से सदैव पूज्य होता है ।

वैदूर्यसन्निभे नेत्रे यस्य स्तो जयमङ्गलः ।

मिश्रवर्णस्त्वैकवर्णः पूज्यः स्यात् सुन्दरो यदि ॥ ११२ ॥

जयमङ्गल अश्व के लक्षण—जिस घोड़े की आँखें वैदूर्य मणि के समान कालापन युक्त सफेद हों वह 'जयमङ्गल' संज्ञक होता है । कोई भी घोड़ा चाहे अनेक वर्ण का या एक वर्ण का हो किन्तु देखने में सुन्दर हो तो वह पूज्य होता है ।

कृष्णपादो हरिर्निन्द्यस्तथा श्वेतैकपादपि ।

रूक्षो धूसरवर्णश्च गर्दभाभोऽपि निन्दितः ॥ ११३ ॥

जिस अश्व के पैर काले हों अथवा एक ही पैर सफेद हो किंवा जी रूख धूसर वर्ण का गर्दह के समान हो वह निन्दित होता है ।

कृष्णतालुः कृष्णजिह्वः कृष्णोष्ठश्च विनिन्दितः ।

सर्वतः कृष्णवर्णो यः पुच्छे श्वेतः स निन्दितः ॥ ११४ ॥

जिसका तालु, जिह्वा और ओष्ठ कृष्ण वर्ण का हो अथवा सर्वत्र कृष्ण वर्ण का हो किन्तु पूंछ श्वेत वर्ण की हो तो वह निन्दित होता है ।

उच्चैः पदग्यासगतिर्द्विपठ्याप्रगतिश्च यः ।

मयूरहंसतिन्त्रपारावतगतिश्च यः ॥ ११५ ॥

मृगोष्ट्रवानरगतिः पूज्यो वृषगतिर्हयः ।

अश्वों की श्रेष्ठ गति के लक्षण—जो अश्व ऊँचा पैर उठाकर चलता हो किंवा जिसकी चाल हाथी अथवा सिंह की सी हो और जिसकी मोर, हंस, तीतर, कबूतर, मृग, ऊँट या बैल की सी चाल हो तो वह पूज्य (श्रेष्ठ चालवाला) होता है ।

अतिभुक्तोऽतिपीतोऽपि यथा सादी न पीड्यते ॥ ११६ ॥

श्रेष्ठा गतिस्तु सा ज्ञेया स श्रेष्ठस्तुरगो मतः ।

घोड़े की वही चाल श्रेष्ठ कहलाती है कि जिससे अश्वन्त भोजन करके या अत्यन्त जल पीकर के भी सवारी करने पर सवार को कष्ट न मालूम पड़े । और वही घोड़ा श्रेष्ठ भी माना जाता है ।

सुश्वेतमालतिलको विद्धो वर्णान्तरेण च ॥ ११७ ॥

स वाजी दलभङ्गी तु यस्य सैवातिनिन्दितः ।

निन्दित 'दलभङ्गी' अश्व के लक्षण—जिस अश्व के मस्तक का श्वेत तिलक अन्य वर्ण से मिश्रित भी हो तो वह 'दलभङ्गी' नामक कहा जाता है और वह तथा उसका स्वामी दोनों निन्दित माने जाते हैं ।

संहन्याद्वर्णजान् दोषान् स्निग्धवर्णो भवेद् यदि ११८ ॥

स्निग्ध वर्ण होने से सर्व वर्णगत दोष-नाशकता का निर्देश—घोड़ा यदि स्निग्ध (चिकनाई लिये हुये) वर्ण का हो तो वर्ण से होनेवाले सारे दोषों को नष्ट कर डालता है ।

बलाधिकश्च सुगतिर्महान् सर्वाङ्गसुन्दरः ।

नातिक्रूरः सदा पूज्यो भ्रमाद्यैरपि दूषितः ॥ ११९ ॥

भावत्तोदिदोष से दूषित होने पर भी पूजनीय अश्व के लक्षण—जो अधिक बलशाली, अच्छी चालवाला, जंचा, सर्वाङ्ग सुन्दर, अत्यन्त बदमाश नहीं होने पर यदि भौरी आदि दोषों से युक्त हो तो भी वह सदा पूजनीय होता है ।

वाजिनामत्यग्रहनात् सुदोषाः संभवन्ति हि ।

कृशो व्याधिपरीताङ्गो जायतेऽत्यन्तवाहनात् ॥ १२० ॥

अवाहितो भवेन्मन्दः सर्वकर्मसु निन्दितः ।

अपोपितो भवेत् क्षीणो रोगी चात्यन्तपोषणात् ॥ १२१ ॥

अश्वों के कृशत्वादि दोष उत्पन्न होने के कारण—यदि घोड़े अच्छे भी हों किन्तु अधिकतर सवारी न की जाय तो उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं और अत्यन्त अधिक सवारी करने से भी घोड़े दुर्बल तथा रोगी हो जाते हैं अतः योग्यतानुसार उन्हें सवारी में लेना चाहिये । और बिना सवारी के भी घोड़े मन्द गतिवाले एवं किसी काम के नहीं रह जाते हैं । और बिना पौष्टिक खुराक के क्षीण तथा अधिक पौष्टिक भोजन कराने तथा तदनु रूप सवारी न करने से रोगी हो जाते हैं, अतः मात्रानुरूप खिलाना चाहिये ।

सुगतिर्दुर्गतिर्निर्यं शिक्षकस्य गुणागुणैः ।

घोड़े की अच्छी तथा बुरी चाल होने में शिक्षक की कारणता का निर्देश—घोड़े में शिक्षक के गुण तथा दोष के द्वारा ही निम्न अच्छी या बुरी चाल हो जाती है अर्थात् जैसा सिखानेवाला होता है वैसा घोड़ा बन जाता है ।

जान्वधश्चलपादः स्याद्वजुकायः स्थिरासनः ॥ १२२ ॥

तुलाधृतखलीनः स्यात् काले देशे सुशिक्षकः ।

मृदुना नात्तिसीत्पेन कशाघातेन ताडयेत् ॥ १२३ ॥

घोड़ों के सुशिक्षक के लक्षण—घोड़े को सुन्दर रीति से सिखानेवाला सवार जानु (घुड़जों) ओंसे नीचे पैर को हिलाना हुआ, शरीर को सीधा रखले हुये, स्थिर आसन से बैठकर तुला की भांति लगाम को पकड़े हुए, काल तथा देश के अनुसार न अत्यन्त कठिन और न अत्यन्त कोमल चाबुक की मार से घोड़े को मार कर सिखावे ।

ताडयेन्मध्यघातेन स्थाने स्वस्वं सुशिक्षकः ।

हेपिते कक्षयोर्हन्यात् स्वलिते पक्षयोस्तथा ॥ १२४ ॥

भीते कर्णान्तरे चैव ग्रीवासून्मागगामिनि ।

कुपिते बाहुमध्ये च भ्रान्तचित्ते तयोदरे ॥ १२५ ॥

अश्वः सन्ताडयते प्राज्ञैर्नान्यस्थानेषु च क्वचित् ।

अश्व-सुनिश्चक के कृत्यों का निर्देश—सुन्दर सिंघानेवाला सवार अपने अश्व घोड़ों को उचित स्थान पर चालुक की मध्यम मार से मारे। जैसे यदि ज्यादा दिनदिनाता हो तो दोनों आँखें में, फिसलने पर दोनों बगलों में, डरने (भड़कने) पर दोनों कानों के बीच में, विपरीत मार्ग से चलने पर ग्रीवा में, दोनों भगले पैरों को टटाकर खड़ा होने पर आगे के पैरों के मध्य में, और भ्रान्त चित्त होने पर उदर में बुद्धिमान सवार घोड़े के मारे किन्तु अन्य स्थानों में कभी भी न मारे।

अथवा हेपिते स्कन्धे स्वलिते जघनान्तरे ॥ १२६ ॥

भीते वक्षःस्थलं हन्याद् वक्त्रमुन्मार्गगामिनि ।

कुपिते पुच्छसंघाते भ्रान्ते जानुद्वयं तथा ॥ १२७ ॥

अथवा अधिक दिनदिनाने पर कन्धे में, फिसलने पर जाँघों के बीच में, डरने पर घुँघुँर में, कुमार्ग पर चलने पर मुख में, कुपित होने पर पूँछ की सन्धि के अन्त में, चित्त की भ्रान्ति होने पर दोनों जानुओं में मारे।

नासकृत्ताडयेदश्वमकाले च विदेशके ।

अकालस्थानघातेन वाजिदोषान् वितन्वते ॥ १२८ ॥

अन्यथा ताडन करने से अनिष्ट—घोड़े को बार बार या असमय तथा कुठाँव में (जहाँ नहीं मारना चाहिये, वहाँ पर) नहीं मारना चाहिये क्योंकि असमय तथा कुठाँव में मारने से घोड़े में दोषों की वृद्धि हो जाती है।

तावद् भवन्ति ते दोषा यादस्त्रीवत्यसौ हयः ।

दुष्टं दण्डेनाभिभवेन्नारोहेदण्डवर्जितः ॥ १२९ ॥

और वे दोष घोड़े में तब तक बने रहते हैं, जब तक घोड़ा जीवित रहता है। दुष्ट घोड़े को दण्ड देकर परास्त कर देवे, बिना दण्ड दिये उस पर सवारी न करे।

गच्छेन् योदशमात्राभिरुत्तमोऽश्वो धनुःशतम् ।

यथा यथा न्यूनगतिरश्वो हीनस्तथा तथा ॥ १३० ॥

उत्तम और हीन घोड़े की गति का प्रमाण—उत्तम घोड़ा १६ मात्रा का उच्चारण करते-करते १०० धनुष की दूरी तक पहुँच जाता है। जैसे २ जिसकी न्यून गति होती है वैसे २ वह हीन माना जाता है।

सहस्रचापप्रमितं मण्डलं गतिशिक्षणे ।

उत्तमं वाजिनो मध्यं नीचमर्थं तदधकम् ॥ १३१ ॥

उत्तमादि मण्डलों के प्रमाणों का निर्देश—गतिकी शिक्षा देने में घोड़े के लिये १ मण्डल का प्रमाण १००० धनुषों का होता है जो उत्तम होता है उसका आधा (५०० धनुषों का) मण्डल मध्यम और उसका भी आधा (२५० धनुषों का) मण्डल नीच होता है ।

अल्पं शतधनुः प्रोक्तमत्यल्पं च तदर्धकम् ।

और १०० धनुषों का मण्डल अल्प और उसका आधा (५० धनुषों का) मण्डल अत्यल्प होता है ।

शतयोजनगन्ता स्याद्दिनेकेन यथा ह्यः ॥ १३२ ॥

गतिं सबधयेन्नित्यं तथा मण्डलविक्रमैः ।

मण्डल के द्वारा गति बढ़ाने की शिक्षा से तब तक घोड़े की गति नित्य बढ़ाता रहे कि जब तक वह एक दिन में १०० योजन (४००) तक न दौड़ लगाने लगे ।

सायं प्रातश्च हेमन्ते शिशिरे कुसुमागमे ॥ १३३ ॥

सायं ग्रीष्मे तु शरदि प्रातरश्च बहेत् सदा ।

ऋतु के भेद से अश्वशिक्षा के समय में भेद का निर्देश—हेमन्त, शिशिर तथा वसन्तऋतु में सायंकाल तथा प्रातःकाल एवं ग्रीष्म में सायंकाल और शरदऋतु में प्रातःकाल घोड़े को शिक्षा देवे ।

वर्षासु न बहेदीपत्तथा विषमभूमिषु ॥ १३४ ॥

वर्षाऋतु में और विषम भूमि में घोड़े को चलाने का निषेध—और वर्षा ऋतु तथा विषम भूमि में घोड़े को थोड़ी भी दौड़ाने की शिक्षा न देवे ।

सुगत्याऽग्निर्बल दाढ्यमारोग्यं वर्धते हरेः ।

उत्तमगति से अश्व के फल का निर्देश—उत्तम चाल से घोड़ों की जटराग्नि, बल, शरीर की दृढ़ता तथा आरोग्य की वृद्धि होती है । अतः चाल की शिक्षा देना आवश्यक है ।

भारमार्गपरिश्रान्तं शनैश्चङ्कामयेद्धयम् ॥ १३५ ॥

स्नेहं संप्रापयेत् पश्चाच्छकरासक्तुमिश्रितम् ।

हरिमन्थांश्च माषाश्च भक्षणार्थं मकुष्ठकान् ॥ १३६ ॥

शुष्कानाद्रांश्च मासानि सुस्वन्नानि प्रदापयेत् ।

थके हुये अश्व को धीरे २ चलाने का एवं उनके भक्षणार्थं हितकारक पदार्थ देने का निर्देश—भारवहन तथा मार्ग चलने से थके हुये घोड़े को धीरे २ टहलावे उसके बाद शक्कर तथा सक्तु मिले हुये स्नेह (घृत) को पिलावे । और खाने के

लिये घने, उर्द तथा मोठ को दे चाहे वे सूखे हों या हरे (भिगोये हुये) एवं अच्छी तरह पकाये हुये मांस भी दे ।

यद्यत्र खलितं गात्रं तत्र दण्डं न पातयेत् ॥ १३७ ॥

मोच खाये अंग पर घोड़े को चाबुक न मारने का निर्देश—यदि कहीं घोड़े के किसी अंग में मोच हो जाय तो वहाँ पर चाबुक नहीं मारना चाहिये ।

नायतारितपल्याणं ह्यं मार्गसमागतम् ।

दत्त्वा गुडं सलघणं बलसंरक्षणाय च ॥ १३८ ॥

मार्ग से चलकर आये हुये घोड़े को गुड़ तथा लवण देने का निर्देश—मार्ग चलकर आये हुये घोड़ों को बिना जीन उतारे हुये ही बल का संरक्षण करने के लिये लवण (निमक) के साथ गुड़ देना चाहिये ।

गतस्वेदस्य शान्तस्य सुरूपमुपतिष्ठतः ।

मुक्तपृष्ठादिघन्धस्य खलीनमवतारयेत् ॥ १३९ ॥

पसीना शान्त होने पर लगाम उतारने का निर्देश—पसीना सूख जाय एवं घोड़ा शान्त होकर अपनी स्वाभाविक अवस्था में स्थित हो जाय तब उसके पीठ के घन्धन (कसे हुये चारजामे) को खोल कर लगाम निकाल लेवे ।

मर्दयित्वा तु गात्राणि पांसुमध्ये विवर्तयेत् ।

स्नानपानावगाहैश्च ततः सम्यक् प्रपोषयेत् ॥ १४० ॥

घोड़ों के अङ्गों को मलकर फेरने का निर्देश—और घोड़े के सारे शरीर का मर्दन (खरहरा) करके धूलि में लोटने की व्यवस्था कर दे । इसके बाद स्नान कराना, पानी पिलाना, नदी आदि में अवगाहन (स्नान) कराना आदि से उसे भलीभांति पुनः परिपुष्ट (ताजा) कर लेवे ।

सर्वदोपहरोऽश्वानां मद्यजाङ्गलयो रसः ।

शक्त्या सम्पाद्ययेत् क्षीरं पृतं वा वारिसक्तुकम् ॥ १४१ ॥

घोड़ों को मद्य व मांसरस देने का फल—घोड़ों के लिये मद्य तथा जंगली जीवों का मांसरस सर्वदोषनाशक (लाभप्रद) होता है । शक्ति के अनुसार दूध, घी या जल में घुला हुआ सक्तू पिलावे ।

अन्नं भुक्त्वा जलं पीत्वा तत्क्षणाद्वाहितो ह्यः ।

उत्पद्यन्ते तदाश्वानां कासश्वासादिका गदाः ॥ १४२ ॥

चारा आदि खिलाने के बाद तत्काल घोड़े की सवारी के शेष—यदि चारा खिलाने के बाद पानी पिलाकर फौरन घोड़े पर सवारी की जाय तो उससे घोड़े को खांसी तथा दमे की बीमारी हो जाती है ।

यवाश्च चणकाः श्रेष्ठा मध्या माया मकुष्ठकाः ।

नीचा मसूरा मुद्गाश्च भोजनार्थं तु वाजिनः ॥ १४३ ॥

घोड़ों के लिये उत्तम, मध्यम तथा नीच भोजनों का निर्देश—घोड़ों को भोजन के लिये जौ तथा चना देना उत्तम, उर्द तथा मोठ मध्यम और मसूर तथा मूंग का देना नीच माना जाता है ।

गतयः षड्विधा धाराऽऽस्कन्दितं रेचितं प्लुतम् ।

धौरीतकं वल्गितं च तासां लक्ष्म पृथक् पृथक् ॥ १४४ ॥

घोड़ों की ६ प्रकार की गति का नाम—निर्देश—१. धारा, २. आस्कन्दित, ३. रेचित, ४. प्लुत, ५. धौरीतक, ६. वल्गित इन भेदों से गति ६ प्रकार की होती है । अब उनके लक्षण पृथक् २ कहते हैं ।

धारागतिः सा विज्ञेया यातिवेगतरा मता ।

पार्श्वतोदातिनुदितो यस्यां भ्रान्तो भवेद्ध्वयः ॥१४५॥

धारा गति के लक्षण—जो अत्यन्त वेग से युक्त गति हो उसे 'धारा' गति समझनी चाहिये । इसमें सवार की एड़ी या चाडुक की मार से अत्यन्त प्रेरित होकर घोड़ा वेग से चकर या दौड़ लगाने लगता है ।

आकुञ्चिताप्रपादाभ्यामुत्प्लुत्योत्प्लुत्य या गतिः ।

आस्कन्दिता च सा ज्ञेया गतिविद्धिस्तु वाजिनाम् ॥ १४६ ॥

आस्कन्दित गति के लक्षण—जिसमें अगले पैरों को सिकोड़े हुये उछल २ कर घोड़े की गति होती है उसे 'आस्कन्दित' गति घोड़ों की गति जाननेवाले विद्वान् मानते हैं ।

ईपदुत्प्लुत्य गमनमखण्डं रेचितं हि तत् ।

रेचित गति के लक्षण—और घोड़ा जिसमें थोड़ा उछल २ कर अखण्ड गमन करता है उसे 'रेचित' कहते हैं ।

पादैश्चतुर्भिरुत्प्लुत्य मृगवत् सा प्लुता गतिः ॥ १४७ ॥

असंबलितपद्भ्यां तु सुक्यक्त गमनं तुरम् ।

धौरीतकं च तज्ज्ञेयं रथसंवाहने वरम् ॥ १४८ ॥

प्लुत तथा धौरीतक गति के लक्षण—घोड़ा चारों पैरों से मृग के समान चौकड़ी भरकर जिसमें दौड़ता है उसको 'प्लुत' गति कहते हैं । जिसमें दोनों पैर बिना सिकोड़े हुये उठाकर चलाये जाय, और शीघ्र सुन्दर गति हो, जिससे रथ (गाड़ी) खींचने में अच्छाई हो, उसे 'धौरीतक' गति कहते हैं ।

प्रसंबलितपद्भ्यां यो मयूरोद्धृतकन्धरः ।

दोलायितशरीरार्धकायो गच्छति वल्गितम् ॥ १४९ ॥

वल्गित गति के लक्षण—जिसमें घोड़ा सिकोड़े हुये दोनों पैरों से मयूर के समान गर्दन उठाये हुये और आधे शरीर को हिंडोले के समान हिलाता हुआ दौड़ता है उसको 'वल्गित' गति कहते हैं ।

परिणाहो वृषमुखादुदरे तु चतुर्गुणः ।

सककुन् त्रिगुणोच्चन्तु सार्धत्रिगुणदीर्घता ॥ १५० ॥

बैल के मुखादि का प्रमाण—वृष के मुख के प्रमाण से चौगुना उदर का विस्तार और ककुद् (बैल के पीठ पर का टिक्का) के सहित उदर मुख से त्रिगुना ऊंचा एवं मुख से उदर की लम्बान सार्धे तीन गुना होना चाहिये ।

सप्तनालो वृषः पूज्यो गुणैरेभियुतो यदि ।

पूज्य सप्तताल बैल के लक्षण—जो सात ताल प्रमाण ऊंचा होते हुये यदि इन निम्न लिखित गुणों से युक्त हो तो वह बैल पूजनीय (श्रेष्ठ) माना जाता है ।

न स्थायी न च वै मन्दः सुबोढा स्वह्रसुन्दरः ॥ १५१ ॥

नातिक्रूरः सुपृष्ठश्च वृषभः श्रेष्ठ उच्यते ।

श्रेष्ठ बैल के लक्षण—जो चलते २ इकनेवाला (अदियल) न हो और धीरे २ चलनेवाला भी न हो एवं सुन्दर बहन करनेवाला, सभी भ्रूओं से सुन्दर, धायन्न क्रूर (बदमाश) न हो और जिसकी पीठ सुन्दर हो, ऐसा बैल श्रेष्ठ कहा जाता है ।

त्रिंशद्योजनगन्ता वा प्रत्यहं भारवाहकः ॥ १५२ ॥

नवतालश्च सुहृदः सुमुखोष्ट्रः प्रशस्यते ।

श्रेष्ठ ऊंट के लक्षण—जो प्रतिदिन ३० योजन (१२०कोश) तक चल सकनेवाला या भारबहन करनेवाला, नवताल-प्रमाण ऊंचा हो, एवं धायन्न मजबूत शरीरवाला तथा सुन्दर मुखवाला हो, ऐसा ऊंट प्रशस्त माना जाता है ।

शतमायुर्मनुष्याणां गजानां परमं स्मृतम् ॥ १५३ ॥

मनुष्यगजयोर्भाल्यं यावद्विंशतिवत्सरम् ।

नृणां हि मध्यमं यावत् पष्टिवर्षं वयः स्मृतम् ॥ १५४ ॥

अशीतिवत्सरं यावद् गजस्य मध्यमं वयः ।

मनुष्य और हाथियों की आयु तथा बाल्यादि अवस्था का प्रमाण—मनुष्यों और हाथियों की परम आयु १०० वर्ष तक की और बाल्यावस्था २० वर्ष तक की मानी गई है । और मनुष्यों की मध्यम (जवानी से प्रौढावस्था तक) अवस्था ६० वर्ष तक की मानी जाती है किन्तु हाथियों की मध्यम अवस्था ८० वर्ष तक की मानी गई है ।

चतुस्त्रिंशत् वर्षाणामस्वस्यायुः परं स्मृतम् ॥ १५५ ॥

पञ्चविंशतिवर्षं हि परमायुर्वृषोष्ट्रयोः ।

बाल्यमस्ववृषोष्ट्राणां पञ्चम वत्सरं मतम् ॥ १५६ ॥

मध्यं यावत् षोडशाब्दं चाधक्यं तु ततः परम् ।

घोड़ा, बैल तथा ऊँट की आयु तथा अवस्थाओं का प्रमाण—घोड़े की परमायु ३४ वर्ष तक की मानी गई है। और बैल तथा ऊँटों की परमायु २५ वर्ष तक की ही मानी जाती है। घोड़ा, बैल तथा ऊँट की वाह्यावस्था ५ वर्ष तक की और मध्यावस्था १६ वर्ष तक की होती है उसके बाद वृद्धावस्था मानी गई है।

दन्तानामुद्गमैर्वर्णैरायुर्ज्ञेयं वृषाश्वयोः ॥ १५७ ॥

दांतों के द्वारा बैल व घोड़ों की अवस्था-ज्ञान का निर्देश—बैल तथा घोड़े की अवस्था का ज्ञान उनके दांत निकलने तथा दांतों के वर्ण के द्वारा किया जाता है।

अश्वस्य षट् सिता दन्ताः प्रथमाब्दे भवन्ति हि ।

कृष्णलोहितवर्णास्तु द्वितीयेऽब्दे ह्यधोगताः ॥ १५८ ॥

दांतों द्वारा घोड़ों के प्रथम वर्ष का ज्ञान—घोड़ों के प्रथम वर्ष में ऊपरी भाग में सुफेद ६ दांत होते हैं। और दूसरे वर्ष में काले तथा लाल मिश्रित वर्ण के ६ दांत नीचे भाग में निकलते हैं।

तृतीयेऽब्दे तु सन्दंशी क्रमात् कृष्णो पटवदतः ।

तत्पार्श्ववत्तिनौ तौ तु चतुर्थे पुनरुद्गता ॥ १५९ ॥

तीसरे वर्ष में दो २ दांत ६ वर्ष तक क्रम से कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं और चौथे वर्ष में पुनः उक्त दोनों के पार्श्व में दो दांत निकल आते हैं।

अन्त्यौ द्वौ पञ्चमाब्दे तु संदंशी पुनरुद्गता ।

मध्यपार्श्वान्तगौ द्वौ द्वौ क्रमात् कृष्णौ पटवदतः ॥ १६० ॥

पांचवें वर्ष में अन्त में दो दांत फिर निकल आते हैं। मध्य तथा पार्श्व के अन्त भाग में दो २ दांत ६ वर्ष में क्रम से कृष्ण वर्ण के हो जाते हैं।

नवमाब्दान् क्रमात् पीतौ तौ सितौ द्वादशाब्दतः ।

दशपञ्चाब्दतस्तौ तु काचाभौ क्रमशः स्मृतौ ॥ १६१ ॥

नवें वर्ष से वे दोनों दांत क्रम से पीत वर्ण के तदनन्तर फिर १२ वें वर्ष तक में सुफेद हो जाते हैं। फिर १५ वें वर्ष तक वे दोनों कांच की भांति क्रमशः उज्ज्वल हो जाते हैं।

अष्टादशाब्दतस्तौ हि मध्वाभौ भक्षतः क्रमात् ।

शङ्खाभौ चैकविंशाब्दाच्चतुर्विंशाब्दतः सदा ॥ १६२ ॥

छिद्रं सञ्चलनं पातो दन्तानां च त्रिके त्रिके ।

फिर १८ वें वर्ष तक वे दोनों मधु के समान वर्ण के क्रम से हो जाते हैं। फिर २१ वें वर्ष तक शङ्ख के समान वर्ण के हो जाते हैं पुनः २४ वें वर्ष तक तीन २ दांतों में छिद्र, संचलन (हिलना) तथा गिरना जारी हो जाता है।

प्रोथे सुयलयस्तिष्ठः पूर्णायुर्यस्य वाजिनः ॥ १६३ ॥

यथा यथा तु हीनास्ता हीनमायुस्तथा तथा ।

निन्दन घोड़ों के लक्षण—जिस घोड़े के प्रोध (मुखाम) में स्पष्ट ३ चली पड़ी हुई हों उसकी आयु पूर्ण (वृद्धि पूर्ण) हुई समझनी चाहिये । और जैसे २ रक्त बलियों में कमी होती जाती है वैसे २ उसकी आयु हीन हुई समझनी चाहिये ।

जानूत्पाता त्वोष्ठवाद्यो धूतपृष्ठो जलासनः ॥ १६४ ॥

गतिमध्यासनः पृष्ठपाती पश्चाद्गमोर्ध्वपात् ।

सर्पजिह्वश्चर्शकान्तिर्भीरुः(रबोऽतिनिन्दितः ॥ १६५ ॥

सच्छिद्रभालतिलकी निन्द्य आश्रयकृत्तथा ।

जो घोड़ा जानुओं को उछालता हो, भोटों को बजाता हो, पीठ हिलाता हो, जल में या चलते २ बैठ जाता हो, पीठ पर से सवार को गिरा देता हो, पीछे की ओर घसकता हो, पैर ऊपर उठाता हो, सांघ की तरह जीभ लपलपानेवाला, रीछ की भांति कान्तिवाला, और भड़कनेवाला हो वह अत्यन्त निन्द्य होता है । और जिस घोड़े के भाल में छिद्रयुक्त तिलक हो वह निन्दनीय तथा आश्रयदाता स्वामी को नष्ट करनेवाला होता है ।

वृषस्याष्टौ सिता दन्ताश्चतुर्थेऽब्देऽखिलाः स्मृताः ॥ १६६ ॥

द्रावन्त्यौ पतितोत्पन्नौ पञ्चमेऽब्दे हि तस्य व ।

दाँतों द्वारा बैल व ऊंट के आयु की परीक्षा—बैल के चौथे वर्ष तक में सम्पूर्ण सफेद ८ दाँत निकल आते हैं, और ५ वें वर्ष में अन्त के दो दाँत गिर कर पुनः उत्पन्न आते हैं ।

पष्ठे तूपान्त्यौ भवतः सप्तमे तत्समीपगौ ॥ १६७ ॥

अष्टमे पतितोत्पन्नी मध्यमौ दशनो खलु ।

६ वें वर्ष में अन्त के समीप में स्थित दो दाँत, ७ वें वर्ष में उनके समीप के दो दाँत, और ८ वें वर्ष में मध्य के दो दाँत क्रमसे गिरकर पुनः उत्पन्न हो जाते हैं ।

कृष्णपीतसितारक्तशङ्खच्छायौ द्विके द्विके ॥ १६८ ॥

क्रमाद्ध्ये च भवतश्चलनं पतनं ततः ।

उष्टस्योक्तप्रकारेण वयोज्ञानं तु वा भवेत् ॥ १६९ ॥

उसके बाद ८ वें वर्ष से दो-दो वर्ष के पश्चात् क्रम से दो-दो दाँत काले पीले, श्वेत, रक्त तथा शंख वर्ण के हो जाते हैं । उसके बाद वे हिलने लगते हैं और अन्त में गिर जाते हैं । और इसी प्रकार से ऊंटकी अवस्था का भी ज्ञान किया जाता है ।

प्रेरकाऽऽकर्षकमुखोऽङ्कुशो गजविनिग्रहे ।

हस्तिपकैगेजस्तेन विनेयः सुगमाय हि ॥ १७० ॥

अङ्कुश के लक्षण—गज को दमन करने के लिये अङ्कुश (गजचाक) का स्वरूप प्रेरणा करने वं लिये जुकीला तथा उसी के साथ लगा हुआ खींचने के लिये झुका हुआ बनाना चाहिये । और इसी के द्वारा मार कर फीलवान अच्छी तरह से चलने की निचा हाथी को दे ।

खलीनस्योर्ध्वखण्डौ द्वौ पार्श्वगौ द्वादशाङ्गुली ।

तत्पार्श्वान्तर्गताभ्यां तु सुदृढाभ्यां तथैव च ॥ १७१ ॥

वारकाकर्षखण्डाभ्यां रज्ज्वर्थबलयैर्युतौ ।

एवंविधखलीनेन वशीकुर्यात्तु वाजिनम् ॥ १७२ ॥

घोड़ों की लगाम का वर्णन—लगाम के ऊपर दो खण्ड होते हैं जो लोहे के बने होते हैं और मुख के दोनों पार्श्व तक होते हैं एवं १२ अंगुल के होते हैं । उन्हीं पार्श्वों के अन्तर्गत अत्यन्त दृढ़ निवारण एवं आकर्षण (खींचने) के लिये दो खण्ड होते हैं एवं उनमें रज्जु (डोरी) बांधने के लिये कड़े बने रहते हैं जिन्हें आवश्यकतानुसार सवार हाथ में लिये हुये खींचता रहता है । इस प्रकार के लगाम से घोड़े को अपने वश में करना चाहिये ।

नासिकाकर्परज्जवा तु घृषोष्ट्रं विनयेद् भृशम् ।

तीक्ष्णाम्रियः सप्तफालः स्यादेषां मलशोधने ॥ १७३ ॥

बैल व ऊँट को वश में करने का उपाय तथा उनके मल-शोधनार्थ दंताली का वर्णन—और नासिका में खींचने के लिये लगी हुई रस्सी से बैल तथा ऊँट को अपने वश में करना चाहिये । और इन सबों के मल (लीद-गोबर आदि) हटाने के लिये जो कुदारी होती है उसका अग्रभाग तीक्ष्ण होता है तथा सात फाल का होता है ।

सुताडनैर्विनेया हि मनुष्याः पशवः सदा ।

सैनिकास्तु विशेषेण न ते वै धनदण्डतः ॥ १७४ ॥

मनुष्य और पशुओं का ताडन द्वारा वश में करने का एवं सैनिकों को धन-दण्ड से दण्डित न करने का निर्देश—मनुष्य और पशु इनको सदा भलीभांति ताडना देकर ठीक रास्ते पर लाना चाहिये । और सैनिकों को तो विशेष रूप से ताडन का दण्ड देना चाहिये । उन्हें धन-दंड से दण्डित नहीं करना चाहिये ।

अनूपे तु घृषाश्वानां गजोष्ट्राणां तु जाङ्गले ।

साधारणे पदातीनां निवेशाद्रक्षणं भवेत् ॥ १७५ ॥

बैल आदिकों के निवास का सुरचित स्थल—अनूप (जलप्राय) देश में
२३ शु०

घैलों तथा घोड़ों को, जाङ्गल देश में हाथियों तथा ऊँटों को एवं साधारण देश (स्थान) में पैदल सैनिकों को रखने से उन्हें विशेष आराम मिलता है ।

शतं शतं योजनान्ते सैन्यं राष्ट्रे नियोजयेत् ।

राज्य में सौ-सौ योजन पर सेना रखने का निर्देश—राष्ट्र के भन्दर एक २ सौ (१००-१००) योजन पर सैनिकों की एक टुकड़ी सेना रखनी चाहिये ।

राजोद्भृष्टपभारवाः प्राक् श्रेष्ठाः सम्भारवाहने ॥ १७६ ॥

सर्वेभ्यः राकटाः श्रेष्ठा वर्षाकालं विना स्मृताः ।

योद्ध ले चलनेवालों का तारतम्य—प्रथम हाथी, बैल तथा घोड़े युद्ध-सामग्री ढोने के लिये श्रेष्ठ होते हैं । और वर्षा काल को छोड़कर शेष समयों में सामग्री ढोने के लिये सबों से श्रेष्ठ बैलगाड़ी ही मानी जाती है ।

न चाल्पसाधनो गच्छेदपि जेतुमरि लघुम् ॥ १७७ ॥

महताऽत्यन्तसाधस्कबलेनैव सुबुद्धियुक् ।

राजा को छोटे भी शत्रु पर अल्प साधन से गमन करने का निषेध—छोटे से शत्रु की भी जीतने के लिये थोड़ी सेना के साथ राजा कभी न जाये । सुन्दर बुद्धि रखनेवाला राजा तो अत्यन्त नवीन भर्ती किये हुये सैनिकों की बड़ी सेना के द्वारा ही उन्हें जीतने के लिये चढ़ाई करता है ।

अशिक्षितमसारं च सादृशस्कं तूलवच्च तत् ॥ १७८ ॥

युद्धं विनाऽन्यकार्येषु योजयेन्मतिमान् सदा ।

युद्ध से भिन्न कार्यों में अयोग्य सैनिकों की नियुक्ति का निर्देश—बुद्धिमान राजा अशिक्षित, असार (विशेष श्रेष्ठ नहीं), नवीन भर्ती की हुई सेना रुई की भांति अत्यन्त लघु (तुच्छ) मानी जाती है, अतः उसे युद्ध के अनिश्चित अन्य कार्यों में आवश्यकता पड़ने पर नियुक्त करना चाहिये ।

विकर्तुं यततेऽल्पोऽपि प्राप्ते प्राणात्ययेऽतिशाम् ॥ १७९ ॥

न पुनः किन्तु बलवान् विकारकरणक्षमः ।

संग्राम में अधिक सेना की आवश्यकता का निर्देश—प्राण-संकट उपस्थित होने पर छद्म बल-सम्पन्न सेना विपरीत आचरण करने के लिये सदा उत्पन्न हो जाती है किन्तु बलवानों की सेना विपरीत आचरण करने के लिये नहीं समर्थ होती है ।

अपि बहुबलोऽशूरो न स्थातुं क्षमते रणे ॥ १८० ॥

किमल्पसाधनोऽशूरः स्थातुं शक्तीऽरिणा समम् ।

जब कि बहुत बल से सम्पन्न होता हुआ भी पराक्रमहीन राजा या सैन्य लड़ाई के मदान में नहीं ठहर सकता है तब अल्प बल-सम्पन्न पराक्रमहीन

वह शत्रु के साथ युद्ध में ठहरने के लिये क्या समर्थ हो सकता है अर्थात् कदापि नहीं ।

सुसिद्धाल्पबलः शूरो विजेतुं क्षमते रिपुम् ॥ १८१ ॥

महान् सुसिद्धबलयुक् शूरः किन्न विजेष्यति ।

सम्नद्ध सेना का माहात्म्य—जब सुन्दर शिचित थोड़ी भी सेना से युक्त पराक्रमी राजा शत्रु को जीतने में समर्थ होता है, तब सुन्दर शिचित बड़ी सेना से युक्त होकर वह क्या नहीं जीत सकेगा अर्थात् अवश्य जीतेगा ।

मौलाशिक्षितसारेण गच्छेद्राजा रणे रिपुम् ॥ १८२ ॥

प्राणात्ययेऽपि मौलं न स्थामिनं त्यक्तुमिच्छति ।

मौल सेना की प्रशंसा—राजा पुरानी शिक्षितों में श्रेष्ठ सेना के साथ युद्ध में शत्रु के सम्मुख लड़ने के लिये जावे, क्योंकि प्राण-संकट उपस्थित होने पर भी पुरानी घास सेना कभी स्वामी का साथ नहीं छोड़ना चाहती है ।

वाग्दण्डपरुषेणैव भृतिह्वासेन भीतितः ॥ १८३ ॥

नित्यं प्रवासायासाभ्यां भेदोऽवर्यं प्रजायते ।

सेना में अवश्य भेद होने के कारण—सदा वाणी या दण्ड की कठोरता करने से, किंवा तनखाह कम कर देने से, तथा अधिक भय दिखाने से, एवं निरन्तर प्रवास (परदेश) में भेजते रहने से, तथा अधिक परिश्रम का कार्य कराते रहने से शत्रुओं द्वारा सेना में भेद अवश्य डाला जा सकता है अर्थात् फोड़ ली जा सकती है अतः उक्त व्यवहार से बचना चाहिये ।

बलं यस्य तु सम्भिन्नं मनागपि जयः कुतः ॥ १८४ ॥

शत्रोः स्वस्यापि सेनाया अतो भेदं विचिन्तयेत् ।

सेना का भेद होने से अनिष्ट फल—जिसकी सेना में यदि थोड़ा भी भेद हो जाय तो उसे कहां से जय मिल सकता है । इससे अपनी तथा शत्रु की सेना के सम्बन्ध में भेद का विशेष कयाल रखें, अर्थात् जिस प्रकार से शत्रु-सेना में भेद हो सके किन्तु अपनी सेना में न हो वैसा व्यवहार खूब विचार कर करना चाहिये ।

यथा हि शत्रुसेनायाः भेदोऽवर्यं भवेत्तथा ॥ १८५ ॥

कौटिल्येन प्रदानेन द्राक् कुर्यान्वृपतिः सदा ।

राजा को शत्रु-सेना में भेद अवश्य डालने का निर्देश—जिस प्रकार से शत्रु-सेना में भेद अवश्य पड़ जाय, वैसा कूटनीति से तथा घनादि देकर राजा को शीघ्र भेद का प्रबन्ध सदा करते रहना चाहिये ।

सेवयाऽत्यन्तप्रबलं नत्या चारिं प्रसाधयेत् ॥ १८६ ॥

प्रबलं मानदानाभ्यां युद्धैर्हीनबलं तथा ।

मैत्र्या जयेत् समबलं भेदैः सर्वान् वशे नयेत् ॥ १८७ ॥

शत्रुओं को साधने का प्रकार—अत्यन्त प्रबल शत्रु को सेवा तथा नम्रता-प्रदर्शन के द्वारा, साधारण प्रबल को दान (द्रव्य देकर) तथा सम्मान-प्रदर्शन द्वारा और हीन बलवाले शत्रु को युद्ध के द्वारा, समान बलवाले को मित्रता के द्वारा एवं भेद के द्वारा सभी प्रकार के शत्रुओं को अपने अनुकूल बनाना चाहिये ।

शत्रुसंसाधनोपायो नान्यः सुबलभेदतः ।

तावत् परो नीतिमान् स्याद्यावत् सुबलवान् स्वयम् ॥ १८८ ॥

मित्रं तावच्च भवति पुष्टाग्नेः पवनो यथा ।

शत्रुओं को जीतने का भेद से अन्य उपाय न होने का निर्देश—सुविधित सेना में भेद ढालने से बच कर कोई दूसरा साधन शत्रु को अनुकूल बनाने (जीतने) का नहीं है । जब तक स्वयं राजा विधित सेना से बलवान बना रहता है तब तक वह श्रेष्ठ नीतिमान माना जाता है । और तभी तक उसके सभी मित्र बने रहते हैं । जैसे लोक में जब तक अग्नि ईंधन से परिपुष्ट रहती है तभी तक वायु उसका मित्र बनकर बदानेवाला बना रहता है । ईंधन से हीन होने पर घुसानेवाला हो जाता है ।

त्यक्तं रिपुबलं धार्यं न समूहसमीपतः ॥ १८९ ॥

पृथङ्निजयेत् प्राग्वा युद्धार्थं कल्पयेच्च तत् ।

शत्रु की त्यागी हुई सेना को अपनी सेना में रखने का प्रकार-निर्देश—शत्रु के द्वारा निकाली हुई या फोड़ ली गई शत्रु-सेना को अपनी सामूहिक सेना के समीप न रखकर पृथक् रखनी चाहिये । और युद्ध के समय अपनी सेना के अग्रभाग पर लड़ने के लिये नियुक्त करना चाहिये ।

मैत्र्यमारात् पृष्टभागे पार्श्वयोर्वा धर्लं न्यसेत् ॥ १९० ॥

मित्र की सेना को अपनी सेना में रखने का प्रकार-निर्देश—और मित्रता रखनेवाली सेना को अपने समीप, पृष्ठ या पार्श्व भाग में युद्धार्थ रखनी चाहिये ।

अस्यते क्षिप्यते यत्तु मन्त्रयन्त्राग्निभिश्च तत् ।

अस्त्रं तदन्यतः शस्त्रमसिकुन्तादिकं च यत् ॥ १९१ ॥

अस्त्रं तु द्विविधं श्रेयं नालिकं मान्त्रिकं तथा ।

अस्त्र और शस्त्र के लक्षण और भेद—मन्त्र एवं यन्त्र तथा अग्नि के द्वारा जो फैका जाता है । उसे 'अस्त्र' कहते हैं । और इनसे अन्य तलवार और

भावा आदि को 'शस्त्र' कहते हैं। और अस्त्र दो प्रकार के होते हैं। उनमें से पहला नालिक (बन्दूक तोप), दूसरा मान्त्रिक।

यदा तु मान्त्रिकं नास्ति नालिकं तत्र धारयेत् ॥ १६२ ॥

सह शस्त्रेण नृपतिर्विजयार्थं तु सर्वदा।

मान्त्रिक अस्त्र के अभाव में नालिक अस्त्र का प्रयोग करने का निर्देश— राजा विजय-प्राप्ति के लिये सदा अस्त्र के साथ २ जहाँ पर मान्त्रिक अस्त्र न हों वहाँ पर नालिक अस्त्र सेना में रखे।

लघुदीर्घाकारधाराभेदैः शस्त्रास्त्रनामकम् ॥ १९३ ॥

प्रथयन्ति नवं भिन्नं व्यवहाराय तद्विदः।

शस्त्रास्त्र के विद्वान लोग व्यवहार के लिये लघु तथा दीर्घ आकारों के धारा (प्रयोग करने की रीति विशेष) भेद से शस्त्र तथा अस्त्रों के नामों में नये २ भेद प्रकाशित करते हैं।

नालिकं द्विविधं ज्ञेयं बृहत्क्षुद्रविभेदतः ॥ १९४ ॥

नालिक के २ प्रकारों का निर्देश—नालिक (बन्दूक आदि) अस्त्र-बृहत् (तोप) तथा क्षुद्र (बन्दूक) भेद से २ प्रकार का होता है।

तिर्यग्गूर्धच्छिद्रमूलं नालं पञ्चवितस्तिकम्।

मूलाग्रयोर्लक्ष्यभेदि तिलविन्दुयुतं सदा ॥ १९५ ॥

यन्त्राघाताग्निच्छुद्र प्रावचूर्णधृक्कर्ममूलकम्।

सुकाष्ठोपाङ्गवुष्णं च मध्याङ्गुलबिलान्तरम् ॥ १९६ ॥

स्वान्तेऽग्निचूर्णसंघातशलाकासंयुतं दृढम्।

लघुनालिकमप्येतत् प्रधार्य पत्तिसादिभिः ॥ १९७ ॥

लघुनालिका (बन्दूक) के लक्षण—जिसमें नाल ऐसी हो जिसमें मूल की तरफ से तिरछा ऊपर की ओर तक छिद्र हो और वह ५ घालिरत लम्बी हो, और जिसके मूल तथा अग्रभाग में लक्ष्य को भेद करने में सहायक तिल-विन्दु सदा लगे हों। यन्त्र द्वारा आघात होने पर अग्नि पैदा करनेवाले प्राव-चूर्ण (बारूद) जिसके मूल के कर्ण भाग में भरे हुये हों। और जिसका मूल भाग, जो पकड़ने के लिये होता है, उसके अङ्गो-पाङ्ग सुन्दर काष्ठ के बने हुये हों। एवं नाल का छिद्र एक अंगुल चौड़ा हो। और जिसके भीतर अग्निचूर्ण (बारूद) भरा जाता हो और उसे भरने की शलाका भी जिसके साथ लगी हुई हो और जो दृढ़ हो, इसे लघु नालिक (बन्दूक) कहते हैं। इसे पैदल तथा घुड़सवार सैनिकों को रखना चाहिये।

यथा यथा तु त्वक्सारं यथा स्थूलबिलान्तरम्।

यथा दीर्घं बृहद्गोलं दूरभेदि तथा तथा ॥ १९८ ॥

मूलकीलभ्रमाल्लक्ष्यसनसंधानभाजि यत् ।

बृहन्नालिकसंज्ञं तत् काष्ठचुम्बनिर्मितम् ॥ १६६ ॥

प्रवाहं शकटाद्यैस्तु सुयुक्तं विजयप्रदम् ।

बृहन्नालिक (तोप) के लक्षण—जैसे २ नाल की चहर मोटी हो और जैसे २ द्विद्र की चौड़ाई अधिक हो, जैसे २ नाल की लम्बाई अधिक हो एवं जैसे २ गोले का आकार बरा हो, वैसे २ बृहद् नालिक (तोप) दूर तक लक्ष्य भेदन करनेवाली होती है । और जिसके मूल भाग में लगी हुई कील को घुमाने से वह लक्ष्य के अनुरूप गोले को फेंकनेवाली होती है । उसका मूल भाग काष्ठ का बना हुआ होता है । और वैलगादी आदि से ही उसे ढोया जा सकता है । यदि इसका उचित रीति से प्रयोग किया जाय तो विजय देनेवाला होता है ।

सुवर्चिलवणात्पद्मपलानि गन्धकात् पलम् ॥ २०० ॥

अन्तर्धूमविपकार्कस्तुह्याद्यङ्गारतः पलम् ।

शुद्धात् संग्राह्यं संचूर्ण्य संमील्य प्रपुटेद्रसैः ॥ २०१ ॥

स्तुह्यर्काणां रसोनस्य शोषयेदातपेन च ।

पिष्ट्वा शर्करवक्त्रैतद्ग्नचूर्णं भवेत् भलु ॥ २०२ ॥

अग्निचूर्ण (धारुद) बनाने का प्रकार—सोरा ५ पल (२० सो०), गन्धक १ पल (४ सो०), आक तथा सेहूँद आदि के अन्तर्धूम द्वारा जले हुये विशुद्ध कोयले १ पल लेकर सबों का चूर्ण एकत्र कर पुनः आक, सेहूँद तथा लहसुन के रस का पुट देकर धूप में सुखाकर चूर्ण करके रख ले । यही चर्करा (बालू) की भाँति तैयार हुई यस्तु 'अग्निचूर्ण' (धारुद) कहलाती है ।

सुवर्चिलवणाद्भागाः पञ्च वा चत्वार एव वा ।

नालास्त्रार्थाग्निचूर्णे तु गन्धाङ्गारौ तु पूर्ववत् ॥ २०३ ॥

अथवा नालास्त्र (बन्दूक आदि) के लिये जो धारुद बनाई जाती है उसमें सोरा ६ या ४ पल दे सकते हैं शेष गन्धक और अङ्गार (कोयला) पूर्ववत् डाल सकते हैं ।

गोलो लोहमयो गर्भगुटिकः केवलोऽपि वा ।

सीसस्य लघुनालार्थे ह्यन्यधातुभवोऽपि वा ॥ २०४ ॥

गोला बनाने का प्रकार—तोप का गोला लोहे का या उसके अन्दर छोटी २ गोलियों भरी रहती है, दोनों प्रकार का होता है । और बन्दूक के लिये सीसे की या अन्य धातु की बनी हुई घड़ी गोलियों या छुरें होते हैं ।

लोहसारमयं वापि नालास्त्रं त्वन्यधातुजम् ।

नित्यसम्मार्जनस्वच्छमस्त्रपातिभिरावृतम् ॥ २०५ ॥

नालिक की व्यवस्था का निर्देश—तोप या बन्दूक फौलाद (उत्तम लौह) या अन्य धातु के बनाये जाते हैं। और उन्हें नित्य क्षाद-पोंछकर स्वच्छ किया जाता है तथा उसके पास चलानेवाले रहा करते हैं।

अङ्गारस्यैव गन्धस्य सुवर्चिलषणस्य च ।

शिलाया हरितालस्य तथा सीसमलस्य च ॥ २०६ ॥

हिङ्गुलस्य तथा कान्तरजसः कर्पूरस्य च ।

जतोर्नील्याश्च -सरलनिर्यासस्य तथैव च ॥ २०७ ॥

समन्यूनाधिकैरंशैरग्निचूर्णान्यनेकशः ।

कल्पयन्ति च तद्विदधाश्चन्द्रिकाभादिमन्ति च ॥ २०८ ॥

बारूद बनाने के दूसरे अनेक प्रकारों का निर्देश—कोयला, गन्धक, सोरा, मैनसिल, हरताल, सीसा का चिह्न, हिङ्गुल, कान्तिसार लौह, कपूर, लाल, नीली (राल), देवदारु का गोंद इन सबों के सम, न्यून और अधिक भाग मिलाकर बनाने से नाना प्रकार की बारूद बनानेवाले बनाते हैं जिसमें से जलने पर चांदनी की भांति प्रकाश निकलता है।

क्षिपन्ति चाग्निसंयोगाद् गोलं लक्ष्म सुनालगम् ।

तोप के गोले को लक्ष्य पर फेंकने की रीति—चलानेवाले बन्दूक आदि में गोली-बारूद भरने के बाद आग लगाकर लक्ष्य पर छोड़ते हैं जिसकी विधि आगे बताई जा रही है।

नालास्त्रं शोधयेदादौ दद्यात्तत्राग्निचूर्णकम् ॥ २०९ ॥

निवेशयेत्तद्वण्डेन नालमूले यथा दृढम् ।

ततः सुगोलकं दद्यात् ततः कर्णऽग्निचूर्णकम् ॥ २१० ॥

कर्णचूर्णाग्निदानेन गोलं लक्ष्ये निपातयेत् ।

पहले बन्दूक या तोप को साफ करके उसमें बारूद डालकर लौह आदि के ढण्ड से खूब ठूस २ कर भर देवे उसके बाद दृढ़ गोला या गोली नाल के मूल में रख देवे तदनन्तर उसके पार्श्व के द्विज में बारूद भरकर उसमें आग लगा देने के बाद उसके सहारे से गोला या गोली को लक्ष्य साध कर चला देवे।

लक्ष्यभेदी यथा बाणो धनुर्ज्याविनियोजितः ॥ २११ ॥

भवेत् तथा तु संघाय द्विहस्तश्च शिलीमुखः ।

बाण का लक्षण—धनुष की दोरी पर ऐसा निशाना साध कर बाण रखे कि वह चलाने पर लक्ष्य को भेद सके। और बाण दो हाथ प्रमाण का बनावे।

अष्टास्रा पृथुवृष्णा तु गदा हृदयसम्भिता ॥ २१२ ॥

पट्टिशः स्वसमो हस्तबुध्नश्चोभयतोमुखः ।

गदा व पट्टिश के लक्षण—भाट पहलवाली, मूल में मोटी और हृदय के बराबर जंघी, दृढ़ दण्डोंवाली 'गदा' बनानी चाहिये । और अपने बराबर लम्बा तथा दोनों तरफ जिसके मुख हों एवं जो बीच में से हाथ से पकड़ा जाय ऐसा 'पट्टिश' शस्त्र होता है ।

ईषद्वक्त्रैकधारो विस्तारे चतुरङ्गुलः ॥ २१३ ॥

क्षुरप्रान्तो नाभिसमो दृढमुष्टिः मुचन्द्रकम् ।

खड्गः प्रासश्चतुर्हस्तदण्डबुध्नः क्षुराननः ॥ २१४ ॥

दशहस्तमितः कुन्तः फालामः शङ्खुबुध्नकः ।

खड्ग-प्रासि और कुन्त (भाला) के लक्षण—कुण्ड देदा, एक तरफ धारवाला, ४ अंगुल चौड़ा, छुरा के समान तीक्ष्ण प्रान्त भागवाला, नाभितक जंघा, दृढ़ मूठवाला एवं चन्द्रमा के समान स्वच्छ चमकनेवाला ऐसा 'खड्ग' होता है । ४ हाथ लम्बे दण्ड के अग्रभाग में छुरे के समान तीक्ष्ण मुखवाला 'प्रास' नामक शस्त्र होता है । और जो १० हाथ लम्बे दण्ड के अग्रभाग में तीक्ष्ण फल से युक्त होता है और उस फल के मूल में कील लगी हुई होती है, ऐसा 'कुन्त' (भाला) होता है ।

चक्रं पट्टस्तपरिधि क्षुरप्रान्तं सुनाभियुक् ॥ २१५ ॥

त्रिहस्तदण्डस्त्रिशिखो लौहरब्जुः सुपाशकः ।

चक्र और पाश के लक्षण—जिसके घेरे की लम्बाई ६ हाथ की हो और चक्र की भांति गोलाकार होते हुये प्रान्त भाग छुरे के समान तीक्ष्ण हो एवं बीच में जिसकी नाभि सुन्दर दृढ़ बनी हुई हो उसे 'चक्र' कहते हैं । जिसमें ३ हाथ लम्बा दण्ड लगा हो और उसमें ३ शिखायें (छोर) हों जो लोह के तारों से बनी हों ऐसा 'पाश' नामक शस्त्र होता है ।

गोधूमसन्मितस्थूलपत्रं लौहमयं दृढम् ॥ २१६ ॥

कवचं सशिरस्त्राणमूर्ध्वकायविशोभनम् ।

कवच और टोप के लक्षण—गोहूँ बराबर मोटे लोह के दृढ़ पत्तरीं द्वारा बने हुये शरीर के रक्षार्थ आवरण-विशेष को 'कवच' कहते हैं और इसके साथ शिर को सुशोभित एवं सुरक्षित रखने का एक टोप भी लौह-पत्रों का होता है ।

तीक्ष्णाम्रं करजं श्रेष्ठं लौहसारमयं दृढम् ॥ २१७ ॥

करज के लक्षण—पक्के उत्तम लोह के बने हुये, दृढ़ एवं नख के समान तीक्ष्ण नुकीले शस्त्र को 'करज' (बघनख) कहते हैं ।

यो वै सुपुष्टसम्भारस्तथा षड्गुणमन्त्रवित् ।

बह्वस्त्रसंयुतो राजा योद्धुमिच्छेत् स एव हि ॥ २१८ ॥

अन्यथा दुःखमाप्नोति स्वराज्याद् भ्रश्यतेऽपि च ।

युद्ध की इच्छा करने योग्य राजा का लक्षण—जो राजा युद्ध के लिये उपयुक्त सामग्रियों से परिपूर्ण और समयानुसार सन्धि, विग्रह (युद्ध), याम (घड़ाई करना), आसन (अपने स्थान पर रहकर युद्ध के लिये तयार रहना), द्वैध (शत्रु के गोल में फूट डाल देना) इन छः गुणों एवं मन्त्रणा करना इनका जानकार, एवं बहुत से भस्त्र-शस्त्रादिकों से युक्त हो वही युद्ध करने की इच्छा रखे अन्यथा युद्ध करने पर वह दुःख पाता है और अपने राज्य को भी खो बैठता है ।

आभिभ्रतोः शत्रुभावमुभयोः संयतात्मनोः ॥ २१६ ॥

अस्त्राद्यैः स्वार्थसिद्धयर्थं व्यापारो युद्धमुच्यते ।

युद्ध का सामान्य लक्षण—परस्पर शत्रुभाव रखते हुये निरचल चित्त होकर दो व्यक्तियों का अस्त्रादिकों के द्वारा जो व्यापार होता है, उसे 'युद्ध' कहते हैं ।

मन्त्रास्त्रैर्देविकं युद्धं नालाद्यस्त्रैस्तथाऽऽसुरम् ॥ २२० ॥

शत्रुबाहुसमुत्थं तु मानवं युद्धमीरितम् ।

युद्ध के भेद और लक्षण—मन्त्र के द्वारा भस्त्रों का प्रयोग जिसमें हो उसे 'देविक' युद्ध तथा तोप-बन्दूक आदि अस्त्रों के द्वारा प्रवृत्त युद्ध को 'आसुर' एवं शस्त्र (खड्गादि) तथा बाहु द्वारा प्रवृत्त युद्ध को 'मानव' कहते हैं ।

एकस्य बहुभिः सार्धं बहूनां बहुभिश्च वा ॥ २२१ ॥

एकस्यैकेन वा द्वाभ्यां द्वयोर्वा तद्भवेत् खलु ।

और वह युद्ध एक का बहुतों के साथ, बहुतों का बहुतों के साथ, एक का एक के साथ अथवा दो का दो के साथ होता है ।

कालं देशं शत्रुबलं दृष्ट्वा स्वीयबलं ततः ॥ २२२ ॥

उपायान् षड्गुणं मन्त्रं भवेच्च युद्धकामुकः ।

काल, देश, शत्रु का तथा अपना बल, उपाय (साम, दान, भेद, दण्ड), षड्गुण (सन्धि, विग्रह, याम, आसन, द्वैध, आधय) और मन्त्र इन सबों का विचार करके ही युद्ध में प्रवृत्त होना चाहिये ।

शरद्धेमन्तशिशिरकालो युद्धेषु चोत्तमः ॥ २२३ ॥

वसन्तो मध्यमो ज्ञेयोऽधमो ग्रीष्मः स्मृतः सदा ।

युद्ध के लिये काल-विचार—युद्ध के लिये शरद्, हेमन्त तथा शिशिर ऋतु का समय उत्तम होता है । वसन्त का मध्यम और ग्रीष्म का सदा अधम समय होता है ।

वर्षासु न प्रशंसन्ति युद्धं साम स्मृतं तदा ॥ २२४ ॥

वर्षाकाल में युद्ध करना उचित नहीं होता है, उस समय शत्रु के साथ साम (किमी प्रकार की सन्धि) रखना ही उचित होता है ।

युद्धसम्भारसम्पन्नो यदाधिकबलो नृपः ।

मनोत्साही सुशकुनोत्पाती कालस्तदा शुभः ॥ २२५ ॥

जिस समय राजा युद्ध की सामग्री से पूर्ण संपन्न होने से अधिक बलशाली हो और मनमें युद्ध का उत्साह हो तथा अच्छे शकुन दिखाई पड़ते हों उस समय युद्ध करना शुभ फल देनेवाला होता है ।

कार्येऽत्याचर्यके प्राप्ते कालो नो चेत्तदा शुभः ।

निधाय हृदि विश्वेशं गेहे भक्त्याऽन्वियात्तदा ॥ २२६ ॥

यदि आवश्यक कार्यवश युद्ध करना अनिवार्य हो जाय और उस समय शुभ फलप्रद समय उपस्थित न हो तो गृह में भक्तिपूर्वक भगवान का हृदय में ध्यान धरकर युद्ध के लिये मन्त्र हो जाय ।

न कालनियमस्तत्र गोस्त्रीविप्रविनाशने ।

गौ, स्त्री और ब्राह्मण का विनाश यदि उपस्थित हो जाय तो उनके रक्षार्थ युद्ध करने में किसी प्रकार के काल का नियम नहीं । अर्थात् उपरि लिखित नियमानुसार ताकाल युद्ध में प्रवृत्त हो जाय ।

यस्मिन् देशे यथाकालं सैन्यव्यायामभूमयः ॥ २२७ ॥

परस्य विपरीतश्च स्मृतो देशः स उत्तमः ।

युद्ध के लिये उत्तम देश का लक्षण—जिस स्थान पर समयानुसार सैनिकों को कवायद कराने के लिये योग्य भूमि हो और शत्रु के लिये विपरीत पदे तो वही स्थान युद्ध करने के लिये चुनना उत्तम होता है ।

आत्मनश्च परेषां च तुल्यव्यायामभूमयः ॥ २२८ ॥

यत्र मध्यम उद्दिष्टो देशः शास्त्रविचिन्तकैः ।

मध्यम युद्ध-देश के लक्षण—और जहां पर अपनी तथा शत्रु दोनों की सेनाओं के लिये कवायद करने योग्य भूमि हो उसे युद्ध शास्त्र के पण्डितों ने मध्यम भूमि कही है ।

अरातिसैन्यव्यायामसुपर्याप्तमहीतलः ॥ २२९ ॥

आत्मनो विपरीतश्च स वै देशोऽधमः स्मृतः ।

अधम युद्ध-देश के लक्षण—जहां पर शत्रु की सेना के लिये कवायद करने योग्य पर्याप्त भूमि हो पर अपनी सेना के लिये विपरीत हो तो वह देश युद्ध के लिये 'अधम' कही गई है ।

स्वसैन्यात्तु तृतीयांशहीनं शत्रुबलं यदि ॥ २३० ॥

अशिक्षितमसारं वा साद्यस्कं स्वजयाद्य वै ।

युद्ध के लिये सेना का विचार—यदि अपनी सेना से रक्षणा में तृतीय अंश हीन शत्रु की सेना हो सो भी वह अशिक्षित, अस्वार वा तस्काल में भर्त्सि की हुई हो तो वहाँ पर युद्ध करने से अपना जय निश्चित होता है ।

पुत्रवत् पालितं यत्तु दानमानविवर्द्धितम् ॥ २३१ ॥

युद्धसम्भारसम्पन्नं स्वसैन्य विजयप्रदम् ।

और यदि अपनी सेना पुत्र की भाँति पाली हुई हो, तथा दान-मान से संतुष्ट की हुई हो एवं युद्धोपयोगी सभी सामग्रियों से भरपूर हो तो उसे लेकर युद्ध करने से विजय निश्चित होता है ।

सन्धिं च विग्रहं चान्मासनं च समाश्रयम् ॥ २३२ ॥

द्वैधीभावं च संविद्यान्मन्त्रस्यैतांस्तु षड्गुणान् ।

मन्त्र के षड्गुणों के नामों का निर्देश—१. युद्धादिकाल उपस्थित होने पर परस्पर हाथी-घोड़े आदि देकर सहायता आदि करने के नियम में बंध जाने को 'सन्धि', २. विरुद्ध आचरण द्वारा बैर भाव रखने को विग्रह, ३. शत्रु पर चढ़ाई करने को 'यान', ४. शत्रु की उपेक्षा करके अपने स्थान पर युद्ध-सामग्री के साथ स्थित रहने को 'आसन', ५. किसी से पीड़ित होने पर किसी प्रबल का आश्रय लेने को 'समाश्रय' ६. स्वार्थ-तिथि के लिये सेना को दुकड़ी-दुकड़ी में रखने को 'द्वैधीभाव' कहते हैं । और ये ही ६ मन्त्र के 'षड्गुण' कहलाते हैं ।

याभिः क्रियाभिर्बलवान् मित्रतां याति वैरिषु ॥ २३३ ॥

सा क्रिया सन्धिरित्युक्ता विमृशेत् तां तु यत्नतः ।

सन्धि के लक्षण—जिस क्रिया के द्वारा बलवान शत्रु निश्चित मित्रता भाव को प्राप्त करे उसे 'सन्धि' कहते हैं, इसका यत्नपूर्वक रूपाल रक्खें ।

विकर्पितः सन् वाऽधीनो भवेच्छत्रुस्तु येन वै ॥ २३४ ॥

कर्मणा विग्रहस्मं तु चिन्तयेन्मन्त्रिभिर्नृपः ।

विग्रह के लक्षण—जिस क्रिया से शत्रु पीड़ित किया जाय या अधीन बनाया जाय उसे 'विग्रह' कहते हैं । राजा इसे मन्त्रियों के साथ खूब विचार कर करे ।

शत्रुनाशार्थगमनं यानं स्वाभीष्टसिद्धये ॥ २३५ ॥

स्वरक्षणं शत्रुनाशो भवेत् स्थानान्नासनम् ।

यान तथा आसन के लक्षण—अपनी अभीष्ट सिद्धि के लिये किसी शत्रु के नाशार्थ चढ़ाई करने को 'यान' कहते हैं । जहाँ पर पड़े रहने से अपनी रक्षा तथा शत्रु का नाश हो सके वहाँ पड़े रहने को 'आसन' कहते हैं ।

यैर्गुप्तो बलवान् भूयाद् दुर्बलोऽपि स आश्रयः ॥ २३६ ॥

द्वैधीभावः स्वतैन्यानां स्थापनं गुल्मगुल्मयोः ।

आश्रय व द्वैधीभाव के लक्षण—जिसके द्वारा रचित होकर दुर्बल भी सखल हो जाय, ऐसे प्रयत्न किसी राजा का आश्रय लेने को 'आश्रय' कहते हैं । गुल्म गुल्म (दुकधी २) रूप में विभाजित करके अपनी सेना को रखने को 'द्वैधीभाव' कहते हैं ।

बलीयसाभियुक्तस्तु नृपोऽनन्यप्रतिक्रियः ॥ २३७ ॥

भापन्नः सन्धिमन्विच्छेत् कुर्वाणः कालयापनम् ।

सन्धि करने योग्य पुरुषों का निर्देश—आश्रयत बलवान द्वारा आक्रमण किये जाने पर कोई प्रतीकार का उपाय न होने से आपत्ति में पड़ा हुआ राजा आश्रय समय की प्रतीक्षा करता हुआ उससे सन्धि कर ले ।

एक एवोपहारस्तु सन्धिरेव नतो हितः ॥ २३८ ॥

उपहारस्य भेदास्तु सर्वे ये मैत्रवर्जिताः ।

उपहार रूप सन्धि की सर्वश्रेष्ठता का निर्देश—उस समय केवल उपहार (भेट) लेकर 'सन्धि' करना ही हितकर होता है । मित्रता को छोड़कर जितने भी सन्धि के प्रकार हैं वे सभी इस उपहार के ही भेद माने जाते हैं । अर्थात् इससे बढ़कर सन्धि के दूसरे प्रकार श्रेष्ठ नहीं हैं ।

अभियोक्ता बलीयस्त्वादलब्ध्वा न निवर्तते ॥ २३९ ॥

उपहारादृते यस्मात् सन्धिरन्यो न विद्यते ।

आक्रमणकारी आश्रयत बलवान होने से बिना भेट पाये युद्ध से निवृत्त नहीं होता है । अतः उपहार को छोड़कर अन्य कोई दूसरा सन्धि का उपाय नहीं है ।

शत्रोर्भलानुसारेण उपहारं प्रकल्पयेत् ॥ २४० ॥

सेवां वाऽपि च स्वीकुर्याद्दद्यात् कन्यां भुवं धनम् ।

शत्रु के बलानुसार उपहार की कल्पना के भेद—शत्रु के बलानुसार उपहार की कल्पना की जाती है । जिसमें उसकी सेवा स्वीकार करनी पड़ती है किंवा अपनी कन्या, पृथ्वी (राज्य का कुछ अंश) या धन उपहार में देना पड़ता है ।

स्वसामन्तांश्च सन्धीयान् मन्त्रेणान्यजयाय वै ॥ २४१ ॥

सन्धिः कार्योऽप्यनार्येण सम्प्राप्त्योत्सादयेद्धि स्तः ।

पारवर्चतां अनार्य राजा से भी सन्धि करने का निर्देश—शत्रु को जीतने के लिये मन्त्रणा के द्वारा अपने पास के सामन्तों के साथ सन्धि कर ले । और सन्धि तो अनार्य (श्लेषज्ञ आदि) के साथ भी कर लेनी चाहिये, क्योंकि सन्धि न करने पर समय पाकर नुकसान पहुँचा सकता है ।

सङ्घातवान् यथा वेणुनिविडैः कण्टकैर्वृतः ॥ २४२ ॥

न शक्यते समुच्छेत्तुं वेणुः सङ्घातवांस्तथा ।

सन्धि के अवसरों का तथा उनसे लाभ का निर्देश—जिस प्रकार से घने कांटा से घिरा हुआ शंस के समूह को कोई काट या उखाड़ नहीं सकता है, उसी प्रकार से श्लेश्मों से सन्धि किये हुये सहायवान राजा को भी कोई नहीं पड़ाव सकता है । अर्थात् राजा को अपने पास के भले-बुरे सभी राजाओं से मेल रखना चाहिये ऐसा करने से कोई शत्रु उसको परास्त नहीं कर सकता है ।

सन्धिश्चातिबले युद्धं साम्ये यानं तु दुर्बले ॥ २४३ ॥

सुहृद्भिराश्रयः स्थानं दुर्गादिभजनं द्विधा ।

अति प्रबल शत्रु के साथ सन्धि, समान बलवाले के साथ युद्ध, दुर्बल शत्रु पर या न (युद्ध के लिये आक्रमण) व मित्र राजाओं के साथ आश्रय और दुर्गादि में दो जगह स्थान-सेना की स्थापना करना उचित होता है ।

बलिना सह सन्धाय भये साधारणे यदि ॥ २४४ ॥

आत्मानं गोपयेत् काले बह्वमित्रेषु बुद्धिमान् ।

यदि राजा को बहुत से शत्रुओं से समानभाव से भय उपस्थित हो जाय तो उनमें जो अधिक बलशाली हो उसके साथ बुद्धिमान् के साथ समयानुसार सुलह करके अपनी रक्षा करनी चाहिये ।

बलिना सह योद्धव्यमिति नास्ति निदर्शनम् ॥ २४५ ॥

प्रतिघातं हि न घनः कदाचिदपि सर्पति ।

बलवान के साथ युद्ध करना उचित होता है, इसका उदाहरण कहीं भी नहीं मिलता है । क्योंकि देखा जाता है कि मामूली चादल कभी भी हवा के विपरीत नहीं ठहर सकता है ।

बलीयसि प्रणमतां काले विक्रमतामपि ॥ २४६ ॥

सम्पदो न विसर्पन्ति प्रतीपमिथ निम्नगाः ।

जो बलवान शत्रु के समक्ष सिर झुकाते हैं और समय अवधि आने पर फिर उसी से युद्ध करने लगते हैं । ऐसे राजाओं की संपत्ति उससे कभी विपरीत नहीं होती है अर्थात् कभी चलायमान नहीं होती है । जैसे नवियां कभी विपरीत नहीं बहती हैं ।

राजा न गच्छेद् विश्वासं सन्धितोऽपि हि बुद्धिमान् ॥ २४७ ॥

अद्रोहसमयं कृत्वा घृत्रमिन्द्रः पुराऽवधीत् ।

विग्रह करने योग्य पुरुष के लक्षण—बुद्धिमान राजा सन्धि किये हुये भी शत्रु का विश्वास न करे । क्योंकि प्राचीनकाल में द्रोह न करने की प्रतिज्ञा

के साथ सन्धि करके भी इन्द्र ने वृषासुर को सन्धि की उपेक्षा करके मार डाला ।

आपन्नोऽभ्युदयाकाह्वो पीड्यमानः परेण वा ॥ २४८ ॥

देशकालमलोपेतः प्रारभेत च विग्रहम् ।

जो राजा विपत्ति में पड़कर या दूसरे के द्वारा पीड़ित होकर भी यदि पुनः अपना अभ्युदय चाहता हो तो वह देश, काल तथा बल उचित होने पर युद्ध प्रारम्भ करे ।

प्रहीनबलमित्रं तु दुर्गस्थं शत्रुमागतम् ॥ २४९ ॥

अत्यन्तविषयासक्तं प्रजाद्रव्यापहारकम् ।

भिन्नमन्त्रिबलं राजा पीडयेत् परिवेष्टयन् ॥ २५० ॥

विग्रहः स च विज्ञेयो ह्यन्यश्च कलहः स्मृतः ।

विग्रह होने के कारणों का तथा विग्रह और कलह के भेद का निर्देश— जो शत्रु सेना तथा मित्र से हीन हो गया हो, और अपने दुर्ग में घिर जाने से पड़ा हुआ हो, या दुर्गति में पड़ा हो या अत्यन्त विषयासक्त हो गया हो, किंवा प्रजाओं के द्रव्य को छूट लेता हो अथवा जिसके मन्त्रियों तथा सेनाओं में फूट पड़ गया हो तो ऐसे उपस्थित शत्रु को चारों तरफ से घेरकर राजा द्वारा पीड़ित करने को वस्तुतः 'विग्रह' कहते हैं और इससे भिन्न को केवल 'कलह' कहते हैं ।

बलीयसाऽत्यल्पबलः शूरेण न च विग्रहम् ॥ २५१ ॥

क्षुयोद्धि विग्रहे पुंसां सर्वनाशः प्रजायते ।

बलवान् शत्रु के साथ विग्रह करने का निषेध—अल्प सेनावाले दुर्बल राजा को शूर-वीर तथा अत्यन्त बलवान् शत्रु से विग्रह नहीं करना चाहिये । क्योंकि ऐसे के साथ विग्रह करनेवालों का सर्वनाश हो जाता है ।

एकार्थीभिनिवेशित्वं कारणं कलहस्य वा ॥ २५२ ॥

उपायान्तरनाशे तु ततो विग्रहसाचरेत् ।

निरुपाय दशा में विग्रह करने का निर्देश—किसी वस्तु के पाने का आग्रह जब दो व्यक्तियों में हो जाता है तब उसके कारण से उन दोनों में कलह उत्पन्न हो जाता है । दूसरा कोई उपाय न रहने पर अन्त में विग्रह करना उचित होता है ।

विगृह्यसंघाय तथा सम्भूयाथ प्रसङ्गतः ॥ २५३ ॥

उपेक्षया च निपुणैर्योनं पञ्चविधं स्मृतम् ।

यान के पांच भेद—विगृह्ययान, संघाययान, सम्भूययान, प्रसङ्गयान, उपेक्षायान, इस भाँति से विद्वानों ने ५ प्रकार का यान कहा है । इनके लक्षण आगे कहेंगे ।

विगृह्य याति हि यदा सर्वाब्जद्रुगणान् बलात् ॥ २५४ ॥

विगृह्य यानं यानसैस्तदाचार्यैः प्रचक्षते ।

विगृह्ययान के दो प्रकार के लक्षण—जब कोई राजा किसी प्रकार का विग्रह का कारण दिखाकर जबरदस्ती शत्रुगणों पर चढ़ाई कर देता है तो उसे यान के जानने वाले राजनीति के आचार्य गण 'विगृह्ययान' कहते हैं ।

अरिमित्राणि सर्वाणि स्वमित्रैः संत्रतो बलात् ॥ २५५ ॥

विगृह्य चारिभिर्गन्तुं विगृह्य गमनं तु वा ।

अथवा किसी २ के मत से शत्रु के साथ बलपूर्वक चारों तरफ से लड़वाकर जो शत्रु पर चढ़ाई करना है वह 'विगृह्ययान' कहलाता है ।

सन्धायान्दत्र यात्राया पारिणामाद्देण शत्रुणा ॥ २५६ ॥

सन्धाय गमनं प्रोक्त तज्जिगीषोः फलाथिनः ।

सन्धाययान के लक्षण—विजय को चाहनेवाले राजा को विशेष फल की इच्छा रखनेवाले विद्वान्-अन्यत्र किसी शत्रु पर चढ़ाई करने के समय उसके पूर्व अपने पृष्ठ भाग-स्थित पड़ोसी शत्रु राजा के साथ सन्धि करके चढ़ाई करने को 'सन्धायगमन (यान)' कहते हैं ।

एको भूपो यदैकत्र सामन्तैः सांपरायिकैः ॥ २५७ ॥

शक्तिशौर्ययुतैर्यानं सम्भूय गमनं हि तत् ।

संभूययान के लक्षण—अकेला कोई राजा यदि शक्ति तथा शूरता से युक्त और युद्ध करने में कुशल सामन्तों के साथ एकत्र होकर किसी पर चढ़ाई करे तो 'संभूयगमन (यान)' कहते हैं ।

अन्यत्र प्रस्थितः सङ्गादन्यत्रैव च गच्छति ॥ २५८ ॥

प्रसङ्गयानं तत् प्रोक्तं यानविद्धिश्च मन्त्रिभिः ।

प्रसङ्गयान के लक्षण—अन्यत्र किसी पर चढ़ाई करने के लिये चल चुकने पर मार्ग में यदि प्रसङ्गवश उससे अन्यत्र चढ़ाई करने के लिये चल दें तो उसे यानवेत्ता मन्त्रिगण 'प्रसङ्गयान' कहते हैं ।

रिपुं यातस्य बलिनः सम्प्राप्य विकृतं फलम् ॥ २५९ ॥

उपेक्ष्य तस्मिन् तद्यानमुपेक्षायानमुच्यते ।

उपेक्षायान के लक्षण—जो शत्रु बुरे फल को पाकर स्वयं विपन्न अवस्था में पड़ गया हो उसकी यदि उपेक्षा करके उसके ऊपर चढ़ाई कर दी जाय तो उसे 'उपेक्षायान' कहते हैं ।

दुर्वृत्तेऽप्यकुलीने तु बलं दातरि रज्यते ॥ २६० ॥

हृष्टं कृत्वा स्वयमर्त्तं पारितोष्यप्रदानतः ।

नायकः पुरतो यायात् प्रवीरपुरुषावृतः ॥ २६१ ॥

मध्ये कलात्रं कोशश्च स्वामी फल्गु च यद्वनम् ।

ध्वजिनी च सदोद्युक्तः स गोपायेहिवानिशम् ॥ २६२ ॥

राश्ट्रों में सेना को चलाने की व्यवस्था—राजा चाहे द्रुवत्त (द्रुष्ट-चरित्र वाला) या नीच कुल का भी हो किन्तु यदि दाता हो तो सेना उस पर अनुरक्त रहती है। अतः पारितोषिक-प्रदान द्वारा अपनी सेना को प्रसन्न करके श्रेष्ठ धीर पुरुषों से घिरा हुआ, अपनी सेना के भागे २ रहकर सेनानायक शत्रु पर चढ़ाई करे। और सेना के मध्य में घी, कोश (खजाना), राजा और साधारण धन को रख कर इनकी तथा अपनी सेना की रात दिन सावधानी से सेनापति रक्षा करे।

नद्यद्रिवनदुर्गेषु यत्र यत्र भयं भवेत् ।

सेनापतिस्तत्र तत्र गच्छेद् व्यूहकृतैर्बलैः ॥ २६३ ॥

नदी-पर्वतादि में भय की संभावना होने पर व्यूह बांध कर चलने का निर्देश—जहाँ जहाँ पर मार्ग में नदी, पर्वत, वन तथा दुर्गम स्थान आने पर भय की संभावना हो, वहाँ वहाँ पर सेनापति सेना को व्यूहाकार में रखकर चले।

यायाद् व्यूहेन महता मकरेण पुरोभये ।

श्येनेनोभयपक्षेण सूच्या वा धारवक्त्रया ॥ २६४ ॥

मकर, श्येन व सूचीमुख इयहों का नाम व योजना स्थल का निर्देश—यदि आगे से भय की संभावना होतो बड़े मगर के आकार की व्यूह-रचना कर के चले, अथवा उभय पक्षवाले श्येन (बाज) पक्षी के आकार की किंवा तीक्ष्ण मुखवाली सूची के आकार की व्यूह-रचना कर के चले।

पश्चाद्भये तु शकटं पारवयोर्वज्रसंज्ञकम् ।

सर्वतः सर्वतोभद्रं चक्रं व्यालमथापि वा ॥ २६५ ॥

शकट, वज्र, सर्वतोभद्र, चक्रव्यूह, व्यालव्यूहों का नाम-निर्देश—पीछे से यदि शत्रु-भय हो तो 'वज्रव्यूह', चारों तरफ से भय हो तो 'सर्वतोभद्र-व्यूह', चक्रव्यूह अथवा व्यालव्यूह की रचना करे।

यथादेशं कल्पयेद्वा शत्रुसेनाविभेदकम् ।

अथवा देशानुसार शत्रु की सेना को भेदन करनेवाले व्यूह की रचना करे।

व्यूहरचनसङ्केतान् वाद्यभाषासमीरितान् ॥ २६६ ॥

स्वसैनिकैर्विना कोऽपि न जानाति तथाविधम् ।

राजा घजाने के ढङ्ग से संकेतों के जानने का निर्देश—धीर घजाने के ढङ्ग से किसे राये व्यूह की रचना के संकेत ऐसे हों जिन्हें अपनी सेना के अलावा दूसरा कोई सैनिक न जानता हो।

नियोजयेच्च मतिमान् व्यूहान्नाविधान् सदा ॥ २६७ ॥

इस भांति से बुद्धिमान सेनापति सदा नाना प्रकार के व्यूहों की रचना में सैनिकों को रक्खे ।

अश्वानां च गजानां च पदातीनां पृथक् पृथक् ।

उच्चैः सप्रावयेद् व्यूहसङ्केतान् सैनिकान् नृपः ॥ २६८ ॥

वामदक्षिणसंस्थो वा मध्यस्थो वाऽप्रसंस्थितः ।

सैनिकों को संकेतज्ञान कराने का निर्देश—अश्व, गज तथा पैदल सेना के सैनिकों को पृथक् २ गुलाकर व्यूह-रचना के संकेतों को राजा वाम, दक्षिण, मध्य या अग्र भाग में स्थित होकर भली भांति सुना देवे ।

श्रुत्वा तान् सैनिकैः कार्यमनुशिष्टं यथा तथा ॥ २६९ ॥

संकेतों के अनुसार सैनिकों को कार्य करने का निर्देश—उन संकेतों को सुनकर जैसी आज्ञा हो उसके अनुसार सैनिकों को वैसा ही करना चाहिये ।

मम्मूलनं प्रसरणं परिभ्रमणमेव च ।

आकुञ्चनं तथा यानं प्रयाणमपयानकम् ॥ २७० ॥

पर्यायेण च सांमुख्यं समुत्थानं च लुण्ठनम् ।

सस्थान चाष्टदलवच्चक्रवद् गालतुल्यकम् ॥ २७१ ॥

संकेतानुसार स्थिति रखने का निर्देश—जैसे आज्ञानुसार कभी संमिलित हो जाना, फैल जाना, चारों ओर घूम जाना, सिकुड़ जाना, धीरे २ गमन करना, जल्दी २ चलना, पीछे हट जाना, पर्याय से समुख हो जाना, खड़े हो जाना, लोटना, अष्टदल कमल की भांति पङ्क्ति बाध कर खड़ा होना, या चक्र भांति गोलाकार में खड़ा होना सैनिकों को ये सब करना चाहिये ।

सूचीतुल्यं शकटवदधचन्द्रसमं तु वा ।

पृथग् भवनमल्पालपैः पर्यायैः पङ्क्तिवेशनम् ॥ २७२ ॥

शस्त्रास्त्रयोर्घारणं च सन्धानं लक्ष्यभेदनम् ।

मोक्षणं च तथाऽस्त्राणां शस्त्राणां परिघातनम् ॥ २७३ ॥

और कभी सूची, शकट या अर्धचन्द्र के आकार का व्यूह बनाकर खड़ा रहना, पर्याय से थोड़ी २ सेना का अलग २ हो जाना या पक्ति बांधकर बैठ जाना, शस्त्र तथा अस्त्रों का धारण करना, संधान करना और लक्ष्य का भेदन करना, अस्त्रों का छोड़ना, शस्त्रों का प्रहार करना, इन सबों को संकेतानुसार करना चाहिये ।

द्राक् सन्धानं पुनः पातो ग्रहो मोक्षः पुनःपुनः ।

स्वगूहनं प्रतीघातः शस्त्रास्त्रपदविक्रमः ॥ २७४ ॥

संकेतानुसार वागादि चलाने आदि का निर्देश—संकेतानुसार वागादि को

श्रीघ्नता के साथ धनुषादि पर चढ़ाना, फिर छोड़ना, फिर ग्रहण करना और फिर छोड़ना ऐसा बार-बार करना, अपने को छिपाना, बाहर तथा अश्यों का योग्यतानुसार पैतरा बदलते हुये प्रहार करना, इन सबों को करना चाहिये ।

द्वाभ्यां त्रिभश्चतुर्भिर्वा पङ्क्तितो गमनं ततः ।

तथा प्राग भवन्नं चापसरणं तूपसर्जनम् ॥ २७५ ॥

संकेतानुसार गमनादि करने का निर्देश—कभी दो, तीन या चार की संख्या में पंक्ति बांधकर गमन करना, आगे हो जाना, पीछे हट जाना, मथा-स्थान पर पूर्ववत् स्थित हो जाना इन सबों को संकेतानुसार करे ।

अपस्तृत्यास्त्रासन्नर्थमुपस्तृत्य विमोक्षणे ।

प्राग् भूत्वा मोचयेदस्त्रं व्यूहस्थः सैनिकः सदा ॥ २७६ ॥

सदा व्यूहबद्ध होकर अस्त्रादि चलाने का निर्देश—अस्त्र चलाने की सुविधा के लिये पीछे हटकर तथा छोड़ने के लिये समीप जाकर तथा सम्मुख रहकर व्यूहबद्ध सैनिक को सदा अस्त्र चलाना चाहिये ।

आसीनः स्याद्विमुक्तास्त्रः प्राग्वा चापसरेत् पुनः ।

प्रागासीनं तूपस्तृतो हृष्ट्वा स्वास्त्रं विमोचयेत् ॥ २७७ ॥

अस्त्र-प्रयोगादि के समय सैनिकों की स्थिति का निर्देश—सैनिक अस्त्र छोड़ चुकने के बाद बैठ जावे अथवा आगे की ओर सरक जावे । और आगे बैठे हुये शत्रु को देखकर उसके समीप जाकर अपने अस्त्र का प्रयोग करे ।

एकैकशो द्विशो वाऽपि सङ्घशो बोधितो यथा ।

क्रीञ्चानां खे गतिर्यादृक् पाङ्क्ततः संप्रत्रायते ॥ २७८ ॥

तादृक् संचारयेत् क्रीञ्चव्यूह देशबल यथा ।

सूक्ष्ममीवं मध्यपुच्छं स्थूलपक्षं तु पाङ्क्तत ॥ २७९ ॥

क्रीञ्चव्यूह के लक्षण—संकेत किये जाने पर जैसे आकाश में उड़ने पर क्रीञ्च पक्षियों की पंक्तिबद्ध स्थिति होती है वैसी एक २, दो २ या संघरूप से पंक्तिबद्ध स्थिति में रहने के द्वारा क्रीञ्चव्यूह की रचना देश तथा सैन्य के अनुसार करे । इसमें ग्रीवा भाग पतला, पुच्छभाग मध्यम तथा दोनों पक्षों के भाग मोटे रहते हैं । इसमें ऐसी सैनिकों की पंक्ति स्थिति रहती है ।

वृक्षरपक्षं मध्यगलपुच्छं श्येन मुखे तनु ।

श्येनव्यूह के लक्षण—जिसके दोनों पक्षभाग विशाल हों और गला तथा पुच्छभाग मध्यम हो एवं मुखभाग पतला हो, ऐसी यदि सैनिकों की पंक्ति हो तो उसे 'श्येनव्यूह' कहते हैं ।

चतुष्पान्मकरो दीर्घस्थूलवक्त्रद्विरोधकः ॥ २८० ॥

मकरव्यूह के लक्षण—जिसके ४ भाग में ४ पैर हों तथा दीर्घ और मोटा

मुख भाग हो और उसमें दो ओष्ठ भाग हों। ऐसी पंक्ति में स्थित सेना को 'मकरव्यूह' कहते हैं।

सूचीसूद्धममुखो दीर्घ-समदण्डान्तरन्ध्रयुक् ।

सूचीमुख तथा चक्रव्यूह के लक्षण—जिसका मुखभाग सूची के समान पतला हो और मध्यभाग समान भाव से दण्डाकार लम्बा हो, तथा अन्त में स्थित मूलभाग में द्विद्रयुक्त हो ऐसी सेना की पंक्ति को 'सूचीमुख' व्यूह कहते हैं।

चक्रव्यूहश्चैकमार्गो ह्यष्टधा कुण्डलीकृतः ॥ २८१ ॥

जो चक्राकार गोल हो एवं मध्य में आठ भागों में विभक्त कुंडली आकार के मार्ग बने हों एवं उनके अन्दर घुसने के लिये एक ही मार्ग हो तो ऐसी सेनापंक्ति को 'चक्रव्यूह' कहते हैं।

चतुर्दिक्वष्टपरिधिः सर्वतोभद्रसंज्ञकः ।

अमार्गश्चाष्टबलयी गोलकः सर्वतोमुखः ॥ २८२ ॥

सर्वतोभद्र व्यूह के लक्षण—जिसके चारों दिशाओं में ८-८ रेखाकार परिधिरूप में सेना की पंक्ति हो उसे 'सर्वतोभद्र' व्यूह कहते हैं, अथवा सभी ओर जिसके मुख हों और जो आठ बलयाकार गोल पंक्तियों से युक्त एवं घुसने के मार्ग से रहित हो उसे भी 'सर्वतोभद्र' व्यूह कहते हैं।

शकट शकटाकारो व्यालो व्यालाकृतिः सदा ।

शकट व व्यालव्यूह के लक्षण—शकटाकार सेनापंक्ति को 'शकटव्यूह' एवं व्याल (सर्) के आकार की सेनापंक्ति को 'व्यालव्यूह' कहते हैं।

सैन्यमल्पं बृहद्वाऽपि दृष्ट्वा मार्गं रणस्थलम् ॥ २८३ ॥

व्यूहेव्यूहेन व्यूहाभ्यां सङ्करेणापि कल्पयेत् ।

सैन्य की न्यूनता व अधिकतानुसार एवं युद्धभूमि के अनुसार १ या २ व्यूहरचना का निर्देश—सैन्य की न्यूनता तथा अधिकता एवं मार्ग तथा रणस्थल भूमि को देखकर तदनुसार एक व्यूह अथवा दो या दो से अधिक व्यूहों से मिश्रित व्यूह-रचना की भी कल्पना की जा सकती है।

यन्त्रास्त्रैः शत्रुसेनाया भेदो येभ्यः प्रजायते ॥ २८४ ॥

स्थलेभ्यस्तेषु सन्तिष्ठेत् ससैन्यो ह्यासनं हि तत् ।

आसन के लक्षण व उस समय के कर्तव्य—जिन स्थलों से शत्रुसेना के ऊपर यन्त्रयुक्त अस्त्रों (तोप आदि) के द्वारा प्रहार करके उसका भेदन किया जा सके उन स्थलों में सेना के सहित राजा के ठहरने को 'आसन' कहते हैं।

तृणान्नजलसम्भारा ये चान्ये शत्रुपोषकाः ॥ २८५ ॥

सम्यङ् निरुह्य तान् यस्नात् परितश्चिरमासनात् ।

और तृण अन्न, जल आदि सामग्री तथा और भी जो वस्तुयें शत्रु की

सेना को आराम देनेवाली हों, उन सभों को आसन में (घेरा डालकर) स्थित राजा यत्नपूर्वक बहुत दिनों तक चारों ओर से रोकता रहे अर्थात् उन्हें शत्रु तक न जाने दें ।

त्रिच्छिन्नविधिधारं प्रक्षीणययसेन्धनम् ॥ २८६ ॥

विगृह्यमाणप्रकृति कालेनैव वशं नयेत् ।

सन्धाय आसन के लक्षण—शत्रु की सेना में जाने-आने के मार्ग को रोक देने पर एवं घास तथा जलाने की लकड़ी समाप्त होने पर तथा मन्त्री आदि अधिकारी वगैरों में आपस में विग्रह उपस्थित करा दे । हो जाने या करा देने पर थोड़े ही समय में शत्रु को वश में किया जा सकता है ।

अरश्च विजिगीषोश्च विग्रहे हीयमानयो ॥ २८७ ॥

सन्धाय यदवस्थानं सन्धाय आसनमुच्यते ।

जब विजयार्थ आक्रमणकारी एवं शत्रु (जिसके ऊपर आक्रमण किया जाय) दोनों लड़ते २ चीण चल हो जाते हैं तब उन दोनों के सन्धि करके अपने २ स्थान पर स्थित रहने को 'सन्धाय आसन' कहते हैं ।

उच्छिद्यमानो बलिना निरुपायप्रतिक्रियः ॥ २८८ ॥

कुलोद्भवं सत्यमार्यमाश्रयेत् बलोत्कटम् ।

आश्रय के लक्षण—जब किसी बलवान शत्रु द्वारा राज्य उच्छिद्य कर दिया जाय या उसका अवसर आ जाय और उसके प्रतीकार का कोई उपाय न दिखाई पड़े तो राजा अत्यन्त बलवान, कुलीन, सत्यप्रतिज्ञावाले एवं श्रेष्ठ आचरण से युक्त किसी दूसरे राजा या आश्रय लेकर शत्रु को परास्त करे ।

विजिगीषोस्तु साह्यार्थाः सुहृत्सम्बन्धियान्धवाः ॥ २८९ ॥

प्रदत्तभृतिका ह्यन्ये भूपा अंशप्रकल्पिताः ।

सैवाश्रयस्तु कथितो दुर्गाणि च महात्मभिः ॥ २९० ॥

विजय के लिये खड़ाई करनेवाले राजा के सहायता के लिये उसके मित्र, सम्बन्धी, बान्धव तथा इनसे अन्य जीविकार्थ जागीर प्राप्त किये हुये लोग किंवा ऐसे राजा जिनके लिये विजित राज्य में से नियत भाग दे देने का स्थिर किया गया हो, ये सब उचित होते हैं अतः इनके आश्रय में चला जाना किंवा किसी सुदृढ़ दुर्ग या आश्रय लेना, इसी को विद्वानों ने 'आश्रय' कहा है ।

अनिश्चितोपायकार्यैः समयानुचरो नृपः ।

द्वैधीभावेन वर्तेत काकाच्चिवदलक्षितम् ॥ २९१ ॥

प्रदर्शयेदन्वकार्यमन्यमात्मन्वयेत् च वा ।

द्वैधीभाव के लक्षण—समय के अनुसार चर्चा करनेवाला राजा जब तक

शत्रुसंकट से बचने का कोई उपाय निश्चित न कर सके तब तक किसी को पता न चल सके ऐसा कौवे के आंग्र की पुतली की तरह दोनों ओर का व्यवहार रखे। दिखावे में दूसरा कार्य और करने में दूसरा कार्य रखे। इसी को 'द्वैधीभाव' कहते हैं।

सदुपायैश्च सन्मन्त्रैः कार्यसिद्धिरथोद्यमैः ॥ २६२ ॥

भवेदल्पजनस्यापि किं पुननृपतेर्नहि ।

उपाय करने से कार्य सिद्ध होने का निर्देश—जब कि तुच्छ व्यक्ति के भी अच्छे उपायों, अच्छी सलाह एवं उद्यमों के द्वारा कार्य सिद्ध होते हैं तब क्या राजाओं के कार्य उन सबों के करने से नहीं हो सकते हैं अपितु अवश्य हो सकते हैं।

उद्योगेनैव मिध्यन्ति कार्याणि न मनोरथैः ॥ २९३ ॥

न हि सुप्रमृगेन्द्रस्य निपतन्ति गजा मुखे ।

उद्योग की अवश्य कर्त्तव्यता का निर्देश—उद्योग करने से ही संपूर्ण कार्य सिद्ध होते हैं न कि केवल मनोरथ करने से क्योंकि देखा भी जाता है कि—सोवे हुये व्याघ्र के मुख में बिना उद्यम के स्वयं हाथी नहीं गिर पड़ता है, अपितु उसके लिये प्रबल उद्योग करना पड़ता है तभी कार्यसिद्धि होती है।

अयोऽभेद्यमुपायेन द्रवतामुपनीयते ॥ २९४ ॥

लोकप्रसिद्धमेवैतद् वारि बह्नेनियामकम् ।

उपायोपगृहीतेन तेनैतत् परिशोध्यते । २६५ ॥

उपायेन पद् मूर्ध्नि न्यस्यते मत्तहस्तिनाम् ।

अभेद्य (कठिन से कठिन) लोहा भी उपाय करने से पिघलाया जाता है। और लोक में यह प्रसिद्ध ही है कि जल अग्नि को बुझा देनेवाला होता है परन्तु यदि उपाय का अवलम्बन किया जाय तो वही अग्नि उबटे जल को सुखा देनेवाली हो जाती है। उपाय से ही मनवाले हाथी के भी मस्तक पर पैर रक्खा जाता है।

उपायेषूत्तमो भेदः षड्गुणेषु समाश्रयः ॥ २६६ ॥

कार्यौ द्वौ सर्वदा तौ तु नृपेण विजिगीषुणा ।

ताभ्यां विना नैव कुर्याद् युद्धं राजा कदाचन ॥ २९७ ॥

भेद और समाश्रय की श्रेष्ठता का निर्देश—शत्रु को जीतने के लिये उपायों में सर्वोत्तम उपाय 'भेद' (फूट डालना) है तथा सन्धि आदि षड्गुणों में श्रेष्ठ 'समाश्रय' (बलवान का आश्रय) माना गया है। अतः विजय चाहनेवाला राजा सर्वदा इन दोनों को करे। इन दोनों का बिना सहारा लिये राजा किसी शत्रु के साथ कभी युद्ध न करे।

परस्परं प्रातिकूल्यं रिपुसेनपमन्त्रिणाम् ।

भवेद् यथा तथा कुर्यात् तत्प्रजायाश्च तस्त्रिणाः ॥ २६८ ॥

जिस रीति से शत्रु के सेनापति और मन्त्रियों में परस्पर अनघन हो जाय एवं शत्रु की प्रजा के साथ और रानियों के साथ किंवा सेनापति और मन्त्रियों का अपनी २ सन्तान या छियों के साथ परस्पर अनघन हो जाय उस रीति का अनुसरण राजा को करना चाहिये ।

उपायान् पङ्गुणान् घीदय शत्रोः स्वस्थापि सर्वदा ।

युद्धं प्राणात्यये कुर्यात् सर्वस्वहरणे सति ॥ २६९ ॥

लाचारी होने पर युद्ध करने का निर्देश—प्रथम शत्रु के तथा अपने बीच में खूब विचार कर मामादि उपायों तथा सन्धि आदि पङ्गुणों में जो उचित हो उनका प्रयोग करे किन्तु जब प्राण संकट अथवा सर्वस्व का हरण उपस्थित हो जाय तब लाचारी से युद्ध करे ।

स्त्रींश्चप्राभ्युपपत्ती च गोविनाशेऽपि ब्राह्मणैः ।

प्राप्ते युद्धे कर्त्तव्यं नैव भवेदपि पराङ्मुखः ॥ ३०० ॥

स्त्री, गौ, ब्राह्मण के रक्षार्थं युद्ध न करने से हानि—स्त्री तथा ब्राह्मण के ऊपर अनुग्रह करने के लिये किंवा गौ या ब्राह्मण का विनाश उपस्थित होने पर रक्षार्थं युद्ध करने में कभी भी नहीं मुख मोड़ना चाहिये ।

युद्धमुत्सृज्य यो याति स देवैर्हन्यते भृशम् ।

यदि कोई ऐसे समय में युद्ध छोड़ कर भाग जाता है तो उसका देवगण अधिक विनाश करते हैं ।

समोत्तमाधमै राजा त्वाहृतः पालयन् प्रजाः ॥ ३०१ ॥

न निवर्तेत संग्रामात् क्षात्रधममनुस्मरन् ।

किसी के ललकारने पर क्षत्रिय को अवश्य युद्ध करने का निर्देश—प्रजा का पालन करता हुआ राजा अपने समान या अपने से उत्तम किंवा हीन-बलवाले किसी शत्रु के ललकारने पर क्षत्रिय-धर्म का ख्याल करता हुआ उसके साथ युद्ध करने से न हटे ।

राजान् चावियोद्धारं ब्राह्मणं चाप्रवासिनम् ॥ ३०२ ॥

भूमिरेतौ निर्गलति सर्पे बिलशयानिव ।

युद्ध से पीछे हटनेवाला राजा एवं प्रवास करने से मुख मोड़नेवाला ब्राह्मण इन दोनों को पृथ्वी उस भाँति निगल जाती है जिस भाँति से सर्प बिल में रहनेवाले मूमे आदि को निगल जाता है ।

ब्राह्मणस्यापि चापत्तौ क्षत्रधर्मेण वर्ततः ॥ ३०३ ॥

प्रशस्तं जीवितं लोके क्षत्रं हि ब्रह्मसंभवम् ।

आपत्काल में ब्राह्मण का क्षत्रिय धर्म करने का निर्देश—आपत्ति पड़ने पर (जीविका का अभाव होने पर) क्षत्रियोचित जीविका द्वारा जीवन धारण करते हुये ब्राह्मण का जीवित रहना भी लोक में उत्तम माना जाता है क्योंकि क्षत्रिय की आपत्ति ब्राह्मण से हुई है अतः ब्राह्मण के लिये क्षत्रिय कर्म करना विरुद्ध नहीं है ।

अधर्मः क्षत्रियस्यैव यच्छ्रयामरण भवेत् ॥ ३०४ ॥

विस्तृज्ज्वरलोष्मपित्तान् कृपणं परिदेवयन् ।

शय्या पर पड़े २ क्षत्रिय का मरने का निषेध—क्षत्रिय के लिये तो यही अधर्म की बात है कि—शय्या पर पड़े २ कफ तथा पित्त को शरीर से अलग करते २ और दीनों की भांति विलाप करते २ मर जाना ।

अविक्षतेन देहेन प्रलयं योऽधिगच्छति ॥ ३०५ ॥

क्षत्रियो नास्य तन् कर्म प्रशंसन्ति पुराविदः ।

उक्त प्रकार से बिना चत-विचत हुये शरीर से जो प्राण छोड़ता है उस क्षत्रिय के इस कर्म की प्रशंसा इतिहासवेत्ता लोग नहीं करते हैं ।

न गेहे मरण शस्त क्षत्रियाणां विना रणात् ॥ ३०६ ॥

शीण्डीराणां शौण्डीरमधर्मं कृपणं च यन् ।

रण छोड़ कर घर में क्षत्रिय को मारने का निषेध—रण को छोड़ कर घर में मरना क्षत्रियों के लिये अच्छा नहीं है । गर्वशाली क्षत्रियों के लिये उक्त प्रकार से दीन-दीन अवस्था में (घर पर) मरना उनके गर्व को नष्ट करनेवाला और पापजनक होता है ।

रणेष्वकदनं कृत्वा ज्ञातिभिः परिवारितः ॥ ३०७ ॥

शस्त्रास्त्रैः सुविनिर्मिन्नः क्षत्रियो वधमहति ।

युद्ध में शत्रु को न मार सकने पर वन्धुओं के साथ युद्ध में लड़ते २ मर जाने से क्षत्रियों की परम कर्तव्यता का निर्देश—युद्ध में शत्रुओं को यदि न मार सका तो अपने ज्ञाति वर्ग में युक्त होकर शस्त्रास्त्रों से चत-विचत होकर वध को प्राप्त हो जाना क्षत्रियों के लिये उचित है ।

आह्वेषु मिथोऽन्योऽन्यं जिघांसन्तो महीक्षितः ॥ ३०८ ॥

युध्यमानाः परं शक्त्या स्वर्गं यान्त्यपराद्धमुखाः ।

युद्ध में पीछे पैर न हटाने तथा लड़कर मर जाने की प्रशंसा—जो क्षत्रिय राजा लोग युद्ध में परस्पर एक दूसरे पर घातक प्रहार करते हुये पूरी शक्ति से अन्त तक लड़ते हैं और पीछे पैर नहीं हटाते हुये मर जाते हैं वे सीधे स्वर्ग को जाते हैं ।

भर्तुरर्थे च यः शूरो विक्रमेद्वाहिनीमुखे ॥ ३०९ ॥

भयान्न त्रिनिवर्तेत तस्य स्वर्गो ह्यनन्तकः ।

स्वामी के निमित्त करने का फल—जो शूर-वीर स्वामी के निमित्त सेना के भारो रहकर लड़ता हुआ पराक्रम दिखाता है और डरकर लड़ाई से भाग नहीं जाता है थक वही मर जाता है, उसको अनन्तकाल तक स्वर्ग मिलता है ।

आहूये निहतं शूरं न शोचेत कदाचन ॥ ३१० ॥

निर्मुक्तः सर्वपापेभ्यः पूतो याति सुलोकताम् ।

युद्ध में वीरगति पाये हुये के लिये शोक करने का निषेध—युद्ध में मरे हुये शूर के लिये कभी शोक नहीं करना चाहिये । क्योंकि वह सब पापों से छूटकर पवित्र होने से सुन्दर लोक को चला जाता है ।

वराप्सरःसहस्राणि । शूरमायोधने हतम् ॥ ३११ ॥

त्वरमाणाः प्रधावन्ति मम भर्ता भवेदिति ।

युद्ध में शूरतापूर्वक मरने का फल—युद्ध में शूरता के साथ लड़कर मरे हुये योद्धा के तरफ उत्तम २ हजारों अप्सरायें तेजी से दौड़ पड़ती हैं और आहती हैं कि यह हमारा ही प्रिय स्वामी बने दूमरी का नहीं ।

मुनिभिर्दीर्घतपसा प्राप्यते यत् पदं महत् ॥ ३१२ ॥

युद्धाभिमुखनिहतैः शूरैस्तद् द्रागवाप्यते ।

युद्ध में वीरगति पाने पर मुनिदुर्लभ लोक की सुगमता से प्राप्ति का निर्देश—मुनि लोग दीर्घकाल तक भी तपस्या के द्वारा जिस बड़े पद (लोक) को प्राप्त करते हैं, युद्ध में समुत्पन्न होकर लड़ने से मारे गये शूर-वीर लोग शीघ्रता से उसी (पद) को प्राप्त कर लेते हैं ।

एतत्तपश्च पुण्यं च धर्मश्चैव सनातनः ॥ ३१३ ॥

चत्वार आश्रमास्तस्य यो युद्धे न पलायते ।

जो युद्ध में नहीं भागता है, उसके लिये वही तप, पुण्य, सनातनधर्म तथा चारों आश्रमों के अनुकूल धर्माचरण करना होता है ।

न हि शौर्यात् परं किञ्चित् त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ ३१४ ॥

शूरः सर्वं पालयति शूरे सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

शूरता की प्रशंसा सर्वोत्तमता का निर्देश—शूरता से बढ़कर कोई वस्तु उत्तम नहीं है, क्योंकि शूर व्यक्ति ही सब लोगों का पालन कर सकता है, और शूर में ही सब कुछ प्रतिष्ठित रहता है ।

चराणामचरा अन्नमदंष्ट्रा दंष्ट्रिणामपि ॥ ३१५ ॥

अपाणयः पाणिमन्तामन्नं शूरस्य कातराः ।

प्राणियों के अन्न का विचार—चर जीवों के लिये अन्न (स्थावर) पदार्थ, बड़े २ दाढ़वाले जीवों के लिये बिना दाढ़वाले जीव, हाथ-पैरवाले जीवों के

लिये बिना हाथ का जीव और शूरों के लिये कायर पुरुष अन्न (भक्षणीय या नाश करने योग्य) होते है ।

द्वाविमौ पुरुषौ लोके सूर्यमण्डलभेदिनौ ॥ ३१६ ॥

परिव्राड् योगयुक्तो यो रणे चाभिमुखं हतः ।

सूर्यमण्डल भेदन करनेवाले दो पुरुषों का निर्देश—संसार में दो ही पुरुष मरकर सूर्यमण्डल का भेदन करनेवाले कहे जाते हैं, एक योगमाधन-सम्पन्न सन्ध्यामी दूमरा रण में संमुख लड़कर मरनेवाला शूर-वीर ।

आत्मानं गोपयेच्छक्तो वचेनाप्याततायिनः ॥ ३१७ ॥

सुविद्यब्राह्मणगुरोर्युद्धे श्रुतिनिदर्शनात् ।

आततायी ब्राह्मण के गुरु को मारने का निर्देश—समर्थ पुरुष युद्ध में मारने के लिये उद्यत सुन्दर विद्वान ब्राह्मण तथा गुरु का भी वध करके अपनी रक्षा करनी चाहिये क्योंकि ऐसा वेद का वचन मन्वादि स्मृतियों में मिलता है ।

आचार्यो वै कारुणिकाः प्राज्ञारचापापदशिनः ॥ ३१८ ॥

नैते महाभये प्राप्ते सम्प्रष्टव्याः कथंचन ।

शत्रु द्वारा संकट आ पड़ने पर आचार्य धर्मशास्त्रियों द्वारा उपाय पूछने की निरर्थकता का निर्देश—शत्रु से महान भय उपस्थित होने पर जो दयालु, निष्पाप, पण्डित और आचार्य हैं, इन सबों से प्रतीकार का उपाय कभी नहीं पूछना चाहिये । क्योंकि इनके द्वारा उचित उपाय बताना असम्भव है ।

प्रासादेषु विचित्रेषु गोप्त्रीषुपवनेषु च ॥ ३१९ ॥

कथा विचित्राः कुर्वाणाः पण्डितास्तत्र शोभना ।

चित्र-विचित्र बने हुये राजभवनों में तथा गोष्ठियों (सभाओं) में और उपवनों में बैठकर विचित्र २ कथाओं का वर्णन करते हुये पण्डितगण सुशोभित होते हैं ।

बहून्याश्चर्यरूपाणि कुर्वाणा जनसंसदि ॥ ३२० ॥

ईड्यास्ते चोपसन्धाने पण्डितास्तत्र शोभनाः ।

जनों की सभा में बहुत से आश्चर्यजनक कार्यों को करते हुये और तत्त्व के निर्णय करने में प्रशंसित होनेवाले जो पण्डित हैं वे वहाँ पर शोभा प्राप्त करते हैं ।

परेषां विवरज्ञाने मनुष्यचरितेषु च ॥ ३२१ ॥

हृश्यश्वरथचर्यासु खरोष्ट्राजाविकर्मणि ।

गोधनेषु प्रतोलीषु स्वयंवर मुखेषु च ॥ ३२२ ॥

अन्नसंस्कारदोषेषु पण्डितास्तत्र शोभनाः ।

शत्रुओं के द्विद्र जानने में और मनुष्यों के चरित्र, हाथी, घोड़े और रथ के

सम्बन्धी एवं गदहा, ऊँट, घकरा, भेड़ा के सम्बन्धी कार्यों को जानने में, किवा गोधन, गली, स्वयंवर आदि तथा अग्नि पकाने के सम्बन्धी दोषों के जानने में जो पण्डित हैं, उनकी उन-उन विषयों में शोभा होती है। अतः इन्हीं सब बातों में पंडितों से राय लेनी चाहिये।

पण्डितान् पृथतः कृत्वा परेषां गुणवादिनः ॥ ३२१ ॥

अरेश्चित्तगुणान् ज्ञात्वा न सैन्ये भङ्गशङ्कया ।

विधीयतां तथा नीतिर्यथा वध्यो भवेत् परः ॥ ३२४ ॥

जिससे शत्रु मारा जा सके ऐसी नीति पर चलने का निर्देश—शत्रुओं के गुण की प्रशंसा करनेवाले पण्डितों को पंछे करके (अर्थात् उनकी बातों पर ध्यान न देकर के) शत्रु के मनोभावों को समझकर और युद्ध में सेना उलझ जायगी इसकी आशङ्का छोड़कर वैसी नीति से कार्य करना चाहिये जिससे शत्रु मारा जा सके।

आततायित्वमापन्नो ब्राह्मणः शूद्रवत् स्मृतः ।

नाततायिवधे दोषो हन्तुर्भवति कश्चन ॥ ३२५ ॥

आततायी ब्राह्मण को शूद्रवत् जानकर मारने में दोषाभाव का निर्देश—आततायी के माय को प्राप्त किया हुआ ब्राह्मण शूद्रवत् समझा जाता है। अतः जैसे आततायी ब्राह्मण के मारने में मारनेवाले को कोई दोष नहीं होता है।

सद्यस्य शस्त्रमायान्तं भ्रूणमप्याततायिनम् ।

निहत्य भ्रूणहा न स्यादहंवा भ्रूणहा भवेत् ॥ ३२६ ॥

आततायी बालक को भी मारने में दोषाभाव का निर्देश—मारने के लिये शस्त्र को उठाकर आते हुये आततायी बालक को भी मारकर भ्रूणहा नहीं कहा जा सकता है बल्कि उसे नहीं मारने से वह भ्रूणहाया का पापभागी समझा जाता है।

उद्यतेषुमथो हृष्टा ब्राह्मणं क्षत्रबन्धुवत् ।

यो हन्यात् समरे क्रुद्धं युध्यन्तमपलायितम् ॥ ३२७ ॥

ब्रह्महत्या न तस्य स्यादिति धर्मेषु निश्चयः ।

युद्ध में उग्रिय की भांति लड़ते हुये ब्राह्मण को मारने में दोषाभाव का निर्देश—जो युद्ध में बाणादि लिए क्रुद्ध होकर उग्रिय की भांति युद्ध करते हुये और पीठ न दिखाते हुये (लड़ाई से मुक्त नहीं मोड़ते हुए) ब्राह्मण को देख कर मार डालता है। तो उसे ब्रह्महाया का पाप नहीं लगता है। यह धर्म-शास्त्रों में निर्णीत हो चुका है।

अपसरति यो यद्वाज्जीवितार्थी नराधमः ॥ ३२८ ॥

जीवन्नेव मृतः सोऽपि भुङ्क्ते राष्ट्रकृतं त्वघम् ।

जीवन-रक्षार्थं युद्ध से भाग जाने पर दोष का निर्देश—जो नराधम जीवन को रक्षार्थी होकर युद्ध से भाग जाता है वह जीना हुआ भी मृत्यु तुल्य ही रहता है और राज्य भर का क्रिया हुआ सभी पाप अकेला भोगता है ।

मित्रं वा स्वामिनं त्यक्त्वा निर्गच्छन्नि रणाच्च यः ॥ २२६ ॥

सोऽन्ते नरकमाप्नोति सजीवो निन्धनेऽखिलैः ।

मित्र तथा स्वामी को छोड़ कर युद्धक्षेत्र से भाग आने पर दोष का निर्देश—और जो मित्र तथा स्वामी को छोड़कर लड़ाई से निवृत्त होकर भाग जाता है, वह जब तक जीवित रहता है तब तक सभी लोगों की निन्दा का पात्र बना रहता है तथा मरने पर नरक को प्राप्त होता है ।

मित्रमापद्गतं दृष्ट्वा सहाय न करोति यः ॥ ३३० ॥

अकीर्तिं लभते सोऽत्र मृतो नरकमृच्छति ।

मित्र की सहायता न करने से दोषभागी होने का निर्देश—जो अपने मित्र को आपत्ति में पड़ा हुआ देखकर भी सहायता नहीं करता है, वह इस लोक में अपयश को प्राप्त करता है और मरने के बाद नरक को प्राप्त करता है ।

विस्त्रम्भाच्छरणं प्राप्तं संत्यजति दुर्मतिः ॥ ३३१ ॥

स याति नरके घोरे यावदिन्द्राश्रतुर्दश ।

शरणागत को लौटा देने में घोर नरक-वासि का निर्देश—विश्वास करके शरण में रक्षार्थ आये हुये को जो दुष्टबुद्धि वाला मनुष्य लौटा देता है, वह १४ इन्द्र के बदलने तक घोर नरक में निवास करता है ।

सुदुर्घृत्तं यदा क्षत्रं नाशयेयुस्तु ब्राह्मणाः ॥ ३३२ ॥

युद्धं कृत्वापि शस्त्रास्त्रैर्न तदा पापभाजिनः ।

दुराचारी क्षत्रिय को मार डालने का निर्देश—यदि किसी अत्यन्त दुराचारी क्षत्रिय को ब्राह्मण लोग शस्त्रास्त्रों से युद्ध करके मार डालें तो वे पाप-भागी नहीं हो सकते हैं ।

हीनं यदा क्षत्रकुलं नीचैर्लोकं प्रपीड्यते ॥ ३३३ ॥

तदापि ब्राह्मणा युद्धे नाशयेयुस्तु ताम द्रुतम् ।

जब क्षत्रिय-समाज को हीनबलवाला समझ कर नीच लोग पीड़ित करने लगे तब भी ब्राह्मण लोग युद्ध में लड़कर उन सशै को शीघ्र नष्ट कर दें ।

उत्तमं मान्त्रिकास्त्रेण नालिकास्त्रेण मध्यमम् ॥ ३३४ ॥

शस्त्रैः कनिष्ठं युद्धन्तु बाहुयुद्धं ततोऽघमम् ।

उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ तथा अघम युद्ध के लक्षण—मन्त्र द्वारा प्रयुक्त अस्त्रों से होने वाले युद्ध को उत्तम, नालिकास्त्रों (बन्दूक-तोप) से होने वाले को

मध्यम, शस्त्रों से होने वाले को कनिष्ठ और बाहु से होनेवाले युद्ध को अधम कहते हैं ।

मन्त्रेरितमहाशक्तिबाणाद्यैः शत्रुनाशनम् ॥ ३३५ ॥

मान्त्रिकास्त्रेण तद्युद्धं सर्वयुद्धोत्तमं स्मृतम् ।

सर्वोत्तम युद्ध के लक्षण—जिसमें मन्त्र से अभिमन्त्रित करके छोड़े हुये महाशक्तिशाली बाणादि द्वारा शत्रु का नाश किया जाता है, ऐसे मान्त्रिकास्त्र से होने वाले युद्ध को सब युद्धों में उत्तम कहा जाता है ।

नालाग्निचूर्णसंयोगाल्लक्ष्ये गोलनिपातनम् ॥ ३३६ ॥

नालिकास्त्रेण तद्युद्धं महाहासकरं रिपोः ।

नालिकास्त्र युद्ध का लक्षण—जिसमें तोप या बन्दूक की नाल में बारूद भर कर भाग लगाने के द्वारा लक्ष्यस्थान पर गोली या गोला छोड़ा जाता है, ऐसे नालिकास्त्र द्वारा होने वाले युद्ध को शत्रुओं के लिये महाहास (हानि) करने वाला माना जाता है ।

कुन्तादिशस्त्रमह्वतै रिपूणा नाशनं च यत् ॥ ३३७ ॥

शस्त्रयुद्धं तु तज्ज्ञेयं नालास्त्राऽभावतः सदा ।

शस्त्रयुद्ध का लक्षण—जिसमें सदा नालास्त्र का अभाव होने से केवल भाला आदि शस्त्र-समूहों के द्वारा शत्रुओं का नाश किया जाता है उसे शस्त्र-युद्ध समझना चाहिये ।

कर्पणैः सन्धिर्मर्माणं प्रतिलोमानुलोमतः ॥ ३३८ ॥

बन्धनैर्घातन शत्रोर्युक्त्या तद् बाहुयुद्धकम् ।

बाहुयुद्ध का लक्षण—कौशल के साथ शत्रु के सन्धिस्थान तथा मर्म-स्थानों को पीड़ित करने से तथा उल्टा तथा सीधे दृक् से बाहुओं द्वारा बांधने से जहाँ पर आघात पहुँचाया जाता है, उसे 'बाहुयुद्ध' कहते हैं ।

वामपाणिकचोत्पीडा भूमौ निष्पेपणं बलात् ॥ ३३९ ॥

मूर्ध्नि पादप्रहरणं जानुनोदरपीडनम् ।

मास्त्राकारया मुष्ट्या कपोले दृढताडनम् ॥ ३४० ॥

कफोणिपातोऽप्यसकृत्मर्धतस्तलताडनम् ।

जालेन युद्धे भ्रमणं नियुद्धं स्मृतमष्टधा ॥ ३४१ ॥

बाहुयुद्ध के ८ प्रकारों का निर्देश—बाहुयुद्ध आठ प्रकार का होता है । जैसे १-बायें हाथ से बाजों को पकड़ना, २-जबरदस्ती भूमि में पटक कर रगड़ना, ३-सिर में पैर से प्रहार करना, ४-घुटने से पेट को दवाना, ५-बेल के समान दृढ मुठ्ठी से कपोल में कठिन प्रहार करना, ६-बारंबार केदुनी को

८-दल के साथ शत्रुओं के द्विज देवने की इच्छा से बाहुयुद्ध में घूमना ।

चतुर्भिः क्षत्रियं हन्यान् पञ्चभिः क्षत्रियाघमम् ।

पट्भिर्वैश्यं सप्तभिस्तु शूद्रं सङ्घमपृथि ॥ ३४२ ॥

शत्रुष्वेतानि युञ्जीत न मित्रेषु कदाचन ।

बाहुयुद्ध के ८ प्रकारों को मित्रों के लिये प्रयोग का निषेध—उक्त बाहु-युद्ध के प्रहारों में से ४ से क्षत्रिय को, ५ से क्षत्रियों में अधम को, ६ से वैश्य को ७ से शूद्र को, ८ से संकीर्ण जाति वालों को मारे । उक्त ८ प्रकार के प्रहारों का प्रयोग शत्रुओं के लिये करे मित्रों के लिये कभी न करे ।

नालाखाणि पुरस्कृत्य लघूनि च महानि च ॥ ३४३ ॥

नत्पृष्ठगांश्च पादातान् गजाश्वान् पार्श्वयोः स्थितान् ।

कृत्वा युद्धं प्रारभेत भिन्नाप्रात्यङ्गलारिणा ॥ ३४४ ॥

युद्ध के समय सेना की रचना—छोटे बड़े नालाखों (तोप-बन्दूकों) को सेना के आगे रखकर तथा पैदल सेना को पीछे और घोड़ों तथा हाथियों की सेना को दोनों बगलों में रख कर जिसके मन्त्रियों तथा सेनाओं के बीच में फूट करा दिया गया हो ऐसे शत्रु के साथ राजा को युद्ध प्रारम्भ करना चाहिये ।

साम्मुख्येन प्रपातेन पार्श्वीभ्यामपयानतः ।

युद्धानुकूलभूमेस्तु यावज्जाभस्तथाविधम ॥ ३४५ ॥

सेन्यार्घाशेन प्रथमं सेनपैर्युद्धमीरितम्

युद्ध के अनुकूल जैसी भूमि जहाँ पर मिले वहाँ पर उसके अनुसार कभी सामने में और कभी अगल-बगल से हमला करके या कभी हट करके सर्वप्रथम सेना के आधे भग के साथ सेनापतियों का सेनापतियों के साथ सेना के अर्द्धांश को लेकर युद्ध करना कहा है ।

अमात्यगोपितैः पश्चादमात्यै सह तद्भवेत् ॥ ३४६ ॥

नृपसङ्गोपितैः पश्चात् स्वतः प्राणात्यये च तत् ।

युद्ध होने का क्रम—उसके पश्चात् मंत्रियों के अधीन रहनेवाली सेनाओं का शत्रु के मंत्रियों के साथ युद्ध होना तत्पश्चात् राजा के अधीन में रहनेवाली सेना के साथ युद्ध होना और अन्त में प्राणसङ्कट होने पर स्वयं राजा का युद्ध में प्रवृत्त होना उचित कहा गया है ।

दीर्घाध्वनि परिश्रान्त क्षुत्पिपासाहितमम् ॥ ३४७ ॥

व्याधिदुभिक्षकरकैः पीडितं दस्युभिर्दुतम् ।

पङ्कपांसुजलस्कन्तं व्यस्तं श्वासातुरं तथा । ३४८ ॥

प्रसुप्तं भोजने व्यग्रमभूयिष्ठमसंस्थितम् ।

घोराग्निभयविग्रस्तं वृष्टिवातसमाहृतम् ॥ ३४९ ॥

एवमादिषु जातेषु व्यसनैश्च समाकुलम् ।

स्वसैन्यं साधु रक्षेत् परसैन्यं विनाशयेत् ॥ ३५० ॥

सेना के उपद्रुत होने पर लड़ने का निर्देश—घट्टत दूर से चलकर आने से थकी हुई, भूख-प्यास के मारे परेशान हुई, रोग, दुर्भिक्ष तथा वर्षा के ओलों की मार से पीड़ित, डाकुओं से लूटी-मारी गई, कीचड़, धूल तथा जल से लथपथ हुई, ब्याकुल तथा हांफती हुई, सोई हुई, भोजन करने में व्यग्र, स्वल्प संख्यावाली (सेना की छोटी टुकड़ी), दुर्गतिग्रस्त. भयंकर भाग की लपटों से डरी हुई, वर्षा तथा आंधी से घबड़ाई हुई, इत्यादि दुर्घटनाओं के वक्ष होने से अत्यन्त ब्याकुल हुई अपनी सेना की तो भलीभाँति से रक्षा करे किन्तु यदि शत्रु की ऐसी सेना हो तो उसे नष्ट कर दे ।

बलस्य व्यसनानीह यान्युक्तानि मनीषिभिः ।

मुख्यो भेदो हि तेषां तु पापिष्ठो विदुषां मतः ॥ ३५१ ॥

सेना में फूट डालने में पाप का निर्देश—इस शास्त्र में विद्वानों ने जितने सेना के विषय में दुःखदायक उपायों को कहा है, उनमें भेद (परस्पर फूट डालना) को ही मुख्य एवं अत्यन्त पापपूर्ण सबों ने माना है ।

मिन्ना हि सेना नृपतेर्दुःमन्देहा भवत्युत् ।

मौला हि पुरुषव्याघ्र ! किमु नानासमुत्थिता ॥ ३५२ ॥

फूट जानेवाली सेना के दुःखदायिनी होने का निर्देश—हे पुरुष-श्रेष्ठ ! नाना प्रकार के नवीन सैनिकों से भरी हुई भी सेना जब फूट पड़ जाने से इस संसार में राजा के लिये दुःखदायिनी हो जाती है तब भला पुरानी खास सेना में फूट पड़ने पर क्या कहना है, वह तो अत्यन्त दुःखदायिनी हो जाती है ।

उपायान् षड्गुणं मन्त्रं शत्रोः स्वस्यापि चिन्तयेत् ।

धर्मयुद्धैः कूटयुद्धैर्हन्यादेव रिपुं सदा ॥ ३५३ ॥

सामादि का ध्यान रखते हुये युद्ध करने का निर्देश—राजा सदा शत्रु के साथ अपने द्वारा कृत सामादि उपायों की एवं सन्ध्यादि षड्गुणों तथा मन्त्रणा का ध्यान रखता हुआ धर्मयुद्ध या कूटयुद्ध के द्वारा जीने भी हो शत्रु का विनाश करे ।

याने सपादभृत्या तु स्वभृत्यान् वर्धयन्नृपः ।

स्वदेहं गोपयेद् युद्धे चर्मणा कवचेन च ॥ ३५४ ॥

शत्रु पर चढ़ाई करते समय सेना की तनख्वाह बढ़ाने का निर्देश—शत्रु के ऊपर चढ़ाई करने के समय अपने नौकरों या सैनिकों की तनख्वाह में सवाची

वृद्धि करके उन्हें सुश्रुत करता हुआ युद्ध में ढाल तथा कवच से अपने शरीर की रक्षा करता रहे ।

पाययित्वा मद्ं सम्यक् सैनिकाञ्छौर्यवर्धनम् ।

उत्तेजितांश्च निद्वैधान् मन्त्रान् युद्धे नियोजयेत् ॥ ३५५ ॥

और अपने सैनिकों को श्रुता बढ़ानेवाले मद् (शराव) को अच्छी तरह से पिलाकर उत्तेजित करने के बाद मरने का मन्देश नहीं करनेवाले उन वीरों को युद्ध में नियुक्त करे ।

नालिकास्त्रेण खड्गसैः सैनिकै पातयेदरीन् ।

कुन्तेन सादी बाणेन रथगो गजगोऽपि च ॥ ३५६ ॥

युद्ध में नालिका (बन्दूक-नोप) आदियों की योजना—पैदल सैनिक बन्दूक या खड्ग आदि से, घुड़सवार भाले से, रथ और हाथी पर सवार हुये सैनिक बाण से शत्रुओं पर प्रहार करें ।

गजो गजेन घातव्यस्तुरगेण तुरङ्गमः ।

रथेन च रथो योज्यः पत्तिना पत्तिरेव च ॥ ३५७ ॥

एकेनैकश्च शस्त्रेण शस्त्रमस्त्रेण वाऽस्त्रकम् ।

हाथी पर सवार सैनिक-हाथीवालों से, घुड़सवार-घुड़सवारों से, रथ पर चढ़े हुये रथवालों से एवं पैदल सैनिक-पैदल सैनिकों से युद्ध करें और अकेला-अकेले से, शस्त्रवाला-शस्त्रवालों से एवं अस्त्रवाला सैनिक अस्त्रवालों से लड़े ।

न च हन्यात् स्थस्त्रारूढ न स्त्रीबं न कृताञ्जलिम् ॥ ३५८ ॥

न मुक्तकेशमासीनं न तवास्मीतिवादिनम् ।

न सुप्तं न विसन्नाह न नग्न न निरायुधम् ॥ ३५९ ॥

न युध्यमानं पश्यन्त युध्यमानं परेण च ।

पिबन्तं न च भुञ्जानमन्यकार्याकुलं न च ॥ ३६० ॥

न भीतं न परावृत्तं सतां धर्ममनुस्मरन् ।

युद्ध में प्रहार करने के अयोग्य सैनिकों के लक्षण—मउजन पुरुषों के युद्धधर्म का ध्यान रखनेवाला सैनिक अपने से नीचे किसी जगह खड़े हुये को, एवं गर्पुलक, हाथ जोड़े हुये, शिर के बाल बिखरे हुये, घैटे हुये 'मैं सुरहारे अधीन हूँ' ऐसा कहते हुये, सोये हुये, लड़ाई के योग्य वेप नहीं धारण किये हुये, नग्न, शस्त्ररहित, नहीं लड़ते हुये, दूररे के साथ होते हुये युद्ध को देखते हुये, जलपानादि करते हुये, भोजन करते हुये, युद्ध के अतिरिक्त अन्य कार्यों में व्यस्त हुये, डरे हुये एवं युद्ध से विमुख हुये, ऐसे सैनिकों के ऊपर प्रहार नहीं करे ।

वृद्धो बालो न हन्तव्यो नैव स्त्री केवलो नृपः ॥ ३६१ ॥

यथायोग्यं हि संयोज्य निघ्नन् धर्मो न हीयते ।

वृद्ध-बालकादि राजा को मारने का निषेध—जो वृद्ध, बालक स्त्री या केवल अकेला यथा हुआ राजा हो इन सबों को नहीं मारना चाहिये बल्कि उनके साथ यथायोग्य व्यवहार करके बड़ों केवल अपने अधीन करता हुआ राजा धर्म से द्युत नहीं कहा जाता है ।

धर्मयुद्धे तु कूटे वै न सन्ति नियमा अमी ॥ ३६२ ॥

न युद्धं कूटसदृशं नाशनं बलवद्विपोः ।

बलवान् शत्रु के नाशार्थं कूटयुद्ध की महत्ता—ये सब नियम केवल धर्म-युद्ध के लिये कहे हुये हैं, कूटयुद्ध के लिये नहीं । बलवान् शत्रु को नष्ट करने के लिये कूटयुद्ध के समान कोई दूसरा युद्ध नहीं है ।

रामकृष्णेन्द्रादिदेवैः कूटमेवादृतं पुरा ॥ ३६३ ॥

कूटेन निहतो बालिर्यवनो नमुचिस्तथा ।

क्योंकि प्राचीनकाल में राम, कृष्ण तथा इन्द्रादि देवताओं ने भी बलवान् असुरों के साथ लड़ने में कूटयुद्ध का ही आश्रय लिया था, और कूटयुद्ध के द्वारा ही उन सबों ने क्रम से बालि, कालयवन तथा नमुचि दैत्य का संहार किया था ।

प्रफुल्लयदनेनैव तथा कोमलया गिरा ॥ ३६४ ॥

अङ्गीकृतापराधेन सेवादाननतिस्तवैः ।

उपकारैः स्वाशयेन दिव्यैर्विश्वामयेत् परम् ॥ ३६५ ॥

क्षुरधारेण मनसा रिपोश्छिद्रं सुलक्षयेत् ।

शत्रु के छिद्र को भली प्रकार देखने का निर्देश—प्रफुल्लय दान होकर, कोमल पाणी से, अपराध को स्वीकार करने से, सेवा से, दान से, नमस्कार करने से, गुणों की प्रशंसा करने से, उपकार करने से, अच्छा भाव-प्रदर्शन करने से एवं दिव्य शपथ खाकर ऊपर से शत्रु का विश्वास अपने ऊपर जमावे किन्तु मन में छुरे के समान धार रखकर (नाश का उपाय करता हुआ) शत्रु के छिद्र (नाश करने का अवसर) को ढूँढना रहे । अर्थात् जब अवसर मिले तब मार गिरावे ।

अवमानं पुरस्कृत्य मानं कृत्वा तु पृष्ठनः ॥ ३६६ ॥

स्वकार्यं साधयेत् प्राज्ञः कार्यध्वंसो हि मूर्खता ।

कार्य को नष्ट न करने का निर्देश—बुद्धिमान मनुष्य अपमान को भागे रखकर और सम्मान को पीछे रखकर (मानापमान का खयाल न करके जिस भाँति से हो सके) अपने कार्य को सिद्ध करे । क्योंकि कार्य को नष्ट करना ही मूर्खता है ।

मञ्जासीनः शतानीकः सेनाकार्यं विचिन्तयन् ॥ ३६७ ॥

सदैव व्यूहसङ्केतवाद्यशब्दान्तवर्तिनः ।

सञ्चरैयुः सैनिकाश्च राजराष्ट्रहितैषिणः ॥ ३६८ ॥

भेदितां शत्रुणा दृष्ट्वा स्वसेनां घातयेच्च ताम् ।

सेनापति के नित्य-कृत्यों का निर्देश—जो सैकड़ों सेना का स्वामी हो वह राजा किसी उच्च आसन पर बैठ कर अपनी सेना के कार्यों को सोचता रहे । और सदैव व्यूह के संकेतानुसार घाजों के बजने के भन्दर रहकर कार्य करते हुये, राजा तथा राष्ट्र के हित चाहनेवाले सैनिक युद्ध में इधर-वधर संचार करते रहें । तथा राजा शत्रु के द्वारा यदि अपनी सेना को फुटी हुई (खिलाफ) समझे तो उसे नष्ट कर दे ।

प्रत्यग्रे कर्मणि कृते योर्धैर्दद्याद्धनं च तान् ॥ ३६९ ॥

पारितोष्यं चाधिकारं क्रमतोऽर्हं नृपः सदा ।

भारी कार्य करनेवाले को पारितोषिक देने का निर्देश—और राजा सैनिकों द्वारा कोई नवीन उत्तम पराक्रम कार्य किये जाने पर उनको योग्य पारितोषिक रूप में धन-प्रदान तथा अधिकार की वृद्धि सदा कर देवे ।

जलान्नवृणसरोधे शत्रून् संपीडय यत्नतः ॥ ३७० ॥

पुरस्ताद्विषमे देशे पश्चाद्धन्यास्तु वेगवान् ।

शत्रु को नष्ट करने का उपाय—प्रथम जल, अन्न तथा लृण आदि को शत्रु-सेना के पास जाने से रोक कर यत्नपूर्वक पीड़ा पहुँचावे तत्पश्चात् विषम (संकटपूर्ण) स्थान में प्राप्त हुये शत्रु के ऊपर बड़े वेग से हमला करके उसे मार डाले ।

कूटस्वर्णमहादानैर्भेदयित्वा द्विपट्टलम् ॥ ३७१ ॥

नित्यविस्रंभसंसुत्रं प्रजागरकृतश्रमम् ।

विलोभ्यापि परानीकमप्रमत्तो विनाशयेत् ॥ ३७२ ॥

शत्रु की सेना में भेद करने का प्रकार—शत्रु की सेना को बनावटी सोने की राशि देकर फोड़ लेने (मिला लेने) के बाद अथवा शत्रु की सेना को नित्य शत्रु के द्वारा भय की शब्दा न मानकर बेचबुर सोई हुई अथवा उयादा जागते रहने से बलान्त हुई देखकर स्वयं बड़ी सावधानी के साथ उसका विनाश कर देवे ।

तदसहायबलं नैव व्यसनात्तमपि क्वचित् ।

विपत्ति में पड़ी हुई शत्रु की मित्र-सेना की रक्षा करने का निर्देश—और शत्रु की सहायता करने के लिये भाई हुई किसी मित्र-सेना को कहीं

व्यसन में पड़ी हुई देखकर भी नष्ट न करे, बल्कि उसकी रक्षा करके अपनी ओर मिला ले ।

स्वसमीपतरं राज्यं नान्यस्माद् प्राहयेत् क्वचित् ॥ ३७३ ॥

राज्य के समीपवर्ती राज्य की रक्षा करने का निर्देश—और अपने आसन्न समीपवर्ती राज्य को किसी दूसरे के द्वारा हड़प न करने दे, बल्कि उसकी रक्षा करके अपनी ओर मिला रहने दे ।

क्षणं युद्धाय सज्जेत क्षणं चापसरेत् पुनः ।

अकस्मान्निपतेद् दूराद्दृश्युवत् परितः सदा ॥ ३७४ ॥

क्षणभर में अचानक युद्ध के लिये उद्यत हो जाय फिर क्षणभर में युद्ध से विरत हो जाय और पुनः दूर से एकाएक ढाकुओं की भाँति आकर चारों तरफ से धावा बोल दे ।

रूप्यं हेम च कुप्यं च यो यज्जयति तस्य तन् ।

दद्यात् कार्यानुरूपं च हृष्टो यो धान् प्रहर्षयन् ॥ ३७५ ॥

और यदि कोई सैनिक कमी चाँदी, सोना और इनके अतिरिक्त ताँबा आदि जो भी जीत कर लावे तो अन्य सैनिकों को प्रसन्न करता हुआ प्रसन्न चित्त से कार्यानुरूप उसी (सैनिक) को उक्त धन को देवे ।

विजित्य च रिपूनेवं समादद्यात् करं तथा ।

राज्यांशं वा सर्वराज्यं मन्दयीत ततः प्रजाः ॥ ३७६ ॥

शत्रु को जीतने पर शत्रु की प्रजा को प्रसन्न रखने का निर्देश—इस प्रकार से राजा शत्रु को जीत कर योग्यतानुसार उससे कर (मालगुजारी) प्रहण करे । और कभी २ योग्यतानुसार शत्रु के राज्य का आधा अंश या संपूर्ण राज्य का ही अपहरण कर ले फिर शत्रु की प्रजा को हर प्रकार से प्रसन्न रखे ।

तूर्यमङ्गलघोषेण स्वकीयं पुरमाविशेत् ।

तत्प्रजाः पुत्रवत् सर्वाः पालयीतात्मसात्कृताः ॥ ३७७ ॥

नियोजयेन्मन्त्रिगणमपरे मन्त्रचिन्तने ।

विजित राज्य के मन्त्रिमण्डल को बदलने का निर्देश—उसके बाद तुरही आदि बाजों के मङ्गलमय घोष (शब्द) के साथ अपनी राजधानी में विजय से लौट कर पुनः प्रवेश करे । और अपने अधीन बना ली गई शत्रु की सारी प्रजा को पुत्र की भाँति पालन करे । और वहाँ पर (जीते हुये राज्य में) मन्त्रचिन्तन (सलाह देने) के लिये प्राचीन मन्त्रिमण्डल को हटाकर नया मन्त्रिमण्डल की नियुक्ति कर देवे ।

देशे काले च पात्रे च ह्यादिमध्यावसानतः ॥ ३७८ ॥

भवेन्मन्त्रफलं कीदृगुपायेन कथं त्विति ।

मन्त्र्याद्यधिकृतः कार्यं युवराजाय बोधयेत् ॥ ३५६ ॥

मन्त्री आदियों के कृत्यों का निर्देश—देश, काल तथा पात्र में एवं आदि, मन्त्र तथा भक्त में, किस उपाय से मन्त्र का कैसा फल होगा, इन सबों के विचार करने के लिये नियुक्त मन्त्री आदि अधिकारी पुरुष किसी कार्य को प्रथम युवराज के समक्ष ले जाकर उपस्थित करें ।

पश्चाद्वाज्ञे तु तैः साकं युवराजो निवेदयेत् ।

राजा सशासयेदादौ युवराजं तत्तरतु सः ॥ ३६० ॥

युवराजो मन्त्रिगणान् राजाग्रे तेऽधिकारिणः ।

सदस्तु कर्म राजानं बोधयेद्वि पुरोहितः ॥ ३६१ ॥

तत्पश्चात् उन सबों को साथ में लेकर युवराज उसी कार्य के विषय में राजा से निवेदन करे । और राजा उस पर प्रथम युवराज के पास अपना आदेश लिखकर भेजे, उसके बाद युवराज मन्त्रिगणों को उक्त राजा का आदेश बतावें । और उक्त सभी अधिकारी वर्ग जो कुछ भला या बुरा कार्य हो उसको राजा के आगे उपस्थित होकर समझावें एवं पुरोहित भी इसी भाँति राजा को समझावे ।

ग्रामाद्बहिः समीपे तु सैनिकान् धारयेत् सदा ।

ग्राम्यसैनिकयोर्न स्यादुत्तमर्णाधमर्णता ॥ ३६२ ॥

ग्राम से बाहर समीप में सैनिकों के ठिकाने का तथा उनके निषिद्ध कार्यों का निर्देश—ग्राम (घन्टी) के बाहर किन्तु समीप में ही राजा सदा सैनिकों को रखे । किन्तु ग्रामीण तथा सैनिकों का परस्पर लेन-देन का व्यवहार नहीं होना चाहिये ।

सैनिकार्थं तु पण्यानि सैन्ये सन्धारयेत् पृथक् ।

नैकत्र वासयेत् सैन्यं वत्सरं तु कदाचन ॥ ३६३ ॥

सैनिकों के लिये सेना की छावनी के शन्दर सामान खरीदने के लिये पृथक् दूकान लगवानी चाहिये । और एक ही स्थान पर सालभर तक कभी भी किसी सेना को नहीं रहने देना चाहिये ।

सेनासहस्रं सज्जं स्यात् क्षणात् संशासयेत्तथा ।

संशासयेत् स्वनियमान् सैनिकानष्टने दिने ॥ ३६४ ॥

१००० सैनिकों को शिष्टा देने के नियमों का निर्देश—१००० एक हजार सैनिकों वाली भी सेना को इस भाँति से शिष्टा देनी चाहिये कि जिससे आदेश पाने पर वह एक क्षण में ही युद्ध के लिये अपने को सुमज्जित कर लें । अर्थात् इतनी सेना हर वक्त तैयार खड़ी रहे । और हर आठवें दिन (सप्ताह) आने

पर अथवा दिन के आठवें भाग में (रात को ४ बजे के लगभग) सैनिकों को उनके लिये निश्चित नियमों की शिक्षा देनी चाहिये ।

चण्डत्वमावतायित्वं राजकार्ये बिलम्बनम् ।

अनिष्टोपेक्षणं राक्षः स्वधर्मपरिवर्जनम् ॥ ३८५ ॥

त्यजन्तु सैनिका नित्यं संज्ञापमपि वाऽपरैः ।

नृपाज्ञया विना मामं न विशेष्युः कदाचन ॥ ३८६ ॥

सैनिकों के लिये व्याज्य कर्म—जैसे आर्यन्त कोप करना, आततायीपन का कार्य करना, राज-कार्य करने में देरी करना, राजा के अनिष्ट होने की उपेक्षा करना, अपने धर्म का त्याग करना, और दूसरों के साथ यातचीत करना, इन सबों को सैनिक नित्य ही छोड़ दिया करें । और विना राजा की आज्ञा के कभी भी किसी काम के अन्दर प्रवेश न करें ।

स्वाधिकारिगणस्यापि ह्यपराधं दिशन्तु नः ।

मित्रभावेन वर्तध्वं स्वामिदृष्ट्ये सदाऽखिलैः ॥ ३८७ ॥

सैनिकों के लिये कर्त्तव्य कर्म—और अपने २ अधिकारी गणों द्वारा किये गये अपराधों को मुझ (राजा) से कहें । स्वामी (राजा) के किसी कार्य के उपस्थित होने पर उसे सब लोग मित्र भाव से परस्पर मिलकर सदा किया करें ।

सूञ्ज्वलानि च रक्षन्तु शस्त्रास्त्रवसनानि च ।

अन्नं जलं प्रस्थमात्रं पात्रं बह्वन्नसाधकम् ॥ ३८८ ॥

और अपने २ शस्त्र, अस्त्र तथा पात्रों को खूब साफ रखें, एवं अपने पास अस्त्र तथा जल एक-एक प्रस्थ (सेर २) भर और अन्न पकाने का पात्र बड़ा रखें, जिसमें प्रस्थ भर से अधिक अन्न पकाया जा सके ।

शासनादन्यथाचारान् विनेष्यामि यमालयम् ।

भेदायिता रिपुघनं गृहीत्वा दर्शयन्तु माम् ॥ ३८९ ॥

आज्ञा के विरुद्ध आचरण करने पर दण्ड देने का निर्देश—मेरी इन आज्ञाओं के विरुद्ध आचरण करनेवालों को मैं यमपुरी पहुँचा दूंगा (मार दालूंगा) । और जो शत्रु से धन लेकर मुझसे कूट कर उससे मिल गये हों, उन सैनिकों को एकड़ लाकर मुझे दिखावें, मैं उन्हें मृत्यु दण्ड दूंगा ।

सैनिकैरभ्यसेन्नित्यं व्यूहाद्यनुकृतिं नृपः ।

तथाऽयनेऽयने लक्ष्यमस्त्रपातैर्विभेदयेत् ॥ ३९० ॥

सैनिकों के साथ प्रतिदिन व्यूहों का अभ्यास करने का निर्देश—राजा प्रतिदिन सैनिकों द्वारा व्यूह-रचना करने का अभ्यास करावे, तथा प्रत्येक

अथनपर (१-६ महीने पर) अथवा प्रत्येक मार्ग से वाणादि अस्त्र प्रहार द्वारा लक्ष्य का भेदन (चोद मारी) करावें ।

सायं प्रातः सैनिकानां कुर्यात् सङ्गणनं नृपः ।

जात्याकृतिवयोदेशग्रामवासान् विमृश्य च ॥ ३६१ ॥

प्रातः-सायं सैनिकों की गणना करने का निर्देश—राजा प्रतिदिन सायं-प्रातः सैनिकों की गणना भली भौति करे, जिसमें साथ २ प्रत्येक सैनिकों की जाति, आकार, अवस्था, देश तथा ग्राम में निवास का पूर्ण विचार भी हो ।

कालं भृत्यवधिं देयं दत्तं भृत्यस्य लेखयेत् ।

और नौकरी की सीमा रूप काल (नौकरी कब प्रारम्भ की), देय (मासिक या वार्षिक वेतन पाने का प्रमाण), दत्त (दिया हुआ वेतन का प्रमाण) इन सबों को विचार कर लिख ले ।

कति दत्तं हि भृत्येभ्यो वेतनं पारितोषिकम् ॥ ३९२ ॥

तत्प्राप्तिपत्रं गृह्णीयाद् दद्याद् वेतनपत्रकम् ।

भृत्यों के प्राप्ति-पत्र को ग्रहण कर वेतन-पत्र देने का निर्देश—और नौकरों के लिये कितनी तनखाह या इनाम दिया गया है, इसको पाने के लिये लिखे हुये आत्रापत्र को लेकर उसको वेतन या पारितोषिक चुकताकर देने की रसीद दे दें ।

सैनिकाः शिक्षिता ये ये तेषु पूर्णा भृतिः स्मृता ॥ ३९३ ॥

व्यूहाभ्यासे नियुक्ता ये तेष्वर्धा भृतिमावहेत् ।

शिक्षित सैनिकों को पूर्ण वेतन देने का निर्देश—जो २ सैनिक शिक्षित हो चुके हों उनको पूरा वेतन देना चाहिये । और जो अभी व्यूह (कवायद) के अभ्यास करने में लगे हुये (सीख रहे) हैं उनको आधा वेतन देना चाहिये ।

असत्कर्त्राशितं सैन्यं नाशयेच्छत्रुयोगतः ॥ ३९४ ॥

शत्रु से मिलकर सेना को नष्ट करने का निर्देश—शत्रु से मिलकर जो सेना बुराई कर रही है, उसे नष्ट कर दे ।

नृपस्यासद्गुणरताः के गुणद्वेषिणो नराः ।

असद्गुणोदासीनाः के हन्यात्तान् विमृशन् नृपः ॥ ३९५ ॥

सुत्यासक्तान्स्वजेद् भृत्यान् गुणिनोपि नृपः सदा ।

मार डालने या स्थाय्य नौकरों के लक्षण—नौकरों में कौन राजा के असद्गुणों में प्रवृत्ति रखने वाले हैं और कौन उनके सद्गुणों से द्वेष रखनेवाले हैं एवं कौन राजा के असद्गुणों में प्रवृत्ति रखने पर अपेक्षा रखते हैं, इन सबों

का भली प्रकार से विचार करके उन सर्वों को राजा मार डाले । और राजा मदा सुख भोगने में आसक्त रहनेवाले ऐसे गुणवान नौकरों को भी निकाल दें (न रखे)

सुस्वान्तलोकविश्वस्ता योज्यास्त्वन्तःपुरादिषु ॥ ३९६ ॥

धार्थाः सुस्वान्तविश्वस्ता घनादिष्वयकर्मणि ।

अन्तःपुरादिक में रखने योग्य भृत्य के लक्षण—अच्छे अन्तःकरणवाले एवं लोक में विश्वास करने योग्य पुरुषों को रनिवास (महल) आदि में एवं ऐसे ही लोगों को घनादि के व्यय-कार्य (राजाजी के कार्य) में नौकर रखें ।

तथा हि लोकविश्वस्तो बाह्यकृत्ये नियुज्यते ॥ ३९७ ॥

अन्यथा योजितास्ते तु परिवादाय केवलम् ।

और लोक में विश्वास के पात्र जो हों उन्हें ही राजकार्य में नियुक्त करें । इससे अन्यथा (अविश्वासी) पुरुष नियुक्त किये जाने पर वे केवल निन्दा करानेवाले होते हैं । (उनसे कार्य नहीं हो पाता है) ।

शत्रुसम्बन्धिनो ये ये भिन्ना मन्त्रिगणादयः ॥ ३९८ ॥

नृपदुर्गुणतो नित्यं हतमाना गुणाधिकाः ।

स्वकार्यसाधका ये तु सुभृत्या पोषयेद्य तान् ॥ ३९९ ॥

अच्छी बेटन देकर पालने योग्य भृत्यों के लक्षण—शत्रुसंबन्धी जो जो मन्त्रिगण आदि फोड़ लिये गये हों या शत्रु राजा के दुर्गुणों से अधिक गुणवान होते हुये भी तिनके संमान छीन लिये गये हों किन्तु अपने कार्य को सिद्ध करनेवाले हों तो ऐसे लोगों को अच्छी बेटन देकर राजा को पालन-पोषण करना चाहिये ।

लोभेनासेवनाद्भिन्नास्तेष्वर्धा भृतिमावहेत् ।

शत्रुत्यक्तान् सुगुणिनः सुभृत्या पालयेन्नृपः ॥ ४०० ॥

शत्रु के भृत्यों के बेटन का विचार—जो लोभ के वशीभूत होकर सेवा-कार्य को उपेक्षा भाव से करते हैं ऐसे शत्रु के फोड़ लिये गये भृत्यों को बेटन आधा दे । और शत्रु से निकाले गये सुन्दर गुणवान पुरुषों को अच्छा बेटन देकर राजा पालन करें ।

परराष्ट्रे हृते दद्याद् भृतिं भिन्नावधि तथा ।

दद्यादर्धा तस्य पुत्रे स्त्रियै पादमितां किल ॥ ४०१ ॥

राज्य-च्युत किये राजा के पुत्रादि की व्यवस्था का निर्देश—यदि किसी राजा का राज्य छीन ले तो उसे बिना किसी काळ की सीमा निश्चित किये ही जागीर आदि जीविकार्थ दे दें । और उसके पुत्र के लिये आधा तथा स्त्री के लिये राजा का चतुर्धांश वृत्ति निश्चित कर दें ।

हृतराज्यस्य पुत्रादौ सद्गुणे पादसंमितम् ।

दद्याद्वा तद्राज्यतस्तु द्वात्रिंशं प्रकल्पयेत् ॥ ४०२ ॥

अथवा यदि पराजित राजा का पुत्रादि सद्गुण-संपन्न हों तो हृतराज्य का चतुर्थांश वृत्ति में देना उचित है किन्तु यदि पुत्र निर्गुण हो तो ३२ वां भाग हृतराज्य से निकाल कर दे ।

हृतराज्यस्य निश्चितं कोशं भोगार्थमाहरेत् ।

घ्नानकर ले लिये गये राज्य के खजाने को अपने भोग के लिये ले लेवे ।

कौसीद् वा तद्धनस्य पूर्वोक्तार्थं प्रकल्पयेत् ॥ ४०३ ॥

तद्धनं द्विगुणं यावन्न तदूर्ध्वं कदाचन ।

शत्रु-संचित धन की व्यवस्था का निर्देश—अथवा खजाने के आधे धन का सूद तबतक देता रहे विजित राजा को, जब तक लिये हुये धन से द्विगुण न हो जाय, उसके बाद कभी नहीं दे ।

स्वमहत्त्वद्योतनार्थं हृतराज्यान् प्रधारयेत् ॥ ४०४ ॥

प्राङ्मानैर्यदि सद्गुणान् दुर्बृत्तान् प्रपीडयेत् ।

सदाचारी शत्रु का पालन और असदाचारी को कष्ट पहुँचाने का निर्देश—अपनी महत्ता दिखाने के लिये विजित राजा यदि अच्छा व्यवहार करता हो तो प्रथम उसके साथ संमान-पूर्ण व्यवहार करे किन्तु जब वह बुरा व्यवहार करने लगे तो उसको हर तरह से कष्ट पहुँचावे ।

अष्टधा दशधा वापि कुर्याद् द्वादशधापि वा ॥ ४०५ ॥

यामिकार्थमहोरात्रं यामिकान् वीक्ष्य नान्यथा ।

पहरेदारों की व्यवस्था—पहरेदारों की संख्या देखकर तदनुसार उनके लिये अहोरात्र (१ दिन रात) के ८, १० या १२ भाग करके उस पर उनकी नियुक्ति करे, इससे अन्यथा न करे ।

आदौ प्रकल्पितानंशान् भजेयुर्यामिकास्तथा ॥ ४०६ ॥

आद्यः पुनस्त्वन्तिमांशं स्वपूर्वांशं ततोऽपरे ।

पहरेदार लोग प्रारम्भ में नियत किये हुये समय-विभाग के अनुसार अपने २ भाग पर पहरा दें । और इस भांति से दें कि पहले भाग पर जो पहरा दें वे ही अन्तिम भाग पर भी दें और अपने पूर्व अंश को अन्य पूर्ण करें । अर्थात् इस तरह से पहरे का क्रम हो कि किसी को बलेश न हो ।

पुनर्वा योजयेत्तद्वदाद्येऽन्त्यं चान्तिमे ततः ॥ ४०७ ॥

स्वपूर्वांशं द्वितीयेऽहि द्वितीयादिक्रमागतम् ।

इसी प्रकार से प्रथम तथा अन्त के भाग का निश्चय करके पहरे का क्रम

वदल देवे । दूसरे दिन वह अपने पूर्वभाग पर पहरा देवे और जो अन्तिम भाग पर पहरा देता था और जो पूर्वभाग पर पहरेदार था वह अन्तिम भाग पर पहरा देने लगे ।

चतुर्भ्यस्त्वधिकान् नित्यं यामिकान् योजयेद्दिने ॥ ४०८ ॥

युगपद्योजयेद् दृष्ट्वा बहून् वा कार्यगौरवम् ।

एक दिन में ४ से अधिक पहरेदारों को एक स्थान पर नियुक्त करना चाहिये, कार्य की गुरुता देखकर एक स्थान पर ४ से अधिक भी पहरेदारों को एक साथ नियुक्त किया जा सकता है ।

चतुरूनान् यामिकांस्तु कदा नैव नियोजयेत् ॥ ४०९ ॥

४ से कम पहरेदारों को कहीं भी कभी नहीं नियुक्त करना चाहिये ।

यद्रह्यमुपदेश्यं यदादेश्यं यामिकाय तत् ।

तत्समक्षं हि सर्वं स्याद्यामिकोऽपि च तत्तथा ॥ ४१० ॥

जो कोई वस्तु रक्षा करने की हो या कोई घात किसी को समझानी या कहनी हो तो उसके लिये पहरेदारों को आदेश दे देना चाहिये । क्योंकि सभी कार्य पहरेदारों के समक्ष ही होते हैं अतः वह भी उसके विषय में जानकर वैसा ही करने की निश्चा देगा ।

कीलकोष्ठे तु स्वर्णादि रक्षेत्रियमितावधि ।

स्वांशान्ते दर्शयेदन्ययामिकं तु यथाथंकम् ॥ ४११ ॥

नियमित कालतक सीकड़-ताले लगे हुये कमरे में रखे हुए स्वर्ण आदि की रक्षा पहरेदार करता रहे । अपना पहरा समाप्त होने पर रक्षणीय वस्तु को (ताला बन्द है इत्यादि को) ठीक २ दूसरे पहरेदार को दिखाकर पहरे का भार उसे देदे ।

क्षणे क्षणे यामिकानां कार्यं दूरात् सुबोधनम् ।

क्षण २ पर पहरेदारों का यह कार्य है कि वे दूर से सबों को सावधान रहने का उपदेश दिया करे ।

सत्कृताभियमान् सर्वान् यदा सम्पालयेन्नृपः ॥ ४१२ ॥

तदैव नृपतिः पूष्यो भवेत् सर्वेषु नान्यथा ।

राजा के पूष्य होने के कारणों का निर्देश—राजा जब सुन्दर सभी नियमों का अच्छी तरह पालन करता है । तभी वह राजा सब लोगों में पूजनीय माना जाता है, अन्यथा नहीं ।

यस्यास्ति नियतं कर्म नियतः सद्ग्रहो यदि ॥ ४१३ ॥

नियतोऽसद्ग्रहत्यागो नृपत्वं सोऽश्नुते धिरम् ।

धिरस्थायी राजा के लक्षण—जिस राजा के सभी कार्य नियत रूप से

होते हैं, और अच्छे विषयों के ग्रहण करने में आदर तथा असद्विषयों के ग्रहण करने में अनादर रखना नियत रूप से होता है, वही राजा बहुत दिनों तक राजपद का भोग करता है।

यस्यानियमितं कर्म साधुत्वं वचनं त्वपि ॥ ४१४ ॥

सदैव कुटिलः सख्युः स्वपदाद् द्राग् विनश्यति ।

शीघ्र ही पद्मभ्रष्ट होनेवाले राजा के लक्षण—जिसके सभी कार्य, साधुता तथा वचन अनियमित रहते हैं और जो कुटिल होता है वह अपने मित्रों तथा बन्धुओं एवं राजपद से शीघ्र भ्रष्ट हो जाता है अर्थात् बन्धुओं से विच्छेद एवं राज्यनाश प्राप्त करता है।

नापि व्याघ्रगजाः शक्ता मृगेन्द्रं शासितुं यथा ॥ ४१५ ॥

न तथा मन्त्रिणः सर्वे नृपं स्वच्छन्दगाभिनम् ।

जैसे व्याघ्र तथा गज आदि सिंह के ऊपर शासन करने के लिये समर्थ नहीं होते हैं, वैसे ही सभी मन्त्री आदि अधिकारी वर्ग स्वच्छन्द (मनमानी) व्यवहार करनेवाले राजा के ऊपर शासन करने के लिये समर्थ नहीं होते हैं।

निभृताधिकृतास्तेन निःसारत्वं हि तेष्वतः ॥ ४१६ ॥

गजो निबध्यते नैव तूलभारसहस्रकैः ।

क्योंकि वे मन्त्री आदि उस राजा से सभी तरह से पालित तथा अधिकार-पद पर आरुढ़ किये गये होते हैं अतः राजा के समक्ष वे शासन करने में निःसार (शक्ति रहित) रहते हैं। लोक में भी रुई के भारों से भारी वजन की पुद्गलियों से हाथी बाँधी जाती नहीं देखी जाती है।

उद्धतुं द्राग् गजः शक्तः पङ्कलग्नं गज बली ॥ ४१७ ॥

नीतिभ्रष्टनृपं त्वन्यनृपं चन्द्रणक्षमः ।

नीतिभ्रष्ट राजा को भी अल्प राजा का उद्धार करने में समर्थ होने का निर्देश—जैसे किसी दलदल में फसी हुई हाथी को बलवान हाथी ही शीघ्र निकालने में समर्थ होती है, वैसे ही नीतिमार्ग से विचलित हुये राजा का उद्धार करने (नीति पर लाने) में उसी के समान कोई दूसरा राजा ही समर्थ हो सकता है।

बलवन्नृपभृत्येऽल्पेऽपि श्रीस्तेजो यथा भवेत् ॥ ४१८ ॥

न तथा हीननृपतौ तन्मन्त्रिष्वपि नो तथा ।

तेजोहीन राजा से बलवान् राजा के साधारण भृत्य का भी तेजस्वी होने का निर्देश—बलवान राजा के साधारण भृत्य में भी जैसी श्री (शोभा) तथा तेज होता है वैसे ही तथा तेज न तो हीन (साधारण) राजा में और न उसके मन्त्री आदि में भी होती है।

बहुनामैकमत्यं हि नृपतेर्बलवत्तरन् ॥ ४१६ ॥
बहुसूत्रकृतो रज्जुः सिंहाद्याकर्षणक्षमः ।

राजा से बढ़कर बहुमत की महत्ता का निर्देश—बहुतों का ऐकमत्य निश्चय ही राजा से भी अधिक बलवान होता है अर्थात् उसके आगे राजा टुकड़ा जाता है क्योंकि बहुत लरों की यनी रस्सी सिंहादि को भी खींच लाने में समर्थ होती है ।

हीनराज्यो रिपुभृत्यो न सैन्यं धारयेद् बहु ॥ ४२० ॥
कोशवृद्धिं सदा कुर्यात् स्वपुत्राद्यभिपृद्धये ।

हीन-राज्यं राजा के आचरणों का निर्देश—साधारण राज्यवाला एवं दुष्ट भृत्यवाला सुदृ राजा अपने पास बहुत सेना न रखे, यदि वह सदा अपने पुत्रादि का अभ्युदय होने के निमित्त कोशवृद्धि (खजाने में द्रव्य जमा) करता रहे ।

क्षुधया निद्रया सर्वमशनं शयनं शुभम् ॥ ४२१ ॥
भवेद्यथा तथा कुर्यादन्यथाऽऽशु दरिद्रकृत् ।
दिशाऽनया व्ययं कुर्यान्नृपो नित्यं न चान्यथा ॥ ४२२ ॥
धर्मनीतिविहीना ये दुर्बला अपि वै नृपाः ।
सुधर्ममलयुग्ं राज्ञा दण्ड्यास्ते चौरवत् सदा ॥ ४२३ ॥

राजा के दरिद्र हो जाने के कारणों का निर्देश—जब भूख लगे तब भोजन और जब नींद लगे तब शयन करना ये सब राजा के लिये शुभ फलप्रद होते हैं । अन्यथा भोजन-शयन से शीघ्र दरिद्रता आ जाती है । इस रीति से राजा को व्यय करना चाहिये कि वह शीघ्र दरिद्र न हो जाय, अतः इससे अन्य रीति का आश्रय करना अनुचित है । जो धर्म तथा नीति से विहीन और दुर्बल राजा हैं, उनको धर्म तथा बल से युक्त राजा सदा चोर की भाँति दण्ड दे ।

सर्वधर्मावनाश्रीचनृपोऽपि श्रेष्ठतामियात् ।
उत्तमोऽपि नृपो धर्मनाशान्नीचतामियात् ॥ ४२४ ॥

धार्मिक नीच राजा को भी श्रेष्ठ होने का निर्देश—सम्पूर्ण राज-धर्मों की रक्षा (पालन) करते रहने से नीच (सुदृ) भी राजा श्रेष्ठता को प्राप्त हो जाता है और उत्तम भी राजा राजधर्मों की रक्षा न करने से नीचता को प्राप्त हो जाता है ।

धर्माधर्मप्रवृत्तौ तु नृप एव हि कारणम् ।
स हि श्रेष्ठतमो लोके नृपत्वं यः समाप्नुयात् ॥ ४२५ ॥

धर्म तथा अधर्म की प्रवृत्ति में राजा की ही कारणता का निर्देश—लोगों की धर्म तथा अधर्म में प्रवृत्ति में होने में कारण राजा ही होता है अर्थात् राजा के

धार्मिक होने या न होने से प्रजा भी धार्मिक या अधार्मिक होती है । अतः वही सर्वश्रेष्ठ होता है जो राज-पद को प्राप्त करता है ।

मन्वाद्यैरादृतो योऽर्थस्तदर्थो भार्गवेण वै ।

द्वाविंशतिशतं श्लोका नीतिसारे प्रकीर्तिताः ॥ ४२६ ॥

मनु आदि के मतानुसारी शत्रु की नीति होने का तथा ग्रन्थ-संख्या का निर्देश—राजनीति के जिन विषयों का मन्वादि स्मृतियों ने आदर किया (माना), उन्हीं विषयों को भार्गव (शुकाचार्य) ने नीतिसार में २२०० श्लोकों में कहा है ।

शुक्रोक्तनीतिसारं यश्चिन्तयेदनिशं सदा ।

व्यवहारधुरं बोद्धुं स शक्तो नृपतिर्भवेत् ॥ ४२७ ॥

शुक्रनीति-सार-चिन्तन का फल—जो शुकाचार्य के द्वारा कहे हुये नीति-सार का निरन्तर चिन्तन करता है, वह राजाके योग्य व्यवहार के भार को वहन करने के लिये सदा समर्थ होता है ।

न कवेः सदृशो नीतिरूपे लोकेषु विद्यते ।

काव्यैव नीतिरन्या तु कुनीतिर्व्यवहारिणाम् ॥ ४२८ ॥

नाश्रयन्ति च ये नीति मन्दभाग्यास्तु ते नृपाः ।

शुक्रनीति के समान दूसरी नीति न होने का निर्देश—शुकाचार्य की कही हुई नीति के समान कोई दूसरी नीति कौनो लोकों में नहीं है । वस्तुतः व्यवहार करनेवालों के लिये नीति तो शुक्रनीति ही है । हमसे भिन्न नीति कुनीति है ।

कार्याद्धनलोभाद्वा स्युर्वे नरकभाजनाः ॥ ४२९ ॥

इति शुक्रनीतौ चतुर्थाध्यायस्य सेनानिरूपणं नाम सप्तम प्रकरणम् ।

इति चतुर्थोऽध्यायः समाप्तः ।

जो कायरता तथा धन के लोभ से नीति का आश्रयण नहीं करते हैं वे मन्दभाग्य राजा लोग नरकगामी होते हैं ।

इति शुक्रनीतौ भाषाटीकायां चतुर्थाध्यायस्य सेनानिरूपणं

नाम सप्तमं प्रकरणम् ।

पञ्चमोऽध्यायः ।

नीतिशेषं खिले वक्ष्ये ह्यखिलं शास्त्रसंमतम् ।

सत्ताङ्गानां तु राज्यस्य हितं सर्वजनेषु वै ॥ १ ॥

नीति-शेष कहने का निर्देश—इस परिशिष्ट रूप खिल-नीति-निरूपण में राज्य के सात अंगों के एवं सभी लोगों के लिये हितकर शास्त्र-संमत संक्षिप्त रूप से अवशिष्ट नीति का वर्णन करता हूँ ।

शतसंवत्सरान्तेऽपि करिष्याम्यात्मसाद्रिपुम् ।

इति सञ्चिन्त्य मनसा रिपोरिद्धद्राणि लक्षयेत् ॥ २ ॥

शत्रु के छिद्रों को ढूढते रहने का निर्देश—मैं सौ वर्ष के बाद भी कदाचित् शत्रु को अपने अधीन कर लूँगा, ऐसा सोचकर सावधान मनसे शत्रु के छिद्रों को ढूढता रहे ।

राष्ट्रभृत्यविशङ्की स्याद्धीनमन्त्रबलो रिपुः ।

युक्त्या तथा प्रकुर्वीत सुमन्त्रबलयुक् स्वयम् ॥ ३ ॥

शत्रु राजा को हीन-बल बनाने के लिये यत्न करने का निर्देश—स्वयं सुन्दर मन्त्र (सन्ध्यादि षड्गुण) तथा सेना से युक्त रहकर ऐसी युक्ति करे कि शत्रु अपनी सेनापर सन्देह करने लगे एवं हीन मन्त्र तथा सेना या बलवाला हो जाय ।

सेवया वा वणिग्भृत्या रिपुराष्ट्रं विमृश्य च ।

दत्ताभयं सावधानो व्यसनासक्तचेतसम् ॥ ४ ॥

मार्जारलुब्धवकवत् सन्तिष्ठन्नाशयेदरिम् ।

मौका देख कर शत्रु को नष्ट करने का निर्देश—सावधान होकर राजा (मनोऽनुकूल नाचरण) या वाणिज्य के व्याज से शत्रु के राष्ट्र को भली-भाँति से देख कर विडाल और गोलियों के समान स्थित रहता हुआ पहले निर्भय रहने का विश्वास दिला कर कामादि (राग-रङ्ग) में आसक्त चित्तवाले शत्रु को मौका देख कर नष्ट कर दो ।

सेनां युद्धे नियुञ्जीत प्रत्यनीकविनाशिनीम् ॥ ५ ॥

न युञ्ज्याद्रिपुराष्ट्रस्थां मिथः स्वद्वेषिणीं न च ।

युद्ध में नियुक्त करने योग्य का निर्देश—शत्रु-सेना को नष्ट करनेवाली सेना को युद्ध में नियुक्त करे और जो शत्रु के राज्य में रहनेवाली या एकान्त पाकर अपने साथ द्वेष कर सकनेवाली हो ऐसी को न नियुक्त करे ।

न नाशयेत् स्वसेनां तु सहसा युद्धकामुकः ॥ ६ ॥

युद्ध का शौक रखनेवाला राजा सहसा अपनी सेना को युद्ध में भेजकर नष्ट कर देवे ।

दानमानैर्वियुक्तोऽपि न भृत्यो भूपतिं त्यजेत् ।

समये शत्रुसान्नेयं गच्छेज्जीवघनाशया ॥ ७ ॥

दान-मान से रहित भी भृत्य को अपने राजा को न छोड़ने का निर्देश—भृत्य (सैनिक) भी दान तथा सम्मान न पाने पर भी अपने स्वामी राजा का साथ असमय में न छोड़ देवे । और जीवन-रक्षा तथा घन की आशा से समय आ जाने पर शत्रु के अधीन भी न हो ।

मेघोदकैस्तु या पुष्टिः सा किं नद्यादिवारितः ।

प्रजापुष्टिर्नृपद्रव्यैस्तथा किं धनिनां धनात् ॥ ८ ॥

राजा के द्रव्य को मेघ जल के समान पुष्टिप्रद होने का निर्देश—जैसे मेघ के जल (वर्षा) से जैसी पुष्टि धान्यादि की होती है वैसे भला नदी आदि के जल से सींचने से हो सकती है । कदापि नहीं । वैसे ही राजद्वारा प्राप्त धनों से जैसी पुष्टि प्रजा की हो सकती है वैसी क्या धनियों के दिये हुए धन से कभी हो सकती है । कदापि नहीं ।

दर्शयन् मार्दवं नित्यं महावीर्यबलोऽपि च ।

रिपुराष्ट्रे प्रविश्यादौ तत्कार्ये साधको भवेत् ॥ ९ ॥

शत्रु का राज्य हरण करने का उपाय—वीर्य तथा सेना अधिक रहने पर भी अपनी मृदुता का प्रदर्शन करता हुआ शत्रु के राज्य में घुस कर प्रथम उसके नित्य कार्य को निश्च करनेवाला बने ।

सञ्जातबद्धमूलस्तु तद्राज्यमखिलं हरेत् ।

अथ तद्द्विष्टदायादान् सेनपानंशदानतः ॥ १० ॥

तद्राज्यस्य वशीकुर्यान्मूलमुन्मूलयन् बलात् ।

उसके बाद जब वहाँ पर हर तरह से अपनी जड़ हड़ हो जाय तब संपूर्ण शत्रु के राज्य को ले ले । वह इस तरह से कि शत्रु के साथ द्वेष रखनेवाले उसके भाई-पहीदारों एवं सेनापतियों को उसके राज्य का अंश (कुछ भाग) देने के द्वारा उसके जड़ को बलपूर्वक उखाड़ता हुआ, उन सयों को भी अपने अधीन कर ले ।

तरोः संक्षीणमूलस्य शाखाः शुण्वन्ति वै यथा ॥ ११ ॥

सद्यः केचिच्च कालेन सेनपाद्याः पतिं विना ।

राजा के बिना सेनापति आदि को भी शक्तिहीन होने का निर्देश—जैसे जब कट जाने पर वेड़ की शाखाएँ सूख जाती हैं, वैसे ही राजा के बिना सेना-

पति भादि भी, कोई तत्काल ही और कोई कुछ समय के बाद, शक्तिहीन हो जाते हैं ।

राज्यवृक्षस्य नृपतिर्मूलं स्कन्धाश्च मन्त्रिणः ॥ १२ ॥

शाखाः सेनाधिपाः सेनाः पल्लवाः कुसुमानि च ।

प्रजाः फलानि भूभागा बीजं भूमिः प्रकल्पिता ॥ १३ ॥

राज्य का वृक्ष की समता का निर्देश—राज्यरूपी वृक्ष का मूल—(जड़) राजा होता है, स्कन्ध (मोटी टाँठ)—मन्त्री लोग, शाखायें—सेनापति लोग, पल्लव—सेनायें, फूल—प्रजायें, फल—भूमि से प्राप्त होनेवाले कर (मालगुजारी) एवं बीज—राज्य की भूमि ये सब मानी गई हैं ।

विश्वस्तान्यनृपस्यापि न विश्वासं समाप्नुयात् ।

नैकान्ते न गृहे तस्य गच्छेदल्पसहायवान् ॥ १४ ॥

राजा को अवश्य पालन करने योग्य नियमों का निर्देश—विश्वास के योग्य अपने को व्यवहार द्वारा सिद्ध करनेवाले भी शत्रु राजा का विश्वास नहीं करना चाहिये । अतः उसके साथ एकान्त में अथवा उसके गृह पर थोड़े सहायकों के साथ न जावे ।

स्ववेपरूपसदृशान् निकटे रक्षयेत् सदा ।

विशिष्टचिह्नगुणः स्यात् समयेऽन्यादृशो भवेत् ॥ १५ ॥

अपने निकट सदा अपने समान वेप तथा स्वरूपवाले अन्य लोगों को रक्षते, जिससे कोई न पहचान सके कि कौन इनमें से राजा है ? और स्वयं अपना राजचिह्न गुप्त रखे और समय पर दूसरे के समान बन जाय ।

वेश्याभिश्च नटैर्मर्त्यैर्गायकैर्मोहयेदरिम् ।

और वेश्याओं, नटों, मद्य तथा गायकों द्वारा शत्रु को सुग्ध बना दें (कर्तव्याकर्तव्य ज्ञानशून्य कर दें) ।

सुवस्त्राभरणैर्नैव न कुटुम्बेन संयुतः ॥ १६ ॥

विशिष्टचिह्नितो भीतो युद्धे गच्छेन्न वै क्वचित् ।

किसी भी युद्ध में सुन्दर-वस्त्र तथा आभूषणों से या कुटुम्ब से युक्त होकर या विशिष्ट राजचिह्न धारण किये हुये या दरा हुआ न जाय ।

क्षणं नासावधानः स्याद् सृत्यस्त्रीपुत्रशत्रुषु ॥ १७ ॥

जीवन् सन् स्वामिता पुत्रे न देयाप्याखिलं क्वचित् ।

शत्रु, स्त्री तथा पुत्र के द्विद्वेष में क्षणभर के लिये भी असावधान न रहें । किसी दशा में भी जीवित रहते हुये पुत्र को अपनी सारी प्रभुत्वशक्ति (अद्वितीयार) न प्रदान कर दे ।

स्वभावसद्गुणे यस्मान्महानर्थमदावहा ॥ १८ ॥

विष्णुवाचैरपि नो दत्ता स्वपुत्रे स्वाधिकारता ।

स्वभाव से सद्गुणयुक्त पुत्र में भी पूर्ण अधिकार दे देना महान अनर्थ तथा मद् पैदा कर देनेवाला हो जाता है, इसीसे विष्णु धादि ने भी अपने पुत्रों को अपना पूर्ण अधिकार नहीं दिया था ।

स्वायुषः स्वल्पशेषे तु सत्पुत्रे स्वाम्यमादिशेत् ॥ १९ ॥

नाराजकं क्षणमपि राष्ट्रं धर्तुं क्षमाः किल ।

युवराजादयः स्वाम्यलोभचापलगौरवात् ॥ २० ॥

पुत्र को राज्य देने के समय का निर्देश—यदि अपनी आयु का अन्त अत्यन्त समीप आ गया हो तो उस समय यदि सत्पुत्र हो तो उसे पूर्ण अधिकार प्रदान कर दे, क्योंकि अधिकार-लोभ से होनेवाली चञ्चलता की अधिकता से युवराजादि बिना राजा के राज्य को चण भर भी संभालने के लिये नहीं समर्थ हो सकते हैं ।

प्राप्त्योत्तमं पदं पुत्रः सुनीत्या पालयन् प्रजाः ।

पूर्वामात्येषु पितृवद् गौरवं सम्प्रधारयेत् ॥ २१ ॥

राज्य पाने पर राजपुत्र के आचरणों का निर्देश—पुत्र उत्तम राजपद को प्राप्त कर सुन्दर नीतिपूर्वक प्रजा का पालन करता हुआ, पिता के समय के मन्त्रियों में पिता के दृश्य गौरव रखे ।

तस्यापि शासनं तैस्तु प्रधाय पूर्वतोऽधिकम् ।

युक्तं चेदन्यथा कार्यं निषेध्यं काललम्बनैः ॥ २२ ॥

मन्त्रियों का राजपुत्र के साथ करने योग्य व्यवहार का निर्देश—और वे मन्त्री गण भी यदि राजकुमार की आज्ञा उचित हो तो उसे राजा के समय से भी अधिक रूप से माने, यदि अनुचित हो तो 'दूसरे समय में इसका पालन होगा' ऐसा कहकर उस समय टाल दें ।

तदनीत्या न वर्तयुस्तेन साकं घनाशया ।

वर्तन्ति यदनीत्या ते तेन साकं पतन्त्यरात् ॥ २३ ॥

नवीन राजा के साथ मन्त्रियों को भी अनीतिपूर्ण व्यवहार करने का निषेध—और धन की आज्ञा से उस नवीन राजा के साथ स्वयं भी उसकी अनीति के अनुसार व्यवहार न करे । क्योंकि यदि वे (मन्त्रीगण) भी अनीतिपूर्ण व्यवहार करने लगेंगे तो उन (नवीन राजा) के साथ स्वयं भी नष्ट हो जावेंगे ।

कुञ्जभक्तांश्च यो द्वेष्टि नवीनं भजते जनम् ।

स गच्छेच्छत्रुसाद्राजा धनप्राणैर्वियुज्यते ॥ २४ ॥

नवीन राजा को राजभक्त मन्त्री आदि के मतानुसार न रहने का

दुष्परिणाम—जो नवीन राजा राजकुल के भक्त मन्त्री आदियों के साथ द्वेष करता है और नवीन लोगों के कथनानुसार कार्य करता है वह शत्रु के अधीन हो जाता है और अपने धन तथा प्राणों को भी खो बैठता है ।

गुणी सुनीतिर्नव्योऽपि परिपाल्यस्तु पूर्ववत् ।

प्राचीनैः सह तं कार्यं ह्यनुभूय नियोजयेत् ॥ २५ ॥

नवीन मन्त्री आदि की नियुक्ति की व्यवस्था—और यदि कोई नवीन होता हुआ भी गुणवान तथा सुन्दर नीतिकुशल अधिकारी हो तो उसका पालन प्राचीनों की तरह करना चाहिये । और भली भाँति से अनुभव करने के बाद उसे प्राचीनों के साथ राजकार्य में नियुक्त करना चाहिये ।

अतिमृदुस्तुतिनतिसेवादानप्रियोक्तिभिः ।

मायिकैः सेव्यते यावत् कार्यं नित्यं तु साधुभिः ॥ २६ ॥

प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा सत्यवाग्भिर्नृपोऽपि च ।

याथार्थ्यतस्तयोरीदृगन्तरं सभुवोर्यथा ॥ २७ ॥

धूर्त तथा साधु जन के अन्तर ज्ञात करने का निर्देश—जो धूर्त होते हैं वे जब तक अपना कार्य सिद्ध करना रहता है तभी तक अत्यन्त मृदु व्यवहार, स्तुति (प्रशंसा), नमन, सेवा, दान तथा प्रियवचन आदि से राजा की सेवा करते हैं और जो सज्जन हैं वे सत्यवचनों से प्रत्यक्ष या परोक्ष में सदा राजा की सेवा करते हैं यथार्थ में उन दोनों (धूर्त तथा सज्जन) में इतना अधिक अन्तर है जितना कि आकाश तथा पृथ्वी में है ।

मायाया जनका धूर्ता जारचोरबहुश्रुताः ।

प्रतिष्ठितो यथा धूर्तो न तथा तु बहुश्रुताः ॥ २८ ॥

धूर्त, जार (व्यभिचारी) और चोर में धूर्त की माया करने में श्रेष्ठता का निर्देश—माया के उत्पन्न करनेवाले धूर्त, जार और चोर होते हैं, यह बात अत्यन्त प्रसिद्ध है । किन्तु जिस प्रकार से धूर्त इसमें श्रेष्ठ माना जाता है । उस प्रकार से जार और चोर नहीं माने जाते हैं ।

परस्वहरणं लोके जारचोरौ तु निन्दितौ ।

तावप्रत्यक्षं हरतः प्रत्यक्षं धूर्त एव हि ॥ २९ ॥

धूर्तों की धूर्ताता का वर्णन—दूसरे की वस्तु या धन हरण करने में प्रवृत्त होने से जार और चोर ये दोनों लोक में निन्दित माने जाते हैं । किन्तु वे दोनों तो सामने नहीं घनादि हरते हैं, पर धूर्त तो सामने ही हर लेता है ।

हितं अहितवच्चान्ते अहितं हितवत् सदा ।

धूर्ताः सन्दर्शयित्वाऽज्ञं स्वकार्यं साधयन्ति ते ॥ ३० ॥

वे धूर्त लोग मूर्ख लोगों के समक्ष हितकर को अहितकर की भाँति एवं

अहितकर को हितकर की भांति दिखाकर अन्त में सदा अपने कार्य को सिद्ध करते हैं ।

विस्त्रंभयित्वा चात्यर्थं मायया घातयन्ति ते ।

और वे चालाकी से प्रथम अपने ऊपर अत्यन्त विश्वास पैदा कराके अन्त में उसका नाश कर देते हैं ।

यस्य चाप्रियमन्विच्छेत्तस्य कुर्यात् सदा प्रियम् ॥ ३१ ॥

व्याधो मृगवधं वर्तुं गीतं गायति सुस्वरम् ।

और वे जिसका अप्रिय (डुराई) करना चाहते हैं उसका प्रथम सदा प्रिय कार्य करते हैं । जैसे बहेलिया मृग का वध करने के लिये प्रथम सुन्दर स्वर के साथ उसके सामने गाते हैं बाद में मार डालते हैं ।

मायां विना महाद्रव्यं द्राक् न सम्पाद्यते जनैः ॥ ३२ ॥

विना परस्वहरणान्न कश्चिन् स्यान्महाधनः ।

मायया तु विना तद्धि न साध्यं स्याद्यथेप्सितम् ॥ ३३ ॥

विना धूर्त्ता के अत्यन्त धन न मिलने का निर्देश—विना धूर्त्ता के लोग बहुत धन शीघ्र नहीं पा सकते हैं । और विना दूसरे का धन हरण किये कोई बड़ा धनी नहीं हो सकता है । और विना माया के जो ईप्सित कार्य है वह सिद्ध नहीं हो सकता है ।

स्वधर्मं परमं मत्वा परस्वहरणं नृपाः ।

परस्परं महायुद्धं कृत्वा प्राणांस्त्यजन्त्यपि ॥ ३४ ॥

राजा लोगों को दूसरे का धन हरण करने को स्वधर्म समझने का निर्देश—राजा लोग दूसरे का धन हरण करना परम स्वधर्म समझ कर परस्पर महायुद्ध करके प्राण भी दे डालते हैं ।

राज्ञो यदि न पापं स्याद्दस्युनामपि नो भवेत् ।

सर्वं पापं धर्मरूपं स्थितमाश्रयभेदतः ॥ ३५ ॥

आश्रयभेद से सभी पापों का धर्म रूप में स्थित होने का निर्देश—यदि राजा को वैसा करने से पाप नहीं लगता है तो डाकुओं को भी दूसरे का धन हरण करने में पाप नहीं लगे क्योंकि आश्रयभेद से सभी पाप धर्मरूप हो जाते हैं, अर्थात् दूसरे का धन हरण करना डाकुओं के लिये पाप हो जाता है किन्तु राजाओं के लिये वही धर्म हो जाता है ।

बहुभिर्यः स्तुतो धर्मो निन्दितोऽधर्म एव सः ।

धमेतत्त्वं हि गहनं ज्ञातुं केनापि नोचितम् ॥ ३६ ॥

बहुतों द्वारा प्रशंसित धर्म और निन्दित अधर्म मानने का निर्देश—जो व्यापार बहुतों के द्वारा प्रशंसित होता है, वह धर्म गिना जाता है और जो

निन्दित होता है वह अधर्म गिना जाता है। अतः धर्म का तपव गहन है, उसका किसी के द्वारा समझ सकना असंभव है।

अनिदानतपःसत्ययोगो दारिद्र्यकृत्स्विह ।

धर्मार्थो यत्र न स्यातां तद्वाक् कामं निरर्थकम् ॥ ३७ ॥

अत्यंत दानादि करने की निषिद्धता का निर्देश—संसार में अतिदान, तपस्या तथा सत्य का संबन्ध ये तीनों दरिद्रता उत्पन्न करने वाले होते हैं अर्थात् अतिदान से दरिद्र हो जाना जगत्प्रसिद्ध ही है, इसी तरह तपस्या में भी धर्मानुष्ठानुष्ठान के द्वारा धन-व्यय होने से एव धनप्राप्ति धूर्त्ता करने से होती है उसमें यदि सत्य का संबन्ध हो तो धनप्राप्ति के असंभव होने से दरिद्रता होना उचित ही है। जिस वाणी में धर्म और अर्थ न हों तो वह (वाणी) अव्यक्त निरर्थक समझी जाती है।

अर्थे वा यदि वा धर्मे समर्थो देशकालवित् ।

निःसंशयो नरः पूज्यो नष्टः संशयिता सदा ॥ ३८ ॥

धर्मानुसार अर्थाज्जन करने वाले की पूज्यता का निर्देश—यदि कोई मनुष्य धर्म तथा अर्थ में समर्थ है अर्थात् धर्मानुसार अर्थाज्जन करने में निपुण है और देश-काल का ज्ञाता अर्थात् तदनुसार कार्य करने वाला एवं संशय-रहित है तो वही सदा पूज्य होता है। और जो संशय करने वाला है वह नहीं माननीय होता है।

अथस्य पुरुषो दासो दासस्त्वर्थो न फस्यचित् ।

अतोऽर्थाय यतेतैव सर्वदा यत्नमास्थितः ॥ ३९ ॥

अर्थाद्धर्मश्च कामश्च मोक्षश्चापि भवेन्नुणाम् ।

अर्थ के लिये अवश्य यत्न करने का निर्देश—अर्थ का दास पुरुष ही होता है न कि पुरुष का दास अर्थ होता है। अतः अर्थ के लिये सर्वदा प्रयत्न-पूर्णक यत्नशील रहना चाहिये। और मनुष्यों के अर्थ से ही धर्म, काम और मोक्ष सभी पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं।

शस्त्रास्त्राभ्यां विना शौर्यं गार्हस्थ्यं तु स्त्रियं विना ४० ॥

एकमस्यं विना युद्धं कौशल्यं ग्राहकं विना ।

दुःखाय जायते नित्यं सुसहायं विना विपत् ॥ ४१ ५

न विद्यते तु विपदि सुसहायं सुहृत्-समम ।

शौर्यादिकों का शस्त्रास्त्रादि के बिना दुःखादायी होने का निर्देश—शस्त्र और अस्त्र के बिना शूरता, स्त्री के बिना गार्हस्थ्य (गृहस्ती), सैनिकों की एकता के बिना युद्ध, समझने वाले के बिना चतुराई, और सुन्दर सहायक के बिना

विपत्ति निरर्थ दुःख देने के लिये ही होती है । और विपत्ति में सुन्दर मित्र के समान अन्य कोई सच्चा सहायक नहीं होता है ।

अविभक्तधनान् मैत्र्या भृत्या भक्तधनान् सदा ॥ ४२ ॥

मित्रं स्वसदृशैर्भोगैः सत्यैश्च परितोपयेत् ।

अविभक्त और विभक्त ज्ञातिवर्ग तथा मित्र के साथ व्यवहार के प्रकार का निर्देश—जिनके साथ धन का बँटवारा नहीं हुआ है अर्थात् एक साथ रहनेवाले जो ज्ञाति-वर्ग के हैं, उन्हें सौहार्द भाव से, और जिनके साथ धन का बँटवारा हो चुका है, ऐसे लोगों को मासिक या वार्षिक वृत्ति-प्रदान द्वारा, एवं मित्रों को अपने सदृश भोग (भोजनादि) का प्रबन्ध तथा सत्य व्यवहार द्वारा सदा राजा सन्तुष्ट रखे ।

नृपसम्बन्धिस्त्रीपुत्र-सुहृद्भृत्यादिदस्युभिः ॥ ४३ ॥

अतो विभाग दत्तवैपां मुहूर्त्ते यस्तु स्वकं धनम् ।

अपने सम्बन्धी स्त्री-पुत्रादि को सन्तुष्ट रखते हुये धनोपभोग करने का निर्देश—जो राजा अपने सम्बन्धी, स्त्री, पुत्र, मित्र भृत्य तथा दस्यु गणों को जिस प्रकार से वे संतुष्ट हो सकें वैसा प्रबन्ध करके अपने धन का उपभोग करता है, वस्तुतः वही सुखी होता है ।

त्यक्त्वा तु दपकार्पण्यमानोद्वेगभयानि च ॥ ४४ ॥

कुर्वीत नृपतिर्नित्यं स्वार्थासद्वचै तु नान्यथा ।

विशेषभृतितो भृत्य प्रेममानाधिकारतः ॥ ४५ ॥

स्वकार्य-मिद्वयर्थं भृत्य को सर्वथा संचय रखने का निर्देश—राजा अपने कार्य की सिद्धि के लिये ही दर्प (अहङ्कार), कृपणता, मान, उद्वेग और भय को छोड़कर विशिष्ट जीविका का प्रदान, प्रेम तथा संमान-प्रदर्शन एवं अधिकार-प्रदान से भृत्य को निरर्थ युक्त करता रहे, इससे अन्यथा न करे ।

ब्राह्मणाग्निजलैः सर्वैर्धनवान् भक्षयते सदा ।

स सुखी मोदते नित्यमन्यथा दुःखमश्नुते ॥ ४६ ॥

ब्राह्मणादि द्वारा यज्ञादि करने में धन का व्यय करने से ही सुखी होने का निर्देश—दान करने से ब्राह्मण द्वारा, यज्ञ करने से अग्नि द्वारा, पौंसला आदि का प्रबन्ध करने से जल द्वारा जिस धनी का धन व्यय होता रहता है । वह धनी निरर्थ सुखी होने से प्रसन्न रहता है अन्यथा रीति से व्यय होने पर दुःखी रहता है ।

दर्पस्तु परह्यासेच्छा मानोऽहं सर्वतोऽधिकः ।

कापण्यं तु व्यये दैन्यं भयं स्वोच्छैदशङ्कनम् ॥ ४७ ॥

मानसस्यानद्यस्थानमुद्वेगः परिकीर्तितः ।

दर्प, मान, कार्पण्य, भय तथा उद्वेग के लक्षण—दूसरे के हास की इच्छा को 'दर्प', मैं सबसे अधिक गुणादि में हूँ इसे 'मान', ध्यय में कंजुमी करने को 'कार्पण्य', अपने उच्छेद होने की इच्छा को 'भय' और मन का स्थिर न रहने को 'उद्वेग' कहते हैं ।

लघोरप्यपमानस्तु महावैराय जायते ॥ ४८ ॥

दानमानसत्यशीर्यमार्दवं सुसुदृत्करम् ।

मदान धैर तथा मित्रता के कारणों का निर्देश—छद्मजन के लिये भी किया हुआ अपमान महावैर को पैदा करने में समर्थ होता है । किसी को कुछ देना, संमान करना, साथ व्यवहार करना, शरता और मृदुता ये सब अत्यन्त मित्रता पैदा करनेवाले होते हैं ।

सर्वानापदि सदसि समाहूय बुधान् गुरुन् ॥ ४९ ॥

भ्रातृन् बन्धून् श्रुत्यांश्च ज्ञातीन् सभ्यान् पृथक् पृथक् ।

यथाहं पूज्य विनतः स्वाभीष्टं याचयेन्नृपः ॥ ५० ॥

आपत्ति पढ़ने पर राजा के कर्तव्य का निर्देश—राजा आपत्ति पढ़ने पर विनम्र होकर पण्डित, गुरु, भाई, बन्धु, भ्रातृ, जाति के लोग और सभासद इन सबों को राजसभा में बुलाकर यथायोग्य सम्मान करने के बाद अपना अभीष्ट सिद्ध करने के लिये इस रीति से प्रार्थना करे । अर्थात् उपाय पूछे ।

आपदं प्रतरिष्यामो यूयं युक्त्या वदिष्यथ ।

भवन्तो मम मित्राणि भवत्सु नास्ति भृत्यता ॥ ५१ ॥

मैं आपत्ति को पार कर जाऊँ इसके लिये आप लोग युक्ति बतायें । आप लोग मेरे मित्र हैं आप लोगों को मैं अपना केवल भृत्य नहीं मानता हूँ ।

न भवत्सदृशास्त्वन्धे सहायाः सन्ति मे ह्यतः ।

तृतीयांशं भृतेर्प्राह्यमर्धं वा भोजनार्थकम् ॥ ५२ ॥

दास्याम्यापत्समुत्तीर्णं शेषं प्रत्युपकारवित् ।

आप लोगों के समान मेरा कोई दूसरा सहायक नहीं है । अतः इस समय केवल भोजन के लिये वेतन का तृतीयांश या अर्द्धांशमात्र ही आप लोग ग्रहण करें । क्योंकि इस समय ध्यय अधिक होने से मैं समग्र वेतन देने में असमर्थ हूँ, और जब मैं आपत्ति को पार कर लूँगा तब आप लोगों के उपकार का बदला चुकाना उचित जानकर शेष भी वेतन चुका दूँगा ।

भृतिं विना स्वामिकार्यं भृत्यः कुर्यात् समाष्टकम् ॥ ५३ ॥

पोडशाब्दं धनी यः श्यादितरोऽर्थानुरूपतः ।

आपत्ति में विना वेतन के भी स्वामि-कार्य करने की कालमर्यादा का

निर्देश—जो भृत्य ऐसा घनी हो कि अपने पास से १६ वर्ष तक बिना वेतन लिये जीविका चला सकता है वह बिना वेतन लिये ८ वर्ष तक स्वामी का कार्य करे, और जो इससे भिन्न हों वे अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार जितना समय तक बिना वेतन के हो सके स्वामिकार्य करें ।

निर्धनैरन्नवर्षं तु नृपाद्ग्राह्यं न चान्यथा ॥ ५४ ॥

यतो भुक्तं सुखं सम्यक् तद्दुःखैर्दुःखितो न चेत् ।

विनिन्दति कृतघ्नस्तु स्वामी भृत्योऽन्यएव वा ॥ ५५ ॥

और जो निर्धन हों वे राजा से अन्न-वस्त्र मात्र ग्रहण करें । इससे अन्यथा होने पर न ग्रहण करें । जिस स्वामी से आज्ञातक जिसने भलीभांति सुख का उपभोग किया, आज यदि उसके दुःख से वह दुःखी न हो तो वैसे कृतघ्न भृत्य की स्वामी या अन्य कृतज्ञ भृत्य भी निन्दा करते हैं ।

सकृत् सुभुक्तं यस्यापि तदर्थं जीवितं त्यजेत् ।

भृत्यः स एव सुरलोको नापत्तौ स्वामिनं त्यजेत् ॥ ५६ ॥

स्वामी स एव विज्ञेयो भृत्यार्थं जीवितं त्यजेत् ।

प्रशासयोग्य भृत्य और स्वामी का वर्णन—जो भृत्य जिसका सम्मान-पूर्वक दिया हुआ अन्न एक बार भी भोजन करले तो उसके रक्षार्थं समय पड़ने पर जीवन का भी त्याग कर दे । वही भृत्य सुन्दर यश वाला माना जाता है जो आपत्ति पड़ने पर भी स्वामी का साथ नहीं छोड़ता है और वही वस्तुतः स्वामी है जो आवश्यकता पड़ने पर भृत्य के रक्षार्थं अपना जीवन भी त्याग कर देता है ।

न रामसदृशो राजा पृथिव्यां नीतिमानभूत् ॥ ५७ ॥

सुभृत्यता तु यन्नीत्या वानरैरपि स्वीकृता ।

योग्य स्वामी तथा भृत्य का उदाहरण—इस पृथिवी पर राम के समान कोई दूसरा नीतिमान राजा नहीं हुआ, क्योंकि जिसकी नीति के द्वारा वानरों ने भी भलीभांति से भृत्यता स्वीकार कर ली थी ।

अपि राष्ट्रविनाशाय चोराणामेकचित्ता ॥ ५८ ॥

शक्ता भवेन्न किं शत्रुनाशाय नृपभृत्ययोः ।

एकचित्ता के भाव का वर्णन—जब चोरों का मिल कर एकचित्त हो जाना राष्ट्र-विनाश करने में समर्थ हो जाता है, तब भला राजा और भृत्य का एकचित्त हो जाना क्या शत्रुविनाश करने के लिये समर्थ नहीं हो सकता है, अपितु अवश्य हो सकता है ।

न कूटनीतिरभवच्छोकृष्णसदृशो नृपः ॥ ५९ ॥

अर्जुनाद्ग्राहिता स्वस्य सुभद्रा भगिनी छलात् ।

श्रीकृष्ण की कूटनीति का वर्णन—श्रीकृष्ण भगवान के समान कोई दूसरा राजा कूटनीति का प्रयोग करनेवाला नहीं हुआ, जिन्होंने कूटनीति द्वारा जबर-दस्ती अपनी बहन सुभद्रा भर्तृहरि को दिला दी (व्याह दी)

नीतिमान्नु सा युक्तिर्या हि स्वश्रेयसेऽखिला ॥ ६० ॥

नीतिमानों की वही युक्ति अस्तुतः युक्ति (उपाय) है जो उनके संपूर्ण कल्याण करने में उचित हो ।

आदौ तद्धितकृत्स्नेहं कार्यं स्नेहमनन्तरम् ।

कृत्वा सधर्मवादं च मध्यस्थः साधयेद्विदम् ॥ ६१ ॥

हित सिद्ध करने में मध्यस्थ पुरुष के व्यवहार का निर्देश—मध्यस्थ (उदासीन) पुरुष प्रथम किसी के हितैषी मित्र के साथ स्नेह, तदनन्तर कर्तव्य कर्म और धर्मकथनपूर्वक स्नेह-प्रदर्शन करके हित सिद्ध करे ।

परस्परं भवेत् प्रीतिस्तथा तद्गुणवर्णनम् ।

इष्टाप्रधनवसनैर्लोभनं कार्यसिद्धिदम् ॥ ६२ ॥

परस्पर जैसे प्रीति हो वैसे उसके प्रेम के गुणों का वर्णन करे । और अभीष्ट अन्न-वस्त्र का लोभ दिलावे । यह कार्य-सिद्धि करने वाला होता है ।

दिव्यावलम्बनं मिथ्या संल्लापं धैर्यवर्धनम् ।

इमे उपाया मध्यस्थ-कुट्टिनीकारिणां मताः ॥ ६३ ॥

मध्यस्थ (उदासीन), कुट्टिनी और धूर्त लोगों को दिव्य (शपथ) का अवलम्बन, झूठमूठ (मनगदन्त) बात करना और धैर्य बँधाना ये सब उपाय इष्ट होते हैं । इससे वे लोग कार्य सिद्ध करते हैं ।

नात्मसङ्गोपने युक्ति चिन्तयेत् स पशोर्जडः ।

जारसङ्गोपने छद्म संश्रयन्ति स्त्रियोऽपि च ॥ ६४ ॥

अपनी रक्षा की युक्ति का विचार न करनेवाले की निन्दा का निर्देश— जो अपनी रक्षा करने के लिये उपाय नहीं सोचता है वह पशु से भी बड़कर जड़ है । और स्त्रियाँ भी अपने जार पति को छिपाने में छल का आश्रय लेती हैं ।

युक्तिशुद्धलात्मिका प्रायस्तथान्या योजनात्मिका ।

यच्छद्मचारी भवति तेन च्छद्म समाचरेत् ॥ ६५ ॥

अन्यथा शीलनाशाय महतामपि जायते ।

कार्यसिद्धयर्थं दो प्रकार की युक्तियों का निर्देश—कार्यसिद्धि के लिये युक्ति (उपाय) दो प्रकार की होती है, उसमें प्रायः करके छलरूपा पहली और सत्यरूपा दूसरी होती है । जो छल करनेवाले हैं, उनके लिये छलरूपा युक्ति का प्रयोग करना चाहिये । अन्यथा छल करना बड़े लोगों के चरित्र को बिगाड़ देनेवाली हो जाती है ।

अस्ति बुद्धिमतां श्रेणिर्न त्वेको बुद्धिमानतः ॥ ६६ ॥

देशे काले च पुरुषे नीतिं युक्तिमनेकधाम् ।

कल्पयन्ति च तद्विद्या दृष्ट्वा रुद्धां तु प्राक्तनीम् ॥ ६७ ॥

और बुद्धिमानों की श्रेणी होती है न कि सिर्फ एक ही कोई बुद्धिमान होता है अतः चतुर लोग जहाँ पर सत्यरूपा युक्ति निष्फल देखते हैं वहाँ पर देश, काल तथा पात्र के अनुसार अनेक प्रकार की नीति तथा युक्ति की कल्पना करते हैं ।

मन्त्रौपधिपृथग्बेष-कालवागर्थसंश्रयात् ।

छद्म सञ्जनयन्तीह तद्विद्याकुशला जनाः ॥ ६८ ॥

छल का वर्णन—इस संसार में माया (छल) करने में निपुण लोग मन्त्र, औपध, नाना प्रकार के बेष, काल, वचन और अर्थ, इन सबों का आश्रय लेकर छल-प्रयोग करते हैं ।

लोकेऽधिकारिप्रत्यक्षं विक्रीतं दत्तमेव वा ।

वस्त्रभाण्डादिकं क्रीतं स्वचिह्नैरङ्कयेत्चिरम् ॥ ६९ ॥

लोक में बेची हुई (वस्त्र-पात्र आदि), दी हुई (किसी को दान में दे दी गई) तथा खरीदी हुई वस्तुओं पर उनके अधिकारी (बेचने, देने तथा खरीदनेवाले) लोगों के सामने उनको अपनी २ मुहरों से ऐसा चिह्न बना देना चाहिये, जो बहुत दिन तक न मिट सके ।

स्तेनकूटनिवृत्त्यर्थं राजज्ञातं समाचरेत् ।

जडान्धबालद्रव्याणां दद्याद् वृद्धिं नृपः सदा ॥ ७० ॥

चोरों की जालसाजी रोकने के लिये अर्थात् चोरी का माल न बिकने पावे, इसके लिये उन चिकी हुई वस्तुओं की सूचना राजा को दे देनी चाहिये अर्थात् लिखा देनी चाहिये । और जड़, अन्ध तथा लड़कों के जो धन हों, उनको यदि राजा के पास रक्खा जाय तो राजा उसका सूद बराबर उन सबों को दे ।

स्वीया तथा च सामान्या परकीया तु ह्यी यथा ।

त्रिविधो भृतकस्तद्भुत्तमो मध्यमोऽधमः ॥ ७१ ॥

तीन प्रकार के भृत्यों का निर्देश—जैसे स्त्री स्वीया (अपनी), सामान्या (वेश्या आदि) और परकीया (दूसरे की) भेद से ३ प्रकार की होती है । वैसे भृत्य भी उत्तम, मध्यम तथा तथा अधम भेद से तीन प्रकार का होता है ।

स्वामिन्येवानुरक्तो यो भृतकस्तूत्तमः स्मृतः ।

सेवते पुष्टभृतिदं प्रकरं स च मध्यमः ॥ ७२ ॥

पुष्टोऽपि स्वामिनाऽव्यक्तं भजतेऽन्यं स चाधमः ।

उत्तमादि भृत्यों के लक्षण—जो स्वामी में अनुरक्त रहे, वह भृत्य 'उत्तम' और जो पचास वेतन देनेवाले स्वामी की सेवा अधिक वेतन पाने के लोभ से करता है, वह 'मध्यम' एवं जो स्वामी से भलीभाँति पालित होने पर भी द्विपे रूप से दूसरे की भी सेवा करता है, वह 'अधम' भृत्य कहलाता है ।

उपकरोत्यपकृतो हुत्तमोऽत्यन्यथाऽधमः ॥ ७३ ॥

मध्यमः साम्यमन्त्रिच्छेदपरः स्वार्थतत्परः ।

प्रकारान्तर से उत्तमादि भृत्यों के लक्षण—जो अपकार करने पर भी स्वामी का उपकार करता है वही 'उत्तम' है इससे अन्यथा अर्थात् उपकार करने पर जो अपकार करता है, वह 'अधम' कहलाता है । और मध्यम 'भृत्य' तुल्य व्यवहार को पसन्द करता है अर्थात् उपकार करनेवाले के प्रति उपकार तथा अपकार करनेवाले के प्रति अपकार करना चाहता है, और इसके बाद का दूसरा जो अधम है वह केवल अपना स्वार्थ साधने में तत्पर रहता है ।

नोपदेशं विना सम्यक् प्रमाणैर्ज्ञायतेऽखिलम् ॥ ७४ ॥

बाल्यं वाऽप्यथ तारुण्यं प्रारम्भितसमाप्तिदम् ।

उपदेश के बिना सचका ज्ञान न होने का तथा बाल्य व युवा अवस्था में प्रारम्भ किये हुये कार्य की समाप्ति का निर्देश—उपदेश के बिना केवल प्रमाणों से सभी बातें भलीभाँति नहीं जानी जा सकती हैं । और बाल्य तथा युवा ये दो अवस्थाएँ प्रारम्भ किये हुये की समाप्ति देनेवाली अर्थात् इनमें जो प्रारम्भ किया जाता है उसकी समाप्ति भी हो जाती है ।

प्रायो बुद्धिमतो ज्ञेयं न वार्धक्यं कदाचन ॥ ७५ ॥

आरम्भं तस्य कुर्याद्वि यत्समाप्तिं सुखं व्रजेत् ।

आरम्भ किये हुये की समाप्ति होने में वृद्धावस्था की अयोग्यता का निर्देश—किन्तु वार्धक्य (वृद्धावस्था) को प्रायः बुद्धिमान उक्त भाँति का कदापि नहीं मानते हैं । इसमें प्रारम्भ किये हुये कार्य की समाप्ति नहीं हो पाती, क्योंकि उसी कार्य का आरम्भ करना चाहिये । जिसकी समाप्ति बिना बलेश के हो जाय ।

नारम्भो बहुकार्याणामेकदैव सुखावहः ॥ ७६ ॥

नारम्भितसमाप्तिं तु विना चान्यं समाचरेत् ।

बहुत कार्यों का एक साथ आरम्भ करने का निषेध—बहुत कार्यों का एक साथ ही आरम्भ करना सुखावह नहीं होता है और आरम्भ किये हुये कार्य की बिना समाप्ति हुये किसी दूसरे कार्य को नहीं करना चाहिये ।

सम्पाद्यते न पूर्वं हि नापरं लभ्यते यतः ॥ ७७ ॥

कृती तत् कुरुते नित्यं यत् समाप्तिं व्रजेत् सुखम् ।

समाप्त होने योग्य कार्य का प्रारम्भ करने का निर्देश—क्योंकि आरम्भ किये हुये कार्य की बिना समाप्ति किये दूसरा कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व का कार्य तो संपन्न नहीं हो पाता और दूसरा भी नहीं हो पाता । अतः बुद्धिमान को चाहिये कि—वह सदा उसी कार्य का प्रारम्भ करे जो सुखपूर्वक समाप्त हो जाय ।

यदि सिद्धयति येनार्थः कलहेन वरस्तु सः ॥ ७८ ॥

अन्यथाऽऽयुर्धनसुहृद्-यशोधर्महरः सदा ।

प्रयोजन की सिद्धि होने की संभावना में कलह करने का निर्देश—जिस कलह के करने से यदि अपना कोई प्रयोजन सिद्ध होता हो तो वह अच्छा होता है अन्यथा वह (कलह) आयु, धन, मित्र, यश और धर्म का सदा केवल हरनेवाला होता है ।

ईर्ष्या लोभो मदः प्रीतिः क्रोधो भोतिश्च साहसम् ॥ ७९ ॥

प्रवृत्तिच्छिद्रहेतूनि कार्ये सप्त बुधा जगुः ।

कार्य में प्रवृत्ति तथा छिद्र (दोष) के कारणों का निर्देश—ईर्ष्या, लोभ, मद, प्रीति, क्रोध, भय तथा साहस ये ७ कार्य में प्रवृत्ति तथा छिद्र (दोष) के हेतु पण्डितों द्वारा कहे हुये हैं ।

यथाच्छिद्रं भवेत् कार्यं तथैव हि समाचरेत् ॥ ८० ॥

अविसंवादि विद्वद्भिः कालेऽतीतेऽपि चापदि ।

निर्दोष तथा अभिमत्त ही कार्य करने का निर्देश—जिस प्रकार से कार्य निर्दोष हो, उसी प्रकार से करना चाहिये । आपत्ति न रहने पर समय बीत जाने पर भी पण्डितों को जो अभिमत्त हो उसी कार्य को करना चाहिये ।

दशग्रामी शतानीकः कपरिचारकसंयुतौ ॥ ८१ ॥

अश्वस्थौ विचरेयातां ग्रामपो ह्यपि चाश्वगः ।

दशग्रामाधिपादिकों का विचरण करने के प्रकारों का निर्देश—दश ग्रामों का स्वामी और १०० सैनिकों का नायक अपने २ श्वस्थों के साथ घोड़े पर सवार होकर विचरण करें । और एक ग्राम के स्वामी भी घोड़े पर सवार होकर विचरण करें ।

साहसिकः शतग्रामी एकाश्वरथवाङ्नी ॥ ८२ ॥

दशशस्त्रास्त्रिभिर्युक्तौ गच्छेतां वाऽश्वसङ्गतौ ।

१००० हजार सैनिकों के अधिपति और १०० ग्रामों के जो अधिपति हों, वे शस्त्र धारण किये हुये १० सैनिकों से युक्त होकर एक घोड़े लुते हुये रथ पर अथवा केवल घोड़े पर सवार हुये विचरण करें ।

सद्व्रजप्रामपो नित्यं नरारवद्व्यवयानगः ॥ ८३ ॥

आयुतिकी विंशतिभिः सेवकैर्हस्तिना व्रजेत् ।

१००० प्रामो का या १०००० मैनिहो का अधिपति निय २० सैनिकों के साथ पालकी, घोड़ा या दो घोड़े जुते हुये रथ या हाथी पर सवार होकर विचरण करें ।

अयुतप्रामपः सवयानैश्च चतुरश्रवगः ॥ ८४ ॥

पञ्चायुतो सेनपोऽपि सञ्चरेद् बहुसंवकः ।

१०००० प्रामो का और ५०००० हजार सैनिकों का अधिपति ये दोनों बहुत से भूयो (सैनिकों) से युक्त होकर सभी प्रकार की सवारियों से या चार घोड़े जुते हुये रथ पर सवार होकर विचरण करें ।

यथाधिकाधिपत्यं तु बीदयाधिक्यं प्रकल्पयेत् ॥ ८५ ॥

कल्पयेच्च यथाधिक्यं घनिकेषु गुणित्वपि ।

जैसी अधिक संख्या वाले प्रामो या सैनिकों के ऊपर अधिपत्य हो उसी के अनुसार सम्मान की अधिकता की कल्पना करनी चाहिये । इसी प्रकार से घनिकों तथा गुणियों में भी उनकी जैसी घन तथा गुण की अधिकता हो उसी के अनुसार उनके सम्मान की कल्पना करनी चाहिये ।

श्रेष्ठो न मानहीनः स्यान्न्यूनो मानाधिकोऽपि न ॥ ८६ ॥

राष्ट्रे नित्यं प्रकुर्वीत श्रेयोऽर्थी नृपतिस्तथा ।

श्रेष्ठ तथा हीन पुरुष के सम्मान में न्यूनाधिक्य का निषेध—कल्याण के चाहने वाले राजा को अपने राज्य में इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिये कि जिसमें श्रेष्ठ पुरुष—उचित सम्मान में हीन, न्यून पुरुष—उचित सम्मान से अधिक सम्मान न प्राप्त करे, अर्थात् सबका यथोचित सम्मान हो, उसमें न्यूनाधिक्य न होने पावे ।

हीनमध्योत्तमानां तु प्रामभूमिं प्रकल्पयेत् ॥ ८७ ॥

कुटुम्बिनां गृहाऽथ तु पत्तनेऽपि नृपः सदा ।

उत्तम, दि गृह-भूमि के प्रमाणों का निर्देश—राजा प्राम में हीन, मध्यम तथा उत्तम लोगों के लिये तथा कुटुम्बियों के लिये नगर में घर बनाने के योग्य सदा उचित भूमि की व्यवस्था करे ।

द्वात्रिंशत्प्रमितैहस्तैर्दीघोर्द्धा विस्तृताथमे ॥ ८८ ॥

उत्तमा द्विगुणा मध्या सार्धमाना यथाहृतः ।

कुटुम्बसंस्थितिसमा न न्यूना वाऽधिकाऽपि न ॥ ८९ ॥

३२ हाथ लम्बी तथा १६ हाथ चौड़ी अथवा, ६४ हाथ लम्बी तथा ३२ हाथ चौड़ी उत्तमा और ४८ हाथ लम्बी तथा २४ हाथ चौड़ी मध्या-

संज्ञक भूमि वासार्थं देनी चाहिये । और जैसी कुटुम्ब की स्थिति न्यून या अधिक हो उसी के समान भूमि-व्यवस्था करनी चाहिये । उससे न न्यून और न अधिक होनी चाहिये ।

ग्रामाद् बहिर्वसैयुस्ते ये ये त्वधिकृता नृपैः ।

नृपकार्यं विना कश्चिन्न ग्रामं सैनिको विरोत् ॥ ६० ॥

अधिकारी पुरुषों को ग्राम के बाहर रहने एवं सैनिकों को विना राजकार्य के ग्राम-प्रवेश के निषेध का निर्देश—राजा द्वारा जो २ अधिकारी नियुक्त किये गये हों उन सबों को ग्राम से बाहर की भूमि में निवास करना चाहिये । विना किसी राज-कार्य के किसी सैनिक को ग्राम के अन्दर नहीं प्रवेश करना चाहिये ।

तथा न पीडयेत् कुत्र कदापि ग्रामवासिनः ।

सैनिकैर्न व्यवहरेन्नित्यं ग्राम्यजनोऽपि च ॥ ६१ ॥

सैनिकों को ग्रामवासियों को पीड़ा न पहुँचाने एवं ग्रामवासियों को सैनिक के साथ व्यवहार न करने का निर्देश—और सैनिक कहीं किसी ग्रामवासी को कभी पीड़ा न पहुँचावे और ग्रामवासी भी कभी किसी सैनिक के साथ किसी प्रकार का व्यवहार न रखे ।

श्रावयेत् सैनिकान्नित्यं धर्मं शौर्यविवधनम् ।

सुवाद्यनृत्यगीतानि शौर्यवृद्धिकराण्यपि ॥ ९२ ॥

सैनिकों के शौर्यवर्धक उपायों को करने का निर्देश—राजा सैनिकों को निश्च शूरता को बढ़ानेवाले युद्ध-धर्म सुनवावे और उनके लिये सुन्दर बाजा, नृत्य-गीत आदि का भी प्रबन्ध रखे जो कि शूरता को बढ़ाने वाले हों अर्थात् अश्लीलता युक्त न हों ।

युद्धक्रिया विना सैन्यं योजयेन्नान्यकर्मणि ।

युद्धकार्य से अन्य में सैनिकों की नियुक्ति का निषेध—युद्धकार्य के अतिरिक्त अन्य कार्यों को करने के लिये सेना की नियुक्ति न करे ।

सत्याचारास्तु धनिका व्यवहारे हता यदि ॥ ९३ ॥

राजा समुद्वेष्टास्तु तथाऽन्यांश्च कृपीबलान् ।

व्यवहार में विपन्न होने पर धनिक या किसान की रक्षा करनेका निर्देश—सत्य (ईमानदारी) आचरण रखनेवाला कोई धनिक या किसान यदि व्यवहार (लेन-देन) के नाते बिगड़ गया हो (हीन अवस्था में पड़ गया हो) तो राजा उसकी सहायता कर उद्धार करे ।

ये सैन्यधनिकास्तेभ्यो यथाहौ मृत्तिमावहेत् ॥ ९४ ॥

पारदेश्यं च त्रिंशांशमधिकं तद्धनव्यगान् ।

धनी सैनिक का वेतन व भत्ता के विषय में विचार—जो सेना के अन्दर धनी सैनिक हों उनको योग्यता के अनुसार उचित वेतन दे । और राजधानी

से बाहर परदेस में जाने पर उनका जो धन बच्य हो उससे तीसवां भाग अधिक मिलाकर राजा उनके द्रव्य दे ।

धनं संरक्षयेत्तेषां यत्नतः स्वात्मकोशवत् ॥ ६५ ॥

संहरेद्धनिकात् सर्वं मिथ्याचाराद्धनं नृपः ।

सैनिकों के धन की आरम्भत् रक्षा करने का एवं जालसाज धनिकों का धन हरण करने का निर्देश—और सैनिकों के धन को अपने खजाने की भांति यत्न-पूर्वक रक्षा करे । यदि कोई धनिक जालसाजी का व्यवहार कर धन पैदा करे तो उसका संपूर्ण धन छीन ले ।

यथा चतुर्गुणा वृद्धिर्गृहीता धनिकेन च ॥ ६६ ॥

अधमर्णान्न दातव्यं धनिने तु धनं तदा ।

इति शुक्रनीती खिलनीतिनिरूपणं नाम पञ्चमोऽध्यायः ।

इति शुक्रनीतिः समाप्ता ।

मूल से चौगुना सूद ले चुकने पर धनी को कुछ न देने का निर्देश—और जब मूल धन से चौगुनी वृद्धि (सूद) धनिक ने ऋण लेनेवाले से ले ली हो तब उससे अधिक धन लेने के लिये धनिक को रोक दे । अर्थात् ऋण पट गया हमसे ऋण लेनेवाला धनी को कुछ न दे ।

इति शुक्रनीतिभाषाटीकायां खिलनीतिनिरूपणं नाम

पञ्चमोऽध्यायः समाप्तः ।

टीकाकार-परिचयः—

श्रीभार्गवीभर्तृरनुग्रहेण श्रीभार्गवीये ननु नीतिशास्त्रे ।
भर्गप्रियायामधिकांशं टीका समापि राःद्रव्य गिराऽभ्युपेता ॥
वेदेन्दुशून्याधिमितेऽब्दमध्ये श्रीविक्रमादित्यप्रवर्तितेऽत्र ।
पौपे शितावाद्यतिथाविनेऽह्नि श्रीब्रह्मयुक्-संकरनामकेन ॥
गोस्वामिदामोदरपादपद्मा-सवप्रमत्तेन च गौतमेन ।
रासेश्वरीतात्तया यज्ञेश्वर्याःशेखरस्वेन च विश्रुतेन ॥
'वस्ती' पुरीमध्यगत-प्रसिद्ध 'मिश्रौलिया' ग्रामसमुद्भवेन ।
विद्याविलासाश्रयिणा बुधेन द्वावपद्यनिर्माणकृतश्रमेण ॥
टीकादिसम्पादनतः सदायुर्वेदागमप्रथविचारणायाम् ।
कृतश्रमेण प्रणयेन शश्वल्लब्धद्युनद्यम्बवगाहनेन ॥
समाप्तश्चाऽयं ग्रन्थः

शुक्रनोति-श्लोकानुक्रमणिका

अ	पृष्ठ	अतिमृदुस्तुतिननि	पृष्ठ	अधिकृतो दशग्रामे	पृष्ठ
अंगानि वेदाक्षत्वारो	२४	अतोऽन्यथा विनाशाय	६१	अधोते सुस्वरं गाति	२९०
अंगाना क्रमशो बह्वे	१०	अतो यत्तेन तत्प्राप्त्यै	१३८	अधोगमा सटा कार्या	३३५
अकर्तुं यद्विदितमपि	७०	अतो यत्नेन तत्प्राप्त्यै	१५५	अनन्यत्वत्वकामत्व	१८१
अकल्पयन्त्वस्यविर	२८५	अतो विभागं दत्तैषा	४०३	अनन्याः स्वाभिमत्काश्च	८४
अकल्यादीनपि शनैः	२८६	अत्यटन चानशन	१७६	अनर्थमप्यभिप्रेतं	१४०
अकानररवं शस्त्रास्त्र	४८	अत्यन्विशद वज्र	२०८	अनागमं तु यो भुङ्क्ते	३०४
अक्रोनि लभते सोऽत्र	३७९	अत्यन्विषयासक्तं	३६६	अनागमाऽपि वा भुक्तिः	॥
अकृष्टपचंद्रं कति च	७२	अत्यायामो हि विद्यासु	१७६	अनाचाराद्धर्महानि	१६२
अक्रोपोऽपि सक्रोपाभः	९२	अत्यावश्यं तूष्मदेषु	११९	अनियुक्तो न वै मृश्यात्	१७९
अगाधसलिले मग्नो	१७	अत्युग्रदण्डकल्पः स्यात्	१९१	अनियुक्तो नियुक्तो वा	२७३
अग्निदो गरदश्चैव	१३२	अय कोशप्रकरणं	२०१	अनिश्चितोपायकार्यः	३७२
अग्निदो गरदो वेदया	१९७	अय मिश्रप्रकरणं	१८१	अनिष्टवाक् परुषवाग्	१९७
अज्ञारस्यैव गन्धस्य	३५९	अय मिश्रे तृतीयं तु	२२१	अनीतिरेव सच्चिद्रं	३
अज्ञीकर्तुं योग्यमिति	११३	अथर्वाणां चोपवेदं	२२७	अनोतिस्ते तु मनसि	९०
अज्ञीकृतं यथार्थं यद्	२९२	अथ साधारणं नीति	१२५	अनुक्रमेण संयोज्यो	७३
अज्ञीकृतमिति लिखेत्	११३	अदत्तं यश्च गृह्णाति	३२१	अनुच्छेदमनाहार्यं	१०३
अज्ञीकृतापराधेन	३८४	अदानेनापमानेन	२२	अनुनीय यथाशक्ति	१६४
अचिरान्तं दुरास्मानं	२७०	अदीर्घसूत्रः सत्कार्ये	६५	अनुभूतस्मारकं तु	२९६
अजायाश्च गवाहं स्यात्	२१६	अदुष्टञ्चत्विजं यास्यो	३२०	अनुयायाप्रतिपत्रं	१२५
अजालगर्भं सङ्घर्षं	२०९	अदेयं यस्य वै वास्ति	४७	अनुरागं सुस्वरं च	८५
अजाविगोमहिष्यध	२१९	अद्रोहसमयं कृत्वा	३६५	अनूपे तु वृषाधाना	३५३
अजाविगोमहिष्येण	७८	अधमर्गस्थितं चापि	१५९	अनेकतन्तुसंयोगैः	२३५
अतः सदान्नीतिशास्त्र	२	अधमर्गाजि दातव्यं	४१२	अनेकामनसन्वातै	२३२
अतत्परनरस्यैव	१८	अधमा धनमिच्छन्ति	१२१	अनेन कर्मणा वैते	२७७
अतिक्रामक्रोधलोभै	३१३	अधरोष्ठोऽनुचिद्रुकं	३३७	अन्नःपुरं वासगृहं	२८०
अनिदण्डाच्च गुणिभि	१८९	अधर्मनः प्रवृत्तं तं	३१३	अन्नपूर्वमविषकाकं	३५८
अनिदानतपःसत्य	४०२	अधर्मशीलनूपनेः	२०२	अन्यजह्नुदिपरिधि	३३५
अनिदानेन दारिद्र्यं	१६२	अधर्मशीलो नृपतिः	१९९	अन्वयो द्वौ पञ्चमाब्दे तु	३५१
अनिदुष्टाञ्जुष्टमिना	३४१	अधिकान् कृषिकृत्ये वा	२४३	अन्ननिन्ध्यात् सुस्वस्य	१४४
अतिमोहमतितीर्थं	२२	अधिकारमद पीरवा	७३	अन्नं मुक्त्वा बलं	३४८
अतिमर्धं हि पिबतो	१८	अधिकारिण्यैः काश्च	५४	अन्नसंस्कारदोषेषु	३७७
अतो नृपः सूचितोऽपि	१९२	अधिकारिण्यैकं वा	७४	अन्यगृह्णदारविद्धं	३५

अन्यथा दुःखमाप्नोति ३६१	अमावे क्षत्रिया योज्या १२३	अवाहितो भवे-मन्दः ३४५
अन्यथा दुःखमाप्नोति १७८	अमावे वीजिनो माता ३१५	अविचिन्त्य मृपस्तथ्यं ३१३
अन्यथा भृतिगृह्णन्तं २८७	अभिमानाघ लोमाघ २९९	अविमवेऽपि विमवे १४६
अन्यथाऽऽयुर्धनसुहृद् ४०९	अभियुक्तनिर्गद्देवा ३९	अविदेकी यत्र राजा १३३
अन्यथाऽऽयुर्धनसुहृद् १४५	अभियुक्तस्तथाऽऽयेन २८५	अविसंवादि विद्विः ४०९
अन्यथाऽऽयुर्धनहरा २४८	अभियुक्ताय दातव्यं ३०९	अव्यक्तमेव क्रीणाति ३२०
अन्यथा योजितारते तु ३९०	अभियोगानुरूपेण २८८	अव्याख्यागममित्येतत् २९१
अन्यथा शङ्कितान्सम्यान् ३०३	अभेद्यं व्युद्भिदीर ३२४	अव्याहृताहः संतुभ्ये ५०
अन्यथा शूलनाशाय ४०६	अमारत्यः प्राङ्निवाकथ ६७	अव्याहृताहस्तेजस्वी २७
अन्यथा स्वप्नजातापी २०५	अमारत्यः प्राङ्निवाको ३१४	वाशङ्कितशमो येन ४७
अन्यथा द्वाभियोक्तारं ३१४	अमारत्यमपि संवीक्ष्य ५४	अशक्यो निर्णयो ह्यन्यैः २७१
अन्यद्द्रव्योधिकं तेज १७१	अमात्यो दूत इत्येता ६७	अशिक्षितमसारं वा ३६२
अन्यद्व्यावर्तकस्वाम १०५	अमितस्य प्रदातारं २४२	अशीतिवत्सर्गं यावद् ३५०
अन्यान् मुचक्षुषा तस्यै १२१	अयं सहस्रापराधी १३१	अशीत्यथान् रथं चैक ३३१
अन्यायकारी कलह १९७	अयुक्तं यत् कृतं चोक्तं १३१	अशुभं चातिसलग्नं ३४२
अन्यायगामिनि पत्नी ६५	अयोग्यः पुरुषो नारित ७५	अशोधकनृपान्नेष ४९
अन्यायवतिनां राज्य ५४	अरक्षितारं नृपति १९	अशोधयित्वा पक्षं ये २८३
अन्यायेनाङ्गितो यस्माद् २०२	अरिमेदक्ष पीतद्रुः २४६	अशौचं निर्दया दप्यः १५३
अन्यार्थमर्थहीनं च २८९	अरेशित्तगुणान्नं शारवा ३७८	अश्वः सन्ताड्यते प्राणैः ३४६
अन्यैपामन्त्यहीनाश्च २३७	अजनेन तु महद्दुःख २०६	अश्वस्थौ विचरेयातां ४०९
अन्योदयासहिष्णुश्च १६७	अजुनाद् ग्राहिता स्वस्य ४०५	अश्वस्म पटुं सित्तं दन्ता ३५१
अन्योदयासहिष्णुश्च १९७	अर्धंश्चापद्रुते धादी ३०५	अश्वानां च राजानां च ३६९
अन्योऽन्ययोः समक्षं तु २९३	अर्धंशास्त्रं कामशास्त्र २२५	अश्वे जवो वृषे धैर्यं १६५
अपराधं मातृस्तुषा १५३	अर्धस्य पुरुषो दासो ४०२	अष्टतालप्रमाणस्य २६६
अपशब्दाश्च नो वाच्या १७८	अर्धाद् धर्मश्च कामश्च ४०२	अष्टतालवृष्टस्यैव २१६
अपस्त्यास्त्रसिद्धयर्थ ३७०	अर्थानर्थौ तु चार्तावां २४	अष्टताला द्वापरे तु २५१
अपाणयः पाणिमता ३७६	अर्थिना लिखितो शब्दः २९२	अष्टप्रकृतिमित्युक्तो ६७
अपि श्रेयस्करं नृणां ३४९	अर्थितः पूरयेद्दीन २८३	अष्टमांशं पारितोष्यं १२०
अपि स्थाणुवदासीत् ९१	अर्थिप्रत्ययिस्तात्रिष्वे ३००	अष्टमे पतितोत्पद्यौ ३५२
अपृष्टो नैव कथयेद् १३५	अर्थो वा यदि वा धर्म ४०२	अष्टाङ्गुलं ललाटं स्यात् २५३
अप्राग्वहेन च स्त्रिया २९८	अर्थचन्द्रां बतुलां वा ३२	अष्टादशाश्वदस्तौ हि ३५१
अप्रत्यक्षं तयोर्नैव २९५	अर्थोशेनात्ममोगश्च ४६	असमतं विकर्षं वा ६३
अप्रधानः प्रधानः स्यात् ९४	अर्थोङ्गुलाधिका वापि ३३६	असंवलितपद्म्या तु ३४९
अप्रवासी गृही निश्च १८०	अरुप शतधनुः प्रोक्त ३४७	असत्यं कार्यवातित्व १६६
अप्रसिद्ध निरावाधं २९०	अस्वायुर्भूद्दाघर्थ १	असाहाय्यं च तत्कार्यं १५९
अप्रेरितहितकर्त ४	अस्वीकृत विभागोन ५०	अस्तिरतं परालेप २८६
अशाला मध्यवयसः ७७	अवश्यंमाविभावाना ९	असूयकः शत्रुसेवी १९७
अमध्यममङ्गणे चैव २८८	अवश्यपोष्यमरणा ११८	अस्तीति न च मिथ्यै २८९
अभयं च वर्तं द्यात् २५८	अवश्यमेव भोक्तव्यं १४	अस्थं तु दिविधं श्रेयं ३५६

अस्त्रायै स्वार्थमिद्वयर्थं ३६१	आन्वीक्षिक्यात्पविष्टाना २५	इ
अस्त्रिभ्रंशं ममानेन २९२	आपत्कालेऽन्यदुपाणा ३२५	ई
अस्य क्षिप्यते यत्तु ३५३	आपरस्वपि न देयानि ३१९	ईक्यास्ते चोपसम्भाने ३७७
अस्वन्त्राः प्रजाः सर्वाः ३१५	आपटं प्रतरिष्यामो ४०४	ईशता चाधिकतरा २२१
अस्वामिक कानि प्राप्तं ७२	आपयुन्मार्गं गमने ९०	ईषत्कुटिलदण्डाग्र २६३
अहि सैवासाधुहिमा १८९	आपन्नं सन्धिपन्विच्छेत् ३६४	ईषदुत्प्लुत्य गमन ३४९
आ	आभवाक्यमनादृत्य १३३	उ
आकुक्षिताग्र गदान्या ३४९	आयः माहजिकः सैव १०७	उक्त राष्ट्रप्रकर्णं ३२३
आकारप्रेरको राजा ४	आय-ययप्रविहाता ६९	उक्त संक्षेपतो लक्ष्म २२५
आचार्यः सर्ववेष्टासु १३१	आयुतिको विशतिभिः ४१०	उक्ते तु साक्षिणा साध्वे ३०१
आज्ञापयाद्यनथाह ९६	आयुर्बान्धरी राजा २७०	उचित तु व्यय काले १५८
आज्ञामुत्तं वयन्ति स्म १००	आरम्भ तस्य कुर्याद्दि ४०८	उच्यैः पदन्यासगतिः ३४४
आज्ञामहस्तु महतां १४५	आरामकृत्रिमवन ८६	उच्यैः प्रदसन कास ८९
आज्ञायुक्ताश्च भूयकाभ् ८७	आर्जकस्यैव दु ख म्यात् २०६	उत्कृति तु समर्थोपि १७
आज्ञो ह हूनकारित्वं २८२	आवर्तकविहीनो तु ११०	उत्कृती मस्यपाती वा २८२
आगततापित्वमापन्नो ३७८	अकुलाद्यं स्मृतं मान १११	उत्कृष्टजातिशालानां २७७
आत्मनो विपरीतश्च ३६९	आवर्तो जायते येषा ३३९	उत्कोच नैव गृहीयाद् ९८
आत्मपितृभ्रातरश्च १८३	आवेदयति कर्तार्य ४८	उत्कोचग्रहण नैव ४३
आत्मपितृमातृगुणैः १५९	आवेदयति यत्पूर्वं २८०	उत्तमा द्विगुणा मध्या ४१०
आत्मवत् सततं पश्ये १२६	आशीविषमिव क्रुद्ध ८९	उत्तमाऽधममध्यानां २७४
आत्मशुद्धिपरानां च ३०९	आसमन्नाद्यगुर्दिक्षु १८४	उत्तमार्थं तदर्थं २१२
आत्मस्त्रोधनगुह्याना १३	आग्निपुनौगमाकूटे ३२	उत्तमैरननुष्ठानं १४९
आत्मस्त्रोधनगुह्याना १८१	आसीनः म्याद्विमुक्ताकः ३७०	उत्तमो मोक्षससर्गाद् २९३
आत्मस्त्रीपुत्रभिन्नाणि १५६	आमेधकाल आनिद्ध २८४	उत्तमो मध्यमो नीचो १५९
आत्मानं गोपयेत् काले ३६५	आसेधदेद्विवादाथी ॥	उत्तरे मद्यथा नार्यः २७६
आत्मानं प्रथमं राजा १५	आ स्तनात् पुष्टदेशान्ता २५५	उत्थाप्य शयनीयानि २३८
आत्मैव ह्यात्मनः साक्षी ३०१	इ	उत्थाय पश्चिमे धामे ४०
आदानमाशुकारित्वं २३६	इक्षितं चेष्टितं यत्नात् ४८	उत्पन्नोत्पत्त्यमानाना १९३
आदौ तद्धितकृत्स्नेहं ४०६	इक्षिताकारचेष्टाम्य ९२	उत्सर्गार्थं गृहान्कुर्वा ३२
आदौ वरं निर्णयत्व १७२	इक्षिताकारतवञ्चो ६७	उत्सृष्ट रिपुणा वापि ३२९
आद्यः पुनश्च वन्ति मार्गं ३९१	इच्छया नाडित कृत्वा ११५	उत्सृष्टा वृषमाया ४५
आधर्षकेभ्यश्चोरेभ्यो ८२	इच्छया त्विनरः कुर्यात् ३०९	उदग्गृहान् प्रकुर्वीत ३४
आधर्षणं न कुर्वन्तु ४५	इज्ज्याप्ययनदानानि २२३	उदग्निश्चान्दस्तां प्राक् ३७
आधरधेयस्त्वौ वा ११४	इतरः कौर्त्तिगस्वज्यै १०८	उदरं च तथा वस्त्र २६६
आधिः सीमा बालधन ३०४	इति श्रेय निराशय २९०	उदुम्बराश्वत्थवट २४४
आनुशस्यं परो धर्मं २५	इति शक्ति रभोगेन ३०३	उद्यत्पुनयो द्वृष्टा ३७८
आन्वीक्षिकी त्रयो बानां २४	इन्द्रनील पुष्परामो २०८	उद्यम्य शस्त्रमायान्त ३७८
आन्वीक्षिक्यां तर्कशास्त्र ॥	इन्द्रारथ्यो ताडुभौ शस्त्रो ३४०	उद्देशे जनः कौर्यात् १६२
	इन्द्रानिलयमार्कागा ११	उपदेशो हि मूर्खागा १८४

उपभोगाय च धनं	२८	एकस्यैव हि योऽयच्छो	१६	कन्याया अपि विक्रेता	११७
उपमानेन तज्जानं	१८०	एकशौलवयोविधा	१८५	कफोपिपागोऽप्यसकृत्	३८०
उपहारस्य भेदास्तु	३६५	एकार्थनशां सादिरथं	१२	करदाथ भवन्त्यन्ये	१८८
उपहारान्ते यस्मात्	३६५	एकेनैकश्च शस्त्रेण	३८३	करदोकरणं राजां	२०
उपायनञ्च गृह्णाति	१३	एकैक वाश्येत्तत्र	३००	करवयारिमात्रा पया	३९
उपायान्तरनाशे तु	३६६	एकैकशो दिशो वाऽपि	३७०	करामे परिधिर्जयः	२६५
उपायान् षट्शुग मन्त्र	३६१	एकैकशो विनिग्रन्ति	१७	करिष्यामांति ते कार्ये	११
उपायान् षट्शुगं मन्त्रं	३८२	दकोदरा अपि प्रायो	१५८	करैः पंचतहलैर्वा	३०
उपायान् षट्शुगान् बोध्य	३७५	एगो गजः पतङ्गश्च	२२८	करैर्वा प्रमितैर्ग्रामै	१८६
उपायेन पदं मूर्ध्नि	३७३	एतावती भूति तेऽह	११७	करोति निष्फलं कर्म	१७१
उपायेन गणा न्यालो	१८५	एते नश्यकरोपाया	२५१	करोति विविधान् पद्यान्	३५०
उपेक्षया च निपुणैः	३६६	एनमार्थि दापयिष्ये	२८८	करोति न मृगः श्रेष्ठो	२०४
उपेक्षेण प्रनष्ट पद	१५१	एवं परिचरन्तो सा	२४०	करांत्यकार्यं साशोऽन्यं	१६७
उपेक्ष्य तस्मिन् तथान	२६७	एवविधानमाधुंश्च	११९	करोपायवर्षणं नैव	१८८
उभय दुर्बल प्रोक्तं	३२९	एवविधान् नृपो राष्ट्रे	२६८	कर्णचूर्णाग्निदानेन	३५९
उभयानुमनः साश्री	१८९	एवविधा राजमभा	३७	कर्णेनाम्तरं नित्यं	२६५
उभयोः प्रतिभूर्मांसः	१८९	एव विभोऽनिष्टगशो	३३२	कर्णयोरन्तरे ध्यासो	२६५
उभौ तत्र स्थिरा लक्ष्मी	९५	एवविधो रमो राजा	३३१	कर्णहृत्पद्मान्तरं तु	२५५
ऊ		एवं विदरतो राजः	५२	कर्णे श्यामः श्यामकर्णः	२४३
ऊडया कन्यया वापि	३१८	एवमादिषु जातेषु	३८३	कर्णां च भ्रूसमौ देवौ	२५५
ऊनविशयज्जुलः स्यात्	२५५	एषां लक्ष्मैर्विमिलितो	३३२	कर्णभ्यं यामिकैरेव	५३
ऊरमूलस्य परिधिः	२६५	एषां संपत्या निकृष्टानां	३०८	कर्णभ्याः प्रागुदरंवेता	३७
ऊरपु च शुभावर्तौ	३५२	एषु स्पर्शो बरलोणा	१२८	कर्माणा विग्रहस्त तु	३६३
ऑ		ऐ		कर्मेणोत्तमनोचत्वं	२२३
ऑग्यजुः साम चायवं	२२५	ऐरुमत्यं विना युद्धं	४०२	कर्मांशोरुण्णाः पूज्या	६५
ऑरूपा यत्र ये मन्त्राः	२२६	औ		कर्मेण कारण चात्र	६
ए		औष्च तु मुखमानेन	३३५	कर्माणांस्तण्डुलाश्च	३०८
एकं शास्त्रमधीयानो	२७५	क		कलहे न सहायः स्यात्	२५२
एकं शास्त्रमधीयानो	१५७	कटिशङ्खजानुमुष्क	३५२	कलादशकमेतद्धि	२३३
एकः स्वादु न भुञ्जीत	१३५	कृष्णोमुखमानेन	२६५	कलाऽभिलाशीति देशे	२३५
एकद्वित्रिचतुर्द्वैस्त	२५७	कथं बतेत्तद्दुर्बलं	१५८	कल्पद्विरेत्तरं सम्ये	२९५
एकभूमि समारोप्य	२५७	कथा विचित्राः कुर्वाणाः	३७७	कल्पयेथ यथाविष्य	५१०
एकवारमप्यशितं	९५	कथितं प्राद्विबदाकादी	२८३	कल्पयेन्मध्यम मध्ये	३९
एकवासास्तथाऽभ्यक्तो	२८०	कदापि नोऽदृष्टः स्यात्	१३९	कल्पयेत्सावन नित्य	११७
एकविंशज्जुल सक्थि	२६६	कनिष्ठिकात्नामिकालो	२५२	कल्पितस्तुतिमूलो वा	२३१
एकस्मिन्नधिकारे तु	२०७	कनिष्ठिकायाः परिधिः	२५६	कवचं सांशिरखाण	३६०
एकरसैकेन वा द्वाभ्यां	३६१	कन्या दद्यात्तम जेन्	१५५	कश्चिपुतर्द्वगिराऽस्तीति	१६२
एकरसैव न पर्याप्त	१६७	कन्यायिका पालनीया	१५३	कस्यापि नेपथः कर्त्ता	२३०
				कांश्चिद् द्युक्तालप्रदने	१२१

काचपानादिकरण	२३६	कुडम्बिना गृहार्थं तु	४१०	कोपं करोति दौरात्म्या	२१
का जातिः कि कुलं नाम	४०	कुदालो लवली धात्री	२४४	कोशभूतस्य द्रव्यस्य	४०
कामः पुजापाठने च	१९	कुनूपदच छलं नित्यं	१७०	कोशवृद्धिं सदा कुर्वीत	३९४
कामः मोधरत्नधा मोहो	२३	कुमार्गां नृपमपि	५८	कोष्ठकानां च भूमिर्वा	३७
कामक्रोधौ तु संयम्य	३१५	कुम्भकण्ठोऽय नमुचिः	२५०	कोष्ठविस्तारवर्धनां	३४
कामक्रोधी भयतमौ	१९१	कुम्भकाराः शौल्विकाश्च	८६	कौटिल्येन प्रदानेन	३५५
कामादिनैकशयने	१७३	कुर्वारसहायं सीमान्त	४०	कौशल्येन कलाभिश्च	१५०
कारणात् पूर्ववक्षोऽपि	२९४	कुर्वीद्वि विग्रहे पुसां	३६६	कौसोदवृद्ध्या पण्येन	१५३
कारणादिनमायोगात्	१११	कुर्वीदथा समीक्ष्यैतत्	१५२	कमशो वा नृपा लेया	१८४
कारुण्येनैकशयने	२१९	कुर्वीद्विद्वारमाहार	१४४	कमारस्वदशगुणिताः	११६
कार्यं न चिन्नेद्राजा	३०२	कुर्वन्ति लेखपत्र यत्	१०४	कमाद्रभावे दीद्वि	५९
कार्यं पृथक् पृथक् सम्भै	२७४	कुर्वन्त्यभ्यत नद्विधं वा	२१९	कमादर्थे रक्षयेद्वा	२०५
कार्यं निवेदते येन	१०९	कुर्वीत नृपतिर्नित्य	४०३	कमादभेदे च भवतश्च	३५२
कार्यं द्वि साध्यमित्युक्तं	२९३	कुलगुणशीलवृद्धान्	५८	कय वा विक्रय वापि	४४
कार्यक्षमश्च प्राचीनः	७०	कुलटा पतिपुत्रद्वानो	१९७	कयविक्रयकुशला ये	७
कार्यमादिश्यते येन	१०२	कुलमकांश्च यो द्रेष्टि	३९९	कयविक्रयातिलिप्सां	१३५
कार्या व्यापकन्याप्याना	११२	कुलादिभ्योऽविकाः	२७४	क्रियतेऽभ्यर्हणीयाय	२६
कार्येऽथावश्यकं प्राप्ते	३६२	कुलोद्भव सत्यमार्यं	३७२	क्रियया कारिकं बोध्य	१९२
कार्या द्वौ सर्वदा तौ तु	३७३	कुवैधामङ्गलाशौच	१९७	क्रियाफलमविशय	१३७
काल नियम्य कार्याणि	१७५	कुशलादिपरिग्रही	९३	क्रियावसानविरसै	१६
काल मृत्यवधिं दैव	३८९	कुसन्नत्या कुल वारना	१७४	कोडयेन्मृगया कुषादि	४८
कालमान त्रिधा श्रेयं	११७	कुसोद कृषि वाणिज्य	२४	कुरकर्मा सद्योपुक्तो	५५
कालस्य कारण राजा	१०	कृतपण्यस्य विक्रया	३२१	वचित्तु बालसदृश	२६८
कालानुवृत्त्य विस्पष्ट	९	कृतसाध्य वृत्तलेख्य	४४	वचिस्तेषोचमा वृत्तिः	१७२
कालेऽतीते विस्मृतिर्वा	१०२	कृतेन निहतो बालिः	३८४	वचिन्मैत्रासकृच्छुल्कं	२१७
काले यदुचिन कर्तुं	९४	कूपवापी पुष्करिण्यः	२४६	क्षणा युद्धाय सज्जेत	३८६
काले विपन्ने पूर्वांके	३०५	कूर्मवृष्टा मार्गभूमिः	३९	क्षये क्षये धामिकाना	३९२
काले वृष्टिः सुपीषाय	४७	कृत चेत्क्षयने देवात्	१६३	क्षत्रियादिर्नान्यथा	१७२
काले हितमिनाहार	१४४	कृतगुह्य स्वयगुह्य	३२९	क्षत्रियो नास्य तत् कर्म	३७५
किं पुनर्मनुजा नित्य	२२	कुलपूर्वाङ्ककार्येय	२३८	क्षमते योऽन्यार्थं स	१३
किमव्यस्यनोऽशूरः	३५४	कुला तत् कुले नित्य	४०९	क्षमया यत्तु पुण्य स्यात्	१८९
किमाचर्यमानो लोके	६२	कृत्वा तु योवराज्याहान्	६०	क्षमालिहानि चान्यानि	२९७
किमुच्येत कुटुम्बानि	१९	कृत्वा स्वस्य तुलामार्थं	३०७	क्षमाशालस्य वै राशो	१९६
कीनाशाः काहकाः शिल्पि	२७१	कृत्वात्मर्गं तु विष्णु दि	८८	क्षमिण बलिन् साधुः	१७७
कीनेन चार्धशास्त्राणा	२२९	कृष्ण सिन् क्रमाद् रक्त	२११	क्षिपन्ति चाग्निसयोगाद्	२५९
कीर्तिमन्वृपाणां वा	९०	कृष्ण सिन् पीनरक्त	२१०	क्षुब्धस्तनोति मर्माणि	२३
कीलकोष्ठे तु स्वर्गादि	३९२	कृष्णानुः कृष्णनिहः	३४४	क्षुरधारेण मनसो	३८४
कुटीरभ्युक्तेपथ्य	७९	कृष्णपादो हरिर्नित्यः	॥	क्षुरप्रान्थो नाभिसमो	३६०
कुटुम्बोष्णे स्वामी	१५३	केवलैः साक्षिर्नैव	३०३		

ख	गणशीनोऽर्षेहीनः सन्	१४६	चतुर्गुणं हि पादात्	३३०
सदिरारमन्नशाकाभि	गुणाधिक्य कीर्तयति	१७६	चतुर्गुणेन वरनेन	६५
खनिः सर्वधनस्येय	गुणी नावद् देवतायै	३२	चतुर्थमास्त्रिकबलं	३२७-
सलसख्यमपथ्यं तु तद्	गुणो मुनीतिर्नैवोऽपि	४००	चतुर्थांशं तु हृदयं	३३७
सलीनस्वोर्ध्वखण्डो ह्ये	गुणेनैव तु मुख्य हि	१५४	चतुर्थांशान् गमामुद्रान्	३३०
साधनं तच्छेदप्लानं	ग्रंथं निवासवे नैव	१४२	चतुरंशान्कुलावृत्तं	३३४
सारिका स्वाङ्घ्रिघते तद्	गुह्यत्वात् प्रभया वग्याद्	२०९	चतुर्दिश्वधवा देशा	५०
ग	गुरोरप्यबलितस्य	१८९	चतुर्दिश्वष्टपरिधिः	३७१
गच्छेद् घोटशमाशामि	गुरमोभूतं साधिकारि	३२९	चतुर्दिश्वष्टपं वापि	२५७-
गजमाने ह्यनुल रपाद्	गुप्तं कर्म च मन्त्र न	९१	चतुर्धा भेदिता जातिः	२२२
गजानी च तथाऽधानां	गुप्तपुच्छविकावर्तो	३४१	चतुर्भिः क्षत्रिय इन्द्राव	३८१
गजाधरधगत्या तु	गूढसम्पत्स्थिपमनो	२५५	चतुर्भिः पद्मभिः षड्भिः	३३
गजाधरधपथादीन्	गूढस्तु प्रकटाः सम्यः	२९५	चतुर्भुजैः मम प्रोक्तं	३१
गजाधरधपथात्	गृहं बहुकुटुम्बेन	१६५	चतुर्नापमित स्वर्णं	२१७
गजो गनेन यातव्य	गृहपक्तिमुखे द्वारं	४२	चतुर्विंशतिभिर्भक्तो	२१३
गजो निरप्यते नैव	गृहिणो न परधीनाः	२९९	चतुर्विंशत्यगुलैस्तेः	३०
गजोऽष्टदधानात्पथे	गृहोवा तप्रतिभुव	२२०	चतुर्विंशशतैरेव	११
गजागृहं पृथग् ग्रामात्	गृहोवात् सु प्रयत्नेन	२०६	चतुर्विंशस्तथा धार	१०९
गगनाकुशलो वरगु	गोगजाधोद्गमिषो	४४	चतुर्विंशोऽपराधः स	१९२
णेशस्य रवेर्देव्याः	गोप्यगोप्यक्रियास्तुक्तं	१०४	चतुष्पाद् व्यवहारः स्यात्	२९३
गणपः षड्विधा धारा	गोमांसतुष्टकञ्जेति	२४५	चतुस्तात्प्रमनौ बाहू	२५२
गतस्वेदस्य शान्तस्य	गोमेदः त्रियकृदाहो	२०८	चत्वार आश्रमास्तस्य	३७६
गति संवर्धयेन्नित्यं	गोलो लोहमयो गर्भं	३५८	चत्वारिंशत्समा नीताः	१२०
गति शिक्षां चिकित्सां च	ग्रामाद् बहिर्वतेयुस्ते	४११	चत्वार्यैतानि सन्त्यय	२५१
गतिमध्यासनः	ग्रामाथैवेऽचलाथैके	२५६	चित्तापनदत्तं चैव	३०५
गत्वा स्वकार्यशालां वा	ग्रामाद्बहिः समीपे तु	३८७	चिन्तनीयं बुधैर्लोकान्	२१७
गरीयस्तरमेताभ्यां	ग्रामे ग्राम्यान् वने वन्यान्	२४४	चिन्तामणिः स विज्ञेयः	३४२
गरीयासो वराः सर्व	शीबामूलस्य परिधिः	३३६	चिरं सम्यगुयात्प्रित्यं	१३५
गर्भं धत्ते न वन्धयेद्यं	श्रीम्मन्वांशुतपत्त	२५	चौरैर्हन्त पापदत्त	१६१
गलमध्ये पृष्ठमध्ये	च		छ	
गलमध्ये शुभस्त्वेकः	चक्रवर्ती स विज्ञेयो	३४०	छान्नापन्नचमर	१२१
गवां सम साधेगुणं	चण्डरत्नात्तापित्व	३८८	छलभुपैस्तु तद्गुणै	१५१
गवादिदुग्धाक्षफलं	चण्डीभैरववेताल	२५०	छायेव वर्तते नित्य	१६७
गास्मत्तु दूतमं चेन्	चतुःकरात्मको दजो	३०	छायेवानुगता स्वच्छा	२३९
गिरीन्द्रशिखराकारो	चतुःषष्टिकला शोभाः	२३७	छिद्रं सञ्चलन पातो	३५१
गुणं हि दुर्गुणीहृत्य	चतुरङ्गुल ललाट रवा	२५१	ज	
गुणसाधनसंदष्टाः	चतुरङ्गुल वस्त्रेषो	२५५	जयमस्यावराणां च	११
गुणसाधनसदष्टा	चतुरङ्गुला मवेद् घोवा	२५१	जङ्गामूले तु परिधिः	२६४

बद्धे क्वहसमे कार्ये	२५१	ततोऽर्द्धति प्रमाण तु	२६६	तथाविधाधोरणरतु	७५
जनस्थाशयमालक्ष्य	१२७	तत्कर्म नियतं कुर्याद्वि	६३	तथा शय्यादिसम्बन्धं	७९
जपश्लोमाचर्चनं यस्य	२२६	तत्कार्यजातलेख्य तु	१०२	तथैव नै पाठनीयाः	२७६
जपोपवासनियम	८३	तत्कार्ये कुशलं चान्ये	७३	तदनीत्या न वर्नेयुः	३९९
जपप्रेण सम्भ्यैर्वा	२९३	तत्कार्येषु कुशलाञ्	७५	तदनु स्यात्प्रतिनिधिः	६७
जलतस्करराजाग्नि	३१८	तत्कृतं मन्यते राजा	१४	तदर्थी तत्कुलां वार्ता	९३
जलदुर्गे स्मृतं तज्जैः	३२४	तत्तन्मतानुगैः सर्वैः	२	तदर्थश्च तदर्थश्च	२००
जानिं तुला च मौल्यं च	८०	तत्तेजसोऽनुतेजासि	१७१	तदर्थां कटके श्रेया	३२३
जाती सधे प्रानिकृष्य	१६८	तत्तेजैव कृतं श्रेय	२८७	तद्वाद्या धारयित्वादी	८९
जात्यानन्ध तु सम्प्राप्त	२२३	तत्पृष्ठाश्व पादागान्	३८१	तत्रापि प्राङ्गागुमुद्रे	३७९
जानानि युद्धसम्भार	७८	तत्प्रासिपत्रं गृह्णीयाद्	३८९	तदालयानि तज्जाति	२४७
जानानि स शतानीकः	७७	तत्त्व सत्यार्थाभिप्रायि	२९५	तदीयकुशलप्रदवैः	१४३
जानुसस्या यशवर्ताः	३४१	तत्पत्रं वादिमान्यं क्षेत्रं	१०४	तद्भूषं तु भवेद्राजा	२८
जायते राष्ट्रज्ञस्य	१९१	तत्राप्यभ्यागन्वथा स्यात्	११८	तदेव हि भवेद् वैश्व	२११
चारधरो बलिद्विष्टो	१५२	तत्पुत्रो विवदेच्छशो	२८८	तदैव नृपतिः पूज्यो	३९२
जितेन्द्रियस्य नृपते	२४	तद् प्राप्नोति फलं तस्यै	१२६	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
जितेन्द्रियो जिनक्रोधी	६८	तत्रत्यानि दैनिकानि	४२	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
जोवनोरस्वतन्त्रः स्यात्	३१५	तत्रस्थगुणदोषाणां तु	२७२	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
जोवश्रेय मृतः सोऽपि	३७९	तत्राधिकगुणाणां च	३००	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
जोवन्सन्त्वामिता पुत्रे	३९८	तत्रामियोक्ता प्राक् पृष्टो	२९१	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
जोवामि शनवर्षं तु	१५५	तत्रैव कल्पयेद् द्वारं	३५	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
जाता पूर्वं भागमिच्छुः	२१८	तस्सन्देहविनाशार्थं	२११	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
ज्ञानकर्मोपासनाभि	७	तस्सदायकल नैव	३८५	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
ज्ञानकवदोर्विदम्ब्या	१७३	तस्साधनं तु द्विविधं	२९४	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
ज्ञानेन हृष्टवदनः	९३	तस्सिद्धयं सज्जयन्तिस्म	१००	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
ज्ञेया षोडशशाला तु	२५०	तथा कोशस्तु सधार्थः	२०३	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
ज्ञेयोऽधमदमो भूत्यः	९९	तथा चत्वरत्नैर्यं न	१३०	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
ट		तथा चापाणिकेभ्यस्तु	२२१	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
टङ्कितुर्भिन्तोः स्यात्	२११	तथा न क्षोडयेद् केशिद	१७८	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
त		तथा न षोडयेद् कुत्र	४१०	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
त एव तैर्न दुष्प्रेयु	२७७	तथा नान्येन मार्गेण	२४८	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
त एव हि विजानाति	२२३	नयापि नैव कुर्वीत	१३८	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
तद्यगवापि कर्तुं	२१८	नथा भवन्ति ते निरर्थं	१७४	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
तद्यागवापोप्रासाद	२३४	तथाभिजनमत्स्तु	१४०	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
ततः सतोषन निरर्थं	१९५	तथा श्रुतिस्तु सद्योज्या	११८	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
ततः स्वगौरिमकगणो	२८	तथा मोगाय भवन्ति	१४	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
ततस्तु क्रोडिपर्यतः	२८	तथा लेखकपटकं हि	३३१	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
ततोऽजसाधनं कृत्वा	२३९	तथाविधा गजोभ्रादे	७८	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३
		तथाविधा च पण्यको	८५	तद्गुणो यदि तत्पुत्र	७३

तमाचरेष सा जाति	२४३	तृतीयेऽग्ने तु सन्दंशौ	३५१	दशताले तु विद्येयो
तरुण्यरुपा वा मद्गतौ	२१५	देजस्वी क्षमते सर्वे	१४९	दशतालोर्ध्वमान तु
तरमाच्छाखत एव स्यात्	३१६	ते तादृगुतयै सम्भार्या	२२२	दशनैः भ्रवणैर्येन
तरमात् सर्वप्रयत्नेन	१९६	स्यक्तस्वधर्माचरणा	७	दशमाशमितं ताम्रं
तरमादेतत् प्रय त्यक्त्वा	१९१	स्यक्त्वा नीतिबल स्वीय	२०२	दश वाऽष्टौ परं मूल्यं
तरमान्म लेख्यसामर्थ्या	३०३	स्यक्त्वातान् दुर्गुणान् यत्ना	१२९	दशशस्त्रास्त्रिभुक्तौ
तरिमन् स्थित चैत्र बहु	१५७	स्वयन्तु सैनिका नित्य	३८८	दस्युभिः पीठनं शत्रो
तरस्य तेभ्यो न साक्ष्य स्यात्	२९९	त्रयोदशाङ्गुलं चापः	२५२	दशहस्तमितः कुन्तः
तरस्य सर्वगुणैः किन्तु	१४६	त्रिंशद्योजनगन्ता वै	२१६	दशाङ्गुल्य विस्तृतिस्तः
तस्यापि शासन तेस्तु	३९९	त्रिकसस्थो यदावर्त	३४१	दशैकाङ्गुलपरिधी
ताडनं द्रव्यहरणं	१८८	त्रिकूटः स परिडेयो	३३९	दातृत्वं धनिके शौर्यं
ताडनं बन्धनं पश्चात्	१९४	त्रिकोष्ठैः पञ्चकोष्ठैर्वा	३६	दातृणां धार्मिकाणां च
ताडयेन्मध्यधातेन	३४५	त्रिगुणा वा यथाकाम	३६	दानं सैवैव शूद्रादेः
तादृक् संचारयेत् क्रीड	३७०	त्रिचतुःपञ्चकृत्यो वा	३०६	दानधीणो विवर्षिष्णुः
सान्प्र्याप्तानयेद्गामा	२८६	त्रिधा वा पञ्चधा कृत्वा	२१९	दानमानसस्वशौर्यं
सागसौ कृष्णवर्णा तु	२६१	त्रिभिरदीर्घैर्लं धार्य	४६	दानमानापमानं च
ताम्राधिक सार्धगुणं	२१५	त्रिभिर्वा पञ्चभिर्वापि	७३	दानमानैर्वियुक्तोऽपि
तालज्ञो लभतेऽर्धार्धं	३१८	त्रिशतं दारपुत्रास्ते	३३१	दानशौण्डः क्षमा शूरो
तावद् भवन्ति ते दोषा	२४६	त्रिहस्तदण्डास्त्रिशिखो	३६०	दानार्थं च विना त्वे ते
तावुमौ चीरवच्छास्वौ	३२०	त्रेतायुगे पूर्णदण्डः	१९०	दानेन वर्धते नित्य
तिर्येगूर्ध्वच्छिद्रमूलं	३५७	त्र्यङ्गुलं तु मवेज्जानु	२६६	दान्त कुलोर्ध्वं मध्यस्थ
तिलमासादिस्नेहानां	२३५			दान्तः शूरश्च शलाख
तिष्ठन्ति सघनद्वारे	१५६			दान्तरस्तु सघनो वस्तु
तिष्ठन्तीं सुपविष्टां वा	२५९			दासे भृत्येऽथ भार्यायां
तिष्ठन्तीं बाह्वनस्था	२४९			दास्यमेके च गच्छन्ति
तीक्ष्णवाक्यान्मित्रमपि	१६४			दास्यामि कार्यमाना सा
सौरितं चानुशिष्टं च	३१३			दास्यान्वापरसमुपोषं
शूर मन्दं च कुटिलं	७६			दिन्याबन्धनं मिथ्या
शूरप्रवणः वेगश्च	३३८			दीर्घदर्शी सदा च स्यात्
शुलाकषिपतमूल्य स्यात्	२११			दीर्घद्वेषो क्रूरमद
शुलातृनखलोनः स्यात्	३४५			दीर्घे चतुर्मासभूत्
शुलाशासनमभानां	४३			दीर्घोऽरुजहा विकटा
शूर्यमद्गुणधोषेय	३८६			दुःखरो विपरीतो यो
शुनीयः शपथः प्रोक्तः	३०५			दुःखाय कन्यकाऽप्येका
शुनीयाश्च चतुर्थांश	२१८			दुरात्मनां च प्राक्कल्प
शुनीयांशकमूले वा	३५			दुष्कर्मदण्डको राजा
शुनीयांशविहीनं तु	२१२			दुष्टनिग्रहणं कुर्वाद्
शुनीयांशविहीनेन	३३६			दुष्टनिग्रहणं दानं

६

दृष्टव्यो नृपतिः कामात् २३

दक्षय्यशगता चानु ११२

दक्षसत्या वामसरथा ५१

दण्डभूभागशुक्काना २०२

दण्डभूभागशुक्कैस्तु २०३

दत्त लेख्य साक्षिमय १०४

दय्यप्रतिकर्षकाय २२०

दद्याद्गृहोतमिव १५९

दद्यादेशामुख्य तु ३०२

दन्तः षडङ्गुलो दीर्घ २६४

दन्तोत्प्लेखनकश्चैव २८१

दम्पत्योः कलहे साक्ष्य १३६

दम्नो दृढ इति स्यात् २४

दमालुमृदुवाग्दान ८१

दर्पस्तु परदासेच्छा ४०३

दुधानां नृपतिः शत्रुः	१८४	द्वाविंशतिपदान्याहुः	२८२	न	
दूतस्ततः क्रमादेते	६७	दिग्वं वाऽन्यत्रैः सीरं	२२४	न कवेः सदृशी नीति	३१५
दूरात्तु दिग्गोच्छ्रायः	२५७	दिगुण कूटसाक्षी तु	२९६	न कञ्चिदात्मनः शत्रुं	१२७
दृग्मात्यः सुहृच्छ्रीत्र	१०	द्विजसेवार्चनरताः	७	न कस्यामीत कुर्याद् वा	२३३
दृढसुरालयमठ	३२	द्विजस्त्रीणामय धर्मैः	२४१	न कामयेष्येष्टं यन	१६९
दृढागश्च तथा शूरः	७७	द्वित्रिचतुःमङ्गलं वा	२१६	न कार्यं मृतकः कुर्यात्	१०१
दृष्टं त्वदृष्टत् कुर्यात्	१७८	द्वैधोमात्रं च भविषान्	३६३	न कालनियमस्तत्र	३६२
दृष्टार्थश्च कृतार्थश्च	२९८	द्वैधोमात्रः स्वयैऽन्यानां	३६४	न कुर्याच्चिन्तयेत्कस्य	१५१
दृष्ट्वा राक्षसयोश्चिन्त्यो	२८८	घ		न कुर्यात्सहसा कार्यं	९४
दृष्ट्वा शास्त्राप्ययात्मानं	१९	यनं मैत्रीकरं दाने	१५७	न केन चिच्छ्रुतादृष्टः	२९०
दृष्ट्वा सुविकल कर्म	५६	यनपतो निर्धनस्य	१५६	न केवलैः रूपेण	१५४
देवतां तु पुरस्कृत्य	२६८	यनानि संस्पृशेद् द्राक् तु	३०८	नक्तं दिनानि मे यान्ति	१३१
देवतायाश्च पुरतो	२६२	यनिकाद्रिकमेगैव	३८	न गोपयेद्भासयेच्च	१३२
देवपित्रनिश्चिन्त्योऽञ्ज	१४८	यनिकाश्चक्रवृद्ध्यादि	३२१	न च हिंस्रमुपेक्षेत	१६६
देवपूजां नैव कुर्यात्	२३८	यनिकाश्चोत्तमधना	२०४	न चारय प्यवशीला	२४०
देवांशान् सात्त्विको भुक्ते	६	यनिकेभ्यो मूर्तिं दत्त्वा	२०३	न वैशाखशुभा पृष्ठ	३४३
देवालये मानहीनां	२६८	धर्मतत्त्वं हि गहन	१३२	न जरा यान्ति रत्नानि	२१०
देवान् कुंकरास्तस्य	४	धर्मतत्त्वमिदमिति	१६२	न ज्ञात्वा ब्राह्मणश्चात्र	६
देशकालबलोपेतः	३६६	धर्मनोनिविहीना ये	३९४	न ज्ञायते ब्रह्मनेजः	१६३
देशपर्मा जातिपर्माः	२०२	धर्मवाक्यै रजयति	२७४	न जगत्कर्माणि का	२०
देशभेदैर्जर्जाभिभेदैः	७९	धर्मशास्त्रानुसारेण	२६९	न तत्र प्रलपेद् प्राची	१६४
देशाटनाव स्वानुभूताः	१४७	धर्मशास्त्रानुसारेण	२७५	न तथा मन्त्रिणः सर्वे	३९३
देशादिपर्मा द्वात्रिंश	२२५	धर्माद्वैजबनो राजा	११	न तथा विपरीतो तु	३३८
देशे काले कथं क्रमात्	३०१	धर्माधर्मप्रवृत्तौ तु	३९४	न तथा हीननृपतौ	३९३
देशे काले च पुरुषे	४०७	धर्माधर्मौ तदर्थं च	३०८	न तालयेद् दुष्टवाक्यैः	१५३
देशवाक्चेतसा चेष्टा	१३०	धर्माधिकरणं शिल्प	३४	न तिष्ठन्ति स्वस्वधर्मैः	११
देशादीनां नशरत्त्व	२	धर्माननगतं वृष्टा	२७७	न तु नृपविहीनाः स्युः	१५
देश घटादि तद्भव्य	२९०	धर्माननमधिष्ठाय	२७६	न तो विना मे परत्र	१६०
देशे पुरुषकारे च	८	धातोः सूत्रं मानसमं	२१५	न स्यादधी तु क्षणकौ	१५५
देशीं सक्षेपतः प्रोक्त	३२७	धातौषधोनां सयोग	२३३	न शशिवनदुर्गेषु	३६८
देशीनां दक्षमागानु	५१	धारयेन्मङ्गलार्थानि	२४१	न दद्याद् इन्द्रगुलमपि	३२
देश्य स्त्री मद्यभेदै तत्	१७	धारयति मा विद्येया	३४९	न दद्याद् वृद्धिर्लोभेन	१५७
देश्यज्ञानं तु भुवोर्मध्य	२५३	धार्याः सुरवान्निविशन्ता	३२०	न दर्शयेत्स्वाधिकार	९५
देश्य लिखित्वा दद्यात्	२१०	धिन्द्रण्डमर्षदण्ड च	१९४	न दर्शयेद् स्वामिमत्	१३५
देश्यं सम्पान पुनः पातो	३६९	धिन्द्रण्डस्तत्र वाग्दण्ड	३१३	न धारयेत् पुत्रकामा	२०९
देश्यां त्रिभिश्चतुर्भिर्वा	३७०	धीमन्नो बन्धचरिता	८	न निवर्तते सद्यमात्	३७४
देश्यमार्गक्रियान्मोक्ष्य	३११	धीना मोक्षपुत्रेण	१५०	न निहन्वाद् द्रव्यलोमात्	९८
देश्यमार्गमष्टधा भक्त	३४	धीनाधीतविपाकशो	८०	न न्यून लक्षयेत्कस्य	९१
देश्यमन्यो पतितोत्पत्तौ	३५२	ध्यानयोगस्य संसिद्धये	२४८		

न पश्चात्काली होना	२६८	न शक्यते समुच्छेत्तुं	३६५	नार्थमभ्यन्विनी विद्या	२९९
न पीडयेदिन्द्रियाणि	१२७	न शीर्ये न च तपसि	३६६	नारिकेलेण खड्गग्रहैः	३८३
नपुंसकश्च स्त्रीबाल	१३३	न श्येसे दुर्गावासो	३६	नारिकेलेण तदुदं	३८०
नपुंसकाः सत्यवानो	८४	न सन्त्यजेद्य रक्ष्यानं	५५	नावतारितपद्याणां	३४८
न पुनः किन्तु बलवान्	३५४	न संज्ञताभ्यां प्राणिभ्यां	१३०	नावमानं नोपहासं	४३
न बलेन प्रमत्तः स्या	१४०	नष्टा दुर्घोषनाधारतु	५८	नावमान्या राजपत्नी	९७
न बलेन विनाप्यत्य	३२८	न स्थूला नापि विपिता	३३६	नाश्रयान्ते च ये नोनि	३९५
न भवत्सदृशात्त्वन्धे	४०४	नहि जातु विना दण्डं	३१४	नाश्लीलं कोर्तेत्येकाग्रिण	१२६
न भीतं न परावृत्तं	३८३	नहि तत्सकलं छातु	५७	नासकृपाद्यदेदयः	३४६
न भूषयत्यलंकारो	१६५	नहि द्रुतपृगेन्द्ररय	३७३	नासारन्धान्तरं चैव	३१७
न भृशपक्षपातो स्थाय	५४	नहि स्वस्त्यवनिवच्छन्	२५	नासावंशोऽर्द्धाङ्गुलस्तु	२५४
न रुषंयन्ति तास्तनो	६२	नहीदृश संवचनं	२६	नासिकाकर्पूरज्ज्वा तु	३५३
न मुक्तकेशभासीने	३८३	न हीनं मणिपातूनां	११३	नासीसरोरुकरा च	२६३
न मूर्खं युगहोनस्य	२१६	न हीना नाधिका नागए	२५३	नारिका दाम्भिकाश्चैव	६६
न यथेष्टवयापालं	२८	नाश्रये तु मनि कुर्वाद्	१४५	निःधासोद्गाणद्वुतभुग्	२५
नयवाप्रोनिगनिवित्त	४२	नाम्नमेच्छकैराज्योऽ	१२९	निःसारतां न हि प्राप्त	३०६
नयस्य विनयो मूलं	१५	नाश्रीकरोति यः साद्यं	३००	निगृह्य बोधयेत्सम्प	९८
नयुञ्ज्यादिपुराणूस्थां	३९६	नातिक्रमेदपि ऋषु	१४५	नित्यं प्रवर्धते बालः	२६५
न युद्धं कूटसट्टय	३८४	नातिक्रूरः स्रुष्टश्च	३५०	नित्यं प्रयासायासाभ्यां	३५५
न युध्यमानं परधन	३८३	नातिवृत्ता स्वयं भुक्त्वा	२३९	नित्यं बुद्धिमतोऽप्यर्थः	५
नयेत्कालं वृथा नैव	४२	नातिवाद नाणिकार्यो	१६२	नित्यं मनोपहारिष्या	२६
न रक्षन्त्वप्रकाशं हि	४३	नातिममीपप्राकारा	३३	नित्यं ससेवनरतो	९४
नरदेहादिना त्वन्धो	२२२	नात्मसङ्गोपने युक्ति	४०६	नित्यं सम्मात्रिता चैव	४०
नराकृतिश्चञ्चुमुखो	२६२	नात्मा पुनरतोत्मानं	१५८	नित्यं विक्षंमससम	३८५
नरो नारायणो रामो	२५०	नाधिकारं चितं दपाद्	७२	निदेशकार्यं विद्याप्य	८८
नलधर्मपभूतयः	१७	नाध्यापने नाध्ययने	१६६	निदार्थं च विद्यारथं	३३
न लेह्येन विना कुर्वाद्	१५७	नानादेशीयवर्णानां	२३३	निधिर्भूमौ विनिहितो	१०८
न वृत्तालश्च सुदुःखः	३५०	नानावृत्तलताकीर्णं	३२	निधानस्य विनाशी च	२८०
नयनाभ्यां कर्माद्य पीतो	३५१	नालुवाकइत्या बुद्धि	१७३	निमनीऽसदृशइत्याणो	३९२
न यथितं बले यैस्तु	२०	नाभ्यथा तदभयं छात्वा	३२०	नियुञ्जीत प्राद्यतमं	७३
नयसताजनियम	४४	नाभ्यथा भृतिरूपेण	६६	नियुञ्जीतससिद्धये	१७५
न विद्यते तु सपदि	४०२	नाभ्यधर्मं हि सेवेन	१३४	नियुत प्रयुज कोटि	११६
न विद्यते धृक् स्त्रीणां	२३८	नापकुर्वातोपकुर्याद्	१६१	निषोजयेन्मनिगण	३८६
न विभयान्पुषो धर्मे	२७२	नापराधं हि क्षुभते	२०	निरालसा जितकोष	८१
न वीर्यं न च पथां हि	३९	नाश्री कुशी च पार्थमे	३३९	निरालसा जितकोष	२७१
नवीनकरशुल्कायै	९८	नाभ्यधश्च मयेमेदं	२५	निरालसेकित्तैश्च	२८३
नवीनोऽप्युक्तयि	८५	नायतोऽहिरयते रानं	२१०	निर्गच्छन्ति च ये	४२
न वेगिनीऽन्यकार्यैः स्या	१२५	नाऽम्भितलमाप्तिं तु	४०८	निर्जानतं मधुरमग्	१७०
न वैदयो न च वै शूद्रः	१२६	नाराजकं क्षणमपि	३९९		

निर्घनस्त्वज्यने मार्या	१५५	नेत्रयोः कथित तज्जैः	२६५	पञ्चाशदङ्गुली बाहू	२६७
निर्मुक्तः सर्वपापेभ्यः	१७६	नेत्राग्रयोरन्तर तु	३३६	पञ्चदशोषणान्छादी	२८२
निर्वर्तनानि द्वात्रिंश	३१	नेत्रोपरि परोणाहो	३३६	पट्टिशः स्वसमो हस्त	३६०
निवृत्तिरसदाचार	१८८	नेत्रोपान्ते च परिधिः	२६४	पठने पाठनं कर्तुं	८३
निवेद्य तत्रनीः पश्चात्	८८	नैस्त्र सबसेत्रितय	५५	पतिं च तदनुष्ठाना	२३९
निवेशनपुरे ग्रामे	३८	नैको गच्छेद् व्यालव्याघ्र	१५२	पत्र कारयते यस्तु	१०३
निवेशयेत्तण्डेन	३५९	नैते महाभये प्राप्ते	३७७	पदातिबहुल सैन्यं	३३०
निशि यामशयं नितय	११९	नैव पश्चार्धमार्तस्य	१२०	पथकोशः पुण्यदासः	२४७
निश्चिन्त्यान्स्वामिक यद्	१०६	नैव वक्ति च कर्तव्य	१५२	पथमालाऽमयवर	२६०
निश्चिन्त्यान्स्वामिकञ्चा	"	नोश्चारयेदर्घ करय	१४२	पथिन्यादिप्रभेदेन	२३०
निश्चेतुं ये न शक्याः स्युः	३१२	नोश्चैवेदत्र परुष	२४०	परराष्ट्रे हते दद्यात्	३९०
नोचकर्म कर कुर्याद्	१९६	नोपकृत मन्यते स्म	१२३	परवेदमगतस्तनस्ता	१७९
नाचप्रियः रक्तन्मथ	६	नोपेक्षेन खिटं बाल	१३२	परस्त्रीसंगमे कामो	१९
नोचहीनो दोषदर्शी	१४	नोर्ध्वदृष्टिमधोदृष्टि	२५६	परस्पर प्रातिकूल्य	३७४
नीचालमस्त्र भवति	२४३	नौकादिजलयानानि	२४६	परस्पर भवेत् प्रीतिः	४०६
नीतिं त्यक्त्वा वर्तते यः	३	नौकारथादियानानां	२३५	परस्पर ममबलाः	७२
नीतिदृष्टं चिकित्सा च	२८०	न्यायप्रवृत्तो नृपति	११	परस्परमनिष्ट न	१८६
नीतिद्वयं नृप स्वन्य	३९३	न्यायार्थं किमिति सपृच्छेत्	१९३	परस्य विपरोताश्च	३६०
नातिशयं शितायाल	१८०	न्यायान् पश्येन कुनमति	२७५	परस्य साधकास्ते तु	११८
नोनिदोष खिले वक्ष्ये	३९६	प		परस्वहरण लोके	४००
नृप सर्वोपदेसैश्च	७१	पंक्तिद्वयमनानां हि	३९	पराक्रमेणार्जवेन	१४५
नृप सप्तचक्रैश्चान्वा	२८०	पंचविंशतिभिर्दण्डै	३०	पराक्रमो बल बुद्धिः	२७
नृपः प्रमापालनार्थ	६१	पंचविंशतिभिर्दण्डै	३१	परार्थनाशन न स्वात्	९१
नृपः स्वधर्मनिरतो	५	पंचविंशत्यब्दपुर	१५५	परार्थवादी दण्ड्य स्याद्	२८७
नृपदुर्गुणो नित्य	३९०	पंचविंशतिवैहस्यै	३१	परिखादेरिणं श्रेष्ठ	३२४
नृपदुर्गुणलोप तु	४४	पंचमप्रतिमाहस	"	परिचारगणानां हो	७०
नृपसत्प्रोपितैः पश्चात्	३८१	पंचानामथवा षण्णा	७७	परिणाहः शक्योसौ	३३५
नृपस्य परमो धर्मः	३	पंचाशत्कोटिपर्यंतं	२९	परिणाहस्तूदरे च	२६४
नृपस्यासद्गुणरताः	३८९	पञ्च मंथज्य यत्नेन	४६	परिणाहो हृद्यमुखा	३५०
नृपातिरिक्तवेषश्च	२८०	पञ्चैतद्वेशे व्याप्य यत्	२९१	परितः प्रतिक्रोधे तु	३६
नृपाहूतस्तुर गच्छेत्	९७	पञ्चगाना स्मृता बालाः	२५१	परिनस्तु महाख्याल	३२४
नृपेभ्यो स्वधिकोऽसति	९०	पञ्चमांश चतुर्थांश	३२२	परिवर्त्य नृपो ह्येनान्	७२
नृपो यदा नदा लोकः	२१	पञ्चमांशधिकं त्रौच्चं	३६	परिवृत्तिं यासिकाना	७८
नृपो यदा तदा लोकः	१९७	पञ्चपवानुलेनैव	३३३	परिवाद् योगयुक्तो यो	३७७
नृपो यदि भवेत्त तु	९८	पञ्चवत्सभृत्ये तु	११९	परीक्षकैर्द्रात्रयित्वा	६४
नेच्छन्पम्पाधिकार हि	६५	पञ्चपिंशतिवर्ष हि	३५०	परोक्षे तद्रहश्चार	२५९
नेच्छेच्च युगपद्भास	१९९	पञ्चाङ्गना पादकर	२५५	परोपकरणे दक्षो	६५
नेत्रे च व्यङ्गुलायामे	२५३	पञ्चायुनी सेनपोऽपि	४१०	परोपकारनिरतः	८२

परोपदेशकुशलः	१५	पुत्रो निर्देशवर्त्ता यः	१८३	प्रकृत्यनुप्रकृतयो	३७
पर्याप्तं षोडशाब्दानां	२०४	पुनः साथं पुनः प्रातर्	२३९	प्रकृत्यनुमतं कृत्वा ।	६३
पर्यायेण च सामुख्य	३६९	पुनर्दातो निवृत्तश्च	११०	प्रकृत्यनुमति कृत्वा	९८
पर्वद्वयारम्भकोऽन्यासां	९५२	प्रस्ताद् विषये देशे	३८५	प्रख्यातवृत्तशीतार्स्तु	४२
पद्मकोऽपि वशं यान्ति	११९	पुराणि च कति ग्रामा	७२	प्रच्छन्नैरिणस्ते तु	९५
पद्मकोऽपि वशा यान्ति	१८८	पुरुषावधिकं तत्तु	१०३	प्रजा नष्टा न हि भवेत्	८२
पद्मचर्माङ्गनिर्हार	२३५	पुरुषे पुरुषे भिन्नं	५७	प्रजानां पालन कार्य	४५
पश्चात्तु वेगनिर्मोक्षं	४१	पुरे पर्यटयैस्त्रियं	५३	प्रजा निःस्वा राजदौष्ट्याद्	१९०
पश्चाद्भवे तु शकटं	३६८	पुरोगमनमुत्थानं	९९	प्रजाऽन्यथा हीयते च	२०३
पश्चाद्भावे तु तैः साकं	३८७	पुरोभाक्ष प्रतिनिधिः	६७	प्रजाभिर्विधृता ये ये	२६८
पाठश्च तु दयाशीभि	२६७	पुष्टोऽपि स्वाभिनाऽन्वर्त्त	४०८	प्रजा सूद्रिजते यस्मा	२०
पादोर्ध्वमुखभ्रमरी	३४३	पुत्रव्यप्यां रसैः सर्वे	१२	प्रजा हीनभना रक्षया	१०४
पान्थप्रपीडका ये ये	४६	पूज्यस्ववेमिर्गुणैर्भूषो	२८	प्रणम्यजगद्वाधार	१
पान्थशाला तनः कार्वा	३८	पूर्णाऽपूर्णाः पुनर्दधा	३३८	प्रणिपातेन हि गुरुन्	२७
पापकर्मैति दशधा	१२६	पूर्वदेदैर्यथान्यायं	१	प्रतानवस्यः स्तम्भिन्यो	२४६
पापमीत्याऽपवा वञ्च	१६१	पूर्वपङ्कः स्मृतः पादो	२९३	प्रतिकर्तुं यत्नेनैव	१७८
पापयित्वा मर्दं सम्यक्	३८३	पूर्वपक्षे यथार्थं तु	२९१	प्रतिकूलानुकूलभ्या	९
पारदेश्य च त्रिंशत्	४११	पूर्वाचार्यैस्तु कथितं	३१७	प्रतिक्षण चाभिनवो	१८०
पारितोषिकदानेन	४१	पूर्वाभिमाषो सुमुखः	१२७	प्रतिज्ञादोषनिमुक्तं	२८९
पारितोष्यं चाधिकारं	३८५	पूर्वोत्तरं वदेद् बन्धुः	२८६	प्रतिज्ञामावनाद्वादो	३१४
पारितोष्य यशोर्थं तु	१६०	पृथक् पृथक् क्रियाभिर्हि	२३१	प्रतिनिधिर्न वातव्यः	२८८
पार्श्वयोरप्रतः सर्वे	५२	पृथक् पृथक् खयापयन्ति	१००	प्रतिमां कल्पयेच्छिष्टयो	२६१
पार्श्वं वा हर्मणं शुलं	२५८	पृथक् पृथक् तु विधानां	२३१	प्रतिमां स्थापयेज्जान्यां	११
पापाणशानुज्जयां तु	२६१	पृथक् पृथक्मतं तेषां	५२	प्रतिमायाश्च ये दोषा	२६२
पाषाणपाशवादिद्रुति	२३२	पृथक्स्तम्भान्तरकोष्ठा	३७	प्रतिमायास्तृतीयांश	२५७
पिण्डदाने विशेषो न	६१	पृथग्भावो विनाशाद्य	५०	प्रतिवर्षं स्ववेशार्थ	३३१
पितरं चापि निम्नग्नि	५९	पृथङ्ग्नियोजयेत् प्राग्वा	३५६	प्रतिवात हि न यनः	३६५
पिना माना गुरुर्भ्राता	१२	पृष्ट्वनत्रापि म भूयाद्	३००	प्रतिशतात्तु वज्रस्य	२१२
पितुराशोहृद्भनेन	६३	पृष्ट्वाग्रमान्कुरवेशान्	५३	प्रत्यक्ष दुर्गुणान्नेव	१७६
पितुस्तपोवलात्तो तु	६२	पृष्ट्वतस्तु शरीरस्य	१९६	प्रत्यक्षं वा परोक्षं वा	४००
पितृमात्रारममिनी	१८२	पैशुन्यहिसाविषय	२४०	प्रत्यक्षोने लेखनश्च	४१
पित्रादिफलसम्बन्ध	३१८	पौरलेख्य कर्तव्यं स्वात्	१०१	प्रत्यक्षोकरणाज्जीर्ण	४१
पुत्र वा भ्रातरं मार्गं	१३९	पौराणिकाः शास्त्रविदो	७४	प्रत्यक्षेण च सादृश्यैः	५७
पुत्र सदा साधु शास्त्रि	१६८	पौराणैः सत्यवचन	३०१	प्रत्यक्षेण छलेनैव	४९
पुत्रप्रसूः सुशीला या	११	पौलस्त्यो राक्षसो मानान्	२३	प्रत्यगुरू मुखसमौ	३३४
पुत्रवत्पालिता भूत्याः	५५	प्रकीर्णविषयारण्ये	१६	प्रत्यर्थिनाऽर्पिना तच्छब्दः	२८६
पुत्रस्य पितुरात्रापि	६२	प्रकृतिभिर्नृषो गच्छेन्	५४	प्रत्यर्थिनाऽर्पिना तच्छब्दः	३०३
पुत्रो नष्टा धनं पत्नी	३१७	प्रकृतीनां च कपटैः	६३	प्रत्युत्थानाविगमनै	१५०

भवेद्यथा तथा कुपायं	३९४	भेदितां शत्रुणा दृष्ट्वा	३८५	मध्ये कलत्र कोशश्च	३६८
भवेन्मन्त्रफल कीदृग्	३८७	भोक्ष्येऽखिलमहं चैतद्	३८२	मनसापि न कुर्वन्तु	४५
भवेन्मूल्यं मानेन	२१३	भोगः संक्षेपतश्चोक्तः	३०५	मनसापि न मन्तव्या	६१
भागप्राप्ती क्षत्रियस्तु	१२३	भोगच्छलापदेशेन	३०४	मनुष्यगजयोर्वार्य	३५०
भागदान-क्रयाऽऽधान	२९६	भोजनं वज्रमेन्निय	२४१	मनुष्यमारणे रतेये	२७७
भागक्षेपं स्थान करिमन्	७२	क्रमः कर्णसमीपे तु	३४३	मनोऽनुकूलसेवायाः	२३६
भागहारं वृत्तौ तु	७४	भ्रष्टत्रीः स्वामिता राज्ये	१५	मन्त्रये-मन्त्रिभिः सार्धं	५१
भागिनेयाश्च दौहित्राः	५२	भ्रष्टा भवन्व्ययथा ते	६१	मन्त्रितुल्यश्चातुतिको	९७
मार्याऽनपत्या सथान	१७५	भ्रातृमतीं मुकुलां च	१५४	मन्त्रोपधिपृथग्वेष	४०७
मार्यां पुत्रश्च दासश्च	३१३	भ्रातृणां गुरुशिष्याणां	४३	मन्दरो ऋक्षमालो च	२४७
मार्यां पुत्रश्च भगिनो	१९६	भ्रातृन् बन्धुंश्च भृत्याश्च	४०४	मन्यते वै पापकारी	३०१
भाषापत्रं तु तज्जेय	१२५	भ्रातृभावेऽपि तु द्रव्य	१८२	मन्वापैरादृतो योऽर्थः	३९५
भिन्न राष्ट्रबल भिन्न	४	भ्रान्तेः पुरुषधर्मत्वा	१०१	समायुगैर्गुणैर्वापि	२१
भिन्नकम श्रुत्कमार्थ	२९७	म		मयूरचापपत्रामा	२०८
भिन्ना हि सेना नृपतेः	३८२	मकरन्दासवादीनां	२२२	मथ्येव चाक्षताऽप्यस्ति	१७७
भीमे कर्णान्तरे चैव	३४६	मणिमुक्ताप्रवालानां	३१६	मदंविस्वा तु गात्राणि	३४८
भीमे बधस्थल इत्याद्	"	मण्डल स्तनयोर्नाभिः	२५६	मस्तके च तृतीयस्य	३३९
भुजमूलानि कार्याणि	२५८	मत्तोन्मत्तप्रमत्तार्थं	२८५	महताऽऽयन्तसायस्क	३५४
भुजानां यत्र बाहुद्वयं	"	मत्वा नृप यथान्याय	८८	मदतां सत्क्रियाऽभिष्ट	९
भुज्जीत पदसं निरथ	४७	मत्स्याम्भसा तु सेवेन	२४५	मदतोऽसत्कृतमपि	१४९
भूत्वा महाधनः सम्यक्	१५९	मास्याऽदि-शुद्ध-वारह	२१०	महत्कालेनावपकर्म	१३८
भूमिरेतौ निगिलति	३७४	मदरक्तस्य हसस्य	२६	महाकण्ठकवृश्रीधैः	३२४
भूमिभागसमुद्भूत	१०७	मदा एतेऽवलिताना	१४१	महाजनास्तथा राष्ट्रे	६२
भूमौ यावत्स्य कीर्तिः	२२२	मदरुतुःखमुल्लसो	२९०	महादण्डेन चैतेषां	२७७
भूमिभागं भृति मुक्तं	२२०	मद्यः कितवः स्तेनो	१९७	महाधनाशोप्यलसः	२७०
भूस्थयोः शक्रयोः प्रोक्त	३१७	मधुदुग्धवसादीनां	४३	महानर्धकरं ह्येतत्	१६३
भूषयन्ति च कैर्मानि	२१	मध्य यावत् षोडशार्ध	३५०	गहान् दोषो भवेत् कालात्	२९५
भृति दद्यान्नितानां	५४	मध्यदेशे कर्मकराः	२७६	महान् सुसिद्धबलयुक्	३५५
भृति विना राजद्रव्य	९७	मध्यमं साहसं कुर्वन्	१९३	महापातकशस्ते च	३०९
भृति तुल्यव्ययो दान्तो	६०	मध्यम साहसं कुर्वन्	१९४	महापापाभिः शेषेषु	३१०
भृतिमेतत्प्रती दास्ये	११७	मध्यम साहसं कुर्वन्	१९५	महापापां यत्र राजा	१९०
भृतिदानेन सनुष्टा	१२१	मध्यम साहसं चादौ	१९४	महाराजानि चैतानि	२०८
भृतिरुक्ता तु तद्विधैः	२१७	मध्यम साहसं चादौ	१९५	मदीं स्वस्था नैव भुक्तं	२७
भृतिरूपेण सदत्त	१०९	मध्यमः साम्यमन्विच्छेत्	४०८	गन्तर पितर भार्या	२००
भृत्य परीक्षयेन्नित्यं	६४	मध्यमामध्यमपर्वं	३०	माता न पालयेदाच्ये	१३३
भृत्याचैवंन कर्तव्याः	१००	मध्यमामूलपरिधिः	२५६	माता मातृकुल चैव	१८२
भृत्या धनहराः सर्वे	९६	मध्यमा वैश्यवृत्तिश्च	१७२	माता मातृसमा या च	५०
भेदः सतालच्छन्नतो	२६३	मध्यमे मध्यमो धार्यं	२००	मातुः प्रियायाः पुत्रस्य	१६६
भेदनीयाः कर्षणीयाः	४८१	मध्यमो विशतिकरो	३८	मातुलानो भ्रातृभार्या	१४६

मात्रा स्वप्ना दुस्त्रिधा वा	१२८	मुखे पत्सु तिनः पञ्च	३४३	यत्रोपविष्टा विप्राः स्युः	२७३
मात्रे दद्याच्चतुर्थार्शं	३१७	मुद्रां विनाऽखिलं राज	५९	यत्रोमौ व्यापकव्याप्यौ	११४
मातृपितृगुरुस्वामि	१३४	मुनेरपि मनो वरयं	१८	यथा कालोचिना बान्वा	२३१
मानमत्तो मन्यतेऽम्	१४१	मुहूर्तद्वितयं चैव	४१	यथागुणांस्त्वभृन्त्याश्च	१२१
मानसमपि स्वर्ग	२१५	मुहूर्तं भोजनेनैव	"	यथाप्रज्ञस्य चाभावे	५०
मानमस्थानवस्थान	४०४	मूर्त्तः पुत्रः कुर्वीतथा	१८३	यथा तथा हानेकाश्च	२४६
मानाकृतिप्रभावर्ग	७९	मूर्त्तः पुत्रोऽप्यवा कन्या	१६६	यथादेश कल्पयेद्वा	३६८
मानुष साधन न स्यात्	३१०	मूर्ध्नि पादप्रहरण	३८०	यथा द्रव्य च स्थान चा	११५
मानेन सत्यया चैवो	१११	मूलकीलज्जमाहस्य	३५८	यथापूर्वं तु श्रेष्ठं स्यात्	२१४
मान्निष्कालेण नद्युद्ध	३८०	मूलात्तु त्रिगुणा वृद्धिः	३२१	यथाप्राप्त तु लिखन	११४
मायाया जनका भूर्त्ता	४००	मूल्यत्वेन च यदत्त	१०९	यथावल यथार्थं च	७३
मायायोगविदां चैव	२७२	मूल्यमेतद्विशिष्टं तु	२१५	यथा यथा तु त्वकृत्तार	३५७
मार्गं गुरुभ्यो बलिने	१४८	मूल्याधिन्याय भवति	२१०	यथा यथा न्यूनगति	३४६
मार्गमस्करणे योज्याः	१९९	मृगयाऽश्वास्तथा पानं	२२	यथा यथा भवंन्यून	२१२
मार्गान्नैव प्रवाधेषु	४४	मृगयावाभयवर	२६०	यथावण यथाच्छाय	२०९
मार्गान्ने गृहभाण्डादेः	२३५	मृगोष्णानरगतिः	३४४	यथा विक्रायणा मूल	८३
मार्जारस्तुष्यबकवा	३९६	मृतस्य तस्य न स्वर्गो	२३३	यथा यथा तु हीनास्ता	३५२
मार्जारोक्तिकः पीतः	२६२	मृते भर्त्ति सन्नच्छेद	२४१	यथायाव्य दि सयोज्य	३८४
मालाकार इव श्राद्धो	२१८	मृते स्वर्गं जीवति च	१५१	यथाकारवस्त्राचैः	६८
मालाकारस्य धुस्यैव	२०४	मृत्तिकाकाष्ठपाषाण	२३४	यथाशक्ति विकीर्षेत्तु	१३६
मित्र तावच्च भवति	३५६	मृद्भिरतु शोभयेच्चुत्सवी	२३८	यथोक्तान्तः सुप्रतिमान्	२४७
मित्र शत्रुधनुषो स्या	१८१	मेघोदकैस्तु या पुष्टिः	३९७	यथोचरा दद्युगणा.	११६
मित्र स्वस्त्यदौर्भागैः	४०३	मोक्षदा यदि वा शास्त्राद२९२		यथोपाधिप्रभेदेन	२६०
मित्राथे योजयत्वेन	१३८	मौनं मूर्खेषु च खाधु	१६५	यदनष्टं तु सत्कार्या	१३८
मित्रे च सामदाने स्तो	१८७	मौल्याधिक्यं कुत्सीद च	१०७	यथा न कुर्वान्पति.	२७०
मित्रेऽन्यमित्रसुगुणान्	१८५			यथा विप्रो न विद्वान्	२७१
मित्र्या क्रिया पूर्वपादे	२९४	यं कश्चिदस वर्षाणि	३०४	यदा शत्रुविनाशार्थं	२०२
मित्र्यामिशारकः कर्णे	१९७	यः सुदुर्निष्कल कर्म	१३७	यदिदुर्बुद्धरूपस्थान	२८६
मित्र्याविवादिनः के च	१४७	यज्जायतेऽल्पक्रियया	९	यदि न स्यान्नरपतिः	१०
मिथ्यैतज्जामिजानामि	२९२	यद्यदाने बलफल	१४१	यदि बहुनियोगी स्यान्	२८७
मिलितौ तौ मध्यफलौ	३४१	यद्यार्थं द्रव्यमुत्पन्न	२०३	यदि ब्राह्मणमिन्नेषु	९९
मिलित्वा सङ्घो राज	१७९	यतते नैव कालेऽपि	१३७	यदि राक्षोपेक्षितानि	२३७
मोगमानावर्कवेदान्त	८३	यतो मुक्तं सुप्तं सम्यक्	४०५	यद्वत् तत्पारलौकिकं	१६०
मीमासातर्कसाल्पानि	२२५	यत्कर्मधर्मसञ्च तद्	२३	यद्यत्सहाययुष्टं तु	३२६
मुक्ताया रक्तिवर्गस्य	२१४	यस्कार्यं यो निवृत्तः त	९१	यद्यत्तत्प्राद्विकं सम्यक्	१२५
मुखं तालवृत्तीयां	२५४	यत्कोपमीत्या रागापि	६८	यद्यप्यन्तरं कर्म	५७
मुखपस्थयुक्ता श्रीवा	२६६	यद्वाच्यं मद्वाग वाचां	१०२	यथेकदेशप्रासादपि	३१२
मुखाना यत्र बाय	२५८	यत्र मध्यम उदितो	३६२	यथेके भानुषी भूयात्	३११
मुखाथं पुच्छदण्डं च	३३५				

यद्रूपमुपदेह्य य	३११	युद्धं कृत्वापि शब्दास्त्रैः	३७१	रक्षितार्त्तं शृण्वने	१७१
यद्रूपं कर्तुंमुमुक्षुः	३३७	युद्धं विनाऽन्यकार्षेण	३५४	रजतं शौचशृणुं	२१५
यद्दर्शनं भवेद्राजा	२७१	युद्धं कियं विना सेन्य	४११	रजतस्वर्णताम्रानि	२११
यन्त्रशशास्त्राग्निचूर्णं	२०६	युद्धं मुत्तुष्य यो याति	३७४	रज्यते सत्कले रवान्नं	१५
यन्त्रागानाग्निं कृद्भाव	३५७	युद्धं मेते शृणयाद्य	१८८	रत्नभूर्त्तं तु तत्सत्ययाद	२१७
यन्त्राणि धातुकाराणां	२४१	युद्धं राक्षाभ्रकुशलो	२२७	रत्नश्रेष्ठैर्बर्त्तं वर्यं	२०८
यन्त्राणि मेतुदन्वद्य	८०	युद्धं सम्मारपुष्टानि	३२५	रत्नार्थं नैव क्षारार्थं	२१९
यन्त्राप्रयोगैर्बलेच्छय	३१०	युद्धं सम्मारसम्पन्नं	३६३	रत्ने स्वाभाविका दोषाः	२१४
यन्त्रान्त्रनोऽप्रिनाशस्ते	६९	युद्धं सम्मारसम्पन्नो	३६२	रथात्वा स रथयो	७६
यथादेश यथा पुत्रा	६१	युक्तायुक्तन्यापारः	४७	रथवाज्यजशस्त्रार्थ	३४
यथाथ चक्रकाः श्रेष्ठा	३४८	युद्धमिमुत्तानिदतेः	३७६	रथस्य सारं गमनं	७६
यथोवृद्धिकरी प्रोक्तौ	३४०	युष्मन्मानाः परं शक्या	३७५	रथः प्रचारकुशल	१८
यत्स्विन्द्रियनिरोधेन	२८४	युवराजादियिल्ल्य	२१३	रथसि च नृपः प्राज्ञः	२६९
यस्माद्वैपैः प्रयुक्तानि	१०६	युवराजो मन्त्रिगणान्	३८७	रागलोम भयद्रेषा	२७०
यस्मिन्पितुर्नवेत्सीतिः	६३	युवराजोऽमात्यगणो	५८	रागाहोमाद्दयादाहः	५२
यस्मिन्स श्लिष्टासः स्यात्	२२९	ये च कण्टकिनो वृक्षाः	२४५	राजकार्योपयोग्यान् दि	८१
यस्य माऽन्यथिका पीडा	२९४	ये चान्ये गुणिनः श्रेष्ठा	७४	राजकीयं स्मृतं लेख्य	२९७
यस्य शूद्रवते चित्तं	१८१	येन येन प्रकारेण	२०१	राजकुले तु बद्धः	४९
यस्याधीनं भवैषाद्य	२२१	ये त्रियाणि प्रभापंते	२६	राजकृत्य सेनपैश्च	५१
यस्याभियोगं कुरुते	२८४	ये न्युद्धरचक्र यान	८६	राजकृत्यशुभौ जोरौ	१०१
यस्यावर्तौ बन्धनगती	२४१	योगमुद्रान्निवता स्वस्था	२४९	राजगृह समाभर्ष्य	६३
यस्याधितो भवेत्सलोक	२११	योग्या कान्त्तं च कुलटा	१७०	राजद्वन्द्वभयाश्लोकः	४
याः सर्वाः पितृरत्नः स्युः	३१५	योजनानां शतं गन्ता	२१६	राजदेशकुलश्रुति	१३१
याचकं विमुखं नैव	८१	योजनां स्वार्थेऽभिधे	३०५	राजपुत्रः सुदुर्वृत्तः	६०
याचकालैः प्रार्थितः सन्	१४३	यो जनार्थं निजं सम्पन्	२०७	राजमागस्तु रजत	२१९
याचकेभ्यो ददारयर्षं	८३	योऽपीतविद्यः सकलः	२२४	राजमागादिव्ययती	३१८
यानि सपादश्रुत्या तु	३८२	यो न संयोजयेद्विष्ट	१८५	राजमार्त्तं सुखानि स्यु	३९
यानिकार्यमहोरारत्रं	३९१	यो वै सुपुष्टसम्मार	३६०	राजमार्त्तस्तु कर्त्तव्या	३८
यामिकै रक्षितो निरय	३६	योविनो नित्यकर्मोक्तं	२४०	राजसेवाऽतिगहना	१७२
यायाद् न्युद्देन महता	३९८	यो हि धर्मपरो राजा	११	राजसौ द्वाभिको लोभी	६
यावज्जीवं तु तत्पुत्रे	१२०	यो हि स्वधर्मनिरतः	५	राजाशया विना नैव	४४
यावज्जीव तु वा कश्चिद्	१९६	यौवनं जीवितं चित्तं	२२	राजादानप्रपन्नाग	२४४
यावत्तु धर्मशीलः शशात्	२००			राजा दृष्टमिति लिखेद्	२११
यावन्नियमितः नारुत्	३०७	र		राजान स्वद्वत यमन्	६३
युक्तिं प्रत्यक्षानुमानो	७१	रक्त पीत्रं बतुंक्तं नीन्	२१४	राजा न श्युवादन्य	९५
युक्तिरक्षणात्मिका प्रायः	४०६	रक्तपीचसितदयाम	२०८	राजाऽनु युवराजस्तु	९७
युक्त्याऽनुमानतो नित्य	२९५	रक्तिकायाश्च द्वे वज्रे	२११	राजा परमनिजोऽस्ति	९१
युगपद्वीज्यैद् दृष्ट्वा	३९२	रक्तिजव तु मुक्ताया	२११	राजा पुरोहितादीनी	९९
युगानां न प्रथानां न	१९०	रक्तिमानः पुष्परागो	२१३		

राजामात्यप्रलोभेन	३१२	लोकतः शान्तनो शात्वा	१३१	वस्त्रादिमार्जनार्थं च	३३	
राजा मित्रमिति शात्वा	१४९	लोकप्रचारेः श्वधो	३२३	वस्त्रालङ्काररत्नानि	२३९	
राजा विरोधिभर्मार्थं	१०४	लोकप्रत्ययतः प्रोक्तं	३०७	वस्त्रालङ्कारसंयान	२३२	
राजा समुद्धरेणस्तु	४२१	लोकप्रसिद्धयेवैतद्	३७३	वस्त्रैरापाद्यगूढां च	२५९	
राजाऽयं जगती हेतु	१०	लोकसंकेततोऽर्थानां	२३१	वहेदमित्रं स्कन्धेन	१६४	
राजः सगोपप्राप्तानां	८५	लोकसंरक्षणे दक्षः	७	बहुभ्ययनो भीमा	१६३	
राज्ञां च क्रमशो नाम	२९७	लोकशासनयज्ञस्तु	६९	वाक्पाहृष्यमवाचिवायं	२८२	
राज्ञा सदण्डनीत्या दि	१८९	लोनांश्चण्डस्तापयति	१९१	वाक्पाहृष्यान्मूनिमृत्या	१२१	
राज्ञा चाधिकृताः संतः	९५	लोकैऽधिकारिप्रत्यक्ष	४०७	वाग्निनिविदः प्राज्ञाः	७६	
राज्ञादिष्टन्तु यत्स्थानं	९०	लोको विभिद्यते भर्गो	३०३	वाग्निनामत्यवदनात्	३४५	
राज्ञा ये विदिताः सम्यक्	२७३	लोमाद् भयाच्च किं तेन	१९०	वाग्नेरकयन्त्रैश्च	३७	
राज्ञे पञ्चाशमुद्धृत्य	३१९	लोमाञ्च कर्षयेद्भ्राजा	१९६	वायभाषास्तु सकृत्	७०	
राज्ञोपि दुर्गुणान्वक्ति	४७	लोभेन स्वभ्यया कुर्वन्	२८७	वायश्चास्ववक्षणां	११०	
राज्ञो यदि न पापं स्यात्	४०१	लोभेनासेवनाद्भिन्ना	३९०	वानप्रस्थः सन्दमने	२३७	
राज्ञो विद्विष्टसेवो वा	२८०	लोलुभ्यमानास्तेऽर्थेषु	५९	वामदक्षिणसस्यो वा	३६९	
राज्ञो राष्ट्रस्य विकृति	१९९	लोहं जस्ताद्भ्रजं रोति	१०२	वामनो सप्ततालं स्या	२५०	
रावणस्य च भोष्मादे	९	लोहसारमयं वापि	३५८	वामे चार्धं न्ययं दक्षे	२१४	
राष्ट्रभृत्यविशङ्को स्यात्	३९६	लोहामिसारशस्त्रात्	२३६	वायुर्गन्धर्व सप्ततप्त	१२	
राष्ट्रे नित्यं प्रकुर्वीत	४१०	लोहेऽर्धां वा ममा वापि	३२३	वारकाकर्षण्डाम्बां	३५३	
रिपुप्रपीडितानां च	१८७	लौहो सौभमयो वापि	२६१	वाक्षीं पाषाणभारून्वा	२४८	
रिपोनित्राः सेवकाश्च	६६			वार्ताहराः सौचिकाश्च	८६	
रूप्यं हेमं च कुप्यं च	३८६			वार्धुचिकाश्च कौसीदाद्	२२०	
रोगः शत्रुनां वामन्यो	१४३			वाहनं मूर्तिसदृशं	२५८	
रोधनं न भवेत्तरमा	६८			वाहनत्वं गता यं ये	२६२	
				विशाशं वा षोडशार्शं	२१७	
स्त				विकलाङ्गान् प्रव्रजितान्	२४३	
लक्षकर्मिणो मागो	२८	२४७	वर्षानुचरितं यस्मिन्	२२७	विकल्पन्तेऽवमन्वन्ते	१००
लक्ष्यने विमुक्तश्चैव	९२	वक्तव्यं न तथा किञ्चिद्	१६३	विक्रयादानसम्बन्धे	३११	
लघुयन्त्राण्येवधूर्णं	८६	वक्ताऽध्यक्षो नृपः शास्ता	२७५	विक्रीणन्ति महाधै तु	२०५	
लब्धं कलामु सतोभ्य	२१४	वद् न जसदं सौसं	३२२	विगृह्य चारिभिर्गन्तुं	३६७	
लाभं दृष्ट्वा हरेच्छुल्कं	२१७	वज्रं मुक्ता प्रवालं च	२०८	विगृह्यमाणप्रकृति	३७२	
लाभाधिक्यं यतिक्रयते	१७०	वदन्तीरैव क्रियया	९	विगृह्य दानं यानशैः	३६७	
लिखितं तु यदा यस्य	३२१	वर्णमाक्रमणे छाया	२०९	विहृत्य साधनं सम्यक्	२९५	
लिखिते शोधिते सम्यक्	२९३	वर्तते यत्नं यद्गते	३१६	विग्रहः स च विज्ञेयो	३६६	
लिखित्या शासनं राजा	४५	वर्तुलाक्षतुरस्तान् वा	२४७	विचार्य श्रेणिभिः कार्यं	२७३	
लेखानुपूर्वं कुर्वीधि	११२	वर्धंगत्रिश्च भर्मार्थां	२३	विचिन्त्य कुरुते शान्ता	१६९	
लेखनं यत्र न विद्येत	३१२	वर्धयेच्छास्त्रचतुर	३३०	विजयाख्यादुभौ तौ तु	३४०	
लेख्यं स्वाभिमतं चैत	११३	वर्धयेद्ग्राह्यदुर्द्धार्थं	३२९	विजित्य च रिपून्नेवं	३८६	
लेख्या लेख्या सेकती च	२६०	वर्षाणि विंशतिर्वस्य	३०४	विज्ञानरुबदुर्दशाः	२७७	
		वसन्ती मधुग्रमो शेषो	३६१			
		वसिष्ठायाधितं नित्यं	३०६			
		वसुधष्मुनिसंख्याकं	३०			
		वस्तुयाथात्म्यविज्ञाने	२०७			

विष्णुत्रिश्लेषमवातानां	२८०	विविधासनमुद्राभिः	२३४	व्ययो यत्रिच्युपनिधौ	१०८
विज्ञातामधिर्षं धाम्या	७४	विविधोपास्यमन्त्राणां	२२७	व्यवहारक्रियामेव	१०२
विदिताऽर्थागमः शास्त्रे	३१७	विशिष्टपिहितो मोतो	३९८	व्यवहारपुरं चोक्तं	२७२
विद्यया कर्मणा शीलैः	६४	विशिष्टतंशका ये च	११५	व्यवहारविदः प्राज्ञा	८२
विद्याकलोत्तमान्दृष्टा	५३	विशिष्टसंशकैरेषां	११५	व्यवहारविदः प्राज्ञा	२७१
विद्याभ्यासे गृह्यकृत्ये	१४२	विशिष्टसंशितं तत्र	११५	व्यवहारात् दिदृक्षुस्तु	२७६
विद्याराज्याद्यर्जनार्थं	१०९	विशिष्टसंशितैस्तद्धि	१०५	व्यवहाराय या मोति	२४३
विद्यावश्च शरच्चन्द्रो	९९	विशुद्धो लभते कीर्ति	३०६	व्यवहारे नरो याति	२९८
विद्या शौचं च दास्यं च	१८३	विश्वस्तान्यनृपस्यापि	३९८	व्यसने सज्जमानं तं	६०
विद्या ध्यानन्ताश्च कलाः	२२५	विषमस्याथ नातेष्या	२८५	व्याधिदुग्भिश्चकरकैः	३८१
विद्रुत न तु हीनं स्यात्	३२२	विषयामिषलोभेन	१६	व्याधौ मृगवर्षं कर्तुं	४०१
विद्वत्स्वरि च दारिद्र्यं	१६९	विष्णवापैरपि नो दृष्टा	३९९	व्याघ्नोर्यतस्तु तन्मूल	३२६
विधास्यन्ति च मित्राणि	१३८	विसृज्यन्तेऽपिपित्तानि	३७५	व्याघ्रमायव्ययं तत्र	११४
विनिशिष्यामि दण्डेन	४५	विसृज्य धनमवस्वं	२४२	व्याघ्रानां मूल्यमानादि	॥
विनष्टे लिखिते राज्ञा	३०२	विस्माराधीशमध्योच्यते	३५	व्याघ्र्याश्चावययाः प्रोक्ता	॥
विना कुटुम्बभरणाय	१९७	विस्मरामिषा चारवर्षं	४०१	व्याघ्र्यास्त्रिभ्यादवश्चापि	११५
विना परस्वररणा	४०१	विस्मरामिषित सद्धि	१०६	व्याघ्रच्छन्तश्च नदनः	१८
विनाशनोयास्ते सर्वे	१८४	विस्मरन्ति तन्मन्त्रं	१००	व्याघ्रप्राही यथा व्याघ्रं	१७२
विना स्वधर्मात्तं मुखं	४	विहरेत्सावधानरुद्र	४८	व्याघ्रभ्यासे नियुक्ता मे	३८९
विनियच्छति चात्मानं	१९२	विहारं चैव स्वस्त्रीभि	१४४	व्याघ्रभ्यासं सैनिकानां	४८
विनिश्चितं पूर्वपक्षे	२९१	पृथान् संपुष्य यत्नेन	८२	व्युरैव्युद्देन व्युराभ्यां	३७१
विन्दत्यायुर्बोत्तं सम्य	२२७	पृथाः सुशीला विशस्ताः	१७५	वीहिमिर्मदितं नैवाद्	२११
विपरीतरूपैरेभिः	२२	पृथाऽप्यपृथा च यो दत्तः	१०८		
विपरीतरूपैरेभि	६५	पृथिशीतोष्णनम्र-	४		
विपरीतरतामसः स्यात्-	६	वेदमित्रप्रमाणास्ते	२४२	शकटाः शकटाकारो	३७१
विपरीतस्तु रक्षोऽशः	१४	वेदमन्त्ररवधास्ताहा	॥	शकटात्पञ्चहस्तं तु	१४८
विप्रवद्विप्रविन्तास्तु	२४२	वेदाङ्गं भवेद् प्रीवा	२६६	शक्ता भवेत् किं शत्रु	४०५
विमगपश्च कुर्वन्ति	१०६	वेनो नष्टस्त्वधर्मन-	११	शक्तिशौर्ययुतयोर्न	३६७
विमाववेत् प्रतिष्ठातं	२९४	वेलां प्रदेशं विषयं	२९७	शक्तेनापि हि न भूतो	२१
विरक्तः कारयेत्पारां	९२	वेश्या तपाविषा वापि	१४८	शक्ताऽसतौ तु संसर्गा	२८५
विरक्तलक्षणं क्षेतद्	॥	वेश्यादिदर्शनं विद्वन्	१४७	शङ्खचक्रगदापयै	३३८
विरुद्धो यत्र नृपति	१३३	वेश्यामिथ नटेर्मयैः	३९८	शङ्खचक्रगदापयै	२६०
विरुद्धयन्ति च तैः सार्कं	९५	वेश्यासु क्षत्रविप्रभ्यां	२४२	शठश्च कातरा बुभ्याः	६६
विरोधं न हानलव	१५०	वैदूर्यसन्निभे नैत्रे-	३४४	शतं दशसहस्राणि	३२५
विलोक्य भर्तृवदनं	२४१	वैरीभूतोऽपि पश्चात् प्राक्	१७८	शतं शतं धीजनान्ते	३५४
विवाहदानपञ्चार्थं	५५	व्यक्तं स नरके मोरे	२७०	शतप्रामाण्यो यस्तु	२९
विवाहदिपुं चाचार	१६०	व्ययं दद्यात् कर्म जुयात्	३१९	शतसंवरसरान्तेऽपि	३९६
विवाहे भोजने नित्यं	६५	व्ययश्चैव समुद्दिष्टो	१०८	शतानां तु शतानोक	७७
विवाहोत्सवधूपे	३११	व्ययीभूतमित्येव	७१	शतानो नोतिहीनानो	३

शत्रुप्रज्ञाभूत्ववृत्तं	८५	शास्त्रेषु के समुद्दिष्टा	७१	श्रीमतामनपत्यत्वं	१९६
शत्रुवाहुसमुत्थं तु	३६१	शास्त्रेषुक्तं मुनिवचैः	१८९	श्रीमत्तः पुरुषो वेत्ति	१४०
शत्रुषड्वर्गमुत्सृज्य	२३	शिशपाशिश्रुवदर	२४४	श्रुतार्थत्वोत्तरं लेख्यं	२९१
शत्रुभैतानि बुजीत	३८१	शिक्षां व्याधि पोषणं च	७५	श्रुतिस्मृतिपुराणानां	१४८
शत्रुसंसाधनोपायो	३५६	शिक्षा व्याकरण कश्यो	२२५	श्रुतिस्मृतीतरैर्मन्त्रा	८४
शत्रुसाधकहीनरव	१८६	शिखावधि तु कैशान्तं	२५	श्रुतिस्मृती विना धर्मा	२३१
शत्रुदासीनमित्राणि	१८४	शिरःप्रच्छादकश्चैव	२८१	श्रुतिरारिस्त्रियपूतात्मा	२७
शत्रोः स्वस्यापि सेनाया	३५५	शिरोःक्षिती पाणिपादौ	२५२	श्रुत्वा भाषार्थमन्यस्तु	२९२
शत्रोरनिष्टकरणा	२६९	शिरोवर्ती यदा न स्यात्	३०९	श्रेष्ठं तु सर्वदुर्गेभ्यः	३२५
शत्रोरपि शुणा घ्राह्या	१३६	शिख्यशाश्च कलाबन्धो	८६	श्रेया गतिस्तु सा श्रेया	३४४
शनैः शनैः प्रवर्षेत	६४	शिल्पिनश्चापि तस्काल	२८५	श्रीतकल्पः स विद्येयः	२२७
शपथार्थे शिरण्याग्नी	२७५	शिल्प्यग्रे वाजिनं ध्यात्वा	३३७	दमशुहीनमुखः कान्तः	३३८
शपथार्थेव निर्विष्टा	३०७	शिशोः सरक्षणो शानं	२३६	दवशुरारक्षैव श्याकाश्च	५१
शफोचं व्यङ्ग्यं श्रेयं	३२४	शिशोस्तु कन्धरा ह्रस्वा	२६५		
शब्दः स्पर्शश्च रूपं च	१६	शीलं धनं तपो रूपं	१५४		
शब्दाभिधानतत्त्वशी	२७५	शुकनामाकृतिर्नासा	२५४		
शमो दमश्चाज्वं चा	१४१	शुक्रादेः पाठकाः सम्पन्क्	७९		
शम्यार्थविनाशस्तरण	८६	शुक्रोक्तनीतिसारं य	३९५		
शम्यासने पादुके च	२८०	शुचिर्दमार्ङ्गराहारो	१६		
शम्यास्तरणसंयोग	२३२	शुना समो न किं राजा	५३		
शर्करामं दलामं च	२०९	शुल्कदेशा दृष्टमाणाः	२१७		
शर्करामं हीनमौष्य	२१०	शुष्कानाद्राश्व मांसानि	३४७		
शर्करामस्य पञ्चाशद्	२१२	शूद्राय दत्तमपि यत्	११९		
शहको कार्दमरी पाठा	२४६	शूद्रा वा क्षत्रिया वैश्या	७७		
शास्त्रयुद्धं तु तज्ज्ञेयं	१८०	शूरस्योत्थानशूलस्य	१८२		
शास्त्रसंमार्जनकरा	८६	शूरः सर्वं पालयति	३७६		
शास्त्रान्कुशलो वस्तु	८२	शूरश्च व्यूढवित्प्रशः	७६		
शास्त्रान्वयोर्धारणं च	३६९	शृङ्गिणां नखिनां चैव	१४९		
शास्त्रास्त्रैः मुनिनिर्मिधः	३७५	शृगुयान्मौनमाश्रित्य	९३		
शास्त्रास्त्रैर्देवहन्त्री या	२४९	शोधयित्वा तु पात्राणि	२३८		
शस्त्रैः कनिष्ठं युद्धन्तु	३७९	शोधयेद्यज्ञपात्राणि	२३८		
शांकरो भैतवर्णा वा	२६१	शौण्डीराणामशौण्डीर	३७५		
शाखाः सेनाधिपाः सेना	३९८	शौर्यपादिष्यवकृत्वं	४६		
शाला भोव्ये निविष्टास्तु	११०	शौर्यमत्तस्तु सद्दसा	१४०		
शासनादन्वयधाचारान्	३८८	शौर्यशुद्धरतान् सर्वे	६०		
शासनार्थं शापनार्थं	२९६	श्रावयित्वा तु यत्कार्यं	२९०		
शास्त्रमानविहीन यद्	२५३	श्रावयेत् सैनिकादित्यं	४११		
शाखाय गुरुसंयोगः	२३	श्रीमगलपदादयं वा	१०५		
				श्रीमतामनपत्यत्वं	१९६
				श्रीमत्तः पुरुषो वेत्ति	१४०
				श्रुतार्थत्वोत्तरं लेख्यं	२९१
				श्रुतिस्मृतिपुराणानां	१४८
				श्रुतिस्मृतीतरैर्मन्त्रा	८४
				श्रुतिस्मृती विना धर्मा	२३१
				श्रुतिरारिस्त्रियपूतात्मा	२७
				श्रुत्वा भाषार्थमन्यस्तु	२९२
				श्रेष्ठं तु सर्वदुर्गेभ्यः	३२५
				श्रेया गतिस्तु सा श्रेया	३४४
				श्रीतकल्पः स विद्येयः	२२७
				दमशुहीनमुखः कान्तः	३३८
				दवशुरारक्षैव श्याकाश्च	५१
				प	
				पट्टकमेतन्नियोक्तम्	७४
				पट्टत्रिंशदङ्गुलमुखो	३३३
				पटेनानि शृङ्गापालं	१७५
				सयानेनापि गच्छेत्	१७५
				पद्दोषाः पुरुषेणैह	१३४
				पद्द्विंशत्यङ्गुलं सन्धि	२६७
				पद्दं दुर्गप्रकरणं	३२४
				पद्दंश वा चतुर्धाश	१२१
				पद्दंशोनाधिका प्रीवा	३३५
				पाहुप्यमन्त्रविद्वान्मी	६९
				पोडनाद्वादशदशा	२२०
				पोडशांश एवन्दया दि	३२२
				पोडशाब्दं धनी यः स्यात्	४०४
				स	
				संक्षेपकोऽतिदण्डो तद्	१७९
				संक्षेपतस्तु क्षयितं	६६
				संक्षेपतस्तु ध्यानादि	२४९
				सख्यतः स्वस्परत्नानां	२१३
				सप्रद्वस्तस्य तस्यापि	२०६
				संप्रदिपत्स्येकमना	१२६
				संयोगपूर्वविज्ञानं	२३३
				संयोग्या तु प्रयत्नेन	११८
				संरक्षयेत् कृपणवद्	२०७
				सरक्षयेत्प्रयत्नेन	५३

संशयेद् गिरिदुर्गाणि	५५	सधनभेदज्ज्वरयानु	३७	समर्थः सन्न ददाति	३२१
संरक्षयेयामिक्षेध	४०	स नृपो म्लेच्छ इत्युक्तः	४९	समर्थैश्च तत्पक्षं	८९
संस्कृतौ तत्कलाभिद्यः	३१८	सन्दिग्धनावं वृषं च	१२९	सनाप्नोषि च तत्पापे	३०२
सहरन्ति च धर्मार्थं	३०६	सन्धाय गमनं प्रोक्तं	३६७	समा मध्या च श्रेष्ठा च	११९
संहरेद्वनिकाय सर्व	४१२	सन्धाय यदवस्थानं	३७२	समासासतदर्पाद्	१०५
संहिता च उवा होरा	८४	सन्धारणाहालनाद्य	१६९	समावर्ताः स वागीशो	३३९
स वपायो नृपाभोनः	१८८	सन्धिः कार्योऽप्यनार्येण	३६४	समासतो लेख्यभुक्तं	११६
स करोति महासौख्यं	३४०	सन्ध्याघाताकृष्टिभेदैः	२३३	समास-न्यूहरेवादि	१३२
स करोत्यथसघातान्	३३९	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	समासात्कथ्यते चान्य	१०५
सकृद् सुमुक्त यस्यापि	४०५	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	समासादुच्यते कृत्य	६४
सकृदसकृदभ्यस्त	१९२	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	समासाहस्यं कृत्यं	७२
सकृद्युक्तं पुत्रीयाद्य	३३७	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	समाहितमतिः पश्येद्	२६९
सङ्घोर्तं मधुराऽऽलापैः	२४१	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	समितो स्वामकार्ये वा	४६
सच्छिद्रमाहातिलक्षी	३५२	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	समीक्ष्य कुलधर्माश्च	२७६
सजानपूर्वपक्षं तु	२८३	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	समीपसन्मार्गबला	१७६
सञ्जातबद्धमूलस्तु	३९७	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	समुद्र लिखितं राज्ञा	
साकारेण च शानेन	१२१	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	यस्नाय	१०१
सत्यं मिथ्योत्तर चैव	२९२	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सम्पदो न विसर्पन्ति	३६५
सत्य वा यदि वाऽसत्यं	७०	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सम्पन्नोपि च मेधावी	९२
सत्यं साक्ष्यं भवन् साक्षी	३०१	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सम्पूर्णतनदानेन	१२१
सत्येन पूयते साक्षी	३०१	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सम्मारदानमौगार्थं	३३१
सत्त्वस्य तमसः साम्या	६	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सन्मारपं देवतुष्टि	७४
सत्य हितं वक्ति याति	१६८	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सन्मूय कुर्वतां शेषा	३१८
सत्त्विकश्चवदुर्दार	३३	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सन्मीलनं प्रसरणं	३६९
स दस्यु राजरूपेण	९५	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सन्ध्याग्विचारितमिति	११३
सदा क्रुर्वाथ त्वायसै	३१	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सन्ध्या निरुध्य तान्	३७१
सदाऽऽनुदत्तवेषः स्थान्	८९	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	स याति नरके घोरे	३७९
सदानुरक्तप्रकृतिः	१६	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सरसात्कृततादुष्ट	२३०
सदारमौढपुत्रान् द्राक्	१५८	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	स राज्याहो भवेन्नैव	४९
सदाऽऽश्वमप्युपकृतं	१७७	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सर्वं यद्यत्कार्यजातं	८४
सदा सुबहुवचनैः	९६	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सर्वतः फलभुग् भूत्वा	२२१
स देशः प्रचरोयन्न	१७१	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सर्वतः स्यात्समभुजं	३३
सदेकनायक राज्यं	४९	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सर्वश्रेष्ठेन नादित्यं	१३०
सदैव कुटिलः सख्युः	३९३	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सर्वदर्शी प्रथानस्तु	६९
सदैव व्यूहसङ्केतः	३८५	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सर्वदाभेदन शयो	१८७
सद्भावेन हरेन्मित्र	२७	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सर्वदोषहरोऽधानां	३४८
सद्भोग्याभावतः साक्षि	३०२	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सर्वधर्मावनाज्ञी च	३९४
सद्यः केचिच्च कालेन	३९७	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सर्वनामा स विख्यातः	३४०
सद्रक्षणं दुष्टनाशः	२९४	सन्ध्यास्वभ्यवहारस्त्री	१३०	सर्वभूतात्मतुल्यो यो	८१

सर्वदनेन माध्यस्थ्य	१६४	सावधश्चैव प्राचीन	१०६	सुकृतं यत्तथा किञ्चित्	३०२
सर्वलोकव्यवहार	२	साधारणमिदं मान	३३४	सुखं च न विना धर्मात्	१२५
सर्ववर्णोत्तमा कन्या	२८५	साधुभ्योऽतित्वमृदुत्वं	५४	सुखप्रदन्वगोष्ठोषु	८९
सर्वविद्याकलाम्यासे	५३	साध्वो भार्या पितृपक्षी	१४६	सुखाय कल्पते नित्यं	१७३
सर्वविद्यास्तु कुशलो	५७	सामन्तः स नृपः प्रोक्तो	२८	सुखासक्तास्य जेद भृत्यान्	३८९
सर्वस्मादधिको दाता	५२	साम दानञ्च भेदश्च	७०	सुगतिदुर्गतिनिरत्यं	३४५
सर्वाङ्गैः सर्वरम्यो हि	२५३	सामन्तादिपदभ्रष्टा	२९	सुगत्याऽग्निर्वलं दार्ढ्यं	३४७
सर्वाभीष्ट करं नीति	३	सामन्तादिषु धर्मोऽयं	४६	सुजनैः सगमं कुर्या	२५
सर्वेभ्यः शकटाः श्रेष्ठा	३५४	सामन्तादिसमा ये तु	२९	सुतप्रलोद्भवं वा	३०७
सर्वोपज्ञोवकं लोक	१	सा माता प्रीतिदा नित्य	१६८	सुतस्य सुतदारानां	३१६
सर्वोपायैस्तथा कुर्यान्	१८६	सान्नाययुवराजःदियं	१०१	सुतालनैर्विनेया हि	३५३
सवनायैश्च सा शिक्षा	२२७	सामान्य याचितं न्यास	३१९	सुदरिद्रं रोगिणं च	१२९
सवयःसारवेधोच	३३१	सामान्यान् दशहस्तैश्च	२४४	सुदासदास्थी सददेहः	१७४
स बानो दलमहो तु	३४४	साम्मुख्येन प्रयातेन	३८१	सुदोर्बेणापि कालेन	२९८
सब्रह्मिकं गृहीतं यद्	१०६	सायं प्रीम्ने तु शरदि	३४७	सुदुर्बुधस्तु दायादा	६१
सवैरलक्षिता शीघ्रं	२४०	सायं प्रातः सैनिकानां	३८९	सुनीतिकुशला नित्यं	२
सशस्त्रो दशहस्त तु	९८	सायं प्रातस्तु धर्मान्ते	२४५	सुनीतिशास्त्र कुशलान्	६०
स शूद्रादनु सत्कुर्या	२४२	सायन्वयैर्मुहूर्तानां	४१	सुपुष्टं कान्तिमज्जाति	२०५
ससङ्करचतुर्वर्गं	१२३	साङ्ख्ययाजुलोऽङ्गुष्ठ	२५२	सुपुण्याश्चैव ये वृक्षा	२४४
ससम्यः प्राड्विवाकस्तु	७१	सार्धं द्विकोटिहस्तैश्च	३०	सुप्ते पत्न्यौ तदध्यास्य	२३९
समाक्षिमञ्च तथोक्त	१०४	सार्धं चतुस्तालमितः	२६३	सफल तु भवेत्कर्म	१३८
सद्दृश्लेण नृपतिः	३५७	सार्धाङ्गुलं सटास्थानं	३३५	सुभूषणः सुवसनः	५२
सद्दृष्टचापप्रमितं	३४६	सावधानमना नित्यं	१३४	सुभूषणा सुसंशुद्धां	५५
सद्दृष्टहस्ताविस्तारो	२४७	सावधानमना भूत्वा	४०	सुभृत्यता तु यत्रोत्पत्त्या	४०५
सद्दृष्टेऽपहृते चाम्निः	३०८	सावधानमनाः सिद्ध	४८	सुभृत्यास्तेपि सन्ध्यायां	८६
सद्दृष्टगौरवाद् विद्या	१९५	सावधारणकं चैव	१०२	सुमद्दुग्णिनं शर्तौ	१२०
सद्दृष्टायुष्टं यद् दुर्ग	३२५	साधश्च सगजश्चापि	३८	सुमुखोऽन्यवश्रेष्ठो	३३२
सद्दृष्टवान्सद्दृष्टमात्य	६४	साङ्गिकं चाधिकं च	१०७	सुयुक्त्याऽर्थाङ्गनं यत्र	२३०
सद्दृष्टसैन्यदुर्गं तु	३२५	साङ्गिकस्तु संयोज्य	७७	सुयुद्धकामुक सारम्	३२८
सद्दृष्टसन्ध्यातिमानो	२८२	साङ्गेषु च सर्वेषु	२९९	सुलभासुलभत्वाद्या	१११
साङ्गामिकश्च कल्पस्ति	७०	साङ्गित्यशास्त्रनिपुणः	८३	सुवचिलवणाङ्गागाः	३५८
सा किं महापनायैव	१७२	साङ्गित्या इव प्लान्ति	५९	सुवर्णं दिशतांश तु	३२२
सा क्रिया सन्धिरित्युक्ता	३६३	साङ्गिकान्यथा पित्रा	२९७	सुवर्णं रत्नं ताम्रं	२१४
साक्षिसन्ध्यावसत्रानां	३१४	सौरभेदैः कृषिः प्रोक्ता	२२४	सुवर्णरत्नरत्न	११०
साङ्गानां सोपवेदानां	१५०	सौवने कञ्चुहादीनां	२३५	सुवखायैर्भूषयित्वा	६०
सातपत्र-पदप्राणो	१२५	सुकान्तिगन्धवर्णश्च	३३८	सुविद्यमाक्षणपुरोः	३७७
सात्त्विकं राजसं चैव	५	सुकौट्यं संत्यजेन्नित्यं	२१	सुविद्यामन्त्रभैषज्य	१४१
सात्त्विकी राजसी देव	२४९	सुकुलश्च सुशीलश्च	६५	सुविस्वूनदलत्यैव	२११
				सुशिरपशासनः सम्यक्	८०

सुसंश्रिते धन धार्ये	१५७	सौपुत्रार्थे कृतो वध	२०१	स्वप्रजादण्डभेदेऽथ	१८७
सुसमृद्धं चिरस्थादी	२०५	सौविप्राम्बुपपधौ च	२७४	स्वप्रजाधर्मसंस्थानं	२३९
सुसेविताः प्रकृष्यन्ति	१३३	स्थलायव्ययविज्ञानं	११५	स्वप्रजानां न भेदेन	१८७
सुहृत्सवन्धिक्रीपुत्र	१८५	स्थलेभ्यस्तपु सन्तिष्ठेत्	३७१	स्वभागधृत्स्या दास्यारवे	२९
सुहृदं भ्रातरं बन्धु	१४२	स्थानासेधः कालकृतः	२८४	स्वमागार्थंहरा कन्या	३१७
सुहृद्भिराश्रयः स्थान	३६५	स्थावरस्य ग्रामपादि	२९७	स्वभावतो भवन्त्येते	१८३
सूचकस्तोमकाम्या वा	२८०	स्थावरेषु विवादेशु	३११	स्वभावदुष्टानेगान् हि	१९७
सूचीसूक्ष्ममुष्टो दीर्घ	३७१	स्थितो मृत्युमुखे चाह	१६०	स्वयंमोक्षेण ताम्बूलं	२८०
सूचीतुल्यं शकटव	३६९	स्थूलकुक्षिः सिद्धकृ च	३३२	स्वयं धर्मं परो भूत्वा	२२२
सूक्ष्मलानि च रक्षन्तु	३८८	स्नानशौलः सुसुरभिः	१२५	स्वयम्भूमर्गवाह्लोक	१
सेनपैस्तु विना नैव	९८	स्निग्धदीपशिखालोक	१७	स्वयं सर्वं तु विदुशे	५१
सेनादुर्गं तु यस्य स्यात्	३२५	स्तुष्ट्यर्काणां रसोनस्य	३५८	स्वरक्षणं शत्रुनाशो	३६३
सेनावलन्तु द्विविधं	३२८	स्नेहं सन्पाययेत् पश्चात्	३४७	स्वरैरुदात्तादिधर्मैः	२२७
सेनासहस्रं स्रजं स्यात्	३८७	स्मृतिविनिर्णयं ब्रूते	२७५	स्वर्गाणि मानवादीनां	२४८
सेवया वा वणिग्वृत्त्या	३९६	स्वकनिष्ठं पितृव्यं वा	५९	स्वर्णदण्डधरो पार्थे	५२
सेवां वाऽपि च स्वीकुर्यात्	३६४	स्वकार्यं साधयेत् प्रायः	३८४	स्वर्णरत्नापलङ्कार	८६
सेवाशौर्षादिभिस्तुष्टः	१०३	स्वकार्ये शिथिलो यः स्यात्	२०७	स्वर्णस्य तत् पञ्चमूह्यं	२१२
सेविनस्वात्तु राक्षो नै	१६९	स्वकार्यार्थं प्रकुर्वन्ति	१६७	स्वर्णस्योत्तमकार्यं तु	३२२
सैनिकाः कति सन्त्येते	७८	स्वकुलोत्पन्नकन्यायाः	६१	स्वर्णादर्धं च रजतात्	२१९
सैनिकाः सैनिकीरेव	२७२	स्वगमाऽन्यगमा चेति	३१७	स्वर्णादीनां तु यायात्स्य	२३५
सैनिकार्थं तु पण्यानि	३८७	स्वगमा या स्वयं गन्तो	३२७	स्वर्णापलङ्कारकृतिः	११
सैनिकैरभ्यतेन्निरयं	३८८	स्वगुणश्रवणात्रिस्यं	१७७	स्वविशिष्टं च यच्चिह्नं	१२२
सैन्यादिना नैव राज्य	३२७	स्वगोत्रे तु तथा कुर्यात्	३३०	स्ववेषरूपसदृशान्	३९८
सैन्यार्थांशेन प्रथमं	३८१	स्वजनैर्न विरुद्धयेत्	१३४	स्वशक्तितानां सामीप्यं	१४९
सेवाचार्यः पुरोधा यः	६८	स्वतन्त्रः साधयन्ननर्थान्	३१२	स्वशिशुं शिक्षयेदन्य	१७९
सोदरेषु च सर्वेषु	६२	स्वतन्त्राः सर्वं ध्वेते	३१६	स्वसंपत्तिमवानैव	६२
सोऽन्ते नरकमाप्नोति	३७९	स्वत्वनिवर्तको द्वेषा	१०९	स्वसदृशः समीपे वा	५२
सोपयं साधनं यद्य	३१०	स्वदुर्गुणश्रवणतो	१७७	स्वसैनिकैर्विना कोऽपि	३६८
सौजन्यात् साधकं मैत्रं	३२८	स्वदोषदशुंकाः कार्याः	५०	स्वस्तिकस्रष्टोत्रखड्ग	३३८
सौदायिकं धनं प्राप्य	३१७	स्वधर्मं परमं भवता	४०१	स्वस्वत्वेऽधिकसंज्ञं त	१०७
स्कन्धादि मुष्कमूलान्तं	३३५	स्वधर्मनिरताऽधुरान्	५९	स्वस्वधर्मपरो लोके	२२ः
रत्नमैश्व भ्रिष्टिभिर्वापि	३४	स्वधर्मनिरतो नित्य	१३५	स्वस्वमुष्टेऽथतुर्धोऽशो	२५०
स्तेनकृतनिवृत्त्यर्थं	४०७	स्वधर्मनीतिबलवां	१३९	स्वहस्तकालसम्पन्नं	१०ः
स्त्रियोमूलमनर्थस्य	१४५	स्वधर्माचरणे दक्षो	८१	स्वहस्त लिखितं वाऽन्य	२९६
सौकट्यां परिधिः प्रोक्तः	२६५	स्वनामाकृतयश्चैते	२६२	स्वहीनप्रतिपाकारो	३१
सौर्षा नामापि संहृदि	१८	स्वपुष्टौ राजपुष्टौ वा	२८९	स्वहेतुमिर्न हन्येत्	१३६
सौर्षा नैव तु देयः स्यात्	१२९	स्वपूर्वजविण्ढदत्त्वाद्	१४३	स्वागमी सद्व्ययी पात्र	२०ः
सौर्षा शीलामियोगेषु	३१०	स्वपूर्वांशं द्वितीयेऽद्धि	३९१	स्वाद्ये दक्षिणभागे तु	५१
सौपुत्रमोहा बलवान्	९६	स्वपेद भूमावप्रमत्ता	२४०	स्वातन्त्र्यं न क्षणमपि	१२८

स्वात्यन्तसन्निकर्षेण	६०	स्वीयां तु परकीयां वा	१२८	हीनमध्यादिमंयोग	२३४
म्वात्यन्तसन्निकर्षेण	१२९	स्वीया तथा च सामान्या	४०७	हीनमश्रुतिगेषां च	२५९
स्वाधिकारिगणस्यापि	३८८	स्येष्टहानिकरः शत्रुः	२६९	हीनाही स्वामिनं हन्ति	"
स्वाधीनं सञ्चितं द्वेषो	१०७	हृ		हीनादिरससंयोगात्	२३२
स्वानुत्पादितसंप्राप्त	७१	हंसाः स्वलन्ति कूजन्ति	४७	हीना निम्नाछदिर्नस्यात्	३५
श्वान्तेऽग्निचूर्णसंभवात्	२५७	इयमीवो वराइरच	२५९	हीनाल्पकर्मिणश्चैते	८६
स्वान् दुर्गुणात् परित्यज्य	१४	हरेत् पादं वनात्तस्य	१९५	हीने तदधा कटके	३२३
श्वान्दोष्यदितस्त्वस्तु	३३१	हस्तपाशानुषयोश्च	२५६	हीयते कुसहायेन	५८
स्वामिकार्ये विनष्टोय	१२०	हस्त्यश्वरथचर्यास्तु	३७७	हीयते चान्यथा राजा	७५
स्वामित्वं चैव दातृत्वं	१९	हावमापादिमंयुक्तं	२३२	हनराज्यस्य पुत्रादौ	३९१
स्वामिन्येवानुरक्तो यो	४०७	दिङ्गुलस्य तथा कान्त	३५९	हृदि विद्ध स्वात्यर्थ	२६
स्वामी स एव विद्येयो	४०५	द्वित्वद्वितवचान्ते	४००	हृन्मध्य-परिधिर्ह्येव.	२५५
स्वाम्यमल्पमुद्रलोश	१०	द्वितास्तेयान्यथाकाम	१२६	हृष्टं कृत्वा स्वोयवत्	३६७
स्वाम्यतेषु कसेव्यार्थे	१०५	द्वितोपदेष्टा शिष्यस्य	१३	हृष्टरोमा मवेद् वधुः	४७
स्वारम्भभूतिसदृशे	११२	द्वित्वा प्राक्पश्चिमौ यामौ	१४४	द्वेतु प्रमाणसम्बन्ध	११०
स्वाराध्यो नीतिमात् राजा	३	द्विमांशुमातीव तथा	२५	द्वेतुलिङ्गीषधोभिर्यो	८४
स्वाविरुद्ध लेट्यभिर्दं	११३	द्विरप्यपशुपान्यादि	१०६	द्वेमकारादयो यत्र	३१८
				द्वेमान्यंशुस्वपुरुषाः	२७४

